ENQUIRY COMMISSION 2020 Lucknow (U.P.)

DR. JUSTICE B S CHAUHAN INQUIRY COMMISSION: RE KANPUR ENCOUNTER 2020

PART-II

(DOCUMENTARY MATERIAL)

INDEX

S. NO.	CHAPTERS	PAGE NO.
1.	**Chapter I:** Introduction	1
2.	**Chapter II:** Inaction by Citizenry and Media - Disappointment and Delusion	7
3.	**Chapter III:** Article 21: Human Dignity and Fake Encounters	14
4.	**Chapter IV:** The First Incident/ Bikru Massacre	18
5.	**Chapter V:** Incident Dated 10.07.2020 (Vikas Dubey's alleged encounter)	29
6.	**Chapter VI:** Death of Accomplices of Vikas Dubey in Police Action between 03.07.2020 and 10.07.2020	43
7.	**Chapter VII:** Patronage to Vikas Dubey and his Associates	74
8.	**Chapter VIII:** Release of accused Vikas Dubey on bail/parole in criminal cases	84
9.	**Chapter IX:** Other Connected issues: (i) Handcuffing, (ii) Problem of Early Disposal of cases, (iii) Appointment of Public Prosecutors, and (iv) Police Commisionerate.	97
10.	**Chapter X:** Conclusions	108
11.	**Chapter XI:** Recommendations	117
12.	**Epilogue**	127
13.	**Case Laws** and material considered and relied upon	129

The Supreme Court after hearing all the parties disposed off all the petitions vide order dated 22.07.2020 approving the draft notification submitted by the State of U.P. and in pursuance thereof the Government of Uttar Pradesh vide Notification No. 1082P/VI-P-3-2020-82P/2020 dated 23.07.2020 constituted a Commission of Inquiry under the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 comprising of:

1. Dr. Justice B.S Chauhan (Former Judge, Supreme Court) - Chairman
2. Mr. Justice Shashi Kant Agarwal (Former Judge, Allahabad High Court) - Member
3. Shri K.L Gupta, IPS (Former Director General of Police) – Member

The Commission was to enquire into and submit the report in respect of the following Terms of Reference:

(a) To enquire into the incident on the night of 02.07.2020-03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel;

(b) To enquire into the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur;

(c) To enquire into the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02.07.2020-03.07.2020 and 10.07.2020;

(d) To enquire about collusion, if any, of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons and to give suggestions for preventing its recurrence in future;

(e) To enquire into facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole in spite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same.

(f) To enquire into the efforts, if any, made for cancellation of bails/parole granted to Vikas Dubey and also to enquire as to why efforts were not made to get the bail granted in case crime no. 65/2020 and other offences cancelled;

(g) To enquire into and examine any other aspect relating to the above mentioned terms of reference as the Commission may consider appropriate and/or necessary;

Kauslendra Singh Sub Inspector, Shri Shivmurat Nishad, Shri Ajay Singh Sengar, Shri Ajay Kumar Kashyap Constables, and Shri Jainarayan Singh Katiyar, (Home Guard Cadet) were seriously injured. Accused Vikas Dubey and his aides looted the weapons (one AK-47 Rifle, one Insas Rifle and 3 Pistols) from the police party and fled away from the spot to unknown destinations.

In respect of the said incident, an FIR was registered and the Police commenced investigation and started search for the accused. It is alleged that co-accused Prem Prakash Pandey and Atul Dubey were eliminated in an encounter as they resisted their arrest on 03.07. 2020 and one Amar Dubey, allegedly was shot in an encounter on 08.07. 2020. Similarly, Prabhat Mishra and Praveen Dubey met the same fate on 09.07.2020 at different places.

Vikas Dubey, the prime suspect was apprehended on 09.07.2020 by the Madhya Pradesh Police in Mahakal Temple in Ujjain (M.P.) and was given custody by the Police authorities of Ujjain to the U.P. Police (STF) on the written request by the Senior Superintendent of Police Kanpur at 08:10 A.M. On 10th of July, the vehicle in which Vikas Dubey was being brought, is stated to have met with an accident near Kanpur Nagar. Taking undue advantage of the situation, Vikas Dubey attempted to escape police custody by snatching a pistol from the Police Inspector escorting him whereupon in the exchange of fire that ensued in retaliation by the police, he is alleged to have succumbed to death on being hit by shots fired by police.

The writ Petitioners alleged that these were cases of fake encounters and the same were in contravention of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in ***PUCL v. State of Maharashtra**, (2014) 10 SCC 635*, and prayed for an appropriate action against the police officers involved in those cases and to appoint a Commission headed by a retired Judge of the Hon'ble Supreme Court to inquire into all these incidents and also for other directions.

CHAPTER - I

INTRODUCTION

The recent incident, after eight policemen were targeted to death and several injured, by a criminal/habitual offender known for his nefarious activities and criminal antecedents, led to a counter balancing of the situation by an immediate response, which might have been an urgent need to either boost police morale, or public confidence, or may have been a knee-jerk reaction, leaves the society wondering as to the deficits of our Criminal Justice System.

A Public Interest Litigation was initiated by a few persons claiming to be public spirited persons invoking the jurisdiction of the Hon'ble Supreme Court under Article 32 of the Constitution. W.P (Cri) No. 177/2020, **Ghanshyam Upadhyay v. State of U.P.** was taken to be the lead case. The Petitioners had raised almost a common grievance in respect of the incidents that occurred on 2.07.2020 and thereafter.

As per the averments made in those Petitions, a police party headed by Mr. Devendra Mishra, Deputy Superintendent of Police went to village Bikru, P.S. Chaubeypur, District Kanpur Nagar, to apprehend one Vikas Dubey in Case Crime No. 191/20 under PS Chaubeypur, Kanpur Nagar, against whom 64 criminal cases had already been registered. In some cases he stood acquitted while other cases were pending trial or appeal and he had been enlarged on bail in those cases. Vikas Dubey is alleged to have prior intimation about the said raid and thus he called his associates fully armed to meet the challenge. When the Police party arrived near the house of Vikas Dubey, he and his associates opened fire on the raiding party with sophisticated weapons as a result whereof, eight police officials namely Shri Devendra Kumar Mishra, Circle Officer, Shri Mahesh Yadav, Station Officer, Shri Nebu Lal, Sub Inspector, Shri Anoop Kumar Singh, Sub Inspector, Shri Sultan, Shri Rahul, Shri Bablu and Shri Jitendra Pal, Constables sustained fatal injuries resulting in their death and six officials namely Shri Sudhakar Pandey, Sub Inspector, Shri

(h) Enquire any other point referred by the State Government from time to time.

On the request of the State of U.P., as suggested by the Commission, the Allahabad High Court passed appropriate orders attaching Shri Sanjeev Kumar, HJS (District Judge Rank) and Shri Afzal Husain Abbasi, Deputy Registrar-cum-PS to facilitate the working of the Commission. The Central Government also attached Shri Shiv Ram Pal, Sub Inspector (Steno), CRPF and Shri Subhash, Sub Inspector (Steno), SSB for assistance of the Commission.

The Commission held its first sitting on 25.07.2020. The Commission inspected sites of all the six alleged incidents, which are subject matter of this Inquiry. The details of inspection are as follows:-

Sl No	Place of incidents	Dates of Inspection
01	Village Bikru, Police Station Chaubeypur, District Kanpur Nagar	04.08.2020
02	Near Devi Temple, Village Kashiram Newada, Police Station Chaubeypur, District Kanpur Nagar	28.08.2020
03	Near Bhauti Bypass, Police Station Panki, District Kanpur Nagar	28.08.2020
04	On National Highway, near Kanhaiya Lal Hospital, Police Station Sachendi, District Kanpur Nagar	28.08.2020
05	Civil Lines, Police Station Civil Lines District Etawah	03.09.2020
06	Village Artara, Police Station Maudaha, District Hamirpur	14.09.2020

The Commission recorded the evidence of witnesses pertaining to all the six alleged incidents. The Commission examined Shri Mohit Kumar Agarwal, IG Kanpur Range, Shri Dinesh Kumar P., SSP, Kanpur Nagar, Shri Anant Dev, IPS, who had earlier served in Kanpur Nagar as SSP and the police officials who participated in the raid, particularly those who got injured. Two police officials namely, Station

Officer of PS Chaubeypur Vinay Tiwari and SI Krishna Kumar Sharma, PS Chaubeypur, detained in Maati Jail Kanpur, as accused in respect of the first incident, were also summoned and their statements were recorded. In addition thereto, 32 accused including three women detained in the same Jail were examined by video conferencing. A large number of witnesses also appeared and deposed about the character and conduct of Vikas Dubey and about political patronage he received. The Commission had invited Shri Prakash Singh and Shri Sulkhan Singh, both former DGPs of Uttar Pradesh and other officials for consultation. The Special Investigation Team (**SIT**) headed by Shri Sanjay R Bhoosreddy, IAS, Additional Chief Secretary, appointed by the Government of Uttar Pradesh to find out certain facts overlapping this inquiry, was also invited to discuss the issues and verify the conclusions reached by the SIT. Shri H.C. Awasthi, IPS, Director General of Police and Shri Ashutosh Pandey, Additional Director General (Prosecution) were also invited for discussion to understand the administrative problems and working of the police. A large number of advocates / law officers appeared and made valuable suggestions. The commission records its appreciation and gratefulness to all of them for rendering valuable suggestions to the commission.

In all alleged encounters, magisterial inquiries, as required under the directions of the Hon'ble Supreme Court, were instituted. The Reports of all such inquiries were called for and examined. The charge-sheet filed in the first incident was thoroughly examined and discussed.

Smt. Asha Mishra, wife of martyred Circle Officer Devendra Mishra, her brother-in-law Shri Kamla Kant Dubey and Shri Saurabh Bhadauria, Advocate, Kanpur Nagar had also submitted their affidavits alongwith supporting documents. The Commission also heard them and their statements have been recorded. The Commission also heard Shri Amit Kumar Nagar, Deputy Superintendent of Police, STF, Lucknow and Shri Vishal Tiwari, Advocate, Supreme Court of India.

For the sake of brevity, all relevant evidence and documents are compiled in a separate book [**Part II**].

CHAPTER- II

Inaction by Citizenry & Media–Disappointment and Delusion

(No Iota of Evidence in Rebuttal of Police Version)

The course of this enquiry reveals apathy on the part of that section of society which had chosen to trumpet the cause of action of human rights violation on extra judicial killings i.e., encounters. The distress expressed was presumably on account of an opinion that the only power possessed under the Constitution and the laws to take away human life is through judicial governance under an established procedure and by the due process of law.

Unfortunately, in spite of several sittings, local visits and genuine attempts to obtain information, the Commission finds that the information, instead of being porous as was loud spoken when the incident happened, is now being almost completely withheld and the avoidance of rendering credible facts, if not complete hostility, tends to defeat the very purpose of this enquiry and probe entrusted to this Commission.

It appears to be a clear case of disregard of certain fundamental duties which the citizenry is obligated to perform. Fundamental duties in essence are moral responsibilities and are constitutionally preserved under Article 51-A of the Constitution of India. The present forum is, therefore, not being given its due importance by the society particularly those who had spoken out loudly including the Press and Media and other individuals, at the time when the incident had been discussed at its peak both on the judicial side as well as on public platforms. The lack of courage to aid an investigation exhibits a moral deficiency that defeats the cause of a fair display of facts that is extremely necessary to infuse faith in the system.

Withholding of information and non-disclosure of facts within one's knowledge may be on account of negligence, propriety, fear, thoughtlessness or mere apprehensions about the correctness of one's own information. There are many

people who might have spoken earlier on hearsay but when confronted to speak out about the correctness of their claims, there appears to be a definite hesitancy which may be willful or is being done voluntarily or knowingly or purposefully.

The right to remain silent coupled with the right to exercise privacy is available but not to an extent that may defeat an important public cause like the present enquiry.

It is, therefore, more of a secretive exercise of role by the public that prevents this Commission from reflecting on the real and actual facts that may have prompted the incident but in the absence of such valuable information the very credibility of the approach of the public at large becomes questionable and therefore, makes it impossible for this Commission to record any conclusive canvas of facts in order to analyse the incident.

There is a deep gulf between what is projected and what was expected. The arrival of any cogent truth remains a far cry even though several attempts were availed by the Commission to collect all necessary information. What has been presented is hearsay without anything to substantiate reality and what remains hidden is because of complete non-cooperation of some eyewitness. Absence of truthful revelations adds more doubt than certainty to the allegations.

If the public feels distressed and if judicial governance is to survive and infuse confidence, is it not the public which is equally under a moral duty and social responsibility to come forward to state the truth about an incident that may have repercussions for generations to come? This strange psychological moment where people have stopped speaking should be a reminder to them that the power of speech ordained by nature on mankind is to manifest itself by speaking and not by hiding something which ought to be disclosed.

The Commission invited the public at large to come forward for recording of the evidence if such persons have witnessed any of the incidents. Print and Electronic Media were requested to deposit any material which may assist the Commission in

arriving at a correct conclusion. Wide publicity and publication of such notices were made in the newspapers in English and Hindi, having wide circulation in the concerned area, on various dates. Notices were also pasted at all conspicuous places, like Collectorates, S.P. offices, Police stations, Tehsils etc. It was also publicised by beat of drums in different villages for the said purpose. All the incidents except the first incident dated 2/3-7/2020 occurred in the morning hours. Thus, it is quite natural that the said incidents must have been witnessed by some persons present in the respective local area. However, no one came forward to render any assistance to the Commission.

(1) **Smt. Richa Dubey**, wife of Vikas Dubey had filed an affidavit and shown her interest to appear before the Commission to depose about the incidents. However, inspite of summons served on her, she did not turn up before the Commission on the date fixed for the reasons known to her nor she asked the Commission to fix another date, if it was not possible for her to attend the hearing on the date fixed.

(2) **Smt. Khushi Dubey**, wife of Amar Dubey, who had lost her husband only three days after her marriage, and is detained in Rajkiya Sampreshan Grih, Barabanki, being juvenile, wrote a letter to the Commission that she had no concern with the case, at all.

(3) **Smt. Asha Mishra**, wife of martyred Devendra Mishra, the then Cricle Officer, Bilhaur, was summoned, who firstly refused to appear before the Commission but later on, on her own, appeared and gave her statement before the Commission. She also handed over two mobile sets allegedly belonging to her husband Devendra Mishra, which, according to her, contain relevant/important audio recordings of those who gave patronage to Vikas Dubey and which, according to her, have bearing/ impact on the outcome of this inquiry. These mobile sets had been sent for forensic examination and FSL report in this regard is on record.

(4) **Shri Kamla Kant Dubey**, brother-in-law of Asha Mishra, also based his statement on the audio recordings contained in mobile sets, allegedly belonging to Devendra Mishra.

(5) **Smt. Jyoti Devi** and **Major Ajay Tiwari**, wife and brother of Vinay Tiwari (detained in Maati Jail) had filed application/affidavit. Inspite of service of summons, Smt. Jyoti Devi did not turn up before the Commission nor did she send any communication for adjourning the case. Major Ajay Tiwari, though not a witness of any of the incidents, in his affidavit has tried to show that his brother Vinay Tiwari has falsely been implicated in the case, in response to the summons sent to him, he sought adjournment for February 2021. However, as Vinay Tiwari had himself appeared before the Commission and deposed, it was not considered necessary to call his brother or wife for hearing.

(6) The Media had been shouting from the rooftop that rule of law had been violated with all impunity and some of them claimed to have been chasing police vehicles bringing Vikas Dubey from Ujjain (Madhya Pradesh) to Kanpur, made various revelations in news. In spite of several publications, none of them appeared before the Commission nor has any material been furnished to substantiate their claims or versions.

It has been suggested by a large number of persons including Shri Vishal Tiwari, Advocate that the Commission must issue summons to the News Agencies to appear and depose. However, none of them could point out any particular news agency, which may be in possession of any evidence/material in this regard and could be summoned. Unfortunately, it is a case where even the family members of those who were killed in encounter are not coming forward to raise any grievance.

The Commission had asked Shri Sanjeev Kumar, Secretary to the Commission, to examine all print and electronic media news/reports in regard to any or all of the incidents involved in this inquiry. After having a view of all video clips and newspaper reports (available on internet and social media), the Secretary after examining the same, reached the following conclusions:

1. Some of the prominent newspapers/news agency reports are available on internet and social media pertaining to the incidents, which are subject-matter of this Inquiry.
2. Daily Dainik Bhaskar, E economics/India Times, ANI, The Hindu, The Times of India, Amar Ujala, Business Today and Dainik Jagran reported the incidents between 03.07.2020 and 11.07.2020.

3. From a perusal of these reports (electronic and print media), it appears that none of the Correspondents, who prepared these report(s) has witnessed any of the incidents nor he has any personal knowledge of the incidents. Most of the Reporters reached at the spot after the incident(s) were over. Regarding incident dated 2/3.07.2020 of village Bikru, in which 08 police personnel were allegedly killed by Vikas Dubey and his associates, some video clips of Aaj Tak in report prepared by Sri Shams Tahir Khan **(Aaj Tak 17.07.2020)** contain audio recordings, allegedly of the accused and their relatives, during and just after the incident (which are said to be viral on internet) in which conversations of some persons contain names of some accused named in this incident. Another video clip of Aaj Tak contains a report with video recordings of some vehicles allegedly carrying accused Vikas Dubey to Kanpur from Ujjain and the team of Aaj Tak following them. The Correspondent is heard saying that just after Barajod Toll Plaza, his vehicle was knowingly stopped by police by putting barriers on road, in the name of checking of vehicles, so that the convoy carrying Vikas Dubey manages to avoid the media. The Reporter says that just after few minutes, a few kilometers away, the vehicle carrying Vikas Dubey was found overturned and the police version of incident is reported to Media. This news report does not show that the alleged incident and overturn of vehicle and later events were witnessed by the Reporter himself. Some of other video clips have only reported about the incident(s) and not a single person is reported to have witnessed any of the incident(s). There seems to be some improvement in the version that the car of the Correspondent was stopped just after crossing the Barajod Toll Plaza as there is evidence on record to show that all the three police vehicles were given way at the toll plaza but all other vehicles had to stop and pay the toll. The separation, if any, might have been at the toll plaza itself. These Reporters have drawn some conclusions about the incident(s) on the basis of speculation and past background and also some of the statements given by higher officers of the government after the Bikru incident.

4. Some of the video clips **(India Today 04.07.2020)** show, the house of Vikas Dubey in village Bikru is razed to the ground by the administration along with damage caused to some vehicle allegedly belonging to Vikas Dubey. In another video clip which also shows the house of Vikas Dubey **(TIMES NOW 04.07.2020)** being razed and the Correspondent is raising certain issues of bypassing the law in such activity by the administration.

5. The print media reports also do not contain the name of any person who had witnessed any of the incidents. The reports are based on hearsay and/or

circumstantial evidence. The Reporters seem to have drawn their conclusion(s) about the genuineness of incident(s) on the said basis of certain surmises and conjectures.

Even otherwise, it is a well settled legal proposition that Media should not become a Court of parallel inquiry. Media trials at times do cause great harm by unnecessary publicity that incites public agitation. A trial by the print or the electronic media is antithesis to the rule of law. It can very well lead to miscarriage of justice. Recently, the Bombay High Court has held that under the garb of pandemic (Covid-19), media had made propaganda against the "Tablighi Jamat" that it was spreading the virus. Such propaganda created a fear in the mind of minority weakening the democratic setup of India. The Court quashed all FIRs against the foreigners in this regard. In another case, the Court observed that media trial may have adverse impact on the case, thus reckless and irresponsible reporting is not permissible. The media should not cross "Lakshman Rekha" claiming its rights of freedom of speech under Article 19 (1)(a) of the Constitution.

Freedom of the Press to report is a Fundamental Right under the Article 19(1)(a) of the Constitution, which provides the "freedom for speech and expression" but no freedom is absolute and is subject to reasonable restrictions under Article 19(2). Media opinion is permissible without unduly restricting the rights of the accused under Article 21 of the Constitution for a fair trial. A right to fair trial overrides media rights.

The medium of communication may shape the destiny of a society. Thus, there is enormous significance of freedom as well as the responsibility of the print/electronic media. Degeneration in the contents of news should not be permissible as it cannot be equated with propaganda.

Same remains the position in respect of the circumstantial evidence. The circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cogently and firmly established; that those circumstances should be of a definite character unerringly pointing towards the guilt of the accused; that the

circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and they should be incapable of explanation on any hypothesis other than that of the guilt of the accused and inconsistent with his innocence.

The circumstances concerned "must or should" and not "may be" established. There is a legal distinction between "may be proved" and "must be" or "should be proved"; the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides "vague conjectures" from "sure conclusions" as to not leave any reasonable ground and such circumstances should be fully established. Factual circumstances and inferences must be compatible with a singular hypothesis wherein all the intermediate facts and the case itself are proved beyond reasonable doubt.

In such circumstances, the Commission has prepared its report in absence of any iota of evidence in rebuttal of the police version in any of the incidents involved in the subject matter of inquiry.

CHAPTER III

Article 21: Human Dignity and Fake Encounters

Right to speedy trial flowing from Article 21 of the Constitution encompasses all the stages namely the investigation, inquiry, trial, appeal, revision and re-trial. The accused has a right to have a fair trial, through a fair procedure and a fair investigation.

Article 355 of the Constitution provides that the Government of every State would act in accordance with the provisions of the Constitution. Nonetheless, the very essence of the Constitution is also that no organ of the State may arrogate to itself powers beyond what is specified in the Constitution in order that people may not lose faith in the administration of criminal justice, no one should be allowed to subvert the legal process.

A person does not cease to be a citizen of India if he is an accused in a criminal case or stands convicted, as imprisonment does not spell farewell to fundamental rights. Article 21 which is a fusion of substantive and procedural law read with Article 19(1)(d)(5) requires evolving standards of decency and dignity.

Presumption of innocence of an accused is a legal presumption and should not be destroyed at the very threshold through any process and that too when the investigation is pending. In that event, it will be opposed to the very basic rule of law and would impinge upon the protection granted to an accused under Article 21 of the Constitution. The Primacy of human dignity under the Constitution provides that anything derogatory to the individual dignity is anachronistic to Constitutional ethos. Articles 20, 21 and 22 of the Constitution are bound to be observed mandatorily as they deal with the life and liberty of persons. The provisions of the Indian Penal Code, 1860, particularly Sections 166 & 167 (disobeying directions of law by public officers), 220 (confining a person for corrupt and malicious reasons), 330 & 331 (illegal restraint and causing harm to body), 340-348 (wrongful restraint and wrongful confinement), 376(2) (an aggravated form of rape committed by

police officers etc.), 376B to 376D (custodial sexual offences) and 503 and 506 (criminal intimidation) are relevant for this purpose.

In cases of custodial death or police torture, it is difficult to expect direct ocular evidence of the complicity of the police. Bound as they are by the ties of brotherhood, often police personnel would not come forward to give evidence and more often than not, police officers could feign total ignorance about the matter.

The Supreme Court has been entertaining petition after petition involving the allegations of fake encounters and rapes by police personnel of States and in a large number of cases transferred the investigation itself to other agencies and particularly CBI, where the circumstances,prima facie,satisfied the court that there had been an attempt to shield the guilty officers of police who had allegedly perpetuated the barbaric offences and it was necessary to protect the rights of the victims.

Fair Investigation (Role of I.O.)

The investigation should be judicious, fair, transparent and expeditious to ensure compliance with the basic rule of law. There cannot be any kind of interference or influence on the investigating agency. A vitiated investigation is the precursor for miscarriage of criminal justice. The Supreme Court in certain cases directed initiation of disciplinary proceedings where the investigating officer had intentionally caused lapses during the investigation.

Pursuant to an order of the Supreme Court in ***Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh,*** *(2018) 5 SCC 311*,wherein the direction was to set up a Central Oversight Body (COB), the Central Government suggested the setting up of a central server for implementation of videography and to ensure that use of videography becomes a reality in a phased manner. The question was also considered regarding recording of the statement under Section 161 CrPC by audio and video recordings, as provided under Section 161 (3) proviso. In ***Paramvir***

Singh Saini v. Baljit Singh & Ors., *SLP (Crl) No. 3543 of 2020,* the Supreme Court, vide order dated 02.12.2020, while dealing with the Protection of Human Rights Act 1993, issued a large number of directions, *inter alia*, that CCTV cameras having night vision with audio and video footages (the recordings/data of which to be retained for a period of 18 months), be installed at all police stations and all other investigating agencies.

Section 46 CrPC – Justification of Encounter

Section 46 CrPC details the manner in which an arrest is to be made. Section 46(2) states that if the person being arrested forcibly resists the endeavour to arrest him, or attempts to evade arrest, the person empowered to arrest may use necessary means to effect the arrest. The killing of an accused is not acceptable to the Court unless it is in the exercise of self-defence. Sections 96 to 106 IPC deal with the right to private defence. In the cases wherein this right may extend to causing death, there should have, necessarily, been a reasonable apprehension of danger to the body or property and it must necessarily satisfy one of the conditions in Section 100 IPC. For Section 46(3), for death to be caused it must simply be shown that; 1) the accused attempted to evade or forcibly resist arrest and; 2) the person was accused of an offence which was punishable with life imprisonment or death.

Extra-judicial killing of an accused amounts to State-sponsored terrorism but one cannot be oblivious of the fact that there are cases where the police, while performing their duty, are attacked and killed. There is a rise in such incidents and judicial notice must be taken of this fact. In such circumstances, while the police have to do their legal duty of arresting the criminals, they have also to protect themselves. Unless unimpeachable evidence is on record to establish that their action is indefensible, mala fide and vindictive, they cannot be subjected to prosecution. Sanction must be a precondition to their prosecution. It affords necessary protection to such police personnel.

In ***People's Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra,*** (2014) 10 SCC 635, the Supreme Court directed to identify scene witnesses and to record evidence of weapons such as one's bullets, cartridge cases and the same should be preserved to hold a Magisterial inquiry as required under Section 176 CrPC. The report of such inquiry must also provide for circumstances leading to death.

CHAPTER- IV

The First Incident/Bikru Massacare

The Terms of Reference (a) relating to Bikru incident reads as under:-

> "a. To enquire into the incident on the night of 02.07.2020-03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel."

In this regard, the Commission inspected the alleged place of occurrence at village Bikru under Police Station Chaubeypur, Kanpur Nagar and recorded the evidence produced by the State Government. The Commission also heard large number of persons gathered in the village at the time of inspection.

The relevant facts as per the FIR lodged at 5.35 am on 03.07.2020, are as under:-

Date of incident:**2/3.07.2020** Time: **01.00 a.m. to 1.30 a.m.**
Place of Occurrence - Village Bikru;
Crime No. 192/2020

FIR under Sections 147/148/149/302/307/394 IPC &Section 07 Criminal Law Amendment Act, under Police Station- Chaubeypur, District-Kanpur Nagar.
Names of martyred police personnel:
- Sri Devendra Mishra, the then Circle Officer, Billhaur, Kanpur Nagar.
- Sri Mahesh Yadav, the then Station Officer, PS Shivrajpur, Kanpur Nagar.
- Sri Nembu Lal, Sub- Inspector,
- Sri Anup Kumar Singh, Sub-Inspector, Incharge outpost Mandhana,
- Constable Jitendra Pal,
- Constable Bablu Kumar
- Constable Rahul Kumar
- Constable Sultan Singh.

Six other police personnel were injured in the incident.

Names of accused: 1. Vikas Dubey s/o Ram Kumar Dubey, 2. Rajaram@ Prem Kumar, 3. Shyamu Bajpeyi, 4. Chhotu Shukla, 5. Monu, 6. Jahn Yadav, 7. Atul Dubey, 8. Dayashankar Agnihotri, 9. Shashikant Pandit, 10. Shiv Tiwari, 11. Vishnupal Yadav, 12. Ram Singh, 13. Ramu Bajpayi, 14. Amar Dubey, 15. Prabhat Mishra, 16. Gopal Saini, 17. Heeru Dubey, 18. Bauwan Shukla, 19. Shivam Dubey, 20. Bal Govind, 21. Bauwa Dubey and 60-70 others.

Factual Matrix

On 03.07.2020 at 00.27 am, complainant, S.O. Chaubeypur Vinay Tiwari alongwith his police team proceeded to village Bikru to arrest accused Vikas Dubey, wanted in Case Crime No. 191/2020 under Sections 147/148/504/323/364/342/307 IPC and *Section 7 CrLA Act of PS Chaubeypur. On prior information*, Circle Officer Bilhaur Devendra Mishra, SO Shivrajpur Mahesh Yadav and SO Bithoor Kaushlendra Pratap Singh alongwith their respective teams gathered at Bela Crossing and, after discussion, they formed three teams and proceeded towards the house of Vikas Dubey on foot leaving their vehicles on main road near *Dwivedi Aatta Chakki* outside village Bikru and surrounded suspected areas covered by high walls, iron wires and big gates. The first team was led by CO Bilhaur comprising Mahesh Yadav SO Shivrajpur, SI Nebu Lal, Head Constable Awadhesh Kumar, Constable Pintoo Tomar. The second team was led by SO Bithoor comprising SI Anup Kumar Singh, Constable Jitendra Pal, Constable Ajai Kashyap, Constable Ajai Sengar, SI Satendra Kumar, Constable babloo Kumar, Constable 1477 Rahul Kumar, Constable 3957 Rahul Kumar, Constable Sultan. The third team was led by SO Chaubeypur Vinay Tiwari comprising SI Diwan Singh, SI Sudhakar Pandey, SI Kunwarpal Singh, SI Vishwanath Mishra, SI Azhar Isharat, Head Constable Amrit Lal, Constable Rajiv Kumar, Constable Nem Singh, Constable Abhishek Kumar, Constable Vikas Sudhakar, Constable Shivmurat, Constable Mohd. Azmal, Constable Avnish Kumar and Constable Driver Kunwar Pal Singh. When they reached near Vikas Dubey's house, a JCB machine blocked the road just 20 meters before the said house. After crossing the JCB, the first police party stayed near his gate, the second party proceeded towards eastern side of the house and the third party moved towards the southern side of his house. Suddenly Vikas Dubey and his associates started indiscriminate firing upon police parties from the roof with pre-arranged plan. Vikas Dubey shouted "how dare police came to raid his house and nobody would escape alive". Firing also started from roofs of houses of Rajaram and Prem Kumar situated in front of the house of Vikas Dubey. They were firing from three directions on the police teams resulting in the death of eight police

personnel and grievous injuries to six police personnel. Due to cover firing, SO Bithoor and some other personnel managed to escape. The accused also looted firearms of some police personnel. Dead bodies of police personnel, blood and empty cartridges were lying on the spot. This incident occurred between 01.00 to 1.30 am. The complainant lodged an FIR in PS Chaubeypur under Sections 147/148/149/302/307/394 IPC and 7 CrLA Act the same day.

Evidence collected/received

The Commission was provided copies of concerned police papers of this case, such as, general diaries (G.D.), F.I.R., site plan, panchayatnama, postmortem reports of police personnel, injury reports, CDR etc.

Public notices were published twice in the newspapers. Notices were also pasted at conspicuous places in Kanpur. Publicity in this regard was also given by beat of drums in concerned areas. In response thereto, affidavits of 32 persons were received in the office of the Commission.

Out of these 32 persons, the Commission examined I.W. 01 Rahul Tiwari, I.W. 02 SI Deewan Singh, I.W. 03 Constable Gajendra Singh, I.W.04 SO Kaushlendra Pratap Singh, I.W.05 Constable Ajai Kumar Kashyap, I.W.06 Constable Ajai Singh Sengar, I.W. 07 Home Guard Cadet Jairam Katyar, I.W. 08 Constable Shivmurat Nishad, I.W. 09 SI Sudhakar Pandey, and I.W.10 SI Azhar Isharat, in evidence.

I.W. 11 Anant Dev, IPS, Deputy Inspector General of Police (posted as SSP Kanpur Nagar prior to the incident) (now under suspension), I.W. 12 Vinay Tiwari, the then SO Chaubeypur and I.W. 13 K.K. Sharma, the then Sub Inspector posted in PS Chaubeypur (both have been made accused and are detained in Maati Jail), I.W. 15 Smt Asha Mishra, widow of martyred CO Devendra Mishra and I.W. 14 Sri Kamlakant Dubey, co-brother of deceased CO were also examined by the Commission. Smt. Asha Mishra submitted two mobile phones, allegedly of

Devendra Mishra which, according to her, contain some original call recordings relevant for this inquiry. These mobile phone sets were sent for forensic analysis to FSL, Mahanagar Lucknow. Smt. Asha Mishra gave description of 14 audio calls contained in these phones but from a perusal of the forensic report, the date and time of only one of such audio calls was certified by the FSL. Perusal of the transcript of the said audio call reveals that the same has no relevance to the subject matter of this inquiry.

The affidavits of rest of the witnesses were either repetition of those who were already examined or were not material for the purpose of this inquiry and hence they were not summoned.

Notices were also sent to family members of deceased police personnel and also to accused lodged in Maati Jail. All the accused of this incident, who are lodged in Mati Jail, Kanpur Dehat, were also heard through Video Conferencing. The Commission also perused the charge sheet, case diary and other police papers submitted by the IO of this case, before the competent Court.

Sri Tirath Pal, father of martyred Constable Jitendra Pal and Sri Om Kumar, father of martyred Constable Rahul Kumar have submitted their affidavits stating that their sons have been killed in the incident.

The Commission also inspected the site of incident and interacted with the general public gathered there.

The entire evidence of this incident, including police papers, statements of 15 witnesses, etc. are kept in **Part II (pages 32 to 162)**.

<u>Discussion</u>

According to the police version, as soon as the police teams reached near the house of Vikas Dubey, they found the road blocked by a JCB machine. When they moved

around different directions of the house of Vikas Dubey, indiscriminate firing started at the police party from the roofs of the house of Vikas Dubey and his neighbours. The police teams tried to save themselves and, in retaliation, also fired some rounds but their plan to raid the house of Vikas Dubey, backfired. In the incident, eight policemen were killed and six were seriously injured. Rest of the police personnel narrowly escaped by hiding themselves or fleeing to safe places. Vikas Dubey had prior information of this operation and he, with the help of his associates, had planned and arranged all this and carried out his evil design by indiscriminate firing from sophisticated weapons to ambush the police party.

In this regard, I.W. 01 Rahul Tiwari is the person upon whose FIR the police reached village Bikru to arrest the accused Vikas Dubey. He deposed that one Sunil Kumar s/o Ashok Kumar r/o Sohramau, Unnao had dishonestly executed fraudulent and forged Gift and Will deeds of his father-in-law Lallan Shukla. Civil suits are pending before the competent court in this regard. Sunil Kumar had beaten him on 27.06.2020 and he reported this incident to PS Chaubeypur. Then, SO Chaubeypur had taken him to Balmukund (father-in-law of Sunil Kumar) in village Bikru where Vikas Dubey and others threatened and beaten him. This entire incident occurred in the presence of SO Chaubeypur who did not try to save him and he was favouring the accused. The witness lodged a complaint about the said incident to the SSP in writing and thereafter a case was registered. Sunil Kumar has not been arrested so far. Thus, he was apprehending danger to his life and property. The evidence of this witness is relevant to the extent that the then SO Chaubeypur Vinay Tiwari had a soft corner towards accused Vikas Dubey and it was upon his FIR that the police party had reached village Bikru to arrest the accused Vikas Dubey.

I.W. 02 SI Diwan Singh, who was posted in PS Chaubeypur, was the driver/ member of raiding police party alongwith SO Vinay Tiwari. He is the eyewitness of the incident and has supported the police version. I.W. 03 Constable Gajendra Singh, who was posted in PS Kakwan, was the driver alongwith the then CO Bilhaur and is eyewitness of the incident. He deposed that at around 01.00 am,

leaving their vehicles on the main road, the police teams proceeded towards Vikas Dubey's house. Constable Surendra Singh came back and said that the CUG of the CO was left in the vehicle. As soon as he took the phone and moved forward, firing started and immediately they informed the control room and higher authorities. The accused kept on firing for about 30-35 minutes.

I.W. 04 Kaushlendra Pratap Singh, SO Bithoor, is an injured witness. Thus, his presence on the spot cannot be doubted. According to him, when the police teams reached near the house of Vikas Dubey, indiscriminate firing started from the roofs of house of Vikas Dubey and nearby house of Baua @ Pravin Dubey. Some of his team members took shelter by the side of wall in an open plot and the rest near the toilet. He fired six rounds in self defence. Constable Ajai Kashyap and SI Sudhakar Pandey also got injured. Some of the accused, including women, were giving location of police parties. Vikas Dubey was threatening the police parties with dire consequences. He saw accused killing policemen SI Anup Kumar Singh, Constable Jitendra Pal Singh, Constable Babloo Kumar, Constable Rahul Kumar and Constable Sultan Singh. The accused also looted some arms and ammunition of the police parties. Accused Prem Kumar snatched his pistol, at this juncture, Constable Ajai Kashyap fired at him. Heeru Dubey fired at Constable Ajai Sengar and bullet hit his stomach as a result he got injured. Somehow, the police personnel reached near their vehicles. The firing continued for about 30-35 minutes. The injured police personnel were sent to hospital for treatment. He remained admitted in the hospital for several days. His injury report shows multiple small circular wounds 3X3.5 cm on left thigh with blackening present. Bleeding, swelling and pain present. Movement of left thigh very painful, caused by firearm injury.

I.W. 05 Constable Ajay Kashyap, PS Bithoor, accompanied SO Bithoor Kaushlendra Pratap Singh. The said witness was carrying AK-47 rifle. He supported the police version. He is an injured witness as he suffered a bullet injury in his hand. His injury report shows multiple small circular wounds 4X4 cm with blackening

around wound and bleeding and pain present on left elbow, left forearm and left thigh, caused by firearm injury.

I.W. 06 Constable Ajai Singh Sengar, who accompanied SO Bithoor Kaushlendra Pratap Singh, is also an injured witness. According to him, a bullet fired by the accused hit him in his stomach and he sustained injuries. His injury report shows 3 small circular wounds 4X4 cm on right side of mid abdomen caused by firearm injury. He supported the police version.

I.W. 07 Home Guard Cadet, Jairam Katiyar, an eyewitness, accompanied Sri Mahesh Yadav, the then SO Shivrajpur. When accused started firing, he ran alongwith the SO in a verandah to save himself. SI Nebu Lal and Constable Shivmurat were also hiding there. He got injured there. SI Nebu Lal and SO Mahesh Yadav who were hiding behind JCB were shot dead by the accused. The witness ran towards *Aata Chakki* and managed to survive. CO Bilhaur was captured by the accused, dragged inside the house and was shot dead. The accused also looted the pistol of Mahesh Yadav. The said witness remained admitted in hospital for several days. His injury report shows multiple small circular wounds 25 to 30 and 15 to 16 with blackening and swelling present on right side of abdomen and scrotal region caused by firearm injury.

I.W. 08 Constable Shiv Murat Nishad, accompanied SO Chaubeypur Vinay Tiwari, is also an injured witness and has supported the police version. According to him, the accused were firing from roofs and police personnel were on the ground, so the accused were in advantageous position. His injury report shows multiple small circular wounds with blackening, bleeding and swelling on right forearm, right thigh and right inguinal region. It was caused by firearm.

I.W. 09 SI Sudhakar Pandey, PS Chaubeypur, an injured witness, also supported the police version. His injury report shows multiple small circular wounds 25 to 30 size 3.5X3.5 to 4X4 cm on right side of abdomen and right chest wall. Blackening,

bleeding and swelling present. Multiple small 15 to 16 circular wound on left scrotal region. Blackening around wound present. Bleeding and swelling present caused by firearm.

I.W. 10 SI Azhar Isharat, PS Chaubeypur, an injured witness, also supported the police version.

The aforesaid witnesses supported the police version and there is no material contradiction in their evidence. The medical evidence corroborates oral evidence. The injuries, as mentioned in injury reports of the above mentioned police personnel, show that injuries were caused by firearm and can't be self-inflicted or fabricated. The post-mortem report(s) of deceased police personnel show multiple firearm wounds and bleeding and in the opinion of doctors they died due to shock and haemorrhage caused by ante-mortem firearm injuries. No member of the public or family members of the accused adduced any evidence to rebut the police version.

I.W. 12 Vinay Tiwari, SO Chaubeypur and complainant of this case, was later on arrayed as an accused in this case after some evidence surfaced against him, showing his nexus with Vikas Dubey and his associates involved in the incident. He has denied having any close relation with accused Vikas Dubey or his associates and refused to disclose whether he went to the house of Vikas Dubey upon complaint made by Rahul Tiwari or he had knowledge of any criminal history of Vikas Dubey. He specifically told the Commission that he did not want to depose in regard to the incident.

The IO of this case collected evidence and the statements under Section 161 CrPC made by Constables Rajeev Kumar, Abhishek Kumar (both eye witness), accused Suresh Verma, Smt. Kusum Devi and Smt. Rekha Agnihotri specifically reveal that Sub- Inspector K.K. Sharma and SO Vinay Tiwari had been in touch with Vikas Dubey, since prior to the date of incident. K.K. Sharma had held talk with Vikas Dubey for 20 minutes on 02.07.2020. The chart pasted in PS Chaubeypur shows

that Vikas Dubey was amongst the top ten criminals of the territorial jurisdiction of the said police station. Thus, it appears that he was knowingly hiding some material information relating to this incident and his relationship with Vikas Dubey. As he refused to disclose the facts in his knowledge and told the Commission that he did not want to depose further, his version remains totally inconclusive. I.W. 13 K.K. Sharma, Sub-Inspector, PS Chaubeypur has also been made accused in this case on the basis of evidence that he had given prior information of police raid to Vikas Dubey just before the incident. He admitted that he knew Vikas Dubey and had gone to the place where the marriage ceremony of accused Amar Dubey had taken place, though he stated that he had gone there on receiving secret information to arrest Dharmendra @ Govind Dubey.

The case diary and the chargesheet specifically reveal that Vinay Tiwari and K.K. Sharma had been made accused on the basis of reliable material against them. The SIT report also corroborate the contents of the charge sheet, so far as these two police officers are concerned, giving their call details with the accused persons.

I.W. 11 Anant Dev, IPS, was SSP Kanpur Nagar prior to this incident. According to him, during his tenure of 22 months as SSP Kanpur Nagar, the name of Vikas Dubey never came to light with regard to any incident. He never had phone calls from Vikas Dubey. He came to know Jaikant Bajpayee, an aide of Vikas Dubey, and had telephonic conversation with him in respect of an awareness campaign launched by police through social media for general public when Jaikant Bajpayee was introduced to him by Piyush Dubey and Annu Awasthi.

The SIT report has found that Sri Anant Dev IPS had given undue protection to Vikas Dubey and his associates and shared administrative information with him to get undue benefits and he also failed to execute rules and regulations properly for grant/renewal of arms licences. Thus, collusion between Vikas Dubey and some police personnel with regard to certain criminal activities being carried out by him and his associates cannot be ruled out.

I.W. 15 Asha Mishra, wife of the deceased D.S.P. Devendra Mishra had handed over two mobile phone sets of Devendra Mishra allegedly containing call recordings. She deposed about the detail and time etc. of 14 call recordings. The relevant part of the FSL report dated 11.01.2021 of FSL Mahanagar Lucknow is in **Part-II (pages 659 & 660).**

The result of the forensic examination report dated 20.11.2020 of firearms, cartridges, empty cartridges and clothes corroborates the police version.

Despite publication of public notices twice in newspapers in English and Hindi having wide circulation, pasting them on notice board of different offices i.e. Collectorate, Tehsil offices, police stations, and at conspicuous places in Kanpur Nagar and giving publicity by beat of drums etc. and sending notices to relatives of the deceased accused, none appeared or sent any document/affidavit or any other kind of evidence creating any doubt about the genuineness of police version of this incident.

Conclusion

In view of the above, it appears that Vikas Dubey and his associates opened indiscriminate firing upon the police teams raiding his house as he was wanted in a criminal case lodged against him by Rahul Tiwari. It also appears that the manner in which the road was blocked by keeping a JCB machine on the road near Vikas Dubey's house and a large number of accused had taken positions on the roofs of the houses with sophisticated weapons used by the accused, and the manner in which the police personnel were murdered and injured and their weapons looted, show that it was a pre-arranged, daring and brutal act committed by Vikas Dubey and his associates to create panic in utter breach of the public order. It is further reflected that the accused had prior information regarding the raid by police at midnight and, thus, he had sufficient time to call his associates and place them at key positions to cause maximum damage to the police force. The police had no clue or information about the assembly of associates of Vikas Dubey with deadly

weapons which reveals that the police intelligence network was a complete failure. The record reveals that 38 police personnel had gone to apprehend Vikas Dubey, only 18 had weapons and 20 of them were either empty handed or had *dandas*. None of the police personnel had worn bulletproof jacket and had planned to conduct the raid in a most unwarranted and casual manner. Reason for the aforesaid recklessness may be that it was an unprecedented incident as, usually criminals run away from their hiding places on receiving information of police raid. The poor leadership and casual planning to conduct a raid was because, in the opinion of the raiding party, Vikas Dubey could not commit such a heinous crime. The deceased CO left his CUG mobile and other mobile phone in his car and, thus, had no opportunity to contact any superior officer at the time of the incident. Vinay Tiwari, SO Chaubeypur, in whose territorial jurisdiction Village Bikru is situated, had not come forward to lead his team and remained at a safe place near the JCB machine and when the firing started, he ran to the vehicles parked at some distance.

CHAPTER V

Incident dated 10.07.2020 (Vikas Dubey's alleged encounter)

The Terms of Reference (b) reads as under:-

> "**b.** To enquire into the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur."

With regard to the last of the total six incidents, the Commission inspected the alleged place of occurrence near Kanhaiya Lal Hospital on National Highway under Police Station Sachendi, District Kanpur Nagar and recorded the evidence produced by the State and also examined other persons who appeared before the Commission. As per the FIR of this incident, the relevant facts are as under:-

Incident No. 06

Names of the accused: Vikas Dubey, s/o Ram Kumar Dubey, resident of Village Bikru, Police Station- Chaubeypur, Kanpur Nagar

Date of incident: 10.07.2020 Time: 06.35 a.m.

Place of Occurrence- Near Kanhaiya Lal Hospital on National Highway;

FIR under Sections 224, 307, 392, 411 IPC, under Police Station- Sachendi District- Kanpur Nagar.

Criminal history: Total sixty four (64) criminal cases **from 1990 to 2020** (The accused was injured in exchange of firing with police and was declared brought dead by the doctors in hospital).

Factual Matrix

In the backdrop of facts mentioned in relation to incident no.1 noted and abscondence of Vikas Dubey and his associates, made the task of the U.P. police to apprehend them most challenging. As per record, 64 cases were registered against Vikas Dubey at different police stations in U.P. and a large number of criminal cases had also been registered against his associates. An information of the arrest of Vikas Dubey was received by the U.P. police from the M.P. Police of Ujjain in the

morning of 09.07.2020. Under the directions of superior officers, Deputy S.P. Tej Bahadur Singh of S.T.F. Kanpur Unit, who was already in Gwalior M.P. in this connection, alongwith his team, proceeded to Ujjain. A team of STF led by Inspector Shailendra Singh also moved from S.T.F. headquarter to Ujjain. S.S.P. Kanpur Nagar wrote a letter dated 09.07.2020 to S.P. Ujjain to handover the custody of Vikas Dubey and in furtherance thereof, Inspector Arvind Singh Tomar of Police Station Mahakaal, Ujjain handed over the custody of Vikas Dubey to Tej Bahadur Singh on 09.07.2020 at 20.10 pm. Tej Bahadur Singh proceeded to Kanpur. Meanwhile, the Investigating Officer of this case Inspector Ramakant Pachauri alongwith his team also proceeded to Ujjain. Tej Bahadur Singh handed over the custody of Vikas Dubey to Ramakant Pachauri in Guna and all the three teams moved to Kanpur.

Both the vehicles of STF were following the vehicle of Ramakant Pachauri which was carrying Vikas Dubey. After crossing Barajore Toll Plaza in Kanpur, it started raining when they were some 25 kms away from Kanpur. After crossing Bharat CNG petrol pump, as soon as they reached near Kanhaiyalal Hospital, a herd of cows and buffaloes came running from right to left while crossing the road. The driver of the speeding vehicle, which was carrying Vikas Dubey, tried to avoid accident and applied brakes but due to rains, the vehicle skid and overturned on the left after hitting the cemented divider at about 06.35 am on 10.07.2020. This sudden accident caused temporary loss of consciousness to some of the police personnel sitting in the vehicle. It is revealed that the accused, taking undue advantage of the situation, snatched the revolver of the I.O. Ramakant Pachauri and started running to his left on a *kuchha* road after opening the back door of the vehicle. Meanwhile, both vehicles of S.T.F. also reached there and Constable Satyaveer informed about his escape. Thereafter, they chased the accused. Vikas Dubey was firing at the police and one bullet hit on the chest of Tej Bahadur Singh who was wearing a B.P. jacket that saved him. HC Shivendra Singh Sengar and Constable Vimal Kumar of S.T.F were injured in firing by accused. In self-defence, the police fired at the

accused who fell on the ground injured. Since he was alive, he was rushed to district hospital for treatment. Injured police personnel were also sent to hospital for treatment. Some persons had gathered at the place of occurrence but after knowing the facts of encounter, they left the place. Inspector Ramakant Pachauri, S.I. Anoop Kumar, S.I. Pankaj Singh and Constable Pradip Kumar were injured in the accident. On an application of Tej Bahadur Singh, a case was registered against the accused at Police Station Sachendi, Kanpur Nagar on the same day under relevant Sections.

Evidence collected/received

The Commission was provided copies of the concerned police papers of this case, such as, General Diary (G.D.), F.I.R., site plan, panchayatnama, post-mortem report of accused, CDRs etc.

Public notices were published in newspapers twice. Notices were also pasted at conspicuous places in Kanpur Nagar. In response thereto, affidavits of 28 persons were received in the office of the Commission.

Out of these 28 persons, the Commission examined I.W. 01 Tejbahadur Singh Dy.S.P. STF, I.W. 02 Bhupendra, I.W. 03 Vinod Kumar, I.W.04 Durgesh Singh, I.W.05 Ashok Kushwaha, I.W.06 Vikas Singh, I.W. 07 Anil Pandey, I.W. 08 Anil Singh, I.W. 09 Suraj Singh, I.W.10 Jeet Singh, I.W.11 Constable Mohd. Saabir, I.W. 12 Constable Ram Milan, I.W. 13 Inspector Ramakant Pachauri, I.W. 14 Constable Pradip, I.W. 15 Constable Vimal Kumar, I.W. 16 Head Constable Shivendra Singh, I.W. 17 Inspector Shailendra Kumar Singh, I.W 18 Constable Commando Sarvesh Bhadauria, I.W. 19 S.I. Vinod Singh, I.W. 20 S.I. Pankaj Kumar Jaiswal and I.W. 21 Constable Chandra Prakash, I.W. 22 Dr. Vinay Kumar, I.W. 23 Dr. Mahendra Kumar and I.W. 24 Dr. Shashikant Mishra.

The affidavits of the rest of the witnesses were either repetition of those who were already examined or were not material for the purpose of this inquiry, so they were not summoned.

The notices were also sent to family members of the deceased accused. His wife Richa Dubey filed an affidavit alongwith one pen drive, stating that her husband was killed in a fake encounter. She was summoned and despite service of summons, she did not appear before the Commission for reasons best known to her. Nor she made any application for fixing another date as per her convenience. There had been no response from other family members of the accused in regard to this incident inspite of service of notice.

The Commission also inspected the site of alleged encounter and interacted with people gathered there.

Shri Chinta Ram, Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar conducted the magisterial inquiry in view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court. He invited objections from the family members of the deceased and given due publicity to the public at large to come forward and adduce evidence, if any. However, none appeared. The inquiry report dated 01.12.2020 was submitted. The relevant part of the same **(conclusions)** and the entire evidence of this incident, including police papers, statements of twenty four (24) witnesses are kept in **Part II (pages 443 to 565)**.

Discussion

According to the police, the accused Vikas Dubey was arrested in Ujjain, Madhya Pradesh on 09.07.2020. The complainant Tej Bahadur Singh (STF) alongwith his team reached Ujjain. He took custody of Vikas Dubey at 20.10 pm and immediately proceeded to Kanpur. The other two teams (STF and police) had also left for Ujjain. All the three teams met at Guna where Tej Bahadur Singh handed over the custody of Vikas Dubey to Investigating Officer Ramakant Pachauri. Thereafter, the three

teams proceeded to Kanpur. The incident occurred when the vehicle carrying accused Vikas Dubey allegedly met with an accident near Kanhaiyalal Hospital under PS Sachendi, Kanpur Nagar as a herd of cows and buffaloes suddenly came running from the right side of the road to the left and the driver of the speeding vehicle, which was carrying Vikas Dubey, while trying to avoid accident, applied brakes but, due to rain, the vehicle skidded and overturned on the left after hitting the cemented divider at about 06.35 am on 10.07.2020. The police personnel sitting in the vehicle, namely Inspector Ramakant Pachauri, S.I. Anoop Kumar, S.I. Pankaj Singh and Constable Pradip Kumar got injured and some of them fainted. The accused, taking advantage of the situation, snatched the revolver of Ramakant Pachauri and escaped after opening the door fitted in the back side of the vehicle. He started running to his left on a *kachcha* road. Meanwhile, the other two vehicles also reached there where Constable Satyaveer informed them about the accident and the escape of Vikas Dubey. The STF personnel chased the accused. Vikas Dubey fired at the police party and one bullet hit the chest of Tej Bahadur Singh who was wearing a B.P. jacket, consequently survived. HC Shivendra Singh Sengar and Constable Vimal Kumar (STF) were also injured in the firing by accused. In self-defence, the police fired at the accused who fell on the ground injured. Since he was alive, he was rushed to district hospital for treatment where the doctors declared him brought dead. Injured police personnel were also sent to hospital for treatment. Some persons had gathered at the place of occurrence but after knowing the facts of encounter, they left the place.

I.W. 01 complainant Tej Bahadur Singh, supported the police version. He narrated the alleged incident of 2/3.07.2020 in respect of which a criminal case was already registered against Vikas Dubey and his associates in respect of killing and injuring the police personnel and snatching their weapons. Vikas Dubey was a dreaded criminal. S.T.F. was collecting information to nab him. On 09.07.2020, it came to know that the accused Vikas Dubey was arrested by Ujjain police in Mahakaal temple. He contacted SP Ujjain and got custody of Vikas Dubey on 09.07.2020 at

20.10 pm in view of the letter issued by the SSP Kanpur Nagar and proceeded to Kanpur. On his way to Kanpur, two other police and S.T.F. teams met him. In Guna (M.P.), he handed over the custody of Vikas Dubey to Investigating Officer Ramakant Pachauri. All the three teams proceeded to Kanpur when the TUV vehicle carrying the accused met with an accident near Kanhaiyalal Hospital under PS Sachendi, Kanpur Nagar. This sudden accident caused injuries to the police personnel and as a consequence some of them fainted. The accused snatched the revolver of Ramakant Pachauri. He escaped by opening the door fitted in the back side of the vehicle. Meanwhile, the other two police vehicles following TUV reached there and on being informed, they chased Vikas Dubey. The accused Vikas Dubey opened fire upon police causing injuries to two of them and did not heed to the warning to stop firing and surrender. The witness got injured by the bullet fired by the accused which hit him on his chest. However, he survived as he was wearing the B.P. jacket. The police fired at Vikas Dubey in self-defence as a result of which he got injured and fell on the ground. He was rushed to hospital but he succumbed to injuries and was declared brought dead by the doctors. The injured police personnel were also sent to the hospital for their treatment.

The witness has filed *Supurdginama* of Police Station Mahakaal, whereby the custody of Vikas Dubey was handed over to him. Another *Supurdginama* was also filed whereby the custody of Vikas Dubey was handed over by the witness to IO Ramakant Pachauri at 00.30 am on 10.07.2020 in Guna. These documents corroborate his statement. There is no material contradiction in his statement. He stated that the vehicles of police crossed Barajore Toll Plaza without stopping and TUV was at the forefront, followed by his vehicle and the vehicle of Inspector Shailendra Kumar Singh.

I.W. 18 Commando Sarvesh Bhadauriya and I.W. 15 Constable Vimal Kumar, accompanied the complainant Tej Bahadur Singh in his vehicle. They corroborated

the statement made by Tej Bahadur Singh. I.W. 15 deposed that he got injured from firing made by Vikas Dubey, when Vikas Dubey was chased by police teams.

I.W. 13 Ramakant Pachauri is the Investigating Officer of this case and was sitting next to Vikas Dubey when the vehicle TUV carrying Vikas Dubey overturned and met with the accident. He corroborated the police version, stating that he was injured in the accident and fell unconscious and regained consciousness in the hospital.

I.W. 14 Constable Pradeep, driver of the said TUV vehicle deposed about the accident, corroborating the police version. He stated that he applied brakes and tried to stop the speeding vehicle due to the sudden rush of cows and buffaloes crossing the road. Since it was raining, as a result it skid and overturned. He suffered injuries and fainted in the accident at the spot and was sent to hospital for treatment.

I.W. 09 Suraj Singh, Assistant Manager/Shift Incharge and I.W. 10 Jeet Singh, Security Guard at Barajore Toll Plaza deposed that upon receiving prior information of police movement, they permitted the police vehicle to pass straightaway and other vehicles were stopped as usual at the Toll Plaza for paying the toll. Witness Suraj Singh stated that CCTV cameras are fitted at the toll plaza which has 18 lanes. However, the CCTV footage remains intact only for 4-5 days.

I.W. 12 Constable Driver Ram Milan was driving Scorpio vehicle carrying Tej Bahadur Singh and his team. He deposed that due to rain and changing the accused from one vehicle to another, the TUV vehicle carrying accused Vikas Dubey was running one and half km ahead of the vehicle driven by him.

I.W.11 Constable Driver Mohd. Saabir was driving the vehicle of Inspector Shailendra Kumar Singh and his team. He also supported the police version.

I.W.17 Inspector Shailendra Kumar Singh (STF), the member of the third team, deposed that the vehicle carrying Vikas Dubey met with an accident and the accused tried to run away by snatching the pistol of Ramakant Pachauri who was sitting by the side of Vikas Dubey. Getting this information, the police team chased the accused. The accused Vikas Dubey started firing at the police and injured two of them. In self-defence, the police fired at him as a result of which he was injured and fell down. He was rushed to hospital where he was declared brought dead.

I.W.19 SI Vinod Singh and I.W.16 Head Constable Shivendra Singh, who accompanied Inspector Shailendra Kumar Singh, corroborated the deposition made by Inspector Shailendra Kumar Singh. HC Shivendra Singh was injured in the firing made by Vikas Dubey.

I.W. 20 SI Pankaj Kumar Jaiswal and I.W. 21 Constable Chandra Prakash, PS Sachendi, arrived at the scene on getting information and carried accused Vikas Dubey and injured police personnel to the hospital for treatment.

I.W. 02 Bhupendra, I.W. 03 Vinod Kumar, I.W. 04 Durgesh Singh, I.W. 05 Ashok Kushwaha, I.W. 06 Vikas Singh, I.W. 07 Anil Pandey and I.W. 08 Anil Singh, are public witnesses and have stated about what they saw at the spot. I.W. 03 Vinod Kumar deposed that his field is 400-500 meters away from the place of occurrence. He was returning to his residence when he heard firing and saw a fat person running, followed by 4-5 persons. The fat person was firing on them. As per I.W. 03, it was raining and he was driving his motorcycle near Mahindra Showroom when he saw a vehicle overturned by its side and some people were trying to pull the passengers of the vehicle out of it. Thereafter, he heard gun fire and saw a person was being chased by some people and he was firing at those people. I.W. 04 Durgesh Singh also narrated the same facts. I.W. 05 deposed that he witnessed a herd of cows and buffaloes crossing the road when a white vehicle tried to avoid them and in that process the vehicle hit the divider and overturned on its left side. After some time, two other vehicles stopped there. The occupants came towards the

said vehicle and then went towards the *kaccha* road. He heard some people shouting and firing. As per I.W.06 Vikas Singh and I.W. 07 Anil Pandey, they run a *dhaba* (wayside restaurant) and tea stall, respectively, near the place of occurrence. After hearing some noise, they saw a overturned vehicle lying by it's side and some people were pulling some police personnel from that vehicle. I.W. 08 Anil Singh, Milkman, deposed that he was going to deliver milk. It was raining when a vehicle overturned while trying to avoid animals suddenly crossing the road. He went there and saw a fat person coming out of the overturned vehicle carrying a pistol in his hand. That fat man threatened him; on being scared he left that place. Thus, all the above public witnesses have narrated something which, according to them, happened during and just after the incident. They all are natural witnesses. They are public men not knowing Vikas Dubey. There is hardly any reason to discard their version. They provided adequate support to the police version. None appeared before the Commission to controvert the police version and not an iota of evidence is filed to contradict the same.

I.W. 22 Dr. Vinay Kumar, LLR Hospital, Kanpur, deposed that he had examined injured Constable Vimal Kumar and HC Shivendra Singh on 10.07.2020. In his opinion, injury no. 01 of both injured could be gunshot injuries. Rest of the injuries were simple in nature.

I.W. 23 Dr. Mahendra Kumar, who had examined injured Inspector Ramakant Pachauri, Chauki Incharge Panki, Pankaj Kumar, Chauki Incharge Mill Area, Anoop Kumar Singh and CP Pradip Asar on 10.07.2020 in CHC Kalyanpur, found bleeding from nose and sign of unconsciousness in injured Pankaj Kumar;hefound CP Pradip Asar in semi unconscious condition and irritative. He also found bleeding from head and nose of Pankaj Kumar and referred him to LLR hospital. There was complaint of pain in abdomen, back etc. by Anoop Kumar Singh. He deposed that Ramakant Pachauri had pain in his right elbow joint and had nasal bleeding.

The post-mortem report of accused Vikas Dubey reveals that he suffered three firearm entry wounds on the chest and shoulder and three firearm exit wounds. He also suffered three lacerated wounds and one abraded contusion. I.W. 24 Dr. Shashikant Mishra was on the panel of doctors who conducted the postmortem on the person of Vikas Dubey. He deposed that the abraded and lacerated wound injuries found on the person of Vikas Dubey could be caused by hard and blunt object e.g. rubbing from the door of any vehicle or falling on the road or by small stones. Thus, I.W. 24 explained the injuries of Vikas Dubey that it is possible that the said injuries might have occurred when the vehicle met with the accident and Vikas Dubey was trying to escape.

Thus, the medical evidence corroborates the oral evidence. The injuries found on the persons of most of the injured police personnel are of such nature that it can't be said to be self inflicted or self suffered. The presence of injured witnesses also can't be doubted during the incident at the place of occurrence. Thus, their testimony is trustworthy. The accident occurred abruptly, giving little time to respond. The accused fled from the vehicle and started firing at the police injuring two of them. The police fired at him in self-defence causing gunshot injuries, as a result whereof, he fell on the ground.

The Magisterial inquiry report dated 01.12.2020 submitted by Shri Chinta Ram, Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar pertaining to the said incident, has also found/concluded that there is no doubt on the police version of events. The CMM had issued notice to the general public as well as to the mother and wife of Vikas Dubey to appear before him to have their versions but no one turned up.

Despite publishing public notices twice in newspapers in English and Hindi having wide circulation in the concerned area, pasting it on notice board of different offices i.e. Collectorate, Tehsil offices, police stations, and at conspicuous places in Kanpur Nagar and giving publicity by beat of drums etc. and sending notices to relatives of

the deceased accused, none appeared to controvert the genuineness of the police version of the incident.

Smt. Richa Dubey, wife of deceased Vikas Dubey has filed an affidavit alongwith supporting material (print and electronic media reports). According to her affidavit, it was a fake encounter and the Commission must reach a logical conclusion on the basis of circumstantial evidence. However, she did not appear for deposition in spite of service of summons, nor she asked for adjournment for fixing another date if it was not possible for her to appear on the said date.

A conjoint reading of Sections 1 and 3(1) of the Indian Evidence Act, 1872 makes it clear that affidavit is not an evidence within the ambit of the Act. It does not mean that an affidavit by a living person can go in as evidence *proprio vigour* without the necessity for him to enter the witness box. Affidavits are, therefore, not included within the purview of the definition of "evidence" under Section 3 of the Evidence Act. It should be tested by oral cross-examination.

The circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn ought to be cogent and firmly established; that those circumstances should be of a definite nature unerringly pointing towards the guilt of the accused; that the circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and they should be incapable of explanation on any hypothesis other than that of the guilt of the accused and inconsistent with his innocence. The case cannot be decided on conjectures and surmises. Circumstances in totality must conclusively point towards the guilt of the accused, eliminating any other hypothesis.

Newspaper reports by themselves are not evidence of the contents thereof. Those reports are only hearsay evidence. A newspaper item without any further proof of what had actually happened through witnesses is of no value. It is at best a second-hand secondary evidence. It is well known that reporters collect information and

pass it on to the editor who edits the news item and then publishes it. In this process the truth might get perverted or garbled. Such news items cannot be said to prove themselves although they may be taken into account with other evidence if the other evidence is legally admissible.

A newspaper is not one of the documents referred to in Section 78(2) of the Evidence Act by which an allegation of fact can be proved. The presumption of genuineness attached under Section 81 of the Evidence Act to a newspaper report cannot be treated as proved of the facts reported therein. Such statement is inadmissible in evidence in absence of the maker of the statement appearing in court and deposing to have perceived the facts reported.The contents of the news item cannot be exhibited legally on the statement of the witness that the report had been published in the newspaper.

The electronic evidence by way of primary evidence is covered by Section 62 of the Evidence Act to which procedure of Section 65-B of the said Act is not admissible. However, for the secondary evidence, the procedure of Section 65-B of the Evidence Act is required to be followed.

The required certificate under Section 65-B(4) is not necessary if the original document itself is produced. When it becomes physically impossible to bring a system of computers or network to the court, then the only means of providing information contained in such electronic record can be in accordance with Section 65-B(1), together with the requisite certificate under Section 65-B(4).

The material on record may point the needle of suspicion toward the accused but suspicion, howsoever strong it may be, cannot be a substitute for proof. The prosecution has to prove its case beyond all reasonable doubt. The decision must be arrived at on legally admissible evidence even if serious suspicion looms large about his involvement. The materials on record must have so much of cutting-edge as to penetrate the fortress of the innocence built around an accused in criminal jurisprudence. A conviction cannot be based on *ipse dixit* as also conjectures and surmises. A case cannot be shrouded in suspicion. Strong suspicion, strong

coincidences and grave doubt cannot take the place of legal proof even if the offence is a shocking one, the gravity of offence cannot by itself over weigh as far as legal proof is concerned. There is a long distance between "may be true" and "must be true". The vital distinction between "conjectures" and "sure conclusions" must be kept in mind. Even if the case superficially viewed bears an ugly look so as to prima facie shock the conscience of any Court yet suspicion, howsoever strong it may be, cannot take the place of legal proof. A moral conviction however strong or genuine cannot amount to a legal conviction supportable in law.

It is also settled principle of law that the credibility of public officers assigned the sacred trust should not be doubted on mere suspicion and without acceptable evidence.

In order to draw any presumption of a wrong on the part of a public officer, there must be unimpeachable evidence on record to establish that his action has been indefinable, mala fide and vindictive. Moreso, source of information should be disclosed in the affidavit and evidence must be based on personal knowledge and not on guess work/impression.

In the backdrop of above legal position, the affidavit submitted by Smt. Richa Dubey remains inadmissible in evidence and the circumstances shown by the media are not sufficient to reach a logical conclusion that the circumstances point towards the guilt of the police and it was a case of fake encounter.

Shri Vishal Tiwari, learned Advocate, has submitted in his application/written submission that Vikas Dubey should have been produced before the Magistrate in Ujjain and the U.P. Police ought to have taken the transit remand.

Article 22 (2) of the Constitution of India conjointly read with Sections 56 and 57 CrPC, envisage the production of a person arrested before the concerned Court within a period of 24 hours, excluding the time necessary for the journey from the place of the arrest to the Court of the concerned Magistrate before whom the arrested person is required to be produced "without unnecessary delay". Under

Section 57 CrPC, the period of detention by the police officer cannot exceed 24 hours in the absence of a special order of a Magistrate under Section 167 CrPC. The purpose of such remand is that investigation cannot be completed within 24 hours.

In the instant case, as the U.P. police had planned and could, in fact, produce Vikas Dubey before the concerned magistrate in Kanpur Nagar within 24 hours of his arrest, it was not necessary for the U.P. police to take the transit remand. More so, travelling time is to be excluded.

Thus, the submission so advanced is without any substance.

Conclusion

In view of the above, it appears that when the police party was carrying Vikas Dubey from Ujjain to Kanpur, the vehicle in which he was sitting, met with an accident due to rains and crossing of road by a herd of cows and buffaloes. As a result, police personnel sitting in the vehicle sustained injuries and became partially unconscious and the accused took advantage of the situation and snatched the revolver of semi unconscious Inspector Ramakant Pachauri and by opening the door fitted in the back of the vehicle, fled away. On being chased by the police, he started firing at them and did not heed to police warning to stop firing. He injured two police personnel and kept on firing, thus, in self-defence, the police fired at him as a result he was injured. He was sent to hospital where he was declared brought dead. Thus, the evidence relating to sequence of events which ultimately resulted in the death of accused Vikas Dubey do not raise any kind of suspicion or doubt about the genuineness of police version of events. The result of the forensic examination report dated 20.07.2020 of firearms, cartridges, empty cartridges and clothes corroborates the police version.

The Magisterial inquiry conducted by the Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar in view of the directions issued by the Hon'ble Apex Court, stood concluded taking the same view. We do not see any reason to differ from the same.

CHAPTER VI

Death of accomplices of Vikas Dubey in police action between 03.07.2020 and 10.07.2020

Terms of Reference (c) reads as under:-

> "**c.** To enquire into the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02.07.2020-03.07.2020 and 10.07.2020."

This Term of Reference involves four incidents occurring between 2/3.07.2020 and 10.07.2020, on different dates. The detail of the said incidents are as follows:-

(i) The incident dated 03.07.2020 occurred near Devi Temple in village Kashiram Nevada under Police Station Chaubeypur, Kanpur Nagar in which accused Atul Dubey and Prem Prakash @ Prem Kumar @ Raja Ram were injured in police action and later died.

(ii) The incident dated 08.07.2020 occurred under Village Artara PS Maudaha, District Hamirpur in which accused Amar Dubey was allegedly injured in police action and later died.

(iii) The incident dated 09.07.2020 occurred at 04.55. a.m. near Vikrampur brick kiln under PS Civil Lines, District Etawah in which accused Pravin Kumar @ Bauwa was allegedly injured in police action and later died.

(iv) The incident dated 09.07.2020 at 06.20 a.m. near Bhauti Bypass in which accused Prabhat Mishra @ Kartikeya was allegedly injured in police action and later died.

The Commission inspected all the above four places of occurrence and recorded the evidence produced by the State Government and also examined other persons who appeared before the Commission.

With regard to incident (i) mentioned above, the relevant facts as per the FIR, are as follows:-

Names of the accused:

1. Atul Kumar Dubey, Son of late Surya Kumar Dubey, and

2. Prem Kumar @ Prem Prakah @ Rajaram, son of Chhote Lal

Both residents of Village Bikru, Police Station- Chaubeypur, Kanpur Nagar

Date of incident: 03.07.2020 Time: 08.15 a.m. to 08.30 a.m.

Place of Occurrence- near Devi Temple, Kashiram Nevada;

FIR under Sections 307,214 IPC, under Police Station- Chaubeypur, District-Kanpur Nagar.

1. Criminal history of Atul Kumar Dubey: Twelve cases (from year 1992 to 2020).

2. Criminal history of Prem Kumar @ Prem Prakash @ Rajaram: Four cases (one of the year 2001 and remaining cases are of 2020).

(The accused were injured in exchange of firing with police and were declared brought dead by the doctors in hospital.)

Factual Matrix

Subsequent to the incident dated 02/03.07.2020 wherein eight police personnel were killed and six were seriously injured, and the accused persons had looted some weapons of the raiding party, the police was in search of the accused persons. Upon receiving such information, Inspector General of Police, Kanpur Range Mohit Agrawal, S.S.P. Kanpur Nagar Dinesh Kumar P. and S.P. (West) Anil Kumar, immediately rushed to the spot alongwith their teams and necessary instructions regarding combing, checking, sealing of border areas of the district etc. were issued. The police force was divided into two teams. First team was led by Mr. Mohit Agarwal and the second team by S.S.P. Dinesh Kumar P. When they reached near Devi Temple under village Kashiram Nevada, the police team led by Dinesh Kumar P. saw 05 persons and on being questioned by him, they dispersed and started firing at the police with the intention to kill. Constable Durgesh Mani Tripathi was injured in the firing. The other police team heard the gunfire and I.G. Police warned them to surrender but they continued indiscriminate firing. Both teams kept on moving towards them to arrest and in the process one bullet hit the S.S.P. Dinesh Kumar P.

over his chest since he was wearing bulletproof jacket, so he escaped any injury. The police teams fired in self-defence and during the exchange of fire from both sides, S.I. Asif, who was covering I.G. Mohit Agrawal, was injured. In the exchange of fire, two accused persons were injured and fell on the ground and remaining three persons fled away. They were chased by the police but in vain. Both injured accused were identified by Constable Abhishek as Prem Prakash @ Prem Kumar @ Rajaram and Atul Kumar Dubey, who were involved in the incident which occurred in the intervening night. Both injured accused were sent to hospital but they succumbed to injuries on the way. After completing formalities at the spot, *Fard Baramadgi* was prepared and a case was registered against both the accused alongwith 03 unknown persons at Police Station Chaubeypur, Kanpur Nagar the same day under relevant penal provisions.

Evidence collected/received

The Commission was provided copies of concerned police papers of this case, such as, General Diary (G.D.), FIR, site plan, panchayatnama, postmortem reports of accused etc.

Public notices were published in newspapers twice. Notices were also pasted at conspicuous places in Kanpur Nagar. Adequate publicity was also given by beat of drums in this regard.

Affidavits of 39 persons were received in the office of the Commission.

Out of these 39 persons, the Commission examined I.W. 01 I.G. Mohit Agrawal, I.W. 02 Dr. Pravin Kumar Srivastav, I.W. 03 Inspector Ajai Seth, I.W.04 Constable Jitendra Kumar Garg, I.W.05 S.S.P. Dinesh Kumar P., I.W.06 S.I. Mohammad Asif, I.W. 07 Constable Durgesh Mani Tripathi, I.W. 08 Constable Abhishek Kumar and I.W. 09 Ranbahadur Singh.

The affidavits of the rest of the witnesses were found either repetition of those who were already examined or were not material for the purpose of this inquiry, so they were not summoned.

Notices were also sent to Smt. Gyanwati, mother of accused Atul Dubey and Smt. Sushma Pandey, wife of accused Prem Kumar @ Prem Prakash @ Rajaram Pandey. None of them responded to the notices duly served upon them. No other person filed any affidavit in opposition to the police version.

The Commission also inspected the site of alleged encounter and interacted with people gathered there.

Shri Pramod Shankar Shukla, Additional District Magistrate, Kanpur Nagar conducted the magisterial inquiry in view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court. He invited objections from the family members of the deceased and given due publicity to the public at large to come forward and adduce evidence, if any. However, none appeared. The inquiry report dated 07.12.2020 was submitted. The relevant part of the same **(conclusions)** and the entire evidence of this incident, including police papers, statements of nine (09) witnesses are kept in **Part II (pages 163 to 257).**

Discussion

According to the police, the incident occurred when two police teams (one led by I.G. Police Mohit Agrawal and the other by S.S.P. Dinesh Kumar P.), which were combing the area to apprehend the accused involved in the killing of 08 policemen in village Bikru earlier that night, reached near Devi Temple. Upon suspicion, 05 persons were intercepted near Devi Temple under village Kashiram Nevada by SSP Dinesh Kumar P. They dispersed and started firing at the police teams. Constables Durgesh Mani Tripathi and Mohammad Asif were injured and S.S.P. Dinesh Kumar P. was hit on the chest by bullet but he escaped unhurt as he was wearing a bulletproof jacket. The police teams fired in their self-defence and in exchange of

fire accused Atul Kumar Dubey and Prem Kumar @ Prem Prakash @ Rajaram were injured. They were sent to hospital but they died on way to hospital. Arms and ammunitions were recovered from them and rifles and Glock Austrian pistol recovered from them were found to be the same which were used earlier that night by Vikas Dubey and his associates in the killing of eight policemen in village Bikru.

In this regard, it is relevant to note that this incident occurred on 03.07.2020 in the morning between 08.15 a.m. and 08.30 a.m. and the incident, which preceded it and in which 08 police personnel were killed by Vikas Dubey and his associates, occurred between 01.00 a.m. and 01.30 a.m. the same night. Meaning thereby, this incident occurred after about seven hours of the incident at village Bikru. Atul Kumar Dubey and Prem Prakash @ Prem Kumar @ Rajaram who were allegedly injured and later died in this incident are the co-accused in Bikru incident. Entire area of the district border was sealed and checking as well as combing operations started. In the combing operations, these two accused were injured near Devi Temple in Village Kashiram Nevada, who later died.

I.W. 01 Mohit Agrawal, IG Kanpur Range, has supported the police version and stated that after the ambush of the police party and shooting dead eight policemen by Vikas Dubey and his associates in village Bikru, instructions regarding arrest of culprits, necessary deployment of police and checking and combing and cordoning off of the area were issued. He reached village Bikru and formed two teams to nab the culprits. At about 07.30 a.m. near a temple under village Kashiram Nevada, they heard the sound of firing and when the other team led by S.S.P. reached near, the miscreants opened fire at the police injuring Constable Durgesh. The miscreants were warned to surrender but they kept on firing indiscriminately. In the process, one bullet hit the S.S.P. on his chest but he escaped unhurt as he was wearing a bullet proof jacket. According to I.W. 1, when his team reached close to the area, one bullet fired by the miscreants went pass close to his ear, so he survived but Sub Inspector Mohd. Asif who was covering him, was injured. In the exchange of fire, two miscreants were injured and they fell on the ground and the other three ran

away, who were chased but they could not be captured. Constable Abhishek identified the injured as Atul Kumar Dubey and Prem Prakash @ Prem Kumar @ Rajaram Pandey. Injured miscreants as well as injured policemen were sent to hospital for treatment. The incident happened all of a sudden. No public witness was found. One rifle near injured Atul Dubey and one 9 mm glock pistol near accused Prem Prakash were found alongwith cartridges. Minimum force was used by police and all necessary guidelines were followed. Both the injured accused had criminal history. They succumbed to their injuries before reaching hospital.

Thus, according to statement of I.W.1, the incident occurred suddenly when the accused alongwith three other miscreants, on being intercepted by the police, opened fire on them and refused to surrender. They fired indiscriminately causing injuries to two policemen and one bullet hit on the chest of the S.S.P. but he was wearing a bulletproof jacket, so he escaped unhurt. Having no option left, the police teams in self-defence opened fire upon the miscreants injuring two of them but three of them escaped. The post-mortem report of the accused Atul Kumar Dubey shows 07 firearm entry wounds and six exit wounds. Entry wounds are found on the left shoulder, left upper arm, left forearm, left wrist joint, right forearm, and two wounds on the left side of the chest. The post-mortem report of Prem Prakash shows two firearm entry wounds and two firearm exit wounds. Entry wounds are found on the left side of the chest and left side of the pubic region. These reports show that out of six wounds of Atul Kumar Dubey, only two hit on his chest and out of two wounds of Prem Prakash, one hit on his chest. The remaining wounds are on non vital parts of the body. This reflects a commensurate response by the police in defence by not using any disproportionate measures. The evidence shows that the miscreants continued indiscriminate firing upon police parties and did not heed to the warning given by the police to stop firing and surrender. Instead, they injured two policemen and one bullet also hit the SSP on his chest upon his B.P. jacket. The I.G. also survived when one bullet passed very close to his ear. Under these circumstances, the police was left with no option but to act in self-defence.

I.W. 05 Dinesh Kumar P., S.S.P. Kanpur Nagar was leading the other police team involved in the combing operations. He corroborated the police version deposing that the miscreants opened fire upon the police on being warned to surrender, they continued indiscriminate firing, as a consequence, two policemen were injured and one bullet hit on the chest of S.S.P. As he was wearing a bullet proof jacket, he escaped any injury. When no option was left, the police, in self-defence, opened fire upon them injuring two of them. The other three accused escaped. The injured were identified as Prem Prakash and Atul Dubey, who were accused of the incident that had occurred the previous night in Village Bikru where eight policemen were killed by Vikas Dubey and his associates. According to him, he was posted in Kanpur Nagar just about 15 days prior to this incident.

I.W. 07 Durgesh Mani Tripathi and I.W. 06 Mohammad Asif are injured police personnel and members of police teams involved in the combing operation. They have corroborated the police version, deposing that the miscreants continued indiscriminate firing upon police parties and they were injured by the firing of those miscreants. Their injury reports show that I.W. 07 Durgesh Mani Tripathi sustained one firearm injury near his left elbow joint and I.W. 06 Mohd. Asif sustained one firearm injury near the right elbow joint. There is nothing on record to suggest that these injuries could be self inflicted. Thus, the statements of I.W. 06 and I.W. 07 correspond to their injury reports, ruling out any suspicion regarding their evidence.

I.W. 02 Dr Pravin Kumar Srivastava has collected material and articles from the place of occurrence and has given his statement regarding the forensic examination in respect thereof. According to him, forensic examination and reports support the police version and any planting of firearm in the hands of the accused is ruled out as Nitrite was found from the swab of the right hands of the deceased accused.

I.W. 03 Inspector Ajai Seth and I.W. 04 Constable Jitendra Kumar Garg, were involved in the combing operation and they supported the police version, reiterating the facts given out by other witnesses. I.W. 08 Constable Abhishek Kumar,

identified both injured accused because he had an opportunity to see them frequently with Vikas Dubey during his duty in areas under Police Station Chaubeypur.

I.W. 09 Ranbahadur Singh, Inspector Incharge P.S. Kakadev, Kanpur Nagar is the Investigating Officer of this incident. He found that the factorymade rifle recovered from the accused Atul Dubey was owned by Vikas Dubey and had been used in the incident in the intervening night. The Glock pistol recovered from the accused Prem Prakash was of S.I. Kaushlendra Pratap Singh which was looted from him by the accused Prem Prakash in the night of 2/3.07.2020 during the Bikru incident. Six cartridges had been fired from the said Glock pistol which had been found from the place of occurrence of the first incident. Nine cartridges fired from the recovered rifle, were found from the place of occurrence of the said incident. These facts have been confirmed in the report of forensic science laboratory. This factor alone rules out any possibility of false involvement of these two accused in the incident occurring on 3 July 2020.

This incident occurred suddenly when 05 persons were intercepted by police during combing operations when they started firing at the police and refused to surrender. Three accused succeeded in fleeing from the spot and these two accused were injured in police firing. As per witnesses, when the accused refused to surrender and continued indiscriminate firing at the police injuring two police constables and hitting the SSP who escaped as he was wearing a B.P. jacket, they fired at the accused in self defence. This shows that there was danger to the life of members of police parties and they had no option but to fire at the accused in their self-defence. The injuries found on the police personnel can't be said to be self inflicted or fabricated.

Despite publishing public notices twice in newspapers in English and Hindi having wide circulation, pasting the same on notice board of different offices i.e. Collectorate, Tehsil offices, police stations, and at conspicuous places in Kanpur

Nagar and publicity by beat of drums etc. and sending the notices to relatives of the deceased accused, none appeared or sent any document/affidavit or any other kind of evidence creating any doubt about the genuineness of police version of this incident.

The Magisterial inquiry report dated 07.12.2020 conducted by Shri Pramod Shankar Shukla, Additional District Magistrate (Land Acquisition) Kanpur Nagar shows that he has also found that there is no suspicion on the police version of the incident.

Conclusion

In view of the above, it becomes evident that during combing and search operations conducted immediately after the Bikru incident, five suspicious persons were sighted at Devi Temple in village Kashiram Nevada. On being challenged by the police, they opened fire at police personnel and injured two of them and one bullet also hit the S.S.P. In self-defence, the police retaliated resulting in injuries to two of the five persons and the other three fled away. The arms recovered from these accused were used in the incident of the preceding night. The rifle recovered from one of the injured belonged to Vikas Dubey and the Glock pistol was of S.I. Kaushlendra Pratap Singh which was looted from him during the raid operation in Bikru Village. Only some of the bullet injures on the body of accused are found on the vital parts of their body and the rest are on non vital part. The injuries sustained by police personnel cannot be said to be self inflicted or fabricated. The results of the forensic examination reports dated 30.09.2020 and 25.09.2020 of clothes, 20.07.2020 of bullet proof jacket, 22.07.2020 of finger prints on firearms and 23.09.2020 of firearms and cartridges, empty cartridges corroborate the police version.

There is no evidence to show that the police party had any prior information regarding their presence at the spot. The evidence relating to sequence of events which ultimately resulted in the death of accused Atul Dubey and accused Prem

Prakash does not therefore raise any kind of suspicion or doubt in the genuineness of police version.

With regard to incident (ii) mentioned above, the relevant facts as per the FIR, are as under:-

Name of the accused: Amar Dubey, son of Sanjeev Dubey, resident of Village- Bikru, Police Station- Chaubeypur, Kanpur Nagar. Date of incident: 08.07.2020 Time: 06.30 a.m.
Place of Occurrence- Near Jal Sansthan, Nalkoop No. 03, National Road FIR under Sections 307, 504 IPC, under Police Station- Maudaha, District- Hamirpur. **Criminal history:**– Three criminal cases of 2020.
(The accused was injured in exchange of firing with police and was declared brought dead by the doctors in hospital.)

Factual Matrix

In the wake of Bikru incident, in compliance of directions of higher authorities, complainant Sub Inspector Satya Prakash Singh (S.T.F.) received information in the night of 07.07.2020 that Amar Dubey, one of the accused of Bikru incident, is hiding in village Artara under Police Station Maudaha in District Hamirpur. The complainant shared this information with Inspector Manoj Kumar Shukla, Incharge Police Station Maudaha. The complainant and Inspector Manoj Kumar Shukla met near Bada Chauraha and after sharing this information with their fellow policemen, reached village Artara, where the informer told them that the accused had just left the village towards the highway via National Road. The police rushed towards the highway via National Road. Near Jal Sansthan Maudaha Tube-well, a man was seen moving towards Highway carrying a bag on his back who, according to the informer, was Amar Dubey. Noticing the presence of the police team, the accused hid himself behind the Jal Sansthan Tube-well and started firing at them. One of the bullets hit the complainant on his navel but he survived as he was wearing a bullet proof jacket. The police asked the accused to surrender but he continued firing by changing his position. One bullet passed touching the right hand elbow of Inspector

Manoj Kumar Shukla and one bullet hit Constable Rajiv Kumar Singh on his right arm, as a result he fell on the ground and sustained injuries on his left arm. The police, in self-defence, fired at the accused as a result he suffered injuries and fell to the ground. He was identified as Amar Dubey. He was sent to C.H.C. Maudaha where he was declared brought dead. Injured police personnel were also sent for treatment to C.H.C. Maudaha. This incident occurred on 08.07.2020 at about 06.30 a.m. *Fard baramadgi* was prepared at the spot and place of occurrence was secured. A case was registered against the accused under relevant Sections, at Police Station Maudaha, Hamirpur.

Evidence collected/received

The Commission was provided copies of concerned police papers of this case, such as, General Diary (G.D.), F.I.R., site plan, panchayatnama, post-mortem report of accused, forensic report etc.

Public notices were published in newspapers twice. Notices were also sent to relatives of Amar Dubey. Total twelve (12) persons submitted their affidavits in the office of the Commission.

Out of these 12 officers/persons, the Commission examinedI.W. 01 Dinesh Kumar, I.W. 02 Inspector Manoj Kumar Shukla, I.W. 03 Sub Inspector Satyaprakash Singh, I.W.04 Constable Rajiv Kumar Singh and I.W.05 S.I. Pramod Kumar Singh and I.W. 06 Dr R.S. Prajapati.

The affidavits of rest of the witnesses were either repetition of those who were already examined or were not material for the purpose of this inquiry, so they were not summoned.

The notices were also sent to Khushi Dubey who was married to accused Amar Dubey three days before the Bikru incident. She submitted her reply stating that she

did not know anything about the case and did not have any material to produce before the Commission.

Despite publication of public notices twice in newspapers in English and Hindi having wide circulation in the concerned area, pasting them on notice board of different offices i.e. Collectorate, Tehsil offices, police stations, and at conspicuous places in Hamirpur and giving wide publicity by beat of drums etc. and sending the notices to relatives of the deceased accused, none appeared or sent any document/affidavit or any other kind of evidence controverting the police version.

The Commission also inspected the site of the alleged encounter.

Shri Vinay Prakash Srivastava, Additional District Magistrate, Hamirpur conducted the magisterial inquiry in view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court. He invited objections from the family members of the deceased and given due publicity to the public at large to come forward and adduce evidence, if any. However, none appeared before him. The inquiry report dated 09.12.2020 was submitted. The relevant part of the same(**conclusions**) and the entire evidence of this incident, including police papers, statements of six witnesses etc. are kept in **Part II (pages 258 to 306)**.

Discussion

On receiving the information that Amar Dubey, one of the accused of Bikru incident, was hiding in Village Artara, the complainant SI Satyaprakash Singh alongwith Inspector Manoj Kumar Shukla, Station Officer of P.S. Maudaha and fellow policemen went to Village Artara to arrest him where they, upon further information received from the informer, proceeded towards the highway via National Road. Near Jal Sansthan Tubewell under Police Station Maudaha, the accused opened fire upon policemen and despite repeated warnings to stop firing and surrender, he continued firing injuring two policemen. The police, in self-

defence, fired at him as a result of which the accused was injured and fell to the ground. He was sent to C.H.C., Maudaha where he was declared brought dead.

I.W. 01 Dinesh Kumar, a public witness, deposed that he knew Amar Dubey but denied of having any near relationship with him. Amar Dubey came to his house on 07.07.2020 at about 10 p.m. for shelter which he refused as Bikru incident had already come in his knowledge. Thereupon, the accused Amar Dubey left his house. Thus, the statement of I.W. 01 is relevant to the extent that Amar Dubey was seen in Village Artara on the previous night.

I.W. 03 S.I. Satyaprakash Singh (STF), complainant, deposed that on receiving information that Amar Dubey was hiding in village Artara, he alongwith S.O. Maudaha and fellow policemen went there to arrest him. On receiving further information that the said accused had just left the village, they followed him. On National Road, having seen the police, the accused started firing as a result of which one bullet hit the complainant below his navel but he escaped unhurt as he was wearing a bullet proof jacket. He also stated that Inspector Manoj Kumar Shukla and Constable Rajiv Kumar Singh were also injured from the bullet fired by the accused. In self-defence, the police simultaneously fired at the accused from a close range as a result whereof he fell to the ground screaming and groaning. The policemen reached near that person and found him alive. He was sent to C.H.C. Maudaha where the doctor declared him brought dead. Injured policemen were also sent to hospital for treatment.

I.W.2 Inspector Manoj Kumar Shukla stated that he and Satyaprakash Singh (I.W.3) alongwith fellow policemen reached Village Artara and made search at probable places to find out Amar Dubey but in vain. On receiving further information that Amar Dubey had just left the village, the policemen, in his search, went towards Jal Sansthan Maudaha Tubewell on National Road, where the accused, having seen policemen, started firing as a result two police personnel got injured and one escaped unhurt as he was wearing a B.P. jacket. In self-defence, police fired at the

accused from a close range and he fell on the ground being injured. The accused and policemen were sent to C.H.C. Maudaha for treatment, where the accused was declared brought dead by the doctors. Some people were present at the place of occurrence but they refused to become witnesses and left the place.

I.W. 4 Constable Rajiv Kumar Singh (STF) and I.W. 5 SI Pramod Kumar Singh, who accompanied the complainant, fully supported the statement of I.W.3 SI Satyaprakash Singh.

According to police version, the police reached the spot after prior information and as per *Fard Baramadgi* and evidence of I.W. 4 Inspector Manoj Kumar Shukla, some people had witnessed the incident but none of them was ready to be a witness in this case. Although, police has power under relevant laws to take action against such persons but it is undoubtedly true that no independent person wants to involve himself in such cases, to avoid enmity and cumbersome court procedure. Therefore, in the absence of any independent witness, the police version of the incident cannot be doubted.

The post-mortem report of Amar Dubey reveals the following injuries:-

I. firearm entry wound 0.7 x 0.7 cm on left side of chest 3 cm above the nipple at 11 O'clock position, wound margin lacerated and inverted, wound direction upward to downward and front anterior to posterior.

II. firearm entry wound 0.7 x 0.7 cm on left side of chest 6 cm below the left nipple at 5 O'clock position, margin lacerated and inverted. Direction of wound upward to downward, from anterior to posterior, scorching and collar of abrasion present.

III. firearm entry wound 0.7 x 0.7 cm on left side of chest 8 cm below the left nipple at 6 O'clock position, margin lacerated and inverted and scorching and collar of abrasion present. Wound direction from anterior to posterior.

IV. firearm entry wound 0.5 x 0.5 cm present at mid of chest 9 cm below XI xiphisternum at 6 O'clock position, margin lacerated, inverted and scorching and collar of abrasion present. Direction anterior to posterior, upward to downward on probing.

V. firearm entry wound 0.7 x 0.7 cm on right side of chest 3 cm medial to right nipple at 4 O'clock position. Margin lacerated, inverted, scorching and collar of abrasion present. Direction upward to downward and right to left. One bullet recovered from chest cavity from vertebral column.

VI. firearm entry wound 0.7 x 0.7 cm on left side of abdomen 6 cm left to umbilicus at 5 O'clock position, margin lacerated, inverted, scorching and collar of abrasion present. Direction anterior to posterior and through and through.

VII. firearm entry wound 0.8 x 0.8 cm on right upper arm 6 cm above the right elbow joint on medial aspect underline bone of fracture (humerus bone). Margin lacerated, inverted, scorching and collar of abrasion present. Direction downward to upward. Bullet recovered from right arm wound.

VIII. firearm exit wound 1.5 cm x 1.5 cm on 2 cm above from the mid of vertebral column and 17 cm below the base of neck. Margin lacerated and everted. Bleeding present from the wound.

IX. firearm exit wound 1.5 cm x 1.5 cm on 7 cm below the wound no. 8 at 7 O' Clock position. Margin lacerated and everted. Bleeding present from the wound.

X. firearm exit wound 1.5 cm x 1.5 cm on left side of back of abdomen. 3 cm below the wound no.9. Margin lacerated and everted. Bleeding present from the wound.

XI. firearm exit wound 1.5 cm x 1.5 cm on left side back abdomen. 14 cm lateral to vertebral column on left side, 11 cm below the wound no. 10 at 6 O'clock position. Margin lacerated and everted. Bleeding present from the wound.

The description of these injuries shows that the accused sustained five injuries upon his chest, one upon abdomen and one upon his right arm. The direction of entry wounds no. 1, 2 and 5 is from upwards to downwards and their margins are inverted, lacerated. Scorching was also found present on injury nos. 2, 3, 4, 5, 6 and 7 around skin of entry wounds. According to the witnesses, they used 8 mm pistols and the distance shown in the site map is about 07 to 08 meters between police party and the accused when the police fired at him. According to Modi's Medical Jurisprudence and Toxicology 23rd Edition page 721, scorching on skin around firearm wound by pistol/revolver will occur only if it is fired from close range, i.e. within a few inches. The post-mortem report creates doubt about the police version regarding the distance from which police party fired at the accused. In this regard, I.W. 06 Dr. Ramsharan Prajapati, who was the Head of the team of doctors which conducted the post-mortem, explained that though scorching was found around entry wounds, but the post-mortem was conducted after about 12 hours of the death and by that time tissues around entry wounds become almost dead. High temperature of bullets cause scorching around entry wounds and spinning of bullets cause collar of abrasion. The same explanation, in writing, of doctors - Dr. Ramsharan Prajapati and Dr. Parmendra Kumar Prajapati, duly agreed by other two members of the panel of doctors (who conducted the post-mortem) in regard to scorching and collar of abrasion sent to CMO Hamirpur, is also filed by the police.

Almost all firearm injuries are inflicted on the front side of the upper body, and the entry wounds are from upwards to downwards. In this regard, I.W. 06 explained that the direction of a wound from upward to downward will occur when the person firing is placed on higher position or the victim is in bending position facing the assailant. He also explained about injury no. 7 on the right arm of the accused having a direction of entry wound from upward to downward by saying that this injury will occur when the arm is held in higher position than the person firing at him. In the present case, the evidence produced reveals that both police and the accused were on same level and witnesses stated that the accused, feeling danger, was firing at police from different positions, such as, by turning, bending and falling. Under such circumstances, the direction of entry wounds from upward to downward can't be ruled out. Therefore, the explanation of the doctor regarding direction of entry wounds is in consonance with oral evidence.

The evidence shows that Constable Rajiv Kumar Singh and Inspector Manoj Kumar Shukla sustained firearm injuries. Injury report of Inspector Manoj Kumar Shukla shows, he suffered one firearm injury on his right forearm of size 4 cm X 1 cm and injury report of Constable Rajiv Kumar Singh shows that he suffered two injuries, one of which is a firearm injury of size 3 cm X 1 cm on his left arm and the other injury is a lacerated wound on his right arm. Blackening is also found present around firearm injuries of both the injured policemen by the doctor. As per evidence, the accused fired from a country-made pistol of .32 bore. Thus, the medical evidence corroborates the oral evidence. The report of magisterial inquiry pertaining to this incident submitted by Sri Vinay Prakash Srivastava, Additional District Magistrate, Hamirpur dated 09.12.2020, has also not doubted the police version.

Conclusion

In view of the above, the evidence produced before the Commission supports the police version of the incident and there is no contradiction between medical and ocular evidence. The evidence produced is reliable and trustworthy. The result of the forensic examination report dated 18.08.2020 of firearms, cartridges, empty cartridges, bullet proof jacket and clothes fully corroborates the police version.

Thus, the evidence relating to sequence of events which ultimately resulted in the death of accused Amar Dubey does not raise any kind of suspicion or doubt about genuineness of police version of events.

—

With regard to incident (iii), the relevant facts as per the FIR, are as follows:-

Name of the accused: Pravin Kumar Dubey @ Bauwa, son of Om Prakash Dubey, resident of Village Bikru, Police Station- Chaubeypur, Kanpur Nagar Date of incident: 09.07.2020 Time: 04.55 a.m. Place of Occurrence: Near Vikrampur Brick Kiln FIR under Section 307 IPC, under Police Station- Civil Line, District- Etawah. **Criminal history:** Four cases, all are of 2020. (The accused was injured in exchange of firing with police and was declared brought dead by the doctors in hospital).

Factual Matrix

In the night of 08/09.07.2020, Ganesh Sahu and his cousins Vijay Saav and Narayan Saav, all residents of District Kodarma, Jharkhand were travelling to Delhi in their Swift DZire Car No. DL 1 ZA 3602. At about 02.45 a.m. near Shyam Dhaba on N.H. No. 02 under Police Station Bakewar, District Etawah, their vehicle was intercepted by four armed persons who were travelling in a white Scorpio. Ganesh Sahu and his cousins were robbed of their valuables, articles and also their car. In the process, Narayan Saav was injured when one of the robbers hit the back of his head by an iron rod. They went to Shyam Dhaba and informed the police from a mobile phone of the owner of that Dhaba. An F.I.R. of this incident was lodged at Police Station Bakewar, Etawah which was registered as Case Crime No. 353/20, under Section 394 IPC against four unknown persons. The information of loot was received on R.T. set at 03.00 a.m. at Police Station Civil Lines, Etawah that the robbers were moving towards Etawah, Agra. The Station Officer (S.O.) Civil Lines, Sri Jitendra Pratap Singh alongwith his team went to ITI crossing and after putting barriers on the road, started checking the vehicles. Sri Satendar Singh S.I. (SWAT Incharge) alongwith his team and Surveillance Incharge S.I. Bechan Kumar Singh alongwith his team also joined him. At about 04.40 a.m., a vehicle reached there and on being signalled to stop, the vehicle hit the barriers and started running towards D.M. Chauraha. The police teams started chasing the said vehicle. They

saw from the headlight that the registration number of the car was the same as was reported to have been robbed. This information was flashed by wireless and ahead of Sai Temple, the robbers fired at the police teams. The police, in self-defence, also fired which hit the back wind screen of the car as a result of it the car dashed against a tree and stopped. The robbers continued firing at the police. Thus, in retaliation, policemen also fired at them as a result of which one robber fell on the ground injured and the other managed to flee. He was chased by police but in vain. The injured robber was sent to hospital where he was declared brought dead. During exchange of fire, a bullet hit SI Satendra Singh, SWAT Incharge, however, he survived as he was wearing a bullet proof jacketwhich has been sent for forensic examination.*Fard Baramadgi* was prepared at the spot and material collected. A case was registered at Police Station Civil Lines, Etawah under relevant Sections. In the hospital, the accused was identified as Pravin Kumar Dubey @ Bauwa.

Evidence collected/received

The Commission was provided copies of concerned police papers of this case, such as, General Diary (GD), FIR, site plan, panchayatnama, post-mortem report of the accused, C.D.R. etc. as also a C.D. containing site plan and post-mortem of the accused.

Public notices were published in newspapers twice. Affidavits of total 35 persons were received in the office of the Commission.

Out of these 35 officers/persons, the Commission examined I.W. 01 Vijai Shav, I.W. 02 Ganesh Shav, I.W. 03 Narayan Shav, I.W.04 Constable Nitin Chaudhary, I.W.05 S.O. Jitendra Pratap Singh, I.W.06 S.I. Sanjai Kumar Dubey, I.W. 07 Dharamvir Singh, I.W. 08 Manoj Kumar, I.W. 09 Laalesh I.W. 10 Shahvir Singh, I.W. 11 Dalvir Singh, I.W. 12 S.I. Satendra Singh Yadav, I.W. 13 S I. Bechan Kumar Singh, I.W. 14 Constable Ankit Kumar and I.W. 15 Inspector Jeeva Ram, S.H.O. Badhpura.

The affidavits of rest of the witnesses were either repetition of those who were already examined or were not material for the purpose of this inquiry, so they were not summoned.

The notice was also sent to Sri Om Prakash Dubey, father of deceased accused but no affidavit or any other material was filed on his behalf. In fact, there had been no response from him in regard to this incident inspite of service of notice.

The Commission also inspected the site of the alleged encounter and interacted with people gathered there and persons who witnessed part of the incident. Shri Nand |Prakash Maurya, Sub Divisional Magistrate, Etawah conducted the magisterial inquiry in view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court. He invited objections from the family members of the deceased and given due publicity to the public at large to come forward and adduce evidence, if any. However, none appeared. Theinquiry report dated 04.12.2020 was submitted. The relevant part of the same (**conclusions**) and the entire evidence of this incident, including police papers, statements of 15 witnesses etc. are kept in **Part II (pages 307 to 355).**

Discussion

According to police, Ganesh Sahu and his cousins Vijai Shav and Narayan Shav were travelling to Delhi in their Car No. DL 1 ZA 3602, when four unknown robbers robbed them of their valuables, articles as also their car in the night of 08/09.07.2020 at 02.45 a.m. near Shyam Dhaba on N.H. No.02 under Police Station Bakewar, Etawah and with the help of Shyam Dhaba owner, they informed the police. The FIR of the incident was lodged at Police Station Bakewar, Etawah against four unknown persons.

I.W. 01 Vijay Shav stated that he works in Delhi and was travelling by Swift DZire Car No. DL 1 ZA 3602 to Delhi from his native place in Kodarma, Jharkhand. Ahead of Ajitmal Toll Plaza, near Shyam Dhaba on N.H. No. 02 at about 02.45

a.m., his car was intercepted by four unknown persons who were riding a white Scorpio. They robbed them of their money, valuables and other articles and also looted the car. According to him, since the robbers had covered their faces, he could not recognise them. Upon information of recovery of the car, the police of Police Station Bakewar carried them to the spot of recovery at about 08 a.m. where they identified their car.

I.W. 02 Ganesh Shav and I.W. 03 Narayan Shav, co-passengers of this Swift Dzire car, reiterated the same facts (as stated by I.W. 01).

I.W.04 Constable Nitin Chaudhary is the person who received the information of loot of car at Police Station Civil Lines, Etawah and informed the concerned officers, including the S.O. Civil Lines. He deposed that at 07.50 a.m., he received information about the death of the accused as given by the Ward Boy of the District Hospital and reduced the same in writing.

I.W. 05 Jitendra Pratap Singh, S.O. Civil Lines deposed about the manner in which information of car loot reached him. According to him, he alongwith other police officers and their teams started checking of vehicles at ITI crossing. On being asked, the robbersdid not stop the car instead they hit the barriers and ran away. The police team chased the car. The accused started firing upon the police teams. He was chased and in return police also opened fire which damaged the back wind screen of the said car and one of the two occupants got injured. The car consequently lost balance and dashed against a tree and stopped. The other occupant ran away, though the police chased him but in vain. The person injured was taken to the hospital where he was declared brought dead.

I.W. 06 Sanjai Kumar Dubey, I.W. 12 S.I. Satendra Singh, S.O.G. Incharge, I.W. 13 S.I. Bechan Kumar Singh, Incharge Surveillance Cell and I.W. 14 Constable Ankit Kumar, are members of police teams involved in the checking of vehicles. They have corroborated the statement given by I.W. 03 Jitendra Pratap Singh and further

deposed that one bullet fired by robbers hit S.I. Satendra Singh Yadav on his bulletproof jacket near chest, so he escaped any injury.

I.W. 15 Inspector Jeeva Ram identified the deceased accused in hospital as Pravin Kumar Dubey @ Baua and got the said fact noted in the General Diary of Police Station Civil Lines, Etawah. He also deposed that he had been earlier posted in Kanpur Nagar for five years from 2011-16 and during 2015-16 remained posted in P.S. Billhaur, Kanpur Nagar where he had seen Pravin Kumar Dubey @ Baua with Vikas Dubey when Vikas Dubey's wife was contesting the election for Member, Zila Panchayat and they had been canvassing for her.

I.W.07 Dharambir Singh, I.W. 10 Shahvir Singh and I.W. 11 Dalvir Singh are public witnesses who have deposed that they were standing on Luhanna Chauraha sheltering themselves from rain on 09.07.2020 at 04.45 a.m. and saw one white Swift Dzire car being chased by three police vehicles blowing siren and announcing on loudspeaker to stop the car. I.W. 08 Manoj Kumar and I.W. 09 Laalesh are also public witnesses who deposed that they heard the sound of firing near the place of occurrence at about 04.45 a.m. on 09.07.2020. They also heard someone saying '*pakdo, pakdo*' and saw a man in plain clothes being chased by 3-4 policemen and another man lying injured on the ground and some policemen were standing there. These witnesses are local residents and thus their presence at the said places is quite natural. They supported the police version.

Despite publishing public notice twice in newspapers in English and Hindi having wide circulation in the concerned area, pasting it on the notice board of different offices i.e. Collectorate, Tehsil offices, police stations, and at conspicuous places in Etawah and publicity by beat of drums etc. and sending the notices to relatives of the deceased accused, none appeared or sent any document/affidavit or any other kind of evidence creating any doubt on the genuineness of police version of this incident. The Magisterial inquiry report dated 04.12.2020 of Shri Nand Prakash

Maurya, Sub Devisional Magistrate (Nyayik) Etawah has also concluded that there could be no doubt about the police version of the incident.

Conclusion

In view of the above, this incident started with the robbery and loot of a car near Shyam Dhaba at N.H. 02 by four unknown persons and on information of this car loot, within two hours, the looted car was chased. In an exchange of fire, one of the robbers got injured and fell down on the ground. The car upon being damaged in the firing dashed against a tree and stopped. The other accused was chased by the police but in vain. The injured robber was sent to the hospital for treatment but was declared brought dead by the doctor. The said robber was later on identified as Pravin Kumar Dubey @ Bauwa, one of the associates of Vikas Dubey. This incident occurred at a far away place from Kanpur, the residence of the accused Pravin Kumar Dubey @ Bauwa. The car was identified by the owner of the car and his co-passengers. One member of police party was also hit by a bullet but he was wearing a B.P. jacket, so he escaped unhurt. The result of the forensic examination report dated 08.09.2020 of firearms, cartridges, empty cartridges, bullet proof jacket and clothes corroborates the police version.

In fact, there is no evidence to show that police had any information that the deceased accused was one, involved in Bikru incident occurred on 02/03.07.2020, prior to his identification by Shri Jeeva Ram, Inspector in the hospital at a later stage. The evidence relating to sequence of events which ultimately resulted in the death of Pravin Kumar @ Bauwa, do not raise any kind of suspicion or doubt about genuineness of police version of events. It does receive corroboration from public witnesses as well. Moreover, this encounter has nothing to do with Bikru incident. It came to be known to Etawah police after the identification of the injured robber by a Sub Inspector who was posted for 6 years in Kanpur Nagar.

With regard to incident (iv), the relevant facts as per the FIR are as follows:-

Names of the accused: Prabhat Mishra @ Kartikeya, son of Rajendra Mishra, resident of Village Bikru, Police Station- Chaubeypur, Kanpur Nagar Date of incident: 09.07.2020 Time: **06.20 a.m.** Place of Occurrence: Near Bhauti Bypass FIR under Sections 224, 307, 394 and 411 IPC, under Police Station- Panki, District- Kanpur Nagar. **Criminal history:** Four criminal cases of year 2020 (The accused was injured in exchange of firing with police and was declared brought dead by the doctors in hospital).

Factual Matrix

Sub Inspector Devendra Singh alongwith Constable Sunil proceeded to Faridabad on 08.07.2020 to get transit remand of accused Prabhat Mishra @ Kartikeya to Kanpur who was wanted in Case Crime No. 192/20 under Sections 147/148/149/302/307/394 IPC and Section 07 Criminal Law Amendment Act, under Police Station Chaubeypur, Kanpur Nagar. After getting his transit remand from the Faridabad Court, at his request, Sub Inspector Akshaya Parveer Tyagi, Constable Vikas Chauhan, Constable Sunil Kumar, Constable Mukesh Singh, Constable Rahul Bhati of S.T.F. NOIDA unit and Head Constable Shyam Singh and Constable Driver Shailendra Pratap of Kanpur police met him on way to Kanpur. At 3.20 a.m. on 09.07.2020, he took the accused alongwith Constable Sunil in Tata Sumo No. U.P 78 BG 0973. Head Constable Shyam Singh and Constable Driver Shailendra were already seated in that vehicle. The tyre of a rear wheel of Tata Sumo got punctured ahead of Bhauti Bypass. When Head Constable Shyam Singh and Driver Shailendra were replacing the tyre, Prabhat Mishra suddenly hit S.I. Devendra Singh by his elbow and snatched his service revolver and started firing at the police personnel stationed outside. Police personnel tried to escape from this sudden assault and narrowly escaped. The accused fled from the vehicle towards Transport Nagar and was chased by police. The incident was immediately reported

to higher authorities. The accused continued the firing at the police. He was warned to stop firing and surrender. His one bullet hit the bullet proof jacket of S.I. Akshay Parveer Tyagi and one bullet on the bullet proof jacket of Constable Vikas Chauhan and the other on his left arm. One bullet hit Constable Sunil in his abdomen. The police team led by Incharge Inspector Ajai Seth also reached there in the meanwhile. The accused continued indiscriminate firing and refused to surrender and, in self-defence police fired at the accused who fell on the ground injured. He was sent to hospital. Injured police personnel were also sent to hospital for treatment. Many people gathered there during the incident and recovery, refused to become witnesses. After completing formalities at the spot *Fard Baramadgi* was prepared and a case was registered against the accused at Police Station Panki, Kanpur Nagar the same day under relevant Sections.

Evidence collected/received

The Commission was provided copies of concerned police papers of this case, such as, General Diary (G.D.), F.I.R., site plan, panchayatnama, post-mortem report of accused, CDRs etc.

Public notices were published in newspapers twice. Notices were also pasted at conspicuous places in Kanpur Nagar. Publicity was also given by beat of drums in the local area.

Affidavits of total 18 persons were received in the office of the Commission.

Out of these 18 persons, the Commission examined I.W. 01 S.I. Devendra Singh, I.W. 02 Incharge Inspector Ravi Srivastava, I.W. 03 Incharge Inspector Satish Singh, I.W.04 S.I. Shubham Kumar, I.W.05 S.I. Amit Kumar Tiwari, I.W.06 S.I. Akshay Parveer Kumar Tyagi, I.W. 07 Constable Sunil Kumar, I.W. 08 Constable Vikas Kumar, I.W. 09 Constable Sheel Kumar Verma and I.W. 10 Dr Mahendra Kumar. The Commission also perused the original medical records of CHC

Kalyanpur, Kanpur Nagar pertaining to policemen injured in the incident. True copies of the medical reports are kept in **Part II (pages 440 to 442)**.

The affidavits of rest of the witnesses were either repetition of those who were already examined or were not material for the purpose of this inquiry, so they were not summoned.

The notices were also sent to family members of deceased accused i.e. mother Smt. Sumanlata and sister Km. Himanshi Mishra but no affidavit or any other material was filed on their behalf. In fact, there had been no response from them in regard to this incident inspite service of notice.

The Commission also inspected the site of alleged encounter and interacted with people gathered there.

Shri Amit Singh II, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar conducted the magisterial inquiry in view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in an earlier case. The learned Magistrate invited objections from the family members of the deceased and asked them to come forward and adduce evidence, if any. However, none appeared. The inquiry report dated 11.01.2021 was submitted. The relevant part of the same (**conclusions**) and the entire evidence of this incident, including police papers, statements of ten (10) witnesses are kept in **Part II(pages 356 to 442)**.

<u>Discussion</u>

According to police version, the incident occurred when Sub Inspector Devendra Singh alongwith some members of S.T.F. NOIDA and police personnel of Kanpur police were returning to Kanpur Nagar after getting transit remand on 08.07.2020 of the accused Prabhat Mishra @ Kartikeya from concerned court at Faridabad, who was wanted in Case Crime No. 192/20 under Sections 147/148/149/302/307/394 IPC and Section 07 Criminal Law Amendment Act under Police Station

Chaubeypur. At 3.20 a.m. on 09.07.2020, he took the accused alongwith Constable Sunil in Tata Sumo No. U.P. 78 BG 0973. On their way to Kanpur, the rear Tyre of Tata Sumo got punctured ahead of Bhauti Bypass under Police Station Panki, Kanpur Nagar. When HC Shyam Singh and Driver Shailendra were changing the Tyre, Prabhat Mishra suddenly hit S.I. Devendra Singh on his face by his elbow and snatched his service revolver and started firing on police personnel stationed outside. Police personnel narrowly escaped from this sudden assault. The accused fled from the spot towards Transport Nagar and was chased by police. The bullets fired by him hit bulletproof jacket of S.I. Akshay Parveer Tyagi. Constables Vikas Chauhan and Sunil were also injured in his firing. After receiving information, the police team led by incharge Inspector Ajai Seth also reached there in the meantime. The accused continued indiscriminate firing and refused to surrender. In self-defence, police fired at the accused who fell to the ground injured. He was sent to hospital but succumbed to injuries on the way. Injured police personnel were also sent to hospital for treatment.

I.W. 01, S.I. Devendra Singh, complainant, supported the police version. He further deposed that one of the accused of this incident, Prabhat Mishra @ Kartikeya was caught by Haryana police alongwith stolen arms of police. The complainant got the transit remand from the concerned Magistrate in Haryana on 08.07.2020 to produce the accused before the concerned Magistrate in Kanpur Nagar. The copy of transit remand order is also on record. The case was sensitive, so, at his request, a S.T.F. team of NOIDA unit under S.I. Akshay Parveer Tyagi met him in Agra. When he was taking the accused to Kanpur, a police vehicle from Kanpur alongwith police personnel also met him near Etawah highway at around 03.20 a.m. on 09.07.2020. When he was carrying the accused in TATA Sumo bearing No. UP 78 BG 0973, near Bhauti Bypass, its rear tyre punctured early in the morning and when it was being replaced while they were inside the vehicle, the accused hit him on his nose with his elbow as a result he fainted momentarily and the accused quickly snatched his service revolver loaded with 10 cartridges. When Constable Sunil, sitting next to

driver, turned his face, the accused hit him by fist on his nose. The accused fired at police personnel surrounding the vehicle who managed to escape any injury. The accused jumped from the vehicle and kept on firing and started running towards Transport Nagar. Thereafter, he was chased, warned and asked to surrender but he did not pay any heed and continued firing injuring two policemen (Constable Sunil on his stomach and Constable Vikas on his left hand) and hitting S.I. Akshay Parveer Tyagi on his bulletproof jacket. In self-defence, the police team fired at him as a result he fell to the ground injured. He and injured police personnel were sent to hospital. According to I.W. 01, during the incident and recovery, many people gathered there who were asked to be witnesses of the incident but they refused and went away from the spot without telling their names and addresses.

I.W.02 Incharge Inspector Ajai Seth deposed that he was in the nearby area and upon receiving information on wireless at about 06.12 a.m. on 09.07.2020 that a person is running near Panki Bypass after snatching service revolver, he alongwith his team reached there and saw a person was being chased by police near water overhead tank and he was firing at the police. He took the position and warned that person to surrender but he kept on firing injuring police personnel. In self-defence, the police fired at him and he fell on the ground injured. Since the accused was alive, Inspector Shubham took him to CHC Kalyanpur. Injured police personnel were also sent to hospital for treatment. The doctors declared accused brought dead.

I.W. 03 Incharge Inspector Satish Singh and I.W. 05 S.I. Amit Kumar Tiwari accompanied Inspector Ajai Seth to the place of occurrence. They have also given similar statement as was stated by Inspector Ajai Seth.

I.W. 04 S.I. Shubham Kumar reached the place of occurrence just after the incident. He carried the accused Prabhat Mishra to CHC Kalyanpur at about 07-7.15 am where the doctor declared him brought dead. He also carried injured police personnel to hospital for treatment.

I.W. 06 S.I. Akshay Parveer Tyagi of STF, NOIDA unit had accompanied the complainant from Agra to Kanpur. He has also supported the police version and has stated that near Bhauti Bypass when the tyre of TATA Sumo was punctured, at the time of changing the tyre, he was standing to the right of TATA SUMO. Suddenly, accused Prabhat Mishra snatched the revolver of S.I. Devendra Singh and fired at him, then by quickly applying police training tactics he escaped. The accused fired at Sunil Kumar who was sitting in the vehicle and the bullet broke the wind shield. The accused ran towards underpass and kept on firing. Two police personnel were injured in his firing and a bullet hit his (I.W.6) bulletproof jacket. In self-defence, the police fired at the accused who fell on the ground injured. The accused was rushed to hospital but was declared brought dead by the doctor.

I.W. 07 Constable Sunil Kumar and I.W. 08 Constable Vikas Kumar of STF, NOIDA unit are injured witnesses and they also made the same version as stated by other police personnel regarding the sequence of events. Constable Vikas Kumar has stated that he was hit on his left arm by bullet fired by accused and was injured. Constable Sunil Kumar stated that he was hit on left side of his stomach by a bullet fired by the accused.

I.W. 09 Constable Sheel Verma, driver of INNOVA which had followed Tata Sumo alongwith STF personnel, deposed that the incident occurred near Bhauti Bypass in the manner as stated by other witnesses.

Thus, all the above police personnel have supported the police version. According to them, after the accused snatched the revolver of S.I. Devendra Singh, he started firing while running towards Transport Nagar, he was chased and surrounded from two directions, even then he did not heed to the warning given by police to surrender and stop firing and in the process injured two police personnel. Thereafter, in self-defence, the police fired at the accused due to which he fell to the ground injured and died on way to hospital.

The above statements inspire confidence, as they are supported by other evidence on record. Constable Sunil was medically examined by Dr. Mahendra Kumar at CHC Kalyanpurand he found following injury on his person:-

> *"Complain (t) of pain at various areas of wanningat nose, both arms, back and weakness. No visible injury found."*

As per police version, both complainant and Constable Sunil suffered blows on their nose and the same caused temporary faintness to both injured police personnel. The accused had enough time to snatch the revolver from the complainant. According to I.W. 10 Dr. Mahendra Kumar,injured Constable Vipin of STF suffered following injuries:-

> *(i) an abrasion size 4 cm X 1 cm, burning is present, left forearm (anterior aspect) (suspected gunshot injury).*
> *(ii) Abrasion 04 cm X 01 cm at the same area.*

Dr. Mahendra Kumar deposed that in injury no.1 blackening was present but he did not mention it in the injury report. Both injuries were fresh and simple. Injury no. 1 was suspected gunshot injury and there was no redness in it.

Dr. Mahendra Kumar also medically examined Constable Sunil Kumar of STF on 09.07.2020 at 8.45 am and found following injuries:-

> *"An abrasion at left side of back at 10 cm superior to left iliac crest, bleeding present in wound."*

Before the Commission, the doctor witness explained the absence of size of this injury in his injury report, stating that due to rush of people, the size of wound could not be recorded in the injury report.

However, the doctor has stated that some entries of injury reports are not written by him and his short signature has been forged on such manipulation. So, original medical reports were summoned from CHC Kalyanpur and from their perusal, it is found that there is no mention by doctor of 'suspected gunshot injury' in it. Some addition of words 'suspected gunshot injury' is made in the photo copies of injury

reports sent with police papers. It appears that this manipulation was made to corroborate police version. This is a very serious matter which requires separate inquiry as to who has manipulated and made false entries and forged the signature of the doctor in photostat copies of medical reports provided by police to the Commission.

According to the police, during the entire incident and recovery, some people were present there but none of them was ready to become witness. It is quite natural that in such incidents, no unconcerned person would like to involve himself, particularly when dreaded criminals are involved.

The result of the forensic examination report dated 27.08.2020 of firearms, cartridges, empty cartridges, and clothes found the use of suspected firearm. Thus, the forensic report lends support to the police version of the incident.

The learned Judicial Magistrate, Kanpur Nagar conducted the Magisterial inquiry of this incident, and concluded that there was no evidence to suggest that the police encounter was fake. During the course of enquiry, the Magistrate issued notices to the family members of the accused/deceased. However, in spite of service, no one appeared to raise any grievance whatsoever. None appeared from general public or media to adduce any evidence to controvert the police version. In view of the above, the conclusions arrived at by the Magistrate in inquiry report is to be relied upon.

Conclusion

In view of the above, it is found that there are no material contradictions between medical and ocular evidence regarding the injuries,rather makes the oral evidence reliable. The manner in which the said incidents alleged to have occurred cannot be doubted. There is nothing on record to create any doubt about the genuineness of the police version of the incident. The facts and circumstances do not warrant stamping the incident as a fake encounter.

CHAPTER- VII

Patronage to Vikas Dubey and his Associates

Term of Reference (d), reads is as under:-

> "**d.** To enquire about collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons and to give suggestions for preventing its recurrence in future."

Hobnobbing by the criminals with politicians and *vice versa* appears to be a necessary survival technique for both. Moreover, in India, the political machination is capable of demoralising the police administration just by effecting frequent and arbitrary transfer of officers to unfavourable positions or locations. Increasing trend of criminalisation of politics tends to disturb Constitutional Ethos and making the citizenry suffer at the hands of antisocial elements.

There are various reports on the issue including, **The Goswami Committee Report 1990, The Vohra Committee Report (N.N. Vohra, October 1993), Justice B.N. Srikrishna Commission** on Bombay Blasts (1993). The Courts have also expressed their apprehension on such nexus. The findings are that all over India crime Syndicates had become a law unto themselves. Even in smaller towns and rural areas, muscle-men had become the order of the day. The nexus between criminal gangs, police, bureaucracy and politicians was evident in various parts of the country. The failure to nab a criminal at the initial stage and keeping a watch over his activities had led to the emergence of Mafia giants who had become too big to be tackled. Later, some of the anti-social elements have adorned ministerial berths and thus law breakers have become law makers. Rapid criminalisation of politics greatly encourages evils of booth capturing, rigging, violence etc; misuse of official machinery, i.e. official and ministerial. Even a petty criminal may influence the voters of his caste/area in favour of a candidate for a political post and then may seek his blessings not only to get away with the pitfalls of the offences committed by him, but also enjoy the patronage of such politicians and as a consequence thereof, of the police and administrative officials and ultimately start indulging in

heinous crimes and acquiring huge property. Later on, they themselves join the politics and become law makers and enjoy tremendous power and pelf.

The investigation in **Bombay Blasts case** (1993) revealed extensive linkages of the underworld in the various governmental agencies, political circles, business sector and the film world.

Such nexus facilitates the criminals to indulge in contract killing, bootlegging, booth capturing, getting government contracts, extortion as protection money, kidnapping, human trafficking, dealing in fake currency, collecting ransom from markets, *mandis* and factories, running gambling dens and brothels, capturing religious places and churning money from there, indulging in collecting *hafta* and *rangdari* tax from business houses, liquor trade and land deals etc.

According to a recent report by Salik Ahmed dated 28.07.2020 in Outlook "*The percentage of legislators with criminal records attest to this—35 per cent in UP, 23 per cent in Rajasthan, 23 per cent again in Punjab, 40 per cent in MP, 35 per cent in Karnataka and 60 per cet in Maharashtra.*"

In Writ Petition (Civil) No. 699 of 2016 ***Ashwani Kumar Upadhyaya v. Union of India & Ors.***, on the basis of the information furnished by all the States, an affidavit dated 08.09.2020 has been filed by Shri Vijay Hansaria, Senior Advocate, Amicus Curiae, before the Supreme Court, according to which total 4442 cases are pending against the MPs/MLAs (sitting and former) in different Courts. Special Courts have no effect.

Criminal justice and law enforcement added a new dimension during the time of Lord Cornwallis in 1792-93. It culminated that the entire administration was meant to rule and not to serve the Indian populace. The Court of Directors of East India Company in London vide letter dated 24.09.1856 acknowledged that Police in India had lamentably failed in accomplishing the ends for which it was established and that it was "all but useless for the prevention, and sadly inefficient for the detection of crime". It had "a very general character of corruption and oppression."

Just after the failure of Mutiny of 1857, a Police Commission was setup with a directive that "though the duties of the Police should be entirely civil, not military, the organization and discipline of the Police should be similar to those of a military body. As a consequence Indian Police Act, 1861 was enacted giving the Police Para-Military character. It was found necessary due to the need of the British Empire, colonialist to establish a relationship of control, coercion and surveillance over the subjugated population.

For 160 years, since the enforcement of the Police Act, the common man's trust has uninterruptedly eluded the average policeman. The Allahabad High Court long back had commented that a single lawless group having the highest record of crime is the Indian Police Force. However, the said observations were expunged by the Hon'ble Supreme Court, observing that such remarks could not be made as the same was not necessary to decide the case. More so, such general remarks should be avoided.

Various Commissions have been appointed for Police reforms. Other Commissions have also made recommendations for police reforms. The Commissions include;

1. **Indian Police Commission (1902-03)**- headed by Sir Andrew H.L. Fraser.
2. **National Police Commission** (1977-81) headed by Sri Dharam Vira.
3. **Ribeiro Committee** (1998)-
4. **Padmanabhaiah Committee** (2000)
5. **Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System** (2000)
6. **Justice Thomas Committee** (2010)
7. **Justice Verma Committee** (2013), and
8. **Sorabjee Committee** (2005)

- In addition thereto, there have been judicial pronouncements by the Supreme Court, *inter alia, **SB Shahane v. State of Maharashtra**, AIR 1995 SC 1628*; and ***Prakash Singh v. Union of India**, (2006) 8 SCC 1.*
- The Law Commission of India in its **14th Report**– Reform of Judicial Administration (1958); **41st Report** - Code of Criminal Procedure 1898,

(1969); and **154th Report** - Code of Criminal Procedure 1973, (1996) also made various recommendations in this regard. The gist of the recommendations and reports, *inter alia*, are;

- The chief of police should be assured of a fixed tenure of office.
- Police officers should be effectively protected against whimsical and mala fide transfer/suspension orders.
- A Police Establishment Board should be established to decide all transfers, postings and promotions of officers. It should be free from political control and abuse.
- There should be a minimum tenure of posting for all officers.
- To reduce the use of Third Degree Methods.
- There must be a body to check corruption in the police.
- Investigation should be separated from law and order work.
- The Prosecution agency be autonomous having a regular cadre of prosecuting officers totally detached from the police. (Legal advice to police in chargesheet etc.).
- Technological advances should be utilised for investigation.
- The concept of VIP security should be dismantled.

It has been observed that the police department was understaffed and had a heavy duty to perform. The requirement of law and order situation, *bandobast duties*, escort of prisoners to court, patrol duties, traffic arrangement, security of VIPs neglect crime control work giving rise to crime graph. An Investigating Officer is called for another duty in the midst of the investigation or transferred before completion of investigation resulting in piecemeal investigation by a different police official, which may result in variation of statements by the witnesses

examined and recorded at different times. The benefit of such defect is taken by the defence in Court. The Police should be governed by the Principles of impartiality and must observe the human rights norms. It must protect the rights of the weaker section including minorities.

In spite of the fact, that so many Commissions have been appointed for police reforms and so many recommendations have been made, the Central Government as well as the States have not shown any inclination to implement most of the said recommendations.

The Sorabjee Committee prepared the draft of the Model Police Act in 2006 but none of the States have adopted it. One such Committee expressed *"dismay at the total indifference to the issue of reforms of functioning of Police being exhibited by the States"*.

In the instant case, the SIT headed by Sanjay R. Bhoosreddy, IAS, Additional Chief Secretary, Uttar Pradesh was set up by the U.P. Government to investigate this very issue in respect of the same accused, i.e. Vikas Dubey. The SIT submitted its report dated 15.10.2020, giving certain findings. The Commission had summoned the said report and invited the Committee for discussion on findings so recorded.

As per the SIT report, 55 police officials and 35 administrative/revenue officials had been found either having nexus with the accused Vikas Dubey and his associates or there had been laxity on their part in dealing with them. Recommendations have been made to initiate disciplinary proceedings against them. Some of them are also accused in the crime committed in Bikru Village on 02/03.07.2020. Such names include - Shri Anant Dev, DIG (the then SSP, Kanpur Nagar), Shri Suksham Prakash, Dy.S.P. (Intelligence), Shri R.K. Chaturvedi, C.O. Cantt, Kanpur Nagar, Shri Amit Kumar, Nodal Officer (Passport)/C.O. Office, Kanpur Nagar, Shri Nand Lal Singh, C.O., Shri Karunakar Rao, C.O., Shri Lal Pratap Singh, C.O., Shri Harender Kumar Yadav, C.O., Shri Sunder Lal, C.O., Shri Prem Prakash, C.O., Shri Ram Prakash Arun, C.O., Shri Subhash Chandra Shakya,

C.O., Shri Laxmi Niwas, C.O., C.O. Rasoolabad, for making laxity or concealing the real facts or giving patronage to the accused by not including his name in the top ten criminals in the district, suppressing the material criminal history of the accused while recommending the grant of arms licence or for recommending issuance of passport or for indulging in conspiracy for giving benefit to the accused or his associates.

Shri Vinay Tiwari, the then S.O. Chaubeypur has been found responsible for not having surveillance on Vikas Dubey and not recommending his name to be included in top ten criminals of district Kanpur Nagar, delaying the registering of Gang D-124, giving patronage to Vikas Dubey as he was maintaining good relations with him and sharing administrative information for receiving unfair benefits and not taking active part in the raid in the first incident in Bikru, Ram Murti Yadav for giving patronage to Vikas Dubey and his associates and sharing administrative information for illegal gain, Anjani Prakash Pandey, Inspector for not investigating properly and forwarding the recommendations for grant of arms licence in spite of appalling criminal history of the applicant, Inspector S.K. Verma and Inspector Kazi Mohd. Ibrahim for forwarding the applications for grant of arms licences of the associates of Vikas Dubey on wrong facts, Inspector Ved Prakash and Inspector Lalmani Singh for recommending the grant of licence to Smt. Anjali Dubey, wife of brother of Vikas Dubey and other associates of Vikas Dubey, Inspectors Mukesh Kumar, Brij Kishore Mishra, Dharamvir Singh, Rakesh Kumar Srivastava for concealing the criminal history and forwarding the applications for grant of arms licence to associates of Vikas Dubey. Similarly, Radhey Shyam Yadav, S.O., Satish Chandra Yadav, S.O., Jitendra Pal Singh, S.O., Subedar Singh, S.O., Diwan Giri, S.O., Sanjay Singh, S.O., Rakesh Kumar, S.O. have been found violating the law particularly the provisions of the Arms Act to favour the accused Vikas Dubey or his associates. S.I. Azhar Ishrat, S.I. Krishna Kumar Sharma, S.I. Kunwar Pal Singh, S.I. Vishwanath Mishra, and S.I. Diwan Singh had given patronage and maintained good relations with Vikas Dubey and his associates by

sharing administrative information for illegal gains. S.K. Sujeet Kumar Mishra, S.I. Ajay Kumar Tripathi, S.I. Avneesh Kumar Singh, S.I. Inder Pal Saroj, S.I. Lavkush Singh Chauhan, S.I. Sanjay Kumar, S.I. Baijnath Gond had concealed the criminal history of the associates of Vikas Dubey while forwarding their applications for grant of arms licence. S.I. Suresh Tiwari was for laxing in not collecting information regarding criminal activities and collection of explosive substances by Vikas Dubey and his associates, H.C. Layak Singh, Constable Dharmendra Singh, Constable Abhishek Kumar, Constable Vikas Kumar, Constable Kunwar Pal Singh, Constable Rajiv Kumar were found having good relations with Vikas Dubey, helping him by not collecting any information about him and for sharing administrative information for illegal gains.

Similarly, administrative/revenue officers namely Ram Shiromani, S.D.M. Maitha, Anil Kumar Damele, S.D.M., Sukhlal Bharti, S.D.M., Dayanand Saraswati, S.D.M., Prahlad Singh, S.D.M., A.K. Awasthi, S.D.M., Ram Abhilash, A.C.M., Alok Pandey, B.D.O., Suresh Narain Pandey, Inder Pal Uttam, Rakesh Kumar, Phool Chandra Arya, Bhanu Pratap Shukla, Durga Shankar Gupta, Tehsildars, Atul Haas, Sub Tehsildar, Ram Lakhan Kamal, Revenue Inspector, Pradeep Kumar Mishra, Supply Inspector, Prashant Kumar Singh, Supply Inspector, Amit Katiyar, V.D.O., Rishabh Dubey and Anil Kumar, Rameshwar, Sushil Kumar, Baladeen, Ram Kishore, Ravi Prakash, Kamlesh Kumar, Lekhpals have, prima facie, been found involved in helping Vikas Dubey and his associates in getting the arms licence, fair price licence and other benefits for illegal gains and having good relations and granting patronage to Vikas Dubey and his associates. Recommendations have been made to initiate disciplinary proceedings against them also. Relevant part of the SIT report showing involvement of all such officers is kept in **Part II (pages 566 to 642).**

The charge sheet in Case Crime No. 192/2020, i.e. Bikru incident has been filed and Vinay Tiwari, S.O. Chaubeypur and K.K. Sharma, Sub Inspector posted at P.S. Chaubeypur have been named therein for having good relations with Vikas Dubey

and his associates and giving them patronage for illegal gains and for leaking the information of police raid on 02/03.07.2020 to Vikas Dubey.

Conclusion

From the above, it is evident that Vikas Dubey and his associates involved in all sorts of criminal activities, had patronage of police, administrative and revenue authorities. Some of such authorities had been having very good relations with them and rendered assistance in getting arms licences, passports, land grabbing and other facilities e.g. fair price shop licences etc. Such assistance was in utter disregard to the statutory provisions of the Acts and Rules, as the same had been violated with impunity; no authority had ever investigated any case properly so far as Vikas Dubey and his associates are concerned.

The mobile sets submitted by Smt. Asha Mishra, wife of late Devendra Mishra, the then Circle Officer, Bilhaur were sent for forensic examination to FSL, Mahanagar, Lucknow. It has been certified by FSL Mahanagar, Lucknow, in its report dated 11.01.2021, that only one such call, as alleged by Smt. Asha Mishra in her statement, took place from one of these mobile phones. This call was transcribed and this call details do not provide any relevant evidence/material showing any patronage of any specific politician/bureaucrat to Vikas Dubey. However, the call details reveal the grievance/complaints of the Circle Officer, against Vinay Tiwari, S.O. Chaubeypur, as the C.O. told the S.P. (R.A.), Kanpur Nagar that Vinay Tiwari had asked the S.P. (R.A.) to direct the C.O. to go for raid, so that Vinay Tiwari would take an excuse accompanying the raiding party showing that he was helpless and had been directed by the Circle Officer to join the raiding party. He also told the superior officers that Vinay Tiwari always took blessings of Vikas Dubey touching his feet.

Some independent persons such as (1) Shri Rajendra Kumar Pandey, son of Shri Siddheshwar Pandey, resident of Kakadev, Kanpur Nagar; (2) Shri Manoj Shukla, son of Ramroop Shukla, resident of Azad Nagar, Lucknow; (3) Rampal Singh, son of Raghuvar Singh, resident of Apauna, PS Rasoolabad, Kanpur Dehat; (4) Shri

Prahlad Singh, son of Shri Rajkumar Singh, resident of Kaihinjhari Khurd, PS Rasoolabad, Kanpur Dehat; (5) Shri Sanjai Mishra, son of Hiralal, resident of Village Basain, PS Chaubeypur, Kanpur Nagar; (6) Shri Krishnakant @ Rajan Mishra, resident of Village Dileep Nagar, Kanpur Nagar, and (7) Shri Nihal Singh, son of Sarjoo, resident of Village Basain, Kanpur Nagar appeared before the Commission and deposed about criminal activities of Vikas Dubey and also his close proximity with the leaders of the Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party. Sri Sanjai Mishra deposed that late Harikishan Srivastava, MLA Chaubeypur from Bahujan Samaj Party had extended his blessings and patronage to Vikas Dubey. Rampal Singh and Prahlad Singh deposed on the basis of hearsay, as both of them stated that they were deposing on the basis of the information received through media – print and electronic. They did not have any personal knowledge about any political patronage by any politician to Vikas Dubey. Both of them deposed that Vikas Dubey was protected by the politicians belonging to Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party but did not name any specific person granting such patronage except late Harikishan Srivastava, who died about 20 years ago. Shri Krishnakant @ Rajan Misra deposed that Vikas Dubey was involved in various criminal cases and had been receiving patronage of various politicians belonging to Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party and those politicians had protected him and helped him in coming out of all criminal cases. Some photographs of Vikas Dubey with politicians are also filed by two witnesses. However, showing photographs of any person alongwith politicians does not conclusively establish political patronage by politicians, as politicians generally mix-up with masses and persons of all walks of life get opportunity to have photographs with them. Needless to say that Vikas Dubey himself had been a Village Pradhan, his younger brother's wife Anjali Dubey is current Pradhan and his wife Richa Dubey is Member of Zila Panchayat. However, there is no material to draw any inference against any politician to have given any patronage to them for criminal activities, though patronage in political participation may be there.

None of these witnesses could name any particular politician extending patronage to Vikas Dubey in his criminal activities. Some witnesses deposed merely on hearsay. Therefore, the evidence of these persons is not sufficient to conclusively establish the allegation of patronage from any particular politician linking his criminal activities.

CHAPTER VIII

Release of the accused Vikas Dubey on bail/parole in criminal cases.

Terms of Reference (e) and (f), read as under:

> "**e.** To enquire into facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole in spite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same.
>
> **f.** To enquire into the efforts, if any, made for cancellation of bails/parole granted to Vikas Dubey and also to enquire as to why efforts were not made to get the bail granted in case crime no. 65/2020 and other offences cancelled."

Since both these Terms of Reference are interconnected with each other, they are being examined together.

Personal liberty and the rule of law find its rightful place in the Constitution in Article 22 as it is perceived as an indispensable tool to avoid discrimination, and arbitrary use of force. While granting or refusing bail in tune with the constitutional objectives, the Court seeks to strike a fine equilibrium between the 'Freedom of Person' and 'Interest of Social Order'. The law of bail dovetails two conflicting interests namely, the obligation to shield the society from the hazards of those committing and repeating crimes and on the other hand absolute adherence to the fundamental principle of criminal jurisprudence- presumption of innocence and sanctity of individual liberty. Under the Criminal Procedure Code of 1973 (CrPC), the police, prosecutors, magistrates and judges have been enjoined to exercise the best judgement and discretion within the confines of law for ensuring the appearance of the person accused of an offence without jeopardising the interests of the society. Jurisprudence on bail requires that judicial discretion must be governed by law and not by caprice. It cannot be permitted to be arbitrary, vague and fanciful.

Bail System In India – Unsatisfactory

The Hon'ble Supreme Court has expressed its anguish observing that in Indian legal system, a poor man suffers because of his poverty. The system is '*archaic, unjust and virtually unexamined – since the Judicial Act of 1789*".

Grant of Bail – Relevant Factors

The Court while considering the issue of grant of bail involving non-bailable offences particularly when the trial has not yet commenced or is pending must take into consideration various factors like the nature and seriousness of offence, the actual role played by the accused in the commission of crime, the nature and quality of prosecution evidence, the possibility of the accused tampering with the prosecution evidence or witnesses in the event of being released on bail, the antecedents of the accused, i.e., whether he is habitual or has a criminal history, chances of his absconding and his non-availability for trial, the age of the applicant and sometimes even his health, the interest of the near and dear of the victim, likelihood of the repetition of the offence, likelihood of jeopardising one's own life, the larger interest of the public or the State, and similar other circumstances.

The relevant factors to be considered for grant of bail, mentioned hereinabove, have specifically been incorporated in Sections 437 and 438 CrPC vide Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005.

Record Brief Reasons

It must appear froma perusal of the order that the Court has applied its mind to the relevant facts in the light of the material filed by the prosecution at the time of consideration of the bail. Enlarging the accused on bail by the court in a casual manner without assigning any valid and proper reason is not permissible.

Bail on Parity

A judicial order cannot be said *per se* to contravene Article 14. Moreover, Article 14 of the Constitution is not meant to perpetuate illegality or fraud even by extending the wrong decisions, orders passed in other cases for the reason that the said provision envisages only positive equality and not negative aspects thereof. If some relief was granted to some similarly situated persons inadvertently or by mistake, such an order does not confer any legal right on others to get the same relief as well,

if the relief to person is found to be contrary to law or not warranted. A distinction is to be made on valid grounds and bail may be refused to an accused if he has been charge-sheeted in respect to number of other heinous offences or has been the kingpin of the entire crime or the other accused had been enlarged on bail being a woman extending statutory benefits. The Court must uphold the procedural fairness before the liberty of a person is abridged. If there is a reasonable ground to differentiate the role and character of the accused from others involved in the commission of a crime, bail on parity to others is not justified.

Bail on the ground of delay in trial

The role of speedy investigation and trial must be emphasised and the Court may expedite the trial instead of granting bail on the ground of delay in conclusion of trial, if the applicant is involved in countering heinous offences. If the accused is of such a character that his mere presence at large would intimidate the witnesses or if there is evidence to show that the liberty would be used to subvert the justice or tamper with the evidence, then bail is to be denied in spite of the delay in conclusion of the trial. Mere incarceration for a year by itself cannot be a ground to grant bail.

However, in case there has been an inordinate delay in conclusion of trial/disposal of the appeal and the applicant/appellant has served 11-14 years in jail, the Court on being satisfied on other counts may enlarge him on bail.

Bail under Section 438 CrPC – Anticipatory Bail

Anticipatory bail can be restricted directing the accused to surrender and seek regular bail if there is a possibility of his fleeing from justice or evading the authority or jurisdiction of the court or intimidating witnesses, or is attempting to intimidate them or violating any condition imposed while granting anticipatory bail. In appropriate cases, court may grant interim anticipatory bail and issue notice to the public prosecutor to obtain facts even while granting limited interim anticipatory bail.

Bail under Section 389 CrPC

It provides that in a pending appeal by a convicted person, the Appellate Court may, **'for reasons to be recorded'** in writing, release the convict on bail on his furnishing adequate surety bonds or on his own bond. Thus, it is mandatory for the appellate court to record reasons while enlarging the appellant on bail. Where the sentence is more than 10 years' imprisonment, the public prosecutor be given an opportunity of hearing showing cause in writing against such release.

Bail – After notice to the Government Advocate/Public Prosecutor

Under Sections 437, 438, 439 & 389 CrPC, notice must be given to the public prosecutor in serious offences particularly for offences where punishment of imprisonment is more than 10 years. Section 438 CrPC as amended, empowers the court to grant interim protection during the pendency of show cause notice to the public prosecutor.

Allahabad High Court Rules 1952, as amended on 19.09.2018; Chapter XVIII (3), also mandatorily requires for notice to the Government Advocate for a minimum period of 2 days for considering the grant of bail in a pending appeal.

The aforesaid notice/opportunity of hearing to the government Advocate/Public Prosecutor is not an empty formality. It means an effective opportunity of hearing to public prosecutor.

Section 482 CrPC

The High Court has inherent powers under Section 482 of CrPC. This inherent power can be exercised only when no other remedy is available to an applicant. The High Court, thus, is not only Court of law but also a court of justice and possesses inherent power to remove injustice. The court can exercise such power if the court is of the opinion that there is harassment of any person by illegal prosecution or there are exceptional and extraordinary reasons for doing so or for the purpose of securing the ends of justice interference is absolutely necessary.

Where the allegations made in the FIR are absurd to the extent that no prudent man can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused; where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act, under which a criminal proceeding is instituted, with regard to the institution and continuance of the proceedings; or where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide intention and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and/or personal grudge. It is restricted to that the court has to see only the allegations made in the complaint or FIR to assess whether any prima facie case is made out against the accused. The court can neither appreciate the evidence nor the defence put forth be looked into at this stage.

The cases of Vikas Dubey are required to be examined in view of the aforesaid settled legal propositions. In most of the cases, he had been granted bail either by the trial court or the High Court. It is evident from the record that in most of the cases, there was no serious contest for grant of bail or the State had taken measures to get the bail cancelled in view of his subsequent indulgence in criminal activities nor any appellate forum had been approached for cancellation of the order of bail. The Criminal Appeal No. 3188 of 2004 **(Deepu Dubey, Vikas Dubey & Ors. v. State of U.P.)** was filed against the judgment and order of conviction dated 14.06.2004 passed by the District and Sessions Judge, Kanpur Dehat in Sessions Trials No. 253 and 253-A of 2001 under Sections 147, 148, 149, 302/34 IPC. The record reveals that the appeal was preferred on 15 June 2004 (during summer vacations of the High Court) and the appeal as well as the bail application came for hearing on the very next day, i.e. on 16 June 2004. The accused were granted bail on the same day. No reasons were recorded, government advocate was not heard, the High Court merely mentioned that the accused wason bail during trial. After conviction of an accused, the doctrine of presumption of innocence of the accused is not attracted at all. Thus, such a reason for grant of bail was not in consonance

with law and the bail order had been passed in utter disregard of the mandate of Section 389 CrPC.

Be that as it may, no action had been taken by the State to get the said bail cancelled by the High Court on the ground of criminal history of Vikas Dubey, or on the ground of no opportunity afforded to the public prosecutor by approaching the Hon'ble Supreme Court.

Government Appeal No. 5585 of 2003 **(State of U.P. v. Atul Dubey, Vikas Dubey & Ors.)** was filed against the judgment and order of acquittal dated 24.06.2003 passed by the Sessions Judge, Kanpur Dehat in Sessions Trials No. 197/2002, 198/2002, 299/2002 and 300/2002 under Sections 147, 148, 149, 302, 323, 332, 427, 506 & 120-B IPC and Section 25 of the Arms Act. The High Court refused to grant leave to appeal by a cryptic order dated 30.04.2008, without taking note of the observations made by the trial court that the case had not been properly investigated from the very beginning. This case related to the murder of Santosh Shukla, who was having the status of Minister of State in Uttar Pradesh and one Ajay Mishra. The murder was committed inside Police Station Shivli; all police officials posted in that police station had run away from the police station out of fear during the incident. The driver and gunner of deceased Santosh Shukla were government employees yet turned hostile during trial. Three of the police officials posted in the said police station were also arrayed as accused in the trial but their role was not considered in view of the provisions of Section 106 of the Evidence Act. The High Court mainlydiscussed the case of Ajay Mishra and merely a passing remark has been made in the case of Santosh Shukla. It appears that the Government Advocate argued the appeal in a most reckless and casual manner. The Government Advocate did not place criminal history of Vikas Dubey before the High Court. The State did not engage any Special Counsel to place the case properly before the Court. The State Counsel did not draw attention of the Court to the observations made by the learned Trial Court that investigation in the case was farce so that the High Court could direct a fresh investigation and/or *de novo* trial.

Loss of records (21 files) relating to Vikas Dubey

During the course of inquiry, the Commission was informed that 65 criminal cases **(Part-II, pages 643 to 647)** against Vikas Dubey were registered and on being asked to give the details of such cases alongwith copies of FIRs, chargesheets, list of witnesses alongwith their statements in those cases, the concerned police/administrative authorities submitted their reports mentioning that the files of some cases are not traceable and/or under search. They assured that as and when the records of such cases are traced, they will provide the desired details of such cases to the Commission. In spite of expiry of a reasonable period of more than five months, no progress has been reported in this regard. The details of 21 files of cases against Vikas Dubey not found/under trace are as follows:

Sl No.	Crime No.	Sections	District	Police Station	Date of incident/ date of Info.	Status
1.	219/91	323/504 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	09.09.1991 09.09.1991	Acquittal by ACJM-3 on 06.09.1996 **(File not traceable)**
2.	77/92	147/148/452/323/ 504/506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	26.03.1992 26.03.1992	Acquittal by JM-1 on 16.09.1997 **(File not traceable)**
3.	758/98	147/323/504/386 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	18.11.1998 18.11.1998	Decided on 13.02.2003 by ACMM (accused acquitted) (File **under trace**).
4.	243/99	110 G CrPC	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 22.07.1999	Order passed by SDM. **(File not traceable).**
5.	245/99	3/5 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 23.07.1999	Order passed by DM. **(File not traceable).**
6.	380/99	147/148/149/323 /307/506 IPC and 4/5 EXP Act	Kanpur Dehat	Shivali	18.12.1999 18.12.1999	Acquittal. **(File not traceable).**
7.	84/2000	110 G CrPC	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.04.2000	SDM passed Order **(File not traceable).**
8.	33/04	147/148/149/307/	Kanpur	Chaubeypur	19.02.2004	On Bail date

		224/225/353 IPC & 7 CLA	Dehat		19.02.2001	13.09.2004. Information not provided w.r.t. file.
9.	78/2004	147/148/448/504/ 506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	04.02.2004 18.02.2004	Acquittal on 07.07.12 by ACMM 2 **(File not traceable).**
10.	84/2004	147/506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	15.02.2004 to 22.02.2004 in between 24.02.2004	Acquittal on 16.09.13 **(File not traceable).**
11.	125/2004	452/506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	According to application 16.03.2004	Acquittal on 21.09.13 **(File not traceable).**
12.	70/04	3/4 Goonda Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.04.2004	Case No. 24/05 decided on 29.08.05 In RR (Criminal) **(File not traceable).**
13.	157/05	147/148/149/307 IPC (Police encounter)	Kanpur Nagar	Bilhour	10.07.2005 10.04.2005	Bail on 29.08.06. Acquittal. Information not provided w.r.t file.
14.	361/15	110G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 24.08.2015	**(File under trace).**
15.	610/15	147/148/149/504/ 506/323/324 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	19.12.2015 19.12.2015	Information not provided w.r.t. file.
16.	193/17	110G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.06.2017	Pending **(File under trace).**
17.	546/96	-	Kanpur Dehat	Shivli	-	**(File not traceable).**
18.	188/98	147/148/149/504/ 506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	-	Acquittal. **(File not traceable).**
19.	333/96	147/148/149/307/ 323/324 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	10.06.1996 10.06.1996	ST No.546/96 decided on 12.09.2003 accused acquitted. **(File not traceable).**
20.	338/2000	10 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.11.2000	Decided on 17.12.02 Public witness hostile. **(File not traceable).**

21.	107/98	147/148/149/332 /353/324/325/504 /506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	09.05.1998 09.05.1998	Decided by ACJM-3 on 24.04.2001 (accused acquitted) Appeal No.2713/01 filed in Hon'ble High Court. **(File not traceable).**

Loss of records of cases (particularly pertaining to criminal cases of Vikas Dubey), is a serious matter which requires administrative action against the erring public servants for such delinquency after holding a regular inquiry.

<u>Hostile Witness – Appreciation of Evidence</u>

The evidence of a hostile witness in all eventualities ought not to stand effaced/washed off the record altogether and that the same can be accepted to the extent found acceptable on a careful scrutiny. Such evidence remains admissible and is open for a Court to rely on the dependable part thereof as found acceptable and duly corroborated by other reliable evidence available on record, if the same inspires confidence. It is the duty of the trial Judge or the appellate Judge to scan the evidence, test it on the anvil of human conduct and reach a conclusion whether the evidence brought on record even of hostile witnesses would be sufficient to bring home the commission of the crime.

The Supreme Court in ***State of Gujarat v. Kishanbhai**, (2014) 5 SCC 108* directed the Home Department of every State to constitute a Standing Committee of senior officers of the police and prosecution department to study the problems of acquittal due to witness turning hostile. The consideration at the hands of the above Committee should be utilised for crystallising mistakes committed during investigation, and/or prosecution, or both, and to incorporate in its training programmes for junior investigation/prosecution officials course-content drawn from the above consideration.

Frank and fearless deposition of witness is most important for a fair trial and rule of law. However, it gets hampered by threats to life, reputation, the property of witness or family members or their intimidation by the accused affect their right under Article 21 of the Constitution of India. The Court, in ***Mahender Chawla & Ors. v. Union of India**, (2019) 14 SCC 615* approved the **Witness Protection Scheme 2018** submitted by the Central Government having regard to its beneficial and benevolent objects. The Scheme so approved shall be the law and would be enforced as law till the enactment of appropriate law by Parliament/State Legislations on the subject.

To combat hostility, the perjury laws and especially Section 344 CrPC and Sections 193, 195, 196, 199 of IPC be invoked wherever the Courts suspect the instances of wilful and malicious twisting of statements. The non-compliance in such cases must be viewed seriously. The provisions of Section 309 CrPC must be given strict adherence.

Fresh Investigation/De novo Trial/ Retrial

According to Section 386 CrPC, where charges have not been properly framed, order to retrial is permissible when there is some glaring defect in the procedure or there is a manifest error on a point of law and consequently there has been a flagrant miscarriage of justice or where such course becomes indispensable to avert the failure of Justice, or the trial stood wholly vitiated and is *non est* in law. If the State's machinery fails to protect citizen's life, liberties and property and the investigation is not fairly conducted or conducted in a manner to help the accused persons, it is but appropriate that superior Court should step in to prevent the undue miscarriage of justice that is perpetrated upon the victims and their family members. The Superior Courts have been exercising the writ Jurisdiction to meet the ends of Justice, *suo moto*, without any Petition before the Court. Chapter XX of the Allahabad High Court Rules, 1952 provides that all the judgments of the Sessions Courts shall be examined by the Committee of the Judges. The Rules

enable the High Court to take *suo moto* cognizance and pass appropriate orders, if the facts of the case so warrant.

In ***Jessica Lal Murder** case*, the Delhi High Court has taken suo moto cognizance of Newspaper report on 24.02.2006 on the acquittal of all the accused.

In case of Vikas Dubey the order passed by the High Court does not show that relevant arguments were advanced before the High Court in the application for leave to appeal. Record reveals that the matter had not been agitated before the High Court appropriately. The State had not contested the matter any further by approaching the Hon'ble Supreme Court against the said order passed by the High Court refusing to grant leave to appeal.

In Criminal Misc. Writ Petition No. 12648 of 2005 (Vikas Dubey v. State of U.P.), the petition was filed for quashing the order dated 29.08.2005 passed by the Additional District Magistrate in Case Crime No. 24 of 2005 under Sections 3/4 of the U.P. Control of Goondas Act, 1970 and order dated 28.11.2005 passed by the Commissioner in Appeal No. 225 of 2005. The High Court stayed the operation of the impugned orders vide order dated 14.12.2005 and the petition was ultimately dismissed vide order dated 04.09.2018. Thus, it is evident that the interim protection given by the High Court to Vikas Dubey remained operative for about 13 years.

The High Court in Criminal Misc Application u/s 482 CrPC No. 15631 of 2005 **(Vikas Dubey & Ors. v. State of U.P. & Ors.)**, vide order dated 25.10.2005 stayed further proceedings in Sessions Trial No. 106 of 2005 under Sections 394 and 397 IPC. The said application was dismissed by the High Court vide order dated 27.11.2019. Thus, Vikas Dubey remained under interim protection of the order of the High Court for more than 14 years. Similarly, in Criminal Misc. Application u/s 482 CrPC No. 8853 of 2006 (Vikas Dubey & Ors. v. State of U.P. & Ors.), the High Court vide order dated 25.07.2006 stayed the proceedings of Case No. 195 of 2006 under Sections 147, 148, 149 and 307 IPC. The application was dismissed by the

High Court vide order dated 08.02.2019 for want of prosecution though it was restored to its original number vide order dated 01.05.2019. Vikas Dubey and others enjoyed the protection of the interim order passed by the High Court for more than 13 years. The negligence of the State in pursuing these matters is obvious and needs corrective action for future.

The police papers and report provided by the State Government to the Commission with regard to criminal cases against Vikas Dubey, particularly Case Crime No. 65/20 under Sections 147/148/386/323/504/506 IPC, reveal that the F.I.R. of this case was lodged at PS Chaubeypur, Kanpur Nagar by one Smt. Roli w/o Punit Shukla, r/o Bikru, PS Chaubeypur, Kanpur Nagar on 13.03.2020 against Vikas Dubey, Dharmendra @ Heeru, Shivam Dubey, Amar Dubey, Vaibhav Dubey and Gopal Saini, all residents of Village Bikru, PS Chaubeypur, Kanpur Nagar. The report further shows that the case was investigated by S.I. Azhar Ishrat (against whom the SIT has recommended initiation of disciplinary proceedings) and he found no case against Vikas Dubey. The I.O. did not find evidence with regard to offence under Section 386 IPC and he sent chargesheet to Circle Officer, Bilhaur against Vikas Dubey, Dharmendra @ Heeru, Shivam Dubey, Amar Dubey and Gopal Saini under Sections 147/148/323/504/506 IPC on 24.06.2020 after serving notice upon the accused under Section 41 (1) CrPC. The Circle Officer, after perusing the case diary, withheld the chargesheet and thereafter returned the same for re-investigation on 05.07.2020. During investigation, Vikas Dubey and Amar Dubey died in police action. The I.O. obtained NBW and order under Section 82 CrPC for proclamation against rest of the accused. Thereafter, the I.O. of this case was replaced by S.I. Devendra Singh. It is specifically mentioned in the progress report that, on the basis of statements of witnesses, case under Section 386 IPC was not made out. Thus, Section 386 IPC was dropped. Offence under rest of the Sections was punishable upto maximum seven years of imprisonment. Therefore, in view of the above, chargesheet was filed after serving notice under section 41 (1) CrPC. The accused Vikas Dubey was not released on bail/parole by the Court.

On the basis of above report, it appears that, during investigation, Section 386 IPC was dropped by the I.O., the said offence was punishable upto ten years of imprisonment. The rest of the offences were punishable for less than seven years and, therefore, I.O. did not arrest the accused and filed chargesheet. In such circumstances, the accused Vikas Dubey was not arrested in this case and hence the question of his release on bail/parole did not arise. It appears that correct facts were not placed before the Hon'ble Supreme Court so far as the arrest of Vikas Dubey in Case Crime No. 65/20 is concerned.

CHAPTER IX

Terms of Reference (g), reads as under:-

> "**g.** To enquire into and examine any other aspect relating to the above mentioned terms of reference as the Commission may consider appropriate and/or necessary."

(i)Handcuffing

Handcuffing and using bar fetters have been consistently held to be violative of human dignity in view of the provisions of Article 21 of the Constitution and hence illegal. Handcuffing is not permissible in a routine manner. In exceptional circumstances it can be resorted to after recording the reasons by the authority directing such handcuffing, where the person is desperate, rowdy and is involved in a non-bailable offence. Handcuffing can be resorted to after taking appropriate orders from the Court. The authority must act on clear material while resorting to handcuffing otherwise he would expose himself to face Contempt of Court proceedings. The onus to justify handcuffing of an accused would be on the authority resorting to it. The reasons so recorded must be placed before the Court and seek its approval. A person cannot be handcuffed merely because he is involved in a crime of a grave nature. Police avoids taking orders for handcuffing due to such rigid standard.

(ii)Problem of Early Disposal of Cases

During the course of inquiry, the Commission had an opportunity to meet the people from various walks of life including lawyers practicing in criminal side. Most of the people from the public and the Bar have raised grievance that the matters are not being disposed of for several decades and, if an accused or appellant is enlarged on bail or proceedings in the trial court are stayed, the matters are not being taken up for an unreasonably long period, i.e. 10-20 years. During the interregnum period, the circumstances change and most of the matters become infructuous and where the trial could not commence/continue because of the interim

stay of the Court, the witnesses lose interest and they are reluctant to appear in the court and depose about an incident occurred two decades ago. In the meantime, the accused uses inducement, threat and promise to discourage the complainant and witnesses. The High Court furnished the details in respect of pendency of criminal cases as request was made by the Commission.

The report received from the High Court reveals astonishing figure as on 10.11.2020, 3,25,659 criminal cases were pending before the High Court at Allahabad and 79,569 criminal cases before the Lucknow Bench. Some of the cases had been filed in 1979-1980 onwards. More than 20,000 bail applications filed in 2011-12 are pending only at Allahabad. Same remain the position in respect of applications filed under Section 482 CrPC. In cases, where the High Court had granted interim stay of proceedings before the trial court, the trial could not proceed. The Commission has already referred to some cases of Vikas Dubey where the proceedings remained stayed before the trial Court for more than 13 years. **[Part II (pages 650 to 654)]**.

The Supreme Court considered the situation and in ***Asian Resurfacing of Road Agency (P) Ltd. v. CBI***, *AIR 2018 SC 2039,* held that Stay of proceedings should not be considered as an incentive to cause delay in the proceedings. Even if prima-facie case is made out for stay, appropriate conditions must be imposed. Order granting stay or extending it must be by a speaking order and such stay order should not be for more than six months and on expiry thereof, stay would automatically stand vacated unless the court has extended the same by a speaking order. The speaking order must show that the case was of such an exceptional nature that continuing the stay was more important than have the trial finalised. The power to grant stay should be used sparingly in rare cases with caution and circumspection in accordance with Judicial considerations and well established principles. Delay in trial affects the faith in rule of law and efficacy of the legal system.

The Supreme Court in *Writ Petition (Civil) No. 699 of 2016*, ***Ashwini Kumar Upadhyay v. Union of India,*** vide order dated 16.09.2020 directed the States/High

Courts to establish the Special Court(s) to try the accused MPs/MLAs expeditiously, having day to day hearing so that the trial in those cases may be concluded within a year. The Supreme Court also directed the High Courts to monitor the progress of such trials, and to ensure that criminal proceedings in trials may not be stayed without proper justification and to apply the guidelines issued by the Supreme Court in earlier cases.

Thus, the High Court itself has to find out ways and means to deal with the present situation. The High Court is bound by the directions issued by the Hon'ble Supreme Court and if the above referred two judgments are being given effect to, the situation is likely to improve.

(iii) Appointment of Public Prosecutors

Another grievance raised by the people at large had been the method of appointment of Government Advocates/Public Prosecutors.

The role of Police, Investigation and the foundation being laid through collecting credible evidence is followed by the steps taken to evolve the strategy of prosecution. This primary duty falls on the Public Prosecutors or the Government empanelled lawyers at all levels of the Judiciary. The falling standards in the performance of State empanelled lawyers and their conduct, in general, have accelerated the decline of public confidence, the parallel whereof can be drawn from the incident of the **Watergate Scandal**, where discredited lawyers were the real villains. A study of the Watergate Scandal led to the setting up of the **Kutak Commission** by the American Bar Association that reflected largely on the manoeuvrings in shielding and concealing the real evidence and thereby preventing truth to be brought forward, denying real access to justice.

The appointment of Government Advocates and Public Prosecutors so far as the State of U.P. is concerned, is governed by Section 24 CrPC and UP Legal Remembrancer's Manual (LR Manual). Section 2(u) CrPC defines Public Prosecutor as, any person appointed under Section 24 CrPC. The L R Manual is a

collection of executive instructions providing the duties of the Legal Remembrancer and the officers in the Law Ministry to the government and also deals with the appointment/removal of District Government Counsel (Civil, Criminal and Revenue) and State Counsel in the High Court. The L R Manual has been held to be not a law within the meaning of Article 13 of the Constitution nor does it meet the requirements of Article 166 (3) of the Constitution of India. Executive instructions may be subjected to administrative vagaries. The executive instructions can be amended, altered or withdrawn at the whims and caprice of the executive for the party in power. Executive instructions, it is beyond any cavil, do not carry the same status as of a statute.

The Hon'ble Supreme Court and Allahabad High Court had tried its best to improve the process of such appointments in last three decades but in vain. The Courts have observed that Public Prosecutor is not a part of the investigating agency. He is an independent statutory authority. A Government Advocate does not hold a 'civil post' but holds a 'public office' of great importance as he represents the State and the Court reposes high degree of confidence in him.

No appointment of Public Prosecutors or District Counsel should, thus, be made either for pursuing a political purpose or for giving some undue advantage to a section of the people. Retention of its counsel by the State must be weighed on the scale of public interest. The Courts have consistently held that the Government and its instrumentalities are the trustees of the power vested in them and custodians of public interest, hence it is the duty of the State that they must exercise their power to engage advisers in a fair, reasonable, non-discriminatory and objective manner. Arbitrariness has no place in a polity governed by the rule of law. Article 14 of the Constitution stands violated. The appointments of the Government Counsel must be only on the basis of competence, sufficient experience and standing at the Bar. The quality of judgments is adversely affected by poor assistance at the Bar who are not sufficiently equipped in profound knowledge of the subject, lack of experience in dealing with the different branches of law and above all high integrity. Poor quality

of assistance rendered to the Courts by the State Counsel can cause serious harm to the higher values of the justice. Appointment process must demonstrate that a search for the meritorious appointees has been undertaken and that the process was unaffected by any extraneous considerations. Appointments made in an arbitrary manner, without any transparent methodology of selection or for political considerations will be amenable to judicial review and liable to be quashed.

The State of Uttar Pradesh, vide Act No. 18 of 1991, w.e.f. 16.02.1991 amended sub-section (1) of Section 24 CrPC as a result whereof, the State is not required to consult the High Court before appointing a Public Prosecutor for the High Court. Similarly, sub-sections (4), (5) and (6) of Section 24 have also been deleted. Thus, consultation with District Judge stands dispensed with. The Supreme Court expected that the State of U.P. either would suitably amend the same or despite deletion shall consult the High Court with a view to ensure fairness in action. The State of U.P. changed Clause 7.03 of the LR Manual vide order dated 13.08.2008, dispensing with the requirement of consultation with the District Judge, making the District Magistrate, the sole authority for sending the panel of names. The High Court while examining such deletion held that the Government exceeded its jurisdiction by amending the LR Manual in contravention to the law laid down by the Supreme Court in various judgments.

In ***State of Punjab & Anr. v. Brijeshwar Singh Chahal****, AIR 2016 SC 1629,* the Supreme Court observed that all States would do well to reform their system of selection and appointment to make the same more transparent, fair and objective. The Court suggested for constitution of the high powered committee headed by the Secretary of the Government and the Secretary, Department of Law to be its Member Secretary. The panel prepared by such a committee shall be sent to the Committee of Judges constituted by the Chief Justice of the High Court for approval so that the appointment be made solely on merit and experience without being influenced by their political patronage/affiliation as it would be a fair, transparent and non-discriminatory process of selection.

The State of Punjab, has while implementing the aforesaid judgment in ***Brijeshwar Singh Chahal (supra)***, enacted the law, the Punjab Law Officers (Engagement) Act 2017, (Act No. 3 of 2017).

So far as State of Uttar Pradesh is concerned, an undertaking was given to the Division Bench of the Allahabad High Court, in PIL No. 58079 of 2016, ***Ahmad Husain Khan v. State of U.P. & Ors.*** decided on 13.12.2016 that the law laid down by the Apex Court in **Brijeshwar Singh Chahal (supra)** shall be kept in view while making appointments of State Law Officers in the State. However, this undertaking was not complied with.

During the course of inquiry, the Commission received shocking information that for subordinate courts, public prosecutors are being appointed by the District Magistrates **for a period of 14 days** and sometimes their appointments are renewed for further 14 days. Such appointments worsen the situation and reflect heavily on inefficiency of administration, as such an appointee may not be sincere in his working as he himself is not aware as to how long he has to work. If, in one case, several prosecutors appear, there may not be consistency in the prosecution of a particular case at all, as every such prosecutor will work according to his own wisdom and may abandon the course taken by earlier prosecutors. This requires an immediate attention of the administration and the problem requires its resolution at the earliest.

It is settled legal position that what cannot be done directly, is not permissible to be done indirectly for the reason that by an indirect and circuitous way of doing it contravenes the principle of *quando aliquid prohibetur, prohibetur at omne per quod devenitur ad illud."* Prosecutors should not be changed with the change of party in power. Permanency in the cadre and continuity of the prosecutors is the need of the time.In order to carry out the object of a Statute effectively, the statutory provisions must be given strict adherence keeping in mind the purpose for which it

has been enacted. No dilution of provisions is permissible at the whims and fancies of the State.

The LR Manual empowers the District Magistrate to make a stop gap arrangement for a maximum of 14 days, however, this cannot defeat the very purpose of the main statutory provisions for appointment of government advocates, by making appointment for 14 days repeatedly. Repeated/successive appointments for such a period is not permissible. Such a proviso cannot be enforced to defeat the purpose/objective of the main provision of the UP LR Manual. This requires an immediate attention of the administration and the problem requires resolution at the earliest.

Section 25-A CrPC has been inserted by amending the CrPC vide Act No. 25 of 2005 on the basis of the recommendations of the Law Commission way back in 1958 *and then again through the* 154th Report *in* 1996, *coupled with the Criminal* Procedure Code Amendment Bill of the year 1994. It provides for the establishment of the Directorate of Prosecution and appointment of its Officials. The Director of Prosecution/Deputy Director of Prosecution shall be an advocate having the minimum practice of ten years and such appointment shall be made with the concurrence of the Chief Justice of the High Court. The Director of Prosecution shall function under the administrative control of the Home Secretary of the State. Clause (5) thereof provides that every Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor or Special Public Prosecutor for conducting the cases in the High Court shall be subordinate to the Director of Prosecution. Thus, Section 25-A CrPC is the major step to purify the administration of justice and check the abuse of power by the political party in power. The Public Prosecutors are to be independent, unbiased and impartial, free from the control of the Police and the ruling party, in order to avoid any invasion in the independence of the said institution. The object behind such provisions is to provide efficient and competent lawyers to assist the criminal prosecution system.

But the State of U.P., for the reasons best known to it, did not implement the said provision though the central legislation came into force w.e.f. 23.06.2006.

(iv) Police Commissionerate System

Under the 7th Schedule of the Constitution, 'Police' is under the State list, meaning thereby, individual States typically legislate and exercise control over this subject. It is the duty of the State to maintain law and order.

The Police Act of 1861, provides that the District Magistrate shall be overall in-charge of a district or region and the Superintendent of Police is to report to him. Under the Dual system, before conducting any operation pertaining to maintenance of public order, police is required to obtain permissions from the Magistrates. This adversely impacts efficiency andit is difficult to set accountability in the event of any mismanagement of law and order situations. This has led to the demand for establishing a Police Commissionerates System in India's Urban Space.

The sixth National Police Commission Report, (1983), recommended the introduction of a police Commissionerate system in cities with a population of 5 lakh and above, as well as in places having special features. Over the years, it has been extended to more than fifty cities in India.India had only three Commissionrates before Independence.

Under the Commissionerate system, the Commissioner of Police (CP) does not report to the District Magistrate. The Commissioner of Police (CP) is the head of a **unified** police command structure. The office also has **magisterial** powers, including those related to regulation, control, and licensing. Under Section 20 CrPC, the Police Commissioner is **delegated legal powers of an executive magistrate,** while the Joint, Additional and Deputy Commissioners are accorded **"special executive" powers of a magistrate** under Section 21 of the CrPC. This system helps in faster decision-making and due to Commissioner of Police being accountable to the State Government, the blame game between civil administration and police stands eliminated.

The Government of Uttar Pradesh established Police Commissionrates at Lucknow and Gautam Buddh Nagar in January 2020 with limited powers.

The Commissionerate system in both the districts is in existence for more a year and if we compare the crime graph of both these districts of the same period prior to creation of police Commissionerate (i.e. from January 2019 to September 2019 and January 2020 to September 2020), it is revealed that the crime rate of different kind of offences particularly heinous offences like murder, rape, dacoity, etc. has dropped down considerably.

By looking at the said chart, it transpires that in Lucknow Commissionerate, the cases of "dacoity" reduced to the extent of 75% in comparison of the earlier year. The cases of "loot" have been reduced to the extent of 76.81%. The "Murder" cases have gone down by 22%. Number of other offences has also been substantially reduced. In Gautambuddh Nagar Commissionerate, crime rate of "Murder" cases has dropped by 17%, rape cases by 57%, dacoity cases by 100%, "loot" cases by 60%. Number of other offences has also been substantially reduced.

In view of qualitative control of crime and maintenance of law and order by establishment of Police Commissionarate system in Lucknow and Gautambuddh Nagar, the Government of Uttar Pradesh has recently applied the Police Commissionerate system in Kanpur (Nagar) and Varanasi (Nagar) districts also, vide Notification No(s). 391 to 395 P/Chha:-Pu-6-2021 Vividh/ 2020 Dinaank 25 March 2021.

Effective liasioning among DM, SSP/SP and DGC (Criminal) of a district is very important in monitoring/bringing a criminal case to its early logical conclusion. However, after the bifurcation of Kanpur district into Kanpur Nagar and Kanpur Dehat, the requisite effective monitoring has been paralysed, as, in view of the report (**Part II pages 661 to 665**), the administrative jurisdiction of seven (07) police stations, i.e. 1. Billhaur, 2. Chaubeypur, 3. Shivrajpur, 4. Kakvan, 5.

Ghatampur, 6. Sajeti and 7. Saadh, falls under Kanpur Nagar district, whereas the judicial jurisdiction falls under Kanpur Dehat Judgeship, thereby making the system, non co-terminus. It becomes difficult for the police of Kanpur Nagar, to do the effective *pairavi* of criminal cases of these police stations in the Courts situated in Kanpur Dehat Judgeship. The report further shows that the distance of most of these police stations is closer to Kanpur Nagar Judgeship than Kanpur Dehat Judgeship. Therefore, for all practical purposes, it would be desirable that, the judicial work of these police stations should also be brought under Kanpur Nagar Judgeship, making it co-terminus with administrative jurisdiction.

—

Terms of Reference (h) reads as under:-

> "**h.** Enquire any other point referred by the State Government from time to time."

The State Government has not referred any other issue to the Commission. Thus, no discussion is required on this issue.

CHAPER-X

Conclusions

There is sufficient material on record to show that Vikas Dubey and his gang had been patronised by the local police, revenue and administrative officials. He and his associates had been in touch with such officials and the officers were also communicating with them. The local police authorities had been getting all material to facilitate their working in the area falling under PS Chaubeypur, as the police had been receiving materials for various boards (Takhts), drinking water and also other items for daily use. In view of such services and other illegal gains, the police and revenue officers had patronised him and his gang. If any person lodged any complaint against Vikas Dubey or his associates, the complainant was always humiliated by the police. Even if the higher authorities directed to lodge the complaint, the local police dictated the terms. Though his name appeared in the list of Top-10 criminals in the circle but not in the list of Top-10 criminals of the district. The members of his gang were included in the Peace Committee to resolve the communal disputes. His wife had been elected as Member of Zila Panchayat and his brother's wife had been elected as Pradhan of Village Bikru. They both were living in Lucknow. If any person of the area wanted any help from such elected persons, he would contact Vikas Dubey and he would resolve their problem. The elected people never come in picture. Most of his family members have been granted arms licences and recommendations by the competent authorities in this regard had been made concealing the material facts of their involvement in criminal cases. Same remained the position in issuance of passports in their favour and/or grant of fair price shop licences.

Investigation in any case lodged against them was never impartial. Sections relating to serious offences were dropped before filing the chargesheet. During the trial, most of the witnesses turn hostile. Vikas Dubey and his associates got bail orders from the courts easily and quickly as there had been no serious opposition by the State authorities/Government Advocates. He was involved in 64 criminal cases, the

State authorities never considered it appropriate to engage a special counsel for his prosecution. The State never moved any application for cancellation of bail or approached the superior court for cancellation of any of the bail orders. Vikas Dubey was involved in committing the murder of Santosh Shukla, the then Chairman, Contract Labour Board having status of Minister of State, inside Police Station Shivli alongwith one Ajay Mishra. The police personnel instead of saving the said victims, ran away from the police station. Investigation in the said case was a total farce. During the trial, the official driver and gunner provided to him turned hostile. The learned Sessions Judge in his judgment and order of acquittal dated 24.06.2003, remarked that investigation had not been made fairly and he had to acquit all the accused including three police officials for want of evidence. The High Court while disposing of the State appeal against the said judgment, vide judgment and order dated 30.04.2008 dealt with the case discussing the murder of Ajay Mishra in a cryptic manner and merely making a passing remark about the murder of Santosh Shukla. It appears that the Government Advocate advanced the arguments in a casual and cavalier manner. He failed to draw attention of the High Court to the remarks made by the Sessions Judge that it was a case of biased investigation. Nor he pleaded for passing appropriate orders for a *de novo* investigation/trial. The State authorities did not take any step to challenge the said order before the Hon'ble Supreme Court.

Vikas Dubey stood convicted in S.T. No. 253/2001 and 253-A/2001 under Sections 147, 148, 149, 302/34 IPC by the Sessions Judge, Kanpur Dehat by judgment and order dated 14.06.2004. The appeal filed against the said judgment of conviction on 15.06.2004, was taken up by the High Court on 16.06.2004 and the same day the appeal was admitted and Vikas Dubey was granted bail without assigning any reason except that he was on bail during trial and without hearing the government advocate. Such order was in contravention of Section 389 CrPC. However, the State did not make any attempt to get the bail cancelled by the High Court showing his criminal history. Nor the said order was challenged before the Supreme Court.

In most of the cases, the High Court had granted interim relief to Vikas Dubey, staying the proceedings before the subordinate courts in various criminal cases and he remained under the protection of such orders for a period of 13-14 years. The High Court granted bail to Vikas Dubey and his associates, mainly on the ground that he had been acquitted in large number of cases without making any attempt to know as to under what circumstances he had been acquitted and how and why the witnesses have turned hostile in most of the cases. There is nothing on record to show that his cases had ever sincerely been contested by the Government Advocates before the High Court.

Just prior to the incident dated 02/03 July 2020, one Rahul Tiwari wanted to lodge a complaint against Vikas Dubey and others in respect of a land dispute. Vinay Tiwari, S.O. Chaubeypur, instead of lodging the FIR, took him to Vikas Dubey where Vikas Dubey insulted and humiliated not only Rahul Tiwari but Vinay Tiwari also. When Rahul Tiwari approached the higher authorities and they issued direction to Vinay Tiwari to lodge the FIR, the S.O. himself formulated the contents of the FIR and asked Rahul Tiwari to sign the same.It was in respect of this very case, the police team went to raid the house of Vikas Dubey on 02/03 July 2020. Some of the police personnel posted in PS Chaubeypur had in advance intimated Vikas Dubey about the raid which gave him opportunity to call his associates with arms and get ready to retaliate. There was a total failure of intelligence unit in Kanpur in collecting the information about the criminal activities and possession of sophisticated weapons (legal and illegal) by Vikas Dubey and his gang. No proper caution was taken in preparation for conducting the raid, as 38/40 police personnel reached Village Bikru and none of them was wearing bullet proof jacket. Only 18 of them were having arms, the rest had gone empty handed or with sticks. They parked their vehicles outside the village and proceeded to raid the house of Vikas Dubey at that time even Devendra Mishra, C.O. Bilhaur, left his mobile phones in the vehicle. Vinay Tiwari, S.O. Chaubeypur, in whose area the village was situated, instead of leading the team stayed behind and there is no evidence that he reached to the said house. Vikas Dubey had made all preparations and blocked the way by

putting a JCB machine on the road leading to his house; some police personnel had to face indiscriminate firing immediately crossing the JCB machine without provocation or asking Vikas Dubey to surrender. The police personnel tried to escape in all directions to save their lives and thus eight police personnel were killed and six seriously injured. Rest of the police personnel escaped unhurt taking shelter behind the walls or inside the buildings. The police claimed to have fired large number of rounds, without causing any injury to any accused.

The gruesome incident occurred because of the poor planning by the police as it did not assess the situation correctly. In fact, it did never expect that Vikas Dubey would retaliate or would be ready to retaliate with sophisticated weapons and his associates would take the positions on better locations, i.e. on the roofs of the houses. They were unaware of the fact that some police officials of PS Chaubeypur had already informed Vikas Dubey about the impending raid.

Upon receiving the information of this brutal and gruesome act allegedly committed by Vikas Dubey and his accomplices the senior police officers including IGP Mohit Agrawal and SSP, Dinesh Kumar P., alongwith fellow policemen reached village Bikru within hours and after taking stock of the situation, necessary orders for checking, combing, sealing of border areas of the district were issued to nab the culprits. Two police teams were formed one led by IG Mohit Agrawal and the other led by SSP Dinesh Kumar P. which started joint combing operation the same night from different directions. At 07.30 am near Devi temple, SSP Kanpur and his team noted presence of five suspected persons in village Kashiram Nevada, who on inquiry opened indiscriminate fire on police. One bullet hit the chest of the SSP but he was wearing BP jacket so he escaped unhurt. The other team led by IG Mohit Agrawal heard the sound of firing and reached near the place of incident from Village Bikru. The miscreants were warned and asked to surrender but they continued firing and injured two other policemen namely Mohd. Asif and Durgeshmani Tripathi. Having no other option left, the police in self defence, opened fire upon them injuring two of them and the remaining three succeeded in

fleeing from the spot, who were chased but in vain. The injured miscreants were sent to hospital but they succumbed to injuries and declared brought dead by the doctor. Constable Abhishek identified both the injured miscreants as Prem Prakash @ Prem Kumar @ Rajaram and Atul Kumar Dubey, who were involved in the killing of eight police personnel in village Bikru earlier that night. This incident happened suddenly and just 07 hours after the Bikru incident. The recovered rifle belonged to Vikas Dubey and the recovered pistol belonged to SI Kaushlendra Pratap Singh, which was looted from him during Bikru incident. The firearm injuries sustained by police personnel did not appear to be self inflicted or fabricated and most of the firearm injuries on the person of accused were on non-vital part of their body supporting the police version that no disproportionate force was used by the police. No evidence in rebuttal of police version has been adduced by any person despite publication of public notice twice and pasting it on conspicuous places of the district. Thus there is no suspicion or doubt about the genuineness of police version of this incident.

As the police and STF were in pursuit/search of the accused Vikas Dubey and his accomplices who allegedly caused Bikru incident in the night of 2/3.07.2020 an input reached Sub Inspector Satya Prakash Singh S.T.F. on 07.07.2020 that accused Amar Dubey of Bikru incident is hiding in village Artatra PS Maudaha district Hamirpur, UP. He shared this input with SO Maudaha Manoj Kumar Shukla and both of them alongwith fellow policemen reached the village and ultimately they sighted the accused near Jal Sansthan Nalkoop on National road, who started firing at the police. One bullet hit SI Satyaprakash Singh but as he was wearing bulletproof jacket so he escaped unhurt. The accused was asked to surrender but he did not heed to it and kept on indiscriminate firing at the police, injuring Constable Rajiv Kumar Singh. The police, in self defence, fired at the accused as a result of it he fell to the ground being injured. He was sent to CHC Maudaha where he was declared brought dead. The evidence produced supported the police version and did not create any doubt about it. There was no contradiction between medical and oral evidence. Nobody came forward from public, media or relative of accused to

controvert the police version and no evidence is filed in rebuttal. So there does not arise any suspicion or doubt about the police version of this incident.

On 09.07.2020 at about 02.45 A.M. near Shyam Dhaba on N.H.No. 02 under police station Bakewar, district Etawah, an incident of car loot occurred when one Ganesh Sahu was travelling alongwith his cousins in his Swift Dzire Car No. DL I ZA 3602 to Delhi. Four armed persons riding a white Scorpio intercepted them and not only looted them but also their car. Upon receiving this information SO Civil Lines, Etawah, Jitendra Pratap Singh started checking the vehicles alongwith his team at ITI crossing by keeping barrier on the road. He was joined by other two police teams. At 04.40 am a vehicle reached there and did not stop, instead it hit the barrier and raced towards D.M. circle. The running vehicle was chased and the robbers started firing at the police. One bullet hit bullet proof jacket of SWAT incharge who escaped unhurt. In the process the car of the robbers dashed against a tree and stopped after a bullet fired at it by the police hit the rear wind screen. In exchange of fire one robber fell to the ground being injured and the other companion managed his escape. He was sent to hospital where he was declared brought dead. In the hospital the accused was identified as Pravin Kumar Dubey @ Bauwa.

This entire episode started with a car loot and thereafter during checking of vehicle a car was chased and later on in exchange of gunfire the accused got injured. The police had no clue about the accused that he was one of the accused of Bikru incident, till he was identified in hospital a few hours later as Pravin Kumar @ Bauwa. This incident occurred at a far away place from Kanpur. Nobody came forward from public, media or relative of accused to controvert the police version and no evidence is filed in rebuttal. So there do not arise any suspicion or doubt about the police version of this incident.

Upon arrest of Prabhat Mishra @ Kartikeya one of the accused of Bikru incident by Haryana police in another case, on 08.07.2020 Sub Inspector Devendra Singh alongwith constable Sunil went to Faridabad Haryana to seek his transit remand.

After getting transit remand of the accused from competent court in Faridabad, SI Devendra Singh, in view of sensitive nature of this case, sought help and at his request SI Akshay Parveer Tyagi STF NOIDA alongwith his team and another police team of Kanpur police joined him on the way to Kanpur. In the morning of 09.07.2020 one of the rear tyre of TATA SUMO No. UP 78 BG 0973 got punctured a little ahead of Bhauti bypass under police station Panki, Kanpur Nagar. The accused taking advantage of the situation, while the flat tyre was being changed, snatched the pistol of SI Devendra Singh and started firing at police, jumped from the vehicle and started running towards Transport Nagar. He was chased by police and surrounded from two sides. He was warned to stop firing and surrender but he continued firing, injuring constables Vikas Chauhan and Sunil and also hitting one bullet on bulletproof jacket of SI Akshaya Parveer Tyagi who escaped unhurt. The police, in self defence, fired at him as a result he fell to the ground being injured. He was sent to the hospital where he was declared brought dead. The injured police personnel were also sent for treatment to CHC Kalyanpur, Kanpur Nagar.

The police witnesses supported the police version. The medical reports and the statement of Dr. Mahendra Kumar CHC Kalyanpur is also in consonance with the same. The doctor has deposed that injury to Constable Sunil of STF could be caused by gunshot which is in conformity with the police version. Complainant SI Devendra Singh deposed that he received one severe blow over his nose by the accused which caused him momentary faintness. Constable Sunil received one blow over his nose and the medical report shows complaint of pain and waning at nose. There is no material contradiction between oral and medical evidence regarding injuries suffered by Constable Sunil. However, manipulation of entries in photocopy of injury report provided by the police to the Commission is found in view of the statement of Dr. Mahendra Kumar, who denied having made such entries, the original injury reports were summoned from CHC Kalyanpur and the statement of Dr. Mahendra Kumar was found correct. It means some interpolation was made in photocopy of injury report provided to the Commission with ulterior motive. This is a serious matter which requires separate enquiry. Thus medical

evidence totally supports oral evidence and there is no doubton police versionof the incident.

The main accused of Bikru incident, Vikas Dubey, was under search by UP police at various places since the incident occurred and at the information of his arrest at Mahakaal Temple, Ujjain, Madhya Pradesh in the morning of 09.07.2020, S.S.P. Kanpur Nagar wrote a letter to SSP Ujjain requesting him to handover custody of Vikas Dubey to Kanpur police. Thereafter the custody of Vikas Dubey was handed over to Deputy Superintendent of police Tej Bahadur Singh of STF who proceeded to Kanpur with Vikas Dubey. In Guna he handed over his custody to IO Ramakant Pachori. All the three police teams proceeded to Kanpur. After crossing Barajore toll plaza on National Highway it started raining and the distance between the vehicle carrying Vikas Dubey and other two vehicles increased and just ahead of Kanhaiyalal hospital under PS Sanchedi, Kanpur Nagar, a herd of cows and buffaloes started crossing the road, the driver of the speeding vehicle carrying Vikas Dubey tried to avoid the accident and applied brakes to stop the vehicle but it skidded and turned over to the left after hitting the cemented divider at about 06.35 am on 10.07.2020. This sudden accident caused momentary unconsciousness to some of the police personnel sitting in the vehicle. The accused, taking advantage of the situation, snatched revolver of Ramakant Pachauri and came out by opening the door fitted in the back of the said vehicle. He started running to his left on a *kutchha* road. Vikas Dubey was chased by the police. On being chased, he started firing from the looted pistal. He was challenged and asked to stop. He did not stop firing and did not heed to surrender. He injured two policemen and one bullet hit on chest of Tej Bahadur Singh who was wearing a B.P. jacket so he escaped any injury. In self-defence, the police fired at the accused who fell to the ground on being injured. He was rushed to district hospital for treatment where he was declared brought dead.

The evidence adduced in the case supports police version of the incident. The injuries suffered by policemen could not be self inflicted or fabricated. Dr R S

Mishra, who was on panel of doctors, conducted post-mortem on the person of Vikas Dubey has deposed and clarified that the injuries found on his person could be caused as per the version of police. Nobody came forward from public, media to controvert the police version and no evidence is filed in rebuttal. Richa Dubey wife of Vikas Dubey filed an affidavit calling the incident as fake encounter but she did not appear before the Commission. In such eventuality, no suspicion or doubt arises about the police version of this incident. Magisterial inquiry report conducted by CMM Kanpur Nagar is also to the same effect as a similar finding has been recorded therein.

CHAPTER-XI

RECOMMENDATIONS

The SIT headed by Shri Sanjay Bhoosreddy, Additional Chief Secretary of the Government of U.P. was constituted to conduct inquiry on various issues after the Bikru incident dated 02/03.07.2020. Some of the issues are overlapping with issues assigned to this Commission. The SIT submitted its report making recommendations on the issues referred to it. The issues are:

(i) The events that have occurred in the entire episode of Vikas Dubey episode including the actions taken on the prosecution of Vikas Dubey. What action has been taken to secure his conviction? Such person who has a long history of crimes, what actions have been taken for cancellation of his bail in those cases? Why the action of cancellation of bail was not taken in the light of Case Crime No. 65 of 2020?

(ii) There should be a thorough inquiry in the complaints that had come against Vikas Dubey at police station and in the district. Who inquired into those complaints and what actions have been taken in accordance with the facts found out in such inquiries?

(iii) What action has been taken against Vikas Dubey and his associates under the Gangsters Act, Goonda Act, N.S.A. etc. and, if there has been any dereliction in the discharge of duties, who was responsible for that?

(iv) The Call Detail Record (CDR) relating to Vikas Dubey and his associates in the last one year and of the police officials who came into his contact during this period and if any evidence of their involvement is found, what action has been recommended?

(v) On the day of incident, the availability of the weapons and the fire power was not adequately been worked out. At whose level, it happened and whether the police station had sufficient advance information with regard to it. This is a

fact to be inquired into and, if anyone found guilty of dereliction of duty, he is to be identified?

(vi) Issuance of arms licences to Vikas Dubey and his associates is also an issue. This is to be seen that despite being involved in so many crimes, how these licences for weapons were procured by him or who were involved in such issuance of licences and despite committing of so many crimes, how these licences and weapons remained with them.

(vii) The illegally acquired property, business and other financial activities of Vikas Dubey and his associates be thoroughly investigated and examined and adequate recommendations be made accordingly on these accusations. This is also to be indicated whether the local police has shown any complicity, dereliction of duty or otherwise any involvement in these activities of the accused and, if this is found, guilty officers be determined.

(viii) Whether accused Vikas Dubey and his associates had illegally taken possession of the government and non-government lands? If yes, is there any role of officers, who are they, their responsibility be fixed. The officers, who were responsible for removal of these illegal occupation, and if they had failed to remove such illegal occupation, the responsibility of such officers be fixed.

(ix) In order to determine the complicity of the policemen including officials with the accused or their financers, the inquiry with regard to their properties and sources of income be handed over to the Enforcement Directorate and Income Tax Department, an opinion of SIT was sought on this issue.

In order to avoid repetition and for the sake of brevity, the Commission is not willing to repeat the same. The Commission hasbeen provided the status report whichshows that some of the recommendations made by the SIT have been acted upon by the Government and the restof the recommendationsare under

consideration before the Government. However, it is recommended that aforesaid recommendations may be accepted and acted upon.

POLICE REFORMS

(1) **There** must be separation of investigation from the law and order police to ensure speedier investigation, better expertise and improve rapport with people.

(2) Basic improvements at immediate stage have to be made in the following:

- Improvement in manpower;
- Infrastructure be improved, in particular transport, communications and weaponry;
- The number of forensic laboratories be enhanced;
- Police force be modernized and betterment in training facilities;
- Reducing the workload of police;

(3) **Commissionerate** System should be introduced in other big cities like Prayagraj, Agra and Meerut, at the earliest, with full powers as in other States.

(4) **Enactment** of a special Act, like Control of Organized Crimes Act and a Special Cell in the police to deal with the organised crimes covered by such Act.

(5) **Strengthening** the Local Intelligence Unit (LIU)and betterment in its quality, supervision, and creation of special Authorities to supervise it.

(6) **To Conduct** raid to nab miscreants and hardened criminals, a proper guidelines is required to be framed, clearly mentioning necessary precautions and preparations in this connection.

(7) **State** must implement the Plan of Action with respect to the use of videography in detection of crime.

(8) **Installation** of CCTV cameras and recording equipment in the offices of investigating agencies which has power to arrest at the places where such interrogation and holding of accused are to take place.

(9) The directions issued by the Supreme Court in **Prakash *Singh v. Union of India*,** *(2006) 8 SCC 1*necessarily to be complied with, which are as follows:-

(i) *The State Governments are required to constitute a State Security Commission in every State to ensure that the State Government does not exercise unwarranted influence or pressure on the State police and for laying down the broad policy guidelines so that the State police always acts according to the laws of the land and the Constitution of the country. This watchdog body shall be headed by the Chief Minister or Home Minister as Chairman and have the DGP of the State as its ex-officio Secretary. The other members of the Commission shall be chosen in such a manner that it is able to function. The recommendations of this Commission shall be binding on the State Government.*

(ii) The Director General of Police of the State shall be selected by the State Government from amongst the three senior-most officers of the Department who have been empanelled for promotion to that rank by the Union Public Service Commission on the basis of their length of service, very good record and range of experience for heading the police force. And, once he has been selected for the job, he should have a minimum tenure of at least two years irrespective of his date of superannuation.

(iii) Police Officers on operational duties in the field like the Inspector General of Police in-charge Zone, Deputy Inspector General of Police in-charge Range, Superintendent of Police in-charge district and Station House Officer in-charge of a Police Station shall also have a prescribed minimum tenure of two years unless it is found necessary to remove them prematurely following disciplinary

proceedings against them or their conviction in a criminal offence or in a case of corruption or if the incumbent is otherwise incapacitated from discharging his responsibilities.

(iv) The investigating police shall be separated from the law and order police to ensure speedier investigation, better expertise and improved rapport with the people. It must, however, be ensured that there is full coordination between the two wings.

(v) There shall be a Police Establishment Board in each State which shall decide all transfers, postings, promotions and other service related matters of officers of and below the rank of Deputy Superintendent of Police. The Establishment Board shall be a departmental body comprising the Director General of Police and four other senior officers of the Department. The State Government may interfere with decision of the Board in exceptional cases only after recording its reasons for doing so. The Board shall also be authorized to make appropriate recommendations to the State Government regarding the posting and transfers of officers of and above the rank of Superintendent of Police, and the Government is expected to give due weight to these recommendations and shall normally accept it.

(vi)There shall be a Police Complaints Authority at the district level to look into complaints against police officers of and up to the rank of Deputy Superintendent of Police. Similarly, there should be another Police Complaints Authority at the State level to look into complaints against officers of the rank of Superintendent of Police and above. The district level Authority may be headed by a retired District Judge while the State level Authority may be headed by a retired Judge of the High Court/Supreme Court. These Authorities may be assisted by three to five members depending upon the volume of complaints in different States/districts, and they shall be selected by the State Government from a panel prepared by the State Human Rights Commission/Lok Ayukta/State Public Service Commission.

(10) Formulation of guidelines for police to act in accordance with law, removal of government control over the police. For this purpose, any of the models recommended by **NPC**, NHRC, Ribeiro Committee or Sorabjee Committee may be made use of.

(11) Implementation of the Integrated Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS), so that the concerned IOs from various police stations may directly contact the prosecution officers on E-prosecution portal.

(12) During training and/or refresher course, they must be taught basic provisions of the Constitution, IPC, CrPC particularly the new developments/amendments. Police force be sensitised with human rights, towards women, weaker sections of society, disabled, and under-privileged sections of society. They should also be appropriately and adequately given proper learning and knowledge of the recent judgments of the Supreme Court and the High Courts dealing with the issues like investigation/prosecution and the consequences of violation of human rights.

Transfer/Posting

(13) **Fixation** ofa time frame for an officer posted at one place **& district,** so as to avoid any commercial, financial and personal interest at that place.

(14) **A policy** be drawn to prevent causing undue influence by administrative and revenue officers on the police in the matters of grant of arms licences, licences of mines and minerals, sand and stone mining etc. Strict compliance of this policy be adhered to.

(15) Until the implementation of Section 25-A CrPC, a senior District Judge be taken on deputation from the High Court to act as a Director (Prosecution). Such District Judge shall supervise and assess the working of APOs, PPs,

DGCs and Government Advocates at the district level as well as at the High Court.

Criminal Procedure Code, 1973

(16) Registration of all complaints by the police is a must. However, in some cases, the registration should be made only after a preliminary inquiry to find out whether the offence has been committed by the accused or not, in view of the judgment of the Supreme Court in ***Lalita Kumari v. Government of U.P.***, (2014) 2 SCC 1. If necessary, Section 157 (1) CrPC be amended for implementation.

(17) **Statement** under Section 161 CrPC should be recorded by audio and videography system as provided under the proviso to Section 161(3).

(18) The High Court may issue a circular directing all subordinate courts to give strict adherence to the provisions of Section 309 CrPC.

(19) The judgment of the Supreme Court in ***Asian Resurfacing of Road Agency (P) Ltd. v. CBI,*** *AIR 2018 SC 2039* must be given strict adherence. The interim protection given by the court would automatically expire after expiry of six months and the court may pass a fresh order giving reasons for the same. It may be incorporated by the High Court in the relevant Rules.

(20) Disposal of cases under the U.P. Control of Goondas Act, 1970 and Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social Activities (Prevention) Act, 1986 should be proceeded expeditiously. The interim protections granted by the High Court should be got vacated, if there is any. The Court should not wait for the acquittal of the accused in other criminal cases on the basis of which provisions of these Acts are attracted.

(21) An effective machinery be created for proper liasioning among DM, SSP/SP and DGC (Crl) so as to bring a criminal case to its speedy logical conclusion.

(22) The anomalies regarding administrative and judicial jurisdictions of seven (07) police stations, i.e. 1. Billhaur, 2. Chaubeypur, 3. Shivrajpur, 4. Kakvan, 5. Ghatampur, 6. Sajeti and 7. Saadh, falling under Kanpur Nagar and Kanpur Dehat be effectively resolvedby givingjurisdictions (administrative and judicial) to Kanpur Nagar district with a view to make the system co-terminus.

Other Legal Reforms

(23) State must ensure that in cases of hardened criminals, special public prosecutors be appointed who shall act in coordination with the Special Cell of police.

(24) State must form Committee at district level to examine the reasoning of acquittal at all levels and make recommendation whether to file appeal or revision etc. The Committee should also examine as to whether a bail order is to be challenged or there are circumstances where application for cancellation of bail be filed.

(25) The proforma contained in **Part-II (pages 673 & 674)** may be made a mandatory requirement and be filled up by the IO in all the cases, by incorporating it in General Rule (Crl).

(26) Necessary rules may be framed by the State Government to implement the Witness Protection Scheme prepared by the Central Government as approved by the Supreme Court pertaining to heinous offences, especially in regard to Sections 376 and 302 IPC.

(27) The expenses paid to witnesses should be appropriately enhanced by suitably amending the relevant provisions of the General Rule (Criminal) and there

must be guarantee of payment. Non-availability of fund cannot be an excuse. For that purpose, appropriate circular may be issued.

Government Advocates/Public Prosecutors

(28) There should be a proper machinery created by the Government in regard to the working of government advocates/public prosecutors. The efforts of Hon'ble Supreme Court and the Allahabad High Court should be given a serious consideration. Appointment of these advocates be made strtictly on merit and integrity. No other consideration should affect their appointments.

(29) The judgment of the Supreme Court in ***State of Punjab & Anr. v. Brijeshwar Singh Chahal & Anr.**, AIR 2016 SC 1629* must be complied with, by enactment of necessary Statute in this connection.

(30) There must be created an Integrated Prosecution Services. Necessary amendments be made for their promotion to different cadres viz from APP to PP and onwards. They should be assigned the duty in the Sessions Court in all matters, apart from Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social Activities (Prevention) Act, 1986 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, on their attaining a minimum period of experience. The practice of makingappointment of ADGC (Crl.) for a maximum period of 15 days, must not be abused.

(31) In regard to the High Court, the number of government advocates be determined for disposal of the criminal work by the State, taking into account the pendency of the cases. A Committee may be appointed for the said purpose consisting of Advocate General, Legal Remembrancer, Registrar General of the High Court and Director (Prosecution). The list so

prepared by the Committee be sent for approval of the Committee of two Hon'ble Judges of the High Court nominated by the Chief Justice.

Service of Summons

(32) Use of National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP), as developed by NIC for civil matters, be adopted in criminal matters also for the service of summons on witnesses. It is effectively working in Rajasthan.

Handcuffing

(38) In incidents like the present, the accused who had committed heinous crimes and there was possibility that while in remand/transit remand and being produced before the court during trial, such accused could make attempts to escape, the police personnel must resort to handcuffing of such accused after complying with the legal requirements, by taking permission of from the concerned court and in case of arrest, the arresting office may record reasons, in writing and produce the same before the court, for *ex post facto* approval.

(39) The Commission recommends initiation of a separate inquiry as to who has manipulated and made false entries and forged the signature of the doctor in photostat copies of medical reports provided by police to the Commission with respect to the Panki incident.

Missing files pertaining to criminal cases of Vikas Dubey

(40) The Commission recommends initiation of disciplinary proceedings against the erring public servants for loss of records, particularly the record of cases relating to Vikas Dubey, after holding a regular inquiry, and pass necessary order against those found guilty.

EPILOGUE

Policing was specifically and quite separately kept as a State subject predominantly empowering States to have their own internal law enforcement agencies. The State Governments, therefore, were entrusted with this prime responsibility to protect its citizens and maintain law and order. This vital arm of governance, therefore, was left to the States with the obligation of a very important public duty of not only playing the role of a vanguard but also to ensure that even suspects and culprits in the eyes of law experience the constitutional guarantees preserved in Articles 21 and 22 of the Constitution of India.

Such guarantees are, at times, taken undue advantage of, particularly, by hardcore criminals who attempt to tilt the legal balance in their favour either through procrastinating procedures or by taking law into their own hands. Unfortunately, what has been experienced in areas of police governance, is the indulgence of police personnel in extending favours to criminals and outlaws that has virtually allowed this combination to hijack and purloin the investigating and law enforcement potential of genuine policing.

The task entrusted to this Commission was to unravel these apprehensions that have been substantially carried out but the pitfalls as enumerated in the Report did impede the clarity which was sought through the reference made by the Hon'ble Supreme Court. However, with the entire material and whatever aid was made available to the Commission, there was a genuinity reflected in the police action taken in respect of the incidents involving encounter of Vikas Dubey and his other associates.

Thus, the facts that have emerged, definitely require a committed and devoted reformatory approach in the light of the suggestions of various Commissions that have been attempted on police reforms. This is necessary to enlighten the State Governments of their constitutional obligation of policing and protecting its citizens including under-trials, suspects and hardcore professional criminals. This is

necessary to ensure that a public perception about fake encounters is dispelled and the confidence of the citizenry is restored in order to avoid making the government itself suspect.

Apart from this, judicial governance also deserves to be reflected upon, as the *incidents about which inquiry has been made, also reveals that, at times, judicial* indiscretion and pitfalls have added to this mismanagement of law enforcement and maintenance of law and order. Any form of weakening by extending relief to criminals, either in the shape of bails, paroles or otherwise, had resulted in undue advantage to such criminals who have added to the misery of the society. This larger and broader aspect of social life and perception cannot be overlooked by judiciary which is the ultimate protector of the rights guaranteed to the citizens of this country including their right to live peacefully. The judicial system, therefore, needs to further expand on the doctrine of victimology and issues like protection of witnesses in a more concerned and cautious way while dealing with hardened criminals. It is not only the incident about which a judicial analysis has to be made but also about a pragmatic view, as it would have larger impact on the society if such hardcore professional criminals are to be extended legal benefits.

The balance between the larger social obligations towards the citizens of the State in protecting the society from the onslaught of the criminals of all sorts and the restricted freedoms guaranteed under the law to criminals, needs to be struck keeping in view such rising incidents and even the expanding nature of criminal activities.

(K L Gupta, IPS)
Member

(Justice S K Agarwal)
Member

(Dr Justice B S Chauhan)
Chairman

CASE LAWS AND MATERIAL CONSIDERED AND RELIED UPON

Chapter-II: Inaction by Citizenry & Media – Disappointment and delusion

(1) *Criminal Writ Petition No. 548 of 2020, **Konan Kodio Ganstone etc. v. State of Maharastaara & Ors.** decided on 21.08.2020* (Bombay High Court)
(2) ***Nilesh Navalakaha v. Union of India**, 2021SCC Online Bom 56*
(3) ***Saibal Kumar Gupta v. B.K. Sen**, AIR 1961 SC 633;*
(4) ***State of Maharashtra v. Rajendra Jawanmal Gandhi**, AIR 1997 SC 3986;*
(5) ***M.P. Lohia v. State of West Bengal**, (2005) 2 SCC 686;*
(6) ***Sidhartha Vashisth @ Manu Sharma v. State (NCT of Delhi)**, (2010) 6 SCC 1;*
(7) ***R. Muthukrishnan v. Registrar General, High Court of Judicature at Madras**, (2019) 16 SCC 407*
(8) ***Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra**, AIR 1984 SC 1622;*
(9) ***Ganpat Singh v. State of M.P.**, (2017) 16 SCC 353;*
(10) ***Dev Kanya Tiwari v. State of U.P.**, AIR 2018 SC 1377;*
(11) ***State of Himachal Pradesh v. Raj Kumar**, AIR 2018 SC 329;*
(12) ***Suresh v. State of Haryana**, AIR 2018 SC 4045*

Chapter-III: Article 21: Human Dignity and Fake Encounters

(1) ***Charles Sobraj v. Superintendent, Central Jail, Tihar**, AIR 1978 SC 1514;*
(2) ***D.K. Basu v. State of W.B.**, AIR 1997 SC 3017;*
(3) ***Zahira Habibulla H. Sheikh v. State of Gujarat**, (2004) 4 SCC 158;*
(4) ***Sube Singh v. State of Haryana**, AIR 2006 SC 1117;*
(5) ***Sidhartha Vashisht @Manu Sharma v. State (NCT of Delhi)**, (2010) 6 SCC 1;*
(6) ***People's Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra**, (2014) 10 SCC 635;*
(7) ***Prithipal Singh v. State of Punjab**, (2012) 1 SCC 10;*
(8) ***Karan Singh v. State of Haryana**, (2013) 12 SCC 529;*
(9) ***Tarsem Lal v. CBI**, (2019) 7 SCC 701;*
(10) ***Indian Young Lawyers Association & Ors. v. State of Kerala & Ors.**, (2019) 11 SCC 1;*
(11) ***'X' v. State of Maharashtra**, AIR 2019 SC 3031*

Fair Investigation (Role of I.O.)

(1) ***Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh**, (2018) 5 SCC 311;*
(2) ***Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh & Ors.**, SLP (Crl) No. 3543 of 2020.*

Section 46 CrPC – Justification of Encounter

(1) ***Om Prakash v. State of Jharkhand**, (2012) 12 SCC 72;*
(2) ***People's Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra**,* (2014) 10 SCC 635;
(3) ***Lourembam Deben Singh & Ors. v. Union of India & Ors.**, (2019) 12 SCC 346.*

CHAPTER-V: Incident dated 10.07.2020 (Vikas Dubey's alleged encounter)

Affidavit is not an evidence [Section 1 and 3(1) of the Evidence Act]

(1) ***Khandesh Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. Jalgon v. Rashtriya Girni Kamgar Sangh, Jalgon**, AIR 1960 SC 571;*
(2) ***Ayaaubkhan Noorkhan Pathan v. State of Maharashtra**, (2013) 4 SCC 465*

Evidentiary value of newspaper Reports

*(1) **Samant N. Balkrishna v. George Fernandez**, AIR 1969 SC 1201;*
*(2) **Laxmi Raj Sethi v. State of Tamil Nadu**, AIR 1988 SC 1274;*
*(3) **Quamarul Islam v. S.K Kanta & Ors.**, AIR 1994 SC 1733;*
*(4) **Borgaram Deuri v. Premodhar Bora**, AIR 2004 SC 1386;*
*(5) **Kushum Lata v. Union of India**, (2006) 6 SCC 180;*
*(6) **Rohit Pandey v. Union of India**, (2005) 13 SCC 702.*

Electronic evidence by way of primary evidence

(1) ***Anvar P.V. v. P.K. Basheer**, (2014) 10 SCC 473;*

(2) *Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal,(2020) 7 SCC 1*

Suspicion – cannot be a substitute for proof

(1) *Sarwan Singh v. State of Punjab, AIR 1957 SC 637;*
(2) *State of U.P. v. Ram Swarup, AIR 1974 SC 1570;*
(3) *K R Purushothaman v. State of Kerala, (2005) 12 SCC 631;*
(4) *Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570;*
(5) *Sujit Biswas v. State of Assam, (2013) 12 SCC 406;*
(6) *Digamber Vaishnav v. State of Chhattisgarh, (2019) 4 SCC 522;*
(7) *Bal Mukund Sharma v. State of Bihar, (2019) 5 SCC 469;*
(8) In *Ashish Batham v. State of M.P., AIR 2002 SC 3206;*
(9) *Lila Krishan v. Mani Ram Godara,AIR 1985 SC 1073;*
(10) *State of Bombay v. Purushottam Jog Naik, AIR 1952 SC 317;*
(11) *Sitaram Srigopal v. Daulti Devi, AIR 1979 SC 1225*

CHAPER-VII – Political/Official Patronage to Criminals

(1) **The Goswami Committee Report 1990;**
(2) **The Vohra Committee Report (N.N. Vohra, October 1993);**
(3) **Justice B.N. Srikrishna Commission** on Bombay Blasts (1993);
(4) *Dinesh Trivedi v. Union of India, (1997) 4 SCC 306;*
(5) *Union of India v. Association for Democratic Reforms, (2002) 5 SCC 294;*
(6) *Yakub Abdul Razak Menon v. State of Maharashtra, (2013) 13 SCC 1;*
(7) *Public Interest Foundation v. Union of India, AIR 2018 SC 4550.*
(8) *G B Patnaik's Report relied upon in Chandrika Prasad Nishad v. State of U.P., 2006 (24) LCD 1243.*
(9) *160 years of policing, and distrust, Faisal Sherwani,* https://www.barandbench.com/columns/160-years-of-policing-and-distrust].

CHAPTER-VIII: Release of accused Vikas Dubey on bail/parole

Personal liberty/Bail

Gudikanti Narasimhulu v. Public Prosecutor, High Court of Andhra Pradesh, AIR 1978 SC 429.

Bail System in India – Unsatisfactory

(1) *Moti Ram v. State of M.P., AIR 1978 SC 1594;*
(2) *Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar, AIR 1979 SC 1360*

Grant of Bail – Relevant Factors

(1) *Gurcharan Singh v. State, AIR 1978 SC 179;*
(2) *Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, AIR 2011 SC 312;*
(3) *P. Chidambaram v. Directorate of Enforcement, (2019) 9 SCC 24;*
(4) *Sangitaben Shaileshbhai Datanta v. State of Gujarat, (2019) 14 SCC 522.*

Record Brief Reasons-Granting Bail

(1) *Mauji Ram v. State of U.P., (2019) 8 SCC 17;*
(2) *Manoj Kumar v. State of U.P., (2019) 16 SCC 674;*
(3) *Mahipal v. Rajesh Kumar, (2020) 2 SCC 118.*

Bail on Parity

(1) *Ravindersingh @ Ravi Pavar v. State of Gujarat, (2013) 12 SCC 446;*
(2) *Neeru Yadav v. State of U.P. & Anr, (2014) 16 SCC 508;*
(3) *Virupakshappa Gouda &Anr v. State of Karnataka, (2017) 5 SCC 406;*
(4) *State Of Bihar v. Amit Kumar @ Bachcha Rai, (2017) 13 SCC 751;*
(5) *Parvat Singh v. State of Madhya Pradesh, (2020) 4 SCC 33.*

Bail on the ground of delay in trial

(1) *Nimeon Sangma v. Home Secretary, Government of Meghalaya, AIR 1979 SC 1518;*
(2) *Shahzad Hasan Khan v. Ishtiaq Hasan Khan, AIR 1987 SC 1613;*

(3) *State of U.P. v. Amarmani Tripathi, (2005) 8 SCC 21;*
(4) *Hussain & Anr. v. Union of India, (2017) 5 SCC 702).*

Bail under Section 438 CrPC – Anticipatory Bail

Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi), (2020) 5 SCC 1.

Bail under Section 389 CrPC

(1) *Atul Tripathi v. State of U.P., (2014) 9 SCC 177;*
(2) *Kishori Lal v. Rupa & Ors., (2004) 7 SCC 638;*
(3) *Sunita Devi v. State of Bihar, (2018) 16 SCC 354;*
(4) *Vinod Singh Negi v. State of U.P., AIR 2019 SC 3911.*

Section 482 CrPC

(1) *State of Haryana v. Bhajan Lal, AIR 1992 SC 604;*
(2) *Mohd. Allauddin Khan v. State of Bihar, AIR 2019 SC 1910;*
(3) *CBI v. Arvind Khanna, (2019) 10 SCC 686.*

Hostile witness – Appreciation of Evidence

(1) *Zahira Habibullah Sheikh (5) & Anr. v. State of Gujarat & Ors., (2006) 3 SCC 374;*
(2) *R.K. Anand v. Registrar, Delhi High Court, (2009) 8 SCC 106;*
(3) *State v. Sanjeev Nanda, (2012) 8 SCC 450;*
(4) *Pooja Pal v. Union of India, (2016) 3 SCC 135;*
(5) *Sidhartha Vashisth @ Manu Sharma v. State (NCT of Delhi), (2018) 6 SCC 1;*
(6) *State of Gujarat v. Kishanbhai, (2014) 5 SCC 108;*
(7) *Mahender Chawla & Ors. v. Union of India, (2019) 14 SCC 615.*

Fresh Investigation/De novo Trial/Retrial

(1) *State of A.P. v. Thadi Narayana, AIR 1962 SC 240;*
(2) *K. Chinnaswamy Reddy v. State of A.P., AIR 1962 SC 1788;*
(3) *Sunil Kumar Pal v. Phota Sheikh, (1984) 4 SCC 533;*
(4) *Zahira Habibulla H. Sheikh v. State of Gujarat, (2004) 4 SCC 158;*
(5) *Dinubhai Boghabhai Solanki v. State of Gujrat (2018) 11 SCC 129;*
(6) *Krishan Kumar v. State of Rajasthan, (2018) 18 SCC 214].*
(7) In *Re: State of Punjab, 2012 SCC OnLine P&H 7189.*

CHAPTER IX: *Other connected issues:(i) Handcuffing, (ii) Problem of Early Disposal of Cases, (iii) Appointment of Public Prosecutors.*

(1) *Sunil Batra v. Delhi Administration, (1980) 3 SCC 488;*
(2) *Prem Shankar Shukla v. Delhi Admin, AIR 1980 SC 1535;*
(3) *Sunil Gupta & Ors. v. State of M.P. & Ors., (1990) 3 SCC 119;*
(4) *Khedut Mazdoor Chetna Sanghatan v. State of M.P., AIR 1995 SC 31;*
(5) *Citizens for Democracy v. State of Assam, AIR 1996 SC 2193;*
(6) *In Re: MP Dwivedi, AIR 1996 SC 2299;*
(7) *G.L. Gupta Adv. v. R.K. Sharma, AIR 2000 SC 3632;*
(8) *Hardeep Singh v. State of M.P., AIR 2012 SC 1751;*
(9) *Asian Resurfacing of Road Agency (P) Ltd. v. C.B.I., AIR 2018 SC 2039;*
(10) *Ashwini Kumar Upadhyay v. Union of India, Writ Petition (Civil) No. 699 of 2016* (Order dated 16.09.2020);
(11) *Kumari Shrilekha Vidyarthi & Ors. v. State of U.P. & Ors., AIR 1991 SC 537;*
(12) *Harpal Singh Chauhan & Ors. v. State of U.P., (1993) 3 SCC 552;*
(13) *Hitendra Vishnu Thakur v. State of Maharashtra, AIR 1994 SC 2623;*
(14) *State of U.P. & Anr. v. Johri Mal, (2004) 4 SCC 714;*
(15) *U.P. Shaskiya Adhivakta Kalyan Samiti v. State of U.P., (2012) 30 LCD 1066;*
(16) *Deepak Aggarwal v. Keshav Kaushik, (2013) 5 SCC 277;*
(17) *State of Uttar Pradesh & Ors. v. Ajay Kumar Sharma, (2016) 15 SCC 289;*
(18) *State of Punjab & Anr. v. Brijeshwar Singh Chahal, AIR 2016 SC 1629;*

(19) ***Ahmad Husain Khan v. State of U.P. & Ors.**, PIL No. 58079 of 2016 (decided on 13.12.2016)*

(20) ***Jagir Singh v. Ranbir Singh**, AIR 1979 SC 381;*

(21) ***Sant Lal Gupta v. M.C. Group Housing Society**, (2010) 13 SCC 336;*

(22) ***Subramanian Swamy v. State of Tamil Nadu**, (2014) 5 SCC 75.*

CHAPTER – XI: RECOMMENDATIONS

(1) ***Lalita Kumari v. Government of U.P.**, (2014) 2 SCC 1*;

(2) ***Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh & Ors.**,SLP (Crl.) No. 3543 of 2020 (Order dated 2 December 2020).*

(3) ***Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh**, (2018) 5 SCC 311;*

(4) ***Asian Resurfacing of Road Agency (P) Ltd. v. CBI**, AIR 2018 SC 2039;*

(5) ***State of Punjab & Anr. v. Brijeshwar Singh Chahal & Anr.**, AIR 2016 SC 1629.*

ENQUIRY COMMISSION 2020 Lucknow (U.P.)

DR JUSTICE B S CHAUHAN INQUIRY COMMISSION RE KANPUR ENCOUNTER 2020

INQUIRY REPORT

11.04.2021

COMPOSITION

- Dr Justice B S Chauhan - Chairman
- Justice Shashi Kant Agrawal - Member
- K L Gupta, Ex DGP - Member

Justice B S Chauhan Inquiry Commission: Re Kanpur Encounter 2020

PART II

INDEX

Sl No	Documents/ Evidence etc.	Page No
1.	Notification, Public Notice / published in newspapers and at conspicuous places of concerned districts.	01-31
2.	Documents/Evidence (Incident No. 01 dated 2/3.07.2020 vill- Bikru PS Chaubeypur, Kanpur Nagar)	32-162
3.	Documents/Evidence (Incident No. 02 dated 03.07.2020, vill- Kashiram Nevada PS Chaubeypur Kanpur Nagar)	163-257
4.	Documents/Evidence (Incident No. 03 dated 08.07.2020, vill- Artara PS Maudhaha, Hamirpur)	258-306
5.	Documents/Evidence (Incident No. 04 dated 09.07.2020 , near Vikrampur Brick kiln PS Civil Lines Etawah)	307-355
6.	Documents/Evidence (Incident No. 05 dated 09.07.2020, near Bhauti bypass PS Panki Kanpur Nagar)	356-442
7.	Documents/Evidence (Incident No. 06 dated 10.07.2020, On N.H. 02 near Kanhaiyalal Hospital PS Sachendi Kanpur Nagar)	443-565
8.	Relevant portion of SIT report	566-642
9.	Charts of cases against Vikas Dubey	643-654
10.	Transcript of call recordings contained in mobile phone of CO Devendra Mishra submitted by his wife Aaha Mishra alongwith FSL report.	655-660
11.	Reports regarding territorial jurisdiction from district magistrate (s) Kanpur Nagar and Kanpur Dehat.	661-665
12.	Reports of comparative crime graphs from Police Commissionerate Lucknow and Gautambuddh Nagar (NOIDA)	666-669
13.	Miscellaneous	670-676

(1)

UTTAR PRADESH SHASAN
GRIH (POLICE) ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no.1082P/VI-P-3-2020-82P/2020 dated 23July, 2020:

NOTIFICATION
1082P/VI-P-3-2020-82P/2020
Lucknow dated 23 July, 2020

In supersession of the earlier Notification No.997/P/VI-P-3—2020-82P/2020 Lucknow dated 12 July, 2020, the Governor is of the opinion that with regard to definite matters of public importance it is necessary to constitute the Commission of inquiry to examine, enquire and report the issues comprised in the terms of reference clarified, stipulated and identified hereunder ;

2. Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Act No. LX of 1952,) the Governor is pleased to appoint:-

(i) Dr. Justice B S Chauhan (Former Hon'ble Judge, Hon'ble Supreme Court) — **Chairman**

(ii) Mr. Justice Shashi Kant Agarwal(Former Hon'ble Judge, Hon'ble High Court of Allahabad) — **Member**

(iii) Shri K.L. Gupta, IPS (FormerDirector General of Police) — **Member**

as a three membered Commission of Inquiry with Headquarters at Lucknow.

3. The Commission shall enquire into and submit a report in respect of the following terms of reference which the appropriate government considers to be the definite matters of public importance;

a. To enquire into the incident on the night of 02.07.2020-03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel;

b. To enquire into the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur;

To enquire into the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02.07.2020-03.07.2020 and 10.07.2020;

To enquire about collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons and to give suggestions for preventing its recurrence in future;

To enquire into the facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole inspite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same;

To enquire into the efforts, if any,made for cancellation of bails/parole granted to Vikas Dubey and also to enquire as to why efforts were not made to get the bail granted in case crime no. 65/2020 and other offences cancelled ;

To enquire into and examine any other aspect relating to the above mentioned terms of reference as the Commission may consider appropriate and/or necessary ;

To enquire any other point referred by the State Government from time to time.

The Governor, being of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, it is necessary so to do, is further pleased to direct under subsection (1) of section 5 of the said Act, that the provisions of subsection (2), (3), (4) and (5) of the said Section 5 shall apply to the Commission.

The Commission shall complete the inquiry within a period of two months from the date of first sitting of the Commission. Any change/extension in its tenure shall be at the behest of the Government.

By order,

(Awanish Kumar Awasthi)
Additional Chief Secretary

(3)

ITEM NO.11 Court No.1 SECTION PIL-W
(HEARING BY VIDEO-CONFERENCING)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Criminal) No(s).177/2020

GHANSHYAM UPADHYAY Petitioner(s)

VERSUS

THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. Respondent(s)

(FOR ADMISSION and IA No.61791/2020-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No.61792/2020-PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON and IA No. 66097/2020 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS and IA No. 61791/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No. 65177/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No. 64747/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No. 62767/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT and IA No. 65175/2020 - INTERVENTION APPLICATION and IA No. 64745/2020 - INTERVENTION APPLICATION and IA No. 64746/2020 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON and IA No. 61792/2020 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON and IA No. 65283/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES and IA No. 62766/2020 - PERMISSION TO PLACE ADDITIONAL FACTS AND GROUNDS)

WITH W.P.(Crl.) No. 178/2020 (PIL-W)
(WITH IA No. 65252/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT AND IA No. 62156/2020 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT AND IA No. 62155/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T. AND IA No. 62154/2020 - PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON AND IA No. 65251/2020 - PERMISSION TO FILE SUPPLEMENTARY ADDITIONAL COUNTER AFFIDAVIT/AFFIDAVIT)

W.P.(Crl.) No. 180/2020 (PIL-W)
(WITH APPLN.(S) FOR PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON ON IA 62496/2020 AND FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 62498/2020 AND FOR APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS ON IA 64423/2020 AND FOR PERMISSION TO APPEAR AND ARGUE IN PERSON ON IA 64424/2020 AND FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 64426/2020)

W.P.(Crl.) No. 186/2020 (PIL-W)
(WITH APPLN.(S) FOR ADMISSION and IA No.64045/2020-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT)

W.P.(Crl.) No. 185/2020 (PIL-W)
(FOR ADMISSION and IA No.63939/2020-EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT)

Date : 22-07-2020 These matters were called on for hearing today.

(4)

CORAM

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE A.S. BOPANNA
HON'BLE MR. JUSTICE V. RAMASUBRAMANIAN

COUNSEL FOR THE PARTIES

Petitioner(s)-in-person

Mr. BS Rajesh Agrajit, Adv.
Mr. Samdarshi Sanjay, Adv.
Mr. Vinay Ojha, Adv.
Mr. Sunil Kumar Tomar, Adv.

Mr. Shyamal Kumar, AOR

Mr. Salman Khurshid, Sr. Adv.
Ms. Lubna Naaz, AOR
Ms. Ayesha Jamal, Adv.

Mr. Tushar Mehta, Ld. SG
Mr. Harish Salve, Sr. Adv.
Mr. Prashant Singh, Adv.
Mr. Shiv Nath Tilhari, Adv
Ms. Garima Prashad, AOR

Mr. Sanjay Parikh, Sr. Adv.
Ms. Aparna Bhat, AOR
Ms. Karishma Maria, Adv.

Applicant(s)-in-person

Mr Nishit Agrawal, AOR
Mr. Harsh Mishra, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Permission to appear and argue in person is granted.

We have heard the petitioner(s)-in-person, Mr. Salman Khurshid, learned Senior Counsel for the petitioner, Mr. Sanjay Parikh, learned Senior Counsel for the applicant(s), and Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General appearing for the respondents - State of Uttar Pradesh, and perused the record.

(5)

Mr. Mehta, learned Solicitor General, displayed on the computer screen, the draft of a notification appointing an independent three-member Commission to inquire into the incidents mentioned in the present writ petitions. As per the draft of the revised notification, the Commission is to comprise of the following persons :

(1) Hon'ble Dr. Justice B.S. Chauhan, Former Judge of this Court - Chairman

(2) Hon'ble Mr. Justice Shashi Kant Agarwal, Former Judge, Allahabad High Court - Member

(3) Mr. K.L. Gupta, IPS, Former Director General of Police - Member

The proposed Terms of Reference of the said Commission were also read out for the benefit of the Court as well as the learned counsel appearing in the matter. After hearing all the learned counsel, certain modifications were suggested and they were agreed to be carried out.

We direct that the notification constituting the Commission and incorporating the Terms of Reference as approved by us, shall be issued immediately. The Commission shall sit at Lucknow, Uttar Pradesh and start functioning within a period of one week from today.

It is made clear that the secretarial assistance for the Commission shall be provided by the Central Government, from such services/Departments as may be directed by the Chairman of the Commission.

The Commission shall submit a report to this Court and the State Government in accordance with the Commissions of Inquiry Act,

1952, within a period of two months from the date on which the Commission starts functioning.

Needless to mention that any party to the present petitions may apply to the Inquiry Commission for being heard.

We also direct that the Special Investigation Team (SIT) already constituted by the State Government will be free to inquire into any of the related incidents which are the subject matters of this case.

List the matter thereafter along with the Report of the Commission.

Writ Petition (Criminal) No.186/2020

De-tagged from Writ Petition (Criminal) No.177/2020 and connected matters.

Tag with Writ Petition (Criminal) No.118/2018.

(SANJAY KUMAR-II)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(INDU KUMARI POKHRIYAL)
ASSISTANT REGISTRAR

(7)

292/28-09-2020

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-3
संख्या– 1529पी/छः-पु-3-2020-82पी/2020 टीसी-II
लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.07.2020-03.07.2020 की रात्रि को विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा 08 पुलिसकर्मियों की हत्या करने, अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल करने, दिनांक 10.07.2020 को मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान विकास दुबे के मारे जाने व दिनांक 02.07.2020-03.07.2020 व 10.07.2020 के मध्य विकास दुबे के साथियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्यवाहियों सहित कतिपय अन्य बिन्दुओं की जाँच हेतु अधिसूचना संख्या-1082पी/छः-पु-3-2020-82पी/2020, दिनांक 23.07.2020 द्वारा न्यायमूर्ति डॉ0 बी0एस0 चौहान, (मा0 पूर्व न्यायाधीश, मा०उच्चतम न्यायालय) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया है। आयोग को पहली बैठक के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर जाँच पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करनी थी।

2- उल्लेखनीय है कि श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रारम्भिक चरण में आयोग को कर्मचारियों और उपस्कर की कमी होने, स्टाफ का एक कर्मी कोरोना पाजिटिव होने, मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायिक आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र लम्बित होने व सम्बन्धित अधिकारियों तथा प्राइवेट व्यक्तियों के बयान आदि लिये जाने सम्बन्धी कारणों से जाँच रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने में समय लगने की सम्भावना है। आयोग की पहली बैठक दिनांक 25.07.2020 को सम्पन्न हुई थी तथा आयोग का कार्यकाल दिनांक 24.09.2020 को पूर्ण हो रहा है। अतएव आयोग को जांच हेतु दो माह (दिनांक 24.11.2020 तक) का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- चूंकि आयोग द्वारा अभी तक जांच पूर्ण नहीं की जा सकी है। अतः श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग के अनुरोध के दृष्टिगत श्री राज्यपाल उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक 24.09.2020 से अग्रतर 02 माह (दिनांक 24.11.2020 तक) के लिये बढ़ाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

(8)

संख्या- 1529(1)पी/छः-पु-3-2020- 82 पी/2020टीसी-II व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 न्यायमूर्ति, डॉ0 बी0 एस0 चौहान (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय)।
2. मा0 न्यायमूर्ति श्री शशिकांत अग्रवाल, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय)।
3. श्री के0एल0 गुप्ता, (सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक)।
4. श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग, कमरा नं0-202, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, रमाबाई मैदान, निकट शहीद पथ, लखनऊ।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मण्डलायुक्त, कानपुर/लखनऊ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. गृह (पुलिस) अनुभाग-7 को इस आशय से प्रेषित कि इस हेतु आवश्यक बजट प्राविधान कराने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

9

426
25-11-2020

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-3
संख्या– 1983पी/छः-पु-3-2020-82पी/2020 टीसी-II
लखनऊः दिनांकः 25नवम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

दिनांक 02.07.2020-03.07.2020 की रात्रि को विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा 08 पुलिसकर्मियों की हत्या करने, अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रुप से घायल करने, दिनांक 10.07.2020 को मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान विकास दुबे के मारे जाने व दिनांक 02.07.2020-03.07.2020 व 10.07.2020 के मध्य विकास दुबे के साथियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्यवाहियों सहित कतिपय अन्य बिन्दुओं की जाँच हेतु अधिसूचना संख्या-1082पी/छः-पु-3-2020-82पी/2020, दिनांक 23.07.2020 द्वारा न्यायमूर्ति डॉ0 बी0एस0 चौहान, (मा0 पूर्व न्यायाधीश, मा०उच्चतम न्यायालय) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया है। आयोग को पहली बैठक के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर जाँच पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करनी थी।

2- उल्लेखनीय है कि श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मा0 जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक 24.09.2020 से 24.11.2020 तक शासन के आदेश दिनांक 24.09.2020 द्वारा बढाया गया था।

3- श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि मा0 जस्टिस, श्री एस0के अग्रवाल, सदस्य जाँच आयोग कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे है, जाँच आयोग के अध्यक्ष, मा0 जस्टिस, बी0एस0चौहान भी अस्वस्थ हैं तथा उनकी एन्जियोप्लास्टी हुई है। चिकित्सकों द्वारा उन्हें आराम करने का परामर्श दिया गया है। अस्वस्थतावश तथा कोविड-19 के दृष्टिगत जाँच को निश्चित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका है। जाँच की दिशा में अब तक की गयी कार्यवाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए तथा यह अवगत कराते हुए कि अभी राज्य सरकार के साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों को जाँच कार्यवाही हेतु रिकार्ड किया जाना शेष है। तदुपरान्त जाँच अन्तिमीकरण किया जा सकेगा। उक्त कार्यवाही दिनांक 24.11.2020 तक संभव नहीं बताते हुए जाँच आयोग को जाँच पूर्ण करने हेतु 02 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- चूंकि आयोग द्वारा अभी तक जांच पूर्ण नहीं की जा सकी है। अतः श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग के अनुरोध के दृष्टिगत श्री राज्यपाल उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक 25.11.2020 से अग्रतर 02 माह (दिनांक 25.11.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक) के लिये बढ़ाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

(10)

संख्या- (9836) पी/छः-पु-3-2020- 82 पी/2020टीसी-II व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 न्यायमूर्ति, डॉ0 बी0 एस0 चौहान (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय)।
2. मा0 न्यायमूर्ति श्री शशिकांत अग्रवाल, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय)।
3. श्री के0एल0 गुप्ता, (सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक)।
4. सेक्रेटरी जनरल, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. श्री संजीव कुमार, एचजेएस, सचिव, जाँच आयोग, कमरा नं0-202, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, रमाबाई मैदान, निकट शहीद पथ, लखनऊ।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मण्डलायुक्त, कानपुर/लखनऊ।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11. गृह (पुलिस) अनुभाग-7 को इस आशय से प्रेषित कि इस हेतु आवश्यक बजट प्राविधान कराने का कष्ट करें।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

(11)

Public Notice/published in newspapers and at conspicuous places of concerned districts

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर; 2020 से संबंधित)

तिथि 07.08.2020

सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082–पी0/ 6– पी0–3 –2020–82–पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने; दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफतारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने; विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने; उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रदद करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

अतएव यह आयोग उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई–मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

हस्ता0/
सचिव जांच आयोग

(13)

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020.

Date: 07.08.2020

PUBLIC NOTICE

Whereas a 03 member Commission of Inquiry headed by Dr. Justice B.S. Chauhan (former judge Supreme Court of India), has been constituted consequent to the directions of Supreme Court of India by Government of Uttar Pradesh vide Notification 1082P/ VI-P-3-2020- 82P/ 2020 Lucknow Dated 23 July, 2020.

Whereas as per the terms of reference in the said Notification this Commission is to enquire into the incident on the night of 02/03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel, the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur, the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02/03.07.2020 and 10.07.2020, the collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons, the facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole inspite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action /inaction of the authorities who dealt with the matter for the same, the efforts, if any, made for cancellation of bails / parole granted to Vikas Dubey.

Now, therefore, the Commission hereby invites written statements of facts, comments, etc., alongwith an affidavit, from individual(s), the members of public, groups, organisations, associations, aggrieved persons, print and electronic media etc. acquainted with the facts and circumstances involved in the aforesaid subject matter or otherwise interested with the same stating such information, relevant facts, suggestions, views, comments etc. in detail as may be relevant to the above subject-matter.

Every person filing such written statement may also file--

A list of witnesses, if sought to be examined, a list of documents sought to be relied upon which are in possession either in original or copies thereof. In case of documents not in possession, name and address of such person(s),office etc. from whom/ where such documents can be obtained.

Written Statement (in duplicate) referred to above shall be submitted in the office of the Commission (address given below) either personally or through authorised representative (between 12.00 pm to 4.30 pm) or by registered post or **email** of the Commission i.e. justicebschauhan.commission @gmail.com within 07 days from the date of publication.

Office Address --
Room No. 202
VVIP Guest House, Ramabai Maidan
Lucknow. U.P. 226012

Sd/-
Secretary to the Commission of Inquiry

(14)

अमर उजाला, कानपुर, 08 अगस्त 2020.

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर, 2020 से संबंधित)

पृष्ठ संख्या - 4. तिथि 07.08.2020

सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ० न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं० 1082-पी०/6-पी०-3-2020-82-पी०/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दूबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने, दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफतारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने, विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने, उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करते जिससे विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रद्द करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

अतएव यह आयोग उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस

आयोग के ई-मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202
डी०जी०आई०पी० गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू०पी० 226012

www.upgov.nic.in
Upid- 154135 Dt. 07.08.2020

सचिव जांच आयोग

(15)

दैनिक जागरण, कानपुर, 08 अगस्त 2020.

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर : 2020 से संबंधित)

पृष्ठ संख्या - 6.

तिथि 07.08.2020

सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082-पी0/ 6- पी0-3-2020-82-पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दुबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने (दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफ्तारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दुबे के साथियों के मारे जाने (विकास दुबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने। उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दुबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/ निष्क्रियता तथा विकास दुबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रद्द करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

अतएव यह आयोग उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई-मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202, वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

हस्ता0/
सचिव जांच आयोग

UP-154135 दिनांक 07.08.2020 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

KANPUR AMBUSH

SIT scanning details of killed deputy SP Mishra's audio clip

HT Correspondent

LUCKNOW: The Special Investigation Team (SIT) probing the Kanpur ambush case is also scanning the details mentioned in the audio clip of deputy superintendent of police Devendra Mishra, who, along with seven other police personnel, was killed in an ambush during a raid on the house of gangster Vikas Dubey in Kanpur's Bikru village on the intervening night of July 2 and 3.

Dubey and five of his men were later gunned down in police encounters between July 3 and 10. Many others were arrested.

A senior police official privy to the development said SIT was mainly constituted to investigate nine aspects, including Vikas Dubey's alleged links with police personnel and officials. He said the five-minute audio clip of the slain deputy SP mentioned these alleged links, including the role of a senior officer in giving a clean chit to former Bikru station officer Vinay Tewari after accepting a bribe of Rs 5 lakh.

He said Tewari, along with another sub-inspector Manoj Sharma, was in jail after being arrested for criminal conspiracy in the ambush case as the then SO allegedly tipped off Vikas Dubey about the police raid.

The audio clip supposedly contains the deputy SP's conversation with his supervisory officer before reaching Chaubeypur police station to lead the raid on Dubey on the night of July 2. The deputy SP could be heard making serious allegations against Tewari and some other senior officials.

In the clip, the deputy SP can be heard alleging that Tewari allowed a gambling den to operate for a monthly cut of ₹1.5 lakh. He said he reported his direct complicity to the then SSP, who asked for his report to suspend the SO but later all charges against Tewari were dropped and he was given a clean chit in all the inquiries pending against after the SO collected ₹5 lakh from the gamblers on pretext of saving them and paid the amount as a bribe.

He further alleged Tewari used to touch Vikas Dubey's feet and worked in accordance with his wishes. Moreover, social activist Nutan Thakur on Friday sought DGP HC Awasthy's intervention to get an FIR registered under the Prevention of Corruption (PC) Act against the officers alleged to have taken money for allowing the gambling den to operate.

SP patriarch Mulayam Singh Yadav admitted in hospital

LUCKNOW: Samajwadi party patriarch Mulayam Singh Yadav was admitted in Medanta hospital, Lucknow, on Thursday night with the complaint of constipation and stomachache. Samajwadi Party leaders including his son former chief minister of UP Akhilesh Yadav and his daughter-in-law Dimple Yadav visited the hospital.

"Mulayam Singh Yadav was having stomach ache and was not taking food properly due to stomach problem," said director of Medanta hospital Dr Rakesh Kapoor. Earlier, Mulayam Singh Yadav was admitted in Medanta Hospital on May 7, with the complaint of constipation and stomach ache. He was discharged after two days. HTC

HOUSE SESSION AMID COVID

'Allow virtual participation for those above 65'

HT Correspondent

LUCKNOW: Samajwadi Party (SP) member of legislative council (MLC) Sunil Prakash on Friday sought permission for virtual participation in the House session commencing on August 20, citing the prevailing Covid-19 pandemic and his vulnerable age as the reasons.

In a four-page letter, addressed to chairman of Vidhan Parishad Ramesh Yadav, Prakash said, "All members who are above 65 years of age, or those who had been Covid positive, should be allowed to participate in the House proceedings virtually if they seek permission in this regard."

Prakash said precaution was the only hope against the pandemic, given the fact that there was no medicine and vaccine available against the disease which, he said, was increasing in scope and ferocity with each passing day.

He said many ministers were afflicted with the disease while one minister even died of the infection which, according to him, showed the seriousness of the problem. He said convening the session was constitutionally binding but he stressed that all precautions should be taken in view of the central government's advisory issued on May 17.

"The government's advisory talks of wearing mask and maintaining social distance apart from advice to citizens above 65 not to venture out of their homes except for medical reasons," the MLC pointed out while making a case for his demand.

Prakash said India followed the British parliamentary system and the British Parliament, he pointed out, has permitted members to participate virtually on demand in view of the pandemic.

बवासीर, भगंदर (फिश्चुला), क्षारसूत्र द्वारा
BHU द्वारा विकसित नवीनतम विधि
डॉ. शंकर मिश्रा B.Sc., BAMS, DHEN, DNYS, CKS
Mob. 0532-2540650, 9335140078, 7007641064
समय- सुबह 9.00-1.00, शाम 5.00-9.00 रविवार सायं बन्द

LU to start three new PG courses

LUCKNOW: University of Lucknow will start three new postgraduate and three undergraduate programmes. These courses have been approved in the recently held Academic Council meeting chaired by vice-chancellor Prof Alok Kumar Rai.

Of these two PG programmes, M.A in Yoga and M.Sc. in Yoga have been launched in the newly constituted Faculty of Yoga and Alternative Medicine while the third PG program M.A in Public Policy and Governance has been launched by the Dr. Shanker Dayal Sharma Institute of Democracy and Governance.

Three undergraduate programmes have also been launched in the Faculty of Yoga and Alternative Medicine. These are B.A. in Yoga, B.Sc. in Yoga and Bachelor in Naturopathy and Yogic Sciences.

Forms of all the above programs are now available along with the forms of other programmes. The last date of form submission of PG programmes are being extended till August 24, 2020. Details are available on the university website, said LU spokesman Durgesh Srivastava.

CM distributes ₹2,447cr online to MSMEs

HT Correspondent

MoU documents being exchanged between MSME department and AKTU in the presence of chief minister Yogi Adityanath and MSME minister Sidharth Nath Singh (extreme left), in Lucknow on Friday. HT

LUCKNOW: Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath said here on Friday that the state government was exploring possibilities towards its commitment to contribute well to the 'Atmanirbhar Bharat' goal of the country.

In his presence, the MSME department signed an MoU with the Abdul Kalam Technical University (AKTU) for exchange of knowledge and technology and another MoU was signed with e-bay for providing an online platform to MSME units for their products.

"Our government is committed to making people self-reliant by providing them employment," said Yogi soon after he distributed Rs 2,447 crore among 98,743 MSMEs in the state in an online loan distribution programme.

Yogi also inaugurated a skill development training programme organised by the MSME department for artisans and members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes (SC/ST) and other backward castes (OBCs).

Under the One District, One Product (ODOP) scheme, the CM laid the foundation for 13 common facility centres.

Yogi said that UP was a state with immense possibilities for utilising the energy of the youth by making them self-reliant this would ultimately lead to the rebuilding of the state.

Before this on May 14, the state had distributed over Rs 2,000 crore among 57,000 new units through an online loan mela and on June 26, Prime Minister Narendra Modi had distributed loans worth Rs 45,000 crore among 1.35 lakh units.

Minister for MSME Sidharth Nath Singh said the state government under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath was looking for opportunities in these times of global pandemic.

'Monitor health of flood-hit people living in shelters'

HT Correspondent

LUCKNOW: The state government on Friday directed the district magistrates of flood-affected districts to monitor the health of the people staying in shelters in view of the Covid pandemic.

The rise in the water level of the rivers has inundated 706 villages in 17 districts, including Barabanki, Ayodhya, Kushinagar, Gorakhpur, Bahraich, Gonda, Azamgarh, Basti, Mau, Sant Kabir Nagar, Sitapur, Maharajganj, Ballia, Lakhimpur Kheri, Siddharth Nagar, Ambedkar Nagar and Balrampur districts. The flood has marooned 467 villages.

Backward class welfare minister Anil Rajbhar and minister of state (Mos), Jal Shakti, Baldev Aulakh made an aerial survey of the flood-affected areas in Gonda, Sant Kabir Nagar, Mau, Deoria and Gorakhpur districts. The ministers also reviewed the relief and rescue preparation in a meeting with the district administration officers.

After the review meeting, the ministers said the district administrations had been directed to segregate those people staying in shelters who had coronavirus symptoms.

Rajbhar said 22 teams of NDRF, SDRF and PAC had been deployed in the flood-affected areas.

The embankments were safe and the flood situation in the state was not grim. River Sharda was flowing above danger level in Lakhimpur Kheri, River Rapti in Gorakhpur, River Rapti in Sharavasti and River Saryu was also flowing above danger mark in Barabanki, Ayodhya and Ballia.

FLOOD - UP

Flood affected districts in UP
17

Flood affected villages
706

Marooned villages
467

People displaced by flood
4,997

Total affected population
3,70,978

AFTER THE REVIEW MEETING THE DISTRICT ADMINISTRATIONS HAD BEEN DIRECTED TO SEGREGATE THOSE PEOPLE STAYING IN SHELTERS WHO HAD CORONAVIRUS SYMPTOMS

Six-year-old boy kidnapped, ₹30 lakh ransom demanded

HT Correspondent

LUCKNOW: A six-year old boy was kidnapped when he was playing outside his residence in Linepara locality under Majhaula police station limits of Moradabad district on Friday morning, the police said.

This was the third incident where a minor was kidnapped for ransom in the past 26 days.

The Moradabad police have constituted five teams to track down the kidnappers who have demanded Rs 30 lakh ransom from the family.

The kidnappers made the ransom demand through an internet call. Moradabad's superintendent of police Prabhakar Chaudhary confirmed the incident. An officer investigating the case said the boy belongs to a middle class family and his father is a private sector employee.

hindustantimes
htclassifieds ON SATURDAY

htclassified listings

EMPLOYMENT
नौकरी पायें
D. Pharma, B. Pharma, D. Optometry, D. Sanitary
Ph. 7355493268, 9415580690

PROPERTY

EDUCATION

EDUCATION
UNITY P.G. & LAW COLLEGE

ADMISSION OPEN
BA, B.Com
MA, M.Com
B.Sc, M.Sc
ANNIE BESANT COLLEGE
9935228343, 9935028241

PUBLIC NOTICES

MAA VAISHNO DEVI LAW COLLEGE
B.A.LL.B (5 YEARS)
LL.B (3 YEARS)

CHANGE OF NAME

NARUADESHWAR LAW COLLEGE
LL.B 3&5 Years

LOAN/FINANCE

EDUCATION
CITY COLLEGE
LL.B.
B.A. | B.Com.
BJMC | ITI

DIRECT ADMISSION
B.Ed, M.Ed, B.El.Ed, D.El.Ed (B.T.C.)

ANM/GNM
BABY NURSING

B.Sc. NURSING

DIRECT ADMISSION
B.Sc. (Agriculture)
B.Ed, B.Com, B.A.
SRI MAHESH PRASAD DEGREE COLLEGE

ADMISSION OPEN
D.El.Ed / B.T.C. B.Ed
CENTRAL WOMEN'S COLLEGE OF EDUCATION
9450093776

Readers are recommended to make all enquiries and seek appropriate advice before acting on any advertisement appearing in this publication. Any advertiser providing no response ... The Company, Publisher ... shall not be held liable for any damages, loss, consequences, suffered by any person on account of relying on such advertisements.

NORTHERN RAILWAY
E-TENDER NOTICE
Chief Workshop Manager N.R. C&W Workshop Alambagh, Lucknow invites following e-tender

1.	Name of work	Comprehensive Annual Maintenance Contract of AJTB Lathe (WS-63) - Make HYT, installed in Wheel Shop for Two Years.
2.	Location	C&W Workshop, Alambagh, Lucknow
3.	Approx cost of the work	Rs. 28,37,900/- (Rupees Twenty Eight Lakh Thirty Seven Thousand Nine Hundred Only)
4.	Cost of Tender form	Rs. 3,000/- (Rs. Three Thousand only)
5.	Earnest money to be deposited	Rs. 56,800/- (Rs. Fifty Six Thousand Eight Hundred only.)
6.	Completion period of the work	02 Year from the date of issue of Letter of Acceptance
7.	Date & Time for Submission of Tender	From 27.08.2020 to 10.09.2020 up to 15:00 Hrs.
8.	Format for Certificate	CERTIFICATE AS PER ANNEXURE-A MUST BE SCANNED AND UPLOADED
9.	Opening of Tender	Tender opening will be done any time after the tender closing time. The Tenderers are not required to be present during the Opening.
10.	Address of the office from where the form can purchased	All complete details of Tender Notice/Documents are available at website www.ireps.gov.in
11.	Website particulars where complete details of tender can be seen etc.	

Tender Notice No: 2020-AMV-C and W-Bander-11 Date: 05.08.2020 1717/2020
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

NORTH CENTRAL RAILWAY, PRAYAGRAJ
E-Procurement Tender Notice No. 26/47 E-Procurement Tender Notice Date: 07.08.2020
On behalf of The President of India, The Principal Chief Materials Manager, North Central Railway, Prayagraj (An ISO 9001 2015 certified unit) invites the following E-Procurement Tenders.

S. No.	Tender No.	Description	Qty	Tender Opening Date
1	[illegible]	Three Phase Submersible pump set	[illegible]	31.08.2020
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	500 Nos.	[illegible]

Note: 1. The complete information of above E-Procurement Tenders are available on IREPS website i.e. http://www.ireps.gov.in. 2. Bids other than in the form of E-bids shall not be accepted against above Tenders. For this purpose, vendors are required to get themselves registered with IREPS website along with class III, digital signature certificate issued by CCA under IT Act-2000. ...

Invites expression of interest from eligible faculty members for development of MOOC courses
swayam

Well-known film character actor Sanjay Mishra called on the Samajwadi Party national president Akhilesh Yadav on Friday. Yadav gave Sanjay a Chinar sapling for him to plant in his Pithoragarh land. HT

UPCC MEMOS TO GUV FOR RELIEF TO MIDDLE CLASS

LUCKNOW: Uttar Pradesh Congress Committee (UPCC) on Friday submitted memorandums addressed to governor through district magistrates across the state demanding immediate action to resolve problems of middle income class on job front. UPCC had organised statewide protests on rising unemployment on the directions of UPCC president Ajay Kumar Lallu. In a press statement, Lallu said Covid-19 has had an adverse impact on earnings of middle class. He said state government should waive fees of all the students and provide monetary relief of at least Rs 8,000 per month to teaching and other staff of all private education institutions. He said an honorarium of Rs 10000 per month should also be given to advocates who had suffered due to closure of courts.

FLIPKART SIGNS MOU WITH UP GOVT SCHEME

LUCKNOW: Flipkart, India's homegrown e-commerce marketplace, today signed a memorandum of understanding (MoU) with the One District, One Product (ODOP) scheme of the Government of Uttar Pradesh. As part of this MoU, artisans, weavers and craftsmen under the ODOP scheme will be brought into the ambit of the Flipkart Samarth initiative. The partnership will enable these under-served communities from UP to showcase their specialized products and crafts to millions of customers across the country. HTC

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020
PUBLIC NOTICE Date: 07.08.2020
Whereas a 3-member Commission of Inquiry headed by Dr. Justice B.S. Chauhan (former Judge Supreme Court of India), has been constituted ... by Government of Uttar Pradesh vide Notification ... Lucknow Dated 23 July 2020.
[illegible]
Office Address – Room No. 222
VVIP Guest House, Ramabai Marg
Lucknow, UP 226012
Sd/-
Secretary to the Commission of Inquiry
UP 154135, DL 07.08.2020, Website: www.upgov.nic.in

TIMES OF INDIA

TIMES NATION

08 AUG. 2020, Lucknow

Page No. 10.

(17)

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020.

Date: 07.08.2020

PUBLIC NOTICE

Whereas a 03 member Commission of Inquiry headed by Dr. Justice B.S. Chauhan (former judge Supreme Court of India), has been constituted consequent to the directions of Supreme Court of India by Government of Uttar Pradesh vide Notification 1082P/VI-P-3-2020-82P/2020 Lucknow Dated 23 July, 2020.

Whereas as per the terms of reference in the said Notification this Commission is to enquire into the incident on the night of 02/03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel, the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur, the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02/03.07.2020 and 10.07.2020, the collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons, the facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole inspite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same, the efforts, if any, made for cancellation of bails/parole granted to Vikas Dubey.

Now, therefore, the Commission hereby invites written statements of facts, comments, etc., alongwith an affidavit, from individual(s), the members of public, groups, organisations, associations, aggrieved persons, print and electronic media etc. acquainted with the facts and circumstances involved in the aforesaid subject matter or otherwise interested with the same stating such information, relevant facts, suggestions, views, comments etc. in detail as may be relevant to the above subject-matter.

Every person filing such written statement may also file--

A list of witnesses, if sought to be examined, a list of documents sought to be relied upon which are in possession either in original or copies thereof. In case of documents not in possession, name and address of such person(s), office etc. from whom/where such documents can be obtained.

Written Statement (in duplicate) referred to above shall be submitted in the office of the Commission (address given below) either personally or through authorised representative (between 12.00 pm to 4.30 pm) or by registered post or email of the Commission i.e. justicebschauhan.commission@gmail.com within 07 days from the date of publication.

Office Address-- **Room No. 202**

VVIP Guest House, Ramabai Maidan Lucknow-U.P. 226012

Sd/-

Secretary to the Commission of Inquiry

UPID-154135/07.08.2020 www.upgov.nic.in

(१४)

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर, 2020 से संबंधित)

अमर उजाला, लखनऊ, पृष्ठ-7
08/08/2020

तिथि 07.08.2020

सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ० न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082-पी0/6-पी0-3-2020-82-पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने, दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफतारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने, विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रद्द करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

अतएव यह आयोग उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रूचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि का विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस
आयोग के ई-मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

www.upgov.nic.in
Upid- 154135 Dt. 07.08.2020

सचिव जांच आयोग

(19)

दैनिक जागरण, लखनऊ, 08 अगस्त 2020.
पृष्ठ संख्या - 8.

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर : 2020 से संबंधित)

तिथि 07.08.2020

सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082-पी0/ 6- पी0-3 -2020-82-पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने (दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफ्तारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने (विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने (उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/ निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रदद करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

अतएव यह आयोग उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई-मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202, वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
[illegible]बाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

हस्ता0/
सचिव जांच आयोग

[illegible]-154135 दिनांक 07.08.2020 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर; 2020 से संबंधित)

दिनांक 17.08.2020

द्वितीय सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082–पी0/ 6–पी0–3 –2020–82–पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने; दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफतारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने; विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने; उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रदद करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 08.08.2020 को प्रकाशित हुई थी, जिसकी अवधि दिनांक 15.08.2020 को समाप्त हो गयी है। अतएव यह आयोग, मामले की विषयवस्तु को देखते हुए, उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ केवल ऐसे/उन व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है, जो किन्हीं कारणवश पूर्व में अपने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके थे। जो अपने लिखित कथन पूर्व में प्रस्तुत कर चुके है, उन्हें पुनः इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई–मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

हस्ता0/
सचिव जांच आयोग

(21)

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020.

Date: 17.08.2020

2nd PUBLIC NOTICE

Whereas a 03 member Commission of Inquiry headed by Dr. Justice B.S.Chauhan (former Judge Supreme Court of India), has been constituted consequent to the directions of Supreme Court of India by Government of Uttar Pradesh vide Notification 1082P/ VI-P-3-2020- 82P/ 2020 Lucknow Dated 23 July, 2020.

Whereas as per the terms of reference in the said Notification this Commission is to enquire into the incident on the night of 02/03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel, the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur, the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02/03.07.2020 and 10.07.2020, the collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons, the facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole inspite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same, the efforts, if any, made for cancellation of bails / parole granted to Vikas Dubey.

Whereas, the 1st public notice was published on 08.08.2020, the time thereof has expired on 15.08.2020. Now, looking into the nature of subject-matter, the Commission has decided to extend the time for further 07 days and hereby invites written statements of facts, comments, etc., alongwith an affidavit, from those individual(s), members of public, organisations, aggrieved persons, print and electronic media etc. who could not submit their written statements and are acquainted with the facts and circumstances involved in the aforesaid subject matter or otherwise interested with the same stating such information, relevant facts, suggestions, views, comments etc. in detail as may be relevant to the above subject-matter. Those who have already submitted their written statements need not file the same.

Every person filing such written statement may also file--

A list of witnesses and/or a list of documents with original or copies thereof. In case of documents not in possession, name and address of such person(s),office etc. from whom/ where such documents can be obtained.

Written Statement (in duplicate) shall be submitted in the office of the Commission (address given below) either personally or through authorised representative (between 12.00 pm to 4.30 pm) or by registered post or **email** of the Commission i.e. justicebschauhan.commission@gmail.com within 07 days from the date of publication.

Office Address --
Room No. 202
VVIP Guest House, Ramabai Maidan
Lucknow. U.P. 226012

Sd/-
Secretary to the Commission of Inquiry

22

THE TIMES OF INDIA - KANPUR

19 AUG 2020

Page No. 7.

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020.

Date: 17.08.2020

2nd PUBLIC NOTICE

Whereas a 03 member Commission of Inquiry headed by Dr. Justice B.S. Chauhan (former judge Supreme Court of India), has been constituted consequent to the directions of Supreme Court of India by Government of Uttar Pradesh vide Notification 1082P/VI-P-3-2020-82P/2020 Lucknow Dated 23 July, 2020.

Whereas as per the terms of reference in the said Notification this Commission is to enquire into the incident on the night of 02/03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel, the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur, the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02/03.07.2020 and 10.07.2020, the collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons, the facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole inspite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same, the efforts, if any, made for cancellation of bails/parole granted to Vikas Dubey.

Whereas, the 1st public notice was published on 08.08.2020, the time thereof has expired on 15.08.2020. Now, looking into the nature of subject-matter, the Commission has decided to extend the time for further 07 days and hereby invites written statements of facts, comments, etc., alongwith an affidavit, from those individual(s), members of public, organisations, aggrieved persons, print and electronic media etc. who could not submit their written statements and are acquainted with the facts and circumstances involved in the aforesaid subject matter or otherwise interested with the same stating such information, relevant facts, suggestions, views, comments etc. in detail as may be relevant to the above subject-matter. Those who have already submitted their written statements need not file the same.

Every person filing such written statement may also file--

A list of witnesses and/or a list of documents with original or copies thereof. In case of documents not in possession, name and address of such person(s), office etc. from whom/where such documents can be obtained.

Written Statement (in duplicate) shall be submitted in the office of the Commission (address given below) either personally or through authorised representative (between 12.00 pm to 4.30 pm) or by registered post or **email** of the Commission i.e. justicebschauhan.commission@gmail.com within 07 days from the date of publication.

Office Address --
Room No. 202
VVIP Guest House, Ramabai Maidan
Lucknow. U.P. 226012

Sd/-

Secretary to the Commission of Inquiry

UPID 154308 dt 17.08.2020 www.upgov.nic.in

23

अमर उजाला, कानपुर, 19 अगस्त 2020

पढ़ें, एक ख़बर के कई पहलू, स्थानीय खबरों में amarujala.com पर

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर, 2020 से संबंधित)

दिनांक 17.08.2020

द्वितीय सार्वजनिक सूचना

यह कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082--पी0/ 6- पी0--3 --2020--82--पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने; दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफतारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने; विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने; उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे के प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रदद करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 08.08.2020 को प्रकाशित हुई थी, जिसकी अवधि दिनांक 15.08.2020 को समाप्त हो गयी है। अतएव यह आयोग, मामले की विषयवस्तु को देखते हुए, उपरोक्त विषय में या अन्यथा, इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ केवल ऐसे/उन व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है, जो किन्हीं कारणवश पूर्व में अपने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके थे। जो अपने लिखित कथन पूर्व में प्रस्तुत कर चुके है, उन्हें पुनः इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियो में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई-मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202
बी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

हस्ता0/
सचिव जांच आयोग

www.upgov.nic.in
Uplo...

दैनिक जागरण, कानपुर, 19 अगस्त 2020
पृष्ठ संख्या - 4

(24)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर; 2020 से संबंधित)

द्वितीय सार्वजनिक सूचना

दिनांक 17.08.2020

यह कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082–पी0/6–पी0–3 –2020–82–पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/03.07.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने; दिनांक 2/03.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफ्तारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने; विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने; इन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रदद करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी हैं।

इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 08.08.2020 को प्रकाशित हुई थी, जिसकी अवधि दिनांक 15.08.2020 को समाप्त हो गयी है। अतएव यह आयोग, मामले की विषयवस्तु को देखते हुएए उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ केवल ऐसे/उन व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है, जो किन्हीं कारणवश पूर्व में अपने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके थे। जो अपने लिखित कथन पूर्व में प्रस्तुत कर चुके है, उन्हें पुनः इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) इस आयोग के कार्यालय में (नीचे दिये गये पते पर) व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई–मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पताः
कमरा नं0 202
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, लखनऊ यू0पी0 226012

सचिव जांच आयोग

UP-154308 दिनाँक 17.08.2020 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

IN GORAKHPUR

19 minors rescued, nine traffickers held

HT Correspondent

LUCKNOW: Nineteen minor boys, being taken to Delhi from Bihar on the pretext of jobs in the capital, were rescued in Gorakhpur in the wee hours of Monday, police said. Nine adults accompanying the minors, including the drivers of the buses, were arrested.

Gorakhpur additional superintendent of police (crime) Ashok Kumar Verma said, "All the rescued children are males aged between 10 and 16 years of age. All of them belong to Araria district of Bihar and were being taken to Delhi on pretext of a job. The rescued children were handed over to district child line for care while police has lodged an FIR in matter and initiated investigations.

The [illegible] that the children were being trafficked in buses. The information about the possible movement was also shared by a NGO Bachpan Bachao Andolan, which works against child labour. Police teams from four police stations in the district were pressed in to identify the buses and rescue the children.

"We intercepted two private buses travelling at some distance from each other. Ten minors were recovered from one bus while the rest were recovered [illegible] from the other bus," said the officer. The children were sent for [illegible] medical and [illegible] before being sent to shelter homes. While police officials refused to divulge the names of the accused, officials claimed that the accused are also from the same area.

"The traffickers come in contact with the minors and even with their parents in some cases. They developed their trust and then asked them to send them to large cities where they could earn money. Because these children come from very poor families, they fell into the trap. Once the minors are moved to a city, they are forced into labour or other illegal activities," said BBA Uttar Pradesh coordinator Surya Pratap Mishra.

The father of a [illegible]-year-old boy who was rescued by the police said [illegible] job of Rs 6,000 [illegible] to work in a hotel in Delhi. "I was only told that he will get a good job in a hotel. We are in need of money so I asked my son to go," said the father. Bordering Nepal and situated close to Bihar, Gorakhpur is a known hotspot for child trafficking in East UP. The practice has been under control due to increased vigilance of authorities but the rescue of these minors has again put spotlight on trafficking in the districts.

'FOCUS WILL BE ON MAKING LUCKNOW CLEANEST CITY'

HT Correspondent

LUCKNOW: Ajay Dwivedi, an IAS officer of the 2015 batch, took over as municipal commissioner of Lucknow on Monday. Soon after taking charge, he met officials of the Lucknow Municipal Corporation and discussed present condition of the corporation with them.

Talking to the media, Dwivedi said, "Basically, I belong to Indore. When I was a child, Indore was one of the dirtiest cities but today it's the cleanest city of India. If they can turn the tables around there, why can't Lucknow become the cleanest city of India? My focus will be on making Lucknow the cleanest city of India."

He added, "For that I have already marked some grey areas like door-to-door waste collection, which is in a poor state. I would also like to see how waste is transported to the landfill site."

Dwivedi said, "Lucknow is one of the best heritage cities of India. Now I have the responsibility of making it one of the best cities of India. For that we will have to increase income of the corporation, and my effort will also be to get released municipal bonds for which LMC was trying for years."

He said, "LMC will ensure that no one throws garbage on the road, especially traders in the main markets of the city." He said, "The LMC will also continue its battle against coronavirus by aggressive sanitisation of containment zones."

UP tops in automobile sale despite pandemic

Brajendra K Parashar

LUCKNOW: Notwithstanding the raging Covid-19 pandemic, the sale of automobiles is climbing faster in Uttar Pradesh than any other state in the country, indicates the Central government's state-wise data on the registration of new vehicles.

UP has, for the second consecutive month after the Unlock, emerged as the leader in terms of both registration of new automobiles and revenue collection from the transport sector in July this year. Not only has the state registered the highest number of automobiles in the country in July but also improved its own tally over June by nearly 75%.

"As per the state-wise data obtained from the Central government's records, UP is number one in registration of new vehicles and collection of revenue by way of tax accruing from such vehicles and activities, including driving license fee, fitness test fee etc," said transport commissioner Dheeraj Sahu. As per the data, as many as 2,01,528 vehicles were registered in UP in July. Of these, 1,96,086 were cars and two-wheelers and 5,442 transport or commercial vehicles like trucks, buses etc. Of the total new vehicles registered 1,63,515 are two-wheelers and 18,905 four-wheelers and rest 19,108 being commercial vehicles like buses, trucks, taxis etc. Distantly following UP in registration of new vehicles in the same month are Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan, West Bengal and Gujarat. In June UP registered 1.5 lakh new vehicles.

"Compared to July 2019, there is still decline in the registration/sale of vehicles by 35% in two wheelers, 30% in four-wheelers and 69% in transport or commercial vehicles," Sahu said, adding, "But the good thing is that the gap is closing down every month."

Also, in terms of revenue earned from registration of new vehicles and other activities other than enforcement, UP was on the top in July. The state earned a total Rs 424.63 crore of which Rs 307.89 crore came from registration of vehicles alone.

Maharashtra (Rs347.12 cr), Karnataka (Rs280.45 cr), Tamil Nadu (Rs281.49 cr) and Rajasthan (Rs270.01 cr) came second, third, fourth and fifth respectively.

STATE	NO OF VEHICLES REGISTERED IN JULY
UP	201528
Tamil Nadu	110754
Maharashtra	100771
Rajasthan	87176
West Bengal	77334
Gujarat	76592

ONE-TIME TAX PAYMENT SYSTEM FOR COMMERCIAL VEHICLES ON THE ANVIL

HT Correspondent

LUCKNOW: Taking a cue from some other states to mop up more revenue at one go, Uttar Pradesh has also proposed introduction of one-time tax payment system for transport (commercial) vehicles, transport department sources said.

"After the transport department sent a proposal in this regard a few weeks ago, the state government has now sought some more details before the proposal is put to the Cabinet for its approval," sources said.

At present, only commercial goods vehicles weighing upto 3,000 kg (largely delivery vans) have the facility of paying one-time tax like non-transport (personalised) vehicles, viz cars.

"Under this, goods carriers weighing up to 7,500 kg and passenger vehicles that have up to 12 seats can make one-time payment of tax at the time of their registration," sources said.

IF IMPLEMENTED, WOULD ENABLE THE GOVERNMENT TO GET AROUND ₹500 CRORE ADDITIONAL REVENUE EVERY YEAR

Buses and trucks, however, will not be covered under the proposed system, considering the fact that one-time tax amount for them may be quite higher since the tax is proportionate to the cost of the vehicle.

Sources said the proposal, if implemented, would enable the government to get around ₹500 crore additional revenue every year.

"Currently, most commercial goods and passenger vehicles pay tax quarterly or annually as the case may be. In the one-time system, the government will get the tax at one go," they pointed out.

Seven VS seats vacant now

HT Correspondent

LUCKNOW: With the death of minister Chetan Chauhan on Sunday, as many as seven assembly seats in Uttar Pradesh legislative assembly have fallen vacant.

These seats are Sadat, Ghatampur, Bulandshahr, Malhani, Bangarmau, Suar and Tundla.

While Naugawan Sadat got vacated after the demise of UP minister Chauhan on Sunday, Ghatampur seat lost its representative, Kamal Rani Varun, another minister, to Covid-19 on August 2. Bulandshahar seat had fallen vacant following the demise of BJP MLA Virendra Singh Sirohi, while Malhani seat in Jaunpur got vacant after the demise of SP MLA Parasnath Yadav. Two seats in the state assembly, Bangarmau (Kuldeep Singh Sengar) and Suar (Abdullah Azam) were declared vacant on the court order. Tundla assembly seat in Firozabad district was declared vacant after election of the sitting MLA SP Singh Baghel to the Lok Sabha in 2019. The election on the seat is pending as hearing of a petition is pending in the Allahabad high court.

While five assembly seats were won by the BJP, the two seats were won by the SP in 2017 assembly elections.

"The prestige of the BJP will be at stake when the by-polls take place. The five seats held by the BJP were held by party strongmen. The by-poll will also give an indication of voters' mood before the crucial 2022 assembly elections," said AK Mishra, a political observer.

BJP MLA, MLC queer Brahmin pitch in UP, oppn reacts

Manish Chandra Pandey

LUCKNOW: Bharatiya Janata Party (BJP) leader Umesh Dwivedi, who runs an organisation for Brahmins, has said he would, with the help of likeminded organisations and people, ensure accidental insurance cover to the community, which, of late, is being wooed aggressively by leading opposition parties.

Dwivedi's announcement, which still hasn't been officially cleared by the BJP, has kicked up a political slugfest, with the Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party, that were first to engage in Brahmin politics by announcing statues in the name of Parshuram, revered by the Brahmins, dismissing BJP's move as 'politics'.

In another development, a party lawmaker Devmani Dwivedi, MLA from Lambhua assembly segment of Sultanpur, served a notice in the UP assembly secretariat for raising the issue of atrocities on the Brahmins. The party leadership is in touch with Dwivedi on the issue, BJP sources said.

Brahmins comprise 10 per cent of the state's electorate and their support is sought by nearly all the parties.

In his 'alpsuchit' (short term) question, Dwivedi has sought to know how many Brahmins were killed in last 3 years and how many accused have been arrested. He further sought to know in how many cases, the police had succeeded in getting the accused convicted and if there was any plan to ensure safety of the Brahmins by providing them arms licences on priority.

Repeated attempts to contact Dwivedi didn't materialise amid reports that the BJP MLA had been summoned to the party office.

The developments queered the pitch ahead of the assembly session of the UP assembly scheduled to start from August 20.

"The statement to provide insurance to poor Brahmins appears more like an exercise to cover one's shortcomings. I think before insurance, the Brahmins need complete self respect from their own government. It would be better if the government focused on this first," Mayawati said in her tweet.

Meanwhile, Umesh Dwivedi maintained he would provide insurance to poor Brahmins.

An MLC from the teachers' quota, Dwivedi, who joined the BJP in November 2019, said he is also the national chief of Rashtriya Brahmothan Manch, an organisation that, he claims, is working for the welfare of the Brahmins.

"I will ensure insurance of ₹10 lakh for 10 years for the poor members of my community," he said without elaborating on how he proposed to raise the premium for an approximately 1.5 crore 'poor Brahmins' which he claimed lived in UP.

"Several insurance companies are in touch with us and we will with the help of likeminded organisations, ensure this is done," he said.

Samajwadi Party national secretary Abhishek Mishra said he welcomed the announcement but added that if the BJP failed to honor its words, he would take to the streets to expose the BJP's double speak.

बवासीर, भगंदर (फिश्चुला), क्षारसूत्र
BHU द्वारा विकसित नवीनतम विधि
डॉ. शंकर मिश्रा B.Sc., BAMS, DHEN, DNYS, CKS
Mob. 0532-2540650, 9335140078, 7007641064

Tender Notice
CMP Degree College ... invites tenders ... www.cmpcollege.com ...

hindustantimes htclassifieds
htclassified listings
EMPLOYMENT · EDUCATION · CHANGE OF NAME · PROPERTY · SHOWROOM · LOAN/FINANCE
B.Sc. NURSING · GNM · ANM · D.Pharma · LAW COLLEGE · B.Ed. · LL.B · UNITY · ANM/GNM

SECURITY PRINTING PRESS
Sealed tenders are invited from eligible and qualified tenderers for the following items.

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION-1, PWD, PRAYAGRAJ
e-Tender (Short Term Tender) Notice Date: 13-08-2020

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020
2nd PUBLIC NOTICE Date: 17.08.2020

Whereas, the 1st public notice was published on 08.08.2020, the time thereof has expired on 15.08.2020. Now, looking into the nature of subject-matter, the Commission has decided to extend the time for further 07 days and hereby invites written statements of facts, comments, etc., alongwith an affidavit, from those individual(s), members of public, organisations, aggrieved persons, print and electronic media etc. who could not submit their written statements and are acquainted with the facts and circumstances involved in the aforesaid subject matter or otherwise associated with the same seeking such information, relevant facts, suggestions, views, comments etc. as deemed as may be relevant to the above subject-matter. Those who have already submitted their written statements need not file the same.

Every person filing such written statement may also file–

A list of witnesses and/or a list of documents with original or copies thereof. In case of documents not in possession, name and address of such person(s)/office etc. from whom/where such documents can be obtained.

Written Statement (in duplicate) shall be submitted in the office of the Commission (address given below) either personally or through authorized representative (between 12:00 pm to 4:30 pm) or by registered post or email of the Commission within 07 days from the date of publication.

Office Address –
Room No. 202
VVIP Guest House, Rambai Maidan
Lucknow, U.P. 226012

Sd/-
Secretary to the Commission of Inquiry

Notice

House No. 1399 of Awadhpuri, Faizabad premises is allotted to Kumari Jasvir Kaur Kaptan D/O Late Shri Jagtar Singh Kaptan on EMI basis. After final payment of EMI Parishad has dispatched sale deed in favour of the allottee on 31.05.2005. Kumari Jasvir Kaur Kaptan has appointed power of attorney of this house to Shrimati Gurmeet Kaur W/O Shri K.D. Singh on 31.05.2005. Smt. Malarani W/O Late Ambika Singh has informed the parishad that she has purchased its Bainama and got its possession. Smt. Malarani has requested to transfer the name in her favour and produced following.

Documents as proof: Photo copy of Bainama, Signed Photograph, Notary affidavit, Banks deposit slip.

There fore, House No. 1399 if any person or institution/bank (Providing Loan) is concerned to it may put an objection within period of 30 days from the date of this notification in written with evidence otherwise it may be transfer Malarani W/o Late Ambika Singh on the basis of power of Attorney.

Subhash Chandra Maurya
Property Manager

(26)

TIMES OF INDIA - LUCKNOW

19 AUG. 2020.

Justice B S Chauhan Inquiry Commission; In re Kanpur Encounter, 2020.

Date: 17.08.2020

2nd PUBLIC NOTICE

Whereas a 03 member Commission of Inquiry headed by Dr. Justice B.S. Chauhan (former judge Supreme Court of India), has been constituted consequent to the directions of Supreme Court of India by Government of Uttar Pradesh vide Notification 1082P/VI-P-3-2020-82P/2020 Lucknow Dated 23 July, 2020.

Whereas *as per the terms of reference in the said Notification* this Commission is to enquire into the incident on the night of 02/03.07.2020 in which Vikas Dubey and his associates allegedly killed 08 policemen and grievously injured other police personnel, the incident dated 10.07.2020 in which Vikas Dubey got killed while being brought from Madhya Pradesh to Kanpur, the police actions while arresting the accomplices of Vikas Dubey between 02/03.07.2020 and 10.07.2020, the collusion, if any of Vikas Dubey and his associates with Police and other departments/persons, the facts and circumstances which resulted in the release of Vikas Dubey on bail/parole inspite of facing approximately 64 criminal cases and ascertain the role and action/inaction of the authorities who dealt with the matter for the same, the efforts, if any, made for cancellation of bails/parole granted to Vikas Dubey.

Whereas, the 1st public notice was published on 08.08.2020, the time thereof has expired on 15.08.2020. Now, looking into the nature of subject-matter, the Commission has decided to extend the time for further 07 days and hereby invites written statements of facts, comments, etc., alongwith an affidavit, from those individual(s), members of public, organisations, aggrieved persons, print and electronic media etc. who could not submit their written statements and are acquainted with the facts and circumstances involved in the aforesaid subject matter or otherwise interested with the same stating such information, relevant facts, suggestions, views, comments etc. in detail as may be relevant to the above subject-matter. Those who have already submitted their written statements need not file the same.

Every person filing such written statement may also file--

A list of witnesses and/or a list of documents with original or copies thereof. In case of documents not in possession, name and address of such person(s), office etc. from *whom/where such documents can be obtained.*

Written Statement (in duplicate) shall be submitted in the office of the Commission (address given below) either personally or through authorised representative (between 12.00 pm to 4.30 pm) or by registered post or **email** of the Commission i.e. justicebschauhan.commission@gmail.com within 07 days from the date of publication.

Office Address --
Room No. 202
VVIP Guest House, Ramabai Maidan
Lucknow. U.P. 226012

Sd/-

UPID 154308 dt 17.08.2020 www.upgov.nic.in

Secretary to the Commission of Inquiry

27

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर; 2020 से संबंधित)

तिथि 28.08.2020

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिसूचना सं0 1082–पी0/ 6– पी0–3 –2020–82–पी0/2020 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा गठित किया गया है।

यह कि उक्त अधिसूचना में संदर्भ के अनुसार इस आयोग द्वारा 2/3.7.2020 की रात में विकास दूबे और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर 08 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देने और अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना तथा दिनांक 10.07.2020 को विकास दुबे के मध्य प्रदेश से कानपुर लाये जाने के दौरान मारे जाने; दिनांक 2/3.07.2020 और 10.07.2020 के मध्य गिरफतारी के समय पुलिस कार्यवाई में विकास दूबे के साथियों के मारे जाने; विकास दूबे और उसके साथियों के साथ पुलिस और अन्य विभागों/व्यक्तियों की कोई मिली भगत होने; उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने जिसमें विकास दूबे के लगभग 64 आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद जमानत/पैरोल पर रिहा हो जाने तथा इस मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की भूमिका एवं कार्यवाही/निष्क्रियता तथा विकास दूबे को प्रदान की गयी जमानत/पैरोल को रदद करने के लिए किये गये प्रयासों की जांच की जानी है।

अतएव यह आयोग उपरोक्त विषय में या अन्यथा इससे रुचि रखने वाले तथा तथ्यों और परिस्थितियों से भिज्ञ व्यक्तियों, आम जनता, समूह, संगठनों, व्यथित व्यक्ति, प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि से लिखित कथन आमंत्रित करता है।

इस तरह के प्रत्येक लिखित कथन, एक शपथ पत्र के साथ, उपरोक्त विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक जानकारी, तथ्यों, सुझावों, टिप्पणियों आदि को विस्तार से बताते हुए दिये जा सकते हैं।

ऐसा लिखित कथन प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साक्षियों की व दस्तावेजों (लिखित, फोटो, अडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आदि) की सूची व उनकी मूल अथवा प्रति, जो उसके कब्जे में हो तथा ऐसे व्यक्ति, कार्यालय आदि का नाम पता, जहां से उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं, दाखिल कर सकता है।

उपरोक्त लिखित कथन (दो प्रतियों में) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक कार्यालय में 7 दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पंजीकृत डाक से दोपहर 12 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच दिये/भेजे जा सकते हैं, या इस आयोग के ई–मेल justicebschauhan.commission@gmail.com पर भी दिये जा सकते हैं।

कार्यालय का पता:
कमरा नं0 202
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, शहीद पथ लखनऊ यू0पी0 226012

हस्ता0/
सचिव जांच आयोग

(28)

376
14/10/2020

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार
सचिव, जाँच आयोग,
कमरा नं0–22, वी0वी0आईपी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, शहीद पथ लखनऊ, उ0प्र0–226012

पत्र संख्या:– 673 /जे0ए0/जाँच आयोग/2020 दिनांक–13/10/2020

विषय:–सार्वजनिक सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने तथा मुनादी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–007/2020/जाँच आयोग/लखनऊ दिनांक 28–8–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित माननीय न्यायामूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउण्टर से सम्बन्धित) द्वारा निर्देशित किया गया है कि पत्र के साथ संलग्न सार्वजनिक सूचना को जनपद के विभिन्न कार्यालयो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि उचित स्थानो में जन साधारण की सूचना हेतु चस्पा किये जाने तथा मुनादी कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देश के कम में जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर के नायब नाजिर द्वारा मुनादी कराये जाने के सम्बन्ध में वीडियो ग्राफी कर सी0डी0 प्राप्त करायी गयी। जिसे मूलरूप में संलग्नकर आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अतुल कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
कानपुर नगर

(29)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

360
7/10/2020

सेवा में,

सचिव, जॉच आयोग,
कमरा नं0–202,
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, शहीदपथ,
लखनऊ।

प0सं0– 683 /जे0ए0–का0दे0/इ0कमीं0लखनऊ/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020

महोदय,

कृपया अपने प0सं0–036/2020/जॉच आयोग/लखनऊ दिनांक 16.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सार्वजनिक सूचना को जनपद के विभिन्न कार्यालयों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि में जन साधारण को सूचना हेतु चस्पा करने व दिनाक 02/03.07.2020 को 10.07.2020 के मध्य घटी घटनाओं व इनकाउण्टर वाले स्थानों व आस–पास के गॉव में आम जनता की सूचना हेतु मुनादी कराने की कार्रवाई करके प्राप्त होने वाली सूचनाओं अभिलेखों/वस्तुओं आदि की सूची बनाकर समस्त रिकार्ड इस आयोग के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में सार्वजनिक सूचना को जनपद की समस्त तहसीलों के सार्वजनिक स्थानों/कार्यालयों में चस्पा कराया गया है किन्तु कहीं से कोई सूचना/अभिलेख/वस्तुएं आदि प्राप्त नहीं हुयी है। अतः चस्पा करायी गयी सार्वजनिक सूचना के फाटोग्राफ्स संलग्न कर सम्प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक: यथोपरि।

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
कानपुर देहात।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL CANCELED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12AE 860461

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जांच आयोग (कानपुर एनकाउण्टर)

शपथ पत्र मिनजानिव अवनीश कुमार सिंह क्षेत्रीय नायब तहसीलदार सदर तहसील परगना एवं जिला इटावा।

शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता है–

1. यह कि आपके आदेश के कम में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना को सार्वजनिक स्थानों यथा शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सरकारी अस्पताल, विभिन्न चौराहों एवं तहसील इटावा के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक सूचना को चस्पा किया गया है।
2. यह कि शहरी क्षेत्र के आस–पास वाले सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करा दी गयी है।
3. यह कि साक्ष्य हेतु फोटोग्राफ संलग्न किया गया।
4. यह कि शपथपत्र की धारा 1 लागायत 3का कुल लेख मेरे निजी ज्ञान से सव सच व सही है कोई बात झूठ नहीं है और न ही छिपाई गई है ईश्वर शपथकर्ता की मदद करे।

शपथकर्ता

शपथकर्ता

प्रमाणित किया जाता है कि इस सत्यापित दस्तावेज शपथ पत्र को श्री .... जिसकी पहचान श्री .... एडवोकेट/क्लर्क इटावा ने की जिसको आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र को पूर्ण अभिलेख को पढ़कर अनुवाद सुनकर व समझकर शपथ पर स्वीकार किया दिनांक 03/09/2020 स्थान .... फीस .... प्राप्त की।

Shiv Raj Singh Yadav
Advocate & Notary Etawah (U.P.)
Regd. No.5088 Govt of India

NOTARY — Shiv Raj Singh Yadav, Advocate, Regd. No. 5088, GOVT. OF INDIA

(2)

407
02/11/2020

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

सेवा में,

सचिव,
मा0 न्याय मूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर, 2020),
कमरा नं0–202, वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस
रमाबाई मैदान, शहीद पथ ,लखनऊ उ0प्र0।

संख्या 75 /न्याय सहायक–बीस–जांच आयोग दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

विषय– सार्वजनिक सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने तथा मुनादी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–008/2020/जांच आयोग/लखनऊ दिनांक 08.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि मा0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जांच आयोग, (कानपुर इनकाउण्टर, 2020) से सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना दिनांक 28.08.2020, को दिनांक 02/03,07,2020 से 10,7,2020 के मध्य घटी घटनाओं व इनकाउण्टर वाले स्थानों व आस पास के गावों में आम जनता की सूचना हेतु मुनादी करायी जाये तथा जनपद के विभिन्न कार्यालयों व उचित स्थान पर चस्पा करने तथा आवश्यक मुनादी की कार्यवाही करके प्राप्त होने वाली सूचनाओं/अभिलेखों/वस्तुओं आदि की सूची बनाकर समस्त रिकार्ड आयोग के कार्यालय में प्रेषित की जाये।

उक्त के अनुपालन में जनपद हमीरपुर में जिलाधिकारी कार्यालय व मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा बस स्टेशन पर व जनपद के समस्त तहसीलों, पुलिस थानों तथा नगर निकाय कार्यालयों में पत्र संख्या–008/2020/जांच आयोग/लखनऊ दिनांक 08.08.2020 के साथ संलग्न सार्वजनिक सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया गया है। साथ ही तहसीलदार मौदहा द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित इनकाउण्टर वाले स्थान व आस–पास के ग्राम अरतरा व तिन्दुही किशुनचन्द्र व तिन्दुही किशोरीलाल में आम जनता की सूचना हेतु मुनादी करा दी गयी है तथा नोटिस बोर्ड व विभिन्न कार्यालयों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर सूचना करा दी गयी है, तथा इस आशय का नोटरी शपथपत्र भी संलग्न किया है।

तहसीलदार मौदहा द्वारा प्रस्तुत आख्या संख्या–1895/ना0ना0–इनकाउण्टर जांच सूचना 2020–21/ दिनांक 08.10.2020 मय शपथपत्र व जनपद के विभिन्न कार्यालयों, तहसीलों, थानों व नगर निकाय कार्यालयों पर की गयी मुनादी सम्बन्धी आख्या संलग्न कर सेवा में प्रेषित है। मा0 आयोग द्वारा प्रेषित सार्वजनिक सूचना को चस्पा कराने तथा आवश्यक मुनादी कराने के उपरान्त भी किसी थी व्यक्ति के द्वारा सूचना, अभिलेख/वस्तु इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
27.10.20
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर।

Documents/Evidence

Incident No. 01

dated 2/3.07.2020

Vill- Bikru, PS-Chaubeypur,

Kanpur Nagar.

① (33)

②

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कानपुर शहर P.S. (थाना): चौबेपुर Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. 0192 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)03/07/2020 05:35 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	149
4	भा द सं 1860	302
5	भा द सं 1860	307
6	भा द सं 1860	394
7	आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से 03/07/2020 Date To (दिनांक तक)03/07/2020
Time Period (समय अवधि):पहर 1 Time From (समय से)01:00 बजे Time To (समय तक):01:30 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 03/07/2020 Time (समय): 05:35 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.):009 Date & Time (दिनांक और समय): 03/07/2020 05:35 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):दक्षिण, 17 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ग्राम बिकरू
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री विनय कुमार तिवारी थानाध्यक्ष
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

Pandy
Tripurari Pandy
पुलिस उपाधीक्षक
[illegible] (CO)

(34)

(h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना चौबेपुर,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना चौबेपुर,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विकास दुबे		पिता का नाम : रामकुमार दुबे	1. बिकरू,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश भारत
2	राजाराम उर्फ प्रेमकुमार		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश भारत
3	श्यामू वाजपेयी		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात,अज्ञात
4	छोटू शुक्ला		पिता का नाम : अज्ञात	1. ग्राम कंजती,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
5	मोनू जेसीबी चालक			1. अज्ञात,अज्ञात
6	जहान यादव		पिता का नाम : सतराम यादव	1. अज्ञात,अज्ञात
7	अतुल दुबे		पिता का नाम : सूर्य कुमार	1. अज्ञात,अज्ञात
8	दयाशंकर अग्निहोत्री		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात,अज्ञात
9	शशिकान्त पंडित		का नाम : प्रेमकान्त	1. अज्ञात,अज्ञात
10	शिव तिवारी		पिता का नाम : दिनेश	1. अज्ञात,अज्ञात
11	विष्णुपाल यादव		पिता का नाम : अज्ञात	1. सुज्जा निवादा ,चौबेपुर,कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश,भारत
12	रामसिंह		पिता का नाम : छोटेलाल	1. ग्राम मदारीपुरवा,चौबेपुर,कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश,भारत
13	रामू वाजपेयी		पिता का नाम : राधेश्याम	1. अज्ञात,अज्ञात
14	अमर दुबे		पिता का नाम : संजीव	1. अज्ञात,अज्ञात
15	प्रभात मिश्रा		पिता का नाम : राजेन्द्र	1. अज्ञात,अज्ञात
16	गोपाल सैनी		पिता का नाम : रामाधार	1. अज्ञात,अज्ञात
17	हीरू दुबे		पिता का नाम : रमेश चन्द	1. ग्राम बिकरू,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
18	बउउन शुक्ला		पिता का नाम : मूलचन्द्र	1. अज्ञात,अज्ञात
19	शिवम दुबे		पिता का नाम : बालगोविन्द	1. अज्ञात,अज्ञात
20	बाल गोविन्द		पिता का नाम : मेवालाल	1. अज्ञात,अज्ञात
21	बउआ दुबे		पिता का नाम : मोन्टी	1. अज्ञात,अज्ञात
22	60-70 बदमाश			1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबंधित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

दिनांक 02/07/2020 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/20 धारा 147,148,504,323,364,342,307 IPC व 7 CLA Act पंजीकृत हुआ जिसके वांछित अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार निवासी विकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर एवं अन्य की बाउम्मीद गिरफ्तारी हेतु जीडी नं0-05 समय 00.27 बजे थाने से, मै प्रभारी. विनय कुमार तिवारी मय हमराहीयान उ0नि0 दीवान सिंह , उ0नि0 सुधाकर पाण्डेय , उ0नि0 कुँवर पाल सिंह मय एक जरब रिवाल्वर मय 6 अदद कारतूस , उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा मय एक पिस्टल मय 10 अदद कारतूस , उ0नि0 अजहर इशरत मय 10 अदद कारतूस , हे0का0 1228 अमृत लाल, का0 2937 सुल्तान सिंह मय एक इंसास मय 20 अदद कारतूस , का0 2550 राजीव कुमार , का0 2516 नेमसिंह मय इंसास रायफल मय 20 अदद कारतूस , का0 1068 अभिषेक कुमार मय इंसास रायफल मय 20 अदद कारतूस , का0 1196 विकास सुधाकर , का0 3786 शिवमूरत , का0 5036 मो0 अजमल , का0 4418 अवनीश कुमार जीप सरकारी UP 78 G 0537 चालक का0 4419 कुँवर पाल सिंह के रवाना हुआ जैसे ही मै मय फोर्स के बेला क्रासिंग पर पहुचा कि पूर्व सूचना के अनुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र मय हमराहियान का0 1119 गजेन्द्र, का0 2076 सुरेन्द्र व का0 प्रवीन मय जीप सरकारी नं0- UP 70 AG 3251, तथा थानाध्यक्ष बिठूर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराही SI अनूप कुमार सिंह , का0 2155 जितेन्द्र पाल सिंह , का0 1508 अजय कश्यप, का0 4238 अजय सेंगर , म0का0 1039 अन्टारा पटेल , उ0नि0श्री सतेन्द्र कुमार , का0 1268 बबलू कुमार , का0 1477 राहुल कुमार , का0 3957 राहुल कुमार मय जीप सरकारी नं0- UP 70AG3260 चालक 1884 भूपेन्द्र सिंह मय सरकारी आवंटन असलहो के एवं थानाध्यक्ष शिवराजपुर श्री महेश यादव मय हमराहियान SI श्री नेब्बू लाल , हे0का0 1025 अवधेश कुमार , रि0का0 2511 पिंटू तोमर , का0 2470 मनदीप , चालक सरकारी वाहन सं0-UP 70 AG 2651 मय वाहन हो0गा0 जयराम कटियार मय सरकारी असलहो व डण्डो के मिले जहा विचार विमर्श के पश्चात ग्राम विकरू अभियुक्त की दबिश एवं तलाश मे रवाना हुआ ग्राम विकरू के बाहर मुख्य सडक पर विकरू मोड द्विवेदी आटा चक्की के पास अपने अपने वाहनों एवं चालकों को आवश्यक हिदायत के तत्पश्चात अभियुक्त की संभावित उपस्थित के स्थान/आवास की घेराबन्दी जिसमे ऊंची-2 दीवारों व कटीले तारों व लोहे के बडे-बडे गेट जो कि अलग-2 व भिन्न दिशाओ मे है, के सम्बन्ध मे मन्त्रणा की गई जिसमे यह तय हुआ कि मुख्य द्वार पर क्षेत्राधिकारी महोदय बिल्हौर के नेतृत्व मे पहुंचकर पुलिस दल तीन भागों मे विभक्त होगा प्रथम दल का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी बिल्हौर करेंगे जिसमे थानाध्यक्ष शिवराजपुर उ0नि0 महेश यादव मय हमराही SI नेबूलाल , हे0का0 1025 अवधेश कुमार , रि0का0 2511 पिन्टू तोमर , द्वितीय दल थानाध्यक्ष बिठूर के नेतृत्व मे जिसमे उ0नि0श्री अनूप कुमार सिंह , का0 2155 जितेन्द्र पाल , का0 1508 अजय कश्यप,का0 4238 अजय सेंगर , उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार,का0 5268 बबलू कुमार , का0 1477 राहुल कुमार, का0 3957 राहुल कुमार , का0 2937 सुल्तान थाना चौबेपुर एक इंसास मय 20 अदद कारतूस तथा तृतीय दल का नेतृत्व मुझ SO चौबेपुर विनय कुमार तिवारी द्वारा स्वंय अपने स्थानीय थाने के उ0नि0 दीवान सिंह , उ0नि0 सुधाकर पाण्डेय , उ0नि0 कुँवर पाल सिंह मय एक जरब रिवाल्वर मय 5 अदद कारतूस , उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा मय एक पिस्टल मय 10 अदद कारतूस , उ0नि0 अजहर इशरत मय 10 अदद कारतूस , हे0का0 1228 अमृत लाल , का0 2550 राजीव कुमार , का0 2516 नेमसिंह मय इंसास रायफल मय 20 अदद कारतूस , का0 1068 अभिषेक कुमार मय इंसास रायफल मय 20 अदद कारतूस , का0 1196 विकास सुधाकर , का0 3786 शिवमूरत , का0 5036 मो0 अजमल , का0 4418 अवनीश कुमार जीप सरकारी UP 78 G 0537 चालक का0 4419 कुँवर पाल सिंह के साथ किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया कि रात्रि की दबिश है, ड्रेगन लाइट आदि अन्य उपकरण एवं सामाग्री मौजूद है तलाश गवाहान की गई तो नावक्त होने के कारण कोई नही मिल सका एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर यह सुनिश्चित किया गया कि हम लोगो के पास कोई नाजायज वस्तु नही है तत्पश्चात द्विवेदी आटा चक्की से विकरू गाव के अन्दर जाने वाले मार्ग पर पुलिस दल रवाना हुआ कि जैसे ही विकास दुबे के घर से लगभग 20 मीटर दूरी पर पहुचे कि देखा कि सडक पर जेसीबी मशीन बेडे बेडे मार्ग को अवरूद्ध करने के लिए खडी की गई थी जिस पर हम लोग जेसीबी मशीन के किनारे बचे हुए स्थान से निकल कर विकाश दुबे के गेट के सामने तिराहे पर पहुंच कर योजना के अनुसार प्रथम दल क्षेत्राधिकारी बिल्हौर महोदय के नेतृत्व मे गेट के सामने रुका तथा बांयी दिशा पूरब की ओर द्वितीय दल SO बिठूर के नेतृत्व मे बढा तथा दाहिनी ओर से दक्षिण दिशा की ओर तृतीय दल मुझ SO के नेतृत्व मे बढ रहे थे सभी पुलिस कर्मी वावर्दी दुरस्त थे सिवाय एक आरक्षी सादे मे पूर्व निर्देश के अनुसार था ड्रेगन लाइट तथा बिजली की पर्याप्त रोशनी थी कि अचानक विकास दुबे की छत से उत्तर पूरब दिशा की ओर बने कमरे की प्रथम खण्ड के कमरे से विकास दुबे एवं उसके साथियों ने अपने अपने हाथ मे लिये रायफल , पिस्टल अन्य अग्नयास्त्रों से अचानक पुलिस बल पर घात लगाकर जान से मारने की नियत से ताबडतोड फायरिंग शुरू कर दी तथा जोरजोर से चिल्लाकर कहा कि पुलिस

(36)

(7)

वालो तुम्हारी यहा दबिश देने की हिम्मत कैसे हो गयी आज कोई बचकर नही जायेगा, कि साथ साथ ही विकास दुबे के घर के सामने राजाराम उर्फ प्रेमकुमार पाण्डेय की छत से भी प्रेमकुमार एवं उसके साथी श्यामू बाजपेयी पता अज्ञात , छोटू शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम कंजती , मोनू JCB चालक पता अज्ञात, जहान यादव पुत्र संतराम यादव एवं अन्य तथा विकास दुबे के घर के पश्चिम की तरफ स्थित अतुल के मकान की छत से अतुल दुबे S/O सुर्य कुमार एवं उसके साथी दयाशंकर अग्रिहोत्री पता अज्ञात , शशिकान्त पाण्डेय पुत्र प्रेमकान्त, पता अज्ञात शिव तिवारी s/O दिनेश , विष्णु पाल यादव S/O अज्ञात निवासी सुजानखाडा , रामसिंह पुत्र छोटे लाल मदारीपुरवा , रामू वाजपेयी S/O राधेश्याम, अन्य साथियों के द्वारा ताबडतोड घात लगाकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी तीनो दिशाओं से गोलियों की एक साथ की गई बौछार से प्रथम दल व द्वितीय दल के अधिकांश सदस्य गम्भीर रूप से घायल हो गये घायल सदस्यों मे कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा आड एवं उचित पोजीशन लेने हेतु राजाराम पाण्डेय के घर की दिशा मे बढे एवं कुछ लोग पप्पू मिश्रा की खाली जमीन की ओर बढ ही रहे थे की बदमाश अपने अपने घरों की छतों से अलग रास्तो से उतर कर तथा पुलिस दल के घायल पुलिस कर्मियों पर एक राय होकर एक साथ फायर करते हुए बढे इस बीच मेरे दल द्वारा अतुल मिश्रा की घर की छत से आ रहे ताबडतोड फायरिग के कारण अपने घायल पुलिस वालो की ओर नही बढ सका क्योकि यह खुला स्थान था एवं आड उपलब्ध नही थी एवं छत से अनवरत फायर होने के कारण वही से खडे होकर उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचने हेतु कवर फायरिंग देने लगा। किन्तु विभिन्न दिशाओं से हमलावरों ने घायल पुलिस कर्मियों को घेर लिया तथा ताबडतोड फायरिंग कर विभिन्न स्थानों पर क्रमशः पप्पू मिश्रा के खाली स्थान पर अर्द्ध निर्मित शौचालय के पास उ0नि0 अनूप कुमार सिंह चौकी इंचार्ज मंधना का0 जितेन्द पाल , का0 बबलू कुमार ,का0 राहुल कुमार , एवं का0 सुल्तान सिंह, की तथा राजाराम पाण्डेय के घर के बरामदे मे SO शिवराजपुर श्री महेश यादव व उ0नि0 नेबू लाल की गोली मार कर हत्या कर दी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बिल्हौर महोदय को विकास दुबे , प्रेमकुमार पाण्डेय , एवं अमर दुबे S/O संजीव, प्रभात मिश्रा S/O राजेन्द,गोपाल सैनी S/O रामआधार,हीरू दुबे S/O रमेश चन्द, बउवन शुक्ला S/O मूलचन्द , शिवम दुबे S/O बालगोविन्द, बालगोविन्द S/O मेवा लाल, बउआ दुबे S/O मोन्टी तथा अन्य साथियो द्वारा घसीट कर प्रेमकुमार पाण्डेय के घर के अन्दर खीच कर ले जाकर गोलियों एवं धारदार हथियार से हत्या कर दी इस दौरान प्रथम , द्वितीय व तृतीय दल के शेष सदस्यों द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसके फलस्वरूप 7 जख्मी पुलिस कर्मियों SO बिठूर श्री कौशलेन्द सिंह, उ0नि0 सुधाकर पाण्डेय,का0 शिवमूरत निषाद, हो0गा0 जयनरायन कटियार , का0 अजय कुमार कश्यप , का0 अजय सिंह सेंगर को हमलावरों से बचाकर सुरक्षित स्थानो पर पहुचा सके किन्तु दौराने फायरिंग घायल SO बिठूर की सरकारी ग्लाक पिस्टल को हमलावरो द्वारा लूट लिया गया किन्तु पुलिस पार्टी द्वारा हो रहे लगातार कवर फायर के कारण कौशलेन्द की हत्या करने मे सफल नही हो सके, पुलिस कर्मियो के सरकारी असलहों को लूट लिया ओर अलग अलग मकानों व रास्तो से होकर गांव मे गुम हो गये इस घटना क्रम को बिजली व प्रकाश की पर्याप्त साधनों मे अभियुक्तगणों को जीवित बचे पुलिस कर्मियों द्वारा भली भांति देखा व पहचाना है घायल पुलिस कर्मियों को रीजेन्सी हास्पीटल SO बिठूर श्री कौशलेन्द प्रताप सिंह के नेतृत्व मे ले जाया गया घायल पुलिस कर्मी चिकित्सालय मे उपचार हेतु भर्ती है आवश्यक सर्तकता बरतते हुए भिन्न भिन्न स्थानो पर शहीद पुलिस कर्मियो के शव के पास पुलिस दल के सदस्य पहुंचकर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि किसी भी शहीद के जीवन के लक्षण शेष नही है तथा शहीद पुलिस कर्मियो एसओ महेश चन्द यादव थानाध्यक्ष शिवराजपुर की 9MM पिस्टल मय 10 कारतूस ,उ0नि0 अनूप कुमार सिंह चौकी इंचार्ज मंधना की 9mm पिस्टल मय 10 अदद कारतूस, का0 जितेन्द कुमार की AK-47 मय 30 कारतूस , का0 सुल्तान सिंह की इंसास मय 20 राउण्ड कारतूस मैगजीन हमलावर असलहें मौके से पहले ही लूट ले गये थे उक्त घटना मे उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण के अतिरिक्त 60-70 अन्य सशस्त्र व्यक्ति भी शामिल थे और इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से ऊंचाई के स्थानों से मोर्चा बनाकर धात लगाकर एक राय होकर पुलिस कर्मियों पर अचानक जान लेवा हमला किया गया था तथा बाद मे हमलवारो ने छतों से कूद कर नजदीक से घातक वार किये थे एवं पुलिस कर्मियों को अंग भंग करके नृशंस हत्या की थी इस सम्पूर्ण घटना मे पुलिस कर्मियों द्वारा अपने सरकारी असलहों से मुझ थानाध्यक्ष द्वारा 10 राउण्ड फायर उ0नि0 कुँवर पाल द्वारा 5 राउण्ड फायर उ0नि0 अजहर इशरत द्वारा 07 राउण्ड फायर उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा द्वारा 05 राउण्ड फायर का0 अभिषेक कुमार द्वारा 07 राउण्ड फायर का0 नेमसिंह द्वारा 05 राउण्ड फायर , का0 जयसिंह द्वारा 03 राउण्ड फायर , का0 जयप्रकाश द्वारा 02 राउण्ड फायर व का0 अजय कश्यप 08 राउण्ड फायर किये गये बदमाशो की इस दुस्साहसिक वारदात व फायरिंग की घटना से आस पास की क्षेत्रो मे आफरा तफरी मच गयी तथा भय एवं आतंक का महौल कायम हो गया उक्त घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है उक्त घटना का नेतृत्व विकास दुबे उपरोक द्वारा किया जा रहा था जो क्षेत्र का शातिर गैंगस्टर एवं हिस्ट्रीशीटर है जिसका भय एवं आतंक क्षेत्र व्याप्त है तथा अपने इन्ही अपराधिक कृत्यों से काफी चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है हमलावरों के द्वारा किये गये फायरिंग के फलस्वरूप खोखा कारतूस भिन्न स्थानों पर खोखा बिखरे पडे है तथा फायरिंग के निशान घटना की आसपास की दीवालों पर एवं अन्य स्थानों पर मौजूद है तथा घटनास्थल के आस-पास मानव रक्त बिखरा पडा है ये घटना क्रम रात्रि 01.00 से 1.30 बजे के आसपास का है अतःसुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत करे। नोट: उ0नि0 देवेन्द कुमार के मार्ग दर्शन मे मै एचएम 1090 यशवीर सिंह प्रमाणित करता हूँ कि अभियोग की कायमी व पंजीकरण बोल बोल कर सीसीटीएनएस म0का0 682 निशा पाल व का03065 जीतेन्द कुमार द्वारा टाइप कराया गया

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत
(1) Registered the case and took up the investigation: VINAY KUMAR TIWARI(SI (Sub-Inspector)) / 132190088 or
(2) Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the investigation (को जाँच अपने हाथ में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया
(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): VINAY KUMAR TIWARI
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 132190088

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय

(38)

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश P.S. (थाना): चौबेपुर

District (जिला): कानपुर शहर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 009
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 03/07/2020 05:35 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ़
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):
   वापसी एसओ व दाखिला एक किता फर्द मुरतया मौका मु0अ0स0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट

इस समय एसओ विनय कुमार तिवारी मय उ0नि0 कुंवर पाल सिंह मय एक जरब पिस्टल 5 अदद कारतूस व उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा मय एक पिस्टल मय 10 अदद कारतूस , उ0नि0 अजहर इशरत मय 10 अदद कारतूस , का0 2550 राजीव कुमार , का0 1068 अभिषेक कुमार मय इंसास रायफल मय 20 अदद कारतूस ,मय जीप सरकारी UP 78 G 0537 चालक का0 4419 कुँवर पाल सिंह के रवाना शुदा रपट नं0 आम तारीख इमरोजा से बाद तलाश व वांछित अपराधीगण सम्बन्धित मु0अ0स0 191/20 धारा 147/148/504/323/364/342/307आईपीसी व 7 क्रि0ला0एक्ट व दबिश ग्राम बिकरू मे अभि0 विकास दुबे पुत्र रामकुमार निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के मस्कन पर दबिश देने एवं गिरफ्तार करने हेतु क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र मय हमराही यान का01119 गजेन्द्र व का0 2076 सुरेन्द्र व का0 चालक प्रवीण मय बोलेरो जीप सरकारी यूपी न0 70 ए0जी0 3251 तथा एसओ श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह थाना बिठूर व उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह थाना प्रभारी चौकी मन्धना व का02155 जितेन्द्र पाल सिंह, का0 1508 अजय कश्यप, का0 4238 अजय सेंगर ,म0का0 1039 अन्दारा पटेल व उ0नि0 सतेन्द्र कुमार, का0 1268 बबलू कुमार, का01477 राहुल कुमार , का0 3957 राहुल कुमार मय जीप सरकारी यूपी 78 ए0जी0 3260 चालक 1884 भूपेन्द्र सिंह मय सरकारी आवंटित असलहो के एवं थानाध्यक्ष शिवराजपुर श्री महेश यादव मय हमराही.यान उ0नि0 नेबूलाल, हे0का0 1025 अवधेश कुमार, रिक्रू0का0 2511 पिन्टू तोमर, का0 2470 मन्दीप चालक सरकारी वाहन संख्या यूपी 70 ए0जी0 2651 क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के निर्देशन मे पार्टिया बनाकर कार्य योजना के अनुसार अभि0 विकास दुबे के मस्कन पर दबिश देने के लिए अलग अलग जा रहे थे। प्रथम पार्टिया मे क्षेत्राधिकारी बिल्हौर उनका फोर्स पार्टी -2 मे थानाध्यक्ष बिठूर मय फोर्स पार्टी -3 थानाध्यक्ष शिवराजपुर मय फोर्स पार्टी -4 एसओ चौबेपुर मय पुलिस बल उ0नि0 कुंवर पाल सिंह मय एक जरब पिस्टल 5 अदद कारतूस व उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा मय एक पिस्टल मय 10 अदद कारतूस , उ0नि0 अजहर इशरत मय 10 अदद कारतूस , का0 2550 राजीव कुमार , का0 1068 अभिषेक कुमार मय इंसास रायफल मय 20 अदद कारतूस , मय जीप सरकारी UP 78 G 0537 चालक का0 4419 कुँवर पाल सिंह के दबिश देने के लिए विकास दुबे के घर के लिए बढे तभी विकास दुबे व उसके अन्य साथियो 1-विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे नि0 बिकरू थाना चौबेपुर 2-राजाराम उर्फ प्रेमकुमार पुत्र अज्ञात 3-श्यामू बाजपेयी 4-छोटू शुक्ला नि0 कजती 5-मोनू (जेसीबी)चालक 6-जहान यादव पुत्र सतराम यादव 7-अतुल दुबे पुत्र सूर्य कुमार 8-दयाशंकर अग्निहोत्री 9-शशिकान्त पंडित पुत्र प्रेमकान्त 10-शिव तिवारी पुत्र दिनेश11-विष्णुपाल यादव पुत्र अज्ञात नि0 सुज्जा निवादा 12-रामसिंह पुत्र छोटेलाल नि0 मदारीपुरवा 13-रामू बाजपेयी पुत्र राधेश्याम 14-अमर दुबे पुत्र संजीव 15-प्रभात मिश्रा पुत्र राजेन्द्र 16-गोपाल सैनी पुत्र रामाधार 17- हीरू दुबे पुत्र रमेश चन्द्र 18-बउउन शुक्ला पुत्र मूलचन्द्र 19-शिवम दुबे पुत्र बालगोविन्द 20- बाल गोविन्द पुत्र मेवालाल 21-बउआ दुबे पुत्र मोन्टी व अन्य 60 , 70 बदमाशो के द्वारा असलाहो व धारदार हथियार से सुसज्जित होकर एक राय होकर विकास दुबे के आसपास घरो पर घात लगाकर पहले से मौजूद बदमाशो द्वारा ताबड तोड फायरिंग करना शुरू कर दिया जिससे बदमाशो की गोली से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से ताबड तोड फायरिंग करना जिससे बदमाश की गोली से क्षेत्राधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्र, श्री महेश यादव थानाध्यक्ष शिवराजपुर, उ0नि0 अनूप कुमार सिंह चौकी इचार्ज मंधना बिठूर, उ0नि0 नेबूलाल थाना शिवराजपुर, का0 2937 सुल्तान सिंह थाना चौबेपुर का0 2155 जितेन्द्र सिंह थाना बिठूर, का0 5267 बबलू थाना बिठूर, का0 3957 राहुल कुमार थाना बिठूर की हत्या कर देना तथा इनके साथ दबिश मे सम्मिलित रहे श्री कौशलेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष बिठूर, उ0नि0 सुधाकर पाण्डेय थाना चौबेपुर, का03786 शिव मूरत निषाद थाना चौबेपुर, का0 1508 अजय कुमार कश्यप व का01548 अजय सिंह सेंगर थाना बिठूर, हो0गा0 5040 जय नरायन कटियार थाना शिवराजपुर गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। बदमाशो के द्वारा असलहो से ताबड तोड फायरिंग करना तथा एसओ शिवराजपुर महेश यादव एक जरब पिस्टल 10 कारतूस, उ0नि0 अनूप कुमार सिंह एक जरब पिस्टल 10 कारतूस , का0 2155 जितेन्द्र कुमार की एक जरब इन्सास 30 अदद कारतूस , का0 2937 सुल्तान सिंह एक जरब इन्सास 20 अदद कारतूस बदमाश लूट कर ले गये। शहीद पुलिस कर्मियो को हैलट अस्पताल उनके साथ नियुक्त कर्मचारियो के द्वारा भिजवाया गया था, पंचायतनामा व पीएम व आवश्यक कार्यवाही वही पर होगी तथा घायल कर्मचारियों को तत्काल इलाज के लिए रीजेन्सी अस्पताल कानपुर नगर भिजवाया गया था मौके पर आला उच्चाधिकारी गण आये थे उनके द्वारा दिशा निर्देश दिये गये थे। बदमाशो की गिरफ्तारी के लिए सरकारी असलहो से एसओ चौबेपुर विनय कुमार तिवारी के द्वारा 10 राउण्ड फायर किये गये। उ0नि0 कुँवर पाल सिंह के द्वारा 5 राउण्ड, उ0नि0 अजहर इशरत द्वारा 7 राउण्ड फायर, व उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा 5 राऊण्ड फायर किये गये। का0 1068 अभिषेक के द्वारा 7 राउण्ड किये व का0 2516 नेम सिंह द्वारा 5 राउण्ड फायर किये व का0 2060 जय प्रकाश द्वारा 2 राउण्ड फायर किये व का0 1508 अजय कश्यप 8 राउण्ड फायर करने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट दिनाँक घटना 03/07/20 समय 01.00 से 01.30 बजे रात्रि दिनाँक सूचना कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर दिशा दक्षिण दूरी 17 कि0मी0 वादी एसओ श्री विनय कुमार तिवारी बनाम - 1-विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे नि0 बिकरू थाना चौबेपुर 2-राजाराम उर्फ प्रेमकुमार पुत्र अज्ञात 3-श्यामू बाजपेयी 4-छोटू शुक्ला नि0 कजती 5-मोनू (जेसीबी)चालक 6-जहान यादव पुत्र सतराम यादव 7-अतुल दुबे पुत्र सूर्य कुमार 8-दयाशंकर अग्निहोत्री 9-शशिकान्त पंडित पुत्र प्रेमकान्त 10-शिवतिवारी पुत्र दिनेश11-विष्णुपाल यादव पुत्र अज्ञात नि0 सुज्जानिवादा 12-रामसिंह पुत्र छोटेलाल नि0 मदारीपुरवा 13-रामू बाजपेयी पुत्र राधेश्याम 14-अमर दुबे पुत्र संजीव नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर 15-प्रभात

मिश्रा पुत्र राजेन्द्र 16-गोपाल सैनी पुत्र रामाधार 17- हीरू दुबे पुत्र रमेश चन्द्र नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर 18-बउअन शुक्ला पुत्र मूलचन्द्र 19-शिवम दुबे पुत्र बालगोविन्द नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर 20- बाल गोविन्द पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर 21-बउआ दुबे पुत्र मोन्टी व अन्य 60 , 70 बदमाश के विरुद्ध तफतीशी अभियोग पंजीकृत कराया गया विवेचना श्रीमान एसएसपी महोदय के अनुसार आवंटित की जायेगी डेमी जरायम इरसाल होगी तफसीला दर पेश है अभियोग पंजीकरण की सूचना जरिये आरटी सेट के माध्यम से उच्चाधिकारी गणो को एसओ महोदय द्वारा दी गयी तथा घटना स्थल से लिये गये खोखे आस पास बिखर गये थे जो जमीन पर पड़े हुए है बदमाशो के द्वारा इस तरह के दुस्साहसिक वारदात तथा पुलिस पार्टी पर ताबड़ तोड़ फायरिंग करना जिससे आसपास गाँवो मे अफरा तफरी का माहौल बन गया था गाँव मे भी कोई अपने घरो से बाहर नही निकल रहा था अभि0 विकास दुबे का जनता मे इतना भय व आतंक व्याप्त है जिसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा व गवाही देने के लिए तैयार नही होता है यह थाना क्षेत्र का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है अभि0 विकास दुबे के द्वारा अपने आपराधिक कृत्यो के कारण चल व अचल सम्पति अर्जित की है इन्ही अपराधिक कृत्यो के कारण सम्पति अर्जित की है जब इन बदमाशो को पकड़ने के कोशिश की तो यह फायर करते हुए पुलिस पार्टी के असलहो को लूटकर फरार हो गये यह घटना रात्रि 01.00 से 01.30 बजे बिकरू गाँव की है फर्द मौके पर टार्च की रोशनी मे मेरे द्वारा बनायी गयी है इस घटना की सूचना मेरे द्वारा तत्काल उच्चाधिकारी गणो को दी गयी थी सूचना पर उच्चाधिकारी मौके पर आ गये थे तथा फील्ड यूनिट को घटना स्थल पर पहुचने जरिये दूरभाष अवगत कराया गया ।

7. **Subject (विषय):**
वापसी एसओ व दाखिला एक किता फर्द मुरत्तबा मौका मु0अ0स0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि व

8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):**

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	149
4	भा द सं 1860	302
5	भा द सं 1860	307
6	भा द सं 1860	394
7	आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932	7

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 15/07/2020
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): KRISHAN MOHAN RAI
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): *KRISHAN MOHAN RAI*
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 132190088

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(40)

(12)

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): बिठूर

District (जिला): कानपुर नगर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 014
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 03/07/2020 08.20 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन/वापसी
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): अपर निरीक्षक
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : पीठ
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):
उ0नि0 महेन्द्र सिंह मय हमराह का01477 राहुल कुमार , म0का01039 अन्दाजा पटेल मय कुबेरो सरकारी यू0पी077 एजी 3260 चालक का0 1884 भूपेन्द्र सिंह के रवाना शुदा रवाना रपट नं0आम मारीची इमरोजा से बाद टाहिल वापस आये एक अदद एके-47 नं0 NBA510826 मय मैगजीन 22 अदद कारतूस जिन्दा लाकर दाखिल किये जिसे हे0का01041 अखिलेश कुमार के सुपुर्द कर अन्दर माल खाना रखवाकर माल बन्द ठीक सन्तरी पहरा को दिखाया गया तहरीर किया कि श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय के हमराही का02155 जितेन्द्र पाल मय एक अदद एके-47 नं0 AE516946 मय 30 कारतूस व का01508 अजय कश्यप मय एक अदद एके-47 नं0 NBA510826 मय 30 कारतूस मय म0का01039 अन्दाजा पटेल मय कुबेरो सरकारी नं0 यू0पी077 एजी 3260 मय चालक का01884 भूपेन्द्र सिंह के दिनांक 02.07.2020 को रपट नं0 37 के रवाना शुदा व हमराह तलब श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय के उ0नि0 अनूप कुमार सिंह मय एक अदद पिस्टल 09 एमएम नं0 16216127 मय 10 कारतूस 09 एमएम व उ0नि0 महेन्द्र सिंह व का05267 बबलू कुमार व का0 1477 राहुल कुमार व का03967 राहुल कुमार व का03248 अजय सिंह सेंगर के मारीची इमरोजा मे रपट नं0 04 वास्ते टाहिल उच्चाधिकारीगणो के आदेश से थाना चौबेपुर के अन्तर्गत ग्राम बिकरु मे वांछित अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरु थाना चौबेपुर कानपुर नगर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के नेतृत्व मे रवाना हुये थे दौराने टाहिल अभियुक्त विकास दुबे व उसके सहयोगियो द्वारा सम्पूर्ण पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुये अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया दौराने फायरिंग काफी अधिकारी/कर्मचारीगण घायल हुये तथा अधिकारी/कर्मचारीगणो की पिस्टल कारतूस व एके-47 मय मैगजीन कारतूस लूट लिये गये घायल अवस्था मे थानाध्यक्ष श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह ,का03248 अजय सिंह सेंगर व का01508 अजय कश्यप को जीवन रक्षा की दृष्टि से उच्चाधिकारियो को सूचना देते हुये रिजेंसी अस्पताल कानपुर नगर मे भर्ती कराया गया तथा उ0नि0 अनूप कुमार सिंह ,का0 2155 जितेन्द्र पाल , का0 5267 बबलू कुमार , का0 3967 राहुल कुमार घटनास्थल पर लहूलुहान पड़े थे जिनको वास्ते उपचार अस्पताल कानपुर नगर मे लाया गया जिनको डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया का0 2155 जितेन्द्र पाल की एके-47 नं0 AE516946 मय 30 कारतूस व उ0नि0 अनूप कुमार सिंह की 09 एमएम पिस्टल नं0 16216127 मय 10 कारतूस 09 एमएम व थानाध्यक्ष कौशलेन्द्र प्रताप सिंह की एक अदद 09 एमएम ग्लाक पिस्टल नं0 AACW407 मय 08 कारतूस नही मिले जो घटनास्थल पर ही दौराने घटना अभियुक्तगणो द्वारा लूट लिये गये तथा का01508 अजय कश्यप के पास एक अदद एके-47 नं0 NBA510826 से 08 राउण्ड फायर किये गये एके-47 नं0 NBA510826 मय शेष 22 कारतूस लाकर थाना दाखिल किये शेष कारतूस नही मिले उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना चौबेपुर पर मु0अ0सं0 192/2020 धारा 147/148/149/302/307/394 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत है शहीद हुये पुलिस कर्मियो की पंचायतनामा /पोस्टमार्टम की कार्यवाही उच्चाधिकारियो के आदेश से सम्बन्धित थाना द्वारा की जा रही है तथा घटना स्थल पर श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर नगर श्री जय नारायण सिंह व आला अधिकारी मौजूद है। लूटे गये उपरोक्त असलहा व कारतूस की रिपोर्ट अलग से उच्चाधिकारीगणो को प्रेषित की जायेगी।
7. Subject (विषय):
वापसी उ0नि0 मय फोर्स
8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 12/08/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): Kaushlendra Pratap Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): Kaushlendra Pratap Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(नं.): 9454403718

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कानपुर
कानपुर नगर

1

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1767/20 Date 03/07/20

Body Received Sealed - Yes/ No. Sealed Intact - Yes / No.

Conducted by Dr. G.N. Dwivedi / Dr. Rahul Varma / Dr. Arvind yadav

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03/07/20 at 11:20 Am.

Date & Time of Commencement of Autopsy 03/07/20 at 11:30 Am.

Time of Completion of Autopsy 03/07/20 at 12.45 Pm.

Date & Time of examination of the dead body at inquest (as per Inquest Report) 03/07/20 at 7:30 Am.

Name & Address of the person video recording the Autopsy Sri Shravan Kumar - Add - 1/18 Idgah Colony Kanpur Nagar P/S Colonel Ganj Kanpur

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered in the Jail or Police record Devendra Mishra

   S/o, D/o, W/o Sri Mahesh Chandra Mishra

   Address Vill & Post - Sahebo P/S Girwa Distt Banda At present - C.O. Bilhaur Kanpur Nagar

2. Age (Approx.) : 57 Yrs. : Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)

   (i) C/ 1807 Mohit Kumar

   (ii) C.P. 17 Rajeev Kumar

   of Police Station Swaroop Nagar Kanpur Nagar

   पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

4. Identified by

   (i) C 17 राजीव कुमार PS स्वरूपनगर

   (ii) C 1807 मोहित कुमार

(42)

IF HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital Brought dead 03/07/20 at

Date & Time of Death in Hospital 5.02 Am. at L.L.R. Hospital

Central Registration No. of Hospital Kalyan Nagar Encl. No. (5)

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 178 cms. (2) Weight NN Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese ✓

(b) Well ✓ built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ______

(ii) ______

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - important features : 1 Shirt, Shoulder batch c 3 Stars both side c 1 Dori, whistle, 1 Name Plate, 1 Janau, 1 Rudraksh mala, 1 Black thread, 1 Karate belt, 1 Shoe, 1 underwear

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy - R.M. - Present all over body & neck.

(7) (a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - (Lt) closed, (Rt) crushed

(ii) Mouth - Partially open

(c) Natural orifices -

पुलिस उपाधीक्षक मुगना सैल कार्यालय कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(B) EXTERNAL INJURIES :

Antimortem Injury.

① Firearm wound of entry & exit - through & Through (Rt) side of nose, face upto (Rt) side of Skull, Brain matter & membrane partially missing, (Rt) Eye missing, (Rt) sided skull & face bones partially missing. Blackening present (Rt) side of nose. margins inverted & irregular.

② (A) Fire Arm wound of entry (Rt) side of Abdomen, muscle deep 2 cm lateral to umbilicus. Blackening, charring present around the wound. margins inverted irregular wound size 1.5cm x 1cm.

(B) Fire Arm wound of Exit 7 cm above (Rt) Iliac crest, lateral side of (Rt) abdomen, 3 cm x 2 cm x margins Everted & irregular, Communicating to Inj No 2(A).

③ (A) F A w. of Entery - 4 cm below (Lt) nipple. 2.5cm x 1.5 cm wound size in (Lt) side of chest antonoly. Blackening & charring present around the wound. margins inverted & irregular.

(B) - F.A w of Exit. (Lt) side of back of chest 24 cm below - C-7 Cervical Vertibrae - w size 3.5cm x 2.5cm. margins Everted & irregular & Communicating with entry wound 3(A)

④ (A) F.A.W. Entery (Lt) side of Abdomen Antero-lateral side 24 cm below (Lt) nipple. margins inverted & irregular Blackening & charring present around the wound.

(B) F.A.W. of Exit - (Lt) side of back of abdomen 17cm above Sacrum. w size 3cm x 2.5cm. margins Everted & irregular Communicating to entry wound 4(A)

⑤ F.A.W. of Entry & Exit through & Through (Rt) side of ankle joint extending upto medial & laterally 5cm x 2cm underline bone ##. Blackening charring present at anterior part of (Rt) ankle joint ... margins inverted & irregular

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

..7/20

(44)

(41)

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings as noted

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) as noted

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels as noted. Lacerated & Pale.

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 700 gms.) Pale, lacerated.

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. (Lt) side normal (Rt) side Absent

2. NECK

- Teeth — 13/15
- Mouth, Tongue & Pharynx — NAD
- Larynx & Vocal cords — NAD
- Condition of neck tissues NAD
- Thyroid & other cartilage conditions NAD
- Trachea — NAD

3. CHEST

- Ribs and Chest wall — As noted
- Oesophagus — NAD
- Trachea & Bronchial Tree — NAD
- Pleural Cavities R. — ~~Lacerated~~ C.O.S. & Pale

  L. Lacerated & Pale

- Lungs findings & Wt. Rt. 450 gms. & Lt. 400 gms. Pale. (Lt) side Ruptured Pale. 1 litter blood present in (Lt) side chest cavity

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय ... नगर

POST MORTEM HOUSE

4

(45)

- Pericardial Sac - Rupture
- Heart findings & Wt. 250 gms - ruptured & empty.
- Large blood vessels - NAD

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall - as noted
- Peritoneum & Peritoneal cavity. - lacerated. - about 800 ml blood present
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 180 gms.) 60 ml watery fluid present M.M. - NAD.
- Small Intestines including appendix } lacerated
- Large Instestines & Masentric vessels }
- Liver including gall bladder (wt. 1250 gms.) Pale Partially filled
- Spleen (wt. 180 gms.) - Pale
- Pancreas - NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 170 gms. & Lt. 160 gms. Both Pale
- Bladder & Urethra - empty - NAD
- Pelvic cavity tissues - NAD
- Pelvic Bones - NAD
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs). NAD

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(46)

(47)

5. SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated) NAD.

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest) About half day

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - hemorrhage & Shock

b) Due to - fire Arm injuries

c) Which of the injuries are anti -mortem/~~post-mortem~~ Allare.

d) Manner of causation of injuries. Fire Arm injuries.

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? yes.

iii) Any other NIL

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera ✗

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

✓ b) Clothes as noted

✓ c) Photographs (Video ~~cassettes~~ D.V.D. in case of custody deaths, fingers prints etc.)

✗ d) Foreign body (like bullet, ligature etc.)

✗ e) Sample of preservative in cases of poisoning.

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

f) Sample of seal

g) Inquest papers (mention total number & initial them) 10+1 = 11

h) Slided from vagina, semen or any other material.

3/7/20
D.V.D

PM report in original, 10+1 inquest papers, dead body, clothing and other articles (mention there) duly sealed (Nos. 05) handed over to police official

Name & No. C.P. 1807 Mohit Kumar, C.P. 17 Rajeev Kumar

of PS Swaroop Nagar Kanpur whose signatures are herewith.

Signature

Name of Medical Officer Dr. G. N. Dwivedi

(In block letters)

Designation U.H.M. Hosp. Kanpur

SEAL

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Receiving

Signature राजीव कुमार

Name राजीव कुमार

Rank कांस्टेबल

Belt No. 17

Police Station स्वरूपनगर

Date of Collection 03-07-2020

Total No. Pages Received

REGENCY HEALTHCARE
ENSURING WELLNESS • ENRICHING LIVES

REGENCY HOSPITAL LTD.
A-2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005, India
T 0512 3501111 F 0512 2213407
www.regencyhealthcare.in

मृत्यु
~~भर्ती/डिस्चार्ज~~ की सूचना

3.7.2020

सेवा में,
थानाध्यक्ष
काकादेव, कानपुर

महोदय,

मृत अवस्था में लाये गये, सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

निम्न विवरण के मरीज को इस चिकित्सालय में ~~भर्ती/डिस्चार्ज किया जा रहा है~~।

रोगी का नाम .... महेश यादव

पिता/पति का नाम .... श्री देव नारायण

उम्र .... 45 वर्ष (विवाहित)

पता .... थाना शिवराजपुर

भर्ती/डिस्चार्ज की तिथि एवं समय .... NA

निदान (Diagnosis) .... गोली लगने से

दुर्घटना स्थल - .... ग्राम - बिकरू

संबंधित थाने का नाम - .... थाना चौबेपुर

लाने वाले का नाम व पता .... पी० आर० वी० चौबेपुर

(4) [illegible] ...AL OFF... MORTU... KANPUR

[Stamp: REGENCY HOSPITAL KANPUR, चिकित्सालय की मोहर, RHL/Emergency/FM/02]

[Signature] पुलिस अधीक्षक [illegible] सेल कार्यालय कानपुर नगर

(49)

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1763/20 Date 03-07-2020

Body Received Sealed - Yes/ No. yes Sealed Intact - Yes / No. yes

Conducted by Dr. (1) B.C. Pal (2) Dr. Praveen Kumar Gupta. Panel headed By Dr. A.K. Gupta ACMO

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03.07.2020 at 8.20 AM

Date & Time of Commencement of Autopsy 03.7.2020 at 9.15 AM

Time of Completion of Autopsy 03.7.2020 at 10.20 AM

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03.7.2020

Name & Address of the person video recording the Autopsy Arvind Trivedi S/o late J.N. Trivedi 106/34 Gandhi nagar P/s [illegible] Kanpur Nagar

CASE PARTICULARS :

Name of deceased and as entered in the Jail or Police record Mahesh yadav

S/o, D/o, W/o Dev Narayan yadav

Address Vill - Banpurva P/o Rampur Kala P/s Sareni Distt Raebareli हालपता [illegible] Kanpur Nagar U.P

2. Age (Approx.) : 45 Yrs. : Male Sex : Male / Female

Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C.P. 3550 Mayank Gangwar P/s Kakadev Kanpur

(ii)

of Police Station

Identified by C.3550 मयंक गंगवार PS काकादेव कानपुर

(i)

(ii)

प्रभारी [illegible] सूचना सेल कार्यालय [illegible]

(6) (50)

IF H. SPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital ____________

Date & Time of Death in Hospital Brought dead in Regency hospital Kanpur

Central Registration No. of Hospital ____________

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 167 cms. (2) Weight NA Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) /

(ii) ____________

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor /

(5) Description of clothes worn - important features (1) uniform shirt one [illegible] name plate, [illegible] (2) [illegible] - 1 (3) [illegible] - 1 (4) [illegible] - 1 (5) [illegible] - 1 (6) one pair of [illegible] (7) [illegible]

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy -

Rigor mortis present all over body. PM staining whole back, buttock and back of both thigh except pressure area present. Body [illegible]

(a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - Partially open [signature] 3/7/2020

(ii) Mouth - closed

(c) Natural orifices -

पुलिस [illegible] सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE [illegible] NAGAR

(51)

(13)

(B) EXTERNAL INJURIES :

AMI ① Firearm entry wound 1x1cm in Epigastric region 2cm Below xiphisternum, margin inverted, Blackening and charring present

② Exit wound 3x2cm in (Rt) Scapular region 8cm below (Rt) Shoulder prominence ... Everted margin no blackening and tattooing

③ Firearm Entry wound 2.5x2cm in (Rt) upper arm lateral part, 9cm below (Rt) Shoulder Prominence margin Inverted

④ Firearm Exit wound 2.5cmx2cm Below left Scapula on back 5cm below lower Border of Scapula everted margin, on dissection metallic object recovered

⑤ Entry wound 1x1cm Lumbar back area 24cm below (Rt) Scapula, 4cm away from vertebrae C/A

⑥ Entry wound (Firearm) 1.5x1.5cm left side chest laterally 13cm below axilla Blackening, tattooing present.

⑦ Firearm Inj 1x1cm circular margin inverted Blackening, tattooing present Left lower leg at level of 4cm above medial malleolus

⑧ Firearm Exit wound 0.5cmx0.5cm everted margin, on dissection one metallic object recovered on lower part of leg (left) 4cm above and laterally c̄ underlying bone fracture.

⑨ Firearm Entry wound 3x2cm Right lower leg ant. margin irregular, 28cm below (Rt) Knee Joint metallic object recovered from dissection

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

64

C) INTERNAL EXAMINATIONS :

) HEAD

(a) Scalp findings NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed). NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels Pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1200 gms.) Pale

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. NAD

NECK

- Teeth – 16/16
- Mouth, Tongue & Pharynx – NAD
- Larynx & Vocal cords – NA
- Condition of neck tissues
- Thyroid & other cartilage conditions
- Trachea

NAD

) CHEST

- Ribs and Chest wall – NAD
- Oesophagus – NAD
- Trachea & Bronchial Tree – NAD
- Pleural Cavities -R- -L-

Lacerated about 1200 ml Blood / ... pleural

Both lacerated ... Pale

Lungs findings & Wt. Rt. ... gms & Lt. ... gms.

... 1563 / 20

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(53)

(65)

- Pericardial Sac NAD
- Heart findings & Wt. 250 gm Both chamber Empty
- Large blood vessels NAD

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall As noted
- Peritoneum & Peritoneal cavity. Lacerated abut oneside Blood & Blood clot +nt
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 170 gms.) Lacerated abut
- Small intestines including appendix Lacerated
- Large intestines & Masentric vessels filled c̄ gases & faeces
- Liver including gall bladder (wt. 1500 gms.) Pale Lacerated Pale GB half filled
- Spleen (wt. 160 gms.) Pale
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 160 gms. & Lt. 160 gms. Both kidney Pale
- Bladder & Urethra NAD Empty
- Pelvic cavity tissues NAD
- Pelvic Bones NAD
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs)

1763/20

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(54)

5. SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated) Not opened

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest) About ½ day old (6 to 12 hrs)

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Haemorrhage and shock

b) Due to - Antemortem Fire-arm Injury

c) Which of the injuries are anti-mortem/post-mortem All

d) Manner of causation of injuries. Due to firearm

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? yes

iii) Any other Nil

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B. - 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

X

b) Clothes ✓

PM No 1763/20

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.) ✓

6 Pieces of metallic object pallets 1 deformed bullet recovered ...

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.) ✓

sealed and handed over to ... C.P. ...

e) Sample of preservative in cases of poisoning. X

6

(55)

(7)

f) Sample of seal

g) Inquest papers (mention total number & initial them) (9) + 1 = 10

h) Slided from vagina, semen or any other material.

Sealed Metallic object, + Yoke

PM report in original, (9)+1=10 inquest papers, dead body, clothing and other articles (mention there) duly sealed (Nos. (5)) handed over to police official

Name & No. CP 3550 Mayank Gangwar

of PS Kakadev whose signatures are herewith.

Signature [signature] 3/7/2020

Name of Medical Officer Dr B. Chal (mob: 9455972391)

(in block letters)

Designation Sr Consultant UHM (Male) Hospital Kanpur

SEAL MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

PM done in my presence and I agree to findings & opinion [signature] 02/07/20

Receiving: DR PRAVEEN KUMAR (Consultant/UHM)

Signature मयंक गंगवार

Name C 3550 मयंक गंगवार

Rank आरक्षी

Belt No. 3680

Police Station थाना काकादेव

Date of Collection 03.07.2020

PM done in my presence & I am agree with the findings & opinion

[signature] DR A K Gupta ACMO 9450225326

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

[signature] पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

Total No. Pages Received 9+9+10 = 28 पेज, कापी नीपोवली एक सील बन्द लिफाफा मय सेंपल एक सील बन्द लिफाफा बुलेट प्राप्त किया C 3550 मयंक गंगवार (का काकादेव थाना)

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

56

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1768/20 Date 03/07/20

Body Received Sealed - Yes/ No. ______ Sealed Intact - Yes / No. ______

Conducted by Dr. Dr Dinesh Kumar Singh, Dr Devendra Singh Rajput, Dr A.P. Mishra

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 3/07/20 11:50am

Date & Time of Commencement of Autopsy 3/07/20 1:30pm

Time of Completion of Autopsy 4:10pm

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03/07/2020 7:30am

Name & Address of the person video recording the Autopsy Anil Gupta Add. 26/64 Etawah Bazar Kanpur mob No. 9335307526

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered in the Jail or Police record S.I Anoop Kumar Singh

S/o, D/o, W/o Ramesh Bahadur Singh

Address Vill. Belkhari (Usarha) P.S. Mandhata Distt. Pratapgarh

2. Age (Approx.) : 35 yr Yrs. : M Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C- 1223 Ankit Kumar

(ii) C- 4430 Yogendra Singh

of Police Station Swaroop Nagar

4. Identified by

(i) का०4430 योगेन्द्र कुमार [illegible]

(ii) D.K. Singh

Scanned with CamScanner

(57)

(L) EXTERNAL INJURIES : Antimortem Injury

(1) Firearm wound 1x1 cm Rt side of face 3cm below Lat canthus of Rt eye - margins inverted, blackening present - on probing track of wound a metallic object recovered from in front of C2 vertebra

(2) Firearm wound 1x1 cm on anterior aspect of abdomen 7cm Rt Lateral to umbilicus margin of wound inverted

(3) a firearm injury 1x1 cm, 27cm below to Rt Nipple and 18 cm Lateral (Right) from umbilicus, margins inverted

(4) Firearm wound 1x1 cm Lateral side of Rt abdomen 7cm above Rt Iliac crest, margins are inverted

(5) Firearm wound 1x1 cm Lateral part of Right Thigh 4 cm above Rt Knee Joint margins inverted on track a metallic object recovered from [illegible]

(6) 1x1 cm Firearm wound on back of Left Knee Joint margins inverted

(7) 2.5x2 cm wound on 5 cm below Knee Joint margins everted communicating to Injury No (6)

(8) a Fire arm wound 0.5x0.5 cm Just above Lt knee Joint margins inverted and charring & blackening present around wound

(9) 3.5 x 3 cm Lateral part of Left Thigh 18cm above Lateral Knee Joint and 27cm below iliac crest

(10) Firearm wound of 2x1.5 cm Left side of posterolateral chest 15cm below shoulder Joint margins everted Communicated with Injury No (3)

(11) Firearm wound 3x2 cm on Left side back of chest 20cm below Lt shoulder, margins everted communicate with Injury No (4)

(12) Fire arm wound 2x2.5cm Lateral part of Left abdomen, margins everted 1cm above Iliac crest communicating with Injury No (2)

[signature] [stamp]

(58)

IF HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital: Brought Dead at LLR hospital on 3/07/20 at 5.02 am

Date & Time of Death in Hospital: 3/07/20 5.02

Central Registration No. of Hospital: ____________________

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 170 cm cms. (2) Weight NA Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese well built

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ____________________

(ii) ____________________

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - important features: 1 Shirt, nameplate [illegible] city shoulder patch, 1 Banyan, 1 pant & belt, 1 underwear, 1 pair shoe socks, [illegible]

(6) Post-mortem Changes:

As seen at Autopsy - R.M. present in neck and upper and lower limb

P.M. Staining present in back of body, back of thigh except contact area

(7) (a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - } closed

(ii) Mouth - }

(c) Natural orifices - NAD

59

(7) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings as noted

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels. pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1410 gms gms.) pale

(e) Orbital, nasal & aural cavities - findings. NAD

2. NECK a metalic object recovered from in front of C2 vertebra.

- Teeth 16/16.
- Mouth, Tongue & Pharynx NAD
- Larynx & Vocal cords NAD
- Condition of neck tissues NAD
- Thyroid & other cartilage conditions NAD
- Trachea NAD

3. CHEST

- Ribs and Chest wall as noted
- Oesophagus NAD
- Trachea & Bronchial Tree NAD
- Pleural Cavities R. NAD

  L. Lacerated about 1/2 Litre blood ant
- Lungs findings & Wt. - Rt. 500 gms. & Lt. 450 gms.

  both left lacerated margin soft sale

Dr. [signature]

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल

- Paricardial Sac NAD
- Heart findings & Wt. 200 both chamber are empty
- Large blood vessels NAD

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall as noted
- Peritoneum & Peritoneal cavity. Lacerated about 1½ liter blood present
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 160gm gms.) 200gm Semi digested food mm NAD
- Small intestines including appendix } Both Lacerated
- Large instestines & Masentric vessels
- Liver including gall bladder (wt. 1450gm gms.) ruptured GB ruptured
- Spleen (wt. 170 gms.) pale
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 160 gms. & Lt. 150 gms. Both pale
- Bladder & Urethra partially filled
- Pelvic cavity tissues 1 metallic object recovered in [illegible] region pelvic bone fracture
- Pelvic Bones #
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs). NAD

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(61)

(59)

5. SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated)

not open

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)

Half to one day

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Haemorrage and shock

b) Due to - Firearm Injury

c) Which of the injuries are anti-mortem/post-mortem all are anti morten

d) Manner of causation of injuries. Firearm Injury

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? yes

iii) Any other as per xray skull - 1 metalic object recovered xray palvise

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera X

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

b) Clothes as noted

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.) ✓ 2 metallic object recovered sealed and handed over to C.P. [illegible]

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

[signature]

f) Sample of seal

g) Inquest papers (mention total number & initial them) 10

h) Slided from vagina, semen or any other material.

Pm done in my presen & I agree with findings of opinion

3/7/20

DVD and 2 metallic object

PM report in original, ... Inquest papers, dead body, clothing and other articles (mention there) duly sealed (Nos. 05) handed over to police official

Name & No. C-1223 Ankit kumar

of PS C-4438 Yogendra Singh whose signatures are herewith.

Swarup Nagar

Signature ____

Name of Medical Officer Dr Alok kumar Singh

(in block letters) ____

Designation MO TBL hospital Kanpur

P.M. done in my presence. I agree with findings & opinion

3/7/20

M.O. CHC Gohalampur

SEAL

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature योगेन्द्र सिंह

Name आरक्षी योगेन्द्र कुमार

Rank आ0(पु)

Belt No. 4438

Police Station स्वरूप नगर

Date of Collection 02/07/020

Total No. Pages Received 09+09+10=28 वर्क प्राप्त किया मुहरबंद वस्त्रों की पोटली व एक डी0वी0डी0 तथा सीलबंद लिफाफा मेटलिक ऑब्जेक्ट्स प्राप्त किया

(63)

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1770/20 Date 3/7/20

Body Received Sealed - Yes / No. Sealed Intact - Yes / No.

Conducted by Dr. Vipul Chaturvedi, Dr. A.K. Gupta, Dr. Aradhana Kumar Umar

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03/07/2020 12:05 PM

Date & Time of Commencement of Autopsy 03/07/2020 2:20 PM

Time of Completion of Autopsy 3:20 PM

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03/07/20 7:15 AM

Name & Address of the person video recording the Autopsy

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered in the Jail or Police record NEBULAL

   S/o, D/o, W/o Kalika Prasad

   Address Vill - Meeti, P/S - Handia, Prayagraj

2. Age (Approx.) : 50 Yrs. Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)
   (i) CP 1208 Umesh Chandra
   (ii) CP 1242 Anmol
   of Police Station Swaroop Nagar

4. Identified by
   (i) Q12nA उपनिरीक्षक PC स्वरूपनगर
   (ii)

प्रभारी सम्प्रेषक सूचना एवं कार्यालय कानपुर नगर

(64)

IF H BPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital } Brought dead at L.L.R Hallet Hospital Kanpur

Date & Time of Death in Hospital } at 5:02 AM dt 03/07/2020

Central Registration No. of Hospital } Encl no ②

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 175 cms. (2) Weight — Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium ✓ / obese

(b) Well built / average built ✓ / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ______

(ii) ______

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - important features : ① Shirt with Shoulder badge & name plate, ① Pant with Belt ① underwear ① Banyan ① Pairshoes with Socks ① [illegible Hindi handwriting]

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy -

RM present all over body

PM Staining present all over body at back, both buttocks and back of both thighs except area of contact flattening

1770/20
03/07/20

(7) (a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - } Closed
(ii) Mouth - }

(c) Natural orifices -

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(B) EXTERNAL INJURIES :

AM Injury.

① Firearm wound of entry of size 1.0×1.0 cm at dorsum of ~~left~~ right hand. Wound margin is inverted. Blackening and charring present around wound.

② Firearm wound of exit of size 2.0 cm × 1.5 cm with everted margin at thenar eminence of (Rt) Hand, communicating to injury No. ①.

③ Firearm wound of entry of size 1.0×1.0 cm with inverted margin at anterior part of left side of chest just adjacent to left sternoclavicular joint. Wound is chest cavity deep. Blackening & charring present around the wound.

④ Firearm wound of exit of size 3 cm × 2 cm at back of chest with everted margin, 15 cm below C_7 cervical vertebra & communicating to injury No. ③.

⑤ Firearm wound of entry of size 1×1 cm, inverted margin with blackening & charring all around the wound present at left side of abdomen 20 cm below left nipple. Wound is abdomen cavity deep.

⑥ Firearm wound of exit of size 2.0 × 2.5 cm with everted margin present at back right side, 10 cm below inferior angle of (Rt) scapula communicating to inj. No ⑤. Metalic object ? bullet present between the cloth and body.

⑦ Firearm wound of entry and exit of size 7 cm × 3 cm with blackening & charring at lower side of wound with inverted margin (lower side) and everted margin (upper side) present at lateral side of left knee joint.

⑧ Firearm wound of entry of size 0.4×0.4 cm present at lateral part of lower 1/3rd of (Rt) thigh, lower 1/3rd of lateral part of (Rt) lower leg. On dissection haematoma (+)nt.

⑨ Firearm wound of entry of size 0.3×0.3 cm is present at medial side of left knee joint, middle of left lower leg. On dissection haematoma (+)nt.

17/10/20
03/07/20

Asst. Superintendent
Post Mortem House
Kanpur Nagar

(66)

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings } NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) }

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels - pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1250 gms.) pale

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. NAD

2. NECK

- Teeth 16/16
- Mouth, Tongue & Pharynx
- Larynx & Vocal cords
- Condition of neck tissues } NAD
- Thyroid & other cartilage conditions
- Trachea

1770/20
03/07/2020

3. CHEST

- Ribs and Chest wall As noted
- Oesophagus Ruptured Lacerated
- Trachea & Bronchial Tree - Ruptured, lacerated
- Pleural Cavities -R- } B/L lacerated about 1½ litre of blood and bloodclot present
  -L- }
- Lungs findings & Wt. Rt. 400 gms. & Lt. 350 gms.
  B/L lacerated

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

- Pericardial Sac Lacerated
- Heart findings & Wt. Lacerated
- Large blood vessels Lacerated

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall as noted
- Peritoneum & Peritoneal cavity. Lacerated about 1 litre of Blood & Blood clot present
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight________gms.) Ruptured Lacerated
- Small intestines including appendix Lacerated
- Large instestines & Masentric vessels Lacerated
- Liver including gall bladder (wt.________gms.) Ruptured GB - Ruptured.
- Spleen (wt. 140 gms.) Pale
- Pancreas Lacerated.
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 150 gms. & Lt. 140 gms. B/L Pale
- Bladder & Urethra
- Pelvic cavity tissues } NAD
- Pelvic Bones
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs). NAD

17/10/20
08/07/20

पुलिस उपाधीक्षक
शांती सेल कार्यालय
...पुर नगर

(68)

(11)

5. **SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated)**

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)
about ½ to 1day

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is . -

a) Immediate cause - Haemorrhage and Shock

b) Due to - antemortem Firearm Injury

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-mortem all are antemortem

d) Manner of causation of injuries. Firearm Injury

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? yes.

iii) Any other Nil

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

b) Clothes as noted

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.) noted

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

पुलिस सहायक
सूचना सेवा कार्यालय
बलरामपुर नगर

POST MORTEM HOUSE

f) Sample of seal ✓

g) Inquest papers (mention total number & initial them) (10) + (1)

h) Slided from vagina, semen or any other material.

PM done in my presence & I am agree with findings & opinion.

Ramo (DR B.K. Gupta) 9457228326

I agree PM finding

03/07/20

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

Video Cassette + Packet - sealed & signed by me containing metallic object

PM report in original, (10) + (1) Inquest papers, dead body, clothing and other articles (mention there) duly sealed (Nos. (5)) handed over to police official

Name & No. CP 1208 Umesh chandra

of PS Swaroop nagar whose signatures are herewith.

1770/20
03/07/20

Signature

Name of Medical Officer DR. VIPUL CHATURVEDI

(in block letters)

Designation M.O. CHC CHAUBEYPUR KANPUR NAGAR

SEAL MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature

Name उमेश चन्द्र

Rank आर.

Belt No. CP 1208

Police Station स्वरूपनगर

Date of Collection 3.7.2020

Total No. Pages Received 9 + 9 + 11 = 29 पेज

[illegible]

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शव विच्छेदन गृह कानपुर नगर

(70)

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1765/20 Date

Body Received Sealed - Yes/ No Yes Sealed Intact - Yes / No Yes

Conducted by Dr. DEVENDRA SINGH RAJPUT & Dr. Dr. DINESH KUMAR SINGH

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03/7/20 at 9:15 AM

Date & Time of Commencement of Autopsy 03/7/20 at 10.15 AM

Time of Completion of Autopsy 11:20 AM.

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 3/7/20 at 4.10 AM.

Name & Address of the person video recording the Autopsy Shashank Dixit s/o Arun Kumar Dixit Block -25. Fk. Rakurtganj Kanpur

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered in the Jail or Police record C.P. Rahul Kumar

S/o, D/o, W/o Om Kumar

Address C-205 Dirvendra Puri, P/S Modi Nagar Distt- Gaziabad

At Present — P/S- Bithoor Distt Kanpur Nagar

2. Age (Approx.) : 31 Yrs. : Male Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C.P. 364 Shivnath Singh

(ii) C.P. 4229 Ravindra Singh

of Police Station Kakadev, Kanpur Nagar

4. Identified by

(i) 634 शिवनाथ सिंह थाना ककदेव [illegible]

(ii)

F HO PITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital Braught dead on 3/7/20 at 4:24 AM.

Date & Time of Death in Hospital

Central Registration No. of Hospital Regency Hospital Kanpur (Ambulance No 4)

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 180 cms. (2) Weight NA Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) NA

(ii)

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor NA

) Description of clothes worn - important features: blood stained 1 T shirt, 1 Baniyan, 1 Pant, belt, 1 underwear. +nt corelating to entry wound

) Post-mortem Changes: Charring marks (hole) +nt

As seen at Autopsy - Rigor Mortis +nt in neck, upper limb & lower limb.

P.M staining +nt in whole back, back of both thighs except contact area.

(a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - (ii) Mouth - Partly opened.

(c) Natural orifices - NAD

पुलिस उपाधीक्षक
... सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(72)

(B) F TERNAL INJURIES :

Antimortem Injuries

(1) A lacerated wound of 2cm X 2cm on Rt side of forehead just above Rt eyebrow

(2) A firearm wound of ~~entry~~ 0.5cm X 0.5cm on lateral part of left side of chest. 7cm bellow left axila; Wound margin is inverted.

(3) A firearm wound of 2cm X 2cm on Rt scapular region of back 10cm posteroinferior to tip of Rt shoulder; the margins are everted and blood is comming out communicating c injury (1)

(4) A firearm wound of 0.5 X 0.5 cm on postero-medial aspect of left forearm 8cm bellow left elbow joint. margins are inverted.

(5) A firearm wound of 1.5cm X 1.0cm on ~~anterolateral~~ anteromedial aspect of left forearm 8cm bellow the elbow joint. The injury is communicating with with injury No (4).

(6) A firearm wound of 0.5cm X 0.5cm on lateral part of left abdomen 5cm above left iliac crest (highest point). The wound margins are inverted.

(7) A firearm wound of 0.5cm X 0.5cm, 4cm above medial from left anterior superior iliac spine The wound margins are inverted.

(8) A firearm wound of 2cm X 1.5cm on Rt lateral aspect of Rt side of chest. 10cm bellow axila. The wound margins are everted.

(9) A firearm wound of 2cm X 2cm on lateral aspect of Rt side of chest 17cm bellow Rt axila. The margins are everted

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना एवं कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(14)

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings ~~NAD~~ as noted.

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels Pale.

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1400 gms.) Pale.

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. NAD

2. NECK

- Teeth 16/16
- Mouth, Tongue & Pharynx
- Larynx & Vocal cords
- Condition of neck tissues NAD
- Thyroid & other cartilage conditions
- Trachea

3. CHEST

- Ribs and Chest wall → 2 to 4 Ribs fractured on left side
- Oesophagus
- Trachea & Bronchial Tree } NAD
- Pleural Cavities R- Lacerated about 300 ml blood + nt
  L- Lacerated about 100 ml blood + nt
- Lungs findings & Wt. Rt. 500 gms. & Lt. 450 gms.
  Both lacerated and pale

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना गेल कार्यालय

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(F4)

- Pericardial Sac lacerated & filled with blood.
- Heart findings & Wt. 300 lacerated, both chambers empty
- Large blood vessels lacerated

4. ABDOMEN

- Condition of abdominal wall. as noted
- Peritoneum & Peritoneal cavity lacerated at multiple sites about 1 liter blood & blood clot ont.
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 180 gms.) about 400 ml semidigested food ont. mucous membrane NAD
- Small intestines including appendix Partly filled c̄ semidigested food & gases c̄ multiple lacerated wounds
- Large instestines & Masentric vessels Filled c̄ fecal matter & gases, c̄ multiple sub laceration ont.
- Liver including gall bladder (wt. 1350 gms.) lacerated and pale ↳ ruptured
- Spleen (wt. 150 gms.) Pale.
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 150 gms. & Lt. 140 gms. Both pale.
- Bladder & Urethra — NAD ↳ empty
- Pelvic cavity tissues NAD
- Pelvic Bones NAD
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs). NAD

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(75)

5. **SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in Indicated)**

OPINION T-2 & T-3 vertebrae fractured.

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)

about 6 to 12 hours

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Haemorrhage & shock.

b) Due to - Antemortem firearm injuries.

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-mortem

All are antemortem

d) Manner of causation of injuries.

Firearm.

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not?

collectively Yes.

iii) Any other

Nil.

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

b) ~~Clothes~~

c) Photographs (Video ~~cassettes~~ in case of custody deaths, fingers prints etc.) DVD.

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.)

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

POST MORTEM HOUSE

(76)

(xi) Sample of seal

(g) Inquest papers (mention total number & initial them) (9)+(1)

(h) Slided from vagina, semen or any other material.

in done in my presence & I agree findings & opinion

Dr ... Mishra

PM report in original, 9+(1) inquest papers, dead body, clothing and other articles

(mention there) duly sealed (Nos. 5) handed over to police official

Name & No. 364 Shivnath Singh.

of PS Kakadev. whose signatures are herewith.

DVD

Signature DSRajput

Name of Medical Officer DEVENDRA SINGH RAJPUT

(in block letters)

Designation M.O. C.H.C. Ghatampur

SEAL p.m. Done in my presence I am agree with opinion of Dr Devendra Singh Rajput

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

Dr Dinesh Kumar Singh

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature शिवनाथ सिंह

Name शिवनाथ सिंह

Rank आरक्षी

Belt No. 364

Police Station थाना काकादेव

Date of Collection 30/01/2020

Total No. Pages Received

पोटली 05 शील पत्र मय DVD प्राप्त।

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(77)

(158)

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1766/20 Date 03/07/2020

Body Received Sealed - Yes/ No. Yes Sealed Intact - Yes / No. Yes

Conducted by Dr. 1. VIPUL CHATURVEDI 2. DR Avadhesh Kumar Umar 3. DR. S.K. Singh

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03/07/2020 10:20 A.M.

Date & Time of Commencement of Autopsy 03/07/2020 12 Noon

Time of Completion of Autopsy 1:10 PM

Date & Time of examination of the dead body Inquest (as per Inquest Report) 03/07/2020 6:10

Name & Address of the person Video recording the Autopsy Arvind Trivedi S/o Late J.N. Trivedi H.No 106/34 Gandhi Nagar Kanpur Nagar

CASE PARTICULARS :

Name of deceased and as entered

In the Jail or Police record JITENDRA PAL

S/o, D/o, W/o TEERTH PAL

Address BARARI

P/S REFINARY

DIST- MATHURA

Age (Approx.) : 26 Yrs. : Sex (Male) / Female

Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) आरक्षी 1632 अरविन्द

(ii) HG 3498 श्यामसिंह

of Police Station Kakadeo

Identified by

(i) का. 1632 अरविन्द थाना काकादेव कानपुर नगर

(ii)

(78)

(15)

I HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital } brought dead at Regency hospital

Date & Time of Death in Hospital } limited 03/07/2020 at 4.21 AM

Central Registration No. of Hospital

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 173 cms. (2) Weight — Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i)

(ii)

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - Important features : ① Shirt with shoulder badge, name plate, ① Pant with Belt, ① underwear ① Baniyan ① Pair shoes ① Pair socks. Clothes are blood stained with burn hole which corresponds to antemortem injuries.

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy - RM ⊕nt all over body

PM Staining ⊕nt at whole back, both buttocks and back of both thighs except area of contact flattening.

1766/20
03/07/20
[signature]

(a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - Partially open

(ii) Mouth - closed

(c) Natural orifices -

पुलिस उपाधीक्षक
यूनानी सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(79)

(*) EXTERNAL INJURIES :

At Injury.

1. Firearm wound of Entry, 1x1cm present at extensor aspect of (R) forearm 3 cm above (Rt) wrist joint, Blackening charring present around wound. Margin inverted.

2. Firearm exit wound, 5x3cm present at medial side of (R) forearm flexor aspect, 1cm above (R) wrist joint with everted margin underlying bone #. communicated with injury No (1)

3) Firearm entry wound of size 1x1cm at left anterior axillary line 13cm from left nipple & 18cm below from left axilla - wound is chest cavity deep with inverted margin. Blackening charring around the wound present.

4) Firearm exit wound 2.5x2.0cm present at (Rt) axilla at mid axillary line 3cm below from (Rt) axilla. Margin everted, communicating to injury No (3)

(5) Firearm entry wound 1x1cm size with abdominal cavity deep is present 2.5cm inferolateral to injury No (3). Margin inverted, Blackening charring (P) at

(6) Firearm exit wound 3.0x2.0cm size with everted margin present at (Rt) side of chest anteriorly at junction of 5cm from (Rt) nipple and 5cm from (Rt) Sterno clavicular joint, communicating to injury No (5)

7) Firearm entry wound of size 1x1cm with chest cavity deep present 3cm below inferior angle of (Lt) scapula with inverted margin. Blacking charring present around the wound.

(8) Firearm exit wound of size 2.5cmx2.0cm with Everted margin present at (Lt) side of chest 10cm above from (Lt) nipple near (Lt) Sternoclavicular joint underlying bone #. communicating to inj. No (7)

(9) Firearm entry wound of size 1x1cm present at left medial malleolus with inverted margin. Blackening & charring present around the wound.

(10) Firearm exit wound of size 5cmx1cm present at First metatarsal 5cm distal to injury No. (9) with everted margin. communicating to inj No (9).

(11) Firearm entry wound 0.5x0.5cm is present at dorsum of (Rt) foot. 4cm below (Rt) ankle joint with inverted margin. Blackening charring around the wound. Piece of bullet recovered from 4cm below entry wound.

(12) Firearm entry wound 0.2x0.2cm is present 11cm above from (Lt) ankle joint at shin of (Lt) leg. On excision a small fragment of bullet (metallic piece!) recovered.

1766/20
03/07/20

पुलिस उपाधीक्षक

POST MORTEM HOUSE

(80)

(15)

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings } NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) }

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels – Pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1800 gm gms.) Pale

(e) Orbital, nasal & aural cavities - findings. NAD

2. NECK

- Teeth 16|16
- Mouth, Tongue & Pharynx } NAD
- Larynx & Vocal cords
- Condition of neck tissues
- Thyroid & other cartilage conditions
- Trachea

1766|20
03|07|20

3. CHEST

- Ribs and Chest wall – As Noted
- Oesophagus – NAD
- Trachea & Bronchial Tree – NAD
- Pleural Cavities -R- } Lacerated about 1.5 litre blood and blood clot present
  -L-
- Lungs findings & Wt. - Rt. 375 gm gms. & Lt. 305 gms.
  Soft Lacerated Pale

POST MORTEM HOUSE

(81)

(163)

- Pericardial Sac Lacerated
- Heart findings & Wt. Lacerated
- Large blood vessels Lacerated

ABDOMEN

- Condition of abdominal wall as noted
- Peritoneum & Peritoneal cavity. Lacerated about 1 ltr of blood & clot present
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 75gm gms.) Perforated at anterior & posterior wall of stomach size is 1x1cm. MM-NAD
- Small intestines including appendix Partially filled c gases
- Large instestines & Masentric vessels Partially filled with fecal matter c gases.
- Liver including gall bladder (wt. 1500 gm gms.) Lacerated pale GB. Partially filled.
- Spleen (wt 170 gms.) Lacerated pale
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 150gm gms. & Lt. 130gm gms. Pale.
- Bladder & Urethra
- Pelvic cavity tissues } NAD
- Pelvic Bones

1766/20
13/07/2020

MPO

- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs).

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(82)

5. SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated) Not open

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest) about ½ day

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is -

a) Immediate cause - Haemorrhage and shock

b) Due to - antemortem firearm injury.

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-mortem all are antemortem

d) Manner of causation of injuries. Firearm.

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? Yes

iii) Any other - Nil

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

1766/20
03/07/2020

b) Clothes - Noted

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.) ✓

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.) Yes

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

83

f) Sample of seal ✓

g) Inquest papers (mention total number & initial them) (10) + 1 = (11)

h) Slided from vagina, semen or any other material.

Post mortem done in my presence I am agree with all the findings

PM done in my presence I am agree with all PM findings

07/07/2020
(Dr. S.K. Singh)

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Dr. A.K. Verma

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE

PM report in original, (10)+1= (11) inquest papers, dead body, clothing and other articles (mention there) duly sealed (Nos. (5)) handed over to police official

Name & No. आरक्षी 1632 अरविन्द

of PS Kakadeo whose signatures are herewith.

1766/20
03/07/2020

Signature

Name of Medical Officer DR. VIPUL CHATURVEDI

(in block letters)

Designation M.O. CHC CHAUBEYPUR KANPUR NAGAR

SEAL

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature अरविन्द कुमार

Name अरविन्द कुमार

Rank आरक्षी

Belt No. C 1632

Police Station काकादेव

Date of Collection 3.7.20

Total No. Pages Received 9+9+11 =29 पेज

(84)

(174)

REGENCY HEALTHCARE

ENSURING WELLNESS · ENRICHING LIVES

REGENCY HOSPITAL LTD.
A-2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005, India
T 0512 3501111 F 0512 2213407
www.regencyhealthcare.in

मृत्यु

भर्ती/डिस्चार्ज की सूचना

3.7.2020
समय 5.17 Am

सेवा में,
थानाध्यक्ष
काकादेव, कानपुर

महोदय,

मृत अवस्था में आने की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु
मृत्यु

निम्न विवरण के मरीज को इस चिकित्सालय में भर्ती/~~डिस्चार्ज किया जा रहा है~~ ।

रोगी का नाम .... आरती बबलू

पिता/पति का नाम .... श्री छोटे लाल

उम्र .... २५ वर्ष

पता .... थाना बिठूर

भर्ती/डिस्चार्ज की तिथि एवं समय .... NA

निदान (Diagnosis) .... ~~एक गोली लगने से~~

दुर्घटना स्थल - .... ग्राम - विकरु थाना चौबेपुर

संबंधित थाने का नाम - .... चौबेपुर

लाने वाले का नाम व पता .... पी आर वी चौबेपुर

(4)

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

REGENCY HOSPITAL
चिकित्सालय मुहर

RHL/Emergency/FM/02

[signature]
पुलिस उपायुक्त
मुख्य सेल कानपुर
कानपुर नगर

(85)

(182)

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1769/20 Date 03/7/20

Body Received Sealed - Yes/ No. Ys Sealed Intact - Yes / No. Ys

Conducted by Dr. (1) Rahul Verma (2) Dr G.M. Dawade (3) Dr Arvind Yadav

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03/7/20 8:40 Am

Date & Time of Commencement of Autopsy 03/7/20 ~~10:20 Am~~ 8:50 Am

Time of Completion of Autopsy 03/7/20 10:20 Am.

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03/7/20 7:45

Name & Address of the person video recording the Autopsy Shashank Dixit. S/o Arun Kr Dixit. R/o Block No.25 Mocrabard Loony Colony Kanpur Nagar.

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered in the Jail or Police record C.P 5267 Babloo Kumar

S/o, D/o, W/o S/o Chhoto lal

Address Pokhar Pandey Magla Todiya P/S Fatehabad Distt Agra.
Present addr Thana Bithoor Kanpur Nagar

2. Age (Approx.) : 25 Yrs. : M Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C.P. 452 Dharmendra Tiwari

(ii)

of Police Station Kalkodeo

4. Identified by

(i)

(ii)

PM-1769/20

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

86

157

IF HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital ______ (3 M-2 (04))

Date & Time of Death in Hospital ______ Brought Dead on 03/7/2020

Central Registration No. of Hospital ______ Regency Hospital Ltd Sarvodya Nagar Kanpur.

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length ___165___ cms. (2) Weight ___ND___ Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ______

(ii) ______

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - important features : (1) 1 pair Shoes (2) 1 पैंट c belt Shades (3) 1 Shirt c Mono plate ... (4) 1 ... (5) 1 under wear (6) ... (7) 1 mask (8) 1 ...

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy - Rigor mortis + nt all over body. PM staining - Not ...

(7) (a) External general appearance - PM 1764/20

(b) State of (i) Eyes - | closed.

(ii) Mouth - |

(c) Natural orifices -

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(87)

(14/3)

(B) EXTERNAL INJURIES : Antimortem injury

(1) Firearm injury (A) wound of Entry Size: 1.5cm x 1.0cm present on Ant. surface of left side of neck. 5 cm above left clavicle. 7 cm below chin. Margin inverted & irregular. Blacking, tattooing present around the wound.
(B) Wound of Exit :- Size. 1.2 x 0.6 cm present on left side of neck. just below left ear. Margins everted & irregular. Communicating to Entry wound.
Left lower jaw #.

(2) Firearm injury (A) wound of Entry Size: 0.4 x 1 cm present on left side of skull. 4 cm above the left ear. Margin inverted & irregular. Blacking, tattooing present around the wound.
(B) Wound of Exit - Size. 0.2 x 0.1 cm present on Rt ear. Margins everted & irregular. Brain material is coming out. Temporo-parietal bone both side #. Communicating to Entry wound.

(3) L.W. 0.8 x 0.2 cm x muscle deep present on Top of left shoulder.

(4) Abrasion 0.2 x 0.2 cm present on lateral surface of left side of chest 17 cm below left axillary pit.

(5)

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना तंत्र कार्यालय
कानपुर नगर

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings As Noted

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) As Noted

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels Lacerated & Pale About 50ml clotted blood exit

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1800 gms.) Lacerated Pale & Partially missing

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. As Noted.

2. NECK

- Teeth 16|16
- Mouth, Tongue & Pharynx NAD
- Larynx & Vocal cords Lacerated.
- Condition of neck tissues As Noted
- Thyroid & other cartilage conditions NAD
- Trachea Lacerated.

3. CHEST

- Ribs and Chest wall - As Noted NAD
- Oesophagus Lacerated.
- Trachea & Bronchial Tree Noted.
- Pleural Cavities -R- -L- NAD
- Lungs findings & Wt. - Rt. 500 gms. & Lt. 500 gms. Both Pale

पुलिस उपाधीक्षक ... कार्यालय कानपुर नगर

PM 1769/20

(89)

(85)

- Pericardial Sac NAD
- Heart findings & Wt. 250 gms both <(L/R) 7 Empty
- Large blood vessels NAD

4. ABDOMEN

- Condition of abdominal wall NAD
- Peritoneum & Peritoneal cavity. NAD
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 170 gms.)
  200 ml Semidigested fluid cont
- Small intestines including appendix MM = NAD
  Partially filled c gas
- Large Instestines & Masentric vessels
  Partially filled c faecal matter c gas
- Liver including gall bladder (wt. 1300 gms.) Pale
  Partially filled.
- Spleen (wt. 200 gms.) Pale
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 120 gms, & Lt. 110 gms.
  B/L Pale
- Bladder & Urethra Empty
- Pelvic cavity tissues
- Pelvic Bones

  NAD

PM 1769/20

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs).

POST MORTEM HOUSE KANPUR

(90)

(187)

5. **SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated)**

OPINION & Cervical Spine Cord Crushed

I) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)

About 06 to 12 hours before P.M.

II) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Haemorrhage & Shock

b) Due to - Antimortem fire Arm injury

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-mortem A ll

d) Manner of causation of injuries. Inj No 03 & (02) Caused & Hard & blunt object & Rest are Firearm injury

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? Inj No (01) & (02)

III) Any other

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera ✗

(I) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

b) Clothes As Noted

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.) ✗

e) Sample of preservative in cases of poisoning. ✗

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर न.

17.6.9/20

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(91)

f) Sample of seal 1

g) Inquest papers (mention total number & initial them) 09

h) Slided from vagina, semen or any other material.

PM report in original, (01) 09 (07) inquest papers, (02) dead body, (04) clothing and other articles 1 Uridoo Cornel

(mention there) duly sealed (Nos. 04) handed over to police official

Name & No. CP 452 Dharmendra Tiwari

of PS Kakadeo whose signatures are herewith.

p.m. done in my presence. I agree with the findings

Signature

Name of Medical Officer Dr SAHIL VERMA

(In block letters) MO UHM Kanpur

Designation

Pm done his ... I agree c pm findings

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature

Name धर्मेन्द्र तिवारी

Rank आरक्षी

Belt No. 0452

Police Station काकादेव

Date of Collection 8.7.2020

Total No. Pages Received 9+9+10 = 28 Page

एक सील बन्द कपड़ों की पोटली + एक सील बन्द लिफाफा नीचे लेबल के साथ किया

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सैल कार्यालय कानपुर नगर

PM 1769/20

92

201

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1763/20 Date 03/07/20

Body Received Sealed - Yes/ No. Sealed Intact - Yes / No.

Conducted by Dr. Avadhesh Kumar Umar, Dr Vipul Chaturvedi, DR. SK Singh

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 03/07/20, 11:55 AM,

Date & Time of Commencement of Autopsy 03/07/20 - 01:05 PM

Time of Completion of Autopsy 02:10 PM

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03/07/20 - 06:10 बजे

Name & Address of the person video recording the Autopsy Arvind Dwivedi S/o Late J.N Dwivedi 105/34 Gandhi nagar P/S Sisamau Kanpur nagar

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered

   In the Jail or Police record CP - 2837 Sultan singh

   S/o, D/o, W/o S/o Har prasad dhobi

   Address Mauranipur Dalil chauk Jhansi

2. Age (Approx.) : 35 Yrs. Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)

   (i) CP - 778 Ranjit Kumar, PRD chatrapal

   (ii) Swaroop nagar Kanpur nagar

   of Police Station

4. Identified by

   (i) का० 778 रंजीत कुमार थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर

   (ii)

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(13)

(125)

IF HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital ______

Date & Time of Death in Hospital ______

Central Registration No. of Hospital ______

· Brought dead - 03/07/20 at 05:00AM at LLR hospital Kanpur nagar with inclusive no-⑤

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 170 cms. (2) Weight NA Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ______

(ii) ______

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - Important features : - 01 shirts, shoulder batch, name plate, Dori, CT, 1 baniyan, one kala dhaga c Tabij-

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy - Rigor mortis present - all over body -
PM staining - back, buttocks, both back of the Thigh -

(7) (a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - closed
(ii) Mouth - partly opened

(c) Natural orifices - NAD

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(B) EXTERNAL INJURIES :

Fire arm injury – ① Entry wound – 01x01 cm into bone deep – left side face just below left angle of the mouth. margin – inverted charring present around wound.

② Fire arm injury – Exit wound – 2.8x02 cm back of the chest, 14 cm below to C7 vertebra, communicating with injury no ① margin – everted.

③ – Fire arm entry wound – 01x01 cm into muscle deep blacking entry wound and charring present wound – 13 cm above from left knee joint margin inverted.

④ – Fire arm injury exit wound – 3.5x3 cm back of the thigh. 05 cm below to left buttock – margin everted communicating with injury (03 and 04)

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय

POST MORTEM HOUSE

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings — NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) — NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels — Pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1300 gms pale gms.)

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. — NAD

2. NECK

- Teeth — 16/16
- Mouth, Tongue & Pharynx — NAD
- Larynx & Vocal cords — clotted blood present
- Condition of neck tissues — clotted blood present surrounding mus G
- Thyroid & other cartilage conditions — NAD
- Trachea — contused c clotted blood present

3. CHEST

- Ribs and Chest wall — NAD and chestwall - NAD
- Oesophagus — Lacerated
- Trachea & Bronchial Tree — As noted
- Pleural Cavities -R- -L- both side lacerated about one litre blood present
- Lungs findings & Wt. - Rt. 450 gms. & Lt. 400 gms. B/L Lacerated pale

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय

- Pericardial Sac . Lacerated
- Heart findings & Wt. Lacerated
- Large blood vessels Lacerated

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall — NAD
- Peritoneum & Peritoneal cavity. — NAD
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 170 gm) 400 ml semi digested food material gms.)
- Small intestines including appendix — filled c gases
- Large instestines & Masentric vessels — filled c gases c fecal matter
- Liver including gall bladder (wt. 1300 gm pale gms.)
- Spleen (wt. 150 pale gms.)
- Pancreas — NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt 150 gms. & Lt. 140 both pale gms.
- Bladder & Urethra — Empty —
- Pelvic cavity tissues — NAD
- Pelvic Bones — NAD
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs). — NAD

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(97)

(201)

5. SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated) Lacerated

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)

— about half day —

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause — Haemorrhage and shock

b) Due to - Antimortem fire arm injury —

c) Which of the injuries are anti-mortem/post-mortem

d) Manner of causation of injuries. — Fire arm injury —

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? yes

iii) Any other —

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

b) Clothes — As noted

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.)

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल ...
कानपुर नगर

(98)

(v) Sample of seal

(vi) Inquest papers (mention total number & initial them) — (18)

(vii) Slided from vagina, semen or any other material.

PM done in my presence
I agree with findings & opinion
(Dr. Vipul Chaturvedi)
03/07/20

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Postmortem done in my presence
I am agree with all the findings

03/07/2020
(Dr. S.K. Gupta)
Acmo

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

PM report in original, (18) Inquest papers, dead body, clothing and other articles video-cassette

(mention there) duly sealed (Nos. (05)) handed over to police official

Name & No. CP 778 Ranjit Kumar, P.R.D. [illegible]

of PS Swaroop nagar Kanpur whose signatures are herewith.

Signature ______

Name of Medical Officer Dr. Avadhesh Kumar Umar

(In block letters) DR AVADHESH KUMAR UMAR

Designation MO

SEAL

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature रंजीत कुमार

Name रंजीत कुमार

Rank आरक्षी

Belt No. 778

Police Station स्वरूप नगर

Date of Collection 03/07/2020

Total No. Pages Received 09+09+10 = 28 पेज व एक वीडियो कैसेट मय

मोहर बंद कब्जे में पोस्टमार्टम लिया

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(219)

REGENCY HOSPITAL LTD.

MEDICO-LEGAL/INJURY REPORT

MLC No. 9739/20	Date of Admission : 03-07-20
UHID No. : 169 7032	Time of Admission : 02 32
I.P. No. : 20/179239	Consultant : Dr R. Jain
Name : Mr Ajay Kumar Kashyap	Dept. : Ortho
S/o, D/o, W/o Ashok Kumar	
Age/Sex : 25 y / M	

Permanent address of patient with police station :

Thana Bithoor KNP

Local Address of Patient :

Name of person accompanying the patient (with relation) and address:

Kaushlesh Pratap C/l Chaubepur Thana Chaubepur

Mark of Identification :

1 As on forehead

2

Mode of Injury/Event Gunshot

Date and Time of Injury/Event : 03-07-20 1 AM

Place Police Station, of Injury/Event : Vill Vikru Chaubepur Knp

Primarily treated at : Outside

Local Examination :

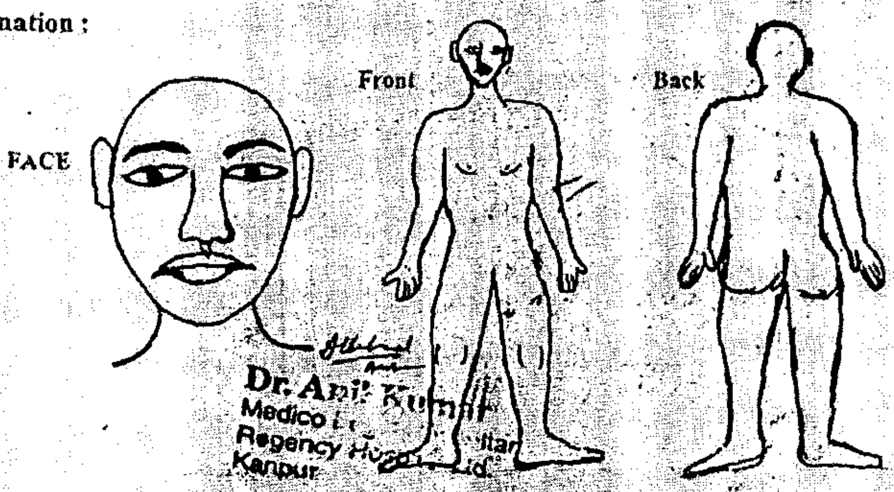

Dr. Anil Kumar
Medico Legal Officer
Regency Hospital Ltd.
Kanpur

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(100)

(219)

(210)

Injuries :

[illegible]

Systemic Examination

GC n/s BP 120/[illegible] P/R 70[illegible] R/R [illegible]

Chest B/L [illegible] P/A [illegible] CVS S[illegible] CNS [illegible]

History :

[illegible] Vilas [illegible]

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Opinion / Report : :

Police information sent Yes / No [illegible]

Medico-Legal Done By :-

Name : Dr. [illegible] Date & Time : 03.07-20

Designation : Medico [illegible] Consultant Place : [illegible]

Seal : Regency [illegible] Ltd

RHL/Emergen

(107)

(516)

(219)

REGENCY HOSPITAL LTD.
MEDICO-LEGAL/INJURY REPORT

MLC No 936/20
UHID No 1657839
I.P. No. : 20/179291
Name : Sudhakar Pandey
S/o, D/o, W/o Ram Narayan Pandey
Age/Sex : 52 y / M

Date of Admission : 03.07.20
Time of Admission : 07.33
Consultant : Dr. J. Vu
Dept. : N Surgery

Permanent address of patient with police station : thana chaubepur ...

Local Address of Patient :

Name of person accompanying the patient (with relation) and address: Kaushik pratap (colleague) ...

Mark of Identification :
1. [illegible]
2.

Mode of Injury/Event [illegible]
Date and Time of Injury/Event : 03.07.20 1 AM
Place Police Station, of Injury/Event : vill Vikru chaubepur ...
Primarily treated at : [illegible]

Local Examination :

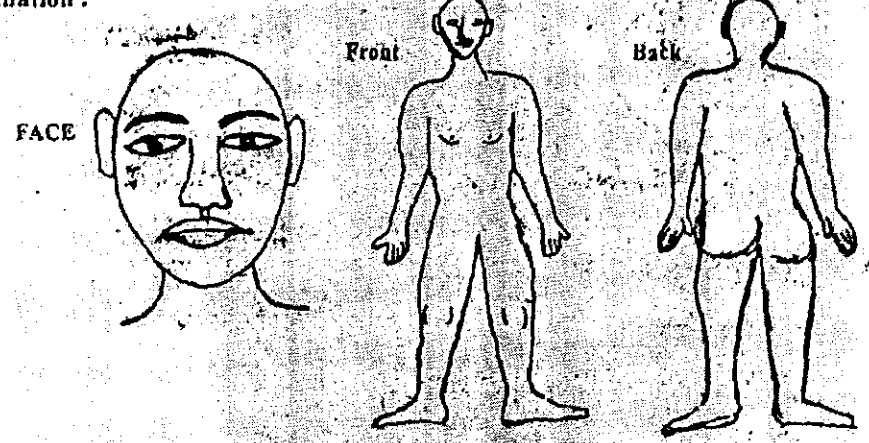

पुलिस उपायुक्त
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Dr. Anil Kumar
Medico Legal Consultant
Regency Hospital Ltd.
Kanpur

RHL/Emergency/FM/30

Injuries :

[illegible] Size 35 X 25 [illegible] [illegible]

Systemic Examination

GC [illegible] BP [illegible] P/R [illegible] R/R [illegible]

Chest B/L [illegible] P/A [illegible] CVS $S_1 S_2$ [illegible] CNS [illegible]

History :

[illegible]

[illegible] पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेवा कार्यालय कानपुर नगर

Opinion / Report : : [illegible]

Police information sent Yes / No

Medico-Legal Done By :-

Name : [illegible]

Date & Time : 03-[illegible]

Designation : Dr. [illegible] Kumar

Place : [illegible]

Seal : Dr. [illegible] Kumar, Medical Consultant, Regency Hospital Ltd, Kanpur

RHL/Emergency/

REGENCY HOSPITAL LTD.

MEDICO-LEGAL/INJURY REPORT

MLC No. 9341/20	Date of Admission : 03-07-20
UHID No. 1667837	Time of Admission : 03.03
I.P. No 20/170244	Consultant : Dr [illegible]
Name : [illegible]	Deptt : [illegible] Gen Surgery
S/o, D/o, W/o [illegible]	
Age/Sex : 48 / M	

Permanent address of patient with police station :

Thana Chaubepur [illegible]

Local Address of Patient :

Name of person accompanying the patient (with relation) and address:

[illegible]

Mark of Identification :

[illegible]

Mode of Injury/Event Gun [illegible]

Date and Time of Injury/Event : 03-07-20 1 AM

Place Police Station, of Injury/Event : Vill Vikru Chaubepur [illegible]

Primarily treated at : [illegible]

General Examination :

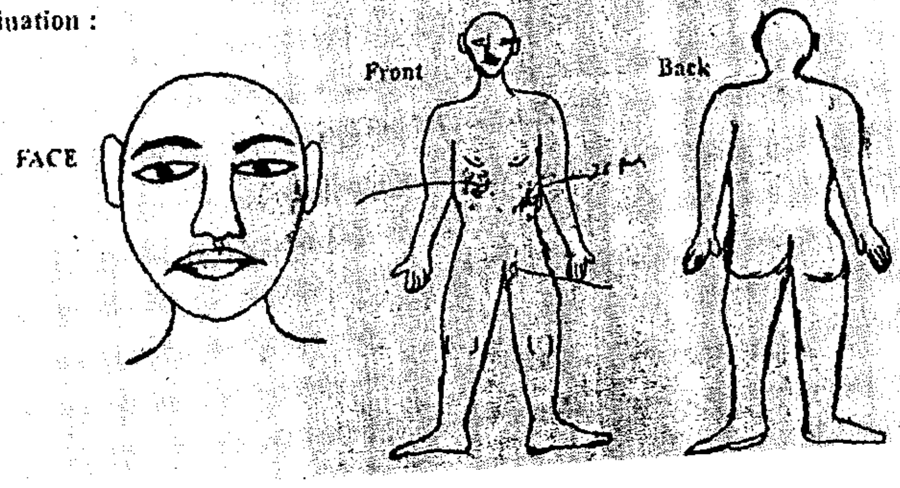

पुलिस [illegible] सूचना सेल [illegible] कानपुर

Medi[illegible] Consultant
Regency Hospital Ltd.
Kanpur

(209)

Injuries :

[illegible] 35 X 8.15 [illegible]

Systemic Examination

GC [illegible] BP 100/70 P/R [illegible] R/R 18

Chest B/L [illegible] P/A [illegible] CVS S1 S2 (N) CNS [illegible]

History :

[illegible]

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर

Opinion / Report ::

Police information sent Yes / No [illegible]

Medico-Legal Done By :-

Name : [illegible]

Date & Time : 03.09.20

Designation : Dr. [illegible]

Place : [illegible]

Seal :

Dr. Anil Kumar
Medico Legal Consultant
Regency Hospital Ltd.
Kanpur.

(105)

(220)

(209)

REGENCY HOSPITAL LTD.
MEDICO-LEGAL/INJURY REPORT

o. 37/20 | Date of Admission : 03-07-20
No. : 1667033 | Time of Admission : 02.27
: 20/179 240 | Consultant : Surgical gen Unit
Ajay Singh Sengar | Dept. : ,,
o, W/o Parshuram Singh Sengar
x : 34y/M

nt address of patient with police station :

R-38 Tatyatope Nagar Armapur

ddress of Patient :

,,

f person accompanying the patient (with relation) and address:

Parshuram Singh (Wife) caste

f Identification :

A Scar Eye

f Injury/Event Bomb Inj

d Time of Injury/Event : 03-07-20 1 am

olice Station, of Injury/Event : village Vikru chaubepur kanpur

y treated at : Ambul Run

xamination :

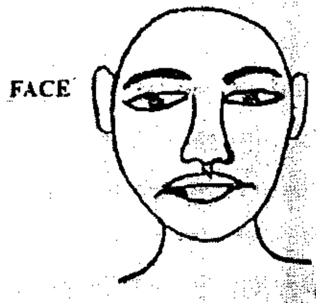

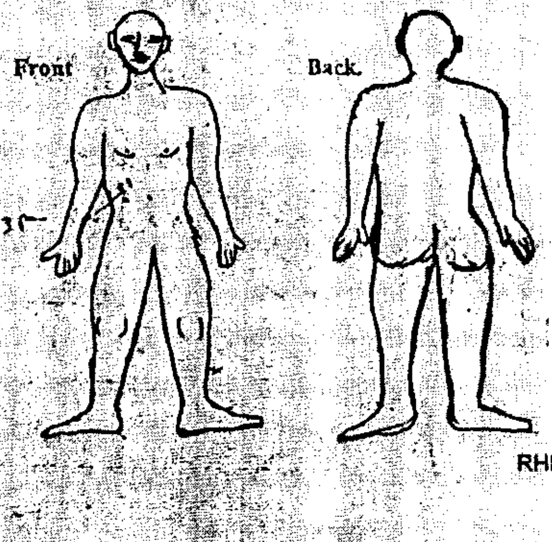

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Dr. Anil Kumar
Medico Legal Consultant
Regency Hospital Ltd.
Kanpur

RHL/Emergency/FM/30

(210)

Injuries :

[illegible handwriting]

Systemic Examination

GC A/S BP 112/70 mm P/R 76/m RR [illegible]

Chest B/L [illegible] P/A [illegible] CVS S1 S2 CNS [illegible]

History :

[illegible handwriting]

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Opinion / Report : [illegible handwriting]

Police information sent Yes / No

Medico-Legal Done By :-

Name : Dr. Anil Kumar

Date & Time : 03.07-20

Designation : Legal Consultant

Place : RHL [illegible]

Seal : Dr. Anil Kumar

RHL/Emergency

107

222

211

REGENCY HOSPITAL LTD.
MEDICO-LEGAL/INJURY REPORT

3/20	Date of Admission : 03-02-20
[illegible]	Time of Admission : 0300
[illegible]	Consultant : [illegible]
[illegible]	Dept. :
W/O [illegible]	
[illegible]	

...il address of patient with police station : [illegible]

...ddress of Patient :

...f person accompanying the patient (with relation) and address: Vikas [illegible] (Friend / [illegible])

...f Identification : [illegible]

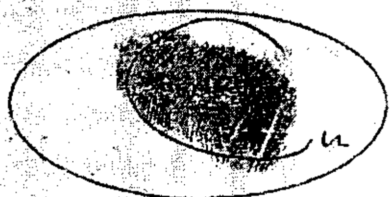

...f Injury/Event [illegible]

...nd Time of Injury/Event : 03-02-20 1 AM

...olice Station, of Injury/Event : Vill Vikas [illegible]

...ily treated at : [illegible]

Examination ;

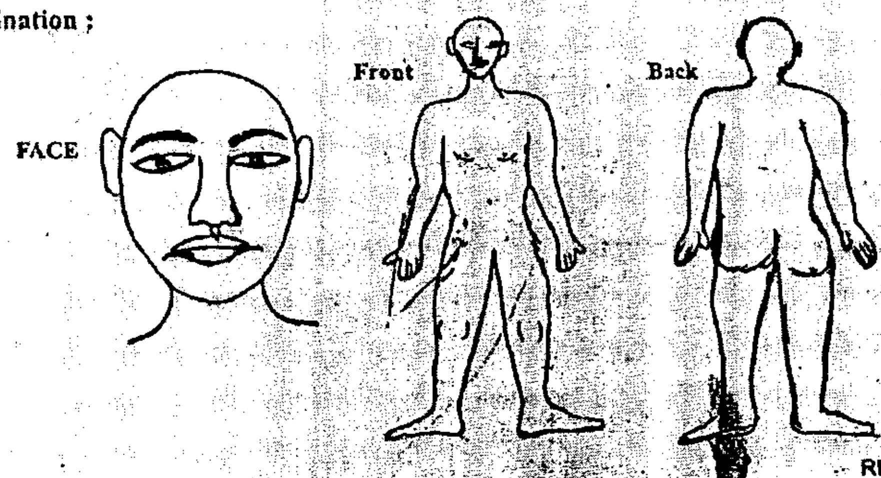

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
[illegible]

Dr. Anil Kumar
Medico Legal Consultar
Regency Hospital Ltd,
Kanpur

108

223

212

Injuries :

[illegible] 15-20 [illegible] forearm [illegible]

[illegible]

Systemic Examination

GC [illegible] BP 110/70 P/R 79/m R/R 16/m

Chest B/L [illegible] P/A [illegible] CVS S1 S2 CNS [illegible]

History :

[illegible]

Opinion / Report : : [illegible]

Police Information sent Yes / No

Medico-Legal Done By :-

Name : [illegible] Date & Time : 03-07-20

Designation : Dr. Anil Kumar Place : [illegible]

Seal : Medico Legal Consultant Regency Hospital Ltd. Kanpur

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल अदालत कानपुर नगर

RHL/Emerg

(109)

(216)

(215)

REGENCY HOSPITAL LTD.
MEDICO-LEGAL/INJURY REPORT

MLC No. : 9370170	Date of Admission : 03-07-20
UHID No. 1697931	Time of Admission : 3.00
I.P. No 20/1/79 241	Consultant : Dr R. Jayant
Name M. Kaushlendra	Dept. : Gmo
S/o. D/o. W/o Pt. 3 yr	
Age/Sex : 36y / M	

Permanent address of patient with police station : Thana Chaubepur KNR.

Local Address of Patient :

Name of person accompanying the patient (with relation) and address: Ashwini Kumar Tail Colleague Thana Swaroop Nagar

Mark of Identification :

1. A mole ...

2.

Mode of Injury/Event: human

Date and Time of Injury/Event : 03-07-20 1 AM

Place Police Station, of Injury/Event : Vikas Chaubepur Kanpur vill Vikru

Primarily treated at : Rural Pol

Local Examination :

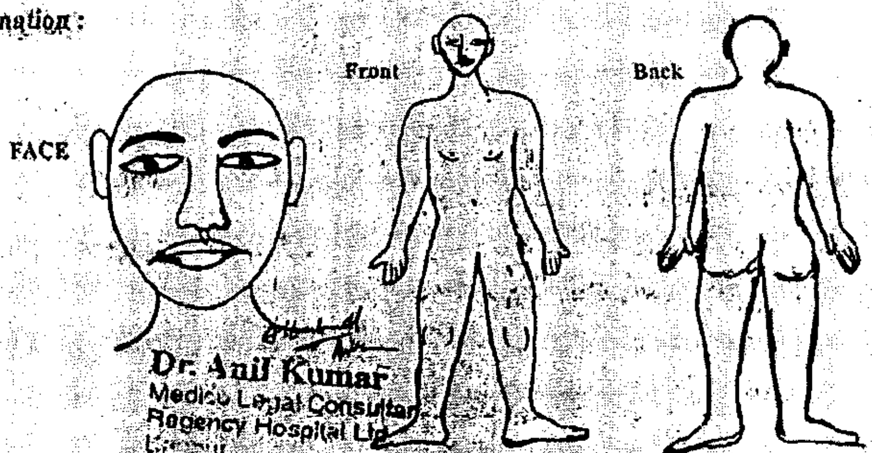

Dr. Anil Kumar
Medico Legal Consultant
Regency Hospital Ltd.

पुलिस उपायुक्त ... कार्यालय कानपुर नगर

RHL/Emergency/FM/30

(110)

(216)

Injuries :

[illegible handwritten entry]

Systemic Examination

GC [illegible] BP 118/70 [illegible] P/R 96 R/R 16

Chest B/L [illegible] P/A [illegible] CVS S1 S2 CNS [illegible]

History :

[illegible] fire arm injury by Vikas Dubey & his Relatives [illegible] Police Team Raid [illegible]

Opinion / Report : :

Police information sent Yes / No [illegible]

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर

Medico-Legal Done By :-

Name : Dr. Anil Kumar, Medico Legal Consultant, Regency Hospital Ltd., Kanpur

Date & Time : 07.07.20

Designation :

Place : [illegible]

Seal :

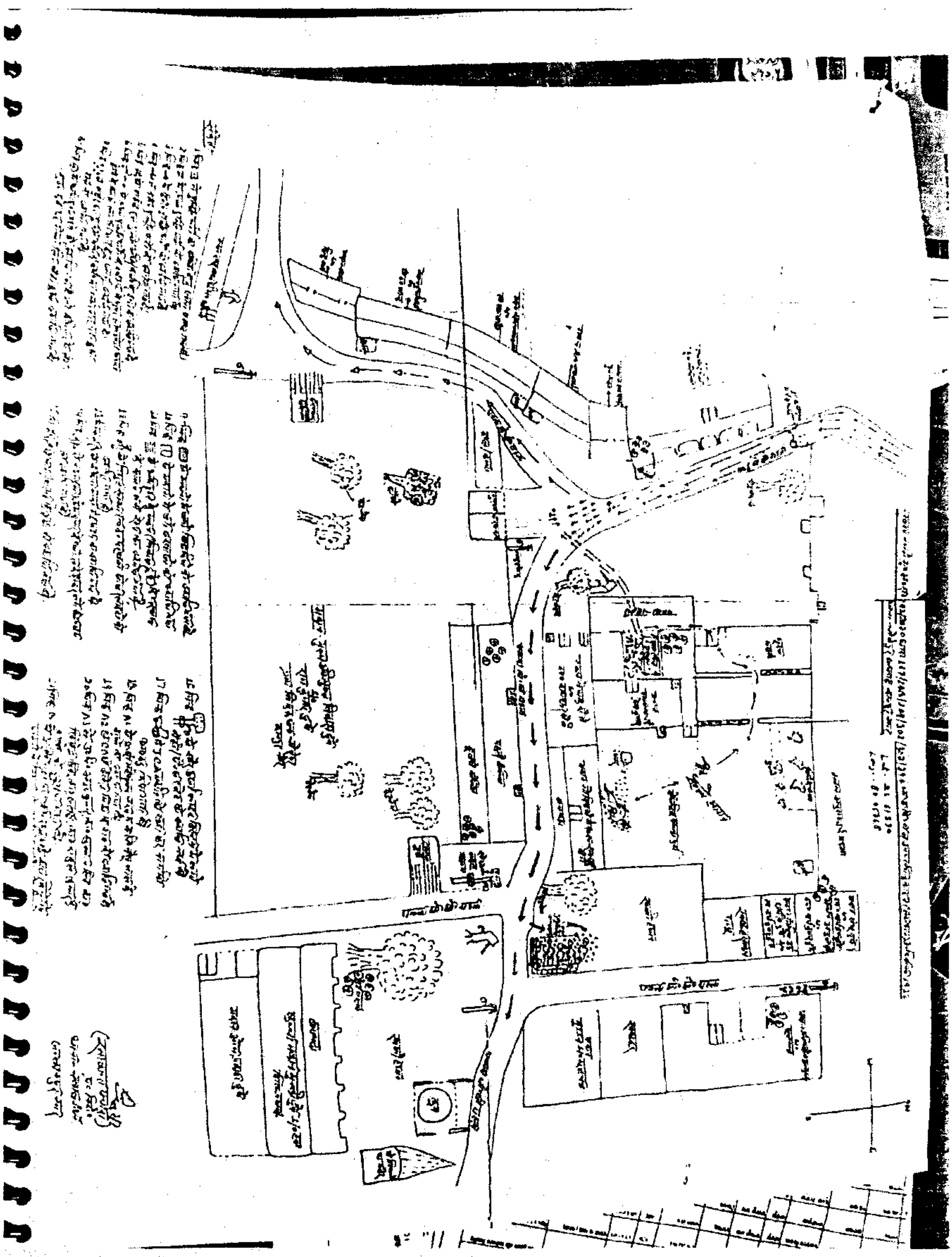

Scanned by CamScanner

963

(112)

कार्यालय - फोरेन्सिक फील्ड यूनिट , छावनी , कानपुर नगर।

पत्र सं0- फी0यू0/05/2020 दिनांक: अगस्त, 27 ,2020

प्रभारी निरीक्षक
थाना –रेलबाजार
जनपद -कानपुर नगर

विषय- मृतक पुलिस कर्मियों के शरीर पर आयी चोटों के आधार पर सम्भावित अस्त्रों के निगमन का विवरण

सन्दर्भः- मु0अ0सं0 192/2020 धारा -147/148/149/302/307/395/412/120बी भादवि0 व 7CLA Act. थाना – चौबेपुर, जनपद -कानपुर नगर के सन्दर्भ में है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या निल दिनांक 26/08/2020 के सन्दर्भ में आपेक्षित विवरण निम्नवत है-

1. शहीद क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 05 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। उक्त चोटों के आकार प्रकृति तथा Wound Surrounding Affect के तहत सभी Injuries Close range रायफल से बनी प्रतीत होती हैं तथा रायफल की Injury सम्भावित हैं।
2. शहीद थानाध्यक्ष श्री महेश चन्द्र यादव, थाना –शिवराजपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 09 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें नं0 1 व 2 चोटें रायफल की Close range फायर से बनना सम्भावित है जबकि 3 व 4 चोटे स्टिंगर रायफल से बनी चोटे प्रतीत होती हैं। चोट नं0 5 CMP 315 बोर से जबकि चोट नं0 6 व 7 CMP 315 बोर के Close range फायर से बनना सम्भावित है। चोट नं0 8 पिस्टल के फायर से तथा चोट नं0 9 CMP से बनना प्रतीत होता है।
3. शहीद उ0नि0 श्री अनूप कुमार, चौकी प्रभारी मंधना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 12 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें नं0 10,11 व 12 की चोटें फायर आर्म का Exit Wound है। चोट नं0 01 CMP के Close range फायर से बनना सम्भावित है जबकि चोट नं0 02,03,04 व 05 पिस्टल से बनना सम्भावित है। चोट नं0 06 व 07 रायफल का फायर प्रतीत होता है। चोट नं0 08 CMP के Close range फायर से बनना प्रतीत होती है। चोट नं0 09 CMP 12 बोर से बनना सम्भावित है।
4. शहीद उ0नि0 श्री नेबूलाल, थाना -शिवराजपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 09 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें नं0 01 से 07 तक की चोटें रायफल के Close range फायर से बननी प्रतीत होती है। जबकि चोट नं0 08 व 09 पिस्टल के फायर से बनना सम्भावित है।
5. शहीद आरक्षी सी0पी0 2937 सुल्तान सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 04 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें सभी चोटे रायफल के Close range फायर से बनना सम्भावित है।
6. शहीद आरक्षी सी0पी0 5267 बब्लू कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 04 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें चोट नं0 01 व 02 रायफल के Close range फायर से बनना सम्भावित है जबकि चोट नं0 03 व 04 फायर आर्म Injury नहीं है यह चोटें किसी धारदार हथियार से बनना सम्भावित है।

–2—

Scanned with CamScanner

113

964

7. शहीद आरक्षी राहुल कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 09 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें चोट नं0 01 फायर आर्म Injury नहीं है तथा यह किसी धारदार हथियार से बनना प्रतीत होती है। चोट नं0 02,03,04,05,06 तथा 07 की Injury पिस्टल से बनना सम्भावित है। चोट नं0 08 व 09 फायर आर्म का Exit Wound है।

8. शहीद आरक्षी जितेन्द्र पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Anti Mortem Injury के अन्तर्गत कुल 12 अदद चोटें दर्शायी गयी हैं। जिनमें नं0 01 से 10 तक की चोटें रायफल के Close range फायर से बनना सम्भावित है जबकि चोट नं0 11 व 12 पिस्टल से बनी प्रतीत होती हैं।

27/08/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी, फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद –कानपुर नगर

Ref. studies-

1- Principles of forensic medicines and toxicology by Rajesh Bardale M.D. 1st edition 2011 chapter -10, Fire Arm and Bomb Blast Injuries.
Published by Jaypee Brothers medical publishers (P) LTD.

2- Hand book of fire arm and ballistics by Brian J. Heard, 2nd edition
Published by A. John Wiley and sons ltd publication.

3- Medical jurisprudence and toxicology by Jamshed P. Modi 24th edition.
Published by Nexis Lexis Butter Worth Link publication Nagpur.

Scanned with CamScanner

(114)

कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र०, महानगर, लखनऊ-226006 |

Part N 96763

प्रेषक,

निदेशक,
विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र०
महानगर, लखनऊ।

सेवा में,
क्षेत्राधिकारी बिल्हौर
जनपद-कानपुर नगर।

पत्रावली संख्या-812-BAL-2020 दिनांक-10.11.2020
मु०अ०सं०-192/2020 थाना-चौबेपुर
धारा-147,148,149,302,307,394 IPC,7CLA.Act राज्य बनाम-विकासदुबे आदि।

दिनांक 05.09.2020 को प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग से एक सर्वमुहर बंडल प्राप्त हुआ जिस पर प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग की मुहरे लगी हैं तथा इस पर "674-S-2020.....192/20,147,148,149,302,307,394 IPC, P.S-चौबेपुर.....S/V- विकास दुबे आदि.......कानपुर नगर आदि सा लिखा है को खोलने पर रक्त परीक्षणोंपरांत निम्न प्राप्त हुए-

(क) एक कटी/फटी फुल पैंट मय बैल्ट (खाकी पुलिस वर्दी) जिसे P-1 से चिन्हित किया गया।

(ख) एक कटी/फटी हाफ आस्तीन की शर्ट मय नेम प्लेट, दो अदद सोल्डर बैज (UPP, दो स्टार-),एक डोरी। शर्ट को S-1 से चिन्हित किया गया।

(ग) एक कटी/फटी हौजरी की सैंडो बनियान जिसे B-1 से चिन्हित किया गया।

(घ) एक कटा/फटा अंडरवियर जिसे U-1 से चिन्हित किया गया।

इसके अतिरिक्त इसी बण्डल से - एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी मोजा भी प्राप्त हुये हैं।

<u>निरीक्षण</u>

<u>निरीक्षण मृतक SI अनूप कुमार सिंह की PMR 1768/2020, दिनांकित 03.07.2020 से सम्बंधित कपड़े :-</u>

<u>निरीक्षण शर्ट चिन्हित S-1:</u>- यह एक खाकी रंग की पुलिस वर्दी की हाफ बाजू की शर्ट है। इसके कालर पर इंडियन TAILORS का लेबल लगा है। शर्ट पर सामने दाहिनी ओर शर्ट के निचले किनारे से लगभग 25.0 cm ऊपर 1.0cm x 1.0 cm के आकार के तीन छिद्र उपस्थित है, जिन्हें घेर कर H-1,H-2 व H-3 से चिन्हित किया गया है। H-1 दाहिनी बगल की सिलाई से लगभग 1.5 cm, H-2 लगभग 7.0 cm व H-3 लगभग 19.0 cm अन्दर है। छिद्र H-3 के चारों ओर कालिमा दृष्टिगोचर है। इसी शर्ट पर पीछे दांयीं ओर 1.0 X 2.0 cm के आकार के तीन छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें घेर कर H-4,H-5 व H-6 से चिन्हित किया गया है। H-4 बायीं बगल की सिलाई से लगभग

Kayam Singh AKumar

Scanned with CamScanner

(115)

2.0 cm,H-5 लगभग 10.0 cm व H-6 [illegible] अन्दर की ओर है | H-4 नीचे किनारे से लगभग 40.0 cm ऊपर, H-5 लगभग 40.0 [illegible] H-6 लगभग 33.0 cm ऊपर है | शर्ट पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1,H-2,H-3,H[illegible]6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट No-1768/2020 दिनांकित 03.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र की [illegible] लगभग CORRESPOND करते हैं |

Part N 96764

<u>निरीक्षण पैंट चिन्हित P-1</u>:- यह खाकी कलर का पुलिस वर्दी का पैंट है | इसमें बैल्ट लगी है | इसका कपड़ा अत्यधिक सड़ा/ गला होने के कारण इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के कोई संदिग्ध छिद्र दृष्टिगोचर नहीं हैं |

<u>निरीक्षण बनियान चिन्हित B-1 :-</u> यह एक सफ़ेद रंग की कटी / फटी सैंडो बनियान है | बनियान पर सामने दाहिनी ओर निचले किनारे से लगभग 23.0 cm ऊपर, दाहिने किनारे से लगभग 14.0 cm अन्दर 1.0cmX1.0 cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे घेर कर H-7 से चिन्हित किया गया है | बनियान पर दाहिनी ओर निचले किनारे से 23.0 cm ऊपर दाहिनी सिलाई से 5.0 cm अन्दर की ओर 1.0 X 1.0 cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है जिसे H-8 से चिन्हित किया गया है | बनियान पर पीछे दाहिनी सिलाई पर निचले किनारे से लगभग 25.0 cm ऊपर एक 1.0cmx1.5 cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे घेर कर H-9 से चिन्हित किया गया है | बनियान पर पीछे दाहिनी ओर बगल की सिलाई के किनारे के पास 1.5cm X 1.5 cm व 1.0cm X 1.0 cm के आकार के पास - पास दो छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से H-10 से चिन्हित किया गया है | छिद्र चिन्हित H-7,H-8, H-9 व H-10 पोस्टमार्टम रिपोर्ट No-1768/2020 दिनांकित 03.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र की घावों से लगभग CORRESPOND करते हैं |

<u>निरीक्षण अंडरवियर चिन्हित U-1 :-</u>

यह एक कटा / फटा फिरोज़ी रंग का अंडरवियर है | इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के कोई संदिग्ध छिद्र दृष्टिगोचर नहीं हैं |

विवादित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-1, H-2, H-3, H-4, H-5,व H-6 व बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-7,H-8, H-9 व H-10 का माइक्रोकेमिकल परीक्षण किया गया |

<u>परिणाम</u>

मृतक (SI अनूप कुमार सिंह) की PMR No.1768/2020 दिनांकित 03.07.2020 से सम्बंधित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-1, H-2 व एवं बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-7 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पाई गयी | शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-3 पर फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व कॉपर की उपस्थिति पाई गयी |

नोट:-उपरोक्त परिणाम प्रदर्शों के माइक्रोकेमिकल परीक्षण पर आधारित है |

कृपया प्रदर्श बापसी का प्रबन्ध शीघ्र करें |

(कयम सिंह) 10.11.2020
वैज्ञानिक अधिकारी
वैज्ञानिक अधिकारी
आग्नेयास्त्र अनुभाग
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ

(आनन्द कुमार) 10.11.2020
वैज्ञानिक अधिकारी
वैज्ञानिक अधिकारी
आग्नेयास्त्र अनुभाग
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०

(डॉ ए० के० श्रीवास्तव)
Dr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA
प्रभारी आग्नेयास्त्र अनुभाग
Incharge Firearms
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

अग्रसारित
10.11.2020
उप निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ |

वि०वि०प्र०उ०प्र०-एफ० 5 विधि विज्ञान प्रयोगशाला-19-02-2020 (1630) 30,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

Scanned with CamScanner

116

Part N 96768

कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ॰ प्र॰,महानगर,लखनऊ-226006।

3.12 4/12/20

SHO चौबेपुर

प्रेषक,

निदेशक,

डी॰ आ॰ ...विधिविज्ञान प्रयोगशाला उ॰प्र॰

महानगर, लखनऊ।

3.12 सेवा में,

क्षेत्राधिकारी बिल्हौर

जनपद-कानपुर नगर।

CO(B)

पत्रावली संख्या-810-BAL-2020 दिनांक- 10.11.2020

मु॰अ॰सं॰-192/2020 थाना-चौबेपुर

धारा-147,148,149,302,307,394 IPC,7CLA.Act राज्य बनाम-विकासदुबे आदि।

दिनांक 05.09.2020 को प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग से एक सर्वमुहर बंडल प्राप्त हुआ जिस पर प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग की मुहरे लगी हैं तथा इस पर "676-S-2020.....192/20,147,148,149,302,307,394 IPC, P.S-चौबेपुर.....S/V- विकास दुबे आदि.......कानपुर नगर आदि सा लिखा है को खोलने पर रक्तपरीक्षण उपरान्त निम्न प्राप्त हुए-

(क) एक कटी/फटी फूल पैंट मय बैल्ट (खाकी पुलिस वर्दी) जिसे P-1 से चिन्हित किया गया।

(ख) एक कटी/फटी फुल आस्तीन शर्ट मय सीटी डोरी, बैज व नाम प्लेट जिसे S-1 से चिन्हित किया गया।

(ग) एक कटी/फटी हौजरी की सैंडो बनियान जिसे B-1 से चिन्हित किया गया।

(घ) एक कटा/फटा अंडरवियर जिसे U-1 से चिन्हित किया गया।

इसके अतिरिक्त इसी बण्डल से एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी मोजा, मास्क व काला धागा भी प्राप्त हुये हैं।

निरीक्षण

निरीक्षण मृतक कां॰ बबलू की PMR 1764/2020, दिनांकित 03.07.2020 से सम्बंधित कपड़े :-

निरीक्षण शर्ट चिन्हित S-1:- यह एक खाकी रंग की पुलिस वर्दी की फुल आस्तीन की शर्ट है। शर्ट पर सामने बाएं कंधे पर 1.0cmx 4.0cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे घेर कर H-1 से चिन्हित किया गया है। शर्ट पर सामने बाएं कंधे पर कालर की निचली

Kayam Singh Kumar Arool

Scanned with CamScanner

(117)

Part N 96769

सिलाई से लगभग 8.5 cm नीचे एक [illegible] 6.0 cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे घेर कर H-2 से चिन्हित किया गया है | छिद्र H-2 के चारों ओर कालिमा दृष्टिगोचर है | शर्ट पर कालर के बाएं निचले किनारे पर 1.0cm x 1.5 cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे घेर कर H-3 से चिन्हित किया गया है | शर्ट पर बायीं ओर कालर के बाएं किनारे से लगभग 6.0 cm अन्दर की ओर एक 1.0cm X 8.0 cm के आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे घेर कर H-4 से चिन्हित किया गया है | शर्ट पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1,H-2, H-3 व H-4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट No-1764/2020 दिनांकित 03.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र की चोटों से लगभग CORRESPOND करते हैं |

निरीक्षण पैंट चिन्हित P-1:-

यह खाकी कलर का पुलिस वर्दी का पैंट है | इसमें बैल्ट लगी है | इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के कोई संदिग्ध छिद्र दृष्टिगोचर नहीं हैं |

निरीक्षण बनियान चिन्हित B-1 :-

यह एक ग्रे कलर की कटी/फटी सैंडो बनियान है | इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के कोई संदिग्ध छिद्र दृष्टिगोचर नहीं हैं |

निरीक्षण अंडरवियर चिन्हित U-1 :-

यह एक काले रंग (SHILPA KAZARA) का कटा/फटा अंडरवियर है | इस पर आग्नेयास्त्र के संदिग्ध छिद्र दृष्टिगोचर नहीं हैं |

परिणाम

मृतक (बबलू) की PMR No-1764/2020 दिनांकित 03.07.2020 से सम्बंधित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-1,H-3 व H-4 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पाई गयी |H-2 पर फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

नोट:-उपरोक्त परिणाम प्रदर्शों के माइक्रोकेमिकल परीक्षण पर आधारित है |

कृपया प्रदर्श बापसी का प्रबन्ध शीघ्र करें |

Kayam Singh (कायम सिंह) वैज्ञानिक अधिकारी आग्नेयास्त्र अनुभाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ

(आनन्द कुमार) 10.11.2020 वैज्ञानिक अधिकारी आग्नेयास्त्र अनुभाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ

(डॉ ए० के० श्रीवास्तव) Dr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA प्रभारी आग्नेयास्त्र अनुभाग Forensic Science Laboratory U.P. Lucknow

अग्रसारित
उप निदेशक .11.2020
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

118

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ. प्र. महानगर, लखनऊ-226006

Part N 70693

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ. प्र.
महानगर, लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी - बिल्हौर
जनपद - कानपुर नगर

पत्रांवली संख्या : 813-BAL-2020
मु.अ.सं. 192/20
धारा:147,148,149, 302, 307...IPC व 7 CLA .Act
आपका पत्रांक: -

दिनांक :
थाना-चौबेपुर
बनाम-विकास दुबे
दिनांक: 26.07.2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 27.07.2020 को विशेष वाहक हे.का. लक्ष्मी रतन द्वारा प्राप्त हुए | प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग से प्रदर्श आग्नेयास्त्र अनुभाग में दिनांक 09.09.20 को प्राप्त हुए |
(1) एक अदद सर्वमुहर बण्डल जिसपर सीरो अनुभाग लखनऊ की मुहरें लगी हैं | बण्डल पर " 670-S-2020, 192/20 ....813-BAL-20 चौबेपुर, कानपुर नगर... " आदि लिखा है | इसे खोलने पर एक पालीथिन से निम्नलिखित प्राप्त हुए-

(i) एक अदद कटी/फटी खाकी शर्ट (पुलिस यूनिफार्म) मय नेम प्लेट व डोरी सीटी सहित, जिसे S-1 से चिन्हित किया गया है |

(ii) एक अदद कटी/फटी सैंडो बनियान, जिसे B-1 से चिन्हित किया गया है |

(iii) एक अदद खाकी पैंट (पुलिस यूनिफार्म) मय बेल्ट, जिसे P-1 से चिन्हित किया गया है |

(iv) एक अदद कटी/फटी अण्डर वियर, जिसे U-1 से चिन्हित किया गया है |

इसके अतिरिक्त इसी बण्डल से एक अदद जूता, काला धागा, जनेऊ व रुद्राक्ष माला भी प्राप्त हुए |

निरीक्षण

विवादित शर्ट चिन्हित S-1:

विवादित शर्ट (पुलिस यूनिफार्म) चिन्हित S-1, खाकी रंग की कटी/फटी की फुल आस्तीन शर्ट है | शर्ट के दोनों कन्धों पर तीन-तीन स्टार(***), सामने की ओर नेम प्लेट व डोरी-सीटी लगी है | नेम प्लेट पर देवेन्द्र मिश्र लिखा है|शर्ट में पुलिस बैज लगा है | शर्ट पर सामने की ओर निचले किनारे से लगभग क्रमशः 36.0 cm व 13.0 cm ऊपर व बायीं सिलाई से लगभग क्रमशः 19.0 cm व 16.0 cm अन्दर की ओर क्रमशः लगभग (2.0 cm x 1.5 cm) व (1.5 cm x 1.5 cm) आकार के छिद्र उपस्थित हैं,जिन्हें क्रमशः H-1 व H-2 से चिन्हित किया गया है | इसी शर्ट पर सामने की ओर शर्ट के निचले किनारे से लगभग 5.0 cm ऊपर व दायीं सिलाई से लगभग 26.0 cm अन्दर की ओर लगभग (1.0 cm x1.0 cm) आकार का छिद्र उपस्थित है जिसे H-3 से चिन्हित किया गया है | शर्ट S-1 की पीठ के हिस्से पर, कंधे की सिलाई से लगभग क्रमशः 30.0 cm, 46.0 cm व 58.0 cm नीचे व दाहिनी सिलाई से लगभग क्रमशः 31.0 cm, 35.0 cm व 3.0 cm अन्दर की ओर लगभग क्रमशः (2.0 cm x 2.0 cm), (2.5 cm x 2.5 cm) व (2.0 cm x 2.0 cm) आकार के छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें क्रमशः H-4, H-5 व H-6 से चिन्हित किया गया है | शर्ट पर रक्त जैसा पदार्थ द्रष्टिगोचर है | H-1 व H-2 पर कालिमा द्रष्टिगोचर है |

--- Continue on Page NO. Part N 70694.

Scanned with CamScanner

(119)

813-BAL-2020

Part N 70694

विवादित बनियान चिन्हित B-1 :

विवादित बनियान चिन्हित B-1, [illegible] बनियान है | जिस पर अन्दर टैग के स्थान पर " JOCKEY 100-105 cm " लिखा है [illegible] सामने की ओर निचले किनारे से लगभग क्रमशः 45.0 cm, 23.0 cm व 16.0 cm ऊपर व बाएँ [illegible] क्रमशः 10.0 cm, 9.0 cm व 29.0 cm अन्दर की ओर लगभग क्रमशः (2.0 cm x 1.5 cm), (2.0 cm x 2.0 cm) व (3.0 cm x 2.5 cm) आकार के छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें क्रमशः H-7, H-8 व H-9 से चिन्हित किया गया है | बनियान के दाहिने किनारे से सटा हुआ व नीचे से लगभग 26.0 cm ऊपर की ओर लगभग (1.5 cm x1.5 cm) आकार का छिद्र उपस्थित है जिसे H-10 से चिन्हित किया गया है | बनियान B-1 की पीठ के हिस्से पर, निचले किनारे से लगभग 45.0 cm ऊपर व दाहिने किनारे से लगभग 25.0 cm अन्दर की ओर लगभग (2.0 cm x 2.0 cm) आकार तथा इसी ओर निचले किनारे से लगभग 31.0 cm ऊपर व दाहिने किनारे से लगभग 26.0 cm अन्दर की ओर लगभग (3.0 x 3.0 cm) आकार के छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें क्रमशः H-11 व H-12 से चिन्हित किया गया है | बनियान पर रक्त जैसा पदार्थ द्रष्टिगोचर है | H-7 व H-8 पर कालिमा द्रष्टिगोचर है |

विवादित पैन्ट चिन्हित P-1 :

यह एक खाकी रंग की (पुलिस यूनिफार्म) पैन्ट है, जिसकी कमर में बेल्ट लगी है | पैन्ट चिन्हित P-1 की कुल लम्बाई लगभग 105.0 cm है | इसकी कमर के अन्दर के हिस्से पर " KAPOOR Tailors ..." आदि लिखा है | विवादित पैन्ट पर फायर आर्म्स के संदिग्ध छिद्र द्रष्टिगोचर नहीं हैं |

विवादित अंडरवियर चिन्हित U-1 :

अंडरवियर चिन्हित U-1, कटी/फटी मटमैले सफ़ेद रंग की होजरी की अंडरवियर है | अंडरवियर U-1 के लगे टैग पर " JOCKEY ..." आदि लिखा है | इस पर फायर आर्म्स के संदिग्ध छिद्र द्रष्टिगोचर नहीं हैं |

मृतक-देवेन्द्र मिश्र (PMR No. 1767/20 दिनांकित 03.07.2020) से सम्बंधित विवादित शर्ट S-1 व बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित संदिग्ध छिद्रों चिन्हित H-1 से H-12 तक, PMR में वर्णित आग्नेयास्त्र सम्बंधित चोटों से लगभग CORRESPOND करते हैं | संदिग्ध छिद्रों चिन्हित H-1 से H-12 तक से व इनके आस-पास से पृथक-पृथक स्वैब लेकर प्रयोगशाला में माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये गये |

परीक्षण परिणाम

मृतक-देवेन्द्र मिश्र की PMR No.1767/20 दिनांकित 03.07.2020 से सम्बन्धित :

(1) विवादित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-1 व H-2 पर फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

(2) विवादित बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-7 व H-8 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

नोट:- उपरोक्त परिणाम भेजे गए प्रदर्शों के माइक्रोकेमिकल परीक्षणों पर आधारित है | कृपया प्रदर्श वापसी का शीघ्र प्रबंध करें |

20.11.2020 (राधारमण सैनी) एस.एस.ए.

(आनन्द कुमार) 20.11.2020 वैज्ञानिक अधिकारी

(डा. ए. के. श्रीवास्तव) प्रमारी आग्नेयास्त्र अनुभाग

अग्रसारित

उप निदेशक

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०

लखनऊ |

पी०ए

Scanned with CamScanner

120

Part N 70695

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ.प्र. महानगर, लखनऊ-226006

8.12

प्रेषक,

SHO चौबेपुर

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ. प्र.
महानगर, लखनऊ।

कृ० आ० का० करें

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी - बिल्हौर
जनपद - कानपुर नगर

3.12

DB

पत्रावली संख्या : 816-BAL-2020
मु.अ.सं. : 192/2020
धारा :147,148,...302,307,394 IPC, 7 CL A.Act
आपका पत्रांक : -

दिनांक :
थाना-चौबेपुर
बनाम-विकास दुबे
दिनांक : 26.07.20

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 27.07.2020 को विशेष वाहक हे. का. लक्ष्मीरतन द्वारा प्राप्त हुए। प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग से प्रदर्श आग्नेयास्त्र अनुभाग में दिनांक 07.09.20 को प्राप्त हुए।

(1) एक अदद सर्वमुहर बण्डल जिसपर सीरो अनुभाग लखनऊ की मुहरें लगी हैं। बण्डल पर " PM No. 1763/20 Date 03.7.2020 कानपुर नगर मृतक-महेश यादव.... " आदि लिखा है। इसे खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुए-

(i) एक अदद कटी/फटी खाकी शर्ट (पुलिस यूनिफार्म) मय नेम प्लेट व डोरी सीटी सहित, जिसे S-1 से चिन्हित किया गया है।

(ii) एक अदद कटी/फटी सैंडो बनियान, जिसे B-1 से चिन्हित किया गया है।

(iii) एक अदद कटी/फटी खाकी पैंट (पुलिस यूनिफार्म) मय बेल्ट, जिसे P-1 से चिन्हित किया गया है।

(iv) एक अदद कटी/फटी अण्डर वियर, जिसे U-1 से चिन्हित किया गया है।

इसके अतिरिक्त इसी बण्डल से एक जोड़ी मोजा, एक जोड़ी जूता व एक अदद पिस्टल कवर मय डोरी भी प्राप्त हुए।

निरीक्षण

विवादित शर्ट चिन्हित S-1:

विवादित शर्ट (पुलिस यूनिफार्म) चिन्हित S-1, खाकी रंग की कटी/फटी की फुल आस्तीन शर्ट है। शर्ट के दोनों कन्धों पर दो-दो स्टार(**), नेम प्लेट व डोरी-सीटी लगी है। नेम प्लेट पर महेश कुमार यादव लिखा है।शर्ट में पुलिस बैज लगा है। शर्ट के कालर टैग पर "New TRIPATHI Police Office Road KNP " लिखा है। इस पर सामने दाहिनी ओर, दायीं सिलाई से लगभग 21.0 cm अन्दर व निचले किनारे से लगभग 35.0 cm ऊपर की ओर लगभग (0.8 cm x 0.8 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-1 से चिन्हित किया गया है। इसी शर्ट के दाहिने कंधे के निकट व कंधे की सिलाई से लगभग 5.0 cm की दूरी पर, लगभग (2.0 cm x2.5 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है जिसे H-2 से चिन्हित किया गया है। इसी दाहिने कंधे की सीधी सिलाई से लगभग 2.0 cm नीचे पीठ की ओर लगभग (0.2 cm x 1.5 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-3 से चिन्हित किया गया है। कंधे की सीधी सिलाई से लगभग 27.0 cm नीचे व शर्ट की बायीं सिलाई से लगभग 5.0 cm अन्दर पीठ पर लगभग (2.0 cm x 2.5 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-4 से चिन्हित किया गया है। कंधे की सीधी सिलाई से लगभग 29.0 cm नीचे व शर्ट की बायीं सिलाई से लगभग 18.0 cm अन्दर पीठ पर लगभग (2.0 cm x 2.0 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-5 से चिन्हित किया गया है। कन्धों की सीधी सिलाई से लगभग 49.0 cm नीचे व शर्ट की बायीं सिलाई से लगभग 32.0 cm अन्दर पीठ पर लगभग (1.0 cm x 1.5 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-6 से चिन्हित किया गया है। शर्ट पर रक्त जैसा पदार्थ द्रष्टिगोचर है। H-1 व H-4 पर कालिमा द्रष्टिगोचर है।

.... Continue on Page No. Part N 70696.

Scanned with CamScanner

(121) 816-BAL-2020

Part N 70696

विवादित बनियान चिन्हित B-1 :

विवादित बनियान चिन्हित B-1, सफ़ेद ... होजरी की सैंडो बनियान है | जिस पर टैग के स्थान पर " LUX Cozi " लिखा है | बनियान पर सामने ... निचले किनारे से लगभग 31.0 cm ऊपर व गले के किनारे से लगभग 13.0 cm नीचे की ओर लगभग (1.0 cm x 1.0 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-7 से चिन्हित किया गया | बनियान पर पीठ की ओर दाहिनी बगल से सटा हुआ व नीचे से लगभग 36.0 cm ऊपर की ओर लगभग (3.0 cm x2.5 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-8 से चिन्हित किया गया | बनियान की पीठ की ओर , निचले किनारे से लगभग क्रमशः 35.0 cm व 16.0 cm ऊपर व दाहिने किनारे से लगभग मध्य में लगभग (2.0 cm x 2.0 cm) व (1.5 cm x1.5 cm) आकार के छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें क्रमशः H-9 व H-10 से चिन्हित किया गया | बनियान पर रक्त जैसा पदार्थ द्रष्टिगोचर है |

विवादित पैन्ट चिन्हित P-1 :

यह एक खाकी रंग की (पुलिस यूनिफार्म) फटी/ फटी पैन्ट है, जिसकी कमर में बेल्ट लगी है | पैन्ट चिन्हित P-1 की कुल लम्बाई लगभग 98.0 cm है | इसकी कमर के अन्दर के हिस्से पर " NEW TRIPATHI TAILORS KANPUR " लिखा है | पैन्ट की बायीं टांग पर सामने की ओर निचले किनारे से लगभग 2.0 cm ऊपर लगभग (1.0 cm x 1.5 cm) आकार का एक छिद्र उपस्थित है, जिसे H-11 से चिन्हित किया गया | पैन्ट की दायीं टांग पर सामने की ओर निचले सिरे से लगभग क्रमशः 22.0 cm व 12.0 cm ऊपर लगभग क्रमशः (0.8 cm x 0.8 cm) व (3.0 cm x 2.0 cm) आकार के छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें क्रमशः H-12 व H-13 से चिन्हित किया गया | पैन्ट पर रक्त जैसा पदार्थ द्रष्टिगोचर है |

विवादित अंडरवियर चिन्हित U-1 :

अंडरवियर चिन्हित U-1, गाढे भूरे रंग की कटी/फटी होजरी की अंडरवियर है | अंडरवियर में लगे टैग पर " RUPA FRONTLINE 90cm " आदि लिखा है | इस पर फायर आर्म्स के संदिग्ध छिद्र द्रष्टिगोचर नहीं हैं |

मृतक-महेश यादव (PMR No. 1763/20 दिनांकित 03.07.2020) से सम्बंधित विवादित शर्ट S-1, बनियान B-1 व पैन्ट P-1 पर उपस्थित संदिग्ध छिद्र चिन्हित H-1 से H-13 तक, PMR में वर्णित आग्नेयास्त्र सम्बंधित चोटों से लगभग CORRESPOND करते हैं | संदिग्ध छिद्रों चिन्हित H-1 से H-13 तक से व इनके आस-पास से पृथक-पृथक स्वैब लेकर प्रयोगशाला में माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये गये |

परीक्षण परिणाम

मृतक- महेश यादव की PMR No. 1763/20 दिनांकित 03.07.2020 से सम्बन्धित :

(1) विवादित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-1 व H-4 पर फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

(2) विवादित बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्रों चिन्हित H-7 व H-9 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

(3) विवादित पैन्ट चिन्हित P-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-12 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

नोट:- उपरोक्त परिणाम भेजे गए प्रदर्शों के माइक्रोकेमिकल परीक्षणों पर आधारित है । कृपया प्रदर्श वापसी का शीघ्र प्रबंध करें ।

20.11.2020
(राधारमण सैनी)
एस.एस.ए.

20.11.2020
(आनन्द कुमार)
वैज्ञानिक अधिकारी

20/11/20
(डा. ए. के. श्रीवास्तव)
प्रभारी
आग्नेयास्त्र अनुभाग

अग्रसारित
20/11/20
उप निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 विधि विज्ञान प्रयोगशाला-16-08-2018-(530)-10,000 x 3-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

Scanned with CamScanner

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 01/8

(घटना कमांक–01)
दिनांक 28 / 11 / 2020

साक्षी का नाम–राहुल तिवारी, आयु–39 वर्ष, पुत्र श्री रामविलास तिवारी, निवासी–ग्राम जादेपुर धस्सा, पोस्ट–दिलीपनगर, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 18.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह बयान (5 पृष्ठ टंकित) मय शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं बयान, शपथपत्र, संलग्नकों के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं ग्राम जादेपुर घस्सा, थाना चौबेपुर का मूल निवासी हूँ। मेरे ससुर लल्लन शुक्ला पुत्र सूरज नारायण, निवासी मोहिनी निवादा, खण्ड घनश्यामपुर, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के निवासी थे और उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी श्यामा देवी की मृत्यु उनके जीवन काल में हो गई थी। उनकी तीन पुत्रियां सुनीता, प्रतिमा तथा सरीता उर्फ निधि हैं। प्रतिमा का विवाह मेरे साथ हुआ है। दिनांक 02.07.2020 को तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर को सम्पूर्ण प्रकरण की लिखित शिकायत मैंने अपने वकील साहब के साथ श्रीमान एसएसपी कार्यालय में समय क़रीब पौने एक बजे स्वयं उपस्थित होकर दी थी। उस लिखित शिकायत दिनांकित 02.07.2020 की कॉपी मैंने अपने बयान के साथ नहीं लगाई है और न ही उसे लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। उसकी कॉपी मेरे घर पर सुरक्षित है, उसे मैं थाना चौबेपुर में उपलब्ध करा दूंगा, जिसे मैं थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के कार्यालय में कल तक उपलब्ध करा दूंगा। दिनांक 02.07.2020 को थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर को तहरीर प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

मेरे ससुर जी का नाम श्री लल्लन शुक्ला पुत्र स्व0 श्री सूरज नारायण था और वह ग्राम मोहिनी निवादा, खण्ड घनश्यामपुर, थाना चौबेपुर के निवासी थे। श्री लल्लन शुक्ला के कोई पुत्र नहीं था, तीन पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियों के नाम सुनीता, प्रतिमा एवं सरिता उर्फ निधि है। श्रीमति प्रतिमा मेरी पत्नी है। मैं लल्लन शुक्ला जी का सगा दामाद हूँ।

श्री सुनील कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी गौरी सलौनेपुर, थाना सौहरामऊ जिला उन्नाव के निवासी हैं। लल्लन शुक्ला की ग्राम घनश्यामपुर में स्थित कृषि भूमि (सिंचित / 0.2348 हेक्टेयर) को बदनियती से हड़पने के उददेश्य से उक्त सुनील कुमार ने स्वयं को फर्जी तरीके से लल्लन शुक्ला का पुत्र दिखाते हुए एवं फर्जी तरीके से ग्राम मोहिनी निवादा का निवासी दिखाते हुए दिनांक 27.04.2019 को कार्यालय श्रीमान उपनिबंधक बिल्हौर, कानपुर नगर एक फर्जी दानपत्र पंजिकृत करा लिया। जो वही

राहुल तिवारी

123

I-W-1/9

संख्या–1 जिल्द संख्या–4607 के पृष्ठ 283 से 320 तक कमांक 3284 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था। एवं इसी प्रकार से कृषि भूमि सिंचित/0.9170 हेक्टेयर उसी दिनांक को एक अन्य फर्जी दानपत्र करा लिया जोकि वही संख्या 1 जिल्द संख्या 4607 के पृष्ठ 217 से 282 तक कमांक 3283 पर रजिस्टर्ड है। उक्त दोनों फर्जी दानपत्रों की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियां आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिनको स्वयं हस्ताक्षर बनाकर प्रमाणित करके आज माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त दोनों फर्जी दानपत्रों के आधार पर नायाब तहसीलदार चौबेपुर के द्वारा दिनांक 13.02.2020 को प्रश्नगत दोनों भूमि का दाखिल खारिज करके उक्त सुनील कुमार के नाम दर्ज कर दिया। दाखिल खारिज के बाद की कार्रवाई के दौरान मेरे द्वारा नायाब तहसीलदार चौबेपुर के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि सुनील कुमार द्वारा फर्जीबाड़ा करके लल्लन शुक्ला को मृत्यु का भय दिखाकर फर्जी दानपत्र निष्पादित कराये गए हैं, लेकिन उन्होंने लल्लन शुक्ला की पुत्रियों की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। उक्त दोनों दानपत्रों के संबंध में श्री लल्लन शुक्ला की तीनों पुत्रियों द्वारा सिविल/राजस्व वाद दाखिल किये गए हैं जोकि अभी विचाराधीन हैं। श्री लल्लन शुक्ला की मृत्यु दिनांक 29.06.2020 को हुई, मृत्यु के समय लल्लन शुक्ला की उम्र करीब 55 वर्ष रही होगी।

श्री लल्लन शुक्ला की बची हुई संपत्ति–ग्राम घनश्यामपुर स्थित मकान, खाता संख्या–94 व 96 की भूमि के भाग को बदनियंती से हड़पने के लिए लल्लन शुक्ला की मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उक्त सुनील कुमार एवं उसकी पत्नी श्रीमति समीक्षा शुक्ला ने आपस में षडयंत्र करके लल्लन शुक्ला को डरा धमकाकर एवं बरगलाकर दिनांक 20.05.2019 को वसीयत पंजिकृत करवा ली, जिसके संबंध में लल्लन शुक्ला की पुत्री श्रीमति सरिता उर्फ निधि के द्वारा दीवानी वाद वास्ते निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय कानपुर देहात, वाद संख्या 109/2020, सरिता उर्फ निधि बनाम श्रीमति समीक्षा शुक्ला व अन्य दाखिल किया गया है जोकि विचाराधीन न्यायालय है। वाद की प्रति आज मैं आयोग के समक्ष लाया हूँ जिसको आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके, निरीक्षण करवाकर वापस प्राप्त कर लिया है।

उक्त दोनों फर्जी दानपत्रों के संबंध में दाखिल खारिज का आदेश सुनील कुमार के पक्ष में पारित हुआ था। जिस आदेश के विरूद्ध उपजिलाधिकारी बिल्हौर के समक्ष तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने 27.02.2020 को उक्त दाखिल खारिज के आदेश का कियान्वयन स्थगित कर दिया था। स्थगन आदेश के अनुपालन हेतु उपजिलाधिकारी बिल्हौर को दिये गए प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2020 पर पारित किये गए आदेश के अनुपालन में मौके पर सुनील कुमार एवं उसके साथियों द्वारा अभियुक्त विकास दुबे का डर व भय दिखाकर दिनांक 27.06.2020 को मुझसे मारपीट की गई, जिसकी लिखित शिकायत मैंने दिनांक 27.06.2020 को थानाध्यक्ष चौबेपुर को की थी, जिसकी कॉपी मैंने बयान के साथ संलग्न की है और न ही लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तथा जिसकी कॉपी भी मैं कल तक थाना चौबेपुर, कानपुर नगर में दाखिल कर दूँगा। मेरी शिकायत दिनांकित 27.06.2020 पर कार्यवाही के कम में 01.07.2020 को थानाध्यक्ष चौबेपुर मुझे घटनास्थल दिखाने हेतु बालगोविन्द (सुनील के ससुर) स्थित ग्राम बिकरू ले गए थे। घटना का मौका दिखाते समय अभियुक्त विकास दुबे, बालगोविन्द, सुनील, सुनील की पत्नी, बालगोविन्द की पत्नी, अमर दुबे आदि लोगों ने लात घूसों से मुझे मारा और मेरे सीने में रायफल भी लगा दी। यह पूरी घटना थानाध्यक्ष चौबेपुर के सामने घटित हुई। थानाध्यक्ष चौबेपुर ने

राहुल तिवारी

I-ω-1/10

मारपीट से मुझे बचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। थानाध्यक्ष चौबेपुर ने न तो मेरा मेडिकल कराया और न ही मेरा मुकदमा लिखाया, क्योंकि थानाध्यक्ष चौबेपुर मुल्जिमों का पक्ष ले रहे थे। वहां से मैं किसी प्रकार जान बचाकर वापस आया। 02.07.2020 को एसएसपी कानपुर नगर को सम्पूर्ण प्रकरण की लिखित शिकायत की गई, जिसके बाद उसी दिन शाम करीब 06 बजे थानाध्यक्ष चौबेपुर ने मुझे बुलवाया, थानाध्यक्ष के पास पहले से ही हाथ से लिखा एक प्रार्थनापत्र मौजूद था, जिसे टाईप कराकर लाने के लिए थानाध्यक्ष ने मुझे दिया। मैंने डर, भयवश व जल्दवाजी में बिना पढ़े ही उसे जल्दी से टाईप कराकर लाकर थानाध्यक्ष को दे दिया, उसी समय उनके हाथ का लिखा प्रार्थना पत्र भी उन्होंने मुझसे वापस ले लिया। मेरे द्वारा लाये गए टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर मेरे हस्ताक्षर कराये गए, जिसके आधार पर मुकदमा लिखने की बात मुझे बताई गई।

सुनील कुमार जिसको विकास दुबे का संरक्षण प्राप्त था आज तक पकड़ा नहीं गया, फरार है। जिससे मुझे जानमाल का भय है। उसके बाद से लेकर कई पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

राहुल तिवारी
28.11.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

एक प्रति प्राप्त किया
राहुल तिवारी
28.11.2020

125

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 02/3

(घटना कमांक–01)
दिनांक 28 /11/2020

साक्षी का नाम–दीवान सिंह, आयु–59 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री भजन लाल, पदनाम–उपनिरीक्षक, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 20.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना चौबेपुर में नियुक्त था। दिनांक 02.07.2020 की रात्रि 08 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बिकरू मोड़ पर कोरोना ड्यूटी पर मौजूद था। उसके बाद मैं थाना चौबेपुर उपस्थित आया। 02/03.07.2020 की रात्रि समय 00:27 बजे एसओ श्री विनय कुमार तिवारी के जो पुलिस बल दबिश देने के लिए ग्राम बिकरू गया था उसमें मैं भी शामिल था। मेरे पास कोई असलहा नहीं था। मेरे अलावा भी दबिश देने जाने वाली टीम में कई पुलिस कर्मी भी बिना असलाह के थे। कानपुर में यह मेरी पहली पोस्टिंग थी। थाना चौबेपुर में करीब डेढ़ महीने पहले ही आया था। घटनास्थल पर जब गोलियां चलनी शुरू हुईं उस समय मैं जेसीबी से 50 कदम पहले तक ही पहुँच पाया था, मैं अपनी जान बचाकर, भागकर पुलिस की गाड़ियों की तरफ वापस आ गया। घटना के बाद जब अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर आ गया उसके बाद ही घटनास्थल पर गया। मैं सुरेश वर्मा को नहीं जानता हूँ। अपने शपथपत्र में मैंने सुरेश वर्मा का नाम इसलिए लिखाया है, क्योंकि मौके पर एसओ विनय तिवारी ने मुझे बताया था कि यह सुरेश वर्मा की आवाज है जो चिल्ला–चिल्ला कर कह रहा था कि "आज कोई पुलिस वाला बचकर नहीं जाना चाहिए, सभी को मार डालो" जो बदमाश छतों से फायर कर रहे थे उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा था। मैं इसकी कोई बजह नहीं बता सकता कि एसओ विनय तिवारी ने एफआईआर में उक्त सुरेश वर्मा का नाम क्यों नहीं शामिल किया। प्रकरण से संबंधित मेरे बयान विवेचक, एसआईटी, अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा लिये गए हैं, लेकिन उक्त सुरेश वर्मा पुत्र सोहन लाल वर्मा का नाम मैंने पूर्व में दिये गए अपने बयान में नहीं लिया है। घटना में मैंने सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनी थी। घटनाकम के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

दीवान सिंह उ0नि0
थाना- चौबेपुर
दि0 28-11-2020
एक प्रति प्राप्त की।
दीवान सिंह उ0नि0
28-11-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

(हस्ताक्षर)
डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

(हस्ताक्षर)
के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

126

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉंच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 03/3

(घटना कमांक–01)
दिनांक 29/11/2020

साक्षी का नाम–गजेन्द्र सिंह, आयु–35 वर्ष, पुत्र श्री श्याम सिंह, पदनाम–1119 कांस्टेबल, थाना–महाराजपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 20.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना ककवन में नियुक्त था। उस रात मैं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर स्व0 देवेन्द्र मिश्रा साहब की सरकारी गाड़ी चला रहा था। उस दिन मैं सीओ साहब के साथ बेला कासिंग पर गया था वहां पर ग्राम बिकरू में दबिश देने के लिए थाना शिवराजपुर, थानाध्यक्ष बिठूर व थाना चौबेपुर का पुलिस बल भी आया था। हम लोग बेला कासिंग से चलकर बिकरू गांव द्विवेदी आटा चक्की के पास पहुँचकर रूके थे। सभी गाड़ियों के चालक को गाड़ी के साथ ही रूकने को बताया गया था।

रात के करीब 01 बजे के आस–पास द्विवेदी आटा चक्की से पैदल ही पुलिस बल आवश्यक तैयारी के साथ विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए गया। उसी समय सीओ साहब का हमराह आरक्षी सुरेन्द्र सिंह पुनः गाड़ी पर वापस आया और बताया कि सीओ साहब का सीयूजी फोन गाड़ी में छूट गया है जिसे उन्होंने मंगवाया है। जैसे ही वह फोन लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़ा कि अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाजें आने लगीं। हम लोग समझ गए कि विकास दुबे शातिर बदमाश है उसने पुलिस पर घात लगाकर फायरिंग की होगी। हम लोगों ने तत्काल फायरिंग की सूचना कंट्रोल रूम और उच्च अधिकारियों को दी। बदमाशों ने करीब 30–35 मिनट तक फायरिंग की।

अतिरिक्त पुलिस बल आने पर मौके पर जाने पर जानकारी हुई कि विकास दुबे और उसके साथी बदमाशों ने तत्कालीन सीओ देवेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश यादव, एसआई नेबू लाल, उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, का0 जितेन्द्र पाल सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 सुल्तान सिंह, का0 बब्लू कुमार की बुरी तरफ गोली मारकर हत्या कर दी। एसओ बिठूर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक सुधाकर पाण्डेय, का0 शिवमूरत, का0 अजय कश्यप, का0 अजय सेंगर, होमगार्ड जयराम कटियार, प्राइवेट चालक विकास यादव को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल पुलिस वालों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। बदमाशों ने मृत/घायल पुलिस वालों के असलहे भी लूट लिये थे।

गजेन्द्र सिंह

127

I.W.3/4

इस घटना के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0अ0स0 192/20 पंजीकृत कराया था।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

गजेन्द्र सिंह
29/11/20

स्वयं पुष्टि प्राप्त की है,
गजेन्द्र सिंह
29/11/2020

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 04/9

(घटना कमांक–01)
दिनांक 29/11/2020

साक्षी का नाम–कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, आयु–39 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री प्रेम नारायण सिंह, पदनाम–थानाध्यक्ष, बिठूर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना बिठूर में नियुक्त था। उस रात मैं हमराह पुलिस बल के साथ मय सरकारी जीप के उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मंधना, का0 अजय कश्यप, का0 जितेन्द्र पाल, महिला का0 अंदाना पटेल मय चालक आरक्षी भूपेन्द्र सिंह के असलहा और कारतूस लेकर तथा अपने प्राईवेट वाहन से उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 बब्लू कुमार मय चालक का0 अजय सेंगर के सीओ बिल्हौर तथा एसओ चौबेपुर की सूचना पर ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर में विकास दुबे के यहां दबिश देने के लिए गया था। बेला कासिंग पर तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा मय हमराह कर्मचारियों व तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश कुमार यादव भी अपने थाने की फोर्स के साथ मिले। तत्कालीन थाना प्रभारी चौबेपुर विनय कुमार तिवारी भी हमराह पुलिस बल के साथ बेला कासिंग पर आ गए थे। हम लोगों के पास सरकारी असलहे व डण्डे मौजूद थे। सीओ साहब के निर्देश पर मेरे थाने का आरक्षी राहुल कुमार सादे वस्त्रों में मेरे साथ दबिश के लिए आया था। बेला कासिंग पर विचार विमर्श के बाद हम लोग दबिश व तलाश के लिए रवाना हुए। हम लोगों ने ग्राम बिकरू के बाहर मुख्य सड़क पर द्विवेदी आटा चक्की के पास अपने अपने वाहनों व चालको को आवश्यक निर्देश देकर खड़ा कर दिया। हम लोगों ने तीन टीमें बनाई। पहली टीम में तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा जी, तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश यादव साहब और उनके साथ के हमराही पुलिस बल थे। दूसरी टीम मेरे नेतृत्व में मेरे थाने के हमराही फोर्स तथा थाना चौबेपुर के सिपाही सुल्तान सिंह के साथ थी। तीसरी टीम का नेतृत्व तत्कालीन एसओ चौबेपुर विनय कुमार तिवारी अपने थाने की पुलिस के साथ कर रहे थे।

ब्रीफ करने के बाद हम लोग जैसे ही विकास दुबे के घर के लगभग 20 मीटर पहले पहुँचे तो देखा सड़क पर जेसीबी मशीन बेड़ा बेड़ा खड़ी करके मार्ग को अवरूद्ध

129

P.W.-4/10

किये हुए थी। हम लोग जेसीबी मशीन के किनारे से निकलकर विकास दुबे के घर के गेट के सामने पहुँचे। सीओ साहब की टीम वहीं रूकी रही, मेरी टीम वायीं ओर बढ़ी और तत्कालीन एसओ चौबेपुर की टीम दाहिनी ओर बढ़ी। उस समय पर्याप्त बिजली थी और सोलर लाईट भी जल रही थी और उजाली रात थी। हम लोगों के पास ड्रेगन लाईट और प्राईवेट टॉर्च भी थी। यह कहने के साथ ही कि विकास दुबे का यही घर है, उसकी छत के उत्तर पूर्व दिशा की ओर बने कमरे की पहली मंजिल की कमरे की छत पर कुछ लोग दिखे और नीचे की तरफ झुके। हमें लगा कि यह लोग भागने वाले हैं। मैं अपनी टीम के साथ दौड़ते हुए विकास दुबे के मकान के कौने पर पहुँचा। मेरे आगे मेरे उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह थे। वहां पहुँचते ही मेरी टीम पर विकास दुबे की छत से, उसके घर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवीण दुबे उर्फ बउवा के घर से तथा शौचालय के सामने मकानों से फायरिंग शुरू हो गई। मैं अपनी टीम को बचते बचाते फायरिंग करते हुए खाली प्लाट पर पहुँचा, उस प्लाट के लगे मकान की दीवार के सहारे मैंने तथा मेरे सिपाही अजय कश्यप व अजय सेंगर ने ओट ली और मेरे अन्य पुलिस बल ने सामने स्थित शौचालय के पास पहुँचकर ओट ली। इस दौरान मैंने आत्मरक्षार्थ और जबाव में अपनी सरकारी ग्लाक पिस्टल से 06 राउण्ड फायर किये।

हम लोग चारों तरफ से घिरे थे पूरा खुला मैदान था। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, तब मेरे कहने पर का0 अजय कश्यप ने अपनी ए0के0 47 से कई राउण्ड कवर फायर किया। इस दौरान उसके हाथ में गोली लग गई। हम लोग दीवार के सहारे पप्पू मिश्रा की दीवार के पास खड़े ट्रेक्टर ट्राली और मकान की दीवार की ओट लेकर साथी पुलिस वालों को कवर फायर देने के लिए जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान थाना चौबेपुर के उपनिरीक्षक सुधाकर पाण्डेय हम लोगों के पास छिपते छिपाते आ गए। बदमाशों की गोली लगने से वे भी घायल हो गए थे। विकास दुबे की छत, राजाराम उर्फ प्रेम कुमार पाण्डेय की छत, गोपाल सैनी और गोविंद सैनी की छत, प्रवीन उर्फ बउवा दुबे की छत, अतुल दुबे की छत पर मौजूद बदमाशों को मैंने सुधाकर पाण्डेय की मदद से मैंने चांदनी रात व लाईट के प्रकाश में मैंने और एक दूसरे की छतों पर बदमाशों के नाम लेकर चिल्लाने पर पहचाना था। वे एक दूसरे को पुलिस की लोकेशन देते हुए गोली मारने को कह रहे थे। महिलाओं द्वारा भी पुलिस कर्मियों की लोकेशन बताते हुए जान से मारने के लिए उकसाया जा रहा था। विकास दुबे के हाथ में रायफल, हीरू दुबे के हाथ में बंदूक, अमर दुबे के हाथ में रायफल तथा उनके साथ मौजूद अन्य बदमाशों के हाथ में असलहें थे। वे लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए जोर–जोर से चिल्ला रहे थे कि पुलिस वालों तुम्हारी मेरे यहां दबिश देने की हिम्मत कैसे हुई कोई बचकर नहीं जा पायेगा। मैंने अतुल दुबे की छत पर उसके हाथ में रायफल, दयाशंकर अग्नीहोत्री उर्फ कल्लू के हाथ में छोटा असलहा, शशिकांत पाण्डेय और विष्णुपाल उर्फ जिलेदार तथा रामू वाजपेयी के हाथ में रायफल देखी था तथा रामसिंह यादव के हाथ में बंदूक थी। सभी छतों से बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहे थे। लगभग 10–15 मिनट तक वे फायरिंग करते रहे।

D.W.-9/11 (130)

शौचालय के पास मेरे साथ के एसआई अनूप कुमार सिंह, का0 बब्लू कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 जितेन्द्र पाल और सिपाही सुल्तान सिंह बदमाशों की गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए।

इसी दौरान हमने देखा कि छत पर चढ़े बदमाश अमर दुबे, अतुल दुबे आदि असलहा लिये हुए अपनी-अपनी छतों से उतरकर पप्पू मिश्रा के खाली मैदान में बने अर्धनिर्मित शौचालय के पास आ गए और वहां पर छिपे हुए घायल पुलिस कर्मियों उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, का0 जितेन्द्र पाल सिंह, का0 बब्लू कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 सुल्तान सिंह को घेरकर नजदीक से गोली मारकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपनी आखों से उन्हें पुलिस कर्मियों पर फायर करते देखा था। विकास दुबे अपने साथियों से कह रहा था कि खोखा कारतूस उठा लेना नहीं तो हम लोगों के खिलाफ पुलिस को सबूत मिल जायेंगे। उन पुलिस कर्मियों को मारने के बाद उन्होंने का0 सुल्तान सिंह की एक इंसास रायफल मय कारतूस, का0 जितेन्द्र पाल सिंह की एक ए0के047 मय कारतूस व उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह की एक पिस्टल मय कारतूस लूट ली। जाते समय प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा को छिपे हुए पुलिस कर्मियों को ढूंढकर मार डालने की बात कहते हुए विकास दुबे सहित अन्य बदमाश गोविंद सैनी के मकान की तरफ गए। मुझे गोली लग चुकी थी, कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसी समय प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा मेरी तरफ बढ़ा और मेरी पिस्टल छीन ली। तब तक का0 अजय कश्यप ने फायर कर दिया तब विकास दुबे अपनी छत से चिल्लाया कि मामा पिस्टल लेकर जल्दी भागों तब वह मेरी पिस्टल छीनकर विकास दुबे के मकान की ओर भाग गया। विकास दुबे के ललकारने पर हीरू दुबे ने अपनी छत से सिपाही अजय सेंगर को गोली मार दी जो उसके पेट पर लगी तथा वह अचेत होने लगा। हम लोगों की लोकेशन ट्रेसआउण्ट हो गई थी जिससे हम लोग तत्काल मौके से छिपते छिपाते एक दूसरे की मदद करते भागकर सड़क पर अपनी गाड़ी तक पहुँचे। घटना करीब 01 बजे से प्रारंभ होकर 30-35 मिनट तक चली।

मैंने अपने शपथपत्र में यह तथ्य कि घटना के समय अभियुक्तगणों के द्वारा जो फायरिंग की जा रही थी वह अच्छे किस्म के हथियारों से की जा रही थी। यह बात मैंने इस आधार पर लिखी है कि घटना में अभियुक्तगणों की ओर से बिना रूके Burst फायरिंग की जा रही थी, अमुमन जनता के लोगों के पास इस किस्म के हथियार नहीं होते हैं। इसलिए मैंने यह बात कही। दिनांक 13.05.2020 को कोविड/लॉकडाउन के दौरान संत शोभन सरकार ने अपने आश्रम जोकि बिकरू गाँव के पास हैं में शरीर त्याग दिया तथा उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। भारी भीड़ की आशंका से काफी पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई। इसमें मैं, एसपी ग्रामीण श्री प्रदुमन सिंह के अलावा चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी भी मौजूद थे। हम सब लोग वेला कोसिंग पर मौजूद थे। उस समय शोभा यात्रा में विकास दुबे अपने अन्य साथियों के साथ भीड़ बनाते हुए गाड़ियों के काफिले से

(131)

D.W. 4/12

सशस्त्र जा रहा था और पुलिस बल के द्वारा रोकने पर मेरी उससे कहा सुनी हो गई थी। इस कारण से मैं विकास दुबे व उसके कुछ साथियों को जानता हूँ। उस समय विनय तिवारी, एसओ चौबेपुर ने मुझे उनके बारे में बताया था कि इनको जाने दो इनको रोकना नहीं है। घटना में मुझे बदमाशों द्वारा चलाई गई गोलियां लगी थीं। मेरा डॉक्टरी मुआयना/इलाज रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, कानपुर नगर में हुआ था, जिसमें डॉक्टर के द्वारा निम्न चोटें अंकित की गईः– Multiple small 5 to 6 circular wound 3.0 to 3.5 mm present on left thigh. Margin of wound inverted, blackening present, bleeding, swelling, pain present. Movement of left thigh is very painful. मैं 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहा तथा एक माह का मेडिकल लीव स्वीकृत किया गया था। इस घटना के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0आ0स0 192/20 पंजीकृत कराया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

29/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

नकल प्रति प्राप्त किया

29/11/20

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.-05/6

(घटना कमांक–01)
दिनांक 29/11/2020

साक्षी का नाम–अजय कुमार कश्यप, आयु–24 वर्ष, पुत्र श्री अशोक कुमार, पदनाम–कांस्टेबल, थाना–बिठूर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना बिठूर में नियुक्त था। उस रात मैं थानाध्यक्ष बिठूर के हमराह पुलिस बल के साथ मय सरकारी जीप के एक अदद ए0के0 47 रायफल मय 30 अदद कारतूस के ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर में विकास दुबे के यहां दबिश देने के लिए गया था। हम लोग बेला कासिंग पर पहुँचे तो वहां पर तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा मय हमराह कर्मचारियों, तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश कुमार यादव तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय कुमार तिवारी भी अपने थाने की फोर्स के साथ मिले। बेला कासिंग पर विचार विमर्श के पश्चात हम लोग बिकरू गांव द्विवेदी आटा चक्की के पास पहुँचे और अपनी गाड़ियों को वहीं पर खड़ा किया। दबिश पर जाने से पूर्व क्षेत्राधिकारी बिल्हौर महोदय द्वारा दबिश के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई। पुलिस बल को तीन पार्टियों में बांटा गया। मैं पार्टी नंबर 02 में था जिसका नेतृत्व हमारे एस0ओ0 श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह कर रहे थे। हमारे थाने का एक कांस्टेबल राहुल कुमार सीओ साहब के पूर्व निर्देश के कम में सादे वस्त्रों में हमारे साथ दबिश के लिए आया था। हम लोगों के सहयोग के लिए चौबेपुर थाने के कांस्टेबल सुल्तान सिंह भी हमारी पार्टी में थे।

ब्रीफ करने के बाद हम लोग जैसे ही विकास दुबे के घर के लगभग 20 मीटर पहले पहुँचे तो देखा सड़क पर जेसीबी मशीन बेड़ा बेड़ा खड़ी करके मार्ग को अवरूद्ध किये हुए थी। हम लोग जेसीबी मशीन के किनारे से निकलकर विकास दुबे के मकान के सामने स्थित तिराहे पर पहुँचे। पुलिस पार्टी में किसी के यह कहने पर कि यही विकास दुबे का घर है। कुछ लोग विकास दुबे की छत पर दिखाई पड़े और नीचे की ओर झुक कर हम लोगों की तरफ देखने लगे। हमें लगा कि यह लोग भागने वाले हैं। पूर्व योजना के अनुसार तत्कालीन सीओ साहब के निर्देश पर जैसे ही हम लोगों ने विकास दुबे के मकान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया तो मैं विकास दुबे के मकान के पूर्व कोने तक पहुँच गया। अचानक विकास दुबे अपनी छत से गाली देते हुए पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। इसके साथ ही आस–पास के घरों की छतों से भी पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ऐसा लगा कि बदमाशों को हम लोगों के दबिश की सूचना पहले से किसी ने दी थी और वे पूरी तैयारी से पुलिस की घेराबंदी करने के लिए छतों पर असलहों के साथ पुलिस पार्टी के पहुँचने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हुई फायरिंग से कई पुलिस कर्मियों को गोली लग गई। जिससे

अजय कुमार

(133) I-w-5/7

पुलिस पार्टी तितर–बितर हो गई। जिसको जहां जगह मिली उसी तरफ अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग करते हुए भागा।

हम लोगों ने भी पप्पू मिश्रा के खाली प्लाट के सहारे लगी दीवार की ओट लेकर आत्मरक्षा में जबावी फायरिंग की गई। मेरे साथ मेरे एसओ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह और सिपाही अजय कुमार सेंगर भी दीवार के सहारे ओट लेकर बदमाशों की गोलियों से बचने का प्रयास कर रहे थे। मेरे थाने का अन्य पुलिस बल और चौबेपुर थाने का का0 सुल्तान सिंह स्वयं को सुरक्षित करने के लिए पप्पू मिश्रा के प्लाट के अर्धनिर्मित शौचालय की आड़ में जाकर ओट लिये। पूरा खाली मैदान था और बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे थे। इस कारण मेरे हाथ में बदमाशों की तरफ से आई गोली लग गई और बदमाशों की गोली से एसओ साहब घायल हो गए। हम लोग बचते बचाते पप्पू मिश्रा के खण्डहरनुमा मकान के पास ट्रेक्टर ट्राली के पीछे दीवार की ओट लेकर पुनः जबावी फायर करने लगे, परन्तु बदमाशों की संख्या अधिक होने, उनके पास अच्छे असलहे होने तथा छतों से लगातार फायरिंग करने के कारण वे पुलिस पार्टी पर भारी पड़ रहे थे। पप्पू मिश्रा के शौचालय के पास मेरे साथ के एसआई अनूप कुमार सिंह, का0 बब्लू कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 जितेन्द्र पाल और सिपाही सुल्तान सिंह बदमाशों की गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच चौबेपुर थाने के एसआई सुधाकर पाण्डेय भागते हुए हमारे पास पहुँचे। वह भी बदमाशों की गोली से घायल हो गए थे। उपनिरीक्षक सुधाकर पाण्डेय की मदद से हमें जानकारी हुई कि प्रवीण कुमार उर्फ बउवा, विकास दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार पाण्डेय, गोपाल सैनी व गोविंद सैनी की मकान की छतों से पुलिस वालों पर फायरिंग हो रही थी। छतों पर से महिलायें भी बदमाशों को छिपे पुलिस कर्मियों की लोकेशन बताकर पुलिस वालों को मारने के लिए प्रोत्साहित और सहयोग कर रहीं थी। करीब 10–15 मिनट तक बदमाश छतों से पुलिस पार्टी पर फायर करते रहे।

इसके पश्चात बदमाश अमर दुबे, अतुल दुबे, शिवम दुबे उर्फ बीडीसी, राम सिंह यादव, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, प्रेम कुमार पाण्डेय, शिवम दुबे उर्फ दलाल, प्रवीण दुबे उर्फ बउवा, प्रभात मिश्रा तथा विकास दुबे असलहा लिये हुए अपनी–अपनी छतों से उतरकर पप्पू मिश्रा के खाली मैदान में बने अर्धनिर्मित शौचालय के पास आ गए और वहां पर छिपे हुए घायल पुलिस कर्मियों उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, का0 जितेन्द्र पाल सिंह, का0 बब्लू कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 सुल्तान सिंह को घेरकर नजदीक से गोली मारकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपनी आखों से उन्हें पुलिस कर्मियों पर फायर करते देखा था। अन्य बदमाश उन्हें चिल्लाचिल्लाकर पुलिस कर्मियों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित और सहयोग कर रहे थे। उन पुलिस कर्मियों को मारने के बाद उन्होंने का0 सुल्तान सिंह की एक इंसास रायफल मय कारतूस, का0 जितेन्द्र पाल सिंह की एक ए0के047 मय कारतूस व उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह की एक पिस्टल मय कारतूस लूट ली। जाते समय प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा को छिपे हुए पुलिस कर्मियों को ढूंढकर मार डालने की बात कहते हुए विकास दुबे सहित अन्य बदमाश गोविंद सैनी के मकान की तरफ चले गए। थोड़ी के बाद प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा छिपे पुलिस कर्मियों को ढूढते हुए हम लोगों के पास तक आ गया। उसने एसओ बिठूर की पिस्टल को छींनकर फायकर करना चाहा तो मैंने तुरन्त अपनी एके47 से फायर किया। उसी समय विकास दुबे अपनी छत से चिल्लाया कि मामा पिस्टल लेकर जल्दी भागों तब उसकी छत से ही हीरू दुबे ने हम लोगों लक्ष्य कर गोली चला दी जो मेरे साथी सिपाही अजय सिंह सेंगर के पेट में लगी। मामा एसओ साहब की पिस्टल छींनकर विकास दुबे के मकान की ओर भाग गया। हम लोगों

अजय कुमार

I-W-5/8 (134)

को गोलियां लग चुकी थी और हम लोगों की लोकेशन ट्रेसआउण्ट हो गई थी। जिससे हम लोग तत्काल मौके से छिपते छिपाते एक दूसरे की मदद करते भागकर सड़क पर अपनी सरकारी जीप तक पहुँचे।

घटनास्थल पर बदमाश चूकिं मकानों की छतों पर आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे और हम लोगों की पुलिस टीम सड़क मार्ग से दबिश देने घटनास्थल पर पहुँची, इस प्रकार से बदमाश हमसे अच्छी भौगोलिक परिस्थिति में थे। चूकि बदमाशों की तरफ से लगातार/बर्स्ट फायरिंग लम्बे समय 30–35 मिनट की गई इससे हम लोगों को अहसास हो गया था कि बदमाशों के पास पुलिस से भी बेहतर असलहे थे। घटना में बदमाशों के द्वारा किये गए फायर के कारण मेरे वायें हाथ में गोली लगी थी, दोनों पैरो व कमर में छर्रे लगे थे। मेरा डॉक्टरी मुआयना तथा इलाज रीजेंसी हॉस्पिटल सर्वोदयनगर, कानपुर नगर में हुआ था। चोटों के कारण 04 दिन अस्पताल में, 02 महीना मेडिकल लीव पर रहना पड़ा। वायें हाथ में गोली लगने के कारण हडडी का बीच का भाग गायब होकर दो भागों में बट गई थी। जिस कारण से मेडिकल प्लेट लगानी पड़ी जो अभी भी मौजूद है। रीजेंसी अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा निम्न चोटें अंकित की गईः–Multiple small circular wound 4.0 x 4.0 *mm* present on left elbow and left forearm. Blackening present around wound. Bleeding present. 2 small circular wound 3.0 x 3.5 mm present on left thigh. Margin of wound inverted with blackening present around wound. Bleeding, swelling, pain present. दबिश के समय जो पुलिस टीम गई थी उसमें मेरे थाना बिठूर के 10 पुलिस कर्मी शामिल थे, जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि 10 में से 04 पुलिस कर्मियों के पास सरकारी असलहे थे तथा बाकी 06 पुलिस कर्मियों के पास केवल डण्डे थे। स्वयं कहा कि आत्मरक्षार्थ मैंने अपनी एके 47 रायफल से 8–9 फायर किये थे।

इस घटना के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0अ0स0 192/20 पंजीकृत कराया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

अक्षय कुमार
29/11/20
उक्त प्रति प्राप्त कि
अक्षय कुमार
29/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020

I.W.- 06/6

(घटना क्रमांक–01)
दिनांक 28 / 11 / 2020

साक्षी का नाम–अजय सिंह सेंगर, आयु–30 वर्ष, पुत्र श्री परशुराम सेंगर, पदनाम–3248 कांस्टेबल, थाना–बिठूर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही है।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना बिठूर में नियुक्त था। उस रात मैं थानाध्यक्ष बिठूर के हमराह पुलिस बल के साथ मय प्राइवेट वाहन में उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 बब्लू कुमार ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर में विकास दुबे के यहां दबिश देने के लिए गया था। सीओ साहब के निर्देश पर मेरे थाने का आरक्षी राहुल कुमार सादे वस्त्रों में मेरे साथ दबिश के लिए आया था।

बेला कासिंग पर तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा मय हमराह कर्मचारियों व तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश कुमार यादव भी अपने थाने की फोर्स के साथ मिले। तत्कालीन थाना प्रभारी चौबेपुर विनय कुमार तिवारी भी हमराह पुलिस बल के साथ बेला कासिंग पर आ गए थे। बेला कासिंग पर विचार विमर्श के बाद हम लोग दबिश व तलाश के लिए रवाना हुए। हम लोगों ने ग्राम बिकरू के बाहर मुख्य सड़क पर द्विवेदी आटा चक्की के पास अपने गाड़ियों खड़ा कर दिया। क्षेत्राधिकारी बिल्हौर ने पुलिस बल को ब्रीफ किया और दबिश के लिए तीन टीमें बनाई। मुझे पार्टी नम्बर 2 थानाध्यक्ष बिठूर के साथ दबिश के लिए निर्देशित किया गया। सीओ साहब के नेतृत्व में हम लोग पैदल ही गांव की ओर बढ़े और जैसे ही विकास दुबे के घर के लगभग 20 मीटर पहले पहुँचे तो देखा सड़क पर जेसीबी मशीन बेड़े–बेड़े खड़ी करके मार्ग को अवरूद्ध किया था। हम लोग जेसीबी मशीन के किनारे से निकलकर विकास दुबे के घर के गेट के सामने पहुँचे। तभी पुलिस पार्टी में शामिल किसी ने कहा कि यही विकास दुबे का घर है। कुछ लोग उसकी छत पर दिखाई दिये जो झुककर हम पुलिस वालों को देखा। हमें लगा कि यह लोग भागने वाले हैं। क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के निर्देश पर मैं अपने थानाध्यक्षक बिठूर के साथ विकास दुबे के मकान को घेरने के लिए पूर्व दिशा की ओर बढ़ा। अचानक विकास दुबे की छत से फायर हुआ और वह चिल्लाकर कहने लगा कि तुम पुलिस वालों की मेरे घर पर दबिश देने की हिम्मत कैसे पड़ी। वह पुलिस वालों को गाली देते हुए जान से मारने के लिए ललकारने लगा। उसकी छत से फायर होने के साथ–साथ चारों तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग होने लगी।

अचानक हुई फायरिंग से कई पुलिस वाले घायल हो गए और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए सुरक्षित ठिकाने की ओर भागे। जिसको जहां पर जगह मिली वह वहीं पर छिपकर अपने आप को सुरक्षित करने के साथ–साथ जवाबी

अजय सिंह

फायरिंग करने लगा। मैं व मेरे थाने के सिपाही अजय कश्यप और मेरे थानाध्यक्ष अपनी टीम को बचते बचाते फायरिंग करते हुए खाली प्लाट पर पहुँचे, उस प्लाट के लगे मकान की दीवार के सहारे मैंने व सिपाही अजय कश्यप तथा मेरे थानाध्यक्ष ने ओट ली और मेरे थाने के अन्य पुलिस बल ने सामने स्थित शौचालय के पास पहुँचकर ओट ली।

हम लोग चारों तरफ से घिरे थे पूरा खुला मैदान था। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, तब का0 अजय कश्यप ने अपनी ए0के0 47 से कई राउण्ड कवर फायर किया। इसी दौरान उसके हाथ में गोली लग गई। अजय कश्यप ने पप्पू मिश्रा की दीवार के पास खड़े ट्रेक्टर ट्राली और मकान की दीवार की ओट लेकर साथी पुलिस वालों को कवर फायर देने के लिए जबावी फायरिंग की। इसी दौरान थाना चौबेपुर के उपनिरीक्षक सुधाकर पाण्डेय हम लोगों के पास छिपते छिपाते आ गए। बदमाशों की गोली लगने से वे भी घायल हो गए थे। विकास दुबे की छत, राजाराम उर्फ प्रेम कुमार पाण्डेय की छत, गोपाल सैनी और गोविंद सैनी की छत, प्रवीन उर्फ बउवा दुबे की छत, अतुल दुबे की छत पर मौजूद बदमाशों को मैंने सुधाकर पाण्डेय की मदद से मैंने चांदनी रात व लाईट के प्रकाश में मैंने और एक दूसरे की छतों पर बदमाशों के नाम लेकर चिल्लाने पर पहचाना था। वे एक दूसरे को पुलिस की लोकेशन देते हुए गोली मारने को कह रहे थे। वे लोग पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। लगभग 10–15 मिनट तक वे फायरिंग करते रहे। उसके बाद अपनी–अपनी छतों से उतरकर अलग–अलग रास्तों से पप्पू मिश्रा के अधनिर्मित शौचालय के पास पहुँचकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, का0 जितेन्द्र पाल सिंह, का0 बब्लू कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 सुल्तान सिंह को घेरकर नजदीक से गोली मारकर निर्मम तरीके हत्या कर दी। बदमाशों की संख्या अधिक होने के कारण तथा पहले ही थानाध्यक्ष बिठूर व का0 अजय कश्यप व उपनिरीक्षक सुधाकर पाण्डेय को गोली लगे होने के कारण हम लोग पुलिस कर्मियों को बचा नहीं सके। मैंने अपनी आखों से उन्हें पुलिस कर्मियों पर फायर करते देखा था। उन पुलिस कर्मियों को मारने के बाद उन्होंने का0 सुल्तान सिंह की एक इंसास रायफल मय कारतूस, का0 जितेन्द्र पाल सिंह की एक ए0के047 मय कारतूस व उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह की एक पिस्टल मय कारतूस लूट ली। जाते समय प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा को छिपे हुए पुलिस कर्मियों को ढूंढकर मार डालने की बात कहते हुए विकास दुबे सहित अन्य बदमाश गोविंद सैनी के मकान की तरफ चले गए। इंसी बीच थोड़ी देर बाद प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा तलाश करते हुए हमारे छिपे स्थान पर पहूँचा और थानाध्यक्ष बिठूर की पिस्टल अचानक छींनकर फायर करने का प्रयास किया, तब का0 अजय कश्यप ने फायर कर दिया तब विकास दुबे अपनी छत से चिल्लाया कि मामा पिस्टल लेकर जल्दी भागों तब वह थानाध्यक्षक बिठूर की पिस्टल छीनकर विकास दुबे के मकान की ओर भाग गया। विकास दुबे के ललकारने पर हीरू दुबे ने अपनी छत से मेरे ऊपर फायर कर दिया जिससे मेरे पेट पर गोली लगी। हम लोगों की लोकेशन ट्रेसआउण्ट हो गई थी, जिससे हम लोग तत्काल मौके से छिपते छिपाते एक दूसरे की मदद करते भागकर सड़क पर अपनी गाड़ी तक पहुँचे। घटना करीब 01 बजे से प्रारंभ होकर 30–35 मिनट तक चली।

02/03.07.2020 की रात ग्राम बिकरू में दबिश देने के लिए पुलिस की टीम में मेरे थाना बिठूर के 10 पुलिस कर्मी भी शामिल थे। उस समय थाना एक की सरकारी वाहन उपलब्ध होने के कारण उस सरकारी वाहन के साथ–साथ थानाध्यक्ष श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह की प्राईवेट कार आई–20 यूपी 78 बीवाई 7972 भी साथ चलकर

अजय सिंह

I-ω-6/8

(137)

मौके पर पहुँचे। ग्राम बिकरू पहुँचने पर गाड़ी पार्क करके दबिश देने जा रहे पुलिस कर्मियों के साथ मैं भी शामिल हो गया था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, केवल डण्डा था। थाना बिठूर से दबिश में पहुँचे 10 पुलिस कर्मियों में से 04–05 के पास आग्नेयास्त्र थे, बाकी के पास डण्डे थे। दबिश के समय 03 टीमों का गठन हुआ था। मैं श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह की टीम में था। बदमाशों द्वारा चलाई गई 01 गाली व 02 छर्रे मेरे पेट में लगे। चोटें लगने पर मैं नीचे गिर गया। बहते खून को रोकने के लिए अपना अंगोछा मैंने अपने पेट पर बांध लिया। मैं गिरता पड़ता जान बचाता अन्य घायलों के साथ उस स्थान पर पहुँचा जहां पुलिस के वाहन पार्क किये गए थे। थाना बिठूर के सरकारी वाहन से मैं व अन्य घायलों को रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने निम्न चोटें अंकित कीः–03 small wound 4.0 x 4.0 mm on right side of mid of abdomen. Margin inverted, blackening present, swelling, pain present. Bleeding present intermittent. मुझे आई चोटों के कारण मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। मेरे पेट के ऑप्रेशन में 22 टांके लगे थे। करीब 07 दिन अस्पताल में भर्ती रहा तथा करीब 02 महीना मेडिकल लीव पर रहना पड़ा।

इस घटना के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0अ0स0 192/20 पंजीकृत कराया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

[signature] 29/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

[signature]

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

[signature]

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

[signature]

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

एक प्रति प्राप्त किया।
[signature] 29/11/20

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 07/4

(घटना क्रमांक–01)
दिनांक 29 / 11 / 2020

साक्षी का नाम–जयराम कटियार, आयु–48 वर्ष, पुत्र श्री रामनाथ कटियार, पदनाम–5040 होमगार्ड, थाना–शिवराजपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 20.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना शिवराजपुर में नियुक्त था। उस रात मेरी ड्यूटी तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश यादव साहब के साथ थी। मैं भी ग्राम बिकरू में एसओ साहब के साथ दबिश में गया था। हम पुलिस बल बेला कारिंग पर इकटठा होकर ग्राम बिकरू के लिए रवाना हुए थे। बिकरू गांव में आटा चक्की के पास गाड़ियों को खड़ा करके पैदल–पैदल विकास दुबे के घर के पास पहुँचे। रास्ते को जेसीबी से बंद कर दिया गया था। जेसीबी के अगल–बगल से जैसे ही विकास दुबे के घर के सामने पहुँचे वैसे ही विकास दुबे और उसके आस–पास के मकानों से पुलिस बल पर फायरिंग होने लगी।

मैं एसओ साहब के साथ भागकर एक मकान के बरामदे में छिप गया। वहीं पर शिवराजपुर थाने के दरोगा नेबू लाल और थाना चौबेपुर के सिपाही शिवमूरत निषाद भी छिप गए थे। हम लोग जिस मकान में छिपे थे उसके सामने वाले मकान से कई लोग हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। मुझे बरामदे में छिपने के दौरान गोली लग गई। फायरिंग लगातार चल रही थी। मुझे लगा कि हम लोग यहां पर रूके रहे तो बदमाशों की गोली से मारे जायेंगे। जैसे ही मौका मिला मैं तेजी से भागकर जेसीबी के पीछे चला गया वहां पर दरोगा सतेन्द्र कुमार पहले से छिपे थे। मेरे पीछे–पीछे चौबेपुर थाने का सिपाही शिवमूरत भी आ गया। वहीं पर मुझे पता चला कि जिस मकान की छत से हम लोगों पर गोलियां चलाई जा रहीं हैं वह मकान प्रभात मिश्रा का है।

गोली लगने से मैं काफी घायल हो गया था और कुछ देर तक वहीं जेसीबी के पीछे छिपा रहा। उसी समय विकास दुबे की छत से कुछ लोग चिल्लाते हुए कहने लगे कि कुछ पुलिस वाले जेसीबी के पीछे छिपे हैं इनको भी गोली मार दो। हम लोग बचबचाकर प्रभात मिश्रा के बरामदे में आड़ में छिप गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि विकास दुबे और उसके साथी जिस बरामदे में हमारे थाने के एसओ साहब और दरोगा नेबू लाल छिपे थे वहां पर जाकर उन्हें गोली मार दी और उनकी पिस्टल भी ले गए। तभी सीओ साहब भागते हुए विकास दुबे के मकान के सामने आ गए जिन्हें बदमाशों ने पकड़ लिया और उनको घसीटते हुए उसी मकान के अन्दर ले गए जहां पर मेरे थाने के एसओ साहब और दरोगा नेबू लाल को मारा था। पुनः गोली चलने की आवाज आयी तो साथ वाले दरोगा जी ने कहा कि लगता है सीओ साहब को बदमाशों ने मार

होम० 5040 जयराम कटियार

139

I-10-7/5

दिया है। तब हम लोग हिम्मत जुटाकर एक दूसरे की मदद करते हुए आटा चक्की की तरफ भागे।

मैं 1995 से होमगार्ड हूँ। घटना के दिन मैं थानाध्यक्ष शिवराजपुर श्री महेश कुमार यादव के हमराह के तौर पर घटनास्थल पर मैं भी गया था। मेरे पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था, केवल डण्डा था। दबिश के समय मैं श्री महेश कुमार यादव के साथ ही चल रहा था। मैंने जैसे ही जेसीबी पार की, उसी समय बदमाशों के द्वारा चारों तरफ छतों से भारी संख्या में फायरिंग शुरू कर दी गई। आग्नेयास्त्र से चोटिल होने पर मैं किसी तरह जान बचाते हुए, वापस पुलिस की गाड़ियों की तरफ आ गया। अन्य घायलों के साथ मुझे भी इलाज हेतु रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया। जहां मेरी कंडीशन क्रिटिकल पाई गई और निम्न चोटें अंकित की गई:- 1. On right side of abdomen 25 to 30 circular wound present. Size varies from 3.5 x 3.5 mm to 4.0 x 4.0 mm. Margin of wound inverted with blackening present around wound. Oozing intermittent present. Swelling present. 2. Multiple small 15 to 16 small circular wound size same as injury number 1 on scrotal region arterial and medial aspect. Margin of wound inverted with blackening present. Swelling, pain oozing present. जहां मुझे पहले 21 दिन भर्ती रहना पड़ा। जिसके करीब 02 महीने बाद उन्हीं चोटों के संदर्भ में मेरे पेट का ऑप्रेशन रीजेंसी अस्पताल में ही किया गया, ऑप्रेशन के समय करीब 12–13 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। बतौर हमराह पहले भी दबिशों में जा चुका हूँ।

इलाज के दौरान मुझे पता चला कि बदमाशों ने 08 पुलिस वालों की मौके पर गोली मारकर हत्या कर दी थी और गोलीबारी में मेरे अलावा 06 अन्य पुलिस वाले घायल हुए थे, जिनका इलाज रिजेंसी अस्पताल में हुआ था। बदमाशों ने पुलिस वालों के असलहें भी लूट लिये थे।

इस घटना के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0अ0स0 192/20 पंजीकृत कराया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

HG 5040 जयराम पटियाल

29-11-2020

25 प्रति प्राप्त किया

जयराम पटियाल

29-11-2020

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 08/5

(घटना कमांक–01)
दिनांक 29 /11/2020

साक्षी का नाम–शिवमूरत निषाद, आयु–24 वर्ष, पुत्र श्री भजूराम निषाद, पदनाम–3786 कांस्टेबल, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 28.11.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। शपथपत्र में अंकित तथ्यों का पुनः कथन करता हूँ।

मैंने 15.02.2019 में पुलिस सेवा ज्वाईन की थी और तभी से ही थाना चौबेपुर में तैनात हूँ। दिनांक 02/03.07.2020 की रात्रि में हम लोगों को थाने पर बिकरू गॉव में दबिश देने के लिए बुलाया गया। मैं तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय तिवारी के प्राईवेट स्कॉरपियो वाहन से जिसे उनके प्राईवेट चालक विकास यादव चला रहा था, दबिश में ग्राम बिकरू गया था। हम लोगों के साथ तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा व तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवराजपुर महेश यादव व थानाध्यक्ष बिठूर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह भी अपने हमराह पुलिस बल के साथ दबिश में गए थे। हम लोग बिकरू गांव में द्विवेदी आटा चक्की के पास गाड़ियों को खड़ा कर दिया। विचार–विमर्श के पश्चात् योजना के अनुसार मुझे तत्कालीन थाना प्रभारी चौबेपुर विनय तिवारी की टीम में रखा गया था। हम लोग पैदल ही जैसे ही विकास दुबे के घर के 20 मीटर पहले पहुँचे तो प्रभात मिश्रा व प्रेम कुमार पाण्डेय के मकान के सामने सड़क पर जेसीबी बेड़े–बेडे लगाकर मार्ग को अवरूद्ध किया गया था। बचे हुए स्थान से हम लोग निकलकर जैसे ही विकास दुबे के मकान के मुख्य द्वार के सामने तिराहे पर पहुॅचे तो कुछ लोग विकास दुबे के पुराने मकान की छत पर दिखे व हम पुलिस वालों को लगा कि वे भागने वाले हैं। योजना के अनुसार हम लोगों ने विकास दुबे के मकान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया था।

तभी विकास दुबे अपनी छत से हम पुलिस वालों को गाली व धमकी देते हुए कहने लगा कि तुम पुलिस वालों की हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे घर पर दबिश देने की। विकास दुबे ने हम पुलिस वालों को लक्ष्य कर अपने हाथ में लिये रायफल से फायर कर दिया। विकास दुबे के फायर करने के साथ–साथ चारों तरफ से पुलिस बल पर फायरिंग होने लगी। पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, परन्तु बदमाशों के छत पर होने के कारण बदमाश हम लोगों पर हावी हो गए तथा कई पुलिस कर्मियों को गोली लग गई। पुलिस बल तितर–बितर होकर जिसको जहां जगह मिली छिपने के लिए भागा था।

दबिश में थाना चौबेपुर के करीब 10–12 पुलिस कर्मी शामिल हुए थे, जिसमें से 4–5 के पास आग्नेयास्त्र थे, बाकी के पास 3–3 फुट के डण्डे थे। दबिश के समय मैं एसओ चौबेपुर श्री विनय कुमार तिवारी के साथ था। मार्ग पर जेसीबी को पार करके मैं 5–10 कदम ही चला होंगा की विकास दुबे.की छत से एवं प्रभात मिश्रा की छत से गोलियों की बौछार होने लगी। उसी समय विनय तिवारी पीछे चले गए। जान बचाने

शिवमूरत

के लिए मैं, एसआई नेबूलाल, हा0गार्ड जयराम कटियार, एसओ शिवराजपुर महेश यादव हम चारो लोग प्रेम कुमार पाण्डेय के बरामदे में छिप गए थे और उसके घर का दरवाजा बंद था जिसे खोलने के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन घर के अन्दर मौजूद लोगों ने दरवाजे नहीं खोले। उसके बाद प्रभात मिश्रा के मकान की छत से हम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई तथा प्रभात मिश्रा स्वयं हाथ में रायफल लिये हुए था, शिवम दुबे उर्फ दलाल के हाथ में बंदूक, शिवम उर्फ बीडीसी के हाथ में बंदूक व राजेन्द्र मिश्रा के हाथ में छोटा असलहा व कुछ अन्य बदमाश पुलिस बल को लक्ष्य कर लगातार फायरिंग कर रहे थे, तभी मुझे 02 जगह गोलियां लगीं। जिनमें से एक गोली दाहिने पेट से दाहिने जांघ तक तथा दूसरी कमर पर आग्नेयास्त्र से चोटिल हो गया। गोली लगने के बाद मैं गिर गया और दाहिना पैर सुन्न हो गया। मेरे साथ छिपे लोग भी घायल हो गए। उसी समय हम बचते बचाते घिसटते हुए जेसीबी के पास जाकर छिप गए। अन्य घायलों के के साथ हम धीरे–धीरे अपनी पुलिस जीप तक पहुँच गए, वहां एसओ विनय तिवारी पहले से ही मौजूद थे। वहां से मुझे रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया और वहां पर मेरा ईलाज हुआ। मैं अस्पताल में करीब 10 दिन भर्ती रहा। वहां पर मेरा 02 बार ऑप्रेशन हुआ। जहां डॉक्टर ने निम्न चोटें अंकित कीं:–1. Multiple circular small wound 15 to 20 size 3.5 mm to 4.0 mm on right forearm, blackening present. Margin inverted, bleeding present, swelling and pain present. 2. Multiple red and black colour circular wound 15 to 20 number size 3.0 to 4.0 mm present on hole of fight thigh and right inguinal. Margin inverted, bleeding present, blackening present around wound. Movement of right upper and lower limb very painful. उसके बाद करीब 04 महीना मेडिकल लीव पर रहा। उसके बाद इसी माह 25.11.2020 को ही ड्यूटी ज्वाइन की।

बदमाशों में से विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा को मैं इसलिए भी पहचानता हूँ, क्योंकि कोविड/लॉकडाउन के दौरान मैंने बिकरू मोड़ पर काफी ड्यूटी की है। उसी दौरान यह बदमाश बिकरू मोड़ से काफी आते–जाते थे। इस घटना से पहले मैं कभी दबिश में नहीं गया हूँ।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
शिवमूरत
29/11/2020

एक प्रति प्राप्त किया।
शिवमूरत
29/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-09/6

(घटना कमांक–01)
दिनांक 30/11/2020

साक्षी का नाम–सुधाकर पाण्डेय, आयु–52 वर्ष, पुत्र श्री राम नयन पाण्डेय, पदनाम–उपनिरीक्षक, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

घटना के समय भी मैं थाना चौबेपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। घटना के करीब 15–20 दिन पहले मेरी तैनाती थाना चौबेपुर में हुई थी, उससे पहले मैं थाना गोविन्दनगर में तैनात था। उसके पहले मैं थाना शिवली में करीब 9 महीना तैनात रहा था। थाना शिवली से ग्राम बिकरू करीब डेढ़–2 किमी दूर है। थाना शिवली में तैनाती के दौरान मुझे विकास दुबे एवं उसके साथियों के आपराधिक कृत्यों की जानकारी मिली थी। थाना चौबेपुर में मैं हल्का नं0–04 में तैनात था। ग्राम बिकरू हल्का नं0 5 के अन्तर्गत आता है। मेरा तैनाती क्षेत्र ग्राम बिकरू के हल्का नं0 5 के वार्डर पर ही है। हल्का नं0 4 व 5 के प्रभारी एक दूसरे के लिंक ऑफिसर भी थे। अपनी तैनाती के दौरान विकास दुबे एवं उसके साथियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 02/03.07.2020 की रात्रि में मैं थाना चौबेपुर थाना हाजा में उपस्थिति होकर सरकारी कार्य सम्पादित कर रहा था। जिस समय हम लोगों को आदेशित किया गया कि ग्राम बिकरू में दबिश देने चलना है। थाना चौबेपुर से 03 वाहनों से करीब 20–22 पुलिस कर्मी थानाध्यक्ष विनय तिवारी के नेतृत्व में दबिश देने के लिए चले थे। हम लोगों में करीब आधे लोगों के पास हथियार थे और बाकी के पास डण्डे थे। मेरे पास उस समय कोई असलहा नहीं था मात्र डण्डा था। दबिश के समय मैं तीसरी टीम का सदस्य था। मेरे साथ एसआई अजहर इशरत, एसआई कुँवर पाल सिंह, एसआई दीवान सिंह तथा एसआई विश्वनाथ मिश्रा, हाइवे पेट्रोलिंग वाहन इनोवा से चालक कुशलपाल के साथ मौके के लिए रवाना हुए थे। बेला कासिंग पर पहुँचे तो वहां पर तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा मय हमराह कर्मचारियों, तत्कालीन एसओ शिवराजपुर महेश कुमार यादव तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष बिठूर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह भी अपने–अपने हमराह पुलिस फोर्स के साथ मिले। बेला कासिंग पर विचार विमर्श के पश्चात हम लोग बिकरू गांव द्विवेदी आटा चक्की के पास पहुँचे और अपनी गाड़ियों को वहीं पर खड़ा किया। दबिश पर जाने से पूर्व क्षेत्राधिकारी बिल्हौर महोदय द्वारा दबिश के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई। पुलिस बल को तीन पार्टियों में बांटा गया। मैं पार्टी नंबर

(143)

03 में था. जिसका नेतृत्व तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी कर रहे थे। हमें विकास दुबे के मकान को पश्चिम दिशा की ओर से घेरना था।

ब्रीफ करने के बाद हम लोग पैदल ही द्विवेदी आटा चक्की से चलकर जैसे ही विकास दुबे के घर से 20 मीटर पहले पहुँचे तो देखा कि एक जेसीबी मशीन बेड़े बेड़े खड़ी करके मार्ग को अवरूद्ध किये हुए थी। हम लोग जेसीबी मशीन के किनारे से निकलकर विकास दुबे के मकान के सामने स्थित तिराहे पर पहुँचे। पुलिस पार्टी में किसी के यह कहने पर कि यही विकास दुबे का घर है। उसी समय विकास दुबे के साथ विकास दुबे की छत पर कुछ लोग दिखाई पड़े और नीचे की ओर झुक कर हम लोगों की तरफ देखने लगे। हमें लगा कि यह लोग भागने वाले हैं। पूर्व योजना के अनुसार तत्कालीन सीओ साहब के निर्देश पर जैसे ही हम लोगों ने विकास दुबे के मकान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया तो अचानक विकास दुबे अपनी छत से गाली देते हुए पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। इसके साथ ही आस-पास के घरों की छतों से भी पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। अचानक हुई फायरिंग से कई पुलिस कर्मियों को गोली लग गई। जिससे पुलिस पार्टी तितर-बितर हो गई। जिसको जहां जगह मिली उसी तरफ अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग करते हुए भागा।

मैंने व सुल्तान सिंह ने भी विकास दुबे के घर के सामने से भागते हुए पप्पू मिश्रा के खाली प्लाट की तरफ बढ़कर उसमें बने अर्धनिर्मित शौचालय की आड़ लेकर खुद के सुरक्षित कर लिया। अर्धनिर्मित शौचालय की आड़ में थाना बिठूर के एसआई अनूप कुमार सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 बब्लू कुमार, का0 जितेन्द्र पाल भी अपने को सुरक्षित कर लिये। बदमाशों की फायरिंग से शौचालय में छिपे साथी पुलिस कर्मी और मुझे गोली लग चुकी थी। मैंने हीरू दुबे की छत से उसकी माँ शान्तीदेवी को चिल्लाते हुए सुना कि वह बदमाशों से कह रही थीं कि कुछ पुलिस वाले पप्पू मिश्रा के शौचालय में छिपे हैं इनको भी मार डालो। कोई जिन्दा बचकर जाने न पाये। अर्धनिर्मित शौचालय में जगह कम होने तथा लोकेशन आउट हो जाने के कारण मैं कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा तथा ट्रेक्टर ट्राली और पप्पू मिश्रा के खण्डहरनुमा मकान की आड़ में छिप गया। वहां पर एसओ बिठूर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह तथा आरक्षी अजय कश्यप और अजय सेंगर भी आड़ लिये थे। मैंने चांदनी रात, सोलर लाईट, बिजली के प्रकाश, ड्रेगन लाईट तथा प्राईवेट टॉर्च की मदद से मकानों की छतों से फायरिंग कर रहे बदमाशों को पहचाना था। उनकी छतों पर मौजूद महिलाएं भी एक दूसरे की छतों पर टॉर्च जलाकर पुलिस वालों को ढूढ ढूढकर पुलिस वालों को मारने के लिए चिल्ला रही थीं। मैंने अतुल दुबे, शशिकांत पाण्डेय, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार को हाथ में लिये रायफल से तथा राम सिंह यादव को बंदूक से दयाशंकर अग्नीहोत्री को हाथ में लिये छोटे असलहे से, रामू वाजपेयी को रायफल से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखा था। अतुल दुबे की छत पर मैंने बालगोविंद, संजय दुबे उर्फ संजू, शिव तिवारी उर्फ आशुतोष त्रिपाठी, विपुल दुबे, उमाकांत उर्फ गुडडन को हाथों में लिये असलहों से पुलिस पार्टी पर लगातार गोली

I-W-9/8 (144)

चलाते देखा था। अतुल दुबे की छत पर खुशी पत्नी अमर दुबे तथा क्षमा पत्नी संजय दुबे भी बदमाशों को गोली मारने के लिए उकसा रही थीं और उनका सहयोग कर रही थीं। करीब 10–15 मिनट तक बदमाश छतों से पुलिस पार्टी पर फायर करते रहे।

इसके पश्चात अलग–अलग रास्तों से उतरकर बदमाश अमर दुबे, अतुल दुबे, शिवम दुबे उर्फ बीडीसी, राम सिंह यादव, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, प्रेम कुमार पाण्डेय, शिवम दुबे उर्फ दलाल, प्रवीण दुबे उर्फ बउवा, प्रभात मिश्रा तथा विकास दुबे असलहा लिये हुए अपनी–अपनी छतों से उतरकर पप्पू मिश्रा के खाली मैदान में बने अर्धनिर्मित शौचालय के पास आ गए और वहां पर छिपे हुए घायल पुलिस कर्मियों उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, का0 जितेन्द्र पाल सिंह, का0 बब्लू कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 सुल्तान सिंह को घेरकर नजदीक से गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मैंने अपनी आखों से उन्हें पुलिस कर्मियों पर फायर करते देखा था। अन्य बदमाश उन्हें चिल्लाचिल्लाकर पुलिस कर्मियों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित और सहयोग कर रहे थे। उन पुलिस कर्मियों को मारने के बाद उन्होंने का0 सुल्तान सिंह की एक इंसास रायफल मय कारतूस, का0 जितेन्द्र पाल सिंह की एक ए0के047 मय कारतूस व उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह की एक पिस्टल मय कारतूस लूट ली। जाते समय प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा को छिपे हुए पुलिस कर्मियों को ढूंढकर मार डालने की बात कहते हुए विकास दुबे सहित अन्य बदमाश गोविंद सैनी के मकान की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ मामा छिपे पुलिस कर्मियों को ढूढते हुए हम लोगों के पास तक आ गया। उसने एसओ बिठूर की पिस्टल को छींनकर फायकर करना चाहा तब तक का0 अजय कश्यप ने फायर कर दिया। उसी समय विकास दुबे अपनी छत से चिल्लाया कि मामा पिस्टल लेकर ज़ल्दी भागों तब उसकी छत से ही हीरू दुबे ने हम लोगों को लक्ष्य कर गोली चला दी, जो सिपाही अजय सिंह सेंगर को लगी। मामा एसओ साहब की पिस्टल छींनकर विकास दुबे के मकान की ओर भाग गया। हम लोगों को गोलियां लग चुकी थीं और हम लोगों की लोकेशन ट्रेसआउण्ट हो गई थी। जिससे हम लोग तत्काल मौके से छिपते छिपाते एक दूसरे की मदद करते भागकर सड़क पर अपनी सरकारी गाड़ियों तक पहुँचे। घटना करीब 01 बजे से प्रारंभ होकर 30–35 मिनट तक चली। मैंने उमाकांत शुक्ला उर्फ बउवन शुक्ला को हाथ में लिये बैग से बीच बीच में बदमाशों को कारतूस देते देखा था। विकास दुबे अपने साथी अपराधियों से कह रहा था कि खोखा कारतूस उठाते जाना जिससे कि पुलिस को हम लोगों के खिलाफ सबूत न मिलें।

हमारी टीम ने जैसे ही जेसीबी पार की तो विकास दुबे की छत पर विकास दुबे एवं दो–तीन अन्य बदमाशों को देखा। हम लोगों ने सोचा कि पुलिस बल को देखकर मुल्जिमान भागने का प्रयास करेंगे, इस कारण से विकास दुबे के मकान को चारों तरफ से घेरकर पकड़ने की योजना मौके पर ही बनाई। ज्यों ही हमने विकास दुबे के पश्चिमी दरबाजे की तरफ बढ़ने को चले, वैसे ही अचानक विकास दुबे, प्रवीन कुमार दुबे एवं अतुल दुबे के मकानों की छतों से ताबड़तोड़ एकबारगी लगातार फायरिंग शुरू हो गई। श्री विनय कुमार तिवारी उस समय मुझे उस समय घटनास्थल पर दिखाई

(145)

I-07-9/9

नहीं दिये। बदमाशों द्वारा ऐसी फायरिंग करने का हमें अंदेशा नहीं था। बदमाशों के असलहे पुलिस वालों के असलहों से बेहतर होने वाली बात मैंने इसलिए बताई है, क्योंकि बदमाशों के द्वारा लगातार एवं लम्बे समय तक फायरिंग किया जाना एवं उनकी बेहतर भौगोलिक स्थिति (बदमाशों की छतों पर उपस्थिति एवं हम पुलिस बल की सड़क मार्ग से घटनास्थल पर प्रवेश के समय जमीन पर उपस्थिति)। मुझे आंख के पास 03 छर्रे (दाहिनी आंख और दाहिनी कनपटी पर) लगे थे। मैं रीजेंसी अस्पताल में 03 दिन तक भर्ती रहा था और उसके बाद मैं 15 दिन मेडिकल लीव पर रहा।

इलाज के दौरान जानकारी हुई कि बदमाशों ने शौचालय में छिपे पुलिस कर्मियों के अलावा महेश यादव, नेबू लाल दरोगा, सीओ बिल्हौर की भी गोली मारकर हत्या कर दी और महेश यादव की सरकारी पिस्टल भी लूट ली। इस घटना में हम लोगों के अलावा हो0गार्ड जयराम कटियार, का0 शिवमूरत निषाद, तथा प्राइवेट चालक विकास यादव भी बदमाशों की गोलियों से गंभीर रूप से घायल हो गये थे। उन्हें भी इलाज हेतु रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0अ0स0 192/20 पंजीकृत कराया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

30/11/20

एक प्रति प्राप्त किया

30/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-10/6
(घटना कमांक–01)
दिनांक 30/11/2020

साक्षी का नाम–अजहर इशरत, आयु–32 वर्ष, पुत्र इशरत अली, पदनाम–उपनिरीक्षक, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को थाना चौबेपुर में नियुक्त था। मैं 22.09.2017 से थाना चौबेपुर में तैनात हूँ। मैं विकास दुबे को पहचानता था और जानता था। थाना चौबेपुर से 03 वाहनों से पुलिस बल दबिश हेतु निकला था जिसमें मैं भी था। मेरे पास ब्राउनिंग पिस्टल थी। हम पुलिस बल में से कुछ लोगों के पास आग्नेयास्त्र नहीं थे। मुझे जानकारी थी कि विकास दुबे काफी शातिर अपराधी था तथा थाना चौबेपुर का हिस्ट्रीशीटर व रजिस्टर्ड डी गैंग का लीडर भी था। यह सही है कि दबिश देने जाते समय स्थिति की गंभीरता का सही–सही आंकलन नहीं कर पाये थे। मौके पर दबिश हेतु 03 टीमों का गठन किया गया था। तृतीय टीम जो श्री विनय कुमार तिवारी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बनी थी मैं उसी टीम का सदस्य था। ग्राम बिकरू में दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे व उसकी विरोधी राहुल तिवारी के बीच जमीन को लेकर विवाद था। विकास दुबे ने उसे मारपीट कर बंधक बना लिया था। इसकी शिकायत राहुल तिवारी ने थाना चौबेपुर में की थी। उसके प्रार्थना– पत्र में उसके साथ घटित घटना के संबंध में दिनांक 02/.07.20 को थाना– चौबेपुर में मु0अ0स0 191/20 धारा 147/148/504/323/364/342/307 भा0द0स0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर दिनांक 2/3.07.2020 की रात्रि में तत्तकालीन सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में थाना चौबेपुर शिवराजपुर व बिठुर का पुलिस बल विकास दुबे और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की प्लानिंग की गई। सारा पुलिस बल अपने असलहो और डण्डो के साथ कांस्टेबल राहुल कुमार थाना बिठुर में पूर्व में दिये निर्देश के कम में सादे वस्त्रों में था।

बेला कासिंग पर विचार–विमर्श के पश्चात् विकास दुबे के घर पर दबिश हेतु हम पुलिस वालों ग्राम बिकरू के लिए रवाना होकर ग्राम बिकरू में स्थित द्विवेदी आटा चक्की के पास पहुँचे और अपनी गाड़ियों को वहीं पर खड़ा किया। दबिश पर जाने से पूर्व क्षेत्राधिकारी बिल्हौर महोदय द्वारा दबिश के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई।

(147)

P.W.-10/7

पुलिस बल को तीन पार्टियों में बांटा गया। प्रथम टीम का नेतृत्व दूसरे दल का नेतृत्व थानाध्यक्ष बिठुर कौशेलेन्द्र प्रताप सिंह और तीसरे दल का नेतृत्व तत्कालीन एस0ओ0 चौबेपुर विनय तिवारी कर रहे थे। हम लोग जैसे ही विकास दुबे के घर से 20 मीटर पहले पहुँचे तो देखा कि बीच सड़क पर प्रभात मिश्रा और प्रेम कुमार पाण्डेय के सामने एक जेसीबी मशीन बेड़े बेड़े खड़ी करके मार्ग को अवरूद्ध किये हुए थी। हम लोग जेसीबी मशीन के किनारे से निकलकर विकास दुबे के मकान के सामने मुख्य द्वार पर पहुँचे। पुलिस पार्टी में किसी के यह कहने पर कि यही विकास दुबे का घर है। उसी समय कुछ लोग विकास दुबे पुराने घर की छत पर दिखाई पड़े और नीचे की ओर झुक कर हम लोगों की तरफ देखने लगे। हमें लगा कि यह लोग भागने वाले हैं। पूर्व योजना के अनुसार तत्कालीन सीओ साहब के निर्देश पर जैसे ही हम लोगों ने विकास दुबे के मकान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया तो अचानक विकास दुबे अपनी छत से गाली देते हुए पुलिस पार्टी पर अपने हाथ में लिये रायफल से फायर करने लगा। इसके साथ ही आस-पास के घरों की छतों से भी पुलिस पार्टी पर तावड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। अचानक हुई फायरिंग से कई पुलिस कर्मियों को गोली लग गई। जिससे पुलिस पार्टी तितर-बितर हो गई। जिसको जहां जगह मिली उसी तरफ अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग करते हुए भागा। उस समय चांदनी रात थी और बिजली की पर्याप्त रोशनी तथा पुलिस के पास ड्रैगन लाइट व टार्च थी मेरे द्वारा अपनी पिस्टल से कुल 07 राउन्ड फायर किये गये।

मेरे साथ उप निरीक्षक कुंवर पाल सिंह, कां0 नवनीत, कां0 राजीव, कां0 राहुल, हेड कां0 अखिलेश, पास में राम नारायण वर्मा के मकान के बरामदे के पिलर, चारा मशीन, भूसा भरे झाल व मकान के सामने बनी लैट्रिन की आड़ में छिपकर और बदमाश हमें नहीं देख पाये। तत्कालीन एस0ओ0 शिवराजपुर महेश यादव, उनि नेबू लाल हो0गार्ड जयराम कटियार , कां0 शिवमूरत प्रेम कुमार पाण्डेय की घर की दिशा में बढ़े और उसके बरामदे में बने खम्भे की आड़ लेकर अपने आपको सुरक्षित किया। अन्य पुलिस बल पूरब दिशा में पप्पू मिश्रा के खाली प्लाट की ओर भागा। कुछ पुलिस बल ने वापस मुड़कर जेसीबी की आड़ ली। बीच-बीच में बदमाश और महिलाएं एक-दूसरे की छतों से बदमाशों का नाम लेकर एक दूसरे की छतों पर टॉर्च जलाकर पुलिस वालों को ढूढ ढूढकर पुलिस वालों को मारने के लिए चिल्ला रही थीं। मैंने अपनी मौजुदी को छिपाते हुए कुछ बदमाशों को पहचाना था।

प्रेम कुमार पाण्डेय गोपाल सैनी, गोबिन्द सैनी की छत आपस में मिली हुई है । उस पर मैने प्रेम कुमार पाण्डेय व गोपाल सैनी की रायफल लिये हुए, शयामू वाजपेयी व गोबिन्द सैनी को तमांचा लिये हुए देखा था। उसी छत पर कुछ अन्य बदमाश थे जिनके हाथ में कुछ असलहे थे । वे लोग पुलिस पार्टी पर तावड़तोड़ फायर कर रहे थे और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी यहाँ दबिश देने की हिम्मत कैसे हो गई । आज यहाँ से कोई बच कर नहीं जायेगा। इसी दौरान हमने देखा कि हमारे थाने का सिपाही शिवमूरत और शिवराजपुर थाने का हो0गार्ड जयराम कटियार प्रेम कुमार पाण्डये के बरामदे से तेजी से जे0सी0बी0 की तरफ भागे। उनके उपर बदमाशों

J-ω-10/8 (148)

ने फायरिंग की। करीब 10–15 मिनट तक बदमाश फायर करते हुए। इसके बाद वे अपने–अपने छतों से उतर कर अलग–अलग रास्तों से प्रेम कुमार पाण्डेय के मकान के बरामदे में आये तथा विकास दुबे, अमर दुबे, प्रेम कुमार पाण्डेय, अतुल दुबे अपने हाथों में लिये असलहा से महेश यादव साहब और उप निरीक्षक नेबू लाल को गोली मार दी। प्रभात मिश्रा राम नारायण वर्मा के घर के रास्ते से नीचे उतरकर बाहर आया व राम नारायण वर्मा के शौचालय की आड़ में छिपे कां0 नवनीत पर रायफल तान दी। लेकिन मैंने उसकी रायफल की नाल को हाथ से मार दी जिससे फायर उपर हो गया।

हम लोग यह जान गए कि अब हमारी लोकेशन आउट हो चुकी हैं, वहाँ से छिपते छिपाते सुरेश वर्मा के मकान के सामने से खेतों की तरफ जाकर छिप गये। इसके बाद भी करीब 15–20 मिनट तक बीच–बीच में रूक–रूककर गोलियां चलने की आवाज आती रहीं। घटना रात करीब 1 बजे से प्रारंभ होकर 30–35 मिनट तक चली। पूरी घटना का नेतृत्व विकास दुबे कर रहा था। घटना के दौरान उमाकान्त शुक्ला उर्फ बउवन एक बैग में कारतूस लिये था जो बदमाशों को बीच–बीच में दे रहा था। विकास दुबे बीच–बीच में कह रहा था कि खोखा कारतूस को हटा देना जिससे हम लोग के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत न मिले।

हमारी टीम ने जब जेसीबी को पार किया तब विनय तिवारी साथ थे उसके बाद दिखाई नहीं दिये। मैंने 07 राउण्ड फायर किये। चूंकि बदमाश आस–पास के मकानों की छतों से पोजिशन लेकर फायरिंग कर रहे थे और हम पुलिस बल नीचे जमीन पर बिना आड़ के मौजूद थे इस कारण से बदमाश हम पुलिस वालों से काफी अच्छी पोजिशन पर थे। इस कारण से बदमाशों को हम पुलिस वालों के द्वारा चलाई गई गोलियां नहीं लगीं, इस कारण से पुलिस वाले ही हताहत हुए। मुझे बाद में पता चला कि कुछ औरतें भी बदमाशों का सहयोग करने के लिए छतों से चिल्ला रही थीं। घटना में मुझे कोई चोट नहीं आई थी। मैं, का0 नवनीत, का0 राहुल सरदार, उ0नि0 कुंवर पाल सिंह एवं हे0का0 अखिलेश, का0 राजीव जान बचाने के उददेश्य से हम लोग विकास दुबे के मकान के पश्चिम दिशा में जो खेत था उसमें छिप गए।

कुछ देर बाद अतिरिक्त पुलिस मौके पर आ गये और बदमाश घटना कारित करके भाग चुके थे। मैं पुनः मौके पर गया तो देखा कि प्रेम कुमार पाण्डेय के बरामदे में तत्कालीन एस0ओ0 शिवराजपुर महेश यादव और उप निरीक्षक नेबू लाल का शव पड़ा था। उसके आंगन में तत्तकालीन सी0ओ0 देवेन्द्र मिश्रा साहब का शव क्षत–विक्षत अवस्था में पड़ा था। हम लोगों ने उसके आंगन में बने शौचालय में छिपे उ0नि0 विश्वनाथ मिश्रा और कां0 नेम सिंह को बाहर निकाला अन्य साथियों की तलाश की तो पप्पू मिश्रा के खाली प्लाट में बने अर्धनिर्मित शौचलाय के पास उ0 नि0 अनूप कुमार सिंह, कां0 जितेन्द्र पाल, कां0 राहुल कुमार, कां0 बब्बलू , कां0 सुल्तान सिंह बदमाशों की गोली से मृत अवस्था में लहू –लुहान पड़े थें बदमाश कां0 सुल्तान सिंह की इनसास रायफल, उप0 नि0 अनूप कुमार सिंह की सरकारी पिस्टल, कां0 जितेन्द्र पाल की ए0के0 47 रायफल, एस0ओ0 शिवराजपुर महेश यादव की सरकारी पिस्टल व

(149)

I-ω-10/9

घायल एस0ओ0 बिठुर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह की सरकारी पिस्टल, मय कारतूस को लूट ले गये। साथी पुलिस वालों से पता चला कि घटना के समय गोली लगने से एस0ओ0 बिठुर कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 अजय कश्यप, उप0 नि0 सुधाकर पाण्डेय, का0 शिवमूरत निषाद, कां0 अजय सेंगर, हो0 गा0 जयराम कटियार और एस0ओ0 चौबेपुर के प्राईवेट चालेक विकास यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें अन्य पुलिस कर्मियो की मदद् से ईलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस संबंध में तत्कालीन एस0ओ0 विनय तिवारी ने दिनांक 0307.2020 को विकास दुबे आदि के विरूद्ध थाना चौबेपुर में मु0आ0स0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भा0द0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत कराया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

30/11/20

एक प्रति प्राप्त किया

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-11/19
(घटना कमांक–01)
दिनांक 07/12/2020

साक्षी का नाम–अनन्त देव, आयु–57 वर्ष, पुत्र श्री बालकृष्ण तिवारी, निवासी–ग्राम व पोस्ट सुल्तानगढ़, जनपद–फतेहपुर, वर्तमान नियुक्ति पुलिस उप महानिरीक्षक पी0ए0सी0, सेक्टर मुरादाबाद।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 03.11.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैंने प्रादेशिक पुलिस सेवा, उत्तर प्रदेश 12.09.1991 को बतौर पुलिस उपाधीक्षक ज्वाईन किया था। प्रशिक्षिण के पश्चात जनपद जालौन में तैनाती के लिए सन् 1998–99 में करीब 8–9 महीने जनपद कानपुर नगर के विभिन्न सर्किल्स–कलेक्टरगंज, स्वरूपनगर एवं बिधनु में बतौर क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक तैनात रहा, उस दौरान किसी भी स्त्रोत से अभियुक्त विकास दुबे के बारे में जानने सुनने को नहीं मिला। स्वयं ने कहा कि अभियुक्त विकास दुबे ग्राम बिकरू (वर्तमान थानान्तर्गत चौबेपुर) तत्समय मेरे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बाहर था। सन् 2001 गैर जनपद में तैनाती के समय मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि विकास दुबे नामक बदमाश ने थाना शिवली, कानपुर देहात के अन्दर घुसकर तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री संतोष शुक्ला व एक अन्य की गोली मारकर दुर्दात तरीके से हत्या कर दी थी। उसके बाद से लेकर जनपद कानपुर नगर में बतौर एसएसपी तैनाती दिनांक 30.08.2018 होने पर मुझे किसी भी स्त्रोत से विकास दुबे के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। बतौर एसएसपी कानपुर नगर 18.06.2020 तक मेरा करीब 22 महीने का कार्यकाल रहा है। अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में अभियुक्त विकास दुबे का नाम मेरे सामने नहीं आया। मेरी तैनाती के पूर्व से ही कानपुर में अभियुक्त विकास दुबे का गैंग डी0–124 पर दर्ज है। डी0 का तातपर्य डिस्ट्रिक लेवल से है। गवाह से यह पूछे जाने पर कि जब अभियुक्त विकास दुबे ऊपर भिन्न–भिन्न जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर एवं लखनऊ) में मुकदमें पंजीकृत होना जानकारी में है तो विकास दुबे के गैंग डी0–124 को नियमानुसार उच्चीकृत क्यों नहीं किया गया, इस पर गवाह ने कहा कि संभवतः गैंग का पंजीकरण गैर जनपदों से अपराध से पूर्व हो गया होगा, स्पष्ट ज़ानकारी नहीं है। गवाह ने अपने शपथपत्र के संग्लनक– 3, 4 व 5 की ओर माननीय आयोग का ध्यान आकृषित करते हुए कहा कि माह 24 जुलाई 2019 में मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर को गैंगों का सत्यापन कराकर अध्यावधिक करने व सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। जिसमें डी–124 (विकास दुबे अपराधिक गैंग भी शामिल था) इस पत्र पर मेरे द्वारा अति महत्वपूर्ण/समयवद्ध/विशेष ध्यानाकृषण भी अंकित किया गया। प्रत्येक लीडर व सदस्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण लौटती डाक से कार्यालय डीसीआरपी में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सग्लनक संख्या–3 (पत्र दिनांकित 24.07.2019 के अभिकम में जब क्षेत्राधिकारी बिल्हौर द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो मेरे द्वारा संग्लनक संख्या–4 के माध्यम से पत्र दिनांकित 28.08.2019 को यह सख्त टिप्पणी करते हुए पुनः निर्देशित किया कि वांछित सूचना

07/12/20

(151)

लौटती डाक से भेजना सुनिश्चित करें।) मेरे शपथपत्र के प्रस्तर–5–बी में अनुस्मारक का दिनांक टंकण त्रुटी के कारण 28.07.2019 अंकित हो गया है जोकि वास्तव में 28.08.2019 है। यह सही है कि क्षेत्राधिकारी बिल्हौर को अपने लिखित निर्देश दिनांकित 24.07.2019 एवं 28.08.2019 को संदर्भित करते हुए उसकी तारतम्यता में न तो कोई लिखित निर्देश नहीं दिया। यह सही है कि अपने पत्र दिनांकित 24.07.2019 एवं 28.08.2019 के अवमानना किये जाने पर भी मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही संस्तुति की गई, मेरे द्वारा इस संबंध में उच्चाधिकारी, शासन, प्रशासन को सूचित नहीं किया गया। गवाह ने स्वयं कहा कि चूंकि जनपद स्तर पर करीब 150 गैंग (1000 उपराधी) क्रियाशील थे, इस कारण से एसएसपी स्तर से प्रत्येक गैंग लीडर के संबंध में मॉनीटरिंग किये जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कानपुर नगर एक बड़ा जिला है जिसमें करीब 45 थाने हैं। अपने 22 महीने के कार्यकाल में मैंने थाना चौबेपुर का वार्षिक या आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया। गवाह ने स्वयं कहा कि वार्षिक निरीक्षक एक तिहाई का किया जाता है और थाना चौबेपुर के निरीक्षण का नंबर मेरे कार्यकाल में नहीं आया। मेरे 22 महीने के कार्यकाल में विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्य एवं गैंग के सदस्य के नाम से न तो शस्त्र लाईसेंस बना और न ही रिनुवल हुआ और न ही इस संबंध में थाने अथवा अन्य किसी माध्यम से कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई, न ही अधिनस्थ के माध्यम से न ही समाचार पत्रों के माध्यम से और न ही एलआईयू के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्ततु नहीं हुई। मेरे सम्पूर्ण कार्यकाल में अभियुक्त विकास दुबे टॉप–10 अपराधी, न जनपद स्तर पर और न थाना स्तर पर चिन्हित किया गया और न ही सूचिवद्ध किया गया। मेरे सम्पूर्ण कार्यकाल में अभियुक्त विकास दुबे से न फोन पर बात हुई और न मुलाकात हुई। जयकांत वाजपेयी से मेरी मुलाकात 09.03.2020 से शुरू हुई है। मेरी जानकारी में जयकांत वाजपेयी, विकास दुबे के गैंग का न तो मैम्बर था और न तो किसी केस में सहअभियुक्त था। गवाह ने स्वयं कहा कि जयकांत वाजपेयी के विरूद्ध 03–04 आपराधिक मुकदमें दर्ज थे जोकि थाना नजीराबाद और बजरिया के थे।

गवाह ने स्वयं कहा कि क्षेत्राधिकारी बिल्हौर स्व0 श्री देवेन्द्र मिश्रा के द्वारा अभियुक्त विकास दुबे अथवा उसके गैंग के संबंध में कोई जानकारी लिखित या मौखिक मुझे कभी नहीं मिली। गवाह ने स्वयं बताया कि सी0ओ0 बिल्हौर के द्वारा तत्कालीन एसओ चौबेपुर श्री विनय तिवारी के विरूद्ध शिकायत के संदर्भ में मेरे द्वारा दूसरे सर्किल, क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर श्री अजय कुमार को निर्देशित किया गया था, निष्पक्ष जांच में आरोप बेबुनियाद पाए गए थे व जांच आख्या मैं शपथपत्र के साथ संलग्न नहीं कर पाया था और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा भी जांच आई0पी0एस0 निखिल पाठक द्वारा कराई गई थी। एक प्रार्थना पत्र तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री देवेन्द्र मिश्रा के विरूद्ध जुआ खिलाने के संबंध में प्राप्त हुई थी। दोनों जांचों के आधार पर विधिक निस्तारण किया गया था।

परिपाटी के अनुसार सम्भ्रांत पुलिस मित्र (एस–10) का गठन डीजीपी प्रपत्र के अनुसार कानपुर नगर में भी किया गया था। जयकांत वाजपेयी, ब्रहमनगर अन्तर्गत थाना नजीराबाद, कानपुर नगर का निवासी था। जयकांत वाजपेयी को थाना नजीराबाद के एस–10 में शामिल था। थाना चौबेपुर की एस–10 सूची में विकास दुबे एवं उसके सार्प सूटर धर्मेन्द्र उर्फ धीरू का नाम सम्मलित था कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। एस–10 सूची में किसके नाम थे यह रिकॉर्ड का विषय है। यह सही है कि विकास दुबे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में जेल में निरूद्ध रहा, लेकिन धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अपराध से अर्जित धन/सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही मेरे द्वारा अमल में नहीं लाई गई। गवाह ने स्वयं कहा कि ऐसी कार्यवाही के लिए थाना स्तर,

07/12/20

क्षेत्राधिकारी या एस0पी0 स्तर से कोई संस्तुति नहीं की गई थी, इस कारण से मेरे द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री विनय कुमार तिवारी की तैनाती थाना चौबेपुर के पद पर मैंने 19.12.2019 को की थी। मुझे याद नहीं है कि कृष्ण कुमार शर्मा उपनिरीक्षक को मैंने थाना चौबेपुर पर तैनात किया था या नहीं। प्रकरण के संबंध में शासन के द्वारा मुझे आदेश दिनांकित 12.11.2020 के माध्यम से निलम्बित करते हुए डी0जी0पी0 कार्यालय से संबद्ध किया गया है। विभागीय आरोप पत्र मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से मैं अभी निलम्बन आदेश को चैलेंज नहीं कर पाया हूँ। जयकांत वाजपेयी से जो 19 बार मेरी वार्ता हुई है तथा या अन्य मिलना जुलना हुआ है उसका कारण यह है कि 09.03.2020 को होली त्यौहार पर प्रथम बार शुभकामना संदेशों का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद से अपराधियों को कड़ा संदेश देने के उददेश्य से आम जनता को जागरूक करने के लिए जनता को संदेश देने के लिए सोशल मीडिया को भी माध्यम बनाया गया था, जिसमें प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री अन्नु अवस्थी की भी सेवाएं ली गई थीं। जिन्होंने तमाम ऑडियो व वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन के संदेश को प्रसारित किया। जयकांत वाजपेयी से मेरी मुलाकात पीयूष दुबे वर्तमान निवासी नॉएडा एवं श्री अन्नु अवस्थी के माध्यम से हुई थी। इसके बाद कोविड–19 वैश्विक आपदा के दौरान समाज सेवाएं जैसे मास्क, सैनीटाईजर वितरण, कम्युनिटी किचन का संचालन जैसे कार्यों में जयकांत वाजपेयी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेता था, जिससे मेरी नजर में उसकी छवि एक अच्छे समाजसेवी के रूप में बन गई थी। मेरी जयकांत वाजपेयी तथा अन्य किसी साथी से सामाजिक कार्यक्रमों में कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं है। चूकिं मेरे पद या निर्वहन में जनता से मिलना जुलना भी रहता है। दिनांक 02/03.07.2020 ग्राम बिकरू की घटना के तारतम्वय में मीडिया के द्वारा जबरदस्त दुस्प्रचार (मीडिया ट्रायल) किया गया, जिस कारण से मैं भी विक्टिम बन गया हूँ। इस प्रकार के मीडिया ट्रायल किये जाने से नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। गवाह ने स्वयं बताया कि घटना के तुरन्त बाद दिनांक 04.07.2020 को समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त जयकांत वाजपेयी ने अपनी गाड़ियों को थाना काकादेव क्षेत्र के अन्तर्गत लावारिश छोड़ दिया था, इस पर मेरे द्वारा जयकांत वाजपेयी को कड़े निर्देश देकर थाना नजीराबाद भेजा गया, जिसपर जाकांत वाजपेयी 04.07.2020 को थाना नजीराबाद में उपस्थित हुआ।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

153

I.W.-12

(घटना कमांक–01)
दिनांक 09/12/2020

साक्षी का नाम–विनय कुमार तिवारी (पूर्व थानाध्यक्ष चौबेपुर, निरूद्ध जिला कारागार, माती, कानपुर देहात), आयु–31 वर्ष, पुत्र स्व0 श्रवण कुमार तिवारी, निवासी–ग्राम व पोस्ट अलवारा, थाना–महेवाघाट, जनपद–कौशाम्बी।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

मैं मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में बतौर उपनिरीक्षक 2013 बैच में ज्वाईन किया था। प्रशिक्षण के उपरांत सन् 2015 में मेरी प्रथम नियुक्ति जनपद चन्दौली में हुई थी। जुलाई–अगस्त 2019 में प्रथम बार जनपद कानपुर नगर में स्वाट टीम (काईम ब्रांच) में नियुक्त हुआ और 01.01.2020 को बतौर थानाध्यक्ष चौबेपुर में नियुक्त हुआ। ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर के क्षेत्राधिकार में आता है। मैं नहीं बता सकता कि थाना चौबेपुर में अपनी नियुक्ति होने के उपरांत मैंने अभियुक्त विकास दुबे के बारे में या किसी बदमाश सहयोगी का नाम मैंने पहली बार कब सुना। थाना चौबेपुर में अपनी नियुक्ति के बाद मैंने अपराध रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया था, लेकिन अभियुक्त विकास दुबे का नाम मेरे संज्ञान में आया था। थाना स्तर पर चिन्हित एस0–10 सूची में विकास दुबे का नाम नहीं था, उसके सहयोगियों का नाम था या नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि थाना चौबेपुर में तत्समय उपलब्ध एवं बनाई गई अपराधियों की टॉप–10 सूची में अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके किसी सहयोगी/पारिवारिक सदस्य का नाम था कि नहीं, यह तथ्य उपलब्ध अभिलेखों से चेक किया जा सकता है। मुझे याद नहीं है कि विकास दुबे का गैंग डी–124 नंबर पर पंजीकृत था या नहीं, यह तथ्य भी अभिलेखों से चेक किया जा सकता है। थाना चौबेपुर में मेरी नियुक्ति के उपरांत प्रथम बार मार्च 2020 में अभियुक्त विकास दुबे एवं दूसरे पक्ष के अनुराग दुबे के बीच सीमेंट की ट्रक के रास्ते में कृषि यंत्र के रूकावट पैदा करने के संबंध में झगड़ा हुआ था। जिसके संबंध में थाना चौबेपुर में कास एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस घटना से पूर्व मैं कभी ग्राम बिकरू में नहीं गया, गवाह ने स्वयं कहा कि बहुत समय की बात हो गई, इस समय ठीक से याद नहीं है कि मैं ग्राम बिकरू गया था कि नहीं। इस घटना से पूर्व मेरी अभियुक्त विकास दुबे से न कभी बात हुई और न कभी मुलाकात हुई, न कभी विकास दुबे या उसके किसी सहयोगी का फोन आया और न ही मैंने कभी इन लोगों को कभी फोन किया। यदि मेरी विकास दुबे एवं उसके किसी सहयोगी से बातचीत हुई होगी तो यह मेरे कॉल डिटेल रिकार्ड से पता चल जायेगा। मार्च 2020 की घटना के समय ग्राम बिकरू के हल्का इंचार्ज कौन थे ठीक से याद नहीं है, स्वयं कहा कि शायद अजहर इशरत, उपनिरीक्षक थे। उक्त वर्णित दोनों एफआईआर की विवेचना से विवेचकों द्वारा यह तथ्य मेरे संज्ञान में आये थे कि घटना में मारपीट कारित नहीं हुई थी, घटनास्थल का मौका मुआयना मेरे द्वारा भी किया गया था। उसी समय मेरे संज्ञान

में यह बात आई थी कि अभियुक्त विकास दुबे अपराधियों की टॉप–10 सूची में पहले से ही शामिल था। मुझे विकास दुबे के अपराधिक इतिहास के बारे में पता चला था कि विकास दुबे एक बड़ा अपराधी है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मार्च 2020 में दर्ज हुए उक्त क्रास केसों की सूचना तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर/उच्चाधिकारियों को जरिये उचित माध्यम से नहीं दी गई थी। मैंने घटना की सूचना तत्कालीन एसएसपी श्री अनंत देव तिवारी महोदय को मोबाईल के माध्यम से दी थी। गवाह ने स्वयं बताया कि उक्त दोनों क्रास केस पक्षकारों ने बढ़ाचढ़ा कर गंभीर धाराओं के उददेश्य से दर्ज कराए थे, विवेचक द्वारा मुझे बताया गया था कि मामला केवल गाली–गलौच का था, विवेचना द्वारा पर्याप्त सबूतों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के ऊपर से गंभीर धाराएं हटा दी गई थीं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों केसों में चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं। मार्च 2020 की उक्त क्रास केसों की जांच के संबंध में जब मैं घटना वाले दिन ग्राम बिकरू गया था तो उस समय विकास दुबे भी वहीं मौजूद था, मैं विकास दुबे को पहचानता नहीं था। मौके पर ही लोगों ने मुझे बताया था कि यह विकास दुबे है, लेकिन मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। उस समय विकास दुबे से बातचीत हुई या नहीं, मुझे याद नहीं।

मेरी मानसिक स्थिति इस समय इतनी ठीक नहीं है कि मैं ठीक से अपना बयान दे सकूँ।

मार्च 2020 की उक्त घटना के बाद से लेकर 02/03.07.2020 तक के मध्य मेरी विकास दुबे कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई। न विकास दुबे मेरे थाने पर आया और न मैं उससे कहीं बाहर मिला। फिर सोचते हुए गवाह ने कहा कि एक बार विकास दुबे का फोन किसी निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर मिट्टी डलवाने के लिए किसी की शिफारिश करने के संबंध में आया था। तब भी मैंने विकास दुबे से यही कहा था कि नियमों के तहत अपने खनन से संबंधित दस्तावेज पूरे कर लो, इससे पुलिस का क्या संबंध है। मेरे विकास दुबे एवं उसके किसी सहयोगी से मैं अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में अपने पूरे क्षेत्र में किसी भी निमंत्रण/शादी विवाह/पार्टी आदि में शामिल नहीं हुआ। गवाह द्वारा पंजीकृत कराई गई एफआईआर बजरिये मु0अ0स0 192/2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394 IPC व धारा 7 CLA Act थाना चौबेपुर की एफआईआर को गवाह को दिखाकर पूछा गया तो अभियुक्तों की सूची में अंकित 21 नामों को देखकर गवाह ने बताया कि उक्त घटना से पहले इनमें से किसी भी व्यक्ति से मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा और न कभी फोन पर बात हुई, गवाह ने स्वयं कहा कि मेरे मोबाईलस् फोन से संबंधित कॉल डिटेल रिकार्ड देखकर ही इसका पता चल सकता है।

मुझे याद नहीं है कि राहुल तिवारी पुत्र रामविलास, ग्राम जादेपुर धस्सा, थाना चौबेपुर मेरे पास विकास दुबे की शिकायत लेकर कब आये थे, रिकार्ड देखने पर पता चल सकता है।

[signatures]

155

D.W. 12/3

यह पूछे जाने पर कि आप उक्त राहुल तिवारी को लेकर क्या विकास दुबे से पूछताछ करने के लिए उसके घर गए थे, इस पर गवाह ने माननीय आयोग से निवेदन करते हुए कहा कि इस प्रकरण में मैं आगे बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस प्रकरण में मैं जेल में हूँ उससे संबंधित आरोप पत्र विवेचक के द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में जमा किया जा चुका है, किन्तु कोरोना के कारण न्यायालय आने जाने में बाधा के कारण अभी तक मैंने उक्त आरोप पत्र की नकलें प्राप्त नहीं की हैं। मुझे 04 या 05 जुलाई 2020 को निलंबित किया गया तथा प्रकरण में 08.07.2020 को जेल भेजा गया।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

Vinay
09.12.20

Certified by the Court
Vinay
09.12.20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

BSChauhan

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-13/1

(घटना कमांक–01)
दिनांक 09/12/2020

साक्षी का नाम–कृष्ण कुमार शर्मा (पूर्व उपनिरीक्षक, थाना चौबेपुर, निरूद्ध जिला कारागार, माती, कानपुर देहात), आयु–37 वर्ष, पुत्र स्व0 राजकुमार शर्मा, निवासी–ग्राम गिरधरपुर तुमरैल, थाना– हाफिजपुर, जिला–हापुड़।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के 2017 बैच में उपनिरीक्षक भर्ती हुआ हूँ। 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 12.11.2018 को मेरी नियुक्ति थाना चौबेपुर में हुई थी। बिकरू गॉव 05 नंबर हल्का में पड़ता है। उपनिरीक्षक गोपी कृष्ण अग्रवाल और मुझे हल्का नंबर 5 को दो हिस्सो में बाटकर इंचार्ज बनाया गया और बिकरू गॉव उनके हिस्से में आता है। 16.06.2020 को मुझे पूरे हल्के का इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि उनकी अन्य जगह डयूटी लग गई थी। हल्का नं0–5 के पूर्व इंचार्ज श्री कुवर पाल सिंह से मुझे 2018 में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि मेरे हल्के में रहना वाला अपराधी विकास दुबे जेल में है जोकि टॉप–1 अपराधी है। मेरी जानकारी में एस0–10 सूची में ग्राम बिकरू का कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने थाना चौबेपुर में टंगे बोर्ड पर जिसमें थाने के टॉप–10 अपराधियों का विवरण लिखा रहता है, उसपर मैंने देखा था कि एक नंबर पर विकास दुबे का नाम व फोटो चस्पा है। जिस समय मुझे हल्का नं0–5 (ग्राम बिकरू) का पूरी तरह से इंचार्ज बनाया गया था। काफी समय पूर्व अपराधी विकास दुबे जमानत पर रिहा होकर आ चुका था। विकास दुबे को मैंने पहली बार मई 2020 में शिवली, कानपुर नगर और कानपुर देहात के बैरियर पर शिवली बॉर्डर पर पहली बार देखा था। उसके कुछ ही दिन बाद ग्राम बिकरू में मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए मुझे भेजा गया था। जब मैं सिपाही के साथ मस्जिद में पहुँचा तो पता चला कि मस्जिद के मौलाना साहब प्रकरण के संबंध में विकास दुबे के पास गए हुए हैं। तो हम लोग भी विकास दुबे के घर पहुँच गए, क्योंकि विकास दुबे ही जिला पंचायत का सदस्य था तथा प्रधान का बस्ता व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे की दुकान वही देखता था। इस घटना के बाद कुल 3 या 4 बार मेरी फोन पर विकास दुबे से बात हुई होगी, उनका भी फोन मेरे पास आया होगा। उनसे इसलिए बात होती थी कि बिकरू गॉव का कोई भी मतभेद या झगड़ा होता था तो दोनों पक्ष न्याय के लिए थाने आने के बजाए उसके पास पहले चले जाते थे। उसके बाद वह थाने पर भेज देता था। मेरे अलावा थाने में तैनात एसआई कुवर पाल सिंह और अजहर इशरत भी थे, इनके पास भी विकास दुबे के फोन आते रहते थे और यह लोग भी विकास दुबे को फोन करते थे। मुझे नहीं पता कि एसओ विनय तिवारी उनके सम्पर्क में थे या नहीं। मैंने विकास दुबे एवं उसके किसी भी सदस्य को थाने में आते जाते नहीं देखा। रामसिंह जोकि एस0–10 का पहले से ही सदस्य था। हल्के में यदि पुलिस को किसी भी चीज की आवश्यकता हो जैसे बैरियर, तखत, पीने का पानी आदि की व्यवस्था रामसिंह ही करता था। 02/03.07.2020 की घटना में नामजद होने के बाद हमें आभास हुआ कि वह भी उस गैंग का सदस्य हो सकता है। अमर दुबे कभी–कभी मुझे फोन करता था और मैं भी उससे सम्पर्क करता था। वह हमको बिकरू गॉव व आस–पास गॉव के बारे में जानकारी देता था। मुझे इस बात का आभास नहीं था कि

157

I-W-13/2

वह विकास दुबे से संबंधित है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह भी बदमाश किस्म का आदमी है। मैं एक सजा याफ्ता व्यक्ति जिसका नाम धर्मेन्द्र उर्फ गोविन्द दुबे को पकड़ने के लिए तीन बार बिकरू गॉव गया, लेकिन वह कभी नहीं मिला उसके घर पर ताला लगा मिला। ग्राम बिकरू से संबंधित मेरे जाने का सर्टिफिकेट ग्राम प्रधान बिकरू से लेना था, जिसे कि माननीय उच्च न्यायालय में भेजा जा सके तब विकास दुबे से फोन पर सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मैं गॉव में नहीं हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट आपको मिल जायेगा। उसी समय एक लड़के ने मुझे उक्त सर्टिफिकेट दिया, जिसपर श्रीमति अंजली दुबे के हस्ताक्षर थे। यह जून 2020 के आखिरी सप्ताह की बात हो सकती है। जब मैंने उक्त सर्टिफिकेट माननीय सीजेएम कानपुर देहात को उक्त न्यायालय के पैरोकार से भिजवाया तो उसने बताया कि माननीय सीजेएम महोदय ने आपको 03 दिन का अतिरिक्त समय धर्मेन्द्र उर्फ गोविन्द दुबे को पकड़ने के लिए दिया है, क्योंकि वह 2009 से फरार चल रहा है। 27.06.2020 को मुझे पता चला कि अमर दुबे की शादी 29.06.2020 को बिकरू गॉव में होनी है। मुझे मुखबिर से पता चला कि धर्मेन्द्र उर्फ गोविन्द दुबे जोकि अमर दुबे का सगा चाचा है और वह शादी में जरूर आयेगा। 29.06.2020 की शाम को काफी देर से मैं एक महिला कांस्टेबल तथा अन्य का0 के साथ प्राईवेट वाहन से बिकरू के लिए निकला। रास्ते में शिवली बॉर्डर पर एसआई दीवान सिंह व 04 का0 के साथ डयूटी कर रहे थे, जिनसे बातचीत करके मैंने उनका सरकारी वाहन व 02 और का0 उनसे ले लिये और हम सब उक्त सरकारी वाहन से बिकरू गॉव पहुँचे। लोगों से पूछने पर यह मालूम हुआ कि अमर दुबे की शादी विकास दुबे के घर के आंगन में हो रही है, तब हम लोग वहां पहुँच गए। घर में पहुँचने से पहले हमने वाहन को दूर खड़ा कर दिया और 02 सिपाही जो वर्दी में थे उनको भी गाड़ी में असलहे के साथ छोड़ दिया। मैं, महिला सिपाही व एक अन्य पुलिस का0 सादी वर्दी में विवाह स्थल पर पहुँच गए। विकास दुबे घर का मुख्य द्वार पर ताला लगा था और बंद था, लेकिन दूसरा दरबाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जिस पर 3–4 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया और हम लोग वहीं रूक गए। सूचना मिलने पर स्वयं विकास दुबे हमारे पास आ गया। मैंने देखा कि वहां पर अंदर एक पण्डाल में जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था और दूसरे पण्डाल में खाने–पीने का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। विकास दुबे ने हमसे जलपान करने के लिए कहा, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया, परन्तु उसके कहने पर जयमाल स्थल पर गए वहां जाने का मेरा उद्देश्य धर्मेन्द्र उर्फ गोविन्द दुबे को तलाश करना था, लेकिन वह वहां दिखाई नहीं दिया। उसके तुरन्त बाद हम वापस हो गए। इस घटना के 2 दिन बाद तक मेरा विकास दुबे तथा उसके किसी सहयोगी मेरा संपर्क नहीं हुआ। 02 जुलाई 2020 शाम को 4–4:30 बजे के करीब विकास दुबे का फोन मेरे पास आया और उसने पूर्णतः अभद्र भाषा में बात की। गाली देने का कारण यह था कि बिकरू गॉव की कोई महिला थाने पर किसी कार्य से आई थी उसको उचित सम्मान नहीं दिया। जबकि मैंने चौबेपुर थाने के अन्दर के जितने आवास हैं मैंने बनवाये हैं और थाने में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। करीब 20 मिनट तक हमें अपशब्द कहता रहा। इस घटना के बारे में मैंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई और न ही इसकी सूचना किसी उच्च अधिकारी को देने का मौका मिला। मैं 02/03.07.2020 की घटना में दबिश देने वाली टीम का सदस्य नहीं था, क्योंकि मेरी ड्यूटी थानाध्यक्ष विनय तिवारी महोदय ने हल्का नंबर–3 में लगा दी थी। जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल सिंह से मेरी कई बार जन समस्याओं को लेकर टेलीफोन पर बातचीत हुई, क्योंकि वह ग्राम भीटी का ग्राम प्रधान था जोकि हल्का 5 में ही पड़ता है। मुझे उसके चरित्र के बारे कोई जानकारी नहीं थी। मैं हीरू उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी जोकि बिकरू गॉव का पंचायत मित्र था उसको पहचानता हूँ। उससे मेरी बातचीत कभी–कभार होती

09-12-2020

158

P.W.13/3

थी, हो सकता है फोन पर उससे कोई बात हुई हो। मैं शिवम दुबे को नहीं पहचानता था और हो सकता है मैंने कभी उसको कॉल किया हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि अगर उसको कॉल किया था तो क्यों किया था। ड्यूटी अलग होने के कारण मेरी जानकारी में नहीं है कि 02 जुलाई 2020 को विकास दुबे की थाने के किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई हो। मुझे ज्ञात हुआ है कि 02/03.07.2020 के प्रकरण में दर्ज मु0अ0सं0 192/2020 में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन उसकी प्रति अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं।

Krishan 09-12-2020

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

Krishan 09-12-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

159

1.w-14/4

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

~~स्वतंत्र साक्ष्य~~ 14

दिनांक 07/12/2020

साक्षी का नाम–कमला कान्त दुबे (शहीद तत्कालीन सी0ओ0 बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा के साढू भाई), आयु–59, पुत्र स्व0 श्री हेतराम दुबे, निवासी–मोहल्ला टिकुरिया, जिला–पन्ना, मध्य प्रदेश। हाल निवास 304 बी पामकोर्ट अपार्टमेंट स्वरूपनगर, कानपुर नगर–208002।

गवाह द्वारा अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया जिसका नंबर–305740049575 जन्म तिथि–1961 तथा पता–मकान संख्या–266, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नं0 14, बस स्टैण्ड के पास, बेनीसागर मोहल्ला, पन्ना, मध्य प्रदेश–488001. गवाह द्वारा बताया गया कि यह मेरा पैतृक आवास था, यहां पर अब मैं नहीं रहता हूँ। मेरा वर्तमान पता मोहल्ला टिकुरिया, जिला–पन्ना, मध्य प्रदेश। मेरे शपथपत्र में जो पता स्वरूपनगर का अंकित है वहां पर भी मैं नहीं रहता हूँ। मेरा मोबाईल नंबर–8770551478 व 9630513676 है।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 12.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 02/03.07.2020 को बिकरू काण्ड जिसमें विकास दुबे और उनके साथियों ने 08 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, उस हत्याकाण्ड में शहीद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र मिश्रा का साढू भाई हूँ। मैं घटना की सूचना मिलने पर श्री देवेन्द्र मिश्रा के घर गया था तथा कुछ दिन वहां रूका था। उस दौरान उनके घर से उनके कुछ कागजात व पत्र मूल रूप से मुझे व उनके परिवार वालों को मिले थे, जिसकी प्रति मैंने अपने शपथपत्र के साथ माननीय जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी। मैं आज उनके कुछ अन्य मूल कागजात साथ लेकर आया हूँ, जो इस जांच में आवश्यक हैं। मैं इन सभी मूल कागजात को सूची बनाकर आज जांच आयोग के कार्यालय में दाखिल कर रहा हूँ, जिनकी छायाप्रतियां मुझे प्राप्त करा दी गई हैं। आज दाखिल प्रपत्रों में श्री विनय कुमार तिवारी की ही संलिप्तता परिलक्षित होती है, विकास दुबे का कोई जिक नहीं है। श्री देवेन्द्र मिश्रा के परिवार वालों के पास उनका मोबाईल सेट मौजूद है जिसमें इस घटना व प्रकरण से संबंधित उनकी कई कॉल रिकार्डिंग मूल रूप से मौजूद हैं जो उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों व अन्य संबंधित व्यक्तियों को की थीं। उपरोक्त मोबाईल सेट शहीद देवेन्द्र मिश्रा की पत्नी व बच्चों के पास है जिसे माननीय जांच आयोग मंगा सकता है।

मैं और मेरी पत्नी विगत 20 वर्षों से गृहस्थ–सन्यासी हैं और राम जानकी मंदिर जनपद पन्ना, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। बिकरू काण्ड के समय भी मैं वहीं पर उपस्थित था। बिकरू काण्ड की जानकारी मुझे प्रथम बार श्रीमति माया शुक्ला, 56 वर्ष, सिद्धार्थनगर, सतना, मध्य प्रदेश जोकि देवेन्द्र मिश्रा व मेरी शाली हैं से दिनांक 03.07.2020 को सुबह 08 बजे प्राप्त हुई थी। श्रीमति माया शुक्ला को यह जानकारी टीवी

07/12/20

चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तुरन्त ही मैंने भी टीवी खोलकर देखा तो श्री देवेन्द्र मिश्रा की सहादत की खबर मुझे भी मिली। बिकरू काण्ड से संबंधित किसी भी तथ्य की मुझे कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। श्रीमति माया शुक्ला अपनी गाड़ी से मेरे घर पन्ना पहुँची, जहां से हम लोग रवाना होकर श्री देवेन्द्र मिश्रा के निवास, फ्लैट–304बी, पामकोर्ट अपार्टमेंट, स्वरूपनगर, कानपुर नगर शाम करीब 05 बजे पहुँचे, वहां पर स्व0 देवेन्द्र मिश्रा की पत्नी श्रीमति आशा मिश्रा, आशा जी की छोटी बहन लखनऊ निवासिनी रीता बाजपेयी, श्रीमति आशा जी की दूसरी बहन जबलपुर निवासिनी श्रीमति अर्पणा मिश्रा व श्री देवेन्द्र मिश्रा जी के 02 भाई, 05–06 बहनें एवं अन्य परिवारीजन मौजूद थे। अगले दिन दिनांक 04.07.2020 को भैरों घाट कानपुर में देवेन्द्र मिश्रा अंतिम की प्रकिया होने के बाद जब हम घर को वापस आये और थोड़ा सैयत हुए तो देखा कि घर में मौजूद अलमारी में देखा कि कुछ असली व कुछ फोटो कॉपी रखे हैं एवं देवेन्द्र मिश्रा जी के द्वारा घटना के समय प्रयोग किये जा रहे 02 मोबाईल फोन (दोनों फोन सैमसंग कम्पनी के एक ए–30 या 35 तथा एक एम–10) इसके अतिरिक्त तीसरा फोन आईफोन था जो ज्यादातर घर पर ही रहता था वह प्राप्त हुआ। श्री देवेन्द्र मिश्रा के द्वारा प्रयोग किये जा रहे दोनों सैमसंग के फोन पुलिस वालों ने अस्पताल में श्री देवेन्द्र मिश्रा के रिस्तेदार श्री राजीव द्विवेदी को सौंपे थे। अस्पताल में ही उसी समय सीयूजी सिम निकालकर संबंधित पुलिस कर्मी को सौंप दी गई थी, जिसकी लिखापढ़ी हुई थी। अलमारी से जो कागजात बरामद हुए थे उनमें से कुछ पत्र मिले जोकि कुछ उच्च अधिकारियों को प्रेषित शिकायती पत्र थे जोकि बिकरू काण्ड से संबंधित प्रतीत होते थे। उन पत्रों को मेरे द्वारा पढ़ा गया था। गवाह द्वारा बताया गया कि संदर्भित व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर फोन पर की गई जिन वार्ताओं की ऑडियों क्लिप माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह मूल रूप में स्व0 श्री देवेन्द्र मिश्रा के उक्त वर्णित मोबाईल फोनों में सुरक्षित थीं। उक्त सभी मोबाईल फोन स्व0 श्री देवेन्द्र मिश्रा की पत्नी श्रीमति आशा मिश्रा एवं पुत्रियों वैशिनवी मिश्रा उम्र 21 वर्ष व वैशारधी मिश्रा उम्र 17 वर्ष की अभिरक्षा/प्रयोग में हैं, जिन मोबाईल फोनों को आज मैं माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ। इस स्तर पर माननीय आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्रीमति आशा मिश्रा पत्नी स्व0 देवेन्द्र मिश्रा को मय उक्त सभी मोबाईल फोन जिनमें की सुसंगत ऑडियों रिकार्डिंग मौजूद हैं के साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर सुनवाई का मौका प्रदान किया है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

07/12/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

07/12/20

(161)

1.w - 15/1

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

Incident - 1

~~स्वतंत्र साक्ष्य-05~~

दिनांक 20/12/2020

साक्षी का नाम–श्रीमति आशा मिश्रा पत्नी शहीद तत्कालीन सी0ओ0 बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा, आयु–54, निवासी–पामकोर्ट अर्पाटमेंट, स्वरूपनगर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

मेरा विवाह श्री देवेन्द्र मिश्रा से 1994 में हुआ था और हमारी 02 बेटियां हैं। मेरी शादी के समय वह कानपुर नगर में ही उपनिरीक्षक थे। वह कानपुर नगर में लगभग 12–13 साल विभिन्न पंदों पर रहे थे। वर्ष 2018–19 में पहले 06 महीने सीओ स्वरूपनगर के पद पर तैनात रहे और फिर मार्च 2019 में सीओ बिल्हौर बने थे। मैं अपने बच्चों के साथ पामकोर्ट अपार्टमेंट स्वरूपनगर में रहती हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से विकास दुबे के बारे में 02/03 जुलाई 2020 से पहले कोई जानकारी नहीं थी। उस घटना में श्री देवेन्द्र मिश्रा जी शहीद हो गए। घटना की जानकारी मुझे पहली बार अपने देवर श्री राजीव मिश्रा से मिली थी। उनको भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी। पुलिस वालों के माध्यम से तब तक मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। देवेन्द्र मिश्रा जी के पास 04 मोबाईल फोन थे जिनमें से एक मोबाईल फोन नं0–9450590000 घर पर छोड़ देते थे और तीन मोबाईल फोन, 7906182850, 9639991113 एवं एक सीयूजी नंबर था। जो सरकारी फोन उनके पास था वह हमको घटना के बाद नहीं मिला, पुलिस के पास होगा। फिर कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकारी नंबर किस फोन में था। एक फोन जिसका यह नं0–9639991113 है हमने घटना के बाद कॉल डाटा देखा और सुना। हमारी जानकारी के अनुसार सीओ साहब घटना के समय 03 मोबाईल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जिनमें से दो मोबाईल फोन घटना के बाद हमारे घर पर लाकर दिये गए, किसने दिये यह पता नहीं। मेज पर पड़े हुए मिले थे। एक मोबाईल जिसका मॉडल नं0–SM-G975F/DS, Serial No.RZ8M22KHZCK, Galaxy S10+ (black colour) और दूसरा मोबाईल जिसका मॉडल नं0–SM-M307F, Serial No.RZ8N30QVF4P Galaxy M30s (black blue) हैं। घटना के बाद जब सीओ साहब के उक्त दोनों मोबाईल फोन मुझे प्राप्त हुए तब से उक्त दोनों मोबाईल फोन मेरी ही कस्टडी में हैं इनमें मेरे द्वारा या अन्य किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं चाहती हूँ कि उक्त दोनों फोन का फोरेंसिक एग्जामीनेंशन माननीय आयोग के द्वारा करा लिया जाए जिससे कि सुसंगत तथ्यों की पुष्टि हो सके, इस उददेश्य से मैं उक्त दोनों मोबाईल फोन जिनके मॉडल नम्बर इस प्रकार हैः–एक मोबाईल जिसका मॉडल नं0–SM-G975F/DS, Serial No.RZ8M22KHZCK, Galaxy S10+ (black colour) और दूसरा मोबाईल जिसका मॉडल नं0–SM-M307F, Serial No.RZ8N30QVF4P Galaxy M30s (black blue) माननीय आयोग के समक्ष स्वेच्छा से जमा कर रही हूँ।

मोबाईल फोन में कॉल डाटा की विभिन्न ऑडियो रिकॉर्डिग के विवरण निम्नवत हैं:–

1. दिनांक 02.07.2020 समय 23:17 बजे – विकास दुबे ने किसी को पकड़कर मारा होगा जिसकी सूचना के लिए फोन आया था।

Asha
20/12/2020

2. दिनांक 02.07.2020 समय 22:51 बजे – एसपीआरए साहब से बात हुई उन्होंने कहा कि मुकदमा लिख दें।
3. 02.07.2020 समय 23:09:12 बजे – सीओ द्वारा चौबेपुर जाने से मना करना।
4. 02.07.2020 समय 23:12:03 बजे – पीआरओ यादव एवं सीओ साहब के मध्य हुई वार्ता–चौबेपुर वाला एसओ इसके पैर छूता है, अब एसएसपी ने कहा होगा गिरफ्तारी करो तो हिम्मत हार रहा होगा, तो फोर्स लेकर पहुँचिये हम भी आ जायेंगे।
5. 02.07.2020 समय 23:28:11 बजे – एसओ विनय तिवारी व सीओ साहब के मध्य हुई वार्ता–एसओ शिवराजपुर पहुँच रहे हैं आपके नेतृत्व की जरूरत है।
6. 02.07.2020 समय 23:44:57 बजे– एसपीआरए एवं सीओ साहब के मध्य हुई वार्ता–एसओ चौबेपुर उसके पैर छूता है। मर्डर करा देगा। मरवा देगा थाना में।
7. 02.07.2020 समय 23:55:24 बजे – एसएसपी कानपुर व सीओ साहब के मध्य हुई वार्ता – विकास दुबे की दबिश में जाने वाली बात बता रहे थे।
8. 03.07.2020 समय 01:36:58 बजे – सीओ साहब के मोबाईल से एसओ विनय तिवारी का बात करना।
9. 03.07.2020 –सीओ साहब के नंबर पर विनय तिवारी व एसएसपी के मध्य हुई वार्ता– सर सीओ साहब अन्दर फंसे हुए हैं।
10. 03.07.2020– एसपी (पश्चिम) से विनय तिवारी द्वारा देवेन्द्र मिश्रा बनकर बात किया जाना।
11. 03.07.2020 – एसपीआरए एवं विनय तिवारी के मध्य हुई वार्ता– आप बाहर हो न गॉव से।
12. 03.07.2020 – एसएसपी एवं विनय तिवारी के मध्य हुई वार्ता– सीओ आ गए कि नहीं।
13. 03.07.2020 समय 01:12 बजे – विनय तिवारी एवं एसएसपी के मध्य हुई वार्ता– गोलियां चल रही हैं साहब, 02–03 सिपाहियों को गोलियां लगीं हैं, बिकरू गॉव में है।
14. 03.07.2020 समय 01:29:29 बजे – विनय तिवारी एवं एसएसपी के मध्य हुई वार्ता– सीओ आ गए कि नहीं, अभी वायरलेस करो, हिस्ट्रीशीटर का नाम क्या है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

Abua
20/12/2020
एक प्रति प्राप्त की।
Abue
20/12/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, सापुसे, सदस्य

163

Documents/Evidence

Incident No. 02

dated 03.07.2020,

Vill- Kashiram Nevada,

PS-Chaubeypur, Kanpur Nagar.

164

मु0अ0सं0–193/20 धारा–307/412 भादवि थाना चौबेपुर कानपुर नगर (पुलिस मुठभेड़ का संक्षिप्त विवरण)

दिनांक–2/3.07.2020 की रात्रि को श्री देवेन्द्र मिश्र तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष शिवराजपुर/चौबेपुर/बिठूर के साथ मय पुलिस बल शातिर अपराधी विकास दुबे व उनके साथियों की गिर0 हेतु ग्राम बिकरू में उसके निवास पर दबिश दी गयी। जिसमें अभियुक्त विकास दुबे जिस पर 60 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। कार्यवाही के दौरान पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत अपने साथियों के साथ छतों से मोर्चा लेकर पुलिस बल पर घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी। जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्हौर एवं 03 उप निरीक्षक व 04 आरक्षी मौके पर शहीद हो गये व 06 पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गये। अभियुक्त परिस्थितियों का लाभ उठाकर 01 एके–47 रायफल, 01–इनसास रायफल, 01–ग्लाक पिस्टल 9एमएम, 02–9एमएम पिस्टल लूट कर ले गए। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आईजी रेंज कानपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा तत्काल नाका बंदी करते हुए चेकिंग एरिया कार्डन करने के साथ जनपद के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश देते हुए जनपद की स्वॉट टीम, सर्विलांश टीम व क्राइम ब्रांच टीम को तत्काल मौके पर पहुॅचने का निर्देश दिया गया। स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आईजी रेंज श्री मोहित अग्रवाल, एसएसपी श्री दिनेश कुमार पी. व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अनिल कुमार घटनास्थल पर रवाना हुए। भौगोलिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए यह संभावना थी कि अभियुक्त आस पड़ोस या जंगली झाड़ियों में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि घटना के तत्काल बाद जनपद की सीमाओं को सील किया जा चुका था। आईजी रेंज महोदय द्वारा 02 दल गठित किए गए, जिसमें 01 का नेतृत्व स्वयं उनके द्वारा तथा द्वितीय पुलिस टीम का नेतृत्व श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा किया गया। जब यह लोग कांशीराम निवादा स्थित देवी स्थान मंदिर के पास पहुॅचे तो एसएसपी की टीम को 05 व्यक्ति खड़ंजा मार्ग पर मंदिर की तरफ बढते हुए दिखे, जिनको एसएसपी द्वारा टोका गया। तो उनमें से सभी ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जिससे का0 दुर्गेश त्रिपाठी घायल हो गया। उसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर प्रथम दल के प्रभारी आईजी महोदय द्वारा बदमाशों को आत्म समर्पण हेतु कठोर चेतावनी दी। जिस पर बदमाशों द्वारा द्वितीय दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गयी। पुलिस अधीक्षक पश्चिम को कवर फायर हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर एसएसपी द्वारा कवर फायर के दौरान बदमाशों के नजदीक जिंदा पकड़ने की नीयत से पहुच गये उसी दौरान बदमाशों द्वारा चलायी गयी 01 गोली एसएसपी के सीने पर लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट के

कार्यालय कानपुर नगर

165

(5)

कारण उनकी जान बच गयी। जिस पर एसएसपी व उनकी टीम के सदस्यों द्वारा आत्मरक्षार्थ 09एमएम पिस्टल से बदमाशों पर फायर किया गया, जिसमें 01 बदमाश चिल्लाकर गिर पड़ा। जिसके पास से 01 रायफल 315 बोर व खोखा कारतूस बिखरे पड़े थे। उक्त की पहचान अतुल कुमार दुबे पुत्र सूर्य कुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रूप में की गयी। शेष बदमाश भागते हुए हनुमान जी के छोटे मंदिर के पास पेड़ों के बीच में पोजीशन लेकर फायरिंग करने लगे, कि प्रथम दल द्वारा घेराबंदी करते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया जिसमें बदमाशों द्वारा चलायी गयी गोली आईजी महोदय के कान के पास से आवाज करते हुए निकली एवं आईजी महोदय को कवर फायरिंग दे रहे उ0नि0 श्री मो0 आसिफ घायल हो गये। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में 01 बदमाश और घायल होकर गिर पड़ा। उक्त बदमाश के हॉथ के पास 9एमएम ग्लाक पिस्टल पड़ी हुई थी, जो बीती रात्रि पुलिस कर्मियों से लूटी गयी थी। उक्त बदमाश की शिनाख्त प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम पाण्डेय के रूप में की गयी।

1	अतुल कुमार दुबे	सूर्य कुमार दुबे	बिकरू	चौबेपुर	कानपुर नगर
2	प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम	छोटे लाल	बिकरू	चौबेपुर	कानपुर नगर

1	9एमएम ग्लाक पिस्टल	AACW407	दिनांक 2/3.7.20 की रात्रि में ग्राम बिकरू में दबिश के दौरान घायल थानाध्यक्ष बिठूर श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह से लूटी गई थी।
2	315 बोर रायफल	AB976229	उक्त रायफल गैंग लीडर विकास दुबे की लाइसेंसी रायफल है। जो घटना के समय अपराधी अतुल दुबे प्रयोग कर रहा था

1	315 बोर	01	25
2	9एमएम ग्लाक पिस्टल	01	01 मिस कारतूस 27 अदद खोखा
3	32 बोर रिवाल्वर / पिस्टल	—	15

(167)

(7)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** कानपुर शहर **P.S. (थाना):**चौबेपुर **Year (वर्ष):** 2020
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0193 **Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)**03/07/2020 13:37 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	307
2	भा दं सं 1860	412

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day (दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से** 03/07/2020 **Date To (दिनांक तक)**03/07/2020
      Time Period (समय अवधि):पहर 3 **Time From (समय से)**08:15 बजे **Time To (समय तक)**:08:30 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक):03/07/2020 **Time (समय):** 13:37 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.):037 **Date & Time (दिनांक और समय):** 03/07/2020 13:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):**दक्षिण - पश्चिम, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.):**
      (b) Address (पता): काशीराम निवादा के पास देवी ,मन्दिर
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
      Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) Name (नाम): प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ
   (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2000 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना कल्यानपुर ,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना कल्यानपुर ,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**91-9454403732

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मृतक अतुल कुमार दुबे		पिता का नाम : सुर्य कुमार दुबे	1. ग्राम बिकरू ,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम मृतक		पिता का नाम : छोटे लाल	1. ग्राम बिकरू ,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	शेष 03 बदमाश भाग हुये			1. अज्ञात,अज्ञात

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो**

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

फर्द वाक्यात मुठभेड बरामद लूटी गयी पिस्टल सरकारी 9mm ग्लाक एवं एक अदद रायफल फैक्ट्री मेड नाजायज एवं खोखा कारतूसदि0-02/03-07-2020 को थाना चौबेपुर ग्राम विकरु में पुलिस बल के सदस्यों द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में वांछित अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राजकुमार निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर जोकि हिस्ट्रीशीटर एवं गिरोहबंद अपराधी है, एवं जिसके विरुद्ध लगभग 60 अभियोग पंजीकृत हैं, के घर पर दबिश देने हेतु पुलिस बल गया था। उसी कार्यवाही के दौरान पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत विकास दुबे एवं उसके साथियो द्वारा छतों से मोर्चा लेकर पुलिस दल पर घात लगाकर ताबड़तोड घातक फायरिंग की गयी जिसके फलस्वरूप क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र व पुलिस के 3 SI व 4 आरक्षी शहीद हो गये। अभियुक्तगण परिस्थितियों का लाभ उठाकर पुलिस की एक एके-47 रायफल, एक इन्सास रायफल, एक ग्लक पिस्टल 9mm एवं दो पिस्टल 9 mm लूट कर ले गये। 06 पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका उपचार अभी चल रहा है।उपरोक्त घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आई0जी0 कानपुर रेंज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, द्वारा तत्काल नाकाबंदी, चेकिंग एरिया कार्डन करने के साथ सघन कांबिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्य हेतु जनपद के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये एवं अतिरिक्त पुलिसबल को विचारोपांत रवाना किया गया एवं क्राइम ब्रांच में स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम को भी तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया था। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आई0जी0 रेंज, श्री मोहित अग्रवाल, एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 एवं एस0पी0 पश्चिम श्री अनिल कुमार भी घटनास्थल हेतु तत्काल रवाना हुए थे। घटनास्थल पर पहुँचकर उपरोक्त अधिकारीयों द्वारा स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा किया गया एवं भौगोलिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये आई0जी0 रेंज, श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस कर्मियों को भिन्न-भिन्न दलों में विभाजित करके काम्बिंग हेतु निर्देशित किया गया। पूर्णतया सम्भावना थी कि घटना के दौरान गांव अथवा आसपास के खेत एवं जंगली झाड़ियों के झुरमुटों में अभियुक्तगण छिपे हो सकते हैं क्योंकि घटना के तत्काल पश्चात जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया था व सघन चैकिंग आरम्भ करा दी गयी थी। आई0जी0 रेंज महोदय द्वारा दो दल गठित किये गये। प्रथम दल आई0जी0 महोदय श्री मोहित अग्रवाल के स्वंय के नेतृत्व में हमराही फोर्स HCP 13AP अमृतपाल सिंह मय ए0के 47 रायफल, HCP 105AP अनिल सिंह भदौरिया मय कार्बाइन, का0 3182 इन्द्रजीत मय इंसास रायफल , का01871 जितेन्द्र कुमार मय एंटी रियर गन, का0 2780 धर्मेन्द्र कुमार मय इंसास, का0 2556 निर्देश कुमार सिंह मय सरकारी वाहन मय का0 चालक त्रिनेत्र चन्द एवं मु0आ0 चालक तुर्षनपाल सिंह एवं थाना कल्याणपुर के प्रभारी निरीक्षक श्री अजय सेठ मय पिस्टल 9mm , का04896 अशुंल कुमार, का01394 राहुल कुमार, का02834 पुष्पेन्द्र मय सरकारी वाहन बोलेरो नं-यू0पी078 ए0जी0 3269 एवं स्वाट टीम के एस0आई0 श्री आसिफ मय पिस्टल 9mm, एवं का0 1001 विनय कुमार मय पिस्टल 9mm व का0 0281 विष्णु पाल मय टाटा सूमो यू0पी078 बी0जी0 0896 मय का0 चालक देवेन्द्र प्रताप सड़क मार्ग से काशीराम निवादा के पास सरकारी वाहनों को उचित स्थान पर

(169)

छोडकर चेकिंग एवं काम्बिंग करते हुये देवी स्थान मंदिर की ओर बढ़े। द्वितीय दल एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 के नेतृत्व मे मय हमराही फोर्स एस0आई0 श्री प्रवेन्द्र सिंह यादव, का0 3294 चन्द्रशेखर मय एम0पी0-05 गन, का0 3863 राहुल माहौर मय ए0के0-47 रायफल, का0 4389 मोहन कुमार, का00893 राहुल राय मय सरकारी वाहन इनोवा मय चालक आरक्षी कल्याण सिंह मय 9mm ग्लाक पिस्टल एवं एस0पी0 पश्चिम श्री अनिल कुमार मय हमराही पुलिस फोर्स का04007 मनीष कुमार एवं का0चालक किशोरीलाल मय सरकारी वाहन स्कार्पियो एवं सर्विलांस टीम के निरीक्षक श्री हरमीत सिंह मय सरकारी पिस्टल 9mm, एस0आई0 श्री मोहित चौधरी मय पिस्टल 9mm, का0 3367 जितेन्द्र कुमार गर्ग, का0639 अमित कुमार त्रिपाठी मय पिस्टल 9mm मय सरकारी वाहन बोलेरो नं0 यू0पी0 70 ए0जी0 3263 एवं थाना हरबंश मोहाल के प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह, सर्विलांस सेल के निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव मय पिस्टल, का0 2306 मुशीर, का0 46 विश्वजीत, का0 0495 कपिल मय इंसास का0 कफील, का0 दुर्गेश, का0 आदर्श अपने-2 वाहनों को उचित दूरी पर खडा करके पैदल खेतो के रास्ते से होते हुये ग्राम-कांशीराम निवादा स्थित देवी स्थान मन्दिर के पास पहुँचे।वहाँ पहुचने पर एस0एस0पी0 कानपुर नगर के नेतृत्व वाली द्वितीय पुलिस टीम को पाँच व्यक्ति खड़न्जा मार्ग पर मन्दिर की तरफ बढते हुये दिखे जिनको एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी द्वारा बुलन्द आवाज में रोका-टोका गया तो पांचो व्यक्ति तुरन्त तितर-बितर हुये। उमे से एक व्यक्ति ने हाथ में लिये रायफल से एवं शेष चार व्यक्तियों ने अपनी-2 कमर मे खुसे हुये असलहो से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जिससे बदमाशो के निकट पहुँच चुके पुलिस दल का सदस्य का0 दुर्गेश त्रिपाठी जख्मी हो गया। उसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर मन्दिर से कुछ दूरी पर ही मौजूद आई0जी0 महोदय के नेतृत्व मे पुलिस दल भी भौगोलिक परिदृश्य के अनुरुप आड़ लेकर अंधाधुन फायरिंग कर रहे बदमाशों की तरफ घेराबंदी तग करते हुये बदमाशों को बुलन्ट आवाज मे आत्मसमर्पण हेतु कठोर चेतावनी दी किन्तु बदमाश घेरावंदी किये हुये पुलिस बल के सदस्यो को मारकर घेरा तोड़ कर भागना चाहते थे। इसी कारण उन बदमाशों के द्वारा द्वितीय टीम पर जो एस0एस0पी0 महोदय द्वारा लीड की जा रही थी, पर गोलियो की बौछार कर दी गयी। यह देखकर एस0एस0पी महोदय द्वारा फायरिंग कर रहे बदमाशों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, एंव एस0पी0 वेस्ट को कवर फायर दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बदमाशो की ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच एस0एस0पी0 कानपुर नगर फायरिंग कर रहे बदमाशों की ओर अपने दल का नेतृत्व करते हुये बढ़ गये। नजदीकी एव आमने सामने की जोखिम भरी दिन दहाड़े में हुई खुले स्थान की मुठभेड मे बदमाशो की फायरिंग रेन्ज में पहुंचकर एस0एस0पी महोदय बदमाशों को जिन्दा पकड़ने की नियत से काफी नजदीक पहुंच गये थे जिनको एस0पी0वेस्ट द्वारा लगातार कवर फायर दिया जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों की घातक गोली एस0एस0पी कानपुर के सीने पर लगी किन्तु बुलेट प्रुफ जैकेट धारण किये जाने के कारण दैवयोग से उनकी जान बच गयी। इसके उपरांत इस नजदीकी मुठभेड़ में अन्य कोई विकल्प न होने पर एस0एस0पी महोदय द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्यपालनार्थ अपनी 9mm पिस्टल से बदमाशों की तरफ सीधा फायर किया गया। इसी दौरान घेराबंदी तंग करते हुये अन्य पुलिस कर्मियो द्वारा भी विभिन्न दशाओं एवं दिशाओं से एक साथ फायर किये। जिससे बार बार मुड मुड कर झुक झुक कर पलट पलट कर गिरते पडते फायरिंग करते हुए एक बदमाश के मुंह से चीख एवं कराह निकल गयी और गिर पड़ा। शेष बदमाशों ने भागते हुये स्थान परिवर्तन करते हुये पेड़ों के बीच हनुमान जी के छोटे से मन्दिर के पास पेड़ो के बीच में पोजीशन लेकर फायरिग करने लगे। पेड़ों के पास हो रही फायरिंग को नियन्त्रित करने तथा बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु IG महोदय के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने घेरा बंदी हेतु धीरे धीरे स्थान परिवर्तन किये एवं IG महोदय के नेतृत्व मे प्रथम टीम लगातार आ रहे फायरिंग के बीच बढ़ने लगी। यह टीम फायरिंग कर रहे बदमाशों की फायरिंग रेंज में काफी नजदीक पहुँच चुकी थी आई0जी0 रेन्ज महोदय द्वारा आगे बढ़ने के प्रयास में जैसे ही सिर उठाया वैसे ही गोलियाँ उनके कान के पास से आवाज करती हुई निकली, सौभाग्य से बाल बाल बच गये। उसी दौरान IG महोदय को कवर फायर दे रहे SI आसिफ बदमाशो की फायरिग से घायल हो गये, किन्तु IG महोदय गोलियों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे और आमने सामने की जोखिम भरी मुठभेड मे उनको लक्ष्य करके फायरिंग कर रहे बदमाश की ओर आई0जी0 महोदय द्वारा सीधे फायर किये गये तथा विभिन्न दशाओ एव दिशाओ मे मौजूद पुलिस दल के सदस्यों द्वारा भी आपातकाल स्थिति मे एक साथ फायर किये गये। जिससे मुड़ मुड़ कर झुक झुककर, पलट-पलटकर गिरता पड़ता फायर करता हुआ बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। इसके उपरान्त फायरिग कर रहे बदमाशो के पैर उखड गये। भौगौलिक परिदृश्य, परिस्थितियों एवं गुजर रही भैसो के झुण्ड का लाभ उठाकर घेरे मे फसे शेष 03 बदमाश भाग निकले। आई0जी0 महोदय द्वारा निरीक्षक श्री सतीश सिंह, निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, SI श्री मोहित चौधरी, कान्टेबल जितेन्द्र गर्ग, का0 आदर्श कुमार को उनका पीछा करने का निर्देश दिया गया। आवश्यक सतर्कता बरतते हुए गिरे हुए बदमाश, जो एस0एस0पी के नेतृत्व वाली द्वितीय टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था, को नजदीक जाकर देखा तो बदमाश मे जीवन के लक्षण शेष थे, जिसके दाहिने हाँथ के पास फैक्ट्री मेड रायफल 315 बोर न0 AB -976229 पड़ी हुयी थी एव खोखा एंव कारतूस आदि बिखरे हुए पड़े थे। घायल बदमाश की चोट पर कपड़े का पैड बनाकर दबाकर रखने का निर्देश दिया गया जिससे उसको प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। साथ ही उनको अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी की गयी। इसी दौरान थाना चौबेपुर का आरक्षी 1068 अभिषेक द्वारा उसकी शिनाख्त अतुल कुमार दुबे पुत्र सूर्य कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रूप मे की गयी। घायल दूसरे बदमाश का भी निरीक्षण किया गया, जो आई0जी0 महोदय के नेतृत्व वाली प्रथम दल के साथ मुठभेड़ मे घायल हुआ था, उसमे भी जीवन के लक्षण शेष थे। अत: उसकी भी जान बचाने हेतु रक्तस्राव रोकने का प्रयास करते हुये उपचार हेतु रवाना

किये जाने की व्यवस्था की गयी। उस बदमाश के दाहिने हाथ के पास 9 MM Glock पिस्टल न0 AACW407 पड़ी हुई थी। जो कि बीती रात पुलिस कर्मियों की हत्या करके लूट ली गयी थी। उक्त घायल की शिनाख्त भी आरक्षी अभिषेक उपरोक्त द्वारा प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेमकुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम विकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रूप मे की गयी जो कि बीती रात 8 पुलिस कर्मियों की हत्या मे संलिप्त अभियुक्त भी है । घायल बदमाशो को मौके पर पहुँचे पुलिस बल मे प्रभारी निरीक्षक अनवरगंज श्री दिलीप कुमार बिन्द एवं थानाध्यक्ष ककवन श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा के साथ सरकारी वाहनो से उपचार हेतु रवाना किया गया। घटनास्थल का क्षेत्र का भी विस्तृत है। आस पास कच्ची मिट्टी कीचड़ एवं घास, झाड़ी आदि भी है। मुठभेड़ स्थल के आस पास पेड़, दीवार, कच्ची मेड़ आदि पर गोलीबारी के निशान मौजूद है इस दौरान भागे बदमाशों के पीछा करने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा वापस आने पर बताया गया कि बदमाश भागने मे सफल हो गये और पकड़े नहीं जा सके।मुठभेड़ आकस्मिक हुयी इस कारण घटना के उपरान्त तलाश गवाहन की गयी परन्तु कोई भी गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। घटना मे सम्मिलत समस्त पुलिस कर्मियो की कुशलता पूछी गयी तो ज्ञात हुआ कि SI श्री आशिफ एवं का0 दुर्गेशमणि त्रिपाठी के अतिरिक्त शेष पुलिस कर्मी सुरक्षित है। देव योग से इस नजदीकी जोखिम भरी मुठभेड़ में अन्य पुलिस कर्मी सुरक्षित है। पुलिस दल द्वारा चलाये गये फायरिंग कारतूसो का विवरण निम्नवत है- IG कानपुर परिक्षेत्र के द्वारा 9MM पिस्टल द्वारा 4 फायर SSP कानपुर नगर के द्वारा 9MM पिस्टल द्वारा 2 फायर SP पश्चिमी कानपुर नगर के द्वारा 9MM पिस्टल द्वारा 2 फायर निरीक्षक सतीश कुमार सिंह 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा ,निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव 2 फायर 9MM GLOCK पिस्टल द्वारा ,निरीक्षक श्री हरमीत सिंह द्वारा 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा ,निरीक्षक श्री अजय सेठ द्वारा 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा ,SI श्री आसिफ द्वारा 3 फायर 9MM पिस्टल द्वारा SI श्री मोहित चौधरी द्वारा 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा का. दुर्गेशमणि त्रिपाठी, का. जितेन्द्र कुमार गर्ग, का. अमित त्रिपाठी , का. आदर्श कुमार द्वारा एक-एक फायर 9MM पिस्टल द्वारा किये गये। इस पुलिस मुठभेड़ का समय सवा आठ से साढ़े आठ बजे दिन आस-पास का रहा होगा। घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए पुलिस बल को निर्देशित किया गया। मौके पर डाक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व मे फील्डयूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलित की कार्यवाही की गयी । इसी दौरान सूचना प्राप्त हुयी कि मुठभेड़ मे घायल दोनों बदमाशो ने अस्पताल पहुँचने तक दम तोड़ दिया है। उनका जीवन बचाने में सफलता नहीं मिल सकी । मौके पर बरामद असलहो एवं कारतूसो व अन्य संकलित किये गये साक्ष्य फील्ड यूनिट टीम द्वारा कब्जा पुलिस मे लिये गये । बरामद रायफल व एक अदद जिन्दा कारतूस एवं ग्लाक पिस्टल एवं एक जिन्दा कारतूस 9mm व एक मिस कारतूस 9mm को सफेद कपडें मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया, बरामद 15 अदद खोखा कारतूस,12 अदद खोखा कारतूस 9mm, 5 अदद खोखा कारतूस 32 बोर एवं एक अदद बुलेट का टुकडा एक सफेद डिब्बे मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया एवं बरामद 10 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 15 अदद खोखा कारतूस 9mm एवं 10 अदद खोखा कारतूस 32 बोर एक सफेद डिब्बे मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया बरामद एक जोडी काली चप्पल सफेद कपडें मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया ।सभी के नमूना मोहर बनाये गये । इस नजदीकी जोखिम भरी सशस्त्र मुठभेड़, जो IG महोदय एवं SSP महोदय के नेतृत्व मे हुयी है, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या मे लिप्त 02 अभियुक्तो की मृत्यु हुयी है। इस घटना मे कर्तव्य पालनार्थ एवं आत्मरक्षार्त पुलिस दल द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण हेतु यथासम्भव समस्त प्रयास किये गये है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशो-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया । फर्द मौके पर मुझ प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ द्वारा निरीक्षक श्री हरमीत सिह द्वारा लिखायी गयी । तैयार की गयी फर्द को देखकर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर मौके पर ही बनवाये जा रहे है। एसडी मोहित अग्रवाल,एसडी दिनेश कुमार पी,एसडी अनिल कुमार,एसडी hcpअमृत लाल, एसडी का0 इन्द्रजीत, एसडी का0 जितेन्द्र कुमार, एसडी का0 धर्मेन्द्र कुमार, एसडी का0 निर्देश कुमार सिंह, एसडी निरीक्षक अजय सेठ, एसडी का0 अंशुल कुमार, एसडी का0 राहुल कुमार, एसडी का0 पुष्पेन्द्र, एसडी उ0नि0 आसिफ, एसडी का0 विनय कुमार, एसडी का0 विष्णु पाल, एसडी उ0नि0 प्रवेन्द्र सिंह, एसडी का0 चन्द्रशेखर, एसडी का0 राहुल माहौर, एसडी का0 मोहन कुमार, एसडी का0 राहुल राय, एसडी का0 मनीष कुमार, एसडी नि0 हरमीत सिह, एसडी उ0नि0 मोहित चौधरी, एसडी का0 जितेन्द्र कुमार, एसडी का0 अमित कुमार, एसडी नि0 सतीश कुमार, एसडी नि0रवीवास्तव, एसडी का0 सुशील, एसडी का0 विश्वजीत, एसडी का0 कपिल, एसडी का0 कफील, एसडी का0 दुर्गेश, एसडी का0 आदर्श नोट:- उ0नि0 देवेन्द्र कुमार के मार्ग दर्शन मे मै एचएम 1090 यशवीर सिंह प्रमाणित करता हूँ कि अभियोग की कायमी व पजीकरण बोल बोल कर सीसीटीएनएस म0का0 3464 मनोज कुमार व का03065 जीतेन्द्र कुमार द्वारा टाइप कराया गया ।

171

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद् सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: VINAY KUMAR TIWARI(SI (Sub-Inspector)) or
132190088

(2) Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the investigation (को जाँच अपने हाथ में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और
R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): VINAY KUMAR TIWARI
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 132190088

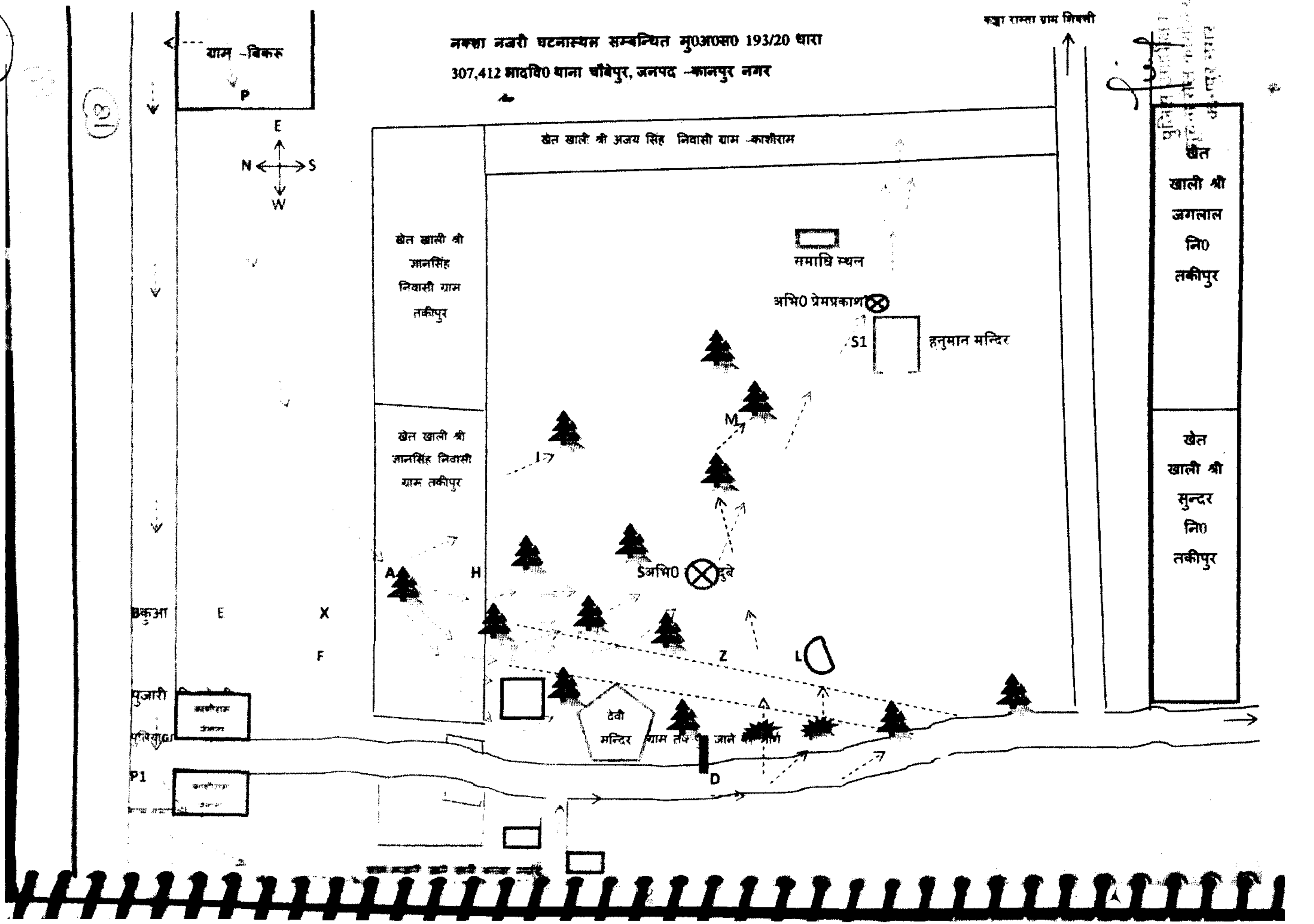
नक्शा नजरी घटनास्थल सम्बन्धित मु0अ0स0 193/20 धारा
307,412 भादवि0 थाना चौबेपुर, जनपद -कानपुर नगर
ग्राम -बिकरू
P
E
N
S
W
खेत खाली श्री अजय सिंह निवासी ग्राम -काशीराम
कच्चा रास्ता ग्राम शिवली
खेत खाली श्री जगलाल नि0 तकीपुर
खेत खाली श्री सुन्दर नि0 तकीपुर
खेत खाली श्री ज्ञानसिंह निवासी ग्राम तकीपुर
खेत खाली श्री ज्ञानसिंह निवासी ग्राम तकीपुर
समाधि स्थल
अभि0 प्रेमप्रकाश
S1
हनुमान मन्दिर
M
I
A
H
S अभि0 दुबे
B कुआ
E
X
F
Z
L
पुजारी
देवी मन्दिर
D
P1

173

संकेतांक

P - चिन्ह सकेत है ग्राम बिकरू निवासी हिस्ट्रीशीटर / वाछित अभियुक्त विकास दुबे के घर के पास एसएसपी महोदय तथा उनके टीम के अन्य पुलिस बल के वाहनो का खडा होना बताया गया है।

-----> चिन्ह सकेत है आईजी रेन्ज महोदय के पुलिस टीम की ग्राम बिकरू से सडक मार्ग होते हुए अपने अपने वाहनो से ग्राम काशीराम निवादा मोड तक पहुचने तथा मोड से पैदल पैदल चलकर कॉम्बिंग व सर्चिंग करते हुए मुठभेड स्थल मन्दिर तक पहुचने का मार्ग दर्शाया गया है।

-----> चिन्ह सकेत है एसएसपी महोदय के पुलिस टीम की ग्राम बिकरू से पश्चिम दक्षिण दिशा मे पैदल पैदल चलकर मुठभेड स्थल मन्दिर तक पहुचने का मार्ग दर्शाया गया है।

A चिन्ह सकेत है खेत मे स्थिति इमली का पेड जिसके पास से एसएसपी महोदय एव उनकी पुलिस टीम द्वारा मन्दिर व बाग की तरफ से फायर जैसी आवाज सुनी गयी तथा पेडो के पास कुछ व्यक्ति दिखाई दिये आगे बढने पर एसएसपी महोदय एव उनकी पुलिस टीम द्वारा मन्दिर परिसर के कोठरी के पास खडन्जा मार्ग पर 05 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये।

* चिन्ह सकेत है मन्दिर परिसर के कोठरी के पास खडन्जा मार्ग पर 05 सदिग्ध व्यक्ति एसएसपी महोदय एव उनकी पुलिस टीम को दिखाई दिये।

B चिन्ह सकेत है मन्दिर परिसर के उत्तरी दिशा के मेड के किनारे पेडो व झाडियो के पास आरक्षी दुर्गेश वदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने से घायल होना बताया गया है।

---> चिन्ह सकेत वदमाशो के, मन्दिर परिसर मे स्थित पुजारी की कोठरी से लेकर हनुमान मन्दिर तक पुलिस पार्टी पर जानसे मारने की नियत से फायरिग करते हुए फैलने का रास्ता दर्शाया गया है

C चिन्ह सकेत है मन्दिर परिसर के पश्चिम दिशा मे लगभग 120 मीटर दूरी पर बने टयूबैल के पास से आईजी महोदय को फायरिंग की आवाज सुनायी दी।

D चिन्ह सकेत है मन्दिर परिसर के पीछे दाहिने तरफ सडक पर स्थिति बिजली के खम्भे तथा झाडियो के पास से आईजी महोदय द्वारा वदमाशो को आत्म समपर्ण हेतु कठोर चेतावनी दी गयी।

E चिन्ह सकेत है मन्दिर परिसर मे स्थित नीम के पेड की आड मे मौजूद एसएसपी महोदय को वदमाशो द्वारा जान से मारने की नियत से की गयी फायरिंग की गोली उनकी बुलटप्रूफ जैकेट मे लगी तथा इसी पेड की आड से एसएसपी महोदय द्वारा आत्म रक्षार्थ एव कर्तव्यपालनार्थ अपनी 9MM पिस्टल से वदमाशो की तरफ सीधा फायर किया गया।

F सकेत है वह स्थान जहाँ से [illegible] सकेत है वह स्थान जहाँ से निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव , निरीक्षक श्री हरमीत सिह , का0 आदर्श, H सकेत है वह स्थान जहाँ से निरीक्षक श्री [illegible] सिह , का0 [illegible] सकेत है वह स्थान जहा से उ0नि0 श्री मोहित चौधरी द्वारा वदमाशो की तरफ सीधा फायर करना बताया गया।

⊗ चिन्ह [illegible] मन्दिर के [illegible] के पास स्थित नीम के पेड से लगभग 5 कदम की दूरी पर गोली लगने से अभियुक्त अतुल दुबे को घायल होकर गिरना बताया गया।

\> चिन्ह [illegible] द्वारा फायर [illegible] का जमीन पर गिरा होना बताया गया।

J चिन्ह सकेत है [illegible] द्वारा बदमाशो को चेतावनी गिरफ्तारी के लिए मन्दिर परिसर के खडन्जे के ठीक पहले लगे [illegible] की आड से उठते ही हनुमान मन्दिर के आसपास से बदमाशो द्वारा [illegible] समय आईजी रेन्ज महोदय के कान के पास से वदमाशो की गोली निकल जाना बताया गया।

174

K चिन्ह सकेत है वह नीम का पेड जहाँ पर उ0नि0 श्री आसिफ को वदमाशो की फायरिंग से गोली लगना बताया गया।

L चिन्ह सकेत है मन्दिर परिसर मे खडन्जे के ठीक सामने स्थित पत्थर व ईट का चट्टा जहाँ से आईजी रेन्ज महोदय द्वारा आत्म रक्षार्थ एंव कर्तव्यपालनार्थ अपनी 9 MM पिस्टल से वदमाशो की तरफ सीधा फायर करना बताया गया।

चिन्ह सकेत M स्थान से निरीक्षक श्री अजय सेठ द्वारा तथा N स्थान से उ0नि0 श्री आसिफ द्वारा वदमाशो की तरफ सीधा फायर करना बताया गया।

⊗ चिन्ह सकेत है हनुमान मन्दिर के पीछे पूर्वी दीवार से सठे स्थान पर गोली लगने से अभियुक्त प्रेमप्रकाश उर्फ प्रेमकुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय को घायल होकर गिरना बताया गया।

Y चिन्ह सकेत है अभियुक्त प्रेमप्रकाश उर्फ प्रेमकुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय द्वारा फायर किए जा रहे पिस्टल का जमीन पर गिरा होना दर्शाया गया।

- - - -> चिन्ह हनुमान मन्दिर के पीछे से 3 वदमाशो के भागने का रास्ता बताया गया।

सकेत ⨂ से ⊗ सकेत की दूरी लगभग 20 मी0 है।

सकेत Z वह स्थान है जहा बुलेट का टुकड मिला था।

सकेत S वह नीम का पेड़ है जिस पर फायरिंग मार्क है।

सकेत S1 से हनुमान मन्दिर की उत्तरी दीवार पर बने फायरिंग मार्क को दर्शाया गया है।

[signature] सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(175)

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

ANNEXURE-1

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No 1779/20 Date 04/07/20

Body Received Sealed - Yes/ No. Yes Sealed Intact - Yes / No Yes

Conducted by Dr. (I) RAHUL VERMA
(II) Dr G.M. DAWEDI

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 4/7/20 5:00 PM.

Date & Time of Commencement of Autopsy 4/7/20 8:30 AM.

Time of Completion of Autopsy 4/7/20 9:40 AM.

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03/7/20 समय 17.04 बजे

Name & Address of the person video recording the Autopsy

CASE PARTICULARS :

1 Name of deceased and as entered in the Jail or Police record Atul Kumar.

S/o, D/o, W/o S/O Surya Kumar.

Address Bikru (बिकरु)
P/S Chaubepur.
Kanpur Nagar.

2 Age (Approx.) 40 Yrs. : M Sex : Male / Female

3 Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C.P. 3497 Angad Sohni

(ii) C.P. 2185 Hari om

of Police Station Chaubepur.

4 Identified by

(i) का० 2185 हरि ओम थाना चौबेपुर कानपुर नगर

[signature]

176

HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

EM (P)

Date & Time of Admission in Hospital ______

Date & Time of Death in Hospital Brought Dead at

Central Registration No. of Hospital C.H.C Chabbepur at

03/7/2020 9:15 Am

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 173 cms. (2) Weight 47 Kgs.

(3) Physique - (a) lean / ~~medium~~ / obese

(b) Well built / ~~average~~ built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ______

(ii) ______

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor

(5) Description of clothes worn - important features ① 1 shirt ② 1 under wear ③ 1 U-C C belt ④ 1 dhaga

(6) Post-mortem Changes : Rigor mortis present on both lower limbs, passed off upper limbs & head & neck.

As seen at Autopsy - PM staining present whole back both buttock back of both thighs except pressure contact area

Abdomen distended, lower abd. greenish in colour.

(7) (a) External general appearance Body packed in PM Bag.

(b) State of (i) Eyes - Closed

(ii) Mouth -

[illegible] कानपुर [illegible]

[signature]

(177)

EXTERNAL INJURIES

Antemortem injury

[illegible] injury [illegible] wound of [illegible] on [illegible] of [illegible] communicating [illegible] left shoulder [illegible] Margin inverted [illegible] loss of tissue [illegible]

(B) Wound of Exit. Size 1.5 x [illegible] Back of left shoulder. Margin everted [illegible] irregular. communicating with entry wound.

[illegible] injury (A) Wound of Entry Size 1 x 1 cm [illegible] on lateral part of left upper arm 10 cm below tip of left shoulder. Margin inverted & irregular. loss of tissue +nt. Abrasion (Black) Collar +nt

(B) Wound of Exit = Size 1.5 cm x 1 cm +nt on left axilla. Margin everted & irregular. communicating with entry wound.

(3) Firearm Injury (A) Wound of Entry Size 1 x 1 cm +nt back of left forearm 15 cm below left elbow. Margin inverted & irregular. loss of tissue +nt. Abraded collar +nt

(B) Wound of Exit - Size 1.5 cm x 1 cm on front of left forearm, Margin everted & irregular. 11 cm above left wrist joint. Entry & Exit wound communicating with each other.

(4) Firearm injury (A) Wound of Entry Size 1 x 1 cm +nt on posterolateral surface of left ~~wrist joint. Margin~~ inverted, irregular. loss of tissue +nt. Abraded collar +nt

3

Wound of Exit -
Size 1.5 x 1 cm over in front of left wrist joint. Margin everted, irregular. Entry & exit wound communicate c̄ each other

(5) Fire arm injury (A) Wound of Entry.
Size 1 x 1 cm over lateral part of right forearm, 7 cm above Rt wrist joint. Margin inverted, irregular, loss of tissue out. Abraded colour out.

(B) Wound of Exit 1.5 cm x 1 cm over front of right (right) forearm 10 below Rt elbow joint. Margin everted, irregular communicates c̄ entry wound.

(6) Fire arm injury (A) Wound of Entry
Size 1 x 1 cm over on left side of chest 4 cm below left nipple. Margin inverted & irregular. Abraded colour out. Loss of tissue out.

(B) Wound of Exit. Size 1.5 cm x 1 cm over Rt side of back of chest 18 cm below C7 cervical spine, margin everted & irregular loss of tissue out
Entry & exit wound communicated c̄ each other.

(7) Fire arm injury (A) Wound of Entry -
Size 1 x 1 cm over on lateral part of left side of chest. 10 cm below left axillary pit. Margin inverted & irregular loss of tissue out Abraded colour out

(B) Wound of Exit. Size 1.5 cm x 1 cm over on left axilla, margin everted & irregular. Entry & exit wound communicate c̄ each other

PM 1779/20

[signature]

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. HEAD

(a) Scalp findings MAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) MAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels Pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1100 gms.) Pale

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. MAD

2. NECK

- Teeth 16\16
- Mouth, Tongue & Pharynx
- Larynx & Vocal cords
- Condition of neck tissues
- Thyroid & other cartilage conditions
- Trachea

MAD

3 CHEST

- Pericardial Sac Lacerated.
- Heart findings & Wt. 250 Lacerated
- Large blood vessels Lacerated

4. ABDOMEN

- Condition of abdominal wall As Marked
- Peritoneum & Peritoneal cavity. Distended
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 160 gms.) Absent 100 ml Sonodigested fluid
  MM - NAD
- Small intestines including appendix Partially filled c Gases
- Large instestines & Masentric vessels Partially filled c faecal matter Gases
- Liver including gall bladder (wt. 1300 gms.) Pale Partially filled
- Spleen (wt. 150 gms.) Pale
- Pancreas NAD

181

SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated) Not opened

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)

About one days before P.M.

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Haemorrhage & Shock

b) Due to - Fire Arm injury

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-~~mortem~~ AM

d) Manner of causation of injuries. Fire arm injury

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? Yes

iii) Any other NIL

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera ✓

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B. - 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

सुधा... कानपुर नगर

f). Sample of seal 01

g) Inquest papers (mention total number & initial them) 10 (Ten)

h) Slided from vagina, semen or any other material.

×

(01) PM report in original, 10 (02) inquest papers, (03) dead body, (04) clothing and (05) other articles Vadio Cassette

(mention there) duly sealed (Nos. 05) handed over to police official

Name & No. C.P. 3497 Angad Sahni

of PS Chaubepur whose signatures are herewith.

pm done in my presence. I agree with the findings
[signature]
04/07/20

Signature [signature]

Name of Medical Officer Dr Rahul Verma

(in block letters) UHM Kanpur MO

[signature]

183

Full Body : Male - Anterior and Posterior Views (Ventral and Dorsal)

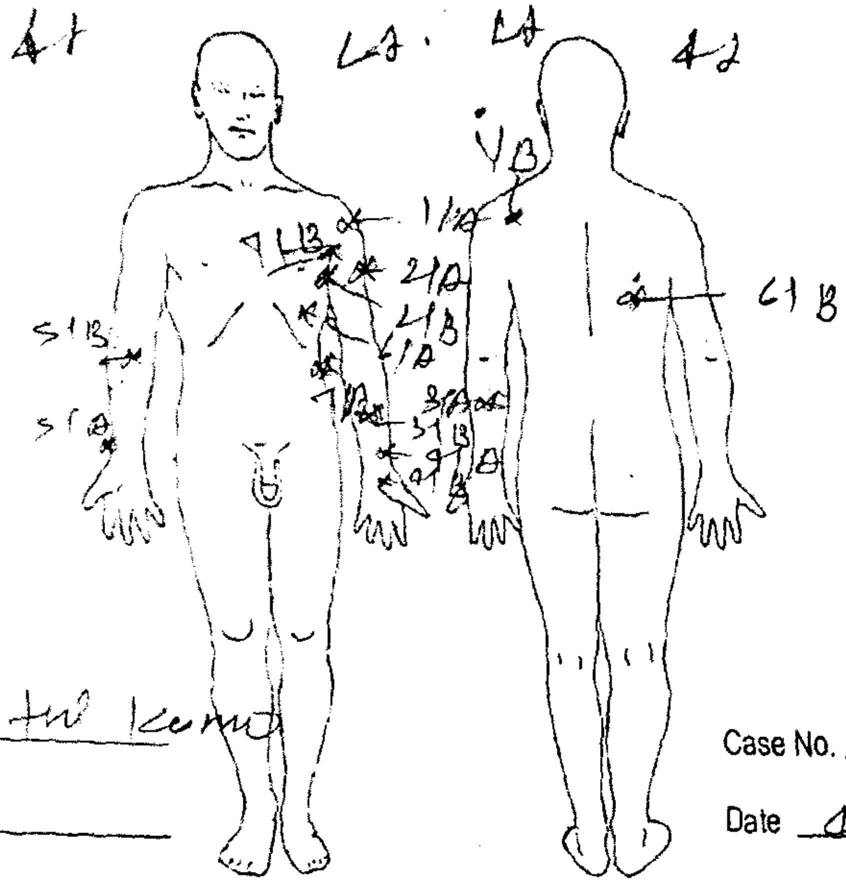

Name [illegible]

Case No. 1779/cc

Date [illegible]

Full Body : Female - Anterior and Posterior Views

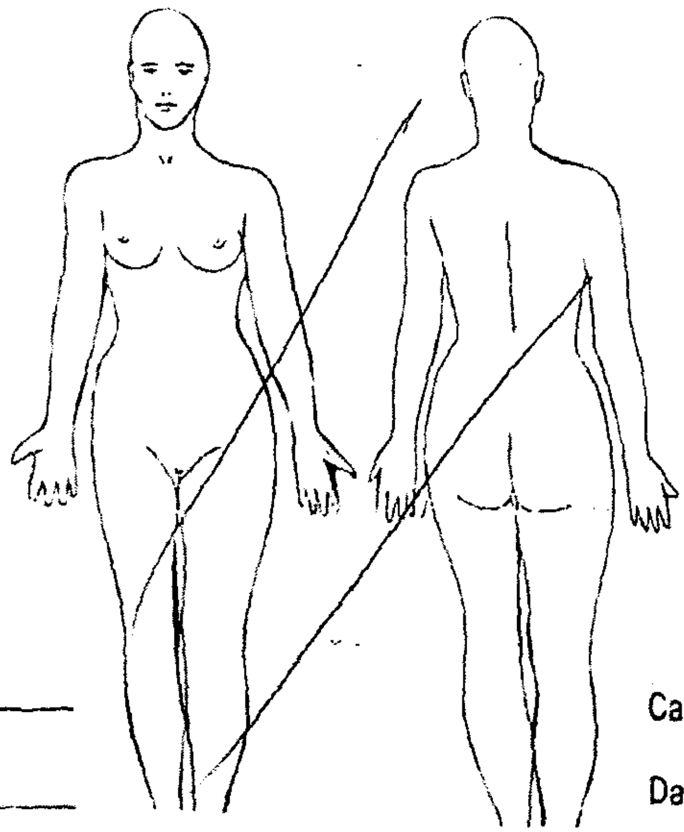

Name ____________________

Case No. ____________________

Date ____________________

184 (15)

अतुल कुमार दुबे पुत्र सूर्य कुमार नि0 बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर का आपराधिक इतिहास

क्र0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	निस्तारण स्थिति	संक्षिप्त विवरण
1	शिवली का0 देहात	312/92	147/323 भादवि	आरोप पत्र संख्या ए–89 03.01.1993	**अतुल दुबे व गैग लीडर विकास दुबेव अन्य साथियो** द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने के संबंध में धारा 325/397 भादवि में पंजीकृत हुआ था, जीडी नं0 12 दिनांक 01.12.1992 को धारा 147/323 भादवि में तरमीम किया गया।
2	शिवली का0 देहात	333/96	147/148/149/ 307 भादवि	आरोप पत्र संख्या ए–210 09.11.96	**अतुल दुबे व गैग लीडर विकास दुबे व अन्य साथियो द्वारा**एक राय होकर विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने के कारण बउआ उर्फ राकेश बाजपेयी को लाठी डण्डो हथियारों से लैस होकर मारपीट कर घायल कर देना व जान से मारने की नीयत से फायर करना।
3	शिवली का0 देहात	29/98	147/148/149/ 307/504 भादवि	आरोप पत्र संख्या ए–17 14.02.2020 रिहा	दि0–13.02.1998 को अभियुक्त **अतुल दुबे व गैंग लीडर विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा** उसके विरूद्ध गवाही देने के कारण वादी राजेन्द्र कुमार को रास्ते में पकड़कर उसके गले में मफलर लपेटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। शोर मचाने पर लोगों ने बचाया।
4	शिवली का0 देहात	380/99	147/148/149/ 323/307/504/ 506 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	आरोप पत्र संख्या ए–117 20.07.2000	दि0–18.12.1999 को अभियुक्त **अतुल दुबे व गैंग लीडर विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा** रायफलें, बन्दूकें तथा अवैध असलहों के साथ उसके विरूद्ध गवाही देने पर गवाह हिन्द कुमार के ऊपर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी। जिससे वादी व उसकी पत्नी तथा पशु गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये। भविष्य में गवाही न देने की धमकी देते हुए चले गए।
5	शिवली का0 देहात	143/2001	147/148/149/ 323/302 /427/ 332/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट	आरोप पत्र संख्या ए–32 13.02.2002 दोषमुक्त	दि0–02.10.2001 को अभियुक्त **अतुल दुबे व गैंग लीडर विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा** श्री संतोष कुमार शुक्ला दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री के काफिले को रोककर सरिया ईट पत्थर से हमला किया गया, जिसमें जान बचाने के लिए **श्री शुक्ला घायल अवस्था में थाने में भागे। जिस पर थानाध्यक्ष के कमरे में जाकर अतुल दुबे व विकास दुबे आदि द्वारा दुस्साहसपूर्ण घटना करते हुए थानाध्यक्ष के कक्ष में ही गोली मारकर** हत्या कर दी तथा उनके वाहनों को

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	वर्तमान स्थिति	अभियोग विवरण
6	शिवली	144/2001	395/397/506 283 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	आरोप पत्र संख्या ए–48 06.05.2002	दि0–12.10.2001 को अभियुक्त **अतुल दुबे व गैंग लीडर विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा** कस्बा शिवली में रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया तथा दुकानों में लूटपाट करते हुए डरा धमका कर दुकानें बंद करा दीं। जिससे क्षेत्र में अशान्ति फैल गयी। उक्त अभियोग तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राजुल गर्ग द्वारा पंजीकृत कराया गया।
7	चौबेपुर	325/16	110 सीआरपीसी	आर0सी0	निरोधात्मक कार्यवाही
8	चौबेपुर	07/2000	3/4 गुण्डा एक्ट	आर0सी0	गुण्डा एक्ट की निरोधात्मक कार्यवाही
9	चौबेपुर	192/20	147/148/149/ 302/307 394 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	विवेचनाधीन	**अतुल दुबे व गैंग लीडर विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा**दबिश देने गए पुलिस कर्मियों पर घात लगाकर हमला करना, जिसमें 08 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देना व 06 पुलिस कर्मियों का गंभीर रूप से घायल होना एवं पुलिस के शस्त्र लूट कर ले जाना।
10	चौबेपुर	193/20	307/412 भादवि	विवेचनाधीन	गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी पर जांन से मारने की नीयत से हमला करना, आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मारा जाना तथा अभियुक्त के पास से फैक्ट्रीमेड 315 बोर रायफल बरामद होना।
11	चौबेपुर	194/20	25/27 आयुध अधिनियम	विवेचनाधीन	अभियुक्त के कब्जे से 01 रायफल फैक्ट्रीमेड 315 बोर नाजायज बरामद होना

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

186

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कानपुर नगर   P.S. (थाना): चौबेपुर   Year (वर्ष): 2020
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0194   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)03/07/2020 13:36 बजे

2.

S.No. (क्र.स.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	आयुध अधिनियम, 1959	25
2	आयुध अधिनियम, 1959	27

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): शुक्रवार   Date From (दिनांक से 03/07/2020   Date To (दिनांक तक)03/07/2020
      Time Period (समय अवधि): पहर 3   Time From (समय से):08:15 बजे   Time To (समय तक):08:30 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहा सूचना प्राप्त हुई):
      Date (दिनांक): 03/07/2020   Time (समय): 13:37 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
      Entry No. (प्रविष्टि सं.):037   Date & Time (दिनांक और समय): 03/07/2020 13:37 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पश्चिम, 20 किमी   Beat No. (बीट सं.):
      (b) Address (पता): काशीराम निवादा के पास देवी मन्दिर
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
      Name of P.S.(थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): श्री अजय सेठ प्रभारी निरीक्षक
   (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2000   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
      Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना कल्यानपुर,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना कल्यानपुर,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

(187)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):91-9454403722

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मृतक अतुल कुमार दुबे		पिता का नाम : सुर्य कुमार दुबे	1. ग्राम विकरू ,चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फर्द वाक्यात मुठभेड बरामद लूटी गयी पिस्टल सरकारी 9mm ग्लाक एवं एक अदद रायफल फैक्ट्री मेड नाजायज एवं खोखा कारतूसदि0-02/03-07-2020 को थाना चौबेपुर ग्राम विकरु में पुलिस बल के सदस्यों द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द मिश्र के नेतृत्व में वांछित अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राजकुमार निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर जोकि हिस्ट्रीशीटर एवं गिरोहबंद अपराधी है, एवं जिसके विरुद्ध लगभग 60 अभियोग पंजीकृत हैं, के घर पर दबिश देने हेतु पुलिस बल गया था। उसी कार्यवाही के दौरान पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत विकास दुबे एवं उसके साथियो द्वारा छतों से मोर्चा लेकर पुलिस दल पर घात लगाकर ताबडतोड़ घातक फायरिंग की गयी जिसके फलस्वरुप क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द मिश्र व पुलिस के 3 SI व 4 आरक्षी शहीद हो गये। अभियुक्तगण परिस्थितियों का लाभ उठाकर पुलिस की एक एके-47 रायफल, एक इन्सास रायफल, एक ग्लक पिस्टल 9mm एवं दो पिस्टल 9 mm लूट कर ले गये। 06 पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका उपचार अभी चल रहा है।उपरोक्त घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आई0जी0 कानपुर रेंज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, द्वारा तत्काल नाकाबंदी, चेकिंग एरिया कार्डन करने के साथ सघन कांबिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्य हेतु जनपद के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये एवं अतिरिक्त पुलिसबल को विचारोपांत रवाना किया गया एवं क्राइम ब्रांच में स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम को भी तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया था। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आई0जी0 रेंज, श्री मोहित अग्रवाल, एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 एवं एस0पी0 पश्चिम श्री अनिल कुमार भी घटनास्थल हेतु तत्काल रवाना हुए थे। घटनास्थल पर पहुँचकर उपरोक्त अधिकारीयों द्वारा स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा किया गया एवं भौगोलिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये आई0जी0 रेंज, श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस कर्मियों को भिन्न-भिन्न दलों में विभाजित करके काम्बिंग हेतु निर्देशित किया गया। पूर्णतया सम्भावना थी कि घटना के दौरान गाव अथवा आसपास के खेत एवं जंगली झाड़ियों के झुरमुटों में अभियुक्तगण छिपे हो सकते हैं क्योंकि घटना के तत्काल पश्चात जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया था व सघन चैकिंग आरम्भ करा दी गयी थी। आई0जी0 रेंज महोदय द्वारा दो दल गठित किये गये। प्रथम दल आई0जी0 महोदय श्री मोहित अग्रवाल के स्वय के नेतृत्व में हमराही फोर्स HCP 13AP अमृतपाल सिंह मय ए0के 47 रायफल, HCP 105AP अनिल सिंह भदौरिया मय कार्बाइन, का0 3182 इन्दजीत मय इंसास रायफल , का01871 जितेन्द्र कुमार मय एंटी रियर गन, का0 2780 धर्मेन्द कुमार मय इंसास, का0 2556 निर्देश कुमार सिंह मय सरकारी वाहन मय का0 चालक त्रिनेत्र चन्द एवं मु0आ0 चालक तुर्पनपाल सिंह एवं थाना कल्याणपुर के प्रभारी निरीक्षक श्री अजय सेठ मय पिस्टल 9mm , का04896 अशुंल कुमार, का01394 राहुल कुमार, का02834 पुष्पेन्द मय सरकारी वाहन बोलेरो नं-यू0पी078 ए0जी0 3269 एवं स्वाट टीम के एस0आई0 श्री आसिफ मय पिस्टल 9mm, एवं का0 1001 विनय कुमार मय पिस्टल 9mm व का0 0261 विष्णु पाल मय टाटा सूमो यू0पी078 बी0जी0 0896 मय का0 चालक देवेन्द प्रताप सड़क मार्ग से काशीराम निवादा के पास सरकारी वाहनों को उचित स्थान पर छोडकर चेकिंग एवं काम्बिंग करते हुये देवी स्थान मदिर की ओर बढ़े। द्वितीय दल एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 के नेतृत्व में मय हमराही फोर्स एस0आई0 श्री प्रवेन्द सिंह यादव, का0 3294 चन्द्रशेखर मय एम0पी0-05 गन, का0 3863 राहुल माहौर मय ए0के0-47 रायफल, का0 4389 मोहन कुमार, का00893 राहुल राय मय सरकारी वाहन

पुलिस उपाधीक्षक

इनोवा मय चालक आरक्षी कल्याण सिंह मय 9mm ग्लाक पिस्टल एवं एस0पी0 पश्चिम श्री अनिल कुमार मय हमराही पुलिस फोर्स का04007 मनीष कुमार एव का0चालक किशोरीलाल मय सरकारी वाहन स्कार्पियो एवं सर्विलांस टीम के निरीक्षक श्री हरमीत सिंह मय सरकारी पिस्टल 9mm, एस0आई0 श्री मोहित चौधरी मय पिस्टल 9mm, का0 3367 जितेन्द्र कुमार गर्ग, का0639 अमित कुमार त्रिपाठी मय पिस्टल 9mm मय सरकारी वाहन बोलेरो न0 यू0पी0 70 ए0जी0 3263 एवं थाना हरबंश मोहाल के प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह, सर्विलांस सेल के निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव मय पिस्टल, का0 2306 मुशीर, का0 46 विश्वजीत, का0 0495 कपिल मय इंसास का0 कफील, का0 दुर्गेश, का0 आदर्श अपने-2 वाहनो को उचित दूरी पर खडा करके पैदल खेतो के रास्ते से होते हुये ग्राम-कांशीराम निवादा स्थित देवी स्थान मन्दिर के पास पहुँचे।वहाँ पहुचने पर एस0एस0पी0 कानपुर नगर के नेतृत्व वाली द्वितीय पुलिस टीम को पाँच व्यक्ति खड़न्जा मार्ग पर मन्दिर की तरफ बढ़ते हुये दिखे जिनको एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी द्वारा बुलन्द आवाज में रोका-टोका गया तो पांचों व्यक्ति तुरन्त तितर-बितर हुये। उमे से एक व्यक्ति ने हाथ में लिये रायफल से एवं शेष चार व्यक्तियों ने अपनी-2 कमर में खुसे हुये असलहों से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जिससे बदमाशों के निकट पहुँच चुके पुलिस दल का सदस्य का0 दुर्गेश त्रिपाठी जख्मी हो गया। उसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर मन्दिर से कुछ दूरी पर ही मौजूद आई0जी0 महोदय के नेतृत्व में पुलिस दल भी भौगोलिक परिदृश्य के अनुरूप आड़ लेकर अंधाधुन फायरिंग कर रहे बदमाशों की तरफ घेराबंदी तग करते हुये बदमाशों को बुलन्द आवाज में आत्मसमर्पण हेतु कठोर चेतावनी दी किन्तु बदमाश घेराबंदी किये हुये पुलिस बल के सदस्यों को मारकर घेरा तोड कर भागना चाहते थे। इसी कारण उन बदमाशों के द्वारा द्वितीय टीम पर जो एस0एस0पी0 महोदय द्वारा लीड की जा रही थी, पर गोलियों की बौछार कर दी गयी। यह देखकर एस0एस0पी महोदय द्वारा फायरिंग कर रहे बदमाशों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, एंव एस0पी0 वेस्ट को कवर फायर दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच एस0एस0पी0 कानपुर नगर फायरिंग कर रहे बदमाशों की ओर अपने दल का नेतृत्व करते हुये बढ़ गये। नजदीकी एव आमने सामने की जोखिम भरी दिन दहाड़े में हुई खुले स्थान की मुठभेड़ में बदमाशो की फायरिंग रेन्ज में पहुंचकर एस0एस0पी महोदय बदमाशों को जिन्दा पकड़ने की नियत से काफी नजदीक पहुच गये थे जिनको एस0पी0वेस्ट द्वारा लगातार कवर फायर दिया जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों की घातक गोली एस0एस0पी कानपुर के सीने पर लगी किन्तु बुलेट प्रुफ जैकेट धारण किये जाने के कारण दैवयोग से उनकी जान बच गयी। इसके उपरात इस नजदीकी मुठभेड़ में अन्य कोई विकल्प न होने पर एस0एस0पी महोदय द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्यपालनार्थ अपनी 9mm पिस्टल से बदमाशों की तरफ सीधा फायर किया गया। इसी दौरान घेराबंदी तंग करते हुये अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा भी विभिन्न दशाओं एवं दिशाओं से एक साथ फायर किये। जिससे बार बार मुड मुड कर झुक झुक कर पलट पलट कर गिरते पडते फायरिंग करते हुए एक बदमाश के मुंह से चीख एवं कराह निकल गयी और गिर पड़ा। शेष बदमाशों ने भागते हुये स्थान परिवर्तन करते हुये पेड़ों के बीच हनुमान जी के छोटे से मन्दिर के पास पेड़ो के बीच में पोजीशन लेकर फायरिंग करने लगे। पेड़ों के पास हो रही फायरिंग को नियन्त्रित करने तथा बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु IG महोदय के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने घेरा बंदी हेतु धीरे धीरे स्थान परिवर्तन किये एवं IG महोदय के नेतृत्व मे प्रथम टीम लगातार आ रहे फायरिंग के बीच बढ़ने लगी। यह टीम फायरिंग कर रहे बदमाशों की फायरिंग रेंज में काफी नजदीक पहुँच चुकी थी आई0जी0 रेन्ज महोदय द्वारा आगे बढ़ने के प्रयास में जैसे ही सिर उठाया वैसे ही गोलियाँ उनके कान के पास से आवाज करती हुई निकली, सौभाग्य से बाल बाल बच गये। उसी दौरान IG महोदय को कवर फायर दे रहे SI आसिफ बदमाशों की फायरिंग से घायल हो गये, किन्तु IG महोदय गोलियों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे और आमने सामने की जोखिम भरी मुठभेड़ मे उनको लक्ष्य करके फायरिंग कर रहे बदमाश की ओर आई0जी0 महोदय द्वारा सीधे फायर किये गये तथा विभिन्न दशाओ एवं दिशाओं मे मौजूद पुलिस दल के सदस्यों द्वारा भी आपातकाल स्थिति मे एक साथ फायर किये गये। जिससे मुड़ मुड़ कर झुक झुककर, पलट-पलटकर गिरता पड़ता फायर करता हुआ बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। इसके उपरान्त फायरिंग कर रहे बदमाशो के पैर उखड गये। भौगौलिक परिदृश्य, परिस्थितियों एवं गुजर रही भैसो के झुण्ड का लाभ उठाकर घेरे मे फसे शेष 03 बदमाश भाग निकले। आई0जी0 महोदय द्वारा निरीक्षक श्री सतीश सिंह, निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, SI श्री मोहित चौधरी, कान्टेबल जितेन्द्र गर्ग, का0 आदर्श कुमार को उनका पीछा करने का निर्देश दिया गया। आवश्यक सतर्कता बरतते हुए गिरे हुए बदमाश, जो एस0एस0पी के नेतृत्व वाली द्वितीय टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था, को नजदीक जाकर देखा तो बदमाश मे जीवन के लक्षण शेष थे, जिसके दाहिने हाँथ के पास फैक्ट्री मेड रायफल 315 बोर न0 AB -976229 पड़ी हुयी थी एव खोखा एंव कारतूस आदि बिखरे हुए पड़े थे। घायल बदमाश की चोट पर कपडे का पैड बनाकर दबाकर रखने का निर्देश दिया गया जिससे उसको प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। साथ ही उनको अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी की गयी। इसी दौरान थाना चौबेपुर का आरक्षी 1068 अभिषेक द्वारा उसकी शिनाख्त अतुल कुमार दुबे पुत्र सूर्य कुमार दुबे निवासी ग्राम विकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रूप मे की गयी। घायल दूसरे बदमाश का भी निरीक्षण किया गया, जो आई0जी0 महोदय के नेतृत्व वाली प्रथम दल के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसमे भी जीवन के लक्षण शेष थे। अतः उसकी भी जान बचाने हेतु रक्तस्राव रोकने का प्रयास करते हुये उपचार हेतु रवाना किये जाने की व्यवस्था की गयी। उस बदमाश के दाहिने हाथ के पास 9.MM Glock पिस्टल न0 AACW407 पड़ी हुई थी। जो कि बीती रात पुलिस कर्मियों की हत्या करके लूट ली गयी थी। उक्त घायल की शिनाख्त भी आरक्षी अभिषेक उपरोक्त द्वारा प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेमकुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम विकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रूप मे की

189

गयी जो कि बीती रात 8 पुलिस कर्मियों की हत्या मे सलिप्त अभियुक्त भी है। घायल बदमाशों को मौके पर पहुँचे पुलिस बल मे प्रभारी निरीक्षक अनवरगंज श्री दिलीप कुमार बिन्द एवं थानाध्यक्ष ककवन श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा के साथ सरकारी वाहनो से उपचार हेतु रवाना किया गया। घटनास्थल का क्षेत्र का भी विस्तृत है। आस पास कच्ची मिट्टी कीचड़ एवं घास, झाडी आदि भी है। मुठभेड़ स्थल के आस पास पेड़, दीवार, कच्ची मेड़ आदि पर गोलीबारी के निशान मौजूद है इस दौरान भागे बदमाशों के पीछा करने वाले पुलिस कर्मियो द्वारा वापस आने पर बताया गया कि बदमाश भागने मे सफल हो गये और पकड़े नहीं जा सके।मुठभेड़ आकस्मिक हुयी इस कारण घटना के उपरान्त तलाश गवाहन की गयी परन्तु कोई भी गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। घटना मे सम्मिलत समस्त पुलिस कर्मियों की कुशलता पूछी गयी तो ज्ञात हुआ कि SI श्री आशिफ एवं का0 दुर्गेशमणि त्रिपाठी के अतिरिक्त शेष पुलिस कर्मी सुरक्षित है। दैव योग से इस नजदीकी जोखिम भरी मुठभेड़ में अन्य पुलिस कर्मी सुरक्षित है। पुलिस दल द्वारा चलाये गये फायरिंग कारतूसो का विवरण निम्नवत है- IG कानपुर परिक्षेत्र के द्वारा 9MM पिस्टल द्वारा 4 फायर SSP कानपुर नगर के द्वारा 9MM पिस्टल द्वारा 2 फायर SP पश्चिमी कानपुर नगर के द्वारा 9MM पिस्टल द्वारा 2 फायर निरीक्षक सतीश कुमार सिंह 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा ,निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव 2 फायर 9MM GLOCK पिस्टल द्वारा ,निरीक्षक श्री हरमीत सिंह द्वारा 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा ,निरीक्षक श्री अजय सेठ द्वारा 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा ,SI श्री आसिफ द्वारा 3 फायर 9MM पिस्टल द्वारा SI श्री मोहित चौधरी द्वारा 2 फायर 9MM पिस्टल द्वारा का. दुर्गेशमणि त्रिपाठी, का. जितेन्द्र कुमार गर्ग, का. अमित त्रिपाठी , का. आदर्श कुमार द्वारा एक-एक फायर 9MM पिस्टल द्वारा किये गये। इस पुलिस मुठभेड़ का समय सवा आठ से साढ़े आठ बजे दिन आस-पास का रहा होगा। घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए पुलिस बल को निर्देशित किया गया। मौके पर डाक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व मे फील्डयूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलित की कार्यवाही की गयी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुयी कि मुठभेड़ मे घायल दोनों बदमाशो ने अस्पताल पहुँचने तक दम तोड़ दिया है। उनका जीवन बचाने में सफलता नहीं मिल सकी। मौके पर बरामद असलहों एवं कारतूसो व अन्य संकलित किये गये साक्ष्य फील्ड यूनिट टीम द्वारा कब्जा पुलिस मे लिये गये। बरामद रायफल व एक अदद जिन्दा कारतूस एवं ग्लाक पिस्टल एवं एक जिन्दा कारतूस 9mm व एक मिस कारतूस 9mm को सफेद कपडें मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया, बरामद 15 अदद खोखा कारतूस,12 अदद खोखा कारतूस 9mm, 5 अदद खोखा कारतूस 32 बोर एवं एक अदद बुलेट का टुकडा एक सफेद डिब्बे मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया एवं बरामद 10 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 15 अदद खोखा कारतूस 9mm एवं 10 अदद खोखा कारतूस 32 बोर एक सफेद डिब्बे मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया बरामद एक जोडी काली चप्पल सफेद कपडें मे रखकर सील सर्व मुहर किया गया।सभी के नमूना मोहर बनाये गये। इस नजदीकी जोखिम भरी सशस्त्र मुठभेड़, जो IG महोदय एवं SSP महोदय के नेतृत्व मे हुयी है, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या मे लिप्त 02 अभियुक्तो की मृत्यु हुयी है। इस घटना मे कर्तव्य पालनार्थ एवं आत्मरक्षार्त पुलिस दल द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण हेतु यथासम्भव समस्त प्रयास किये गये है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशो-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ द्वारा निरीक्षक श्री हरमीत सिंह द्वारा लिखायी गयी। तैयार की गयी फर्द को देखकर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर मौके पर ही बनवाये जा रहे है। एसडी मोहित अग्रवाल,एसडी दिनेश कुमार पी,एसडी अनिल कुमार,एसडी hcpअमृत लाल, एसडी का0 इन्द्रजीत, एसडी का0 जितेन्द्र कुमार, एसडी का0 धर्मेन्द्र कुमार, एसडी का0 निर्देश कुमार सिंह, एसडी निरीक्षक अजय सेठ, एसडी का0 अंशुल कुमार, एसडी का0 राहुल कुमार, एसडी का0 पुष्पेन्द्र, एसडी उ0नि0 आसिफ, एसडी का0 विनय कुमार, एसडी का0 विष्णु पाल, एसडी उ0नि0 प्रवेन्द्र सिंह, एसडी का0 चन्द्रशेखर, एसडी का0 राहुल माहौर, एसडी का0 मोहन कुमार, एसडी का0 राहुल राय, एसडी का0 मनीष कुमार, एसडी नि0 हरमीत सिंह, एसडी उ0नि0 मोहित चौधरी, एसडी का0 जितेन्द्र कुमार, एसडी का0 अमित कुमार, एसडी नि0 सतीश कुमार, एसडी नि0रवीवास्तव, एसडी का0 मुशील, एसडी का0 विश्वजीत, एसडी का0 कपिल, एसडी का0 कफील, एसडी का0 दुर्गेश, एसडी का0 आदर्श नोट:- उ0नि0 देवेन्द्र कुमार के मार्ग दर्शन मे मै एचएम 1090 यशवीर सिंह प्रमाणित करता हूँ कि अभियोग की कायमी व पंजीकरण बोल बोल कर सीसीटीएनएस म0का0 3464 मनोज कुमार व का03065 जीतेन्द्र कुमार द्वारा टाइप कराया गया।

D

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item
(की गयी कार्यवाही : चूकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: VINAY KUMAR TIWARI(SI (Sub-Inspector)) / 132190088 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): VINAY KUMAR TIWARI
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 132190088

पुलिस उपाधीक्षक
... कार्यालय

(191)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोडेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

192

पुलिस फार्म नं0 33

चालान शव विच्छेदन हेतु

मृतक/मृतिका प्रेम प्रकाश जाति लोधी उम्र 45 वर्ष ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री छोटे लाल निवासी गाँव बिकरु थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर

शव को हेड क्वार्टर भेजने का दिनांक व समय	थाने में सूचना का दिनांक व समय	समय जब समझा कि मृत्यु हुई दिनाँक व समय	शव का विवरण कि पुरूष या स्त्री है यदि ज्ञात हो सका हो तो नाम तथा पता	शव प्राप्त के स्थान से शव को विच्छेदन हेतु किस प्रकार भेजा गया।
3-7-20	3-7-20	3-7-20	प्रेम प्रकाश S/o छोटेलाल R/o ग्राम बिकरु थाना चौबेपुर कानपुर नगर	शव को [illegible] के द्वारा [illegible] पोस्टमार्टम हेतु [illegible] किया गया है। 3.7.20

(193)

ANNEXURE-

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

AME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1778/20 Date 04/07/20

Body Received Sealed - Yes/ No ✓ Sealed Intact - Yes / No ✓

Conducted by Dr G.N. Dwivedi

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 04/07/20 at 5:35 P.M.

Date & Time of Commencement of Autopsy 04/07/20 at 7 AM.

Time of Completion of Autopsy 04/07/20 at 8.15 AM.

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 03/07/20 at 15 बजे

Name & Address of the person video recording the Autopsy Sri Arvind Trivedi s/o late J.N. Trivedi 106/34 Gandhi Nagar Sisamau Kanpur Nagar

CASE PARTICULARS :

1 Name of deceased and as entered in the jail or Police record Prem Prakash Urf Prem Kumar

S/o, D/o, W/o Chotelal

Address Vill. Bikaru P/S Chaubeypur Kanpur Nagar

2. Age (Approx.) 45 Yrs Sex : Male ✓ / Female

3 Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C.P. 3497 Angad Sahani

(ii) C.P. 2185 Hariom

of Police Station Chaubeypur Kanpur Nagar

4. Identified by

(i) का० 3497 अंगद सहानी थाना चौबेपुर कानपुर नगर

ITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

& Time of Admission in Hospital Broad dead at 03/07/20 at

Date & Time of Death in Hospital 9.20AM. C.H.C Chobeypur kanpur

Central Registration No. of Hospital Nagar encl-NO-(4)

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 160 cms. (2) Weight 14 K . Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ____

(ii) ____

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor X

(5) Description of clothes worn - important features : 1 Shirt, 1 Baniyan, 1 Pant c̄ belt, 1 underwear, 1 finger ring yellow metalic. 1 finger ring white metalic.

(6) Post-mortem Changes As seen at Autopsy - Body packed in P.M. Bag.

R.M. Burn whole in clothes correlating to Entering mcdc 4 upper passed, lower present.

P.M. staining whole back, both buttock back of both thighs except pressure contact area.

(7) (a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - closed

(ii) Mouth - Partially open

...RNAL INJURIES :

Anti mortem Injury.

(1) Fire Arm wound of Entery 1cm x 1cm x (Lt) Side of chest 1cm lateral to (Lt) nipple x chest Cavity deep Abrasion Collor present around the wound margins Inverted + irregular.

(2) Fire Arm wound of Exit - 1.5cm x 1cm x (Rt) side of back of chest, 18cm below top of (Rt) Shoulder. Margins Everted + irregular, Communicating to Injury No (1)

(3) Fire Arm wound of Entery 1cm x 1cm x 10cm lateral from Pubic region on (Lt) side. Margins Inverted + irregular Abrasion Collor present around the wound bone deep. wound at (Lt) inguinal region.

(4) Fire Arm wound of Exit- 2cm x 1.5cm x mid Part of (Lt) buttock, margins Everted + irregular, Communicating to Inj No (3)

1718/20
Prem Prakash

AL EXAMINATIONS :

ᴀD

(a) Scalp findings NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels - Pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt 1300 gms.) Pale.

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. - NAD

NECK

- Teeth - 15/16
- Mouth, Tongue & Pharynx - NAD
- Larynx & Vocal cords - NAD
- Condition of neck tissues - NAD
- Thyroid & other cartilage conditions NAD
- Trachea - NAD

CHEST

- Ribs and Chest wall
- Oesophagus NAD
- Trachea & Bronchial Tree NAD
- Pleural Cavities -R- } lacerated & pale
  -L-

पंजीयन सत्यापक
[illegible]

- Pericardial Sac Lacerated, pale
- Heart findings & Wt. 250 gm lacerated, both chamber empty.
- Large blood vessels - Lacerated.

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall whole abdomen distende & greenish discolouration present.
- Peritoneum & Peritoneal cavity. NAD
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 160 gms.) 1400 ml watery fluid M.M. - NAD
- Small intestines including appendix Partially filled c̄ gases.
- Large instestines & Masentric vessels Partially filled fecal matter c̄ gases
- Liver including gall bladder (wt. 1300 gms.) Pale - Partially filled
- Spleen (wt. 150 gms.)- Pale
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt. - Rt. 170 gms. & Lt. 160 gms. both pale
- Bladder & Urethra - empty NAD
- Pelvic cavity tissues Lt lacerated. Hip joint Lt side
- Pelvic Bones Lt side # clotted blood present in muscle Lt side Hip joint #

SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated)

OPINION Not open

Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)

About one Day

(i) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is -

a) Immediate cause - Hemorrhage & Shock

b) Due to - fire Arm injuries

c) Which of the injuries are anti-mortem/~~post-mortem~~

d) Manner of causation of injuries. fire Arm injuries (fire Arm)

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? yes.

(iii) Any other NIL

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

X a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B.- 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

✓ b) Clothes on notice

✓ c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)

X d) Foreign body (like bullet, ligature etc.)

चिकित्सा पदाधिकारी

(199)

(f) Sample of seal

(g) Inquest papers (mention total number & initial them) 10

(h) Slided from vagina, semen or any other material.

PM report in original, (10) inquest papers, dead body, clothing and other articles [1. Vedio cassel] (mention there) duly sealed (Nos. 05) handed over to police official

Name & No CP 3497 Angad Singh, CP 2185 Hariom

of PS Chaubeypur Kanpur Nagar whose signatures are herewith.

PM done in My Presence

I Agree with Finding & Opinion

Dr. Name-

Sign.-

Posting-

Signature Dwivedi

Name of Medical Officer

(in block letters) Dr. G.N. Dwivedi

Designation U.H.M. Hospital Kanpur Nagar

SEAL

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature

Name

Rank

Belt No. 3497

Police Station

Date of Collection

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ राजाराम पुत्र छोटेलाल नि0 बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर का आपराधिक इतिहास

1	शिवली	144/2001	395/397/383/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	ए–48 06.05.2002	दि0–12.10.2001 को **अभियुक्त प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ राजाराम व गैंग लीडर विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा** कस्बा शिवली में रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया तथा दुकानों में लूटपाट करते हुए डरा धमका कर दुकानें बंद करा दीं। जिससे क्षेत्र में अशान्ति फैल गयी। उक्त अभियोग तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राजुल गर्ग द्वारा पंजीकृत कराया गया।
2	चौबेपुर	192/20	147/148/149/302/307 394 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	विवेचनाधीन	अभियुक्तगण द्वारा **गैंग लीडर विकास दुबे के साथ दबिश देने गए पुलिस कर्मियों पर** घात लगाकर हमला करना, जिसमें 08 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देना व 06 पुलिस कर्मियों का गंभीर रूप से घायल होना एवं पुलिस के शस्त्र लूट कर ले जाना।
3	चौबेपुर	193/20	307/412 भादवि	विवेचनाधीन	गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करना, आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मारा जाना तथा अभियुक्त के पास से फैक्ट्रीमेड 315 बोर रायफल बरामद होना।
4	चौबेपुर	195/20	25/27 आयुध अधिनियम	विवेचनाधीन	अभियुक्त के कब्जे से पुलिस पार्टी से लूटी गयी 09 एमएम ग्लाक पिस्टल बरामद होना

[illegible] अभियुक्त अतुल [illegible] बरामद [illegible] का विवरण।

1	315 बोर रायफल	AB976229	उक्त रायफल गैंग लीडर विकास दुबे की लाइसेंसी रायफल है। जो घटना के समय अपराधी अतुल दुबे प्रयोग कर रहा था।

[illegible] अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ [illegible] से बरामद [illegible] का विवरण

1	9एमएम ग्लाक पिस्टल	AACW407	दिनांक 2/3.7.20 की रात्रि में ग्राम बिकरू मे दबिश के दौरान घायल थानाध्यक्ष बिठूर श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह से लूटी गई थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौबेपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medico Legal Examination Form)

M.L.C.No.

E.No. E/595

नाम Cf Suresh Mani Tripathi उम्र 36 yr लिंग Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति Ramchandra Tripathi

पता C/o Surveillance Cell थाना Surveillance Cell जिला Kanpur Nagar

दिनांक एवं समय 6/7/20 6.20 PM

अग्रेषित करने वाला/लाने वाला (नाम तथा पता) HCP Vijay Chaudhary 2612 P/S Chaubepur

सहमति यदि आवश्यक हो Kanpur Nagar

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा F.I.R./Section No. 193/20 U/S 307, 412 IPC

पहचान के चिन्ह Mark of Identification: A black mole over the (L) side face 2.5 cm ... (L) Elbow joint

चोटों का विवरण (Details of Injuries)

क्र०सं०	चोट का प्रकार	चोट का आकार	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	रक्त स्राव	अन्य अन्वेषण
1	Firearm injury with 2.5 x 0.5 cm² over the (R) side forearm 11.00 cm from the (R) Elbow joint. Blackening & charring present. Superficial injury only. No wound of exit & entry present. Edges everted. Margins lacerated. Hairs charred. Burning sensation present. Direction could not be ascertained due to uniformity of the wound. Hand lens not used.						

किसी जांच अथवा विशेषज्ञ अभिमत के लिए अग्रसित करना (Refer for any test Or Further Specialist Opinion) NA

अभिमत (Opinion)
1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries) Simple
2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries) About 1/2 Day old
3. उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु (Weapon / Object Uses) Firearm injury

हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में) KISHOR GUPTA

पद का नाम (Designation)

मोहर (Seal)

E.M.O.
C.H.C. CHAUBEPUR
KANPUR NAGAR
6/7/20

अंगूठा निशान allotted.

सम्बन्धित थाने की सूचना (Information to Concerned Police Station)

कोई अन्य अन्वेषण (Any other Finding)

E. M. O.
C.H.C. CHAUBEPUR
KANPUR NAGAR

6/7/20 E. M. O.
C.H.C. CHAUBEPUR
KANPUR NAGAR

Posterior

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौबेपुर, कानपुर नगर.

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medico Legal Examination Form)

M.L.C.No.

E.No. F/594

नाम Mohd Asif उम्र 49 yrs लिंग Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति Late Abdul Malik.

पता R/o SOG Kanpur Nagar. थाना SOG Kanpur जिला Kanpur Nagar.

दिनांक एवं समय 4/7/20 6:00 PM

अग्रेषित करने वाला/लाने वाला (नाम तथा पता) MC/ Neha Chaudhary K/P/s. Chaubeypur

सहमति यदि आवश्यक हो Kanpur Nagar

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा F.I.R./Section No. 0193/20 U/s 307/412 IPC

पहचान के चिन्ह Mark of Identification A black mole over ... side ... just lateral ... external ...

RTVLTI Not tested

चोटों का विवरण (Details of Injuries)

क्र०सं०	चोट का प्रकार	चोट का आकार	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	रक्त स्राव	अन्य अन्वेषण
1.	Fire arm injury with blackening & charring of skin over the (R) dorsal aspect of forearm 10.0 Cm from the (R) elbow joint. Size of the wound 3.0 x 0.6 Cm². No wound of entry or exit seen. Haired charred. Superficial injury only. Burning present. Direction could not be ascertained d/t uniformity of the wound size; Edges everted. Margins ... . Hand lens not used.						

किसी जांच अथवा विशेषज्ञ अभिमत के लिए अग्रसित करना (Refer for any test Or Further Specialist Opinion)

सम्बन्धित थाने को सूचना (Information to Concerned Police Station)

कोई अन्य अन्वेषण (Any other Finding)

E.M.O.

अभिमत (Opinion)

- चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries) Simple
- चोटों की अवधि (Duration of Injuries) About 1½ Day old.
- अवधात के कारण बनाए हथियार/वस्तु (Weapon / Object Used) Fire arm injury

हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)

पद का मुहर (Designation)

स्थान (Seal)

CHC CHAUBEPUR KANPUR NAGAR Dr. ... GUPTA

203

204

235

22

Part N

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

94737

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उत्तर प्रदेश,महानगर
लखनऊ - 226006।

सेवा में,

Circle Officer (BILHAUR)
KANPUR CITY

पत्रांक	2020SERO000667	दिनांक	
अपराध संख्या	193/2020	जन्म कराना	ATUL KUMAR DUBEY
अधिनियम / धारा	IPC/307,IPC/412		
पुलिस स्टेशन / थाना	CHAUBEPUR	मृतक / मृतका का नाम	
पी एम संख्या		जी०डी० संख्या	

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित प्रदर्शप्रयोगशाला में दिनांक **27-07-2020** को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए

सील का विवरण-L/W-818-BAL-2020

तीन वस्त्रावृत समुद्रित बण्डल जिनमें बण्डल (1) व (2) पर (C.M.O. KANPUR + MONOGRAM मुद्रानमूनानुसार) तथा बण्डल (3) पर (SIGNATURE.......मुद्रानमूनानुसार) की छाप अक्षत थी

प्रदर्शों का विवरणवस्तु

1-पैन्ट मय बेल्ट	1 एक सर्वमोहर मूल PM बण्डल से PM NO.1779/2020 (मृतक अतुल कुमार)
2-बनियान	1
3-अन्डरवियर	1
4-मोजी-जूता	1
5-रुमाल	1
6-शर्ट	1 एक सर्वमोहर मूल PM बण्डल से PM NO.1778/2020 (मृतक प्रेम प्रकाश)
7-पेंट मय बेल्ट	1
8-बनियान	1
9-अन्डरवियर	1
10-अँगूठी-पीली-धातु	1
11-अँगूठी-काली-धातु	1
12-काटन-स्वाब-खूनालूदा	1 एक सर्वमोहर मूल प्लास्टिक डिब्बा से
12-सादा-काटन	1

रवाना प्रति प्रेषित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

परीक्षण परिणाम

वस्तु (1) से (9) व (12) के बड़े भागो पर रक्त पाया गया।

रक्त के परीक्षण के लिए बैंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय-परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी।

वस्तु (10) व (11) के अंशो पर बैंजडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण के लिये मात्रा अपर्याप्त थी।

वस्तु (1) से (4) ,(6),(8),(9) व (12) पर मानव रक्त पाया गया।

वस्तु (5) व (7) पर रक्त (विघटित) डिसइन्टीग्रेटेड पाया गया अत: मूल निर्धारण न हो सका।

वस्तु (1),(4) व (12) रक्त के वर्गीकरण के लिये किये गये परीक्षणों से कोई निश्चित परिणाम न निकल सका।

वस्तु (2),(3),(6),(8) व (9) पर रक्त वर्गीकरण के लिये अनुपयुक्त था।

रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।

रक्त का वर्ग निर्धारण मिक्स्ड एग्लूटिनेशन विधि द्वारा किया गया।

नोट-1-PM NO.1779/2020 के बण्डल से प्रदर्श संख्या (1) से (5) तक प्राप्त हुआ।

2 दोनों PM बण्डल से प्राप्त प्रदर्श नम अवस्था में थे।

3-फायर-आर्म्स से सम्बन्धित आख्या आग्नेयास्त्र अनुभाग द्वारा अलग से प्रेषित की जायेगी।

4-सभी प्रदर्श आग्नेयास्त्र अनुभाग के केस संख्या 818-BAL-2020 से वापस किये जाएंगे।

अग्रसारित
21.10.2020

30.09.2020

(कम्प्यूटर) वैज्ञानिक अधिकारी

205

237 (24)

Part_N 94745

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

प्रेषक,
निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर
लखनऊ - 226006 |

सेवा में,

Circle Officer (BILHAUR)
KANPUR CITY

पत्रांक	2020SERO000669	दिनांक	
अपराध संख्या	193/2020	राज्य बनाम	मृतक अतुल कुमार दुबे आदि
अधिनियम / धारा	IPC/307,IPC/412		
पुलिस स्टेशन / थाना	CHAUBEPUR	मृतक / मृतका का नाम	
पी एम संख्या		जी॰डी॰ संख्या	

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 27-07-2020 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए
सील का विवरण LAV 807-BAL-20
जो यथावत मुद्रित बण्डल जिस पर (Signature S.I. मुहरानुसार) की छाप अंकित थी।

प्रदर्शों का विवरण

1. मार्क-पुल — एक मोहरबन्द मूल बण्डल में। (कां. दुर्गेश पाणि त्रिपाठी)
2. मार्क-पुल — एक मोहरबन्द मूल बण्डल में। (उ.नि. मो. आसिफ)

परीक्षण परिणाम

वस्तु (1) व (2) के बड़े भागों पर रक्त पाया गया।
रक्त के परीक्षण के लिए बेंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी।
वस्तु (1) व (2) पर मानव रक्त पाया गया।
रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।
नोट - फायर आर्म्स से संबंधित परीक्षण आख्या एवं समस्त प्रदर्श आग्नेयास्त्र अनुभाग द्वारा अलग से प्रेषित की जाएगी।

अग्रसारित

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र०

वैज्ञानिक अधिकारी 2020
विधि विज्ञान प्रयोगशाला

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

206

R
29-9-20

238 (85)

Part N 89279

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ,उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ-226006

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ -226006

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी बिल्हौर
कानपुर नगर

पत्रांक : 807-BAL-20 L/W 558-BAL-20,608 से 612तक दिनांक : 25.09.2020

अपराध संख्या : 193/20 राज्य बनाम:मृतक अतुल कुमार दुबे

थाना : चौबेपुर धारा: 307/412 IPC

प्रकरण से सम्बंधित प्रदर्श विशेष वाहक मुख्य आरक्षी लक्ष्मी रमन द्वारा दिनांक 27.07.2020 को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में प्राप्त कराया गया। जिन्हें रक्त परीक्षणोपरान्त दिनांक 5.9.2020 को अनुभाग मे प्राप्त कराया गया।

एक सर्वमुहर बडल जिस पर प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग की मुहरे लगी हैं तथा बंडल पर "669-सीरो-2020, मु०अ०सं०-193/20....बनाम-अतुल कुमार दुबे , थाना-चौबेपुर" आदि लिखा है, को खोलने पर दो अलग अलग खुले बडल प्राप्त हुए।

(1) एक बंडल जिस पर " एक अदद शर्ट घायल का० 4020 दुर्गेश मणि त्रिपाठी सम्बंधित मु०अ०स०-193/20, धारा-307/412 IPC व मु०अ०सं०-194/20 , धारा-25/27 A.Act, PS-चौबेपुर , कानपुर नगर......बनाम-अभि०-मृतक अतुल कुमार दुबे......"आदि लिखा है, से एक अदद पीली सफ़ेद धारीदार फुल शर्ट प्राप्त हुयी। जिसे S-1 से चिन्हित किया गया है।

(2) एक बंडल जिस पर "एक बंडल ....एक अदद शर्ट घायल उ०नि० मो०आसिफ सम्बंधित मु०अ०सं०-193/20, धारा-307/412 IPC व मु०अ०सं०-195/20 , धारा-25/27 A.Act, बनाम-मृतक प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश.....".आदि लिखा है, से एक अदद नारंगी फुल शर्ट प्राप्त हुयी। जिसे S-2 से चिन्हित किया गया है।

निरीक्षण/कारण

निरीक्षण विवादित शर्ट चिन्हित S-1

यह एक पीली सफ़ेद धारीदार फुल शर्ट है। इसकी बायीं बाह के पीछे की तरफ कधे की सिलाई से लगभग 45 सेमी नीचे व कलाई की सिलाई से दाहिने लगभग 1X1.5 सेमी आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-1 से चिन्हित किया गया है। छिद्र चिन्हित H-1 के चारों ओर कालिमा / ब्लैकनिंग / क्लोज रेंज के भीतर की दूरी के फायर के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं है। छिद्र चिन्हित H-1 के चारों ओर रक्त जैसा पदार्थ लगा है। छिद्र चिन्हित H-1, मजरूब का० दुर्गेश मणि त्रिपाठी के चिकत्सा विधिक प्रमाण पत्र संख्या-E/595 दिनांकित 4.07.2020 मे वर्णित आग्नेयास्त्र के घाव संख्या (1) को लगभग Correspond करती है।

प्रमाणित प्रति

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

श्री आनन्द प्रकाश
उ० जाँच कर आ० कार्य० करें

SHO

207

234

Part N 89278

निरीक्षण विवादित शर्ट चिन्हित S-2

यह एक नारंगी रंग की फुल शर्ट है | इसकी दाहिनी [illegible] पीछे की तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 41 सेमी नीचे लगभग 1X2 सेमी आकार का एक छिद्र उपस्थित है | इसे घेर कर H-2 से चिन्हित किया गया है | छिद्र चिन्हित H-2 के चारों ओर कालिमा/ ब्लैकनिंग ~~ब्लैकनिंग~~ / क्लोज रेंज के भीतर की दूरी के फायर के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं है | छिद्र चिन्हित H-2 के चारों ओर रक्त जैसा पदार्थ लगा है | छिद्र चिन्हित H-2, मजरूब उ०नि० मो०आसिफ के चिकत्सा विधिक प्रमाण पत्र संख्या-E/594, दिनांकित 4.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के घाव संख्या (1) को लगभग Correspond करती है |

शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1तथा शर्ट चिन्हित S-2 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-2 पर तथा उसके आस पास फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1तथा शर्ट चिन्हित S-2 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-2 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

परिणाम

विवादित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1तथा विवादित शर्ट चिन्हित S-2 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-2 पर फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी |

25/9/2?

(डॉ. ए.के. श्रीवास्तव)
Dr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA
प्रभारी आग्नेयास्त्र अनुभाग
Incharge Firearms
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

अग्रसारित
निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ
द्वारा प्रति प्रेषित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

208

240

19

96

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी बिल्हौर
जनपद –कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020 दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -193/2020 धारा -307/412 भादवि0 थाना –चौबेपुर, कानपुर नगर बनाम अतुल कुमार।

आपके पत्र सं0 निल दिनांक 16.07.2020 के क्रम में उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 16.07.2020 को विशेष वाहक है0कॉ0 1052 लक्ष्मीरतन के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक अदद नमूना मुहर प्राप्त हुआ जिसे न-1 से चिन्हित किया गया है।
2. एक अदद सर्व मुहर सील बन्डल जिस पर नमूना मुहर न-1 के सनान मुहर अंकित है।

उक्त बन्डल को खोलने पर एक अदद हरे-भूरे रंग की बुलेट प्रूफ जैकट प्राप्त हुई है जिसमें अग्नेयास्त्र का मार्क स्पष्ट है। इस बुलेट प्रूफ जेकेट को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 पहने हुए थे। जेकेट के समाने की तरफ फायरिंग प्लेट की निचली सतह से 8.5 सेमी0 ऊपर की ओर तथा बायें किनारे से 26 सेमी0 की दूरी पर एक फायरिंग मार्क मिला है जिसकी नाप 8X8 मिमी0 नापी गयी। जैकेट में बुलेट फंसी है। जैकेट की फायर आर्म मार्क का काटन स्वैब एकत्र किया गया जिसे S-1 से चिन्हित किया गया तथा कन्ट्रौल सैम्पल को S-2 चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

सम्बन्धित उपरोक्त बुलेट प्रूफ जैकट के स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2			
Nitrite	Griess Test	ND	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	+ve	present	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubanic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

परीक्षण परिणाम-

सम्बन्धित उपरोक्त बुलेट प्रूफ जैकट के स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष लेड की उपस्थिति पायी गयी।

20/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद-कानपुर नगर

सत्य प्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

209

२५१

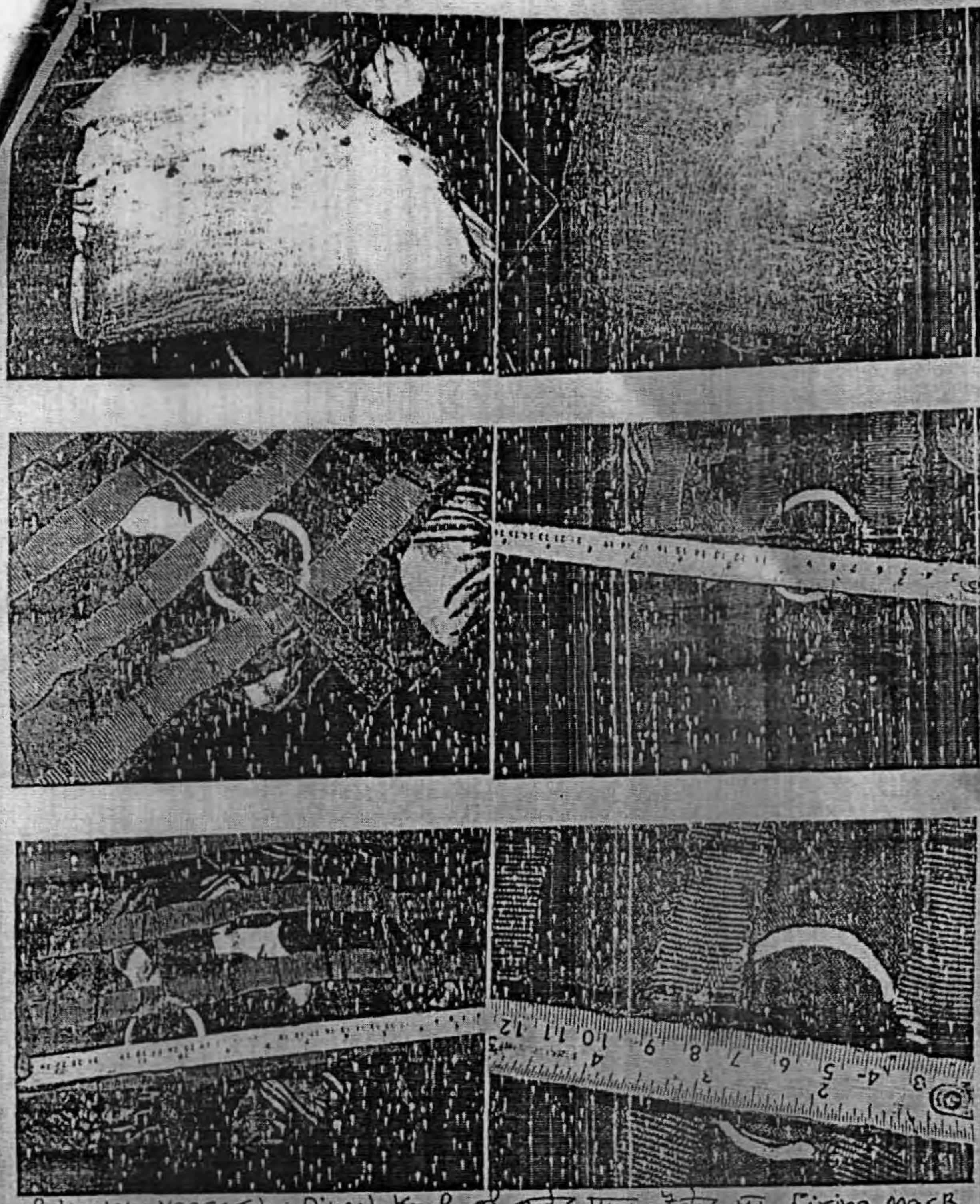

SSP, Kanpur Nagar Shri Dinesh Kr. P. की बुलेट प्रूफ जैकेट पर Firing Mark.

CR.NO. 193/2020 US- 307/412 IPC

सत्य प्रति प्रमाणित

PS- CHAUBEPUR, KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT, CANT, KANPUR NAGAR

20/07/2020

डा0 प्रवीन कुमार [illegible]
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

242 19

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर।

पत्र सं0 फी0यु0/05/2020 दिनांक; जुलाई, 22,2020

श्री रण बहादुर सिंह (निरीक्षक)
अपराध शाखा
जनपद –कानपुर नगर

बिषय- आग्नेयास्त्रों पर फिंगर प्रिंट के सम्बन्ध में आख्या

सन्दर्भ – आपके पत्र संख्या निल दिनांक 22.07.2020 जो मु0अ0सं0 -194/2020 धारा -25/27 ए. एक्ट तथा मु0अ0सं0 -194/2020 धारा -25/27 ए. एक्ट थाना चौबेपुर, जनपद –कानपुर नगर से सम्बन्धित आग्नेयास्त्रों पर फिंगर प्रिंट के सन्दर्भ में है।

आपके पत्र संख्या निल दिनांक 22.07.2020 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2020 को घटनास्थल ग्राम –कासीराम निवादा, देवी कुटिया तथा हनुमान मन्दिर के पास पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त पाये गये आग्नेयास्त्र क्रमशः फैक्ट्री मेड 315 बोर रायफल नं0 AB976229 तथा 9mm ग्लोक पिस्टल नं0 AACW407 की सतह पर से कोई अँगुल चिन्ह प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त दोनों आग्नेयास्त्रों की सतह चिकनी नहीं थी। खुरदुरी सतह पर अँगुल चिन्ह नहीं बनते हैं।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

22/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी, फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद –कानपुर नगर

व.स्था. प्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

211

243

27

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

प्रेषक- प्रभारी वैज्ञानिक अधिकारी
फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

सेवा में, क्षेत्राधिकारी बिल्हौर
कानपुर नगर

दिनांक जुलाई, 20 2020

पत्रांक –फी0यू0/05/2020

मु0अ0सं0 193/2020 धारा 307/412 भादवि0 मु0अ0सं0 194,195/2020 धारा 25/27 ए. एक्ट थाना –चौबेपुर, कानपुर नगर बनाम अतुल दुबे तथा प्रेम कुमार पाण्डेय आपके पत्र सं0 निल दिनांक 16.07.2020

उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 16.07.2020 को विशेष वाहक हे0कॉ0 1052 लक्ष्मीरतन के द्वारा प्राप्त हुए।

1. पाँच अदद सर्व मुहर सील डब्बे जिनकी नमूना मुहर पर "KM RAI-UPP" अंकित है।

उक्त डिब्बों को खोलने पर पाँच अदद पालीथीन के लिफाफे मिले जिनमें -

1. मृतक अभि0 प्रेम कुमार पाण्डेय के दाहिने हाथ का काटन स्वैब जिसे S-1 से चिन्हित किया गया।
2. मृतक अभि0 प्रेम कुमार पाण्डेय के बायें हाथ का काटन सवैब जिसे S-2 से चिन्हित किया गया।
3. मृतक अभि0 अतुल दुबे के दाहिने हाथ का काटन स्वैब जिसे P-1 से चिन्हित किया गया।
4. मृतक अभि0 अतुल दुबे के बायें हाथ का काटन सवैब जिसे P-2 से चिन्हित किया गया।
5. सादा काटन कन्ट्रौल सैम्पल जिसे Q से चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

मृतक अभि0 प्रेम कुमार पाण्डेय तथा अतुल दुबे के दाहिने, बाये हाथ के काटन स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2, P-1, P-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
Nitrite	Griess Test	+ve	present	Nitrite	Griess Test	-ve	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

P-1				P-2			
Nitrite	Griess Test	-ve	ND	Nitrite	Griess Test	-ve	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

प्रमाणित प्रतिलिपि

-2-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

212

244

परिणाम-

मृतक अभियुक्त प्रेम कुमार पाण्डेय के दाहिने हाथ के सम्बन्धित काटन स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग अवशेष नाईट्राइट की उपस्थिति पायी गयी।

मृतक अभियुक्त अतुल दुबे के दाहिने, बायें हाथ में माईक्रो केमिकल परीक्षण में फायरिंग अवशेषों की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुई।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

20/01/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद-कानपुर नगर

सत्य प्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

213

245

थाने से प्राप्त सर्वमुहर डिब्बे

डिब्बों के खोलने पर प्राप्त पालीथिन

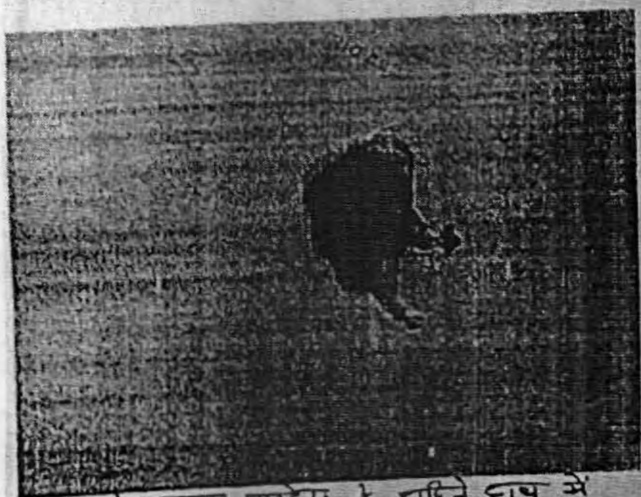

मृतक प्रेम कुमार पाण्डेय के दाहिने हाथ में GSR (Pink Colour) सकारात्मक मिला

CR.NO. 193,194/2020 US- 25/27 A Act

PS– CHAUBEPUR , KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT, CANT, KANPUR NAGAR

20/07/2020

डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट
छावनी, कानपुर नगर

सत्य प्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

प्रमाण पत्र 246 (98)

प्रमाणित किया जाता है कि थाना चौबेपुर मे पंजीकृत मु०अ०सं० 194/20 धारा 25/27 A Act बनाम मृतक अभि० अतुलकुमार दुबे के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल 2 कर पंजीकृत करायी गयी थी तथा मृतक अतुल कुमार दुबे से बरामद रायफल नं० A B 97-6229 का थाने के मस्त्र रजिस्टर से मिलान किया गया तो यह रायफल विक्रम कुमार पुत्र रामकुमार नि० कस्बा चौबेपुर थाना-चौबेपुर के नाम दर्ज है। अतुल कुमार दुबे द्वारा इसी रायफल से पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर करना अंकित किया गया थी जो अतुल कुमार दुबे के दाहिने हाथ के पास पड़ी हुई थी।

इस सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र लिख कर दे रहा हूँ

गवाही ह०
HC 1090 प्रमवीर सिंह [illegible]
थाना चौबेपुर कानपुर नगर
PNo 922260067
7/8/20

(मुहर: थाना चौबेपुर ... नगर)

सत्यापित प्रतिलिपि
ह०
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(215)

247

Part N 89270

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर
लखनऊ - 226006 |

सेवा में,

Circle Officer (BILHAUR)
KANPUR CITY

पत्रांक	598-Bal-20 UW / 612-Bal-20 75 2020XBAL000608	दिनांक	23.09.2020
अपराध संख्या	192/20, 193/2020, 194, 195, 198/2020	वादी का नाम	ATUL KUMAR DUBEY ETC
अधिनियम / धारा	IPC/307,IPC/412	मृतक / मृतका का नाम	
पुलिस स्टेशन / थाना	CHAUBEPUR	पी०डी० संख्या	
पी एम संख्या			

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर के पत्र संख्या: वाचक– विवेचना / निर्देश (चौबेपुर), दिनांकित: 13.07.2020 के क्रम में प्रयोगशाला की बैलेस्टिक विशेषज्ञों की टीम द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 17.07.20 को किया गया। घटनास्थल निरीक्षण के समय विशेषज्ञों के अतिरिक्त निम्न पुलिसकर्मी / अधिकारी उपस्थित रहे:-

1 - श्री मोहित अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर नगर मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
2 - श्री दिनेश कुमार पी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
3 - श्री अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक पश्चिम, कानपुर नगर मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
4 - श्री अजय सेठ, प्रभारी निरीक्षक, थाना- कल्याणपुर, कानपुर नगर, मय हमराह, वादी/ (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
5 – श्री हरमीत सिंह, वर्तमान प्रभारी निरीक्षक, थाना- बर्रा, तत्कालीन स्वाट टीम कानपुर नगर, मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
6- श्री सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस टीम, कानपुर नगर, मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
7- श्री रवि श्रीवास्तव, निरीक्षक सर्विलांस टीम, कानपुर नगर, मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
8 - श्री आसिफ, उप निरीक्षक, कानपुर नगर, मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
9 – डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी फील्ड यूनिट मय टीम कानपुर नगर
10 - श्री रण बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, क्राइम ब्रांच, कानपुर नगर फिंगरप्रिंट
11 – मुठभेड़ में सम्मिलित अन्य सहायक अधिकारी, मुख्य आरक्षी, आरक्षी, आरक्षी चालक व जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पुलिस कर्मी

घटनास्थल, थाना- चौबेपुर, कानपुर नगर से लगभग बीस (20) किमी. पांडेय काशीराम नेवादा ग्राम सभा में देवी मन्दिर के पास होना बताया गया | दिनांक 02/03.07.2020 की रात में ग्राम बिकरू थाना- चौबेपुर में कानपुर नगर के वांछित अभियुक्त विकास दुबे की तलाश में दबिश देने गये क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के नेतृत्व में सम्मिलित पुलिस कर्मियों पर विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा ताबड़–तोड़ गोलियां चलाकर सुनियोजित प्राण घातक हमला किया गया, जिसमे क्षेत्राधिकारी बिल्हौर सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी तथा कई पुलिस कर्मी घायल हो गये | दिनांक 03.07.2020 को प्रातः अपराधियों के आस-पास छुपे होने के दृष्टिगत आई.जी. रेंज, कानपुर नगर के द्वारा पुलिस की दो टीमों (एक स्वयं के तथा दूसरी एस.एस.पी. कानपुर नगर के नेतृत्व में) का गठन किया गया; आई.जी. रेंज की टीम ग्राम बिकरू से सड़क मार्ग से तथा एस.एस.पी. कानपुर नगर की टीम पश्चिम दिशा के खेतों से अभियुक्तों की तलाश में आगे बढ़ते रहे | लगभग डेढ़ से दो कि.मी. ग्राम काशीराम नेवादा के दक्षिण तरफ स्थित धार्मिक स्थल मन्दिर से लगभग 80 मीटर पहले खेत में खड़े इमली के पेड़ व कुयें के पास पहुंचे हो थे की तभी एस.एस.पी. कानपुर नगर व टीम के सदस्यों को फायर जैसी आवाज सुनायी दी तथा मन्दिर परिसर में स्थित एक छोटी कोठरी के सामने पेड़ों के आस-पास कुछ व्यक्तियों की हलचल दिखायी दी | आगे बढ़ते हुए एस.एस.पी. कानपुर की नगर की पुलिस टीम मन्दिर परिसर की मेड़ के पास लगे सरपतों व पेड़ों के निकट पहुंची तो 05 संदिग्ध व्यक्ति मन्दिर परिसर के खडंजा मार्ग पर मन्दिर की तरफ बढ़ते दिखायी दिये | एस.एस.पी. द्वारा रुकने की चेतावनी देने पर बदमाश अपने पास मौजूद असलहों से फायर करते हुये मन्दिर, पेड़ व झाड़ियों में छुप गये | एस.एस.पी. कानपुर नगर व उनकी टीम मंदिर के पास घेराबंदी करके पहुंची हो थी की बदमाशों के फायर से कांस्टेबल दुर्गेश घायल हो गया | एस.एस.पी. कानपुर नगर व उनकी पुलिस टीम आत्म रक्षार्थ फायरिंग करते हुये आगे बढ़ी, इसी बीच मन्दिर परिसर में नीम के पेड़ के पास एस.एस.पी. कानपुर नगर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गयी तथा आत्मरक्षार्थ व कर्तव्यपालन में की गए फायर से

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई हेरफेर किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट के अंतर्गत (आई०पी० सी०) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उ०प्र० राजकीय मुद्रणालय, ... 2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला–... –05–/019–(185)–10,000 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

http://192.168.75.101:8003/_layouts/Pages/FSL/FSL_Report... 2020... 23-09-2020

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

216

248 Part N 89271

एक बदमाश घायल होकर गिर पड़ा | इस बीच आई. जी. रेंज कानपुर नगर की टीम हनुमान जी के मन्दिर के पास खडंजे के पास काफी नजदीक पहुँच गयी | बदमाशों द्वारा चलायी एक गोली आई. जी. रेंज कानपुर नगर के कान के पास से निकल गयी तथा आई. जी.रेंज को कवर दे रहे एस.आई. आसिफ घायल हो गये | पुलिस टीम के आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक अन्य बदमाश मन्दिर की पूर्वी दीवार के पास घायल होकर गिर गया तथा शेष बदमाश पेड़ों व घनी झाड़ियों का का लाभ उठाकर फायरिंग करते भाग गये | घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया | (मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व घायलों की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट साथ में संलग्न है |)

नोट : उपरोक्त वर्णित तथ्य श्री अजय सेठ, प्रभारी निरीक्षक, थाना- कल्याण पुर, कानपुर नगर, वादी /(मुठभेड़ में सम्मिलित सदस्य) के अभिकथन पर आधारित है |

<u>608-BAL-2020</u>

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक HC लक्ष्मी रतन द्वारा प्राप्त हुए।

(1) पन्द्रह अदद नमूना मुहरें, जिन्हें न-1 से न-15 तक से चिन्हित किया गया है।

(2) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-1 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307 IPC PS-चौबेपुर KNR..."आदि सा
लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.16104935 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 1/2020 से चिन्हित किया गया है।

(3) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-2 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC चौबेपुर KNR..."आदि सा
लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.T347430 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 2/2020 से चिन्हित किया गया है।

(4) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-3 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.18209875 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 3/2020 से चिन्हित किया गया है।

(5) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-4 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC चौबेपुर, कानपुर नगर..."आदि
सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.18306863 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 4/2020 से चिन्हित किया गया है।

नोट-उपरोक्त मामले से सम्बंधित अग्रेषण पत्र के प्रदर्श क्रमांक(4) पर, सम्बंधित बण्डल के नमूना मुहर/बण्डल पर एवं फर्द बरामदगी प्रपत्र पर"...पिस्टल न.1830068863" का होना वर्णित है, जबकि इससे सम्बंधित बण्डल को परीक्षण हेतु खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.18306863 मय मैग्जीन प्राप्त हुई।

(6) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-5 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC थाना-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm ग्लाक पिस्टल न.HPY 597 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 5/2020 से चिन्हित किया गया है।

(7) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-6 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm ग्लाक पिस्टल न.HPY 544 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 6/2020 से चिन्हित किया गया है।

(8) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-7 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.T356804 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 7/2020 से चिन्हित किया गया है।

(9) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-8 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm ग्लाक पिस्टल न.AACW 405 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 8/2020 से चिन्हित किया गया है।

(10) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-9 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.T347445 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 9/2020 से चिन्हित किया गया है।

(11) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-10 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.18306826 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 10/2020 से चिन्हित किया गया है।

(12) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-11 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm ग्लाक पिस्टल न.HPZ 823 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 11/2020 से चिन्हित किया गया है।

(13) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-12 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.18306836 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 12/2020 से चिन्हित किया गया है।

(14) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-13 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर, कानपुर
नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल न.18306832 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 13/2020 से चिन्हित किया गया है।

(15) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-14 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-

सत्य प्रति प्रमाणित

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।)

पुलि० फॉर्म 2 विधि विज्ञान ... -2019-(...)-10,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर / डी / आफसेट)

http://192.168.75.101:8003/_layouts/Pages/FSL/FSL_Report.aspx?labreceiptno=2020... 23-09-2020

वरिष्ठ प्रशासनिक अधि-
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(217)

Part N 89272

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

307/412 IPC PS-चौबेपुर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुए-
(क) पालिथीन से पन्द्रह .315 बोर(KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-1 से EC-15 तक से चिन्हित किया गया है।
(ख) पालिथीन से ग्यारह 9mm(KF) के चले कारतूस एवं एक 9mm(OK) का चला कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें क्रमशः EC-16 से EC-26 तक से एवं EC-27 से चिन्हित किया गया है।
(ग) पालिथीन से पांच 7.65mm(KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-28, EC-29, EC-30, EC-31, EC-32 से चिन्हित किया गया है। EC-32 की परक्युशन कैप अनुपस्थित है।
(घ) पालिथीन से एक जैकेटेड चली बुलेट का विकृत टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिसे EB-1 से चिन्हित किया गया है।
(16) एक सीलड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-15 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 193/20 धारा-307/412 IPC PS-चौबेपुर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुए-
(क) पालिथीन से दस पन्द्रह .315 बोर(KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-33 से EC-42 तक से चिन्हित किया गया है।
(ख) पालिथीन से बारह 9mm(KF) के चले कारतूस एवं तीन 9mm(OK) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें क्रमशः EC-43 से EC-54 तक से एवं EC-55, EC-56, EC-57 से चिन्हित किया गया है।
(ग) पालिथीन से दस 7.65mm(KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-58 से EC-67 तक से चिन्हित किया गया है। EC-67 की परक्युशन कैप अनुपस्थित है।

609-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक HC लक्ष्मी रतन द्वारा प्राप्त हुए।
(17) एक अदद नमूना मुहरें, जिसे न-16 से चिन्हित किया गया है।
(18) एक सीलड बण्डल, जिस पर न-16 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 194/2020 धारा-25/27AAct PS-चौबेपुर, बनाम-अतुल दुबे, एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक .315 बोर तमंचा नं.AB 97 6229 मय मैग्जीन प्राप्त हुआ, जिसे 14/2020 से चिन्हित किया गया है। इसी बण्डल से पालिथीन से एक .315 बोर(KF) का जिन्दा कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे LC-1 से चिन्हित किया गया है।

610-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक HC लक्ष्मी रतन द्वारा प्राप्त हुए।
(19) तीन अदद नमूना मुहरें, जिन्हें न-17, न-18, न-19 से चिन्हित किया गया है। न-17, न-18, न-19 एक समान है।
(20) एक सीलड प्लास्टिक की डिब्बी, जिस पर न-17 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपके कपड़े के टेप पर"...9 अदद खोखा कारतूस मु.अ.स.192/20 धारा-147,148...302 IPC PS-चौबेपुर KNR..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से नौ .315 बोर(KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-68 से EC-76 तक से चिन्हित किया गया है।
(21) एक सीलड प्लास्टिक की डिब्बी, जिस पर न-18 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपके कपड़े के टेप पर"...4 अदद खोखा कारतूस मु.अ.स.192/20 धारा-147,148...302 IPC PS-चौबेपुर KNR..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से चार .315 बोर(KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-77 से EC-80 तक से चिन्हित किया गया है।
(22) एक सीलड प्लास्टिक की डिब्बी, जिस पर न-19 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपके कपड़े के टेप पर"...एक अदद कारतूस मिसफायर...मु.अ.स. 192/20 धारा-147,148...302 IPC PS-चौबेपुर KNR..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से एक .315 बोर(KF) का मिसफायर कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे LC-2 से चिन्हित किया गया है।

611-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक HC लक्ष्मी रतन द्वारा प्राप्त हुए।
(23) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-20 से चिन्हित किया गया है।
(24 एक सीलड बण्डल, जिस पर न-20 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स.195/20 धारा-25/27AAct, PS-चौबेपुर, बनाम-प्रेमप्रकाश..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से एक 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW 407 मय मैग्जीन, एक 9mm(KF) का जिन्दा कारतूस व एक 9mm(KF) का मिसफायर कारतूस प्राप्त हुए। पिस्टल को 15/2020 से, जिन्दा कारतूस को LC-3 से तथा मिसफायर कारतूस को LC-4 से चिन्हित किया गया है।

सत्य प्रतिलिपि

612-BAL-2020

वरिष्ठ प्रशासनिक अ.
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आई०पी०सी० एवं अन्य प्रासंगिक विधि (आई०टी० एक्ट) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का भागी होगा।)
प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट) ...पत्नो 2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला 29-05-2019-(135)-10,000

(218)

250

Part N 89273

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

612-BAR-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक HC लक्ष्मी रतन द्वारा प्राप्त हुए
(25) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-21 से चिन्हित किया गया है।
(26 एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-21 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपके कपड़े के टेप पर"...मु.अ.स.198/20 धारा-307IPC 199/20 धारा-3/25AAct, थाना-चौबेपुर, बनाम-श्याम्...''आदि मा लिखा है, जो खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुए-
(क) पालिथीन से एक देशी पिस्तौल व इसकी नाल से एक .315 बोर(KF) का चला कारतूसप्राप्त हुए देशी पिस्तौल को 16/2020 से तथा चले कारतूस को EC-81 से चिन्हित किया गया है।
(ख) पालिथीन से एक .315 बोर(KF) का चला कारतूस व दो .315 बोर(KF) के मिसफायर कारतूस प्राप्त हुए।चले कारतूस को EC-82 से तथा मिसफायर कारतूसों को LC-5, LC-6 से चिन्हित किया गया है।

निरीक्षण

घटनास्थल निरीक्षण / पुनर्रचना के समय खेत में इमली के पेड़ से पुजारी के कोठरी की दूरी लगभग 185 फीट, खड़ंजे मार्ग की चौड़ाई लगभग 06 फीट, देवी मन्दिर से पुजारी के कोठरी की दूरी लगभग 39 फीट, पुजारी के कोठरी से कुँआ की दूरी लगभग 10 फीट मापी गयी | एस.एस.पी. कानपुर नगर से अतुल दुबे की दूरी लगभग 45 फीट, एस.एस.पी. कानपुर नगर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने के स्थान से अतुल दुबे के फायर करने के स्थान की दूरी लगभग 45 फीट, एस.एस.पी. कानपुर नगर से आई.जी. रेंज कानपुर नगर के प्रथम पोजीशन के बीच की दूरी लगभग 100 फीट, अतुल दुबे से प्रेम प्रकाश की दूरी लगभग 84 फीट, अतुल दुबे से आई.जी. की दूरी लगभग 40 फीट, प्रेम प्रकाश के घायल होकर गिरने के स्थान से आई.जी.(जहां आई.जी. बदमाश की गोली से बाल- बाल बचे) की दूरी लगभग 72 फीट, आई.जी. के फायर करने के स्थान (पत्थर के टीले) से प्रेम प्रकाश के घायल होकर गिरने के स्थान की दूरी लगभग 56 फीट, आई.जी. के फायर करने के स्थान (पत्थर के टीले) से अतुल दुबे की दूरी लगभग 40 फीट बताये अनुसार मापी गयी |
विवादित 9mm पिस्टल नं.16104935 चिन्हित 1/2020, 9mm पिस्टल नं.T347430 चिन्हित 2/2020, 9mm पिस्टल नं.18209875 चिन्हित 3/2020, 9mm पिस्टल नं.18306863 चिन्हित 4/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं. HPY 597 चिन्हित 5/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.HPY 544 चिन्हित 6/2020, 9mm पिस्टल नं.T356804 चिन्हित 7/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW.405 चिन्हित 8/2020, 9mm पिस्टल नं.T347445 चिन्हित 9/2020, 9mm पिस्टल नं.18306826 चिन्हित 10/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.HPZ 823 चिन्हित 11/2020, 9mm पिस्टल नं.18306836 चिन्हित 12/2020, 9mm पिस्टल नं.18306833 चिन्हित 13/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW 407 चिन्हित 15/2020, .315 बोर रायफल नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 एवं देशी पिस्तौल चिन्हित 16/2020 प्रत्येक की नाल के फाउलिंग मैटर का सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया।
विवादित 9mm पिस्टल नं.16104935 चिन्हित 1/2020, 9mm पिस्टल नं.T347430 चिन्हित 2/2020, 9mm पिस्टल नं.18209875 चिन्हित 3/2020, 9mm पिस्टल नं.18306863 चिन्हित 4/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं. HPY 597 चिन्हित 5/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.HPY 544 चिन्हित 6/2020, 9mm पिस्टल नं.T356804 चिन्हित 7/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW 405 चिन्हित 8/2020, 9mm पिस्टल नं.T347445 चिन्हित 9/2020, 9mm पिस्टल नं.18306826 चिन्हित 10/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.HPZ 823 चिन्हित 11/2020, 9mm पिस्टल नं.18306836 चिन्हित 12/2020, 9mm पिस्टल नं.18306833 चिन्हित 13/2020 व 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW 407 चिन्हित 15/2020 प्रत्येक द्वारा 9mm के दो-दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाए गए, जिन्हें क्रमशः (TC-1,TC-2), (TC-3,TC-4), (TC-5,TC-6), (TC-7,TC-8), (TC-9,TC-10), (TC-11,TC-12), (TC-13,TC-14), (TC-15,TC-16), (TC-17,TC-18), (TC-19,TC-20), (TC-21,TC-22), (TC-23,TC-24), (TC-25,TC-26) व (TC-29,TC-30) से चिन्हित किया गया है।
विवादित .315 बोर रायफल नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 द्वारा .315 बोर के दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाए गए, जिन्हें TC-27,TC-28 से चिन्हित किया गया है।
विवादित देशी पिस्तौल चिन्हित 16/2020 द्वारा .315 बोर के दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाए गए, जिन्हें TC-31,TC-32 से चिन्हित किया गया है।
विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों/बुलेट का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी यंत्रो द्वारा किया गया।
विवादित .315 बोर कारतूसों EC-1 से EC-3 तक, EC-5 से EC-7 तक, EC-9 से EC-15 तक, EC-33, EC-35, EC-36, EC-38, EC-40 से EC-42 तक, EC-68 से EC-77 तक एवं EC-79 से EC-82 तक पर फायरिंग पिन के चिन्ह उपस्थित है। EC-4, EC-78 प्रत्येक पर फायरिंग पिन के दो-दो चिन्ह हैं, जो एक दूसरे से आंशिक ढके है। EC-39 पर फायरिंग पिन के कई चिन्ह उपस्थित हैं, जो एक दूसरे से आंशिक ढके है। EC-8 पर फायरिंग पिन के तीन चिन्ह एवं EC-34, EC-37 प्रत्येक पर फायरिंग पिन के दो-दो चिन्ह उपस्थित है। EC-2 से EC-7 तक, EC-9 से

सत्यप्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिक.
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई-टी- एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई-पी- सी-) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का भागी होगा)

[illegible] - विधि विज्ञान प्रयोगशाला--[illegible]-2018-(185)-10,000 प्रतियां- (कम्प्यूटर / टी / ऑफसेट)

(219)

2951

Part N 89274

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

EC-11 तक, EC-13 से EC-15 तक, EC-33 से EC-38 तक, EC-40 से EC-42 तक, EC-68 से EC-82 तक पर ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है। EC-1, EC-8, EC-12, EC-39 पर ब्रीच के चिन्ह उपलब्ध है।

विवादित .315 बोर कारतूस LC-2 पर फायरिंग पिन के दो चिन्ह उपस्थित है।

विवादित 7.65mm कारतूस EC-28 से EC-31 तक एवं EC-58 से EC-66 तक पर फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है। EC-32, EC-67 की परक्युशन कैप अनुपस्थित है, इन पर तुलनार्थ चिन्ह उपस्थित नहीं है।

विवादित 9mm कारतूस EC-16 से EC-27 तक एवं EC-43 से EC-57 तक पर फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है। EC-49 पर इजेक्टर के चिन्ह उपस्थित है। EC-43, EC-53 पर इजेक्टर के अल्प चिन्ह उपलब्ध है।

परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-1 से TC-26 तक एवं TC-29, TC-30 पर फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है। TC-1, TC-2 पर इजेक्टर के चिन्ह उपस्थित है। TC-3, TC-4 पर इजेक्टर के अल्प चिन्ह उपलब्ध है।

परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28, TC-31, TC-32 पर फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

विवादित बुलेट का टुकड़ा EB-1 विकृत है एवं इसका भार लगभग 3.16 ग्राम है। इस पर 02 Land/Grooves के चिन्ह उपस्थित है, जिनका घुमाव दांयी ओर है। यह जैकेटेड चली बुलेट का विकृत टुकड़ा है।

कारण

विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों पर उपस्थित चिन्हों का मिलान तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किया गया।

विवादित 9mm कारतूसों EC-19, EC-20, EC-26, EC-27 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-21, TC-22 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-18, EC-22, EC-25 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-19, TC-20 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-21, EC-23 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-23, TC-24 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-16, EC-17, EC-24, EC-48, EC-51, EC-56 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-29, TC-30 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-45, EC-55 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-11, TC-12 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-44, EC-52 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-15, TC-16 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-46, EC-57 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-9, TC-10 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-47, EC-50 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-25, TC-26 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-43, EC-53 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-3, TC-4 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूस EC-49 पर उपस्थित फायरिंग पिन, ब्रीच एवं इजेक्टर के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-1, TC-2 पर उपस्थित फायरिंग पिन, ब्रीच एवं इजेक्टर के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूस EC-54 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-7, TC-8 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित .315 बोर कारतूसों EC-33, EC-35, EC-36, EC-38, EC-40, EC-41, EC-42, EC-69, EC-70, EC-71, EC-74, EC-75, EC-76, EC-77, EC-79, EC-80 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित .315 बोर कारतूसों EC-34, EC-37 प्रत्येक पर उपस्थित फायरिंग पिन के एक-एक चिन्ह एवं इन पर उपस्थित ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है, जबकि EC-34, EC-37

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

252

Part N 89275

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

प्रत्येक पर उपस्थित फायरिंग पिन के दूसरे चिन्ह में तुलनार्थ व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।
विवादित .315 बोर कारतूसों EC-81, EC-82 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-31, TC-32 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।
विवादित .315 बोर कारतूस LC-2 पर उपस्थित फायरिंग के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28 पर उपस्थित फायरिंग पिन के चिन्हों के समान है।
विवादित .315 बोर कारतूसों EC-2, EC-3, EC-5, EC-6, EC-15, EC-68, EC-72, EC-73 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28, TC-31, TC-32 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों से भिन्न है।
विवादित .315 बोर कारतूसों EC-4, EC-39, EC-78 पर उपस्थित फायरिंग पिन के चिन्हों में(एक दूसरे से आंशिक ढके होने के कारण) व इन पर उपलब्ध ब्रीच के चिन्हों में, परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28, TC-31, TC-32 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों से तुलनार्थ व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।
विवादित .315 बोर कारतूसों EC-1, EC-7, EC-8, EC-9, EC-10, EC-11, EC-12, EC-13, EC-14 पर उपलब्ध फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों में, परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-27, TC-28 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों से तुलनार्थ व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है, जबकि .315 बोर कारतूसों EC-1, EC-7, EC-8, EC-9, EC-10, EC-11, EC-12, EC-13, EC-14 पर उपस्थित फायरिंग पिन/ब्रीच के चिन्ह, परीक्षार्थ .315 बोर कारतूसों TC-31, TC-32 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों से भिन्न है।

परिणाम

(1) विवादित 9mm पिस्टल नं.16104935 चिन्हित 1/2020, 9mm पिस्टल नं.T347430 चिन्हित 2/2020, 9mm पिस्टल नं.18209875 चिन्हित 3/2020, 9mm पिस्टल नं.18306863 चिन्हित 4/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं. HPY 597 चिन्हित 5/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.HPY 544 चिन्हित 6/2020, 9mm पिस्टल नं.T356804 चिन्हित 7/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW 405 चिन्हित 8/2020, 9mm पिस्टल नं.T347445 चिन्हित 9/2020, 9mm पिस्टल नं.18306826 चिन्हित 10/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.HPZ 823 चिन्हित 11/2020, 9mm पिस्टल नं.18306836 चिन्हित 12/2020, 9mm पिस्टल नं.18306833 चिन्हित 13/2020 एवं 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACW 407 चिन्हित 15/2020 प्रत्येक की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट तथा कॉपर की उपस्थिति पायी गयी।
(2) विवादित .315 बोर रायफल नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 एवं देशी पिस्तौल चिन्हित 16/2020 प्रत्येक की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, लेड तथा कॉपर की उपस्थिति पायी गयी।
(3) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-19, EC-20, EC-26, EC-27 ग्लाक पिस्टल नं.HPZ 823 चिन्हित 11/2020 द्वारा चलाए गए हैं।
(4) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-18, EC-22, EC-25 पिस्टल नं.18306826 चिन्हित 10/2020 द्वारा चलाए गए है।
(5) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-21, EC-23 पिस्टल नं.18306836 चिन्हित 12/2020 द्वारा चलाए गए है।
(6) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-16, EC-17, EC-24, EC-48, EC-51, EC-56 ग्लाक पिस्टल नं.AACW 407 चिन्हित 15/2020 द्वारा चलाए गए है।
(7) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-45, EC-55 ग्लाक पिस्टल नं.HPY 544 चिन्हित 6/2020 द्वारा चलाए गए है।
(8) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-44, EC-52 ग्लाक पिस्टल नं.AACW 405 चिन्हित 8/2020 द्वारा चलाए गए है।
(9) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-46, EC-57 ग्लाक पिस्टल नं. HPY 597 चिन्हित 5/2020 द्वारा चलाए गए है।
(10) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-47, EC-50 पिस्टल नं.18306833 चिन्हित 13/2020 द्वारा चलाए गए है।
(11) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-43, EC-53 पिस्टल नं.T347430 चिन्हित 2/2020 द्वारा चलाए गए है।
(12) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-49, पिस्टल नं.16104935 चिन्हित 1/2020 द्वारा चलाया गया है।
(13) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-54, पिस्टल नं.18306863 चिन्हित 4/2020 द्वारा चलाया गया है।
(14) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित EC-33, EC-34, EC-35, EC-36, EC-37, EC-38, EC-40, EC-41, EC-42, EC-69, EC-70, EC-71, EC-74, EC-75, EC-76, EC-77, EC-79, EC-80 रायफल नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 द्वारा चलाए गए है।
(15) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित EC-81, EC-82 देशी पिस्तौल चिन्हित 16/2020 द्वारा चलाए गए है।

Copy प्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

23-09-2020

257

Part N 89276

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory Uttar Pradesh, Lucknow

(16) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित LC-2 पर अंकित फायरिंग पिन के निशान तमंचा नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 द्वारा अंकित हुए हैं।

(17) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित EC-2, EC-3, EC-5, EC-6, EC-15, EC-68, EC-72, EC-73
तमंचा नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 एवं देशी पिस्तौल चिन्हित 16/2020 द्वारा नहीं चले हैं।

(18) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित EC-4, EC-39, EC-78 पर, तमंचा नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 एवं देशी पिस्तौल
चिन्हित 16/2020 से तुलना करने हेतु पर्याप्त व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं पायी गयी।

(19) विवादित .315 बोर कारतूस चिन्हित EC-1, EC-7, EC-8, EC-9, EC-10, EC-11, EC-12, EC-13, EC-14 पर, तमंचा
नं.AB 97 6229 चिन्हित 14/2020 से तुलना करने हेतु पर्याप्त व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं पायी गयी, जबकि .315 बोर कारतूस चिन्हित EC-1, EC-
7, EC-8, EC-9, EC-10, EC-11, EC-12, EC-13, EC-14 देशी पिस्तौल चिन्हित 16/2020 द्वारा नहीं चले हैं।

(20) विवादित कारतूस चिन्हित EC-28, EC-29, EC-30, EC-31, EC-32, EC-58, EC-59, EC-60, EC-61, EC-62,
EC-63, EC-64, EC-65, EC-66, EC-67 7.65mm के चले कारतूस हैं।

(21) विवादित बुलेट का टुकड़ा चिन्हित EB-1 जैकेटेड धातु बुलेट का टुकड़ा है, किन्तु इसके बोर के सम्बन्ध में मत देना सम्भव नहीं है।

नोट- उपरोक्त परिणाम प्रयोगों के सूक्ष्म तुलनात्मक परीक्षण [illegible] वैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है कृपया प्रकरण [illegible]

(आनन्द कुमार)
वैज्ञानिक अधिकारी

(डा. ए के श्रीवास्तव)
DR. ANAND KUMAR SRIVASTAVA
Incharge Firearms
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

अग्रसारित
उप निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

[illegible]

संलग्नक (1) घटनास्थल निरीक्षण से सम्बन्धित [illegible]
(2) नक्शा नजरी की छायाप्रति

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

कार्यालयः अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0अ0), कानपुर नगर

पत्रांक 536 /आशुलिपिक/ए0डी0एम0(भू0अ0)/2020 दिनांक 07/12/2020

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–3883/ए0जे0ए0–प्रथम/मजि0जांच/2020 दिनांकित 04.07.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके साथ संलग्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर के पत्र संख्या एस0टी0–11/2020/एसएसपी दिनांक 03.07.2020 के अनुसार थाना चौबेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2020 धारा– 307/412 भा0द0वि0, मु0अ0सं0 194/2020 अन्तर्गत धारा–25/27 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 195/2020 अन्तर्गत धारा–25/27 आयुध अधिनियम, जो दिनांक 03.07.2020 को थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर में अतुल कुमार दुबे पुत्र सूर्य कुमार दुबे व प्रेम प्रकाश पाण्डेय पुत्र छोटे लाल निवासीगण ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर, कानपुर नगर की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के सम्बन्ध में है पर मजिस्ट्रेट जांच पूर्ण करके उपलब्ध कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये है।

<u>उपरोक्त घटना का विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार निम्नवत् है–</u>

फर्द वाक्यात मुठभेड बरामद लूटी गयी पिस्टल सरकारी 9एमएम ग्लाक एवं एक अदद रायफल फैक्ट्री मेड नाजायज एवं खोखा कारतूस दि0–02/03–07–2020 को थाना चौबेपुर ग्राम विकरु मे पुलिस बल के सदस्यो द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व मे वांछित अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राजकुमार निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर जो कि हिस्ट्रीशीटर एवं गिरोहबंद अपराधी है, एवं जिसके विरुद्ध लगभग 60 अभियोग पंजीकृत है, के घर पर दबिश देने हेतु पुलिस बल गया था। उसी कार्यवाही के दौरान पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत विकास दुबे एवं उसके साथियो द्वारा छतों से मोर्चा लेकर पुलिस दल पर घाव लगाकर ताबड़तोड़ घातक फायरिंग की गयी जिसके फलस्वरुप क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र व पुलिस के 3 SI व 4 आरक्षी शहीद हो गये। अभियुक्तगण परिस्थितियों का लाभ उठाकर पुलिस की एक एके–47 रायफल, एक इन्सास रायफल, एक ग्लक पिस्टल 9 एमएम एवं दो पिस्टल 9 mm लूट कर ले गये। 06 पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका उपचार अभी चल रहा है। उपरोक्त घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आई0जी0 कानपुर रेंज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, द्वारा तत्काल नाकाबंदी, चैकिंग एरिया कार्डन करने के साथ सघन कांबिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्य हेतु जनपद के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये एवं अतिरिक्त पुलिसबल को विचारोपरांत रवाना किया गया एवं क्राइम ब्रांच मे स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम को भी तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया था । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आई0जी0 रेंज, श्री मोहित अग्रवाल, एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 एवं एस0पी0 पश्चिम श्री अनिल कुमार भी घटनास्थल हेतु तत्काल रवाना हुए थे । घटनास्थल पर पहुँचकर उप्ररोक्त अधिकारियों द्वारा स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा किया गया एवं भौगोलिक परिदृश्य

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

07/12/2020
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)
कानपुर नगर

223

कुमार सहित हमराह पुलिस बल के साथ चैकिंग कराता हुआ ग्राम कांशीराम निवादा की ओर बढ़ा, तथा द्वितीय दल आई.जी. रेन्ज मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में उसी दिशा में चैकिंग अन्य मार्ग से चैकिंग से करा रहा था।

ग्राम काशीराम निवादा के पास स्थित मन्दिर के पास वृक्षों के बीच प्रथम पुलिस दल की सशस्त्र बदमाशों से मुठभेड़ हुयी फायरिंग के दौरान द्वितीय पुलिस दल भी घटनास्थल पर पहुंच गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की एक गोली दिनेश कुमार पी. के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगने के वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुये है एंव दो पुलिसकर्मी उ0नि0 मो0 आरिफ व का0 दुर्गेश मणि त्रिपाठी के जख्मी होने के चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य व चिकित्सकीय विशेषज्ञ अभिमत भी प्राप्त हुआ है।

मुठभेड़ के दौरान 315 बोर रायफल से फायर कर रहा एक बदमाश पुलिस की आत्मरक्षार्थ गोलियों से जख्मी हुआ एवं दूसरा बदमाश जो 09 एम.एम. ग्लाक पिस्टल से फायर कर रहा था, घायल हुआ, जिनको तत्काल कपड़े का पैड बनाकर जख्मों पर दबाकर जीवन रक्षा हेतु रक्त स्त्राव रोकने का प्रयास किया गया व सरकारी वाहनों से सी0एच0सी0 चौबेपुर उपचार हेतु रवाना किया जा रहा था, इसी दौरान घायल बदमाशों में जिसके पास से 315 बोर रायफल बरामद हुयी थी उसकी शिनाख्त अतुल दुबे पुत्र सूर्य कुमार दुबे के रूप मे हुयी एवं जिस बदमाश के पास से 9 एम.एम. ग्लाक पिस्टल बरामद हुयी थी, उसकी शिनाख्त प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय पुत्र छोटे लाल के रूप में हुयी थी। मुठभेड़ की सूचना व मुठभेड़ में घायल बदमाशों को उपचार हेतु भेजे जाने की सूचना कन्ट्रोल रूम के माध्यम से दी गयी थी।

घटनास्थल पर मौजूद भौतिक साक्ष्यों का संकलन फोरेंसिक फील्ड यूनिट, छावनी कानपुर नगर के प्रभारी डा0 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। घटनास्थल से बरामद हथियार, खोखा कारतूस, घटनास्थल आदि बरामद अन्य सामग्री की फोटोग्राफी भी की गयी।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला से हथियारो व खोखा कारतूसों के परीक्षण से निष्कर्ष/परिणाम प्राप्त हुआ कि मृतक अतुल कुमार दुबे के पास से बरामद 315 बोर रायफल मुठभेड़ के दौरान उपयोग में लाई गयी है एवं यही रायफल दिनांक 02/03.07.2020 की रात्रि में ग्राम विकरू में पुलिसकर्मियों की हत्या मे भी प्रयोग की गयी है। इसके अतिरिक्त मृतक प्रेम कुमार के पास से बरामद 9 एम.एम. ग्लाक पिस्टल भी मुठभेड के दौरान उपयोग में लायी गयी है, जो ग्राम बिकरू में पुलिसकर्मियों की हत्याकाण्ड में लूटी गयी थी।

जांच में यह भी साक्ष्य प्राप्त हुये कि मुठभेड़ में बरामद रायफल 315 बोर विकास पुत्र राम कुमार के नाम थाने के अभिलेखों में अंकित है जोकि बिकरू हत्याकाण्ड का मुख्य अभियुक्त था। इसके अतिरिक्त मुठभेड़ में बरामद 9 एम.एम. पिस्टल के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त हुआ कि यह सरकारी सम्पत्ति थी जो थाना बिठूर से थानाध्यक्ष कौशलेन्द्र सिंह के नाम आवंटित थी।

मृतक अतुल दुबे जोकि दुर्दान्त गिरोहबंद अपराधी बिकास दुबे का साथी था एवं ग्राम बिकरू में 08 पुलिसकर्मियों की हत्या के अभियोग में नामित सहअभियुक्त भी था। अतुल की हिस्ट्रीशीट खुली थी एंव 11 अभियोगों का अपराधिक इतिहास था। जिसमें 5 अभियोगो में विकास दुबे का सहअभियुक्त था। इसके अतिरिक्त मृतक प्रेम प्रकाश पाण्डेय मुठभेड़ से पूर्व पुलिसकर्मियों की सामूहिक नरसंहार के अतिरिक्त एक अन्य डकैती के अभियोग में भी आरोपित रहा था।

निष्कर्ष– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक, अभिलेखीय, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं विशेषज्ञ अभिमतों से यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि दिनांक 02/3.07.2020 की रात्रि में ग्राम बिकरू में 8 पुलिसकर्मियो का नरसंहार हुआ था जिसके उपरान्त पुलिसदल द्वारा चैकिंग की जा रही थी। पुलिस दल जब कांशीराम निवादा के पास स्थित मन्दिर के पास पहुंचा तो सशस्त्र बदमाश अतुल दुबे व प्रेम प्रकाश व उसके साथियों से पुलिस की मुठभेड़ हुयी जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुये, और पुलिसकर्मियों द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किये गये जिसके फलस्वरूप मौके पर फायरिंग कर रहे बदमाशों में से दो बदमाश अतुल दुबे व प्रेम प्रकाश पाण्डेय घायल हो गये जिनकी जीवन रक्षा हेतु पुलिस दल द्वारा

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

07/11/2020
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)
कानपुर नगर

224

89

रक्त स्त्राव रोकने का प्रयास करते हुये उपचार हेतु सरकारी वाहन से तत्काल जीवित अवस्था में सी0एच0सी0 चौबेपुर रवाना किया गया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी।

अभिलेखों एवं कथनों के सम्यक अनुशीलन एंव परिशीलन से स्वतः स्पष्ट है कि पुलिस एंव अपराधियों के मध्य हुयी मुठभेड़ वास्तविक एवं दिन के उजाले मे नजदीकी एंव आमने-सामने की जोखिम भरी थी। इस मुठभेड़ के सम्बन्ध में जांच के दौरान किसी भी साक्षी द्वारा मुठभेड़ के सम्बन्ध में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया।

मुठभेड़ में पुलिस दल द्वारा की गयी फायरिंग आत्मरक्षार्थ होना पाया जा रहा है, पुलिस दल के द्वारा की गयी कार्यवाही में कोई अनियमितता अथवा कदाशयता नहीं पायी जा रही है, न ही किसी पुलिसकर्मी का कोई दोष परिलक्षित हुआ है। समस्त संलग्नकों सहित जांच आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार।</u>

07/12/2020
(प्रमोद शंकर शुक्ला)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0अ0)
कानपुर नगर।

अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)
कानपुर नगर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(2) 225

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-01/13

दिनांक 05/10/2020

साक्षी का नाम–श्री मोहित अग्रवाल, पदनाम–पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, जिला–कानपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 19.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि दिनांक 02/03.07.2020 को घटित बिकरू काण्ड की जानकारी मुझे अर्धरात्रि 01:45–02:00 बजे मेरे आवास पर प्राप्त हुई थी, उस समय मात्र ग्राम बिकरू में गोलीबारी चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। लगभग 02:15 बजे (अर्धरात्रि) 02 पुलिस कर्मियों के शहीद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस समय तक त्वरित कार्यवाही करने हेतु मैंने आवश्यक दिशानिर्देश हमराहीगण को दे दिये थे और बिकरू घटना स्थल पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं अपनी पुलिस टीम के उसी समय मय सरकारी असलहों एवं सरकारी वाहनों से तेजी से रवाना हो गया। मैं कानपुर परिक्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक हूँ, जिसके क्षेत्राधिकार के अंर्तगत 06 जनपद सम्मिलित हैं जिनके नाम कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज एवं फतेहगढ़ हैं। रवाना होने के पूर्व मेरे द्वारा सघन चेकिंग के बावत आवश्यक दिशानिर्देश एसएसपी कानपुर नगर को दिये गए थे तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से परिक्षेत्र के समस्त जनपदों के साथ बगल के जनपद उन्नाव के पुलिस अधिकारियों को भी बैरियर लगाकर चेकिंग के निर्देश दिये गए थे। करीब 02:15 बजे अर्धरात्रि अपने आवास से रवाना होकर घटना स्थल पर मैं अपनी पुलिस टीम के साथ करीब 03:00–03:15 बजे अर्धरात्रि पहुँच गया था। घटना स्थल पर एसएसपी कानपुर नगर पहले से मौजूद थे। घटना स्थल के आस–पास आबादी वाला इलाका है। जब मैं पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचा उस समय वहाँ पर जनता के लोग मौजूद नहीं थे और उस समय तक मृतक तथा चोटिल पुलिस कर्मी अस्पताल जा चुके थे। मेरे घटना स्थल पर पहुँचने के समय गोलीबारी की घटना में मृतक व चोटिल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त मौजूद रहे पुलिस कर्मियों में से कुछ पुलिस कर्मी वहां मौजूद थे। जिनके द्वारा घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। परिस्थितियों को देखते हुए

5/10/2020

मौके पर उपस्थित पुलिस बल को अलग–अलग दायित्व देने के अतिरिक्त 02 टीमें का गठन मेरे द्वारा मौके पर ही किया गया। एक टीम का नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था, दूसरी टीम का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर कर रहे थे। मेरे निर्देश पर एसएसपी कानपुर नगर मय टीम पैदल चलते हुए, भागे हुए बदमाशों की चेकिंग व कॉम्बिंग ग्राम बिकरू से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए की गई। मेरे नेतृत्व वाली टीम अपनी अपनी गाड़ियों से ग्राम बिकरू से सड़क मार्ग से ग्राम काशीराम निवादा मोड़ पर पहुँची, जहां सरकारी वाहनों को खड़ा करके ग्राम के अन्दर से होते हुए चेकिंग, सर्चिंग व कॉम्बिंग की गई। ग्राम बिकरू से ग्राम काशीराम निवादा की सड़क मार्ग से दूरी करीब 1.5 किमी है। समय लगभग 07:30 बजे प्रातः जब पूर्व दिशा में बाग व मंदिर से फायर की आवाज सुनाई दी, उस समय सूर्य का प्रकाश पूरा फैल चुका था। वहां पर उस समय जनता के लोग मौजूद नहीं थे। चूकि हम पुलिस वालों का प्रथम प्रयास यह था कि बदमाशों को जिंदा पकड़ा जाये इस कारण से बार बार हम लोगों के द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी जा रही थी, लेकिस उक्त चेतावनी का बदमाशों पर कोई असर नहीं पड़ा और वे फायरिंग करते जा रहे थे। पुलिस बल द्वारा फायरिंग भी बदमाशों को न्यूनतम क्षति पहुँचाने के उददेश्य से की गई। जो तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूणतः साबित होता हैं। 07 मे से 06 चोटें अतुल कुमार दुबे के नॉनवाइटल पार्ट पर आई हैं केवल एक चोट उसके सीने के वाई ओर लगी है। प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार उर्फ राजाराम को केवल दो चोटें आई हैं जिसमें एक चोट सीने पर वाईं तरफ है और दूसरी पेट के नीचे। इससे भी स्पष्ट है कि हमारा इरादा बदमाशों को जान से मारने का नहीं था और उनके द्वारा की जा रही लगातार फायरिंग ने हमें लाचार कर दिया, अन्य कोई रास्ता नहीं होने पर हमारे द्वारा उतना ही बल प्रयोग किया गया जितने से उनको जिंदा पकड़ा जा सके, जिसके कारण 03 अपराधी भागने में सफल रहे। बदमाशों को कम से कम क्षति पहुँचाने के उददेश्य से पुलिस टीम द्वारा एके–47, कार्बाइन, इंसास राइफल का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया, क्योंकि इससे अत्यधिक क्षति होने की उम्मीद थी। घायल बदमाशों की जान बचाने हेतु हमारे द्वारा त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा तुरन्त ही दोनों बदमाशों की चोट पर कपड़े का पैड बनाकर दबाकर रखने का निर्देश दिया गया, जिससे प्राथमिक चिकित्सा मिलने तक ज्यादा खून न बहे और जान बच सके और उनको तुरन्त अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। शपथपत्र के साथ संलग्न मृतक बदमाश अतुल कुमार दुबे का 11 मुकदमों का अपराधिक इतिहास संलग्न किया गया है जिसमें से कुछ मुकदमें सन् 1992,

05/10/2020

1996, 1998, 1999, 2001 आदि के अंकित हैं, लेकिन जिनकी वर्तमान स्थिति चार्ट से स्पष्ट नहीं होती। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं कानपुर नगर के किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से माननीय जांच आयोग को 07 दिन के अन्दर मय सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कराऊँगा। इस घटना में अतुल दुबे से जो गन बरामद हुई थी उसका इस्तेमाल रात्रि में घटित बिकरू काण्ड एवं काशीराम निवादा मुठभेड़ प्रकरण दोनों घटनाओं में किया जाना संभावित है, जिसके बारे में इस केस के विवेचक निरीक्षक रणबहादुर सिंह वर्तमान तैनाती थाना--काकादेव, कानपुर नगर अच्छी तरह से बता सकते हैं। यही मेरा बयान है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

05/10/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

प्रति प्राप्त की

05/10/2020

(228)

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.</u>

I.W.-02/47

घटना कमांक – 02

दिनांक 05/10/2020

साक्षी का नाम– डॉ प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, आयु–50 वर्ष, पुत्र श्री डॉ0 कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, पदनाम–वैज्ञानिक अधिकारी प्रभारी फील्ड यूनिट छावनी, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र **दिनांक 18.09.2020** को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मेरे विभाग का नाम विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ है। मैं कानपुर परिक्षेत्र में तैनात हूँ । मैंने एम0एस0सी, डाक्टरेट इन फारेंसिक साइंस करने के उपरांत सन् 1998 में बतौर वैज्ञानिक सहायक अपना योगदान दिया था। वर्तमान में वैज्ञानिक अधिकारी प्रभारी फील्ड यूनिट कानपुर नगर में तैनात हूँ। संपूर्ण कानपुर परिक्षेत्र मेरे क्षेत्राधिकार में आता है। परिशिष्ट–क 'घटना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट' मेरे हस्ताक्षर से तैयार हुई है। थानाध्यक्ष थाना– चौबेपुर श्री विनय कुमार तिवारी के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्रवाई करके मेरे द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। मौके पर जो डिजिटल फोटो मेरे द्वारा लिये गये थे उसे विवेचक को दे दिये गये थे। मेरा कर्तव्य केवल घटना स्थल से साक्ष्य को सुरक्षित तरीके से एकत्र करके प्रकरण के विवेचक को सुपुर्द करना होता है। एकत्रित किये गये साक्ष्य का फॉरेंसिक परीक्षण या अन्य कोई परीक्षण मेरे द्वारा नहीं किया गया ।

परिशिष्ट–क से संबंधित कोई साक्ष्य विवेचक (एस0एच0ओ0 नवाबगंज श्री रमाकान्त पचौरी) ने परीक्षण हेतु मुझे कभी नहीं भेजा। फील्ड यूनिट कानपुर के कार्यालय में जी0एस0आर0 (गन सॉट रेजिड्यू) एवं ब्लड स्टेंन टेस्टिंग, एक्सपोलिस्वीव टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। बैलिस्टिक परीक्षण की सुविधा कानपुर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जो कि लखनऊ मुख्यालय में उपलब्ध है। खूनालू मिट्टी एकत्र करने के स्थान पर बेहतर वैज्ञानिक पद्वति से रक्त काटन स्वैब के माध्यम से सैंपल एकत्र किये गये।

परिशिष्ट–ख एवं संलग्न फर्द चालान मेरे हस्ताक्षर में मेरे द्वारा तैयार की गई घटना स्थल से एकत्रत किये गये समस्त साक्ष्य मेरे द्वारा विवेचक

05/10/2020

निरीक्षक श्री रण बहादुर सिंह (अपराध शाखा) को नियमानुसार मौके पर सुपुर्द कर दिया गया। फर्द चालान की प्रतिलिपि मय साक्ष्य मौके पर ही विवेचक को सुपुर्द कर दी जाती है। घटना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित मेरे द्वारा तैयार करके एक व दो दिन बाद विवेचक को दे दी जाती है। मेरे द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्य परिशिष्ट–ख कालांतर में विवेचक के द्वारा फॉरेंसिक परीक्षण हेतु मुझे सुपुर्द किया गया। घटना के समय तत्कालीन एस0एस0पी0 कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 द्वारा घटना के समय पहनी हुई बुलेट पूफ जैकेट का फॉरेंसिक परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसमें आग्न्यास्त्र के आने का मामला स्पष्ट दिखता है, जिसका मैने माइको केमिकल परीक्षण किया जिसमें फायरिंग अवशेष लेड की उपस्थिति पायी गई थी। जिसकी रिपोर्ट मैंने दिनांक 20/07/2020 को तैयार की थी। मृतक अभियुक्तगण प्रेम कुमार पाण्डेय व अतुल दुबे के हाथो का काटन स्वैब का जी0एस0आर0 परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। मृतक अभियुक्त प्रेम कुमार पाण्डेय के प्रकरण में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट के अवशेष पाये गये। प्रेम कुमार पाण्डेय के द्वारा पिस्टल से फायरिंग किया गया जाना बताया गया है। मृतक अभियुक्त अतुल दुबे के प्रकरण में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुई थी। स्वयं व्याख्या करते हुए गवाह ने बताया कि अतुल दुबे के द्वारा घटना में रायफल का प्रयोग क्रिया जाना बताया गया, चूँकि रायफल के बैरल की लंबाई अधिक होती है इस कारण से फायर करते समय गन पाउडर फायर करने वाले व्यक्ति के हाथ तक नहीं आ पाता। जिस वजह से फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हो पाती। इसी कम में मेरे द्वारा मुठभेड़ में बरामद असलहों क (फैक्ट्रीमेड 315 बोर रायफल नं0 एबी976229) व ख (9एमएम ग्लोक पिस्टल नं0एएसीडब्ल्यू407) का परीक्षण किया गया, लेकिन कोई अंगुल चिह्न खुरदरी सतह होने के कारण प्राप्त नहीं हो सका जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा 22/07/2020 को तैयार किया गया।

परिशिष्ट–ग मुकदमा अपराध संख्या 1997/2020 थाना–चौबेपुर कानपुर नगर, घटना स्थल विकास दुबे का मकान ग्राम बिकरू का निरीक्षण करके साक्ष्य मेरे द्वारा एकत्रित करके विवेचक एसं0आई0 श्री दीवेन्द्र सिंह थाना चौबेपुर के सुपुर्द किया गया। इन साक्ष्यों से संबंधित मेरे द्वारा कोई फॉरंसिक परीक्षण नहीं किया गया।

परिशिष्ट–घ में संलग्न दो फर्द चालान के माध्यम से घटना स्थल नेशनल कॉलेज से एन0एच0 34 जाने वाले मार्ग जल संस्थान भवन शाखा हमीरपुर से 8 अदद साक्ष्य एकत्र करके एवं पोस्ट मार्टम हाउस जनपद हमीरपुर से 3 अदद साक्ष्य एकत्रत करके विवेचक उप निरीक्षक श्री कुशल

230

प्र०उ०2/49

पाल सिंह थाना मौदहा हमीरपुर को सुपुर्द किया। कुल एकत्रित 11 साक्ष्यों का फॉरेंसिक परीक्षण मेरे द्वारा नहीं किया गया।

परिशिष्ट–ड. मुकदमा अपराध संख्या 297/2020 थाना–पनकी कानपुर नगर से संबंधित घटना स्थल ओद्योगिक क्षेत्र, पानी के टंकी के पास से 8 अदद साक्ष्य एकत्रित किया, उसके उपरांत भौती बाईपास एवं पोस्टमार्टम हाउस से कमशः तीन–तीन अदद साक्ष्य एकत्रत करके विवेचक एस0आई0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना–पनकी को सुपुर्द किया। आरक्षी एस0टी0एफ0 विकास तथा एस0आई0एस0टी0एफ0 अक्षय परवीर त्यागी के द्वारा घटना के समय पहनी हुई बुलैट प्रूफ़ जैकेटों में परीक्षणोंपरांत फायरिंग के अवशेष कॉपर पाया गया। मृतक अभियुक्त प्रभात मिश्रा के दाहिने हाथ में परीक्षणोपरांत फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट की उपस्थिति पायी गई। परीक्षण रिपोर्ट्स नियमानुसार तैयार करके विवेचक को दी गई।

परिशिष्ट–च मु0अ0 संख्या 221/2020 एवं 222/2020 थाना– सचेंडी कानपुर नगर के संबंध में 10 जुलाई 2020 को 08:45 ए0एम0 पर कन्हैया लाल अस्पताल के सामने थाने की साइड से चार अदद साक्ष्य (1.अभियुक्त विकास दुबे जहॉ पड़ा मिला वहॉ से रक्त कॉटन स्वैब, 2. महैन्द्रा टी0यू0वी0 यू0पी0–70 ए0जी0–3497 की ड्राईविंग सीट के पीछे की सीट से लिया गया रक्त कॉटन स्वैब, 3. महैन्द्रा टी0यू0वी0 के पीछे बाई सीट से लिया गया रक्त कॉटन स्वैब व 4. सादा कॉटन कन्ट्रोल सैम्पल) एकत्र किये तथा उसी दिन 14.30 पी0एम0 पर पी0एम0 हाउस कानपुर से 3 अदद साक्ष्य (मृतक अभियुक्त विकास दुबे के दाहिने व बाये हाथ का जी0एस0आर0 हेतु स्वैब एवं सादा कॉटन कंट्रोल सैम्पल) एकत्र करके विवेचक एस0एच0ओ0 थाना गोविन्द नगर श्री अनुराग मिश्रा को सुपुर्द किया। मृतक अभियुक्त विकास दुबे से प्राप्त सैंपल्स का परीक्षण किये जाने पर फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट की उपस्थिति पायी गई। व्याख्या करते हुए गवाह ने स्वयं बताया कि गन पाउडर में नाइट्रेट केमिकल की उपस्थिति होती है। फायरिंग के उपरांत नाइट्रेट केमिकल नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। यदि परीक्षोणपरांत फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट की उपस्थिति पायी जाती है तो इसका वैज्ञानिक अभिमत यह होगा कि फायरिंग कथित व्यक्ति के द्वारा की गई है। यदि किसी प्रकरण में मृतक व्यक्ति के ऊपर असलहा प्लांट किया जाये तो इसी वैज्ञानिक विधि से परीक्षण करने पर नाइट्रेट की उपस्थिति पायी जायेगी न कि नाइट्राइट की। सी0ओ0 एस0टी0एफ0 श्री तेज बहादुर सिंह द्वारा घटना के समय पहनी हुई बुलैट प्रूफ़ जैकेट में परीक्षणोंपरांत फायरिंग के अवशेष कॉपर पाया गया। गवाह ने स्वयं व्याख्या करते हुए कहा कि परीक्षणोपरांत यदि लेड अथवा कॉपर की उपस्थिति पायी जाती है तो यह

05/10/2020

डिस्टेंट फायरिंग (दूर से फायर किया जाना) का सूचक है। निकट से फायर किये जाने की स्थिति में नाइट्राइट की उपस्थिति पायी जायेगी। परिशिष्ट –च से ही संबंधित जो साक्ष्य संकलन कन्हैया लाल अस्पताल के सामने, थाने की साइड से महैन्द्रा टी0यू0वी0 गाड़ी से मैने किया था उसके संबंध में बेंजिडाइन टेस्ट तथा ओबीटीआई टेस्ट किये गये थे जिसमें ओबीटीआई टेस्ट में मानव रक्त पाया गया । इससे संबंधित रिपोर्ट मेरे द्वारा शपथ पत्र दिनांक 18/09/2020 को सत्यापित करने के उपरांत तैयार की गई थी जिस कारण से यह तथ्य शपथ पत्र का हिस्सा नहीं हो पाया। यही मेरा बयान है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

05/10/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) शिवराम पाल
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

05/10/2020

232

I.W.-03/8

घटना कमांक – 02

दिनांक 05/10/2020

साक्षी का नाम– श्री अजय सेठ, आयु–50 वर्ष, पुत्र श्री फूलचन्द, पदनाम–प्रभारी निरीक्षक, थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 16.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि वह बिकरू काण्ड का चश्मदीद गवाह नहीं है। सूचना मिलने पर मैं अपने बल के साथ 02:15 बजे के लगभग बिकरू गॉव के बाहर पहुँचा, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, उनसे घटना के संबंध में जानकारी ले रहा था तथा बिकरू गॉव में जाने की योजना बना रहा था। इसी दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार पी. अन्य पुलिस बल के साथ आ गये। उनके साथ सतर्कता बरतते हुए बिकरू गॉव में प्रवेश किया। गॉव के भीतर पहुॅचने पर देखा कि रास्ते में जे0सी0बी0 से रास्ता रोका हुआ है और उपर छतों से फायरिंग की जाने की पुष्टि हो रही थी। बदमाशो द्वारा पुलिस पर की गयी फायरिंग से कुछ पुलिस कर्मी घायल हुए थे, जो अस्पताल रवाना हो चुके थे तथा 8 पुलिस वालों के शव तीन स्थानों पर पड़े हुए मिले थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में घटना कारित करने वाले शातिर अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथी बदमाशों की तलाश आस–पास सम्भावित स्थानों पर की गयी थी। मेरे पहुँचने के पश्चात ग्राम बिकरू में आईजी रेंज कानपुर महोदय भी वहां आ गये, जिनके द्वारा वहाँ पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर से सम्पूर्ण घटना क्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्तालाप हुई जिससे आईजी रेंज महोदय भी घटना क्रम से अवगत हुए। आईजी रेंज द्वारा पुलिस अधिकारियों को कॉम्बिंग हेतु विभिन्न टीमों में बांटा गया। घटना की सूचना के पश्चात् पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सारी सीमाएं चारों तरफ से शील कर दी गई तथा सघन चेकिंग आरम्भ करा दी गयी थी। ऐसी संभावना थी कि घटना कारित

करने के उपरांत शातिर अपराधी विकास दुबे एवं उसके साथी उस समय ज्यादा दूर नहीं निकल पाये होंगे। गॉव के आस–पास वे कहीं न कहीं अपने गैंग के साथियों के साथ छिपे होंगे। आईजी रैंज महोदय ने उपस्थिति पुलिस बल को दो टीमों में विभाजित किया। एक टीम का नेतृत्व आईजी रैंज कर रहे थे और दूसरी टीम का नेतृत्व एसएसपी दिनेश कुमार पी0 कर रहे थे। भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए आपसी विचार–विमर्श के उपरांत आईजी रैंज सर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को अपनी पुलिस टीम के साथ ग्राम बिकरू से पश्चिम दिशा की तरफ पैदल जाकर कॉम्बिंग व तालाशी करते हुए भागे हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया था। आईजी रैंज सर के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ग्राम बिकरू से अपनी–अपनी गाड़ियों से सड़क मार्ग होते हुए ग्राम काशीराम नेवादा मोड़ पर पहुॅचकर अपने–अपने वाहन खड़े करके पैदल ग्राम कांशीराम नेवादा के अन्दर से होते हुए घटना कारित कर भागे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे गये सरकारी असलहों की बरामदगी हेतु आसपास के मकानों, एकान्त में लगे टयूबबेल, बाग बगीचों, झुर्मुटों, झाड़ियों में व खेतों से होते हुए कच्चे रास्ते पर लगे टयूबवेल के पास पहुॅचे ही थे कि समय लगभग 07:30 बजे हम पुलिस वालों को पूरब दिशा में स्थित बाग व मंदिर की ओर से फायर जैसी तेज आवाज सुनाई दीं, इससे यह अन्दाजा हुआ कि वहां बदमाश हो सकते हैं। आईजी रैंज महोदय 02/03.07.2020 की रात में घटित गंभीर घटना को देखते हुए बदमाशों की ओर एक समय पर पहुॅचने के लिए अपने नेतृत्व वाली पुलिस टीम को निर्देशित किया गया। उसी समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर महोदय के नेतृत्व वाली पुलिस टीम मंदिर तथा बाग से कुछ ही दूरी पर थी जो मंदिर की तरफ से हुई फायर जैसी आवाज सुनकर व मंदिर परिसर में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर अपनी पुलिस टीम को ब्रीफ करने तथा अपने पीआरओ से अतिरिक्त पुलिस बल ग्राम कांशीराम नेवादा में पहुॅचने के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से निर्देशित किया था तथा घेराबन्दी करते हुए मंदिर परिसर की मेड़ के पास लगे सरपतों व पेड़ों के निकट पहुॅच गये थे तथा उनकी पुलिस टीम को 05 व्यक्ति मंदिर के पास खडन्जा मार्ग पर दिखाई दिये जिन्हें एसएसपी सर द्वारा रोकने व टोकने पर पॉचों व्यक्ति तितर–बितर हो गये। एक बदमाश अपने हाथ में लिये रायफल से एवं 04 बदमाश अपनी–'अपनी कमर में खुंसे असलहों को निकालते हुए एसएसपी सर की पुलिस टीम की तरफ जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे, जिससे घेराबन्दी के दौरन मंदिर परिसर के पेड़ों के पास पहुॅचकर एसएसपी सर के पुलिस टीम का आरक्षी दुर्गेश उठ ही रहा था कि बदमाशों की गोली लगने से जख्मी हो गया। इसी घटना क्रम के दौरान भौगोलिक परिदृश्य के

ह0 5.10.20

234

I.W.3/10

अनुरूप आड़ लेकर घेराबंदी तंग करते हुए सतर्कता के साथ धीरे–धीरे आगे बढ़ते हुए आईजी रेंज सर द्वारा मंदिर परिसर के पीछे से मंदिर के दाहिने ओर स्थित बिजली के खम्भे व झाड़ियों के पास पहुँचकर बदमाशों को बुलन्द आवाज में आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिया। बदमाश अपने को घिरा हुआ देखकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस स्थिति में एसएसपी सर फायरिंग कर रहे बदमाशों की ओर आगे बढे। नजदीकी एवं आमने–सामने की जोखिम भरी दिन–दहाड़े खुले स्थान पर हुई मुठभेड़ में बदमाशों को जिन्दा पकड़ने की नियत से बदमाशों की फायरिंग रेंज में पहुँचकर एसएसपी सर को कवर फायर पुलिस अधीक्षक पश्चिम के द्वारा दिया जा रहा था। आगे बढ़ने के क्रम में एसएसपी सर द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण हेतु बार–बार चेतावनी दी जा रही थी तथा नीम के पेड़ के पास पहुँचे ही थे कि तभी बदमाशों की एक गोली एसएसपी सर के सीने पर बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण तथा दैव संयोग से उनकी जान बाल–बाल बची। एसएसपी एवं उनके टीम द्वारा सभी प्रकार की जोखिम उठाते हुए अपने–अपने असलहों से फायर किया। इस बीच में एक फायर की गोली लगने से एक बदमाश देवी मंदिर के सामने घायल होकर करहाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अन्य बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग की जा रही थी। फायरिंग कर रहे शेष बदमाश भागते हुए स्थान परिवर्तन करते हुए नजदीक ही स्थित हनुमान जी के छोटे से मंदिर एवं पेड़ तथा झाड़ियों की आड़ लेते हुए पोजीशन लेकर आईजी सर के नेतृत्व वाली पुलिस टीम की तरफ जान से मारने की नियत से बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। आईजी महोदय द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए लगातार कहा जा रहा था। परन्तु बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर लगातार फायरिंग की जा रही थी जिसे नियंत्रित करते हुए तथा उनकी गिरफ्तारी करने के उदेश्य से आईजी महोदय तथा मैंने व शेष टीम के सदस्य घेराबंदी करते हुए झुककर, बैठकर व कालिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। आईजी रेंज महोदय के पीछे कुछ ही फासले पर उनके दाहिने ओर चल रहे हमराही अमृतपाल सिंह, कॉ0 चन्द्रजीत, कां0 निर्देश कुमार सिंह व उ0नि0 मो0 आसिफ तथा बाये चल रहे मैं तथा अनिल सिंह भदौरिया, कां0 नितेन्द्र कुमार, कां0 धमेन्द्र कुमार व हमराही फोर्स के धीरे–धीरे आगे बढ़ते हुए फायरिंग कर रहे बदमाशों को गिरफ्तार करने की नियत से हनुमान जी के मंदिर के सामने खडन्जें के आमने–सामने की जोखिम भरी दिन दहाड़े में हुई खुले स्थान की मुठभेड में बदमाशों की फायरिंग रेंज में पहुँचकर बदमाशों को जिन्दा पकड़ने के मकसद से मंदिर परिसर में खडन्जे के पहले पहुँच कर सरपत व झाड़ियों की आड़ से जैसे ही आईजी रेंज महोदय अपना सिर आगे

5.10.20

बढ़ाने के लिए उठाया ही था कि बदमाशों की गोली उनके कान के पास से आवाज करती हुई निकल गयी और आईजी रेंज महोदय की जान बाल बाल बची। आईजी रेंज महोदय खडन्जा सड़क पार कर पत्थर के टीले से आड़ ले लिया था, साथ ही साथ इसी दौरान घेराबन्दी तंग करते हुए आईजी महोदय, मैंने तथा उ0नि0 मो0 आसिफ द्वारा विभिन्न दशाओं एवं दिशाओं से एक साथ फायर किये गये, जिससे मुड़–मुड़कर झुक–झुक कर पलट–पलट कर गिरता पड़ता फायरिंग करता हुआ एक बादमाश हनुमान मंदिर की पूर्वी दीवार के पास घायल होकर गिर गया था। इसके उपरांत पुलिस पर फायरिंग कर रहे बदमाशों के पैर उखड़ गये तथा भौगोलिक परिदृश्य, परिस्थितियों, पेड़ों व घनी झाड़ियों के बीच से फायरिंग करते हुए तीनों बदमाश भागने लगे, जिन्हें पकड़ने के लिए आईजी रेंज महोदय द्वारा निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव, निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री मोहित चौधरी, कां0 जितेन्द्र गर्ग तथा का0 आदर्श कुमार को निर्देशित किया था। भैसों का झुण्ड भी उसी दौरान आ गया था। मुठभेर के दौरान घायल हुए बदमाशों को पूरी सावधानी के साथ नजदीक जाकर देखा गया तो दोनों में जीवन के लक्षण शेष थे। आईजी रेंज महोदय द्वारा जमीन पर गिरे घायल दोनों बदमाशों के चोटों पर कपड़े का पैड बनाकर रखने का निर्देश देते हुए प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु कहा गया। मेरे द्वारा मुठभेड़ व बदमाशों के घायल होने व शिनाख्त न होने के संबंध मे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी। कुछ समय पश्चात् मौके पर आये प्रभारी निरीक्षक अनवरगंज व थानाध्यक्ष ककवन के सरकारी वाहनों से घायल बदमाशों को अस्पताल भेजने की प्रकिया के दौरान मौके पर उपस्थित आ गये, चौबेपुर के आरक्षी अभिषेक द्वारा घायल बदमाशों की शिनाख्त की गई। जिसके द्वारा बताया गया कि घायल हुए एक बदमाश का नाम अतुल कुमार दुबे पुत्र सूर्य कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर एवं दूसरे घायल बदमाश का नाम प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार उर्फ राजाराम पुत्र छोटे लाल ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के रूप में की गई। आईजी महोदय के टीम से हुई मुठभेड के दौरान बदमाश प्रेम प्रकाश घायल हुआ था जिसके पास से 9एमएम की ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की टीम से हुई मुठभेड में बदमाश अतुल कुमार दुबे घायल हुआ था, जिसके पास से 315 बोर की फैक्ट्रीमेड रायफल बरामद हुई थी। दोंनों घायल बदमाशों को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनवरगंज तथा थानाध्यक्ष ककवन द्वारा ईलाज हेतु सी0एच0सी0 चौबेपुर ले जाया गया। भागे हुए बदमाशों की तलाश करने वाली टीम वापस आ गई थी जिनके द्वारा बताया गया कि बदमाश भागने में सफल हो गए। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि अस्पताल में डॉ0 द्वारा दोनों

5.10.20

226

I.O. 3/12

बदमाशों के मृत घोषित कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट के डॉ0 प्रवीन कुमार आ गए, जिनके द्वारा घटना स्थल पर मिले शस्त्र, कारतूसों व अन्य साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से लेकर पुलिस टीम को दिया गया था। फर्द मौके पर मेरे बोलने पर निरीक्षक हरमीत सिंह द्वारा लिखी गई थी, जिसे पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगण के हस्ताक्षर मौके पर ही बनवाये थे। मुठभेड़ की कार्रवाई के उपरांत घटना स्थल से बरामद एक रायफल 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस, पिस्टल ग्लॉक 9 एमएम, एक अदद जिन्दा कारतूस 9 एमएम एक अदद मिस कारतूस 9 एमएम, 15 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 12 अदद 9एमएम खोखा कारतूस, 5 अदद खोखा 32 बोर, एक अदद बुलेट का टुकड़ा, 10 कारतूस 315 बोर, 15 अदद खोखा 9 एमएम, 10 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, एक डिब्बे में रक्त कॉटन स्वैब, एक अदद सादा कॉटन कंट्रोल सैम्पल, एक जोड़ी काली चप्पल तथा पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के द्वारा फायर किये गये शस्त्र 4 अदद ग्लॉक पिस्टल 9 अदद 9 एमएम पिस्टल तथा एक अदद बुलेट प्रुफ जैकेट को लेकर जाकर थाना चौबे पुर में एचएम एसबीर सिंह को सुपुर्द किया था तथा फर्द के मुताबिक बदमाशों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मेरे द्वारा दिनांक 05/07/2020 विवेचक को पंजीकृत अभियोग के संबंध में धारा 161 सीआरपीसी के अंतगर्त बयान दर्ज कराया था तथा मेरी निशादेही पर विवेचक द्वारा घटना स्थल की नक्सा नजरी तैयार किया था। यही मेरा बयान इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) शिवराम पाल
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

(अजय सेठ)
S.H.O कल्याणपुर
कानपुर नगर

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

बयान की एक प्रति प्राप्त किया

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-04/8
घटना कमांक – 02
दिनांक 05/10/2020

साक्षी का नाम–जितेन्द्र कुमार गर्ग, आयु–30 वर्ष, पुत्र श्री तेज प्रकाश गर्ग, पदनाम–3367 कांस्टेबल, सर्विलांस सेल, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 21.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया मैं घटना का प्रारंभिक चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। मेरी शामिली इस घटना में 03:00 बजे के आसपास से शुरू होती है। मैं सर्विलांस सेल कानपुर नगर में नियुक्त था। लगभग 02 बजे सूचना सर्विलांस सेल में आने के बाद सर्विलांस सेल के अधिकारी निरीक्षक हरमीत सिंह के साथ मौके पर गया था। हम लोग वहां पहुँचे तब एसएसपी महोदय अपनी टीम के साथ वहां उपस्थित थे। हम लोगों के पहुँचने के तत्काल बाद आईजी सर एवं एसएससी सर के मध्य बातचीत के बाद आगे की कार्यवाही पर अमल किया गया और पुलिस बल को दो पार्टियों में बांटा गया और एक पार्टी का नेतृत्व आंईजी साहब कर रहे थे और दूसरे का एसएसपी साहब कर रहे थे। एसएसपी साहब के नेतृत्व वाली पुलिस टीम मंदिर परिसर के मेड़ के पास लगे सरपतों व पेड़ो के निकट पहुची तभी बदमाश मंदिर की तरफ बढते हुए दिखाई दिये। उन लोगों को एसएसपी द्वारा रोका और टोका गया तो पॉचों व्यक्ति तितरबितर हो गए। पेडों के बीच आड़ लेकर एक बदमाश फ़ायर करने लगा और चार बदमाशों ने पुलिस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी। जिससे घेराबंदी के दौरान मंदिर परिसर के पेड़ों के पास पहुचकर उठ रहे का0 दुर्गेश बदमाशों की गोली से जख्मी हो गए, इसी दौरान आईजी के नेतृत्व वाली पुलिस बल मंदिर के पीछे से पहुँची तो आईजी द्वारा बदमाशों को बुलन्द आवाज में उनको आत्मसमपर्ण करने को कहा, लेकिन अपने को पुलिस से घिरा हुआ देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम की तरफ अन्धाधुंध फायरिग शुरू कर दी गई। इस स्थिति में एसएसपी द्वारा फायरिंग करते हुए बदमाशों की ओर आगे बढने का निर्णय

D.W. 4/9

लिया गया तथा एसपी पश्चिम द्वारा कवर फायर देने का निर्देश देते हुए उनके नतृत्व में पुलिस टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस नजदीकी तथा आमने सामने की मुठभेड़ में बदमाशों की फायरिंग रेंज में पहुँच गए। बदमाशों को जिंदा पकड़ने की नियत से एसएसपी काफी नजदीक पहुँच गए। एसएसपी सर बारबार बदमाशों को आत्मसमपर्ण हेतु कठोर चेतावनी दी गई। बढने के क्रम में एसएसपी सर बदमाशों को आत्मसमर्पण हेतु बार बार चेतावनी देते हुए नीम के पेड़ के पास पहुँचे ही थे कि बदमाशों की गोली एसएसपी सर के सीने पर बुलटप्रूफ जैकेट में लगी। सौभाग्य से उनकी जान बाल—बाल बची। शेष बदमाश भागते हुए मंदिर, पेड एवं झाड़ियों की आड़ लेते हुए पोजीशन लेकर आईजी सर की पुलिस टीम की तरफ जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। गोली आईजी सर के कान के पास से आवाज करती हुई निकल गई और आईजी साहब बाल बाल बचे। आईजी सर को कवर फायर दे रहे उ0नि0 मो0 आसिफ बदमाशों की गोली से जख्मी हो गए थे। यही मेरा बयान है।

[signature]

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) शिवराम पाल
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

[signature]

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

[signature]

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

[signature]

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, ~~सदस्य~~

[signature]

एक प्रति प्राप्त किया

[signature] 05/10/2020

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.</u>

<u>I.W.-05</u>/161
घटना कमांक – 02
दिनांक 06/10/2020

साक्षी का नाम–दिनेश कुमार पी0, आयु–34 वर्ष, पुत्र श्री टी.पी. प्रभु, पदनाम–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर, वर्तमान में झांसी।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

मेरे द्वारा पूर्व में माननीय जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपने विस्तृत शपथपत्र दिनांकित 22.09.2020 मय 25 संलग्नकों के आज दिनांक माननीय आयोग के समक्ष परिशीलन किया जिसमें अंकित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है, जिनकी मैं पुनः तसदीक करता हूँ। मैं सन् 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। बतौर एसएसपी, कानपुर नगर 18 जून 2020 से 25 जुलाई 2020 तक तैनात रहा। इसके पूर्व मेरी तैनाती कानपुर नगर में बतौर एसपी सिटी वेस्ट कानपुर सन् 2013 के अखिर में करीब 02 महीने तैनात रहा हूँ। बतौर एसपी सिटी वेस्ट मेरे क्षेत्राधिकारी वर्तमान प्रकरण से संबंधित कोई भी थाना नहीं आता था। बतौर एसएसपी कानपुर नगर मेरे क्षेत्राधिकारी में 44 थाने आते थे। उस समय अपराधी विकास दुबे के बारे में मुझे कोई सुसंगत जानकारी नहीं थी। बतौर एसएसपी तैनाती 18 जून 2020 को होने के बाद मात्र 15 दिन की भीतर ही बिकरू काण्ड की घटना हो गई उस समय तक इतने कम समय में थाना चौबेपुर के क्षेत्र का <u>भ्रमण/पर्यवेक्षण</u> वहां जाकर नहीं कर पाया। दिनांक 02/03.07.25020 करीब अर्धरात्रि एडिशनल एसपी, (ग्रामीण) कानपुर नगर एवं क्षेत्राधिकारी बिल्हौर एवं थानाध्यक्ष चौबेपुर के फोन मेरे पास आये। थानाध्यक्ष चौबेपुर ने बताया था कि 307 आइपीसी के प्रकरण में थाना क्षेत्र में ही दविश देने जाना है और अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है और मेरे द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि तत्काल क्षेत्राधिकारी बिल्हौर एवं एडिशनल एसपी (ग्रामीण) के संज्ञान में मामले को लायें और जितनी फोर्स की आवश्यकता हो उतनी लेकर जायें। उस समय तक वांछित अपराधी का नाम व आपराधिक इतिहास मेरे संज्ञान में नहीं था। अभियुक्त विकास दुबे की आपराधिक पृष्ठभूमि की जमीनी हकीकत थानाध्यक्ष चौबेपुर एवं क्षेत्राधिकारी बिल्हौर को ही पता थी। एडिशनल एसपी रूरल, कानपुर नगर श्री वृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कानपुर नगर में अपना आगमन

240

उक्त घटना के 04–05 दिन पहले ही किया था, इस कारण से जमीनी वस्तुस्थिति से वह भी अवगत नहीं होंगे। क्षेत्राधिकारी बिल्हौर ने फोन पर उस समय मुझे बताया था कि थानाध्यक्ष चौबेपुर ने दविश के बारे में बताया है तो मेरे द्वारा उन्हें यथोचित कर्तव्यपालनार्थ निर्देशित किया गया। जिसपर क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के द्वारा मुझे बताया गया कि वह भी थानाध्यक्ष के साथ दविश पर जायेंगे। अगले दिन उपस्थित होकर क्षेत्राधिकारी बिल्हौर ने यह भी कहा था कि वह मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर थानाध्यक्ष चौबेपुर श्री विनय तिवारी के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ, जिसपर मेरे द्वारा स्वीकृति दी गई। उस दिन की बारदात में या उससे पहले कभी भी क्षेत्राधिकारी बिल्हौर स्व0 देवेन्द्र मिश्रा ने थाना चौबेपुर की कार्यप्रणाली के संबंध में कोई अवांछनीय तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया था। उस समय तक 15 दिन के अपने छोटे कार्यकाल में मैंने किसी थानाध्यक्ष का तबादला नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक मैं जिला पुलिस में तैनात पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को समझ रहा था। यह उल्लेखनीय है कि बतौर एसएसपी कानपुर नगर में तीसरे ही दिन थाना चकेरी के अन्तर्गत चर्चित एवं दुशासहिक हिस्ट्रीशीट–राजनेता पिन्टू सेंगर की दिन दहाड़े चार लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिस घटना के खुलासे एवं पर्यवेक्षण में मैं विशेष ध्यान दे रहा था, जिस कारण भी थानावार व भौगोलिक आपराधिक समीक्षा पूरे जिले की नहीं कर पाया। उक्त फोन वार्ताओं के कम में एडिशनल एसपी (ग्रामीण) का भी फोन मेरे पास आया था, जिन्होंने मुझे बताया कि थाना चौबेपुर और क्षेत्राधिकारी बिल्हौर कहीं दविश देने जाने की बात बता रहे हैं तो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि मांग के अनुरूप फोर्स उपलब्ध करायें। उस समय मैं उक्त पिन्टू सेंगर हत्याकाण्ड में गिरफतार संबंधित अभियुक्तों से बिवेचना अंतर्गत पूछताछ में व्यस्त था। 02/03.07.2020 को 1–1.15 AM (रात) पुनः एडिशनल एसपी रूरल ने मुझे फोन करके अवगत कराया कि थाना चौबेपुर अन्तर्गत जिस स्थान पर दविश दी गई है वहां पर गोलीवारी चल गई है। जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। मेरे बतौर एसएसपी, कानपुर नगर तैनात रहने के दौरान दिनांक 25.07.2020 तक प्रकरण की विवेचनाओं में जोभी साक्ष्य संकलन, विशेषतः इलेक्टोनिक एवेडेंस संकलित हुए उनमें वांछित विधिक औपचारिकताओं की पूर्ती हुई की नहीं मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे बाद तैनात एसएसपी बता सकते हैं। मेरे द्वारा एडिशनल एसपी (ग्रामीण) से विस्तृत जानकारी मांगने पर उन्होंने कहा की मुझे भी इतनी ही जानकारी है, तब मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि मैं स्वयं मौके पर आ रहा हूँ। उसके तत्काल बाद मैंने सीओ बिल्हौर से संपर्क करने की कोशिश की।

241

क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के मोबाईल पर दो बार फोन की घण्टी बजने पर भी फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद थानाध्यक्ष चौबेपुर को फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हुई। उसके बाद पुनः क्षेत्राधिकारी बिल्हौर को फोन मिलाया गया, उसे थानाध्यक्ष चौबेपुर द्वारा रिसीव किया गया। श्री विनय तिवारी ने मुझे बताया कि वे लोग दविश पर आये थे जहां बदमाशों ने गोलीबारी कर दी जिसमें कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गए और कुछ पुलिस कर्मी अन्दर फसे हैं। विनय तिवारी ने स्वयं को बाहर निकल आना बताया। मेरे द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्षेत्राधिकारी का फोन आप रिसीव कर रहे हैं तो क्षेत्राधिकारी कहां हैं, इस पर विनय तिवारी ने मुझे बताया कि क्षेत्राधिकारी भी अंदर ही फंसे हो सकते हैं। मेरे द्वारा घायलों के बारे जानकारी करने पर श्री विनय तिवारी ने बताया कि कुछ सिपाही एवं थानाध्यक्ष बिठूर को गोली लगी है, घायल एसओ बिठूर की गाड़ी में अस्पताल रवाना हो गए हैं। तुरन्त बाद मैंने थानाध्यक्ष बिठूर को फोन लगाया, एसओ बिठूर कौशलेन्द्र सिंह ने स्वयं फोन रिसीव करके मुझे बाताया कि दबिश के समय एकदम से गांव में गोलियां चली थी और मेरा असलहा भी बदमाशों ने लूट लिया, जितने घायल पुलिस कर्मियों को मैं देख पाया उन सब को किसी प्रकार जान पर खेलकर गोली की चोट से घायल होने के बावजूद बाहर निकालकर अपने सरकारी वाहन में लादकर रीजेंसी अस्पताल, कानपुर नगर में ले जा रहा हूँ। मैंने वायरलेस पर मैसेज प्रसारित कराया कि रेजेंसी अस्पताल के थानाध्यक्ष अस्पताल पहुँचकर सर्वोत्तम इलाज कराये जाना सुश्चित करें। इतनी देर में मैं घटना की गंभीरता को समझ गया। वायरलेस पर मैंने मैसेज प्रसारित कराया कि निकटवर्ती थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी बुलेटप्रूफ जैकेटों के साथ अधिक से अधिक फोर्स लेकर घटना स्थल पर पहुँचें। कानपुर नगर के समस्त हाइवे, बार्डर के थानों को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हेतू निर्देशित किया। उस समय मैं स्वयं अपने आवासीय परिसर में स्थित सर्विलांस सेल के ऑफिस में एसपी वेस्ट, एसपी ईस्ट एवं स्वाट टीम प्रभारी एवं सर्विलांस प्रभारी के साथ मौजूद था, तो तुरन्त इन सभी अधिकारियों को साथ में लेकर थाना चौबेपुर स्थित घटना स्थल पर रवाना हो गया। करीब 02-02:15 एएम (रात) मैं अपनी उक्त पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँच गया। घटनास्थल से करीब 300 मीटर पहले ही गांव के बाहर थाना चौबेपुर विनय तिवारी मिले। मुझसे पहले थानाध्यक्ष कल्याणपुर श्री अजय सेठ पहुँचे थे। वहां पहुँचने से पहले मेरे द्वारा बराबर श्री विनय तिवारी को पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने व बदमाशों के उपर आवश्यक बल प्रयोग किये जाने के निर्देश लगातार दिये जाते रहे। वहां पहुँचते ही श्री विनय तिवारी ने मुझे बताया कि अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथी पुलिस टीम के गांव में घुसने से पहले ही पूर्वनियोजित

(प्रीप्लांड) तरीके से हथियारों के साथ तैयार थे और जैसे ही पुलिस टीम दविश देने के इरादे से घुसी अभियुक्त विकास दुबे और उसके साथी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गए, जिन्हें थानाध्यक्ष बिठूर श्री कौशलेंन्द्र सिंह (स्वयं घायल) अपने सरकारी वाहन से इलाज हेतु अस्पताल ले गए। विनय तिवारी ने यह भी बताया कि वह बाहर ही थे वास्तविक घटनास्थल में और भी पुलिस कर्मी घायल हो सकते हैं, और कुछ पुलिस कर्मी फंसे हो सकते हैं, क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्रा की लोकेशन/सकुशलता (वेलबींग) के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। मैंने अपने साथ आये पुलिस अधिकारियों को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनवाया और स्वयं भी पहना। विनय तिवारी को वास्तविक घटनास्थल पर ले चलने के लिए निर्देशित किया। मौके पर पूर्णतः अंधेरा था हम लोग टॉर्च, ड्रेगन लाईट की सहायता से आढ़ लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आगे का मार्ग जेसीबी से अवरूद्व पाया। जेसीबी की आड़ लेकर टॉर्च एवं ड्रेगन लाईट से आसपास की भौगोलिक स्थिति को समझा। जेसीबी के नजदीक ही एक घर के बरामदे में दो पुलिस कर्मी लेटे हुए थे। सबसे आगे मैं और एसपी वेस्ट चल रहे थे। हम दोनों लोग जमीन पर गिरे दोनों व्यक्तियों को पहचान नहीं पाये, तो आवाज देकर श्री विनय कुमार तिवारी को बुलाया। विनय तिवारी ने मौके आकर एक पुलिस कर्मी की शिनाख्त महेश यादव, थानाध्यक्ष शिवराजपुर एवं दूसरे पुलिस कर्मी की शिनाख्त उपनिरीक्षक श्री नेबूलाल के रूप में की। अपने आवास से घटनास्थल पर आते समय मैंने घटना के बारे में आईजी कानपुर रेंज, एडीजी कानपुर जोन एवं एडीजी लॉ एण्ड ऑर्डर को बराबर सूचित करता रहा। उक्त दोनों घायल पुलिस कर्मियों में जीवन के लक्षण नहीं थे और उनके असलहा भी गायब थे जिस संबंध में पुनः आईजी कानपुर रेंज एडीजी महोदय को सूचित करते हुए फिर भी अस्पताल ले जाने वाली बात बताई। मैंने पूरे गांव को सील करके प्रत्येक घर की सघन तलाशी करने के निर्देश दिये ताकि बाकी पुलिस कर्मियों का पता चल सके। उस समय तक क्षेत्राधिकारी बिल्हौर से संपर्क नहीं हो सका था। टॉर्च एवं ड्रेगन लाईट की सहायता से देखने पर जगह जगह पर कारतूसों के खोखे, खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अभियुक्त विकास दुबे के घर से 25–30 मीटर की दूरी पर जानवर बांधने के स्थान (खुला स्थान) उसके अंदर व बाहर 05 पुलिस कर्मी घायल अवस्था में पड़े थे। जिनमें किसी में भी जीवन के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। 03 पुलिस कर्मी जो जान बचाने के उददेश्य से छुपे हुए थे हम लोगों को देखकर बाहर निकल आये। जिन्होंने घटना के बारे में मुझे जानकारी दी। वह तीनों पुलिस कर्मी भी सीओ बिल्हौर के बारे में सूचना नहीं दे सके। उसी समय एक सिपाही ने आवाज देकर

3r

-253 1505/KC

बताया कि जिस घर के बरामदे में से श्री महेश यादव एवं श्री नेबू लाल पाये गए थे उसी घर के पीछे वाले आंगन में एक पुलिस कर्मी पड़ा है जो संभवतः क्षेत्राधिकारी बिल्हौर हो सकते हैं। हम लोग उस घर के ताले तोड़कर अंदर घुसते हुए बैकयार्ड में चले गए। बैकयार्ड में पुलिस की वर्दी में जो व्यक्ति गिरा पड़ा था उसका आधा भेजा उड़ा हुआ था और चारों तरफ खून निकला पड़ा था। उनके शरीर की दशा देखकर मुझे यह स्पष्ट हो गया कि उनके बचे होने की संभावना नहीं है। उनकी शिनाख्त बतौर क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्रा के रूप में हुई, उनको तत्काल अस्पताल रवाना किया गया। उस समय तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों–आईजी रेंज कानपुर, एडीजी कानपुर जोन पहुँच गए थे। घटनास्थल के सबसे नजदीक थाना शिवली, कानपुर देहात स्थित है। मेरे द्वारा एसपी, कानपुर देहात से तत्काल अपने जिले के भी बार्डर सील करके सघन चेकिंग के आग्रह किया गया, ताकि बदमाश बार्डर कास न कर सके। इसी दौरान घटना कम से मेरे द्वारा डीजीपी, उ0प्र0 महोदय को भी अवगत कराया गया। उस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि दविश के समय बदमाशों द्वारा पूर्वनियोजित तरीके से की गई गोलीबारी में 14 पुलिस कर्मी चोटिल हुए (जिनमें से 08 मृतक घोषित हुए) और पुलिस कर्मियों के असलहें जिनमें एक एके–47 व एक इंसास रायफल, दो 9एमएम पिस्टल, एक 9एमएम ग्लाक पिस्टल गायब मिले। इसकी सूचना अलग से वायरलेस के माध्यम से भी दी गई। मौके पर आस पास तथा थाना शिवली में अभियुक्त विकास दुबे के सहयोगी व मददगार एवं घटना में शामिल बदमाश एवं उनके सहयोगी रहते हैं। भौगोलिक स्थिति में वहां पर काफी खेत खलियान व जंगल, बरसाती नाले आदि मौजूद हैं जिसकी वजह से अपराधियों बृहद स्तर पर कॉम्बिंग किये जाने की सूचना दी गई। मौके पर आईजी कानपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस बल की दो टीमें कॉम्बिंग हेतु गठित की गई । एक टीम का नेतृत्व आईजी महोदय श्री मोहित अग्रवाल स्वयं तथा दूसरी टीम का नेतृत्व मैं स्वयं एसएसपी कानपुर ने किया। आईजी महोदय के नेतृत्व वाली टीम सरकारी वाहनों से सड़क मार्ग से होते हुए करीब 1.5 किमी दूर स्थित निकटतम मझरा गांव काशीराम नेवादा पहुँचे, जहां पर बदमाशों के छुपे होने प्रवल संभावना थी, क्योंकि उस रास्ते से शिवली होते हुए बदमाश भाग सकते थे। मैं अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए खेतों, जंगलों, बरसाती नालों, ट्यूबवैल और बीच बीच में छोट छोटे घरों में चेकिंग/कॉम्बिंग करते हुए बदमाशों को पकड़ने के इरादे से गांव काशीराम नेवादा पहुँचे। ग्राम काशीराम नेवादा के बाहरी इलाके (आउट स्कर्टस) पर पहुँचते ही 70–80 मीटर की दूरी पर 05 बदमाश दिखाई पड़े, जिन्होंने भी संभवतः हम पुलिस वालों को देख लिया था। पांचों बदमाश जंगल की तरफ

(signature)

244

भाग गए। मैं अपनी पुलिस टीम के साथ सर्तकता पूर्वक उन बदमाशों को जिंदा पकड़ने के उददेश्य से घेराबंदी करते हुए बदमाशों के पीछे पीछे बढ़े। उस स्थान पर हमारे आगे खड़न्जा मार्ग जिसमें एक तरफ देवी मंदिर और दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर स्थिंत था, जो स्थान चारों तरफ पेड़ो एवं बड़ी बड़ी बरसाती झुरमुटों से घिरा हुआ था। बदमाशों ने हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियम से लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों की चलाई हुई गोली मेरे साथ मौजूद का0 दुर्गेश के हाथ में लगी। फायरिंग की आवाजें सुनकर आईजी महोदय की टीम जो पास के क्षेत्र में कॉम्बिंग में व्यस्त थी मौके पर आ गई। आईजी महोदय और मेरे स्वयं के द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण करने हेतु बुलन्द आवाज में हिदायत दी गई, जिसपर भी बदमाशों ने हम पुलिस वालों पर फायरिंग किये जाना बदस्तूर जारी रखा। मैं एसपी सिटी वेस्ट व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बदमाशों को जिंदा पकड़ने के उददेश्य से आगे बढ़ते हुए बदमाशों के नजदीक पहुँच गए, एसपी वेस्ट वायीं तरफ से मुझे कवर फायर दे रहे थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली मेरे द्वारा पहनी हुई बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। इस बीच आत्मरक्षार्थ व कर्तव्य पालनार्थ पुलिस द्वारा बचाव में की गई फायरिंग करने पर एक बदमाश मौके पर ही गिर पड़ा। बाकी बदमाशों ने शिवली की दिशा में भागने का प्रयास किया तथा वहां मौजूद आईजी महोदय की पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें उपनिरीक्षक आसिफ बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्यपालनार्थ चलाई गई गोली से एक और बदमाश भी घायल होकर गिर गया। भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर बाकी तीन बदमाश भागने में सफल रहे। प्रथम घायल बदमाश के पास से एक रायफल फैक्ट्रीमेड 315 बोर बरामद हुई और दूसरे घायल बदमाश के पास से 9एमएम ग्लाक पिस्टल बरामद हुई। दोनों बदमाशों में जीवन के लक्षण थे जिन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। बिकरू काण्ड की बिवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि ग्राम बिकरू बीट इंचार्ज श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने पूर्व में श्री राहुल तिवारी द्वारा दर्ज कराये गए मुकदमे (मुअस–191/2020 थाना चौबेपुर कानपुर नगर) के संबंध में पुलिस द्वारा दविश दिये जाने की तैयारी के समय ही, दबिश दिये जाने की सूचना गैरकानूनी तरीके से तथा अभियुक्त विकास दुबे को मदद करने या उकसाने के उददेश्य से ग्राम बिकरू बीट इंचार्ज उपनिरीक्षक श्री कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा मोबाईल फोन के माध्यम से दी गई। जिसके बाद 02/03 जुलाई 2020 की अर्धरात्रि 00.11.19 बजे अभियुक्त विकास दुबे के द्वारा का0 राजीव कुमार उर्फ राजीव फौजी को फोन करके यह बताया गया कि अभी पुलिस टीम के द्वारा उसको पकड़ने के लिए दविश देने की जुररत की जा

245

D.W.5/167

रही है तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम को सबक सिखा देगा। जिसकी सूचना का0 राजीव कुमार उर्फ राजीव फौजी ने थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय कुमार तिवारी को दी। श्री विनय तिवारी ने इतनी अहम सूचना किसी पुलिस अधिकारी को न देते हुए छुपा लिया। तदनुसार उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा व थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी को प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर मुलजिम बनाकर जेल भेजा गया। उक्त मुठभेड़ो के अलावा प्रकरण से संबंधित अन्य मुठभेड़ों में मेरा कोई डायरेक्ट इन्वाल्वमेंट नहीं था और न ही मैं साक्षी हूँ। विवेचना से प्रकाश में आये तथ्यों के बारे में विवेचक ही बेहतर बता सकते हैं। मेरे 37 दिन के बतौर एसएसपी, कानपुर नगर के कार्यकाल में अभियुक्त विकास दुबे से संबंधित किसी न्यायिक निर्णय जैसे जमानत, दोषमुक्ति आदि होना मेरे संज्ञान में नहीं है। थाना चौबेपुर का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद कानपुर देहात में आता है, जिस कारण न्यायिक प्रकियाओं तथा उनके निष्कर्षो के बारे में जिलाधिकारी, कानपुर देहात, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मेरे बतौर एसएसपी, कानपुर नगर पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री अनंत देव बतौर एसएसपी/डीआईजी कानपुर में करीब 02 वर्षों तक तैनात रहे। मेरे बाद श्री प्रीतिन्दर सिंह ने बतौर एसएसपी/डीआईजी कानपुर में पदभार ग्रहण किया जोकि वर्तमान में भी तैनात हैं।

6/10/2020

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

One copy received.

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-06/9

(घटना कमांक – 02)
दिनांक 06/10/2020

साक्षी का नाम–मो0 आसिफ, आयु–49 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री अब्दुल मलिक, पदनाम–उपनिरीक्षक, स्वाट टीम, वर्तमान में पुलिस लाइन, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 21.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं दिनांक 02/03.07.2020 की घटना के समय स्वाट टीम, कानपुर नगर में तैनात था। इसी दौरान सर्विलांस सेल निरीक्षक हरमीत सिंह को अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिकरू, चौबेपुर में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के नेतृत्व में दविश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा घेराबंदी करके हमला किया गया है, जिसमें कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मैं, निरीक्षक हरमीत सिंह के साथ मय हमराह पुलिस बल कानपुर शहर से प्रस्थान कर बिकरू, चौबेपुर पहुॅचे। हम लोग वहां पहुॅचे तब तक वरिष्ठ अधिकारीगण तथा अन्य पुलिस बल वहां मौजूद थे तथा आसपास के संभावित स्थानों पर बदमाशों की तलाशी की जा रही थी। हम लोगों के पहुॅचने के तत्काल बाद आईजी सर एवं एसएसपी सर के मध्य बातचीत के बाद आगे की कार्यवाही पर अमल किया गया और पुलिस बल को दो पार्टियों में बांटा गया। एक टीम जिसमें वह स्वयं था जिसका नेतृत्व आईजी कानपुर रेंज कर रहे थे और दूसरी टीम एसएसपी महोदय के नेतृत्व में थी। उसकी टीम ग्राम काशीराम नेवादा मोड़ पर पहुॅची और आसपास के मकानों, बगीचों आदि की कॉम्बिंग करते हुए कच्चे रास्ते से होते हुए टयूबबैल के पास पहुॅचे तभी उन्हें लगभग 07:30 बजे पूरव दिशा में स्थित बाग और मंदिर की ओर से फायर जैसी आवाज सुनाई दी। इस पर वे लोग सावधानी वरतते हुए मंदिर की तरफ धीरे धीरे बढ़े, उसी दौरान दूसरी टीम जिसका नेतृत्व

एसएसपी साहब कर रहे थे, वह घेराबंदी करते हुए मंदिर परिसर के पास पहुँचे, तभी छिपे हुए बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस के उपर फायर कर दिया, जिसमें का0 दुर्गेश जख्मी हो गया। घेराबंदी तंग करते हुए आगे बढते हुए आईजी महोदय ने मंदिर के दाहिने स्थित बिजली के खम्बे व झाड़ियों के पास पहुँचकर बदमाशों को आत्मसर्मपण की चेतावनी दी। बदमाश दूसरी टीम की ओर बराबर फायर कर रहे थे। इस दौरान एक गोली एसएसपी साहब के सीने पर बुलटप्रूफ़ जैकेट पर लगी, जिससे वह बाल बाल बच गए। जानमाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए, नजदीकी जोखिम भरी मुठभेड़ में अन्य कोई विकल्प न होने पर दोनों पुलिस टीमों द्वारा आत्मरक्षार्थ विभिन्न दशाओं एवं दिशाओं से बदमाशों की तरफ एक साथ फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल होकर देवी मंदिर के सामने घायल होकर गिर पड़ा। अन्य बदमाश लगातार पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे थे। तब दोनों पुलिस टीमों ने पोजिशन लेते हुए आगे बढ़ते हुए उनकी गिरफ्तारी के उददेश्य से मंदिर परिसर के खड़न्जे के पहले पहुँचे, तभी आईजी साहब ने अपना सिर आगे बढ़ने के लिए उठाया तब बदमाशों की एक गोली उनके कान के पास से निकल गई। वह आईजी साहब को कवर फायर देते हुए नीम के पेड़ के पास पहुँचा, तभी बदमाशों की एक गोली उसके दाहिने हाथ की कोहनी को रगड़ते हुए निकल गई और वह बाल बाल बच गया। जख्मी होने की परवाह न करते हुए सुरक्षा हेतु आड़ लेकर कवर फायर देते हुए आगे बढ़ता रहा। आईजी साहब बदमाशों को आत्मसमर्पण की चेतावनी देते रहे, परन्तु वे पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। तब अन्य कोई विकल्प न देखते हुए आत्मरक्षार्थ आईजी साहब ने, अजय सेठ और उसने स्वयं बदमाशों की ओर फायर किये। इसमें एक बदमाश हनुमान मंदिर की पूर्वी दीवार के पास गिर गया। इसके बाद भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ लेते हुए तीन बदमाश भाग निकले। आईजी साहब ने निरीक्षक सतीश सिंह व अन्य को उनका पीछा करने का निर्देश दिया और बाकी लोग सावधानी बरतते हुए घायल गिरे बदमाशों के पास पहुँचे। देवी मंदिर के सामने गिरे बदमाश के दाहिने हाथ के पास फैक्ट्रमेड रायफल 315 बोर नं0–एबी–976229 और आस पास खोखा कारतूस बिखरे पड़े मिले और दूसरे बदमाश के आसपास 9एमएम ग्लाक पिस्टल तथा आसपास खोखा कारतूस बिखरे पड़े मिले। आईजी साहब ने जमीन पर गिरे दोनों घायल बदमाशों को प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु निर्देश दिया और तब घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल भेजने की प्रकिया के दौरान थाना चौबेपुर के का0 अभिषेक ने मौके पर आकर घायल बदमाशों की पहचान अतुल दुबे एवं प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार उर्फ राजाराम के रूप में की। भागे हुए बदमाश

248

P.W.-6/11

पकड़े नहीं जा सके। घायल बदमाश प्रेम प्रकाश के पास से बरामद पिस्टल के बारे में बाद में पता चला कि वह दिनांक 02/03.07.2020 की रात में विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा दविश के दौरान 08 पुलिस कर्मियों की हत्या कर पुलिस से लूटे असलहों में से एक है, मुठभेड़ अचानक हुई इस कारण कोई गवाह उपलब्ध नहीं हुआ। उसके तथा का0 दुर्गेश त्रिपाठी के अलावा शेष पुलिस कर्मियों को चोट नहीं आई। घटना स्थल को सुरक्षित किया गया। मौके पर डा0 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की और उसे अपने कब्जे में लिया। सूचना मिली कि घायल दोनों बदमाशों को डॉ0 ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ ने निरीक्षक हरमीत सिंह को बोलकर फर्द लिखाई। सभी पुलिस कर्मियों ने फर्द को पढ़ व सुनकर हस्ताक्षर किये। उसे तथा का0 दुर्गेश मणि त्रिपाठी को उपचार हेतु सीएचसी चौबेपुर कानपुर ले जाया गया। वहां पर स्टाफ के कोविड–19 की ड्यूटी में होने के कारण उन्हें उपचार हेतु बाद में बुलाया गया। वह दिनांक 04.07.2020 को सीएचसी चौबेपुर गया और अपना मेडिकल कराया। मुठभेड़ में घायल होते समय उसने फुल सर्ट पहनी थी जिसपर गोली लगने के स्थान पर शर्ट फट गई थी। शर्ट की दाहिनी बाजू पर खून के धब्बे लग गए थे। बिवेचना के दौरान बिवेचक ने उसे कब्जे लिया था। यही मेरा बयान है।

06/10/2020

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

स्वयं प्रति प्राप्त किया

06/10/2020

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

LW.-07/9
घटना क्रमांक – 02
दिनांक 06/10/2020

साक्षी का नाम– श्री दुर्गेश मणि त्रिपाठी, आयु–35 वर्ष, पुत्र श्री रामचन्द्र त्रिपाठी, पदनाम–आरक्षी, थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज, वर्तमान नियुक्ति थाना चकेरी कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 16.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि वह दिनांक 02/03.07.2020 को सर्विलांस सेल में नियुक्त था उस रात वह निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, प्रभारी सर्विलांस सेल, हरमीत सिंह वह अन्य हमराह पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी वाहन से वांछित अभियुक्तों की तलाश में व्यस्त था। सभी के पास 9 एमएम व कारतूस थे। तभी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हरवंश मोहाल श्री सतीश सिंह ने निरीक्षक हरमीत सिंह को थाना चकेरी के एक केस से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सहयोग मॉगा इस पर वह सहयोग हेतु अन्य पुलिस कर्मियों के साथ थाना क्षेत्र बिठुर में था। उसी दौरान ग्राम –बिकरू में दबिश देने वाली टीम पर बदमाशों द्वारा हमला कर घायल कर देने की सूचना मिली जिस पर वह लोग ग्राम–बिकरू थाना चौबेपुर पहुँचे। वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारीगण व अन्य पुलिस बल भी पहुँच गया था। वहाँ पर रात घटित घटना के बारे में पता चला जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री दीवेन्द्र कुमार मिश्र सहित 08 पुलिस कर्मियों के शहीद हो जाने तथा अन्य पुलिस कर्मियों के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बारे में पता चला। यह भी पता चला कि बदमाशों ने एक एके –47, एक इंसास रायफल और तीन 9 एमएम पिस्टल लूट ली थी। आई जी सर ने एसएसपी साहब और अन्य पुलिस बल से घटना की जानकारी प्राप्त की और बदमाशों की गिरफ्तारी और तलाशी हेतु निर्देशित किया। इस दौरान आई जी साहब ने पुलिस की दो टीमें बनाई एक टीम में वे स्वयं तथा निरीक्षक अजय सेठ, स्वात टीम के उप निरीक्षक आसिफ हमराह शस्त्र बल सम्मिलित था । दूसरी टीम का नेतृत्व एसएसपी कानपुर नगर कर रहे थे जिसमें पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अनिल कुमार व अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। मैं भी इसी टीम का सदस्य था।

हमारी टीम एसएसपी साहब के नेतृत्व में अपराधियों की तलाश में ग्राम–बिकरू से पैदल– पैदल पश्चिम दिशा की ओर निकले और सावधानी पूवर्क चेंकिंग तथा, कॉम्बिंग करते हुए करीब डेढ़ दो किलीमीटर दूर ग्राम कांशीराम नेवादा के दक्षिण स्थित धार्मिक स्थल मंदिर के पास लगभग 80 मीटर पहले खेत में खड़े ईमली के पेड़ और कुएं के पास पहुँचे उसी समय उन लोगों ने लगभग 07:30 बजे उत्तर दिशा की तरफ बाग और मंदिर की तरफ से फायर जैसी आवाज सुनी और पेड़ों के आस–पास

दुर्गेश मणि त्रिपाठी

250

कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी बदमाशों के साथ मुठभेड़ की पूर्ण संभावना को देखते हुए एसएसपी साहब ने योजना के तहत पूरी सावधानी के साथ बैठकर व झुक-झुक कर बदमाशों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से धीरे-धीरे एक समय पर मंदिर की तरफ पहुँचने का निर्देश दिया। वे लोग फायरिंग कर रहे बदमाशों की तरफ घेराबंदी तंग करते हुए धीरे-धीरे आगे बढे। उसकी टीम जैसे ही मंदिर परिसर के मेड़ के निकट पहुँची तब पॉच व्यक्ति खडन्जा मार्ग पर मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिये। एसएसपी साहब ने उन्हें रोका -टोका तो वे लोग तितर-बितर हो गये। उनमें एक के पास रायफल थी। बाकी चार के पास अपनी अपनी कमर में खुंसे हुए असलहें थे जिनसे उन्होंने जान से मारने की नियत से फायरिंग की जब वह (गवाह) उठ रहा था तभी बदमाशों की गोली उसके बाये हाथ की कोहली को रंगड़ते हुए निकल गई और वह बाल-बाल बच गया। चोंट की परवाह न करते हुए वह पेड़ों की आंड़ लेकर आगे बढ़ता रहा।

उसी समय आईजी साहब के नेतृत्व वाली दूसरी टीम मंदिर के पीछे आई और बदमाशों को आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी । एसएसपी साहब ने बदमाशों की ओर आगे बढ़ने का निर्णय दिया । बदमाशों को जिन्दा पकड़ने के उद्देश्य से एसएसपी साहब बदमाशों के काफी नजदीक पहुँच गये और एसपी पश्चिमी सर उन्हें कवर फायर दे रहे थे। इसी बीच बदमाशों की एक गोली एसएसपी साहब की सीने में लगी, परन्तु पहने हुए बुलेट प्रुफ जैकेट से उनकी जान बाल-बाल बची। नजदीकी और जोखिम भरे मुठभेड़ में एसएसपी साहब ने आत्मरक्षार्थ अपनी पिस्टल से बदमाशों की तरफ फायर किया और घेराबन्दी करते हुए टीम के अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा भी विभिन्न दिशाओं एवं दशाओं से बदमाशों की एक साथ फायर किया। इस दौरान एक बदमाश चीख कर गिर पड़ा। उसी समय उसने भी (गवाह), बदमाशों की तरफ एक फायर किया था। शेष चार बदमाश पुलिस पार्टी पर लगातार फायर कर रहे थे और स्थान बदलते हुए आई जी साहब की टीम की ओर अंधाधुन्ध फायरिंग करने लगे। एक गोली आई जी साहब के कान के पास से निकल गई। बदमाशों की फायरिंग से आईजी साहब को कवर फायर दे रहे उनि मो0 आसिफ बदमाशों की गोली से जख्मी हो गये। कोई विकल्प न बचने के कारण आईजी साहब व उनकी टीम के अन्य सदस्यों ने आत्मरक्षार्थ बदमाशों की ओर फायर किये जिससे एक बदमाश हनुमान मंदिर की पूर्वी दीवाल के पास गिर गया।

पुलिस फायरिंग से बदमाशों के पैर उखड़े गये और भौगोलिक परिदृश्य तथा वहां से गुजर रही भैसों का झुण्ड का लाभ उठा कर बदमाश भाग निकले। आई जी साहब के निर्देश पर निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, सतीश सिंह वह अन्य ने उनका पीछा किया पर वे पकड़े नहीं जा सके। घायल बदमाशों के पास सावधानीपूर्वक गये तो उनमें जीवन के लक्षण मौजूद थे। एक बदमाश जो देवी मंदिर के सामने पड़ा हुआ था उसके दाहिने हाथ के पास एक फैक्ट्रीमेड रायफल और आसपास खोखा कारतूस तथा दूसरे बदमाश जो हनुमान मंदिर के पास पड़ा उसके दाहिने हाथ के पास 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल वह आस-पास खोखा कारतूस पड़े हुए थे।

आईजी साहब के निर्देश पर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु उसी समय मौके पर आ गये प्रभारी निरीक्षक अनवरगंज व थानाध्यक्ष ककवन के सरकारी वाहनों से

(251)

अस्पताल भेजा गया। इस दौरान थाना –चौबेपुर अभिषेक आ गया जिसने घायल बदमाशों की शिनाख्त अतुल कुमार दुबे तथा प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय के रूप में की। मैं भी घायल था मुझे भी सी0एस0सी0 चौबेपुर इलाज के लिए भेजा गया। घायल बदमाश प्रेम प्रकाश से बरामद पिस्टल के बारे में पता चला कि वह दिनांक 02/03.07.2020 की रात्रि विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा दबिश के दौरान पुलिस कर्मी की हत्या करने व घायल करने की घटना में पुलिस के लूटे गये असलहों में से एक है।

घटना अचानक होने के कारण जनता के गवाह नहीं मिले इस घटना में उसके और मो0 आसिफ की चोटें आई थीं शेष पुलिस कर्मी सुरक्षित थे। मौके पर डॉ0 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गयी और मौके से बरामद असलहें कारतूस व अन्य वस्तुओं को कब्जे में लिया गया। मोबाइल से सूचना मिली की दोनों बदमाशों को डॉ0 ने मृत घोषित कर दिया।

फर्द मौके पर प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ ने निरीक्षक हरमीत सिंह को बोलकर लिखाई। फर्द को देखकर व पढ़कर व सुनकर सभी पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर मौके पर बनवाये गये। निरीक्षक अजय सेठ ने मुठभेड़ की घटना के संबंध में थाना– चौबेपुर कानपुर नगर में अभियोग पॅजीकृत कराया। दिनांक 03.07.2020 को सी0एच0सी0 चौबेपुर के स्टाफ के कोविड – 19 में अन्यत्र. ड्यूटी होने के कारण अगले दिन दिनांक 04.07.2020 को उसने अपना मेडिकल कराया मुठभेड़ के समय उसने फूल शर्ट बदामी रंग की पहनी थी जिसके बाई बाजू पर खून के धब्बे थे और गोली लगने के स्थान पर फटा हुआ था जिसके विवेचक ने विवेचना के दौरान कब्जे में ले लिया। यही मेरा बयान है।

6/10/020

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) शिवराम पाल
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

6/10/020

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

252

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-08/3

(घटना कमांक – 02)
दिनांक 06/10/2020

साक्षी का नाम–अभिषेक कुमार, आयु–34 वर्ष, पुत्र श्री नाथूराम, पदनाम–कांस्टेबल, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि सन् 2012 से कानपुर नगर में बतौर कांस्टेबल तैनात हूॅं। करीब 02 साल थाना बिल्हौर में तैनाती के बाद माह सितम्बर 2019 में थाना चौबेपुर, कानपुर नगर में तैनाती हुई। दिनांक 02/03 जुलाई 2020 की रात में लगभग 01 बजे थाना चौबेपुर में वादी राहुल तिवारी द्वारा लिखाए गए मुकदमे से संबंधित के संबंध में अभियुक्त विकास दुबे के घर ग्राम बिकरू में दबिश दी गई थी। दबिश का नेतृत्व तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्रा कर रहे थे, कुल 30–40 पुलिस कर्मियों की टीम थी, उस टीम में मैं भी एक सदस्य था। दबिश के समय मेरे पास सरकारी इंसास रायफल थी। दबिश के लिए जब पुलिस टीम ग्राम बिकरू के पास पहुॅंची, तब वहां पर द्विवेदी आटा चक्की के पास ही पुलिस टीम के सभी वाहन खड़े कर दिये गए। वहां पर क्षेत्राधिकारी महोदय ने हम लोगों को ब्रीफ किया और हम लोग पैदल अभियुक्त विकास दुबे के घर की ओर चल दिये। विकास दुबे के घर से 20–25 मीटर पहले जेसीबी लगाकर खडन्जा मार्ग रोका पाया गया, जहां पर प्रभात मिश्रा और शशिकांत मिश्रा के मकान स्थित हैं। पुलिस टीम में आगे चल रहे क्षेत्राधिकारी बिल्हौर और थानाध्यक्ष शिवराजपुर श्री महेश यादव और थानाध्यक्ष बिठूर श्री

अभिषेक कुमार

कौशलेन्द्र सिंह आगे चल रहे थे, जो जेसीबी को पार करके आगे बढ़े और मैंने भी जेसीबी पार कर ली थी। दबिश की पुलिस टीम को तीन भागों में विभाजित किया गया था, क्षेत्राधिकारी बिल्हौर एवं थानाध्यक्ष शिवराजपुर विकास दुबे के घर के आगे पहुँचे। दूसरी टीम जिसका नेतृत्व थानाध्यक्ष बिठूर कर रहे थे, विकास दुबे के घर के पूरव गेट पर पहुँचना था। तीसरी टीम थानाध्यक्ष चौबेपुर श्री विनय तिवारी के नेतृत्व में थी, जिसे विकास दुबे के घर के गेट के पश्चिम में पहुँचना था। मैं श्री विनय तिवारी की तीसरी टीम का सदस्य था। जैसे ही टीमें जेसीबी को पार कर रहीं थीं, उसी समय तीन दिशाओं से (1. विकास दुबे के घर की छत से। 2. प्रभात मिश्रा के घर की छत से। 3. शशिकांत दुबे के घर की छत से) पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिससे तीनों टीमों के सदस्य आनन–फानन में जान बचाने के लिए आड़ लेकर छिप गए। मैं पश्चिम दिशा में स्थित भोला वर्मा के बरामदे में जाकर छिपा। श्री विनय कुमार तिवारी कहां थे मुझे नहीं पता। बदमाशों की अंधाधुन्ध फायरिंग में 08 पुलिस कर्मी मृतक हुए व 06 पुलिस कर्मी घायल हुए। बदमाशों के द्वारा 30–35 मिनट तक गोलीबारी की जाती रही, गोलीबारी रूकने के बाद मैं निकलकर जहां हमारे वाहन खड़े थे, उस स्थान पर आ गया। तब तक चोटिल पुलिस कर्मी वहां से अस्पताल के लिए रवाना हो चुके थे। घटनास्थल से मैं सबसे आखिर में निकलकर गाड़ियों के पास आया था। वहां पर 30–40 मिनट मैं रूका होउंगा, इतनी देर में एसएसपी, कानपुर नगर महोदय व भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुँच गयी, तब पुलिस बल के साथ मैं दुबारा घटनास्थल की तरफ गया। मैं करीब सुबह 7 बजे तक बिकरू घटनास्थल पर ही रूका रहा। मेरे साथ मौजूद उपनिरीक्षक अजहर इशरत को कहीं से सूचना मिली की इस काण्ड में विष्णु पाल भी शामिल था जो पास में स्थित सुज्जा निवादा का रहने वाला है। मैं और उपनिरीक्षक अजहर इशरत जी डिब्बा निवादा मोड़ पर आ गए। जब हम लोग डिब्बा निवादा मोड़ पर मौजूद थे तो काशीराम नेवादा की तरफ से आने वाले किसानों ने बताया कि

अभिषेक कुमार

(254)

D.W.-8/05

काशीराम निवादा में फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, जिस सूचना पर हम लोग पैदल पैदल खेतों के रास्ते से ग्राम काशीराम नेवादा की तरफ चल पड़े रास्ते में पश्चिम दिशा में देखा कि एक स्थान जहां पर देवी जी, हनुमानजी, और भोलेजी का मंदिर है वहां पर काफी संख्या में पुलिस मौजूद है। वहां पहुँचकर मैंने देखा कि दो घायल बदमाशों को चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए गाड़ी में बैठाया जा रहा था। मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष कल्याणपुर श्री अजय सेठ को मैंने दोनों घायल बदमाशों को उनकी शक्ल व हुलिया से पहचानते हुए बताया कि एक बदमाश का नाम अतुल कुमार दुबे तथा दूसरे बदमाश का नाम प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेम कुमार उर्फ राजाराम पाण्डेय है, जो दोनों शातिर बदमाश हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के साथ अक्सर दिखाई देते थे। लॉकडाउन की अवधि में करीब 04 माह तक मेरा बिकरू मोड़ से दिन में कई बार आना–जाना रहता था, जिस कारण से उक्त दोनों घायल (मृतक) बदमाशों को मैंने अक्सर हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के साथ देखा था। यही मेरा बयान है।

अभिषेक कुमार

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

लघु प्रति प्राप्त की
अभिषेक कुमार

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

I.W.- 9

(घटना कमांक-02)
दिनांक 11/11/2020

साक्षी का नाम-रण बहादुर सिंह, आयु-46 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री क्षत्रपाल सिंह, पदनाम- प्रभारी निरीक्षक, थाना-काकादेव, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 02.11.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक थाना काकादेव के पद पर नियुक्त हूँ। दिनांक 2/3 जुलाई 2020 को मैं अपराध शाखा कानपुर नगर में नियुक्त था। मैं मु0अ0सं0 193/20, 194/20 व 195/20 का विवेचक हूँ। यह विवेचना मुझे दिनांक 04.07.2020 को श्रीमान एसएसपी कानपुर नगर के आदेश पर प्राप्त हुई, जिसे मैंने उसी दिन ग्रहण किया था। उसके बाद से मैं ही विवेचक हूँ। शपथपत्र देने की तिथि तक विवेचना में 42 परचे (केस डायरी) किता किये थे। जिसमें से परचा एक पूर्व विवेचक विनय तिवारी द्वारा किता किया गया था। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात घायल साक्षीगण उपनिरीक्षक मो0 आसिफ व का0 दुर्गेश मणि के चिकित्सीय आख्याएं प्राप्त हुई थी, जिनके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि साक्षीगण को आग्नेयास्त्र से चोटें आयीं थी। विवेचना के कम में मेरे द्वारा वादी मुकदमा/फर्द के गवाह निरीक्षक श्री अजय सेठ एवं अन्य गवाह निरीक्षक श्री हरमीत सिंह बयान अंकित करके उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकामुआयना किया गया। फर्द के अन्य गवाह आईजी श्री मोहित अग्रवाल, तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर श्री दिनेश कुमार पी0 तथा दोनों पुलिस टीम के सदस्यों के विस्तृत बयान मेरे द्वारा अंकित किये गए।

उप निरीक्षक मोहम्द आशिफ व कां0 दुर्गेश मणि ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग से उन्हें चोटें आई। उन्होंने घटना के समय पहनी अपनी शर्ट मुझे दी। जिसको मैंने कब्जे में लेकर उसकी फर्द बनाई। विवेचना के दौरान मैंने घायल बदमाशों की शिनाख्त हेतु घटना स्थल पर पहुँचने वाले चौबेपुर थाने के उप निरीक्षक अजहर इशरत और कां0 अभिषेक कुमार का बयान अंकित किया। जिसमें उन्होंने सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुँचने की पुष्टि की और कां0 अभिषेक द्वारा घायल बदमाशों की शिनाख्त करना बताया ।

256

प्रभारी निरीक्षक थाना अनवरगंज दिलीप कुमार बिन्द व उनके हमराही उप निरीक्षक प्रदीप कुमार तोमर, कां0 गिरजेश कुमार, कां0 प्रवीण कुमार, महिला कां0 आरती शर्मा, कां0 चालक संदीप कुमार, तथा थानाध्यक्ष ककवन उपनिरीक्षक रावेन्द्र कुमार मिश्रा व उनके हमराह कां0 राजवीर सिंह, कां0 सोनू कुमार, कां0 राहुल कुमार, कां0 चालक सनोज कुमार, के भी बयान अंकित किये। जिन्होंने बताया कि इस पुलिस मुठभेड़ मे घायल बदमाशों को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उपचार हेतु सी0एच0सी0 चौबेपुर लेकर गये थे जहॉ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अभियुक्त अतुल कुमार दुबे व प्रेम कुमार उर्फ प्रेमप्रकाश उर्फ राजाराम पाण्डेय का पंचायतनामा सी0एच0सी0 चौबेपुर पर तहसीलदार बिल्हौर अवनीश कुमार द्वारा किया गया जिनका मैंने बयान अंकित किया। उन्होंने यह पंचायतनामा उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा से बोल–बोलकर लिखवाना बताया पंचायतनामे के गवाहान मुन्ना लाल आदि ने अपनी उपस्थिति में पंचायतनामा होने और उस पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। कां0 अंगद साहनी व कां0 हरिओम ने अपने–अपने बयान में बताया कि मृतक प्रेम कुमार व अतुल दुबे के शव पोस्ट मार्टम हेतु उन्हें अभिरक्षा में दिये गये थे जिन्हें वे पंचायतनामा स्थल से एल0एल0आर0 अस्पताल की मोरचरी में लेकर आये थे जहॉ डॉक्टरों ने उनका पोस्ट मार्टम किया।

मृतकगण के पोस्ट मार्टम करने वाली टीम के डॉ0 राहुल वर्मा का बयान मैंने अंकित किया। जिसमें उन्होंने मृतक अतुल कुमार दुबे के शरीर पर आग्नेयास्त्र की कुल 14 चोटें, जिनमें 07 प्रवेश घाव और 07 निकास घाव तथा मृतक प्रेम प्रकाश के शरीर पर आग्नेयास्त्र की कुल 04चोटें, जिनमें 02 प्रवेश घाव और 02 निकास घाव होना बताया। मृतकों के पोस्ट मार्टम की वीडियोंग्राफी करने वाले अरविन्द्र त्रिवेदी ने संपूर्ण पोस्ट मार्टम की प्रकिया की वीडियोग्राफी करने की पुष्टि की।

फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल से संकलित साक्ष्य की रिपोर्ट को मैंने प्राप्त किया। मैंने एस0एस0एल0 लखनऊ की वैज्ञानिक टीम को मुठभेड़ के घटना स्थल पर ले जाकर दिनांक 17.7.2020 को घटना का सीन रिकॉस्ट्रक्ट कराया और अभियुक्तगण से बरामद असलहे और कारतूसो को एफ0एस0एल0 लखनऊ और फील्ड यूनिट कानपुर नगर में परीक्षण हेतु दाखिल कराया।

मैंने विवेचना के दौरान पाया कि अभियुक्त मृतक अतुल दुबे के पास से बरामद फैक्ट्रीमेड रायफल अभियुक्त विकास दुबे की लाईसेंसी रायफल थी जिसका प्रयोग दिनांक 03.07.2020 को पुलिस मुठभेड़ (मु0अ0सं0 193/20 थाना चौबेपुर) के दौरान अभियुक्त अतुल दुबे ने किया था। इसके अतिरिक्त इस रायफल से बदमाशों ने 2/3..7.2020 की घटना (संबंधित मु0अ0सं0 192/20 थाना चौबेपुर) में ग्राम बिकरू में दबिश देने गये पुलिस टीम पर

फायरिंग करके प्रयोग किया था। इसकी पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट से हुई है। चूँकि उपरोक्त रायफल से चले हुए 315 बोर के 9 खोखे कारतूस बिकरू से घटना स्थल से बरामद हुए थे और इसके पश्चात् इसी रायफल से चले हुए 315 बोर के 7 खोखे कारतूस इस पुलिस मुठभेड़ की घटना स्थल (मु0अ0सं0 193/20 थाना चौबेपुर) से बरामद हुए थे। इसी प्रकार उप निरीक्षक कौशलेन्द्र प्रताप सिंह से दिनांक 2/3.7.2020 की घटना (मु0अ0सं0 192/20 थाना चौबेपुर) में पुलिस दबिश के दौरान प्रेम प्रकाश द्वारा लूटी गयी सरकारी ग्लाक पिस्टल दिनांक 03.07.2020 की पुलिस मुठभेड़ (मु0अ0सं0 193/20 थाना चौबेपुर) के दौरान प्रेम प्रकाश के पास बरामद हुई। इस पिस्टल से चले हुए 06 खोखा कारतूस भी दिनांक 03.07.2020 की पुलिस मुठभेड़ (मु0अ0सं0 193/20 थाना चौबेपुर) की घटना स्थल से बरामद हुई जिसकी पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोग शाला लखनऊ की रिपोर्ट से हुई है।

मृतक अभियुक्तगण अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश शातिर हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के साथी है। अभियुक्त अतुल दुबे के विरूद्ध 10 आपराधिक मुकदमे और अभियुक्त प्रेम प्रकाश के विरूद्ध 04 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

मैने विवेचना के पश्चात् पाया कि साक्षीगण के बयानों में कोई विरोधाभाष नहीं है। प्रथम सुचना रिपोर्ट में अंकित कथन और घटनाक्रम का समर्थन मौखिक, वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य से हो रहा है। अभियुक्तगण प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे ने सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्यपालनार्थ की फायरिंग के कारण दोनों अभियुक्तगण घटना स्थल पर घायल हो गये जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

11.XI.20

प्रति प्राप्त किया।

11.XI.20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

258

Documents/Evidence

Incident No. 03

dated 08.07.2020,

Vill- Artara, PS-Maudhaha, Hamirpur.

(3)

259

मु0अ0सं0 281/2020 धारा 307/504 भादवि0 थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
(पुलिस मुठभेड़ का संक्षिप्त विवरण)

दिनांक 02-03.07.2020 को जनपद कानपुर के चौबेपुर थानान्तर्गत बिकरू गांव में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर स्व0 देवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में भय दोहन करने वाले हिस्ट्रीशीटर, गिरोहबन्द/वांछित दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे निवासी बिकरू के घर दबिश देने हेतु पुलिस बल गया था जिसकी कार्यवाही के दौरान पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा छतों से मोर्चा लेकर पुलिस दल पर घात लगाकर तबाड़तोड़ धातक फायरिंग की गयी थी जिसके फलस्वरुप तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर देवेन्द्र मिश्र मय हमराह कुल 08 पुलिस कर्मी शहीद हो गये थे तथा छः पुलिस कर्मी घायल हो गये थे तथा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम की एक AK-47 रायफल व एक अदद इन्सास रायफल, 01 अदद 9MM ग्लाक पिस्टल व 02 अदद 9MM पिस्टल मय कारतूस के लूट लिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पर मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे व अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासीगण ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर सहितकुल 21 नामजद व 60-70 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था. उक्त अभियोग के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आई0जी0 रेंज कानपुर नगर व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी थी । उच्चाधिकारियों द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को गिरोहबन्द दुर्दान्त अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह मय हमराह फोर्स एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ से दिनांक 07.07.2020 को रवाना होकर अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि देर रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अमर दुबे उपरोक्त घटना के बाद से निरन्तर फरार रहकर जनपद हमीरपुर के मौदहा थानान्तर्गत अरतरा गांव में कहीं छिपा हुआ है मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज शुक्ला के साथ उनके हमराही उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 पंकज कुमार, का0 कमान सिंह मय सरकारी वाहन UP 91 G 0244 के साथ मिले. आपस में बातचीत कर हमराहियों को मकसद बताकर अरतरा गांव पहुंचे इसी बीच मुखबिर खास ने बताया कि आप लोगों के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा से नेशनल रोड से होकर हाईवे की तरफ कही जा रहा है । नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा के नलकूप के कुछ दूर पहले ही मुखबिर ने पिट्ठू बैग टांगे हाईवे की तरफ जाते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बताया कि यही वांछित अभियुक्त अमर दुबे है और इशारा करके मुखबिर वापस चला गया । और हम पुलिस वाले अपने-अपने वाहनों को पीछे छोड़कर छिप छिपाकर उक्त व्यक्ति की ओर बढ़ना चाहे कि उक्त व्यक्ति ने अपना पिट्ठू बैग जमीन पर रखकर पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान लेने की नियत से नलकूप भवन के पास आड़

पुलिस अधीक्षक
... कार्यालय
... नगर

260

लेकर फायर किया जिससे उ0नि0 सत्यप्रकाश के पहने हुए बुलेट प्रूफ जैकेट के नाभि के पास गोली लगी किन्तु जैकेट को पार नही कर सकी। इस पर उ0नि0 सत्यप्रकाश ने आड़ लेते हुए तेज आवाज में उससे कहा कि गोली मत चलाओं तुम कानपुर के मामले में वांछित हो यदि हम पुलिस वालों पर गोली चलाओगे तो तुम अपने आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा ही दोगे। जैसे भी हो हम लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। इस पर उस व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गाली देते हुए पुनः फायर किया जिससे गोली प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की कोहनी को छूते हुए निकल गयी। पुनः पुलिस द्वारा चिल्लाकर फायर न करने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु नही माना पुनः एक फायर किया। प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा जनपद कन्ट्रोल रुप पर हो रही मुठभेड़ की सूचना जरिये आरटी सेट दी गयी एवं तत्काल फोर्स को भेजने का अनुरोध किया गया। पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए फील्ड क्राफ्ट एंव टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए अपराधी की फायरिंग रेंज में घुसकर गिरफ्तारी का प्रयास किया किन्तु उसने पुलिस को लक्ष्य कर पुनः कुछ राउण्ड फायर किया जिससे आरक्षी राजीव कुमार सिंह को भुजा को चोटिल करते हुए निकल गयी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलायी आरक्षी राजीव कुमार सिंह ने भी कवरिंग फायर किया जिससे अपराधी अमर दुबे घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसके दाहिने हाथ में एक अदद कन्ट्रीमेड .32 बोर पिस्टल जिसके चैम्बर में 01 खोखा राउण्ड फंसा हुआ मय मैगजीन मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। जिसकी सांस चल रही थी जिसके जीवन रक्षार्थ 108 नम्बर एम्बुलेन्स से जरिये उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र मौदहा भेजा गया जहाँ चिकित्सक ने परीक्षणोंपरान्त मृत घोषित कर दिया। उक्त बदमाश की शिनाख्त अमर दुबे के रुप में की गयी।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

1- FIR - मु०अ०सं० - 281/20 धारा 307/504 IPC

2- मु०अ०सं० - 282/20 धारा 3/25/27 Arms Act

261

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हमीरपुर P.S. (थाना): मौदहा Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. 0281 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 08/07/2020 11.25 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	307
2	भा द सं 1860	504

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): बुधवार Date From (दिनांक से 08/07/2020 Date To (दिनांक तक) 08/07/2020
Time Period (समय अवधि): पहर 2 Time From (समय से) 06:30 बजे Time To (समय तक): 06:30 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 08/07/2020 Time (समय): 11:03 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026 Date & Time (दिनांक और समय): 08/07/2020 11:03 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): नेशनल रोड़ पर जल संस्थान मौदहा,के नलकूप से कुछ दूर पहले, वहद कस्बा व थाना मौदहा,जनपद हमीरपुर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह एसटीएफ लखनऊ उ0प्र0
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	एसटीएफ लखनऊ ,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	एसटीएफ लखनऊ ,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

262

158

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मृतक- अमर दुबे		पिता का नाम : संजीव	1. ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर ,चौबेपुर, कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1.	शस्त्र और गोला - बारूद	आग्नेय हथियार	01 अदद .32 बोर अवैध कन्ट्री मेड पिस्टल, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर ए	

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी. प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल फर्द-फर्द पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला व मुठभेड अपराधी तथा बरामदगी 01 अदद .32बोर अवैध कन्ट्रीमेड पिस्टल, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर एव 07 अदद खोखा कारतूस 9mm अन्तर्गत धारा 307/504 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट --विगत 2/3 जुलाई 2020 को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थानान्तर्गत बिकरू गांव में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर , स्व0 देवेन्द मिश्र के नेतृत्व में भय दोहन करने वाले हिस्ट्रीशीटर ,गिरोहबन्द /वांछित दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे पुत्र राजकुमार दुबे निवासी बिकरू के घर दबिश देने हेतु पुलिस बल गया था जिसकी कार्यवाही के दौरान पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा छतों से मोर्चा लेकर पुलिस दल पर घात लगाकर ताबडतोड घातक फायरिंग की गयी थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर देवेन्द मिश्र एवं उनके हमराह तीन उ0नि0 व चार आरक्षी शहीद हो गये थे तथा 06 पुलिसकर्मी घायल हो गये थे तथा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम की एक AK-47 रायफल व 01 अदद इन्सास रायफल , 01 अदद 9 MM ग्लाक पिस्टल व 02 अदद 09 MM पिस्टल मय कारतूस के लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना चौबेपुर पर मु0अ0स0 192/20 धारा 147,148,149,302,307,394 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम 1. विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे व अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासी गण ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर सहित कुल 21 ज्ञात व 60-70 अज्ञात बदमाशो के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। घटना से जनता व सरकारी सेवको में दहशत व्याप्त है उक्त अभियोग के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आई0जी0 रेंज कानपुर व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नकद पुरष्कार की घोषणा की जा चुकी है। उच्चाधिकारियो द्वारा एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को गिरोहबन्द दुर्दान्त अपराधियो की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में उक्त घटना के वांछित पुरष्कार घोषित अभियुक्त अमर दुबे पुत्र संजीव निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर की गिरफ्तारी हेतु मुझ उ0नि0 एस0टी0एफ0 सत्यप्रकाश सिंह को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में मै उ0नि0 मय हमराही मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार , मुख्य आरक्षी विनोद कुमार , आरक्षी राम सिंह , आरक्षी कमान्डो राजीव सिंह , आरक्षी चालक मुन्ना लाल मय वाहन सरकारी इनोवा क्रिस्टा यूपी 32 बीजी 4756 के एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ से दिनाक 07.07.2020 को रवाना होकर अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि देर रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अमर दुबे उपरोक्त घटना के बाद से निरन्तर फरार रहकर जनपद हमीरपुर के मौदहा थानान्तर्गत अरतरा गांव में कहीं छिपा हुआ है मुखबिर की इस सूचना को प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज शुक्ला से साझा करते हुए पुलिस सहयोग का अनुरोध किया गया और हम लोग बडा चौराहा के पास मिले। प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला के साथ उनके हमराही उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह , का0 पंकज कुमार , का0 कप्तान सिंह मय सरकारी वाहन यूपी 91 जी 0244 के साथ है हम लोग आपस में बातचीत कर हमराहियों को मकसद बताकर अरतरा गांव पहुंचे इसी बीच मुखबिर खास ने बताया कि आप लोगो के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा से नेशनल रोड से होकर हाइवे की तरफ कहीं जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके हम लोग मय मिलजुमला फोर्स के अपने अपने सरकारी वाहनो से मुखबिर को साथ लेकर नेशनल

पुलिस अधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

रोड से हाइवे की तरफ चल दिये । नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा के नल कूप से कुछ दूर पहले ही हमराही मुखबिर खास ने पीट्ठू बैग टांगे हुए हाइवे की तरफ जाते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बताया कि यही वांछित अभियुक्त अमर दुबे है जिसे आप लोग खोज रहे हैं। यह बताकर इशारा करके मुखबिर वापस चला गया और हम पुलिस वाले अपने अपने वाहनों को पीछे छोडकर छिप छिपाकर उक्त व्यक्ति की ओर बढ़ना चाहे कि उक्त व्यक्ति ने अपना पिट्ठू बैग जमीन पर रखकर हम पुलिस वालो को निशाना बनाकर जान लेने की नीयत से हम लोगो पर जल संस्थान नलकूप के भवन के पास आढ लेकर फायर किया जिससे मुझ उ0नि0 के पहने हुए बुलेट प्रूफ जैकेट के नाभि के पास गोली लगी किन्तु जैकेट को पार नही सकी। इस पर मैंने आड लेते हुए तेज आवाज मे उससे कहा कि गोली मत चलाओ तुम कानपुर नगर के मामलो में वांछित हो यदि हम पुलिस वालो पर गोली चलाओगे तो तुम अपने आपराधिक कृत्यो को बढावा ही दोगे जैसे भी हो हम लोगो के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। मेरी इस सलाह पर कोई विचार न करते हुए उस व्यक्ति ने हम पुलिस वालो को भद्दी भद्दी गाली देते हुए पुनः फायर किया जिससे गोली प्र0नि0 मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की कोहनी को छूते हुए निकल गयी। इस.पर हम पुलिस वालो ने पुनः चिल्ला कर समझाया कि फायर मत करो , आत्मसमर्पण करो लेकिन वह नही माना और पुनः एक फायर किया। जिसके जवाब में मैने ललकारते हुए एक राउन्ड हवाई फायर किया। प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा जनपद कन्ट्रोल रूम पर हो रही मुठभेड की सूचना समय करीव 6.30 बजे सुबह जरिए आरटी सेट दी गयी एवं तत्काल फोर्स को भेजने का अनुरोध किया गया । अपनी जान का खतरा देखकर और अपराधी की दुर्दान्तता एवं उसके भाग कर पुनः जनहानि करने के दृष्टिगत मैने, प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला ने अपनी जान जोखिम में डालकर अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए अपराधी की फायरिंग रेन्ज में घुसकर गिरफ्तारी का प्रयास किया किन्तु उसने हम लोगो को लक्ष्य कर पुनः कुछ राउन्ड फायर किया जिससे आरक्षी राजीव कुमार सिंह की दाहिनी भुजा को चोटिल करते हुए निकल गयी। जिससे आरक्षी राजीव कुमार सिंह की दाहिनी कोहिनी में चोट लगने से गिर पडे। मैने व प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला ने आत्म रक्षार्थ गोली चलाई।आरक्षी राजीव कुमार सिंह ने भी कवरिंग फायर किया। जिससे अपराधी अमर दुबे घायल होकर जमीन पर गिर पडा। इसके घायल होने की चिन्ता में हम लोग पास जाकर देखे तो इसकी सांस चल रही थी, इसके दाहिने हाथ में एक अदद कन्ट्रीमेड .32 बोर पिस्टल जिसके चैम्बर में एक खोखा राउन्ड फसा हुआ था मय मैगजीन मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ तथा बगल में एक नीले रंग का पिट्ठू बैग बरामद हुआ। पूर्व से प्रिन्ट मीडिया , इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सरकारी दस्तावेजो में उपलब्ध तथा सूचना संकलन से प्राप्त फोटो से प्रमाणित है कि यही वह व्यक्ति अमर दुबे है। इसके जीवन रक्षार्थ 108 नम्बर पर एम्बुलेन्स को काल किया गया। टीम के सभी सदस्यो को एकत्र कर कुशल क्षेम पूछी गयी यदि टीम द्वारा भूमि कौशल व टैक्टिक्स का प्रयोग न किया जाता तो निश्चित रूप से मेरी व अन्य सदस्यो की जान जा सकती थी इस मुठभेड मे आत्मरक्षार्थ सरकारी पिस्टल 9mm ग्लाक से मैने 04 राउन्ड , प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा अपनी सर्विस ग्लाक पिस्टल 9 mm से 03 राउन्ड तथा आरक्षी राजीव कुमार सिंह ने अपनी सरकारी पिस्टल 9mm से 02 राउन्ड फायर किया। एम्बुलेन्स आने पर घायल अपराधी को जरिए उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा भेजा गया जहां चिकित्सक ने परीक्षणोपरान्त मृत (ब्राट डेड) घोषित कर दिया। दौराने कार्यवाही गवाहन फराहम कर ने की कोशिश की गयी किन्तु बुरा भला सोचते हुए कोई गवाही को तैयार नही हुआ।दौराने कार्यवाही मानवाधिकारो हेतु मानवाधिकार आयोग एवं मा0 सर्वोच्च न्याया0 के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा बोल बोलकर का0 राम सिंह के हस्तलेख पर तैयार कराई गयी। सर्व सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है। घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियो एवं मृतक के परिजनो को सूचित जरिए उचित माध्यम सूचना दी जाएगी। घटना स्थल को सुरक्षित करने हेतु थाना स्टाफ को हिदायत दी गयी। sd अपठनीय /08. 07.2020(सत्यप्रकाश सिंह) उ0नि0 एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ sd विनोद sd का0 राजीव कु0 सिंह sd अंग्रेजी अपठनीय sd अरविन्द sd मुन्ना लाल sd अपठनीय si sd c पंकज कुमार sd c कमान सिंह sd अपठनीय 8/7/20 (M.K Shukla sho मौदहा) नोटः फर्द की नकल व मुकदमा की कायमी हे0मु0 शिवाकान्त मिश्रा द्वारा बोल-बोल कर व कम्प्यूटरीकृत आपरेटर द्वारा की गयी (कम्प्यूटर की त्रुटियो को छोडकर)।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: MANOJ KUMAR SHUKLA(I (Inspector)) / 012440069 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

264

18

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in Charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): MANOJ KUMAR SHUKLA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012440069

प्रभारी ... सूचना सेल ... कानपुर नगर

265

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हमीरपुर   P.S. (थाना): मौदहा   Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. 0282   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 08/07/2020 11:40 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	आयुध अधिनियम, 1959	3
2	आयुध अधिनियम, 1959	25

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): बुधवार   Date From (दिनांक से 08/07/2020   Date To (दिनांक तक) 08/07/2020
Time Period (समय अवधि): पहर 2   Time From (समय से) 06:30 बजे   Time To (समय तक): 06:30 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 08/07/2020   Time (समय): 11:03 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026   Date & Time (दिनांक और समय): 08/07/2020 11:03 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 किमी   Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): नेशनल रोड़ पर जल संस्थान,के नलकूप से कुछ दूर पहले, वहद कस्बा व थाना मौदहा,जनपद हमीरपुर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह एसटीएफ लखनऊ
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	एसटीएफ लखनऊ ,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	एसटीएफ लखनऊ ,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

(266)

(142)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मृतक- अमर दुबे		पिता का नाम : संजीव	1. ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी में दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	शस्त्र और गोला - बारूद	बारूदी हथियार	01 अदद .32 बोर अवैध कन्ट्री मेड पिस्टल, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर ए	

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल फर्द-फर्द पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला व मुठभेड अपराधी तथा बरामदगी 01 अदद .32बोर अवैध कन्ट्री मेड पिस्टल, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर एवं 07 अदद खोखा कारतूस 9mm अन्तर्गत धारा 307/504 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट —विगत 2/3 जुलाई 2020 को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थानान्तर्गत बिकरु गांव में क्षेत्राधिकारी बिल्हौर , स्व0 देवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में भय दोहन करने वाले हिस्ट्रीशीटर ,गिरोहबन्द /वांछित दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे पुत्र राजकुमार दुबे निवासी बिकरु के घर दबिश देने हेतु पुलिस बल गया था जिसकी कार्यवाही के दौरान पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अपराधी विकास दुबे और उसके साथियो द्वारा छतों से मोर्चा लेकर पुलिस दल पर घात लगाकर ताबडतोड घातक फायरिंग की गयी थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर देवेन्द्र मिश्र एवं उनके हमराह तीन उ0नि0 व चार आरक्षी शहीद हो गये थे तथा 06 पुलिसकर्मी घायल हो गये थे तथा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम की एक AK-47 रायफल व 01 अदद इन्सास रायफल , 01 अदद 9 MM ग्लाक पिस्टल व 02 अदद 09 MM पिस्टल मय कारतूस के लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पर मु0अ0स0 192/20 धारा 147,148,149,302,307,394 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम 1. विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे व अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासी गण ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर सहित कुल 21 ज्ञात व 60-70 अज्ञात बदमाशों के विरुध्द पंजीकृत हुआ था। घटना से जनता व सरकारी सेवको में दहशत व्याप्त है उक्त अभियोग के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आई0जी0 रेंज कानपुर व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नकद पुरुस्कार की घोषणा की जा चुकी है। उच्चाधिकारियो द्वारा एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को गिरोहबन्द दुर्दान्त अपराधियो की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में उक्त घटना के वांछित पुरुस्कार घोषित अभियुक्त अमर दुबे पुत्र संजीव निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर की गिरफ्तारी हेतु मुझ उ0नि0 एस0टी0एफ0 सत्यप्रकाश सिंह को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में मै उ0नि0 मय हमराही मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार , मुख्य आरक्षी विनोद कुमार , आरक्षी राम सिंह , आरक्षी कमान्डो राजीव सिंह , आरक्षी चालक मुन्ना लाल मय वाहन सरकारी इनोवा क्रिस्टा यूपी 32 बीजी 4756 के एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ से दिनांक 07.07.2020 को रवाना होकर अभिसूचना सकलन किया जा रहा था कि देर रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अमर दुबे उपरोक्त घटना के बाद से निरन्तर फरार रहकर जनपद हमीरपुर के मौदहा थानान्तर्गत अरतरा गांव में कहीं छिपा हुआ है मुखबिर की इस सूचना को प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज शुक्ला से साझा करते हुए पुलिस सहयोग का अनुरोध किया गया और हम लोग घडा चौराहा के पास मिले। प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला के साथ उनके हमराही उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह , का0 पंकज कुमार , का0 कमान सिंह मय सरकारी वाहन यूपी 91 जी 0244 के साथ है हम लोग आपस मे बातचीत कर हमराहियों को मकसद बताकर अरतरा गाव पहुंचे इसी बीच मुखबिर खास ने बताया कि आप लोगो के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा से नेशनल रोड से होकर हाइवे की तरफ कहीं जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके हम लोग मय मिलजुमला फोर्स के अपने अपने सरकारी वाहनो से मुखबिर को साथ लेकर नेशनल

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

267

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

रोड से हाइवे की तरफ चल दिये। नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा के नल कूप से कुछ दूर पहले ही हमराही मुखबिर खास ने पीठू बैग टांगे हुए हाइवे की तरफ आते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बताया कि यही वांछित अभियुक्त अमर दुबे है जिसे आप लोग खोज रहे है। यह बताकर इशारा करके मुखबिर वापस चला गया और हम पुलिस वाले अपने अपने वाहनों को पीछे छोडकर छिप छिपाकर उक्त व्यक्ति की ओर बढना चाहे कि उक्त व्यक्ति ने अपना पिट्ठू बैग जमीन पर रखकर हम पुलिस वालो को निशाना बनाकर जान लेने की नीयत से हम लोगो पर जल संस्थान नलकूप के भवन के पास आढ लेकर फायर किया जिससे मुझ उ0नि0 के पहने हुए बुलेट प्रूफ जैकेट के नाभि के पास गोली लगी किन्तु जैकेट को पार नही सकी। इस पर मैने आड लेते हुए तेज आवाज में उससे कहा कि गोली मत चलाओ तुम कानपुर नगर के मामलो में वांछित हो यदि हम पुलिस वालो पर गोली चलाओगे तो तुम अपने आपराधिक कृत्यो को बढावा ही दोगे जैसे भी हो हम लोगो के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। मेरी इस सलाह पर कोई विचार न करते हुए उस व्यक्ति ने हम पुलिस वालो को भद्दी भद्दी गाली देते हुए पुनः फायर किया जिससे गोली प्र0नि0 मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की कोहनी को छूते हुए निकल गयी। इस पर हम पुलिस वालो ने पुनः चिल्ला कर समझाया कि फायर मत करो , आत्मसमर्पण करो लेकिन वह नही माना और पुनः एक फायर किया। जिसके जवाब मे मैने ललकारते हुए एक राउन्ड हवाई फायर किया। प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा जनपद कन्ट्रोल रूम पर हो रही मुठभेड की सूचना समय करीब 6.30 बजे सुबह जरिए आरटी सेट दी गयी एवं तत्काल फोर्स को भेजने का अनुरोध किया गया। अपनी जान का खतरा देखकर और अपराधी की दुर्दान्तता एवं उसके भाग कर पुनः जनहानि करने के दृष्टिगत मैने, प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला ने अपनी जान जोखिम में डालकर अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए अपराधी की फायरिंग रेन्ज में घुसकर गिरफ्तारी का प्रयास किया किन्तु उसने हम लोगो को लक्ष्य कर पुनः कुछ राउन्ड फायर किया जिससे आरक्षी राजीव कुमार सिंह की दाहिनी भुजा को चोटिल करते हुए निकल गयी। जिससे आरक्षी राजीव कुमार सिंह की दाहिनी कोहिनी में चोट लगने से गिर पडे। मैने व प्रभारी निरीक्षक मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला ने आत्म रक्षार्थ गोली चलाई।आरक्षी राजीव कुमार सिंह ने भी कवरिंग फायर किया। जिससे अपराधी अमर दुबे घायल होकर जमीन पर गिर पडा। इसके घायल होने की चिन्ता में हम लोग पास जाकर देखे तो इसकी सांस चल रही थी, इसके दाहिने हाथ में एक अदद कन्ट्रीमेड .32 वोर पिस्टल जिसके चेम्बर में एक खोखा राउन्ड फसा हुआ था मय मैगजीन मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ तथा बगल में एक नीले रंग का पिट्ठू बैग बरामद हुआ। पूर्व से प्रिन्ट मीडिया , इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सरकारी दस्तावेजो में उपलब्ध तथा सूचना संकलन से प्राप्त फोटो से प्रमाणित है कि यही वह व्यक्ति अमर दुबे है। इसके जीवन रक्षार्थ 108 नम्बर पर एम्बुलेन्स को काल किया गया। टीम के सभी सदस्यो को एकत्र कर कुशल क्षेम पूछी गयी यदि टीम द्वारा भूमि कौशल व टैक्टिक्स का प्रयोग न किया जाता तो निश्चित रूप से मेरी व अन्य सदस्यो की जान जा सकती थी इस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ सरकारी पिस्टल 9mm ग्लाक से मैने 04 राउन्ड , प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा अपनी सर्विस ग्लाक पिस्टल 9 mm से 03 राउन्ड तथा आरक्षी राजीव कुमार सिंह ने अपनी सरकारी पिस्टल 9mm से 02 राउन्ड फायर किया। एम्बुलेन्स आने पर घायल अपराधी को जरिए उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा भेजा गया जहां चिकित्सक ने परीक्षणोपरान्त मृत (ब्राट डेड) घोषित कर दिया। दौराने कार्यवाही गवाहन फराहम कर ने की कोशिश की गयी किन्तु बुरा भला सोचते हुए कोई गवाही को तैयार नही हुआ।दौराने कार्यवाही मानवाधिकारो हेतु मानवाधिकार आयोग एवं मा0 सर्वोच्च न्याया0 के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा बोल बोलकर का0 राम सिंह के हस्तलेख पर तैयार कराई गयी। सर्व सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है। घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियो एवं मृतक के परिजनो को सूचित जरिए उचित माध्यम सूचना दी जाएगी। घटना स्थल को सुरक्षित करने हेतु थाना स्टाफ को हिदायत दी गयी। sd अपठनीय /08. 07.2020(सत्यप्रकाश सिंह) उ0नि0 एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ sd विनोद sd का0 राजीव कु0 सिंह sd अंग्रेजी अपठनीय sd अरविन्द sd मुन्ना लाल sd अपठनीय sl sd c पंकज कुमार sd c कसान सिंह sd अपठनीय 8/7/20 (M.K Shukla sho मौदहा) नोटः फर्द की नकल व मुकदमा की कायमी हे0मु0 शिवाकान्त मिश्रा द्वारा बोल-बोल कर व कम्प्यूटरीकृत आपरेटर द्वारा की गयी (कम्प्यूटर की त्रुटियो को छोडकर)।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: MANOJ KUMAR SHUKLA(I (Inspector)) / 012440069 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

268

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / Informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): MANOJ KUMAR SHUKLA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012440069

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय

Scanned with CamScanner

N.C.R.B I.I.F.-I (एकीकृत जांच प्रपत्र - 1)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (सें.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्युकोडेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

पुलिस उपाधीक्षक
[illegible] रेल कार्यालय
[illegible] नगर

Scanned with CamScanner

(270) (188)

2- कायमी

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मौदहा

District (जिला): हमीरपुर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 026
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 08/07/2020 11:03 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): SHIVAKANTMISHRA
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

आमदी एसटीएफ लखनऊ फोर्स व दाखिला फर्द पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला व मुठभेड अपराधी तथा बरामदगी 01 अदद .32 बोर अवैध कन्ट्री मेड पिस्टल, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर एवं 07 अदद खोखा कारतूस 9mm व कायमी मु0अ0सं0 281/2020धारा 307/504 भादवि0 व मु0अ0स0 282/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट---

उ0नि0 एस0टी0एफ0 सत्यप्रकाश सिंह मय हमराही हे0का0 अरविन्द कुमार, हे0का0 विनोद कुमार, का0 रामसिंह, मय वाहन सरकारी इनोवा किस्टा यू0पी0 32 बीजी 4756 मय चालक मुन्नालाल मुनेना एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के उपस्थित थाना आकर एक किता फर्द पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला व मुठभेड अपराधी तथा बरामदगी 01 अदद .32 बोर अवैध कन्ट्री मेड पिस्टल, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर एव 07 अदद खोखा कारतूस 9mm मय की सभी वस्तु घटना स्थल पर पड़े हुये है मौके पर सुरक्षार्थ थाने का फोर्स लगाया गया है, फारेंसिक टीम को सूचना दी गयी है। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने पर घायल प्र0नि0 श्री मनोज कुमार शुक्ला थाना मौदहा हमीरपुर व का0 राजीव सिंह एसटीएफ लखनऊ बाल बाल बचकर दोनो लोगों के दाहिने हाथ की कोहनी पर फायर से चोट आना तथा फायरिंग के दौरान अभियुक्त अमर दुबे पुत्र संजीव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर घायल होना एम्बुलेन्स 108 से अस्पताल सीएचसी मौदहा ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो जाने के सम्बंध मे दाखिल किया। दाखिला फर्द के आधार पर 1. मु0अ0सं0 281/2020 धारा 307/504 भा0द0वि0 बनाम मृतक अमर दुबे पुत्र संजीव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर उम्र करीब 35 वर्ष 2. मु0अ0सं0 282/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मृतक अमर दुबे पुत्र संजीव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर उम्र करीब 35 वर्ष उक्त दोनो मुकदमों की दिनांक घटना 08.07.2020 व समय 06.30 बजे सुबह व दिनांक सूचना तारीखी इन्दराजा रपट हाजा घटना स्थल नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा के नलकूप से कुछ दूर पहले महद कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर व फासला करीब 01 किमी उत्तर पंजीकृत किया गया। उक्त दोनो मुकदमों की विवेचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के आदेशानुसार दी जायेगी। अपराध सम्बन्धित रजिस्ट्रान दर्ज किया जायेगा।डेली जरायम इन्शाल होगी। घटना की सूचना जरिये आरटी सेट अफसरानवाला को दी जा रही है।तकमीला सम्बन्धित रजिस्ट्रान किया जा रहा ।दौराने कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है। मुठभेड़ की फायरिंग से घायल होने के कारण प्र0नि0 मनोज कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा मय रवाना हमराह फोर्स के व घायल का0 राजीव सिंह एसटीएफ जनपद लखनऊ को साथ लेकर मय वाहन सरकारी यू0पी0 91 जी 0244 के इलाज हेतु सीएचसी मौदहा रवाना हो गये है। फर्द संलग्न मूल एफआईआर है।

7. Subject (विषय):

आमदी एसटीएफ लखनऊ फोर्स व दाखिला फर्द पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला व मुठभेड अपराधी तथा बरामदगी 01

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	307
2	भा द सं 1860	504
3	आयुध अधिनियम, 1959	3
4	आयुध अधिनियम, 1959	25

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/07/2020
Report Printed by (जिन के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): RAM NARAYAN MISHRA
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): MANOJ KUMAR SHUKLA
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012440069

271

3- PMR / पंचायतनामा

Cinema [illegible] done at night by the order of D.M [illegible] Police Paper No. 11 by the 3 doctory Panel (1) - Dr SAYED UMER ALI (2) - Dr. PARMENDRA Prajapati (3) Dr. R.S. Prajapati on 8/07/20 & Videografy on Artificial Light

शासनादेश संख्या -2955/अ० -पु०-9-2011-31(मा0)/2012
दिनांक 11 जनवरी 2012 का संलग्नक

BN-01551/20 (OPD) 10/07/2020

प्रपत्र संख्या- 384
(Form No-384)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मृत्यु पश्चात शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र
(Post-Mortem Examination Report Form for Uttar Pradesh State)

संस्था का नाम...Mortuary Hamirpur

दिनांक 08/07/20...

शव विच्छेदन आख्या संख्या....199/20............
(Post -Mortem Examination Report No.)

शव विच्छेदन परीक्षण करने वाले चिकित्साधिकारियों Dr. Sayed Umer Ali (2) Dr. Parmendra Prajapati (3) Dr. R.S. Prajapati

का नाम एवम् तेनाती का स्थान (1) C.H.C. Kurara (2) C.H.C. Chhani (3) Dist. Hospital Hamirpur

शव प्राप्त करने का समय एवम् दिनांक......7:20 P.M. 08/07/2020.........

अन्वेषण प्रपत्रों की संख्या सहित शव विच्छेदन.......12.........

परीक्षण को प्रारम्भ करने का समय एवम् दिनांक......7:30 P.M. 08/07/2020......

शव विच्छेदन परीक्षण को पूरा करने का समय एवं दिनांक...11:30 P.M. 08/07/2020.....

अन्वेषण हेतु शव के परीक्षण का दिनांक और समय 08/07/2020 At 8:15 to 10:45 AM

(अन्वेषण आख्या के अनुसार)

शव परीक्षण की वीडियो रिकार्डिंग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता...Shashi Kumar Sachan Priya Studeo King Road Hamirpur Mob. No- 9450262066

प्रकरण का विवरण

1(अ) मृतक का नाम.........Amar Dubey..........
(सम्बन्धित कारागार या पुलिस अभिलेख के अनुसार)

(आ) पुत्र/पुत्री/पत्नी....S/o Sanjeev

(इ) पता.....Vill. Vikru PS Chaubepur Dist. Kanpur [illegible]

2. उम्र (लगभग)..35/ वर्ष लिंग पुरुष/महिला/अन्य

3. शव लाने एवम् पहचान कराने वाले पुलिस कर्मी का नाम एवं पद, थाना

1)........C.P. Shiv Sankar Yadav

2)........C.P. Vipin Kumar

4. पहचान /शिनाख्त कराने वाला (सम्बन्धियों /व्यक्तियों का नाम एवम् पता

1).........As Above

2).................

अस्पताल में प्राप्त शवों के प्रकरण में (अस्पताल के अभिलेखों के अनुसार विवरण)

पुलिस उपाधीक्षक ... कानपुर नगर

सेवा में ... पु० अ० [illegible] ... 9-7-20

272

शव परीक्षण सूची पत्र

1) संख्या 172 ....(से.मी.) 2) वजन ... N.A. ......किलो ग्राम

3) शारीरिक बनावट (अ) छरहरी/मध्यम/मोटी

(आ) अच्छी काठी/औसत काठी/दुर्बल काठी/क्षीण काया

4) पहचान के चिन्ह (यदि शव अज्ञात है तो संलग्न प्रपत्र को भरें)

क) ....

ख) ....

ग) अलग पृष्ठ पर अंगुलियों के निशान लेकर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा संलग्न किया जाए ।

5) पहने हुए वस्त्रों का विवरण -महत्वपूर्ण आकृति/लक्षण. (1) जूते - 2, (2) पेंट - 1, (3) [illegible] - 1, (4) [illegible] - 1 (5) टी शर्ट - 1, (6) [illegible] (7) [illegible] धातु - 1, (8) [illegible] - 1 (9) [illegible] (10) घड़ी (11) सफेद धातु का छल्ला

6) शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन (Post -Mortem Changes)

अ) अन्वेषण के समय की स्थिति ....R.M. Present Upper & Lower Limb........

मृत्यु पश्चात अकड़न की उपस्थिति..

तापमान (Rectal)..

विघटन से हुए एवम् अन्य परिवर्तन..... Abdomen distended

आ) शव विच्छेदन परीक्षण के समय की स्थिति..

7 अ) बाह्य सामान्य दिखावट (External General Appearance)....Eyes Closed Mouth Closed

आ) नेत्रों मुखगुहा,जीभ,तथा नाखूनों की दशा..

इ) प्राकृतिक द्वार (Natural Orifices)

ई) बाह्य चोट:-

(प्रत्येक चोट की लम्बाई X चौड़ाई X गहराई ,आकार तथा प्रकार एवम् महत्वपूर्ण शारीरिक सीमा चिन्हों से सम्बन्ध/दूरी का उल्लेख करें चोटों के ताजी अथवा पुरानी होने तथा प्रत्येक चोट की अवधि का उल्लेख करें) सभी चोटों का फोटो ग्राफ, आग्नेयास्त्र संबंध क्षतिग्रस्त गर्दन पर फंदे के निशान के दोनों कान के निचले हिस्से से दूरी तथा ठुड्डी से दूरी स्केल के द्वारा नापते हुए फोटोग्राफ लें, फंदे के निशान लगने से छूटे हुए भाग का भी फोटोग्राफ अवश्य लें ।

निर्देश-(Instructions)

अ)चोटों का उल्लेख क्रम संख्या सहित करें तथा संलग्न रेखा चित्र में दर्शायें ।

आ) भोंक हुए घाव (Stab injuries)में कोण किनारा और शरीर के अन्दर दिशा का उल्लेख करें ।

इ) सभी चोटों में अन्दर के अंग जैसे रक्त वाहिनियां तंत्रिकायें तथा धमनियों के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख अवश्य किया जायेगा ।

ई) आग्नेयास्त्र की चोटों में गोली के भीतर जाने तथा बाहर निकलने के घाव में सामान्जस्य तथा शरीर में गोली के रास्ते (Channel) पर दिशा के संबंध में अवश्य लिखें तथा पहले रेडियोग्राफ से फिर खोलें ।

Antemortam Injuries

(1) Firearm Intury wound Present on Lt. Side of Chest 3 c.m. Above the Lt. nipple At 11 O'clock Position. wound size 0.7X0.7 c.m Margin are Lacerated & Inverted. wound of direction Upward to Downward & Front Anterior to Posterior

(2) Fire arm Intary wound 0.7X0.7 c.m Present on Lt. Side of Chest 6 c.m below the Lt. nipple At 5 O'Clock Position Margin ar Lacerated & Inverted. Wound of direction Upward to Downward Front Anterior to Posterior Scorching & Colour of Abrassion Present

(3) Fire arm Intary wound 0.7X0.7 c.m Present on Lt. side of chest 8 c.m below the Lt. nipple At 6 O'clock Position Margin ar Lacerated & Inverted ...

ire arm Intory wound 0.5X0.5 C.m Present at
of of chest 9 C.m below the xifhysternom at
O'clock Position margin - Lacerated, Inverted &
scorching & Colour of Abrassion direction
Anterior to Posterior upword to Downword on Probing

ie arm Intory wound 0.7X0.7 C.m Present on Rt. side of chest
C.m medial to Rt. nipple at 4 O'clock Position margin
acerated, Inverted, Scorching & Colour of Abrassion
irection upword to Downword & Rt. to Lt. one bullet Recovered
from Chest cavity from vertebral column

arm Intory wound 0.7X0.7 C.m Present on Lt. side of Abdomen 6 C.m
to umbilicus at 5 O'clock Position margin Lacerated, Inverted,
orching & Colour of Abrassion Direction Anterior to
sterior & throw & throw
arm Intory wound 0.8X0.8 C.m Present on Rt. upper arm 6 C.m
the Rt. Elbow Joint on medial Aspect underline bone of Fractur
nerous bone) margin Lacerated, Inverted, Scroching & Colour of
assion Direction Downword to upword bullet Recovered from Rt. Arm wound
arm wound of exit 1.5X1.5 C.m Present on 2 C.m Above from the mid
vertebral Column & 17 C.m below the base of neck margin - Lacerated,
verted bleeding Present from wound
arm wound of Exit 1.5X1.5 C.m Present on 7 C.m Lateral to vertebral
mn & 7 C.m below the wound No-(8) At 7 O Clock Position
rgin Lacerated & Everted bleeding Present from wound
arm wound of Exit 1.5X1.5 C.m Present on Lt. Side of back of
domen 3 C.m below the wound No-(9) margin Lacerated &
verted bleeding Present from wound
arm wound of Exit 1.5X1.5 C.m Present on Lt. Side back of
omen 14 C.m Lateral to vertebral Column on Lt. Side 11 C.m Below
wound No-(10) At 6 O'Clock Position margin Lacerated & Everted
leeding Present from wound

(274)

3 (130)

आंतरिक परीक्षण

सिर (Head)

अ) कपालावरण (Scalp)-....N.A.D......................................

आ) करोटि (Skull).......N.A.D......................................

(यहां की दशा का वर्णन करें तथा संलग्न शरीर के रेखा चित्र में दर्शायें)

इ) झिल्लियां, झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी .....Pale......................

(रक्त स्राव एवन् इसकी स्थिति असामान्य गंध इत्यादि का भी उल्लेख करें)

ई) मस्तिष्क (Brain)की दशा एवं वजन(वजन.ग्राम).....Soft & Pale......................

उ) कोटर नासिका तथा कर्णगुहा -दशा................N.A.D......................

(Orbital Nasal and Aural Cavities-Findings)

ग्रीवा (Neck)

मुख जीभ तथा ग्रसनी......................N.A.D......................

(Mouth, Tongue and Pharynx)

कण्ठ नली तथा स्वर ग्रन्थि..............N.A.D......................

(Larynx, and Vocal cords)

ग्रीवा के आन्तरिक ऊतकों की स्थिति थायरॉयड एवम्.......N.A.D......................

अन्य उपास्थियों की स्थिति श्वास नली-हायड अस्थि......N.A.D......................

(Trachea - Hyoid Bone)

3. छाती (Chest)

पसलियां तथा भित्तियाँ ............N.A.D......................

(Ribs and Chest wall)

निगल (Oesophagus).............N.A.D......................

श्वासनली तथा वायु प्रणाली के कोष्ठक .......N.A.D......................

(Trachea and Bronchial Tree)

परिफुफ्फुस (Pleura)..........Lacerated At Injury Site......................

परिफुफ्फुस गुहा (Pleurl Cavities).......N.A.D......................

फेफड़ों की स्थिति -दाहिना वजन ग्राम.....both side Lacerated About 500 ml blood Present

(Lung findings) बाया वजन ग्राम...........Chest Cavity......................

परिन्कन तथा परिन्कन झिल्ली...........Lacerated......................

(Pericardium and Pericardial Sac.)

हृदय स्थिति तथा वजन ....Lacerated & both Chamber Empty

(Heart Findings and wt.)

पुलिस उपाधीक्षक
मुख्या. गोल कार्यालय
कानपुर नगर

275

...(Abdomen) :

...की दशा (Condition of Abdominal wall)... Lacerated...

... और ... गुहा (Peritoneum and Peritoneal cavity)... About 1.5 lit blood Filled in Abdomen Cavity

...(दीवार की दशा, अर्न्त वस्तु और गन्ध)... Normal ...watery fluid Present

...(wall condition, contents and smell)

... Digested food... material & gasses...

...(Intestine including Appendix)

... Faecal material & gasses...

...(Intestines and mesenteric Vessels)

... Lacerated... G.B. Full...

...(including gall Bladder)

...(Spleen) ... Pale...

...(Pancreas)... N.A.D...

... और ... Pale...

...(ye Findings) ...

... और ... Scanty...

...(Bladder and Urethra)

... के ... (Pelvic Cavity Tissues)... N.A.D...

... की अस्थियाँ (Pelvic Bones)... N.A.D...

...(Genital Organs)... N.A.D...

... पदार्थों की उपस्थिति, मूत्र वीर्य, या किसी अन्य तरल पदार्थ

... और ... और ... की

... करें ।)

... पृथक करना चाहिए तथा वैधिक परीक्षण के

... के ... से ... का ... और ... का ... लें ।

... (जहाँ चाहिए जहाँ आवश्यक हो)... Not ...Conn...

...(... and ...)

... की ... की ... की दशा में ... गया ।

... ...

(276)

मृत्यु के बाद का अनुमानित समय (Times since death) ...About... 24 hr... 2 Days...

(शव के साथ किए गए निरीक्षण सहित सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए)

मृत्यु का कारण और प्रकार (Cause and Manner of Death) ...Due to Shock & Haemorrhage... as a result of ante mortem firearm injury...

मेरी राय और निष्कर्ष के आधार पर मृत्यु का कारण निम्न है -

अ) तात्कालिक कारण (Immediate Cause)

आ) वजह से (Due to)-

इ) चोटों में कौन सी चोट मृत्यु पूर्व /मृत्यु पश्चात की है तथा कौन सी चोट मृत्यु पूर्व की चोट है

ई) चोटों के कारित होने की रीति क्या स्वयं कारित की गई है । हाँ/ना

उ) क्या चोटें (एकल या सम्मिलित, स्वाभाविक रूप से विकसित होने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है -

ऊ) लक्षणों के प्रारम्भ होने का सम्भावित समय (केवल विष के प्रकरण में,

3. कोई अन्य (Any Other)

नमूना एकत्र किया और अग्रसारित किया (कृपया सही का निशान लगायें) (SPECIMENS COLLECTED AND HANDED OVER)

अ) विसरा (आमाशय अन्तर्वस्तु सहित, आंतों और अन्तर्वस्तु सहित, यकृत का नमूना, गुर्दे प्रत्येक का आधा, प्लीहा पट्टी के टुकड़े में रक्त का नमूना (सूखा) कोई अन्य विसरा उपयोग में लाया गया प्रिजर्वेटिव ।

आ) विष के प्रकरण में प्रिजरवेटिव का नमूना ।

इ) अज्ञात शवों के प्रकरण में डी०एन०ए० मिलान हेतु नमूना ।

ई) अज्ञात शवों के प्रकरण में दोनों नमूना एकत्र करें ।

उ) फोटोग्राफ (हिरासत मृत्यु के प्रकरण में वीडियो कैसेट) फिंगरप्रिन्ट इत्यादि । video cassette & 3 X-Ray film Piece

ऊ) कठोर पदार्थ (जैसे बुलेट, छर्रा इत्यादि) Bullet 3 piece

ए) वस्त्र ।

ऐ) सील का नमूना

ओ) अन्वेषण प्रपत्र (कुल संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्येक को हस्ताक्षरित करें ।

औ) योनि, वीर्य या किसी अन्य पदार्थ से बनी स्लाइड (डी.एन.ए.) मिलान करने योनि/गर्भाशय/गुदा/मुख से लिया गया नमूना लैंगिक उत्पीडन के प्रकरण में अंगुलियों के नाखूनों से लिया गया ऊतकों का नमूना और स्तन का स्वाब (स्वाब स्टेन नहीं करना चाहिए)

शव विच्छेदन परीक्षण आख्या की मूल प्रति(Post-mortem Report in original) ...One Carbon Copy...
अन्वेषण प्रपत्र शव वस्त्र और अन्य ...As Above....(उल्लेख करें) सील बन्द (संख्या.....) पुलिस आरक्षी को हस्तगत किया जिसका नाम ...C.P. Shivshankar yadav......... आरक्षी क्रमांक...152710231...............
थाना.....Maudaha................जनपद...Hamirpur.........जिनके हस्ताक्षर यहां है

प्र. शिवशंकर/H/CP/N-152710231

हस्ताक्षर

(3) 8/7/20 Sambhidhni

(2) 8/7/20 Dr. Parmanand Kumar Prajapati

चिकित्साधिकारी का नाम 08/07/20

(बड़े अक्षरों में) (1) SAYED UMER ALI

पदनाम एवं स्थान PHC CHC Kurara Hamirpur

4- Injury Report - Police

Examined S.I. Satya prakash S/o Markandey Singh Agreeband 409/W STF, LKO at CHC Mauda...on 8-7-2008. 11:00pm

BBY Self

MI: Black mark on Rt Shoulder.

Injury CD: 4" pain & Bruise of swelling ... on umbilical region of abdomen

Opinion, ... S.I. Satyaprakash under observation

— [signature]

[signature]

Dr Rajat Ranjan
Pwd
M.O

[signature]

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
... नगर

278

(182)

5- विवेचक

–: आदेश :–

क्षेत्राधिकारी मौदहा जनपद हमीरपुर की आख्या दिनांकित 08.07.2020 के कम में थाना मौदहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–281/20, धारा–307/504 भा0द0वि0 की विवेचना डी0जी0 परिपत्र संख्या–22/2017 दिनांक: 01.08.2017 के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से अपराध शाखा, जनपद हमीरपुर को स्थानान्तरित की जाती है। प्रभारी अपराध शाखा, जनपद हमीरपुर उक्त अभियोग से सम्बन्धित समस्त अभिलेख थाना मौदहा हमीरपुर से प्राप्त कर उसकी विवेचना तत्काल निरीक्षक श्री के0पी0 सिंह, अपराध शाखा, जनपद हमीरपुर को सुपुर्द कर समस्त अपेक्षित कार्यवाही सत्यता/निष्पक्षता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराते हुये, विवेचना का नियमानुसार शीघ्र विधिक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

पत्रांक :–रीडर–निर्देश–विवेचना स्था0(थाना मौदहा)/2020
दिनॉक :–जुलाई 08, 2020

पुलिस अधीक्षक
हमीरपुर

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद हमीरपुर।
2– क्षेत्राधिकारी मौदहा/अपराध शाखा, जनपद हमीरपुर।
3– प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर।
4– प्रभारी अपराध शाखा जनपद हमीरपुर।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Examined Mr Rajeev Kumar Singh S/o late Vikram aged about 40 years/M. Regd ... AM on 8/7/20 at CHC Manduha. B/o CIT Lucknow

M/I - RTI

B/B - S/I Pramod

Injuries - (1) Lacerated wound of size 3cm × 1cm present on left forearm 2cm below left elbow joint. Blackening present around the wound.

(2) Lacerated wound of size 3cm × 1cm present on back of Right elbow joint - Bleeding present

Opinion - all injuries are KUO. injury No (1) may caused by some firearm object. injury No. (2) may caused by some hard & blunt object. Refer to DH Hamirpur for expert opinion & management. duration fresh

Jaybalu
Dr. Jay Prakash

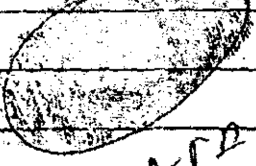

LTI attested
Jaybalu
Pramod

पुलिस अधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
... नगर

(280) (141)

Examined Mr Manoj Kumar Shukla S/o Shri Jaishankar aged about 44 years/m R/o Village Kotwali Maudaha at 7:50 AM on 8/7/20 at CHC Maudaha.

M/I

RT

B/B - S/C Pramod

Injuries ① Lacerated wound of size 4cm × present on Right Forearm. 3 cm below Right elbow joint. Blackening present around the wound.

Opinion - all injuries are KUO & may caused by some fire arm objects. Refer to DH Hamirpur for expert opinion & management. duration - fresh

(Dr Jay Prakash Sahu)

पुलिस अधीक्षक
कार्यालय
कानपुर नगर

281

62

Superintendent Of Police
HAMIRPUR

[illegible]	2020XBAL000542 L/W 591 से 599 BAL-20	दिनांक	18-8-2020
प्रथम सूचना संख्या	281/2020 व 282/2020	राज्य बनाम	AMAR DUBEY
अधिनियम / धारा	IPC/307,IPC/504 व 3/25 Arms Act		
पुलिस स्टेशन - थाना	MAUDAHA	मृतक / मृतका का नाम	
[illegible]		जी०डी० संख्या	

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के पत्र संख्या:रीडर –एस.पी.-(रि.का.सोन) /20,दिनांकित: 11.07.2020 के क्रम में प्रयोगशाला की बैलेस्टिक विशेषज्ञों की टीम द्वारा उक्त से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक13.07.20को किया गया।घटनास्थल निरीक्षण के समय विशेषज्ञों के अतिरिक्त निम्न [illegible] /अधिकारी उपस्थित रहे -

1 - श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक, थाना- मौदहा, हमीरपुर , मय हमराह (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
2 - श्री सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक, एस.टी.एफ. लखनऊ उत्तर प्रदेश वादी / (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
3 - श्री राजीव सिंह , आरक्षी कमांडो,एस.टी.एफ. लखनऊ उत्तर प्रदेश (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
4 - श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप निरीक्षक, थाना- मौदहा , हमीरपुर (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
5 - मुठभेड़में सम्मिलित अन्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी
6 - श्री कुशल पाल सिंह , निरीक्षक, क्राइम ब्रांच, हमीरपुर / विवेचक

घटनास्थल थाना- मौदहा, हमीरपुर से लगभग एक (01)किमी.उत्तर, नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा, के नलकूप से कुछ दूर पहले, [illegible] कस्बा व थाना – मौदहा, जनपद- हमीरपुर के पास होना बताया गया |

दिनांक 02/03.07.2020 की रात में ग्राम विकरू,थाना-चौबेपुर में कानपुर नगर के वांछित अभियुक्त विकास दुबे की तलाश में दबिश देने गये क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के नेतृत्व में सम्मिलित पुलिस कर्मियों पर विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा ताबड़ –तोड़ गोलियां चलाकर सुनियोजित प्राण घातक हमला किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्हौर सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी तथा कई पुलिस कर्मी घायल हो गये |उक्त अभियोग में वांछित फरार इनामी अभियुक्त अमर दुबे के सम्बन्ध में दिनांक 07.07.2020को देर रात मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह,टीम के साथ लखनऊ से रवाना हुये तथा [illegible] चौराहा मौदहा पर श्री मनोज कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना-मौदहा,हमीरपुर,मय हमराह के साथ एकत्र हुये|इस बीच मुखबिर द्वारा अमर दुबे के [illegible] [illegible] रोड से होकर हाईवे की तरफ जाने की सूचना पाकर पुलिस टीम नेशनल हाईवे की तरफ चल दी| नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा, के नलकूप से कुछ दूर [illegible] पिट्ठू बैग टांगे जाते व्यक्ति की तरफ पुलिस टीम बढ़ी ही थी कि उस व्यक्ति ने पिट्ठू बैग जमीन पर रख कर पुलिस टीम फायर कर दिया,जो वादी /उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर नाभि के पास लगी |पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर भी अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर लगातार फायर किया गया|बदमाश द्वारा चलायी गोली से श्री मनोज कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना-मौदहा,हमीरपुर तथा राजीव सिंह आरक्षी कमांडो,एस.टी.एफ.लखनऊ उत्तर प्रदेश घायल हो गये (मजरूब के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रतियां संलग्न है |)|पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा| घायल बदमाश को 108नम्बर पर काल कर,एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा भेजा गया,जहां चिकित्सकों द्वारा परीक्षणोपरांत मृत घोषित कर दिया गया |

[illegible] वर्णित तथ्य श्री सत्य प्रकाश सिंह उप निरीक्षक,एस.टी.एफ.लखनऊ उत्तर प्रदेश,वादी /(मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)के अभिकथन पर आधारित है |

मुठभेड़ में प्रयुक्त शस्त्रों / प्रदर्शों को विशेष वाहक उप.निरीक्षक गुलाब सिंह द्वारा दिनांक 22.07..2020 को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में प्राप्त कराया गया -

प्रयोगशाला संख्या:591-BAL-20 L/ W 592....599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे नं-1 से चिन्हित किया गया है।
2. एक [illegible] का डिब्बा, [illegible] [illegible] 1644327 [illegible] सम्बन्धित [illegible]-281/20व 282/20 [illegible] 9m.m.पिस्टल नं-1644327 4 [illegible] 1/2020 से चिन्हित किया गया है।

प्रयोगशाला संख्या:592-BAL-20 L/W 591- BAL-20 L/ W 593....599-BAL-2020

1. एक नमूना मुहर, जिसे नं-2 से चिन्हित किया गया है।
2. [illegible]

282

Part N 39210

1. ... सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20 व 282/20 थाना-... आदि लिखा है को खोलने पर एक 9 m.m. Glock पिस्टल नं० FMY314, मय मैगजीन प्राप्त हुई जिसे 2/2020 से चिन्हित किया गया है।

प्रदर्श संख्या:593-BAL-20 L/W 591,592- BAL-20 L/W594....599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-3 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर समान न-3 की मुहरें लगी है तथा डिब्बे पर चिपके टेप पर "...ग्लाक पिस्टल मय मैगजीन, नं० AACB-900 सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20 व 282/20, थाना-मौदहा, बनाम-अमर दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. Glock पिस्टल नं-AACB-900, मय मैगजीन प्राप्त हुयी जिसे 3/2020 से चिन्हित किया गया है।

प्रदर्श संख्या:594-BAL-20 L/W 591-593- BAL-20 L/W595....599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-4 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर समान न-4 की मुहरें लगी है तथा डिब्बे पर चिपके टेप पर "....मु०अ०सं०-282/20, थाना-मौदहा बनाम-अमर दुबे सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20आदि लिखा है, को खोलने पर एक पिस्टल, चार (04)अदद 7.65 m.m. KF के चले कारतूस तथा दो 7.65 m.m. KF के जिन्दा / भरे कारतूस प्राप्त हुए जिन्हें क्रमशः 4/2020 से, EC-1, EC-2, EC-3 व EC-4 से तथा LC-1 व LC-2 से चिन्हित किया गया है। EC-4 की P-Cap अनुपस्थित है।

प्रदर्श संख्या:595-BAL-20 L/W 591-594- BAL-20 L/W596....599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-5 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर समान न-5 की मुहरें लगी है तथा डिब्बे पर "....सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20...व पुलिस मुठभेड़, अ०सं०-282/20, थाना-मौदहा बनाम-अमर दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर सात 9 m.m. KF के चले कारतूस प्राप्त हुए जिन्हें क्रमशः EC-5, EC-6, EC-7, EC-8, EC-9, EC-10 व EC-11 से चिन्हित किया गया है।

प्रदर्श संख्या:596-BAL-20 L/W 591-595- BAL-20 L/W597....599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-6 से चिन्हित किया गया है।

2. दो सर्वमुहर प्लास्टिक के डिब्बे, जिन पर समान न-6 की मुहरें लगी हैं तथा प्रत्येक डिब्बों पर ...क्रमशः (1) व (2), एक अदद बुलेट का टुकड़ा तथा बुलेटप्रूफ जैकेट से लिया गया सैंपल टुकड़ा आदि, सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20 व 282/20, थाना-मौदहा बनाम-अमर दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर एक 7.65 m.m. की चली बुलेट तथा बुलेटप्रूफ जैकेट का टुकड़ा सैंपल प्राप्त हुआ। जिन्हें क्रमशः EB-1 से व C-1 से चिन्हित किया गया है।

(3) एक सर्वमुहर बंडल, जिस पर समान न-6 की मुहरें लगी है तथा बंडल पर ... एक अदद बुलेट प्रूफ जैकेट सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20 व 282/20, थाना-मौदहा, बनाम-मृतक अमर दुबे से सम्बन्धित ...आदि लिखा है,को खोलने पर एक काले कलर की बुलेटप्रूफ जैकेट प्राप्त हुयी जिसे BP-1से चिन्हित किया गया है। बुलेटप्रूफ जैकेट के सामने नीचे के स्थान पर कपड़ा कटा है।

प्रदर्श संख्या:597-BAL-20 L/W 591-596- BAL-20 L/W598, 599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-7 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर लिफाफा, जिस पर समान न-7 की मुहरें लगी है तथा लिफाफे पर PM No.-199/20, दिनांक-08.07.2020...मृतक -अमर दुबे, उम्र-35 वर्ष ...आदि लिखा है, को खोलने पर, एक 9 m.m. की विकृत चली बुलेट, एक बुलेट के जैकेट का भाग तथा एक धातु का टुकड़ा प्राप्त हुए। जिन्हें क्रमशः EB-2 से, J-1 से तथा M-1 से चिन्हित किया गया है।

प्रदर्श संख्या:598-BAL-20 L/W 591-597- BAL-20 L/W 599-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-8 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर समान न-8 की मुहरें लगी है तथा डिब्बे पर मृतक अमर दुबे के बाएँ व दाहिने हाथ का स्वाब व सादा कॉटन सम्बन्धित मु०अ०सं०-281/20 व 282/20, थाना-मौदहा हमीरपुर आदि लिखा है, को खोलने पर तीन पॉलिथीन जिन पर क्रमशः NUMBER (1), मृतक अमर दुबे के दाहिने हाथ का स्वाब, NUMBER (2), मृतक अमर दुबे के बाएँ हाथ का स्वाब तथा NUMBER (3), सादा कण्ट्रोल सैंपल, दिनांक 8.7.20 आदि लिखा है, को खोलने पर मृतक अमर दुबे के दाहिने व बाएँ हाथ से सम्बन्धित कॉटन स्वाब तथा कण्ट्रोल स्वाब प्राप्त हुए। जिन्हें क्रमशः S-1, S-2 व S-3 से चिन्हित किया गया है।

प्रदर्श संख्या:599-BAL-20 L/W 591 से 598-BAL-2020 तक

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-9 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर बंडल जिस पर समान न-9 की मुहरें लगी हैं, जिसे खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुए:-

a) - एक कत्थई / मस्टर्ड / भूरे रंग की प्रिन्टेड कलर की फुल शर्ट, जिसे SH-1 से चिन्हित किया गया है।

b) - एक काले कलर की इनर टी-शर्ट (हाफ), जिसे TS-1 से चिन्हित किया गया है।

c) - एक ... बनियान, जिसे B-1 से चिन्हित किया गया है।

d) - एक ... कलर की फुल पैंट, जिसे P-1 से चिन्हित किया गया है।

e) - [illegible] अंडरवियर, जिसे U-1 से चिन्हित किया है

[illegible]

[illegible] PM No. [illegible] 35 वर्ष [illegible]

64.

[illegible] निरीक्षण.

[illegible] निरीक्षण के समय पुलिस के वाहन से नलकूप की दूरी लगभग 85फीट, अभियुक्त के घायल होकर गिरने के स्थान से सड़क के [illegible] की दूरी लगभग 23फीट, अमर दुबे द्वारा किये गये फायर से गाड़ी मल्हप्रकाश के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने के स्थान के बीच की दूरी लगभग 24 फीट, अमर दुबे द्वारा किये फायर से श्री मनोज शुक्ला की कोहनी में गोली लगने के स्थान के बीच की दूरी लगभग 20 फीट, अमर दुबे व [illegible] के बीच की दूरी लगभग——25फीट, आरक्षी श्री राजीव कुमार सिंह के घायल होने से अभियुक्त के घायल होने के बीच की दूरी लगभग 10फीट बताये अनुसार नापी गयी।

निरीक्षण विवादित शर्ट चिन्हित SH-1:

[illegible] की प्रिन्टेड फुल शर्ट है। इसके कालर के नीचे लगे टैग पर SD Super Day Oringal Shirt XXL आदि लिखा है। इस पर सामने बायीं तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 20 cm नीचे पॉकेट पर ऊपर लगभग 0.5 X 0.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है जिसे घेर कर H-1 से चिन्हित किया गया है। इसी तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 28 cm नीचे तथा बगल की सिलाई से लगभग 7 cm दाहिनी ओर 0.5 X 0.7 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-2 से चिन्हित किया गया है। बाएँ कंधे की सिलाई से लगभग 40 cm नीचे तथा बगल की सिलाई से लगभग 12 cm दाहिने एक 0.4 X 0.2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-3 से चिन्हित किया गया है। शर्ट पर सामने कंधे की सिलाई से लगभग 30 cm नीचे तथा मध्य की सिलाई से लगभग 3.5 cm बायीं ओर लगभग 0.4 X 0.4 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-4 से चिन्हित किया गया है। कंधे की सिलाई से लगभग 57 cm नीचे तथा मध्य की सिलाई से लगभग 10 cm बायीं ओर लगभग 2 X 1 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-5 से चिन्हित किया गया है। शर्ट पर सामने दाहिनी ओर कंधे की सिलाई से लगभग 28 cm नीचे तथा मध्य की सिलाई से लगभग 5 cm दाहिनी ओर लगभग 2 X 2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-6 से चिन्हित किया गया है। दाहिनी तरफ ही कंधे की सिलाई से लगभग 28 cm नीचे तथा मध्य की सिलाई से लगभग 10 cm दाहिनी ओर लगभग 0.5 X 1 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-7 से चिन्हित किया गया है।

छिद्र चिन्हित H-1 से H-7 पर रेशे अन्दर की ओर मुड़े (inverted) हैं। इन छिद्रों पर Burning, Scorching, Blackening, Tatooing जैसे लक्षण उपलब्ध नहीं हैं। छिद्र चिन्हित H-1 से H-7 तक मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों को लगभग Correspond करते हैं।

शर्ट पर पीछे पीठ पर लगभग मध्य में कंधे की सिलाई से लगभग 17 cm नीचे तथा बायीं तरफ की सिलाई से लगभग 24 cm दाहिनी ओर लगभग 1 X 1 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-8 से चिन्हित किया गया है। पीठ पर पीछे कंधे की सिलाई से लगभग 25 cm नीचे तथा बायीं तरफ की सिलाई से लगभग 16 cm दाहिनी ओर लगभग 0.5 X 1.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-9 से चिन्हित किया गया है। इसी तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 39 cm नीचे तथा बायीं तरफ की सिलाई से लगभग 11 cm दाहिनी ओर लगभग 2 X 0.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-10 से चिन्हित किया गया है। दाहिने बाजू की सिलाई से सटे लगभग 3 cm नीचे लगभग 1 X 1.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-11 से चिन्हित किया गया है। छिद्र चिन्हित H-8 से H-11 तक पर रेशे बाहर की ओर मुड़े हुए (everted) हैं। ये छिद्र मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20 दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के निकास घावों को लगभग Correspond करते हैं।

निरीक्षण विवादित टी-शर्ट चिन्हित TS-1:

यह एक [illegible] की हाफ टी-शर्ट/ इनर है। इसके गले पर White Rose, Premium Range Made in India ...... आदि लिखा है। टी-शर्ट पर सामने बायी तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 20 cm नीचे तथा बगल की सिलाई से लगभग 18 cm दाहिने तरफ लगभग 0.5 X 0.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। जिसे घेर कर H-12 से चिन्हित किया गया है। इसी तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 28 cm नीचे तथा बगल की सिलाई से लगभग 9 cm दाहिनी ओर लगभग 0.5 X 0.6 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-13 से चिन्हित किया गया है। टी-शर्ट पर सामने कंधे की सिलाई से लगभग 45 cm नीचे बाएँ बगल की सिलाई से लगभग 13 cm दाहिनी तरफ लगभग 0.4 X 0.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। जिसे घेर कर H-14 से चिन्हित किया गया है। कंधे की सिलाई से लगभग 64 cm नीचे तथा बायीं तरफ बगल की सिलाई से लगभग 18 cm दाहिनी तरफ लगभग 0.4 X 0.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। जिसे घेर कर H-15 से चिन्हित किया गया है। कंधे की सिलाई से (लगभग मध्य में) लगभग 24 cm नीचे 0.2 X 1.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। जिसे घेर कर H-16 से चिन्हित किया गया है। टी-शर्ट सामने से कटा / फटा है।

छिद्र चिन्हित H-12, H-13, H-14, H-15, H-16 पर रेशे अन्दर की ओर मुड़े (inverted) हैं। इन छिद्रों पर Burning, Blackening, Scorching, Tatooing जैसे लक्षण उपलब्ध नहीं है। छिद्र चिन्हित H-12, H-13, H-14, H-15, H-16 मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20 दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों को लगभग Correspond करते हैं।

टी-शर्ट पर पीछे पीठ पर गले की सिलाई से लगभग 27 cm नीचे लगभग मध्य में लगभग 0.2 X 0.5 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-[illegible] से चिन्हित किया गया है। पीछे पीठ पर [illegible] की सिलाई से लगभग क्रमशः 38 cm व 39 cm नीचे तथा बायीं तरफ [illegible] की सिलाई से लगभग क्रमशः [illegible] cm व 12 cm दाहिनी ओर [illegible] उपस्थित है। जिसे घेर कर H-[illegible] व H-19 से चिन्हित किया गया है। [illegible] सिलाई से लगभग 34 cm नीचे तथा बायी तरफ [illegible] की सिलाई से लगभग 3 cm दाहिनी ओर लगभग [illegible] X 2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। जिसे घेर कर H-2[illegible] से चिन्हित किया गया है। [illegible]

284

65.

Part N 31212

छिद्र चिन्हित H-17, H-18, H-19 व H-20 पर रेशे [illegible] (everted) हैं। ये छिद्र मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के निकास घावों को लगभग Correspond करते हैं।

निरीक्षण विवादित बनियान चिन्हित B-1:

बनियान पर सामने दायीं तरफ कांख की सिलाई से नीचे लगभग [illegible] X 1 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इस छिद्र को H-21 से चिन्हित किया गया है। बनियान पर बायीं तरफ कांख की सिलाई से लगभग 14 cm नीचे सामने बायीं तरफ लगभग 1 X 2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे छेद को H-22 से चिन्हित किया गया है। बायीं तरफ कांख की सिलाई से लगभग 34 cm नीचे लगभग 1 X 2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे छेद को H-23 से चिन्हित किया गया है। बनियान पर सामने लगभग मध्य में गले की सिलाई से लगभग 5 cm नीचे लगभग 1 X 2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे छेद को H-24 से चिन्हित किया गया है। गले की सिलाई से लगभग 6 cm नीचे (मध्य से दाहिने) लगभग 2 X 2 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है, इसे छेद को H-25 से चिन्हित किया गया है।

छिद्र चिन्हित H-21, H-22, H-23, H-24 व H-25 पर रेशे अन्दर की ओर मुड़े (inverted) हैं। इन छिद्रों पर Burning, Scorching, Blackening, Tatooing जैसे लक्षण उपलब्ध नहीं हैं। ये छिद्र मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों को लगभग Correspond करते हैं।

बनियान पर पीछे पीठ पर गले की सिलाई से लगभग 15 cm नीचे लगभग मध्य में लगभग 0.5 X 1 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे छेद को H-26 से चिन्हित किया गया है। इसी तरह कंधे की सिलाई से क्रमशः लगभग 21 cm व 23 cm नीचे बायीं तरफ लगभग 2 X 2 cm आकार के पास - पास दो छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें क्रमशः H-27 व H-28 से चिन्हित किया गया है। पीठ पर बायीं कांख की सिलाई से लगभग 18 cm नीचे बायीं तरफ लगभग 5 X 1 cm आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे छेद को H-29 से चिन्हित किया गया है।

छिद्र चिन्हित H-26 से H-29 पर रेशे बाहर की ओर निकले (everted) हैं। ये छिद्र मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के निकास घावों को लगभग Correspond करते हैं।

निरीक्षण विवादित पैंट चिन्हित P-1:

यह एक नीले कलर की फुल पैंट है। इसके कमर पर N R DENIM COND 2000 लिखा है। इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के संदिग्ध चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हैं।

निरीक्षण विवादित अंडरवियर चिन्हित U-1:

यह एक [illegible] कलर की अंडरवियर है। इसकी कमर पर DIXCY SCOTT लिखा है। अन्दर की तरफ 100% COMBE COTTON MADE IN INDIA लिखा है। इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के संदिग्ध चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हैं।

निरीक्षण विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1:

....

यह एक काले कलर की बुलेटप्रूफ जैकेट है। इसकी कुल लम्बाई मध्य से लगभग 50 से.मी. तथा चौड़ाई नीचे से लगभग 60 से.मी. है। इस पर सामने गले से लगभग 46 से.मी. नीचे तथा दाहिने किनारे से लगभग 32.5 से.मी. बायी तरफ (अन्दर की ओर) लगभग .6X .6 से.मी. आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इस छेद को H-30 से चिन्हित किया है। छिद्र चिन्हित H-30 पर तथा इसके आस-पास कालिमा दृष्टिगोचर नहीं है।

(1) विवादित 9 m.m. पिस्टल नं-16443274 चिन्हित 1/2020, विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-FMY 314 चिन्हित 2/2020, 9 m.m. Glock पिस्टल नं-AACB-900 चिन्हित 3/2020 तथा विवादित 7.65 m.m. पिस्टल चिन्हित 4/2020 की नाल से अलग – अलग गन पाउडर रेसीड्यू का फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिक परीक्षण किये जाने पर:-

1 - विवादित 9 m.m. पिस्टल नं-16443274 चिन्हित 1/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

2 - विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-FMY 314 चिन्हित 2/2020, की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

3 - विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-AACB-900 चिन्हित 3/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

4 - विवादित 7.65 m.m. पिस्टल चिन्हित 4/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

2 - विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1, पर बने छिद्र चिन्हित H-30 पर तथा उसके आस-पास से गन पाउडर रेसीड्यू का फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1, पर बने छिद्र चिन्हित H-30 पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी।

(3) मृतक अमर दुबे के दाहिने हाथ से प्राप्त स्वाब चिन्हित S-1, बायें हाथ से प्राप्त स्वाब चिन्हित S-2 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-3 में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर :-

1 - मृतक अमर दुबे के दाहिने हाथ से प्राप्त स्वाब चिन्हित S-1, में फायरिंग के अवशेष [illegible] की उपस्थिति पायी गयी।

2 - मृतक अमर दुबे के [illegible] स्वाब चिन्हित S-2 [illegible] में फायरिंग के अवशेष [illegible] पायी गयी।

[illegible]

285

66.

Part N

(4) विवादित बुलेटयुक्त जैकेट का टुकड़ा चिन्हित C-1 [illegible] ... प्राप्त करने हेतु [illegible]

बुलेटयुक्त जैकेट का टुकड़ा चिन्हित C-1, पर फायरिंग के अवशेष [illegible] गई।

(5) मृतक अमर दुबे के पोस्ट मार्टम नम्बर 199/2020, दिनांकित 8.07.2020 से प्राप्त कपड़ा, विवादित शर्ट चिन्हित SH -1 पर उपस्थित छिद्र क्रमशः H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8, H-9,H-10 व H-11, विवादित टी शर्ट चिन्हित TS-1 पर उपस्थित छिद्र क्रमशः चिन्हित H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19 व H-20 तथा विवादित बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्रों क्रमशः चिन्हित H-21, H-22, H-23, H-24, H-25, H-26, H-27, H-28 व H-29 पर तथा इनके आस-पास फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर

1- मृतक अमर दुबे के पोस्ट मार्टम नम्बर 199/2020, दिनांकित 8.07.2020 से प्राप्त कपड़ों, विवादित शर्ट चिन्हित SH -1 पर उपस्थित छिद्र क्रमशः चिन्हित H-2, H-3, H-5 व H-7, पर फायरिंग के अवशेष कारक की उपस्थिति पायी गयी।

2- मृतक अमर दुबे के पोस्ट मार्टम नम्बर 199/2020, दिनांकित 8.07.2020 से प्राप्त कपड़ों, विवादित शर्ट चिन्हित SH -1 पर उपस्थित छिद्र क्रमशः चिन्हित H-1, H-4, H-6, H-8, H-9,H-10 व H-11, विवादित टी शर्ट चिन्हित TS-1 पर उपस्थित छिद्रों क्रमशः चिन्हित H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19 व H-20 तथा विवादित बनियान चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्रों क्रमशः चिन्हित H-21, H-22, H-23, H-24, H-25, H-26, H-27, H-28 व H-29 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

प्रयोगशाला में विशेषज्ञों द्वारा एफ.आई.आर. में वर्णित तथ्यों, नक्शा नजरी व मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ——No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 आदि का अवलोकन व अध्ययन किया गया | मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों पर उपलब्ध लक्षणों के सन्दर्भ में जिला चिकित्सालय हमीरपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा स्पष्ट करते उल्लिखित किया है "चूँकि मृतक अमर दुबे का पोस्ट मार्टम मृत्यु के लगभग —— 12घन्टे पश्चात किया गया था |इतने समय के पश्चात प्रवेश के किनारों की कोशिकायें मृतप्राय हो जाती हैं तथा बुलेट के अधिक तापमान से शरीर में प्रवेश करती है |अतः बुलेट के तापमान से झुलसन (Scorching) एवं बुलेट के घुमाव (spining of bullet) के कारण कालर ऑफ एब्रोजन (color of abraison) आती है |" (डॉ. परमेन्द्र कुमार प्रजापति MO, सी.एच.सी. छानी तथा डॉ. रामशरण प्रजापति वरिष्ठ फिजिशियन जिला चिकित्सालय हमीरपुर के लिखित अभिकथन की छाया प्रति संलग्न है|)

मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-199/20, दिनांकित 08.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों पर उपलब्ध लक्षणों के सन्दर्भ में डॉ. जी. खान (MD), संयुक्त निदेशक मेडिको लीगल, स्टेट मेडिको लीगल सेल, लखनऊ उ.प्र. द्वारा भी दिए गये अभिमत में " In this case we do not observe any Tattooing / Blackening / Scorching flaming too. As examined in video of PMR. So is for shot more than 4.5 feet." (डॉ. जी. खान, संयुक्त निदेशक संयुक्त निदेशक मेडिको लीगल, स्टेट मेडिको लीगल सेल, लखनऊ उ.प्र. द्वारा दिए गये अभिमत की छाया प्रति संलग्न है |)

विवादित 9 m.m. पिस्टल नं-16443274 चिन्हित 1/2020, विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-FMY 314, चिन्हित 2/2020, 9 m.m. Glock पिस्टल नं-AACB-900, चिन्हित 3/2020 द्वारा 9 m.m. के दो - दो कारतूस तथा विवादित 7.65 m.m. पिस्टल चिन्हित 4/2020 द्वारा 7.65 m.m. के दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये | जिन्हें क्रमशः TC-1 व TC-2 से, TC-3 व TC-4 से, TC-5 व TC-6 से तथा TC-7 व TC-8 से चिन्हित किया गया है।

विवादित / परीक्षार्थ कारतूसों तथा विवादित बुलेट्स का निरीक्षण हैण्ड मैग्नीफायर / संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया गया |

1 - विवादित 7.65 m.m. कारतूस चिन्हित EC-1, EC-2, व EC-3 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है। विवादित 7.65 m.m. कारतूस, चिन्हित EC-4, की परकुशन कैप अनुपस्थित है | इन पर पहचान के अन्य चिन्ह उपस्थित नहीं हैं |

2 - विवादित 9 mm कारतूसों चिन्हित EC-5, EC-6, EC-7, EC-8, EC-9, EC-10 व EC-11 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है |

3 - परीक्षार्थ कारतूसों 7.65 m.m. चिन्हित TC-7 व TC-8 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

4 - परीक्षार्थ कारतूसों 9 m.m. चिन्हित TC-1 से TC-6 तक पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

5 - विवादित बुलेट चिन्हित EB-1, का भार लगभग 4.341 ग्राम तथा व्यास लगभग 7.66 m.m. है| इस पर म्यूटिलेशन के चिन्ह उपस्थित हैं।

6 - विवादित बुलेट चिन्हित EB-2, का भार लगभग 7.424 ग्राम तथा व्यास लगभग 9 m.m. है | इस पर 05 लैण्ड / 05 ग्रूव के चिन्ह दृष्टिगोचर हैं, जिनके घुमाव दाहिनी ओर को है |

7 - विवादित धातु का टुकड़ा चिन्हित M-1 का भार लगभग 4.730 ग्राम है | विकृत होने के कारण इसका व्यास नहीं लिया जा सका | [illegible] [illegible] गया |

8 - विवादित बुलेट के जैकेट का भाग चिन्हित J-1 का भार लगभग 1.401 ग्राम है | इस पर 03 लैण्ड [illegible] ग्रूव के चिन्ह दृष्टिगोचर हैं, विकृत होने के कारण इसके [illegible] व घुमाव का आकलन नहीं किया जा सका।

[illegible]

विवादित / परीक्षार्थ कारतूसों की तुलना [illegible] हैण्ड मैग्नीफायर / संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया गया

1- विवादित [illegible] कारतूस चिन्हित EC-1, EC-2 व EC-3 [illegible]

[illegible]

कारतूस चिन्हित TC-2 व TC-6 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ... के चिन्हों के समान है।

2- विवादित 9 m.m. कारतूस EC-5 व EC-6, पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में, परीक्षार्थ कारतूस चिन्हित TC-1 व TC-2 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान है।

3- विवादित 9 m.m. कारतूस चिन्हित EC-7, EC-8 व EC-9, पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में, परीक्षार्थ कारतूस चिन्हित TC-3 व TC-4 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान है।

4- विवादित 9 mm कारतूस EC-10 व EC-11, पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में, परीक्षार्थ कारतूस चिन्हित TC-5 व TC-6 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान है।

5- विवादित 7.65 m.m. कारतूस चिन्हित EC-4, की तुलनात्मक अनुपस्थित है। इस पर पहचान के अन्य चिन्ह उपस्थित नहीं होने कारण, इसकी तुलना परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC-7 व TC-8 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों से नहीं की जा सकी।

परिणाम

1- विवादित 9 m.m. पिस्टल नं-16443274 चिन्हित 1/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

2- विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-FMY 314 चिन्हित 2/2020.की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

3- विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-AACB-900 चिन्हित 3/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

4- विवादित 7.65 m.m. पिस्टल चिन्हित 4/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

5- मृतक अमर दुबे के पोस्ट मार्टम नम्बर 199/2020, दिनांकित 8.07.2020, से प्राप्त कपड़ों, विवादित शर्ट चिन्हित SH -1 पर उपस्थित छिद्र क्रमशः चिन्हित H-2, H-3, H-5 व H-7, पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी।

6- मृतक अमर दुबे के पोस्ट मार्टम नम्बर 199/2020, दिनांकित 8.07.2020 में प्राप्त कपड़ों, विवादित शर्ट चिन्हित SH -1 पर उपस्थित छिद्र क्रमशः चिन्हित H-1, H-4, H-6, H-8, H-9,H-10 व H-11, विवादित टी शर्ट चिन्हित TS-1 पर उपस्थित छिद्रों क्रमशः चिन्हित H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19व H-20 तथा विवादित बनियाइन चिन्हित B-1 पर उपस्थित छिद्रों क्रमशः चिन्हित H-21, H-22, H-23, H-24, H-25, H-26, H-27, H-28 व H-29 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

7- मृतक अमर दुबे के दाहिने हाथ से प्राप्त स्वाब चिन्हित S-1, पर फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट की उपस्थिति पायी गयी।

8- मृतक अमर दुबे के बांये हाथ से प्राप्त स्वाब चिन्हित S-2 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-3 में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

9- विवादित बुलेट-प्रूफ जैकेट चिन्हित BP-1 पर बने छिद्र चिन्हित H-30 पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी।

10- विवादित बुलेटप्रूफ जैकेट का टुकड़ा चिन्हित C-1 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

11- विवादित कारतूस (7.65 mm बोर) चिन्हित EC-1, EC-2, EC-3, विवादित 7.65 mm पिस्टल चिन्हित 4/2020 द्वारा चलाये गये है।

12- विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-5, EC-6, विवादित 9 m.m. पिस्टल नं-16443274, चिन्हित 1/2020 द्वारा चलाये गये है।

13- विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-7, EC-8, EC-9, विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं- FMY - 314, चिन्हित 2/2020 द्वारा चलाये गये है।

14- विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-10 व EC-11, विवादित विवादित 9 m.m. Glock पिस्टल नं-AACB-900, चिन्हित 3/2020 द्वारा चलाये गये है।

15- विवादित 7.65 m.m. कारतूस चिन्हित EC-4 पर, विवादित 7.65 mm पिस्टल चिन्हित 4/2020 से तुलनार्थ चिन्ह उपस्थित नहीं है।

16- विवादित बुलेट चिन्हित EB-1, 7.65 m.m. के कारतूस कि चली बुलेट है।

17- विवादित बुलेट चिन्हित EB-2, 9 m.m. के कारतूस कि चली बुलेट है।

18- विवादित धातु का टुकड़ा चिन्हित M-1, लेड धातु का विकृत टुकड़ा है। इसके बोर के सम्बन्ध में मत दिया जाना सम्भव नहीं है।

19- विवादित बुलेट के जैकेट का भाग चिन्हित J-1, किसी बुलेट के जैकेट का भाग है। इसके बोर के सम्बन्ध में मत दिया जाना सम्भव नहीं है।

A.Kumar 18.08.2020
(आनन्द कुमार)
Scientific Officer
Forensic Science Laboratory, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ
Lucknow

अग्रसारित
[illegible] 18.08.2020
उपनिदेशक
लखनऊ

[signature] 18/8/20
(डॉ. ए.के. श्रीवास्तव)
Dr. A.K. Srivastava
Forensic Sc...

घटनास्थल निरीक्षण ... कारागार [illegible]
[illegible]
[illegible]

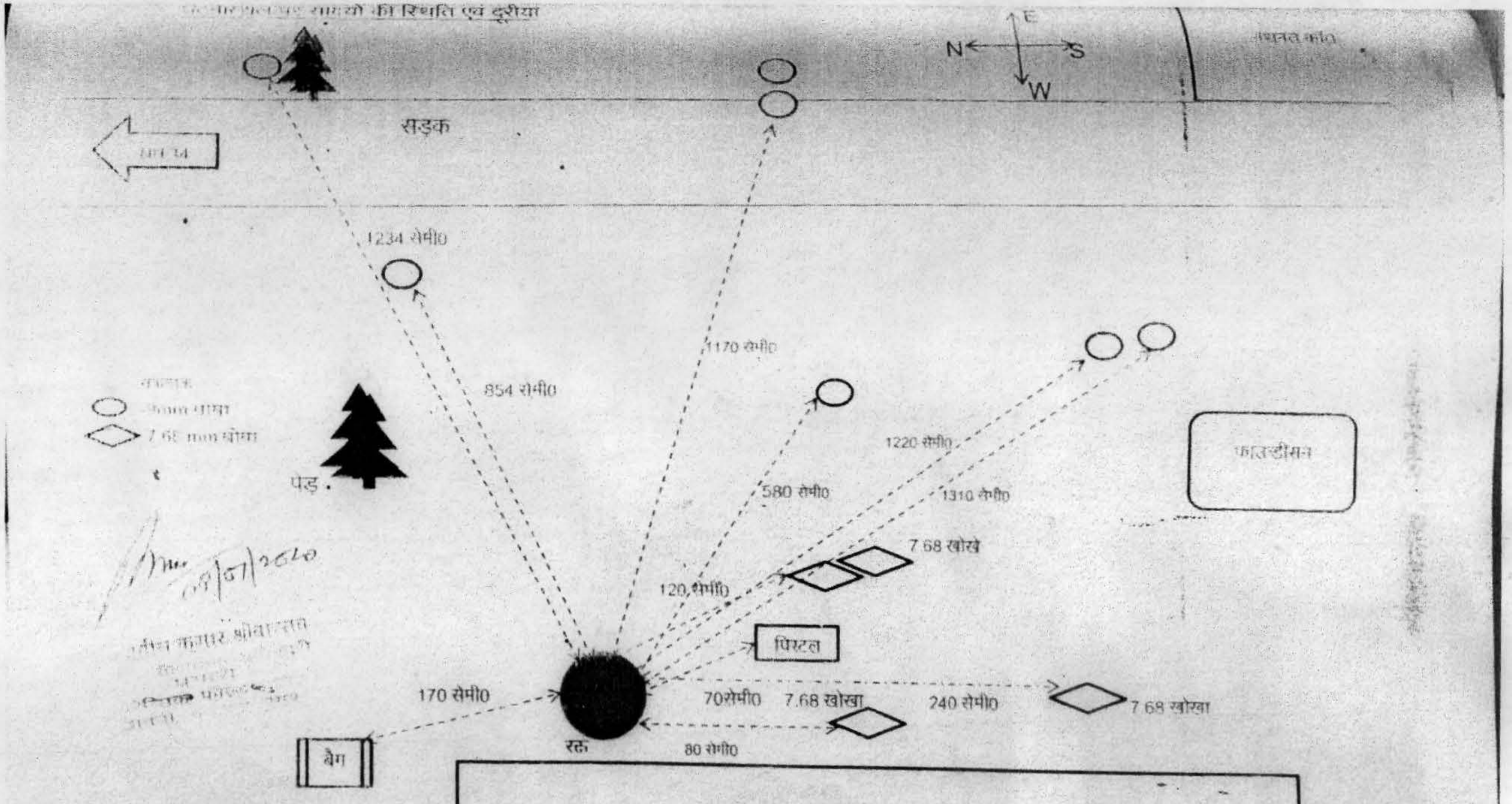

मु0अ0सं0 281,282/2020
धारा 307/504 भादवि0, 3/25 ए.एक्ट
थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर
दिनांक 08.07.2020

287

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर।

सेवा में,

सचिव,
मा0 न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग,
कमरा नं0 202, वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान शहीद पथ लखनऊ।

संख्या– 475 / न्याय सहायक–बीस–मजि0जाँच (2020–21) दिनाँक 16 दिसम्बर, 2020

विषय– थाना मौदहा क्षेत्र के अन्तर्गत अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जाँच आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–072 / 2020 / न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग / लखनऊ दिनाँक–28.09.2020 व अनुस्मारक दिनाँक–17.11.2020 तथा 01.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर के थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत हुए अमर दुबे की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा मजिस्ट्रीयल जाँच कर आख्या, पत्र संख्या–1765 / वैय0सहा0–मजि0जाँच दिनाँक–09.12.2020 के द्वारा प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार (39+216=255 कागजात)

भवदीय

15.12.2020
(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर।

289

कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर।

संख्या– 1765 / वै0सहा0–मजि0जांच दिनांक–दिसम्बर 9, 2020

जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर।

महोदय,

कृपया अपने आदेश संख्या 1829/जे0ए0–बीस–मजिस्ट्रीयल जांच/2019–20 दिनांक 10–7–2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 8–7–2020 को समय करीब 06.30 बजे प्रातः थाना मौदहा जनपद हमीरपुर पुलिस को सूचना मिली कि जनपद कानपुर नगर में विकास दुबे एवं अन्य साथियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर पुलिस कर्मियों की हत्या करने की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अरतरा में कहीं छिपा हुआ है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना मौदहा व एस0टी0एफ0 की संयुक्त टीम द्वारा तलाशी की जा रही थी,जिसके कम में अमर दुबे उपरोक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियति से फायरिंग की गयी,जिसमें प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा श्री मनोज कुमार शुक्ला एवं आरक्षी राजीव सिंह गोली लगने से घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी,जिसके दौरान अमर दुबे घायल हो गया,जिसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया,जहां पर चिकित्सकों द्वारा अमर दुबे को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सम्पूर्ण घटना की मजिस्ट्रेटी जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित करते हुए विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

JA
व0 सहा0 मजि0
2/ मंत्री

उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या संख्या:–1656/पी0ए0– मजि0जांच दिनांक–जुलाई 13, 2020 द्वारा नोटिस/सूचना निर्गत करते सर्व साधारण को सूचित किया गया कि उक्त मजिस्ट्रेटी जांच के सम्बन्ध में जिस किसी को जो भी लिखित/मौखिक/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नोटिस/सूचना निर्गत होने के दिनांक 13–7–2020 से 17–7–2020 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

LDM
10-12-2020

उक्त सूचना का प्रकाशन दिनांक 14–7–2020 को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों कमशः दैनिक हिन्दुस्तान,दैनिक अमर उजाला,दैनिक आज एवं दैनिक जागरण में कराया गया।

अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1657/पी0ए0 दिनोक 17–7–2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से उक्त घटना से सम्बन्धित अभिलेख यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त घटना के दौरान सम्बन्धित थाना पुलिस/एस0टी0एफ0 या अन्य गवाहों को उक्त जांच से सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य/बयान उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1658/पी0ए0 दिनोक 17–7–2020 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर से उक्त घटना से सम्बन्धित अभिलेखों सहित मृतक के पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक टीम को तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17–7–2020 एवं 12–9–2020 को घटना स्थल तथा ग्राम अरतरा का भ्रमण/निरीक्षण किया गया तथा घटना स्थल सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए ग्राम अरतरा के लोगों से मौखिक जानकारी प्राप्त की गयी।

रिपोर्ट दिनांक 18-8-2020 के अनुसार मृतक अमर दुबे के दाहिने हाथ से प्राप्त स्वाब चिन्हित एस-1 बायें हाथ से प्राप्त स्वाब चिहिन्त एस-2 तथा कन्ट्रोल स्वाब चिन्हित एस-3 में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर :-

मृतक अमर दुबे के दाहिने हाथ से प्राप्त स्वाब एस-1पर फायरिंग के अवशेष नाईट्राईट की उपस्थिति पायी गयी। उक्त से स्पष्ट होता है कि अमर दुबे द्वारा फायरिंग की जा रही थी।

पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा लगातार सरेण्डर करने के कहने के बावजूद उसके द्वारा फायरिंग बंद नहीं की गयी। पुलिस बल द्वारा बार-बार उसे सरेण्डर करने तथा फायरिंग बंद करने, उसकी फायरिंग के कारण एसटीएफ एवं पुलिस कर्मियों के घायल होने, उसकी लम्बी आपराधिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत तथा दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे से अत्यन्त नजदीकी सम्बन्ध के कारण तत्समय कोई मौका देने का समय न होने के कारण आत्मरक्षार्थ/कर्तव्य निर्वहन के क्रम में एसटीएफ/पुलिस द्वारा फायरिंग की गयी,जिसमें वह घायल हो गया। जिसके उपचार हेतु थाना मौदहा पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा में भेजा गया। चिकित्सकों के परीक्षण के उपरान्त उसे मृत घोषित किया गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में उप निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह,एसटीएफ लखनऊ द्वारा जनपद कानपुर नगर में हुये जघन्य बिकरू हत्याकांड में वांछित अभियुक्त अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में दिनांक 8-7-2020 को 11.25 बजे थाना कोतवाली मौदहा में मु0अ0सं0 281/2020 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत कराया गया।

मृत्यु का कारण

पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं State Medico Legal Cell ऐशबाग लखनऊ की रिपोर्ट दिनांक 27 मई 2020 के अनुसार अमर दुबे की मृत्यु Due to shock and Haemorrhage as a result of Antemortem Firearm injury के कारण हुयी है। State Medico Legal Cell की रिपोर्ट में मृतक के घावों का विश्लेषण किया गया है,जिसमें उल्लिखित किया गया है कि Close contact firearm injury means [1.5cm] distance maximum it is followed by Blackening/Tattooing Charring/Wading. In this case we do not observe any Tattooing/Blackening/Scorching flaming too. As examined in video of PMR. So this is far shot more than 4.5 feet.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट,बेलिस्टिक रिपोर्ट एवं पुलिस के बयानों के अनुसार कुल 09 गोली चली। चिकित्सकों के बयानों में बताया गया कि मृतक के शरीर में 07 गोलियों के प्रवेश के छिद्र पाये गये एवं 04 गोलियों के निकलने के छिद्र पाये गये एवं गोलियों के 03 टुकडे शरीर के अन्दर पाये गये। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांक 18-8-2020 के अनुसार मृतक अमर दुबे के छिद्र चिन्हित एच-1 से एच-7 पर रेशे के अन्दर की ओर मुडे [Inverted] हैं। इन छिद्रों पर Burning, Scorching,Blackening,Tattooing जैसे लक्षण उपलब्ध नहीं है। छिद्र एच-1 से एच-7 तक मृतक अमर दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नं0 199/20 दिनांक 8-7-2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घावों को लगभग Correspond करते हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट,चिकित्सकों के बयानों एवं मेडिकोलीगल रिपोर्ट के अनुसार मृतक अमर दुबे को 05 गोली ऊपर से नीचे की ओर लगी हैं 01 गोली आगे से पीछे आर-पार तथा एक गोली नीचे से ऊपर की ओर लगी है। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि मृतक के दिशा बदल-बदलकर फायर करने के कारण गोलियों के लगने की दिशायें बदल सकती हैं। इस प्रकार पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के बयानों तथा स्टेटमेडिकोलीगल सेल,लखनऊ की

291

39

रिपोर्ट के अनुसार यह फायरिंग 4–5 फीट से अधिक दूरी से हुई है। उक्त साक्ष्यों से अमर दुबे की मृत्यु का कारण परस्पर हुई गोलीबारी के कारण Firearm से होना स्थापित है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट,पोस्टमार्टम रिपोर्ट,चिकित्सकों के बयानों तथा पुलिस अधिकारियों के बयानों के अनुसार मृतक के शरीर में 07 गोलियों के प्रवेश होने इनके निकास एवं दूरी से लगने का कम लगभग स्थापित है।

दिनांक 9 जुलाई 2020 एवं 10 जुलाई 2020 को जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में भी मृतक अमर दुबे के आपराधिक इतिहास,उसके अरतरा गांव में आने,दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे का अत्यन्त नजदीकी होने तथा मुठभेड में मारे जाने का समाचार प्रमुखता के साथ व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया है।

उपरोक्त साक्ष्यों,बयानों व प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट है कि मृतक अमर दुबे घोषित इनामी अपराधी था। इसके विरूद्व पूर्व से कई मुकदमें पंजीकृत थे। इसका नाम दिनांक 2/3–7–2020 को विकास दुबे एवं उसके साथियों के साथ पुलिस बल पर ताबडतोड की गयी फायरिंग,जिसमें एक क्षेत्राधिकारी,03 उप निरीक्षक एवं 04 आरक्षी शहीद हो गये थे तथा 06 पुलिस कर्मी घायल हुये थे,में शामिल था। ऐसे जघन्य घटना में शामिल अपराधी द्वारा जनपद हमीरपुर के थाना मौदहा में एसटीएफ एवं थाना पुलिस मौदहा की टीम के ऊपर फायरिंग करना,पुलिस बल द्वारा बार–बार सरेण्डर हेतु कहने के बावजूद उसके द्वारा लगतार फायरिंग किया जाना तथा एसटीएफ एवं पुलिस बल के जवानों के घायल होने के उपरान्त एस0टी0एफ0 एवं पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया बल तत्समय उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुचित प्रतीत नहीं होता है।

जांच आख्या अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि
(कुल 216 पृष्ठ)

9.12.2020

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हमीरपुर।

292

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.-01/3
घटना क्रमांक – 03
दिनांक 07/10/2020

साक्षी का नाम– दिनेश कुमार, आयु–54 वर्ष, पुत्र श्री नरोत्तम प्रसाद निवासी अरतरा, थाना–मौदहा, जिला हमीरपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त ने बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 29.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर मेरे ही है। पूछने पर बताया कि दिनांक 07/07/2020 की रात को करीब 10 बजे अमर दूबे मेरे घर पर आया था। अमर दुबे से मेरी कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं है। बताया कि जिस गांव में मेरी ससुराल है उसी गांव की लड़की अमर दुबे के परिवार में ब्याही है, इसके अलावा मेरा कोई नाता नहीं है। मेरी अमर दुबे से जान–पहचान चार–पॉच वर्ष पूर्व तब हुई थी, जब अमर दुबे मेरे गॉव में आया था। पूछने पर यह भी बताया कि जब वह 07/07/2020 को मेरे घर आया तब मैंने अमर दूबे को अपने घर में शरण देने से हाथ जोड़कर मना कर दिया था, क्योंकि मुझे बिकरू काण्ड की जानकारी हो चुकी थी। इसके बाद अमर दूबे वहॉ से चला गया। तदोउपरांत दूसरे दिन पुलिस मुठभेड़ में अमर दुबे के मारे जाने की सूचना मिली। यह जानकारी मैंने कुछ पत्रकारों को भी दी थी जो मेरे गॉव में आये थे। यही मेरा बयान है।

दिनेश कुमार
पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
07-10-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) शिवराम पाल
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति प्राप्त किया
दिनेश कुमार

293

I.W.-2/21

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020

I.W.-02

(घटना क्रमांक–03)
दिनांक 07 / 10 / 2020

साक्षी का नाम–मनोज कुमार शुक्ला, आयु–45 वर्ष, पुत्र श्री जयशंकर, पदनाम–प्रभारी निरीक्षक, थाना–मौदहा, हमीरपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 22.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। वर्तमान में मैं प्रभारी निरीक्षक, थाना मौदहा, हमीरपुर के पद पर नियुक्त हूँ। दिनांक 08.07.2020 को एसटीएफ द्वारा सुबह के समय सूचना दी गई कि कानपुर काण्ड का वांछित अभियुक्त अमर दुबे मेरे थाना क्षेत्र के अरतरा गांव में या आसपास कहीं पर होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस सूचना पर मैं, उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, का0 पंकज कुमार, का0 कप्तान सिंह के साथ सरकारी जीप से थाने से समय 04:20 बजे मय असलहा व कारतूस आदि के रवाना होकर बड़े चौराहे पहुँचा। वहां पर उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह, एसटीएफ अपने हमराह कर्मचारियों व सरकारी वाहन के साथ मिले, इसके बाद वे सभी लोग अरतरा गांव पहुँचे। मुखबिर की सूचना पर गांव में संभावित स्थानों पर अभियुक्त अमर दुबे की जानकारी का प्रयास किया, परन्तु उसका स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया। इसी बीच मुखबिर खास ने बताया कि आप लोगों के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा गांव से नेशनल कॉलिज रोड से होकर हाइवे की तरफ कहीं जा रहा है। इस सूचना पर वे सभी पुलिस कर्मी मय वाहन के एसटीएफ टीम के वाहन के पीछे मुखबिर को साथ लेकर नेशनल चौराहा रोड से हाइवे की तरफ चल दिये।

नेशनल रोड पर जलसंस्थान मौदहा के नलकूप संख्या–3 से कुछ दूर पहले मुखबिर ने हाइवे की ओर पिट्ठू बैग टांगे हुए एक व्यक्ति की ओर इसारा करते हुए बताया कि यही अमर दुबे हैं और मुखबिर चला गया। अभियुक्त गाड़ियों की आहट पाकर तेज कदमों से टयूबवेल की तरफ बढ़ा, पुलिस वाले अपने–अपने वाहन छोड़कर पैदल–पैदल छिपछिपाकर उस व्यक्ति की ओर बढ़े, तब वह व्यक्ति पिट्ठू बैग जमीन पर फैककर पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से जलसंस्थान नलकूप के भवन के पिलर की आड़ लेकर फायर करने लगा। एक गोली उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के पहने हुए बुलेटप्रूफ जैकेट के नाभी के पास लगी, किन्तु जैकेट को पार नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने तथा उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने पुलिस बल को इशारों में अभियुक्त पर नजर रखने को कहा ताकि वह निकलने न पाये। मैंने तथा सत्यप्रकाश सिंह ने उस व्यक्ति को तेज आवाज

294

में कहा कि गोली मत चलाओ, तुम वांछित अपराधि हो आत्मसमर्पण कर दो। उस व्यक्ति ने पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पुनः फायर किया, जिससे एक गोली मेरे दाहिने हाथ की कोहनी से लगती हुए निकल गई। हम लोगों ने उसे पुनः फायर न करने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वह नही माना। जब वह नलकूप भवंन के पीछे जाने लगा तो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पुनः उठकर फायर करने लगा। इस मुठभेड़ की सूचना जनपद कन्ट्रोल रूम पर समय करीब 06:35 बजे सुबह आर0टी0 सेट से दी गई और उच्च अधिकारियों से तत्काल फोर्स भेजने का अनुरोध किया गया। जान का खतरा देखते हुए अभियुक्त के मुड़मुड़कर झुकझुककर पलटपलट कर गिरते पड़ते फायर करने के कारण एक गोली का0 राजीव को लगी और वह गिर पड़े। अन्य कोई विकल्प न होने पर पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में आमने सामने की नजदीकी मुठभेड़ में अभियुक्त के फायर करने की दिशा में एक साथ गोलियां चलाई, गोलियों से घायल होकर अमर दुबे गिर गया और उसके मुँह से चीख निकली। सतर्कता बरतते हुए उसके पास जाकर देखा तो उसकी सांस चल रही थी। उसके दाहिने हाथ की हथेली में एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर थी।

अविलम्ब मेडिकल सहायता हेतु 108 नं0 पर सूचना दी गई। घायल अभियुक्त को उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के साथ एम्बुलेंस से सी0एच0सी0 मौदहा भेजा गया। पूर्व में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया व सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना संकलन से प्राप्त फोटो से पहचान हुई की वह व्यक्ति अमर दुबे है।

फील्ड यूनिट कानपुर से आयी। वैज्ञानिक साक्ष्य को संकलित किया। मैंने स्वयं सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अभियुक्त की पिस्टल जो हैमरपुल हालत में थी, मैगजीन निकालकर देखी तो उसमें एक जिंदा राउण्ड था और स्लाइड को पीछे करके देखा तो चेंबर में एक राउण्ड था। हैमर को सावधानीपूर्वक डाउन किया गया। घायल आरक्षी राजीव कुमार सिंह के बायें हाथ में गोली लगी थी और दायें हाथ में चोट आई थी, उन्हें इलाज के लिए सी0एच0सी0 मौदहा ले जाया गया। मौके पर गवाह तलाश करने का प्रयास किया, कोरोना की वजह से कम ही लोग बाहर निकलते थे, मौसम भी ठीक नहीं था और कुछ ही लोग आसपास दिखाई दिये, लेकिन डर व भय के कारण वे लोग नाम पता बताये बिना हट गए और गवाही के लिए तैयार नहीं हुए।

मुठभेड़ की घटना की सूचना सर्वप्रथम मैंने अपने सीयूजी मोबाइल फोन के माध्यम से अपने थाना हाजा मौदहा पर दिया, उसके तत्काल बाद डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रूम (डीसीआर) से भी सूचित किया, चूंकि घटना में बदमाश के द्वारा की गई फायरिंग में मैं भी घायल हुआ था जिस कारण मेरी प्राथमिक चिकित्सा हुई थी। जिसके बाद अपने सीयूजी नं0 से थाना चौबेपुर, कानपुर नगर को पुलिस मुठभेड़ में फरार बदमाश अमर दुबे की सूचना दी थी। जिसपर थाना चौबेपुर ने मुझे बताया था कि घटना की सूचना उन्हें मिल चुकी है और वह अपने स्तर से अमर दुबे के परिवार वालों से सम्पर्क स्थापित

295

1-ω.3/6

कर रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई सूचना डीरीआर के लॉगबुक में दिनांक 08.07.2020 के सुबह दर्ज है, जिसमें यह भी दर्ज है कि घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को भी दी गई। अमर दुबे के परिवार का कोई भी व्यक्ति आज तक मुझसे नहीं मिला। निरीक्षक अपराध थाना–मौदहा वाहन से मृतक अमर दुबे के शव को लेकर थाना चौबेपुर भेजे गए।

उक्त मुठभेड़ के समय बदमाश के द्वारा चलाई गई गोली मेरे दाहिने हाथ की कोहनी में लगी थी, जिससे खून भी निकला था। उपचार हेतु सीएचसी मौदहा ले जाया गया था, जहां पर मेरी डाक्टरी हुई थी (Lacerated wound of size 4 cm present on right Forearms. 3 cm below right elbow joint. Blackening present around the wound)। जहां से मुझे जिला चिकित्सालय हमीरपुर रेफर किया गया था।

फर्द मौके पर उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह द्वारा बोल बोलकर आरक्षी रामसिंह से लिखाई गई। मेरे व उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, का० राजीव कुमार सिंह के हस्ताक्षर सीएचसी में आकर करवाये गए।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-03/4

(घटना कमांक–03)
दिनांक 07/10/2020

साक्षी का नाम–सत्यप्रकाश सिंह, आयु–40 वर्ष, पुत्र श्री मारकण्डेय सिंह, पदनाम–उपनिरीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 23.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर मेरे ही हैं। मैं इस शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। मैं वर्तमान में एसटीएफ लखनऊ उत्तर प्रदेश में तैनात हूँ और आज भी उसी कार्यालय में तैनात हूँ। एसटीएफ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होता है। टीम प्रभारी के आदेश पर जिले से बाहर जाकर भी सरकारी कार्य संपादित करते हैं। जिस टीम का मैं सदस्य हूँ उस टीम के प्रभारी श्री सत्य सेन यादव, एडिशनल एसपी है । टीम प्रभारी के आदेश पर हमारी 06 सदस्य टीम मय चालक सरकारी वाहन लखनऊ से हमीरपुर रवाना हुई थी। मुअस–192/20 धारा–147, 148, 149, 302, 307, 394 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट बनाम विकास दुबे आदि ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर के इनामी अभियुक्तों की गिरफतारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिये गए थे, इसी कम में मैं भी एक टीम के साथ जनपद कानपुर, उन्नाव में पता करते हुए 07.07.2020 को लगभग 14:10 बजे वापस लखनऊ मुख्यालय आया और 07/08.07.2020 को रपट संख्या–2 समय 00:25 बजे मुख्य आरक्षी अरबिन्द कुमार, मुख्य आ0 विनोद कुमार यादव, आ0 राम सिंह, आ0 कमाण्डो राजीव कुमार सिंह व चालक तथा सरकारी वाहन के साथ असलहा कारतूस आदि प्राप्त करके पुनः अभियुक्तों की गिरफतारी के प्रयास हेतु मुख्यालय से रवाना हुए। देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त अमर दुबे बिकरू की घटना के बाद निरन्तर फरार रहकर जनपद हमीरपुर के मौदहा थाने के अरतरा गांव में या आसपास कहीं छिपा है। मुखबिर की इस सूचना को थाना मौदहा के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला से साझा करके सहयोग का अनुरोध किया और वे लोग बड़े चौराहे के पास मिले। मैंने और प्रभारी निरीक्षक मौदहा मनोज कुमार शुक्ला ने अपनी अपनी टीम के साथ आपस में बातचीत करके हमराहियों को मकसद बताते हुए अरतरा गांव गए। अरतरा गावं में संभावित स्थानों पर अभियुक्त अमर दुबे की जानकारी का प्रयास किया परन्तु उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी। इसी बीच मुखबिर खास ने बताया कि आप लोगों के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा गांव से नेशनल कॉलिज रोड से होकर हाइवे की तरफ कहीं जा रहा

297

I-ω. 3/5

है। इस सूचना पर मैंने अपने सरकारी वाहन में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला को अपने साथ कर लिया और मुख्या आ0 विनोद कुमार यादव को प्रभारी निरीक्षक के वाहन में भेज दिया क्योंकि मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं था। मेरा वाहन आगे आगे चला।

नेशनल रोड पर जलसंस्थान मौदहा के नलकूप संख्या–3 से कुछ दूर पहले मुखबिर ने हाइवे की ओर पिट्ठू बैग टांगे हुए एक व्यक्ति की ओर इसारा करते हुए बताया कि यही अमर दुबे है और मुखबिर चला गया। अभियुक्त गाड़ियों की आहट पाकर तेज कदमों से ट्यूबवेल की तरफ बढा, पुलिस वाले अपने–अपने वाहन छोड़कर पैदल–पैदल छिपछिपाकर उस व्यक्ति की ओर बढ़े, तब वह व्यक्ति पिट्ठू बैग जमीन पर फैककर पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से जल संस्थान नलकूप के भवन के पिलर की आड़ लेकर फायर करने लगा। एक गोली मेरे पहने हुए बुलेटप्रूफ जैकेट के नाभी के पास लगी, किन्तु जैकेट को पार नहीं कर सकी, जिसकी फोरेंसिक जांच भी हुई थी। मुठभेड़ के समय घटना स्थल पर उजाला हो गया था। इसके पश्चात मैंने तथा निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने पुलिस बल को इशारों में अभियुक्त पर नजर रखने को कहा ताकि वह पीछे से निकलने न पाये। मैंने तथा मनोज कुमार शुक्ला ने उस व्यक्ति को तेज आवाज में कहा कि गोली मत चलाओ, तुम वांछित अपराधि हो आत्मसमार्पण कर दो। उस व्यक्ति ने पुलिस वालों को भददी भददी गालियां देते हुए पुनः फायर किया, जिससे एक गोली मनोज कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की कोहनी से लगती हुए निकल गई। हम लोगों ने उसे पुनः फायर न करने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। जब वह नलकूप भवन के पीछे जाने लगा तो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पुनः उठकर फायर करने लगा। जिसके जबाव में मैंने ललकारते हुए एक राउण्ड (वारनिंग शॉट) हवाई फायर किया।

इस मुठभेड़ की सूचना जनपद कन्टोल रूम पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला द्वारा समय करीब 06:30 बजे सुबह आर0टी0 सेट से दी गई और उच्च अधिकारियों से तत्काल फोर्स भेजने का अनुरोध किया गया। जान का खतरा देखते हुए अभियुक्त के मुड़मुड़कर झुकझुककर पलटपलट कर गिरते पड़ते फायर करने के कारण एक गोली का0 राजीव को लगी और वह गिर पड़े। अन्य कोई विकल्प न होने पर पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में आमने सामने की नजदीकी मुठभेड़ में अभियुक्त के फायर करने की दिशा में एक साथ गोलियां चलाई, गोलियों से घायल होकर बदमाश गिर गया और उसके मुँह से चीख निकली। सर्तकता बरतते हुए उसके पास जाकर देखा तो उसकी सांस चल रही थी। उसके दाहिने हाथ की हथेली में एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर थी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने 108 पर सूचना दी। घायल बदमाश के बहते हुए खून को कपड़े से दबाकर रोकने का प्रयास किया, जिससे उसकी जान बच सके। घायल अभियुक्त को उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के साथ एम्बूलेंस से सी0एच0सी0 मौदहा भेजा गया। पूर्व

में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना संकलन से प्राप्त फोटो से पहचान हुई की वह व्यक्ति अमर दुबे है।

मौके पर एफएसएल के कर्मचारी/अधिकारी व फील्ड यूनिट वाले आये और साक्ष्य संकलन किया। मृतक के परिजनों को थाने के माध्यम से सूचना दी गई। घटना की सूचना बदमाश के परिवारीजनों को देने में एसटीएफ का कोई रोल नहीं था। निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अभियुक्त की पिस्टल जो हैमरपुल हालत में थी, मैगजीन निकालकर देखी तो उसमें एक जिंदा राउण्ड था और स्लाइड को पीछे करके देखा तो चेंबर में एक राउण्ड था। हैमर को सावधानीपूर्वक डाउन किया गया। घायल आरक्षी राजीव कुमार सिंह के वायें हाथ में गोली लगी थी और दायें हाथ में चोट आई थी, उन्हें इलाज के लिए सी0एच0सी0 मौदहा ले जाया गया। मौके पर गवाह तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन डर व भय के कारण कुछ लोग नाम पता बताये बिना हट गए और गवाही के लिए तैयार नहीं हुए। वैसे कोरोना के कारण कम लोग ही बाहर निकल रहे थे।

फर्द मौके पर मेरे द्वारा बोल बोलकर आरक्षी रामसिंह से लिखाई गई तथा मैंने स्वयं हस्ताक्षर किये और फर्द पढ़कर सुनाकर गवाही कराई। निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला व उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, का0 राजीव कुमार सिंह के हस्ताक्षर सीएचसी में मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार को भेजकर करवाये गए।

7-10-20

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

299

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.-4/4
(घटना क्रमांक–03)
दिनांक 07/10/2020

साक्षी का नाम–राजीव कुमार सिंह, आयु– 35 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री विकमा सिंह, पदनाम–आरक्षी, एस0टी0एफ0, लखनऊ।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 23.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो उसने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर उसके ही हैं। मैं इस शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं ग्राम रूदरी (नौकापुरा) थाना व पोस्ट रानी की सराय जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं सन् 2011 से एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ में आरक्षी के पद पर तैनात हूँ। मुअस–192/20 धाना–147, 148, 149, 302, 307, 394 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट बनाम विकास दुबे आदि ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर के इनामी अभियुक्तों की गिरफतारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिये गए थे, इसी कम में मैं भी एक टीम के साथ जनपद कानपुर, उन्नाव में पता करते हुए 07.07.2020 को लगभग 14:10 बजे वापस लखनऊ मुख्यालय आया और मैं 07/08.07.2020 को रपट संख्या–2 समय 00:25 बजे उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह, आरक्षी अरबिन्द कुमार, आ0 विनोद कुमार यादव, आ0 राम सिंह व चालक मुन्ना लाल तथा इनोवा सरकारी वाहन के साथ असलहा कारतूस आदि प्राप्त करके पुनः अभियुक्तों की गिरफतारी के प्रयास हेतु मुख्यालय से रवाना हुआ। देर रात मुखबिर से उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को सूचना मिली कि अभियुक्त अमर दुबे बिकरू की घटना के बाद निरन्तर फरार रहकर जनपद हमीरपुर के मौदहा थाने के अरतरा गांव में या आसपास कहीं छिपा है। मुखबिर की इस सूचना को थाना मौदहा के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला से उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने साझा करके सहयोग का अनुरोध किया और वे लोग बड़े चौराहे के पास मिले। उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह और प्रभारी निरीक्षक मौदहा मनोज कुमार शुक्ला ने अपनी अपनी टीम के साथ आपस में बातचीत करके हमराहियों को मकसद बताते हुए अरतरा गांव गए। अरतरा गावं में संभावित स्थानों पर अभियुक्त अमर दुबे की जानकारी का प्रयास किया परन्तु उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी। इसी बीच मुखबिर खास ने उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह व निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला को बताया कि आप लोगों के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा गांव से नेशनल कॉलेज रोड से होकर हाइवे की तरफ कहीं जा रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने अपने सरकारी वाहन में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार

राजीव कुमार सिंह

I-ω-4/5 (300)

विनोद कुमार यादव को प्रभारी निरीक्षक के वाहन में भेज दिया क्योंकि उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को रास्ते का ज्ञान नहीं था। उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह का वाहन आगे –आगे चलने लगा।

नेशनल रोड पर जलसंस्थान मौदहा के नलकूप संख्या–3 से कुछ दूर पहले मुखबिर ने उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को इशारा करके बताया कि हाइवे की ओर पिटठू बैग टांगे हुए यह व्यक्ति अमर दुबे है और मुखबिर चला गया। अभियुक्त गाड़ियों की आहट पाकर तेज कदमों से टयूबवेल की तरफ बढ़ा, पुलिस वाले अपने–अपने वाहन छोड़कर पैदल–पैदल छिपछिपाकर उस व्यक्ति की ओर बढ़े, तब वह व्यक्ति पिटठू बैग जमीन पर फैककर पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से जल संस्थान नलकूप के भवन के पिलर की आड़ लेकर फायर करने लगा। एक गोली उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह पहने हुए बुलेटप्रूफ जैकेट के नाभी के पास लगी, किन्तु जैकेट को पार नहीं कर सकी। इसके पश्चात उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह तथा निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने पुलिस बल को इशारों में अभियुक्त पर नजर रखने को कहा ताकि वह निकलने न पाये। उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह तथा मनोज कुमार शुक्ला ने उस व्यक्ति को तेज आवाज में कहा कि गोली मत चलाओ, तुम वांछित अपराधि हो आत्मसमार्पण कर दो। उस व्यक्ति ने पुलिस वालों को भददी भददी गालियां देते हुए पुनः फायर किया, जिससे एक गोली मनोज कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की कोहनी से लगती हुए निकल गई। उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह तथा निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने उसे पुनः फायर न करने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। जब वह नलकूप भवन के पीछे जाने लगा तो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पुनः उठकर फायर करने लगा। जिसके जबाव में उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने ललकारते हुए एक राउण्ड (वारनिंग शॉट) हवाई फायर किया।

इस मुठभेड़ की सूचना जनपद कन्ट्रोल रूम पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला द्वारा समय करीब 06:30 बजे सुबह आर0टी0 सेट से दी गई और उच्च अधिकारियों से तत्काल फोर्स भेजने का अनुरोध किया गया। जान का खतरा देखते हुए अभियुक्त के मुड़मुड़कर झुकझुककर पलटपलट कर गिरते पड़ते फायर करने के कारण एक गोली मेरे लगी और मैं घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। मेरे बाये हाथ में गोली लगी थी और सड़क पर गिरने से मेरी दाहिनी कोहिनी भी चोटिल हो गई थी। अन्य कोई विकल्प न होने पर पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में आमने सामने की नजदीकी मुठभेड़ में अभियुक्त के फायर करने की दिशा में एक साथ गोलियां चलाई, गोलियों से घायल होकर अमर दुबे गिर गया और उसके मुंह से चीख निकली। सतर्कता बरतते हुए उसके पास जाकर देखा तो उसकी सांस चल रही थी। उसके दाहिने हाथ की हथेली में एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर थी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने 108 पर सूचना दी। घायल बदमाश के बहते हुए खून को कपड़े से दबाकर रोकने का प्रयास किया, जिससे उसकी जान बच सके।

घायल अभियुक्त को उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के साथ एम्बूलेंस से सी0एच0सी0 मौदहा भेजा गया। पूर्व में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना संकलन से प्राप्त फोटो से पहचान हुई की वह व्यक्ति अमर दुबे है।

राजीव कुमार सिंह

301

P.W.4/6

मौके पर एफएसएल के कर्मचारी/अधिकारी व फील्ड यूनिट वाले आये और साक्ष्य संकलन किया। मृतक के परिजनों को थाने के माध्यम से सूचना दी गई। निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अभियुक्त की पिस्टल जो हैमरपुल हालत में थी, मैगजीन निकालकर देखी तो उसमें एक जिंदा राउण्ड था और स्लाइड को पीछे करके देखा तो चैंबर में एक राउण्ड था। हैमर को सावधानीपूर्वक डाउन किया गया। मेरे बायें हाथ में गोली लगी थी और दायें हाथ में चोट आई थी, मुझे इलाज के लिए सी0एच0सी0 मौदहा उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह लेकर गये थे और मेरी चिकित्सा कराई थी जिसमें निम्न चोटें पायी गई थीं:—

1. Lacerated wound of size 3 cm x 1 cm insert on left Forearm. 2 cm below left elbow joint. Blackening persent around the wound.
2. Lacerated wound of size 3 cm x 1 cm present on back of right elbow joint. Blackening present.

उक्त मेडिकल रिपोर्ट पर मेरी शिनाख्त हेतु आरटीआई और एलटीआई मौजूद हैं।

मौके पर गवाह तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन डर व भय के कारण कुछ लोग नाम पता बताये बिना हट गए और गवाही के लिए तैयार नहीं हुए। कोरोना के डर से भी ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे थे।

फर्द मौके पर उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह द्वारा बोल बोलकर आरक्षी रामसिंह से लिखाई गई तथा मेरे भी हस्ताक्षर फर्द पढ़कर सुनाकर सी0एच0सी0 मौदहा में कराये गये। निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला व उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, के हस्ताक्षर सीएचसी में मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार को भेजकर करवाये गए।

राजीव कुमार सिंह दि0 7/10/20
पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

एक प्रति प्राप्त किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

I.W.-5/4 (302)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉंच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-05

(घटना कमांक–03)

दिनांक 07/10/2020

साक्षी का नाम–प्रमोद कुमार सिंह, आयु–41 वर्ष, पुत्र श्री रामआधार सिंह, पदनाम–उप निरीक्षक, थाना–मौदहा, हमीरपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 22.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर मेरे ही हैं। मैं इस शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। मैं वर्तमान में थाना मौदहा, हमीरपुर में तैनात हूँ। दिनांक 08.07.2020 को मैं एस0एच0ओ0 मनोज कुमार शुक्ला के साथ हमराह के तौर पर व सरकारी वाहन के साथ थाने से रपट संख्या 11 समय 0420 बजे असलहा कारतूस आदि के साथ बड़े चौराहे पर पहुँचा था। वहाँ पर उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह एसटीएफ लखनऊ मय हमराहियों के साथ व सरकारी वाहन के साथ मिले और आपस में बातचीत करके हमराहियों को मकसद बताकर अरतरा गॉंव पहुँचे। मुखबिर की सूचना पर गांव में संभावित स्थानों पर अभियुक्त अमर दुबे की जानकारी का प्रयास किया, परन्तु उसका स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया। इसी बीच मुखबिर खास ने बताया कि आप लोगों के आने की सुगबुगाहट पाकर अभियुक्त अमर दुबे अरतरा गांव से नेशनल कॉलिज रोड से होकर हाइवे की तरफ कहीं जा रहा है। इस सूचना पर वे सभी पुलिस कर्मी मय वाहन के एसटीएफ टीम के वाहन के पीछे मुखबिर को साथ लेकर नेशनल चौराहा रोड से हाइवे की तरफ चल दिये। रास्ते की जानकारी होने के कारण एस0एच0ओ0 मनोज कुमार शुक्ला अपने सरकारी वाहन से एस0टी0एफ के साथ उनके सरकारी वाहन में बैठ गये और मुख्य आरक्षी विनोद कुमार यादव एस0टी0एफ0 की गाड़ी से थाना–मौदहा की गाड़ी में बैठ गये। हमारी गाड़ी एस0टी0एफ0 की गाड़ी के पीछे चलने लगी।

नेशनल रोड पर जल संस्थान मौदहा के नलकूप संख्या–3 से कुछ दूर पहले मुखबिर ने हाइवे की ओर पिटठू बैग टांगे हुए एक व्यक्ति की ओर इसारा करते हुए बताया कि यही अमर दुबे है और मुखबिर चला गया। अभियुक्त गाड़ियों की आहट पाकर तेज कदमों से टयूबवेल की तरफ बढ़ा, पुलिस वाले अपने–अपने वाहन छोड़कर पैदल–पैदल छिप छिपाकर उस व्यक्ति की ओर बढ़े, तब वह व्यक्ति पिटठू बैग जमीन पर फैंककर पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से जलसंस्थान नलकूप के भवन के पिलर की आड़ लेकर फायर करने लगा। एक गोली उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के पहने हुए बुलेटप्रूफ जैकेट के नाभी के पास लगी, किन्तु जैकेट को पार नहीं कर सकी।

303

Ex-5/5

इसके पश्चात निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला तथा उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने पुलिस बल को इशारों में अभियुक्त पर नजर रखने को कहा ताकि वह निकलने न पाये। निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला तथा सत्यप्रकाश सिंह ने उस व्यक्ति को तेज आवाज में कहा कि गोली मत चलाओ, तुम वांछित अपराधि हो आत्मसमर्पण कर दो। उस व्यक्ति ने पुलिस वालों को भददी भददी गालियां देते हुए पुनः फायर किया, जिससे एक गोली निरीक्षक मनोज कुमार शुक्लाा के दाहिने हाथ की कोहनी से लगती हुए निकल गई। पुलिस वालों ने उसे पुनः फायर न करने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। जब वह नलकूप भवन के पीछे जाने लगा तो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पुनः उठकर फायर करने लगा। इस मुठभेड की सूचना जनपद कन्ट्रोल रूम पर समय करीब 06:35 बजे सुबह आर0टी0 सेट से दी गई और उच्च अधिकारियों से तत्काल फोर्स भेजने का अनुरोध किया गया। जान का खतरा देखते हुए अभियुक्त के मुड़मुड़कर झुकझुककर पलटपलट कर गिरते पड़ते फायर करने के कारण एक गोली का0 राजीव को लगी और वह गिर पड़े। अन्य कोई विकल्प न होने पर पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में आमने सामने की नजदीकी मुठभेड़ में अभियुक्त के फायर करने की दिशा में एक साथ गोलियां चलाई, गोलियों से घायल होकर अमर दुबे गिर गया और उसके मुँह से चीख निकली। सर्तकता बरतते हुए उसके पास जाकर देखा तो उसकी सांस चल रही थी। उसके दाहिने हाथ की हथेली में एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर थी।

मैं घायल अभियुक्त को एम्बूलेंस से सी0एच0सी0 मौदहा लेकर गया। उस समय बदमाश जिंदा था, करीब 15–20 मिनट अस्पताल (सीएचसी मौदहा) में लगा होगा, जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। पूर्व में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया व सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना संकलन से प्राप्त फोटो से पहचान हुई की वह व्यक्ति अमर दुबे है।

एस0एच0ओ0 मनोज कुमार शुक्ला ने सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अभियुक्त की पिस्टल जो हैमरपुल हालत में थी, मैगजीन निकालकर देखी तो उसमें एक जिंदा राउण्ड था और स्लाइड को पीछे करके देखा तो चेंबर में एक राउण्ड था। हैमर को सावधानी पूर्वक डाउन किया गया। घायल आरक्षी राजीव कुमार सिंह के बायें हाथ में गोली लगी थी और दायें हाथ में चोट आई थी, राजीव और एस0एच0ओ0 मनोज कुमार शुक्ला भी दूसरे वाहनों से अपना–अपना इलाज कराने हेतु सीएचसी मौदहा पहुँचे, जहां पर मैं पहले से मौजूद था, मेरे द्वारा ही श्री मनोज कुमार शुक्ल व श्री राजीव कुमार सिंह का अस्पताल में दाखिला व जांच कराई गई थी। प्राथमिक उपचार के पश्चात् सरकारी एम्बुलैंस से इलाज हेतु जिला चिकित्सालय हमीरपुर रेफर किया गया। मौके पर गवाह तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन डर व भय के कारण कुछ लोग नाम पता बताये बिना हट गए और गवाही के लिए तैयार नहीं हुए।

मृतक अमर दुबे के पंचायत नामे में मैं भी गवाह था और उस पर मेरे भी हस्ताक्षर बने हैं।

फर्द मौके पर उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह द्वारा बोल बोलकर आरक्षी रामसिंह से लिखाई गई। मेरे भी हस्ताक्षर सीएचसी मौदहा में जाकर करवाये गए।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

(305)

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 06/1

(घटना कमांक–03)
दिनांक 30/11/2020

साक्षी का नाम–डॉ० राम सरन प्रजापति, आयु–55 वर्ष, वरिष्ठ परामर्शदाता (फिजिशियन) जिला चिकित्सालय, हमीरपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

डॉ राम सरन प्रजापति तैनाती वरिष्ठ परामर्शदाता (फिजिशियन) जिला चिकित्सालय, हमीरपुर उम्र 55 वर्ष। मैं दिनांक 08.07.2020 को अस्पताल में डयूटी पर मौजूद था। मृतक अमर दुबे का पोस्टमार्टम जिलाधिकारी हमीरपुर के आदेशानुसार 03 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा रात्रि में किया गया था। जिलाधिकारी हमीरपुर के द्वारा सीएमओ हमीरपुर को किये गए आदेश के कम में सीएमओ हमीरपुर के द्वारा डॉक्टर्स के पैनल का गठन किया गया था। मैं पैनल का हेड था। आज मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल की गई है जो सत्य एवं सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किये जाने का समय 08:15 से 10:45 ए०एम० अंकित हो गया है जबकि सही समय 08:15 से 10:45 पी०एम० है। पोस्टमार्टम के समय की गई वीडियोग्राफी की सीडी थाना मौदहा में तैनात शिवशंकर यादव के द्वारा प्राप्त की गई थी, मेरे पास नहीं है।

सीएमओ हमीरपुर के द्वारा अपने पत्रांक–22–21/1669–10 के माध्यम से उक्त पोस्टमार्टम के बावत एक्सपर्ट ऑपिनियन मांगा गया था। मेरे एवं पैनल टीम के अन्य डॉक्टर परमेन्द्र कुमार प्रजापति, मेडिकल ऑफिसर, सीएचसी, छांनी, हमीरपुर के द्वारा संयुक्त रूप से लिखित अभिमत दिनांकित 06.08.2020 सीएमओ हमीरपुर को उपलब्ध कराया गया था जिसकी छायाप्रति भी मैं आज लाया हूँ और दाखिल कर रहा हूँ। अभिमत के अनुसार अमर दुबे का पोस्टमार्टम मृत्यु के लगभग 12 घण्टे के पश्चात किया गया था। इतने समय के पश्चात प्रवेश घाव के किनारों के सैल्स डेड हो जाती हैं। बुलेट के अधिक तापमान से शरीर में प्रवेश करने के कारण प्रवेश घाव के चारों तरफ झुलसन (स्कॉर्चिंग) आती है। बुलेट के घुमाव (स्पीनिंग ऑफ बुलेट) के कारण कॉलर ऑफ अब्रेजन आता है। प्रकरण में प्रवेश घाव पर स्कॉर्चिंग एवं कॉलर ऑफ अब्रेजन की मौजूदगी पाई गई थी। उक्तानुसार ही अभिमत दिया गया था।

एन्ट्रीबून्स में ब्लैकनिंग का पाया जाना स्मॉक के कारण होता है तथा टैटूइंग का पाया जाना बारूद के कण चिपकने के कारण होता है। ब्लैकनिंग और टैटूइंग एन्ट्रीबून्स पर तभी आती है जब फायर नजदीक से (एक–डेढ फुट पर) होता है। यह फासला आग्नेयास्त्र के प्रकृति बदलने पर घट–बढ़ भी सकता है। मेरे विचार से फायर कुछ दूरी से किये गए थे। पोस्टमार्टम के समय शव से गोली के तीन टुकड़े बरामद हुए थे। शव का एक्सरे किये जाने पर अन्य कोई फौरन मैटेरियल नहीं पाया गया था। एन्टीमोर्टम इंजुरी नं० 1 का बुण्ड ऑफ डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड एण्ड इन्टीरियर टू पोस्टीरियर पाया गया था जिसपर मेरा अभिमत यह है कि गोली मारने वाला व्यक्ति गोली लगने वाले व्यक्ति से कुछ ऊँचाई पर रहा होगा या गोली लगने वाला व्यक्ति गोली मारने वाले व्यक्ति के तरफ मुँह करके झुका हुआ हो। इसी प्रकार की स्थिति एन्टीमोर्टम इंजुरी नं०–2, 4 एवं 5 में हैं।

30/11/20

P.W. 6/2 (306)

एन्टीमोर्टम इंजुरी नं0–7 डाउनवर्ड टू अपवर्ड पाई गई थी। यह इंजुरी मृतक के राईट आर्म में मौजूद है जिस कारण दाहिने हाथ की हयूमरस हड्डी का 02 भाग में फ्रेक्चर होना पाया गया था। मेरे अभिमत से ऐसी इंजुरी तब आ सकती है जब गोली लगने वाले व्यक्ति ने गोली लगते समय अपना दाहिना हाथ गोली मारने वाले व्यक्ति के तरफ थोड़ा ऊपर उठा रखा हो। एन्टीमोर्टम इंजुरी सं0 03 व 06 थ्रू एण्ड थ्रू कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर हैं। मेरे अभिमत के अनुसार कॉस फायरिंग होने की दिशा में ऐसी चोटें आना संभव है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

30/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

RO AC

30/11/20

Documents/Evidence

Incident No. 04

dated 09.07.2020,

near Vikrampur Brick kiln,

PS-Civil Lines, Etawah.

(1) 308

<u>रिपोर्ट थाना सिविल लाइन जनपद - इटावा।</u>

सेवा में,

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

<u>जनपद - कानपुर नगर।</u>

विषय:- मु0अ0सं0 276/2020 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मु0अ0सं0 277/2020 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना सिविल लाइन एवं मु0अ0सं0 353/2020 धारा 394 भादवि थाना बकेवर जनपद इटावा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 9/07/2020 को प्रात: लगभग साढे तीन बजे होम गार्ड ने आकर बताया कि साहब मुंशी जी ने बताया है कि बकेवर मे बदमाशों ने गाडी लूट ली है चैकिंग का आदेश है इस सूचना पर मैने सभी को बुलाने को कहा तथा तत्काल तैयार होकर थाना आया तो मुन्शी का0 912 नितिन चौधरी ने बताया कि लूटी हुई गाडी स्विफ्ट डिजायर नम्बर DL1 ZA3602 है तो मेरे द्वारा का0 क्लर्क को हिदायत मुनासिब देते हुये रवानगी के लिये कहा गया। मै सरकारी वाहन जीप नं0 यूपी75 जी0321 मय चालक का0 758 शैलेन्द्र सिंह व हमराहियान व0उ0नि0 श्री उपेन्द्र यादव व रात्रिअधिकारी उ0नि0 श्री संजय कुमार दुबे, का0 874 मृत्युंजय सिंह, का0 255 राहुल कुमार को साथ लेकर ITI चौराहा के लिये वास्ते चैकिंग रवाना हुआ तथा कार्यालय मे मौजूद का0 क्लर्क0 को हिदायत मुनासिब देते हुये रवानगी के लिये कहा गया। ITI चौराहा पर मेरे द्वारा चैकिंग सुरू की गई तथा सैकेण्ड मोबाइल को NH2 पर ऊपर चैकिंग के लिये निर्देशित किया गया। वहीं पर सर्विलांस व स्वाट प्रभारी भी अपनी अपनी सरकारी गाडी व हमराहियान के आगये। तथा संयुक्त रूप से चैकिंग की जा रही थी कि थोडी देर बाद एक चार पहिया गाड़ी NH 2 से ITI कट पर नीचे की तरफ आती दिखाई दी जिसे पुलिस बल द्वारा टार्च कि रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया गया तो चालक ने गाडी नही रोकी बल्कि लगे हुये बैरियर मे टक्कर मारते हुये DM चौराहे की तरफ भागने लगी मेरे द्वारा उसका पीछा करते हुये। वायरलेश पर DCR को सूचना दी गयी कि एक गाडी स्विफ्ट ITI चौराहे से भागी है जिसकी चैकिंग सुरू करवा दे। स्वार्ट तथा सर्विलांस प्रभारी भी गाडी का पीछा करने लगे स्वाट प्रभारी द्वारा भी कन्ट्रेल रूम

309

को सूचना दी गयी कि गाडी SSP चौराहा क्रास कर रही है। गाडी पुलिस लाइन की तरफ भागने लगी तभी हैड लाइट की रोशनी मे देखा गया तो उस गाडी मे पीले रंग की नम्बर प्लेट लगी थी जिसपर नम्बर DL1 ZA3602 पडा था। गाडी को रोकने हेतु लगातार गाडी मे लगे पी0ए0 सिस्टम से चेतावनी दी जा रही थी कि बदमांशो द्वारा गाडी नही रोकी गयी बल्कि पुलिस लाइन तिराहे से होते हुये ग्वालियर बाईपास तिराहे की तरफ से लुहन्ना चौराहे की तरफ भगा दी तथा लुहन्ना चौराहे से कचौरा रोड पर भागने लगे तेज बारिश शुरू हो गयी थी तभी रेलवे पुल से आगे निकलते ही पुन: जब गाडी रोकने की चेतावनी दी गयी तो सांई मन्दिर के पास बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गयी। पुन: चेतावनी देते हुये गाडी को ओवर टैक करने का प्रयास किया गया इस दौरान बदमाशो ने पुन: पुलिस बल को जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी तो मेरे द्वारा जवाबी फायरिंग की गयी जिससे एक गोली कार के पिछले शीशे मे लगी जिससे गाडी अनियंत्रित होकर एक पेड से टकरा गयी और बदमांशो ने नीचे उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमांश पेड व गाडी की आड लेकर मुड-मुड कर झुक-झुक कर फायर कर रहे थे। बदमांशो को जिन्दा पकडने के इरादे से मै अत्यन्त करीब पहुँच गया था। पुन: बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी को लक्ष्य करके फायरिंग की गई। ऐसी आपात स्थितियों मे और कोई रास्ता न होने के कारण भिन्न-भिन्न स्थानो एवं स्थितियों में मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा सिखलाये गये तरीके का प्रयोग करते हुये। कर्तब्य पालनार्थ व आत्मरक्षार्थ अदम्य साहस व कर्तब्य परायणता का परिचय देते हुये फायरिंग की गयी। जिससे मुड-मुड कर झुक-झुक कर पलट-पलट कर फायर कर रहे बदमाश के मुंह से चीख निकल गयी और गिर पडा तथा दूसरा बदमाश भागने लगा जो भाग रहा था उसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। उसको पकडने का प्रयास पुलिस पार्टी द्वारा किया गया लेकिन मिल नही सका अन्धेरे और भौगोलिक स्थितियों का लाभ उठाकर भागने मे सफल रहा घायल पडे बदमाश की जान बचाने के लिये तत्काल 108 एम्बुलेन्श को फोन करके बुलवाया गया एवं अस्पताल भेजा गया। व0उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह यादव को भी निर्देशित किया गया कि वह भी अन्य पुलिस कर्मियो के साथ अस्पताल जाये तथा मौके से फील्ड युनिट एवं पी0आर0वी0 को बुलाने हेतु सूचना दी गयी। समस्त पुलिस बल की कुशलता ली गयी तथा फायरिंग विवरण ज्ञात किया गया तो स्वाट प्रभारी श्री सतेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि उनके

द्वारा दो राउण्ड फायर किया गया है तथा दो गोली उनके बी0पी0 जैकेट मे लगी है। सर्विलांश प्रभारी बी0के0 सिंह ने बताया कि दो राउण्ड उनके द्वारा फायर किया गया है।का0 विपिन कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा एक राउण्ड फायर किया गया है। मेरे द्वारा चार राउण्ड फायर किये गये थे सभी पुलिस कर्मी सुरक्षित है। कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारीगण को सूचना दी गयी मौके पर अन्य थाना जात का फोर्स व डायल 112 का फोर्स मौके पर आ गया था। घटना स्थल यलो टैप व स्टैण्ड लगाकर सुरक्षित किया गया था। मौके पर ही फर्द तैयार की गयी एवं फील्ड यूनिट द्वारा कब्जे मे लिये गये वस्तुओं को जो प्रभारी फील्ड यूनिट द्वारा मुझे मौके पर सुपुर्द किया गया उसे भी शील सर्व मोहर किया गया नमूना मोहर तैयार किया गया तथा वापसी मे मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं माल दाखिल किया गया। दौराने मुठभेड माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशो का पूर्णत: पालन किया व कराया गया।

जिला अस्पताल जनपद इटावा में बदमाश की मृत्यु हो जाने की पुष्टि हुई थी। बाद में इसकी शिनाख्त प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बऊआ दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई थी। बदमाशों के पास से बरामद शस्त्रों के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन, इटावा पर अ0सं0 277/2020 धारा 3/25/27 ए एक्ट पंजीकृत कराया गया। बरामद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नं0 DL1ZA3602 को चार स्कार्पियो सवार अज्ञात शस्त्र बदमाशों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अ0सं0 353/2020 धारा 394 भादवि पंजीकृत है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
थानाध्यक्ष
थाना सिविल लाइन, इटावा।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय

(311)

गोपनीय

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।

पत्रांकःज–381 / 2020 दिनांकःअगस्त 20 ,2020

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कानपुर नगर।

कृपया अपने पत्र संख्या आयोग सूचना सेल 2020 दिनांक 14.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जनपद कानपुर नगर थाना चौबेपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिकरू के विकास दुबे प्रकरण में गठित माननीय जाँच आयोग द्वारा अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त संदर्भ में कृपया अवगत कराना है कि विकास दुबे उपरोक्त का सहयोगी प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा पुत्र ओम प्रकाश दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर को दिनांक 09.07.2020 को जब उपरोक्त अपराधी थाना बकेवर क्षेत्र से एक स्वीफ्ट डिजायर कार नं0 डीएल–1जेडए–3602 लूट कर अपने साथी के साथ भाग रहा था तो चेकिंग मे गाड़ी न रोकने पर पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया था। तत्समय थाना सिविल लाइन व स्वाट टीम की संयुक्त मुठभेड़ मे मारा गया था।

उक्त घटना से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नानुसार संलग्न कर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1–थाना बकेवर इटावा में दिनांक 09.07.2020 को की गयी लूट की घटना से सम्बन्धित एफआईआर / कायमी–04वर्क।

2–थाना सिविल लाइन इटावा मे दिनांक 09.07.2020 को हुई पुलिस मुठभेड़ की एफआईआर / जीडी कायमी (मु0अ0सं0 276 / 20) 03वर्क।

3–मु0अ0सं0 277 / 20 उक्त मुठभेड़ के दौरान बरामदगी सम्बन्धी एफआईआर की प्रति 04 वर्क।

4–मुठभेड़ से सम्बन्धित फर्द की प्रति 04वर्क।

5–मुठभेड़ के दौरान घायल / मृत प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा पुत्र ओम प्रकाश दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर का पंचायतनामा मय कागजात 10 वर्क।

6–मुठभेड़ के दौरान घायल / मृत प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा पुत्र ओम प्रकाश दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 11 वर्क।

7–फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण के दौरान कब्जे मे ली गयी वस्तुओं की सूची का मेमो 01वर्क।

8–अपराधी प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा पुत्र ओम प्रकाश दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर का अपराधिक इतिहास–01 वर्क।

312

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश
P.S. (थाना): बकेवर
District (जिला): इटावा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 007
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 09/07/2020 05:16 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): SO BAKEWAR
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

आमद आगुन्तक व दाखिला तहरीर व कायमी मु0अ0स0 353/2020 धारा 394 IPC

इस समय गणेश साह पुत्र नुनमन निवासी फुलवरिया थाना नवलशाही जिला कोडरमा झारखण्ड मय मजरूब नरायण साब पुत्र जगदीश साब व मय हमराह विजय साब पुत्र रामचन्द निवासी गण उपरोक्त के साथ थाना उपस्थित आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद के बावत एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो जिसमे चार व्यक्ति नई उम्र के लड़के बैठे थे जिन्होने वादी की गाड़ी न0 DL 1 ZA 3602 स्विफ्ट डिजायर को NH2 हाईवे पर श्यामा ढाबा के पास रोक कर ओवरटेक कर रोक लेना तथा अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा वादी व वादी के भाई विजय साब व नरायण साब को नीचे उतार लेना विरोध करने पर वादी के भाई नरायण के सिर मे लोहे की राड मार देना तथा वादी से मोबाइल फोन VIVO 1804 SIM NO 9818645216 व ड्राइविंग लाइसेन्स ARM CARD creidit card adhar card और पर्स जिसमे 7000 रू0 व गाडी के पेपर तथा वादी के भाई विजय से मोबाइल फोन oppo A7 जिसमे SIM NO 8826248615, ATM CARD Kolak Mahindra और ड्राइविंग लाइसेन्स Pen CARD Adhar card Activa स्कूटी का RC व 3000 नगद व वादी के भाई/मजरूब नरायण साब से DL मोबाइल फोन VIVO SIM NO 9650954137 एक कीपेड मोबाइल Samsung sim no 9821562698 व वादी की स्वीफ्ट डिजायर गाडी न0 DL1ZA3602 को लूट ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि हस्ब प्राप्त तहरीर के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर अमित कुमार द्वारा चिक किता कराकर मु0अ0स0 353/2020 धारा 394 IPC दि0 घटना 09.07.2020 समय करीब 02.45 बजे रात्रि घटना स्थल श्यामा ढाबा के सामने NH2 हाईवे चौकी क्षेत्र महेवा दिशा पूर्व दूरी करीब 06 कि0मी0 दि0 सूचना व समय कायमी रपट हाजा तारीखी इमरोजा बामुदैयत गणेश साह पुत्र नुनमन निवासी फुलवरिया थाना नवलशाही जिला कोडरमा झारखण्ड बनाम चार अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध तफ्तिशी अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना व0उ0नि0 सुरेशचन्द द्वारा की जायेगी। तफसीला सम्बंधित रजिस्ट्रान मे किया व कराया गया। सूचना जरिये आर0टी0सैट के माध्यम से अफसरान बाला को दी गयी। डेली जरायम इरसाल होगी। वादी को FIR की द्वितीय प्रति हवाले की गयी मजरूब नरायण की आयी चोटो का निरीक्षण किया गया तो सिर मे चोट खूनालूदा व शरीर मे जगह-2 दर्द बताता है बाद देकर चिट्ठी मजरूबी करके हमराह पी0आरडी 308 राजेश कुमार को वगर्ज कराने डाक्टरी परीक्षण/उपचार मजरूब उपरोक्त का मय वादी व हमराह के रवाना किया गया। नकल चिक व नकल रपट का0 433 रजीत कुमार को हवाले कर वास्ते विवेचना/आवश्यक कार्यवाही विवेचक व0उ0नि0 सुरेश चन्द को देने हेतु मौके पर रवाना किया गया। SHO श्री रमेश सिंह मय व0उ0नि0 सुरेशचन्द मय हमराह फोर्स के कन्ट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के क्रम मे पूर्व से मौके पर रवाना है। मूल तहरीर सलग्न FIR कर समय से न्यायालय प्रेषित किया जायेगा।

7. Subject (विषय):

आमद आगुन्तक व दाखिला तहरीर व कायमी मु0अ0स0 353/2020 धारा 394 IPC

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	394

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 19/08/2020
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): SO BAKEWAR
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर): Jitendra
Name (नाम): SO BAKEWAR
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454403264

पुलिस उपाधीक्षक
मॉनीटरिंग सेल कार्यालय
... नगर

1

उपरोक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2020 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0सं0 277/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट की विवेचना निरीक्षक श्री श्यामवीर सिंह अपराध शाखा, विवेचना विंग, इटावा के द्वारा सम्पादित की जा रही है। इसी क्रम में थाना बकेवर जनपद इटावा में पंजीकृत लूट की घटना से सम्बन्धित मु0अ0सं0 353/2020 धारा 394 भादवि की विवेचना निरीक्षक श्री अनिल कुमार गौड़ अपराध शाखा, विवेचना विंग, इटावा के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उक्त घटना के घटनास्थल का निरीक्षण/रिकंस्ट्रक्शन विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ, उ0प्र0 की टीम द्वारा दिनांक 05.08.2020 को किया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

संलग्नक:यथोपरि।

(आकाश तोमर)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
इटावा ।

314

भारतीय न्यायिक ... 2020

N.C.R.B (एन सी आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): इटावा   P.S. (थाना): सिविल लाइन्स   Year (वर्ष): 2020
   FIR No. (प्र.सू.रि.   0276   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 09/07/2020 10:15 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम)   Sections (धारा(एँ))
   1   भा द सं 1860   307

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): गुरूवार   Date From (दिनांक से 09/07/2020   Date To (दिनांक तक) 09/07/2020
   Time Period (समय अवधि): पहर 2   Time From (समय से) 04:55 बजे   Time To (समय तक): 04:55 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक): 09/07/2020   Time (समय): 10:15 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 021   Date & Time (दिनांक और समय): 09/07/2020 10:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 04 किमी   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): ग्राम विक्रमपुर के सामने स्थित भट्टे के पास
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): so श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह
   (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)
   S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)   Id Number (पहचान संख्या)
   1
   (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थानाध्यक्ष थाना सिविल लाइन ,सिविल लाइस,इटावा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थानाध्यक्ष थाना सिविल लाइन ,सिविल लाइस,इटावा,उत्तर प्रदेश,भारत

पुलिस उपाधीक्षक
... कार्यालय
कानपुर नगर

प्रमाणित

Jitendra

पीछा किया जा रहा था उक्त गाड़ी लुहन्ना चौराहे से आगे साई मन्दिर के आगे हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर किये जिस पर मुझ थानाध्यक्ष द्वारा गाड़ी मे लाउड हेलर के माध्यम से ललकारते हुए बदमाशो को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हुए रोकने का प्रयास किया गया किन्तु बदमाशो द्वारा पुन हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर किये आत्म सुरक्षार्थ मै थानाध्यक्ष अपनी पिस्टल से 01 राउण्ड फायर किया जिसके फलस्वरूप उपरोक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अनियन्त्रित होकर ग्राम विक्रमपुर के सामने स्थित भट्टे के पास नीम के पेड मे उक्त गाड़ी समय लगभग 04 56 बजे प्रात टकरा गयी कि बदमाश अपने को हम पुलिस द्वारा घिरा देखते हुए गाड़ी से बाहर निकल कर हुए फायर कर रहे है कि हम पुलिस वाले फील्ड क्राफ्ट एव टैक्टिस का प्रयोग करते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशो की फायर कारगर रेंज मे घुस कर आत्म समर्पण हेतु चेतावनी देकर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया इसी दौरान एक गोली स्वाट प्रभारी उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह को लगी स्वाट प्रभारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण बाल-बाल बच गये हम पुलिस वालो ने धैर्य एव अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ मे अपने पिस्टल से तथा स्वाट प्रभारी उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह अपनी पिस्टल से एव सर्विलाइस प्रभारी उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह, आरक्षी 1031 विपिन कुमार द्वारा अपनी-अपनी पिस्टल से आत्म सुरक्षार्थ फायर किये गये बदमाशो की तरफ से फायरिंग बन्द होने पर हम पुलिस वाले आगे बढ़कर देखा गया तो एक बदमाश घायल अवस्था मे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से कुछ दूरी पर कराह रहा था तथा दूसरा बदमाश फायरिंग करते हुए अंधेरे एव उबड खाबड जमीन का लाभ उठाते हुए भागने मे सफल रहा पुलिस पार्टी की कुशलता ली गयी तो सभी पुलिस कर्मी सुरक्षित पाये गये स्वाट प्रभारी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी हुई है। दौरान गिरफ्तारी/मुठभेड माननीय उच्चतम न्यायालय एव मानवाधिकार आयोग के निर्देशो का पालन किया व कराया गया। मेरे द्वारा कुल 04 राउण्ड प्रभारी स्वाट द्वारा 02 राउण्ड प्रभारी सर्विलाइस द्वारा 02 राउण्ड आरक्षी विपिन द्वारा 01 राउण्ड अपनी-अपनी सरकारी पिस्टल से फायर किये गये है। जमीन पर पड़े घायल बदमाश का निरीक्षण करने पर कराह जिसकी साँसे चल रही है नाम पता पूछने पर नाम पता बताने मे असमर्थ है। इसके दाहिने हाथ से एक अदद पिस्टल तथा इसके जमीन पर पडी एक अदद डी0बी0बी0एल0 गन बरामद हुआ जिस पर गन न0 31108-04 अंकित है। मौके से थाना बकेवर मे लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी न0 DL1ZA3602 बरामद हुई। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट तथा एम्बुलेंस को बुलाया गया तथा घटना की सूचना जरिये दूरभाष एव आर0टी0सेट उच्चाधिकारियो को दिया गया घायल बदमाश की जीवन रक्षार्थ हेतु एम्बुलेंस से इलाज हेतु घटना की जानकारी प्राप्त होने पर मौके पर फैण्टम 2.2 के कर्मचारी का0 466 बलदेव चौधरी व का0 1430 प्रदीप कुमार पहुंचे इनमे से का0 466 बलदेव चौधरी व ह0उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार यादव के साथ भेजा गया। मौके पर घायल अभियुक्त के कब्जे से बरामद पिस्टल की मैगजीन को सिखाये तरीके से निकाल कर बाहर कर चैक किया गया इसमे 03 अदद जिन्दा कारतूस नाल में एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस फसा हुआ है। नाल को सूघने पर ताजे फायर शुदा कारतूस के बारूद की गंध आ रही है एव बरामद 12 बोर डी0बी0बी0एल0 गन को खोल कर देखा गया तो दोनो नालों मे फायर शुदा खोखा कारतूस फसे हुए है नाल को सूघने पर ताजे चले कारतूस के बारूद की गंध आ रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल का विधिवत निरीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्त का यह अपराध अन्तर्गत धारा 394/411/307 भादवि व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आता है उक्त धाराओं में नाम पता अज्ञात अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा मे लेते हुए उपचारार्थ हेतु भेजा गया है। दौरान घटना कोई जनता कोई भी जनता का व्यक्ति घटना के आस पास उपलब्ध नही हो सका। फर्द मौके पर गाड़ी व टार्च की रोशनी में मुझ थानाध्यक्ष द्वारा बोल बोल कर उ0नि0 श्री संजय कुमार दुबे द्वारा तैयार करायी गयी। सुरक्षित घटनास्थल को फील्ड यूनिट प्रभारी श्री रूपचन्द निगम द्वारा घटनास्थल से बरामद वस्तुओं को अलग-अलग पालीथिन एव अखबारी पैकेट मे रखकर कब्जे मे लेकर मेमो तैयार की गयी जिसमे 14 अमुद्रित बण्डलो का विवरण अंकित करते हुए कब्जे पुलिस मे दिया। घटनास्थल से सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे है। SD SO जितेन्द्र प्रताप सिंह, SD उ0नि0 संजय कुमार दुबे,SD का0 मृत्युजय सिंह, SD का0 राहुल कुमार, SD स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 सतेन्द्र सिंह , SD का0 सर्वेश कुमार, SD का0 अविन कुमार, SD का0 रविन्द कुमार, SD पवन कुमार, SD का0 मयंन्द मिश्र, SD उ0नि0 प्रभारी सर्विलास बेचेन कुमार सिंह, SD का0 विपिन कुमार, SD का0 सुशील कुमार, SD का0 अंकित कुमार, SD का0 शीशपाल सिंह। नोट मै का0 199 गंगा सागर PNO 112064437 प्रमाणित करता हूँ कि फर्द की नकल मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द, ब शब्द, अंकित की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 मे उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: SHO CIVIL LINES ETAWAH(I (Inspector)) / 9454403273 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the Investigation (को जाँच अपने पास मे लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

प्रमाणित

पुलिस उपाधीक्षक
सेना मेल कार्यालय
कानपुर नगर

Jitendra

316

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION: POST-MORTEM HOUSE, ETAWAH

Post-Mortem Report No. 336/2020 Date 9/7/2020

Conducted by Dr. Vinod Kumar Kohli, Dr. Prabhat Kumar Singh

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 5:00 pm 9/7/2020

Date & Time of Commencement of Autopsy 5:25 pm 9/7/2020

Time of Completion of Autopsy 6:20 PM 9/7/2020

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 9/7/2020 13:00

Name & Address of the person video recording the Autopsy: Sri Roop Chand Nigam, CP165 Anoop Kumar, CP849 Shiv Kumar, Anirudh, Fieldunit, Etawah

CASE PARTICULARS :

1 Name of deceased and as entered in the Jail or Police record Praveen Kumar Dubey (Bauwa)

S/o, D/o, W/o Om Prakash Dubey.

Address Vikru P/S - Chaubeypur, Distt - Kanpur Nagar.

2 Age (Approx.) 45 Yrs.: ______ Sex: Male / Female

3 Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) CP 158 Devender Singh

(ii) CP 1168 Kulveer Singh

of Police Station Civil Line, Etawah

4 Identified by (Name & Addresses of relatives/persons, acquainted)

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

317

221

(B) EXTERNAL INJURIES :

(Mention Type, Shape, Length X Breadth & Depth of each injury and its relation to important body landmark, indicate which injuries are fresh and which are old and their duration.)

(1) Entry of firearm injury size 1.0cm x 1.0cm present right side of chest 6.0cm below right nipple 10.0cm from mid line of chest. Margin inverted collar abrasion present.

(2) Exit of firearm injury size 2.0cm x 2.0cm present on right scapular region 8.0cm below right shoulder. Margin everted through and through injury No (1) & (2).

(3) Entry of firearm injury size 1.5cm x 1.5cm present on left side of chest 3.0cm above left nipple 13.0cm below left side of collarbone. Margin are inverted, collar abrasion present.

(4) Exit of firearm injury size 2.0cm x 2.0cm present left side of back, 8.0cm away from vertebrae 6.0cm below lower end of scapula. Margin everted through and through injury No (3) & (4)

(5) Entry of firearm injury 2cm x 1.5cm present on Rt shoulder 8.0cm from Rt ear margin inverted collar abrasion present

(6) Exit of firearm injury size 2.0cm x 2.0cm present left side of abdomen laterally 12cm above left iliac crest 28.0cm below left axilla. margin everted through and through injury No (5) & (6)

(7) Entry of fire arm injury size 1cm x 1cm present on left side of mastoid region behind left ear margin inverted, collar abrasion present

(8) Exit of firearm injury size 2.0cm x 2.0cm present on right side of neck 8.0cm below Rt ear margin everted through and through injury No (7) & (8).

[signature]

उपाधीक्षक

[signature] 24/10/12

[stamp]

318

222

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

HEAD

(a) Scalp findings - As marked

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) As marked

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels
(Haemorrhage & its location, abnormal smell etc. be noted) Lacerated & PALE

(d) Brain finding & Wt. (Wt.______________gms.) PALE

(e) Oribital, nasal & aural cavities- findings. NAD

NECK

- Teeth 16/16
- Mouth, Tongue & Pharynx } NAD
- Larynx & Vocal cords } NAD
- Condition of neck tissues . Rt side tissue lacerated
- Thyroid & other cartilage conditions } NAD
- Trachea } NAD

3. CHEST

- Ribs and Chest wall Rt side ribs fracture 5 to 6. Left side ribs fracture 2 to 4.
- Oesophagus - NAD
- Trachea & Bronchial Tree - NAD
- Pleural Cavities -R- -L- } About 1 litre blood present.
- Lungs findings & Wt. -Rt.______________gms. & Lt.______________gms B/L Lacerated & PALE

पुलिस उपाधीक्षक

(319) (227)

Full Body : Female - Anterior and Posterior Views

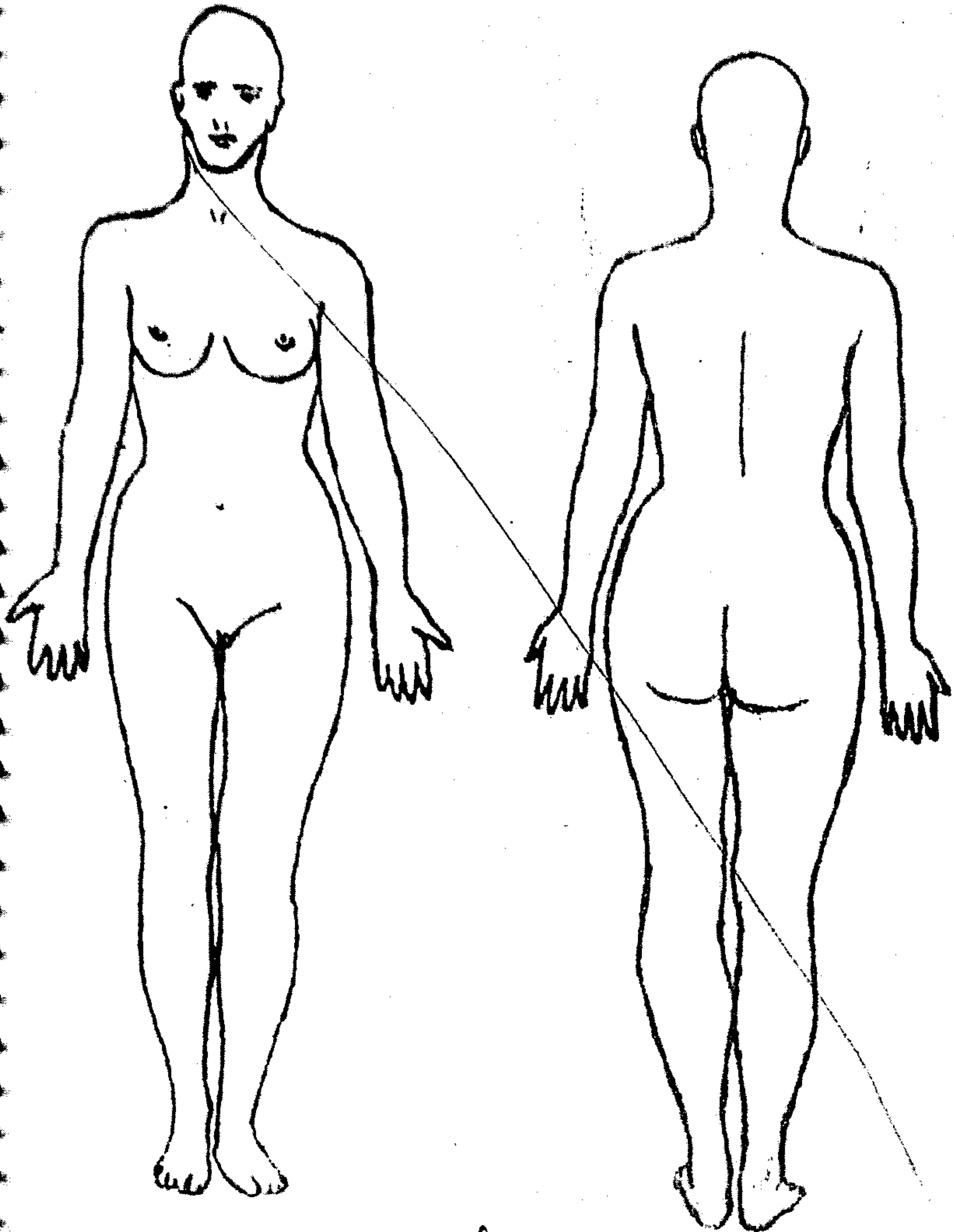

Name____________________ Case No.____________________

Date____________________

प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा पुत्र ओम प्रकाश दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर का अपराधिक इतिहास

क0 सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	192/20	147,148,149,307,302,394,120बी भा0द0वि0 व 7 कि0ला0ए0एक्ट	चौबेपुर	इटावा
2	353/20	394 भा0द0वि0	बकेवर	इटावा
3	276/20	307 भा0द0वि0(पुलिस मुठभेड)	सिविल लाइन्स	इटावा
4	277/20	25/27 आर्म्स एक्ट	सिविल लाइन्स	इटावा

प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा पुत्र ओम प्रकाश दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर का अपराधिक इतिहास

क0 सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	192/20	147,148,149,307,302,394,120बी भा0द0वि0 व 7 कि0ला0ए0एक्ट	चौबेपुर	इटावा
2	353/20	394 भा0द0वि0	बकेवर	इटावा
3	276/20	307 भा0द0वि0(पुलिस मुठभेड)	सिविल लाइन्स	इटावा
4	277/20	25/27 आर्म्स एक्ट	सिविल लाइन्स	इटावा

प्रमाणित

321

128

Part N 89230

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ-226006

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ -226006

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी नगर
इटावा

पत्रांक : 690-BAL-20 L/W 707 से 716-BAL-20 तक
दिनांक : 0[illegible].09.2020

अपराध संख्या : 276/20 277/20
बनाम: प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउआ

थाना : सिविल लाइन्स
धारा: 307 IPC & 3/25/27/30 A.A.

पुलिस अधीक्षक इटावा के पत्र संख्या: 381/2020, दिनांकित: 18.07.2020 के क्रम में प्रयोगशाला की बैलेस्टिक विशेषज्ञो की टीम द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण / पुनर्संरचना दिनांक 05.08.20 को किया गया। घटनास्थल निरीक्षण/पुनर्संरचना के समय विशेषज्ञो के अतिरिक्त निम्न पुलिसकर्मी / अधिकारी उपस्थित रहेः-

1 - श्री ज्ञानेन्द्र नाथ, पुलिस अधीक्षक अपराध, इटावा
2 - श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष, सिविल लाइन्स, इटावा वादी / (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
3 - श्री सत्येन्द्र सिंह,प्रभारी स्वाट टीम / SOG, इटावा (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
4 - श्री बेचन कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस, इटावा (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
5 - श्री उपेन्द्र यादव एस.एस.आई. सिविल लाइन्स, इटावा मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य
6 - श्री संजय कुमार दुबे एस.आई. सिविल लाइन्स, इटावा मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य
7 - मुठभेड़में सम्मिलित अन्य आरक्षी व आरक्षी चालक
8 - श्री श्यामवीर सिंह,निरीक्षक, क्राइम ब्रांच, इटावा विवेचक
9 - फील्ड यूनिट इटावा

घटनास्थल, थाना- सिविल लाइन्स, इटावा से लगभग चार (04) किमी. पूर्व, ग्राम विक्रमपुर के सामने स्थित, भट्ठे के पास कचौरा रोड पर होना बताया गया |

दिनाक 09.07.2020 को प्रात: आर.टी. सेट से थाना बकेवर मे अज्ञात बदमाशो द्वारा एक स्विफ्ट डीजायर कार नम्बर DL1 ZA 3602 लूट कर आगरा की तरफ भागने की सूचना प्राप्त होने तथा चेकिंग के आदेश पर IT। चौराहे पर वादी द्वारा स्वाट व सर्विलांस प्रभारी के साथ चेकिंग प्रारम्भ की गयी थी,तभी एक गाड़ी चेकिंग पर नही रुकी | पुलिस टीम द्वारा वाहन का पीछा किया गया | कचौरा रोड पर साई मंदिर के पास बदमाशो द्वारा फायर करने पर वादी द्वारा जवाबी फायर किया गया, जो स्विफ्ट डीजायर कार नम्बर DL1 ZA 3602 पर लगा तथा जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गयी | बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमे से दो गोली SOG प्रभारी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी | पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देनें पर भी अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर लगातार फायर

127

Part N 89231

किया गया | पुलिस की जवाबी फायरिंग में ... होकर जमीन पर गिर पड़ा | घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सक ... परीक्षणोपरांत मृत घोषित कर दिया गया .
नोट : उपरोक्त वर्णित तथ्य श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष, सिविल लाइन्स, इटावा वादी / (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य) के अभिकथन पर आधारित है |

मुठभेड़ में प्रयुक्त शस्त्रो / प्रदर्शो को विशेष वाहक HC-33 धीरेन्द्र सचान द्वारा दिनांक 20.08..2020 को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में प्राप्त करायां गया:-

पत्रावली संख्या:707-BAL-20L/ W 708....716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-1 से चिन्हित किया गया है |
2. एक सर्वमुहर बण्डल, जिस पर समान न-1 की मुहरे लगी है तथा बण्डल पर "...सम्बंधित मु०अ०सं०-276/20,थाना- सिविल लाइन्स, इटावा, उप.नि. श्री सत्येन्द्र यादव प्रभारी SOG, इटावा" आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. Glock Pistol No.-AACB-105, मय मैगजीन प्राप्त हुयी | जिसे 1/2020 से चिन्हित किया गया है |

पत्रावली संख्या:708-BAL-20 L/W 707- BAL-20 L/ W 709,...716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-2 से चिन्हित किया गया है |
2. एक सर्वमुहर बण्डल, जिस पर समान न-2 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल पर "...सम्बंधित मु०अ०सं०-276/20,थाना- सिविल लाइन्स, इटावा, कांस.- 1031 विपिन कुमार SOG, इटावा" आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. Glock Pistol No.-AACB -193, मय मैगजीन प्राप्त हुयी | जिसे 2/2020 से चिन्हित किया गया है |

पत्रावली संख्या:709-BAL-20 L/W 707,708- BAL-20 L/W710....716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-3 से चिन्हित किया गया है |
2. एक सर्वमुहर बण्डल, जिस पर समान न-3 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल पर "...सम्बंधित मु०अ०सं०-276/20, थाना- सिविल लाइन्स, इटावा, SI. श्री बेचन कुमार सिंह सर्विलांस प्रभारी, इटावा" आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. Pistol No. - 18694295, मय मैगजीन प्राप्त हुयी | जिसे 3/2020 से चिन्हित किया गया है |

पत्रावली संख्या:710-BAL-20 L/W 707,708,709 - BAL-20 L/ W 711....716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-4 से चिन्हित किया गया है |
2. एक सर्वमुहर बण्डल, जिस पर समान न-2 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल पर "...सम्बंधित मु०अ०सं०-276/20,थाना- सिविल लाइन्स, इटावा, श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स, इटावा" आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. Glock Pistol No.-AACB -196, मय मैगजीन प्राप्त हुयी | जिसे 4/2020 से चिन्हित किया गया है |

पत्रावली संख्या:715-BAL-20 L/W 707-714 - BAL-20 L/W 716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-5 से चिन्हित किया गया है |
2. एक सर्वमुहर बण्डल, जिस पर समान न-5 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल "DBBL GUN No.- 31108-04 मु०अ०सं०-276/20 व मु०अ०सं०-277/20, थाना- सिविल लाइन्स, इटावा, बनाम - प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा दुबे" आदि लिखा है, को खोलने पर एक DBBL Gun No. - 31108-04 तथा DBBL Gun No. - 31108-04 की दाहिनी व बांयी नाल से अलग- अलग एक – एक 12 बोर SHAKTIMAN EXPRES के चले कारतूस, एक पॉलिथीन से दो 12 बोर SHAKTIMAN EXPRES के चले कारतूस

323

126

Part N. 89232

तथा दो SHAKTIMAN EXPRES के जिन्दा... प्राप्त हुए। जिन्हें क्रमशः 5/2020 से, EC-1 व EC-2, EC-3 व EC-4 से तथा LC-1 व L... किया गया है।

पत्रावली संख्या:714-BAL-20 L/W 707-7...-20 L/W 715-716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-6 से चिन्हित किया...

2. एक सर्वमुहर बण्डल, जिस पर समान न-6 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल " मु०अ०सं०-276/20 व मु०अ०सं०-277/20, थाना- सिविल लाइन्स, इटावा, बनाम- प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा दुबे" आदि लिखा है, को खोलने पर एक पिस्टल मय मैगजीन , दो अदद 7.65 m.m. KF के चले कारतूस तथा तीन 7.65 m.m. KF के जिन्दा / भरे कारतूस प्राप्त हुए। जिन्हे क्रमशः 6/2020 से, EC-5 व EC-6 से तथा LC-3, LC-4 व L.C.-5 से चिन्हित किया गया है।

पत्रावली संख्या:711-BAL-20 L/W 707-710- BAL-20 L/W 712....716-BAL-2020

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-7 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर छोटा बण्डल, जिस पर समान न-7 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल पर "....पुलिस मुठभेड़, बरामद तीन अदद खोखा कारतूस घटनास्थल सम्बन्धित मु. अ०सं०-276,/20, थाना- सिविल लाइन्स, बनाम-प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउआ दुबे" आदि लिखा है, को खोलने पर तीन 9 m.m. KF के चले कारतूस प्राप्त हुए। जिन्हे क्रमशः EC-7, EC-8 व EC-9 से चिन्हित किया गया है।

पत्रावली संख्या:712-BAL-20 L/W 707-711- BAL-20 L/W 713,...716-BAL-2020.

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-8 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर छोटा बण्डल, जिस पर समान न-7 की मुहरें लगी हैं तथा बण्डल पर "....पुलिस मुठभेड़, बरामद तीन अदद खोखा कारतूस घटनास्थल सम्बन्धित मु. अ०सं०-276,/20, थाना- सिविल लाइन्स, बनाम- प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउआ दुबे" आदि लिखा है, को खोलने पर तीन 9 m.m. KF के चले कारतूस प्राप्त हुए। जिन्हें क्रमशः EC-10, EC-11 व EC-12 से चिन्हित किया गया है।

पत्रावली संख्या:713-BAL-20 L/W 707-712 - BAL-20 L/W 713,...716-BAL-2020

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-9 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर बंडल, जिस पर समान न-9 की मुहरें लगी हैं तथा बंडल पर "...एक अदद बुलेट प्रूफ जैकेट उप. नि. श्री सत्येन्द्र यादव, सम्बंधित मु०अ०सं०-276/20, थाना- सिविल लाइन्स, बनाम- प्रवीण कुमार दुबे उर्फ.बउआ दुबे" आदि लिखा है,को खोलने पर एक काले कलर की बुलेटप्रूफ जैकेट प्राप्त हुयी। जिसे BP-1 से चिन्हित किया गया है।

पत्रावली संख्या:716-BAL-20 L/W 707.. 715-BAL-2020

1. एक नमूना मुहर, जिसे न-10 से चिन्हित किया गया है।

2. एक सर्वमुहर बण्डल / पैकेट , जिस पर समान न-10 की मुहरें लगी हैं, "पुलिस मुठभेड़, सम्बन्धित मु. अ०सं०-276,/20,थाना- सिविल लाइन्स, बनाम- प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउआ दुबे" आदि लिखा है, को खोलने पर दस पॉलिथीन प्राप्त हुये :-

(a) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स DW GSR दांये हाथ से .. मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ। जिसे S-1 से चिन्हित किया है।
(b) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स DW GSR बांये हाथ से .. मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ। जिसे S-2 से चिन्हित किया है।
(c) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स DW नमूना काटन .. मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ। जिसे S-3 से चिन्हित किया है।

(324)

125

Part N 89233

(d) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स एसिटिक एसिड GSR दायें हाथ से .. मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे आदि लिखा है को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ | जिसे S-4 से चिन्हित किया है |

(e) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स एसिटिक एसिड GSR बांये हाथ से .. मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ | जिसे S-5 से चिन्हित किया है |

(f) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स एसिटिक एसिड नमूना काटन स्वाब GSR.. मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ | जिसे S-6 से चिन्हित किया है |

(g) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स DW GSR कार से DL1 ZA 3602 स्विफ्ट डीजायर आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ | जिसे S-7 से चिन्हित किया है |

(h) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स एसिटिक एसिड GSR कार से DL1 ZA 3602 स्विफ्ट डीजायर आदि लिखा है, को खोलने पर काटन स्वाब प्राप्त हुआ | जिसे S-8 से चिन्हित किया है |

(i) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स टुकड़ा कांच कार से DL1 ZA 3602 स्विफ्ट डीजायर पीछे शीशे से गोली लगने के स्थान से आदि लिखा है, को खोलने पर कांच के टुकड़े प्राप्त हुए | जिन्हे सम्मिलित रूप से G-1 से चिन्हित किया है |

(j) एक पॉलिथीन जिसपर दिनांक 9.07.20 सिविल लाइन्स टुकड़ा कांच कार से DL1 ZA 3602 स्विफ्ट डीजायर के आगे शीशे का आदि लिखा है, को खोलने पर कांच के टुकड़े प्राप्त हुए | जिन्हे सम्मिलित रूप से G-2 से चिन्हित किया है |

निरीक्षण

घटनास्थल निरीक्षण / पुनर्संरचना के समय वाहन संख्या DL1 ZA 3602 स्विफ्ट डीजायर के नीम के पेड़ से टकराने के स्थान से क्रमशः थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स के वाहन के खड़े होने के स्थान की दूरी, सर्विलांस प्रभारी के वाहन के खड़े होने के स्थान की दूरी तथा स्वाट / एस.ओ.जी. प्रभारी के वाहन के खड़े होने के स्थान की दूरी क्रमशः लगभग 45 फीट,30 फीट तथा 35 फीट बताये अनुसार मापी गयी | सड़क के बांये किनारे से बदमाश के घायल होकर गिरने के स्थान की दूरी लगभग 33 फीट, नीम के पेड़ से बदमाश के घायल होकर गिरने के स्थान की दूरी लगभग 15 फीट, नीम के पेड़ / बदमाश के फायर करने के स्थान से एस.ओ.जी. प्रभारी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगाने के स्थान की दूरी लगभग 32 फीट, थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स के फायर किये जाने के स्थान से नीम के पेड़ / बदमाश के फायर किये जाने के स्थान के बीच की दूरी लगभग 35 फीट बताये अनुसार मापी गयी |

निरीक्षण विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1:

....

यह एक काले कलर की बुलेटप्रूफ जैकेट है | इस पर सामने दाहिनी तरफ प्लेट के दाहिने किनारे से लगभग 4 से.मी. व 12 से.मी. की दूरी पर तथा प्लेट के उपरी दाहिनी किनारे से लगभग 31 से .मी. व 32 से.मी. की दूरी पर लगभग .5 X .5 से.मी. - .5 X .5 से.मी. आकार के अगल – बगल एक छिद्र तथा तीन छोटे – छोटे उपस्थित है | एक छिद्र को घेरकर H-1 से तथा तीन छोटे – छोटे छिद्रों को सम्मिलित रूप से घेरकर H-2 से चिन्हित किया है | छिद्र चिन्हित H-1 तथा H-2 के संगत प्लेट पर भी छिद्र उपस्थित हैं, जिनके भीतर से अलग

KL   Aoad

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला–29–05–2019–(185)–10,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

– अलग एक – एक 7.65 m.m. की विकृत ... हुयीं | जिन्हें क्रमशः EB-1 व EB-2 से चिन्हित किया है | Part N 89231

(1) - विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1 व H-2 पर तथा उसके आस-पास से प्राप्त फायरिंग रेजीडयू का फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिक परीक्षण किये जाने पर विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित **H-1 व H-2** पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी।

(2) - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.–AACB -105** चिन्हित **1/2020**, विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.- AACB -193** चिन्हित **2/2020**, विवादित **9 m.m. Pistal No – 18694295** चिन्हित **3/2020**, विवादित **9 m.m. Glock Pistal No-AACB-196** चिन्हित **4/2020** तथा विवादित **DBBL GUN 12 बोर No. – 31108-04 चिन्हित 5/2020की दाहिनी व् बांयी प्रत्येक नाल से अलग – अलग** व विवादित **7.65 m.m.** पिस्टल, चिन्हित **6/2020** की नाल से अलग – अलग प्राप्त फायरिंग रेजीडयू का फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिक परीक्षण किये जाने पर:-

1 - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.-AACB -105** चिन्हित **1/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

2 - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.-AACB-193** चिन्हित **2/2020**, की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

3 - विवादित **9 m.m. Pistal No-18694295** चिन्हित **3/2020**,की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

4 - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.–AACB-196** चिन्हित **4/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

5 - विवादित **DBBL GUN 12 बोर No.–31108-04 चिन्हित 5/2020 की दाहिनी व बांयी प्रत्येक नाल** में अलग – अलग फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व लेड की उपस्थिति पायी गयी।

6 - विवादित 7.65 m.m. **पिस्टल, चिन्हित 6/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

(3) मृतक प्रवीण दुबे से सम्बन्धित डिस्टिल्ड वाटर में लिया दाहिने हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-1, बांये हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-2 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-3 तथा एसिटिक एसिड में लिया दाहिने हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-4, बांये हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-5 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-6 में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर :-

मृतक प्रवीण दुबे से सम्बन्धित डिस्टिल्ड वाटर में लिया दाहिने हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-1, बांये हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-2 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-3 तथा एसिटिक एसिड में लिया दाहिने हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-4, बांये हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-5 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-6 में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नही हुयी |

(4) - DW GSR कार से DL1 ZA 3602 स्विफ्ट से प्राप्त कांच के टुकड़े चिन्हित G-1 व G-2 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नही हुयी |

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला–29–05–2019–(185)–10,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

326

123

Part N. 89235

(5) - प्रयोगशाला में विशेषज्ञों द्वारा एफ.आई.आर. में वर्णित तथ्यों, नक्शा नजरी व मृतक प्रवीण दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट No.-936/20, दिनांकित ... आदि का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

(6) - विवादित 9 m.m. Glock Pistal No.-AACB-196 चिन्हित 1/2020, विवादित 9 m.m. Glock Pistal No.-AACB-193 चिन्हित 2/2020, विवादित 9 m.m. Pistal No-18694295 चिन्हित 3/2020, विवादित 9 m.m. Glock Pistal No-AACB-196 चिन्हित 4/2020 द्वारा 9 m.m. के दो – दो कारतूस परीक्षार्थ प्रयोगशाला में चलाये गये। जिन्हे क्रमशः TC-1 व TC-2 से, TC-3 व TC-4 से, TC-5 व TC-6 से तथा TC-7 व TC-8 से चिन्हित किया गया है।

(7) - विवादित DBBL GUN 12 बोर No.- 31108-04 चिन्हित 5/2020 की दाहिनी व बांयी प्रत्येक नाल से अलग – अलग 12 बोर के दो – दो कारतूस तथा विवादित 7.65 m.m. पिस्टल, चिन्हित 6/2020 द्वारा 7.65 m.m. के दो कारतूस परीक्षार्थ प्रयोगशाला में चलाये गये। जिन्हें क्रमशः TC-9 व TC-11 से TC-10 व TC- 12 से तथा TC-13 व TC-14 से चिन्हित किया गया है।

विवादित / परीक्षार्थ कारतूसो तथा विवादित बुलेट्स का निरीक्षण हैण्ड मैग्नीफायर / संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व्दारा किया गया।

1 - विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-1, EC-2 व EC-3 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

2 - विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-4, की परकुशन कैप फायरिंग पिन व ब्रीच के स्थान पर Rusted (जंग लगी) है।

3- विवादित 7.65 m.m. कारतूस चिन्हित EC-5 व EC-6 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

4 - विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-7, EC-8, EC-9, EC-10, E.C.-11 व EC-12 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

5 - परीक्षार्थ कारतूस (9 m.m.) चिन्हित TC-1 से TC-8 तक पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

6 - परीक्षार्थ कारतूस (12 बोर) चिन्हित TC-9 से TC-12 तक पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

7-परीक्षार्थ कारतूस (7.65 m.m.) चिन्हित TC-13 व TC-14 पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

6 - विवादित बुलेट चिन्हित EB-1, का भार लगभग 3.96 ग्राम तथा बुलेट चिन्हित EB-2 का भार लगभग 4.58 ग्राम है। इस पर लैंड / ग्रूव्ज जैसे स्ट्राएसन्स के चिन्ह दृष्टीगोचर हैं। विकृत होने के कारण इनके व्यास का आकलन नहीं किया जा सका।

कारण

विवादित / परीक्षार्थ कारतूसो की तुलना / परीक्षण हैण्ड मैग्नीफायर / संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व्दारा किया गया।

1 - विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-1 व EC-3 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC-9 व TC-11 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हो के समान है।

2 - विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-2 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC-10 व TC-12 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान है।

3 - विवादित कारतूस (7.65 m.m.) चिन्हित EC-5 व EC-6 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC-13 व TC-14 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान है।

4 - विवादित 9 mm कारतूस **EC-7**, पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में, परीक्षार्थ कारतूसो चिन्हित **TC-3** व **TC-4** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हो के समान है।

5 - विवादित 9 mm कारतूस चिन्हित **EC-8** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओ में, परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-1** व **TC-2** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच व के चिन्हो के समान है।

6 - विवादित 9 mm कारतूस **EC-9** व **EC-11** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में, परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-7** व **TC-8** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हो के समान है।

7 - विवादित 9 mm कारतूस **EC-10** व **EC-12**, पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में, परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-5** व **TC-6** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हो के समान है।

8 - विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-4 की पर्कुशन कैप फायरिंग पिन व ब्रीच के स्थान पर Rusted (जंग लगी है) होने के कारण इसकी तुलना परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित TC-9 से TC-12 तक उपस्थित चिन्हों से करने हेतु पर्याप्त व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

परिणाम

1 - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.-AACB-105** चिन्हित **1/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

2 - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.-AACB-193** चिन्हित **2/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

3 - विवादित ***9 m.m. Pistal No-18694295*** चिन्हित ***3/2020***, की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

4 - विवादित **9 m.m. Glock Pistal No.-AACB-196** चिन्हित **4/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

5 - विवादित **DBBL GUN 12 बोर No.-31108-04** चिन्हित **5/2020** की दाहिनी व बांयी प्रत्येक नाल में अलग – अलग फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट व लेड की उपस्थिति पायी गयी।

6 - विवादित 7.65 m.m. पिस्टल, चिन्हित 6/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

7 - मृतक प्रवीण दुबे से सम्बन्धित डिस्टिल्ड वाटर में लिया दाहिने हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-1, बांये हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-2 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-3 तथा एसिटिक एसिड में लिया दाहिने हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-4, बांये हाथ से सम्बन्धित स्वाब चिन्हित S-5 तथा कंट्रोल स्वाब चिन्हित S-6 में फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नही हुयी।

(328)

121

Part N 89237

8 - DW GSR कार से DL1 ZA 3602 स्विफ्ट डिजायर कार से प्राप्त कांच के टुकड़े चिन्हित G-1 व G-2 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

9 - विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1 व H-2 पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी।

10- विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-1 व EC-3, विवादित DBBL GUN 12 बोर No.-31108-04 चिन्हित 5/2020 की दाहिनी नाल द्वारा चलाये गये है।

11- विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-2, विवादित DBBL GUN 12 बोर No.-31108-04 चिन्हित 5/2020 की बांयी नाल द्वारा चलाया गया है।

12- विवादित कारतूस (7.65m.m.) चिन्हित EC-5 व EC-6 विवादित 7.65 m.m. पिस्टल चिन्हित 6/2020 द्वारा चलाये गये है।

13- विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-7, विवादित 9 m.m. Glock Pistol No.-AACB-193 चिन्हित 2/2020 द्वारा चलाया गया है।

14- विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-8, विवादित 9 m.m. Glock Pistol No.-AACB-105 चिन्हित 1/2020 द्वारा चलाया गया है।

15- विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-10 व EC-12, विवादित 9 m.m. Pistol No.-18694295 चिन्हित 3/2020 द्वारा चलाये गये है।

16-विवादित कारतूस (9 mm) चिन्हित EC-9 व EC-11, विवादित 9 m.m. Glock Pistol No.-AACB-196 चिन्हित 4/2020 द्वारा चलाये गये है।

17- विवादित कारतूस (12 बोर) चिन्हित EC-4, की तुलना विवादित DBBL GUN 12 बोर No.-31108-04 चिन्हित 5/2020 चिन्हित 5/2020 से करने हेतु पर्याप्त व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।

18- विवादित बुलेट प्रुफ जैकेट चिन्हित BP-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1 व H-2 से प्राप्त विवादित बुलेट चिन्हित EB-1 व EB-2, 7.65 m.m. के कारतूस की चली बुलेट है|

19- प्रयोगशाला में प्रदर्शों के परीक्षण, मृतक अभियुक्त प्रवीण दुबे उर्फ बउआ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 936/2020, दिनांकित 9.07.2020 का विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन, एफ.आई.आर. व नक्शा नजरी में वर्णित तथ्यों तथा घटनास्थल निरीक्षण / पुनर्संरचना के आधार पर मृतक अभियुक्त प्रवीण दुबे उर्फ बउआ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 936/2020, दिनांकित 9.07.2020 में वर्णित आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव Close Range के बाद की दूरी के फायर से कारित होना सम्भव है|

अग्रसारित
[signature] 8.9.2020
उप निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ।

Kayam Singh
(कायम सिंह)
वैज्ञानिक अधिकारी 8.9.2020
साइंटिफिक आफिसर
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ

[signature] 8/9/2020
(डॉ. ए.के. श्रीवास्तव)
Dr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA
प्रभारी आग्नेयास्त्र अनुभाग
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

संलग्न :- घटनास्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ 15 (P-1 to P-15)
(2) वाहन संख्या DL1ZA3602 स्विफ्ट डिजायर कार की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति
(3) एफ.आई.आर., पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नक्शा नजरी की छायाप्रति

(329)

(21)

नक्शा नजरी

मु० अ० सं० 276/20 धारा 307 I.P.C. थाना सिविल लाइन इटावा।
मु० अ० सं० 277/20 धारा 3/25/27/30 A. Act थाना सिविल लाइन इटावा।

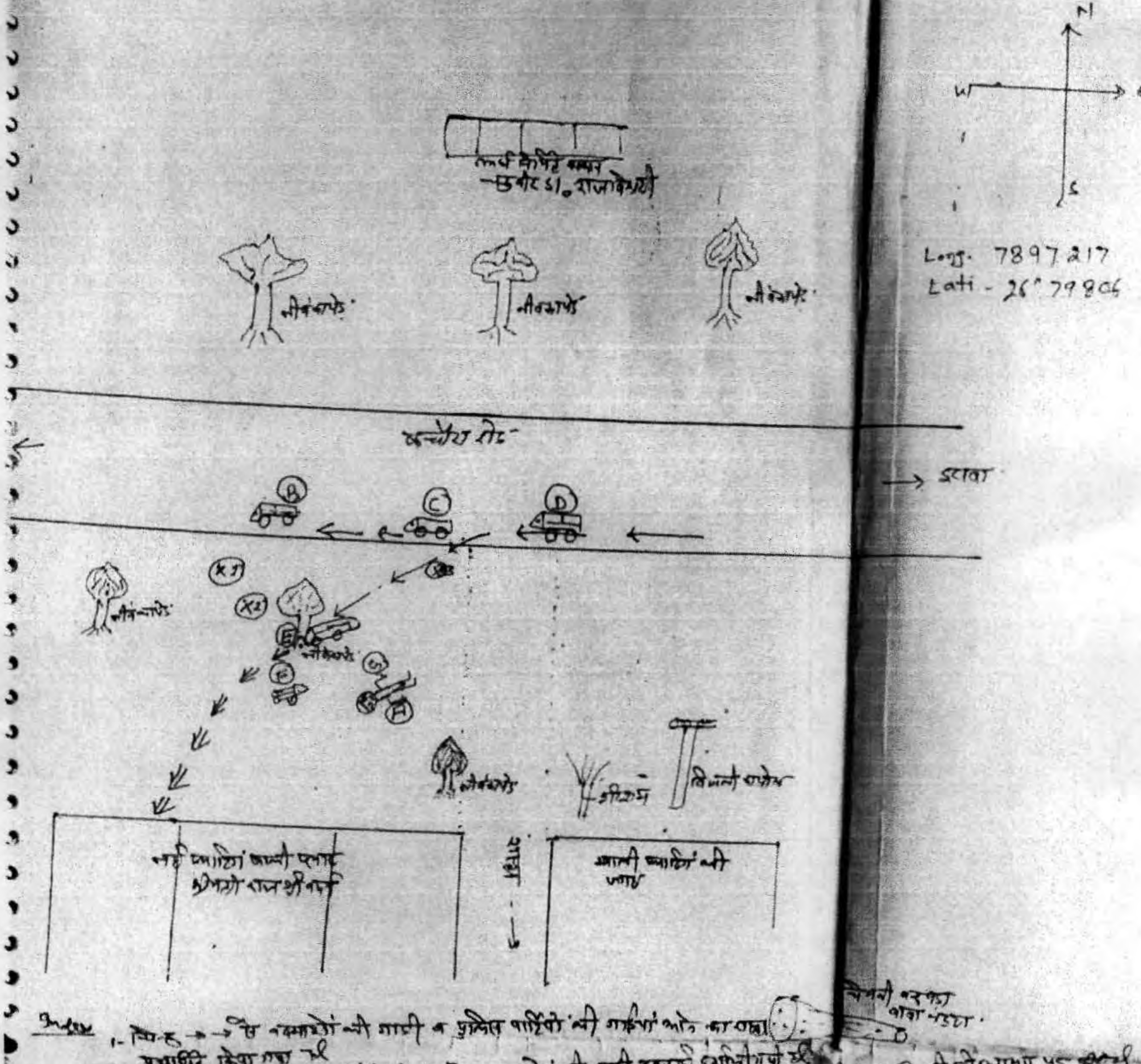

Long. 7897217
Lati - 26° 79806

Index
1- चिन्ह → → से बदमाशों की गाड़ी व पुलिस पार्टियों की गाड़ियां आने का रास्ता प्रदर्शित किया गया है।
2- चिन्ह (E) से वह स्थान जहाँ नीलकंठ के पेड़ से बदमाशों की गाड़ी टकराई दर्शाया गया है [illegible] स्थान (E) की दूरी लगभग 45 मीटर है।
3- चिन्ह (B) से SO सिविल लाइन की गाड़ी रूकने का स्थान दर्शाया गया है। स्थान (C) से [illegible] (E) की दूरी लगभग 30 मीटर है।
4- चिन्ह (C) से [illegible] की गाड़ी रूकने का स्थान दर्शाया गया है। स्थान (D) से स्थान [illegible] की दूरी लगभग 35 मीटर है।
5- चिन्ह (D) से [illegible] की गाड़ी रूकने का स्थान दर्शाया गया है जिसकी [illegible] लगभग 33 मीटर की दूरी है।
6- चिन्ह (A) से जहाँ घायल / मृतक बदमाश पड़ा था दर्शाया गया है [illegible] से (X1) की दूरी लगभग 27 मीटर [illegible]
7- चिन्ह (X1) जहाँ से [illegible] फायर हुआ, स्थान (A) जहाँ मृतक का शव पड़ा था [illegible] की गाड़ी की तरफ दर्शाया गया है।
[illegible] की गाड़ी की तरफ दर्शाया गया है [illegible] स्थान (A) से (X2) की दूरी लगभग 40 [illegible] की दूरी लगभग 15 मीटर है दर्शाया गया है।
8- चिन्ह (X2) जहाँ दूसरा [illegible] फायर हुआ, स्थान (A) से (X3) की दूरी लगभग 35 [illegible] दर्शाया गया है।
9- चिन्ह (X3) जहाँ तीसरा [illegible] फायर हुआ, स्थान (A) जहाँ मृतक / घायल पड़ा था [illegible]
10- स्थान (E) जहाँ गाड़ी [illegible] से स्थान (A) [illegible] मृतक के शव से [illegible] के पास ही पड़ी होना [illegible]
11- चिन्ह (F) से जहाँ DBBL gun पड़ी होना बताया जाता है [illegible]
12- चिन्ह (G) से जहाँ मृतक की [illegible] पड़ी थी बताया जाता है [illegible] लगभग 65 मीटर की [illegible] दर्शाया गया है।
13- चिन्ह [illegible] से [illegible] दर्शाया गया है [illegible] दर्शाया गया है।
14- चिन्ह → → से एक बदमाश के भागने का रास्ता [illegible] दर्शाया गया है।

[signature]
13/[illegible]
([illegible])
निरी०
[illegible]

330

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
इटावा।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार,एचजेएस,
सचिव, जॉच आयोग,
कक्ष सं0–202, वीवीआईपी गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, शहीद पथ,
लखनऊ।

संख्याः 1663/जे0ए0–मजिस्टीरियल जॉच/2020 दिनांकः दिसम्बर 16, 2020

विषयः– प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउआ उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी–ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर की दिनांक 09.07.2020 को हुई पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल तथा उपचार के दौरान हुई मृत्यु की मजिस्टीरियल जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के पत्रॉक–एसटी–एसएसपी–1(पु0मुठभेड)–2020 दिनांक 09.07.2020 के कम में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट इटावा के आदेश पत्र संख्या–66/जे0ए0–अभि0/मृतक प्रवीण कुमार दुबे/2020 दिनांक 10.07.2020 द्वारा अभियुक्त/मृतक प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउआ पुत्र ओमप्रकाश दुबे उम्र करीब 35 वर्ष निवासी–ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर की दिनांक 09.07.2020 को प्रातः थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड के दौरान घायल होने तथा उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने की मजिस्टीरियल जॉच कराये जाने हेतु श्री नन्द प्रकाश मौर्य, उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) सदर इटावा को नामित किया गया।

अतः उक्त के कम में श्री नन्द प्रकाश मौर्य, उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) सदर इटावा ने अपनी जॉच आख्या पत्र संख्या–41/रीडर–मजि0जॉच–2020 दिनांक 04.12.2020 उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार जॉच पत्रावली 173 किता।

भवदीय

(श्रुति सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
इटावा।

(331)

173

कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।

पंत्राक: 41 /रीडर–मजि0जॉंच–2020 दिनांक: दिसम्बर 04, 2020

विषयः– दिनांक: 08/09–07–2020 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पास विकमपुर मे हुई पुलिस मुठभेड में अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बऊवा पुत्र श्री ओम प्रकाश दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर के मारे जाने की मजिस्ट्रीरियल जॉच के संबंध में।

जिला मजिस्ट्रेट,
इटावा।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 66/जे0ए0–अभि0/प्रवीण कुमार दुबे/ 2020 दिनांक: जुलाई 10, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक: 08/09–07–2020 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम विकमपुर मे हुई पुलिस मुठभेड में अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बऊवा पुत्र श्री ओम प्रकाश दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर के मारे जाने की मजिस्ट्रीरियल जॉच किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण की जॉच के संबंध में सर्वप्रथम इस कार्यालय के पत्र सं0 1395/ रीडर–उप जिला0मजि0(न्या0) जॉच–2020 दिनांक: जुलाई 13, 2020 के द्वारा जनहित के सूचनार्थ एक प्रेस विज्ञप्ति निर्गत की गई, जिसकी प्रतियां समस्त संबंधित को प्रेषित की गई। इस प्रेस विज्ञप्ति में सर्वसाधारण को सूचित किया गया कि उक्त घटना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को अपना बयान /साक्ष्य आदि प्रस्तुत करना हो तो दिनांक: 20.07.2020 की प्रातः 11.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकता है। इस प्रेस विज्ञप्ति की प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पु0) इटावा को मृतक का पोस्टमार्ट करने वाले डाक्टर को बयान देने हेतु सूचित करने हेतु भेजी गई तथा थानाध्यक्ष सिविल लाइन इटावा को प्रेस विज्ञप्ति की प्रति इस आशय से भेजी गई कि स्वयं अपने तथा घटना में शामिल पुलिसकर्मियो को बयान दर्ज कराने के संबंध में सूचित करें। प्रेस विज्ञप्ति की एक–एक राजस्व के समस्त न्यायालयों के नोटिसबोर्ड पर चस्पा कराई गई एवं समाचार पत्रों में (दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान,दैनिक राष्ट्रीय सहारा, दैनिक आज का विचार में) प्रकाशित करायी गई।

इस कार्यालय के पत्र संख्या: 1499/रीडर–अभि0/मृतक प्रवीण कुमार दुबे/मजि0जॉच–2020 दिनांक: जुलाई 14, 2020 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर के माध्यम से मृतक प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बऊबा पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर के परिवारीजन व अन्य ग्रामीणों को भी सूचित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में निम्न लिखित ने अपने–अपने बयान अंकित कराये:–

1– श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष, सिविल लाइन पीएनओ–942480319 ने दिनांक: 22–7–2020 को मेरे न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कराया कि दिनांक: 09.7.2020 को प्रातः लगभग 03.30 बजे होमगार्ड ने आकर बताया कि साहब मुंशी जी ने बताया है कि बकेवर में बदमाशों ने गाडी लूट ली है, चैकिंग का आंदेश है। इस सूचना पर मैने सभी को बुलाने को कहा तथा तत्काल. तैयार होकर थाना आया मुंशी का0 912 नितिन चौधरी ने बताया कि लूटी गई गाडी स्विफट डिजायर नं0 DL1ZA 3602 है, तो मेरे द्वारा का0 क्लर्क को हिदायत मुनासिब देते हुए रवानगी के लिए कहा गया। मै सरकारी वाहन जीप सं0 UP75 G 0321 का मय चालक का0 758 शैलेन्द्र सिह व हमराहियान व0उ0नि0 श्री उपेन्द्र यादव व रात्रि अधिकारी उ0नि0 श्री संजय कुमार दुबे का0 874 मृत्युंजय सिंह, का0 255 राहुल कुमार को साथ लेकर आईटीआई चौराहे के लिए वास्ते चैकिंग रवाना हुआ ताकि कार्यालय मे मौजूद का0 क्लर्क को हिदायत मुनासिब देत हुए रवानगी के लिए कहा गया। आईटीआई चौराहे पर मेरे द्वारा चौकिंग की गई तथा सैकेण्ड मोबाइल को NH-2 पर ऊपर चैकिंग के लिए निर्देशित किया गया। वही पर सर्विलांस व स्वाट प्रभारी भी अपनी–अपनी गाडी व हमराहियान के आ गये तथा संयुक्त रूप से चैकिंग की जा रही थी, कि थोडी देर बाद एक चार पहिया गाडी NH-2 से आईटीआई कट पर नीचे की तरफ आती दिखाई दी जिसे पुलिस बल द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया गया तो चालक ने गाडी नही रोकी बल्कि

किया गया लेकिन मिल नही सका, अंधेरे और भौगोलिक स्थित का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। घायल पडे बदमाश की जान बचाने के लिए तत्काल 108 एंबूलेंस को फोन करके बुलवाया गया तथा अस्पताल भेजा गया। व0उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिह यादव को भी निर्देशित किया गया कि वह भी अन्य पुलिस कर्मियों के साथ अस्पताल जाये तथा मौके से फील्ड यूनिट एवं पी0आर0वी0 को बुलाने हेतु सूचना दी गई। समस्त पुलिसबल की कुशलता ली गई तथा फायरिंग का विवरण ज्ञात किया गया तो स्वाट प्रभारी श्री सतेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि उनके द्वारा 02 राउण्ड फायर किया गया है तथा 02 गोली उनकी बीपी जैकेट में लगी है। सर्विलांस प्रभारी बी0 के0 सिंह ने बताया कि 02 राउण्ड उनके द्वारा फायर किया गया है। का0 विपिन कुमार द्वारा 01 राउण्ड फायर किया जाना बताया गया। मेरे द्वारा 04 राउण्ड फायर किये गये थे। सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित है। कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारीगण को सूचना दी गयी। मौके पर अन्य थाना जात का फोर्स तथा डायल 112 का फोर्स मौके पर आ गया था। मौके पर ही फर्द तैयार की गई है एवं फील्ड यूनिट द्वारा कब्जे में लिये गये वस्तुओं को जो प्रभारी फील्ड यूनिट द्वारा उन्हें मौके पर सुपुर्द किया गया उसे भी शील सर्व मोहर किया गया नमूना मोहर तैयार किया गया तथा वापसी थानाध्यक्ष,सिविल लाइन द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं माल दाखिल किया गया।

उक्त घटना की पुष्टि चश्मदीद गवाहों श्री सहवीर सिंह पुत्र श्री मंगल प्रसाद निवासी–रामताल,पो0 जसोहन थाना जसवंतनगर,इटावा, श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी– सोखा,थाना सिविल लाइन,इटावा एवं श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह निवासी– देवीपुरा राजा का बाग,थाना सिविल लाइन इटावा द्वारा भी अपने बयानों में की गई है।

इस संबंध में श्री विजय साहब पुत्र श्री रामचन्द्र साब निवासी ग्राम व पोस्ट फुलवरिया थाना नवलसाही जिला कोडरमा झारखंड पेशा दिल्ली में ग्लास वर्कर, श्री नारायन साब पुत्र जगदीश साब निवासी ग्राम व पोस्ट फुलवरिया थाना नवलसाही जिला कोडरमा व श्री गणेश साह पुत्र नुनमन निवासी ग्राम व पोस्ट फुलवरिया थाना नवलसाही जिला कोडरमा झारखंड ने भी दिनांक: 21.08.2020 को मेरे कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयानों में कहा है कि यह लोग दिनांक: 08.07.2020 को प्रातः 04.00 बजे करीब स्विफट डिजायर गाडी नम्बर DL 1 ZA 3602 से कोडरमा से दिल्ली के लिए रवाना हुये थे गाडी श्री गणेश साह पुत्र नुनमन चला रहे थे। उनके साथ मेरे चचेरे भाई नारायन साब पुत्र जगदीश साब साथ में थे। वह लोग दिल्ली के लिए जा रहे थे। दिनांक: 09.07.2020 की रात्रि/प्रातः 02.45 बजे यानी पौने तीन बजे के करीब अजीतमल टोल टैक्स के आगे श्यामा ढाबा के करीब पहुँचे ही थे कि तभी पीछे से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियों गाडी जिसमें 04 नई उम्र के लडके बैठे थे। उन्होने ओवरटेक करते हुए हमारी गाडी को रोक लिया और उसमे से 04 नई उम्र के लडके अपने अपने हाथों में असहाल लहराते हुए निकल आये और लोगो को जबरदस्ती खींच कर गाडी से नीचे उतार दिया।हम लोगो ने काफी विरोध किया तो हमारे चचेरे भाई नारायन साब के लोहे की रॉड मेरे सिर में मार दी। बदमाशों ने हमारे व हमारे चचेरे भाईयो के मोबाइल आदि लूट लिये जिनका विवरण है–

1– मोबाइल वीबो VII प्रो0 जिसका ब्लू टूथ नं0 1804 सिम नं0 9818645216 तथा ड्राईविंग लाइसेंस पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्टिवा स्कूटी की आर0सी0 तथा 3000/– तथा मेरा डी0एल0।
2– मोबाइल वीबो सिम नं0 9650954137
3– कीपैड मोबाइल सैमसंग 9821562698

जॉंच के समय दिये गये विभिन्न बयानों में केवल मृतक के पिता द्वारा बयान दिया गया है कि मेरे लडके को पुलिस व एसटीएफ ने घटना के दूसरे दिन 03 तारीख को घर से उठा ले गये और कानपुर नगर मे रखा तदुपरात पुलिस ने 09 तारीख को सूचित किया कि आपका लडका प्रवीण दुबे उर्फ बउआ इटावा में मुठभेड में मारा गया है। उसके बा भी पुलिस परेशान कर रही है। बयान के समय ही पूछा गया कि जब आपके लडके को पुलिस ल गयी तो आप द्वारा पुलिस के बडे अधिकारी/मीडिया आदि मे इस बात की शिकायत किया गया। श्री ओमप्रकाश दुबे का इस पर कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। उसी गॉंव के गवाह हिमांशु दुबे व मो0 शाकिर द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि घटना के बाद जब पुलिस आयी थी तब तक विकास दुबे व उसके अन्य साथी गॉंव छोडकर भाग गये थे। प्रवीण कुमार दुबे भी अन्य साथियों के साथ उक्त घटना मे सम्मिलित तथा घटना के उपरांत भाग गया था। इस प्रकार श्री ओमप्रकाश दुबे द्वारा दिया गया बयान पुत्र के गलत कार्यो के कारण होने वाली वैधानिक कार्यवाही से बचने हेतु प्रयास प्रतीत होता है तथा उसी अनुरूप बयान भी दिया गया है।

अतः इस प्रकरण गे प्रस्तुत हुए अभिकथनों व तथ्यों की जॉंच से स्पष्ट होता है कि उक्त मृतक बदमाश प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बऊवा पुत्र श्री ओमप्रकाश दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर की

(333)

146

मृत्यु दिनांक: 09.07.2020 को प्रातः लगभग पाँच बजे हुई पुलिस मुठभेड के दौरान लगी गोलियों के कारण हुये शॉक एण्ड हेमरेज के कारण फायर आर्म्स इंजरी की वजह से हुई है। जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल इटावा के डाक्टर श्री प्रभात कुमार व डा0 निखिल कुमार गुप्ता के बयानों से भी होती है जिन्होंने अपने बयानों में कहा है कि मृतक के चार गोलियां लगी थी जिनके इन्ट्री व एक्जिट प्वाइंट क्लीयर थे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जांच के दौरान मेरे समक्ष उक्त पुलिस मुठभेड दिनांक: 9-7-2020 के विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा अन्य किसी प्रकार से कोई लिखित अथवा मौखिक प्रतिकूल सूचना/साक्ष्य नहीं दी गई और न ही मेरे द्वारा दिनांक: 20.07.2020 को किये गये मुठभेड स्थल के निरीक्षण के समय उपस्थित लोगों में से किसी ने विपरीत बात बताई।

अतः जाँच के दौरान मुठभेड के विरूद्व कोई प्रतिकूल तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत न होने के कारण मृतक अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बऊवा पुत्र श्री ओमप्रकाश दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर की मृत्यु दिनांक: 09.07.2020 को प्रातः पाँच बजे करीब पुलिस मुठभेड के दौरान लगी गोलियों के कारण हुये शॉक एण्ड हेमरेज के कारण हुई है।

संलग्नक:यथोपरि।

(नन्द प्रकाश मौर्य)
उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर
इटावा।

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित) 2020.

I.W.-1/2
दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–विजय शाव, आयु– 25 वर्ष, पुत्र श्री रामचन्द्र शाव, पेशा–ग्लास का कारीगर, निवासी– फुलवरिया, थाना–नवलशाही, जिला–कोडरमा (झारखण्ड)।

शपथकर्ता उपरोक्त द्वारा शपथपूर्वक बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि वह ग्लास फिटिंग का कारीगर है। लॉकडाउन के वजह से अपने गांव वापस आने के बाद पुनः दिल्ली (टैगोर गार्डन) जा रहा था जहां मैं पहले से ही ग्लास का काम करता हूँ। ग्लास का कार्य केवल मैं करता हूँ, मेरे दोनों चचेरे भाई दिल्ली में ड्राइविंग का कार्य करते हैं। आधी रात में सफर करने के लिए हमारी कोई मजबूरी नही थी। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से हमारी गाड़ी ने ओवरटेक किया था हम उसका गाड़ी का नंबर या कोई विशिष्ट पहचान चिन्ह देखने का मौका नहीं मिला। बदमाशों का पूरा चेहरा ढका हुआ था इसी बजह से पहचान नहीं सका। बदमाशों ने हम तीनों को चांटा मारा था। नारायण शाव को लोहे की रॉड से सिर के पीछे भी मारा था जिससे नारायण शाव के सिर में जख्म हो गया था और खून निकल रहा था। जो खून निकला था वह नारायण शाव के कपड़ों में लग गया था।

घटना श्यामा ढाबे सामने सड़क की दूसरी तरफ की है। सड़क पार करके लगभग 100 कदम चलकर हम लोग श्यामा ढाबा पहुँचे थे। श्यामा ढाबे पर मालिक के अलावा ढाबे का स्टाफ व जो 05–07 गाड़ियां रूकी हुई थी उन गाड़ियों के लोग भी मौजूद थे। श्यामा ढाबा के मालिक के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के 15–20 मिनट के बाद पुलिस मौके पर आ गई थी। पुलिस की जीप में ही हम तीनों लोग थाना बकेवर, इटावा पहुँचे। घटना होने के बाद थाने पहुँचने तक लगभग 30–35 मिनट लगा था और वारिश हो रही थी। घटना के समय वारिश नहीं हो रही थी। थाना बकेवर पहुँचने के बाद सुबह 7 बजे गाड़ी बरामदगी की सूचना मिलने तक हम लोग थाना बकेवर में रूके रहे। वारिश करीब सुबह 06 बजे तक होती रही। नारायण शाव का मेडिकल कराने बकेवर थाना की पुलिस सुबह करीब 5 बजे ले गई। गाड़ी बरामदगी की सूचना मिलने पर हम लोगों को थाना बकेवर से थाना सिविल लाइन ले जाया गया, जहां हम लोग सुबह करीब 8 बजे पहुँचे। फिर कहा कि पुलिस हमें सीधे घटना स्थल पर ले गई जहां गाड़ी पेड़ से टकराई थी। वहां पर केवल हमको गाड़ी दिखाई गई, पुलिस वालों ने बताया कि गाड़ी से बरामद सामान उनके पास सुरक्षित है। मेरे पास से लूटा गया समस्त सामान कोर्ट के आदेश से मुझे प्राप्त हो चुका है। जहां पर गाड़ी बरामद हुई थी

Vijay

335

जहां पर जब हम पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस समय वहां पर करीब 15–20 पुलिस वाले और 20–25 जनता के लोग भी मौजूद थे। मुझे पुलिस वालों ने बताया कि मौके पर एक बदमाश घायल हुआ है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

Vijay
22/9/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

बयान की प्रति प्राप्त किया
Vijay
22/9/2020

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित) 2020.

I.W.-2/3
दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–गणेश शाह, आयु– 35 वर्ष, पुत्र श्री नुनमन, पेशा–ड्राइवर , निवासी– फुलवरिया, थाना–नवलशाही, जिला–कोडरमा (झारखण्ड)।

शपथकर्ता उपरोक्त द्वारा शपथपूर्वक बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं दिल्ली में 2016 से ड्राइविंग करता हूँ। मैं अपनी टैक्सी चलाता हूँ और मेरे पास 3–4 गाड़ियां हैं जिनको अन्य ड्राइवर चलाते हैं। अजीतमल टोल प्लाजा से घटना स्थल की दूरी 2–2.5 किमी है। मुझे जानकारी नहीं है कि सफेद स्कॉर्पियों ने हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए अजीतमल टोल प्लाजा क्रास किया या नहीं। स्कॉर्पियों गाड़ी से उतरे चारों बदमाशों के हाथ में रॉड भी थे और असलह भी। एक बदमाश ने लोहे की रॉड से ड्राइवर के सामने का शीशा तोड़ दिया था। शीशा तोड़ने वाली बात न तो मेरे द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही शपथपत्र में लिखी गई है। शपथ पत्र में शीशा तोड़ने वाली बात नहीं लिखने का कोई कारण नहीं है। पुलिस वाले सुबह करीब 7 बजे गाड़ी बरामद होने की सूचना मिलने पर उस जगह ले गए, जहां गाड़ी पेड़ से टकराई थी। वहां पर पुलिस ने हमें बताया था कि आपसे लूटा हुआ सारा सामान हमारे पास है। मैंने अपना सारा सामान कोर्ट के जरिये प्राप्त कर लिया है। गाड़ी लूट के समय चारों बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था इस कारण मैं बदमाशों को पहचान नहीं सका। मैंने किसी बदमाश को भागते हुए नहीं देखा। हमें लूटा हुआ सारा सामान कोर्ट के जरिये मिल गया है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
Ganesh
22/09/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

Copy - Recived
Ganesh
22/09/20

337

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जॉंच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020.

57

I.W.-3/3

दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–नारायण शाव, आयु–लगभग 40 वर्ष, पुत्र श्री जगदीश शाव, पेशा–ड्राइवर, निवासी–फुलवरिया, थाना–नवलशाही, जिला–कोडरमा (झारखण्ड)।

शपथकर्ता उपरोक्त द्वारा शपथपूर्वक बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं विगत 2 वर्षों से मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ। स्कॉर्पियों से जो चारों बदमाश उतरे थे उनके हाथ में असलहे थे। मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था और बदमाशों ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर लोहे की रॉड से मेरे सिर पर मारा। बदमाशों ने मेरी गाड़ी का एक शीशा भी तोड़ा था। लूटपाट के बाद बदमाशों ने हम लोगों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और गाड़ी लेकर भाग गए। अपने शपथपत्र को सुनने के बाद गवाह ने उसकी तसदीक की कि मुझे गाड़ी से उतारने के बाद मारा। घटना के बाद हम लोग श्यामा ढावा गए और वहां से पुलिस को सूचित किया गया और करीब आधे घण्टे के अन्दर पुलिस मौके पर आ गई फिर हम लोगों को थाना बकेबर ले जाया गया। थाना बकेबर से मेडिकल जांच हेतु करीब 4 बजे सुबह ले जाया गया। मेरे कपड़ों पर खून लगा था। थाना बकेबर से जहां हमारी गाड़ी बरामद हुई थी वहां पुलिस वाले हमें ले गए और वहां पर हमारी गाड़ी मौजूद थी। पुलिस के पूछने पर मैंने बताया कि यह गाड़ी मेरी है। गाड़ी की एक हेडलाईट टूटी हुई थी और ड्राइवर के साईड का शीशा भी टूटा हुआ था। मेरे पास से लूटा गया समस्त सामान न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा वापस मिला। मेरी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वालों के पास ही है और मुझे नहीं मिली है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

नारयण साव
22-9-20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

प्रति प्राप्त किया।

नरायण साव
22-9-20

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

338

I.W.-4/2

54

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020.

I.W.-4

दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–कास्टेबल 912 नितिन चौधरी, आयु–25 वर्ष, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, पदनाम–कास्टेबल, नियुक्ति थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

साक्षी को साक्ष्य देने हेतु 23.09.2020 के लिए आहूत किया गया था, परन्तु उसके लिखित अनुरोध पर साक्षी का बयान आज दिनांक 22.09.2020 को लिया जा रहा है।

शपथकर्ता उपरोक्त द्वारा शपथपूर्वक बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं थाना सिविल लाइन, इटावा में नवंबर 2019 से कांस्टेबल मुहर्रिर के पद हूँ। मैं वहां पर जीडी लिखने का कार्य करता हूँ। मुझे आरटी सेट से 09.07.2020 को समय करीब 0330 बजे सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियों गाड़ी से कुछ बदमाशों ने ऑवरटेक करके एक स्विफट डिजायर गाड़ी लूट लिया है और बकेवर से इटावा की तरफ आ रहे हैं। मेरे लिए मैसेज था कि मैं चैकिंग कराने के लिए सभी संबंधित को सूचित कर दूँ। उक्त सूचना मैंने एसओ सिविल लाइन महोदय को हॉमगार्ड के माध्यम से भिजवाई थी, जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है। रवानगी जीडी संख्या–07/09.07.2020 समय 04:26 बजे मेरे द्वारा किता की गई थी। यह सही है कि रवानगी की जीडी में मेरे द्वारा कार लूट की घटना होने तथा उसके बावत चैकिंग किये जाने के संबंध में कोई इंदराज नहीं किया गया। मात्र वास्ते पेंडिंग विवेचना, देखरेख शांति व सुरक्षा व्यवस्था आदि के रूटीन मैनर में इंदराज किये गए हैं। जीडी में कार लूट की घटना से संबंधित इंदराज न किये जाने का कारण पूछने पर गवाह ने बताया कि मैंने एसओ साहब को उक्त घटना की सूचना पहले ही दे दिया था इसलिए जीडी में इंदराज करना मुनासिफ नहीं समझा। इसके अलावा घटना से संबंधित सूचना फौती प्राप्त हुई थी जिसका उल्लेख मैंने जीडी में किया है। जिला अस्पताल से वार्डवाय के द्वारा फौती सूचना दी गई थी। जिसमें मृतक की पहचान अज्ञात उम्र 35 वर्ष दर्ज है, जिसे मैंने वजरिये जीडी नं0–15/09.07.2020 समय 07:50 बजे किता किया। यह सही है कि जीडी नं0–15 के बावत कोई

नितिन चौधरी
22.09.2020

उल्लेख मैंने अपने शपथपत्र में नहीं किया है, जिसका कोई कारण मैं नहीं बता सकता। मैंने गाड़ी लूट की सूचना आरटी सेट के जरिये थाना मोबाइल को भी दी थी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

नितिन चौधरी
22.09.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति प्राप्त की।
नितिन चौधरी
22.09.2020

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020.

I.W.-5/4
दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–जितेन्द्र प्रताप सिंह, आयु–44 वर्ष, पुत्र श्री रामकुमार सिंह, पदनाम–(उपनिरीक्षक) थानाध्यक्ष, नियुक्ति थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

शपथकर्ता उपरोक्त द्वारा शपथपूर्वक बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं थाना सिविल लाइन, इटावा में 17 जून 2020 से थानाध्यक्ष, सिविल लाइन, इटावा के पद पर तैनात हूँ। 09.07.2020 को प्रातः लगभग 03:30 बजे जिस हॉमगार्ड ने बकेबर में बदमाशों द्वारा गाड़ी लूटने की घटना की सूचना मुझे दी थी उसका नाम मालूम नहीं है, मैं रिकार्ड देखकर बाद में बता सकता हूँ। मेरे द्वारा हिदायत दिये जाने के बावजूद रवानगी की जीडी नं0–07/09.07.2020 समय 04:26 बजे प्रातः बकेबर में कार लूट की घटना होने तथा उसके बावत कड़ाई से चैकिंग किये जाने के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया। मैं इसके बारे में कोई कारण नहीं बता सकता। एनएच–2 से आईटीआई कट पर नीचे की तरफ आती हुई गाड़ी ने बाई तरफ से बैरियर को टक्कर मारी थी। पीछा करते हुए रेलवे पुल से आगे निकलने पर सांई मंदिर के पास बदमाशों द्वारा प्रथम बार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी की 03 गाड़ियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। उन तीन गाड़ियों में मेरी गाड़ी सबसे आगे थी। मेरी गाड़ी के आगे बदमाशों की गाड़ी दौड़ रही थी। सांई मंदिर के पास बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने पर मेरे द्वारा पुनः चेतावनी देते हुए बदमाशों की गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया गया, जिस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस दल को जान से मारने की नियत से पुनः फायरिंग की गई, जिसपर मेरे द्वारा प्रथम बार जवाबी फायरिंग की गई, जिससे एक गोली कार के पिछले शीशे में लग गई और बदमाशों की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। बदमाशों द्वारा लूटी हुई गाड़ी, जिसमें बदमाश भाग रहे थे, उसके पिछले शीशे पर मेरे द्वारा फायर की गई गोली लगी जो उस गाड़ी के अगले शीशे को पार करती हुई निकल गई। मेरे द्वारा सरकारी 9 एमएम ग्लाक पिस्टल से फायरिंग की गई। ओवरटेक करने का प्रयास करने पर लूटी हुई स्विफट गाड़ी अब भी हमसे आगे थी। हमारी गाड़ी और स्विफट गाड़ी के बीच लगभग 10–15 फुट का फासला था। गोलीबारी की आवाज सुनकर कुछ लोग मौके पर आ गए थे। पेड़ से गाड़ी टकराने के बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर पुनः फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी गाड़ी से उतरकर पीछा करते हुए बदमाशों के करीब पहुँच गया। मौके पर मेरे अलावा श्री सतेन्द्र सिंह यादव, स्वाट प्रभारी, श्री बी0 के0 सिंह, सर्विलांस प्रभारी एवं का0 विपिन कुमार के द्वारा भी बताया गया कि हम लोगों ने अपने सरकारी असलहों से फायरिंग की थी। मेरे तथा अन्य सभी पुलिस कर्मियों के पास 9एमएम पिस्टल थी। घटना करीब 5 बजे सुबह की है। फर्द मौके पर मेरे बोलने पर उपनिरीक्षक संजय कुमार दुबे द्वारा लिखी गयी। यह घटना एक बंद पड़े ईंट भटटे के पास की है। स्विफट गाड़ी में सवार बदमाशों को मैं नहीं पहचानता था। भागे हुए दूसरे बदमाश का पीछा पुलिस टीम द्वारा करीब 800 मीटर तक किया गया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। मेरे द्वारा इमरजेंसी एम्बुलेंस नं0–108 को सूचना दी गई। मेरे द्वारा वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री उपेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मियों को एम्बुलेंस के साथ भेजा गया। मैंने मौके पर रूककर पीआरवी यूनिट और फील्ड यूनिट को सूचना देकर उनके आने का इंतजार किया। मृतक बदमाश की शिनाख्त थाना बढ़पुरा

Jitendra
22/9/20

(341)

I.10--5/5 (46)

के एसओ द्वारा, जोकि पूर्व में थाना प्रभारी बिल्हौर, कानपुर नगर रह चुके थे और मृतक को जानते थे, अस्पताल में की गई। स्विफट डिजायर कार का मुआयना मेरे द्वारा व फील्ड यूनिट के द्वारा किया गया, तो बकेबर कार लूट काण्ड से संबंधित माल मुकदमाती बरामद हुआ। इसके अलावा एक लाइसेंसी डीबीबीएल 12 बोर गन और एक देसी पिस्टल 32 बोर तथा कुछ कारतूस भी बरामद हुए थे। वायरलेस से सूचना के उपरांत बकेबर कार लूटकाण्ड के तीनों पीड़ित व्यक्ति बकेबर पुलिस के साथ मौके पर आये और स्विफट डिजायर कार की शिनाख्त की। मेरे द्वारा थाना हाजा पर पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी से संबंधित प्रकरण में 02 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जो वजरिये मु0अ0स0–276/2020 अन्तर्गत धारा 307 आईपीसी एवं मु0अ0स0–277/2020 अन्तर्गत 03/25/27/30 आर्म्स एक्ट दर्ज कराई गई। मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकारी आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गए दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। मौके की नजाकत को देखते हुए, आत्मरक्षार्थ हेतु, मेरे द्वारा उतना ही बल प्रयोग किया गया जितना कि परिस्थितियों को देखते हुए जरूरत थी। बिना किसी विलम्ब के मेरे द्वारा घायल बदमाश को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। मृतक बदमाश के अतिरिक्त अन्य तीन बदमाश, जो बकेबर लूट काण्ड में सम्मिलित थे, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है जिसकी जांच अभी जारी है। आइटीआई चौराहा, जहां पर मेरे द्वारा चैकिंग शुरू की गई थी, से मुठभेड़ स्थल की दूरी लगभग 7–8 किमी है जो रास्ता शहर के वीआईपी इलाकों से होकर गुजरता है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
Jitendra
22/9/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति प्राप्त की
Jitendra
22/9/20

542
A2

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित)2020.

I.W.-6/3

दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–संजय कुमार दुवे, आयु–44 वर्ष, पुत्र स्व0 बलिराम दुवे, पदनाम–उपनिरीक्षक, नियुक्ति थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं थाना सिविल लाइन, इटावा में 04 जुलाई 2020 से उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। 8/9 जुलाई 2020 की रात 12 से 12:15 बजे मय सरकारी गाड़ी व हमराहियों के साथ थाने से निकलकर क्षेत्र में गश्त डयूटी के लिए रवाना हुआ। प्रातः करीब 03:30 बजे वायरलेस सेट से सूचना मिलने पर मैं मय हमराही गण व गाड़ी के थाने में वापस आया था। पुनः थानाध्यक्ष महोदय एवं वरिष्ठ उपनिरीक्षक उपेन्द्र सिंह के साथ चैकिंग ड्यूटी पर रवाना हो गया। आईटीआई चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे वहीं पर सर्विलांस व स्वाट टीम भी आ गई थी। आईटीआई कट पर नीचे की तरफ आती हुई गाड़ी को रूकने का इशारा किया गया, गाड़ी नहीं रूकी और बैरियर में टक्कर मारते हुए भागने लगी। गाड़ी का पीछा थाना सिविल लाइंस, सर्विलांस तथा स्वाट टीम तीनों ने मिलकर किया था। रेलवे पुल से आगे निकलते ही थानाध्यक्ष महोदय ने जब गाड़ी रोकने की चेतावनी दी तो, सांई मंदिर के पास बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। थानाध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः चेतावनी देते हुए गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुनः पुलिस दल को जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिसपर थानाध्यक्ष महोदय द्वारा आत्मरक्षार्थ जबावी फायरिंग की गई। जिससे एक गोली स्विफ्ट डिजायर कार के पिछले शीशे में लगी और कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। कार से उतरकर बदमाश पुनः पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। मौके से एक बदमाश भागने लगा तो मैंने वरिष्ठ उपनिरीक्षक उपेन्द्र सिंह एवं स्वाट टीम के सिपाहियों के साथ उसका पीछा किया, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर भाग गया। थानाध्यक्ष महोदय द्वारा घायल बदमाश को तुरन्त जिला अस्पताल भिजवाया गया। थानाध्यक्ष महोदय द्वारा मौके पर ही बोल–बोल कर फर्द मुझसे लिखवाई गई, जिसे मैंने अक्षरशः व्यक्त किया। घटना स्थल को मौके

संजय कुमार दुबे
22/9/20

(343)

P.W.-6/4 (41)

पर संरक्षित किया गया, फील्ड यूनिट प्रभारी श्री रूप चन्द निगम द्वारा घटना स्थल से बरामद वस्तुओं को अलग–अलग पैकेट में रखकर सील कर कब्जे में लेकर मैमो तैयार किया गया। जिसमें 14 अमुद्रित बंडलों का विवरण अंकित करते हुए कब्जा पुलिस ने किया था। भागे हुए बदमाश को मैंने व पुलिस टीम ने करीब 1 किमी तक पीछा किया था, लेकिन पकड़ में नहीं आ सका। मौके पर घायल बदमाश की शिनाख्त उस वक्त तक नहीं हो पायी थी। घायल बदमाश की पहचान बाद में एसओ बढ़पुरा श्री जीवाराम यादव के द्वारा प्रवीन कुमार उर्फ बउवा के रूप में अस्पताल में की गई। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

संजय कुमार दुबे
22/9/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रतिप्राप्त किया
संजय कुमार दुबे
22/9/2020

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान, जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित)2020.

I.W.-7/2

दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–धर्मबीर सिंह, आयु–40 वर्ष, पुत्र श्री गंगा सिंह, पेशा–विल्डिंग मैटेरियल सामान की दुकान, निवासी–ग्राम सोखा, थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर भी उसी के हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं लगभग 02 वर्ष से अर्पित विल्डिंग मैटेरियल के नाम से एक दुकान चलाता हूँ। मेरे व्यवसाय का पंजीकरण नहीं हुआ है। लौहन्ना चौराहे के आगे वाईपास के समीप मौरंग (बालू) की मण्डी लगती है। 09.07.2020 की सुबह मैं मौरंग खरीदने मण्डी जा रहा था। उस दिन मेरा मोबाईल नं0–7451066915 मेरे पास था। उस दिन सुबह 04:45 बजे वारिश से बचने के लिए मैं और मेरे साथी शहवीर सिंह चौराहे पर खड़े हो गए थे तभी एक सफेद रंग की स्विफट डिजायर कार तेजी से निकली जिसके पीछे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती व लाउड स्पीकर से बदमाशों को पकड़ने का एनाउसमेंट करते हुए तेजी से निकलीं। इसके अलावा मैंने कोई घटना नहीं देखी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

धर्मवीर सिंह
ता0 22.9.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति प्राप्त किया
धर्मवीर सिंह
ता0 22.9.2020

(345)

(34)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020.

I.W.-8/2

दिनांक 22/09/2020

साक्षी का नाम–मनोज कुमार चौहान, आयु–50 वर्ष, पुत्र स्व0 हाकिम सिंह, पेशा–ईट भट्टे पर नौकरी, निवासी–बिक्रमपुर, थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर भी उसी के हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं भाउजी महाराज ईट भट्टे पर नौकरी करता हूँ। 09.07.2020 की सुबह मैंने करीब 9–10 फायर की आवाज सुनी थी, उस समय हल्की हल्की वारिश हो रही थी। इसके अलावा मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

मनोज कुमार
22-9-20
प्रतिहस्ताक्षरित
मनोज कुमार
22-9-20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020.

I.W.-9/2

दिनांक 23/09/2020

साक्षी का नाम–लालेश, आयु–26 वर्ष, पुत्र स्व0 रतन सिंह, पेशा–किसान, निवासी–नगला बाबा, थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर भी उसी के हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं ग्वार की फली मण्डी में रोज करीब 5 बजे फली बेचने के लिए जाता हूँ। दुर्गेश मेरे ताऊ का लड़का है। ईट भट्टे के पास पहुँचने पर करीब 150 मीटर दूर पूर्व की दिशा में फायरिंग तथा पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनी। फायरिंग की घटना को मैंने देखा नहीं था, केवल आवाज सुनी थी। जो व्यक्ति बिक्रमपुर मंदिर की तरफ सादे कपड़ों में भाग रहा था, उसका पीछा कुछ पुलिस वाले कर रहे थे। एक व्यक्ति रोड के दक्षिण तरफ कच्चे में पड़ा था मैं उसके नजदीक नहीं गया था। पुलिस को देखकर मैं सब्जी मण्डी चला गया। इसके अलावा मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
लालेश
23-09-20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

प्रतिशपथ किया।
लालेश
23-09-20

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

347 (28)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020

I.W.-10/2

दिनांक 23/09/2020

साक्षी का नाम–शहवीर सिंह, आयु–36 वर्ष, पुत्र श्री मंगल प्रसाद, पेशा–मौरम का व्यवसाय (धर्मवीर हमारे पार्टनर हैं), निवासी–रामताल, थाना–जसवन्तनगर, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर भी उसी के हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मेरे और धर्मवीर के अलावा 10–12 और लोग भी बारिश से बचने के लिए लुहन्ना चौराहे पर खड़े थे। मुझे 15–20 मिनट बाद ही यह पता चल गया था कि स्विफट डिजायर वाला एक बदमाश मारा गया तथा दूसरा भागने में सफल रहा। जिस स्थान पर गोली चलने की घटना हुई थी वह लुहन्ना चौराहे से 0.5–1 किमी दूरी पर स्थित है। जो लोग घटना स्थल की तरफ से लुहन्ना चौराहे की तरफ से आ रहे थे उनसे ही यह जानकारी हुई थी। मैं घटना स्थल पर नहीं गया था। इसके अलावा मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

शहवीर सिंह
23/9/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति प्राप्त किया
शहवीर सिंह
23/9/2020

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित) 2020.</u>

24

I.W.-11/2

दिनांक 23/09/2020

साक्षी का नाम–दलवीरसिंह, आयु–30 वर्ष, पुत्र श्री शिवनाथ सिंह, पेशा–कृषि, निवासी–देवीपुरा, थाना–सिविल लाइन, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर भी उसी के हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मेरे घर पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम था उसी के लिए सब्जी खरीदने मोटरसाइकिल से मण्डी जा रहा था। कचौरा रोड रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जहां मैं खड़ा था, उससे करीब 10 मीटर की दूरी से एक सफेद रंग की कार और उसका पीछा करती तीन पुलिस की गाड़ियां बड़ी तेजी से निकलीं। जिस स्थान पर फायरिंग हुई वह स्थान कुछ दूरी पर स्थित है, जहां से घटना दिखाई नहीं दे सकती। मैंने केवल फायरिंग की आवाज सुनी। आने जाने वाले लोगों की बातों से पता चला कि सफेद गाड़ी वाला एक बदमाश मारा गया और दूसरा भाग गया। इसके अलावा मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

दलवीर सिंह
23-9-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

प्रति प्राप्त की

दलवीर सिंह
23-9-2020

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

I.W.-12/4

दिनांक 23/09/2020

साक्षी का नाम–सत्येन्द्र सिंह यादव, आयु–34 वर्ष, पुत्र स्व0 बलवीर सिंह यादव, पदनाम–उपनिरीक्षक, एस0ओ0जी प्रभारी, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं इटावा में एसओजी प्रभारी के पद पर लगभग ढाई वर्ष से कार्यरत हूँ। दिनांक 09.07.2020 को प्रातः लगभग 03:30 बजे मैं एसओजी प्रभारी मय सर्विलांस प्रभारी पूरी टीम के साथ एसएसपी आवास कम्पाउण्ड में स्थित अपने ऑफिस में मौजूद था। उसी समय कार लूट की सूचना मुझे आरटी सेट से प्राप्त हुई। पुलिस टीम को मैंने व सर्विलांस प्रभारी ने ब्रीफ किया था। सूचना मिलते ही हम लोग चैकिंग हेतु तुरन्त रवाना हो गए। आईटीआई चौराहे से मुठभेड़ स्थल की दूरी लगभग 7 किमी है। सफेद स्विफ्ट कार जब बैरियर को टक्कर मारकर डीएम चौराहे की तरफ भागी उस समय हम लोग सफेद कार में मौजूद व्यक्तियों की संख्या नहीं जान पाये, क्योंकि कार के शीशे बंद थे और कार तेजी से भागी थी। आईटीआई चौराहे पर चैकिंग स्थल पर रोशनी पर्याप्त नहीं थी। आईटीआई चौराहे से जब सफेद कार का पीछा किया गया तो एसओ सिविल लाइन की सरकारी जीप, उसके पीछे मेरी टाटा सूमो गाड़ी और उसके पीछे सर्विलांस की टबेरा गाड़ी थी। साई मंदिर से आगे निकलकर जब बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई तब भी एसओ सिविल लाइन की सरकारी जीप मेरी गाड़ी के आगे थी। बदमाशों की सफेद स्विफ्ट कार जब पेड़ से टकराकर रूक गई तब हम पुलिस वाले तीनों गाड़ियों से उतरकर बदमाशों को जिन्दा पकड़ने की नियत से गाड़ी से उतरे। तभी बदमाशों के द्वारा जान से मारने की नियत से चलाई गई गोलियों में से 02 गोलियां मेरे द्वारा पहनी हुई बुलटप्रूफ जैकेट के अग्रभाग (सीने के पास) में लगी, जिससे मेरे प्राण की रक्षा हो सकी। संभलने के बाद गाड़ी की ओट लेकर मेरे व हमारी टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, क्योंकि बदमाश उस समय भी फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद एक बदमाश के चीखने की आवाज आई और वह गिर पड़ा। जब पास जाकर हम लोगों ने देखा तो घायल बदमाश जिंदा था। दूसरा बदमाश मौके से भागा जिसका

23-9-2020

पुलिस वालों द्वारा पीछा किया गया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। दूसरे बदमाश का दौड़कर पीछा करने वाले पुलिस कर्मियों में मैं नहीं था। एसओ सिविल लाइन ने अपने गाड़ी की आरटी सेट से डीसीआर (डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम) को एम्बुलेंस तथा सभी उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी देने हेतु सूचना दी गई। घटना स्थल के पास ही जिला अस्पताल स्थित है और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई और घायल बदमाश को इलाज हेतु ले गई। वहां पर मौजूद कोई भी पुलिस कर्मी घायल बदमाश को पहचान नहीं पाया था। सफेद स्विफ्ट कार में मौजूद समस्त सामान एवं असलहा, कारतूस आदि को मौके पर आई हुई फील्ड यूनिट के अधिकारियों ने कब्जे में लेकर सील करके एसओ सिविल लाइन को सौंप दिया था। जिसकी फर्द मौके पर ही बनाई गई थी, जिसपर मैंने भी पढ़कर सुनकर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे। पूरी घटना में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे और मेरे अतिरिक्त अन्य किसी भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं लगी थी और मेरी चिकित्सीय जांच नहीं हुई थी। मौके पर बनी फर्द में मेरी बुलेटप्रूफ जैकेट को कब्जे में लिया जाना व सील किया जाना अंकित है। मुठभेड़ की घटना के समय मौके पर वारिश हो रही थी। घायल बदमाश के शिनाख्त के मकसद से एसएसपी एवं पुलिस मीडिया सेल द्वारा न्यूज चैनल व सोशल मीडिया पर घायल बदमाश की फोटो प्रसारित/अपलोड कराई गई। एसएचओ बढपुरा श्री जीवाराम यादव द्वारा जिला अस्पताल पहुँचकर मृतक बदमाश की पहचान प्रवीन कुमार दुबे उर्फ बउवा के रूप में की गई। मेरे द्वारा आत्मरक्षार्थ 02 राउण्ड (दो गोली) फायर किया गया था तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गए दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। इसके अलावा मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं कहना है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

23-9-2020

प्रति प्राप्त किया।

23-9-2020

(351)

I.W.-13/4

दिनांक 23/09/2020

साक्षी का नाम–बेचन कुमार सिंह, आयु–41 वर्ष, पुत्र श्री इन्द्रजीत, पदनाम–उपनिरीक्षक, प्रभारी सर्विलांस, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं जनपद इटावा में सर्विलांस प्रभारी के पद पर दिनांक 02.03.2020 से तैनात हूँ। दिनांक 09.07.2020 को प्रातः 03:30 बजे मैं एसएसपी आवासीय परिसर स्थित अपने कार्यालय में अपनी टीम के साथ मौजूद था। एसओजी व सर्विलांस सेल का कार्यालय एसएसपी आवासीय परिसर में एक ही बिल्डिंग में स्थित है। लूट की सूचना मिलते ही मैं और एसओजी प्रभारी अपनी–अपनी टीम के साथ अपने–अपने वाहनों से चैकिंग हेतु तुरन्त रवाना हो गए। चैकिंग हेतु जब आईटीआई–चौराहा पहुँचे तो वहां पर एसओ सिविल लाइन पहले से ही मौजूद थे और चैकिंग कर रहे थे। मैं और एसओजी प्रभारी भी संयुक्त रूप से चैकिंग में शामिल हो गए। स्विफ्ट डिजायर कार जो पुलिस बैरियर को टक्कर मारते हुए डीएम चौराहे की तरफ भागी थी उस समय कम प्रकाश होने की वजह से उसका नंबर नहीं देख पाये थे। आईटीआई चौराहे से सफेद गाड़ी का पीछा करते समय पुलिस की तीनों गाड़ियों में से सबसे पीछे मेरी टबेरा गाड़ी थी। साई मंदिर से आगे निकलकर जब बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू की गई उसी समय मेरी और एसओजी प्रभारी की गाड़ी अगल–बगल एसओ सिविल लाइन की गाड़ी के पीछे चल रही थी। जब एसओ सिविल लाइन के द्वारा फायर की गई गोली स्विफ्ट–कार के पिछले शीशे में लगी तब स्विफ्ट कार पेड़ से टकराकर रूक गई। बादमाशों ने अपनी कार से नीचे उतरकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। मैं और पुलिस टीम के सदस्य अपने–अपने वाहनों से उतरकर बदमाशों को जिंदा पकड़ने की नियत से आगे बढ़े। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोलियों में से दो गोलियां एसओजी प्रभारी श्री सत्येन्द्र सिंह यादव के द्वारा पहनी हुई बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। मैंने व मेरी टीम के सदस्यों ने सरकारी वाहन की ओट लेते हुए आत्मरक्षार्थ बदमाशों पर फायरिंग की। एक बदमाश की चीख निकल गई

23/09/020

2-w-13/5 (352) (12)

और वह गिर पड़ा। मैं यह नहीं बता सकता कि किसके द्वारा चलाई गई गोली बदमाश को लगी। दूसरा बदमाश मौके से भाग गया जिसका पीछा मेरी टीम के आरक्षियों व एसओ सिविल लाइन के आरक्षियों द्वारा किया गया, लेकिन वह बदमाश पकड़ में नहीं आ सका। मौके से एसओ सिविल लाइन के द्वारा डीसीआर, फील्ड यूनिट, पीआरवी व 108 एम्बुलेंस को आवश्यक कार्यवाई हेतु तत्काल सूचना दी गई। घायल बदमाश जो जिंदा था उसे जल्दी से एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया गया। बदमाशों की गाड़ी से बरामद वस्तुओं, असलहों, कारतूसों आदि को फील्ड यूनिट के द्वारा कब्जे में लेकर सील कर सर्वमोहर कर एसओ सिविल लाइन को सुपुर्द कर दिया। मौके पर फर्द एसओ सिविल लाइन के द्वारा बोल–बोल कर लिखवाई गई। घायल बदमाश को हम पुलिस टीम में से कोई नहीं पहचान पाया। घटना में मेरे द्वारा दो गोली फायर की गई थी। मुठभेड़ के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकारी आयोग के दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। बाद में मुझे जानकारी हुई कि एसएचओ बढ़पुरा श्री जीवाराम यादव द्वारा मृतक बदमाश की पहचान प्रवीन कुमार दुबे उर्फ बउवा के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात अपने बयान में कहना चाहता।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

23/07/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

1 ... 23/07/2020

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, पूर्व डीजीपी सदस्य

353

(7)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.-14/4

दिनांक 23/09/2020

साक्षी का नाम–अंकित कुमार, आयु–30 वर्ष, पुत्र श्री रामस्वरूप नागर, पदनाम–253 कांस्टेबल, एस0ओ0जी0 टीम, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि मैं मध्य जून 2020 से एसओजी टीम, जनपद इटावा में आरक्षी के पद पर तैनात हूँ। मैं दिनांक 09.07.2020 को एसओजी प्रभारी के साथ कार्यालय में मौजूद था। स्विफट डिजायर कार लूट की घटना की सूचना मिलने पर मैं भी एसओजी प्रभारी की टीम के सदस्य के रूप में उनके साथ चैकिंग हेतु रवाना हुआ। आईटीटाई चौराहे पर संयुक्त चैकिंग के समय जब सफेद स्विफट डिजायर कार बैरियर को टक्कर मारकर भागी तो उस कार का पीछा पुलिस की तीन गाड़ियों द्वारा किया गया जिसमें मैं सर्विलांस प्रभारी के साथ सबसे पीछे चल रही टवेरा कार में मौजूद था। बदमाशों की कार जब पेड़ से टकराकर रूकी तब भी बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली जब एक बदमाश को लगी तो वह चीखा और गिर पड़ा और दूसरा बदमाश मौके से भागने लगा। मौके से भागने वाले बदमाश का पीछा करने वालो में मैं स्वयं, का0 अविन कुमार, का0 शशिभान व अन्य पुलिस कर्मी थे। भागने वाला बदमाश पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उस समय हल्का हल्का अंधेरा था व मौसम खराब था तथा आगे झाड़ी–झंकाड़ था जिसका फायदा उठाकर बदमाश भागने में सफल रहा। कार से बरामद वस्तुओं की लिखापढ़ी

अंकित कुमार
23/09/2020

354

P.W.-14/5 (6)

मौके पर ही की गई थी। घटना के समय तक मौके पर घायल बदमाश की शिनाख्त नहीं हुई थी, बाद में उसकी शिनाख्त प्रवीन कुमार दुबे उर्फ बउवा के रूप में हुई। शपथपत्र में अंकित तथ्यों का ही उनवान करता हूँ।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

अंकित कुमार
23/09/2020

प्रति प्राप्त की
अंकित कुमार
23/09/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

(355)

(2)

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.</u>

I.W.- 15/3

दिनांक 05/10/2020

साक्षी का नाम–जीवा राम, आयु–52 वर्ष, पुत्र श्री ऊदल सिंह, पदनाम–निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक, बढपुरा, जिला–इटावा।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

साक्षी उपरोक्त द्वारा बयान किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 08.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं। पूछने पर गवाह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर दिनांक 09.07.2020 को सुबह करीब 0700 बजे जिला अस्पताल इटावा पहुँचकर मृतक की शिनाख्त प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा के रूप में की थी। शिनाख्त करने में मैं पूर्णतः संतुष्ट था मुझे कोई शक नहीं था। पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे जाने के बाद हुई थी। शिनाख्त के संबंध में मेरे द्वारा लिखित तहरीर थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा में मैंने स्वयं जीडी में लिखवाया था। चुनाव प्रचार के सिलसिले में विकास दुबे के साथ मृतक प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा तत्समय तैनाती क्षेत्र थाना–बिल्हौर, कानपुर नगर के क्षेत्र में रहने वाले अपने जानकारों से मिलने आते–जाते थे, जिस समय मैं उस थाने में बतौर एसओ तैनात था। इस कारण से मैं प्रवीण कुमार दुबे उर्फ बउवा (मृतक) शक्ल–हुलिया से अच्छी तरह पहचानता था। मेरा उसे अन्य कोई वास्ता नहीं था। यही मेरा बयान है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

5/10/2020

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

प्रति प्राप्त किया।

5/10/2020

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

356

Documents/Evidence

Incident No. 05

dated 09.07.2020, near

Bhauti bypass PS-Panki,

Kanpur Nagar.

5
257

मु0अ0सं0–297/20 धारा–224/307/394/411 भादवि थाना पनकी कानपुर नगर का संक्षिप्त विवरण।

उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह मय हमराही कां0 सुनील कुमार के साथ दि0–08.07.20 को थाना चौबेपुर से संबंधित मु0अ0सं0–192/20 धारा–147/148/149/302 /307/394 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के ट्रांजिस्ट रिमाण्ड लेने के संबंध में फरीदाबाद रवाना हुए थे। फरीदाबाद मा0 न्यायालय से अभियुक्त को ट्रांजिस्ट रिमाण्ड प्राप्त कर जनपद कानपुर नगर मा0 न्यायालय में अभियुक्त को प्रस्तुत करने हेतु मुकदमें की संवेदनशीलता एवं अभियुक्त की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए कानपुर तक पहुँचाने के लिए एसटीएफ की मदद मांगी गयी। एसटीएफ नोएडा के उ0नि0 अक्षय परवीर कुमार त्यागी व उनकी टीम इनोवा से अभियुक्त को लेकर कानपुर आ रही थी। उ0नि0 देवेन्द्र सिंह द्वारा कानपुर नगर से सरकारी गाड़ी भिजवाने हेतु उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया गया जिस पर इटावा में कानपुर से टाटा सूमो गाडी मय चालक व हे0कां0 श्याम सिंह के साथ मिली। जिसमें उ0नि0 देवेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त प्रभात मिश्रा को बैठाकर कानपुर लाया जा रहा था, सुविधानुसार दैनिक नित्यकर्म निपटाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से क्राइम ब्रांच कार्यालय ले जाया जा रहा था। भौंती बाईपास से थोड़ा आगे टाटा सूमों का पिछला बायां टायर पंचर हो गया कि चालक शैलेन्द्र प्रताप व हे0कां0 श्याम सिंह जैक लगाकर गाड़ी का टायर बदलने लगे कि अचानक प्रभात ने उ0नि0 के चेहरे के नाजुक स्थल पर कोहनी से घातक प्रहार किया और चोट का लाभ उठाकर उसकी सरकारी पिस्टल व 10 कारतूस झटका देकर खींच लिया। गाड़ी की खुली खिड़की से बाहर खड़े पुलिस कर्मियों को निशाना लेकर फायर कर दिया। जिससे बाहर खडे पुलिस कर्मी बाल–बाल बच गये। पुलिस कर्मियों ने आसपास आत्मरक्षार्थ जमीन पर लेटकर उचित स्थानों पर पोजीशन ले ली कि अभियुक्त प्रभात मिश्रा ने गाड़ी से उतरते ही पकड़े जाने से बचने के लिये गाड़ी पर बैठे आरक्षी पर टारगेट कर फायर कर दिया। गोली ड्राइवर की खिड़की का शीशा तोड़कर विण्ड शील्ड में लगी। अभियुक्त अण्डर पास से ट्रान्सपोर्ट नगर की ओर भागा। जिस पर पीछे आ रहे एसटीएफ के कर्मचारी व कां0 सुनील पकडने के लिए भागे। अभियुक्त पुलिस वालों को निशाना बनाकर लगातार फायर कर रहा था। घटनास्थल से करीब 200 मीटर पश्चात् पानी की टंकी के कम्पाउण्ड के पीछे पाण्डु नदी की ओर मुड़ा तब तक एसटीएफ नोएडा के उप निरीक्षक श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी व उनके हमराही पहुँच गये, वो आत्म समर्पण करने को बोल रहे थे। एकाएक अभियुक्त पीछे मुड़ा और पुलिस पार्टी

को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। जिससे 01 गोली उप निरीक्षक श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी की व 01 गोली का0 विकास चौहान के ब्लटप्रूफ जैकेट में लगी तथा 01 का0 सुनील के पेट के बाये ओर लगी। वायरलेस पर सूचना फ्लैश होने पर सुनकर नजदीक ही मौजूद थाना कल्यानपुर प्रभारी निरीक्षक श्री अजय सेठ मय हमराही निरीक्षक श्री हरमीत सिंह, निरीक्षक श्री रचि श्रीवास्तव व निरीक्षक श्री सतीश सिंह, सर्विलांश/काइम ब्रांच टीम एव उ0नि0 श्री अमित तिवारी थाना पनकी भी आ गये। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में बदमाश घायल होकर समय प्रातः 06.20 पर गिर पडा। मौके पर बदमाश के हॉथ में 9एमएम पिस्टल थी व आसपास खोखे बिखरे थे। अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी कल्यानपुर भेजा गया। जहाँ चिकित्सको ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक अभियुक्त–

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जनपद
1	प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय	राजेन्द्र मिश्रा	बिकरू	चौबेपुर	कानपुर नगर

बरामद शस्त्र–

क्र0सं0	शस्त्र का प्रकार	नम्बर	[illegible]
1	9एमएम पिस्टल	18306354	उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह से अभियुक्त द्वारा लूटी गई पिस्टल

मौके से बरामद जिंदा/खोखा कारतूस–

क्र0	कारतूस का प्रकार	संख्या	
		जिंदा	खोखा
1	9एमएम पिस्टल	01	14
2	इनसास रायफल	00	01

359

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कानपुर शहर P.S. (थाना):पनकी Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. 0297 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)09/07/2020 11:00 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	224
2	भा द स 1860	307
3	भा द स 1860	394
4	भा द स 1860	411

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): गुरुवार Date From (दिनांक से 09/07/2020 Date To (दिनांक तक):09/07/2020
Time Period (समय अवधि):पहर 2 Time From (समय से):06:20 बजे Time To (समय तक):06:20 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक):09/07/2020 Time (समय): 11:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.):022 Date & Time (दिनांक और समय): 09/07/2020 11:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):दक्षिण - पूर्व, 6 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): वहद क्षेत्र भौती बाईपास,थाना पनकी,कानपुर नगर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): उ0नि0 देवेन्द सिह
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1966 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना चौबेपुर,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

पुलिस उपायुक्त
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

360

(I) Occupation (व्यवसाय)

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन).

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मृतक- अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय		पिता का नाम : राजेन्द्र मिश्रा	1. ग्राम बिकरू, चौबेपुर, कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फर्द पुलिस मुठभेड़ एव बरामदगी एक अदद पिस्टल 9 एमएम, एक जिन्दा कारतूस, 14 अदद खोखा (पुलिस व अभियुक्त द्वारा चलाये गये), 01 अदद खोखा कारतूस इन्सास रायफल, एक जोडी चप्पल, सम्बन्धित धारा 224/307/394/411 भादवि व 7/27 आयुध अधि0 थाना पनकी जनपद कानपुर नगर। अवगत कराना है कि मै उ0नि0 देवेन्द्र सिंह मय का. 2547 सुनील रवानाशुदा जीडी न. 10 समय 06:31 दिनांकित 08-07-2020 को थाना चौबेपुर से मु0अ0स0 192/2020 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि व 7 क्रिमिनल ला एक्ट थाना चौबेपुर के अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्र निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के ट्रांजिट रिमांड लेने हेतु फरीदाबाद रवाना हुआ था। फरीदाबाद मा. न्यायालय पहुचकर वहा से अभियुक्त प्रभात उपरोक्त का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया। अभियोग की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को कानपुर मा. न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु कानपुर तक पहुचाने के लिए एसटीएफ से मदद मांगी गयी तो एसटीएफ नोएडा यूनिट के उ0नि0 श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी मय का. विकास चौहान, का. सुनील कुमार, का. मुकेश सिंह, का. राहुल भाटी मय का. ड्राईवर शैल कुमार मय वाहन संख्या यूपी32बीजी- 4546 इनोवा से अभियुक्त को लेकर कानपुर आ रहा था। इसी दौरान कानपुर नगर पुलिस की सरकारी गाडी भी भिजवाने के लिए उच्चाधिकारियो को अवगत कराया गया तो गाडी न. यूपी-78बीजी-0973 टाटा सूमो मय का. चालक शैलेन्द्र प्रताप व हे.का. श्याम सिंह इटावा हाईवे के पास आज दिनाक 09-07-2020 की प्रात लगभग 03:20 बजे मिले । सुविधा के अनुसार मै उ.नि., का. सुनील एव अभियुक्त को लेकर टाटा सूमो मे आ गया, जिसमे हे.का. श्याम सिंह व का. चालक शैलेन्द्र मौजूद थे। दैनिक नित्यकर्म निपटाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से अभियुक्त को लेकर रेल बाजार स्थित क्राईम ब्राच के कार्यालय जा रहा था। भौती बाईपास से थोडा आगे बढते ही टाटा सूमो गाडी के पिछले बाये टायर मे पक्चर हो गया, मेरे द्वारा पुलिस टीम के सभी मेम्बर को अभियुक्त की सुरक्षा के सम्बन्ध मे मुनासिब हिदायत दी गयी। चालक शैलेन्द्र प्रताप व अभियुक्त की दाहिनी ओर बैठे हे.का. श्याम सिंह जैक लगाकर गाडी का टायर बदलने लगे, अचानक बलिष्ठ व ताकतवार अभियुक्त प्रभात ने मेरे चेहरे के नाजुक स्थल पर अचानक कोहनी से घातक प्रहार किये और चोट का लाभ उठाकर मेरी सरकारी पिस्टल संख्या 18306354, जिसमें 10 अदद कारतूस थे, को जोरदार झटका देकर खीच ली, टूटी डोरी मेरे गले मे फसी रह गयी और प्रभात मिश्रा द्वारा पिस्टल से गाडी की खुली खिडकी से बाहर खडे पुलिस कर्मियो पर निशाना लेकर फायर कर दिया, जिससे बाहर खडे पुलिस कर्मी बाल- बाल बच गये। पुलिस कर्मियो को अचानक हुए हमले से मौके पर कोई आड उपलब्ध नहीं थी, अत पुलिस कर्मियो ने आस-पास आत्मरक्षार्थ जमीन पर लेटकर उचित स्थानो पर पोजीशन ले ली और अभियुक्त प्रभात मिश्रा ने गाडी से उतरते ही खुद पकडे जाने से बचने के लिए गाडी पर बैठे आरक्षी पर टारगेट कर फायर कर दिया। गोली ड्राईवर की खिडकी का शीशा तोडकर विंड शील्ड मे लगी। अभियुक्त अडरपास से ट्रासपोर्ट नगर की ओर भागा, जिस पर एसटीएफ के कर्मचारी व का. सुनील भी उसको पकडने के लिए भागे। मैने तत्काल डायल 112 व उसके उपरान्त कन्ट्रोल एव उच्चाधिकारीगण पर सूचना दी। अभियुक्त प्रभात मिश्रा भागते हुए भी पीछे मुड मुडकर भी पुलिस वालो को निशाना बनाकर फायर कर रहा था, घटनास्थल से करीब 200 मीटर जाने के पश्चात पानी की टंकी के कम्पाउड के पीछे दाहिने रोड पर मुडकर करीब 15- 20 कदम जाकर बायी ओर पाण्डु नदी की ओर मुडा, तब तक एसटीएफ नोएडा के उ0नि0 अक्षय परवीर कुमार त्यागी, का. सुनील कुमार व विकास चैहान काफी नजदीक

पुलिस उपायुक्त
... नगर

(361)

पहुच गये थे तथा ललकार कर रूक जाने तथा आत्मसमर्पण करने को बोल रहे थे, एकाएक अभियुक्त पीछे मुडा और पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायर करने लगा, जिससे एक गोली उ0नि0 श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर तथा एक गोली का. विकास चैहान की बुलेटप्रूफ जैकेट एवं उसके बांये बाजू व का. सुनील के पेट के बांये ओर लगी, इसी दौरान मैने भी चिल्लाकर अभियुक्त को सरेंडर करने को कहा, फ्लैश हो रही सूचना को सुनकर नजदीक ही मौजूद थाना - कल्याणपुर प्रभारी निरीक्षक श्री अजय सेठ मय हमराही हे.का. 877 ललित कुमार, का. 2769 मनोज कुमार मय सरकारी वाहन बोलेरो यूपी-78एजी-3269 एवं उनके साथ निरीक्षक श्री हरमीत सिंह व निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव, निरीक्षक श्री सतीश सिंह एवं उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्याःयूपी-70एजी-3263 के भी आ गये। परन्तु वह पुलिस वालो की जान लेने पर उतारू था तब हम पुलिस वालो ने साहस व शौर्य का परिचय देते हुए व कर्त्तव्यपरायण को सर्वोपरि मानकर तथा कुछ लोगो के बदमाश की फायरिंग रेंज के अंदर होने के कारण आत्मरक्षार्थ फायर किये, जिसमें उ0नि0 श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी ने अपनी सरकारी पिस्टल से 2 राउंड, का. विकास चैहान ने अपनी सरकारी पिस्टल 2 राउंड, का. सुनील ने अपनी सरकारी पिस्टल से 2 राउंड, निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव ने अपनी सरकारी पिस्टल से 1 राउंड, निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह ने अपनी सरकारी पिस्टल से 1 राउंड, उ0नि0 श्री अमित तिवारी ने अपनी सरकारी पिस्टल से 1 राउंड व का. 2547 सुनील ने अपनी सरकारी इंसास राईफल से 2 राउंड फायर किये, जिससे फायर कर रहा बदमाश घायल होकर समय लगभग 06:20 बजे गिर पडा, बदमाश की ओर से आ रही फायरिंग रूकने पर सावधानी पूर्वक नजदीक जाकर देखा गया तो बदमाश में जीवन के लक्षण शेष थे, बदमाश के दाहिने हाथ में 9 एमएम पिस्टल थी तथा आस-पास खोखे बिखरे थे। पिस्टल को हाथ से अलग किया गया। घायल बदमाश को मानवीय आधार पर तत्काल उपचार हेतु थाना पनकी के उ0नि0 श्री शुभम कुमार सैकेंड मोबाइल यूपी-77जी-0540 मय का. चालक अनार सिंह के साथ व घायल का. सुनील कुमार, का. विकास चौहान व का. 2547 सुनील कुमार को का. 1404 विपिन कुमार, का. 3261 नरेन्द्र के साथ सरकारी वाहन संख्याःयूपी-32डीजी-0637 से सीएचसी अस्पताल, कल्याणपुर भिजवाया गया। मौके पर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फील्ड यूनिट को तत्काल मौके पर पहुंचने का संदेश दिया गया। थोडे इंतजार के पश्चात डा. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आ गयी जिनके द्वारा घटनास्थल पर फोरेंसिक जांच कर साक्ष्य संकलन किया गया। जांचोपरान्त मौके पर बरामद पिस्टल 9 एमएम न. 18306354, मय मैग्जीन व एक जिन्दा कारतूस 9एमएम, पिस्टल की लूप में डोरी जोडने का हुक टूटी हालत में फंसा है, खोखे 9एमएम 12 अदद, खोखा 01 अदद इंसास राईफल व काटन स्वैब 01 अदद, सादा काटन कंट्रोल सैम्पल 01 अदद, नीली सफेद चप्पल एक जोडी, बुलेट का टुकडा 01 अदद, पुलिस की बुलेटप्रूफ जैकेट 02 अदद, अलग अलग पालीथीन में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर खडे वाहन टाटा सूमो यूपी-78बीजी-0973 का निरीक्षण कर गाडी के अंदर पडा एक अदद खोखा 9एमएम व गाडी के पास से ही सडक पर बरामद एक अदद खोखा 9एमएम एवं खिडकी के टूटे कांच के टुकडे अलग-अलग पालीथीन में सील कर मौके पर दिये गये। मौके पर स्वैब 2 अदद को 2 अलग अलग डब्बे में सील कर तथा अन्य बरामदशुदा माल (कुल पुलिंदे 10 अदद) को अलग-अलग कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर एवं 1 बुलेटप्रुफ जैकेट का जीएसआर पालीथीन में रखकर कब्जा पुलिस में लिया गया। क्षतिग्रस्त सरकारी वाहन को परीक्षण हेतु थाने पर सुरक्षित खडा कराया गया। इसी दौरान घायल को अस्पताल लेकर गये उ0नि0 शुभम कुमार द्वारा जरिये दूरभाश अवगत कराया गया कि घायल प्रभात मिश्रा को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, मृतक के परिजनो को सूचना थाना पनकी के माध्यम से भिजवायी जा रही है। बरामदगी व कार्यवाही के समय आसपास काफी लोग इकटठा हो गये जिनसे गवाही हेतु पूछा गया परन्तु बदमाशों से भय का वास्ता देकर कोई तैयार नही हुआ व बिना नाम पता बताये चले गये। दौराने कार्यवाही माननीय मानवाधिकार आयोग/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियो से पूछ पूछकर तथा बोल बोलकर उ0नि0 श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी से उनके पास मौजूद लैपटाप पर टाइप करायी गयी तथा उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी को भेजकर प्रिंटर मौके पर मंगा कर प्रिंट आउट लिया गया तथा फर्द का मजमून हमराहीयान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर गवाही प्रिंट आउट पर बनवाये गये। एसडी अंग्रेजी अपठनीय देवेन्द सिंह si 09/07/20 (देवेन्द सिंह) उ0नि0 थाना चौबेपुर, कानपुर नगर। एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 2547 सुनील कुमार, एसडी अंग्रेजी अपठनीय उ0नि0 श्री अक्षय परवीन कुमार त्यागी, एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 विकास चौहान, एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 सुनील कुमार, एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 मुकेश सिंह, एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 राहुल भाटी, एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 ड्राइवर शील कुमार, एसडी अंग्रेजी अपठनीय चालक शैलेन्द्र प्रताप, एसडी अंग्रेजी अपठनीय हे0का0 श्याम सिंह, एसडी अंग्रेजी अपठनीय अजय सेठ, एसडी अंग्रेजी अपठनीय हे0का0 877 ललित कुमार, एसडी अंग्रेजी अपठनीय का0 2769 मनोज कुमार, एसडी अंग्रेजी अपठनीय निरीक्षक हरमीत सिंह, एसडी अंग्रेजी अपठनीय निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, एसडी अंग्रेजी अपठनीय निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, एसडी अंग्रेजी अपठनीय उ0नि0 अमित कुमार तिवारी नोट:- मै हे0का0 1022 उदयभान सिंह प्रमाणित करता हूँ कि टाइपशुदा फर्द के आधार पर अभियोग का पंजीकरण मेरे द्वारा बोल बोल कर सीसीटीएनएस पर हे0का0 479 पातीराम गौतम द्वारा आनलाइन कराया गया।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

362

7. **Subject (विषय):**
मु0अ0स0 297/20 धारा 224/307/394/411 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0स0 298/20 धारा 7/27 आयुध अधि0

8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):**

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	224
2	भा द स 1860	307
3	भा द स 1860	394
4	भा द स 1860	411
5	आयुध अधिनियम, 1959	7
6	आयुध अधिनियम, 1959	27

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 13/07/2020
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): SHAILENDRA KUMAR
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): SHAILENDRA KUMAR SINGH
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 9454403744

363

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

P.S. (थाना): पनकी

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

District (जिला): कानपुर शहर

1. **G.D. No. (रोजनामचा सं.):** 022
2. **G.D. Date (रोजनामचा दिनांक):** 09/07/2020 11:00 बजे
3. **G.D. Type (रोजनामचा प्रकार):** आपराधिक प्रकरण
4. **Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)):** अवर निरीक्षक
5. **Case Type (प्रकरण के प्रकार) :** प्रौढ़
6. **G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):**
आमद फोर्स एस.टी.एफ व दीगर थानाजात व दाखिला 11 अदद बण्डल सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर मय फर्द टाइपशुदा मौका मुरतिवा व कायमी मु0अ0सं0 297/20 धारा 224/307/394/ 411 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0 298/20 धारा 7/27 आयुध अधि0 थाना पनकी कानपुर नगर व सम्बन्धित मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/ 302/307/394/ 120 बी भादवि व 7 सी.एल.ए एक्ट थाना चौबेपुर व रवानगी कर्म0गण गिरफ्तारी की सूचना देने परिजनों को व रवानगी फोर्स जायत तैनाती

इस समय उ0नि0 देवेन्द सिंह थाना चौबेपुर मय हमराह उ0नि0 श्री अक्षय परवीन कुमार त्यागी एसटीएफ नोएडा यूनिट मय फोर्स का0 मुकेश सिंह, का0 राहुल भाटी, का0 ड्राइवर शील कुमार मय वाहन सं यूपी 32 बी जी 4546 इनोवा व वाहन सं यूपी 78 बीजी 0973 सुमो चालक शैलेन्द्र प्रताप, हे0का0 श्याम सिंह व अजय सेठ प्रभारी निरीक्षक कल्यानपुर मय हमराह हे0का0 877 ललित कुमार, का0 2769 मनोज कुमार मय सरकारी वाहन यूपी 78 ए जी 3269 व निरीक्षक हरमीत सिंह व निरीक्षक रवि श्रीवास्तव व निरीक्षक सतीश कुमार सिंह थाना हरवंश मोहाल, उ0नि0 अमित कुमार तिवारी चौकी प्रभारी इ0 एरिया थाना पनकी मय सरकारी बुलेरो यूपी 70 एजी 3263 घटनास्थल बहद क्षेत्र भौती बाईपास पर हुयी पुलिस मुठभेड से सम्बन्धित मय फर्द टाइपशुदा मौका मुरतिवा पुलिस मुठभेड घटनास्थल से बरामद फारेंसिक टीम द्वारा प्रदत्त 11 बण्डल माल सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर मय गाडी यूपी 78 बी जी 0973 के उपस्थित थाना आकर दाखिल किया माल बरामदी क्रमशः निम्नवत है: 1. 9 MM खोखा 12 अदद, 2. इंसास रायफल का खोखा 1 अदद, 3. पिस्टल नं 18306354 मय मैगजीन व एक अदद जिन्दा कारतूस 9 MM पाली बैग में, 4. रक्त काटन स्वैब 01 अदद, 5. सादा काटन कन्ट्रोल सैम्पल 1 अदद, 6. नीली सफेद चप्पल 1 जोडी, 7. बुलेट का टुकडा 1 अदद, 8. बुलेट प्रूफ जैकेट का सैंपल)FOR GSR TEST) - 2 अदद , 9. वाहन सं UP 78 BG 0973 की ड्राइविंग सीट की खिडकी के टूटे शीशे के टुकडे पाली बैग में, 10. सडक पार हाइवे से 610 CM की दूरी पर 9 MM खोखा 01 अदद व 11. उपरोक्त वाहन के पिछली सीट के पाये दान से 9 mm खोखा 01 अदद व एक बण्डल मय सील दो अदद बुलेट प्रूफ जैकेट सरकारी सर्वेमोहर मय नमूना मोहर बावत अभि0 कार्तिकिय उर्फ प्रभात मिश्रा पुत्र राजेन्द मिश्रा नि0- ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/302/ 307/394/120बी भादवि व 7 सी. एल एक्ट को फरीदाबाद से ट्रान्जिस्ट रिमाण्ड पर कानपुर नगर लाते समय बहद क्षेत्र भौती बाईपास के पास गाडी पंचर हो जाने के कारण अभि0 द्वारा उ0नि0 देवेन्द सिंह के नाजुक स्थल पर अचानक कोहनी से प्रहार कर चोट का लाभ उठाकर सरकारी पिस्टल संख्या 18306354 जिसमें 10 अदद कारतूस थे को जोरदार झटका देकर छीन कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुये भागा तथा पुलिस पार्टी द्वारा आत्म रक्षार्थ हेतु गोली चलाना जिससे अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकिय उपरोक्त घायल होना व दौराने पुलिस मुठभेड का0 सुनील कुमार एसटीएफ नोएडा, का0 विकास एसटीएफ नोएडा, का0 सुनील थाना चौबेपुर को घायल होने पर का0 1404 विपिन कुमार को चौकी इ0 एरिया से तलब कर बाद तैयार कर मजरूबी चिट्ठी देकर पास उ0नि0 शुभम कुमार जो पूर्व से क्षेत्र में गश्त मौजूद सकेण्ड मोबाइल गाडी यूपी 77 जी 0540 मय का0 चालक अनार सिंह को मौके पर बुलाकर घायल अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकिय व मजरूब का0 सुनील कुमार एसटीएफ नोएडा, का0 विकास एसटीएफ नोएडा, का0 सुनील थाना चौबेपुर घटनास्थल से ही पूर्व में ही उसी समय वास्ते उपचार सीएचसी कल्यानपुर भिजवाया गया। जंहा पर डाक्टर द्वारा अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकिय को मृत घोषित कर देने विषयक दाखिल किया तथा दौराने मुठभेड पुलिस पार्टी उ0नि0 अक्षय परवीर कुमार त्यागी, नि0 रवि श्रीवास्तव, नि0 सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 अमित कुमार तिवारी द्वारा अपनी अपनी सरकारी पिस्टल से क्रमश 2,1,1,1 का0 2547 सुनील द्वारा सरकारी इंसास रायफल से दो राउड फायर किये गये असलहों को सील व सर्व मोहर कर थाना दाखिला किया गया दाखिला शुदा समस्त माल को एचएम / सीसी के सुपुर्द कर अन्दर मालगृह रखवाकर ताला ठीक बन्द सन्तरी पहरा को दिखाया गया चावी पूर्वत है दाखिला फर्द पुलिस मुठभेड व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 297/20 धारा 224/307/394/ 411 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0 298/20 धारा 7/27 आयुध अधि0 व मुद्दईयत वादी उ0नि0 श्री देवेन्द सिंह थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर बनाम मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकिय पुत्र राजेन्द मिश्रा नि0- ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर, दिनांक घटना- 09.07.20 समय 06.20 बजे सुबह घटनास्थल- बहद क्षेत्र भौती बाईपास दिशा पूरब व दक्षिण व फासला 6 कि0मी0 चौकी क्षेत्र इन्डस्ट्रियल एरिया सूचना व समय कायमी हाजा तारीखी इमरोजा व तफ्तीशी श्री राजेश पाठक प्रभारी निरीक्षक कलक्टरगंज के सम्बन्धित रजिस्ट्रान में कायम व दर्ज किया गया। नकल चिक व नकल रपट मय दीगर प्रपत्र वास्ते विवेचना विवेचक श्री राजेश पाठक प्रभारी निरीक्षक कलक्टरगंज को हस्व आदेश उच्चाधिकारीगणों के बाद उचित माध्यम भिजवाई जायेगी। घटना की सूचना द्वारा आरटी सेट सूचना जिला कन्ट्रोल रूम / उच्चाधिकारी गणों को देने हेतु दी गयी। तकमीला दर पेश है। मूल फर्द सलग्न एफआईआर की गयी आमद शुदा फोर्स को जायद तैनाती रवाना किया गया। चूंकि अभि0 उपरोक्त थाना चौबेपुर के मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/302/394/120 बी भादवि व धारा 7 सी.एल एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हैं नकल एफआईआर व नकल रपट वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु पास विवेचक भिजवाई जायेगी। वास्ते विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट तैयार कर अलग से प्रेषित की जा रही है। अभि0 की मुठभेड में मृत्यु से सम्बन्धित सूचना उसके परिजनों को देने हेतु का0 1342 सुखवेन्द सिंह को ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर रवाना किया गया। हिदायत मुनासिब दी गयी।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना ... कार्यालय
कानपुर नगर

(364)

PMN 1843/20
DATE 09/7/20
TIME 3.35 pm

मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय,
जनपद – कानपुर नगर

पी०एम०न० 15152

कृपया मृतक/मृतिका कार्तिकेय उर्फ प्रभात मिश्रा उम्र 20 वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी राजेन्द्र मिश्रा

बिकरू थाना चौबेपुर जनपद का० नगर

का शव आप के पास भेजा जा रहा है शव विच्छेदन परिणाम से अवगत कराने का कष्ट करें। मूल पंचायतनामा व दीगर कागजात

total 10 pages

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

थाना-चौबेपुर

D

365

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्यानपुर

कानपुर नगर

वाहय रोगी टिकट

पंजीकाण संख्या E/2025 (केवल पन्द्रह दिन के लिये मान्य) दिनांक 09/07/2020
9t 7-30 Pm

रोगी का नाम Kartikey yrs आयु 20 yrs लिंग M

पिता/पति का नाम Prashant Mishra
S/o Rajendra Mishra R/o Vill- Bikaru
P/s Chobepur Kanpur

रोग निदान .... डाक्टर का नाम ....

B/B- SI Suvam Kumar P/S [illegible]

दिनांक	उपचार
	O/E - BP Not recordable. PR. Not recordable. SpO2- Nil. B/L pupil fix and dilated and not reacting to light. CPR done but not revived. Pt. declared brought dead on dated 09-07-2020 9t 7-30 Pm. डा0 शशिकान्त चिकित्साधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, कल्यानपुर कानपुर नगर

एम0डी0ओ0 अपनाएं, कुष्ठ मिटाएं

बेटी बचायें, बेटी पढ़ायें

(6)

MEDICAL OFFICER
HOUSE

पहले दो विद्यालय, फिर करें कन्यादान – सुरक्षित प्रसव हेतु सा0स्वा0केन्द्र पर आयें एवं जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठायें

366

रपट नं 11 समय 7.40 बजे [illegible] थाना [illegible] कानपुर नगर दिनांक 09.07.20

11 7.40	अकस्मात सूचना द्वारा दूरभाष घायल अभियुक्त की मृत्यु होने के सम्बन्ध मे व रवानगी फोर्स पंचायतनामा ड्यूटी सी.एच.सी कल्याणपुर	इस समय उ0नि0 सुवम कुमार रात्रिधिकारी द्वारा जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि पुलिस मुठभेड मे घायल अभियुक्त कार्तिके उर्फ प्रभात मिश्रापुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष जिसको सी.एच सी कल्याणपुर के डाक्टर साहब द्वारा समय करीब 07.30 बजे मृत घोषित कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध मे सूचना दर्ज की गयी। श्रीमान नायब तहसीलदार सदर मजिस्ट्रेट महोदय को पंचायतनामा की कार्यवाही किये जाने जाने के सम्बन्ध मे जरिये उचित माध्यम अवगत कराया गया। तथा पूर्व से थाना क्षेत्र मे रवाना उ0नि0 विपिन कुमार को हस्व आदेश एस.ओ महोदय के तलब कर मय हमराह का0 503 [illegible] को जिल्द पंचायतनामा एवम दीगर आवश्यक कागजात सुपुर्द कर पास नायब तहसील दार महोदय सदर सी.एच.सी कल्याणपुर रवाना किया गया तस्करा दर्ज किया गया।

पुलिस [illegible]
सूचना तंत्र कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post Mortem Report No 1843/20 Date 9/7/2020

Body Received Sealed : Yes/ No Yes Sealed Intact : Yes / No Yes

Conducted by Dr Munna Lal Vishwakarma
Dr Ram Kishore Katiyar

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 09/07/20 at 5:55 PM

Date & Time of Commencement of Autopsy 09/07/20 at 9:10 PM

Time of Completion of Autopsy 09/07/2020 at 11:45 PM

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 09/07/2020 02:10:30

Name & Address of the person video recording the Autopsy Arvind Dwivedi S/o Late [illegible] R/o 106/34, Gandhi Nagar, [illegible] Kanpur Nagar

CASE PARTICULARS : PM done in Artificial light (Enclave) as per DM order

1 Name of deceased and as entered in the Jail or Police record Kartikeya @ Prabhat Mishra

S/o D/o W/o S/o Rajendra Mishra

Address Bikaroo P.S. Chaubepur
Kanpur Nagar

2 Age (Approx.) 20 Yrs M Sex Male / Female

3 Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) C.P. 5031 Ram Mahesh

(ii) H.C. 288 C Suresh Singh

of Police Station Panki, Kanpur Nagar

4 Identified by

(i) C.P. 5031 Ram Mahesh P.S. Panki Kanpur Nagar

(ii)

Scanned with CamScanner

(368)

EXTERNAL INJURIES : AM-I

Firearm Injury -

Wound of Entry - Size 1x1cm (Rounded) lower part of front of chest 3 cm above Xiphisternum, Margins are inverted, Abraded collar around the margin, loss of tissue present

Wound of Exit - 1.5x1.5 cm (Oval) Margins are everted, Rt side, back of chest 4 cm lateral to spine, 11 cm below Right Scapula medially and downward. (Inferior angle of Scapula)

Tract of Wound - Anterior to posterior - It pierces the anterior chest wall, then pierces left lung, heart, pierces rib cage posteriorly (Right side at level of D10 spine

Firearm Injury.

Wound of Entry - 1x1cm (Rounded) Margins are inverted, left side of chest, 14 cm below top of shoulder joint, 11 cm below left clavicle (laterally), 4 cm laterally and downward from left nipple. Abraded collar around the margin and loss of tissue present.

Tract - Anterior to posteriorly, left to Right and left to downward, left chest wall 4th, 5th rib, pierces - left lung, pierces, heart, Stomach, liver

A bullet is recovered from Rt 11th Rib posteriorly

Scanned with CamScanner

[illegible]NAL EXAMINATIONS :

HEAD

(a) Scalp findings NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed)
NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels
pale, Intact

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1200gm gms.)
pale

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. NAD

2. NECK

- Teeth 16|16
- Mouth, Tongue & Pharynx NAD
- Larynx & Vocal cords NAD
- Condition of neck tissues NAD
- Thyroid & other cartilage co[illegible]u tions NAD
- Trachea NAD

3. CHEST

- Ribs and Chest wall As noted
- Oesophagus NAD
- Trachea & Bronchial Tree NAD
- Pleural Cavities -R- Lacerated] about 1 liter Blood present
  -L- Lacerated]
- Lungs findings & Wt. -Rt. 450 gms. & Lt. 400 gms.
  Both lacerated & pale

[illegible]

Scanned with CamScanner

370

- Pericardial Sac Lacerated
- Heart findings & Wt Lacerated, 250gm, Empty
- Large blood vessels NAD

4. ABDOMEN

- Condition of abdominal wall NAD
- Peritoneum & Peritoneal cavity Lacerated about 1.5 Litre blood present
- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight Lacerated 100gm gms)
  MM NAD
- Small intestines including appendix
  partially filled with gases
- Large instestines & Masentric vessels
  partially filled with gases & faecal matter
- Liver including gall bladder (wt Lacerated gms) 1000gm pale
  GB partially filled
- Spleen (wt 170gm gms)
  pale
- Pancreas NAD
- Kidneys finding & Wt - Rt 120 gms & Lt 120 gms
  Both pale
- Bladder & Urethra Empty
- Pelvic cavity tissues NAD
- Pelvic Bones NAD
- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body presence of foetus, semen or any other fluid and contusion, abrasion in and around genital organs). NAD

Scanned with CamScanner

...AL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated)
Not opened.

OPINION

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)
About half to one day

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Haemorrhage & Shock

b) Due to - Antemortem firearm Injury.

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-mortem All are AM

d) Manner of causation of injuries. Firearm

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? Collectively yes

iii) Any other nil

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B. - 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

b) Clothes

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.) bullet recovered, sealed and handed over to concerned CP

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

(372)

g) Inquest papers (mention total number & initial them) 2+8 = 10

h) Slided from vagina, semen or any other material.

Sealed Bullet

PM report in original, (1) (2+8=10) inquest papers, (2) dead body, (3) clothing (4) and other articles (5)

(mention there) duly sealed (Nos. 5 (five)) handed over to police official

Name & No. 5031, Ram Naresh, HG-2880 - Suresh Singh

of PS Panki whose signatures are herewith.

Signature [signature]

Name of Medical Officer

(in block letters) MUNNA LAL VISHWAKARMA

Designation Sr Medical Officer

(5) [illegible]

SEAL

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature [signature]

Name RamNaresh

Rank CP - 5031

Belt No. 5031

Police Station Panki

Date of Collection 09/07/2020

Total No. Pages Received 9+9+10 = 28 पेज एवं एक छोटा सील बन्द लिफाफा मैटेलिक ऑब्जेक्ट का एवं एक छोटा सील बन्द लिफाफा ... एवं कपड़ों को सील बन्द प्रति प्राप्त की।

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना केन्द्र
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

मु0अ0सं0 297/20 धारा 224/307/394/411 भादवि थाना पनकी(दिनांक 09.07.2020)

पुलिस मुठभेड़ में घायल कर्मियो का विवरणः

<u>(इन्जरी रिपोर्ट)</u>

1– आरक्षी सुनील कुमार (एस0टी0एफ0)
2– आरक्षी विकास कुमार (एस0टी0एफ0)
3– आरक्षी सुनील कुमार थाना चौबेपुर कानपुर नगर।

पुलिस उपायुक्त
कार्यालय

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

M.L.C. No. E/2027
E. No.

नाम : Samil Kumar उम्र : 31 लिंग : Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/जाति : Krishna pal Singh
पता : S.T.F Noida थाना : Sachendi Dist Noida

दिनांक एवं समय 9/7/2020 8:45 AM

अंकित करने वाला
लाने वाला (नाम तथा पता)
CP 3761 Narendra Kumar PS Sachendi

सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / धारा
F.I.R./Section No. [illegible] 7/20

[illegible]

पहचान के चिन्ह
Mark of identification
[illegible]

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रमांक	चोट का प्रकार	चोट का प्रकार	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	फैलाव	अन्य अवलोकन
(1)			An abrasion at left side of back at ten ?cm to left Iliac crest (? bleeding ? present) (May be one shot injury?)				Bicycle?

कृपया [illegible] (Refer for [illegible] Opinion)

संबंधित [illegible] सूचना (Information to Concerned Police Station)

कोई अन्य [illegible] (Any Other Finding)

अभिमत (Opinion)
[illegible]

375

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

M.L.C. No. E/2025

E No.

नाम : C.P. Sunil   उम्र : 25   लिंग : M   पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति : Sri Jagdish

पता : Chabepur P/S   थाना : Chaubepur   Dist Kanpur City

दिनांक एवं समय 9/7/2020 at 9:00 PM

अग्रेषित करने वाला

लाने वाला (नाम तथा पता) CP/1404 Vipin Kumar Srivastava

सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / धारा

F.I.R./Section No. मु.अ.स. 297/2020 ... 307/392

पहचान चिन्ह

Mark of Identification

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रमांक	चोट का प्रकार	चोट का कारण	स्थिति (Location)	आकार (Shape)	प्रकृति (Nature)	अवधि	अन्य अभिमत
1	Complaint of pain at various area of body at both arms back & weapon (Suspected)						Not examined NK

[illegible]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

नाम: Naresh Singh Chak... Dist. Central Bank Nagar

उम्र: 35 लिंग: Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/स्वामी

M.L.C. No. 5/2026 लाया: CP ... SHO Noida

E No. थाना: Noida

दिनांक ... 2/20 ... P.S. AM

अभियोग लाने वाला

लाने वाला (नाम तथा पता)
CP 1404 Vipin Kumar

सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा
F.I.R./Section No.
100/20 धारा 224/302 ... 392/411 IPC

पहचान के चिन्ह
Mark of identification
Mole ... Supeue
... Ankle

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रमांक			स्थिति (Location)	आकृति (Shape)	किनारा (Margin)	रक्तस्राव	अन्य अवेक्षण
1	An Abrasion	Size four cm x one cm	the Bleeding is present (Lt Aspect) on left mid fore arm (Bus Chauki Injury)				

कोई भी अन्य विशेष सूचना (Any Other Finding)

अभिमत (Opinion)
Simple Injury
Fresh
Hard Blunt

Sd/-

FTAI

प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	वर्तमान स्थिति	संक्षिप्त विवरण
1	चौबेपुर	192/20	147/148/149/302/307/395/412/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट	विवेचनाधीन	मु0अ0सं0 191/20 धारा 147/148/504/323/364/342/307/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में दबिश देने गए 08 पुलिस कर्मियों की हत्या कर 07 को घायल कर देना।
2	पनकी	297/20	224/307/394/411 भादवि	विवेचनाधीन	पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त प्रभात मिश्रा की मृत्यु होना।
3	पनकी	298/20	7/27 आर्म्स एक्ट	विवेचनाधीन	अभियुक्त प्रभात मिश्रा से पुलिस से छीनी गयी सरकारी पिस्टल बरामद होना।
4	**खेड़ीपुल** जनपद फरीदाबाद	215/20	307/379/353/212/186/411 भादवि व 25/54/59ए एक्ट	विवेचनाधीन	पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना

[illegible]

1	09 एमएम पिस्टल	18306354	उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह से लूटी गयी पिस्टल

नक्शा नजरी

... 307/394/411 IPC

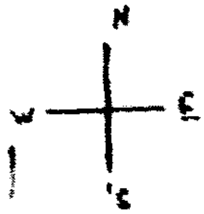

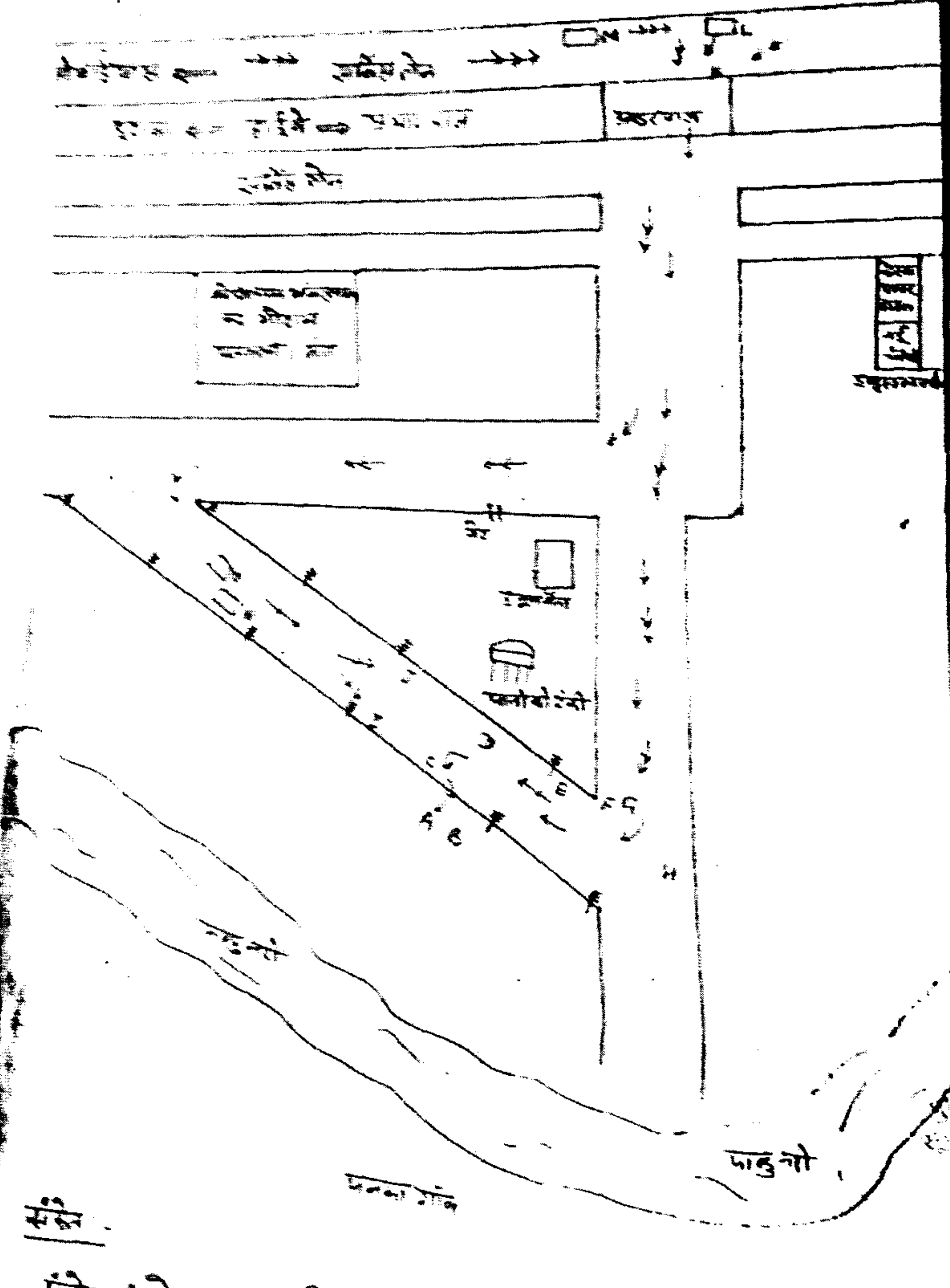

संकेत -

संकेत A से ...

380

13

संकेत B से अभियुक्त द्वारा फायर किये जाने वाली पिस्तौल बरामद होने के स्थान को प्रदर्शित किया गया है।

संकेत C से उस स्थान को प्रदर्शित किया गया है जहाँ पर अभियुक्त के द्वारा छिटकर पीछे मुड़ कर पुलिस पार्टी पर फायर करने के बाद वापस होना बताया।

संकेत D से पुलिस पार्टी के आरक्षी निकास के घायल होने के स्थान को प्रदर्शित किया गया है।

संकेत E से पुलिस पार्टी STF के आरक्षी सुनील के घायल होने के स्थान को प्रदर्शित किया गया है।

संकेत F से 30नि० अक्षय परवीर कुमार त्यागी के बुलट प्रूफ जैकेट में गोली लगने के स्थान को प्रदर्शित किया गया है।

संकेत G से उस स्थान को प्रदर्शित किया गया है जहाँ पर वादी मुकदमा द्वारा 30नि० अक्षय परवीर के पीछे खड़े होने का स्थान बताया गया है।

संकेत H से थाना चौबेपुर के आरक्षी सुनील के द्वारा फायर का स्थान बताया गया है।

संकेत I दूसरी पार्टी के निरीक्षक अजय सेठ, प्रसतीश सिंह, SI अमित तिवारी आदि पुलिस बल की मौजूदगी को प्रदर्शित करता है।

संकेत J निरीक्षक रवि कुमार श्रीवास्तव व हमीत सिंह की मौजूदगी का स्थल है।

संकेत K उस स्थान को प्रदर्शित करता है जहाँ पर सरकारी वाहन दाराखमों की सुरक्षा में घेरा बना कर खड़े 30नि० अक्षय परवीर पर दाराखमों में बैठे अभियुक्त द्वारा फायर किया गया।

संकेत L से उस स्थान को प्रदर्शित किया गया है जहाँ पर दाराखमों के पंक्चर होने के कारण उसका पहिया बदलने के लिए खड़ा किया गया था और उसमें से अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पिस्टल का फायर करते हुए भागना बताया गया जिसकी दूरी संकेत A से 395 कदम है।

संकेत M से STF की गाड़ी खड़ी होने का स्थान को प्रदर्शित करता है।

संकेत N से थाना कल्याणपुर की सरकारी गाड़ी खड़ी होने का स्थान प्रदर्शित है।

संकेत O से उस स्थान को प्रदर्शित किया जा रहा है जहाँ पर थाना कल्याणपुर की सरकारी गाड़ी के साथ आने वाली पुलिस पार्टी की दूसरी गाड़ी खड़ी हुई थी।

संकेत → से अभियुक्त के भागने के मार्ग को प्रदर्शित किया गया है।

संकेत →→ से पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त का पीछा करने के मार्ग को प्रदर्शित किया गया है।

संकेत →→→ से सरकारी वाहन दाराखमों L स्थान पर खड़े होने से पहले के मार्ग को प्रदर्शित करता है।

पुलिस उपाधीक्षक
मुख्य मेल कार्यालय
कानपुर नगर

381

रिपोर्ट थाना चौबेपुर कानपुर नगर

सेवा मे,

श्रीमान एन्टी डकैती न्यायालय
जनपद कानपुर देहात

महोदय

निवेदन है कि मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम विकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर दिनांक 8/7/2020 को अपराध शाखा ऊंचा गांव बल्लभगढ के द्वारा अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम विकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर को मुकदमा नं0 215/20 धारा 186/212/307/353/379बी/411 भादवि व 25/54/59 ए एक्ट मे गिरफ्तार किया है जिसकी ट्रांजिट रिमाण्ड के लिए मु0अ0सं0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट के विवेचक द्वारा मुझ उ0नि0 को फरीदाबाद भेजा गया था अभियुक्त के ट्रांजित रिमाण्ड के सम्बन्ध मे माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेक्टर 12 जिला अदालत फरीदाबाद से अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम विकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर का 24 घण्टे का ट्रांजिट रिमाण्ड दिनांक 8/7/20 को प्रदान किया था लेकिन दिनांक 9/7/2020 को अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय फौती अन्डर पास के पास गाडी मे पिंचर हो जाने के कारण गाडी को खडा करना पडा और अभियुक्त को गाडी से उतार कर पास मे खडा कर लिया गया था अभियुक्त मौका देखकर उ0नि0 देवेन्द्र की पिस्टल छीन कर भाग गया जिसका पीछा करके एसटीएफ एवं अन्य थाने के अधिकारियों के द्वारा घेराबन्दी करके औद्योगिक क्षेत्र थाना पनकी मे पुलिस मुठभेड के दौरान अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम विकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर मारा गया है इस सम्बन्ध मे सूचना मा0 न्यायालय को दी जा रही विस्तृत कार्यवाही का विवरण मा0 न्यायालय को अलग से रिपोर्ट प्रेषित कर वताया जाएगा।

अत: मा0 न्यायालय से अनुरोध है कि अभि0 प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम विकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर जो दिनांक 9/7/2020 पनकी क्षेत्र मे पुलिस मुठभेड के दौरान मारा गया है आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा मे प्रेषित है।

उ0नि0 देवेन्द्र सिंह (सह विवेचक)
थाना चौबेपुर कानपुर नगर

(382)

"CUSTODY WARRANT"

[illegible] Jail No. [illegible] 6893

Name	[illegible]	FIR No	215 [illegible] 8-7-20	PHOTO OF INMATE
Father's Name	[illegible]	U/s(as per FIR)		
Age [illegible]	[illegible]	Arrested U/s	186, 307, 212 [illegible] 353, 379B, 411, 25-54-59 A Act	
Gender [illegible]	[illegible] (U.P.)	Police Station		
Address		District [illegible]	[illegible]	
Nationality		Date of Arrest	8-7-20	

REMAND DURING INVESTIGATION ADVOCATE..(Pvt/Legal Aid)

S.No.	Date	Remand Order by Ld. Judge/Next date in the Court
1	[illegible] 22-7-2020	[illegible]
2		
3		
4		

[illegible] a Khan
Judicial Magistrate 1st Class
FARIDABAD 8-7-20

- Date of Filing of Charge Sheet : ....
- Offences against the Accused : ....

REMAND AFTER FILING OF CHARGE SHEET ADVOCATE..(Pvt/Legal Aid)

S.No.	Date	Remand Order by Ld. Judge/Next date in the Court
1		
2		
3		
4		
5		

[illegible]

- Date of Committal in Sessions trial cases : ....
- Date of Framing of Charge : ....
- Charge framed under offences : ....

जिला फरीदाबाद

थाना खेड़ी पुल

राज्य द्वारा उप नि0 जगमिंद्र सिंह इंचार्ज अपराध शाखा ऊंचा गांव ब0गढ।
बनाम - कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी गांव बिकरु थाना चौबेपुर जिला कानपुर यू0पी0
मु.न. 215 दिनांक 08.07.2020 धारा 186,212,307,353,379B,411 IPC & 25/54/59
A ACT थाना शहर बल्लबगढ।

फर्द इंकसाफ आरोपी कार्तिकेय

निम्नलिखित गवाहान के सामने आरोपी कार्तिकेय उपरोक्त ने बिना किसी डर, भय व दबाव के अपना इंकसाफ किया कि मै पता उपरोक्त का रहने वाला हुँ। तथा घर पर ही रहता हुँ। उत्तर प्रदेश मे पुलिसवालो के हत्याकाण्ड का सरगना विकास दुबे मेरा पडोसी है| और गॉव के रिश्ते मे मेरा ताऊ लगता है| दिनांक 02/03/-07-2020 कि रात के समय करीब सुबह 01 बजे विकास दुबे ने JCB अपने घर के पास रोड पर खड़ी करवाई थी, तो मैंने विकास दुबे से पूछा कि JCB क्यों खड़ी करवाई है, तो विकास दुबे ने बताया कि ताकि कोई निकल न पाए| उसके थोड़ी देर बाद ही गॉव में पुलिस आ गयी ओर उसके बाद विकास दुबे की योजना अनुसार विकास और अमर, सोनू पांडे, गोपाल सैनी, इरू दुबे, वीरू दुबे नीरज दुबे, शिवम दुबे DBC व शिवम दुबे @ दलाल, जिलेदार, एक बाहर का आदमी जिसका मैं नाम नही जानता हम सभी असला लेकर छतो पर चढ गए। अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे @रामाराम उस दिन एनकाउंटर में मारे जा चुके है| और उस समय सभी के पास असला था, मेरे पास अतुल मिश्रा की दी हुए राईफल थी और छत्तों पर दोनों साइड में घात लगा कर बैठ थे, और पुलिस का रास्ता रोकने के लिए प्रकाश दुबे ने रास्ते में JCB लगवा दी | और पुलिस के आने पर हम सब ने पुलिस पर गोली चला दी और वही मौके पर 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी| हम सभी ने मिलकर पुलिस वालो को दौडा दौडा कर मारा, विकास दुबे और अन्य ने 6 को मारा ओर मैंने अपनी रायफल में जितने राउंड थे सभी फायर कर दिए जिससे एक पुलिस वाला मारा गया| 5 नल के पास पड़े थे , व 2 सोनू पांडे के घर के

पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय कार्यालय
कानपुर नगर

385

बाहर पड़े थे, उन गिरे हुए पुलिसवालो को विकास दुबे ने खुद बन्दूक से गोली चला कर मारा था, अतुल दुबे व विकास दुबे ने पड़े हुए पुलिस कर्मियों की पिस्तौल, एक इंसास राईफल व एक ए0के0 47 राईफल को जख्मी पड़े पुलिसवालो से छीन लिया था और उसके बाद हम खेतो के रास्ते तरफ भाग गए| हमारे पास जो रायफल थी उनको हम वही छोड़ कर निकल गए | उसके बाद हमारे पास 4 पिस्टल थे जिसमे 2 पुलिस वालों कि थे और 2 अन्य प्राइवेट पिस्टल थी| पुलिस की दबिश के कारण मैं वहा से निकल कर हम (मैं खुद, विकास दुबे, अमर दुबे असुल्लाबाद मे एक गॉव मे रुके थे जिसका नाम मै नही जानता असुल्लाबाद वाला अमर का मिलने वाला है उसका नाम शुभम पाल है. शुभम पाल ओमनी गाडी लेकर शिवली मे पेट्रोल पम्प पर हमे लेने आया था फिर हम दो दिन शुभम के दुसरे घर में रहे तीसरे दिन दिनांक 05/07/2020 की शाम को शुभम की गाड़ी से औरया से पुरानी दिल्ली की बस पकड़ी उसके बाद दिनांक 06/07/2020 को दिल्ली आकर ऑटो व बस से बदरपुर बदर पुर बार्डर पर आए. और विकास दुबे हमें अपने रिशतेदार अकुर पुत्र शरवन जो कि न्यू इन्द्रा काम्पलैक्स हरी नगर नहर पार फरीदाबाद में उसके घर आकर रुके है जिसके बारे सिर्फ विकास दुबे ही जानता था| फिर कुछ देर अकुर के घर पर आराम करने के बाद अंकुर मिश्रा व् विकास दुबे दिल्ली में रवि निवासी मैंनपूरी जो कि दिल्ली में कही पर रहता है उस के घर को ढूढने के लिए चले गए. विकास दुबे ने कई सालो पहले संतोष शुक्ला की हत्या मामले में रवि के घर पर फरारी भी काटी थी. परन्तु रवि का दिल्ली में घर ना मिलने पर विकास दुबे और अकुर मिश्रा शाम आठ बजे वापिस फरीदाबाद आ गए उसके बाद अंकुर मिश्रा व् विकास दुबे, अमर दुबे को लेकर OYO होटल फरीदाबाद में ले गया| उस रात मै अंकुर मिश्रा के घर ही रुका था| और अमर दुबे रात में ही फरीदाबाद से चला गया जिसको अकुर का भाई आकाश छोड़ने गया था. उस रात विकास दुबे व अकुर ओयो होटल में रुके थे तथा मै अकुर के घर पर रुका था दिनांक 07/07/2020 को सुबह शरवन मिश्रा मुझे भी होटल छोड़ कर आया था उसके बाद दिन मे विकास दुबे ने किसी का फोन लेकर oyo होटल से शरवन को फोन किया था

नगर

लेकिन उसने फोन नहीं उठाया फिर मै व विकास दुबे श्रवन के घर पर आए जो विकास दुबे बाहर मैन रोड पर ही रुक गया और मुझे कहा कि अंकुर को बुला ला मै चोराहे पर ही इंतज़ार कर रहा हु. और जब मैं अकुर के घर गया तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ओर पुलिस वालो के उठाए हुए 2 पिस्टल ओर 2 अन्य प्राइवेट पिस्टल और 9 MM के 44 राउंड मेरे पास थे। जिनको मैने आपके हवाले कर दिया है। जो मैने अपने आपको बचाने के लिए अंकुर के घर की छत से भागते हुए पुलिसवालो की तरफ अपनी हाथ में ली हुई देशी पिस्टल से एक फायर भी किया था व पुलिस द्वारा जवाबी फायर करने पर मै डर गया व पुलिस ने मुझे पकड लिया। विकास दुबे ने पुलिसकर्मचारियो से लुटी हुई एक पिस्टल, इंसास राईफल व ए0के0 47 राईफल को अपने साथी लाल बडे निवासी गांव बिखरु को दे दी थी तथा यह हथियार गांव बिखरु में लाल बडे के पास ही छिपा कर रखे हुए है जो आरोपी कार्तिकेय उर्फ प्रभात का फर्द इंक्साफ अंकित किया गया है जिस पर आरोपी व गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किए है।

आरोपी - कार्तिकेय उर्फ प्रभात

कार्तिकेय

गवाह- 1.उप नि0 राकेश [signature]

Rakesh

2. मु0सि0 कायम खान 1048

[signature]

[signature]

अपराध शाखा

ऊँचा गांव ब0गढ

दिनांक 08.07.20

(386)

वापसी उ0नि0 फरीदाबाद	इस समय उ0नि0 देवेन्द्र सिंह मय एक पिस्टल नं0- 18306354 मय 10 अदद कारतूस मय [illegible] का0 2547 सुनील कुमार मय इंसास नं0- मय 20 अदद कारतूस के दिनांक 8/7/2020 को [illegible] प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र कुमार नि0 ग्राम विकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर [illegible] पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसके ट्रांजिट रिमाण्ड लेने के लिए मुझे [illegible] को फरीदावाद उच्चाधिकारीगण के द्वारा भेजा गया था जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 19 [illegible] धारा 147/148/149/302/307/394/120 बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना चौबेपुर मे पंजीकृत [illegible] पर 25000/- रूपये का इनाम भी था यह अभियुक्त थाना खेरीपुल फरीदाबाद मे मु0अ0सं0 2[illegible] धारा 186/212/307/353/379बी/411 भादवि व 25/54/59 आर्म्स एक्ट मे दिनांक 8/7/20 को गिरफ्तार हुआ है गिरफ्तारी की सूचना फरीदाबाद पुलिस के द्वारा जनपद कानपुर नगर के उच्च अधिकारि[illegible] को प्राप्त हुयी थी मा0 न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेक्टर -12 जिला अदालत [illegible] के न्यायालय मे ट्रांजिट रिमाण्ड के अर्जी दाखिल की मा0 न्यायालय द्वारा मेरी अर्जी पर सुनवायी करते हुए 24 घंटे का रिमाण्ड समय 16.00 बजे से दिनांक 9/7/2020 तक 16.00 बजे तक सम्बन्धि[illegible] मे पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमाण्ड स्वीकृत किया ट्रांजिट रिमाण्ड मिलने के वाद साधन [illegible] समस्या हुयी इसके सम्बन्ध मे मेरे द्वारा जिले के अधिकारियों को अवगत कराया और यह भी अवगत [illegible] कि मेरे साथ मे मात्र एक आरक्षी है सुरक्षा की दृष्टि से अन्य फोर्स उपलब्ध कराया जाए एसएसपी [illegible] के द्वारा वताया कि अभियुक्त की सुरक्षा व्यवस्था हेतु एसटीएफ नोएडा को आपके साथ ल[illegible] है उनके साथ आप कानपुर आ सकते है मै उ0नि0 मय हमराही का0 व अभियुक्त प्रभात [illegible] उर्फ कार्तिकेय को लेकर एसटीएफ टीम नोएडा के साथ फरीदाबाद से कानपुर के लिए रवाना हु[illegible] रास्ते मे आरआई कानपुर नगर से मेरे पास फोन आया था कि आप को लाने के लिए पुलिस लाइन [illegible] गाडी नं0 यूपी78 बीजी 0973 चालक शैलेन्द्र प्रताप मय हे0का0 श्याम सिंह के साथ रवाना [illegible] उसके वाद गाड़ी के चालक से बात हुयी वार्ता के दौरान मैने वताया कि आप कानपुर से इटा[illegible] चलते आयें और हम लोग फरीदाबाद की तरफ से आ रहे है रास्ते मे जहां भी मुलाकात होगी [illegible] गाडी से मुल्जिम लेकर कानपुर चलेगे। चालक शैलेन्द्र प्रताप टाटा सूमो व हे0का0 श्याम सि[illegible] इटावा मिले वहीं से मै मुल्जिम को लेकर मय हमराही का0 के टाटा सूमो से कानपुर के लिए [illegible] पीछे एसटीएफ की टीम दूसरी गाडी से चल रही थी जब हम लोग माती आये तो सुवह [illegible] गा अदालतें बन्द थी दैनिक नित्य क्रिया करने के लिए मै क्राइम ब्रांच कार्यालय रेल बाजार [illegible] कानपुर नगर लेकर जा रहा था क्योकिं थाना चौनेपुर मे सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था [illegible] कारण यहां पर लाना उचित नही था इस लिए क्राइम व्रान्च कार्यालय रेल बाजार कानपुर नगर ले क[illegible] थे जब हम लोगो टाटा सूमो से भौती अन्डर पास के पास पहुंचे तो समय करीब 06.00 बजे सुव[illegible] मे वांयी तरफ पिछले पहिए मे पिन्चर हो गया था गाडी को सडक के किनारे साइड मे खडा [illegible] पहिया बदलने के लिए जैक लगा रहा था और हे0का0 श्याम सिंह गाडी से उतरकर यातायात [illegible] देखने के लिए गाडी के पीछे खडे हो गये इतने मे ही अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र [illegible]न्द्र कुमार निवासी विकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर मौका पाकर अभियुक्त प्रभात द्वारा [illegible] के नाजुक स्थल अचानक कोहनी से घातक प्रहार किया चोट का लाभ उठाकर मेरी सरकारी [illegible] नं0

18306354 जिसम 10 अदद कारतूस थे को झटके से निकाल लिया पिस्टल मे लगा कुंदा टूट गया औ डोरी मेरी बेल्ट मे फंसी रह गयी प्रभात मिश्रा द्वारा पिस्टल से फायर करते हुए भागा जिसके पी एसटीएफ की टीम व फ्लैस हो रही सूचना को सुनकर नजदीक ही मौजूद थाना कल्यानपुर प्रभा निरीक्षक अजय सेठ अपने हमराहीयान मय जीप सरकारी के व निरीक्षक हरमीत सिंह व निरीक्षक र श्रीवास्तव व निरीक्षक श्री सतीश सिंह एवं उ0नि0 अमित कुमार तिवारी सरकारी गाडी से आ गये एसटीएफ व इन लोगो ने बदमाश को ललकारते हुए फायर किये और बदमाश भी जान से मारने नियत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा का0 सुनील के द्वारा अपनी इंसास रायफल से दो राउण्ड फ किये थे उसी समय मैने 112 नं0 पर काल की थी उसके बाद मैने कंट्रोल रूम व उच्च अधिकारियो सूचना दी अभि0 प्रभात मिश्रा भागते हुए भी पीछे मुड मुड कर भी पुलिस वालो को निशाना बनाव फायर कर रहा था घटना स्थल से करीब 200 मीटर जाने के पश्चात पानी की टंकी के कम्पाउण्ड के प दाहिनी रोड पर मुडकर करीब 15-20 कदम जाकर वायी ओर पांडु नदी को ओर मुडा वही पर पुलि मुठभेड हुयी जिससे अभियुक्त घायल हो गया था अभियुक्त को घायल अवस्था मे अस्पताल ले जा गया जहां पर डाक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया इस सम्बन्ध मे मेरे द्वारा थाना मु0अ0सं0 297/ धारा 224/307/394/ 411 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0सं0 298/20 धारा 7/27 आयुध अधि थाना पनकी कानपुर नगर पर मुकदमा पंजीकृत कराया तथा फर्द मे विवरण अंकित किया गया अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय की सूचना मा0 सम्बन्धित न्यायालय माती कानपुर देहात को गयी क्योंकि अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय का 09/07/2020 को शाम 16.00 बजे स्वीकृत था इसी लिए तत्काल मा0 न्यायालय को दी गयी थी हालात सीडी इरसाल हुए। मुझ उ0नि0 पास एक अदद पिस्टल नं0 18306354 मय 10 अदद कारतूस मौजूद थे तथा का02547 सुनील कु के पास एक इंसास रायफल नं0 18349125 मय 20 अदद राउण्ड जिसमे 2 राउण्ड फायर हो चुके सरकारी पिस्टल जिसमे से अभियुक्त द्वारा 09 राउण्ड फायर किये है तथा एक कारतूस जिन्दा वचा पिस्टल मय 01 कारतूस जिन्दा व खोखा तथा इंसास रायफल मय खोखा थाना पनकी पर दाखिल शेष 18 कारतूस इंसास के एचएम 1090 यशवीर सिंह थाना चौबेपुर के सुपुर्द कर अन्दर माल रखवाकर ताला बन्द ठीक संतरी पहरा को दिखाया ग

पुलिस उपाधीक्षक
... मेल कार्यालय
कानपुर नगर

388

थाना फरीदाबाद।

मैडीकल परीक्षण

द्वारा- SI ... थाना ... फरीदाबाद

नाम- कार्तिक उर्फ प्रभात पुत्र राजेन्द्र कुमार ... R/o ... जिला कानपुर उत्तर प्रदेश। उम्र- 19 वर्ष

915

मु० नं० ... U/S 186, 307, 353, 379 B, 411, 212 IPC थाना ...

& 25-54-59 A.A

UHID 040021109105 08.07.20 10.35 AM
Room: Emergency Fee: Rs 0.0

Kartik Uf Prabhat, 19 years, Male
Father Name: Rajinder Kumar
Address: ...
Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
DCH Faridabad
Not for M.L.C Purpose

Branch Six
Date
Faridabad

श्रीमान एस.एम.ओ. साहब,
BKH FBD.

जी नं.

बकाया सरकार निवेदन है कि आरोपी उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त हस्ब जाबता गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उपरोक्त का मैडीकल परीक्षण करके नतीजा से सूचित किया जावे आरोपी उम्र का मेडिकल/टेस्ट करके नतीजा ... किया जावे।

Kartik S/o Rajender Kumar ...
19 yrs ...
... Male ...
... conscious & oriented
...
No mark of fresh ...
No c/o fever cough & ...
Covid 19 test

(signature) 10 ... am

Subhash Chand
सहायक उप निरीक्षक
फरीदाबाद
दिनांक - 08-07-2020

COVID

(signature)

389

Result of COVID-19

As per test done by Rapid Antigen Kit at IDSP Lab, BK Civil Hospital, Faridabad.The report is **Negative** for COVID-19 Sample of Kirtik Age 19/M R/o Crime Branch Ballabgarh

Dated:- 08/07/2020

Medical Officer
IDSP Lab, BK Civil Hospital, Faridabad

MEDICAL OFFICER
B K GENERAL HOSPITAL, FBD

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
... नगर

(390)

FIR No. 192/2020
U/s 147,148,149,302,307,394 of I.P. Code, 1860 , &
Section 7 of Criminal Amendment Act
P.S. Chobepur, District Kanpur Nagar, Uttar Pardesh.

Present: Sub-Inspector of police Sh. Devendra Singh of Chobepur.
Accused Kartikay @ Parbhat Mishra represented by Sh. Girraj Singh, Legal aid counsel.

An application invoking the transit remand of the accused Kartikay @ Parbhat Mishra adduced by Sub-Inspector Devendra Singh of P.S. Chobepur, District Kanpur Nagar, Uttar Pradesh claiming him (Kartikay @ Parbhat Mishra) as the prime accused in the commission of the offence the F.I.R. No. 192 dated 03.07.2020 under under sections 147,148,149,302,307,394 of I.P. Code, 1860 , & Section 7 of Criminal Amendment Act, P.S. Chobepur, District Kanpur Nagar, Uttar Pradesh. To buttress his application, the aforesaid police officer produced, the case dairy(CD-1), the statements recorded under Section 161/3 of the Code of Criminal procedure, 1973; the confessional statement of the accused Kartikay @ Parbhat Mishra.

After navigating through the case dossier produced by the aforesaid police officer specifically the confessional statement of the accused, it ex facie comes to the fore- the accused Kartikay @ Parbhat Mishra is warranted for investigation in the F.I.R. No. 192/2020 under under sections 147,148,149,302,307,394 of I.P. Code, 1860 , & Section 7 of Criminal Amendment Act, P.S. Chobepur, District Kanpur Nagar, Uttar Pardesh and as per the google search engine report, the distance of Chobepur, Uttar Pardesh (where the accused is to be produced before the court of Area Magistrate) from Faridabad is 469 KMs with the driving time of 7 hours 16 minutes.

On giving thoughtful audience to the intercessions of the afore-quoted Sub Inspector, to the legalistic estimation of this court, the accused cannot be produced within the statutory period of 24 hours from this time (04.00 AM of 08.07.2020), ipso facto necessitating the transit remand of the accused for a period of

391

hours to be reckoned from 4.00 PM of 08.07.2020.

Sequally, the application in hand is hereby allowed with the direction to the Sub-Inspector Devendra Singh, P.S. Chobepur, Uttar Pradesh to produce the accused Kartikay @ Parbhat Mishra before the concerned Jurisdictional Magistrate within the aforesaid prescribed time limit of 24 hours.

Let, the copy of the order attested by the reader to be supplied to the applicant/Sub Inspector.

Further, let the order of this copy be tagged with the police papers as per rules.

Sd/-

Announced in open court.

(M.Z. Khan)
D/Judicial Magistrate Ist Class,
Faridabad, Haryana.

Note: This order consists of two pages and each page has been checked and signed by me.

Sd/-
(M.Z. Khan)
D/Judicial Magistrate Ist Class,
Faridabad, Haryana.

Dated 08.07.2020

Copy of order forwarded to SI Devender P.S Chobepur, Kanpur for necessary action.

Reader to
Mohammad Zakaria Khan
Judicial Magistrate Ist Class
FARIDABAD
D/ 8/7/2020

पुलिस अधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(392)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): FARIDABAD P.S. (थाना): KHERIPUL Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0215 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 08/07/2020 00:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	ARMS ACT, 1959	25
2	IPC 1860	086
3	IPC 1860	212
4	IPC 1860	307
5	IPC 1860	353
6	IPC 1860	379B
7	IPC 1860	411

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

i Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 07/07/2020 Date To (दिनांक तक): 07/07/2020

Time Period (समय अवधि): Pahar 7 Time From (समय से): 20:30 hrs Time To (समय तक): 20:30 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/07/2020 Time (समय): 21:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date and Time (दिनांक और समय): 08/07/2020 01:51 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 2 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): न्यू इन्द्रा कम्पलैक्श, हरि नगर फरीदाबाद;

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): SI जगमिन्द्र

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

पुलिस उपायुक्त, ... कार्यालय

1

393

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	क्राईम ब्रांच, ऊँचा गाँव फरी0, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	क्राईम ब्रांच, ऊँचा गाँव फरी0, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कार्तिकेय उर्फ प्रभात		Father's Name: राजेन्द्र सिंह	1. गाँव बिठूर थाना चौबेपुर,CHAUBEPUR,KANPUR CITY,UTTAR PRADESH,INDIA
2	अंकुर		Father's Name: श्रवण कुमार	1. न्यू ईन्द्रा काम्पलैक्स,हरी नगर नहरपार फरी0,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	श्रवण कुमार		Father's Name: खरेश्वर	1. न्यू ईन्द्रा काम्पलैक्स,हरी नगर नहरपार फरी0,FARIDABAD,HARYANA,INDIA

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(394)

Haryana Police (हरियाणा पुलिस)

FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य)

सेवा मे श्रीमान SHO साहब थाना खेड़ी पुल फरीदाबाद, जय हिन्द । आज मन SI मय अन्य मुलाजमान [illegible] फरीदाबाद मे हाजिर था कि मुखबर खास ने मुलाकी होकर सूचना दी कि कानपुर उत्तर प्रदेश मे 8 पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों की हत्या करने के मुख्य आरोपी विकास दुबे अपने साथी कार्तिकेय @ प्रभात के साथ यू0पी0 पुलिस से छिप कर न्यू इन्द्रा नगर काम्पलैक्स हरी नगर नहर पार फरीदाबाद मे अंकुर व इसके पिता श्रवण की मदद से इनके मकान पर छिपे हुये है अगर रेड की जावे तो दोनो आरोपी हथियारों सहित काबू आ सकते है उपरोक्त सूचना को काबिले गौर मानकर तुरन्त उच्च अधिकारियो को इस सूचना से अवगत किया गया तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये मेरी सूचना पाकर SI ओमेन्द्र इंचार्ज क्राइम ब्रांच [illegible] व SI अनिल कुमार इंचार्ज क्राइम ब्रांच सै0 48, फरीदाबाद अपने अपने स्टाफ सहित हाजिर आये जो सभी मुलाजमान व इंचार्ज क्राइम ब्रांच को सूचना से अवगत किया जाकर मैने अपने स्टाफ सहित व इंचार्ज क्राइम ब्रांच [illegible] व सै0-48, के स्टाफो सहित 03 अलग अलग रेडिंग पार्टी तैयार की गई तथा मन SI की टीम इस ऑपरेशन मे मुख्य रेडिंग पार्टी रहेगी इसलिये अपनी पार्टी को व मैने खुद [illegible] व अपने अनुभव से तैयार किया व मेरी पार्टी मे मेरे साथ उप निरिक्षक राकेश, ASI [illegible] HC [illegible] न0-1049, HC [illegible] 2735, CT. [illegible] न0- 2656, CT. [illegible] न0- 3868, CT. कपिल न0-1118, व CT [illegible] न0- 2671 शामिल है। SI ओमेन्द्र इंचार्ज क्राइम ब्रांच [illegible] को उनकी टीम सहित उपरोक्त मकान की पीछे से कवर करने की हिदायत दी तथा SI अनिल कुमार इंचार्ज क्राइम ब्रांच सै0 48, फरी0 को अपनी टीम सहित BACK UP टीम के तौर पर कार्य करने की हिदायत देकर मुखबर सहित न्यू इन्द्रा काम्पलैक्स हरी नगर नहर पार फरीदाबाद को रवाना हुये व सभी रेडिंग पार्टी सहित मन SI मुखबर सहित उपरोक्त मकान पर पहुंचा जहा पर पहुंच कर मैने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो कुछ देर के बाद दरवाजा खुला तो उसी समय पुलिस पार्टी को देखकर एक व्यक्ति मकान के अन्दर बनी सिढियो से छत की तरफ भागा जिसका मन SI ने पीछा किया तो उसी समय मकान मे हाजिर अन्य दो व्यक्तियो ने मन उप निरिक्षक को पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश की तो BACK UP पार्टी SI अनिल कुमार की मदद से इन सख्सो से छुटकर मन उप निरिक्षक उक्त सख्स के पीछे छत पर पहुंचा मेरे व मेरी पार्टी के छत पर पहुचते ही उक्त सख्स ने मुझे जान से मारने की नीयत से मन SI पर अपनी दाहिनी डब से एक पिस्तौल निकालकर फायर किया जिस पर इसके द्वारा किये गये फायर से मन SI व स्टाफ बाल बाल बचे और अपना बचाव करते हुये मन उप निरिक्षक ने अपनी सुरक्षा मे उक्त सख्स को डराने हेतु लगातार 02 फायर अपनी सरकारी पिस्तौल से हवा मे किये इसी दौरान SI ओमेन्द्र ने अपनी टीम सहित पीछे से छत पर आकर उक्त सख्स को दबोच लिया व मन SI के हवाले किया काबु किये गये सख्स के हाथ से पिस्तौल को सुरक्षात्मक तरीके से अनलोड करके मैगजीन से निकाली 09 जिन्दा कारतूसो को पिस्तौल सहित कब्जा पुलिस मे लिया तथा सख्स का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कार्तिकेय उर्फ प्रभात S/O राजेन्द्र सिंह r/o गांव बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर यू0पी0 बताया सख्स कार्तिकेय उर्फ प्रभात की कमर पर लटके काले रंग के बैग की तलाशी ली गई तो इस बैग के अन्दर से 03 अदद पिस्तौल व 05 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुये व बैग की दूसरी पैन के अन्दर से एक लाल रंग की कमीज व सफेद रंग का परना व तीन हजार रूप्ये बरामद हुये बरामदा पिस्तोलो को चैक किया तो इन तीनो पिस्तोलो की मैगजीनो मे 10/10 जिन्दा कारतुस बरामद हुये जो बरामदा चारो पिस्तोलो व कुल 44 जिन्दा कारतूसो के अलग अलग खाका तैयार किये गये व इसके उपरान्त सभी बरामदा पिस्तोलो व जिन्दा कारतूसो के अलग अलग पलन्दे तैयार करके मोहर R.K से सर्वमोहर किये गये व इसके अलावा मौका पर बरामदा खाली खोल एक अदद व मेरे द्वारा किये गये हवाई फायर के खाली खोल दो अदद 9.00 mm के खाका तैयार करके अलग-2 पलन्दे तैयार किये गये व इन पलन्दाजात को भी मोहर R.K से सर्वमोहर किया गया उपरोक्त सभी पलन्दाजात को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त मन SI मय स्टाफ मय आरोपी के छत से नीचे मकान मे अन्दर आया जहा पर SI अनिल कुमार व उसकी टीम द्वारा बरामद किये गये दो अन्य सख्सो द्वारा मुझे पेश किया गया दोनो सख्सो ने अपना नाम पता पुछने पर एक ने अपना नाम अंकूर S/O श्रवन कुमार व दुसरे ने अपना नाम श्रवन कुमार S/O छोटेलाल निवासीयान गॉव काकूपुर थाना शिवराजपुर जिला कानपुर नगर यू0पी0 हाल न्यू इन्द्रा काम्पलैक्स हरी नगर नहर पार फरीदाबाद बतलाया। सख्स कार्तिकेय उर्फ प्रभात से बरामद असला के बारे पुछताछ की तो उपरोक्त बरामदा पिस्तोलो मे से दो पिस्तौल इसने व विकाश दुबे ने कानपुर यू0पी0 मे इनके द्वारा किये गये पुलिस हत्या कांड मे दो जख्मी पुलिस कर्मीयो से छीनी हुई बतलाया तथा दो अन्य पिस्तोलो को अवैध हथियार बतलाया है जो आरोपीयान कार्तिकेय उर्फ प्रभात ने पुलिस पार्टी पर नाजायज असला से जान से मारने की नीयत से फायर करके व पुलिस की ड्युटी मे बाधा डालकर व पूर्व मे कानपुर मे हुये यू0पी0 पुलिस हत्या कांड मे छीनी गई दो सरकारी पिस्तोलो को अपने कब्जा मे रखकर तथा अंकूर व श्रवन ने उत्तर प्रदेश पुलिस की हत्या कांड के वांछित अपराधी को जानबूझकर अपने मकान मे शरण देकर व पुलिस की ड्युटी मे बाधा डालकर उपरोक्त सख्सो ने अपराध जेरे धारा 186,353,307,379B,411,212 IPC व 25/54/59 A ACT का किया गया है लिहाजा तहरीर हजा बराय कायमी मुकदमा बदस्त HC कायम खान के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित करे व अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट को बजरियां स्पेशल रिपोर्ट सुचित किया जावे तथा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस को कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सुचित करे। व मौका पर अनुसंधान हेतू अन्य अनुसंधान अधिकारी भेजे। मन SI मय स्टाफ के मौका पर मसरूफ हूं। अज- न्यू इन्द्रा काम्पलैक्स हरि नगर फरीदाबाद । SD:- SI JAGMINDER SINGH I/C C.B UNCHAGAON FBD 07.07.20 AT 08.30 PM । अज थाना :- इस वक्त तहरीर उपरोक्त बदस्त HC कायम न0 1048 के थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 215 दिनांक 08.07.2020 U/S 186,353,307,379B,411,212, IPC व 25-54-59 A ACT थाना खेड़ीपुल मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट की कम्प्यूटराईज्ड प्रतियां नियमानुसार तैयार करके बदस्त स्पेशल सि0 प्रवीन 2981 के सम्बन्धित उच्च अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जा रही है । आगामी तफतीश हेतु SI सुभाष चन्द 571 क्राईम ब्रांच ऊंचागांव के मो0 न0 9643583737 पर सूचित किया जाकर नकल रिपोर्ट पुलिस मय असल तहरीर बदस्त आरिन्दा मन कायम न0 1048 के निजद अनुसंधान अधिकारी भेजी जा रही है । नोट:- CCTNS SLOW होने के कारण उपरोक्त मुकदमा समय पर दर्ज नही किया जा सका । नोट:- CCTNS मे SI सुभाष चन्द 571 क्राईम ब्रांच ऊंचागांव का खाता न होने के कारण केवल CCTNS मे I/O SI विजयपाल 1800 को दिखाया गया है जो असल I/O SI सुभाष चन्द 571 ही है ।

पुलिस उपायुक्त
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया). / or (या)

Scanned by CamScanner

...र उत्तर प्रदे... ...ात पुत्र राजेंदर ...

395

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): vijay pal Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 1800 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Yugvinder Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PSI

...gnature / Thumb Impression
...f the complainant / informant
...शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
...अंगूठे का निशान)

...ate and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

पुलिस उपअधीक्षक
सूचना सेल कार्या...
...पुर नगर

396
206

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर
जनपद –कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020

दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -297/2020 धारा -224,307,394,411 भा0द0वि0, थाना –पनकी, कानपुर नगर बनाम प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय।
आपके पत्र सं0 निल दिनांक 09.07.2020 के क्रम में उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 14.07.2020 को विशेष वाहक कॉ0 3421 आशीष कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक अदद नमूना मुहर जिसे न-1 से चिन्हित किया गया।
2. एक अदद सर्व मुहर सील डिब्बा जिसकी नमूना मुहर न-1 के समान मुहर अंकित है।

उक्त डिब्बा को खोलने पर तीन अदद पालीथीन के लिफाफे प्राप्त हुए हैं जिनमें-

1. एक अदद पालीथीन लिफाफा जिसमें काटन स्वैब मिला है जिसे S-1 से चिन्हित किया गया (प्रथम जैकेट से)
2. एक अदद पालीथीन लिफाफा जिसमें काटन स्वैब मिला है जिसे S-2 से चिन्हित किया गया (द्वितीय जैकेट से)
3. एक अदद पालीथीन लिफाफा कन्ट्रौल सैम्पल को Q से चिन्हित किया गया।

एक अदद सर्व मुहर बन्डल जिस पर नमूना मुहर न-1 के समान मुहर अंकित है तथा जिसे खोलने पर 02 अदद बुलेट प्रूफ जैकेट प्राप्त हुई है जिनमें-

प्रथम जैकेट जो आरक्षी STF विकास पहने थे , इस जैकेट की फयरिंग प्लेट के निचले किनारे से 21.5 सेमी0 ऊपर की ओर ...ही तरफ तथा बाये किनारे से 2.5 सेमी0 की दूरी पर एक फायरिंग मार्क मिला है जिसकी नाप 2x1 सेमी0 नापी गयी जबकि बुलेट ...टेट के किनारे को छूती हुई पार हो गयी।

द्वितीय जैकेट जो SI STF श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी पहने थे इस जैकेट की फायरींग प्लेट के निचले किनारे से ऊपर की ...रि 10.5 सेमी0 दूर मध्य में तथा बाये किनारे से 13.5 सेमी0 की दूरी पर एक 9x7 मिमी0 का एक फायरिंग मार्क मिला है जबकि ...लेट प्लेट के अन्दर ही फंसी है।

...क्षण-

उक्त सम्बन्धित काटन स्वैब 02 अदद तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया ...जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
...rite	Griess Test	ND	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
...pper	Rubenic Acid	+ve	present	Copper	Rubenic Acid	+ve	present	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

...Not Detected

—2—

397

रीक्षण परिणाम-

उक्त सम्बन्धित काटन स्वैब बुलेट प्रूफ जैकेट के 02 अदद क्रमशः S-1, S-2 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

20/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
जनपद-कानपुर नगर

399

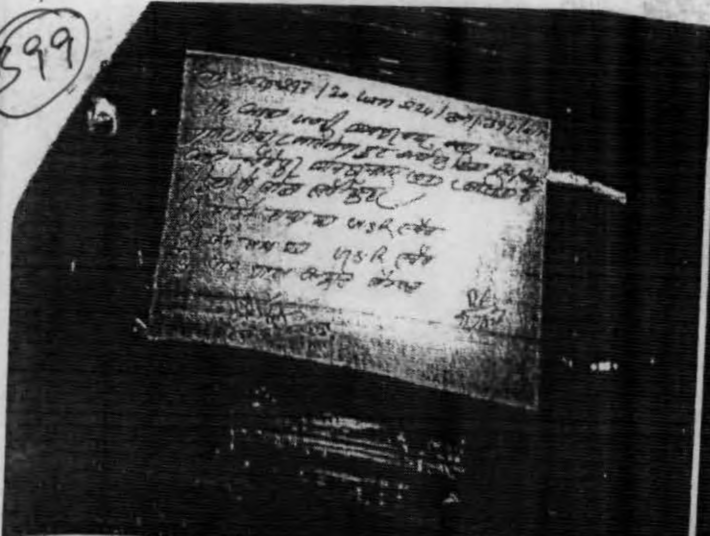

थाने से प्राप्त सर्वमुहर डिब्बा

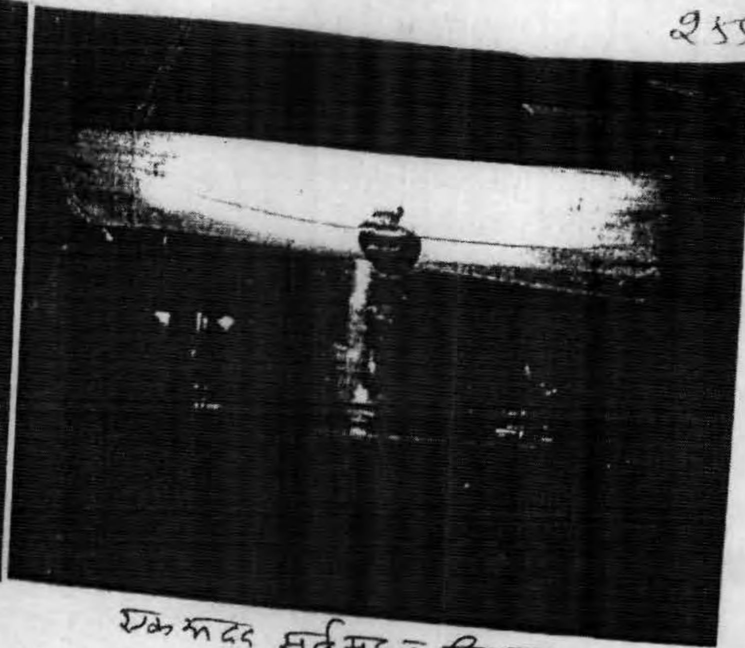

एकअदद सर्वमुहर डिब्बा

मृतक प्रभात मिश्र के दाहिने हाथ में GSR (नाइट्राइट) Pink colour +ve. मिला

CR.NO. 297/2020 US- 224/307/394/411 IPC

PS– PANKI , KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT, CANT, KANPUR NAGAR

20/01/2020

डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट
छावनी, कानपुर नगर

सेवा में

254
(398)

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर
जनपद –कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020

दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -297/2020 धारा -224,307,394,411 भादवि0, थाना –पनकी, कानपुर नगर बनाम प्रभात मिश्रा आपके पत्र सं0 निल दिनांक 09.07.2020

उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथां प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 14.07.2020 को विशेष वाहक कॉ0 3421 आशीष कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक अदद सर्व मुहर सील डब्बा जिसकी नमूना मुहर पर "अपठनीय हस्ताक्षर तथा SI" अंकित है। उक्त डिब्बे को खोलने पर तीन अदद पालीथीन के लिफाफे मिले जिनमें -

1. मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा के दाहिने हाथ का काटन स्वैब जिसे S-1 से चिन्हित किया गया।
2. मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा के बायें हाथ का काटन सवैब जिसे S-2 से चिन्हित किया गया॥
3. सादा काटन कन्ट्रौल सैम्पल जिसे Q से चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा के दाहिने, बाये हाथ के काटन स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
Nitrite	Griess Test	+ve	present	Nitrite	Griess Test	-ve	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

परीक्षण परिणाम-

मृतक अभियुक्त प्रभात मिश्रा के दाहिने हाथ के सम्बन्धित काटन स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष नाईट्राइट की उपस्थिति पायी गयी।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

20/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
जनपद-कानपुर नगर

S0पत्रावली

400
253

Part N

94716

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर
लखनऊ - 226006 |

सेवा में,

Circle Officer (KALYANPUR)
KANPUR CITY

पत्रांक	2020SERO000645	दिनांक	
अपराध संख्या	297/2020	राज्य बनाम	मृतक प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय
अधिनियम / धारा	IPC/224,IPC/307,IPC/394,IPC/411		
पुलिस स्टेशन / थाना	PANKI		
पी एम संख्या		मृतक / मृतका का नाम	
		जी०डी० संख्या	

L/W 683-BAL-2020

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22-07-2020 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए।

<u>सील का विवरण</u>

पाँच वस्त्रावृत्त समुद्रित बण्डल जिनमें से (1),(2),(3) व (5) पर (Signature मुद्रानमूनानुसार) तथा (4) पर (C.M.O. KANPUR+ Monogram मुद्रानमूनानुसार) की छाप अंकित थी।

<u>प्रदर्शों का विवरण</u>

1. काटन स्वैब खूनालूदा	I एक सर्वमोहर मूल बण्डल (घटनास्थल) से I
1. काटन सादा	I
2. एक जोड़ी चप्पल	I एक सर्वमोहर मूल बण्डल (घटनास्थल)से I
3. काँच के टुकड़े	I एक सर्वमोहर मूल बण्डल (घटनास्थल) से I
4. लोवर	I एक सर्वमोहर मूल P.M.बण्डल (P.M.No.-1843/2020) से I
5. टीशर्ट	I
6. अंडरवियर	I
7. टीशर्ट	I एक सर्वमोहर मूल बण्डल (घायल पुलिस कर्मियों के) से I
8. शर्ट	I

आख्या / विवेचक
क० का०आ० करें

<u>परीक्षण परिणाम</u>

वस्तु (1),(2) व (4) से (8) के बड़े भागों पर रक्त पाया गया।
रक्त के परीक्षण के लिए बैंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी।
वस्तु (3) के अंशों पर बैंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण के लिये मात्रा अपर्याप्त थी I
वस्तु (1) व (4) से (8) पर मानव रक्त पाया गया।
वस्तु (2) पर रक्त (वियोजित) डिसइंटीग्रेटेड पाया गया अतः मूल निर्धारण न हो सका I
रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।
नोट -1. प्रदर्श सं. (4) से (8) नम दशा में है I
2. आग्नेयास्त्र परीक्षणोपरान्त समस्त प्रदर्श आग्नेयास्त्र-अनुभाग द्वारा अलग से प्रेषित किये जायेंगे।

अग्रसारित

24-8-22

वैज्ञानिक अधिकारी
27.08.2020

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 विधि विज्ञान प्रयोगशाला-19-02-2020-(1630)-30,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ० प्र०
महानगर, लखनऊ

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि इसमें कोई हेरफेर किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) के विभिन्न कानूनी धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।)

(40)

Part N 83229

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

13, TC-14 पर उपस्थित फायरिंग पिन, ब्रीच एवं इजेक्टर के चिन्हों के समान है।

परिणाम

(1) विवादित 9mm पिस्टल नं.18604456 चिन्हित 1/2020, 9mm पिस्टल नं.18158856 चिन्हित 2/2020, 9mm पिस्टल नं.16718355 चिन्हित 3/2020, 9mm पिस्टल नं.16718460 चिन्हित 4/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं. AACB 719 चिन्हित 5/2020, 9mm पिस्टल नं.T356817 चिन्हित 6/2020 व 9mm पिस्टल नं. 18306354 चिन्हित 8/2020 प्रत्येक की नाल मे फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट तथा कॉपर की उपस्थिति पायी गयी। विवादित 5.56mm इन्सास रायफल नं.18349125 चिन्हित 7/2020 की नाल मे फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट तथा कॉपर की उपस्थिति पायी गयी।

(2) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-1, EC-5 पिस्टल नं.16718460 चिन्हित 4/2020 द्वारा चलाए गए है।

(3) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-7, पिस्टल नं.18604456 चिन्हित 1/2020 द्वारा चलाया गया है।

(4) विवादित 9mm कारतूसों EC-2, EC-3, EC-6, EC-9, EC-11, EC-12, EC-14, EC-15 पिस्टल नं. 18306354 चिन्हित 8/2020 द्वारा चलाया गए है।

(5) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-4, पिस्टल नं.16718355 चिन्हित 3/2020 द्वारा चलाया गया है।

(6) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-8, ग्लाक पिस्टल नं. AACB 719 चिन्हित 5/2020 द्वारा चलाया गया है।

(7) विवादित 9mm कारतूस चिन्हित EC-10, पिस्टल नं.T356817 चिन्हित 6/2020 द्वारा चलाया गया है।

(8) विवादित 5.56mm कारतूस चिन्हित EC-13, इन्सास रायफल नं.18349125 चिन्हित 7/2020 द्वारा चलाया गया है।

(9) विवादित बुलेट्स चिन्हित EB-1, EB-2 9mm की चली बुलेट्स है।

(10) घायल आरक्षी से सम्बंधित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1 पर तथा मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या-1843/2020 दिनांकित 09.07.2020 से प्राप्त टी शर्ट चिन्हित TS-2 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-4 पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी।

(11) घायल आरक्षी से सम्बंधित टी शर्ट चिन्हित TS-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-2 पर तथा मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या-1843/2020 दिनांकित 09.07.2020 से प्राप्त टी शर्ट चिन्हित TS-2 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-3 तथा H-5 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

नोट-उपरोक्त परिणाम प्रदर्शों के सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण/माइक्रोस्कोपिक/भौतिक निरीक्षण पर आधारित है। कृपया प्रदर्श वापसी का प्रबंध शीघ्र करें।

A Kumar 28.08.2020 (signature) 28/8/20

(आनन्द कुमार)
वैज्ञानिक अधिकारी
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ

(डा. ए के श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी अग्न्यायुध
Dr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Incharge Firearms
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

अग्रसारित
(signature) 28/08/20
निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ।

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।)

संलग्नक :- (1) घटनास्थल निरीक्षण से सम्बन्धित फोटोग्राफ [P-1 से P-19]
(2) फोरेन्सिक जाँच तथा GSR परीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति
(3) मजरूब आरक्षियों की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व मृतक प्रभात मिश्रा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की छाया प्रति
(4) एफ.आई.आर व नक्शा नजरी की छाया प्रति

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

3, H-4 तथा H-5 पर तथा इसके आस – पास फायरींग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर
(1) घायल आरक्षी से सम्बंधित शर्ट चिन्हित S-1,पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1पर तथा मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या-1843/2020 दिनांकित 09.07.2020 से प्राप्त टी शर्ट चिन्हित TS-2, पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-4 पर फायरिंग के अवशेष कापर की उपस्थिति पायी गयी |
(2) घायल आरक्षी से सम्बंधित टी शर्ट चिन्हित TS-1,पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-2 पर तथा मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या-1843/2020 दिनांकित 09.07.2020 से प्राप्त टी शर्ट चिन्हित S-2, पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-3तथा H-5 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी |

विवादित 9mm पिस्टल नं.18604456 चिन्हित 1/2020, 9mm पिस्टल नं.18158856 चिन्हित 2/2020, 9mm पिस्टल नं.16718355 चिन्हित 3/2020, 9mm पिस्टल नं.16718460 चिन्हित 4/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACB 719 चिन्हित 5/2020, 9mm पिस्टल नं.T356817 चिन्हित 6/2020, 9mm पिस्टल नं.18306354 चिन्हित 8/2020 एवं 5.56mm इन्सास रायफल नं.18349125 चिन्हित 7/2020 प्रत्येक की नाल के फाउलिंग मैटर का सूक्ष्म रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया।

विवादित 9mm पिस्टल नं.18604456 चिन्हित 1/2020, 9mm पिस्टल नं.18158856 चिन्हित 2/2020, 9mm पिस्टल नं.16718355 चिन्हित 3/2020, 9mm पिस्टल नं.16718460 चिन्हित 4/2020, 9mm ग्लाक पिस्टल नं. AACB 719 चिन्हित 5/2020, 9mm पिस्टल नं.T356817 चिन्हित 6/2020, 9mm पिस्टल नं.18306354 चिन्हित 8/2020 प्रत्येक द्वारा 9mm के दो-दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाए गए, जिन्हें (TC-1,TC-2), (TC-3,TC-4), (TC-5,TC-6), (TC-7,TC-8), (TC-9,TC-10), (TC-11,TC-12) व (TC-15,TC-16) से चिन्हित किया गया है।

विवादित 5.56mm इन्सास रायफल नं.18349125 चिन्हित 7/2020 द्वारा 5.56mm के दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाए गए, जिन्हें TC-13,TC-14 से चिन्हित किया गया है।

विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों/बुलेट्स का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी यंत्रो द्वारा किया गया।

विवादित 9mm कारतूसों EC-1 से EC-12 तक पर एवं EC-14, EC-15 पर फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह उपस्थित हैं। EC-1, EC-2, EC-3, EC-5, EC-6, EC-9, EC-11, EC-15 पर इजेक्टर के अल्प चिन्ह उपलब्ध हैं।

विवादित 5.56mm कारतूस EC-13 पर फायरिंग पिन, ब्रीच एवं इजेक्टर के चिन्ह उपस्थित हैं।

परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-1 से TC-12 तक पर एवं TC-15, TC-16 पर फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह उपस्थित हैं। TC-4, TC-7, TC-15, TC-16 पर इजेक्टर के अल्प चिन्ह उपस्थित हैं।

परीक्षार्थ 5.56mm कारतूस TC-13, TC-14 पर फायरिंग पिन, ब्रीच एवं इजेक्टर के चिन्ह उपस्थित हैं।

विवादित बुलेट्स EB-1, EB-2 के भार क्रमशः लगभग 7.49 ग्राम व 7.48 ग्राम है एवं इनके व्यास क्रमशः लगभग 9.06 मि.मी. व 9.05 मि.मी. है। EB-1 का अग्रभाग विकृत है है। EB-1 व EB-2 प्रत्येक पर 06 Land/Grooves के चिन्ह उपस्थित है, जिनका घुमाव दांयी ओर है। ये 9mm की चली बुलेट्स है।

कारण

विवादित एवं परीक्षार्थ कारतूसों पर उपस्थित चिन्हों का मिलान तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किया गया।

विवादित 9mm कारतूसों EC-1, EC-5 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-7,TC-8 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूस EC-7 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-1,TC-2 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूसों EC-2, EC-3, EC-6, EC-9, EC-11, EC-12, EC-14, EC-15 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-15, TC-16 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूस EC-4 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-5, TC-6 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूस EC-8 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-9, TC-10 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 9mm कारतूस EC-10 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 9mm कारतूसों TC-11, TC-12 पर उपस्थित फायरिंग पिन एवं ब्रीच के चिन्हों के समान है।

विवादित 5.56mm कारतूस EC-13 पर उपस्थित फायरिंग पिन, ब्रीच एवं इजेक्टर के चिन्ह, व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ 5.56mm कारतूसों TC-

([illegible])

A-03

Part N 89227

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

(22) एक सील्ड लिफाफा, जिस पर न-14 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...PM N0 1843/20 dt 09.07.2020 PS-Panki….One Metallic Bullet..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर कपड़े से कागज से एक 9mm की चली बुलेट प्राप्त हुई, जिसे EB-2 से चिन्हित किया गया है।

निरीक्षण

घटनास्थल निरीक्षण / पुनर्संरचना के समय टाटा सूमो वाहन संख्या - UP-32 BG 0973 के पंक्चर होने के स्थान से एस.टी.एफ की इनोवा वाहन संख्या – UP - 32 BG 4546 के खड़े होने के बीच की दूरी लगभग 39 फीट, टाटा सूमो वाहन संख्या - UP-32 BG 0973 के पंक्चर होने के स्थान से उप निरीक्षक श्री अक्षय परवीर के खड़े होने / उप निरीक्षक के ऊपर गाड़ी के भीतर से अभियुक्त प्रभात मिश्रा द्वारा प्रथम फायर किये जाने के बीच कि दूरी लगभग 14 फीट, अभियुक्त प्रभात मिश्रा द्वारा ओवर ब्रिज के नीचे से गाड़ी / पुलिस कर्मियों पर द्वितीय फायर किये जाने के बीच कि दूरी लगभग 17 फीट, अभियुक्त प्रभात मिश्रा के घायल होने के स्थान से श्री विकास, आरक्षी एस.टी.एफ., श्री सुनील, उप निरीक्षक एस.टी.एफ., श्री अक्षय परवीर उप निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिंह वादी मुकदमा के अन्तिम पोजीशन की दूरियां क्रमशः लगभग 21, 42, 53 व 55 फीट, प्रभात मिश्रा के घायल होने के स्थान से आरक्षी चौबेपुर, श्री सुनील द्वारा इन्सास से फायर करने, निरीक्षक सतीश सिंह तथा उप निरीक्षक श्री अंकित तिवारी द्वारा अभियुक्त पर फायर करने के स्थान के बीच की दूरियां क्रमशः लगभग 65, 38 व 40 फीट, प्रभात मिश्रा के घायल होने के स्थान से निरीक्षक रवि श्रीवास्तव व निरीक्षक हरमीत सिंह द्वारा अभियुक्त पर फायर करने के स्थान के बीच की दूरी लगभग 49 फीट, थाना – कल्याण पुर के गाड़ी खड़े होने के स्थान से अभियुक्त के घायल होकर गिरने के स्थान के बीच कि दूरी लगभग 130 फीट तथा टाटा सूमो वाहन संख्या - UP-32 BG 0973 के पंक्चर होने के स्थान से अभियुक्त के घायल होकर गिरने के स्थान के बीच कि दूरी लगभग 195 मीटर बताये अनुसार मापी गयी |

प्रयोगशाला में मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या - 1843/2020 दिनांकित 09.07.2020, मजरूब आरक्षी विकास तथा आरक्षी सुनील के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांकित - 09.07.2020, एफ. आई. आर. में वर्णित तथ्यों तथा नक्शा नजरी का अध्ययन व अवलोकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया |

निरीक्षण विवादित शर्ट चिन्हित S-1 :

यह एक नीला /हरा/सफ़ेद फुल चेकदार शर्ट है | शर्ट पर कालर के नीचे गले के पीछे KONTAIL MILANO 42 cm आदि का टैग लगा है |इसकी बायीं बांह पर कंधे की सिलाई से लगभग 18 cm नीचे, दाहिनी तरफ बांह की सिलाई से लगभग 15 cm बायीं ओर एक 0.5X0.5 cm आकर का छिद्र उपस्थित है, इसे घेर कर H-1 से चिन्हित किया है | H-1 के चारों ओर कालिमा/नजदीक की दूरी से आग्नेयास्त्र के फायर के लक्षण दृष्टीगोचर नहीं हैं | H-1 के किनारे अन्दर की ओर मुड़े हैं|

निरीक्षण विवादित टी-शर्ट चिन्हित TS-1 :

यह एक नीला/बगल में ग्रे-सफ़ेद फुल टी-शर्ट है |इसके गले पर DOLCE & GABBINA MADE IN ITALY लिखा है | इस पर पीठ पर पीछे बायीं तरफ कांख की सिलाई से लगभग 29 cm नीचे तथा बायीं तरफ बगल की सिलाई से लगभग 3 cm दाहिनी ओरएक लगभग 3X0.5 cm आकार का छिद्र उपस्थित है | इसे घेर कर H-2 से चिन्हित किया गया है| H-2 के चारों ओर कालिमा/नजदीक की दूरी से आग्नेयास्त्र के फ़ायर के लक्षण दृष्टीगोचर नहीं हैं |

निरीक्षण मृतक प्रभात मिश्रा के PM No.1843/20 दिनांकित 9.7.20 से प्राप्त कपड़े :

निरीक्षण विवादित टी-शर्ट चिन्हित TS-2 :

एक कत्थई (मैरून)/भूरे कलर की हाफ टी-शर्ट है | इस पर सामने सीने पर APNA TIME AAYEGA तथा कालर पर लगे टैग पर ENTERPRISE लिखा है | इस पर सामने सीने पर बायीं तरफ कंधे की सिलाई से लगभग 18 cm नीचे बायीं तरफ छोटे छोटे, पास पास लगभग 0.5X0.5 cm आकार के तीन छिद्र उपस्थित हैं, जिन्हें घेर कर सम्मिलित रूप से H-3 से चिन्हित किया गया है |

इसी तरफ गले की सिलाई से लगभग 16 cm नीचे लगभग मध्य में एक 0.5X0.5 cm आकार का छिद्र उपस्थित है, इसे घेर कर H-4 से चिन्हित किया है | टी-शर्ट पर पीछे पीठ पर गले की सिलाई से लगभग 22 cm नीचे (मध्य से दाहिनी ओर सटे) एक 1X1 cm आकार का छिद्र उपस्थित है | इसे घेर कर H-5 से चिन्हित किया है |

निरीक्षण विवादित लोअर चिन्हित L-1:

यह एक काले कलर का प्रिंटेड फुल लोअर है | इसके बाएं पैर पर DEZIRE CLUB लिखा है | इस पर आग्नेयास्त्र के फायर कें संदिग्ध चिन्ह दृष्टीगोचर नहीं हैं |

निरीक्षण विवादित अंडरवियर चिन्हित U-1:

यह एक कत्थई / मैरून कलर की अंडरवियर है | इसके कमर पर MACHO का टैग लगा है | अन्दर MACHO 85 cm लिखा है | इस पर आग्नेयास्त्र के फायर के संदिग्ध चिन्ह दृष्टीगोचर नहीं हैं |

घायल आरक्षियों से सम्बंधित कपड़े शर्ट चिन्हित S-1, पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1, टी शर्ट चिन्हित TS-1, पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-2 तथा मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या - 1843/2020 दिनांकित 09.07.2020 से प्राप्त कपड़े टी शर्ट चिन्हित TS-2, पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला–29–05–2019–(185)–10,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल नं.16718460 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 4/2020 से चिन्हित किया गया है।

604-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए।
(9) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-5 से चिन्हित किया गया है।
(10) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-5 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल 9mm ग्लाक नं.AACB 719 मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, का. नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm ग्लाक पिस्टल नं.AACB 719 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 5/2020 से चिन्हित किया गया है।

605-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए।
(11) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-6 से चिन्हित किया गया है।
(12) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-6 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल नं.T356817 मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, का. नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल नं.T356817 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 6/2020 से चिन्हित किया गया है।

606-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए।
(13) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-7 से चिन्हित किया गया है।
(14) एक सील्ड बण्डल, जिस पर न-7 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर"...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर 18349125..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 5.56mm इन्सास रायफल नं.18349125 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 7/2020 से चिन्हित किया गया है।

607-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए।
(15) सात अदद नमूना मुहरें, जिन्हें न-8 से न-14 तक से चिन्हित किया गया है। न-8 से न-13 तक एक समान हैं।
(16) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-8 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल नं.18306354....एक जिन्दा कारतूस 9mm मु.अ.स. 298/20 धारा-25/27 आयुध अधिनियम, थाना-पनकी..."आदि सा लिखा है, को खोलने पालिथीन एक 9mm पिस्टल नं.18306354 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 8/2020 से चिन्हित किया गया है। इसी पालिथीन से एक 9mm(OK) का जिन्दा कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे LC-1 से चिन्हित किया गया है।
(17) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-9 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर 9mm खोखा 12 अदद..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से बारह 9mm (KF) के चले कारतूस प्राप्त हुए, जिन्हें EC-1 से EC-12 तक से चिन्हित किया गया है।
(18) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-10 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर इंसास रायफल खोखा 01 अदद..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से एक 5.56mm(OFV) का चला कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे EC-13 से चिन्हित किया गया है।
(19) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-12 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर 9mm खोखा 01 अदद..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से एक 9mm(KF) का चला कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे EC-14 से चिन्हित किया गया है।
(20) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-13 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर वाहन...के पिछले पायदान से 9mm खोखा 01 अदद..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से एक 9mm(KF) का चला कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे EC-15 से चिन्हित किया गया है।
(21) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-11 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, कानपुर नगर, बुलेट..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर पालिथीन से एक 9mm की चली विकृत बुलेट प्राप्त हुई, जिसे EB-1 से चिन्हित किया गया है।

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई.टी. एक्ट और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।)

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

पेट में लगी | प्रतीश सूचना के आधार पर नजदीक मौजूद श्री अजय सेठ, प्रभारी निरीक्षक, थाना- कल्याण पुर,मय हमराह,श्री सतीश सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना- हरबंश पुर, कानपुर नगर, श्री हरमीत सिंह, वर्तमान प्रभारी निरीक्षक, थाना- बर्रा, श्री रवि श्रीवास्तव, निरीक्षक सर्विलांस टीम, कानपुर नगर, मय हमराह, व टीम के अन्य सदस्य मय सरकारी गाड़ी पहुँच गए | पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त प्रभात मिश्रा घायल होकर गिर पड़ा | अभियुक्त प्रभात मिश्रा को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया | वहाँ चिकित्सकों द्वारा प्रभात मिश्रा को मृत घोषित किया गया | (मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व घायलों की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट साथ में संलग्न है |)

नोट : उपरोक्त वर्णित तथ्य श्री देवेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक थाना - चौबेपुर, कानपुर नगर, वादी / (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य) , के अभिकथन पर आधारित है |

683-BAL-2020

प्रयोगशाला में मृतक प्रभात मिश्रा की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या - 1843/2020 दिनांकित 09.07.2020 से प्राप्त कपड़े तथा मजरूब आरक्षी विकास तथा आरक्षी सुनील से सम्बन्धित कपड़े दिनांक 22.07.2020 को परीक्षण हेतु प्राप्त कराये गये, जो रक्त अनुभाग द्वारा रक्त परीक्षणों प्रान्त दिनांक 13.08.2020 को परीक्षण हेतु अनुभाग में प्राप्त कराये |

एक सर्वमुहर बंडल जिस पर प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग की मुहरें लगी है तथा बंडल पर 645-SERO-20, CO कल्याणपुर,कानपुर नगर ...297/20, 224/307/394/411IPC, पनकी,प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिक मिश्रा,कानपुर नगर आदि लिखा है, को खोलने पर निम्नलिखित प्राप्त हुए:-

1)दो कपड़े का बंडल
2)दो प्लास्टिक के डिब्बे
3)एक जोड़ी चप्पल

(a)एक कपड़े का बंडल मु०अ०सं०-297/20...थाना-पनकी, बनाम- मृतक प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए कां० विकास चौहान व कां० सुनील कुमार के कपड़े आदि लिखा है, को खोलने पर एक फुल आस्तीन का नीला /हरा/सफ़ेद रंग का चेकदार शर्ट तथा एक फुल आस्तीन का नीला टी-शर्ट प्राप्त हुए | जिन्हें क्रमशः S-1 से व TS-1 से चिन्हित किया है |

(b)एक कपड़े का बंडल, जिसे खोलने पर एक भूरे रंग की हाफ टी-शर्ट, एक काले रंग का लोअर तथा एक कत्थई रंग का अंडरवियर प्राप्त हुयी | जिन्हें क्रमशः TS-2 से, L-1 से तथा U-1 से चिन्हित किया गया है |

600-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए

(1) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-1 से चिन्हित किया गया है।
(2) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-1 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल नं.18604456 मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, का. नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल नं.18604456 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 1/2020 से चिन्हित किया गया है।

601-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए

(3) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-2 से चिन्हित किया गया है।
(4) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-2 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल नं.18158856 मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, का. नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल नं.18158856 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 2/2020 से चिन्हित किया गया है।

602-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए

(5) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-3 से चिन्हित किया गया है।
(6) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-3 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल नं.16718355...मु.अ.स. 297/20 धारा-224,307,394,411 IPC थाना-पनकी, का. नगर..."आदि सा लिखा है, को खोलने पर एक 9mm पिस्टल नं.16718355 मय मैग्जीन प्राप्त हुई, जिसे 3/2020 से चिन्हित किया गया है।

603-BAL-2020

उपरोक्त मामले से सम्बंधित निम्नलिखित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22.07.2020 को विशेष वाहक का. आशीष कुमार द्वारा प्राप्त हुए

(7) एक अदद नमूना मुहर, जिसे न-4 से चिन्हित किया गया है।
(8) एक सील्ड प्लास्टिक का डिब्बा, जिस पर न-4 के समान मुहरें लगी है तथा इस पर चिपकी कागज की पर्ची पर"...पिस्टल नं.16718460...मु.अ.स.

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई०पी० सी०) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का भागी होगा |)

AKumar Acal

214 (406)

सेवा मे,

श्रीमान क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर
जनपद कानपुर नगर

महोदय,

निवेदन है कि मु0अ0स0 297/20 धारा 224/307/394/411 भादवि व मु0अ0स0 298/20 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना पनकी कानपुर नगर बनाम मृतक अभि प्रभात मिश्रा से सम्बन्धित माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ मे दिनांक 22.07.2020 को रिसीव न0 2020XLKO004828, 2020XLKO004843, 2020XLKO004844, 2020XLKO004845, 2020XLKO004846, 2020XLKO004847, 2020XLKO004848, 2020XLKO004849, 2020XLKO004850 पर दाखिल किया गया था जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी अनुरोध किया गया था कि मुकदमा 297/20 धारा 224/307/394/411 भादवि व मु0अ0स0 298/20 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना पनकी से सम्बन्धित मालो का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र परीक्षण कराकर परीक्षण परिणाम से अवगत कराने का कष्ट करें। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित परीक्षण परिणाम अभी तक अप्राप्त है। दिनांक 18.07.20 को आपके कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से आयी टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित घटनास्थल पुनः संरचना /सीन रीक्रीयेशन की कार्यवाही अमल मे लायी गयी जिसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा है। उपरोक्त मुकदमे के सम्बन्ध में गठित किये गये आयोग/कमेटी द्वारा भी जाँच की जा रही है।

महोदय,

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मालो का परीक्षणोपरान्त परिणाम से अवगत कराने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से परीक्षण परिणाम एंव घटनास्थल पुनः संरचना की कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की कृपा करे। जिससे विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

25/8/2020
(राजेश पाठक)
विवेक/प्रभारी निरीक्षक
कलक्टरगंज कानपुर नगर

407

170

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर।

पत्र सं0 फी0यु0/05/2020

दिनांक: जुलाई, 25,2020

श्री राजेश पाठक (निरीक्षक/विवेचक)
थाना -कलक्टरगंज
जनपद –कानपुर नगर

विषय- आग्नेयास्त्र पर फिंगर प्रिंट के सम्बन्ध में आख्या

सन्दर्भ – आपके पत्र संख्या निल दिनांक 24.07.2020 जो मु0अ0सं0 -297/2020 धारा -224/307/394/411 भादवि0 तथा मु0अ0सं0 -298/2020 धारा -25/27 ए, एक्ट थाना पनकी, जनपद – कानपुर नगर से सम्बन्धित अभि0 द्वारा चलाये गये आग्नेयास्त्र पर फिंगर प्रिंट के सन्दर्भ में है।

अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में घटनास्थल से प्राप्त अभियुक्त द्वारा चलायी गयी 9mm पिस्टल नं0 18306354 पर नॉन वायबिल फिंगर प्रिंट प्राप्त हुए थे जो अस्पष्ट थे तथा जिनसे मिलान सम्भव नहीं था।

अतः प्रकरण में उक्त आग्नेयास्त्र से प्राप्त अंगुल चिन्हो की आख्या शून्य है।

25/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी, फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद –कानपुर नगर

सेवा में,

प्रभारी वैज्ञानिक अधिकारी
क्षेत्रीय इकाई फील्ड यूनिट
कानपुर नगर

167
408

विषय- मु0अ0सं0 298/20 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना पनकी कानपुर नगर से सम्बंधित शस्त्र पर उपलब्ध फिंगर प्रिन्ट के सम्बंध मे

महोदय कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 09/07/2020 को पंजीकृत मु0अ0सं0 297/20 धारा 224,307,394,411, IPC थाना पनकी कानपुर नगर से सम्बंधित पुलिस मुठभेड मे मृत अभियुक्त प्रभात मिश्र उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के पास से पुलिस मुठभेड के दौरान घायल होने पर दरोगाजी से छीनी हुई मौके से बरामद पिस्टल 9 MM नम्बर-18306354 सम्बंधित्त मु0अ0सं0 298/20 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना पनकी कानपुर नगर मे आप के द्वारा (फील्ड यूनिट कानपुर नगर) दिनांक 09/07/2020 को घटनास्थल का मौके पर निरीक्षण के दौरान उक्त पिस्टल को कब्जे मे लेकर प्रदान किया गया था ।

महोदय से अनुरोध है कि मौके से आप के द्वारा निरीक्षण /परीक्षणोपरान्त कब्जे मे ली गयी उक्त पिस्टल पर अभियुक्त प्रभात मिश्रा उपरोक्त के अंगुष्ठ चिन्ह के संन्दर्भ मे आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

24/7/2020

(राजेश पाठक)
विवेचक/प्रभारी निरीक्षक
थाना कलक्टरगंज कानपुर नगर

24/7/2020

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 * क्षेत्रीय इकाई * कानपुर नगर
फील्ड यूनिट

409

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

ा में,

क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर
जनपद –कानपुर नगर

ांक –फी0यू0/05/2020 दिनांक जुलाई, 20 2020

0अ0सं0 -297/2020 धारा -224,307,394,411 भादवि0, थाना –पनकी, कानपुर नगर बनाम प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय।
ापके पत्र सं0 निल दिनांक 09.07.2020 के क्रम में उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 4.07.2020 को विशेष वाहक कॉ0 3421 आशीष कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक अदद नमूना मुहर जिसे न-1 से चिन्हित किया गया।
2. एक अदद सर्व मुहर सील डिब्बा जिसकी नमूना मुहर न-1 के समान मुहर अंकित है।

क्त डिब्बा को खोलने पर तीन अदद पालीथीन के लिफाफे प्राप्त हुए हैं जिनमें-

1. एक अदद पालीथ़ीन लिफाफा जिसमें काटन स्वैब मिला है जिसे S-1 से चिन्हित किया गया (प्रथम जैकेट से)
2. एक अदद पालीथीन लिफाफा जिसमें काटन स्वैब मिला है जिसे S-2 से चिन्हित किया गया (द्वितीय जैकेट से)
3. एक अदद पालीथीन लिफाफा कन्ट्रौल सैम्पल को Q से चिन्हित किया गया।

क अदद सर्व मुहर बन्डल जिस पर नमूना मुहर न-1 के समान मुहर अंकित है तथा जिसे खोलने पर 02 अदद बुलेट प्रूफ जैकेट प्राप्त हुई हैं जिनमें-

1. प्रथम जैकेट जो आरक्षी STF विकास पहने थे , इस जैकेट की फयरिंग प्लेट के निचले किनारे से 21.5 सेमी0 ऊपर की ओर बायी तरफ तथा बाये किनारे से 2.5 सेमी0 की दूरी पर एक फायरिंग मार्क मिला है जिसकी नाप 2X1 सेमी0 नापी गयी जबकि बुलेट प्लेट के किनारे को छूती हुई पार हो गयी।

2. द्वितीय जैकेट जो SI STF श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी पहने थे इस जैकेट की फायरींग प्लेट के निचले किनारे से ऊपर की ओर 10.5 सेमी0 दूर मध्य में तथा बाये किनारे से 13.5 सेमी0 की दूरी पर एक 9X7 मिमी0 का एक फायरिंग मार्क मिला है जबकि बुलेट प्लेट के अन्दर ही फंसी है।

निरीक्षण-

उक्त सम्बन्धित काटन स्वैब 02 अदद तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
Nitrite	Griess Test	ND	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	+ve	present	Copper	Rubenic Acid	+ve	present	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

--2--

410
149

रीक्षण परिणाम-

उक्त सम्बन्धित काटन स्वैब बुलेट प्रूफ जैकेट के 02 अदद क्रमशः S-1, S-2 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष ाँपर की उपस्थिति पायी गयी।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

20/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
जनपद-कानपुर नगर

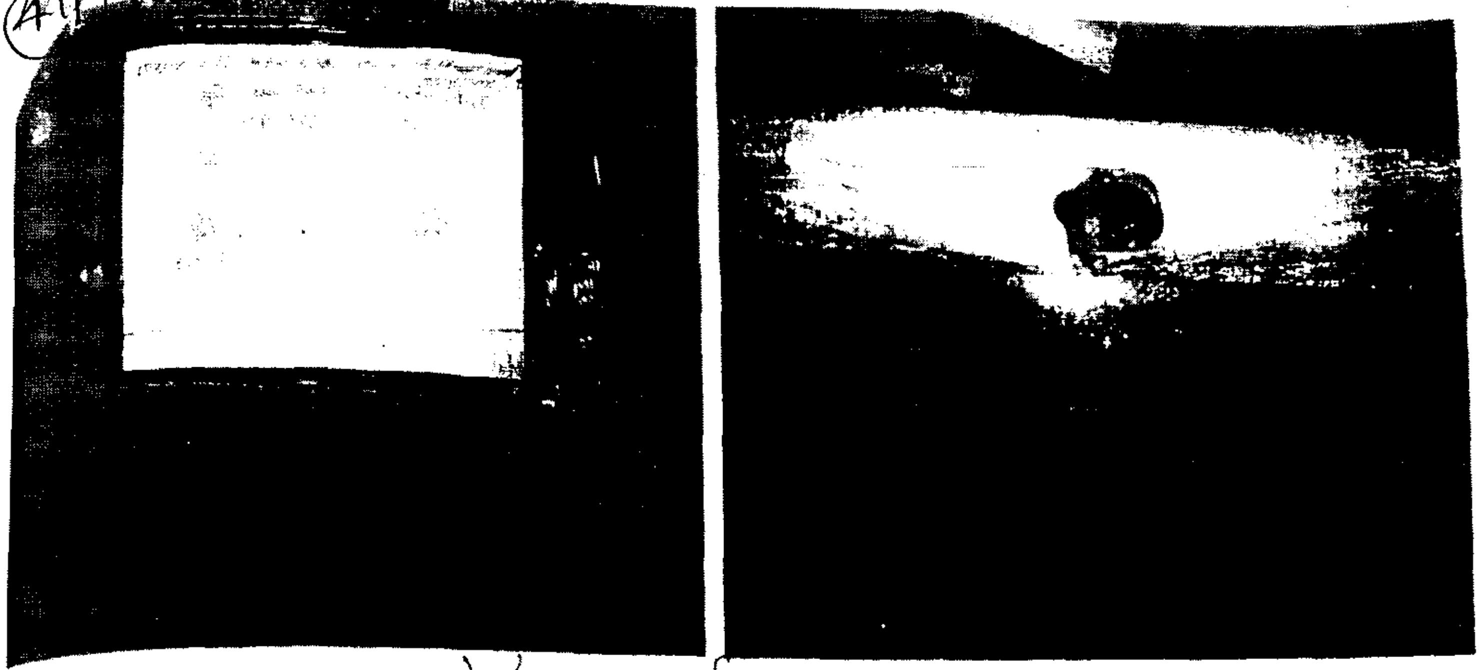

थाने से प्राप्त सर्वमुहर डिब्बा

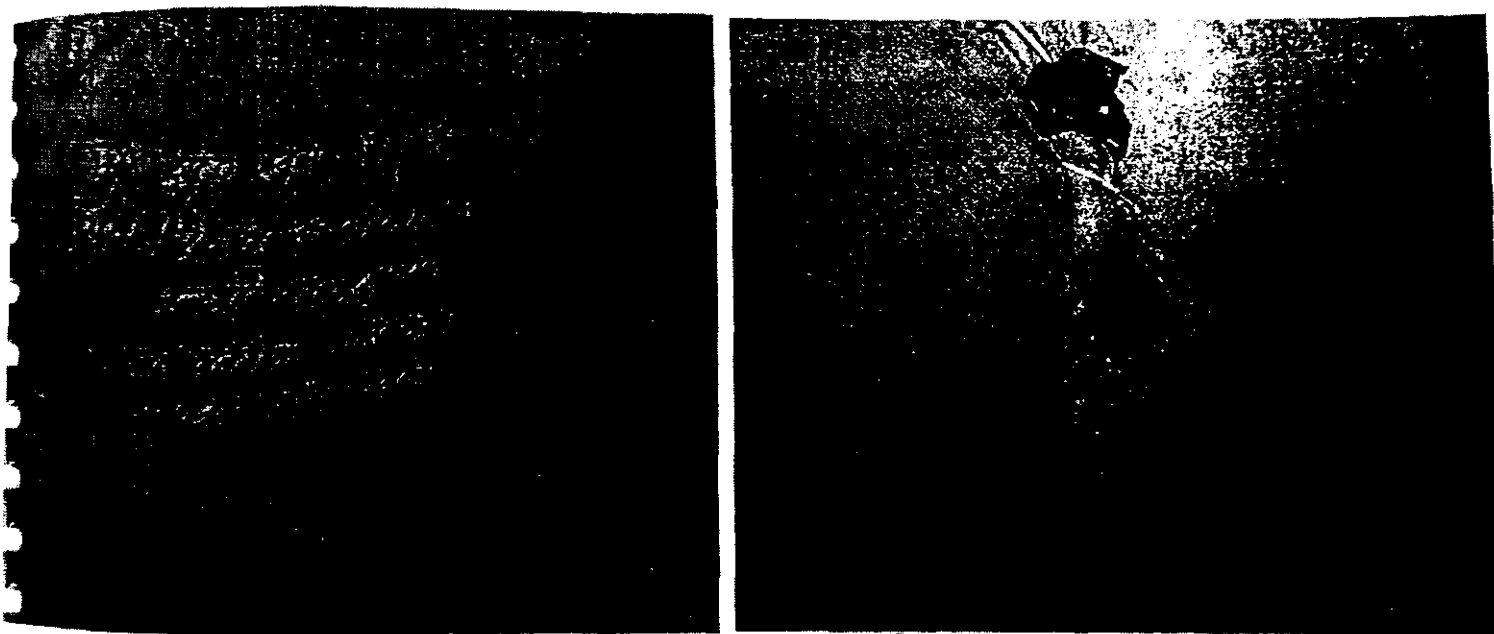

एक सफेद पैकेटों का सर्वमुहर बन्डल

20/01/2020

CR NO. 297/2020 US- 224/307/394/411 IPC

PS- PANKI, KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT, CANT, KANPUR NAGAR

डा0 प्र...
प्रभारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट
छावनी, कानपुर नगर

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर

जनपद –कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020

दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -297/2020 धारा -224,307,394,411 भादवि0, थाना –पनकी, कानपुर नगर बनाम प्रभात मिश्रा आपके पत्र सं0 निल दिनांक 09.07.2020

उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 14.07.2020 को विशेष वाहक कॉ0 3421 आशीष कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक अदद सर्व मुहर सील डब्बा जिसकी नमूना मुहर पर "अपठनीय हस्ताक्षर तथा SI" अंकित है।

उक्त डिब्बे को खोलने पर तीन अदद पालीथीन के लिफाफे मिले जिनमें -

1. मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा के दाहिने हाथ का काटन स्वैब जिसे S-1 से चिन्हित किया गया।
2. मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा के बायें हाथ का काटन सवैब जिसे S-2 से चिन्हित किया गया॥
3. सादा काटन कन्ट्रौल सैम्पल जिसे Q से चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

मृतक अभि0 प्रभात मिश्रा के दाहिने, बाये हाथ के काटन स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
Nitrite	Griess Test	+ve	present	Nitrite	Griess Test	-ve	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

परीक्षण परिणाम-

मृतक अभियुक्त प्रभात मिश्रा के दाहिने हाथ के सम्बन्धित काटन स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष नाईट्राइट की उपस्थिति पायी गयी।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

20/07/2020

S0 पत्र

उ0 प्रा0 कार्य0 को दें

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
जनपद-कानपुर नगर

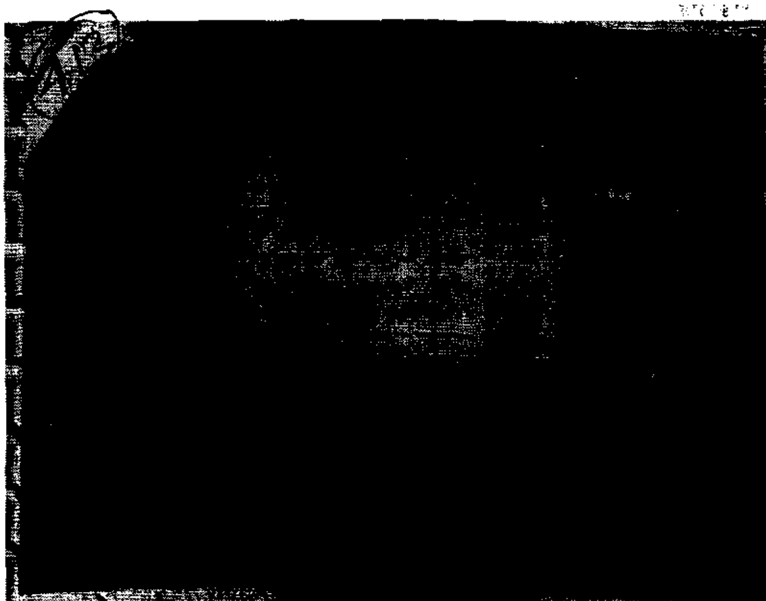

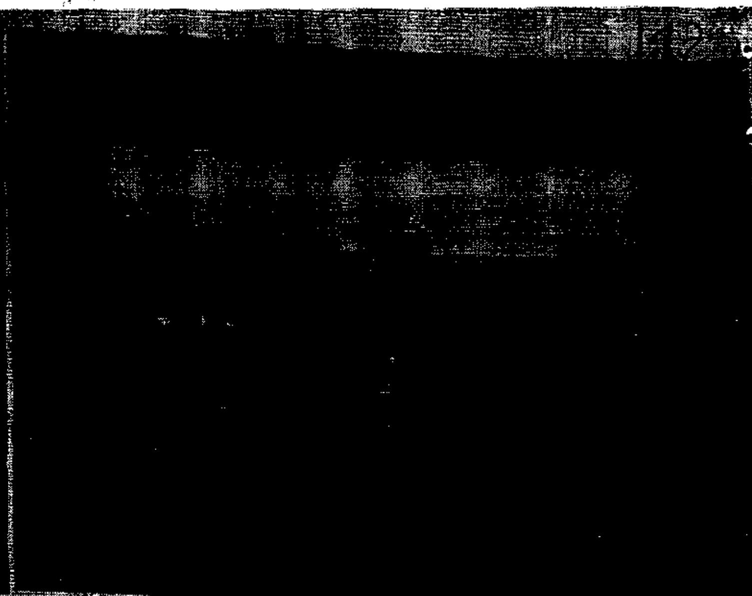

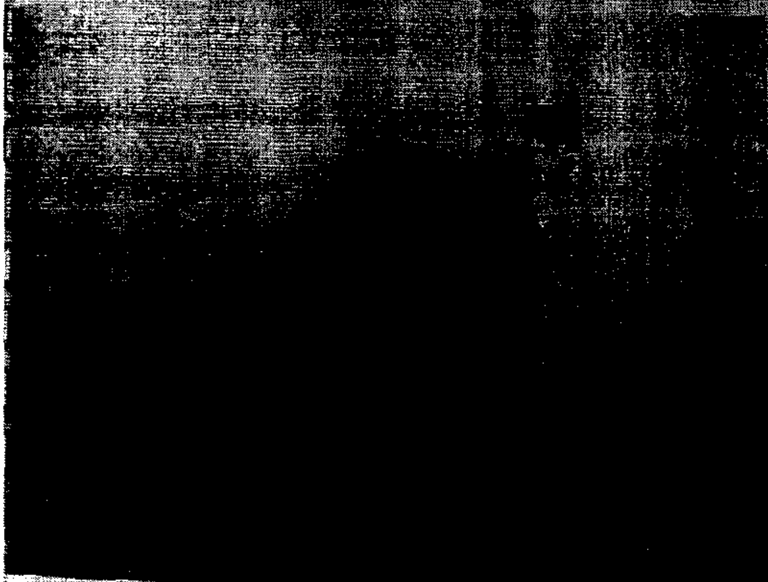

CR.NO.: 297/20...

PS- PANKI, KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT CANT, KANPUR NAGAR

मृतक प्रभात मिश्रा के दाहिने हाथ से
GSR (नाइट्राइट) Pink Colour ... दिया

414

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर

सेवा में,

श्री संजीव कुमार, एच0जे0एस0,
सचिव मा0 जॉच आयोग,
कमरा नम्बर–202 वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान शहीद पथ,
लखनऊ

पत्र संख्याः– 798/जे0ए0/2020–21 दिनांक–13-01–2021

विषयः–वर्ष 2020 को कानपुर नगर में हुये काउन्टर्स के सम्बन्ध में गठित मजिस्टीरियज जॉच/न्यायिक जॉच की प्रति उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–144/**Inquiry Commission/Lucknow** दिनांक–01–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो वर्ष 2020 को जनपद कानपुर नगर में दिनांक–03–7–2020 को अतुल कुमार दुबे, प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम एवं दिनांक–09–7–2020, प्रभात कुमार उर्फ कार्तिकेय तथा दिनांक–10–7–2020 को विकास दुबे के एनकाउन्टर्स की जॉच आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र सं0–753/जे0ए0/2020 दिनांक–08–12–2020 के माध्यम से दिनांक–03–7–2020 को अतुल कुमार दुबे, प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम की मजिस्टीरियल जॉच तथा दिनांक–10–7–2020 को विकास दुबे के एनकाउन्टर्स की न्यायिक जॉच पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। तत्कम में दिनांक–09–7–2020, प्रभात कुमार उर्फ कार्तिकेय की न्यायिक जॉच आख्या मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा अपने पत्र दिनांक–11–1–2021 को प्रेषित की गयी है, जिनकी प्रमाणित प्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13/01

(आलोक तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर नगर

(415)

बैग के अंदर 03 अदद पिस्तौल व 5 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुये व बैग की दूसरी चेन के अंदर से एक लाल रंग की कमीज व सफेद रंग का परना व तीन हजार रूपये बरामद हुये। बरामद पिस्तौल को चेक किया गया तो इन तीनो पिस्तौलों की मैगजीनों में 10-10 जिन्दा कारतूस बरामद हुये जो बरामद चारो पिस्तौलों व कुल 44 जिन्दा कारतूसों के अलग अलग खाका तैयार किये गये।

उपरोक्त दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त स्वंय की गिरफ्तारी से बचने के लिये पुलिस जिला फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस पर फायर किया जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को किसी का भय नहीं था और वह उपरोक्त कृत्य करने में कोई संकोच नही करता होगा न ही उसे पुलिस का कोई भय रहा होगा।

घटना दिनांक 09.07.2020 को एस.आई. देवेन्द्र सिंह के वाहन संख्या UP78BG0973 के पिछले बांये टायर में पंचर होने पर एस.आई देवेन्द्र सिंह के सहयोगी पंचर टायर चैंज करने हेतु उतरे होगे। अकेला पाकर अभियुक्त जिसे पुलिस का कोई भय नहीं रहा होगा। एस.आई देवेन्द्र सिंह के चेहरे के नाजुक अंग पर प्रहार कर पिस्टल 9 एम०एम० छीन ली होगी तथा फायर करके भागा होगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गयी होगी। फलस्वरूप मृतक / अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय को दो गोली लगने से मृत्यु हुई है। मृतक प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय के पारिवारिकजन को नोटिस प्रेषित किया गया कि वे न्यायालय उपस्थित आकर घटना के संबध में स्वयं के बयान अंकित करावे। नोटिस अदम तामिला वापस आकर पत्रावली पर प्रस्तुत है किन्तु मृतक के परिवार से कोई व्यक्ति बयान हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य व साक्षियों के बयानों के अवलोकन से मुठभेड का गलत / फर्जी होना नहीं पाया जाता है न ही कोई ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर है जिससे घटना मिथ्या प्रतीत होती हो।

<u>निष्कर्ष</u>

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि थाना चौबेपुर से मु०अ०सं० -192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि व 7 क्रिमिनल ला एक्ट थाना चौबेपुर से अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर में एस.आई. देवेन्द्र सिंह एवं उनके सहकर्मी ट्रांजिट रिमांड लेकर फरीदाबाद से अभियुक्त को लेकर आ रहे थे। अभियोग की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को कानपुर मा. न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कानपुर तक पहुंचाने के लिए एसटीएफ से मदद मांगे जाने पर एसटीएफ नोएडा यूनिट के उ0 नि0 श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी मय का० विकास चौहान, का. सुनील कुमार, का. मुकेश सिंह, का. राहुल भाटी मय का. ड्राईवर शील कुमार मय वाहन संख्या व यूपी 32 बीजी 4546 इनोवा से अभियुक्त को लेकर कानपुर आ रहे होना बताया है। इसी दौरान

11/01/2021

छायाप्रति प्रमाणित
वरिष्ठ प्रशासनिक अधि...
कलेक्ट्रेट कानपुर नगर

(416)

कानपुर नगर पुलिस की सरकारी गाडी भिजवाने के लिए उच्चाधिकारियो को अवगत कराया गया तो गाडी न. यूपी–78 बीजी–C973 टाटा सूमो मय का. चालक शैलेन्द्र प्रताप हे०का० श्याम सिह इटावा हाईवे के पास दिनांक 09–07–2020 की प्रातः लगभग 03:20 बजे मिले कथित है । सुविधा के अनुसार उ.नि. देवेन्द्र सिंह व का. सुनील एवं अभियुक्त को लेकर टाटा सूमो में आ गये जिसमें हे.का. श्याम सिंह व का. चालक शैलेन्द्र मौजूद थे होना बताया है । पुलिस बल /एस.टी.एफ दैनिक नित्यकर्म निपटाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से अभियुक्त को लेकर रेल बाजार स्थित क्राईम ब्रांच के कार्यालय जा रहा थे । भौती बाईपास से थोडा आगे बढते ही टाटा सूमो की गाडी के पिछले बांये टायर में पंक्चर हो गया । टायर बदलने के दौरान अचानक बलिष्ठ व ताकतवार अभियुक्त प्रभात ने एस.आई. देवेन्द्र के नाजुक स्थल पर पर अचानक कोहनी से घातक प्रहार किये और चोट का लाभ उठाकर देवेन्द्र सिंह की सरकारी पिस्टल संख्या 18306354 जिसमें 10 अदद कारतूस थे, को जोरदार झटका देकर खींच ली तथा प्रभात मिश्रा द्वारा पिस्टल से गाडी की खुली खिड़की से बाहर खडे पुलिस कर्मियो पर निशाना लेकर फायर कर दिया, जिससे बाहर खडे पुलिस कर्मी बाल–बाल बच गये । पुलिस कर्मियों को अचानक हुये हमले से मौके पर कोई आड उपलब्ध नहीं था , अतः पुलिस कर्मियों ने आस –पास आत्मरक्षार्थ जमीन पर लेटकर उचित स्थानों पर पोजीशन ले ली और अभियुक्त प्रभात मिश्रा ने गाड़ी से उतरते ही खुद को पकडे जाने से बचने के लिए गाडी पर बैठे आरक्षी पर टारगेट कर फायर कर दिया कथित है । पुलिसकर्मियों/ एस.टी.एफ. द्वारा अभियुक्त का पीछा करने पर उसे पकड़ने का प्रयास करने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों पर फायर किया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है । अभियुक्त पर दिनांक 02/3–7–2020 को साथियो के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर प्राणघातक हमला करने और पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है । इससे स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति के मन में पुलिस का कोई भय नहीं रहा होगा और ऐसा व्यक्ति पकडे जाने से बचने के लिये पुलिस कर्मियों पर गोली चला सकता है । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य व साक्षियों के बयानों से प्रतीत होता है कि अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय द्वारा गाडी के पंचर होने का लाभ उठाकर एस.आई देवेन्द्र सिंह की पिस्टल छीनकर भागने और पुलिसकर्मियों / एस.टी.एफ टीम द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त प्रभात मिश्रा व पुलिसकर्मियों / एस.टी.एफ की टीम के मध्य हुई मुठभेड़ में गोली लगने से अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय की मृत्यु हुई है । मुठभेड़ फर्जी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है ।

छायाप्रति प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट–कानपुर नगर

Amit Singh 11/01/2021

दिनांकः–11.01.2021

(अमित सिंह द्वितीय)
जांच अधिकारी /
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–2, कानपुर नगर ।

(417)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 01/5

(घटना कमांक–05)
दिनांक 11/11/2020

साक्षी का नाम–देवेन्द्र सिंह, आयु–52 वर्ष, पुत्र श्री कारे सिंह, पदनाम–उपनिरीक्षक, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 21.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मु0आ0स0 192/2020 थाना चौबेपुर कानपुर नगर के प्रथम विवेचक निरीक्षक श्री रमाकांत पचौरी तथा प्रथम सह विवेचकों के रूप में मैं उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह एवं धर्मेन्द्र यादव, उपनिरीक्षक थाना पनकी को नियुक्त किया गया था, जिन सभी ने 10.07.2020 तक बतौर विवेचक/ सह विवेचक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमाण्ड दिनांक 08.07.2020 को शाम 04 बजे से दिनांक 09.07.2020 शाम 04 बजे तक मिला। अभियुक्त को फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमाण्ड पर कानपुर लेकर हम चले। मेरे पास गाड़ी नहीं होने के कारण हमारे अधिकारियों ने गाड़ी फरीदाबाद से उपलब्ध कराई, जिसे लेकर हम चले। आगरा में यूपी एसटीएफ की गाड़ी इनोवा संख्या–यूपी 32 बीजी 4546 मिली। उसी इनोवा गाड़ी से मैं मय पुलिस टीम अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय को लेकर इटावा आया। इसी बीच में उच्च अधिकारियों से हुई वार्ता के कम में संख्या–यूपी 78 बीजी 0973 टाटा सूमो सरकारी वाहन कानपुर नगर से चलकर 09.07.2020 को प्रातः 03:20 बजे इटावा हाइवे के पास मिली।

02 गाड़ियां (इनोवा एवं टाटा सूमो) मैंने सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय को सावधानीपूर्वक टाटा सूमो में शिफ्ट किया। टाटा सूमो में अभियुक्त के अलावा मैं स्वयं टाटा सूमो की बायीं तरफ सीट पर बैठा था और मेरी दाहिनी तरफ प्रभात मिश्रा और उसके बगल में हेड का0 श्याम सिंह बैठे थे। का0 सुनील अगली सीट पर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे। टाटा सूमो में मय चालक 05 लोग थे। हमारी टाटा सूमो के ठीक पीछे एसटीएफ की इनोवा गाड़ी चल रही थी, जिसमे मय चालक 06 पुलिस कर्मी मौजूद थे।

418

गवाह ने स्वयं कहा कि टाटा सूमो का पिछला वायां टायर पंचर होने के तथ्य से टाटा सूमो के चालक का0 शैलेन्द्र प्रताप ने पुलिस लाइन में सूचित किया था। उस समय लगभग 06 बजे सुबह का समय रहा होगा। हाईवे पर ट्राफिक कम था। चालक शैलेन्द्र प्रताप व हे0 का0 श्याम सिंह जैक लगाकर गाड़ी का टायर बदलने लगे। अचानक मौके का फायदा उठाकर ताकतभर अभियुक्त प्रभात मिश्रा ने अपनी वायीं कोहिनी से मेरे चेहरे के नाजुक हिस्से (नाक पर) पूरी ताकत से वार कर दिया, जिससे मेरे आंखों के सामने एक बारगी अंधेरा छा गया। उतनी ही तेजी से अभियुक्त ने जोरदार झटका देकर मेरे द्वारा दाहिनी पेटी पर लगाई हुई सरकारी पिस्टल मय 10 अदद कारतूस छींन लिये, उसी झटके से पिस्टल की डोरी टूट गई और जो मेरे गले में फसी रह गई। ड्राइवर सीट के बगल में बैठे का0 सुनील ने जैसे ही झटके से पीछे मुड़कर देखा तो अभियुक्त ने उसकी नाक पर भी जोरदार घूसा मार दिया। गवाह ने स्वयं कहा कि घूसे की चोट से का0 सुनील अपने को व अपनी इंसास रायफल को संभाल नहीं पाया। तुरन्त ही अभियुक्त ने मुझसे छीनी पिस्टल से गाड़ी की खुली खिड़की से बाहर खड़े एसटीएफ के पुलिस कर्मियों पर निशाना साधकर एक फायर कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मी बालबाल बच गए। इस अचानक फायरिंग से पुलिस कर्मी मौके पर कोई आड़ उपलब्ध न होने के कारण उचित स्थान पर जमीन पर लेटकर पोजीशन ली। अभियुक्त ने गाड़ी से उतरते ही गाड़ी (टाटा सूमो) में बैठे आरक्षी को टारगेट करके फायर कर दिया, जो ड्राइवर की साइट का शीशा तोड़ते हुए गाड़ी की विण्ड सीट में लगी। ड्राइवर की खिड़की का पूरा शीशा टूट गया था, विण्ड सीट में गोली का निशान बन गया था। जहां पर टाटा सूमो पंचर हुई थी हाईवे के किनारे सर्विस लेन में था। अभियुक्त अण्डर पास से ट्रांसस्पोर्ट नगर की ओर भागा। एसटीएफ के कर्मचारी व का0 सुनील भी उसके पीछे भागे। मैंने डायल 112, कंट्रोल रूम व उच्च्य अधिकारीगण को सूचना देते हुए अभियुक्त के पीछे भागा। भागता हुआ अभियुक्त पुलिस पार्टी पर मुड़–मुड़कर पलट–पलटकर लगातार गोलियां चला रहा था। 200 मीटर भागने के पश्चात पानी की टंकी के कम्पाउण्ड के पीछे दाहिनी ओर मुड़े तो आगे भाग रहे अभियुक्त ने मुड़कर पुनः फायर कर दिया। जो एसटीएफ के उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी की पहनी हुई बुलेप्रूफ जेकेट पर लगा। तब मैंने व पुलिस पार्टी ने आड़ व पोजीशन ली। मेरे द्वारा डी0सी0आर0 को दी सूचना के परिपेक्ष में पास में मौजूद दूसरी पुलिस पार्टी भी अभियुक्त जिस दिशा में भाग रहा था उस दिशा से आ रही थी। दूसरी पुलिस पार्टी को देखकर अभियुक्त ने पुनः पलटकर पहले से पीछा कर रहे मुझ पर व पुलिस पार्टी की ओर निशाना साधकर फायर कर दिया, जिससे एसटीएफ के का0 सुनील कुमार के पेट में गोली लग गई। अभियुक्त सड़क के नीचे दाहिनी तरफ मुड़कर तेजी से भागने लगा, जिसे पुनः सरेण्डर की चेतावनी मेरे द्वारा व मेरी पुलिस पार्टी, व सामने से आई दूसरी पुलिस पार्टी के द्वारा दी गई, फिर भी अभियुक्त मुड़मुड़कर निशाना लगाकर फायर करता रहा, जिससे एसटीएफ के का0 विकास के वायें हाथ में गोली लग गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों

द्वारा जान बचाने के उददेश्य व कर्तव्यपरायणता से अभियुक्त की तरफ एक साथ फायर किया। जिससे अभियुक्त घायल होकर सुबह करीब 06:20 बजे गिर गया। अभियुक्त के पास पहुँचने पर उसके दाहिने हाथ में मौजूद 09 एमएम पिस्टल को सावधानीपूर्वक सुरक्षित फासले पर किया गया। अभियुक्त में जीवन के लक्षण शेष होने के कारण पुलिस की गाड़ी से कपड़ा मंगाकर, पैड बनाकर दबाकर निकल रहे खून को रोकने का प्रयास करते हुए 108 नम्बर एम्बूलेंस को बुलाने के लिए कॉल की गई। चूंकि एम्बूलेंस आने में देर हो रही थी, जिस कारण से थाना पनकी की सेकण्ड मोबाइल से उपनिरीक्षक श्री शुभम कुमार के साथ अभियुक्त को तुरन्त सीएचसी कल्याणपुर रवाना किया गया। घायल पुलिस कर्मी का0 सुनील कुमार, का0 विकास चौहान व मेरे साथ टाटा सूमो में मौजूद का0 2547 सुनील कुमार को भी उपचार हेतु सीएचसी कल्याणपुर रवाना किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल को यैलो टेप लगाकर सुरक्षित किया तथा फील्ड यूनिट को त्वरित कार्यवाही हेतु तुरन्त संदेश भेजा गया। डा0 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रभारी फील्ड यूनिट अपनी टीम के साथ मौके पर आ गए और फौरेंसिक जांच करते हुए कुल पुलिंदे 10 अदद साक्ष्य संकलित किये। इसी दौरान उपनिरीक्षक शुभम कुमार द्वारा जरिये दूरभाष बताया गया कि अभियुक्त को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों को थाना पनकी के माध्यम से सूचना भिजवाई गई। पूरी कार्रवाई में जनता का कोई व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। फर्द तैयार करने की कार्रवाई मेरे द्वारा नियमानुसार की गई। मेरे द्वारा घटनाक्रम एवं मौके पर तैयार फर्द के आधार पर थाना पनकी कानपुर नगर में मु0अ0स0 297/20 एवं 298/20 अंकित कराया गया। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सुसंगत तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

11/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति हस्ताक्षरित
11/11/20

420

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 02/4

(घटना कमांक–05)
दिनांक 11/11/2020

साक्षी का नाम–रवि श्रीवास्तव, आयु–43 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री जय नारायण श्रीवास्तव, पदनाम–निरीक्षक थाना–सर्विलांस सेल, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 19.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 09/07/2020 को सर्विलांस सेल में निरीक्षक पद पर नियुक्त था। दिनांक 2/3.07.2020 को ग्राम बिकरू थाना–चौबेपुर कानपुर नगर में विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर देने व अन्य को घायल कर देने की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। मैं भी एक टीम का सदस्य था। मेरी टीम में निरीक्षक हरमीत सिंह कई संभावित स्थानों पर तलाश करते हुए पूर्व में हुई वार्ता के कम में अजय सेठ प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर भाटिया होटल के पास मोरंग मंडी थाना पनकी पर प्रातःकाल में आकर मिले। वहीं पर सतीश सिंह प्रभारी निरीक्षक हरवंश मोहाल व उप निरीक्षक अमित तिवारी थाना, पनकी आकर मिले। हम लोग अभियुक्तों के संबंध में बातचीत कर रहे थे।

उसी समय करीब 06:12 बजे सुबह अजय सेठ प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर की सरकारी गाड़ी में लगे वायरलेस सेट से सूचना प्राप्त हुई कि भौती बाईपास के आगे अन्डर पास से न्यूट्रांसपोर्ट की ओर एक बदमाश पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा है। हम सभी लोग उसी तरफ उपनिरीक्षक अमित तिवारी के साथ रवाना हुए। उपनिरीक्षक अमित तिवारी को वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति मालूम थी। हम लोग तेजी से अण्डर पास के पास पहुँचे। वहाँ सूमो के पास खड़े चालक सिपाही ने हाथ से इशारा करके बताया और उस ओर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर पानी के टंकी के पास सड़क पर अभियुक्त के पीछे पुलिस भागती दिखाई दी। अभियुक्त मुड़ मुड़कर फायर कर रहा था पुलिस उसे लगातार ऊँची आवाज में आत्मसमर्पण करने हेतु कह रही थी। उसको आगे से घेरने के लिए हम लोग दाहिने मुड़कर टंकी के सामने से होते हुए टंकी के पीछे वाली सड़क पर बढ़े तब सामने से आ रहे अभियुक्त ने हम लोगों को देखकर पीछे मुड़कर पहले से पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर फायर किया।

हम लोग करीब 20 मीटर की दूरी चलने के बाद अपनी गाड़ी से उतर कर चेतावनी देते हुए आगे बढ़े। अभियुक्त के फायरिंग से पुलिस पार्टी का एक व्यक्ति गोली

(रवि श्रीवास्तव)

1.ω.2/5 (421)

लगने से घायल हो गया। अभियुक्त भागने के प्रयास में लगातार पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा, जिससे पुलिस पार्टी का एक और व्यक्ति घायल हो गया। इसके पश्चात् हम लोग सरपत की आड़ लेते हुए आगे बढ़कर फायरिंग रेंज में आने पर सकुशल गिरफ्तारी करने के हरसंभव प्रयास विफल होने पर और अभियुक्त के आत्मसमर्पण न करने और पुलिस पार्टी पर लगातार फायर करने के कारण आत्मरक्षार्थ हम लोगों ने एक साथ अभियुक्त के ऊपर फायर किया, अभियुक्त घायल होकर गिर गया और उसकी ओर से फायर आना बंद हो गया।

उसकी ओर से फायरिंग बंद होने पर सावधानी पूर्वक उसके पास गए, तो देखा कि वह कराह रहा था। उसके हाथ में पिस्टल थी। उसको प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया और उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने 108 नं0 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आने में देरी होते हुए देख उसकी जीवन रक्षा के लिए पनकी थाने की गाड़ी से उपनिरीक्षक शुभम के साथ सी0एच0सी0 कल्याणपुर भिजवाया गया। पुलिस पार्टी के घायल पुलिस कर्मियों का0 विकास व का0 सुनील एस0टी0एफ0 को भी उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट आई और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके से खोखा कारतूस और अन्य साक्ष्य संकलित किया। अभियुक्त को इलाज हेतु ले जाने वाले दरोगा उपनिरीक्षक शुभम कुमार ने बताया कि डॉक्टरों ने अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया।

फर्द उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी के लेपटॉप पर बोलबोल कर टाईप कराई। उपनिरीक्षक अमित तिवारी अपनी चौकी से प्रिंटर लाये जिससे फर्द का प्रिंट निकालकर उस पर सभी पुलिस कर्मियों को सुनाकर पढ़ाकर हस्ताक्षर कराये और उस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

11/11/20
(रवि श्रीवास्तव)

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

बयान की प्रति प्राप्त की।
20

(422)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 03/4

(घटना कमांक–05)
दिनांक 11/11/2020

साक्षी का नाम–सतीश सिंह, आयु–46 वर्ष, पुत्र श्री भानु प्रताप सिंह, पदनाम–प्रभारी निरीक्षक, थाना–सर्विलांस सेल, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 19.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान समय में थाना–सर्विलांस सेल में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त हूँ और दिनांक 09/07/2020 को थाना हरवंशमोहाल में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था दिनांक 2/3.07.2020 को ग्राम बिकरू थाना –चौबेपुर कानपुर नगर में विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर देने व अन्य को घायल कर देने की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी कम में दिनांक 07.07.2020 को मैं क्षेत्राधिकारी मनोज रघुवंशी की टीम के साथ कानपुर से रवाना होकर झांसी, ग्वालियर, औरैया, अकबरपुर आदि संभावित स्थानों पर होता हुआ दिनांक 09/07.2020 को सुबह कानपुर आया और टीम को छोड़कर निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, हरमीत सिंह, उप निरीक्षक अमित तिवारी, निरीक्षक अजय सेठ के पास भोर में पनकी भाटिया होटल के पास मोरंग मंडी में आकर मिले, जहां पर बिकरू काण्ड से संबंधित फरार अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी के संबंध में वार्ता कर रहे थे। उसी समय करीब 06:12 बजे सुबह अजय सेठ प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर की सरकारी गाड़ी में लगे वायरलेस सेट से सूचना प्राप्त हुई कि भौती बाईपास के आगे अन्डर पास से न्यू ट्रांसपोर्टनगर की ओर एक बदमाश पिस्टल छीनकर भाग रहा है। हम सभी लोग उस ओर अमित तिवारी के साथ रवाना हुए। अमित तिवारी को वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति मालूम थी। हम लोग तेजी से अन्डर पास के पास पहुँचे। वहाँ सूमो के पास खड़े चालक सिपाही ने हाथ से इशारा करके बताया और उस ओर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर पानी के टंकी के पास सड़क पर अभियुक्त के पीछे पुलिस भागती दिखाई दी। अभियुक्त मुड़ मुड़कर फायर कर रहा था पुलिस उसे लगातार आत्मसमर्पण करने हेतु कह रही थी। उसको आगे से घेरने के लिए हम लोग दाहिने मुड़कर टंकी के सामने से होते हुए टंकी के पीछे वाली सड़क पर बढ़े तब सामने से आ रहे अभियुक्त ने हम लोगों को देखकर पीछे मुड़कर पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर फायर किया।

हम लोग करीब 20 मीटर की दूरी चलने के बाद अपनी गाड़ी से उतर कर चेतावनी देते हुए आगे बढ़े अभियुक्त के फायरिंग से पुलिस पार्टी का एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त भागने के प्रयास में लगातार पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा जिससे पुलिस पार्टी का एक और व्यक्ति घायल हो गया। इसके पश्चात् हम लोग सरपत की आड़ लेते हुए आगे बढ़कर फायरिंग रेंज में आने पर सकुशल गिरफ्तारी करने के हरसंभव प्रयास विफल होने पर और अभियुक्त के आत्मसमर्पण न करने और पुलिस पार्टी पर लगातार फायर करने के कारण आत्मरक्षार्थ हम सभी ने एक साथ अभियुक्त के ऊपर फायर किया। अभियुक्त घायल होकर गिर गया और उसकी ओर से फायर आना बंद हो गया।

उसकी ओर से फायरिंग बंद होने पर सावधानीपूर्वक उसके पास गए, तो देखा की वह कराह रहा था। उसके हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल को उससे दूर किया गया। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने 108 नं0 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आने में देरी होते हुए देख उसकी जीवन रक्षा के लिए पनकी थाने की गाडी से उपनिरीक्षक शुभम के साथ सी0एच0सी0 कल्याणपुर भिजवाया गया। पुलिस पार्टी के घायल पुलिस कर्मियों का0 विकास व का0 सुनील एस0टी0एफ0 को भी उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट आई और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके से खोखा कारतूस और अन्य साक्ष्य संकिलत किया। अभियुक्त को इलाज हेतु ले जाने वाले दरोगा उपनिरीक्षक शुभम ने बताया कि डॉक्टरों ने अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया।

फर्द उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी के लेपटॉप पर बोलबोल कर टाईप कराई। उपनिरीक्षक अमित तिवारी प्रिंटर चौकी से लाये जिससे फर्द का प्रिंट निकालकर उस पर सभी पुलिस कर्मियों को सुनाकर पढ़ाकर हस्ताक्षर कराये और उस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

11/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

424

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 04/3

(घटना कमांक–06)
दिनांक 11/11/2020

साक्षी का नाम– शुभम कुमार, आयु–25 वर्ष, पुत्र श्री बृजपाल सिंह, पदनाम– उप निरीक्षक थाना– पनकी, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 21.09.2020 को दिखाकर, पढकर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं दिनांक 09/07/2020 थाना पनकी पर उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त था और वर्तमान में भी इसी पद पर नियुक्त हूँ। दिनांक 8/9.07.2020 की रात मैं थाना पनकी में रात्रिधिकारी नियुक्त था। सुबह 09.07.2020 को समय करीब 06:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि भौती बाईपास पनकी अन्डर बाईपास के पास बदमाश दरोगा जी की पिस्टल छीनकर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भागा है। इस सूचना पर मैं तत्काल उस ओर तेजी से गया और जब घटना स्थल पानी के टंकी के पीछे पहुँचा तो देखा कि दो सिपाही घायल हैं जिनके हाथ और पेट से खून बह रहा है घटना स्थल से थोडी दूर पर पिस्टल छीनकर भागने वाला अभियुक्त प्रभात मिश्रा घायल अवस्था में पड़ा था जिसके जीवन के बचाने के प्रयास किये जा रहे थे। थोड़ी देर इंतजार के बाद जब 108 की एम्बुलैंस नहीं आयी तब थाना पनकी की द्वितीय मोबाइल में घायल अभियुक्त को लिटाकर चालक अनार सिंह और कां0 बृजेश के साथ मैं सी0एच0सी0 कल्याणपुर करीब सात– सवा सात बजे पहुँचा। वहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप कर घायल प्रभात मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। मैंने दूरभाष से थाने पर सूचना दी। पीछे से घायल पुलिस कर्मचारी भी आ गये। घायल पुलिस कर्मियों का इलाज हुआ। उनके कहने पर मैं उन्हें वापस घटना स्थल पर लाया।

घटना स्थल पर घायल पुलिस कर्मियों ने फर्द पढ़कर व सुनकर अपने हस्ताक्षर बनाये। इसके बाद वादी मुकदमा ने पुलिस बल के साथ थाना पनकी जाकर लिखा–पढ़ी कराई। मैं भी थाने पर जाकर अपनी वापसी कराई।

Shubham S/I
11-11-020

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

एक प्रति प्राप्त की
Shubham S/I
11-11-020

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 05/3

(घटना कमांक–05)
दिनांक 11/11/2020

साक्षी का नाम–अमित कुमार तिवारी, आयु–42 वर्ष, पुत्र श्री माता प्रसाद तिवारी, पदनाम–उप निरीक्षक, थाना–कल्याणपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 21.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। मेरे शपथपत्र के प्रस्तर–1 में अंकित तथ्य "एवं दिनांक 09.07.2020 को भी थाना कल्याणपुर में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था" गलत अंकित हो गया है। मैं थाना पनकी के अर्न्तगत दिनांक 09.07.2020 को तथा आज भी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ।

मैं वर्तमान समय में थाना–पनकी, कानपुर नगर में नियुक्त हूँ। दिनांक 8/9.07.2020 को थाना क्षेत्र की देखभाल में व्यस्त था और भाटिया होटल मोरंग मंडी के पास पहुँचा तो वहाँ पर निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, निरीक्षक सतीश सिंह, निरीक्षक अजय सेठ मय हमराह मौजूद थे। मैं उनके पास रूककर चर्चा करने लगा तभी समय करीब 06 बारह बजे सुबह अजय सेठ प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर की सरकारी गाड़ी में लगे वायरलेस सेट से सूचना प्राप्त हुई कि भौती बाईपास के आगे अन्डर पास से न्यू ट्रांसपोर्ट की ओर एक बदमाश पिस्टल छीनकर भाग रहा है। हम सभी लोग उस ओर रवाना हुए। मैं इंडस्ट्रीरियल एरिया चौकी थाना–पनकी का प्रभारी हूँ और मुझे चौकी क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी है हम लोग तेजी से अन्डर पास के पास पहुँचे। वहाँ सूमो के पास खड़े चालक सिपाही ने हाथ से इशारा करके बताया और उस ओर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर पानी के टंकी के पास सड़क पर अभियुक्त के पीछे पुलिस भागती दिखाई दी। अभियुक्त मुड़ मुड़कर फायर कर रहा था पुलिस उसे लगातार आत्मसमर्पण करने हेतु कह रही थी। उसको आगे से घेरने के लिए हम लोग दाहिने मुड़कर टंकी के सामने से होते हुए टंकी के पीछे वाली सड़क पर बढ़े तब सामने से आ रहे अभियुक्त ने हम लोगों को देखकर पीछे मुड़कर पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर फायर किया ।

हम लोग करीब 20 मीटर की दूरी चलने के बाद अपनी गाड़ी से उतर कर चेतावनी देते हुए आगे बढ़े। अभियुक्त की फायरिंग से पुलिस पार्टी का एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त भागने के प्रयास में लगातार पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा, जिससे पुलिस पार्टी का एक और व्यक्ति घायल हो गया। इसके पश्चात् हम लोगों ने सरपत की आड़ लेते हुए आगे बढ़कर फायरिंग रेंज में आने पर सकुशल गिरफ्तारी करने के हरसंभव प्रयास विफल होने पर और अभियुक्त के आत्मसमर्पण न करने और पुलिस पार्टी पर लगातार फायर करने के कारण आत्मरक्षार्थ

(426)

J.W.S/4

सभी ने एक साथ अभियुक्त के ऊपर फायर किया। अभियुक्त घायल होकर गिर गया और उसकी ओर से फायर आना बंद हो गया।

उसकी ओर से फायरिंग बंद होने पर सावधानी पूर्वक उसके पास गए, तो देखा कि वह कराह रहा था। उसके हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल को उससे दूर किया गया। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने 108 नं0 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आने में देरी होते हुए देख उसकी जीवन रक्षा के लिए थाने की गाड़ी से उपनिरीक्षक शुभम के साथ सी0एच0सी0 कल्याणपुर भिजवाया गया। पुलिस पार्टी के घायल पुलिस कर्मियों को भी उपचार हेतु पी0आर0वी वाहन से अस्पताल भिजवाया गया।

इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट आई और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके से खोखा कारतूस और अन्य साक्ष्य संकलित किया। अभियुक्त को इलाज हेतु ले जाने वाले दरोगा ने बताया कि डॉक्टरों ने अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया।

फर्द उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी के लेपटॉप पर बोलबोल कर टाईप कराई। स्वयं द्वारा चौकी से प्रिंटर लाकर फर्द का प्रिंट निकालकर उस पर सभी पुलिस कर्मियों को सुनाकर पढ़ाकर हस्ताक्षर कराये और उस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

11/10/2020

प्रति प्राप्त किया

11/10/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 06/4

(घटना कमांक–05)
दिनांक 12/11/2020

साक्षी का नाम–अक्षय परवीर कुमार त्यागी, आयु–43 वर्ष, पुत्र श्री भोपाल सिंह त्यागी, पदनाम–उपनिरीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 22.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं। मेरे शपथपत्र के प्रस्तर एक में मेरा पीएनओ नंबर गलत टंकित हो गया है। सही पीएनओ नंबर–972292218 है।

मैं वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 की नोएडा यूनिट में तैनात हूँ। दिनांक 08.07.2020 लगभग 09 बजे प्रातः जब मैं अपनी एसटीएफ की टीम के साथ विकास दुबे के संभावित ठिकानों को पता करने के उददेश्य से कोटा के लिए रवाना हुआ था समय लगभग 04:30–5 बजे जयपुर पहुँचा ही था तभी मुझे उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुआ कि अभियुक्त प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से कानपुर ट्रांजिट रिमाण्ड पर लिये गए अभियुक्त को फरीदाबाद से सुरक्षित एस्कॉर्ट करके कानपुर पहुँचाना है। जयपुर–दिल्ली के रास्ते में उसी दिन रात्रि करीब 09–09:30 बजे पुनः दूसरा आदेश मिला कि एसटीएफ की दूसरी टीम जो अपनी गाड़ी में कानपुर पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त को लेकर आगरा पहुँच रही है, उस टीम से आगरा में मिले। मैं अपनी टीम के साथ आगरा में लगभग 02 बजे रात्रि में पहुँच गया था, तब एसटीएफ की दूसरी टीम के उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह व का0 सुनील कुमार मय अभियुक्त प्रभात मिश्रा के मेरी गाड़ी संख्या–यूपी 32 बीजी 4546 इनोवा में आकर बैठ गए। करीब एक घण्टे के उपरांत 09.07.2020 की प्रातः 03 बजे के लगभग कानपुर पुलिस टीम गाड़ी संख्या–यूपी 78 बीजी 0973 टाटा सूमो (शपथपत्र की धारा प्रस्तर 05 में "बीजे" गलत टंकित हो गया है) इटावा वाईपास रोड पर मिली। टाटा सूमो में का0 चालक शैलेन्द्र प्रताप व हे0का0 श्याम सिंह मौजूद थे, जिसमें अभियुक्त प्रभात मिश्रा, उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह व का0 सुनील कुमार भी मेरी इनोवा कार से उतर कर बैठ गए। मैं अपनी टीम के साथ अपनी इनोवा कार से टाटा सूमो के साथ–साथ चलने लगा। प्रातः करीब 06 बजे दोनों गाड़ियां कानपुर पहुँची जहां एक जगह पुल की सर्विस लेन पर अण्डर पास के निकट आगे चल रही टाटा सूमो का पिछला

(428)

I.O.-6/5

वायां टायर पंचर हो गया। टाटा सूमो से उतर कर चालक व हे0का0 टायर बदलने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने व मेरी टीम ने टाटा सूमो को उचित दूरी पर घेर लिया। अचानक गाड़ी के अंदर से अभियुक्त प्रभात मिश्रा ने उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह की पिस्टल छीनकर खिड़की के खुले शीशे से मेरे ऊपर फायर कर दिया। गवाह ने स्वयं कहा कि उस समय टाटा सूमो गाड़ी बंद थी और गर्मी भी हो रही थी, इस कारण से खिड़की खुली रही होगी। मैंने दौड़कर जमीन पर लेटकर आड़ ली। टाटा सूमो का ड्राईवर साइट के पीछे का दरबाजा खोलकर अभियुक्त प्रभात मिश्रा बाहर निकला और उसने टाटा सूमो में ड्राईवर सीट के बगल में बैठे का0 सुनील कुमार की तरफ ड्राईवर की खिड़की तरफ से फायर कर दिया, जो गोली ड्राईवर सीट का शीशा तोड़कर विण्डस्क्रीन से बाहर निकल गई। अभियुक्त अण्डरपास से होते हुए तेजी से भागा, हम लोग भी संभलकर उसके पीछे भागे। अभियुक्त पीछे मुड मुड़कर पुलिस पार्टी पर फायर कर रहा था, फिर भी हम लोग उसका लगातार पीछा करते हुए जिंदा पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए बराबर कहते रहे। एक बॉउड्री के पास के रास्ते पर भागते समय अभियुक्त ने हम लोगों को नजदीक आता देख फिर से फायर कर दिया, हम लोग बाल–बाल बच गए और आगे बढ़ते गए। पानी की टंकी के पास वाला रास्ता आगे कोने पर दो भागों में बट गया और अभियुक्त प्रभात मिश्रा फायर करता हुआ दाहिनी ओर मुड़ गया। मैं जैसे ही कोने पर पहुँचा तो उसने पीछे की ओर फायर किया, जो मेरी पहनी हुई बुलेटप्रूफ जैकेट में सीने पर लग गया, जिससे मैं पीछे हट गया। मैंने पुनः पोजीशन ली किन्तु तब तक मेरी टीम के का0 सुनील कुमार व का0 विकास कुमार आगे बढ़ गए। इतने में दूसरी ओर से पुलिस टीम को आता देख अभियुक्त ठिठक गया और उसने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जो मुझसे आगे बढ़ रहे का0 सुनील कुमार को लगा। इस पर हम सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अभियुक्त को बुलन्द आवाज में आत्मसमर्पण करने को कहा गया। दोनों ओर से घिरा देखकर पीछे मुड़ते हुए सड़क के दाहिने ओर मुड़ा और नजदीक पहुँच गए विकास चौहान (विकास कुमार) को निशाना बनाकर फायर किया जिससे वह घायल हो गया। घायल होते हुए भी विकास ने संभल कर ने पोजीशन ली। प्रभात लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता रहा, पुलिस कर्मी उसकी फायरिंग रेंज में आ चुके थे, इसलिए सभी ने एक साथ पोजीशन लेकर फायर किया, जिससे अभियुक्त प्रभात मिश्रा घायल हो गया। उसने गिरते पड़ते भी फायर किये। प्रभात की ओर से कुछ समय बाद फायरिंग बंद होने पर हम पुलिस वालों ने एक दूसरी के कुशलता पूछीं तो पता लगा कि का0 सुनील व का0 विकास घायल हुए हैं, बाकी सब कुशलपूर्वक हैं। फिर हम लोग धीरे–धीरे सावधानीपूर्वक घेरा बनाकर अभियुक्त प्रभात की ओर बढ़े। घेरा धीरे–धीरे तंग करते गए। नजदीक पहुँचने पर पाया कि घायल अभियुक्त प्रभात कराह रहा था। जिसके दाहिने हाथ में छीनी हुई 9 एमएम पिस्टल थी। जिसे उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा जूते की टो से खिसकाकर अलग किया गया।

घायल अभियुक्त प्रभात मिश्रा ने जीवन के लक्षण शेष दिखाई दे रहे थे, उसको प्राथमिक उपचार दिया गया। एम्बूलेंस के आने में देरी हो रही थी, इसलिए उसकी जीवन रक्षा के लिए थाने की गाड़ी से सीएचसी कल्याणपुर के उपनिरीक्षक शुभम कुमार के साथ भिजवाया गया। इन्होंने जानकारी दी कि अभियुक्त प्रभात मिश्रा को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आई चोटों के कारण का0 विकास कुमार व साथी का0 सुनील कुमार व थाना चौबेपुर के का0 सुनील को सरकारी गाड़ी पी0आर0वी0 से सीएचसी कल्याणपुर इलाज के लिए भिजवाया गया। गवाह ने स्वयं कहा कि मौके पर मेरे द्वारा पहनी हुई बुलेटप्रूफ जैकेट घटना के थोड़ी देर बाद मौके पर पहुँची फील्ड यूनिट द्वारा ले ली गई। फर्द मौके पर उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा मेरे लैपटॉप पर टाईप कराकर उपनिरीक्षक अमित तिवारी से प्रिटंर मंगाकर प्रिंट निकालकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर कराए गए। जिसपर मैंने भी अपने हस्ताक्षर बनाये।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

12/11/20

प्रति प्राप्त की

12/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

430

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 07/5

(घटना कमांक–05)
दिनांक 12/11/2020

साक्षी का नाम–सुनील कुमार, आयु–32 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, पदनाम–कांस्टेबल, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 22.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 की नोएडा यूनिट में नियुक्त हूँ और दिनांक 09.07.2020 की घटना के समय भी मैं वहीं पर नियुक्त था। कानपुर जनपद के थाना क्षेत्र चौबेपुर में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की हत्या में वांछित अभियुक्त विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफतार किया था। प्रभात मिश्रा ने पूछताछ में विकास दुबे के छिपने के कई ठिकाने बताये थे। मैं उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी की टीम का सदस्य था जिसमें का0 विकास कुमार, का0 मुकेश सिंह, का0 राहुल भाटी तथा सरकारी वाहन इनोवा व चालक शील कुमार मौजूद थे। हमारी टीम विकास दुबे के संभावित ठिकाने कोटा राजस्थान के लिए जा रही थी। जयपुर पहुँचने पर मेरी टीम के प्रभारी अक्षय परवीर ने बताया कि फरीदाबाद चलकर वहां से अभियुक्त प्रभात मिश्रा को लेकर कानपुर जाना है और इसके बाद हमारी टीम जयपुर से फरीदाबाद की ओर चल दी। मुझे रास्ते में बताया गया कि एसटीएफ की एक टीम अपनी गाड़ी में कानपुर पुलिस की अभिरक्षा में प्रभात मिश्रा को लेकर आगरा पहुँच रही है और उनसे मिलना है। तब हमारी टीम बीच रास्ते से भरतपुर होते हुए आगरा पहुँची, वहां पर एसटीएफ के आरक्षी देवदत्त व रवि कुमार तथा कानपुर पुलिस के उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह व का0 सुनील कुमार सरकारी गाड़ी सहित अभियुक्त प्रभात मिश्रा के साथ मिले। उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने बताया कि कानपुर से एक और गाड़ी आ रही है जिसे आने में समय लगेगा, तब हमारी टीम के प्रभारी ने कानपुर पुलिस को अभियुक्त के साथ अपनी गाड़ी से चलने के लिए कहा। इसके बाद हम सभी लोग रवाना होकर इटावा पहुँचे।

सुनील कुमार

बाईपास रोड पर कानपुर पुलिस की गाड़ी टाटासूमो मय चालक शैलेन्द्र प्रताप व हेडकांस्टेबल श्याम सिंह के साथ दिनांक 09.07.2020 की प्रातः 03 बजे के आसपास मिले। इटावा में अभियुक्त प्रभात मिश्रा, उपनिरीक्षक देवेन्द्र और का0 सुनील उपरोक्त टाटासूमों में बैठ गए, हम लोग उपरोक्त टाटासूमो के साथ–साथ चल रहे थे। सुबह कानपुर पहुँचकर एक जगह पुल की सर्विस लेन पर अण्डर पास के पास टाटासूमो का पिछला बायां टायर पंचर हो गया, उसके चालक व हेडकांस्टेबल उतरकर टायर बदलने लगे। मैं और टीम के अन्य सदस्य सूमो में बैठे अभियुक्त प्रभात मिश्रा की सुरक्षार्थ सूमो को उचित दूरी पर घेरकर खड़े हो गए। मैं टाटासूमो के आगे खड़ा था कि अचानक फायर की आवाज आई और टीम प्रभारी को बचाव के लिए आगे की ओर भागते हुए देखा, इतने में एक और फायर की आवाज आई। मैंने पोजीशन ली और प्रभात मिश्रा को अण्डर पास से भागते हुए देखा और हम लोग भी उसके पीछे भागे। प्रभात मिश्रा मुड़मुड़कर फायर कर रहा था और हम लोग उसको जिंदा पकड़ने के लिए पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे और उसे आत्मसमर्पण के लिए कहते रहे। बाउण्ड्री के पास पहुँचकर उसने पुनः फायर किया और हम लोग बालबाल बचे।

पानी की टंकी के पास वाला रास्ता आगे कोने पर दो भागों में बट गया, प्रभात मिश्रा दाहिनी ओर मुड़ गया और मैं भी बचाव करता हुआ का0 विकास के साथ टीम प्रभारी से आगे निकल गया और खम्बे की आड़ ले ली। अभियुक्त का एक फायर मेरे बगल में पीछे चल रहे टीम प्रभारी की जैकेट पर लगा, जिससे वे पीछे हट गए। अभियुक्त दूसरी ओर से पुलिस टीम को आता देखकर ठिठका और मेरे ऊपर निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जो मेरे पेट की बायीं ओर लगा। मैंने पुनः पोजीशन ले ली। हम सभी पुलिस वालों ने उसे तेज आवाज में आत्मसमर्पण करने को कहा। दोनों ओर से घिरा देखकर वह पीछे मुड़ते हुए तेजी से सड़क की दाहिनी ओर मुड़ा और का0 विकास को नजदीक पहुँचता देखकर निशाना बनाकर फायर किया, जिससे का0 विकास घायल हो गया, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए पोजीशन ले ली।

अभियुक्त के लगातार फायर करने के कारण तथा कई पुलिस कर्मियों के उसकी फायरिंग रेंज में होने के कारण आत्मरक्षार्थ दोनों पुलिस पार्टियों ने उसके उपर एक साथ फायर किया जिससे घायल होकर वह नीचे गिर गया, उसने गिरते पड़ते भी फायर किया। उसकी ओर से फायरिंग बंद होने पर सावधानी पूर्वक उसके पास गए, तो देखा की वह कराह रहा था। उसके दाहिने हाथ में छीनी हुई 9 एमएम पिस्टल थी। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और एम्बुलेंस आने में देरी होते हुए देख उसकी जीवन रक्षा के लिए थाने की गाड़ी से उपनिरीक्षक शुभम के साथ सीएचसी कल्याणपुर भिजवाया गया, जिन्होंने बाद में बताया कि डाक्टरों ने प्रभात मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। मुझे तथा घायल विकास और थाना चौबेपुर के का0

सुनील कुमार

432

D.W.7/7

सुनील को सरकारी गाड़ी से सीएचसी कल्याणपुर भिजवाया गया, जहां मेरा और अन्य घायल पुलिस कर्मियों का चिकित्सीय परीक्षण व इलाज हुआ और उसके मैं व अन्य घायल पुलिस कर्मी पुनः घटनास्थल पर आ गए।

फर्द उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी के लेपटॉप पर बोलबोल कर टाईप कराई। उपनिरीक्षक अमित तिवारी चौकी से प्रिंटर लाये, जिससे फर्द का प्रिंट निकालकर उस पर सभी पुलिस कर्मियों को सुनाकर पढ़ाकर हस्ताक्षर कराये और उसपर मैंने भी हस्ताक्षर किये।

दिनांक 09.07.2020 को मुठभेड़ में मृतक प्रभात मिश्रा जो टीशर्ट पहने था उसपर फायर के अवशेष व रक्त होने की पूरी संभावना को देखते हुए 15.07.2020 को विवेचक के कब्जे में दिया गया। का0 विकास चौहान ने एक अदद शर्ट जिसपर फायर के अवशेष व रक्त होने की संभावना थी को सुरक्षित लाकर थाना पनकी में मेरे समक्ष लाकर विवेचक को 15.07.2020 को उपलब्ध कराया, जिसको कब्जे में लेकर विवेचक ने फर्द बनाई और उसपर मैंने भी हस्ताक्षर किये।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

सुनील कुमार

प्रति प्राप्त की /

सुनील कुमार

12/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 08/5

(घटना कमांक–05)
दिनांक 12/11/2020

साक्षी का नाम–विकास कुमार, आयु–37 वर्ष, पुत्र श्री नरेश सिंह, पदनाम–कांस्टेबल, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 22.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 की नोएडा यूनिट में नियुक्त हूँ कानपुर जनपद के थाना क्षेत्र चौबेपुर में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की हत्या में वांछित अभियुक्त विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। प्रभात मिश्रा ने पूछताछ में विकास दुबे के छिपने के कई ठिकाने बताये थे। मैं उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी की टीम का सदस्य था जिसमें का0 सुनील कुमार, का0 मुकेश सिंह, का0 राहुल भाटी तथा सरकारी वाहन इनोवा व चालक शील कुमार मौजूद थे। हमारी टीम विकास दुबे के संभावित ठिकाने कोटा राजस्थान के लिए जा रही थी। जयपुर पहुँचने पर मेरी टीम के प्रभारी अक्षय परवीर ने बताया कि फरीदाबाद चलकर वहां से अभियुक्त प्रभात मिश्रा को लेकर कानपुर जाना है और इसके बाद हमारी टीम जयपुर से फरीदाबाद की ओर चल दी। मुझे रास्ते में बताया गया कि एसटीएफ की एक टीम अपनी गाड़ी में कानपुर पुलिस की अभिरक्षा में प्रभात मिश्रा को लेकर आगरा पहुँच रही है और उनसे मिलना है। तब हमारी टीम बीच रास्ते से भरतपुर होते हुए आगरा पहुँची, वहा पर एसटीएफ के आरक्षी देवदत्त व रवि कुमार तथा कानपुर पुलिस के उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह व का0 सुनील कुमार सरकारी गाड़ी सहित अभियुक्त प्रभात मिश्रा के साथ मिले। उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने बताया कि कानपुर से एक और गाड़ी आ रही है जिसे आने में समय लगेगा, तब हमारी टीम के प्रभारी ने कानपुर पुलिस को अभियुक्त के साथ अपनी गाड़ी से चलने के लिए कहा। इसके बाद हम सभी लोग रवाना होकर इटावा पहुँचे।

विकास कुमार

A-34

I-W-8/6

बाईपास रोड पर कानपुर पुलिस की गाड़ी टाटासूमो संख्या-यूपी 78 बीजी 0973 (प्रस्तर 05 में "बीजे" गलत टंकित है) मय चालक शैलेन्द्र प्रताप व हेडकांस्टेबल श्याम सिंह के साथ दिनांक 09.07.2020 की प्रातः 03 बजे के आसपास मिले। इटावा में अभियुक्त प्रभात मिश्रा, उपनिरीक्षक देवेन्द्र और का0 सुनील उपरोक्त टाटासूमों में बैठ गए, हम लोग उपरोक्त टाटासूमो के साथ-साथ चल रहे थे। सुबह कानपुर पहुँचकर एक जगह पुल की सर्विस लेन पर अण्डर पास के पास टाटासूमो का पिछला बायां टायर पंचर हो गया, उसके चालक व हेडकांस्टेबल उतरकर टायर बदलने लगे। मैं और टीम के अन्य सदस्य सूमो में बैठे अभियुक्त प्रभात मिश्रा की सुरक्षार्थ सूमो को उचित दूरी पर घेरकर खड़े हो गए, जिसमें मैं टाटासूमो के पीछे बायीं ओर खड़ा था, अचानक फायर की आवाज आई और मैं कुछ समझ पाता कि एक और फायर की आवाज आई, तब मैंने पोजीशन ले ली। मैंने देखा कि गाड़ी का पिछला दरबाजा खोलकर प्रभात मिश्रा अण्डर पास से होते हुए भाग रहा है, उसके पीछे हम लोग भी भागे। प्रभात मिश्रा मुड़मुड़कर फायर कर रहा था और हम लोग उसको जिंदा पकड़ने के लिए पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहे और उसे आत्मसमर्पण के लिए कहते रहे। बाउण्ड्री के पास पहुँचकर उसने पुनः फायर किया और हम लोग बालबाल बचे।

पानी की टंकी के पास बाला रास्ता आगे कोने पर दो भागों में बट गया और प्रभात मिश्रा फायर करता हुआ दाहिनी ओर मुड़ गया, मैं भी उससे बचाव करता हुआ, का0 सुनील कुमार व टीम प्रभारी से आगे निकल गया उसके पास पहुँच गया। दूसरी ओर से पुलिस टीम को आता देखकर वह ठिठका और उसने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जो टीम प्रभारी की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगा, उसका दूसरा फायर मेरे पीछे का0 सुनील कुमार को लगा। हम सभी पुलिस वालों ने उसे तेज आवाज में आत्मसमर्पण करने को कहा। दोनों ओर से घिरा देखकर, पीछे मुड़ते हुए तेजी से सड़क की दाहिनी ओर मुड़ा और मुझे नजदीक पहुँचता देखकर निशाना बनाकर फायर किया, जो मेरे जैकेट पर बायीं बाजू पर लगा जिससे मैं घायल हो गया, फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए पोजीशन ले ली।

अभियुक्त के लगातार फायर करने के कारण तथा कई पुलिस कर्मियों के उसकी फायरिंग रेंज में होने के कारण आत्मरक्षार्थ दोनों पुलिस पार्टियों ने उसके उपर एक साथ फायर किया जिससे घायल होकर वह नीचे गिर गया, उसने गिरते पड़ते भी फायर किया। उसकी ओर से फायरिंग बंद होने पर सावधानी पूर्वक उसके पास गए, तो देखा की वह कराह रहा था। उसके दाहिने हाथ में छीनी हुई 9 एमएम पिस्टल थी। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और एम्बुलेंस आने में देरी होते हुए देख उसकी जीवन रक्षा के लिए थाने की गाड़ी से उपनिरीक्षक शुभम के साथ सीएचसी कल्याणपुर भिजवाया गया, जिन्होंने बाद में बताया कि डाक्टरों ने प्रभात मिश्रा को मृत

विकास कुमार

घोषित कर दिया। मुझे तथा घायल का0 सुनील और थाना चौबेपुर के का0 सुनील को सरकारी गाड़ी से सीएचसी कल्याणपुर भिजवाया गया, जहां मेरा और अन्य घायल पुलिस कर्मियों का चिकित्सीय परीक्षण व इलाज हुआ और उसके मैं व अन्य घायल पुलिस कर्मी पुनः घटनास्थल पर आ गए।

फर्द उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी के लेपटॉप पर बोलबोल कर टाईप कराई। उपनिरीक्षक अमित तिवारी प्रिंटर लाये जिससे फर्द का प्रिंट निकालकर उस पर सभी पुलिस कर्मियों को सुनाकर पढ़ाकर हस्ताक्षर कराये और उसपर मैंने भी हस्ताक्षर किये।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

436

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-09/5

(घटना कमांक–05)
दिनांक 12/11/2020

साक्षी का नाम– शील कुमार शर्मा आयु–35 वर्ष, पुत्र श्री योगेन्द्र शर्मा, पदनाम–आरक्षी, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 03.11.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश एस0टी0एफ0 की नोएडा यूनिट में नियुक्त हूँ और दिनांक 09.07.2020 की घटना के समय भी मैं वहीं पर नियुक्त था। कानपुर जनपद के थाना क्षेत्र चौबेपुर में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की हत्या में वांछित अभियुक्त विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफतार किया था। प्रभात मिश्रा ने पूछताछ में विकास दुबे के छिपने के कई ठिकाने बताये थे। मैं उपनिरीक्षक अक्षय परवीर कुमार त्यागी की टीम का सदस्य था जिसमें का0 विकास कुमार, का0 मुकेश सिंह, का0 राहुल भाटी तथा सरकारी वाहन इनोवा यूपी 32 बी0जी0 4546 के साथ विकास दुबे के संभावित ठिकाने कोटा के लिए उच्चा अधिकारियों के निर्देश पर जा रहा था। जयपुर पहुँचने पर मेरी टीम के प्रभारी अक्षय परवीर कुमार त्यागी को निर्देश प्राप्त हुआ कि वे टीम के साथ फरीदाबाद पहुँचे तब टीम जयपुर से फरीदाबाद के लिए चल दी। रास्ते में निर्देश प्राप्त हुआ कि आगरा पहुँचे। वहीं फरीदाबाद टीम आ रही और उससे मिले। हम लोग लखनऊ आगरा हाइवे पर आगरा में पहुँच गये। वहाँ पर फरीदाबाद से हमारी नोएडा यूनिट के एसटीएफ के आरक्षी देवदत्त व रवि कुमार तथा कानपुर पुलिस के उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह व का0 सुनील कुमार सरकारी गाड़ी सहित अभियुक्त प्रभात मिश्रा के साथ मिले। उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने बताया कि कानपुर से एक और गाड़ी आ रही है जिसे आने में समय लगेगा, तब हमारी टीम के प्रभारी ने कानपुर पुलिस को अभियुक्त के साथ अपनी गाड़ी से चलने के लिए कहा। इसके बाद हम सभी लोग रवाना होकर इटावा पहुँचे।

बाईपास रोड पर कानपुर पुलिस की गाड़ी टाटासूमो मय चालक शैलेन्द्र प्रताप व हेडकांस्टेबल श्याम सिंह के साथ दिनांक 09.07.2020 की प्रातः 03 बजे के आसपास मिले। इटावा में अभियुक्त प्रभात मिश्रा, उपनिरीक्षक देवेन्द्र और का0 सुनील उपरोक्त टाटासूमों में बैठ गए, हम लोग

शील कुमार 12.11

उपरोक्त टाटासूमो के साथ-साथ सुरक्षार्थ पीछे-पीछे चल रहे थे। सुबह कानपुर पहुँचने पर फ्लाई ओवर के नीचे सर्विस लेन पर चलते हुए अण्डर पास के आगे -आगे चल रही सरकारी गाड़ी टाटासूमो, जिसमें अभियुक्त प्रभात मिश्रा बैठा था, का पिछला बॉयां टायर पंचर हो गया, उसके चालक व हेड कांस्टेबल उतरकर टायर बदलने लगे तथा हमारी गाड़ी में बैठे एस0टी0एफ0टीम के प्रभारी एस0आई अक्षय परवीर तथा टीम के अन्य सदस्य टाटासूमो को सुरक्षार्थ उचित दूरी पर घेरकर खड़े हो गये थे। मैं अपनी इनोवा गाड़ी में बैठा था तभी अचानक फायर की आवाज आई। इतना समझ पाता कि तभी टाटासूमों का पिछला दरवाजा खोलकर अभियुक्त प्रभात मिश्रा टाटासूमो से नीचे उतरकर अण्डर पास की ओर भागा। एक और फायर उसने टाटासूमों की ओर किया। जिस पर सभी पुलिस कर्मियों ने पोजीसन ले ली। अभियुक्त प्रभात मिश्रा अण्डर पास को पार करता हुआ भागा जिसके पीछे पुलिस पार्टी के सभी सदस्य उसको गिरफ्तार करने और आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे।

प्रभात मिश्रा मुडमुड़कर फायर कर रहा था। थोड़ी देर बाद फायर आने की आवाज बंद हो गयी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुँच गया तब मैं भी अपनी गाड़ी लेकर वहीं घटना स्थल के पास पहुँचा तब टीम प्रभारी ने बताया कि घायल अभियुक्त और घायल पुलिस कार्मियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है।

मौके पर फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा साक्ष्य संकलित किया गया। मौके पर फर्द तैयार की गई जिसको पढ़कर मैने हस्ताक्षर किये। उसके बाद हम लोग थाना पनकी गये वहाँ मुकदमा व अन्य कार्रवाई के बाद मैं अपनी टीम के साथ एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ होता हुआ वापस एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा पहुँच गया।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

कुमार शर्मा

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

12-11-2020

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

A-38

IW-10/1

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020

I.W.-10

(घटना कमांक–05)
दिनांक 30/11/2020

साक्षी का नाम–डॉ0 महेन्द्र कुमार, आयु–48, तैनाती– सामुदायिक कल्याण केन्द, कल्याणपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

मजरूव कांस्टेबल विकास (एस0टी0एफ0) का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 09.07.2020 को 08:30 ए0एम0 पर किया गया था। जिसमें निम्न चोट पायी गई थी–दी अब्रेजन साईज 04 सेमी इन्टू 01 सेमी वर्निंग इज प्रजेन्ट लेफ्ट मिड फॉरआर्म (एन्टीरियर एस्पेक्ट) (सस्पेक्टेड गन शॉट इंजुरी)। चूंकि दोनों चोटें एक ही जगह पर मौजूद थीं इसलिए मैंने अंकन अलग–अलग न करके एक ही चोट में कर दिया। अब्रेजन 04 इन्टू 01 सेमी वाली चोट में वर्निंग पायी गई थी। दूसरी चोट 6 सेमी इन्टू 0.5 सेमी में वर्निंग नहीं पायी गई थी। पहली चोट में ब्लैकनिंग भी मौजूद थी परन्तु इस तथ्य को मैंने इंजुरी रिपोर्ट में नहीं लिखा। दोनों चोटें साधारण एवं ताजी थीं। पहली चोट संभवतः गन शॉट इंजुरी थी। चोट में किसी प्रकार की भी लालिमा मौजूद नहीं थी। यदि गर्म लोहे की छड़ से चोट कारित की जाये तो उसमें लालिमा आवश्य होगी।

मजरूव कांस्टेबल सुनील कुमार (एस0टी0एफ0) का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 09.07.2020 को 08:45 ए0एम0 पर किया गया था। जिसमें निम्न चोट पायी गई थी–एन अब्रेजन एट लेफ्ट साईट ऑफ बैक एट 10 सेमी सुपिरियर टू लेफ्ट इलयक कस्ट (इन बुन्ड ब्लीडिंग प्रजेंट) (मेय बी गन शॉट इंजुरी) "मेरे हस्तलेख में लिखा हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरे अभिमत से इंजुरी रिपोर्ट में अंकित चोट गन शॉट से आना संभव नहीं है, यह चोट सख्त एवं कुन्दाले (हार्ड एण्ड ब्लांट ऑवजेक्ट)। इंजुरी रिपोर्ट में मैंने संबंधित एफआईआर संख्या एवं धाराओं का अंकन चिटठी मजरूवी देखकर की थी, मुझे नहीं पता कि उस समय तक एफआईआर दर्ज हुई थी, कि नहीं। गवाह ने इंजुरी रिपोर्ट को देखकर कहा कि अंकित चोट (अब्रेजन) का साईज अंकित नहीं किया है। साईज अंकित न करने का कारण बताते हुए कहा कि उस समय काफी भीड़भाड़, गहमागहमी का माहौल था, इसलिए लिखने से रह गया था।

मजरूव सी0पी0 सुनील, थाना चौबेपुर का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 09.07.2020 को 09:00 ए0एम0 पर किया गया था (इंजुरी रिपोर्ट में गलती से पी0एम0 अंकित है, बाकी दोनों उपरोक्त इंजुरी रिपोर्टस विकास एवं सुनील कुमार में पी0एम0 लिखा था जिसे संशोधित करके ए0एम0 किया था)। जिसमें निम्न चोट पायी गई थी–कम्प्लेंट ऑफ पेन एट वैरियस एरिया ऑफ वर्निंग एट नोज, बॉथ आर्मस, बैक एण्ड वीकनेस।

मजरूब के शरीर पर मैंने कोई जाहिरा चोट नहीं पाई थी। अंकित चोट के आगे "(सस्पेक्टेड गन शॉट इंजुरी) न तो मेरे द्वारा इंजुरी रिपोर्ट में लिखा गया है न ही लिखने के बाद कटिंग की गई है और न ही कटिंग पर मेरे द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर बनाए गए हैं। उक्त इंजुरी रिपोर्ट (एमएलसी नं0–ई/2028) की फोटो कॉपी मेरे द्वारा कल दिनांक 29.11.2020 को सीएचसी कल्याणपुर कानपुर नगर में सुरक्षित मेडिको लीगल रजिस्टर से मैंने स्वयं कराई है। जिसको दिखाकर गवाह ने कहा कि इसमें (सस्पेक्टेड गन शॉट इंजुरी) न तो लिखा, न तो काटा है और न ही मेरे लघु हस्ताक्षर हैं"।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

MKumar
30/11/20

एक प्रति प्राप्त की
MKumar
30/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

...ानुदा.यक स्वास्थ्य कन्द्र, कल्यानपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

...2025

नाम : ... उम्र : 25 लिंग : पुत्र/पुत्री/पत्नी/जाति : S/o Jagdish

पता : ... थाना : ...

चोटों का विवरण Details of Injuries

...वर्ती ...म तथा पता)

...आवश्यक हो

...रिपोर्ट संख्या/धारा ...ion No.

...307/342

...ntification

Complaint of pain at various area of body at Neck both hands back & ...

M.L.C. Register As per hospital record is brought by me today and I am filling its true photo Attested copy.

K.K. Tripathi Pharmacist CHC Kalyanpur Kanpur

08-12-...

NO External Injury

किसी अन्य अस्थि विशेष परीक्षण के लिये संदर्भित करना (Refer for any X-ray Or Further Specialist Opinion)

संबंधित थाने को सूचना (Information to Concerned Police Station) सामु० स्वा० केन्द्र कल्यानपुर कानपुर नगर

कोई अन्य अभियुक्ति (Any Other Finding)

अभिमत (Option)
1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries)
2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries)
3. कारित में प्रयुक्त पदार्थ/वस्तु (Weapon/Object Used)

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)
पद का नाम (Designation)
मोहर (Seal)

C1404 विपिन कुमार

440

441

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

E/2026

नाम : ... STF Noida उम्र : ... लिंग : Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/जाति : Naresh Singh ...

पता : STF Noida थाना : ... Dist Gautam Budh Nagar

समय 9/7/20 at ...

ने वाला (नाम तथा पता)

आवश्यक हो

रिपोर्ट संख्या / धारा

...tion No.

धारा 34 ... IPC

Identification

चोटों का विवरण Details of Injuries

C An Abrasion ... cm x ... cm ... present
... Scar at left Mid ... (... Aspect)
(Sus Gunshot Injury)

M.L.C Register as per hospital records is
Brought by me today and I am filing
it's true Photostat copy

... 8.12.20 ... Dhanwantri ...

किसी जांच अथवा विशेष अभिमत के लिये संदर्भित करना (Refer for any test Or Further Specialist Opinion)

सम्बन्धित थाने को सूचना (Information to Concerned Police Station)

कोई अन्य परीक्षण (Any Other Finding)

C1404 विपिन कुमार

चिकित्सा अधीक्षक
सा० स्वा० केन्द्र कल्याणपुर
कानपुर नगर

अभिमत (Option)
1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries) Simple Injury
2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries)
3. उपयोग में लाया गया हथियार / वस्तु (Weapon/Object Used)

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)
पद का नाम (Designation)
मोहर (Seal)

442

...सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

/2027

नाम : Sonu Kumar उम्र : 31 लिंग Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/जाति : Krishna [illegible]

पता : [illegible] Nivada थाना : [illegible]

चोटों का विवरण Details of Injuries

(1) An abrasion at left side of back at [illegible] cm Super... [illegible] left Iliac crest ([illegible] blood [illegible])

(Cue [illegible] Injury)

M.L.C. Register as per hospital records is brought by [illegible] photo [illegible] Methodology and I am filling it's true

[illegible]
Dr. K. [illegible] pharmacist
CHC Kalyanpur

किसी जांच अथवा विशेषज्ञ अभिमत के लिए संदर्भित करना (Refer for any test Or Further Specialist Opinion)

L.. [illegible]

चिकित्सा अधीक्षक
सामु० स्वा० केन्द्र कल्याणपुर
कानपुर नगर

सम्बन्धित थाने को सूचना (Information to Concerned Police Station)

कोई अन्य निष्कर्ष (Any Other Finding)

C1404 विपिन कुमार

अभिमत (Option)
1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries)
2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries)
3. प्रयोग में लाया गया हथियार/वस्तु (Weapon/Object Used)

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)
पद का नाम (Designation)
मोहर (Seal)

Simple [illegible] Head [illegible]

443

Documents/Evidence

Incident No. 06

dated 10.07.2020, On N.H. 02 near Kanhaiyalal Hospital,

PS-Sachendi, Kanpur Nagar.

मु0अ0सं0–221/20 धारा–224/307/392/411 भादवि थाना सचेण्डी कानपुर नगर का संक्षिप्त विवरण।

दिनांक 09.07.2020 को मु0अ0सं0–192/20 धारा–147/148/149/302/307/394 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के मुख्य अभियुक्त 05 लाख के इनामी विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को जनपद उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संदिग्ध हिरासत में लिये जाने की सूचना पर ग्वालियर म0प्र0 में मौजूद पुलिस उपाधीक्षक श्री तेज बहादुर सिंह एसटीएफ इकाई कानपुर नगर मय हमराही उसे लेने उज्जैन रवाना हुये तथा एसटीएफ मुख्यालय से निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह भी अपनी टीम के साथ मय गाड़ी उज्जैन म0प्र0 के लिए रवाना किए गए। जनपद उज्जैन में दिनांक 09.07.2020 को समय 20.10 बजे थाना महाकाल जनपद उज्जैन के निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह तोमर द्वारा उक्त अभियुक्त विकास दुबे को पुलिस उपाधीक्षक श्री तेज बहादुर सिंह व उनके साथ फोर्स को सुपुर्द किया गया, जिसे लेकर टीम कानपुर नगर रवाना हुई। उक्त अभियुक्त के विवेचक निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी भी 02 उपनिरीक्षक व हमराहियों के साथ मय सरकारी गाड़ी उज्जैन के लिए रवाना हुए। रास्ते में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा अभियुक्त विकास दुबे को निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी की अभिरक्षा में देकर गुना मध्य प्रदेश में विकास दुबे को विवेचक की गाड़ी में बैठाया गया। सभी गाड़ियाँ अभियुक्त को लेकर कानपुर नगर आ रही थीं कि चालकगण द्वारा लगभग 700 कि0मी0 का सफर तय किया जा चुका था एवं पुनः वापसी की जा रही थी कानपुर पहुँचने से पूर्व बारिश शुरू हो गई, एलीबेटेड रोड से उतरने के पश्चात् कन्हैया लाल हॉस्पिटल के सामने अचानक गाय भैंसों का झुंड भागता हुआ सड़क पार कर बाईं ओर भागने लगा। तेज रफ्तार से राजमार्ग पर जा रही गाड़ी जिसमें विकास दुबे मौजूद था, जानवरों से दुर्घटना से बचाने के लिए थके चालक द्वारा तेजी से बाईं ओर मोडकर नियंत्रित किया जा रहा था कि गाड़ी बरसात में स्किड करके सड़क के किनारे बने सीमेन्ट के मजबूत डिवाइडर से टकराकर चढ़कर बाईं तरफ दुर्घटनाग्रस्त होकर दिनांक 10.07.2020 को समय 06.35 ए.एम. पर बाईं ओर पलट गई। जिसमें वाहन में बैठे पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आईं, कुछ समय के लिए पुलिस कर्मी अर्धचेतन की अवस्था में चले गये। परिस्थितियों का लाभ उठाकर अभियुक्त विकास दुबे द्वारा निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी की पिस्टल होल्स्टर से छीन लिया व दुर्घटना ग्रस्त गाडी से पिछला-दरवाजा खोलकर निकल कर सडक के बाईं ओर कच्चे मार्ग पर भागा। तब तक फासले से आ रही अन्य गाड़ियाँ भी पहुँच गई थीं। जिसमें मौजूद पुलिस बल द्वारा विकास दुबे का पीछा किया गया। जिस पर विकास दुबे द्वारा पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर छीनी

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

445

(5)

(9)

हुई पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दिया गया। उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा जिंदा पकडने के उद्देश्य से फायरिंग रेंज के अंदर पहुँच गए थे, कि विकास दुबे द्वारा सीधा फायर किया गया जो क्षेत्राधिकारी श्री तेज बहादुर सिंह के सीने पर बीपी जैकेट पर लगी। विभिन्न दिशाओं से पुलिस कर्मियों द्वारा उनकी जान को बचाने के उद्देश्य से एक साथ फायर किये कि विकास दुबे के मुँह से चीख निकली और मौके पर गिर गया। उसके दाहिने हाँथ के पास सरकारी पिस्टल व 02 खोखे पड़े थे। उसे तत्काल इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक अभियुक्त–

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जनपद
1	विकास दुबे	रामकुमार दुबे	बिकरू	चौबेपुर	कानपुर नगर

बरामद शस्त्र–

क्र0सं0	शस्त्र का प्रकार	नम्बर	शस्त्र किससे संबंधित है
1	9एमएम पिस्टल	18158559	निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी थाना नवाबगंज कानपुर नगर से लूटी गयी।

मौके से बरामद जिंदा/खोखा कारतूस–

क्र0सं0	कारतूस का प्रकार	संख्या	
		जिंदा	खोखा
2	9एमएम पिस्टल	01	02

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(4)

(15)

नक्शा नजरी घटना स्थल मु०अ०सं० 221/20 धारा 224/307/332/411 व मु० अ०सं० 222/20 धारा 3/25/27 A Act थाना ... कानपुर नगर।

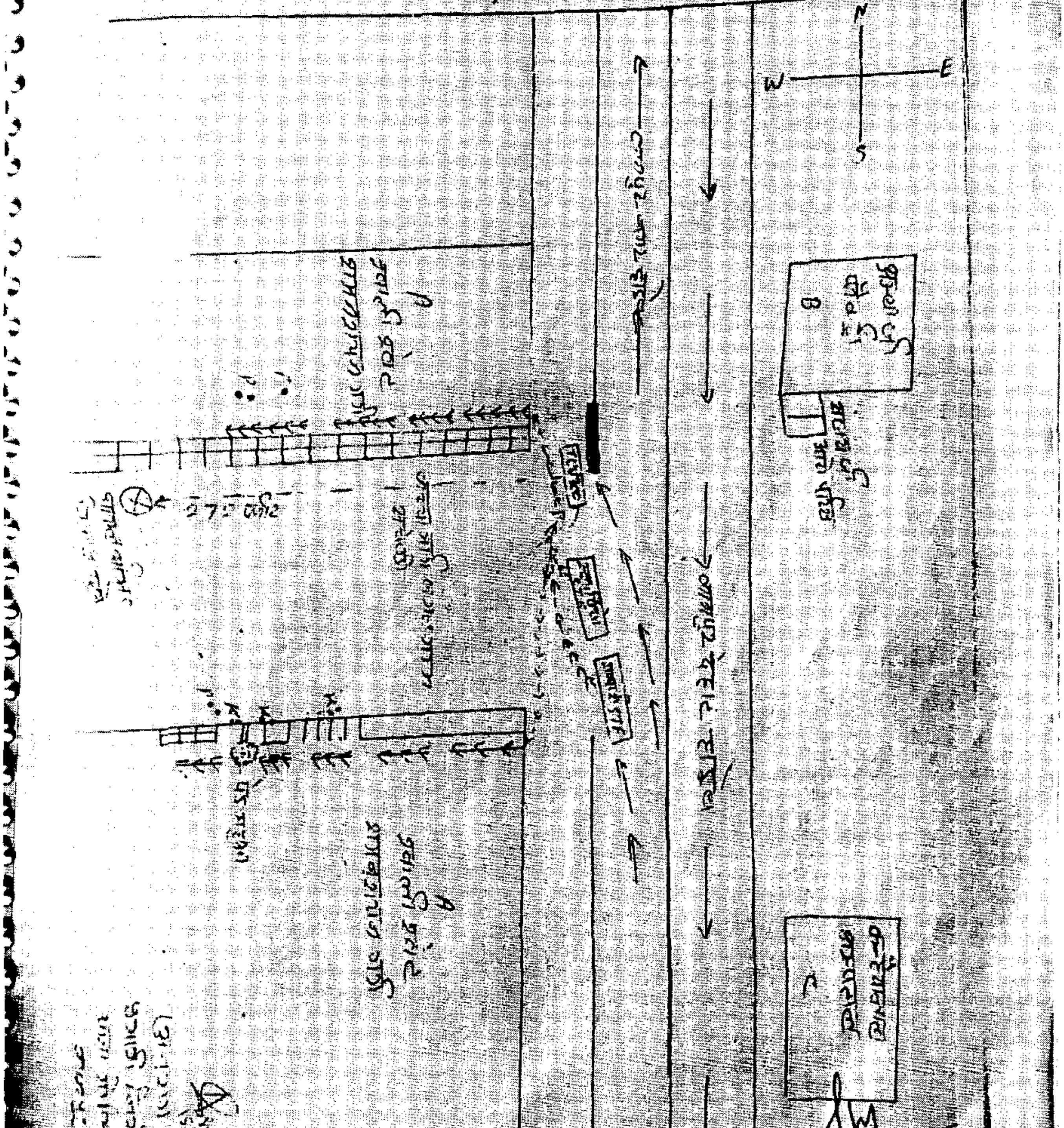

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned by CamScanner

(447)

(9)

(16)

संकेतादि :

(1) [illegible] स्थान [illegible] के समीप [illegible] पु०नि० [illegible]
[illegible]

(2) [illegible]
[illegible]

(3) संकेत [illegible] से [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

(4) संकेत [illegible] तथा [illegible]
[illegible] दर्शाया गया है। [illegible]

(5) संकेत ----- से [illegible] दर्शाया गया है। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] का पीछा किया [illegible]

(6) [illegible] दर्शाया गया है [illegible]

(7) संकेत K से पु०नि० [illegible] गये [illegible]
[illegible] S [illegible] दर्शाया गया है [illegible]

(8) संकेत P से [illegible] दर्शाया गया है।
[illegible] [illegible] दोनों [illegible]

(9) संकेत [illegible] से [illegible] दर्शाया गया है।

(10) संकेत A से [illegible] [illegible] [illegible]
दर्शाया गया है।

(11) संकेत B से [illegible] [illegible] संकेत C से [illegible]
अस्पताल को दर्शाया गया है।

(12) संकेत TOP 3 से संकेत (X) [illegible] [illegible] 272 फीट
है।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

[signature] 15/7/[illegible]
([illegible] मिश्रा)
उ०नि०
थाना [illegible]
कानपुर नगर

448

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कानपुर शहर P.S. (थाना): सचेंडी Year (वर्ष): 2020
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0221 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय):10/07/2020 10:05 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))
1	भा द सं 1860	224
2	भा द सं 1860	307
3	भा द सं 1860	392
4	भा द सं 1860	411

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 10/07/2020 Date To (दिनांक तक):10/07/2020
   Time Period (समय अवधि):पहर 2 Time From (समय से):06:35 बजे Time To (समय तक):06:35 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक): 10/07/2020 Time (समय): 10:05 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.):036 Date & Time (दिनांक और समय): 10/07/2020 10:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 01 किमी Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): कन्हैया लाल हास्पिटल के सामने [illegible] , राज्य मार्ग [illegible] कानपुर नगर
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): सीओ श्री तेजबहादुर सिंह
   (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यू आई डी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	STF फील्ड यूनिट ईकाई , जनपद कानपुर नगर , कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	STF फील्ड यूनिट ईकाई , जनपद कानपुर नगर, कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

449

(9)

(I) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मृतक विकास दुबे		पिता का नाम : राम कुमार दुबे	1. ग्राम बिकरू ,थाना चौबेपुर,कानपुर नगर , चौबेपुर,कानपुर ,यू.पी.,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो
S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
नकल तहरीर हिन्दी वादी टाइप शुदा-थानाध्यक्ष थाना सचेण्डी कानपुर नगर महोदय दिनाँक 02/03-07/2020 की रात मे ग्राम बिकरू चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के पुलिस कर्मियो द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व मे मु0अ0स0 191/20 धारा 147/148/504/323/364/342/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना चौबेपुर कानपुर नगर के वांछित अभियुक्त विकास दुबे की तलाश मे ग्राम बिकरू मे दबिश दी जा रही थी । इसी दौरान मुख्य अभियुक्त विकास दुबे द्वारा अपने सह अभियुक्तगणो के साथ एक राय होकर पुलिस बल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर प्राण घातक हमला किया जिससे क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार मिश्रा सहित 08 पुलिस कर्मियो की मौके पर ही मौत हो गयी एवं 07 पुलिस कर्मी घायल हो गये और उनके सरकारी असलहे एके-47 रायफल, इसास रायफल व पिस्टल आदि अभियुक्तगणो द्वारा लूट लिये गये थे । इस सम्बंध मे थाना चौबेपुर पर मु0अ0स0 192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग मे अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर व उसके 21 अन्य सह अभियुक्तगण नामित हुए थे । इस अभियोग मे भी अभियुक्त विकास दुबे वांछित था तथा इसकी गिरफ्तारी हेतु 2,50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित हो चुका था । अभियुक्त विकास दुबे थाना चौबेपुर का मजारिया ए क्लास हिस्ट्रीशीटर एवं गैंगेस्टर है । इसके विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न थानो मे 60 से अधिक अभियोग पंजीकृत हुए है जिसमे अधिकांश जघन्य प्रकृति के है । दिनांक 09.07.2020 को प्रातः जनपद उज्जैन मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास दुबे को संदिग्ध हिरासत मे लिये जाने की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गयी इसकी गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस के अतिरिक्त STF द्वारा भी सतत प्रयास किये जा रहे थे अतः इस सूचना पर उच्चाधिकारियो के निर्देश पर पूर्व से ग्वालियर मध्य प्रदेश मे मौजूद मै पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह STF फील्ड इकाई कानपुर मय सरकारी असलहा पिस्टल व कारतूस, का0 विमल कुमार मय सरकारी असलहा पिस्टल व कारतूस , कमाण्डो सर्वेश भदौरिया मय सरकारी असलहा एके 47 मय कारतूस तथा आरक्षी चालक मो0 साबिर मय सरकारी वाहन UP32BG4485 के साथ उज्जैन मध्य प्रदेश के साथ अविलम्ब रवाना हुआ तथा STF मुख्यालय से निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह मय सरकारी असलहा व पिस्टल व कारतूस, उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय सरकारी असलहा पिस्टल व कारतूस, HCP शिवेन्द्र सिंह सेंगर मय सरकारी असलहा पिस्टल व कारतूस, हे0का0 राजेश मौर्या मय सरकारी असलहा पिस्टल व कारतूस, हे0का0 अशोक गुप्ता मय सरकारी असलहा पिस्टल व कारतूस तथा आरक्षी चालक राममिलन मय सरकारी वाहन UP32BG4556 से अविलम्ब उज्जैन मध्य प्रदेश के रवाना किये गये इसी क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को अभियुक्त विकास दुबे को सुपुर्द करने हेतु पत्र संख्या वाचक विवेचना निर्देश /2020 दिनांक जुलाई 9, 2020 प्रेषित किया गया जिसके अनुपालन मे थाना महाकाल जनपद उज्जैन मध्य प्रदेश के निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह तोमर द्वारा दिनांक 09.07.2020 को समय 20.10 बजे अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम बिकरू पोस्ट शिवली थाना चौबेपुर कानपुर नगर को मुझ पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह व उनके हमराह पुलिस बल का0 विमल कुमार, कमाण्डो सर्वेश भदौरिया तथा आरक्षी चालक मो0 साबिर मय सरकारी वाहन UP32BG 4485 को सुपुर्द किया गया तथा जनपद उज्जैन से भी कुछ पुलिस कर्मी STF के हमराह किये गये जो नियमानुसार सुपुर्दगी मे लेकर कानपुर नगर के रवाना हुए इसी दौरान मुकदमा उपरोक्त के विवेचना श्री रमाकांत पचौरी निरीक्षक थाना

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

कोतवाली नवाबगंज कानपुर नगर मय एक अदद 9 MM पिस्टल मय कारतूस, उ0नि0 अनूप सिंह थाना फजलगंज मय एक अदद सरकारी रिवाल्वर व कारतूस, उ0नि0 पंकज कुमार थाना कल्याणपुर मय एक अदद सरकारी पिस्टल व कारतूस, का0 सत्यवीर थाना नवाबगंज मय एक अदद एके 47 रायफल मय कारतूस मय आरक्षी प्रदीप कुमार मय एक अदद एके 47 रायफल मय कारतूस व वाहन संख्या UP70AG3497 से उज्जैन के लिये रवाना हुए तथा इनके रवाना होने की सूचना पुलिस उपाधीक्षक को देकर अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को निरीक्षक श्री रमाकांत पचौरी की अभिरक्षा में देकर उनके साथ साथ कानपुर नगर तक आये। निरीक्षक श्री रमाकांत पचौरी द्वारा जनपद गुना मध्य प्रदेश पहुँचकर अभियुक्त विकास दुबे को नियमानुसार उनकी सुपुर्दगी में देकर उनकी सरकारी गाड़ी नं0 UP70AG3497 में बैठाया गया तथा यहीं पर STF की दूसरी टीम भी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह मय सरकारी असलाह एक अदद पिस्टल मय कारतूस, उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय सरकारी असलहा एक अदद पिस्टल मय कारतूस, HCP शिवेन्द्र सिंह सेंगर, हे0का0 राकेश मौर्या मय सरकारी असलहा एक अदद पिस्टल मय कारतूस, हे0का0 अशोक गुप्ता तथा चालक रामनिवास मिले जिनके साथ तीनों ही टीमें कानपुर नगर के रवाना हुई जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र अभियुक्त विकास दुबे को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा सके तथा उज्जैन का पुलिस बल जनपद गुना से वापस कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पुलिस टीम के वाहन चालक गण द्वारा कानपुर नगर से दिन में लगभग 700 कि0मी0 का उज्जैन तक का सफर किया जा चुका था एवं पुनः वापसी की जा रही थी। अभियुक्त को सुरक्षा व सुविधा के अनुसार निरीक्षक श्री रमाकांत पचौरी तथा का0 प्रदीप कुमार के बीच ड्राइवर व पैसेन्जर सीट के पीछे बीच में बैठाया गया था तथा STF टीम की दोनों गाड़ियां इस गाड़ी के पीछे पीछे उचित गति व फासले पर राजमार्ग पर चल रहे थे। सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी गाड़ियों में अदलते बदलते आ रहे थे। जनपद कानपुर नगर की सीमा में पहुँचने से पहले बारा जोड़ टोल प्लाजा को क्रास करने के पश्चात कानपुर की ओर बढ़ रहे थे तभी बारिश भी शुरू हो गयी थी और कानपुर नगर लगभग 25 कि0मी0 शेष रह गया था और एलीवेटेड रोड से उतरने के पश्चात भारत CNG पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही कन्हैया लाल हास्पिटल के सामने सड़क पर पहुँच की अचानक दाहिनी ओर से गाय भैंसो का झुण्ड भागता हुआ सड़क पार कर बायीं ओर भागने लगा। तेज रफ्तार से राजमार्ग पर जा रही सरकारी गाड़ी UP70AG3497 को इन जानवरों से दुर्घटना से बचाने के लिये वाहन चालक द्वारा तेजी से गाड़ी को बायीं ओर मोड़ कर नियंत्रित किया ही जा रहा था कि नियंत्रित करते करते गाड़ी बरसात से स्किड करके सड़क के किनारे बने सीमेन्ट के मजबूत डिवाइडर पर टकरा कर पलटकर बायीं तरफ दुर्घटना ग्रस्त होकर आज दिनांक 10.07.2020 समय करीब 06.35 ए0एम0 पर बायीं तरफ पलट गयी जिसके फलस्वरूप अचानक हुई इस दुर्घटना में सरकारी वाहन में बैठे हुए पुलिस कर्मियों को गम्भीर चोटें आयी तथा क्षणिक रूप से सभी पुलिस कर्मी अचेतन की अवस्था में चले गये जब तक इस झटके से पुलिस कर्मी उबर पाते कि सरकारी गाड़ी में मौजूद शातिर अभियुक्त विकास दुबे द्वारा परिस्थितियों का लाभ उठाकर घायल पुलिस अधिकारी श्री रमाकांत पचौरी की पिस्टल झटके से खींच कर छीन लिया और वह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से पिछला दरवाजा खोल कर निकल कर सड़क के बायीं ओर कच्चे मार्ग पर भागा तब तक टीमिंग समस्याओं के बीच से फासले पर आ रही हमारी गाड़ी भी पहुँच गयी और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी व हालात को देखा तो कुछ ठीक हालत में गाड़ी के आरक्षी सत्यवीर द्वारा बताया गया कि अभियुक्त विकास दुबे अभी अभी इन्सपेक्टर पचौरी साहब की सरकारी पिस्टल छीन कर हाथ के इशारे से बताया कि कच्चे रास्ते की ओर भागा है। इस पर मैं स्वयं तथा STF के शेष हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्त विकास दुबे का पीछा किया तो हम लोगों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर विकास दुबे ने पुलिस से छीनी हुई सरकारी पिस्टल से हम लोगो पर जान से मारने की नियत से पुलिस दल को लक्ष्य करके फायर करना शुरू कर दिया जिससे हम लोगो ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी सिखलाई के अनुसार उपलब्ध आड़ व पोजीशन लेकर बचाव करते हुए उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, आरक्षी विमल कुमार तथा कमाण्डो अवधेश भदौरिया द्वारा आत्म रक्षा व कर्तव्यपालनार्थ उसकी फायरिंग रेंज में पहुँचकर उसे जिन्दा पकड़ने के उद्देश्य से काफी नजदीक पहुँच चुका था कि इसने मुझे लक्ष्य करके सीधा फायर किया गोली दैवयोग से मेरे सीने पर बीपी जैकेट पर लगी जिसके कारण मेरी जान बच गयी ऐसी आपात स्थितियों में भिन्न भिन्न दिशाओं व दशाओं में मौजूद पुलिस कर्मियो ने मेरी जान बचाने के लिये एक साथ फायर कर दिये जिससे मुड़ मुड़ कर झुक झुक कर पलट पलट कर फायर कर रहे विकास दुबे के मुह से चीख और कराह निकल गयी और वह गिर पड़ा। आवश्यक सतर्कता बरतते हुए हम लोगो ने उसके नजदीक पास जाकर देखा तो उसके दाहिने हाथ के पास सरकारी पिस्टल पड़ा हुआ था और उसके आस पास ही दो अदद फायर शुदा खोखा कारतूस पड़े हुए थे अभियुक्त विकास दुबे के घायल होने के बावजूद भी उसमे जीवन के लक्षण दिखायी दे रहे थे जिसके कारण अभियुक्त को सरकारी वाहन से प्राथमिक उपचार किट में मौजूद कॉटन से दबा कर खून रोकने का प्रयास किया गया और तत्काल सम्बंधित थाना सचेण्डी के पुलिस बल की मदद से उपचार हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया और साथ ही साथ थाना सचेण्डी के पुलिस बल के द्वारा ही घायल पुलिस कर्मियों को भी उपचार हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया और पुलिस नियंत्रण कक्ष और उच्चाधिकारियों को भी इस दुर्घटना व मुठभेड़ की सूचना मेरे द्वारा दी गयी। मौके पर दुर्घटनाग्रस्त सरकारी वाहन UP70AG3497 क्षतिग्रस्त हालत में मौके पर पड़ी है तथा अत्यधिक बरसात होने के कारण अभियुक्त के पास से बरामद लूटी हुई पिस्टल को उसकी नाल में पेन डाल कर उठाकर उसका सेफ्टी पीकाशन कर उसके अन्दर एक जिन्दा कारतूस को निकालकर व यही पड़े दोनो खोखा कारतूसों व पिस्टल को एक पालीथीन में रखकर कब्जा पुलिस में लिया गया पुलिस द्वारा फायर किये गये असलहों के खोखा कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा भी फायर किये गये अन्य खोखा कारतूसो की भी तलाश की गयी लेकिन बरसात के कारण कच्ची सड़क पर मिट्टी गीली हो जाने के कारण तथा घास फूस का

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(11)

जंगल होने के कारण और खोखा कारतूस बरामद नही हो सके। क्षतिग्रस्त वाहन को आरक्षी सत्यवीर थाना नयागांव की निगरानी मे छोडा गया तथा घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु उ0नि0 विनोद कुमार सिंह तथा हे0का0 राजेश कुमार मौर्या व हे0का0 अशोक गुप्ता को घटनास्थल की निगरानी मे छोडा गया। अन्य पुलिस बल से उनकी कुशल क्षेम पूछी गयी तो जानकारी मिली कि दैवयोग से इस नजदीकी जोखिम भरी आमने सामने की मुठभेड़ मे HCP विजेन्द्र सिंह सेंगर तथा आरक्षी विमल कुमार STF के अतिरिक्त सभी पुलिस कर्मी सुरक्षित थे। इसके अतिरिक्त इस दुर्घटना मे निरीक्षक रमाकांत पचौरी, उ0नि0 पंकज सिंह, उ0नि0 अनूप कुमार व आरक्षी प्रदीप कुमार भी घायल हुए है जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है। इस मुठभेड़ की घटना को सड़क पर आते जाते कुछ लोगो ने निश्चित रूप से देखा है परन्तु तत्काल मौके पर कोई भी साक्षी उपलब्ध नही हो सका। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग के निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। बाद मे सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस अभिरक्षा से सरकारी पिस्टल लेकर भागने वाले व पुलिस दल से मुठभेड़ करने वाले घायल अभियुक्त विकास दुबे का जीवन बचाने मे सफलता नही मिल सकी और उपचार के प्रयास के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। इस मुठभेड़ मे उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से एक फायर, का0 विमल कुमार द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से 02 फायर तथा कमाण्डो सर्वेश भदौरिया द्वारा एके 47 रायफल से 03 फायर आत्म रक्षार्थ किये गये परन्तु बरसात व कच्चे रास्ते मे कोई भी खोखा कारतूस प्राप्त नही हो सका। अतः अनुरोध है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करे। SD अंग्रेजी अपठनीय 10/7/2020 तेज बहादुर सिंह क्षेत्राधिकारी STF फील्ड इकाई जनपद कानपुर नगर।नोट -मै हे0मु0 223 बृजकिशोर दीक्षित प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर व कायमी शब्द व शब्द बोल बोल कर सीसीटीएनएस पर नियुक्त का0 2631 बृजकिशोर दीक्षित द्वारा अलाया तकनीकि त्रुटि के पंजीकरण करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 मे उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: ATUL KUMAR SINGH(SI (Sub-Inspector)) / 852460292 or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): No.(to take up the investigation (को जांच अपने हाथ में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): ATUL KUMAR SINGH
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 852460292

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(451)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्यूकोडेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

453

13

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश P.S. (थाना): सचेण्डी

District (जिला): कानपुर शहर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 036
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 10/07/2020 10:05 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): BrijkishoreDubi
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

आमद आगन्तुक मय हमराह फोर्स व दाखिला एक किता प्रार्थना पत्र टाइपशुदा हिन्दी लिखित व घटना में प्रयुक्त सरकारी शस्त्र 02 अदद पिस्टल 9MM मय मैग्जीन व एक अदद ग्लाक पिस्टल 9MM मय मैग्जीन व एक अदद AK 47 रायफल व कायमी मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/411 भादवि व मु0अ0सं0 222/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व रवानगी

इस समय आगन्तुक श्री तेज बहादुर सिंह श्रीमान क्षेत्राधिकारी STF फील्ड इकाई जनपद कानपुर नगर मय हमराह कमाण्डो सर्वेश भदौरिया मय जीप सरकारी UP 32 BG 4485 मय चालक का0 मो0 साबिर मय हमराह SHO श्री शैलेन्द्र सिंह एसटीएफ शाखा लखनऊ मय चालक राम मिलन मय वाहन सरकारी UP 32 BG 4555 के उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर टाइपशुदा दस्तखती खुद के बाबत अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को पुलिस अभिरक्षा में उज्जैन म0प्र0 से कानपुर नगर लाते समय कन्हैया लाल हॉस्पिटल के सामने सड़क पर दाहिनी ओर से गाय भैंसों का झुण्ड सड़क पार करते समय भागने लगा जिससे चालक द्वारा गाड़ी को नियंत्रित करते समय डिवाईडर पर टकरा जाने से वाहन संख्या UP 70 AG 3497 TUV कार दुर्घटना ग्रस्त होने से पलट जाने के कारण पुलिस कर्मियों को गम्भीर चोटें आ जाने से अर्ध चेतन अवस्था में परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अभियुक्त विकास दुबे द्वारा पुलिस अधिकारी रमाकान्त पचौरी की पिस्टल सरकारी नं018158559 झटके से छीन लेने व गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर कच्चे मार्ग पर भागने पर पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त विकास दुबे द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस दल को लक्ष्य बनाकर फायर करने आत्म रक्षार्थ पुलिस बल द्वारा फायर करने से अभियुक्त विकास दुबे को गोली लग जाने से घायल अवस्था में अस्पताल भेजने तथा मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आने तथा अभियुक्त द्वारा छीनी हुई सरकारी पिस्टल नं018158559 मय 02 खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 9MM बरामद होने के सम्बन्ध में तथा का0 विमल कुमार एसटीएफ कानपुर शाखा द्वारा आत्म सुरक्षार्थ प्रयोग की गयी सरकारी पिस्टल नं016443271 मय मैग्जीन तथा कमाण्डो सर्वेश सिंह भदौरिया द्वारा आत्मसुरक्षार्थ घटना के दौरान प्रयोग की गयी सरकारी AK 47 रायफल नं01970-PT7108 तथा उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह एसटीएफ लखनऊ द्वारा आत्म सुरक्षार्थ प्रयोग की गयी सरकारी ग्लाक पिस्टल नं0 AACB718 मय मैग्जीन तथा क्षेत्राधिकारी श्री तेजबहादुर सिंह एसटीएफ कानपुर शाखा द्वारा घटना के समय पहने हुए बुलेट प्रूफ जाकेट, वकुआ दिनांक 10.07.2020 समय करीब 06.35 AM घटनास्थल कन्हैया लाल हास्पिटल के सामने कानपुर जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग सामने सड़क के पास के सम्बन्ध में दाखिल किया। हस्ब दाखिला तहरीर वादी के आधार पर मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/411 भादवि व मु0अ0सं0 -222/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट दिनांक घटना-10.07.2020 समय 06.35 AM दिनांक सूचना कायमी रपट हाजा रो0आम तारीखी इमरोजा घटनास्थल कन्हैया लाल हास्पिटल के सामने कानपुर जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग सामने सड़क के पास मजरे ग्राम सचेण्डी फासला करीब 01 किमी. दिशा जानिब दक्षिण बामुद्दईयत राज्य द्वारा श्री तेज बहादुर सिंह क्षेत्राधिकारी STF फील्ड ईकाई कानपुर नगर बनाम मृतक अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर दस्तन्दाजी व तफ्तीश आदेशानुसार अफसरान बाला SHO श्री अनुराग मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर कायम जरायम सम्बन्धित रजिस्ट्रान में किया व कराया गया। छैनी जरायम रवाना होगी तकमीला दर पेश है। सूचना जरिये आरटी सेट अफसरान बाला व एसओ महोदय को दी गयी। जो मौका घटनास्थल पर रवाना है। क्योंकि उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक विकास दुबे उपरोक्त के मृत्यु होने के सम्बन्ध में थाना स्वरूप नगर के माध्यम से फोनी सूचना प्राप्त वहवाले रपट नं0-29 समय 09.25 बजे पर तारीखी इमरोजा में प्राप्त हुई है। जिसकी पंचायत नामा की कार्यवाही हेतु सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर को दी गयी तथा थाना हाजा से व इमदाद उ0नि0 भवन सिंह मौर्य मय फोर्स के रवाना है। नकल चिक नकल रपट पास विवेचक वास्ते आवश्यक कार्यवाही द्वारा का02194 जनम सिंह को पास एसएचओ श्री अनुराग मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर रवाना किया गया। घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा प्रयोग की गयी सरकारी छीनी हुई पिस्टल नं018158559 मय एक मैग्जीन 02 राउण्ड खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 9MM तथा पुलिस बल द्वारा आत्मसुरक्षार्थ प्रयोग किये गये सरकारी असलाहजात पिस्टल नं0 16443271 मय एक मैग्जीन तथा सरकारी AK 47 रायफल नं01970-PT7108 मय एक मैग्जीन तथा सरकारी ग्लाक पिस्टल नं0 AACB718 मय एक मैग्जीन तथा उपरोक्त बुलेट प्रूफ जाकेट वास्ते परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना है। अतः उपरोक्त दाखिल शुदा शस्त्रों को व अभियुक्त द्वारा छीनी हुई सरकारी पिस्टल को तथा बुलेट प्रूफ जाकेट को कब्जा पुलिस में लिया गया। जिसे सुरक्षित सील सर्व मोहर हालत में अलग अलग चार दफ्ती डिब्बों में तथा एके 47 रायफल व बुलेट प्रूफ जैकेट को कपड़े में सील सर्व मुहर करके अन्दर मालखाना रखकर ताला मालखाना बन्द ठीक संतरी पहरा को दिखाया गया। चाबी पूर्ववत है। चूंकि अभियुक्त उपरोक्त थाना चौबेपुर के मु0अ0सं0 192/2020 धारा 147/148/149/302/307/394/120बी भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त है। नकल रपट व नकल एफआईआर वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु पास विवेचक भेजी जायेगी। उक्त घटना के दौरान पुलिस कर्मी का0 विमल कुमार एसटीएफ कानपुर शाखा, हे0का0ड्रा0 शिवेन्द्र सेंगर एसटीएफ लखनऊ, प्रभारी निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज, उ0नि0 अनूप सिंह थाना कल्याणपुर, उ0नि0 पंकज कुमार थाना कल्याणपुर, का0प्रदीप कुमार थाना नवाबगंज को उक्त घटना के दौरान आयी चोटों के कारण प्राथमिक उपचार हेतु सरकारी अस्पताल मौके से भेजा गया तथा उ0नि0 श्री विनोद कुमार एसटीएफ लखनऊ व हे0का0 राकेश मौर्या एसटीएफ लखनऊ तथा हे0का0 अशोक गुप्ता एसटीएफ लखनऊ को घटनास्थल पर छोड़ा गया तथा का0 सत्यवीर थाना नवाबगंज को दुर्घटना ग्रस्त वाहन की निगरानी हेतु मौके पर छोड़ा गया है। बाद दाखिला फर्द व देने नकल एफआईआर आगन्तुक गण को जायद तैनाती रवाना किया गया। मूल तहरीर संलग्न मूल एफआईआर है। एफआईआर की मूल प्रति माननीय न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

454

(15)

7. **Subject (विषय):**
मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/411 भादवि व मु0अ0सं0 222/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट

8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एं)):**

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))
1	भा द सं 1860	224
2	भा द सं 1860	307
3	भा द सं 1860	392
4	भा द सं 1860	411
5	आयुध अधिनियम, 1959	3
6	आयुध अधिनियम, 1959	25
7	आयुध अधिनियम, 1959	27

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 04/08/2020
Report Printed by (किस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): ATUL KUMAR SINGH
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): ATUL KUMAR SINGH
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 852460282

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

455

(15)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कानपुर शहर P.S. (थाना): चकेरी Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. 0222 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)10/07/2020 10:06 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	आयुध अधिनियम, 1959	3
2	आयुध अधिनियम, 1959	25
3	आयुध अधिनियम, 1959	27

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से 10/07/2020 Date To (दिनांक तक):10/07/2020

Time Period (समय अवधि):पहर 2 Time From (समय से):06:35 बजे Time To (समय तक):06:35 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 10/07/2020 Time (समय): 10:05 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):036 Date & Time (दिनांक और समय): 10/07/2020 10:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):दक्षिण, 01 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): कान्हैया लाल हास्पिटल के सामने,कानपुर जाने वाले राष्ट्रीय , राज्य मार्ग सामने सड़क के पास,बहद ग्राम चकेरी कानपुर नगर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सीओ तेजबहादुर सिंह

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	STF फील्ड ईकाई ,कानपुर नगर ,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	STF फील्ड ईकाई ,कानपुर नगर ,कानपुर शहर,उत्तर प्रदेश,भारत

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

456

20

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश P.S. (थाना): सचेण्डी

District (जिला): कानपुर शहर

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 036
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 10/07/2020 10:05 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): BrijkishoreDixit
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ
6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

आमद आगन्तुक मय हमराह फोर्स व दाखिला एक किता प्रार्थना पत्र टाइपशुदा हिन्दी लिखित व घटना में प्रयुक्त सरकारी असलहा 02 अदद पिस्टल 9MM मय मैग्जीन व एक अदद ग्लाक पिस्टल 9MM मय मैग्जीन व एक अदद AK 47 रायफल व कायमी मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/411 भादवि व मु0अ0सं0 222/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व रवानगी

इस समय आगन्तुक श्री तेज बहादुर सिंह श्रीमान क्षेत्राधिकारी STF फील्ड इकाई जनपद कानपुर नगर मय हमराह कमाण्डो सर्वेश भदौरिया मय जीप सरकारी UP 32 BG 4485 मय चालक का0 मो0 साबिर मय हमराह SHO श्री [illegible] सिंह एसटीएफ शाखा लखनऊ मय [illegible] राम मिलन मय वाहन सरकारी UP 32 BG 4555 के उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर टाइपशुदा हस्ताक्षरी मुद्दई के बाबत अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को पुलिस अभिरक्षा में उज्जैन म0प्र0 से कानपुर नगर लाते समय कन्हैया लाल हॉस्पिटल के सामने सड़क पर दाहिनी ओर से गाय भैंसों का झुण्ड सड़क पार करते समय भागने लगा जिससे चालक द्वारा गाड़ी को नियंत्रित करते समय डिवाईडर पर टकरा जाने से वाहन संख्या UP 70 AG 3497 TUV कार दुर्घटना ग्रस्त होने से पलट जाने के कारण पुलिस कर्मियों को गम्भीर चोटें आ जाने से अर्ध चेतन अवस्था में परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अभियुक्त विकास दुबे द्वारा पुलिस अधिकारी रमाकान्त पचौरी की पिस्टल सरकारी नं018158559 झटके से छीन लेने व गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर कच्चे मार्ग पर भागने पर पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त विकास दुबे द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस दल को लक्ष्य बनाकर फायर करने आत्म रक्षार्थ पुलिस बल द्वारा फायर करने से अभियुक्त विकास दुबे को गोली लग जाने से घायल अवस्था में अस्पताल भेजने तथा मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आने तथा अभियुक्त द्वारा छीनी हुई सरकारी पिस्टल नं018158559 मय 02 खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 9MM बरामद होने के सम्बन्ध में तथा का0 विमल कुमार एसटीएफ कानपुर शाखा द्वारा आत्म सुरक्षार्थ प्रयोग की गयी सरकारी पिस्टल नं018443271 मय मैग्जीन तथा कमाण्डो सर्वेश सिंह भदौरिया द्वारा आत्मसुरक्षार्थ घटना के दौरान प्रयोग की गयी सरकारी AK 47 रायफल नं01970-PT7108 तथा उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह एसटीएफ लखनऊ द्वारा आत्म सुरक्षार्थ प्रयोग की गयी सरकारी ग्लाक पिस्टल नं0 AACB718 मय मैग्जीन तथा क्षेत्राधिकारी श्री तेजबहादुर सिंह एसटीएफ कानपुर शाखा द्वारा घटना के समय पहने हुए बुलेट प्रूफ जाकेट, बमुकाम दिनांक 10.07.2020 समय करीब 06.35 AM घटनास्थल कन्हैया लाल हास्पिटल के सामने कानपुर जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग सामने सड़क के पास के सम्बन्ध में दाखिल किया हस्ब दाखिला तहरीर वादी के आधार पर मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/411 भादवि व मु0अ0सं0 -222/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट दिनांक घटना-10.07.2020 समय 06.35 AM दिनांक सूचना कायमी रपट हाजा ए0आम तारीखी इमरोजा घटनास्थल कन्हैया लाल हास्पिटल के सामने कानपुर जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग सामने सड़क के पास बहद ग्राम [illegible] फासला करीब 01 किमी दिशा [illegible] दक्षिण बामुद्दैयत राज्य द्वारा श्री तेज बहादुर सिंह क्षेत्राधिकारी STF फील्ड इकाई कानपुर नगर बनाम मृतक अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे नि0 ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर दरख्वास्ती व तहरीरी आदेशानुसार अपहरान थाना SHO श्री अनुराग मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर कायम जरायम सम्बन्धित रजिस्ट्रो में किया व कराया गया [illegible] असल तहरीर रवाना होगी तफसीला दर पेश है। सूचना जरिये आरटी सेट अफसरान बाला व उच्चाधिकारी महोदय को दी गयी जो मौका घटनास्थल पर रवाना है। क्योंकि उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक विकास दुबे उपरोक्त की मृत्यु होने के सम्बन्ध में थाना स्वरूप नगर के माध्यम से मौती सूचना प्राप्त [illegible] रपट नं0-29 समय 09.25 बजे पर तारीखी इमरोजा में प्राप्त हुई है। जिसकी पंचायत नामा की कार्यवाही हेतु सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर को दी गयी तथा थाना हाजा से व हमराह उ0नि0 [illegible] सिंह मौर्य मय फोर्स के रवाना है। नकल चिक नकल रपट साथ विवेचक वास्ते आवश्यक कार्यवाही द्वारा का02194 [illegible] सिंह को पास एसएसओ श्री अनुराग मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर रवाना किया गया। घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा प्रयोग की गयी सरकारी छीनी हुई पिस्टल नं018158559 मय एक मैग्जीन 02 अदद खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 9MM तथा पुलिस बल द्वारा आत्मसुरक्षार्थ प्रयोग किये गये सरकारी असलाहजात पिस्टल नं0 18443271 मय एक मैग्जीन तथा सरकारी AK 47 रायफल नं01970-PT7108 मय एक मैग्जीन तथा सरकारी ग्लाक पिस्टल नं0 AACB718 मय एक मैग्जीन तथा उपरोक्त बुलेट प्रूफ जाकेट वास्ते परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना है। अतः उपरोक्त दाखिल शुदा असलहो को व अभियुक्त द्वारा छीनी हुई सरकारी पिस्टल को तथा बुलेट प्रूफ जाकेट को कब्जा पुलिस में लिया गया। जिसे सुरक्षित सील सर्व मोहर हालत में अलग अलग चार दफ्ती डिब्बों में तथा एके 47 रायफल व बुलेट प्रूफ जैकेट को कपड़े में सील सर्व मुहर करके अन्दर मालखाना रखकर ताला मालखाना बन्द ठीक संतरी पहरा को दिखाया गया। बाकी पूर्ववत है। चूंकि अभियुक्त उपरोक्त थाना चौबेपुर के मु0अ0सं0 192/2020 धारा 147/148/149/302/307/394/120बी भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त है। नकल रपट व नकल एफआईआर वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ विवेचक भेजी जायेगी। उक्त घटना के दौरान पुलिस कर्मी का0 विमल कुमार एसटीएफ कानपुर शाखा, हे0का0मो0 [illegible] एसटीएफ लखनऊ, प्रभारी निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज, उ0नि0 अनूप सिंह थाना नवाबगंज, उ0नि0 पंकज कुमार थाना कल्याणपुर, का0प्रदीप कुमार थाना नवाबगंज को उक्त घटना के दौरान आयी चोटों के कारण प्राथमिक उपचार हेतु सरकारी अस्पताल [illegible] से भेजा गया तथा उ0नि0 श्री विनोद कुमार एसटीएफ लखनऊ व हे0का0 राकेश मौर्य एसटीएफ लखनऊ तथा हे0का0 अशोक गुप्ता एसटीएफ लखनऊ को घटनास्थल पर छोड़ा गया तथा का0 सत्यवीर थाना नवाबगंज को दुर्घटना ग्रस्त वाहन की निगरानी हेतु मौके पर छोड़ा गया है। बाद दाखिला फर्द व देने नकल एफआईआर आगन्तुक गण को बापस तैनाती रवाना किया गया। मूल तहरीर [illegible] शुमार है। एफआईआर की मूल प्रति माननीय न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

457

(2)

7. Subject (विषय):
मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/411 भादवि व मु0अ0सं0 222/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	224
2	भा द सं 1860	307
3	भा द सं 1860	392
4	भा द सं 1860	411
5	आयुध अधिनियम, 1959	3
6	आयुध अधिनियम, 1959	25
7	आयुध अधिनियम, 1959	27

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 04/08/2020
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): ATUL KUMAR SINGH
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): ATUL KUMAR SINGH
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 852460292

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(458)

(2)

आपराधिक इतिहास (12)

विकाश दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर, कानपुर नगर।

क्रमांक	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	750/98	27/30 आर्म्स एक्ट	कल्यानपुर	कानपुर नगर
2	794/98	332/353/307 भादवि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
3	795/98	21 NDPS.ACT	कल्यानपुर	कानपुर नगर
4	796/98	27/30 शस्त्र अधि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
5	828/98	02/03 गैंगेस्टर अधि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
6	704/04	147,,148,149,504,506 भादवि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
7	84/04	147,506 भादवि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
8	125/04	452,506 भादवि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
9	447/18	147,148,149,307,504,120बी भादवि0	कल्यानपुर	कानपुर नगर
10	614/93	25 आर्म्स एक्ट	काकादेव	कानपुर नगर
11	199/99	504/506 भादवि0	कोतवाली	कानपुर नगर
12	200/99	504/506 भादवि0	कोतवाली	कानपुर नगर
13	221/93	394,397,504,506 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
14	133/04	147,148,149,307,224,225,353 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट	चौबेपुर	कानपुर नगर
15	70/04	03/04 गुण्डा अधि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
16	146/04	3(1) गैंगेस्टर अधि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
17	240/04	110 जी सीआरपीसी	चौबेपुर	कानपुर नगर
18	273/04	307,379,448,353,504 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
19	98/05	394/397 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
20	610/15	147,148,149,504,506,323,324 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
21	361/15	110 जी सीआरपीसी	चौबेपुर	कानपुर नगर
22	137/17	147,148,149,302,120बी भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट	चौबेपुर	कानपुर नगर
23	193/17	110 जी सीआरपीसी	चौबेपुर	कानपुर नगर
24	215/17	03/04 गुण्डा अधि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
25	130/18	02/03 गैंगेस्टर अधि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
26	65/20	147,148,386,323,504,506 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
27	191/20	147,148,504,323,364,342,307 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
28	192/20	147,148,504,323,364,342,307 भादवि0	चौबेपुर	कानपुर नगर
29	135/16	420,467,471,272 भादवि0 व 60/63 आबकारी अधि0	बिठूर	कानपुर देहात
30	71/04	302,394,307 भादवि0 व 07 सीएलए एक्ट	बर्रा	कानपुर नगर
31	191/04	3(2) N.S.A 1980	बर्रा	कानपुर नगर
32	157/05	147,148,149,307 भादवि0	बिल्हौर	कानपुर नगर
33	265/05	03(1) गैंगेस्टर अधि0	बिल्हौर	कानपुर नगर
34	142/17	332,323,307,506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट	शिवराजपुर	कानपुर नगर
35	221/20	224,307,392,411 भादवि0	सचेण्डी	कानपुर नगर

पुलिस उपाधी[illegible]
सूचना सेल का[illegible]
कानपुर न[illegible]

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
36	222/20	03/25/27 आर्म्स एक्ट	सचेण्डी	कानपुर नगर
37	130/90	323,325,504 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
38	219/91	323,506 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
39	77/92	147,148,452,323,504,506 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
40	45/92	302,504,506,34 भादवि0 व 3(10) एस0सी/एसटी एक्ट	शिवली	कानपुर देहात
41	312/92	147,323 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
42	314/93	3(1) गैंगेस्टर अधि0	शिवली	कानपुर देहात
43	333/96	147,148,149,307,323,324 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
44	22/96	307,504 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
45	321/97	03/05 गुण्डा अधि0	शिवली	कानपुर देहात
46	29/098	147,148,149,307,504,342 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
47	107/98	147,148,332,353,324,325,504,506 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
48	243/99	110 जी सीआरपीसी	शिवली	कानपुर देहात
49	245/99	3/5 गुण्डा अधि0	शिवली	कानपुर देहात
50	/377/99	325,506 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
51	380/99	147,148,149,323,307,506 भादवि0 व 4/5 EXP.ACT	शिवली	कानपुर देहात
52	84/2000	03/05 गुण्डा अधि0	शिवली	कानपुर देहात
53	85/2000	110 जी सीआरपीसी	शिवली	कानपुर देहात
54	328/2000	10 यू0पी0 गुण्डा अधि0	शिवली	कानपुर देहात
55	352/2000	395 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
56	336/2000	147,148,149,34,302 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट	शिवली	कानपुर देहात
57	361/2000	147,148,149,307, 302/34 ,120बी भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
58	144/2001	395,397,504,506 भादवि0 व 07 सीएलए एक्ट	शिवली	कानपुर देहात
59	07/2001.	02/03 गै0 अधि0	शिवली	कानपुर देहात
60	55/2001	03(3) रासुका अधि0	शिवली	कानपुर देहात
61	78/02	25 आर्म्स एक्ट	शिवली	कानपुर देहात
62	174/02	147,148,149,307,302,364,395,324,506,120बी भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
63	143/2001	147,148,149,323,302,427,332,120बी भादवि0 व 07 सीएलए एक्ट	शिवली	कानपुर देहात
64	188/98	147,148,448,504,506 भादवि0	शिवली	कानपुर देहात
65	135/06	8/15 एनडीपीएस एक्ट	जनकपुरी	सहारनपुर
66	605/17	03/25 आर्म्स एक्ट	कृष्णा नगर	लखनऊ

(460)

(29)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / शव–विच्छेदन / 2020 / दिनांक : 10.07.2020

कार्यालय–ज्ञाप

उप निरीक्षक, थाना सचेण्डी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 10.07.2020 एवं जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर के पृष्ठांकन दिनांक 10.07.2020 के क्रम में मृतक विकास दुबे पुत्र श्री राम कुमार निवासी बिकरू, चौबेपुर, कानपुर नगर, के शव का शव–विच्छेदन एवं वीडियोग्राफी पैनल द्वारा किया जाना है।

अतः मृतक का शव–विच्छेदन करने हेतु निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों का पैनल निम्नवत गठित किया जाता है। शव का पोस्टमार्टम आज ही डा0 अरविंद अवस्थी की देखरेख में किया जाएगा। शव विच्छेदन की वीडियोग्राफी पुलिस विभाग द्वारा करायी जायेगी।

क्र0सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	तैनाती स्थल
1	डा0 अरविंद अवस्थी	यू0एच0एम0 चिकि0
2	डा0 एस0के0 मिश्रा	यू0एच0एम0 चिकि0
3	डा0 विपुल चतुर्वेदी	चौबेपुर

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / शव–विच्छेदन / 2020 / 1308-6 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिला अधिकारी, कानपुर नगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3. उप निरीक्षक, थाना सचेण्डी, कानपुर नगर।
4. प्रभारी निरीक्षक, थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर।
5. प्रभारी अधिकारी, पोस्टमार्टम हाउस, कानपुर नगर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

(2)

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

461

38

सेवा में,

सी.एम.ओ. 89

आपातकाल
स्वरूप नगर
कानपुर

निम्नलिखित विवरण का मृतक शव

L.L.R. Hospital Emergency में मृत अवस्था में लाया गया है।

विवरण :-

Name - Vikas Dubey
Age - About 52y/m
S/o - Raj Kumar Dubey
R/o - Vill - Bikru
P/s - Chaubepur
Dist - Kanpur Dehat
B/b ① H.C.P. Shivendra Singh Sengar
mob - 9450337999
SI - Pankaj Jaiswal P/s Sachendi
Kanpur nagar - 8318737256
मृतक लाये जाने का समय दिनांक

10/7/20 at 7.50 Am

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(6)

MEDICAL OFFICER POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

10/7/20

462

ANNEXURE-1

MODEL POST-MORTEM REPORT FORM

NAME OF INSTITUTION : POST-MORTEM HOUSE, KANPUR NAGAR

Post-Mortem Report No. 1847/2020 Date 10/07/2020

Body Received Sealed - Yes/No: Yes Sealed Intact - Yes/No. Yes

Conducted by Dr. A.K. Awasthi Dr. S.K. Mishra Dr. V.P. Chaturvedi

Date & Time of receipt of the body and Inquest paper for Autopsy 10/07/2020 at 4:10 PM

Date & Time of Commencement of Autopsy 10/07/2020 at 4:15 PM

Time of Completion of Autopsy 10/07/2020 at 5:45 PM

Date & Time of examination of the dead body at Inquest (as per Inquest Report) 10/07/2020 at 11:00 AM

Name & Address of the person video recording the Autopsy Arvind Trivedi S/o Late J.N. Trivedi R/o 106/34 Gandhi Nagar Kanpur UP

CASE PARTICULARS :

1. Name of deceased and as entered

In the Jail or Police record Vikash Dubey

S/o, D/o, W/o Rajkumar Dubey urf Ram Kumar Dubey

Address village Bikaru P/S Chaubepur dist. Kanpur Nagar U.P.

2. Age (Approx.) : 52 Yrs. Male Sex : Male / Female

3. Body brought by (Name and rank of Police officials)

(i) CP 3723 Vinod Pashi

(ii) CP 2205 Anurag Kumar

of Police Station Sachendi

4. Identified by

(i) CP 3723 Vinod Pashi Thana Sachendi

(ii) CP 2205 Ankur Singh Thana Sachendi

पुलिस उपाधीक्षक पोस्टमार्टम कार्यालय कानपुर नगर

(463)

(47)

IF HOSPITAL, DEAD BODIES - (particulars as per hospital records)

Date & Time of Admission in Hospital ——

Date & Time of Death in Hospital Brought dead on 10/7/2020 at 7:50 pm

Central Registration No. of Hospital L.L.R. Hospital Kanpur
Enclo. No. - 6

SCHEDULE OF OBSERVATIONS

(A) GENERAL

(1) Length 184 cms. (2) Weight N/A Kgs.

(3) Physique - (a) lean / medium / obese

(b) Well built / average built / poor built / emaciated

(4) Identification features (if body is unidentified)

(i) ____

(ii) — N/A —

(iii) Finger Prints be taken on separate sheet and attached by the doctor. one face Mask

(5) Description of clothes worn - Important features one Underwear. one Full Lower one Half Lower on T-Shirt one Baniyan Stained with blood one Yellow coloured metallic ring, one Kala dhaga with tabij

(6) Post-mortem Changes :

As seen at Autopsy - Rigor Mortis Present Both Extremity and Neck
PM Staining whole back buttock and Back of both Thigh.

PM No 1847/2020

(7) (a) External general appearance -

(b) State of (i) Eyes - } Partially closed
(ii) Mouth -

(c) Natural orifices -

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर
10/7/20

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

(4)

(B) EXTERNAL INJURIES : Antemortum Injury

(1) Abraded contusion 12x8 cm Rt side of fore-head and face

(2) Firearm wound of Entry size 1x1 cm Lt side of chest - 5 cm Below medial half of clavicle
Margins - Inverted - Abraded color present
Loss of Tissue present.

(3) Firearm wound of Entry of size 1x1 cm Lt side of chest 3.5 cm Below inj No (2) and 3 cm Supero-medial from Lt Nipple.
Margins - Inverted abraded color present loss of Tissue present

(4) Fire arm wound of Entry 1x1 cm Top of Shoulder (Rt side) Anterior Aspect
Margins - Inverted, Abraded color, loss of Tissue present

(5) Fire arm wound of Exit 2.5x2 cm lateral part Lt side of (Back) chest 20 cm Below Top of Lt Shoulder
Margins Everted communicates Through and Through with inj No (2) and (5)

(6) Fire arm Exit wound 2x1.5 cm Lt side back of chest 17 cm Below C-7 Margins everted communicating with inj No - (3) and (6)

(7) Fire arm wound of Exit 2.5x2.5 cm Rt side mid part of Scapula [illegible] cm Below Top of Rt Shoulder Margins Everted communicating with inj No (4) and (7).

(8) L/W of 3x2 cm Rt side of chest laterally [illegible] cm Below Rt Axilla. Muscle deep.

(9) L/W of size 3x2 cm x Muscle deep Medial side of Rt Elbow Joint.

[illegible] size 4x3 cm x Muscle deep [illegible]
Chest.

पुलिस उपाधीक्षक
[illegible] सेल कार्यालय
[illegible]पुर नगर

465

(C) INTERNAL EXAMINATIONS :

1. **HEAD**

(a) Scalp findings NAD

(b) Skull (Describe fractures here & show them on body diagram enclosed) — NAD

(c) Meninges, meningeal spaces & Cerebral vessels — pale

(d) Brain finding & Wt. (Wt. 1500 gms.) pale

(e) Oribital, nasal & aural cavities - findings. — NAD

2. **NECK**

- Teeth 16/14
- Mouth, Tongue & Pharynx
- Larynx & Vocal cords
- Condition of neck tissues
- Thyroid & other cartilage conditions } NAD
- Trachea

3. **CHEST**

- Ribs and Chest wall — As Noted
- Oesophagus
- Trachea & Bronchial Tree } NAD
- Pleural Cavities -R- -L- } Both Pleural Cavity filled with 1 Lit Blood and 1 Kg Blood Clot found

Lungs findings & Wt. -Rt. 500 gms. & Lt. 350 gms.

Both Lungs Lacerated and Pale

PM No - 1847/2020

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

466

(45)

- Pericardial Sac NAD

- Heart findings & Wt. 300 gram Both chamber Empty

- Large blood vessels – NAD

4. **ABDOMEN**

- Condition of abdominal wall – As Natural

- Peritoneum & Peritoneal cavity – NAD

- Stomach (wall condition, contents & smell) (Weight 400 with content gms.) – MM – NAD

- Small intestines including appendix Half filled with gases

- Large instestines & Masentric vessels fecal Matter with gases

- Liver including gall bladder (wt. 1500 gms.) pale g/b barely filled

- Spleen (wt. 100 gms.) – pale

- Pancreas – NAD

- Kidneys finding & Wt. - Rt. 150 (160) gms. & Lt. 150 (140) gms. Both Kidney pale

- Bladder & Urethra – Empty

- Pelvic cavity tissues – NAD

- Pelvic Bones – NAD

- Genital organs (Note the condition of Vagina, Scrotum, presence of foreign body, presence of foetus, semen or any other fluid, and contusion, abrasion in and around genital organs). NAD

PM no. 1847/20

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

7/2

POST MORTEM HOUSE KANPUR NAGAR

467

5. **SPINAL COLUMN & SPINAL CORD (To be opened where in indicated)**

OPINION Not open

i) Probable time since death (keep all factors including observation at inquest)
About Half day

ii) Cause & manner of death - The cause of death to the best of my knowledge and belief is : -

a) Immediate cause - Hemorrhage and Shock

b) Due to - Antemortem fire arm injuries

c) Which of the injuries are anti -mortem/post-mortem - all are Antemortem

d) Manner of causation of injuries. fire arm injury and Hard and blunt object

e) Whether injuries (individually or collectively) are sufficient to cause death in ordinary course of nature or not? Yes

iii) Any other - NIL

SPECIMEN COLLECTED & HANDED OVER (Please tick)

a) Viscera

(i) Stomach Tissue with Contents - 50 gm

(ii) Piece of Small Intestine - 50 gm

(iii) Piece of Liver with G.B. - 50 gm

(iv) Piece of both kidney - 50 gm

(v) Piece of Spleen - 50 gm

(vi) Other Viscera

PMHU 1047/20
1/9/20

b) Clothes — As Noted

c) Photographs (Video cassettes in case of custody deaths, fingers prints etc.)
Sealed and Handed over Constt C.P.

d) Foreign body (like bullet, ligature etc.)

e) Sample of preservative in cases of poisoning.

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

468

f) Sample of seal

g) Inquest papers (mention total number & initial them) (13)

h) Slided from vagina, semen or any other material.

PM done in my presence & I agree c opinion & findings.

Dr A. K. Awasthi
Chest Physician
URM hospital
Kanpur
videocasett

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

PM report in original (13) Inquest papers, dead body, clothing and other articles (mention there) duly sealed (Nos. 05) handed over to police official

Name & No. CP 3723 Vinod Pal, CP 2205 Ankur Kumar

of PS Sachendi whose signatures are herewith.

PM done in my presence
I agree with findings & opinion.
(Dr. Vipul Chaturvedi)
CHC, Chaubeypur
Kanpur Nagar

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Signature ______ 10/7/2010

Name of Medical Officer ______

(in block letters) DR. S.K. MISHRA

Designation Pathologist URM Hospital (Kanpur)

SEAL

MEDICAL OFFICER
POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

Receiving :

Signature Ankur Singh

Name Ankur Singh

Rank Constable

Belt No. 2205

Police Station Sachendi

Date of Collection 10/07/2010

Total No. Pages Received 9+9+13 = 31 Page ...

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

469

Full Body : Male - Anterior and Posterior Views (Ventral and Dorsal)

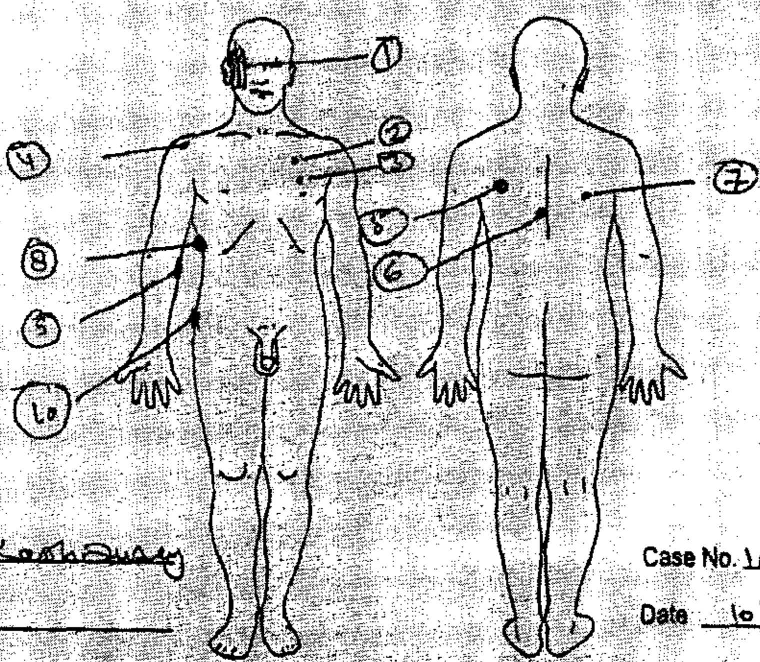

Name Vi Kash Dubey

Case No. 1847/20

Date 10/7/2020

Full Body : Female - Anterior and Posterior Views

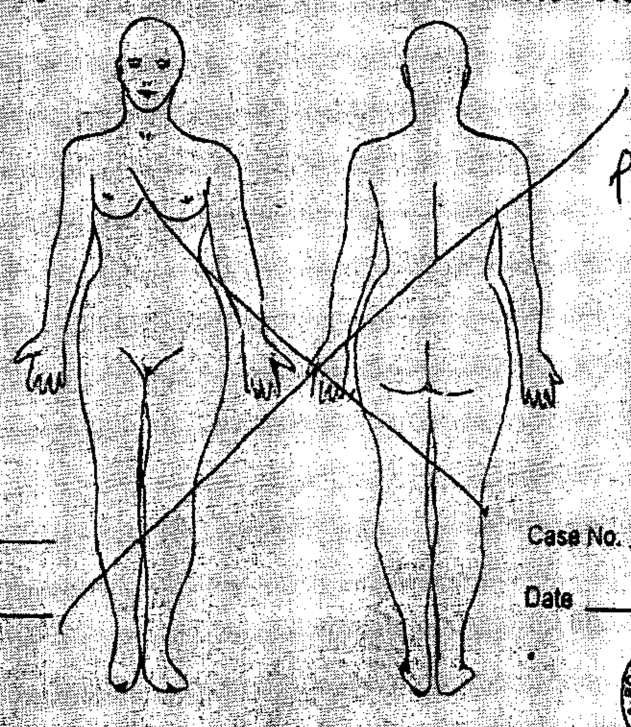

PM 1470
1847/20
1

11/9/2

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Name

Case No.

Date

POST MORTEM HOUSE
KANPUR NAGAR

470

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

M.L.C. No. E/2040

E. No.

नाम : Pankaj Kumar आयु : 33 लिंग : Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति : Ram Bihari

पता : Chauki Prabhu pur thana : Kalyanpur Kanpur Nagar

दिनांक एवं समय 10/7/2001

अग्रेषित करने वाला (नाम तथा पता) Raghuvansh Singh Kalyanpur

सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा F.I.R./Section No. Nil

पहचान के चिन्ह / Mark of Identification: Mole at left eye of mouth

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रम संख्या	चोट का प्रकार	सीमा या प्रकार		स्थिति (Location)	आकार (Shape)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Bleeding from Nose and patient is in conscious / normal							

किसी जांच हेतु अथवा विशेषज्ञ की राय के लिए संदर्भित करना (Refer for any test Or Further Specialist Opinion)

Dr. Pandey

सूचित किये गये पुलिस स्टेशन (Information to Concerned Police Station)

(Any Other Finding)

चिकित्सा अधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र, कल्याणपुर
कानपुर नगर

RT/LTI

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल
कानपुर नगर

(5)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

M.L.C. No. E/2042

E. No.

नाम : Rama Kant Pachan उम्र : 53 लिंग : Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति : Lt Komal Singh

पता : Thana Nawabganj थाना : Nawabganj

दिनांक एवं समय 10/7/20 at 8:10 Am

अग्रेषित करने वाला

लाने वाला (नाम तथा पता) Raghavendra Sgt Pachan PS

सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा
F.I.R./Section No. Nil

पहचान के चिन्ह
Mark of Identification
Male Bond at left eye brow

RTI/LTI

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रमांक	चोट का प्रकार	चोट का प्रकार	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	स्वरूप	अन्य अवलोकन
(1)	Complaint of pain at right elbow Jt						
(2)	Nasal bleeding Erosion of Nasal Mucosa						

किसी अन्य सुविशेषज्ञ अभिमत के लिये संदर्भित करना (Refer for any test Or Further Specialist Opinion)

संबंधित थाने को सूचना (Information to Concerned Police Station)

अन्य निष्कर्ष (Other Finding)

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर
कानपुर नगर

अंतिम निष्कर्ष
1. चोटों की प्रकृति
2. चोटों की अवधि
3. ...

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)
पद का नाम (Designation)
मोहर (Seal)

Simple

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर

पुलिस उपाधीक्षक
कार्यालय
कानपुर नगर

471

472

5

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

M.L.C. No. E/2039

E. No.

नाम: Anoop Kumar S/o   उम्र: 30   लिंग: Male   निवासी: Sahnagar Distt Kanpur

द्वारा: Thugu Prabhu m. पता: Eus ok gene area

दिनांक एवं समय 10/7/2004 7:50

अग्रेषित करने वाला

लाने वाला (नाम तथा पता)

Raghunath Singh

S/o Pradeep Rana

सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा

F.I.R./Section No.

Nil

पहचान के चिन्ह

Mark of Identification

Mole two cm anterior to left clavicle

RTI/LTI

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रमांक	चोट का प्रकार	चोट का प्रकार		स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)		अन्य अंकित
1	Complaint of pain at abdomen, lower extremities, Back etc							

किसी अन्य जाँच विशेष राय के लिये संदर्भित करना (Refer for any test or further specialist opinion)

संबंधित थाने को सूचना (Information to Concerned Police Station)

अंतिम निष्कर्ष (Final Finding)

No External Injury

सामु० स्वा० केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर

(5)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्यानपुर, कानपुर नगर

चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र (Medicolegal Examination Form)

M.L.C. No. E/2041
E. No.

नाम : CP 547 Pradeep Kumar आयु: 30 लिंग : Male पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति Panna Lal

पता : Police Line Kanpur थाना: Police Line

दिनांक एवं समय 10/7/10 at 8:30 AM

अग्रेषित करने वाला
लाने वाला (नाम तथा पता) Raghuveer Sr
सहमति यदि आवश्यक हो

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा
F.I.R./Section No. NIL

पहचान के चिन्ह
Mark of Identification
Mole at [illegible]

RTI/LTI

चोटों का विवरण Details of Injuries

क्रम सं०	चोट का प्रकार	चोट का प्रमाप	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	[illegible]	[illegible]	अन्य [illegible]
(1)	Person is Semi unconscious and Sustained Head injury from and Nasal bleeding			Instructive		Ad	[illegible]

निश्चित [illegible] (Refer for any test Or Further Specialist/Opinion)
संबंधित [illegible] (Information to Concerned Police Station)
[illegible] (Any Other Finding)

[illegible]
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्यानपुर
कानपुर नगर

473

474

घाट प्रपत्र (Injury Form)

दिनांक 10.7.2020

परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक समय एवं स्थान: CHC [illegible] 11:10 PM

नाम : Dharmendra Singh   उम्र [illegible]   लिंग M

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति : Lt. Raj Singh

पता : STF Office [illegible] Nagar

जिला : Lucknow

थाना : [illegible] Nagar

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा (FIR No./Section) :

अग्रेषित करने वाला/लाने वाला (नाम तथा पता) : C.L 2868 Chandra Prakash P.S. [illegible] [illegible] Nagar

सहमति (यदि आवश्यक हो) :

पहचान के चिन्ह (Mark of Identification) : [illegible] injury [illegible] Rt [illegible]

शारीरिक विवरण (Physical Description) : GC — U/S

चोटों का विवरण (Details of Injuries)

क्र. सं.	चोटों का विवरण	चोटों का आकार गहराई सहित	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	रक्तस्राव	अन्य अन्वेषण
1	Abrasion [illegible] [illegible] fresh bleeding on left arm [illegible] laterally measuring 1.5 cm x [illegible] .5 cm.						
2	Abrasion 2.8 cm x 1.3 cm on Rt forearm [illegible] (dorsally). [illegible] red in colour.						

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

475

(5)

... को रेखांकित करके चार्ट में दर्शाईये जो कि इस फार्म के साथ संलग्न है –

Full Body : Female-Anterior and Posterior Views | Full Body : Male-Anterior and Posterior Views

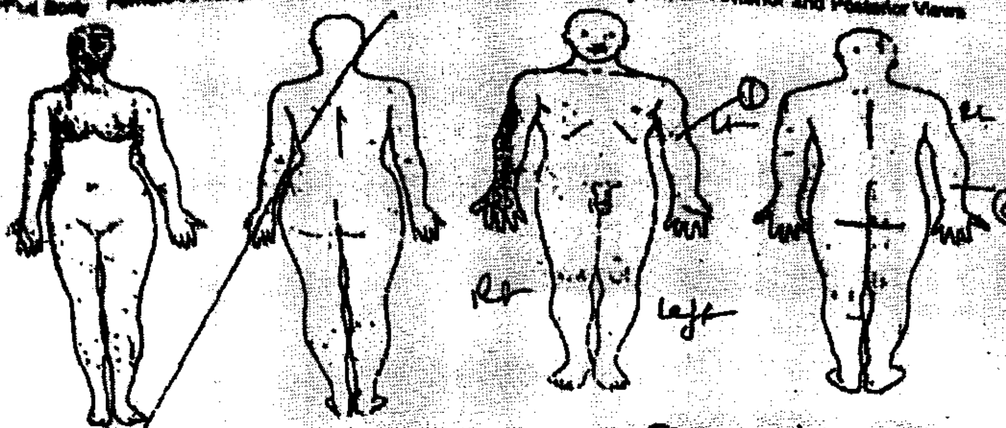

नाम........ रिपोर्ट संख्या
दिनांक

नाम Bhupendra Singh रिपोर्ट संख्या
दिनांक

किसी जाँच अथवा विशेषज्ञ अभिमत केलिए अग्रसारित करना
(Refer for any test or further specialist opinion)

सम्बन्धित थाने को सूचना
(Information to concert Police Station)
परीक्षण की समाप्ति का दिनांक तथा समय
कोई अन्य अन्वेषण (Any other finding)

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में) Dr Vinay Kumar
पदनाम (Designation)
मोहर (Seal)
Dr. Vinay Kumar
EMO, LLR Hospital

फोरेन्सिक नमूना की सूची/अन्वेषण प्रपत्र सम्बन्धित पुलिसकर्मी को सुपुर्द किया गया।

हस्ताक्षर

पुलिसकर्मी को सुपुर्द करने का दिनांक तथा समय

विवेचना अधिकारी/सम्बन्धित पुलिस
आरक्षी हस्ताक्षर
का नाम तथा आरक्षी नम्बर
(बड़े अक्षरों में)
पदनाम/पद/थाना/जिला
दिनांक/समय

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

मोटिम व्यक्ति का निशानी अँगूठा (दायाँ/बायाँ)
अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में) DR VINAY KUMAR
पदनाम (Designation)
मोहर (Seal) Dr. Vinay Kumar
EMO, LLR

चोटों का विवरण (Details of Injuries) अनु 13 (ए)

क्र. सं.	चोटों का विवरण	चोटों का आकार [illegible]	स्थिति (Location)	आकार (Shape)	किनारा (Margin)	[illegible]	अन्य अवलोकन

अभिमत (Opinion) Refer to ERSO for expert treatment and management. ER no. 2020/089 0033863

1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries) injury (1)(2) simple

2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries) Fresh in duration.

3. उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु (Weapon/Object Used) injury no (1) is caused by serrated firearm Contd...... injury no (2) is caused by hard and blunt object

पुलिस उपाधीक्षक सूचना सेल कार्यालय कानपुर नगर

(477)

(55)

लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर नगर

चोटिल (जख्मी) व्यक्ति के चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र

(Medicolegal Examination Form for Injured Person)

मेडिकोलीगल रिपोर्ट नं० चोट प्रपत्र (Injury Form) दिनांक 10-2-2020

परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक समय एवं स्थान : 11.53 AM

नाम : Shri Vimal Kumar आयु 34 y/s लिंग M

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति : Mr. Radhakrishna

पता : STF Kanpur Unit

जिला : Kanpur Nagar

थाना : Kohna(?)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा (FIR No./Section) :

अग्रेषित करने वाला/लाने वाला (नाम तथा पता) : CP 2868 Chandra Prakash P.S. Sachendi, Kanpur Nagar

सहमति (यदि आवश्यक हो) :

पहचान के चिन्ह (Mark of Identification) :

शारीरिक विवरण (Physical Description) : CSC - 0/0

चोटों का विवरण (Details of Injuries)

क्र. सं.	चोटों का विवरण	चोटों का आकार गहराई सहित	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	रक्तस्राव	अन्य अन्वेषण
①	Abrasion c̄ Blackening c̄ few an bleeding on left thigh (lower 1/3rd) laterally measuring 2.1cm x .5 cm. Bright red in colour.						
②	Abrasion 3.5 cm x 2.4 cm on left palm (dorsally) Bright red in colour.						
③	Abrasion .5 cm x .5 cm on left elbow joint Bright red in colour						

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

478

Body Female-Anterior and Posterior Views

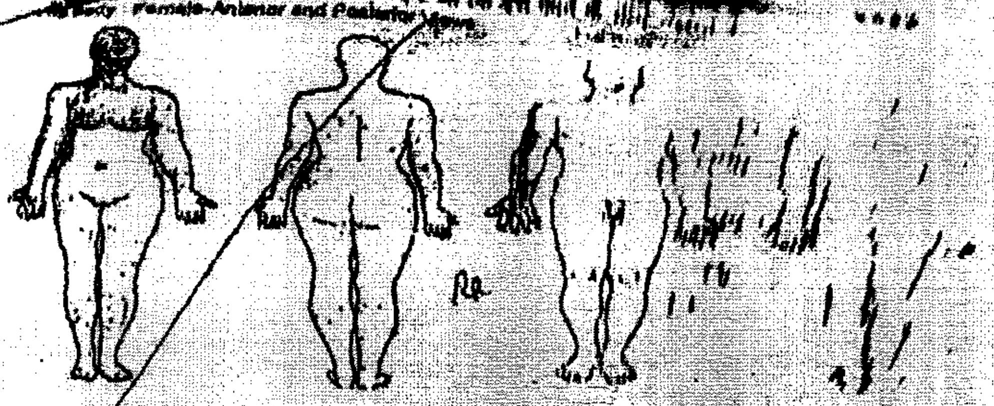

नाम.............................. रिपोर्ट संख्या दिनांक

नाम Vinod ... रिपोर्ट संख्या दिनांक

किसी जाँच अथवा विशेषज्ञ अभिमत केलिए अग्रसारित करना
(Refer for any test or further specialist opinion)

सम्बन्धित थाने को सूचना
(Information to concert Police Station)
परीक्षण की समाप्ति का दिनांक तथा समय
कोई अन्य अन्वेषण (Any other finding)

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में) DR. VINAY KUMAR
पदनाम (Designation)
मोहर (Seal)
EMO, LLR Hospital
Kanpur

फोरेन्सिक नमूना की सूची/अन्वेषण प्रपत्र सम्बन्धित पुलिसकर्मी को सुपुर्द किया गया।

हस्ताक्षर

पुलिसकर्मी को सुपुर्द करने का दिनांक तथा समय

चोटिल व्यक्ति का निशानी अँगूठा (दायाँ/बायाँ)
अभिप्रमाणित

विवेचना अधिकारी/सम्बन्धित पुलिस
आरक्षी हस्ताक्षर
का नाम तथा आरक्षी नम्बर
(बड़े अक्षरों में)
पदनाम/पद/थाना/जिला
दिनांक/समय

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में) DR. VINAY KUMAR
पदनाम (Designation)
मोहर (Seal)
Dr. Vinay Kumar
EMO, LLR Hospital

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

चोटों का विवरण (Details of Injuries)

क्र. सं.	चोटों का विवरण	चोटों का आकार गहराई सहित	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	[illegible]	अन्य अवलोकन

अभिमत (Opinion) Refer to ERSO for expert treatment and management GRNo 2024/086/0053864.

1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries) [illegible]
2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries) Fresh
3. उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु (Weapon/Object Used) ① injury no ① is caused by [illegible] force [illegible]
② injury no ② ③ is caused by hard & blunt object.

पुलिस उपाधीक्षक
[illegible] कार्यालय
कानपुर नगर

480

(62)

मध्य प्रदेश शासन (पुलिस विभाग)

<u>रोजनामचा विवरण</u>

जिला : उज्जैन

थाना : महाकाल

दिन : बृहस्पतिवार   दिनांक : 09/07/2020   समय : 21:06

प्रविष्टि क्रमांक	प्रविष्टि का प्रकार	समय	ब्यौरे	सन्दर्भ
049	अन्य	21:06	रोजनामचा प्रविष्टि निरीक्षक/ ARVINDSINGH TOMAR के लिए उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक/RAJENDRA JADHAV द्वारा की गयी : इस समय पुलिस निरीक्षक अरविन्दसिंह तोमर थाना प्रभारी महाकाल की सूचना इस प्रकार है कि आज दिनांक 09.07.2020 को थाना महाकाल पर वांछित थाना चौबेपुर कानपुर उत्तर प्रदेश के अपराध क्रमांक 192/2020 धारा 147,148,149, 307, 302,394,120 बी भादवि 3सीएलए एक्ट मे फरार आरोपी विकास दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र 52 साल निवासी ग्राम बिकरु पोस्ट शिवली थाना चौबेपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला उज्जैन के आदेश पालन मे थाना पर उपस्थित पंचान 1- भरत कछावा पिता दौलतराम कछावा उम्र 19 साल नि नरसिंहघाट कालोनी मन्डी उज्जैन 2- धर्मेन्द्र पिता सिद्धनाथ योगी उम्र 26 साल निवासी नरसिंहघाट कालोनी मन्डी उज्जैन 3- नासीर पिता इनायत अली मुसलमान उम्र 40 साल निवासी माणकपुरा उज्जैन 4-शाहरुख पिता चान्द मोहम्मद उम्र 22 साल निवासी 97/5 कोर्ट मोहल्ला उज्जैन के समक्ष कानपुर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक तेजबहादुरसिंह एसटीएफ कानपुर उत्तरप्रदेश एव टीम को सुपुर्द किया गया तथा आरोपी के पास से मिला सामान सोने पीली धातु की चैन व सोने की अंगूठी 8100 रूपये नगदी एक टिकट झालावाड़ से इन्दौर की यात्रा टिकट झालावाड़ स्टाप से जारी बस टिकट, शुभम पाल के नाम से महाकाल मन्दिर प्रबन्ध समिति से जारी 250 रुपये का शीघ्र दर्शन का टिकट जिस पर क्रमांक 000006 एव बुक क्रमांक 2170 अंकित है तथा जयपुर से झालावाड़ का एक स्लीपर सेमी डिलक्स ट्रेवल्स का बस टिकट सुपुर्द किये गये । आरोपी को कानपुर के पुलिस अधिकारी के सुपर्दगी के दौरान आरोपी पूर्ण रूप से स्वस्थ हालत किसी प्रकार की कोई चोट नही होना पाया गया । आरोपी विकास दुबे को पुलिस कानपुर के सुपर्दगी मे दिये जाने की रिपोर्ट दर्ज है ।	रिपोर्ट बावत् करने सुपुर्द आरोपी विकास दुबे को मय सामान के एसटीएफ टीम कानपुर उ.प्र. को

थाना प्रभारी
थाना-महाकाल
जिला-उज्जैन
दू0 0734-255117

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

481

63

मध्य प्रदेश शासन (पुलिस विभाग)

रोजनामचा विवरण

जिला : उज्जैन थाना : महाकाल

दिन : बृहस्पतिवार दिनांक : 09/07/2020 समय : 19:22

प्रविष्टि क्रमांक	प्रविष्टि का प्रकार	समय	ब्योरे	सन्दर्भ
025	अन्य	19:22	रोजनामचा प्रविष्टि निरीक्षक ARVINDSINGH TOMAR के लिए प्रधान सिपाही/ASHOK KUMAR DUBEY द्वारा की गयी : इस समय सूचना है कि थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्दसिंह तोमर के मुताबिक है कि आज दिनांक 09.07.2020 को मुझे सूचना प्राप्त हुई की महाकाल मन्दिर पर चोबेपुर थाना क्षेत्र कानपुर यूपी मे पुलिस कर्मियो की हत्या वाले अपराध मे फरार आरोपी विकास दुबे दर्शन करने महाकाल मन्दिर उज्जैन आया था जिसे महाकाल पुलिस चोकी के पुलिस व महाकाल मन्दिर के गार्ड के द्वारा पकड़ कर थाना महाकाल पर लाये है उक्त व्यक्ति संदेही है जिसकी विकास दुबे की पुष्टी होना शेष है । मै थाना महाकाल पर पहुचा वहा एक व्यक्ति को महाकाल चोकी के पुलिस कर्मी व महाकाल मन्दिर के गार्ड साथ लिये मिले उक्त व्यक्ती से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विकास दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र 52 साल निवासी ग्राम बिकरु पोस्ट कंजती थाना चोबेपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश बताया । उक्त संदेही ने यह भी बताया कि वह चोबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिकरु मे पुलिस वालो की हत्या वाले प्रकरण मे कानपुर से फरार है उसके फोटो जो मिडीया मे छपरे मे थे उससे मिलान किया तो उसके विकास दुबे होने की पुष्टी हुई है बाद उसके पकड़ने की घटना क्रम की जानकारी प्राप्त की तो पता चला की वह आज सुबह महाकाल मन्दिर आया था उसने पुष्प प्रसाद की दुकान से 251 रुपये की दर्शन शुल्क रसीद के बारे मे दुकानदार सुरेश कहार से पूछा था दुकानदार सुरेश कहार को उसका चेहरा देखकर विकास दुबे होने की शंका हुई उसने तुरन्त महाकाल मन्दिर चोकी पुलिस व महाकाल मन्दिर के गार्ड को इस सम्बंध मे बताया इसके बाद महाकाल पुलिस चोकी के सउनि राजेन्द्र शर्मा आर 182 विजय राठौर आर 312 जितेन्द्र भाटोनी एव महाकाल मन्दिर मे लगे सुरक्षा गार्ड राहुल शर्मा, धर्मेन्द्र परमार मोहित शर्मा रवि योगी व अर्जुन आंजना उसके पास पहुचे ये लोग संदेही विकास दुबे को साथ लेकर थाना महाकाल पहुचे इसके बाद मेरे थाना महाकाल पहुचने पर उक्त व्यक्ती की पहचान स्थापित करने सम्बंधी पूछताछ की गयी पूछताछ के समय मेरे साथ थाना महाकाल के उनि गगन बादल उनि विरेन्द्र बन्देवार सउनि योगेन्द्रसिंह आर 1651 मनीष यादव भी थे पूछताछ मे उक्त व्यक्ति ने	रिपोर्ट पेश आने संदेही व्यक्ति को करने तस्दीक होने पुष्टी विकास दुबे की होने सूचना वरिष्ठ अधिकारियो

थाना प्रभारी
थाना महाकाल
जिला उज्जैन
फो 0734-2551...

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

482

(64)

025	अन्य	19:22	आपने को विकास दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र 52 साल निवासी ग्राम बिकरू पोस्ट कंजती थाना चौबेपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश होना बताया व कानपुर मे पुलिस कर्मीयो की हत्या बिकरू गांव मे साथीयो के साथ करने के पश्चात फरार होकर कानपुर से दिल्ली के रास्ते जयपुर कोटा झालावाड़ के रास्ते उज्जैन आना बताया व महाकाल मन्दिर उज्जैन आना बताया इलेक्ट्रानिक मिडीया व प्रिन्ट मिडीया मे विकास दुबे के आये फोटो से उसका चेहरा मिलान किया तो उसी का चेहरा होना पाया तभी सभी संभव सूत्रो से उक्त व्यक्ति की पहचान की विकास दुबे तलाश लेने पेंटी पैंट लगभग दो जोड़ा, दो ... 8100 रुपये नगदी एक टिकट झालावाड़ से इन्दौर की बालू ट्रेवल्स झालावाड़ द्वारा जारी बस टिकट, शुभम ... के नाम से, महाकाल मन्दिर प्रबन्ध समिति के द्वारा जारी 250 रुपये का वीआईपी दर्शन का टिकट जिस पर क्रमांक 000008 एवं पुस्त क्रमांक 2170 अंकित है तथा जयपुर से झालावाड़ का एक स्लीपर सेमी स्लिपर्स केटेगरी का बस टिकट मिला उक्त व्यक्ति की विकास दुबे होने की तस्दीक होने के पश्चात वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान सीएसपी महोदय, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला उज्जैन को दी गयी उक्त संबंध मे कन्ट्रोल रूम उज्जैन के माध्यम से कानपुर भेजी व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गयी।	रिपोर्ट लेकर आने वेटेड व्यक्ति को करने तस्दीक होने पुष्टी विकास दुबे की देते सूचना वरिष्ठ अधिकारियो

थाना प्रभारी
थाना-महाकाल
जिला-उज्जैन
(0734-2551..)

पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(483)

(65)

मध्य प्रदेश शासन (पुलिस विभाग)

रोजनामचा विवरण

जिला : उज्जैन

थाना : महाकाल

दिन : बृहस्पतिवार दिनांक : 09/07/2020 समय : 19:24

प्रविष्टि क्रमांक	प्रविष्टि का प्रकार	समय	ब्यौरे	सन्दर्भ
028	प्रस्थान	19:24	रोजनामचा प्रविष्टि प्रधान सिपाही/ ASHOK KUMARDUBEY के लिए प्रधान सिपाही/ASHOK KUMAR DUBEY द्वारा की गयी : इस समय सूचना है कि उनि गगन यादव उनि विरेन्द्र बन्देवार सउनि लोकेन्द्रसिंह आर 1651 प्रदीप यादव आर हरेन्द्रसिंह को फरार आरोपी विकास दुबे का मेडीकल परीक्षण कराने सीएच उज्जैन रवाना किया गया	रवाना पुलिस बल मय फरार आरोपी विकास दुबे के सीएच उज्जैन

T.C.

थाना प्रभारी
थाना-महाकाल
जिला-उज्जैन
☎0734-255117

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

484

मध्य प्रदेश शासन (पुलिस विभाग)

रोजनामचा विवरण

जिला : उज्जैन   थाना : महाकाल

दिन : बृहस्पतिवार   दिनांक : 09/07/2020   समय : 19:46

प्रविष्टि क्रमांक	प्रविष्टि का प्रकार	समय	ब्यौरे	सन्दर्भ
033	आगमन	19:46	रोजनामचा प्रविष्टि प्रधान सिपाही/ ASHOK KUMARDUBEY के लिए प्रधान सिपाही/ASHOK KUMAR DUBEY द्वारा की गयी : इस समय सूचना है कि हमराहे पन्ना से रवाना हुए उनि गगन बादल उनि विरेन्द्र बन्देमार सउनि लोकेन्द्रसिंह आर 1851 मनीष यादव आर हरेन्द्रसिंह को मय आरोपी विकास दुबे का मेडीकल परीक्षण कराकर सीएच उज्जैन इस समय वापस आये बताया कि थाने से हमराही फोर्स को साथ लेकर सी एच उज्जैन पहुंचे आरोपी विकास दुबे का मेडीकल परीक्षण कराया गया बाद रवाना होकर हमराही फोर्स की मदद से आरोपी विकास दुबे को लेकर थाना आये वापसी पर मेडीकल रिपोर्ट जमा स्टेशन की गयी आरोपी विकास दुबे को पुलिस गार्ड की निगरानी मे बिठाया गया।	वापसी पुलिस बल मय आरोपी विकास दुबे के सीएच उज्जैन

थाना प्रभारी
थाना-महाकाल
जिला-उज्जैन
☎0734-255117

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

सुपर्दगी पंचनामा

पुलिस थाना महाकाल — जिला उज्जैन म.प्र

स्थान दिनांक समय – थाना महाकाल उज्जैन दिनांक 09.07.2020 के 20.10 बजे

नाम पंचान -1-भरत कहार पिता दोलतराम कहार उम्र 19 साल नि नरसिंहघाट कालोनी मस्टी उज्जैन
2-घरेन्द्र पिता सिद्धनाथ योगी उम्र 26 साल निवासी नरसिंहघाट कालोनी मस्टी उज्जैन
3-नासीर पिता इनायत अली मुसलमान उम्र 40 साल निवासी माणकपुरा उज्जैन
4-शाहरुख पिता चान्द मोहम्मद उम्र 22 साल निवासी 97/5 कोट मोहल्ला उज्जैन

नाम पुलिस अधिकारी – निरीक्षक अरविन्दसिंह तोमर थाना प्रभारी थाना महाकाल उज्जैन म.प्र

नाम पुलिस अधिकारी जिसे सुपर्दगी मे दिया गया – उप पुलिस अधीक्षक तेजबहादुरसिंह एसटीएफ कानपुर उत्तरप्रदेश एव टीम

नाम आरोपी जिसे सुपुर्द किया गया - विकास दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र 52 साल निवासी ग्राम बिकरु पोस्ट कंजती थाना चोबेपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश

आरोपी का हुलिया –रंग गेहुआ ,कद सामान्य बदन गठीला बाल काले आंखे काली

विवरण

जिला कानपुर उत्तरप्रदेश मे अपराध क्रमांक 192 /2020 धारा 147.148.149.307.302.394.120 बी भादवि 3सीएलए एक्ट मे फरार आरोपी विकास दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र 52 सालनिवासी ग्राम बिकरु पोस्ट कंजती थाना चोबेपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश को थाना महाकाल उज्जैन के व्दारा अभिरक्षा मे लिया गया था ।जिसके सम्बध मे कानपुर पुलिस को सुचना दी गयी थी । कानपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्दारा आरोपी की सुपर्दगी प्राप्त करने के सम्बध मे पत्र के व्दारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन का प्राप्त हुआ । जिसके पालन मे कानपुर पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक तेजबहादुरसिंह, आर विमल कुमार ,कमांडो सर्वेश भदोरिया ड्रायवर शबीर अली एसटीएफ कानपुर को समक्ष पंचान आरोपी विकास दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र 52 साल निवासी ग्राम बिकरु पोस्ट कंजती थाना चोबेपुर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश को विधीवत सुपर्द किया जाता है ।सुपर्दगी के समय आरोपी पुर्ण रुप से स्वस्थ है आरोपी को किसी भी प्रकार की कोई चोट भी नही है आरोपी के पास से मिले सोने जैसी चैन लगभग दो तोला,दो सोने जैसी अंगुठी,8100 रुपये नगदी एक टिकट झालावाड से इन्दोर की बापू ट्रेवल्स झालावाड व्दारा जारी बस टिकट शुभम पाल के नाम से ,महाकाल मन्दिर प्रबन्ध समिती के व्दारा जारी 250 रुपये का शीघ्र दर्शन का टिकट जिस पर क्रमांक 000006 –एव बुक क्रमांक 2170 अंकित है तथा जयपुर से झालावाड का एक स्लीपर सेमी डिलक्स केटेगरी का बस टिकट सुपर्द किये गये ।

नोट –उपस्थित पंचान समक्ष आरोपी के सुपर्दगी का पंचनामा बनाया गया

हस्ताक्षर पंचान — हस्ताक्षर आरोपी — हस्ताक्षर सुपर्दगी प्राप्त कर्ता — हस्ताक्षर सुपर्दगी कर्ता

1
2
3 नासीर 4 शाहरुख

T.C.

4-86

<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला–उज्जैन (म.प्र.)</u>

कमांक/एस0पी0/उज्जैन/स्टेनो/मिस0/रीडर/256/2020 दिनांक 18/07/2020

प्रति,

श्री दिनेश कुमार पी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कानपुर नगर उत्तर–प्रदेश

विषय :– थाना चौबेपुर के अपराध क 192/2020 धारा 147,148,149,307,302, 394, 120–बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट जिला कानपुर उ0प्र0 के उद्घोषित अपराधी विकास दुबे के थाना महाकाल में हिरासत में रहते जी0डी0 में दर्ज नकल रपट की प्रमाणित प्रति, एवं सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित छायाप्रति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराये जाने बावत् ।

संदर्भ :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर उ0प्र0 पत्रांक वाचक–विवेचना निर्देश(चौबेपुर)2020 दिनांक 18.07.2020

–0–

विषयांतर्गत लेख है कि थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर(उ0प्र0) में दर्ज अपराध कमांक 192/2020 धारा 147, 148,149,307,302, 394, 120–बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट के उद्घोषित अपराधी विकास दुबे को थाना महाकाल में दिनांक 09.07.2020 को हिरासत में लिया जाने के उपरांत जी0डी0 में दर्ज नकल रपट की प्रमाणित प्रति, एवं सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित छायाप्रति संदर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में उक्त संबंध में थाना प्रभारी महाकाल जिला उज्जैन से पुलिस थाना महाकाल में दिनांक 09.07.2020 को हिरासत में लिये गये अभियुक्त विकास दुबे के संबंध में संधारित जनरल डायरी से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्राप्त हुई है।

- थाना महाकाल रोजनामचा सान्हा कमांक 25, 26, 33, 49,/दिनांक 09.07.2020 की प्रमाणित छाया प्रतियाँ ।
- अभियुक्त विकास दुबे को दिनांक 9.7.2020 का सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित छाया प्रति।

अतः संदर्भित पत्र के परिपालन में वांछित जानकारी पत्र के संलग्न आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ संख्या –08

18-7-2020

(मनोज कुमार सिंह)
पुलिस अधीक्षक,
जिला–उज्जैन

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner

नकल रपट नं० 39 समय 15:30 दि० 9.7.2020 जी०डी० कमि० KNR

अब समय SHO रमाकान्त पचौरी मय सरकारी पिस्टल / कार० थाने से व SI अनूप कुमार सिंह चौकी प्रभारी थाना अनवरगंज मय एक अदद रिवाल्वर / कार० थाने से व SI श्री पवन सिंह चौकी इन्चार्ज पनकी रोड थाना कल्याणपुर मय एक अदद पिस्टल / कार० थाने से मय हमराह का० 4919 सत्यवीर सिंह को पु०ला० से एक अदद AK-47 मय 100 कारतूस दिलाकर मय सरकारी गाड़ी नं० UP78AG/3497 TUV मय चा० का० चालक 547 प्रदीप कुमार के मु०अ०सं० 192/2020 धारा 147/148/149/302/307/394/120B IPC एवं 7 CLA Act थाना चौबेपुर की विवेचना में अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर के संबंध में उज्जैन रवाना किया गया। आख्या मुताबिक प्रभारी SO महोदय के।

जी०डी० लेखक,
आरक्षी 4079 अनिल
सी०डी० आ० पु० का० KNR

नोट- नकल रपट मुताबिक असल

पुलिस उपाधीक्षक
सूचना सेल कार्यालय
कानपुर नगर

नकल रपट नं० [illegible] दिनांक [illegible]

[illegible] नगर [illegible] ५११७ [illegible] I.P.C. [illegible] U/S [illegible] ३.२० [illegible]

[illegible]

[illegible] कार्यालय कानपुर नगर

489

कार्यालय स्पेशल टास्क फोर्स फील्ड इकाई, कानपुर नगर।

पत्रांक–डीएसपी–मिस/2020
दिनांक–अगस्त 20, 2020

फैक्स नं0–0512–2332233
E-mail: [illegible]@upstf.com
CUG No-9454401829

सेवा में,

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
<u>जनपद–कानपुर नगर।</u>

महोदय,

कृपया आप श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित अपने पत्र संख्याः आयोग सूचना सेल–2020 दिनॉकः 14.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो जनपद कानपुर नगर थाना चौबेपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिकरु के विकास दुबे प्रकरण में गठित माननीय जॉच आयोग द्वारा अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि दिनॉकः 10.07.2020 को अभियुक्त विकास दुबे की मुठभेड़ प्रकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉं प्रमाणित कर प्रेषित की जा रही है और अभियुक्त विकास दुबे के थाना महाकाल जनपद उज्जैन, म0प्र0 में पकड़े जाने के सम्बन्ध में थाना महाकाल, उज्जैन द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही के प्रपत्रों की छायाप्रतियॉं थाना महाकाल, जनपद उज्जैन से पत्राचार कर प्राप्त करने की कृपा करें।

आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्नकः</u>

1. दिनॉकः 08.07.2020 को मेरे हमराह कर्मचारियों एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह के मय टीम मय राजकीय वाहन के रवानगी के सम्बन्ध में रो0आम की प्रमाणित छायाप्रति।
2. दिनॉकः 09.07.2020 को उ0नि0 विनोद कुमार मय टीम मय राजकीय वाहन की लखनऊ से रवानगी के सम्बन्ध में रो0आम की प्रमाणित छायाप्रति।
3. दिनॉकः 09.07.2020 को उ0नि0 विनोद कुमार मय टीम मय राजकीय वाहन एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर में आमद एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह मय टीम मय राजकीय वाहन से गैरप्रान्त रवाना होने के सम्बन्ध में रो0आम की प्रमाणित छायाप्रति।
4. दिनॉकः 10.07.2020 को मेरे हमराह कर्मचारियों एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह मय टीम मय राजकीय वाहन से एस0टी0एफ फील्ड इकाई वापस आने के सम्बन्ध में रो0आम की प्रमाणित छायाप्रति।
5. दिनॉकः 11.07.2020 को उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय टीम मय राजकीय वाहन एस0टी0एफ मुख्यालय वापस पहुँचने के सम्बन्ध में रो0आम की प्रमाणित छायाप्रति।
6. तत्कालीन श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे को पुलिस उपाधीक्षक को सुपुर्दगी में देने हेतु श्रीमान [illegible] पुलिस अधीक्षक [illegible] उज्जैन को प्रेषित किये गये पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
6. [illegible] 2020 द्वारा [illegible] पुलिस उपाधीक्षक एवं मेरे हमराह कर्मचारियों को अभियुक्त विकास दुबे को सुपुर्द किये [illegible] की छायाप्रति।
7. [illegible] निरीक्षक श्री [illegible] को अभियुक्त विकास दुबे को सुपुर्दगी में दिये जाने के सम्बन्ध में तैयार [illegible] सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित छायाप्रति।
8. अभियुक्त विकास दुबे के साथ दिनॉकः 10.07.2020 को हुयी पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–221/20 व मु0अ0सं0–222/20 की छायाप्रतियॉं।
9. विकास दुबे की मुठभेड़ प्रकरण में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची।

(तेज बहादुर सिंह)
पुलिस उपाधीक्षक
एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई,
कानपुर।

पुलिस अधीक्षक
सूचना सेल कम्पोजिट
कानपुर नगर

प्रतिलिपि– [illegible] सूचनार्थ प्रेषित।

अद्द फिर कारतूस बाहर निकाला गया सभी कार्य मे
अधिक [illegible] प्रयुक्त की गई खोखो व डिब्बा को एक
पोलीथिन मे रखकर कब्जा पुलिस लिया गया अधिकृत
अस्त्र फायर किया गया खोखा कारतूस एवं पुलिस
पार्टी द्वारा फायर किया गया खोखा कारतूस का बाबत
एवं अंधकार होने के कारण इस समय बरामद नही
किया जा सका पुलिस पार्टी द्वारा फायर किये गये
असलहे को DYSP श्री तेज बहादुर सिंह को सुपुर्द
किया गया मय उ0 विनोद सिंह है0का0 राजेश मौर्य व
है0का0 आलोक शुक्ला को अपना ब्यान की निगरानी हेतु
छोड़ा गया मुठभेड़ मे शामिल सभी पुलिस कर्मियों से
पूछताछ की गयी तो है0का0 जितेन्द्र सिंह का0 विमल
कुमार के सभी लोग सुरक्षित है उक्त मु0भे0 मे मेरे द्वारा
सरकारी पिस्टल से 1 राउन्ड फायर किया गया था एवं का0
विमल कुमार द्वारा 2 राउन्ड फायर का0 सर्वेश मौर्य द्वारा
AK 47 से 3 राउन्ड फायर किया गया मुठभेड़ के संबन्ध मे
DYSP श्री तेज बहादुर द्वारा मु0अ0सं0 221/2020 धारा 224/307/392/
411 IPC व मु0अ0सं0 222/2020 धारा 3/25/27 A Act
थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर पंजीकृत कराया गया
मै निरीक्षक [illegible] FIR हैलट अस्पताल कानपुर नगर से
प्रस्थान [illegible] मे उ0 विनोद सिंह है0का0 राजेश मौर्य
[illegible] मुठभेड़ [illegible] के एस.पी. [illegible] मुख्यालय कानपुर मे
राजकीय वाहन UP32 BG 4555 [illegible]
मुख्यालय आकर राजकीय कार्य किया जा रहा है

तेज बहादुर सिंह
पुलिस उपाधीक्षक
[illegible]

[illegible]

(491)

(89)

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर।

पत्र सं० [illegible] पुलिस/2020 [illegible]

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद उज्जैन,
मध्य प्रदेश।

विषय:- मु०अ०सं० 192/20 धारा 147/148/149/307/302/394/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना चौबेपुर कानपुर नगर में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास दुबे को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में-

कृपया अवगत कराना है कि मु०अ०सं० 192/20 धारा 147/148/149/307/302/394/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना चौबेपुर कानपुर नगर में अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी है, जो लगातार फरार चल रहा है। उक्त अभियुक्त को आपके जनपद में [illegible] हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री तेजबहादुर सिंह पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी कानपुर एस०टी०एफ०, उ०प्र० की टीम के साथ भेजा [illegible]

अतः अनुरोध है कि अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को न्यायिक प्रक्रिया हेतु श्री तेजबहादुर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी [illegible] एस०टी०एफ० उ०प्र० मो०नं० [illegible]454401829 को सुपुर्द करने का कष्ट करें।

[illegible]

प्रतिलिपि:- [illegible] एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश लखनऊ [illegible]

पुलिस उपाधीक्षक
[illegible]

गिरफ्तारी नामा अभियुक्त

आज दिनांक [illegible] समय करीब 3.0 बजे शीतल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के सामने [illegible] के पास [illegible] शिवपुरी [illegible] मु.अ.सं. [illegible] धारा [illegible] 307/34/ [illegible] थाना चौबेपुर में वांछित अभियुक्त [illegible] थाना चौबेपुर कानपुर नगर को श्री [illegible] उपाधीक्षक [illegible] कानपुर नगर [illegible] थाना [illegible] 2010 [illegible] बजे [illegible] गिरफ्तारी [illegible] [illegible] [illegible] (निरीक्षक) [illegible] [illegible] गिरफ्तार [illegible]

[illegible]

[illegible]

493

180

विकास दुबे मुठभेड़ में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण

क्र0सं0	नाम अधि0/कर्मचारीगण	नियुक्ति
1.	पुलिस उपाधीक्षक तेजबहादुर सिंह	एसटीएफ कानपुर यूनिट
2.	निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह	एसटीएफ कानपुर यूनिट
3.	निरीक्षक रमाकान्त पचौरी	प्रभारी नवाबगंज
4.	उ0नि0 अनूप	थाना फजलगंज
5.	उ0नि0 पंकज	थाना कल्याणपुर
6.	उ0नि0 विनोद कुमार सिंह	एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय
7.	मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह	एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय
8.	मु0आ0 राजेश मौर्या	एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय
9.	मु0आ0 अशोक गुप्ता	एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय
10.	आरक्षी सत्यवीर सिंह	थाना नवाबगंज
11.	आरक्षी चालक राममिलन	एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय
12.	चालक मो0 साबिर	एस0टी0एफ कानपुर
13.	आरक्षी विमल	एस0टी0एफ कानपुर
14.	आरक्षी सर्वेश भदौरिया	एस0टी0एफ कानपुर
15.	आरक्षी प्रदीप कुमार	पुलिस लाइन कानपुर नगर

सेल कार्यालय
कानपुर नगर

(494) III

08/09/2020

Part N 94717

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर
लखनऊ - 226006 |

सेवा में,

Circle Officer (SADAR)
KANPUR CITY

पत्रांक	2020SERO000646	दिनांक	
अपराध संख्या	221/2020	राज्य बनाम	मृतक विकास दुबे
अधिनियम धारा	IPC/224,IPC/307,IPC/392,IPC/411		
पुलिस स्टेशन थाना	SACHENDI	मृतक / मृतका का नाम	
पी एम संख्या		जी०डी० संख्या	

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22-07-2020 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए।

सील का विवरण

चार वस्त्रावृत समुद्रित बण्डल जिनमें से (1) से (3) पर (Signature U.P.P मुद्रानमूनानुसार) तथा (4) पर (Monogram मुद्रानमूनानुसार) की छाप अक्षत थी।

प्रदर्शों का विवरण

1.काटन स्वैब -खूनालूदा -(वाहन TUV300 नं. UP 70 AG 3497 के ड्राइविंग सीट के पीछे की सीट से लिया गया) | एक सर्वमोहर मूल बण्डल से |

2.काटन स्वैब -खूनालूदा -(वाहन TUV300 नं. UP 70 AG 3497 के पिछली बायीं सीट के पीछे से लिया गया) | एक सर्वमोहरमूल बण्डल से |

2.काटन -सादा | एक सर्वमोहर मूल बण्डल से |

3.पैन्ट | एक सर्वमोहर मूल बण्डल से |

4.शर्ट मय नेम प्लेट (नेम प्लेट पर रमाकांत पचौरी -882490207) |

परीक्षण परिणाम

वस्तु (1) से (4) के बड़े भागों पर रक्त पाया गया।
रक्त के परीक्षण के लिए बेंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी।
वस्तु (1) से (4) पर मानव रक्त पाया गया।
रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।

नोट - 1 -समस्त मूल बंडलों को परीक्षणोपरान्त एक सर्वमोहर बंडल में रखकर वापस लौटाया जा रहा है।

2. कृपया परीक्षित प्रदर्शों की वापसी की शीघ्र व्यवस्था करें।

इ० सचेण्डी
हे० आवश्यक कार्यवाही करें।
CO

अग्रसारित

वैज्ञानिक अधिकारी
सीरो अनुभाग
[redacted] अधिकारी

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई०पी० सी०) के [redacted] कार्यवाही का पात्र होगा।)

लखनऊ

5

Part N 94718

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर
लखनऊ - 226006 |

सेवा में,

Circle Officer (SADAR)
KANPUR CITY

पत्रांक	2020SERO000647	दिनांक	
अपराध संख्या	221/2020	राज्य बनाम	मृतक विकास दुबे
अधिनियम धारा	IPC/224,IPC/307,IPC/392,IPC/411		
पुलिस स्टेशन / थाना	SACHENDI	मृतक / मृतका का नाम	
पी एम संख्या		जी०डी० संख्या	

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 22-07-2020 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए।

सील का विवरण

दो वस्त्रावृत समुद्रित बण्डल जिनमें से (1) पर (Signature U.P.P मुद्रानमूनानुसार) तथा (2) पर (C.M.O.KANPUR मुद्रानमूनानुसार) की छाप अछूत थी।

प्रदर्शो का विवरण

1. कॉटन स्वैब -खूनालूदा । एक सर्वमोहर मूल बण्डल से ।
2. लोअर -फुल ।एक सर्वमोहर मूल बण्डल पी.एम. से । (P.M. NO.1847/20)
3. लोअर हाफ ।
4. टीशर्ट ।
5. बनियान ।
6. अंडरवियर ।
7. मास्क -दो अदद ।
8. काला धागा मय ताबीज ।
9. अंगूठी मय लाल नग ।

परीक्षण परिणाम

वस्तु (1) से (8) के बड़े भागों पर रक्त पाया गया।
रक्त के परीक्षण के लिए बेंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी।
वस्तु (9) के अंशों पर बेंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण के लिए मात्रा अपर्याप्त थी।
वस्तु (2) से (8) पर मानव रक्त पाया गया।
वस्तु (1) पर रक्त (विघटित) डिसइन्टीग्रेटेड पाया गया अतः मूल निर्धारण न हो सका।
वस्तु (2) से (8) पर रक्त वर्गीकरण के लिए अनुपयुक्त था।
रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।

नोट - 1- प्रदर्श सं.(9) अंगूठी मय लाल नग परीक्षणोपरान्त अन्य परीक्षित प्रदर्शों के साथ एक सर्वमोहर बंडल में रखकर वापस लौटाया जा रहा है।
2. पी.एम. बंडल से प्राप्त प्रदर्श गीली अवस्था में थे।
3. कृपया परीक्षित प्रदर्शों की वापसी की शीघ्र व्यवस्था करें।

SO सचेण्डी
कृ० आवश्यक कार्यवाही करें।

अग्रसारित

वैज्ञानिक अधिकारी 5.08.2020
सीरो अनुभाग

यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। ... विधि विज्ञान प्रयोगशाला ... 2020 ... 30,000 प्रतियां

(496)

फर्द बाबत कब्जा लेने एक अदद वर्दी की शर्ट (खाकी) सम्बन्धित मु0अ0सं0 221/20 धारा 224,307,392/411 I.P.C थाना सचेण्डी व मु0अ0सं0 222/20 धारा 3/25/27 A.Act थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर।

आज दिनांक 11.9.2020 को मु0अ0सं0 221/20 धारा 224,307,392/411 I.P.C व मु0अ0सं0 222/20 धारा 3/25/27 A.Act थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित आहत्व उ0नि0 श्री अनूप सिंह थाना कलक्टरगंज जनपद-कानपुर नगर द्वारा उपस्थित थाना आकर दिनांक 10.7.20 को घटित घटना के समय पहने हुये वर्दी की शर्ट खुनालूदा को मुझ विवेचक को उपलब्ध करायी गयी। जिसको समक्ष गवाहान के एक अदद शर्ट रंग खाकी खुनालूद (वर्दी की) कब्जा पुलिस में लिया गया फर्द मौके पर बनाकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द पर हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा का0 436 जितेन्द्र सिंह से लिखवाई गयी।

11.9.2020

(अनुराग मिश्र)
प्रभारी निरीक्षक गो0 नगर
जनपद-कानपुर नगर

द0 जितेन्द्र सिंह
कम्प्यूटर
द0

Part N 89238

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ,उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ-226006

प्रेषक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ -226006

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी सदर
कानपुर नगर

पत्रांक : 777-BAL-20 L/W 613,614,615,616-BAL-20 दिनांक : 09.09.2020

अपराध संख्या : 221/20 राज्य बनाम: मृतक विकास दुबे

थाना : सचेंडी धारा: 224/307/392/411 IPC

उपरोक्त से सम्बंधित प्रदर्श विशेष वाहक मुख्य आरक्षी राकेश कुमार द्वारा दिनांक 13.08.2020 को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में प्राप्त कराया गया। जिन्हें रक्त परीक्षणोपरान्त दिनांक 31.8.2020 को अनुभाग में प्राप्त कराया गया।

एक सर्वमुहर बंडल जिस पर प्रयोगशाला के सीरो अनुभाग की मुहरें लगी है तथा बंडल पर 734-सीरो-2020, मु०अ०स०-221/20....बनाम-विकास दुबे, थाना-सचेंडी आदि लिखा है, को खोलने पर एक प्रिंटेड (गुलाबी नीला सफ़ेद) छोटा चेकदार हाफ शर्ट प्राप्त हुआ, जिसे S-1 से चिन्हित किया गया है।

निरीक्षण/कारण

निरीक्षण विवादित शर्ट चिन्हित S-1

यह एक गुलाबी नीला सफ़ेद छोटा चेकदार प्रिंटेड शर्ट है। इसकी बांयीं बांह पर कांख की सिलाई से लगभग 20 सेमी दाहिनी ओर एकदम बाहरी किनारे पर तथा बांह की ऊपरी सिलाई से लगभग 7 सेमी नीचे एक 1X0.5 सेमी आकार का एक छिद्र उपस्थित है। इसे घेर कर H-1 से चिन्हित किया गया है। छिद्र चिन्हित H-1 के चारो ओर कालिमा/ ब्लैकनिंग दृष्टिगोचर नहीं है। छिद्र चिन्हित H-1 के चारों ओर रक्त जैसा पदार्थ लगा है।

शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1 पर तथा उसके आस पास फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर H-1 पर फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुई।

परिणाम

विवादित शर्ट चिन्हित S-1 पर उपस्थित छिद्र चिन्हित H-1 फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुई।

अग्रसारित

09.09.2020
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ।

(डॉ0 ए.के. श्रीवास्तव)
प्रभारी अग्नेयास्त्र अनुभाग
Incharge Firearms
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

498
26

25/9

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

क्षेत्राधिकारी सदर
जनपद –कानपुर नगर

–फी0यू0/05/2020 दिनांकः सितम्बर 22, 2020

0सं0 -221/2020 धारा -224/307/394/411 भादवि0 तथा 222/2020 धारा -3/25/27 ए. एक्ट थाना –सचेण्डी, कानपुर बनाम विकास दुबे।

पत्र सं0 निल दिनांक 14.09.2020 के क्रम में उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक .2020 को विशेष वाहक हे0कॉ0 319 राकेश कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक अदद नमूना मुहर प्राप्त हुआ जिसे न-1 से चिन्हित किया गया है तथा जिस पर " NRS " अंकित है।
2. तीन अदद सर्व मुहर सील बन्डल जिस पर नमूना मुहर न-1 के समान मुहर अंकित है।
3. एक अदद सर्व मुहर बन्डल जिसे खोलने पर एक अदद खूनालूदा वर्दी सम्बन्धित उ0नि0 अनूप सिंह थाना -फजलगंज, कानपुर नगर की कमीज प्राप्त हुई जिसे A से चिन्हित किया गया।
4. एक अदद सर्व मुहर बन्डल जिसे खोलने पर एक अदद खूनालूदा वर्दी सम्बन्धित आरक्षी प्रदीप कुमार पुलिस लाईन, कानपुर नगर की कमीज तथा पेन्ट प्राप्त हुई जिसे B से चिन्हित किया गया।
5. एक अदद सर्व मुहर बन्डल जिसे खोलने पर एक अदद खूनालूदा वर्दी सम्बन्धित उ0नि0 पंकज सिंह थाना -कल्यानपुर, कानपुर नगर की कमीज तथा पेन्ट मय स्टार, बैच, सीटी डोरी तथा नेम प्लेट प्राप्त हुई जिसे C से चिन्हित किया गया।

परिणाम-

सम्बन्धित उपरोक्त प्रदर्श A, B तथा C पर बेन्जडीन परीक्षण में रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। उपरोक्त A, B ने OBTI Card परीक्षण में मानव रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। प्रदर्श A, B तथा C के रक्त का इलेक्ट्रो फोरेसिस परीक्षण में मानव रक्त की उपस्थिति मिली है।

हेतु मानक विधियों का प्रयोग किया गया।

रीक्षित प्रदर्शों की शीघ्र बापसी की व्यवस्था करें।

प्रदर्शों के परीक्षण के छायाचित्र सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न हैं।

क:- उपरोक्तानुसार

22/09/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
जनपद-कानपुर नगर

SHO गोविन्दनगर
आवश्यक कार्यवाही करें

25-9-20

499

117

20

सं0- 221, 222/2020
224/307/392 IPC, 3/25/27 A Act
स्वरूप नगर
कानपुर नगर

प्राप्ती रशीद

दिनाक 15/09/2020
सील बन्डल की संख्या 03 अदद
सील लिफाफे की संख्या 01 अदद
प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

(500)

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ, 226006

Part N

94732

प्रेषक,

निदेशक/संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०, महानगर, लखनऊ

सेवा मे,

क्षेत्राधिकारी नगर, सदर, कानपुर नगर

पत्रांक: 734-SERO 2020 L/W 777 BAL 2020
अपराध संख्या: 221/20
धारा: 224, 307, 392, 411 IPC

दिनांक:
थाना: सचेंडी
राज्य बनाम: मृतक विकास दुबे

उपरोक्त मामले से सम्बंधित प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक 13-08-2020 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुये।

सील का विवरण

एक वस्त्रावृत सर्वमुहर बंडल, जिसपर (Monogram S.I. U.P.P. मुहरनमूनानुसार) की छाप अक्षत थी।

प्रदर्शों का विवरण

वस्तु. शर्ट । एक सर्वमुहर मूल बंडल से।

परीक्षण परिणाम

वस्तु के बड़े भागो पर रक्त पाया गया।
रक्त के परीक्षण के लिए बैंजिडिन प्रयोग पाजिटिव पाया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि कीगयी।
वस्तु पर मानव रक्त पाया गया।
रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया।

नोट: 1. गन पाउडर व फायर से सम्बंधित परीक्षण आख्या व प्रदर्श अलग से आग्नेयास्त्र अनुभाग द्वारा प्रेषित की जाएगी।
2. कृपया परीक्षित प्रदर्शों की वापसी की शीघ्र व्यवस्था करें।

अग्रसारित

उपनिदेशक 28.9.2020
विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र०
लखनऊ

26.09.2020
वैज्ञानिक अधिकारी
सीरो अनुभाग
वैज्ञानिक अधिकारी
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ

So Sachendi
for N.A pls

(501)

24

नमूना सील

मु0अ0सं0 221,222/2020 धारा- 224,307,394,411 भा0द0वि0, 3/25/27 ए,एक्ट

थाना- सचेण्डी जनपद कानपुर नगर

उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित समस्त प्रदर्शों की नमूना सील मुहर निम्नवत हैं

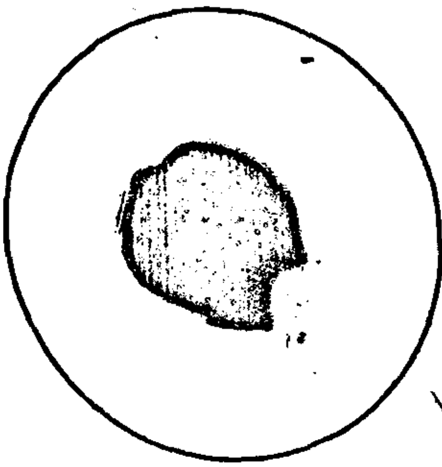

22/09/2020

(डा0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
कानपुर नगर

502/127

State Medico Legal Cell

Aishbagh, Lucknow (U.P.)-226004

Date : ....

Letter no. MLC-197/2020/ 954

28th Oct 2020

To,

DIG/ SSP

Distt Kanpur Nagar.

Subject- Cr.No.221/20 & 222/20. vikash dub

Having gone through the Injury Report of Vimal Kumar aged about 33 yrs sex male Dated- 10/07/2020 at 11:53 am of Lala Lajpat Rai evam Sambadh Chikitsalaya, Kanpur Nagar and Second Injury Report of Shivendra Singh aged about 52 yrs sex Male Dated- 10/07/2020 at 12:10 pm of Lala Lajpat Rai evam Sambadh Chikitsalaya, Kanpur Nagar are as follows-

S. No.	Injury Report of Vimal Kumar	Injury Report of Shivendra Singh
1.	Abrasion with blackening with fresh bleeding on left thigh (lower 1/3rd) laterally measuring 2.1 x .5cm. Bright red in color.	Abrasion with blackening with fresh bleeding on left arm (lower 1/3rd) laterally measuring 1.5 x .5cm
2.	Abrasion 3.5 x 2.4cm on left palm (dorsally). Bright red in color.	Abrasion 2.8 x 1.5cm on right forearm (middle 1/3rd) (dorsally). Bright red in color.
3.	Abrasion .5 x .5cm on left elbow joint. Bright red in color.	
Nature of injuries-	Simple	Injury no. 1 & 2 is simple.
Duration of Injuries-	Fresh	Fresh in duration.
Weapon/Object used-	Injury no. 1 is caused by suspected firearm. Injury no. 2 & 3 is caused by hard & blunt object.	Injury no. 1 is caused by suspected firearm. Injury no. 2 is caused by hard & blunt object.

Opinion- The sign of firearm wound of entry are-

- Inverted margins
- Dirt color
- Blackening around the wound of entry
- Tattooing around the wound of entry
- Burning & singeing of hair

The blackening is always present on the bare area with close shot (4.5 feet) but this injury is on covered area with clothes. So blackening on clothes by FSL report is absent. So the blackening recorded is may be vision error and findings are suggestive of firearm injuries with far shot.

4139

Dr. G. Khan (MD FMT)
Joint Director Medico Legal
State Medico Legal Cell
Lucknow UP.

503

State Medico Legal Cell

Aishbagh, Lucknow (U.P.)-226004

Letter no. MLC-197(a)/2020/ 3 3 4 Date : 14th Dec 2020

To,

DIG/ SSP

Distt Kanpur Nagar.

Subject- Cr.No. 221/20 & 222/20. PM No. 1847/2020.

Having gone through the Photographs and PMR No. 1847/2020 Dated 10th July 2020 PS Chaubeypur Distt Kanpur Nagar of deceased Vikash Dubey aged about 52 years Male--

Postortem Extrenal Changes-

- Rigor Mortis present both extremity and neck.
- PM staining whole back buttock and back of both thigh.
- Eyes,mouth partially closed.

Antemortem Injuries-

Injury	Dimensions (in cm)	Site
Abraded Contusion	12 x 8	Right side of forehead and face.
Lacerated Wound	3 x 2	Right side of chest laterally 15cm below right axilla. Muscle deep.
Lacerated Wound	3 x 2 x muscle deep	Medial side of right elbow joint.
Lacerated Wound	4 x 3 x muscle deep	At right iliac crest.

Internal Findings-

- Meninges, meningeal spaces & cerebral vessels- Pale
- Brain- Pale
- Pleural Cavities- Both pleural cavity filled with 1 litre blood and 1kg blood clot present
- Lungs- Both lungs lacerated
- Heart – Both chamber empty
- Liver- Pale GB- Partially filled
- Spleen Pale
- Kidney Both kidney pale

Time Since Death- About half day.

Cause of Death- Haemorrhage and Shock due to Antemortem Firearm Injuries.

Secondary Opinion- **i- Injury no. 1, 8, 9 & 10 are Abrasion & Contusion may be precipitated by accidental phenomenon because they are concerned with hard blunt object on vehicle turned down. So sudden fall on stuck can cause.**

ii- Yes then may be stuck injury on falling down of vehicle. The trauma can be precipitated.

iii- It can be with the hard (AK47) barell and butt can cause it.

iv- By sudden opening of door too can cause the injury.

v- Of course on falling down in running condition there injury can cause.

vi- Can be precipitated too.

The injuries of police personal-

- **Complaint of pain**
- **Nasal bleeding**
- **Unconsciousness**
- **Head Injury too**

Can be produced during vehicle action fallen up of the person.

So the above injuries are all accidental in nature can be caused by the hard, blunt object, that is vehicle parts firearm butt on falling down on ground too.

4625

SHC Govindnagar

Pl. take n. a.

DIG/SSP

14/12/2020

SHO

Dr. G. Khan (MD FMT)

Joint Director Medico Legal

State Medico Legal Cell

Lucknow UP.

(504)
306

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी सदर

जनपद –कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020 दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -221,222/2020 धारा -224/307/392/411 भादवि0, 3/25/27 ए.एक्ट थाना –सचेण्डी, कानपुर नगर बनाम विकास दुबे आपके पत्र सं0 निल दिनांक 15.07.2020

उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 15.07.2020 को विशेष वाहक हे0कॉ0 319 राकेश कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. तीन अदद सर्व मुहर सीील लिफाफे जिसकी नमूना मुहर पर "अपठनीय हस्ताक्षर तथा SI" अंकित है।

उक्त लिफाफों को खोलने पर प्रत्येक लिफाफे से एक-एक अदद पालीथीन के लिफाफे मिले जिनमें -

1. मृतक अभि0 विकास दुबे के दाहिने हाथ का काटन स्वैब जिसे S-1 से चिन्हित किया गया।
2. मृतक अभि0 विकास दुबे के बायें हाथ का काटन सवैब जिसे S-2 से चिन्हित किया गया।।
3. सादा काटन कन्ट्रौल सैम्पल जिसे Q से चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

मृतक अभि0 विकास दुबे के दाहिने, बाये हाथ के काटन स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
Nitrite	Griess Test	+ve	present	Nitrite	Griess Test	-ve	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

परीक्षण परिणाम-

मृतक अभियुक्त विकास दुबे के दाहिने हाथ के सम्बन्धित काटन स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग अवशेष नाईट्राइट की उपस्थिति पायी गयी।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद-कानपुर नगर

थाने से प्राप्त सर्वमुहर बन्डल

एक अदद बुलेट प्रूफ जैकेट

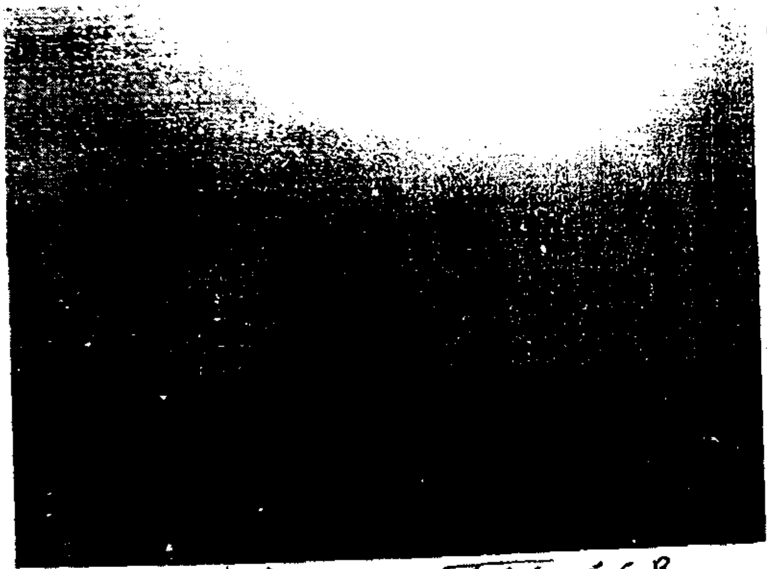

बुलेट प्रूफ जैकेट पर नाइट्राइट GSR
(Pink Colour) +ve मिला

CR.NO. 221,222/2020 US- 224/307/392/411 IPC , 3/25/27 A. A.

PS– SACHENDI , KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT, CANT, KANPUR NAGAR

20/07/20

डा0 प्रवीन [illegible]
वैज्ञानिक अधिकारी
[illegible]
फोरेंसिक [illegible] यूनिट
[illegible], कानपुर नगर

304-(506)

<u>कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर</u>

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी सदर
जनपद –कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020 दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -221,222/2020 धारा -224/307/392/411 भादवि0, 3/25/27 ए.एक्ट थाना –सचेण्डी, कानपुर नगर बनाम विकास दुबे।

आपके पत्र सं0 निल दिनांक 15.07.2020 के क्रम में उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 15.07.2020 को विशेष वाहक हे0कॉ0 319 राकेश कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. एक नमूना मुहर प्राप्त हुआ जिसे न-1 से चिन्हित किया है।
2. एक अदद सर्व मुहर सील बन्डल जिस पर नमूना मुहर न-1 के समान मुहर अंकित है।

उक्त बन्डल को खोलने पर एक अदद हरे-भूरे रंग की बुलेट प्रूफ जैकट प्राप्त हुई है जिसमें अग्नेयास्त्र का मार्क स्पष्ट है। जैकेट को CO STF श्री तेजबहादुर सिंह पहने हुए थे। इस जैकेट पर फायरिंग प्लेट के निचले किनारे से 24.5 सेमी0 ऊपर की ओर मध्य में तथा फायरिंग प्लेट के बायें किनारे से 12 सेमी0 की दूरी पर फायरिंग मार्क मिला है जिसकी नाप 5X5 मिमी0 नापी गयी। फायरिंग मार्क का सैम्पल काटन स्वैब में एकत्र किया गया जिसे S-1 से चिन्हित किया गया तथा कन्ट्रौल सैम्पल को S-2 चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

सम्बन्धित उपरोक्त बुलेट प्रूफ जैकट के स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2			
Nitrite	Griess Test	ND	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	+ve	present	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

परीक्षण परिणाम-

सम्बन्धित उपरोक्त बुलेट प्रूफ जैकट के स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष कॉपर की उपस्थिति पायी गयी। S-2 पर फायरिंग अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुई।

20/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी
जनपद-कानपुर नगर

(507)

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ **Part N** 89219

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

विवादित / परीक्षार्थ कारतूसो की तुलना / परीक्षण हैण्ड मैग्नीफायर व तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी व्दारा किया गया|

1 - विवादित 9 m.m. कारतूस चिन्हित **EC-1, EC-2, EC-4, EC-5, EC-6, EC-7, EC-8** व **EC-11,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-1, TC-9, T.C.-11** व **T.C.-12** पर उपस्थित फायरिंग पिन / ब्रीच के चिन्हों के समान है।

2 - विवादित 9 mm कारतूस **EC-10,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-3** व **TC-4,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हो के समान है।

3 - विवादित 9 mm कारतूस चिन्हित **EC-3** व **EC-9,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-5** व **TC-6,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच व के चिन्हों के समान है।

4 - विवादित **7.62X39 m.m.** कारतूस चिन्हित **EC-12** व **EC-13,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिगत विशेषताओं में परीक्षार्थ कारतूसों चिन्हित **TC-7** व **TC-8,** पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान है।

परिणाम

1 - विवादित **9 m.m. पिस्टल नम्बर 18158559 चिन्हित 1/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष **नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति** पायी गयी।

2 - विवादित विवादित **9 m.m. Glock** पिस्टल नम्बर **AACB- 718** चिन्हित **2/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष **नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।**

3 - विवादित **9 m.m.** पिस्टल नम्बर **16443271** चिन्हित **3/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

4 - विवादित **AK-47 राइफल नम्बर PT - 7108 चिन्हित 4/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्राइट, कापर व निकिल की उपस्थिति पायी गयी।

5 - विवादित पैन्ट चिन्हित P-1 पर बने छिद्र चिन्हित H-1 पर तथा उसके आस - पास फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।

6 - विवादित 9 m.m. कारतूस **चिन्हित EC-1, EC-2, EC-4, EC-5, EC-6, EC-7, EC-8,** व **EC-11, 9 m.m. पिस्टल नम्बर 18158559 चिन्हित 1/2020** द्वारा चलाये गये है।

7 - विवादित 9 mm कारतूस **चिन्हित EC-10,** विवादित विवादित 9 m.m. **Glock पिस्टल नम्बर AACB- 718 चिन्हित 2/2020** द्वारा चलाया गया है।

8 - विवादित 9 mm कारतूस **चिन्हित EC-3** व **EC-9,** विवादित **9 m.m.** पिस्टल नम्बर**16443271 चिन्हित 3/2020** द्वारा चलाये गये है।

9 - विवादित **7.62x39** कारतूस **चिन्हित EC-12** व **EC-13,**विवादित **AK-47** राइफल, नम्बर **PT - 7108 चिन्हित 4/2020** द्वारा चलाये गये है।

अग्रसारित
(हस्ताक्षर)
उप निदेशक
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
लखनऊ।

(हस्ताक्षर) 21.08.2020
(आनन्द कुमार)
वैज्ञानिक अधिकारी
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०
महानगर, लखनऊ

(हस्ताक्षर) 21/8/2020
(डॉ. ए. के. श्रीवास्तव)
प्रभारी आग्नेयास्त्र अनुभाग
Dr. AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Incharge Firearms
Forensic Science Laboratory U.P.
Lucknow

नोट -उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये प्रदर्शों के माइक्रोकेमिकल /माइक्रोस्कोपिक/घटनास्थल निरीक्षण /पुनर्संरचना परीक्षण पर आधारित हैं|

संलग्न: घटनास्थल निरीक्षण से सम्बन्धित फोटोग्राफ [P-1 to P-91]
(2) TUV वाहन संख्या UP70AG 349 की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति
(3) फोरेन्सिक कानपुर द्वारा GSR व केमि. जांच से सम्बन्धित परीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति
(4) मृतक विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व घायल आरक्षियों की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति
(5) एफ.आई.आर व नक्शा नजरी की छाया प्रति

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई हेरफेर किया जाता है तो वह आई०पी०सी० एवं अन्य भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।)

की दूरी क्रमशः लगभग 35 फीट व 29 फीट, मुख्य आरक्षी ... आरक्षी श्री विमल के विकाश दुबे द्वारा किये फायर से घायल होने के स्थान से अभियुक्त विकास दुबे के घायल होकर गिरने के स्थान के बीच की दूरी ... 8 फीट व 29 फीट तथा TUV वाहन संख्या - UP 70 AG 3497 के पलटने के स्थान से अभियुक्त विकास दुबे के घायल होकर गिरने के स्थान के बीच की दूरी लगभग 272 फीट बताये अनुसार मापी गयी |

(मृतक विकास दुबे की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या 1847/2020 दिनांकित- 10. 07. 2020 मजरूब मुख्य आरक्षी शिवेंद्र सिंह, आरक्षी विमल के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांकित - 10.07.2020, वाहन संख्या - UP 70 AG 3497 की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट दिनांकित - 30.07.2020 कि छाया प्रति संलग्न है|)

प्रयोगशाला में मृतक विकास दुबे की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संख्या -1847/2020,दिनांकित ——— 10.07.2020,मजरूब मुख्य आरक्षी शिवेंद्र सिंह,आरक्षी विमल के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांकित - 10.07.2020, वाहन संख्या - UP 70 AG 3497 की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट दिनांकित - 30.07.2020,एफ. आई. आर. में वर्णित तथ्यों तथा नक्शा नजरी का अध्ययन व अवलोकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया |

निरीक्षण पैन्ट चिन्हित P-1 :

....

यह एक नीले कलर की फुल जीन्स कि पैन्ट है | इसके कमर पर लगे टैग पर **WOOD LAND DENIM DIVISION 32"** लिखा है | इसकी कुल लम्बाई लगभग 42" है | इसके बांयें पैर पर सामने कमर से लगभग 40 से.मी. नीचे एक 2 x 1 से.मी. आकार का छिद्र उपस्थित है | इस पेर का H-1 से चिन्हित किया है | छिद्र चिन्हित H-1 के चारो ओर कालिमा / **Blackening** दृष्टिगोचर नहीं है | छिद्र चिन्हित H-1, मजरूब श्री विमल कुमार के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट में वर्णित आग्नेयास्त्र के घाव को लगभग **Correspond** करता है |

(1) विवादित पैन्ट चिन्हित P-1 पर बने छिद्र चिन्हित H-1पर तथा उसके आस-पास फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिक परीक्षण किये जाने पर विवादित पैन्ट चिन्हित P-1 पर बने छिद्र चिन्हित H-1पर **तथा उसके आस-पास फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति डिटेक्ट नहीं हुयी।**

(2) विवादित एक 9 m.m. पिस्टल नम्बर 18158559, चिन्हित 1/2020, 9 m.m. **Glock** पिस्टल नम्बर **AACB - 718** चिन्हित **2/2020**, 9 m.m. पिस्टल नम्बर **16443271** चिन्हित **3/2020** तथा विवादित **AK-47** राइफल, नम्बर **PT - 7108** चिन्हित 4/2020 की नाल से अलग – अलग प्राप्त फायरिंग रेजीडयू का फायरिंग के अवशेष की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु माइक्रोकेमिकल परीक्षण किये जाने पर :-

a- विवादित 9 m.m. पिस्टल नम्बर 18158559 चिन्हित 1/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष **नाइट्राइट, कापर व निकिल** की उपस्थिति पायी गयी।

b - विवादित 9 m.m. **Glock पिस्टल नम्बर AACB- 718** चिन्हित **2/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष **नाइट्राइट, कापर व निकिल** की उपस्थिति पायी गयी।

c- विवादित 9 m.m.पिस्टल **नम्बर 16443271** चिन्हित **3/2020** की नाल में फायरिंग के अवशेष **नाइट्राइट, कापर व निकिल** की उपस्थिति पायी गयी।

d - विवादित AK-47 राइफल , नम्बर PT - 7108 चिन्हित 4/2020 की नाल में फायरिंग के अवशेष **नाइट्राइट, कापर व निकिल** की उपस्थिति पायी गयी।

(3) विवादित 9 m.m. पिस्टल **नम्बर 18158559 चिन्हित 1/2020** द्वारा 9 m.m. के छ (06) कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये | जिन्हें क्रमशः **TC-1, TC-2, TC-9, TC-10, TC-11 व TC-12** से से चिन्हित किया गया है |

(4) विवादित **9 m.m. Glock** पिस्टल नम्बर **AACB- 718** चिन्हित **2/2020** व 9 m.m. पिस्टल **नम्बर 16443271 चिन्हित 3/2020** व्दारा 9 m.m. के दो –दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये | जिन्हें क्रमशः **TC-3 व TC-4** से तथा **TC-5 व TC-6** से चिन्हित किया गया है।

(5) **विवादित AK-47 राइफल नम्बर PT - 7108**, चिन्हित 4/2020 व्दारा **7.62x39 m.m.** के दो कारतूस प्रयोगशाला में परीक्षार्थ चलाये गये | **जिन्हें क्रमशः TC-7 व TC-8** से चिन्हित किया गया है।

विवादित / परीक्षार्थ कारतूसो का निरीक्षण हैण्ड मैग्नीफायर / संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व्दारा किया गया |

1 - विवादित 9 m.m. कारतूस चिन्हित **EC-1, EC-2, EC-3, EC-4, EC-5, EC-6, EC-7, EC-8, EC-9, EC-10 व EC-11**, पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

2- विवादित **7.62x39 m.m.** कारतूस चिन्हित **EC-12 व EC-13**, पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

3 - (a) परीक्षार्थ 9 m.m. कारतूस चिन्हित **TC-3 व TC-4, TC-5 व TC-6** तथा **T.C.-9 व TC-12**, पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

(b) परीक्षार्थ 9 m.m. कारतूस चिन्हित **TC-1 व TC-11**,पर फायरिंग पिन के चिन्ह उपस्थित है।

(c) परीक्षार्थ 9 m.m. कारतूस चिन्हित **TC-2 व TC-10,** की परकुशन कैप फायरिंग पिन के स्थान पर बर्स्ट / फटी है | इन पर ब्रीच के अल्प चिन्ह उपस्थित है।

4 - परीक्षार्थ **7.62x39 m.m.** कारतूस चिन्हित **TC-7 व TC-8**, पर फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्ह उपस्थित है।

Part N 89217

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

बीच पुलिस की अन्य गाड़ियाँ भी पहुँच गयी |**TUV**वाहन संख्या UP 70 AG 3497,के आरक्षी श्री सत्यवीर ने,श्री तेज बहादुर सिंह,पुलिस उपाधीक्षक/वादी,एस.टी.एफ.फील्ड इकाई,कानपुर नगर को विकास दुबे के भागने के सन्दर्भ में अवगत कराया |इस सूचना पर श्री तेज बहादुर सिंह,पुलिस उपाधीक्षक ने हमराहियों के साथ विकास दुबे का पीछा किया,जिस पर विकास दुबे द्वारा पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नियत से छीनी हुयी सरकारी पिस्टल से फायर कर दिया गया |विकास दुबे द्वारा की गयी फायरिंग में श्री तेज बहादुर सिंह,पुलिस उपाधीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लग गयी |तत्पश्चात पुलिस कर्मियों द्वारा जवाबी फायरिंग में घायल होकर विकास दुबे गिर पड़ा,जिसे उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया |जहाँ चिकित्सकों द्वारा विकास दुबे को मृत घोषित किया गया |

नोट: उपरोक्त वर्णित तथ्य **श्री तेज बहादुर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक / वादी, एस.टी.एफ. फील्ड इकाई, कानपुर नगर के अभिकथन पर आधारित है |**

मुठभेड़ में प्रयुक्त शस्त्रो /प्रदर्शों को विशेष वाहक मुख्य आरक्षी राकेश कुमार द्वारा दिनांक22.07.2020को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में प्राप्त कराया गया:-

पत्रावली संख्या **613-BAL-2020 L/W 614,615,616-BAL-2020 :**

....

1 – एक नमूना मोहर, जिसे न-1 से चिन्हित किया है।

2 - एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा,जिस पर समान न-1 की मुहरें लगी है, तथा डिब्बे पर, **"पिस्टल सरकारी नम्बर 18158559 मय मैगजीन,... मु.अ.स.- 221/2020 व मु.अ.स.- 222/2020 बनाम - मृतक विकास दुबे आदि, थाना – सचेन्डी, कानपुर नगर"** ..आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. पिस्टल नम्बर 18158559 मय मैगजीन, दो 9 m.m. KF के चले कारतूस तथा एक 9 m.m. KF का जिन्दा / भग कारतूस प्राप्त हुये। जिन्हें क्रमशः **1/2020 से, E.C.-1 व E.C.-2 से तथा L.C.-1** से चिन्हित किया गया।

पत्रावली संख्या **615-BAL-2020 L/W 613,614,616-BAL-2020 :**

....

1 – तीन नमूना मोहरें, जिन्हें क्रमशः न-2, न-3 व न-4 से चिन्हित किया है।

2 - एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा,जिस पर समान न-2 की मुहरें लगी है, तथा डिब्बे पर, **"(1) Glock पिस्टल सरकारी नम्बर AACB- 718** मय मैगजीन.. **मु.अ.स.- 221/2020 व मु.अ.स.- 222/2020, बनाम - मृतक विकास दुबे आदि, थाना – सचेन्डी, कानपुर नगर"** ..आदि लिखा है, को खोलने पर एक 9 m.m. **Glock पिस्टल सरकारी नम्बर AACB- 718** मय मैगजीन प्राप्त हुयी। जिसे **2/2020** से चिन्हित किया गया।

3 - एक सर्वमुहर प्लास्टिक का डिब्बा,जिस पर समान न-3 की मुहरें लगी है, तथा डिब्बे पर, **"(2) पिस्टल सरकारी नम्बर 16443271 ..... मु.अ.स.- 221/2020 व मु.अ.स.-222/2020 बनाम - मृतक विकास दुबे आदि,थाना –सचेन्डी, कानपुर नगर"**..आदि लिखा है,को खोलने पर एक 9 m.m.पिस्टल **नम्बर 16443271** मय मैगजीन प्राप्त हुयी। जिसे **3/2020** से चिन्हित किया गया।

4 - एक सर्वमुहर बण्डल,जिस पर समान न-4 की मुहरें लगी है, तथा बण्डल पर, **"AK-47 राइफल नम्बर PT - 7108** मय मैगजीन,... **मु.अ.स.- 221/2020 व मु.अ.स.- 222/2020 बनाम - मृतक विकास दुबे आदि, थाना – सचेन्डी, कानपुर नगर"** .. लिखा है, को खोलने पर एक **AK-47 राइफल नम्बर PT - 7108** मय मैगजीन प्राप्त हुयी। जिसे **4/2020** से चिन्हित किया गया।

पत्रावली संख्या **614-BAL-2020 L/W 613,615,616-BAL-2020 :**

....

1 – एक नमूना मोहर, जिसे न-5 से चिन्हित किया है।

2 - एक सर्वमुहर छोटा बण्डल ,जिस पर समान न-1की मुहरें लगी है, तथा बण्डल पर **"घटनास्थल से प्राप्त,...मु.अ.स.- 221/2020 व मु.अ.स.- 222/2020 बनाम - मृतक विकास दुबे आदि, थाना – सचेन्डी, कानपुर नगर"**..आदि लिखा है, को खोलने पर नौ अदद 9 mm KF के चले कारतूस तथा दो 7.62 x 39 m.m.के चले कारतूस प्राप्त हुये। जिन्हें क्रमशः **EC-3, EC-4, EC-5, EC-6, EC-7, E.C.-8, E.C.-9, E.C.-10, E.C.-11 से तथा E.C.-12 व E.C.-13** से चिन्हित किया है।

पत्रावली संख्या **616-BAL-2020,613,614,615-BAL-2020 :**

....

1 – एक नमूना मोहर, जिसे न-6 से चिन्हित किया है।

2 - एक सर्वमुहर बण्डल ,जिस पर समान न-6 की मुहरें लगी है, तथा बण्डल पर .. "**..एक नीली जिन्स की पैंट .. मु.अ.स.- 221/2020 व मु.अ.स.- 222/2020 बनाम - मृतक विकास दुबे आदि, थाना – सचेन्डी आदि, कानपुर नगर"**..आदि लिखा है,को खोलने पर एक नीली जीन्स की पैंट प्राप्त हुयी। जिसे **P-1** से चिन्हित किया है।

निरीक्षण

घटनास्थल निरीक्षण / पुनर्संरचना के समय TUV वाहन संख्या – UP 70 AG 3497 के पलटने के स्थान से स्कार्पियो व सफारी के रूकने के स्थानो की दूरी क्रमशः लगभग 33 व 48 फीट, विकास दुबे द्वारा पुलिस पार्टी पर प्रथम फायर किये जाने के स्थान से TUV वाहन संख्या – UP 70 AG 3497 के पलटने के स्थान की दूरी लगभग 152 फीट, वादी व निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह के अन्तिम पोजीशन से अभियुक्त विकास दुबे के घायल होकर गिरने के स्थान के बीच

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई हेरफेर किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दण्ड संहिता (आई०पी० सी०) के अनुरूप कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।)

(510)

Part N 89216

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Forensic Science Laboratory, Uttar Pradesh, Lucknow

पत्रांक,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर
लखनऊ - 226006 |

सेवा मे,

Circle Officer (SADAR)
KANPUR CITY

पत्रांक	2020XBAL000613 LW614, 615, 616-M.L.D. LW560-M.L.D.	दिनांक	21.8.2020
अपराध संख्या	221/2020	राज्य बनाम	मृतक विकास दुबे
अधिनियम / धारा	IPC/224,IPC/307,IPC/392,IPC/411		
पुलिस स्टेशन / थाना	SACHENDI	मृतक / मृतका का नाम	
पी एम संख्या		जी०डी० संख्या	

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर के पत्र संख्या:वाचक–विवेचना/निर्देश (चौबेपुर),दिनांकित:13.07.2020 के क्रम में प्रयोगशाला की बैलेस्टिक विशेषज्ञो की टीम द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक18.07.20को किया गया।घटनास्थल निरीक्षण के समय विशेषज्ञो के अतिरिक्त निम्न पुलिसकर्मी / अधिकारी उपस्थित रहे:-

1 - श्री तेज बहादुर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस.टी.एफ. फील्ड इकाई, कानपुर नगर (वादी) / (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
2 - श्री अनुराग मिश्रा प्रभारी निरीक्षक, थाना- गोविन्द नगर, कानपुर नगर (विवेचक)
3 - श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निरीक्षक एस.टी.एफ. फील्ड इकाई,कानपुर नगर (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
4 - श्री रमाकांत पचौरी, प्रभारी निरीक्षक,थाना- नवाबगंज, कानपुर नगर (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
5 – श्री शीलेन्द्र यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक, गोविन्द नगर, कानपुर नगर
6 – श्री अनूप उप निरीक्षक,थाना- फजल गंज, कानपुर नगर (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
7 – श्री पंकज उप निरीक्षक, थाना- कल्याण पुर, कानपुर नगर (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
8 – श्री विनोद कुमार सिंह, उप निरीक्षक, एस.टी.एफ. लखनऊ मुख्यालय (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
9 - श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी उप निरीक्षक, थाना-सचेंडी कानपुर नगर
10 - डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी,प्रभारी फील्ड यूनिट, कानपुर.नगर
11 - मुख्य आरक्षी प्रो. शिवेंद्र सिंह, एस.टी.एफ. लखनऊ मुख्यालय (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
12 - श्री विमल, एस.टी.एफ. फील्ड इकाई,कानपुर नगर (मुठभेड़में सम्मिलित सदस्य)
13 - मुठभेड़ में सम्मिलित अन्य मुख्य आरक्षी, आरक्षी, आरक्षी चालक व जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पुलिस कर्मी

घटनास्थल,थाना- सचेंडी,कानपुर नगर से लगभग एक (01) किमी. दक्षिण कन्हैया लाल हॉस्पिटल के सामने,कानपुर जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग के सामने सड़क के पास बृहद ग्राम सचेंडी कानपुर नगर होना बताया गया |

दिनांक02/03.07.2020की रात में ग्राम बिकरू,थाना-चौबेपुर में कानपुर नगर के वांछित अभियुक्त विकास दुबे की तलाश में दबिश देने गये क्षेत्राधिकारी बिल्हौर के नेतृत्व में सम्मिलित पुलिस कर्मियों पर विकास दुबे व उसके साथियों द्वारा ताबड़ –तोड़ गोलियां चलाकर सुनियोजित प्राण घातक हमला किया गया.—— जिसमे क्षेत्राधिकारी बिल्हौर सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी तथा कई पुलिस कर्मी घायल हो गये |दिनांक 09.07.2020को प्रात:जनपद –उज्जैन पुलिस मध्य प्रदेश द्वारा विकास दुबे को हिरासत में लिया गया तथा दिनांक 09.07.2020को रात में उज्जैन पुलिस मध्य देश द्वारा **श्री तेज बहादुर सिंह,पुलिस उपाधीक्षक,एस.टी.एफ. —— फील्ड इकाई,कानपुर नगर** व साथ के अन्य पुलिस कर्मियों को विकास दुबे को सुपुर्द किया गया,तथा बाद में नियमानुसार गुना मध्य प्रदेश में **विवेचक रमाकांत पचौरी प्रभारी निरीक्षक,थाना–नवाबगंज,कानपुर नगर की अभिरक्षा में अभियुक्त विकास दुबे को देकर उनके वाहन में बैठाया गया तथा सभी टीम साथ –साथ** कानपुर नगर रवाना हुयीं |सुरक्षा एवम् सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनो सरकारी गाड़ियों(**TUV**वाहन संख्या **–UP70AG3497, टाटा सफारी वाहन संख्या UP 32 BG4485 तथा स्कार्पियो वाहन संख्या UP 32 BG 4555)** में अदलते – बदलते आ रहे थे | दिनांक 10.07.2020 को प्रात:कानपुर नगर की सीमा में पहुचने के पहले बराज़ोर टोल प्लाजा को क्रॉस करने के पश्चात बारिश शुरू हो गयी तथा कानपुर नगर से लगभग 25कि.मी.पूर्व एलीवेटेड रोड से उतरने के पश्चातभारत **CNG**पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही कन्हैया लाल हॉस्पिटल के सामने सड़क पर पहुचें की दाहिनी ओर से गाय–भैसों का झुण्ड सड़क पार कर बांयी ओर भागने लगा,जिसके परिणाम स्वरूप ———————— **TUV**वाहन संख्या – **UP70AG3497**,बरसात से स्किड कर सड़क के किनारे बने सीमेन्ट के डिवाइडर पर चढ़ कर दुर्घटना ग्रस्त होकर बांयी तरफ पलट गयी |दुर्घटना में सरकारी वाहन में बैठे —— पुलिस कर्मियों को गम्भीर चोटें आयी तथा अधिकांश पुलिस कर्मी अर्धचेतन की अवस्था में चले गये |जिसका लाभ उठाकर विकास दुबे घायल अधिकारी श्री रमाकांत पचौरी की पिस्टल खींच कर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोल कर निकल कर सड़क के बांयी ओर कच्चे मार्ग पर भागा |इसी

(यह एक कम्प्यूटर जनित रिपोर्ट है। यदि किसी के द्वारा कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो वह आई०टी० एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आई०पी० सी०) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा |)

(51)

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी सदर
जनपद –कानपुर नगर

कार्यालय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट, छावनी, कानपुर नगर

पत्रांक –फी0यू0/05/2020

दिनांक जुलाई, 20 2020

मु0अ0सं0 -221,222/2020 धारा -224/307/392/411 भादवि0, 3/25/27 ए.एक्ट थाना –सचेण्डी, कानपुर नगर बनाम विकास दुबे आपके पत्र सं0 निल दिनांक 15.07.2020

उपर्युक्त मामले में सम्बन्धित पत्र तथा प्रदर्श इस कार्यालय को दिनांक 15.07.2020 को विशेष वाहक हे0कॉ0 319 राकेश कुमार के द्वारा प्राप्त हुए।

1. तीन अदद सर्व मुहर सील लिफाफे जिसकी नमूना मुहर पर "अपठनीय हस्ताक्षर तथा S।" अंकित है। उक्त लिफाफो को खोलने पर प्रत्येक लिफाफे से एक-एक अदद पालीथीन के लिफाफे मिले जिनमें -

1. मृतक अभि0 विकास दुबे के दाहिने हाथ का काटन स्वैब जिसे S-1 से चिन्हित किया गया।
2. मृतक अभि0 विकास दुबे के बायें हाथ का काटन सवैब जिसे S-2 से चिन्हित किया गया।।
3. सादा काटन कन्ट्रौल सैम्पल जिसे Q से चिन्हित किया गया।

निरीक्षण-

मृतक अभि0 विकास दुबे के दाहिने, बाये हाथ के काटन स्वैब तथा कन्ट्रौल सैम्पल क्रमशः S-1, S-2 तथा Q पर माइक्रो केमिकल परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

S-1				S-2				Q			
Nitrite	Griess Test	+ve	present	Nitrite	Griess Test	-ve	ND	Nitrite	Griess Test	ND	ND
Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND	Lead	Sod. Roh.	ND	ND
Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND	Copper	Rubenic Acid	ND	ND
Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND	Nikil	DMG Test	ND	ND

ND- Not Detected

परीक्षण परिणाम-

मृतक अभियुक्त विकास दुबे के दाहिने हाथ के सम्बन्धित काटन स्वैब चिन्हित S-1 में परीक्षणोपरान्त फायरिंग के अवशेष नाईट्राइट की उपस्थिति पायी गयी।

परीक्षण के दौरान भेजे गये प्रदर्शों / साक्ष्यों का सम्पूर्ण उपयोग हो गया है (Consumed)।

20/07/2020

(डॉ0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक अधिकारी
फोरेन्सिक फील्ड यूनिट,छावनी
जनपद-कानपुर नगर

थाने से प्राप्त 03 अदद सर्बमुहर लिफाफे

लिफाफों के अन्दर तीन अदद स्वैब के पालीबैग्स

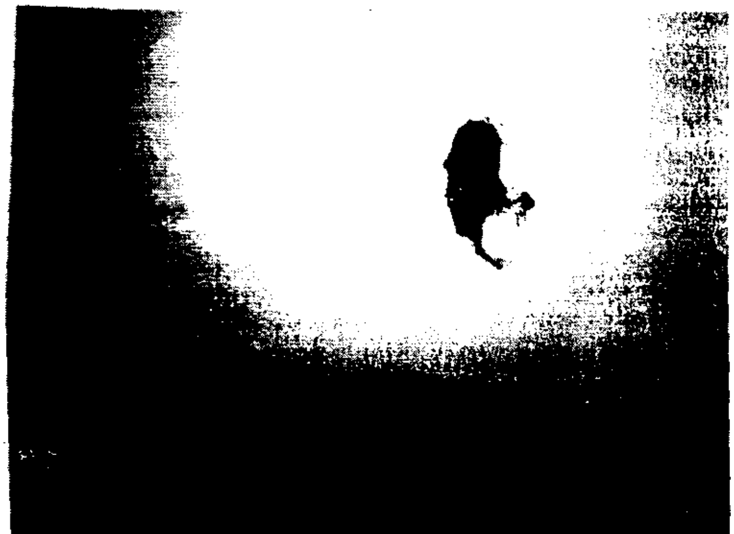

मृतक विकास दुबे के दाहिने हाथ में GSR नाइट्राइट (Pink colour) +ve मिला

CR.NO. 221,222/2020 US- 224/307/392/411 IPC , 3/25/27 A. Act

PS- SACHENDI , KANPUR NAGAR

FROM: FORENSIC FIELD UNIT, CANT, KANPUR NAGAR

20/07/2020

डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव
वैज्ञानिक अधिकारी
प्रभारी
...राक फील्ड यूनिट
...नी. कानपुर नगर

513 फर्द बाबत लेने कब्जा पुलिस दो अदद पिस्टल 9mm मय दो खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 9mm तथा एक अदद ग्लाक पिस्टल व एक अदद A.K.47 रायफल (सरकारी) तथा एक एक अदद बुलेट प्रूफ जैकेट सम्बन्धित मु.अ.सं. 221/20 धारा 224/307/392/411 IPC व मु.अ.सं. 222/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर

आज दिनांक 10.07.20 को मु.अ.सं. 221/20 धारा 224/307/392/411 IPC व मु.अ.सं. 222/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सचेण्डी की घटना में मुलजिम अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा बरवक्त घटना SHO रमाकान्त पचौरी से छीन कर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग में घटनास्थल से प्राप्त पिस्टल 9mm नं. 18158559 मय मैगजीन व दो खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 9mm तथा आत्म सुरक्षार्थ पुलिस पार्टी के का. विमल कुमार STF कानपुर शाखा द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल नं. 16443271 मय मैगजीन तथा SI श्री विनोद कुमार STF लखनऊ द्वारा अपनी सरकारी ग्लाक पिस्टल नं. AACB718 मय मैगजीन तथा कमाण्डो सर्वेश सिंह भदौरिया STF शाखा कानपुर नगर द्वारा अपनी सरकारी A.K.47 रायफल नं. 1970-PT7108 मय मैगजीन से पुलिस पार्टी द्वारा बचाव पक्ष में फायर किये उपरोक्त असलहा व कारतूस तथा खोखा कारतूस तथा SI श्री तेजबहादुर सिंह STF शाखा कानपुर नगर द्वारा घटना के दौरान पहने हुए अपनी सरकारी बुलेट प्रूफ जैकेट जिसमें गोली लगने का निशान बना है आगन्तुक अधि0/कर्म0गण के कब्जा पुलिस में लेकर अलग-अलग पिस्टलों को पारदर्शी डिब्बों में मय खोखा व कारतूस तथा A.K. 47 रायफल व बुलेट प्रूफ जैकेट को अलग-अलग कपड़े में सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। फर्द लिखकर पढ़कर सुनाकर अलमात बनवाये जा रहे हैं।

10/7/2020
(विनोद सिंह)
SI
एस0टी0एफ0 मुख्यालय
लखनऊ

10/07/2020
सर्वेश
भदौरिया

10/07/2020
(मनोज कुमार) SI
थाना सचेण्डी
कानपुर नगर

(514)

गोपनीय

संख्या-2022पी /छ:-पु-3-2020-82पी/2020टीसी

प्रेषक,

डॉ0 अनिल कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार,

एचजेएस, सचिव,

जाँच आयोग, कमरा नं0-202, वीवीआईपी गेस्ट हाउस,

रमाबाई मैदान, निकट शहीद पथ, लखनऊ।

16-12-2020

गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2020

विषय-विकास दुबे एवं उसके सहयोगियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के संबंध में की गयी मजिस्टीरियल जांच से संबंधित जांच आख्या।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-019/इन्क्वायरी कमीशन/लखनऊ, दिनांक 31.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकास दुबे एवं उसके सहयोगियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के संबंध में की गयी मजिस्टीरियल जांच की अद्यतन स्थिति से मा0 आयोग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर ने अपने पत्र संख्या-752/जे0ए0/2020, दिनांक 08.12.2020 के साथ दिनांक 09-7-2020 को अतुल कुमार एवं प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम तथा दिनांक 10-07-2020 को विकास दुबे के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ की मजिस्टीरियल जाँच आख्यायें संलग्न कर प्रेषित की गयी हैं। जिलाधिकारी, कानपुर नगर का उक्त पत्र संख्या-752/जे0ए0/2020, दिनांक 08.12.2020 एवं मजिस्टीरियल जांच आख्याओं सहित सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त। मूलरूप
(1+522 पृष्ठ = कुल 523 पृष्ठ)

भवदीय,

(डॉ0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

(515)

2020 P/क्र! 5-3-21

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर ।

15576 /एसीएस/जी/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,
गृह(गोपन) अनुभाग–3,
लखनऊ ।

संख्या– 752 / जे0ए0 / 2020 दिनांक 08-12-2020

विषयः–वर्ष–2020 को कानपुर नगर में हुये काउन्टर्स के सम्बन्ध में गठित मजिस्टीरियल जाँच / न्यायिक जाँच की प्रति उपलब्ध कराने विषयक ।

महोदय,

कृपया विशेष सचिव,गृह (पुलिस) अनुभाग–3उ0प्र0शासन,लखनऊ के पत्र संख्या–संख्या–1534 एफ / छै:–पु0–3–20दिनांक 09–10–2020 के क्रम में कि वर्ष–2020 में जनपद कानपुर नगर में दिनांक 03–7–2020 को अतुल कुमार दुबे,प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम एवं दिनांक 9–7–2020 प्रभात कुमार उर्फ कार्तिकेय तथा दिनांक 10–7–2020 को विकास दुबे के इनकाउन्टर्स की जाँच आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है । उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 03–7–2020 को अतुल कुमार दुबे,प्रेम कुमार उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजाराम के इनकाउन्टर्स की मजिस्टीरियल जाँच अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर को दी गयी थी उनके द्वारा अपने पत्र संख्या–536 / आशुलिपिक / ए0डी0एम0(भू0अ0)दिनांक 07–12–2020 के द्वारा अपनी जाँच आख्या प्रेषित की गयी है तथा दिनांक 10–7–2020 को विकास दुबे के इनकाउन्टर्स की न्यायिक जाँच आख्या मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट,कानपुर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या–1231 / सी0एम0एम0कानपुर नगर द्वारा दिनांक 04–12–2020 को प्रेषित की गयी है जिनकी प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

गोपनीय

संलग्नक–जाँच आख्याओं की प्रमाणित प्रति

भवदीय,
08/12
(आलोक तिवारी)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर ।

समिति(B)

2673

गोपनीय

09-12-2020

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

US(ACS)

JS / US / P.3

9/12/20

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
उत्तर प्रदेश शासन।

SO P3

09.12.2020
(राज बहादुर)
संयुक्त सचिव,
गृह, गोपन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

516

1

<u>न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।</u>
<u>न्यायिक जांच संख्या– 06 सन 2020</u>

प्रस्तुत न्यायिक जाच जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश को प्रेषित पत्र दिनांकित 13 जुलाई 2020 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश दिनाकित 14.07.2020 के अनुपालन मे मुझे प्राप्त हुयी। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा प्रेषित पत्र दिनाकित 13 जुलाई 2020 के द्वारा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर की घटना की न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सी0ओ0 तेज बहादुर सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर नगर द्वारा दिनांक 10.07.2020 को थाना सेचण्डी में मु0अ0सं0 221 सन 2020 अर्न्तगत धारा–224, 307, 392, 411 भा0द0सं0 एवं मु0अ0सं0 222 सन 2020 अर्न्तगत धारा–3, 25, 27 आयुध अधिनियम पंजीकृत करायी गयीं और कथन किया गया कि दिनांक 02/03.07.2020 की रात में ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर में पुलिस कर्मियों द्वारा क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मु0अ0सं0 191 सन 2020 धारा–147, 148, 504, 323, 364, 342, 307, भा0द0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना चौबेपुर कानपुर नगर के वांछित अभियुक्त विकास दुबे की तलाश मे ग्राम बिकरू में दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान मुख्य अभियुक्त विकास दुबे द्वारा सह अभियुक्तगणों के साथ एकराय होकर पुलिस बल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर प्राणघातक हमला किया जिससे क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार मिश्रा सहित 08 पुलिस कर्मियों की मौके पर मौत हो गयी एवं 07 पुलिसकर्मी घायल हो गये और उनके सरकारी असलहे एके 47 राइफल, इन्सास राइफल व पिस्टलें आदि अभियुक्तगणों द्वारा लूट लिये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0 192 सन 2020 धारा–147, 148, 149, 302, 307, 394, भा0द0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में अभियुक्त विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर व उसके 21 अन्य सह अभियुक्तगण नामित हुए थे। इस अभियोग में भी अभियुक्त विकास दुबे वांछित था तथा इसकी गिरफ्तारी हेतु 2,50,000/– रूपए का पुरस्कार घोषित हो चुका था। अभियुक्त विकास दुबे थाना चौबेपुर का टाप–10 ए–श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर एवं गैंगस्टर है। इसके विरूद्ध प्रदेश के विभिन्न थानों में 60 से अधिक अभियोग पंजीकृत हुए है जिसमें से अधिकाश जघन्य प्रकृति के हैं। दिनांक 09.07.2020

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

517

के होते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाने का आरोप है जिसमें कि 08 पुलिस वालों की मौके पर मौत हो गयी और 07 पुलिसकर्मी घायल हो गये उस व्यक्ति के मन में पुलिस का कोई डर या भय नहीं रहा होगा और ऐसा व्यक्ति गाड़ी पलटने पर पुलिसवालों की घायल व मूर्छित अवस्था का लाभ उठाकर पुलिस के असलहा छीनकर भागने का प्रयास कर सकता है और पुलिस द्वारा पीछा करने पर वह पुलिसवालों पर गोली चला सकता है। मृतक विकास दुबे के परिवारवालों को बयान हेतु नोटिस जारी की गयी थी। मृतक की मां श्रीमती सरला देवी व पत्नी श्रीमती ऋचा दुबे पर नोटिस व्यक्तिगत तामील हुयी किन्तु बयान हेतु परिवार से कोई उपस्थित नही आया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य व साक्षियों के बयानों से प्रतीत होता है कि अभियुक्त विकास दुबे द्वारा गाड़ी पलटने और फलस्वरूप पुलिसकर्मियों के घायल होने का लाभ उठाकर घायल इन्सपेक्टर रमाकान्त पचौरी की पिस्टल छीनकर भागने और एस0टी0एफ0 टीम द्वारा पीछा करने पर विकास दुबे व एस0टी0एफ0 टीम के मध्य हुयी मुठभेड़ में गोली लगने से अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हुयी है। मुठभेड़ फर्जी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.07.2020 को प्रातः काल बारिश होने और जानवरों के एकाएक सड़क पर आ जाने के कारण वाहन संख्या यूपी0 70 ए0जी0 3497, जिसमें अभियुक्त विकास दुबे एवं इन्सपेक्टर रमाकान्त पचौरी सहित अन्य पुलिसकर्मी सवार थे, के चालक द्वारा गाड़ी को जानवरों से बचाने के प्रयास में गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गयी। जिसमें पुलिसकर्मियों के घायल व मूर्छित होना बताया गया है। अभियुक्त विकास दुबे जिस पर दिनांक 02/3-7-2020 की रात में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर प्राणघातक हमला कर पुलिस कर्मियों की हत्या कारित करने का आरोप लगाया गया है और जो घटना के बाद से फरार था और उसे महाकाल मंदिर उज्जैन, मध्यप्रदेश में पकड़ा जाना बताया गया है, उसके द्वारा उपरोक्त परिस्थिति का लाभ उठाकर घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किये जाने का अनुमान लगाया जा सकता है और एस0टी0एफ0 पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त का पीछा करने और उसे पकड़ने का प्रयास करने पर अभियुक्त द्वारा पुलिसकर्मियों पर फायर किया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध सन 1993 से सन 2020 तक विभिन्न धाराओं [illegible] आपराधिक वाद पंजीकृत है जिनमें से [illegible] हत्या, हत्या के प्रयास, [illegible] जैसे गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित है। अभियुक्त पर दिनांक 02/ [illegible]

सत्यप्रति
प्रमाणित

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(518)

के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर प्राणघातक हमला करने और पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। इससे स्पष्ट है ऐसे व्यक्ति के मन में पुलिस का कोई भय नही रहा होगा, और ऐसा व्यक्ति पकड़े जाने से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर गोली चला सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य व साक्षियों के बयानों से प्रतीत होता है कि अभियुक्त विकास दुबे द्वारा गाड़ी पलटने और फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के घायल होने का लाभ उठाकर घायल इन्सपेक्टर रमाकान्त पचौरी की पिस्टल छीनकर भागने और एस0टी0एफ0 टीम द्वारा पीछा करने पर विकास दुबे व एस0टी0एफ0 टीम के मध्य हुयी मुठभेड़ में गोली लगने से अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हुयी है। मुठभेड़ फर्जी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

दिनांक:- 01.12.2020

Chintaram
1/12/2020

(चिन्ताराम)
जांच अधिकारी/
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

सत्यप्रति
कार्यालय

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी
कानपुर नगर

(519)

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.</u>

I.W.- 01/9

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–तेज बहादुर सिंह, आयु–52 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ सिंह, पदनाम–पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, कानपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 11.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एसटीएफ उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हूँ और फील्ड यूनिट कानपुर में सितम्बर 2019 से नियुक्त हूँ। अभियुक्त विकास दुबे के जनपद उज्जैन में पकड़े जाने की सूचना 09.07.2020 को प्रातः लगभग 09 बजे मुझे ग्वालियर में मिली थी। मैंने इस सूचना से अपनी टीम के सदस्यों को अवगत कराया। करीब 10–10:30 बजे अपनी टीम के साथ उज्जैन हेतु रवाना हो गया। मुझे बताया गया कि एक अन्य टीम निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उज्जैन के लिए रवाना हुई है। उज्जैन मैं लगभग 06–07 बजे शाम पहुँचा। ग्वालियर से उज्जैन लगभग 480–500 किमी0 दूरी पर है और हमारी टीम शाम 06–07 बजे लगभग उज्जैन पहुँची। श्रीमान एसएसपी कानपुर नगर के लिखित/मौखिक पत्र के कम में दिनांक 09.07.2020 के कम में श्रीमान एसपी उज्जैन से सम्पर्क करके उसी दिन 20:10 बजे विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने मेरी सुपुर्दगी में दे दिया था। विकास दुबे को मैंने अपने सरकारी वाहन यूपी 32 बीजी 4485 में अपनी टीम के सुरक्षा घेरे में लेकर बैठा लिया था। मेरे वाहन के साथ उज्जैन पुलिस के 2–3 वाहन भी चले थे। उज्जैन से कानपुर नगर के लिए चलने पर लगभग 240 किमी0 बाद जनपद गुना–शिवपुरी मार्ग पर स्थित शीतल ट्रांसपोर्ट कम्पनी के सामने जाट ढाबा के पास हाईवे पर मु0अ0सं0 192/20 थाना चौबेपुर के विवेचक श्री रमाकांत पचौरी मय टीम के अपने वाहन संख्या–यूपी 70 एजी 3497 के साथ मौजूद मिले जिन्हें 10.07.2020 को 00:30 बजे विकास दुबे को नियमानुसार उनकी सुपुर्दगी में दे दिया। जिसका सुपुर्दगीनामा श्री रमाकांत पचौरी ने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया था, जिसपर मैंने भी हस्ताक्षर किये। वहीं पर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, एसटीएफ की टीम मय वाहन संख्या–यूपी 32 बीजी 4555 (ब्लैक स्कॉर्पियो) भी मिले थे। विकास दुबे को रमाकांत पचौरी की सुपुर्दगी में देने के उपरांत उनके द्वारा अपने वाहन संख्या–यूपी70एजी 3497

ते 18/11/20

520

(सफेद टीयूबी–300) में सावधानीपूर्वक बैठाया गया था। जनपद गुना से उज्जैन पुलिस बल वापस चला गया।

मु0अ0सं0 192/20 संबंधित थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के विवेचक श्री रमाकांत पचौरी को नियमानुसार अभियुक्त विकास दुबे को संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष नियत अवधि के अन्दर पेश करने का दायित्व था। तदनुसार रमाकांत पचौरी, निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा मय स्वयं मय टीमों व 03 सरकारी वाहनों के सावधानीपुर्वक कानपुर के लिए गुना से चले। सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी वाहनों में अदलते–बदलते आ रहे थे। जनपद कानपुर नगर की सीमा में पहुँचने से पहले बारा जोड टोल प्लाजा को कॉस करने के पश्चात रायपुर बैरियर के थौड़ा आगे हाईवे पर अभियुक्त विकास दुबे का अकबरपुर से कानपुर नगर के मार्ग में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में विशेष प्रभाव व समर्थक होने के कारण श्री रमाकांत पचौरी द्वारा पुनः टाटा सफारी यूपी 32बीजी 4485 से टीयूबी वाहन संख्या–यूपी 70 एजी 3497 में शिफ्ट किया गया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे। बारा जोड टोल प्लाजा पर हमारे तीनों सरकारी वाहन बिना रूके निकल गए थे। सबसे आगे टीयूबी गाड़ी उसके पीछे मेरी गाड़ी उसके पीछे निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह की गाड़ी चल रही थी तभी बारिश शुरू हो गई।

कानपुर की सीमा से 25 किमी पहले ट्राफिक समस्याओं के कारण आगे चल रही टीयूबी गाड़ी का पीछे की दोनों गाड़ियों के बीच फासला बढ गया और हम लोग कन्हैयालाल हॉस्पिटल के सामने थोड़ा आगे पहुँचे तो देखा कि वायीं ओर एक गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाकर देखा कि यह गाड़ी वही है जिसमें अभियुक्त विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, तुरन्त अपनी गाड़ियां रोककर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पास हम लोग पहुँचे तो पाया कि टीयूबी 300 गाड़ी के अन्दर मौजूद पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल थे जिनमें से कुछ अर्धचेतन अवस्था में थे। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के अन्दर से कुछ ठीक हालत में आरक्षी सत्यवीर के द्वारा बताया गया कि अचानक दाहिनी ओर से गायों–भैसों का झुण्ड भागता हुआ आ गया, जिनको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाईडर से टकराकर पलट गई है और विकास दुबे, रमाकांत पचौरी की पिस्टल छींनकर गाड़ी के पिछले गेट से निकलकर अभी–अभी कच्चे रास्ते की तरफ भागा है। इस पर मैं स्वयं तथा हमराही एसटीएफ के शेष पुलिस बल ने तेजी से अभियुक्त विकास दुबे का पीछा किया तथा मेरे द्वारा तेज आवाज में विकास दुबे को रूकने के लिए बार–बार कहा गया। हम लोगों को अपनी ओर बढ़ता देख विकास दुबे ने पुलिस से छींनी हुई सरकारी पिस्टल से पलटकर हम लोगों पर जान से मारने की नियत से लक्ष्य करके फायर करना शुरू कर दिया और विकास दुबे तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, बीच–बीच में पलट पलट कर हम लोगों पर फायर करता रहा, जिसका बचाव हम लोगों के द्वारा उपलब्ध आड़ व पोजीशन लेकर किया गया। कच्चे रास्ते की दाहिनी ओर से मैं स्वयं व अन्य पुलिस कर्मी खेत से लगी हुई मेड़ व झाड़ की आड़ से पोजीशन लेकर व वायीं ओर से निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह व अन्य पुलिस बल अर्धनिर्मित दीवार व खम्बों व

521

झाड़–झंकाड़ की आड़ पर किनारे पर पोजिशन लेते हुए विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते रहे और काफी नजदीक पहुँच गए। विकास दुबे की चलाई गोली से मुख्य आरक्षी शिवेन्द्र सिंह घायल हो गए। मैं, व उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, आ0 विमल कुमार तथा आ0 सर्वेश भदौरिया कर्तव्यपालानार्थ विकास दुबे की फायरिंग रेंज में पहुँचकर उसे जिंदा पकड़ने के उददेश्य से उसके काफी नजदीक पहुँच गए, कि अभियुक्त विकास दुबे ने मुझे लक्ष्य करते हुए शीधा फायर कर दिया। जो मेरी शीने पर बीपी जैकेट पर लगी। मेरे वायीं तरफ चल रहे आ0 विमल विकास दुबे की ओर झपट पड़ा कि विकास दुबे ने विमल की ओर फायर कर दिया जिससे आ0 विमल घायल हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर आत्मरक्षार्थ व कर्तव्यपालानार्थ भिन्न–भिन्न जगह व दिशाओं में मौजूद पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के लिए एक साथ फायर किया, जिससे विकास दुबे के मुँह से चीख और कराह निकल गई और वह गिर पड़ा। नजदीक जाकर देखने पर विकास दुबे के दाहिनी हाथ के पास सरकारी पिस्टल पड़ा हुआ था और आस–पास दो फायर सुधा खोखा कारतूस पड़े हुए थे। विकास दुबे में जीवन के लक्षण मौजूद दिखाई देने पर उपचार किट में मौजूद कॉटन से खून रोकने का प्रयास किया गया। मैंने तत्काल अपने सीयूजी नंबर से 112 नंबर पर घटना की सूचना दी और 108 नंबर पर कॉल करके एम्बूलेंस बुलाने हेतु कॉल किया। जिसपर सम्पर्क न होने पर पुनः 112 नंबर पर एम्बूलेंस भेजने के लिए कॉल किया। इसी दौरान थानाध्यक्ष सचेंण्डी, कानपुर नगर को वाकयात से अवगत कराया और तलविदा थाना सचेण्डी के पुलिस बल (उपनिरीक्षक पंकज जयसवाल व आ0 चन्द्र प्रकाश) की मदद से विकास दुबे को इलाज हेतु हेलेट (एल0एल0आर0) अस्पताल भेजा गया। उक्त के साथ ही मुठभेड़ में घायल पुलिस कर्मी शिवेन्द्र सिंह व विमल कुमार को भी इलाज हेतु टाटा सफारी से चालक मो0 साबिर व सर्वेश आरक्षी के साथ अस्पताल भेजा गया। टीयूबी 300 पलटने के स्थान से विकास दुबे के गोली लगकर गिरने के स्थान के बीच मेरे अन्दाज से करीब 90 से 100 मीटर का फासला होगा। दोनों एसटीएफ पुलिस कर्मी व अभियुक्त विकास दुबे को इलाज हेतु भेजे जाने के उपरांत मैं मौके पर ही रूका रहा। बारिश होने के कारण अभियुक्त विकास दुबे के पास बरामद लूटी हुई पिस्टल को पानी व कीचड़ से साक्ष्य नष्ट न होने देने के उददेश्य से पिस्टल की नाल में पेन डालकर उठाकर कपड़े की मदद से इस प्रकार शेफ्टी प्रकॉशन कर उसके अन्दर से एक जिंदा कारतूस को निकाला गया, कि कोई फिंगर प्रिंट, भौतिक, वैज्ञानिक साक्ष्य नष्ट न हो। मैंने विकास दुबे के पास पड़े दोनों खोखा कारतूसों को कब्जा पुलिस में दिया तथा पुलिस द्वारा फायर किये गए खोखा कारतूस व अभियुक्त द्वारा भी फायर किये गए खोखा कारतूसों की तलाश करने पर मिटटी गीली होने व सड़क कच्ची होने के कारण ततसमय बरामद नहीं हो सके। पुलिस पार्टी द्वारा प्रयोग किये गए असलहों को कब्जे में लेकर थाना हाजा में दाखिल कराया। उज्जैन में विकास दुबे की जामा तलाशी से बरामद माल जो मुझे सुपुर्दगी में प्राप्त हुआ था तथा जिसे मैंने निरीक्षक श्री रमाकांत पचौरी को सुपुर्द कर दिया था, उस बरामद सुदा माल को श्री रमाकांत पचौरी के घायल होने के उपरांत मैंने थाना सचेण्डी पर सुपुर्द कर दिया। क्षतिग्रत वाहन को आ0 सत्यवीर थाना नबावगंज की निगरानी में छोड़ा गया था। दोनों घटनास्थलों को सुरक्षित करने हेतु

522

उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, मु0आ0 अशोक गुप्ता व राजेश मौर्या को मैंने इनकी निगरानी में छोड़ा गया था। विकास दुबे के द्वारा चलाई गई गोली मेरे द्वारा मौके पर पहनी हुई बीपी जैकेट में लगी थी। बाद घटना व आवश्यक कार्रवाई में मेरे द्वारा थाना सचेण्डी जाकर कब्जा पुलिस में लिये गए असलहा, कारतूस, खोखा कारतूस व बीपी जैकेट थाने पर दाखिल कराया गया तथा रोजनामचा आम में घटना वाक्या अंकित कराया तथा मु0अ0सं0 221/2020 व 222/2020 थाना सचेण्डी, कानपुर नगर में अभियुक्त विकास दुबे के विरूद्ध पंजीकृत कराया। सुसंगत प्रपत्र–1 तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर द्वारा तत्कालीन एसपी जनपद उज्जैन को प्रेषित पत्र दिनांक 09.07.2020, नंबर–2– सुपुर्दगी पंचनामा (थाना महाकाल उज्जैन दिनांक 09.07.2020, 20:10 बजे) व नंबर–3, सुपुर्दगीनामा अभियुक्त विकास दुबे (शीतल ट्रांसपोर्ट कम्पनी के सामने गुना शिवपुरी हाईवे, दिनांक 10.07.2020, 00:30 बजे) की छायाप्रतियां मेरे शपथपत्र के साथ दाखिल हैं।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

18/11/2020

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉंच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 02/2

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–~~भूपेन्द्र~~, आयु–40 वर्ष, पुत्र श्री जगत नारायण, निवासी कस्बा व थाना– सचेण्डी, जिला–कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 11.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं कस्बा व थाना सचेण्डी कानपुर नगर का मूल निवासी हूँ। मेरी पुस्तैनी जमीन जो लगभग 40 वीघा है वह विकास दुबे व पुलिस वालों के बीच हुए गोली काण्ड के स्थान से लगभग 400–500 मीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। चूंकि खेतों पर धान लगवाना था इसलिए 09/10.07.2020 की अर्धरात्रि करीब 02–03 बजे ही मैं अपने खेतों पर पहुँच गया था। पानी, धान की पेड़ आदि की व्यवस्था करके अपने खेतों से कच्चे रास्ते से होकर सुबह अपने घर की ओर लौट रहा था कि जैसे ही बेरी के पेड़ के पास पहुँचा कि फायरिंग की आवाज सुना तो देखा कि 100–150 मीटर की दूरी पर एक मोटा तगड़ा आदमी हमारी तरफ भाग रहा था, जो उसका पीछा करने वाले 4–5 आदमियों पर मुड़–मुड़कर फायरिंग कर रहा था। मैं डरकर अपने खेतों की तरफ भाग गया। उस समय मौसम खराब था, फायरिंग हो रही थी। कुल 10–15 फायर हुए थे। बाद में पता चला कि फायर करने वाला आदमी विकास दुबे था। जो बिकरू काण्ड का वांछित अपराधी रहा है। इसके अलावा मेरी अन्य कोई जानकारी नहीं है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

भूपेन्द्र सिंह

दिनांक
18/11/20

प्रति प्राप्त किया
भूपेन्द्र सिंह
18/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

524

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.</u>

I.W.- 03/3

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–विनोद कुमार, आयु–30 वर्ष, पुत्र श्री मुनेश कुमार, निवासी ग्राम–प्रयागपुर, पोस्ट खानपुर थाना–मंगलपुर जिला–कानपुर देहात।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 31.08..2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं प्रयागपुर का मूल निवासी हूँ। दिनांक 10.07.2020 को मैं सुबह करीब 5 बजे अपने गॉव से अपनी बहन राधा पत्नी अशीष कठेरिया निवासी दबौली पश्चिमी मिश्रीलाल चौराहा बर्रा कानपुर के यहॉ मोटर साइकिल से जा रहा था। रायपुर से ही हल्की–हल्की बारिश होने लगी। मैं जैसे ही महेन्द्रा शोरूम के सामने से जा रहा था तो थोड़ा दूर आगे सड़क की बायी पटरी पर एक पलटी हुई गाड़ी देखी। उसके पास दो और गाड़ी खड़ी थी। मैंने मोटर साइकिल रोकी तभी फायरिंग की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि बायी ओर कच्चे रास्ते पर एक आदमी भाग रहा था और उसको कुछ लोग रूक जाओ रूक जाओ कहकर दौड़ा रहे थे। भागने वाला व्यक्ति उनके उपर मुड़–मुड़कर फायर कर रहा था। मैं डर के मारे अपनी मोटर साइकिल तेजी से बढ़ाकर अपनी बहन के यहॉ आ गया।

बहन के यहॉ मैंने टी0वी0 पर देखा कि विकास दुबे मारा गया तब समझ में आया कि जो आदमी भाग रहा था और मुड–मुड़कर पीछा करने वालों पर फायर कर रहा था वही विकास दुबे था जिसे महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

विनोद कुमार
18-11-2020

प्रति प्राप्त किया।

विनोद कुमार
18-11-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

525

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 04/4

(घटना कमांक–06)

दिनांक 18 / 11 / 2020

साक्षी का नाम–दुर्गेश सिंह, आयु– 52 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम–सचेण्डी उर्फ चचेरी, थाना– सचेण्डी, जिला– कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 29.08.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं ग्राम सचेण्डी उर्फ चचेरी कानपुर नगर का मूल निवासी हूँ। दिनांक 10.07.2020 को प्रातःकाल विकास दुबे को ले जानी वाली पुलिस गाड़ी का जानवरों को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट होकर पलटते हुए मैंने देखा था। मुझे कई सालों से डायबिटीज है और रोज सुबह टहलता हूँ। दिनांक 10.07.2020 को सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे मैं अपने घर से टहलने के लिए निकला था तभी कुछ बूंदा बांदी हो रही थी फिर बारिश होने लगी। तब मैं अम्बा जी फैक्ट्री के बगल में संजय आटो पार्टस के पास खड़ा हो गया था। तभी मैने देखा कि एक सफेद गाड़ी इटावा की तरफ से आ रही है उसी समय गाय और भैसें भी मेरी तरफ से सामने की सड़क को भाग कर पार कर रही थी। इनको बचाने के चक्कर में वह सफेद गाड़ी बाये तरफ पलट गयी। जब तक मैं सड़क पार करके वहाँ तक जाता तब तक पीछे दो गाड़ी और आ गयी और उनसे कुछ लोग उतर कर उस गाड़ी के पास गये। फिर सामने कच्चे रास्ते की ओर किसी को रूकने के लिए चिल्लाने लगे। तभी फायरिंग होनी लगी। तब मैं डरकर गॉव की ओर भाग गया।

दुर्गेश सिंह

526

PW-4/5

बाद में हम सब लोग गये तो पता चला कि पलटी हुई गाड़ी पुलिस की थी और मुल्जिम विकास दुबे को ले जा रहे थे। तब गाड़ी पलटने पर मुल्जिम पुलिस की पिस्टल लेकर भाग गया था। पुलिस ने विकास दुबे का पीछा किया था तब उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। इस गोली–बारी में मुल्जिम घायल हो गया था। विकास दुबे को लेकर पुलिस अस्पताल ले गयी थी । बाद में पता चला कि विकास अस्पताल में मर गया ।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
दुर्गेशसिंह
18-11-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

प्रति प्राप्त की
दुर्गेशसिंह
18-11-2020

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-05/4

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–अशोक कुशवाहा, आयु–48 वर्ष, पुत्र श्री राधेश्याम कुशवाहा, निवासी ग्राम–सचेण्डी उर्फ चचेरी, थाना–सचेण्डी, जिला–कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 29.08.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं ग्राम सचेण्डी उर्फ चचेरी, कानपुर नगर का मूल निवासी हूँ। मैं बचपन से पहलवानी करता हूँ और रोज कसरत करता हूँ। दिनांक 10.07.2020 को सुबह 6–साढ़े 6 बजे कन्हैया लाल अस्पताल के उत्तर की ओर सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे कसरत कर रहा था । तभी मैंने देखा कि एक सफेद गाड़ी अकबरपुर की तरफ से आ रही थी और मेरी तरफ से गाय और भैसें भी भागते हुए सड़क पार करके पश्चिम की ओर जा रही थी। उन गाय भैसों को बचाने के चक्कर में वह सफेद गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर पलट गयी। मैंने उस गाड़ी के नजदीक जाने की कोशिश की, परन्तु ट्रैफिक के कारण नहीं जा पाया। इसी बीच में दो गाड़ियॉ, एक काली और एक सफेद, पीछे से आयीं। उनसे कुछ लोग उतरे और पलटी गाड़ी के पास गये थे। इसके बाद वे कच्चे रास्ते की ओर चल दिये। किसी को चिल्लाने लगे तभी फायरिंग शुरू हो गयी। तब मैं डर कर अस्पताल की ओर चला गया।

जब उस जगह पर और लोग आ गये तब मैं वहॉ गया था। बाद में सोशल मीडिया से पता चला कि पलटी हुई गाड़ी पुलिस की थी। जिसमें विकास दुबे को ले जा रहे थे तब गाड़ी पलटने पर मुल्जिम पुलिस की पिस्टल लेकर भाग गया था। पुलिस ने विकास दुबे का पीछा किया था तब उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। इस गोली–बारी में मुलजिम घायल हो गया था। मैंने इस घटना के बारे में पहले भी दरौगा जी को बताया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
अशोक कुमार
18-11-2020

प्रति प्राप्त किया।
अशोक कुमार
18-11-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

528

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-06/3

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–विकास सिंह, आयु–25 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री श्रवण सिंह, निवासी ग्राम–कस्बा सचेण्डी थाना–सचेण्डी, जिला–कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 07.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मेरा झांसी–कानपुर हाइवे पर तोमर ढाबा नाम से एक होटल महेन्द्र शोरूम के पास है। मैं उसमें अधिकतर दिन–रात रहता हूँ। मेरा ढाबा घटना स्थल से लगभग 200–300 मीटर दूर दक्षिण दिशा में हैं। दिनांक 10.07.2020 को मैं सुबह–सुबह अपने ढाबे पर था। मेरे ढाबे के बगल में अनिल पाण्डेय की चाय की गुमटी हैं। हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तभी तेज आवाज आई और लगा कि किसी गाड़ी का टायर फट गया। थोड़ी देर बाद और भी तरह की आवाजें आने लगी। तब हम दोनों आवाज आने वाली जगह की तरफ पैदल–पैदल बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर मैने देखा कि हाइवे की दूसरी पटरी पर वायीं तरफ एक गाड़ी पलटी हुई है और उसके पास और दो गाडियॉ और खड़ी हुई हैं। कुछ लोग पलटी हुई गाड़ी मे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे हम दोनों लोग भी पलटी गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी के अन्दर कुछ पुलिस वाले घायल अवस्था में फंसे हुए थे। बायी तरफ जा रहे कच्चे रास्ते की तरफ भी कुछ लोग दिखाई दिये। हम दोनों लोगों ने भी गाड़ी के अन्दर से पुलिस के लोगों को निकालने में मदद की। तभी वहॉ पर काफी फोर्स आ गई थी। हम दोनों वापिस होटल चले गए।

बाद में टेलीविजन द्वारा पता चला कि पलटी हुई गाड़ी से पुलिस मुल्जिम विकास दुबे को ले जा रही थी। तब गाड़ी पलटने पर मुल्जिम पुलिस की पिस्टल लेकर भाग गया था। एस0टी0एफ0 वालों ने विकास दुबे का पीछा किया था तब उसने एस0टी0एफ0 वालों के ऊपर गोली चलाई थी। जिस पर एस0टी0एफ0 वालों ने भी गोली चलाई थी जिससे विकास दुबे को भी गोली लग गई थी। गोली से घायल पुलिस वालों और विकास दुबे को पुलिस अस्पताल ले गयी थी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
विकास सिंह
18-11-2020
प्रश्नोत्तर किया।
विकास सिंह
18-11-2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

(529)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-07/3

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–अनिल पाण्डेय, आयु–38 वर्ष, पुत्र श्री बुद्विसागर पाण्डेय, निवासी ग्राम–कस्बा सचेण्डी थाना– सचेण्डी, जिला–कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 07.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मेरी झांसी–कानपुर हाइवे पर महेन्द्र शोरूम के पास तोमर ढाबा से लगभग लगी हुई एक चाय की गुमटी है। जहॉं मैं प्रायः देर रात तक दुकान में रहता हूँ। मेरी चाय की गुमटी घटना स्थल से लगभग 200–300 मीटर दूर दक्षिण दिशा में हैं। दिनांक 10.07.2020 को मैं सुबह–सुबह अपनी चाय की गुमटी पर था तथा मेरी गुमटी के बगल में विकास सिंह का तोमर ढाबा है। हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तभी तेज आवाज आई और लगा कि किसी गाड़ी का टायर फट गया। थोड़ी देर बाद और भी तरह की आवाजें आने लगी। तब हम दोनों आवाज आने वाली जगह की तरफ पैदल–पैदल बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर मैने देखा कि हाइवे की दूसरी पटरी पर बायी तरफ एक गाड़ी पलटी हुई है और उसके पास और दो गाड़ियॉं और खड़ी हुई हैं। कुछ लोग पलटी हुई गाड़ी मे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे हम दोनों लोग भी पलटी गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी के अन्दर कुछ पुलिस वाले घायल अवस्था में फंसे हुए थे। बायी तरफ जा रहे कच्चे रास्ते की तरफ भी कुछ लोग दिखाई दिये। हम दोनों लोगों ने भी गाड़ी के अन्दर से पुलिस के लोगों को निकालने में मदद की। तभी वहॉं पर काफी फोर्स आ गई थी। बारिश होने लगी तो हम दोनों वापिस अपनी जगह पर चले गए।

बाद में लोगों से पता चला कि पलटी हुई गाड़ी से पुलिस मुल्जिम विकास दुबे को ले जा रही थी। तब गाड़ी पलटने पर मुल्जिम पुलिस की पिस्टल लेकर भाग गया था। एस0टी0एफ0 वालों ने विकास दुबे का पीछा किया था तब उसने एस0टी0एफ0 वालों के ऊपर गोली चलाई थी। जिस पर एस0टी0एफ0 वालों ने भी गोली चलाई थी जिससे विकास दुबे को भी गोली लग गई थी। गोली से घायल पुलिस वालों और विकास दुबे को पुलिस अस्पताल ले गयी थी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
अनिल कुमार पाण्डेय
18.11.2020
पहचाना गया
अनिल कुमार पाण्डेय
18.11.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

530

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 08/4

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–अनिल सिंह, आयु–42 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री ओंकार सिंह, निवासी कमालपुर, पोस्ट अकारू थाना–रूरा, जिला–कानपुर देहात।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 03.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं कमालपुर का मूल निवासी हूँ। मैं दूध का व्यवसाय करता हूँ और लगभग प्रतिदिन अपने गॉव के आसपास के गॉव के किसानों से दूध लेकर मोटर साइकिल से नजीराबाद कानपुर नगर की मिठाई की दुकान और अन्य लोगों को दूध बेचता हूँ। दिनांक 10.07.2020 को रोज की भॉति मैं घर से दूध लेकर अपनी मोटर साइकिल से सुबह–सुबह झांसी–कानपुर हाइवे से नजीराबाद कानपुर की तरफ जा रहा था। रनियॉ के पास हल्की हल्की बारिश होने लगी। मैं तेजी से कानपुर नगर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही किसान नगर के आगे बिस्कुट फैक्ट्री के थोड़ा आगे पहुँचा तो करीब 200–300 मीटर आगे एक सफेद गाड़ी कानपुर की ओर जा रही थी। वह जानवरों के अचानक सड़क पर आ जाने के कारण उनको बचाने के चक्कर में धड़ाम से पलट गई। मैं उसके पास पहुँच कर उनकी मदद करने जा रहा था तभी पलटी हुई गाड़ी के पिछले दरवाजे को उठा कर एक मोटा– तगड़ा आदमी गाड़ी से बाहर निकला। मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ तब उसने अपने हाथ में ली हुई पिस्तौल दिखाकर मुझको मॉ की गाली देते हुए कहा कि साले तुम्हे दिख नहीं रहा है कि क्या हुआ है, यहॉ से भाग जाओं। इस पर मैं डर के मारे अपनी मोटर साइकिल बढ़ाकर आगे चला आया। मैं उस समय नहीं जान सका कि वह कौन था।

थाना सचेण्डी पर गाड़ी रोककर सोचा कि कोई हो तो बता दू, लेकिन मुझे थाने के बाहर कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं अपनी मोटर साइकिल से नजीराबाद कानपुर आया और दूध पहुँचाने के काम में व्यस्त हो गया । नजीराबाद में टी0वी0 पर न्यूज चल रही थी और पलटी हुई गाड़ी का वीडियो चल रहा था। तब मुझे पता चला कि पलटी हुई गाड़ी से जो मोटा –तगड़ा आदमी पिछले गेट से निकला था, वह विकास दुबे है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

अनिल सिंह
18/11/2020

एक प्रति प्राप्त किया
अनिल सिंह
18/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.-09/3

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–सूरज सिंह, आयु–35 वर्ष, पुत्र श्री अवधेश बहादुर सिंह, निवासी ग्राम–हमजाबाद, थाना–जयसिंहपुर, जिला–सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 16.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं बारा जोड टोल प्लाजा में सहायक प्रबंधक (शिफ्ट इंचार्ज) के पद पर कार्यरत हूँ। इस टोल प्लाजा का ठेका ऑरिन्टल इस्ट्रंक्चर इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड (बक्शी ग्रुप) को मिला हुआ है। टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में वीआईपी और पुलिस मूवमेंट की सूचना थी। एम्बूलेंस लेन (इमरजेंसी लेन) सरकारी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी व वीआईपी गाड़ियों के लिए खाली रहती है। दिनांक 10.07.2020 को समय सुबह 06:23 बजे बारा जोड टोल प्लाजा से पुलिस की गाड़ियां निकली थीं, चूकिं उस समय टोल प्लाजा पर वाहनों की लम्बी कतारें लगीं हुईं थीं और पुलिस की गाड़ियां आने की पूर्व से सूचना थी। इस कारण मैंने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की गाड़ियों को सीधे पास करा दिया। इन्हीं गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में अभियुक्त विकास दुबे था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। बाद में लोगों से चर्चा और खबरों से पता चला कि इनमें से किसी एक गाड़ी में अभियुक्त विकास दुबे था। मैंने अन्य गाड़ियों को टोल अदा करने के उपरांत नियमानुसार अपने टोल प्लाजा से पास कराया था। मुझे किसी भी पत्रकार (मीडिया पर्शन) आदि के आने की सूचना नहीं है। सीसीटीवी फुटेज चार–पांच दिन के बाद स्वतः खत्म हो जाती है। इस समय कुल वाहनों की स्थिति नहीं दिखाई जा सकती। 10.07.2020 को बारा जोड टोल प्लाजा पर 18 लेन चालू थी, जिसमें से 02 लेन आने–जाने के लिए एम्बूलेंस लेन कहलाती हैं।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
Suraj Singh
18.11.2020
फुलस्टाप किया
18.11.2020
Suraj Singh

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

532

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 10/3

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–जीत सिंह, आयु–30 वर्ष, पुत्र श्री मानिक सिंह, निवासी ग्राम–ताहरपुर मैदू, थाना–अकबरपुर, जिला–कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश)।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 16.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं बारा जोड टोल प्लाजा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 10.07.2020 को समय सुबह 06:30 बजे बारा जोड टोल प्लाजा से पुलिस की गाड़ियां निकली थीं। मुझे अपने टोल प्लाजा के सुपर वाईजर द्वारा सूचना मिली थी, इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट होकर खड़ा हो गया था और मैंने वीआईपी बूथ (इमरजेंसी बूथ) से पुलिस की गाड़ियों को बिना किसी रूकावट के सीधे पास करा दिया था। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से टोल बूथ लाईन को साफ करा दिया था और पुलिस की गाड़ियों को सीधे पास कराया था। अन्य गाड़ियों को टोल अदा करने के उपरांत नियमानुसार अपने टोल प्लाजा से पास कराया था। बारा जोड टोल प्लाजा से पास हुई पुलिस की गाड़ी में अभियुक्त विकास दुबे था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। बाद में स्टाफ के लोगों से चर्चा और खबरों से पता चला कि उनमें से किसी एक गाड़ी में अभियुक्त विकास दुबे था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

जीत सिंह
18.11.2020

प्रति प्राप्त किया
जीत सिंह
18.11.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

(533)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 11/4

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18/11/2020

साक्षी का नाम–मो0 साबिर, आयु–49 वर्ष, पुत्र मो0 जाकिर, पदनाम–आरक्षी चालक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, जिला–कानपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 10.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एसटीएफ उत्तर प्रदेश में आरक्षी चालक के पद पर तैनात हूँ और फील्ड यूनिट कानपुर में नियुक्त हूँ। दिनांक 05.07.2020 को मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह व एसटीएफ टीम के अन्य सदस्यों के साथ वाहन संख्या–यूपी 32 बीजी 4485 (सफेद टाटा सफारी) को चलाकर एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर से ग्वालियर गया था। एसटीएफ टीम के कुछ और सदस्य भी अन्य वाहन संख्या–यूपी32बीजी 4540 से गए थे।

दिनांक 09.07.2020 को प्रातः जनपद उज्जैन महाकाल मंदिर में बिकरू काण्ड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के पकड़े जाने की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के निर्देशानुसार आरक्षी विमल कुमार और आरक्षी सर्वेश भदौरिया के साथ ग्वालियर से उज्जैन गया था। वहां पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन से सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसर थाना महाकाल उज्जैन के इंस्पेक्टर साहब से अभियुक्त विकास दुबे को अपनी सुपुर्दगी में लेकर कानपुर के लिए रवाना हुए थे। उज्जैन से मध्य प्रदेश की पुलिस भी हमारे साथ गुना तक आयी थी। गुना में हाईवे पर शीतल ट्रांस्पोर्ट के सामने एसटीएफ की दूसरी टीम निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के साथ और कानपुर नगर की पुलिस टीम निरीक्षक रमाकांत पचौरी के साथ मय गाड़ी के मिले। यहीं से मध्य प्रदेश पुलिस की गाड़ियां वापस हो गईं। निरीक्षक पचौरी साहब ने विकास दुबे को मेरी गाड़ी से अपनी टीयूवी गाड़ी में बिठा लिया और तीनों गाड़ियां उचित फासले पर गुना से कानपुर के लिए चलीं।

सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी गाड़ियों में बदलते आ रहे थे। कानपुर नगर की सीमा पहुँचने से पहले बारा जोड टोल प्लाजा को कॉस करने के पश्चात् रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे हाइवे पर अभियुक्त विकास दुबे का उस क्षेत्र में विशेष प्रभाव व समर्थक होने के कारण विवेचक रमाकांत पचौरी ने उसे मेरी गाड़ी से अपनी गाड़ी टीयूवी गाड़ी सख्या–यूपी 70 एजी 3497 में शिफ्ट कर लिया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे। पुलिस टीम के उतरने चढ़ने, बारिश, ट्राफिक समस्या के कारण टीयूवी गाड़ी करीब 1 से 1½ किमी0 आगे निकल गई थी, मेरे आगे स्कॉर्पियो गाड़ी

534

रही थी जिसमें पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह थे और हमारी गाड़ी तीसरे नंबर पर थी।

कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़के के थोड़ा आगे पहुँचने पर आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी से हाथ निकालकर मेरी गाड़ी को साइड में लगाने का इशारा किया गया। गाड़ी को साइड में लगाकर देखा तो सबसे आगे चल रही टीयूवी गाड़ी पलट गई थी जिसमें कानपुर नगर की पुलिस विकास दुबे को ले जा रही थी। दोनों गाड़ियों में बैठे एसटीएफ के लोग टीयूवी गाड़ी के पास गए और कुछ देर बाद बायीं तरफ कच्चे रास्ते की ओर रूक जाओ रूक जाओ मत भागो मत भागो करते हुए दौड़े तभी फायरिंग की आवाज आने लगी। एसटीएफ गाड़ी के हम दानों चालक उतरकर पलटी गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि उसमें पुलिस के कुछ लोग गंभीर अवस्था में घायल फंसे हुए थे। हम दोनों चालक उनको निकाल रहे थे तभी पब्लिक के कुछ लोग आ गए, जिनकी मदद से उन्हें निकाला और सुरक्षित स्थान पर लिटाया। थोड़ी देर में काफी पुलिस आ गई। मैंने विकास दुबे को गाड़ी से निकलते हुए नहीं देखा।

कुछ देर बाद पता चला कि कच्चे रास्ते की तरफ विकास दुबे इंस्पेक्टर साहब की पिस्टल छीन कर भाग रहा था और एसटीएफ की टीम उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उसके फायर से एसटीएफ के शिवेन्द्र सिंह और विमल कुमार घायल हो गए थे और एसटीएफ टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली से विकास दुबे घायल हो गया था। मैं भी घायलों को अपनी गाड़ी में लेकर आरक्षी सर्वेश भदौरिया के साथ हैलेट अस्पताल के लिए रवाना हुआ। थाना सचेण्डी के आगे थाना सचेण्डी के गाड़ी के वाइपर काम नहीं कर रहे थे तो थाना सचेण्डी के उपनिरीक्षक पंकज जायसवाल, आरक्षी चन्द्र प्रकाश घायल अभियुक्त विकास दुबे को लेकर मेरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए। थाने की गाड़ी को वापस कर दिया था, फिर मैं सभी को लेकर हैलेट अस्पताल आ गया था। अस्पताल के आदमी स्ट्रेचर पर विकास दुबे तथा दोनों घायल पुलिस वालों को भी स्ट्रेचर पर ले गए। मुझे पता नहीं कि हॉस्पिटल पहुँचने के समय विकास दुबे जिन्दा था या नहीं। उनको अस्पताल में छोड़कर मैं गाड़ी लेकर वापस घटनास्थल फिर थाने पर आ गया। वापस पर आने पर मालूम हुआ कि विकास दुबे की मृत्यु हो गई है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

ह०/- अपठनीय 18.11.20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 12/4

(घटना कमांक–06)
दिनांक 18 /11/2020

साक्षी का नाम–राम मिलन आयु–51 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री सत्यदेव सिंह, पदनाम–आरक्षी चालक, एस0टी0एफ0 लखनऊ उत्तर प्रदेश।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एस0टी0एफ0 लखनऊ में नियुक्त हूँ। दिनांक 09/07/2020 को मैं उप निरीक्षक विनोद कुमार की टीम के साथ वाहन संख्या यूपी–32 बी0जी0 45 55 से मुख्यालय से सरकारी कार्य हेतु रवाना हुआ था। विनोद कुमार सिंह ने बताया था कि हम लोगों को तत्काल कानपुर युनिट चलना है। कानुपर यूनिट पहुँचकर उन्होंने निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह से सम्पर्क किया। उसके बाद एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट कानपुर से निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, मु0आ0 प्रो0 शिवेन्द्र सिंह मु0आ0 राजेश मौर्या, मु0आ0 अशोक गुप्ता के साथ अपने वाहन से उज्जैन के लिए करीब 14:15 बजे रवाना हुए झांसी पहुँचकर गाड़ी में तेल डलवाया। निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह ने गुना में शीतल ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने जाट ढाबा पर गाड़ी रूकवा दी और हम लोग वहीं पर रूके रहे। कुछ देर बाद कानपुर नगर का पुलिस बल टीयूबी गाड़ी यूपी –70 ए0 जी0 3497 से मिला जिसमें इंस्पेक्टर साहब और अन्य पुलिस कर्मी थे। कुछ देर में एस0टी0एफ0 कानपुर के पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ बिकरू काण्ड के अभियुक्त विकास दुबे को लेकर आये।

कानपुर नगर से आये इंस्पेक्टर साहब ने अभियुक्त विकास दुबे को अपनी गाड़ी में बैठाया। मध्यप्रदेश की पुलिस गुना से वापस चली गयी। हम लोग तीनों गाड़ियों से उचित दूरी पर गुना कानपुर के लिए चले। रास्ते में कई बार विकास दुबे को बदल–बदल कर बैठाया गया। जब हम लोग बारा जोड़ टोल प्लाजा कास कर रायपुर बैरियर से थोड़ा आगे बढ़े तो इंस्पेक्टर पचौरी साहब ने अभियुक्त विकास दुबे को टाटा सफारी गाड़ी से उतारकर टी0यू0बी0 गाड़ी में बैठा लिये। बारिश, ट्रैफिक समस्या एवं पुलिस के बार–बार चढ़ने उतरने के लिए टी0यू0बी0 गाड़ी 1–1½ किमी0 आगे निकल गई थी। मेरी स्कार्पियों गाड़ी बीच में चल रही थी जिसमें पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह व टीम के अन्य सदस्य थे।

जैसे हम लोग कन्हैया लाल हास्पिटल को पारकर आगे बढे तो देखा कि बाईं ओर एक गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाने पर देखा तो यह वही टीयूबी गाड़ी थी जिसमें

536

I.W 42/5

...पुर नगर की पुलिस अभियुक्त को लेकर जा रही थी।मैंने पीछे आ रही टाटा सफारी ... हाथ से साइड करने के लिए इशारा किया। दोनों गाड़ियों हाइवे के बायी तरफ खड़ी की गई। दोनों गाड़ियों में बैठे एस0टी0एफ0 टीम के सभी सदस्य उतर कर पलटी हुई टीयूबी गाड़ी के पास गये और कुछ क्षणों बाद बायी तरफ कच्चे रास्ते की ओर रूक जाओ, रूक जाओ, मत भागो, मत भागो कहते हुए दौड़े और तभी फायरिंग की आवाज आने लगी। एस0टी0एफ0 की गाड़ियों के हम दोनों चालक अपनी–अपनी गाड़ी से उतरकर पलटी गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी में पुलिस के लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में फंसे हुए है।

हम दोनों चालक उनको निकाल रहे थे तभी पब्लिक के कुछ लोग आ गये जिनकी मदद से घायल पुलिस वालों को गाड़ी से निकाला। थोड़ी देर में काफी मात्रा में पुलिस आ गयी। कुछ देर बाद पता चला कि कच्चे रास्ते की तरफ अभियुक्त विकास दुबे इंस्पेक्टर साहब की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। एस0टी0एफ0 की टीम ने उसे पकड़ने के लिए प्रयास किया था तब उसने ताबड़–तोड़ फायर किये जिससे एस0टी0एफ0 के शिवेन्द्र सिंह और विमल कुमार घायल हो गये। एस0टी0एफ0 द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली से अभियुक्त विकास दुबे घायल हो गया। घायलों को थाना सचेण्डी की पुलिस के सरकारी वाहन से तथा टाटा सफारी से अस्पताल भेजा गया। उसके बाद मैं सीओ साहब के साथ थाना– सचेण्डी आ गया। जहॉं सीओ साहब ने आगे की कार्रवाई की।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

मोहित सिंह

18.11.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टैनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

मोहित सिंह

18-11-2020

537

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.</u>

I.W.-13/5

(घटना कमांक-06)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम—रमाकान्त पचौरी, आयु-53 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री कोमल सिंह, पदनाम-निरीक्षक, थाना-नबाबगंज, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 11.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक थाना नबाबगंज, कानपुर नगर के पद पर तैनात हूँ। दिनांक 02/03.07.2020 की मध्य रात्रि ग्राम बिकरू, थाना-चौबेपुर, कानपुर नगर में दबिश देने गई पुलिस की टीमों के साथ विकास दुबे व उसके साथियों ने गोलीबारी की घटना की थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, महेश यादव, थानाध्यक्ष शिवराजपुर, उपनिरीक्षक नेबू लाल थाना शिवराजपुर, उपनिरीक्षक अनूप सिंह, चौकी प्रभारी मंधना, थाना बिठूर सहित 08 पुलिस कर्मियों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और 07 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में थाना चौबेपुर में मुकदमा अपराध संख्या-192/20 पंजीकृत हुआ था। इसके मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की गिरफतारी हेतु 2 लाख 50 हजार का इनाम घोषित हुआ था। वह कुख्यात हिस्ट्रीशीटर था। आर0टी0 सेट के माध्यम से सूचना मिलने पर मैं भी गया था। श्री विनय कुमार तिवारी, तत्कालीन थाना प्रभारी चौबेपुर की सूचना पर थाना चौबेपुर में दर्ज मु0अ0स0 192/20 की विवेचना एसएसपी महोदय के आदेश से मुझे प्राप्त हुई थी। मु0अ0सं0 192/2020 का मैं प्रथम विवेचक था। मैंने वादी का बयान तथा घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य बयानों से धारा 120 (बी) भा0द0स0 की बढोत्तरी की तथा थाना प्रभारी चौबेपुर को धारा 55 द0प्र0स0 के तहत गिरफ्तार किया।

इस घटना के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की गिरफतारी हेतु दिनांक 09.07.2020 को एसएसपी कानपुर नगर महोदय को धारा 55 द0प्र0स0 के तहत तहरीर गिरफतारी दी। एसएसपी कानपुर महोदय के माध्यम से जानकारी हुई कि विकास दुबे उज्जैन थाना महाकाल में पकड़ा गया है और एसएसपी महोदय ने डीएसपी एसटीएफ तेज बहादुर सिंह की सुपर्दगी में अभियुक्त विकास दुबे को देने हेतु पुलिस अधीक्षक उज्जैन को पत्र प्रेषित किया। इसके कम में श्री तेज बहादुर सिंह व उनकी टीम जो ग्वालियर में पहले से मौजूद थी वह उज्जैन के लिए रवाना हुई। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मुझे टीम के साथ श्री तेज बहादुर सिंह से समन्वय स्थापित करके

19/11

538

अभियुक्त विकास दुबे को अपनी सुपुर्दगी में लेकर उनके साथ लाने का निर्देश दिया गया था।

इस आदेश के पालन में थाना नबाबगंज से का0 सत्यवीर सिंह, पुलिस लाइन कानपुर नगर से उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह, थाना फजलगंज, उपनिरीक्षक पंकज कुमार सिंह, पनकी रोड चौकी इंचार्ज थाना कल्याणपुर मिले। हमराही आरक्षी सत्यवीर को पुलिस लाइन से असलहे कारतूस दिलाकर सरकारी गाड़ी संख्या–यूपी 70 एजी 3497 मय का0 प्रदीप कुमार के समय 15:30 बजे दिनांक 09.07.2020 को अभियुक्त विकास दुबे को लेने हेतु उज्जैन रवाना हुए। गुना पहुँचने के पूर्व सम्पर्क करने पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह ने बताया कि उनका दल अभियुक्त सहित कानपुर की ओर आ रहा है। मैं रास्ते में गुना, मध्य प्रदेश में रूकूँ और वहीं पर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह एसटीएफ टीम के साथ मुझे मिल जायेंगे। दिनांक 10.07.2020 को अर्धरात्रि 00:30 बजे निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एसटीएफ मय टीम व मैं स्वयं मय टीम गुना–शिवपुरी मार्ग पर शीतल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी के सामने जाट ढाबा के पास मौजूद थे वहां पर श्री तेज बहादुर सिंह, डीएसपी मय पुलिस बल मय अभियुक्त विकास दुबे को लेकर उज्जैन से चलकर पहुँचे व हम लोगों को मिले, जहां पर श्री तेजबहादुर सिंह से मैंने अभियुक्त विकास दुबे को अपनी सुपुर्दगी में लिया। 10.07.2020 की प्रातः हमारे तीनों वाहन बारा जोड टोल प्लाजा को पार करके रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे बढ़े जहां पर अभियुक्त विकास दुबे को मेरे टीयूवी वाहन यूपी 70 एजी 3497 में बैठा लिया। टीयूवी वाहन को आरक्षी प्रदीप कुमार चला रहे थे, जिसके बगल में उपनिरीक्षक अनूप कुमार बैठे थे। चालक सीट के पीछे उपनिरीक्षक पंकज सिंह सुरक्षा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को बीच वाली सीट पर, विकास दुबे के बगल वायीं तरफ मैं स्वयं बैठा था, पीछे आरक्षी सत्यवीर सिंह बैठा था। ट्राफिक व बारिश के कारण एसटीएफ की दोनों गाड़िया मेरी गाड़ी से पीछे हो गई। बारिश होने के वजह से जब अचानक गाय भैसों का झुण्ड भागता हुआ आ गया तो संभावित दुर्घटना से बचने का प्रयास करने में टीयूवी गाड़ी फिसलकर वायीं तरफ स्कड करके डिवाईडर से टकराकर पलट गई। जिसके कारण दुर्घटना से चोटिल होकर मैं बेहोश हो गया। मुझे व अन्य चोटिल पुलिस कर्मियों को चिकित्सा हेतु सीएचसी कल्याणपुर ले जाया गया, जहां दुर्घटना के करीब ढेड घण्टे बाद मुझे होश आया। मेरा मेडिकल करीब 08:10 ए0एम0 पर हुआ। मेरी नाक से लगातार खून बह रहा था मेरी दाहिने हाथ की कोनी में काफी दर्द था तथा शरीर के अन्य भागों में भी काफी दर्द था। मेरे होश में आने पर जब मैंने अपनी पिस्टल पर ध्यान दिया तो पाया कि मेरी लोडेड पिस्टल (10 कारतूस) गायब थी। वहां मौजूद श्री राघवेन्द्र सिंह, एसओ, थाना महाराजगंज से मुझे पता चला कि मेरी पिस्टल अभियुक्त विकास दुबे निकालकर भागा था। दुर्घटना के समय मेरी पहनी वर्दी में दाहिनी तरफ पिस्टल लगी थी। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मैं इलाज हेतु 10.07.2020 से 13.07.2020 तक हेलेट हॉस्टिल (एलएलआर) के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती था। दुर्घटना से आयी चोट के कारण मेरी नाक से निकला खून मेरी वर्दी पर भी लगा था, जिस वर्दी को प्रकरण से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–221/20 थाना सचेण्डी के विवेचक श्री अनुराग मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्दनगर ने वाजाफ्ता विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु कब्जा पुलिस में लिया था।

10.07.2020 को सरकारी वाहन टीयूवी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मैं चोटिल हो गया था, जिस कारण से उसी समय तक उक्त मुकदमे का विवेचक रहा।

19/11/20

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

19/11/20

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

540

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 14/4

(घटना कमांक–06)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम–प्रदीप, आयु–36 वर्ष, पुत्र श्री पन्नालाल असर, पदनाम–आरक्षी, थाना–चकेरी, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 11.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में थाना चकेरी, कानपुर नगर में तैनात हूँ। इससे पहले मैं पुलिस लाइन कानपुर नगर में कार्यरत था। दिनांक 09.07.2020 को मुझे पुलिस लाइन से बताया गया कि मैं निरीक्षक रमाकांत पचौरी, थाना नबाबगंज से संपर्क कर उनके साथ मु0आ0स0 192/20 थाना चौबेपुर के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे, जो थाना महाकाल उज्जैन में पकड़ा गया है, उसको लेने के लिए उनकी टीम के साथ शीघ्र उज्जैन प्रस्थान करूँ। इस आदेश के पालन में मैंने श्री रमाकांत पचौरी से संपर्क किया और दिनांक 09.07.2020 को 15:30 बजे मैं उनके तथा अन्य हमराह पुलिस कर्मियों के मय असलाह कारतूस के पुलिस लाइन कानपुर नगर से सरकारी गाड़ी संख्या–यूपी 70 एजी 3497 से उज्जैन के लिए प्रस्थान किया। गाड़ी को मैं चला रहा था। पचौरी साहब ने गाड़ी में बैठे पुलिस दल को बताया कि एसएसपी कानपुर नगर महोदय ने पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह की सुपुर्दगी में अभियुक्त विकास दुबे को देने हेतु पुलिस अधीक्षक उज्जैन को पत्र लिखा है जिसके पालन में पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त कर हमारी टीम के निरीक्षक/विवेचक रमाकांत पचौरी को सुपुर्दगी में देना था। एसटीएफ की दूसरी टीम के निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह से निरीक्षक/विवेचक रमाकांत पचौरी ने समन्वय स्थापित किया तब उन्होंने बताया कि वे गुना शिवपुरी हाईवे पर शीतल ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने जाट ढाबे पर मौजूद हैं। इसके पश्चात् हमारी टीम उनकी टीम के पास जाट ढाबे पर पहुँची और वहां पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह की प्रतीक्षा करने लगी। समय लगभग 00:30 बजे दिनांक 10.07.2020 को पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह अपनी टीम व सरकारी गाड़ी तथा अभियुक्त विकास दुबे के साथ मिले। निरीक्षक रमाकांत पचौरी ने वहीं पर विकास दुबे को अपनी सुपुर्दगी में लिया और सुपुर्दगीनामा तैयार किया। यह तय हुआ कि सुविधा, सुरक्षा व सर्तकता की दृष्टि से तीनों पुलिस की गाड़ी आगे–पीछे चलेंगी और समय–समय पर अभियुक्त विकास दुबे को तीनों गाड़ियों में बदल–बदल कर बिठाया जायेगा। इसके पश्चात् रमाकांत पचौरी ने विकास दुबे को अपने और मेरे बीच में वाहन संख्या–यूपी 70 एजी 3497 टीयूबी में बिठाया और इस गाड़ी को उ0नि0 पंकज कुमार चला रहा था और उ0नि0 अनूप सिंह उनके बगल में आगे की सीट पर बैठे थे। का0 सत्यवीर सबसे पीछे बैठे थे।

तीनों गाड़ियां आगे–पीछे चल रही थीं। कभी–कभी ट्राफिक की वजह से वाहनों के बीच फासला घट बढ जाता था। इसी बीच निरीक्षक रमाकांत पचौरी ने अभियुक्त से पूछताछ की थी। कानपुर नगर की सीमा पहुँचने से पहले बाराजोड टॉल प्लाजा पार

करने के बाद रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे हाईवे पर विकास दुबे को गाड़ी संख्या–यूपी 32 बीजी 4485 से अपनी गाड़ी संख्या–यूपी 70 एजी 3497 में सुरक्षा कारणों से बिठाया, क्योंकि इस क्षेत्र में उसका विशेष प्रभाव था। उसे बीच वाली सीट पर निरीक्षक साहब और उ0नि0 पंकज कुमार सिंह के बीच में बैठाया गया और गाड़ी को मैं चला रहा था। हमारी गाड़ी कानपुर की तरफ चलने लगी, तभी बारिश शुरू हो गई और एसटीएफ की दोनों गाड़ियों और हमारी गाड़ी के बीच थोड़ा फासला हो गया। हमारी गाड़ी जैसे ही एलीवेटेड रोड उतरने के बाद भारत सीएनजी पेट्रोल पंप पार करके कन्हैयालाल हॉस्पिटल के सामने सड़क पर पहुँची, तभी अचानक दाहिनी ओर से गाय–भैंसे आकर वायीं ओर भागने लगीं। इन जानवरों से दुर्घटना से बचाने के लिए मेरे द्वारा गाड़ी को वायीं ओर मोड़कर नियंत्रित करने का प्रयास किया, किन्तु गाड़ी बरसात में फिसलकर एक जानवर को रगड़ते हुए सड़क के किनारे बने सीमेंट के मजबूत डिवाईडर से टकराकर पलट गयी और मैं घायल और अचेत हो गया। यह घटना समय सुबह लगभग 06:35 बजे की है।

सीएचसी कल्याणपुर में मुझे तथा मेरी टीम के निरीक्षक पचौरी साहब, उ0नि0 अनूप कुमार, उ0नि0 पंकज कुमार सिंह को इलाज के लिए एसओ महाराजपुर राघवेन्द्र सिंह द्वारा लाया गया। जहां से हमें हेलेट अस्पताल ईलाज हेतु भेजा गया। जहां पर मुझे जानकारी हुई कि विकास दुबे पचौरी साहब की पिस्टल छीनकर हमारी गाड़ी से उतरकर भागा जिसपर एसटीएफ और उसके बीच गोलीबारी हुई जिसमें एसटीएफ के दो लोग और विकास दुबे भी घायल हो गया था। मुझे सीएचसी कल्याणपुर से निरीक्षक साहब व पंकज सिंह के साथ एम्बूलेंस से हेलेट लाया गया था, जहां हम तीनों भर्ती हुए थे। कोरोना टेस्ट में मैं कोरोना पोजिटिव पाया गया तब मुझे कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया गया था।

टीयूवी के दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटने पर मैं चोटिल होकर बेहोश हो गया था। अन्य घायल पुलिस कर्मियों के साथ ही मुझे भी प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी कल्याणपुर ले जाया गया था जहां पर करीब 08:20 एम पर मेरा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। परीक्षण के समय भी मैं अर्धचेतन अवस्था में था और मेरी नाक से खून निकल रहा था और मेरे सर में भी चोट थी। मेरी चोटों के उपचार के लिए मुझे हेलेट अस्पताल में दिनांक 10.07.2020 से 19 या 20.07.2020 तक भर्ती रखा गया। मुझे बेहोश होने के बाद कुछ नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था। नाक से निकला खून मेरी वर्दी पर लगा था जिसे मैंने विवेचक को दे दिया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।
[signature] 19/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

19/11/20

[signature]
डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

[signature]
न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

[signature]
के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

542

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 15/6

(घटना कमांक–06)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम–विमल कुमार आयु–34 वर्ष, पुत्र श्री राधाकृष्ण, पदनाम–आरक्षी एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट कानपुर उत्तर प्रदेश।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 03.10.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर में कार्यरत हूँ। दिनांक 05/07/2020 को मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह की टीम के साथ रवाना होकर ग्वालियर मध्यप्रदेश पहुँचा था। टीम में निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, विमल कुमार, धीरेन्द्र कुमार, अब्दुल कादिर, थे। ये टीम 2 सरकारी वाहनों में थी जिन्हें चालक मोहम्मद साबिर व कांस्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह चला रहे थे। ग्वालियर में ग्राम –बिकरू थाना– चौबेपुर कानपुर नगर में हुए पुलिस कर्मियों के नृशंस हत्या काण्ड के नामजद अभियुक्तों में से कुछ के छिपे होने की सूचना मिली थी। दिनांक 06/07/2020 को इस टीम में से निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, आरक्षी अब्दुल कादिर को एक सरकारी गाड़ी से कानपुर भेज दिया गया। और टीम के शेष सदस्य ग्वालियर में रूके रहे और वांछित अभियुक्तों की तलाश करते रहे। दिनांक 09.07.2020 को मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह व टीम के कुछ अन्य सदस्यों के साथ ग्वालियर से उज्जैन गया। वहॉ पर सीओ साहब एस0पी उज्जैन से मिलने के बाद थाना महाकाल उज्जैन के निरीक्षक अरविन्द्र सिंह तोमर से अभियुक्त विकास दुबे को समय करीब 20:10 बजे हमारी टीम की सुपुर्दगी में लिया गया। सुपुर्दगी नामा पर हम सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये इसके बाद हम लोग थाना–महाकाल उज्जैन से पुलिस की सरकारी गाड़ी से अभियुक्त विकास दुबे को बैठाकर थाना कायथा जिला उज्जैन आया था।

हम लोगों के साथ मध्यप्रदेश पुलिस की एक टीम अन्य वाहनों से आई थी और थाना कायथा से हम लोगों ने अभियुक्त को अपने वाहन संख्या यूपी–32बीजी 4485 में शिफ्ट किया था। इसके बाद थाना कायथा उज्जैन से रवाना होकर गुना में शीतल ट्रांसपोर्ट के सामने जाट ढाबा के पास हाइवे पर आये। हमारी गाड़ी में मध्यप्रदेश पुलिस के एक इंसपेक्टर साहब भी थे और यहॉ तक कि मध्यप्रदेश की टीम सरकारी वाहन से

543

1-07-15

आई थी। गुना में कानपुर नगर की पुलिस टीम निरीक्षक रमाकांत पचौरी के साथ सरकारी टी0यू0बी0 गाड़ी संख्या यूपी–70 ए0जी0–3497 से आकर मिली। अभियुक्त विकास दुबे को सीओ साहब ने शीतल ट्रांसपोर्ट के सामने जाट ढाबा के पास हाइवे पर लिखापढ़ी कर निरीक्षक रमाकांत पचौरी को सुपुर्द किया था और उनकी गाड़ी में बैठाया था वहीं पर एस0टी0एफ0 की एक अन्य टीम निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के साथ वाहन संख्या यू0पी0 32 बी0जी0 4555 से आकर मिली और हम लोगों के तीनों वाहन कानपुर के लिए चल दिये। मध्य प्रदेश पुलिस टीम की वापस चली गई । पचौरी साहब की टीयूवी गाड़ी के आगे–पीछे पूर्ण सतर्कता के साथ हम लोग की गाड़ी चल रही थी। बारा जोड टोल प्लाजा के आगे रायपुर बैरियर पार करने के बाद अभियुक्त विकास दुबे को टीयूवी गाड़ी में शिफट करने के बाद जब तीनों सरकारी वाहन कानपुर की तरफ चले तो मैं सबसे पीछे चल रही सफेद टाटा सफारी में मौजूद था।

सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी गाड़ियों में बदलते आ रहे थे। कानपुर नगर की सीमा पहुँचने से पहले बारा जोड टोल प्लाजा को कॉस करने के पश्चात् रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे हाइवे पर अभियुक्त विकास दुबे को विवेचक रमाकांत पचौरी ने उसे टाटा सफारी गाड़ी संख्या–यूपी 32बीजी 4485 से टीयूवी गाड़ी संख्या–यूपी 70 एजी 3497 में शिफ्ट किया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे। मैं निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के साथ वाहन संख्या यूपी– 32 बी0जी0 4485 टाटा सफारी में था जो सबसे पीछे चल रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई।

जब कानपुर लगभग 25 किमी शेष रह गया तब ट्राफिक समस्या के कारण एस0टी0एफ0 की गाड़ियों और कानपुर पुलिस की गाड़ी में फासला बढ़ गया। हम लोग कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़के के थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारे आगे चल रही एस0टी0एफ0 की स्कार्पियों गाड़ी के चालक ने हाथ निकालकर गाड़ी को साइड लगाकर रूकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियॉ लगभग साथ–साथ रूकी तो देखा कि बाईं ओर एक टी0यू0वी0 गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाने पर देखा तो यह वही गाड़ी थी जिसमें कानपुर नगर की पुलिस अभियुक्त को लेकर जा रही थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को तत्काल दुर्घनाग्रत गाड़ी के पास रोका और उतरकर उस गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी के अन्दर पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल और कुछ अर्धचेतन अवस्था में थे। कुछ–कुछ ठीक हालत में गाड़ी के अंदर से आरक्षी सत्यवीर ने सीओ साहब को बताया कि अचानक दायीं ओर से गाय भैंसों का झुण्ड भागता हुआ आ रहा था जिनको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाईडर से टकराकर पलट गई और विकास दुबे, पचौरी साहब की पिस्टल छींनकर गाड़ी के पिछले गेट से निकलकर अभी–अभी कच्चे रास्ते की तरफ भागा है।

इस पर सीओ साहब तथा एस0टी0एफ0 के शेष पुलिस कर्मियों के साथ मैंने विकास दुबे का पीछा किया। सीओ साहब ने तेज आवाज में कहा कि ''रूक जाओ विकास मत भागो'' हम लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर विकास दुबे ने पुलिस से छीनी हुई सरकारी पिस्टल से पलटकर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू

544

2-ω-1[?]/8

र दिया। वह तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते रहा और बीच–बीच में पलट–पलट कर फायर करता रहा। हम लोगों ने कच्चे रास्ते के दाहिने ओर, खेत से लगी हुई मेड़ व झाड़ की आड़ पर पोजीशन लेकर तथा बायीं ओर से अर्धनिर्मित दीवार, खम्भों व झाड़ झंकाड़ की आड़ लेकर पोजीशन लेते हुए उसे पकड़ने के लिए काफी नजदीक पहुँच गए।

इसी दौरान विकास दुबे की चलाई गोली से मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह घायल हो गए। अभियुक्त विकास दुबे ने सीओ साहब को लक्ष्य कर सीधा फायर किया जो उनके सीने पर बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगा जिससे सीओ साहब की जान बच गई। इसी दौरान मैं अभियुक्त विकास दुबे की ओर झपटा तब विकास दुबे ने मेरे ऊपर फायर कर दिया जिसकी गोली मेरे बायीं जाँघ में लगी। इसी अफरा–तफरी में असुरक्षा के महौल में मैंने अपनी पिस्टल से आत्मरक्षार्थ विकास दुबे के उपर दो फायर किये और इसी दौरान टीम के अन्य लोगों ने भी फायर किये। जिससे विकास दुबे के मुँह से चीख और कराह निकली और वह गिर गया। टीम के सदस्य राजेश मौर्या ने मुझे सहारा देकर अलग बैठाया।

सीओ साहब ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ आगे जाकर घायल विकास दुबे को देखा और उसकी पिस्टल को कब्जे में लिया। सीओ साहब ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। मौके पर थाना सचेण्डी की पुलिस भी आ गई थी। मेरी पिस्टल को सीओ साहब ने कब्जे में लिया था। थाना सचेण्डी के एसआई पंकज जयसवाल व आरक्षी चन्द्र प्रकाश के साथ थाना सचेण्डी के सरकारी वाहन व एसटीएफ के सरकारी वाहन टाटा सफारी से चालक मौ0 साबिर व आरक्षी सर्वेश के साथ मुझे तथा घायल पुलिस कर्मी मु0आ0 प्रो0 शिवेन्द्र सिंह व घायल अभियुक्त विकास दुबे को हैलेट अस्पताल ले गये थे, जहां पर मुझे भर्ती कर लिया गया था और मेरा इलाज किया गया। एल0एल0आर0 चिकित्सालय कानपुर नगर में दिनांक 10.07.2020 को 11:53 एएम पर चिकित्सक द्वारा मेरे शरीर पर आयी निम्नलिखित चोटों को अंकित किया गया:–

1. Abrasion with blackening with fresh bleeding on left thigh (Lower 1/3) laterally measuring 2.1 CM x .5 CM. Bright red in color.
2. Abrasion 3.5 CM x 2.4 CM on left palm (dorsally). Bright red in color.
3. Abrasion .5 CM x .5 CM on left elbow joint. Bright red in color.

इस इंजरी रिपोर्ट पर मेरा निशानीय अंगूठा मौजूद है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। मैं अस्पताल में 02 दिन एडमिट रहा और उसके बाद 2–3 दिन अस्पताल में पट्टियां बदलवाने जाता था। उसके बाद खुद पट्टियां करता था। दुर्घटना से आयी चोट के कारण मेरी जाँघ व हाथ से निकला खून मेरी पहनी जींस पर लगा था, जिस जींस को प्रकरण से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–221/20 थाना सचेण्डी के विवेचक श्री अनुराग मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्दनगर ने बाजाफ्ता विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु कब्जा पुलिस में लिया था।

545

2-ω-15/9

जानकारी प्राप्त हुई थी कि एलीवेटेड सड़क उतरने के पश्चात, भारत सीएनजी पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही टीयूवी गाड़ी कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़क पर पहुँची ही थी तभी अचानक दाहिनी ओर से गाय और भैसों का झुण्ड बायीं ओर भागने लगा। इन जानवरों से बचाने में टीयूवी के चालक ने गाड़ी को बायीं ओर मोड़कर नियन्त्रित करने का प्रयास किया था, तब बरसात में गाड़ी फिसलकर सड़क के किनारे बने सीमेंट के डिवाईडर पर टकराकर चढ़कर बायीं तरफ दुर्घटनाग्रस्त होकर दिनांक 10/07/2020 को समय 06:35 बजे पलट गई थी।

19/11/2020

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

19/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

546

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 16/7

(घटना कमांक–08)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम–शिवेन्द्र सिंह, आयु–56 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री प्राग सिंह, पदनाम–मु0आ0प्रो0, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, जिला– लखनऊ।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 10.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एसटीएफ उत्तर प्रदेश में नियुक्त हूँ और फील्ड यूनिट लखनऊ में 2017 से नियुक्त हूँ। दिनांक 02/03.07.2020 की मध्य रात्रि ग्राम बिकरू, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर में दबिश देने गई पुलिस की टीम के साथ कुख्यात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना की थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा सहित 08 पुलिस कर्मियों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और 07 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनके असलहे भी लूट लिये गए थे। इस संबंध में थाना चौबेपुर में मुकदमा अपराध संख्या–192/20 पंजीकृत हुआ था। इस जघन्य घटना के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और तलाश हेतु निरीक्षक हेमंत भूषण सिंह के नेतृत्व में टीम के साथ एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ से रवाना होकर कानपुर नगर में था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मैंने एसटीएफ कानपुर यूनिट में अपनी आमद दर्ज कराई। दिनांक 05.07.2020 को इस हत्याकाण्ड के कुछ अभियुक्तों के ग्वालियर में छिपे होने की सूचना पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह, एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर को प्राप्त हुई।

दिनांक 05.07.2020 को मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के साथ तलाश में निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, विमल कुमार, धीरेन्द्र कुमार, अब्दुल कादिर, सर्वेश भदौरिया तथा 02 सरकारी वाहन व चालको के साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश पहुँचा था। इसी बीच अन्य अभियान की सूचना प्राप्त होने पर मुझे तथा निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, आरक्षी अब्दुल कादिर को एक सरकारी गाड़ी से कार्रवाई हेतु कानपुर भेज दिया गया। कानपुर में हम लोग पिन्टू सेंगर हत्याकाण्ड के अभियुक्तों की जानकारी कर रहे थे कि दिनांक 09.07.2020 को प्रातः उज्जैन में अभियुक्त विकास दुबे की संदिग्ध हिरासत की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई। एसटीएफ मुख्यालय से निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह को बताया गया कि वे एसआई विनोद कुमार, मुख्य आरक्षी राजेश मौर्या, मुख्य आरक्षी अशोक गुप्ता, आरक्षी विजय वर्मा सरकारी वाहन व आरक्षी

...लक राम मिलन के साथ एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर पहुँचेंगे और उनके साथ निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह और मैं व हमारी टीम अबिलम्व उज्जैन के लिए रवाना होंगे।

समय करीब 13:30 बजे हम लोग असलहा कारतूस के साथ कानपुर फील्ड यूनिट आये और निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह भी हमारे साथ असलहा कारतूस के साथ समय 14:15 बजे उज्जैन के लिए चले। निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह को लखनऊ से उच्च अधिकारियों ने अवगत कराया कि पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह पहले से ग्वालियर में मौजूद थे उन्हें उज्जैन भेजा जा चुका और मुकदमे के विवेचक रमाकांत पचौरी भी कानपुर नगर से अपनी टीम के साथ उज्जैन रवाना हो चुके हैं। शीघ्र उज्जैन पहुँचकर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई करिये।

सम्पर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि तेज बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ सरकारी वाहन से उज्जैन से अभियुक्त विकास दुबे की सुपुर्दगी प्राप्त करके कानपुर नगर के लिए करीब 20:10 बजे प्रास्थान कर चुके हैं। उनके साथ उज्जैन के भी पुलिस कर्मी मय वाहन के हैं। मुझे बताया गया कि मेरी टीम श्री तेज बहादुर सिंह की गुना में रूककर प्रतीक्षा करे। हम लोग गुना में शीतल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी के सामने जाट ढ़ाबा पर उनकी टीम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद विवेचक रमाकांत पचौरी अपनी टीम के साथ असलाह कारतूस सहित जाट ढाबे पर आये। समय करीब 00:30 बजे श्री तेज बहादुर सिंह मय अभियुक्त विकास दुबे और उज्जैन पुलिस की टीम के साथ मिले। विकास दुबे को विवेचक रमाकांत पचौरी की सुपुर्दगी में दिया गया और वहीं से उज्जैन की पुलिस वापस चली गई।

तदपश्चात तीनों टीमें कानपुर नगर के लिए रवाना हुईं और एसटीएफ की दोनों गाड़ियां इस गाड़ी के पीछे–पीछे उचित गति व फासले पर राजमार्ग पर चल रहे थे। सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी गाड़ियों में बदलते आ रहे थे। कानपुर नगर की सीमा पहुँचने से पहले बारा जोड टोल प्लाजा को क्रॉस करने के पश्चात् रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे हाइवे पर अभियुक्त विकास दुबे का उस क्षेत्र में विशेष प्रभाव व समर्थक होने के कारण विवेचक रमाकांत पचौरी ने उसे टाटा सफारी गाड़ी संख्या–यूपी 32बीजी 4485 से टीयूवी गाड़ी संख्या–यूपी 70 एजी 3497 में शिफ्ट किया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे तभी बारिश शुरू हो गई।

जब कानपुर लगभग 25 किमी शेष रह गया तब ट्राफिक समस्या के कारण एसटीएफ की गाड़ियों और कानपुर पुलिस की गाड़ी में फासला बढ़ गया था। मैं टाटा सफारी वाहन संख्या–यूपी 32 बीजी 4485 में निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह की टीम के साथ था जो सबसे पीछे थी। मेरे आगे स्कॉर्पियो गाड़ी थोड़े फासले पर चल रही थी। कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़के के थोड़ा आगे पहुँचे ही थे कि आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी से हाथ निकालकर मेरी गाड़ी को साइड में लगाने का इशारा किया गया।

548

1000-169

गाड़ी को साइड में लगाकर देखा तो वाईं ओर एक गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाने पर देखा तो यह वही गाड़ी थी जिसमें कानपुर नगर की पुलिस अभियुक्त को लेकर जा रही थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को तत्काल दुर्घनाग्रत गाड़ी के पास रोका और उस गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी के अन्दर पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल और कुछ अर्धचेतन अवस्था में थे। कुछ–कुछ ठीक हालत में गाड़ी के अंदर से आरक्षी सत्यवीर ने पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह को बताया कि अचानक दायीं ओर से गाय भैंसों का झुण्ड भागता हुआ आ रहा था जिनको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाईडर से टकराकर पलट गई और विकास दुबे पचौरी साहब की पिस्टल छींनकर गाड़ी के पिछले गेट से निकलकर अभी–अभी कच्चे रास्ते की तरफ भागा है।

इस पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह और एसटीएफ के शेष पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे का पीछा किया और उनके द्वारा तेज आवाज में कहा कि "रूक जाओ विकास मत भागो" तब हम लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर विकास दुबे ने छीनी हुई सरकारी पिस्टल से पलटकर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। वह तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते रहा और बीच–बीच में पलट–पलट कर फायर करता रहा। हम लोग कच्चे रास्ते के दाहिने ओर, खेत से लगी हुई मेड़ व झाड़ की आड़ पर पोजीशन लेकर तथा वायीं ओर से अर्धनिर्मित दीबार, खम्भों व झाड़ झंकाड़ की आड़ लेकर पोजीशन लेते हुए उसे पकड़ने के लिए काफी नजदीक पहुँच गए। मैं विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसके तरफ लपका तभी विकास दुबे ने नजदीक से मेरी तरफ फायर कर दिया जिससे मुझे गोली लग गई और मैं दीबार की आड़ में गिर गया।

इसी दौरान अभियुक्त विकास दुबे की एक गोली पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के सीने पर लगी, लेकिन वह बुलेटप्रूफ जैकेट पहने थे जिससे उनकी जान बच गई। इसी दौरान आरक्षी विमल भी अभियुक्त विकास दुबे की फायरिंग में घायल हो गया। एसटीएफ टीम के लोगों ने आत्मरक्षार्थ फायर किया जिससे विकास दुबे घायल हो गया।

सीओ साहब ने कन्ट्रोल रूम और थाना सचेण्डी को सूचित किया और मौके पर थाना सचेण्डी की पुलिस आ गई। जिसमें उपनिरीक्षक पंकज जयसवाल, आरक्षी चन्द्रप्रकाश के साथ मुझे, आरक्षी विमल तथा घायल अभियुक्त विकास दुबे को थाना सचेण्डी की गाड़ी और एसटीएफ की गाड़ी के साथ आरक्षी चालक मो0 साबिर और आरक्षी सर्वेश भदौरिया के साथ हेलेट अस्पताल भेजा गया जहां पर मेरा ईलाज हुआ। हेलेट (एल0एल0आर0) चिकित्सालय कानपुर नगर में दिनांक 10.07.2020 को 12:10 पीएम पर चिकित्सक द्वारा मेरे शरीर पर आयी निम्नलिखित चोटों को अंकित किया गया:–

1. Abrasion with blackening with fresh bleeding on left arm (Lower 1/3) laterally measuring 1.5 CM x .5 CM.
2. Abrasion 2.8 CM x 1.3 CM on right forearm (... 1/3rd) (dorsally). Bright red in color.

I-00-16/10

इस इंजरी रिपोर्ट पर मेरा निशानी अंगूठा मौजूद है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। मैं करीब 02 दिन अस्पताल में एडमिट रहा था।

जानकारी प्राप्त हुई थी कि एलीवेटेड सड़क उतरने के पश्चात, भारत सीएनजी पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही टीयूवी गाड़ी कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़क पर पहुँची ही थी कि अचानक दाहिनी ओर से गाय और भैसों का झुण्ड वायीं ओर भागने लगा। इन जानवरों से बचाने में टीयूवी के चालक ने गाड़ी को वायीं ओर मोड़कर नियन्त्रित करने का प्रयास किया था, तब बरसात में गाड़ी फिसलकर सड़क के किनारे बने सीमेंट के डिवाईडर पर टकराकर चढ़कर वायीं तरफ दुर्घटनाग्रस्त होकर 10.07.2020 को समय लगभग 06:35 बजे वायें पलट गई थी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

19-11-20

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 17/8

(घटना कमांक–06)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम–शैलेन्द्र कुमार सिंह, आयु–44 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री नवल किशोर सिंह, पदनाम–निरीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, जिला– कानपुर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 10.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एसटीएफ उत्तर प्रदेश में निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ और फील्ड यूनिट कानपुर में फरवरी 2020 से नियुक्त हूँ। दिनांक 02/03.07.2020 की मध्य रात्रि ग्राम बिकरू, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर में दबिश देने गई पुलिस की टीम के साथ कुख्यात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना की थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा सहित 08 पुलिस कर्मियों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और 07 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनके असलहे भी लूट लिये गए थे। इस संबंध में थाना चौबेपुर में मुकदमा अपराध संख्या–192/20 पंजीकृत हुआ था। इसके मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की गिरफतारी हेतु 2 लाख 50 हजार का इनाम घोषित हुआ था। वह कुख्यात हिस्ट्रीशीटर था। इस घटना में वांछित अभियुक्तों के संबंध में एसटीएफ विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं संकलित कर रहा था, तब ज्ञात हुआ कि घटना में शामिल कुछ अभियुक्त जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश में छिपे हैं।

इस सूचना पर मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के साथ दिनांक 05.07.2020 को उनकी तलाश में मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, विमल कुमार, धीरेन्द्र कुमार, अब्दुल कादिर, सर्वेश भदौरिया तथा 02 सरकारी वाहन व चलको के साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश पहुँचा था। इसी बीच अन्य अभियान की सूचना प्राप्त होने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुझे तथा मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, आरक्षी अब्दुल कादिर को एक सरकारी गाड़ी से कार्रवाई हेतु कानपुर वापस भेज दिया था।

दिनांक 09.07.2020 को प्रातः जनपद उज्जैन पुलिस ने अभियुक्त विकास दुबे को पकड़े जाने की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को दी थी। एसटीएफ मुख्यालय से मुझे बताया गया कि एसटीएफ मुख्यालय से एसआई विनोद कुमार, मुख्य आरक्षी राजेश मौर्या, मुख्य आरक्षी अशोक गुप्ता, आरक्षी विजय वर्मा सरकारी वाहन व आरक्षी चालक राम मिलन के साथ एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर पहुँचेंगे और उनके साथ मैं और मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र अविलम्व उज्जैन के लिए रवाना होंगे।

समय करीब 13:30 बजे वे लोग असलहा कारतूस के साथ कानपुर फील्ड यूनिट आये और मैं भी असलहा कारतूस के साथ समय 14:15 बजे उज्जैन के लिए चला।

(551)

प्र०-17/9

लखनऊ से उच्च अधिकारियों ने अवगत कराया कि पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह पहले से ग्वालियर में मौजूद थे उन्हें उज्जैन भेजा जा चुका और मुकदमे के विवेचक रमाकांत पचौरी भी कानपुर नगर से अपनी टीम के साथ उज्जैन रवाना हो चुके हैं। शीघ्र उज्जैन पहुँचकर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई करिये।

सम्पर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि तेज बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ सरकारी वाहन से उज्जैन से अभियुक्त विकास दुबे की सुपुर्दगी प्राप्त करके कानपुर नगर के लिए करीब 20:10 बजे प्रास्थान कर चुके हैं। उनके साथ उज्जैन के भी पुलिस कर्मी मय वाहन के हैं। मुझे बताया गया कि मेरी टीम श्री तेज बहादुर सिंह की गुना में रूककर प्रतीक्षा करे। हम लोग गुना में शीतल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी के सामने जाट ढ़ाबा पर उनकी टीम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद विवेचक रमाकांत पचौरी अपनी टीम के साथ असलहा कारतूस सहित जाट ढाबे पर आये। समय करीब 00:30 बजे श्री तेज बहादुर सिंह मय अभियुक्त विकास दुबे और उज्जैन पुलिस की टीम के साथ मिले। विकास दुबे को विवेचक रमाकांत पचौरी की सुपुर्दगी में दिया गया और वहीं से उज्जैन की पुलिस वापस चली गई।

तद्पश्चात तीनों टीमें कानपुर नगर के लिए रवाना हुईं और एसटीएफ की दोनों गाड़ियां इस गाड़ी के पीछे–पीछे उचित गति व फासले पर राजमार्ग पर चल रहे थे। सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी गाड़ियों में बदलते आ रहे थे। कानपुर नगर की सीमा पहुँचने से पहले बारा जोड टोल प्लाजा को कॉस करने के पश्चात् रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे हाइवे पर अभियुक्त विकास दुबे का उस क्षेत्र में विशेष प्रभाव व समर्थक होने के कारण विवेचक रमाकांत पचौरी ने उसे टाटा सफारी गाड़ी संख्या–यूपी 32बीजी 4485 से टीयूवी गाड़ी संख्या–यूपी 70 एजी 3497 में शिफ्ट किया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे तभी बारिश शुरू हो गई।

जब कानपुर लगभग 25 किमी शेष रह गया तब ट्राफिक समस्या के कारण एसटीएफ की गाड़ियों और कानपुर पुलिस की गाड़ी में फासला बढ़ गया था। मैं टाटा सफारी वाहन संख्या–यूपी 32 बीजी 4485 में अपनी टीम के साथ था जो सबसे पीछे थी। मेरे आगे स्कॉर्पियो गाड़ी थोड़े फासले पर चल रही थी। कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़के के थोड़ा आगे पहुँचे पर आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी से हाथ निकालकर मेरी गाड़ी को साइड में लगाने का इशारा किया गया। गाड़ी को साइड में लगाकर देखा तो वाईं ओर एक गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाने पर देखा तो यह वही गाड़ी थी जिसमें कानपुर नगर की पुलिस अभियुक्त को लेकर जा रही थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को तत्काल दुर्घनाग्रत गाड़ी के पास रोका और उस गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी के अन्दर पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल और कुछ अर्धचेतन अवस्था में थे। कुछ–कुछ ठीक हालत में गाड़ी के अंदर से आरक्षी सत्यवीर ने पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह को बताया कि अचानक दायीं ओर से गाय भैंसों का झुण्ड भागता हुआ आ रहा था जिनको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाईडर से टकराकर पलट गई और विकास दुबे पचौरी साहब की पिस्टल छीनकर गाड़ी के पिछले गेट से निकलकर अभी–अभी कच्चे रास्ते की तरफ भागा है।

इस पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह और एसटीएफ के शेष पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे का पीछा किया और उनके द्वारा तेज आवाज में कहा कि "रूक जाओ विकास मत भागो" तब हम लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर विकास दुबे ने

552

1-017/10

छीनी हुई सरकारी पिस्टल से पलटकर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। वह तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते रहा और बीच-बीच में पलट-पलट कर फायर करता रहा। हम लोगों ने कच्चे रास्ते के दाहिने ओर, खेत से लगी हुई मेड़ व झाड़ की आड़ पर पोजीशन लेकर तथा वायीं ओर से अर्धनिर्मित दीवार, खम्भों व झाड़ झंकाड़ की आड़ लेकर पोजीशन लेते हुए उसे पकड़ने के लिए काफी नजदीक पहुँच गए।

इसी दौरान विकास दुबे की चलाई गोली से मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह घायल हो गए। इसी दौरान अभियुक्त विकास दुबे की एक गोली पुसिल उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के सीने पर लगी, लेकिन वह बुलेटप्रूफ जैकेट पहने थे जिससे उनकी जान बच गई। इसी दौरान मेरे वायें चल रहे आरक्षी विमल अभियुक्त विकास दुबे की ओर झपटे तब विकास दुबे ने उस पर फायर कर दिया जिससे वह जख्मी हो गया। ऐसी स्थिति में कोई विकल्प न होने पर आत्मरक्षार्थ भिन्न-भिन्न दशाओं एवं दिशाओं में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी उसके ऊपर एक साथ फायर किया जिससे मुड़ मुड़कर झुक झुककर पलट पलटकर फायर कर रहे विकास दुबे के मुह से चीख और कराह निकली और वह गिर गया।

सर्तकता बरतते हुए हम लोग उसके नजदीक पहुँचे। विकास दुबे घायल होने के बावजूद जीवित था। सरकारी वाहन में प्राथमिक उपचार किट में मौजूद कॉटन से दबाकर खून रोकने का प्रयास किया। पुलिस उपाधीक्षक ने सीयूजी नंबर से 112 पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने और पुलिस मुठभेड़ की सूचना के लिए 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस कॉल किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका। इस पर उन्होंने पुनः 112 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस मंगाई और इसी दौरान एसओ सचेण्डी को घटना से अवगत कराया। थाना सचेण्डी के पुलिस बल की मदद से विकास दुबे को सरकारी अस्पताल भेजा गया और अन्य घायल पुलिस कर्मियों को भी थाना सचेण्डी और एसटीएफ के वाहन टाटा सफारी से सरकारी चालक मो0 साबिर और आरक्षी सर्वेश को अस्पताल रवाना किया गया। उच्च अधिकारियों को दुर्घटना और मुठभेड़ की सूचना पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दी गई।

बरसात होने के कारण पुलिस उपाधीक्षक ने अभियुक्त से बरामद लूटी पिस्टल को उसकी नाल में पेन डालकर उठाकर कपड़े की मदद से उसके अन्दर से एक जिंदा कारतूस निकाला गया कि कोई फिंगर प्रिंट या अन्य कोई साक्ष्य नष्ट न हो। हालांकि वह बरसात के कारण कीचड़ में पड़ी थी। पुलिस और अभियुक्त द्वारा फायर किये गए खोखा कारतूस की तलाश की गई, लेकिन बरसात के कारण कच्ची सड़क, गीली मिट्टी, घासफूस का जंगल होने के कारण नहीं मिलीं। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा रमाकांत पचौरी को उज्जैन पुलिस से प्राप्त अभियुक्त की जमा तलाशी से बरामद माल को सुपुर्द कर दिया था। क्षतिग्रत वाहन को आरक्षी सत्यवीर की निगरानी में छोड़ा गया। घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु एसआई विनोद कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी राजेश मौर्या व मुख्य आरक्षी अशोक गुप्ता को छोड़ा गया।

जानकारी प्राप्त हुई थी कि एलीवेटेड सड़क उतरने के पश्चात, भारत सीएनजी पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही टीयूवी गाड़ी कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़क पर पहुँची ही थी तभी अचानक दाहिनी ओर से गाय और भैसों का झुण्ड वायीं ओर भागने लगा। इन जानवरों से बचाने में टीयूवी के चालक ने गाड़ी को वायीं ओर मोड़कर नियन्त्रित करने का प्रयास किया था, तब बरसात में गाड़ी फिसलकर सड़क के

किनारे बने सीमेंट के डिवाईडर पर टकराकर चढ़कर वायीं तरफ दुर्घटनाग्रस्त होकर 10.07.2020 को समय लगभग 06:35 बजे वायें पलट गई थी और अभियुक्त विकास दुबे को भागने का मौका मिल गया। इस मुठभेड़ की घटना को सड़क पर आते जाते कुछ लोगों ने अवश्य देखा है किन्तु तत्काल मौके पर कोई साक्षी उपलब्ध नहीं हो सका। बाद में पता चला कि विकास दुबे की मृत्यु हो गई है। मैं अस्पताल में नहीं गया था।

घटनास्थल पर आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत पुलिस उपाधीक्षक महोदय थाना सचेण्डी गए जहां पर कब्जा पुलिस में लिये गए असलहा कारतूस, बुलेटप्रूफ जैकेट आदि को थाने में दाखिल किये और मुकदमा पंजीकृत कराया।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

554

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020

I.W.- 18/6

(घटना कमांक–06)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम–सर्वेश भदौरिया आयु–38 वर्ष, पुत्र श्री रामनरेश सिंह भदौरिया, पदनाम–आरक्षी कमाण्डों, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट कानपुर उत्तर प्रदेश।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 10.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर में कार्यरत हूँ। दिनांक 05/07/2020 को मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह की टीम के साथ रवाना होकर ग्वालियर मध्यप्रदेश पहुँचा था। टीम में निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, विमल कुमार, धीरेन्द्र कुमार, अब्दुल कादिर, थे। ये टीम 2 सरकारी वाहनों में थी जिन्हें चालक मोहम्मद साबिर व कांस्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह चला रहे थे। ग्वालियर में ग्राम –बिकरू थाना– चौबेपुर कानपुर नगर में हुए पुलिस कर्मियों के नृशंस हत्या काण्ड के नामजद अभियुक्तों में से कुछ के छिपे होने की सूचना मिली थी। दिनांक 06/07/2020 को इस टीम में से निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह, आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, आरक्षी अब्दुल कादिर को एक सरकारी गाड़ी से कानपुर भेज दिया गया। और टीम के शेष सदस्य ग्वालियर में रूके रहे और वांछित अभियुक्तों की तलाश करते रहे। दिनांक 09.07.2020 को मैं पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह व टीम के कुछ अन्य सदस्यों के साथ ग्वालियर से उज्जैन गया। वहाँ पर सीओ साहब एस0पी उज्जैन से मिलने के बाद थाना महाकाल उज्जैन के निरीक्षक अरविन्द्र सिंह तोमर से अभियुक्त विकास दुबे को समय करीब 20:10 बजे हमारी टीम की सुपुर्दगी में लिया गया। सुपुर्दगी नामा पर हम सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये इसके बाद हम लोग थाना–महाकाल उज्जैन से पुलिस की सरकारी गाड़ी से अभियुक्त विकास दुबे को बैठाकर थाना कायथा जिला उज्जैन आया था।

हम लोगों के साथ मध्यप्रदेश पुलिस की एक टीम अन्य वाहनों से आई थी और थाना कायथा से हम लोगों ने अभियुक्त को अपने वाहन संख्या यूपी–32बीजी 4485 में शिफ्ट किया था। इसके बाद थाना कायथा उज्जैन से रवाना होकर गुना में शीतल ट्रांसपोर्ट के सामने जाट ढाबा के पास हाइवे पर आये। हमारी गाड़ी में मध्यप्रदेश पुलिस के एक इंसपेक्टर साहब भी थे और यहाँ तक कि मध्यप्रदेश की टीम सरकारी वाहन से आई थी। गुना में कानपुर नगर की पुलिस टीम निरीक्षक रमाकांत पचौरी के साथ सरकारी यूबी गाड़ी संख्या यूपी–70 ए0जी0–3497 से आकर मिली। अभियुक्त विकास दुबे को सीओ साहब ने शीतल ट्रांसपोर्ट के सामने जाट ढाबा के पास हाइवे पर लिखापढ़ी कर निरीक्षक रमाकांत पचौरी को सुपुर्द किया था और उनकी गाड़ी में बैठाया था वहीं पर

सर्वेश सिंह भदौरिया

555

2-ω-18/7

एस0टी0एफ0 की एक अन्य टीम निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के साथ वाहन संख्या यू0पी0 32 बी0जी0 4555 से आकर मिली और हम लोगों के तीनों वाहन कानपुर के लिए चल दिये। मध्य प्रदेश पुलिस टीम की वापस चली गई । पचौरी साहब की टीयूबी गाड़ी के आगे-पीछे पूर्ण सतर्कता के साथ हम लोग की गाड़ी चल रही थी।

सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अभियुक्त विकास दुबे को तीनों सरकारी गाड़ियों में बदलते आ रहे थे। कानपुर नगर की सीमा पहुँचने से पहले बारा जोड टोल प्लाजा को कॉस करने के पश्चात् रायपुर बैरियर के थोड़ा आगे हाइवे पर अभियुक्त विकास दुबे का उस क्षेत्र में विशेष प्रभाव व समर्थक होने के कारण विवेचक रमाकांत पचौरी ने उसे टाटा सफारी गाड़ी संख्या-यूपी 32बीजी 4485 से टीयूवी गाड़ी संख्या-यूपी 70 एजी 3497 में शिफ्ट किया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे। मैं निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के साथ वाहन संख्या यूपी- 32 बी0जी0 4485 टाटा सफारी में था जो सबसे पीछे चल रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई।

जब कानपुर लगभग 25 किमी शेष रह गया तब ट्राफिक समस्या के कारण एसटीएफ की गाड़ियों और कानपुर पुलिस की गाड़ी में फासला बढ़ गया। हम लोग कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़के के थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारे आगे चल रही एस0टी0एफ0 की स्कार्पियों गाड़ी के चालक ने हाथ निकालकर गाड़ी को साइड लगाकर रूकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियाँ लगभग साथ-साथ रूकी तो देखा कि बाईं ओर एक टी0यू0वी0 गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाने पर देखा तो यह वही गाड़ी थी जिसमें कानपुर नगर की पुलिस अभियुक्त को लेकर जा रही थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को तत्काल दुर्घनाग्रत गाड़ी के पास रोका और उस गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी के अन्दर पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल और कुछ अर्धचेतन अवस्था में थे। कुछ-कुछ ठीक हालत में गाड़ी के अंदर से आरक्षी सत्यवीर ने सीओ साहब को बताया कि अचानक दायीं ओर से गाय भैंसों का झुण्ड भागता हुआ आ रहा था जिनको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाईडर से टकराकर पलट गई और विकास दुबे, पचौरी साहब की पिस्टल छीनकर गाड़ी के पिछले गेट से निकलकर अभी-अभी कच्चे रास्ते की तरफ भागा है।

इस पर सीओ साहब तथा एस0टी0एफ0 के शेष पुलिस कर्मियों के साथ मैंने विकास दुबे का पीछा किया। सीओ साहब ने तेज आवाज में कहा कि "रूक जाओ विकास मत भागो" हम लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर विकास दुबे ने पुलिस से छीनी हुई सरकारी पिस्टल से पलटकर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। वह तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते रहा और बीच-बीच में पलट-पलट कर फायर करता रहा। हम लोगों ने कच्चे रास्ते के दाहिने ओर, खेत से लगी हुई मेड़ व झाड़ की आड़ पर पोजीशन लेकर तथा बायीं ओर से अर्धनिर्मित दीवार, खम्भों व झाड़ झंकाड़ की आड़ लेकर पोजीशन लेते हुए उसे पकड़ने के लिए काफी नजदीक पहुँच गए।

इसी दौरान विकास दुबे की चलाई गोली से मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह घायल हो गए। अभियुक्त विकास दुबे ने सीओ साहब को लक्ष्य कर सीधा फायर किया जो उनके सीने पर बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगा जिससे सीओ साहब की जान बच गई। इसी दौरान सीओ साहब के बायें चल रहे निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह की टीम के आरक्षी विमल अभियुक्त विकास दुबे की ओर झपटे तब विकास दुबे ने उस पर फायर कर दिया जिससे वह जख्मी हो गया। ऐसी स्थिति में कोई विकल्प न होने पर आत्मरक्षार्थ भिन्न-भिन्न

सर्वेश सिंह भदौरिया

556

ई०-14/8

…शाओं एवं दिशाओं में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी उसके ऊपर एक साथ फायर किया जिससे मुड़ मुड़कर झुक झुककर पलट पलटकर फायर कर रहे विकास दुबे के मुँह से चीख और कराह निकली और वह गिर गया।

सर्तकता बरतते हुए हम लोग उसके नजदीक पहुँचे। विकास दुबे घायल होने के बावजूद जीवित था। सरकारी वाहन में प्राथमिक उपचार किट में मौजूद कॉटन से दबाकर सीओ साहब ने खून रोकने का प्रयास किया। सीओ साहब ने अपने सीयूजी नंबर से 112 पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने और पुलिस मुठभेड़ की सूचना के लिए 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस कॉल किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका। पुनः 112 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस मंगाई और इसी दौरान एसओ सचेण्डी को घटना से अवगत कराया। थाना सचेण्डी के पुलिस बल की मदद से सीओ साहब के निर्देशानुसार मैं तथा आरक्षी चालक मोहम्मद साबिर उप निरीक्षक पंकज जयसवाल आरक्षी चन्द्र प्रकाश के साथ घायल पुलिस कर्मी मु0आ0 प्रो0 शिवेन्द्र सिंह आरक्षी विमल कुमार व घायल अभियुक्त विकास दुबे को हैलट अस्पताल ले गये थे। मैं तथा मौ0 शाबिर घटनास्थल पर वापस आ गये थे।

मैंने एके–47 से आत्मरक्षार्थ तीन फायर किये थे और मेरी एके–47 रायफल को सीओ साहब ने अपने कब्जे में लेकर थाना सचेण्डी में दाखिल किया औरा घटना के संबंध में थाना सचेण्डी में मुकदमा लिखाया। जानकारी प्राप्त हुई थी कि एलीवेटेड सड़क उतरने के पश्चात, भारत सीएनजी पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही टीयूवी गाड़ी कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़क पर पहुँची ही थी तभी अचानक दाहिनी ओर से गाय और भैसों का झुण्ड वायीं ओर भागने लगा। इन जानवरों से बचाने में टीयूवी के चालक ने गाड़ी को वायीं ओर मोड़कर नियन्त्रित करने का प्रयास किया था, तब वरसात में गाड़ी फिसलकर सड़क के किनारे बने सीमेंट के डिवाईडर पर टकराकर चढ़कर बायीं तरफ दुर्घटनाग्रस्त होकर दिनांक 10/07/2020 को समय 06:35 बजे पलट गई थी।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

ह० सर्वेश सिंह भदौरिया
एक प्रति प्राप्त किया
सर्वेश सिंह भदौरिया
दि०: 19-11-20

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 19/6

(घटना कमांक–06)
दिनांक 19/11/2020

साक्षी का नाम–विनोद सिंह, आयु–38 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री भारत सिंह, पदनाम–उप निरीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14.09.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं वर्तमान में एस0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ में अक्टूबर 2017 से नियुक्त हूँ। दिनांक 09/07/2020 को मैं अपनी टीम के साथ वाहन संख्या यूपी–32 बी0जी0 4555 से मय मुख्य आरक्षी राजेश मौर्या, मुख्य आरक्षी अशोक गुप्ता, आरक्षी विजय वर्मा व आरक्षी चालक राम मिलन के साथ सुरागरसी में व्यस्थ था तभी उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया कि मैं एसटीएफ कानपुर इकाई पहुँचकर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह से संपर्क करूँ, तब में अपनी टीम के साथ असलहा कारतूस लेकर एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर करीब 1330 बजे पहुँचा। वहां पर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह से सम्पर्क किया और हम दोनों मु0आ0प्रो0 शैवेन्द्र सिंह सेंगर, मु0आ0 राजेश मौर्या, मु0आ0 अशोक गुप्ता के साथ सरकारी गाड़ी से समय 1415 बजे उज्जैन के लिए रवाना हुए। उच्च अधिकारियों ने शैलेन्द्र कुमार सिंह को बताया कि पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह, जो पहले से ग्वालियर में थे उन्हें उज्जैन भेजा जा चुका है तथा मु0अ0स0–192/20 थाना–चौबेपुर कानपुर नगर के विवेचक रमाकांत पचौरी भी कानपुर नगर से अपनी टीम के साथ उज्जैन रवाना हो चुके हैं। हम लोग भी उज्जैन पहुँच कर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह से मिलकर उनके निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पता चला कि पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ उज्जैन से विकास दुबे को सुपुर्दगी में लेकर कानपुर नगर के लिए समय करीब 2010 बजे प्रस्थान कर चुके हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश पुलिस भी है। निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह ने गुना में रूककर इंतजार करने के लिए बताया, हम लोग गुना में शीतल ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने जाट ढाबा पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह की टीम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद इस मुकदमे के विवेचक रमाकांत पचौरी मय हमराह व असलहा के सरकारी गाड़ी सहित जाट ढाबे पर आये और सम्पर्क किया। समय करीब 00:30 बजे पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह अभियुक्त विकास दुबे और उज्जैन पुलिस की टीम के साथ मिले। अभियुक्त विकास दुबे को नियमानुसार पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह ने निरीक्षक रमाकांत पचौरी की सुपुर्दगी में दिया और उज्जैन का पुलिस बल गुना से वापस चला गया।

इसके पश्चात तीनों गाड़ियां कानपुर के लिए रवाना हुईं ताकि शीघ्र विकास दुबे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। एसटीएफ की दोनों गाड़ियां इस गाड़ी के पीछे–पीछे उचित गति और फासले पर राजमार्ग पर चल रहे थे। रास्ते में कई बार

19/11/20

558

विकास दुबे को बदल–बदल कर बैठाया गया। जब हम लोग बारा जोड टोल प्लाजा कास कर रायपुर बैरियर से थोड़ा आगे बढ़े तो विकास दुबे का अकबरपुर से कानपुर नगर के मार्ग में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में विशेष प्रभाव और इसके समर्थक होने के कारण इंस्पेक्टर पचौरी साहब ने अभियुक्त विकास दुबे को टाटा सफारी गाड़ी से उतारकर अपनी टी0यू0बी0 गाड़ी में बैठा लिया और कानपुर की ओर बढ़ने लगे। मैं वाहन संख्या–यूपी 70 एजी 3497 के पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी में पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के साथ था। मेरे पीछे टाटा सफारी गाड़ी में एसटीएफ के अन्य सदस्य आ रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गई। कानपुर लगभग 25 किमी रह गया। बारिश, ट्रैफिक समस्या एवं पुलिस के बार–बार चढ़ने उतरने के कारण टी0यू0बी0 गाड़ी थोड़ा आगे निकल गई।

जैसे हम लोग कन्हैया लाल हास्पिटल को पारकर आगे बढे तो देखा कि बाईं ओर एक गाड़ी पलटी हुई है। नजदीक जाने पर देखा तो यह वही टीयूबी गाड़ी थी जिसमें कानपुर नगर की पुलिस अभियुक्त को लेकर जा रही थी। तब तत्काल गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के पास रोककर एसटीएफ दल उस गाड़ी के पास पहुँचा तो देखा कि उसके अन्दर पुलिस कर्मी गम्भीर रूप से घायल और कुछ अर्धचेतन अवस्था में थे। कुछ ठीक हालत में गाड़ी के अन्दर से आरक्षी सत्यवीर सिंह ने पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह को बताया कि अचानक दाहिनी ओर से गाय–भैसों का झुण्ड भागता हुआ आया जिनको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाईडर से टकराकर पलट गई है और विकास दुबे निरीक्षक पचौरी साहब की पिस्टल छींन कर गाड़ी के पिछले गेट से निकलकर अभी–अभी कच्चे रास्ते की तरफ भागा है।

इस पर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह तथा एसटीएफ के शेष पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे का पीछा किया। पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह ने तेज आवाज में कहा कि "रूक जाओ विकास मत भागो" तब हम लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर विकास दुबे ने छीनी हुई सरकारी पिस्टल से पलटकर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। वह तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते रहा और बीच–बीच में पलट–पलट कर फायर करता रहा। हम लोगों ने कच्चे रास्ते के दाहिने ओर, खेत से लगी हुई मेड़ व झाड़ की आड़ पर पोजीशन लेकर तथा वायीं ओर से अर्धनिर्मित दीबार, खम्भों व झाड़ झंकाड़ की आड़ लेकर पोजीशन लेते हुए उसे पकड़ने के लिए काफी नजदीक पहुँच गए।

इसी दौरान विकास दुबे की चलाई हुई गोली से मु0आ0प्रो0 शिवेन्द्र सिंह घायल हो गए। अभियुक्त विकास दुबे ने पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह को लक्ष्य कर सीधा फायर किया जो उनके सीने पर बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगा, जिससे उनकी जान बच गई। इसी दौरान उनके वायें चल रहे शैलेन्द्र सिंह की टीम के आरक्षी विमल अभियुक्त विकास दुबे की ओर झपटे तब विकास दुबे ने उस पर फायर कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। ऐसी स्थिति में कोई विकल्प न होने पर आत्मरक्षार्थ भिन्न–भिन्न दशाओं एवं दिशाओं में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी उसके ऊपर एक साथ फायर किया जिससे मुड़ मुड़कर झुक झुककर पलट पलटकर फायर कर रहे विकास दुबे के मुँह से चीख और कराह निकली और वह गिर गया।

सर्तकता बरतते हुए हम लोग उसके नजदीक पहुँचे। विकास दुबे घायल होने के बावजूद जीवित था। सरकारी वाहन में प्राथमिक उपचार किट में मौजूद कॉटन से दबाकर पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह ने खून रोकने का प्रयास किया तथा उन्होंने अपने सीयूजी नंबर से 112 पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने और पुलिस मुठभेड़ की सूचना के

19/11/2020

लिए 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस कॉल किया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका। पुनः 112 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस मंगाई और इसी दौरान उन्होंने एसओ सचेण्डी को घटना से अवगत कराया। थोड़ी देर बाद थाना सचेण्डी के पुलिस बल की मदद से विकास दुबे को सरकारी अस्पताल भेजा गया और अन्य घायल पुलिस कर्मियों को भी थाना सचेण्डी और एसटीएफ के वाहनों से सरकारी अस्पताल रवाना किया गया। उनके द्वारा उच्च्य अधिकारियों को भी इस दुर्घटना और मुठभेड़ की जानकारी दी गई।

अत्यधिक बरसात होने के कारण अभियुक्त से बरामद लूटी पिस्टल को सीओ साहब ने उसकी नाल में पेन डालकर उठाकर कपड़े की मदद से उसके अन्दर से एक जिंदा कारतूस निकाला गया कि कोई फिंगर प्रिंट या अन्य कोई साक्ष्य नष्ट न हो। हालांकि वह बरसात के कारण कीचड़ में पड़ी थी। पुलिस और अभियुक्त द्वारा फायर किये गए खोखा कारतूस की तलाश की गई, लेकिन बरसात के कारण कच्ची सड़क, गीली मिट्टी, घासफूस का जंगल होने के कारण नहीं मिलीं। मेरे द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से एक फायर किया गया था। अतः मैंने अपनी पिस्टल पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह को सुपुर्दगी में दी। मुझे, मु0आ0 राजेश मौर्या व मुख्य आरक्षी अशोक गुप्ता को घटनास्थल की सुरक्षा में सीओ साहब ने छोड़ा था और शेष टीम सीओ साहब के साथ थाना सचेण्डी गई थी।

जानकारी प्राप्त हुई थी कि एलीवेटेड सड़क उतरने के पश्चात, भारत सीएनजी पेट्रोल पम्प पार करके जैसे ही टीयूवी गाड़ी कन्हैया लाल अस्पताल के सामने सड़क पर पहुँची ही थी तभी अचानक दाहिनी ओर से गाय और भैंसों का झुण्ड वायीं ओर भागने लगा। इन जानवरों से बचाने में टीयूवी के चालक ने गाड़ी को वायीं ओर मोड़कर नियन्त्रित करने का प्रयास किया था, तब बरसात में गाड़ी फिसलकर सड़क के किनारे बने सीमेंट के डिवाईडर पर टकराकर दिनांक 10.07.2020 को समय लगभग 06:35 बजे चढ़कर वायीं तरफ दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई थी। थाना सचेण्डी में सीओ साहब ने घटना के संबंध में एफ0आई0आर0 लिखाते हुए अन्य कार्रवाई की।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

19/11/2020

एक प्रति प्राप्त किया

19/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उप निरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, ~~सदस्य~~

560

IW-20/4

न्यायमूर्ति बी०एस० चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 20

(घटना कमांक-08)
दिनांक 28/11/2020

साक्षी का नाम पंकज कुमार जायसवाल, आयु 32 वर्ष, पुत्र श्री त्रिवेणी लाल जायसवाल, पदनाम- उपनिरीक्षक, थाना- सचेण्डी, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.11.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं 10.07.2020 को थाना सचेण्डी में तैनात था। सूचना पर जब मैं मौके पर पहुँचा तो अभियुक्त विकास दुबे घायल अवस्था में पड़ा था। घायलों को तुरन्त उपचार कराने के लिए कहा गया था। अभियुक्त विकास दुबे में जीवन के लक्षण मौजूद थे। घायल अभियुक्त विकास दुबे को सेकण्ड मोबाईल जीप में लेकर तेजी से मेडिकल कराने के लिए, लेकिन मूसलाधार बारिश होने के कारण जीप में लगे वाइपर ठीक से कार्य नहीं करने के कारण अस्पताल पहुँचने में अनावश्यक देरी होने से बचने के लिए साथ चल रहे एसटीएफ के वाहन यूपी 32 बीजी 4485 (सफेद टाटा सफारी) में अभियुक्त विकास दुबे को शिफट किया गया। उस समय भी अभियुक्त विकास दुबे में जीवन के लक्षण प्रतीत हो रहे थे, उसे लेकर तेजी से हम लोग हैलेट अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में पहुँचे, जहां घायलों को दाखिल कराया गया। अभियुक्त विकास दुबे का परीक्षण डॉक्टर के द्वारा करने पर उसे मृत घोषित किया गया।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

[signature] 28/11/2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

[signature]
डॉ० न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान, अध्यक्ष

1 प्रति प्राप्त किया।

[signature] 28/11/2020

[signature]
न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

[signature]
के० एल० गुप्ता, भापुसे, सदस्य

I.W.- 21/3 (561)

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.

I.W.- 21

(घटना कमांक–06)
दिनांक 28/11/2020

साक्षी का नाम–चन्द्र प्रकाश, आयु–38 वर्ष, पुत्र श्री रोशनलाल, पदनाम–कांस्टेबल, थाना–सचेण्डी, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

(उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27.11.2020 को दिखाकर, पढ़कर, सुनाकर, पूछा गया तो गवाह ने बताया कि यह शपथपत्र स्वेच्छा से उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर मौजूद हस्ताक्षर गवाह के ही हैं।) गवाह ने शपथपत्र देखकर कहा कि मैं शपथपत्र के कथनों की पुष्टि करता हूँ, जो सत्य एवं सही हैं।

मैं 10.07.2020 को थाना सचेण्डी में तैनात था। सूचना पर जब मैं मौके पर पहुँचा तो अभियुक्त विकास दुबे घायल अवस्था में पड़ा था। घायलों को तुरन्त उपचार कराने के लिए कहा गया था। अभियुक्त विकास दुबे में जीवन के लक्षण मौजूद थे। घायल अभियुक्त विकास दुबे को सेंकण्ड मोबाईल जीप में लेकर तेजी से मेडिकल कराने के लिए, लेकिन मूसलाधार बारिश होने के कारण जीप में लगे वाइपर ठीक से कार्य नहीं करने के कारण अस्पताल पहुँचने में अनावश्यक देरी होने से बचने के लिए साथ चल रहे एसटीएफ के वाहन यूपी 32 बीजी 4485 (सफेद टाटा सफारी) में अभियुक्त विकास दुबे को शिफट किया गया। उस समय भी अभियुक्त विकास दुबे में जीवन के लक्षण प्रतीत हो रहे थे, उसे लेकर तेजी से हम लोग हैलेट अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में पहुँचे, जहां घायलों को दाखिल कराया गया। अभियुक्त विकास दुबे का परीक्षण डॉक्टर के द्वारा करने पर उसे मृत घोषित किया गया।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

चन्द्र प्रकाश
28/11/20
प्रतिलिपि प्राप्त किया
28/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

562

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.-22/1

(घटना कमांक–06)
दिनांक 30/11/2020

साक्षी का नाम–डॉ0 विनय कुमार, आयु–40 वर्ष, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, लाला लाजपत राय एवं संबंद्ध चिकित्सालय (हैलेट) कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

यह दोनों पुलिस का0 थाना सचेण्डी में तैनात थे। का0 चन्द्रप्रकाश थाना सचेण्डी के द्वारा दोनों मजरूवों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल में लाया गया था। मजरूव विमल कुमार परीक्षक 11:53 ए0एम0 (दिन) व उसके बाद मजरूव शिवेन्द्र सिंह का परीक्षण 12:10 पी0एम0 (दिन) पर मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोनों मजरूव एसटीएफ में तैनात होना बताया गया था।

मजरूव विमल कुमार– इंजुरी नं0 1 का साइज 2.1 सेमी से 0.5 सेमी पाया गया था। मेरे अभिमत से यह चोट फायर आर्म से आना संभव है। इंजुरी नं0–2 एवं 3 सख्त एवं कुन्दाले से आना संभव है। यह दोनों चोटें मजरूव के जमीन पर सख्त सर्फेस पर गिरने से आना संभव है। समस्त तीनों चोटें साधारण प्रकृति की और ताजा थी।

मजरूव शिवेन्द्र सिंह– इंजुरी नं0 1 का साइज 1.5 सेमी से 0.5 सेमी पाया गया था। मेरे अभिमत से यह चोट फायर आर्म से आना संभव है। इंजुरी नं0–2 सख्त एवं कुन्दाले से आना संभव है। यह चोट मजरूव के जमीन पर सख्त सर्फेस पर गिरने से आना संभव है। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की और ताजा थी।

दोनों मजरूवों की जिन चोटों को मैंने सस्पेक्टेड फायर आर्म से आना बताया है वह चोटें फायर आर्म के अलावा अन्य किसी माध्यम से नहीं आ सकती है। गवाह ने स्वयं कहा कि सस्पेक्टेड से मेरा आशय संभवतया से है।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

30.11.2020

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

One copy received
30.11.2020

563

न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जाँच आयोग (कानपुर इनकाउंटर से संबंधित), 2020.

I.W.-23/11

(घटना कमांक–06)
दिनांक 30/11/2020

साक्षी का नाम–डॉ0 महेन्द्र कुमार, आयु–48, तैनाती– सामुदायिक कल्याण केन्द्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

मजरूव रमाकांत पचौरी, थाना नवाबगंज का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 10.07.2020 को 08:10 ए0एम0 (पहले पी0एम0 अंकित था जिसको मैंने बाद में ए0एम0 बनाया था) पर किया गया था। चोटें साधारण थीं। चोटों को देखते हुए मजरूव का चेस्ट एक्सरें due to Haemaplasis कराने के लिए लाल लाजपत राय हॉस्पिटल रेफर किया था।

मजरूव पंकज कुमार, चौकी प्रभारी पनकी, थाना कल्याणपुर का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 10.07.2020 को 08:00 ए0एम0 पर किया गया था। जिसमें निम्न चोट पायी गई थी–Bleeding from nose and patient is unconscious (Nasal mucosa is some irritate)। मजरूव की consciousness जांचने के लिए मेरे द्वारा Ocular pressure test किया गया था। उस टेस्ट को करने के बाद भी मजरूव में कोई हलचल नहीं हुई थी, इसलिए मैंने unconscious होना लिखा था। मजरूव को मेरे द्वारा Further checkup and treatment के लिए रेफर किया था।

मजरूव अनूप कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मिल एरिया, थाना फजलगंज का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 10.07.2020 को 07:51 ए0एम0 पर किया गया था। इंजुरी रिपोर्ट में अंकित की गई चोटें सही अंकित की गई हैं।

मजरूव सी0पी0 547 प्रदीप असर का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा 10.07.2020 को 10:20 ए0एम0 पर किया गया था। मजरूव की स्थति semi unconscious and irritative थी। उसके कुछ head injury एवं nasal bleeding भी थी। चोटों की प्रकृति को देखते हुए मजरूव को मेरे द्वारा एल0एल0आर0 हॉस्पिटल रेफर किया गया था।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

30/11/20

एक प्रति प्राप्त की।

30/11/20

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

564

<u>न्यायमूर्ति बी0एस0 चौहान जॉच आयोग (कानपुर इनकांउटर से संबंधित), 2020.</u>

<u>I.W.-24</u>

(घटना कमांक-06)
दिनांक 20/12/2020

साक्षी का नाम-डॉ0 शशि कांत मिश्रा, आयु-47 वर्ष, पदनाम-कंसलटेंट पैथोलोजिस्ट, तैनाती-यू0एच0एम0 हॉस्पिटल (जिला अस्पताल), कानपुर नगर।

साक्षी को शपथ दिलाई गई।

दिनांक 10.07.2020 को मैं इसी पद पर तैनात था। विकास दुबे के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए डॉ0 ऐ0 के0 अवस्थी की अध्यक्षता में सीएमओ कानपुर के आदेशानुसार 03 डॉक्टर्स् के पैनल का गठन किया गया था, जिसमें मैं भी एक सदस्य था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में मेरे व अन्य डॉक्टर्स् की सहमति एवं निर्देश में मेरे द्वारा तैयार की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रति गवाह को दिखाई गई, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह उनके द्वारा ही तैयार की गई है व हस्ताक्षर मेरे ही हैं। जिसपर मौजूद डॉक्टर ऐ0 के0 अवस्थी एवं डॉ0 विपुल चतुर्वेदी के हस्ताक्षरों की भी मैं सिनाख्त करता हूँ, क्योंकि यह हस्ताक्षर मेरे व उनके द्वारा मेरे समक्ष ही बनाए गए थे। प्रकरण से संबंधित मेरा बयान पुलिस विवेचक के द्वारा लिया जा चुका है। एक अन्य अवसर पर न्यायालय श्रीमान मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर में उपस्थित होकर भी मैं इस संबंध में अपने बयान दे चुका हूँ। मृतक के शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 एन्टीमोर्टम इन्जुरीज नोट की गई थी।

चोट संख्या 01 -Abraded contusion 12x8 CM right side of forehead and face" सड़क पर या किसी हार्ड एवं बलण्ड ऑवजेंक्ट पर रगड़ लगने से आ सकती है।

चोट संख्या 02, 03 एवं 04 -Fire arms of wound of entries हैं। एवं चोट संख्या-5, 6 एवं 7 (Fire arms exit wound) एवं Through and through हैं एवं communicating to each other हैं।

चोट संख्या-8, Lacerated wound 3x2 CM right side of chest laterally 15 CM below right axilla, muscle deep के बारे में गवाह ने बताया कि यह कोई बहुत गहरी चोट नहीं थी, यह केवल muscle deep थी, जो किसी भी hard and blunt object से रगड़ लगने पर आ सकती है। किसी भी hard and blunt object, जैसे चार पहिया वाहन के दरबाजे की रगड़, या सड़क पर पड़े कंकड़ पर गिरने से और रगड़ लगने से आ सकती है।

चोट संख्या-9-Lacerated wound size 3x2 CM x muscle deep medial side of pride elbow joint के बारे में गवाह ने बताया कि यह कोई बहुत गहरी चोट नहीं थी, यह केवल muscle deep थी, जो किसी भी hard and blunt object से रगड़ लगने पर आ सकती है। किसी भी hard and blunt

20/12/20

object जैसे चार पहिया वाहन के दरबाजे की रगड़, या सड़क पर पड़े कंकड़ पर गिरने से और रगड़ लगने से आ सकती है। 565

चोट संख्या–10–Lacerated wound size 4x3 CM x muscle deep at right iliac crest के बारे में गवाह ने बताया कि यह कोई बहुत गहरी चोट नहीं थी यह केवल muscle deep थी, जो किसी भी hard and blunt object या कंकड़ के टुकड़े से रगड़ लगने पर आ सकती है। किसी भी hard and blunt object जैसे चार पहिया वाहन के दरबाजे की रगड़, या सड़क पर पड़े कंकड़ पर गिरने से और रगड़ लगने से आ सकती है। गवाह द्वारा स्वयं कहा गया कि चोट संख्या–8, 9 व 10 मृतक द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़ों (टी शर्ट लोवर आदि) के कारण आना संभव है। गवाह ने आगे व्याख्या की कि यदि मृतक के द्वारा घटना के समय जींस बैल्ट आदि पहनी हुई होती तो चोट संख्या–10 का आना संभव नहीं था।

पोस्टमार्टम में ओपिनियन दी गई है कि "Rigor Mortis present both extremity and neck. PM staining whole back, buttock and back of both thigh के बारे में गवाह ने बताया कि Rigor Mortis (अकड़न) मृत्यु के करीब 3 घण्टे के बार प्रारम्भ होती है, जोकि मृत्यु के 12 धण्टे तक पूर्ण हो जाती है। Rigor Mortis सबसे पहले जबड़े से शुरू होती है, फिर गले में, फिर upper extremity bones में उसके बाद lower extremity bones (पैरो) में फैलती है।

गवाह ने स्वयं बताया कि चूंकि किसी गन शॉट बुण्ड ऑफ इन्जुरी में blackening, टैटुयिंग, चारिंग (झुलसन) मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि गोलियां फासले से मारी गई थीं, नजदीक से नहीं मारी गई थीं।

पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

20/12/20

Copy Received

20/12/2

यह बयान हमारे बोलने पर
उपनिरीक्षक (स्टेनो) सुभाष
संबंद्ध जांच आयोग द्वारा
कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित किया गया।

डॉ0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान, अध्यक्ष

न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सदस्य

के0 एल0 गुप्ता, भापुसे, सदस्य

566

Relevant portion of SIT report

ग्राम बिकरू काण्ड का एस.आई.टी. का प्रतिवेदन

एस.आई.टी. के पदाधिकारी

1. श्री संजय आर. भूसरेड्डी — अध्यक्ष
2. श्री एच. आर. शर्मा — सदस्य
3. श्री जे. रविन्दर गौड — सदस्य

विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.)

(568)

शा. पत्र संख्या:44/एसआईटी–कानपुर/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अध्यक्ष एस.आई.टी./अपर मुख्य सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग व
आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव, गृह,
उ.प्र. शासन, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक: 16 अक्टूबर, 2020

विषयः कानपुर नगर के थाना चौबेपुर अर्न्तगत दिनांक 02.07.2020 की रात्रि में **घटित घटना की एस.आई.टी. जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उ.प्र. शासन द्वारा गृह (पुलिस) अनुभाग–3 के अर्द्ध.शा.प.सं.: 991 पी–छ–पु.–3–19–82 पी/2020, दिनांक 11 जुलाई, 2020 द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) के लिए निर्धारित 09 बिन्दुओं पर एस.आई.टी. द्वारा घटना स्थल की स्थलीय जॉच, सभी प्रभावी पक्षों तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से घटना से सम्बन्धित साक्ष्य व अभिलेख एकत्रित किये गये और उन सभी का गहन परीक्षण, अध्ययन एवं विश्लेषण उपरान्त एस.आई.टी. द्वारा अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है।

अतः उपर्युक्त एस.आई.टी. द्वारा तैयार प्रतिवेदन की प्रति मय संलग्नकों (सात भागों में) सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः–निम्नानुसार।

1. एस.आई.टी. का प्रत्यावेदन।
2. जाँच आख्या के बिन्दु संख्याः 1, 2 व 3 के संलग्नक। **(संलग्नक–01)**
3. जाँच आख्या के बिन्दु संख्याः 04, 05 व 06 के संलग्नक। **(संलग्नक–02)**
4. **शस्त्र लाइसेंस से संबंधित पत्रावलियों की छायाप्रति। (संलग्नक–02(A) एवं 02(B))**
5. जाँच आख्या के बिन्दु संख्याः 07, 08, 09 एवं 10 के संलग्नक। **(संलग्नक–03)**
6. **घटनाक्रम से संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का विवरण। (संलग्नक–04 एवं 04(A))**

भवदीय,

(signature)

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अध्यक्ष एस.आई.टी. एवं
अपर मुख्य सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास व

569

जिला कानपुर नगर के बिकरू ग्राम में दिनांक 02/03 जुलाई, 2020 की रात्रि में घटित घटना की शासन द्वारा गठित एस.आई.टी. का प्रतिवेदन

अनुक्रमणिका (भाग–1)

जिला कानपुर नगर की घटित घटना की एस.आई.टी. जाँच हेतु शासन द्वारा निर्धारित एजेण्डा बिन्दु के अनुसार प्रतिवेदन

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना।	i-iii
2	एस.आई.टी. के गठन संबंधी गृह (पुलिस) अनुभाग–3, उ.प्र. शासन का कार्यालय–ज्ञाप संख्या: 991पी–छ:–पु.–03–19–82पी/2020, दिनांक 11–07–2020।	iv-v
3	कानपुर नगर के बिकरू ग्राम में घटित घटना का सारांश।	001–125
4	पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आये कारणों जैसे अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जितने भी अभियोग प्रचलित हैं उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी? इसके तथा इसके साथियों को सजा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही क्या पर्याप्त थी? इतने विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी? मु.अ.सं. 65/2020 के आलोक में जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?	126–277
5	अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध कितनी जनशिकायतें आयीं और उन पर थानाध्यक्ष चौबेपुर तथा जिले के अन्य अधिकारियो द्वारा क्या जाँच की गयी व पाये गये तथ्यो के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी, इसका विस्तृत परीक्षण करना?	278–321
6	अभियुक्त विकास दुबे तथा उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एन.एस.ए. आदि अधिनियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी तथा यदि कार्यवाही किये जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही?	322–336
7	अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके सहयोगियों के पिछले एक वर्ष के सी.डी.आर. का परीक्षण करना एवं उनके सम्पर्क में आये सभी पुलिस कर्मियों/अन्य विभागों के कर्मियों के विरुद्ध संलिप्तता के साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त एवं कड़ी कार्यवाही करने की अनुशंसा करना।	337–374
8	घटना के दिन अभियुक्तों के पास उपलब्ध शस्त्रों एवं उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में क्या लापरवाही की गयी है? यह लापरवाही किस स्तर पर हुई तथा क्या थाने में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी, इस तथ्य की जाँच करना एवं दोषियों को चिन्हित करना।	375–397

570

जिला कानपुर नगर के बिकरू ग्राम में दिनांक 02/03 जुलाई, 2020 की रात्रि में घटित घटना की शासन द्वारा गठित एस.आई.टी. का प्रतिवेदन

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
9	विकास दुबे एवं उसके साथियों के पास शस्त्र लाइसेंस एवं शस्त्र होना ज्ञात हुआ है। यह देखा जाना होगा कि इतने अधिक अपराधों में संलिप्त रहने के बाद भी इनके लाइसेंस किसके द्वारा एवं कैसे प्रदान किये गये? सतत् रूप से अपराध करने के उपरान्त भी उनके लाइसेंसी शस्त्र उसके पास कैसे बने रहे?	398–475
10	अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथियों के द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति, व्यापारों एवं आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए उनके संबंध में युक्तियुक्त अनुशंसाये करना तथा यह भी इंगित करना कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या संलिप्तता तो प्रदर्शित नहीं की एवं यदि ऐसा हुआ है, तो किस स्तर के अधिकारी दोषी है?	476–514
11	अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथियों के द्वारा क्या सरकारी तथा गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हाँ तो इसमें क्या अधिकारियों की भी भूमिका है तथा वह अधिकारी कौन–कौन हैं, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। अवैध कब्जा हटवाना जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, यदि उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया है तो उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	515–520
12	इस प्रकरण के अभियुक्तों व उनके साथियों के साथ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता तथा अभियुक्तों व उनके फाइनेंसर्स की सम्पत्तियों व आय के स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग से कराने पर भी विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) द्वारा अभिमत उपलब्ध किया जाये।	521–532
13	विकास दुबे के साथी जयकान्त बाजपेई एवं उसके परिजनों द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के परीक्षण के दौरान उनके ज्ञात हुए पासपोर्ट एवं विदेश यात्राओं से संबंधित तथ्य।	533–537
14	लघु अवधि, मध्य अवधि एवं दीर्घ अवधि की कार्यवाहियों के संबंध में संस्तुतियाँ।	538–568
15	दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी संस्तुतियाँ।	569–606

571

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–3
संख्या–991पी–छ–पु0–3–10–82पी/2020
लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद कानपुर नगर में घटित घटना के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण की जाँच एस0आई0टी0 से कराने हेतु निम्नवत् विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) का गठन किया जाता है:–

(1) श्री संजय भूसरेड्डी (आई0ए0एस0), अपर मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) श्री हरिराम शर्मा (आई0पी0एस0), अपर पुलिस महानिदेशक	सदस्य
(3) श्री जे0 रवीन्द्र गौड़ (आई0पी0एस0), पुलिस उप महानिरीक्षक	सदस्य

2– जनपद कानपुर नगर में घटित घटना के संबंध में जाँच के बिन्दु निम्नवत् है:–

1. पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आये कारणों जैसे अभियुक्त विकास दूबे के विरूद्ध जितने भी अभियोग प्रचलित है उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी? इसके तथा इसके साथियों को सजा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही क्या पर्याप्त थी? इतने विस्तृत आपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी? मु0अ0सं0–65/2020 के आलोक में जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?
2. अभियुक्त विकास दूबे के विरूद्ध कितनी जन–शिकायतें आयीं और उन पर थानाध्यक्ष चौबेपुर द्वारा तथा जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्या जाँच की गयी व पाये गये तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी इसका विस्तृत परीक्षण करना।
3. अभियुक्त विकास दूबे तथा उसके साथियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एन0एस0ए0 आदि अधिनियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी तथा यदि कार्यवाही किये जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही?
4. अभियुक्त विकास दूबे एवं उसके साथियों के पिछले 01 वर्ष के सी0डी0आर0 का परीक्षण करना एवं उसके सम्पर्क में आये सभी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध संलिप्तता की साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त एवं कडी कार्यवाही करनें की अनुशंसा करना।
5. घटना के दिन क्या अभियुक्तों के पास उपलब्ध हथियारों एवं उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में लापरवाही की गयी। यह किस स्तर पर हुई, क्या थानें में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी। इस तथ्य को भी जाँच करना एवं दोषी यदि कोई हो तो चिन्हित करना।
6. विकास दूबे एवं उसके साथियों के पास शस्त्र लाइसेंस एवं शस्त्र होना ज्ञात हुआ है। यह देखा जाना होगा कि इतने अधिक अपराधों में संलिप्त रहने के बाद भी इनका हथियार का लाइसेंस किसके द्वारा एवं कैसे दिया गया और लगातार अपराध करनें के बाद भी यह लाइसेंस और हथियार उसके पास कैसे बना रहा?
7. अभियुक्त विकास दूबे एवं उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति, व्यापारों एवं आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए उनके संबंध में युक्तियुक्त अनुशंसाये करना तथा यह भी इंगित करना कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या संलिप्तता तो प्रदर्शित नहीं की एवं यदि ऐसा हुआ है, तो किस स्तर के अधिकारी दोषी है?

(572)

8. अभियुक्त विकास दूबे एवं उसके साथियों के द्वारा क्या सरकारी तथा गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है? यदि हां तो इसमें क्या अधिकारियों की भी भूमिका है तथा वह अधिकारी कौन–कौन है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। अवैध कब्जा हटवाना जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, यदि उनके द्वारा अवैध कब्जा नही हटवाया गया है तो उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. इस प्रकरण के अभियुक्तों व उनके साथियों के साथ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता तथा अभियुक्तों व उनके फाइनैन्सर्स की सम्पत्तियों व आय के स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग से कराने पर भी विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) द्वारा अभिमत उपलब्ध किया जाय।

3– गठित विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) उक्त बिन्दुओं/प्रकरण की गहन अभिलेखीय/स्थलीय जॉच सुनिश्चित करते हुए जॉच आख्या दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

11/7/20

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री संजय भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री हरिराम शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आवास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. श्री जे0 रवीन्द्र गौड़, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष अनुसंधान दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Mobile Number	First Name	Father Name	Subscriber Address
7905089731	Dhirendra Dwivedi @ HIRU @ DHARMENDRA	RameshchandraDwivedi	2,bikaru post kanjati bikroo,kanpur nagar,
8174034362	USER MAY BE -MONU S/O PREM PRAKASH PANDEY		

4. <u>बिन्दु संख्या–04 के तथ्य, बयान एवं अभिलेखों के आधार पर समीक्षा:–</u>

उपर्युक्त 49 मोबाइल नम्बरों के सी.डी.आर. का विश्लेषण किया गया। उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त विकास दुबे एवं उनके सह अभियुक्तों तथा सहयोगियों से जिन पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वार्ता की गयी उनका श्रेणीवार विवरणनिम्न प्रकार है:–

<u>(अ) श्रेणी–ए:</u>

a. <u>श्री अनन्त देव, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा जयकांत बाजपेई से वार्ता:</u>

श्री अनन्त देव, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 09–03–2020 से 04–07–2020 तक अपने प्राइवेट नम्बर 6306833677 से जयकांत बाजपेई के मोबाइल नम्बर 9336249793 पर 19 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 04 बार श्री अनन्त देव, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा एवं 15 बार जयकांत बाजपेई द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09–03–2020 को समय 09:11 बजे तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 6306833677 से जयकांत बाजपेई के मोबाइल नम्बर 9336249793 पर एक एसएमएस भी प्रेषित किया गया है।

(574)

b. **<u>श्री राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी मैथा, जिला कानपुर देहात द्वारा अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन पुत्र राम बिलास, निवासी कुढवा, थाना रुरा, कानपुर देहात से वार्ताः</u>**

श्री राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी मैथा, जिला कानपुर देहात द्वारा दिनांक 07–09–2019 से 07–05–2020 तक अपने सरकारी सी.यू.जी. नम्बर 9454416416 एवं प्राइवेट मोबाइल नम्बर 8299763852 से अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन पुत्र राम बिलास, निवासी कुढवा, थाना रुरा, कानपुर देहात के मोबाइल नम्बर 9721815010 पर 14 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 02 बार उप जिलाधिकारी मैथा द्वारा कॉल किया गया है तथा 12 बार अरविन्द त्रिवेदी द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

c. **<u>श्री आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी कैण्ट (तत्कालीन) कानपुर नगर द्वारा जयकांत बाजपेई एण्ड फेमिली पुत्र लक्ष्मीकांत बाजपेई, निवासी 111/478 ब्रह्मनगर, नजीराबाद, जिला कानपुर नगर से वार्ताः</u>**

श्री आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी कैण्ट (तत्कालीन) कानपुर नगर द्वारा दिनांक 29–11–2019 से 05–07–2020 तक सी.यू.जी. नम्बर 9454401456 एवं 9454408151 से जयकांत बाजपेई एण्ड फेमिली के मोबाइल नम्बर 9336243929 एवं 9336341715 पर 13 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 06 बार क्षेत्राधिकारी कैण्ट द्वारा अपने सी.यू.जी. से एवं 07 बार जयकांत बाजपेईएण्ड फेमिली द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

d. **<u>श्री राममूर्ति यादव, प्रभारी निरीक्षक बजरिया, कानपुर नगर द्वारा जयकांत बाजपेई एण्ड फेमिली पुत्र लक्ष्मीकांत बाजपेई, निवासी 111/478, ब्रह्मनगर, नजीराबाद, जिला कानपुर नगर से वार्ताः</u>**

श्री राममूर्ति यादव, प्रभारी निरीक्षक बजरिया, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 27–09–2019 से 19–07–2020 तक सी.यू.जी. नम्बर 9454403713 से जय बाजपेई एण्ड फेमिली के मोबाइल नम्बर 9336243929 पर 30 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 29 बार प्रभारी निरीक्षक बजरिया द्वारा अपने सी.यू.जी. से एवं 01 बार जय बाजपेई एण्ड फेमिली द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

e. **(i) विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ताः**

विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर *8707384696* पर दिनांक *22.06.2020* को विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9336306438 से 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ii) विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दीपक बाजपेई पुत्र श्री रमेश चन्द्र बाजपेई निवासी एम.आई.जी. 152 सूर्या बिहार खौरा नवाबगंज, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर *8707384696* से दीपक बाजपेई पुत्र श्री रमेश चन्द्र बाजपेई निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9935751111 पर दिनांक *26-01-2020* से *28-06-2020* तक *70* बार वार्ता की गयी है, जिसमें विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर द्वारा *21* बार एवं दीपक बाजपेई द्वारा 49 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

(iii) विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

विनय तिवारी, थानाध्यक्ष चौबेपुर, कानपुर नगर के सी.यू.जी. नम्बर *9454403722* पर दिनांक *04-09-2019* को जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9648122200 से 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

f. **(i) उप निरीक्षक के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ताः**

उप निरीक्षक के.के.शर्मा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 03-05-2020 से 02-07-2020 तक मोबाइल नम्बर 9557765661 से विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर 11 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 04 बार उप निरीक्षक, के.के. शर्मा द्वारा एवं 07 बार विकास दुबे द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

576

<u>(ii) उप निरीक्षक के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः</u>

उप निरीक्षक के.के.शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9557765661 से राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9140351901 पर दिनांक 24-03-2020 से 03-07-2020 तक 107 बार वार्ता की गयी है, जिसमें 49 बार उप निरीक्षक के.के.शर्मा द्वारा एवं 58 बार राम सिंह उपरोक्त द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

<u>(iii) उप निरीक्षक, के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः</u>

उप निरीक्षक के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9557765661 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 08-04-2020 से 02-07-2020 तक 82 बार वार्ता की गयी है, जिसमें 20 बार उप निरीक्षक के.के. शर्मा द्वारा एवं 62 बार अमर दुबे उपरोक्त द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

<u>(iv) उप निरीक्षक, के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर से वार्ताः</u>

उप निरीक्षक, के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9557765661 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 964812200 पर दिनांक 07-05-2020 से 01-07-2020 तक 09 बार वार्ता की गयी है, जिसमें 03 बार उप निरीक्षक के.के. शर्मा द्वारा एवं 06 बार जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उपरोक्त द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

577

(v) उप निरीक्षक, के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा शिवम दुबे पुत्र राजेन्द्र कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, के. के.शर्मा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 12–05–2020 को अपने मोबाइल नम्बर 9557765661 से शिवम दुबे पुत्र राजेन्द्र कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8957595813 पर 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(vi) उप निरीक्षक के.के. शर्मा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक के.के.शर्मा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 28–04–2020 से 30–06–2020 तक अपने मोबाइल नम्बर 9557765661 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर 03 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार उप निरीक्षक, के.के. शर्मा द्वारा एवं 02 बार हीरु उर्फ धर्मेन्द्र द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

g. **(i) उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:**

उप निरीक्षक, कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9452465560 पर विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9336306438 से दिनांक 20–01–2020 व 13–02–2020 को 01–01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ii) उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9452465560 पर जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ

578

विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9648122200 से दिनांक 14–09–2019 से 08–05–2020 तक 08 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(iii) उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9452465560 पर अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9936173286 से दिनांक 12–11–2019 से 17–11–2019 तक 03 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(iv) उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9452465560 पर हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी उपरोक्त द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 6386429337 से दिनांक 06–12–2019 से 19–01–2020 तक 04 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(v) उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9452465560 पर अमन तिवारी उपरोक्त द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9935765021 से दिनांक 07–02–2020 को 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(vi) उप निरीक्षक कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा बाल गोविन्द पुत्र मेवा लाल, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, कुंवरपाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9452465560 पर बाल गोविन्द पुत्र मेवा लाल, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 7390907120 से दिनांक 28–06–2020 को 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

h. (i) उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा शिवम दुबे पुत्र राजेन्द्र कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7905265088 से शिवम दुबे के मोबाइल नम्बर 8957595813 पर दिनांक 27–05–2020 से 04–06–2020 तक 04 बार वार्ता की गयी है, जिसमें उप निरीक्षक, अजहर इशरत द्वारा 03 बार एवं शिवम दुबे द्वारा 01 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

(ii) उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7905265088 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी कंजिटी, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 16–08–2019 से 14–03–2020 तक 13 बार वार्ता की गयी है, जिसमें उप निरीक्षक अजहर इशरत द्वारा 05 बार एवं हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा 08 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

(iii) उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7905265088 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 01–08–2019 से 15–03–2020 तक 10 बार वार्ता की गयी है, जिसमें उप निरीक्षक, अजहर इशरत द्वारा 02 बार एवं अमर दुबे द्वारा 08 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

(iv) उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7905265088 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल

580

पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9648122200 पर दिनांक 30–06–2020 को 01 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

i. <u>(i) उप निरीक्षक, विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:</u>

उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9721301605 से विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर दिनांक 04–03–2020 को 02 बार वार्ता की गयी है, जिसमें उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा द्वारा एवं विकास दुबे द्वारा 01–01 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

<u>(ii) उप निरीक्षक, विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:</u>

उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9721301605 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 29–01–2020 से 26–03–2020 तक 23 बार वार्ता की गयी है, जिसमें उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा द्वारा 16 बार एवं हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा 07 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

<u>(iii) उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:</u>

उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9721301605 से अमर दुबे पुत्र संजीवके मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 03–05–2020 को 02 बार वार्ता की गयी है, जिसमें उप निरीक्षक, विश्वनाथ मिश्रा द्वारा 01 बार एवं अमर दुबे द्वारा भी 01 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

(581)

(iv) उप निरीक्षक, विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक, विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9721301605 पर राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9140351901 से दिनांक 03–05–2020 से 10–05–2020 तक 03 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(v) उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9721301605 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9648122200 पर दिनांक 17–02–2020 से 20–02–2020 तक 04 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 03 बार उप निरीक्षक श्री विश्वनाथ मिश्रा द्वारा एवं 01 बार जिलेदार उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

j. **उप निरीक्षक, दीवान सिंह, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:**

राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9140351901 से उप निरीक्षक, दीवान सिंह के मोबाइल नम्बर 9756100049 पर दिनांक 28–05–2020 से 02–07–2020 तक 11 बार वार्ता की गयी है, जिसमें 06 बार उप निरीक्षक दीवान सिंह द्वारा एवं 05 बार राम सिंह उपरोक्त द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

k. **(i) मुख्य आरक्षी, लायक सिंह, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:**

मुख्य आरक्षी लायक सिंह, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 06–04–2020 से 22–06–2020 तक अपने मोबाइल नम्बर 6388115189 से

582

अभियुक्त विकास दुबे के मोबाइल नम्बर 9336308438 पर 15 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 02 बार मुख्य आरक्षी, लायक सिंह द्वारा अभियुक्त विकास दुबे को कॉल किया गया है तथा 13 बार विकास दुबे द्वारा मुख्य आरक्षी, लायक सिंह को कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ii) मुख्य आरक्षी लायक सिंह, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

मुख्य आरक्षी लायक सिंह, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 30–01–2020 से 30–06–2020 तक अपने मोबाइल नम्बर 6388115189 से राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9140351901 पर 13 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 09 बार मुख्य आरक्षी, लायक सिंह द्वारा कॉल किया गया है तथा 04 बार राम सिंह द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(iii) मुख्य आरक्षी, लायक सिंह, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

मुख्य आरक्षी लायक सिंह, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 06–03–2020 से 15–03–2020 तक अपने मोबाइल नम्बर 6388115189 से अमन तिवारी निवासी रामपुर सखरेज, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9935765021 पर 03 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार मुख्य आरक्षी, लायक सिंह द्वारा कॉल किया गया है तथा 02 बार अमन तिवारी द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(iv) मुख्य आरक्षी, लायक सिंह, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा संजय दुबे उर्फ संजू पुत्र स्व. सूर्य कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

मुख्य आरक्षी लायक सिंह, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 24–12–2019 से 20–03–2020 तक अपने मोबाइल नम्बर 6388115189 से संजय दुबे उर्फ संजू पुत्र स्व. सूर्य कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9119839183 पर 06 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 03 बार मुख्य आरक्षी, लायक सिंह द्वारा कॉल किया गया है तथा 03 बार संजय दुबे द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

l. (i) रिक्रूट आरक्षी, राजीव कुमार (फौजी), थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

रिक्रूट आरक्षी राजीव कुमार, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात द्वारा मोबाइल नम्बर 9402822222 से विकास दुबे पुत्र राम कुमार, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर दिनांक 13–03–2020 से 03–07–2020 तक 25 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 11 बार उक्त रिक्रूट आरक्षी द्वारा एवं 14 बार विकास दुबे द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

(ii) रिक्रूट आरक्षी, राजीव कुमार (फौजी), थाना शिवली, जिला कानपुर देहात द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

रिक्रूट आरक्षी, राजीव कुमार, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात द्वारा मोबाइल नम्बर 9402822222 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 13–03–2020 से 18–06–2020 तक 20 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 10 बार उक्त रिक्रूट आरक्षी द्वारा एवं 10 बार हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त रिक्रूट आरक्षी द्वारा दिनांक 13–03–2020 को समय 16:08 व 17:06 बजे 02 एस.एम.एस. हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी को भेजे गये हैं।

m. (i) आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8400203408 से विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर दिनांक 20–12–2019 से 18–03–2020 तक 22 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 05 बार आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एवं 17 बार विकास दुबे द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

584

<u>(ii) आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कानपुर नगर द्वारा अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, जिला कानपुर नगर से वार्ता:</u>

आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8400203408 पर अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9935765021 से दिनांक 03–03–2020 व 12–03–2020 को 01–01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

<u>(iii) आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:</u>

आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8400203408 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 19–01–2020 को 03 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

n. <u>(i) श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर कानपुर नगर से वार्ता:</u>

श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8787002570 से विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर दिनांक 19–01–2020 से 24–04–2020 तक 04 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 03 बार श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक द्वारा एवं 01 बार विकास दुबे द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

<u>(ii) श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, जिला कानपुर नगर से वार्ता:</u>

श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8787002570 से अमन तिवारी, निवासी

रामपुर सखरेज के मोबाइल नम्बर 9935765021 पर दिनांक 13–03–2020 से 29–06–2020 तक 04 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 02 बार श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक द्वारा एवं 02 बार अमन तिवारी उपरोक्त द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

(iii) श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8787002570 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी बिकरु थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 19–01–2020 को 01 बार कॉल करके वार्ता की गयी है।

o. **(i) श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा संजय दुबे उर्फ संजू पुत्र स्व० सूर्य कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ताः**

श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 04–06–2020 को अपने मोबाइल नम्बर 9415727134 से संजय दुबे उर्फ संजू पुत्र स्व. सूर्य कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9119839183 पर 04 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार श्री अमित कटियार द्वारा कॉल किया गया है तथा 03 बार संजय दुबे द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ii) श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी कंजिटी, जिला कानपुर नगर से वार्ताः

श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 16–08–2019 को अपने मोबाइल नम्बर 9415727134 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी कंजिटी, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर 01 बार वार्ता की गयी है, जो धर्मेन्द्र द्वारा ही कॉल किया गया है।

5886

(iii) श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा गोपाल सैनी पुत्र राम अधार, निवासी ग्राम बिकरु, पोस्ट कॉजिटी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 22-01-2020 को अपने मोबाइल नम्बर 9415727134 से गोपाल सैनी पुत्र राम अधार, निवासी ग्राम बिकरु, पोस्ट कॉजिटी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 7897574941 पर 01 बार वार्ता की गयी है, जिसे श्री अमित कटियार द्वारा कॉल किया गया है।

(iv) श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दीपक बाजपेई पुत्र श्री रमेश चन्द्र बाजपेई, निवासी एम.आई.जी. 112 सूर्य बिहार, खेवरा, नवाबगंज, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 14-09-2019 को अपने मोबाइल नम्बर 9415727134 से दीपक बाजपेई पुत्र श्री रमेश चन्द्र बाजपेई, निवासी एम.आई.जी. 112 सूर्य बिहार, खेवरा, नवाबगंज, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9935751111 पर 01 बार वार्ता की गयी है, जिसे श्री अमित कटियार द्वारा कॉल किया गया है।

(v) श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर से वार्ता:

श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 16-08-2019 से 29-02-2020 तक मोबाइल नम्बर 9415727134 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8707265410 पर 06 बार वार्ता की गयी है, जिसमें 01 बार श्री अमित कटियार द्वारा एवं 05 बार जिलेदार उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

587

p. **(i) सप्लाई इंसपेक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा, कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर कानपुर नगर से वार्ता:**

सप्लाई इंसपेक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8317020548 पर विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9336306438 से दिनांक 27–04–2020 को 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ii) सप्लाई इंसपेक्टर श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, कानपुर नगर द्वारा अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर से वार्ता:

सप्लाई इंसपेक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8317020548 से अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9935765021 पर दिनांक 06–06–2020 से 29–06–2020 तक 05 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार सप्लाई इंसपेक्टर द्वारा एवं 04 बार अमन तिवारी द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29–06–2020 को श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सप्लाई इंसपेक्टर द्वारा समय 18:03 बजे अमन तिवारी को एक एसएमएस प्रेषित किया गया है।

(iii) सप्लाई इंसपेक्टर श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, कानपुर नगर से वार्ता:

सप्लाई इंसपेक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8317020548 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, कानपुर नगरके मोबाइल नम्बर 9648122200 पर दिनांक 25–06–2020 एवं 30–06–2020 को 01–01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

q. **(i) सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर कानपुर नगर से वार्ता:**

सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 6394191146 से विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर दिनांक 17–02–2020 से 04–03–2020 तक 03 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से

588

02 बार सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह द्वारा एवं 01 बार विकास दुबे द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 6394191146 से विकास दुबे पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9336306438 पर दिनांक 04–03–2020 को समय 08:53 बजे एक एसएमएस प्रेषित किया गया है।

(ii) सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह कानपुर नगर द्वारा गोपाल सैनी पुत्र राम अधार, निवासी ग्राम बिकरु, पोस्ट कंजिटी, थाना चौबेपुर कानपुर नगर से वार्ता:

सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कानुपर नगर के मोबाइल नम्बर 6394191146 पर गोपाल सैनी पुत्र राम अधार, निवासी ग्राम बिकरु, पोस्ट कंजिटी, थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 7897574941 से दिनांक 23–10–2019 को 02 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(iii) सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह कानपुर नगर द्वारा अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर से वार्ता:

सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 6394191146 से अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर से के मोबाइल नम्बर 9935765021 पर दिनांक 01–04–2020 से 17–07–2020 तक 11 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह द्वारा एवं 10 बार अमन तिवारी, निवासी रामपुर सखरेज, कानपुर नगर से द्वारा कॉल करके वार्ता की गयी है।

(iv) सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, कानपुर नगर से वार्ता:

सप्लाई इंसपेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 6394191146 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी सुज्जा निवादा, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9648122200 पर दिनांक 23–10–2019 को 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

(v) आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा दीपक बाजपेई पुत्र लक्ष्मीकांत बाजपेई, 111/478 ब्रह्मनगर, नजीराबाद कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8887569297 द्वारा दीपक बाजपेई पुत्र लक्ष्मीकांत बाजपेई, 111/478, ब्रह्मनगर, नजीराबाद, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9935751111 पर दिनांक 25-09-2019 से 22-06-2020 तक 57 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 24 बार कान्स. अभिषेक कुमार द्वारा एवं 33 बार दीपक बाजपेई उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(vi) आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा संतोष कुमार पुत्र राम शंकर, निवासी रिक्खी पुरवा तातियागंज, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8887569297 द्वारा संतोष कुमार पुत्र राम शंकर, निवासी रिक्खी पुरवा तातियागंज, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9198667067 पर दिनांक 24-01-2020 से 11-06-2020 तक 37 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 12 बार आरक्षी, अभिषेक कुमार द्वारा एवं 25 बार संतोष कुमार उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(vii) आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वाराराम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर ने अपनेमोबाइल नम्बर 8887569297 सेराम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9140351901 पर दिनांक 28-05-2020 को 02 बार कॉल कर वार्ता की है।

उक्त के अतिरिक्त कान्स. अभिषेक कुमार द्वारा दिनांक 29-05-2020 को समय 23:32 बजे एक एसएमएस भी प्रेषित किया गया है।

(viii) आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा महिला आरक्षी सरिता, पेशी सी.ओ. बिल्हौर, कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, अभिषेक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8887569297 से महिला आरक्षी सरिता, पेशी सी.ओ. बिल्हौर, कानपुर

(590)

नगर के मोबाइल नम्बर 86000459504 पर दिनांक 19–11–2019 से 11–05–2020 तक 10 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 02 बार आरक्षी, अभिषेक कुमार द्वारा एवं 08 बार महिला आरक्षी सरिता उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

r. **(i) आरक्षी, विकास कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगरद्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:**

आरक्षी, विकास कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7983986728 से राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9440351901 पर दिनांक 07–04–2020 से 22–06–2020 तक 15 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 04 बार आरक्षी विकास कुमार द्वारा एवं 11 बार राम सिंह उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त आरक्षी विकास कुमार द्वारा दिनांक 05–06–2020 को समय 11:49 बजे एक एसएमएस भी प्रेषित किया गया है।

(ii) आरक्षी, विकास कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगरद्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, विकास कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7983986728 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 03–05–2020 से 25–06–2020 तक 16 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 10 बार आरक्षी विकास कुमार द्वारा एवं 06 बार अमर दुबे उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ब) श्रेणी–बी:

a. **श्री भूपेन्द्र सिंह राठी, निरीक्षक, जिला इटावा (तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना शिवली जिला कानपुर देहात) द्वारा अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन पुत्र राम बिलास, निवासी कुढवा, थाना रुरा, कानपुर देहात से वार्ता:**

श्री भूपेन्द्र सिंह राठी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना शिवली जिला कानपुर देहात द्वारा दिनांक 07–08–2019 से 03–01–2020 तक अपने प्राइवेट मोबाइल नम्बर 9519979799 से अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन पुत्र

राम बिलास, निवासी कुढवा, थाना रुरा, कानपुर देहात के मोबाइल नम्बर 9721815010 पर 27 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 04 बार श्री भूपेन्द्र सिंह राठी, प्रभारी निरीक्षक शिवली, कानपुर देहात द्वारा कॉल किया गया है तथा 23 बार अरविन्द त्रिवेदी द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

b. <u>(i) उप निरीक्षक गोपी कृष्ण अग्रवाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:</u>

उप निरीक्षक गोपी कृष्ण अग्रवाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8317020548 पर दिनांक 27–04–2020 को विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9336306438 से 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

<u>(ii) उप निरीक्षक गोपी कृष्ण अग्रवाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा निवादा, कानपुर नगर से वार्ता:</u>

उप निरीक्षक गोपी कृष्ण अग्रवाल, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8317020548 से दिनांक 25–06–2020 व 30–06–2020 को जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा निवादा, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9648122200 पर 01–01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

c. <u>(i) उप निरीक्षक बिकेश बाबू, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा निवादा, कानपुर नगर से वार्ता:</u>

उप निरीक्षक बिकेश बाबू, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8009303435 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा निवादा, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9648122200 पर दिनांक 18–08–2019 से 28–08–2019 तक 05 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 03 बार उप निरीक्षक विकेश बाबू द्वारा एवं 02 बार जिलेदार उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(592)

(ii) उप निरीक्षक बिकेश बाबू, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

उप निरीक्षक बिकेश बाबू, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8009303435 पर हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 6386429337 से दिनांक 19-08-2019 को 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

d. **उप निरीक्षक अशोक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:**

उप निरीक्षक अशोक कुमार, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 7054131206 सेहीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 26-11-2019 को 08 बार वार्ता की गयी है, जिसमें 04 बार उप निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा एवं 04 बार हीरु उर्फ धर्मेन्द्र द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

e. **उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन, पुत्र राम बिलास, निवासी ग्राम कुढवा, थाना रुरा, कानपुर देहात से वार्ता:**

उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9756798554 से अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन, पुत्र राम बिलास, निवासी ग्राम कुढवा, थाना रुरा, कानपुर देहात के मोबाइल नम्बर 9721815010 पर दिनांक 04-01-2020 से 27-01-2020 तक 14 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 09 बार उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह द्वारा एवं 05 बार अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

f. **(i) नीरज कुमार, आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:**

नीरज कुमार, रिक्रूट आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 19-04-2020 से 22-06-2020 तक अपने मोबाइल नम्बर

593

8800516362 से राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9140351901 पर 19 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 07 बार नीरज कुमार रिक्रूट आरक्षी द्वारा कॉल किया गया है तथा 12 बार राम सिंह द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

<u>(ii) नीरज कुमार, आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ताः</u>

नीरज कुमार, आरक्षी थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 17.04.2020 से 25–06–2020 तक मोबाइल नम्बर 8800516362 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर 09 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 04 बार नीरज कुमार, आरक्षी द्वारा तथा 05 बार अमर दुबे उपरोक्त द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

g. <u>(i) आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ताः</u>

आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9587826693 पर दिनांक 04–03–2020 को विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9336306438 से 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

<u>(ii) आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ताः</u>

आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9587826693 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 05–04–2020 से 03–05–2020 तक 08 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार आरक्षी, जय प्रकाश द्वारा एवं 07 बार अमर दुबे द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

594

(iii) आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा दीपक बाजपेई पुत्र लक्ष्मीकांत बाजपेई, 111/478 ब्रह्मनगर, नजीराबाद कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9587826693 से दीपक बाजपेई पुत्र लक्ष्मीकांत बाजपेई, 111/478, ब्रह्मनगर, नजीराबाद कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9935751111 पर दिनांक 02–11–2019 से 20–03–2020 तक 06 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार आरक्षी, जय प्रकाश द्वारा एवं 05 बार दीपक बाजपेई द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(iv) आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा निवादा, कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, जय प्रकाश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9587826693 से जिलेदार उर्फ चन्द्रपाल यादव उर्फ विष्णुपाल यादव पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा निवादा, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9648122200 पर दिनांक 23–08–2019 को 02 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

h. **(i) आरक्षी, योगेश कुमार, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:**

आरक्षी, योगेश कुमार, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9568627858 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 10–04–2020 से 29–06–2020 तक 08 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 01 बार कान्स. योगेश कुमार द्वारा एवं 07 बार अमर दुबे द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

(ii) आरक्षी, योगेश कुमार, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

आरक्षी, योगेश कुमार, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 9568627858 से राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9140351901 पर

595

दिनांक 19-04-2020 से 24-06-2020 तक 07 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 02 बार आरक्षी, योगेश कुमार द्वारा एवं 05 बार राम सिंह द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

i. <u>(i) आरक्षी, लवकुश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:</u>

आरक्षी, लवकुश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8979277653 से राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9140351901 पर दिनांक 03-04-2020 से 12-06-2020 तक 11 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 06 बार आरक्षी, लवकुश द्वारा एवं 05 बार राम सिंह द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

<u>(ii) कान्स. लवकुश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:</u>

आरक्षी, लवकुश, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8979277653 से अमर दुबे पुत्र संजीव, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 9936173286 पर दिनांक 21-04-2020 से 16-06-2020 तक 15 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 14 बार आरक्षी, लवकुश द्वारा एवं 01 बार अमर दुबे द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त कान्स. लवकुश द्वारा दिनांक 26-05-2020 को समय 12:41 बजे एक एसएमएस भी प्रेषित किया गया है।

j. <u>(i) श्री राजबीर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, जिला कानपुर नगर द्वाराहीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:</u>

श्री राजबीर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8400189980 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6386429337 पर दिनांक 24-08-2019 से 19-05-2020 तक 09 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से 05 बार श्री राजबीर, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एवं 04 बार हीरु उर्फ धर्मेन्द्र द्वारा कॉल कर वार्ता की गयी है।

596

(ii) श्री राजबीर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, जिला कानपुर नगर द्वारा राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

श्री राजबीर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, जिला कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 8400189980 पर राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारीपुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9140351901 से दिनांक 20-05-2020 को 01 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

k. श्री हरदीप, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, जिला कानपुर नगर द्वाराहीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर से वार्ता:

श्री हरदीप, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बिकरु, जिला कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर 8090044451 से हीरु उर्फ धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के मोबाइल नम्बर 6388429337 पर दिनांक 29-08-2019 से 09-05-2020 तक 10 बार वार्ता की गयी है, जिसमें से श्री हरदीप, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 05 बार एवं हीरु उर्फ धर्मेन्द्र द्वारा भी 05 बार कॉल कर वार्ता की गयी है।

5. **निष्कर्षः-**

विकास दुबे एक दुर्दान्त अपराधी था। विकास दुबे एवं सहअभियुक्तों व उसके सहयोगियों से पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजकीय कार्य के अतिरिक्त मोबाइल फोन से लगातार वार्ता करके अपराधियों को बढ़ावा दिया गया, जिससे अपराधियों को नियम विरुद्ध अनुचित लाभ प्राप्त होता रहा एवं विकास दुबे का क्षेत्र में दबदबा व आतंक बढ़ता गया। अपराधी विकास दुबे के पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की निकटता के कारण वह राजकीय कार्यों एवं योजनाओं में अनुचित लाभ प्राप्त करता रहा। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से नजदीकियाँ होने एवं उसके आतंक के कारण कोई भी जनता का व्यक्ति विकास दुबे एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध शिकायत करने का साहस नहीं कर पाता था। किसी की शिकायत करने की स्थिति में विकास दुबे को तुरन्त सूचना प्राप्त हो जाती थी एवं शिकायतकर्ता को अपने पास बुलवाकर मारपीट किया करता था व जान माल की धमकी देता था। जिसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) <u>श्रेणी ए:-</u> श्रेणी ए में नामित अधिकारी व कर्मचारी विकास दुबे व उसके सहयोगियों को संरक्षण देते थे तथा दुर्दान्त अपराधी विकास दुबे से सम्बन्ध रखते हुए प्रशासनिक सूचनाओं का आदान-प्रदान करके अनुचित लाभ प्राप्त/प्रदान करते थे, जो निम्नवत् हैं:-

1. श्री अंनन्त देव, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. श्री राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी
3. श्री आर. के. चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी
4. श्री आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी
5. श्री राममूर्ति यादव, निरीक्षक
6. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक
7. श्री प्रशान्त कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक
8. श्री रामलखन कमल, राजस्व निरीक्षक
9. श्री विनय तिवारी, उपनिरीक्षक
10. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक
11. श्री कुँवर पाल सिंह, उपनिरीक्षक
12. श्री अजहर इसरत, उपनिरीक्षक .
13. श्री विश्वनाथा मिश्रा, उपनिरीक्षक
14. श्री दीवान सिंह, उपनिरीक्षक
15. श्री लायक सिंह, मुख्य आरक्षी
16. श्री राजीव कुमार, रिक्रूट आरक्षी
17. श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी
18. श्री अभिषेक कुमार, आरक्षी
19. श्री विकास कुमार, आरक्षी

(ii) <u>श्रेणी बी:-</u> श्रेणी बी में नामित अधिकारी व कर्मचारी के विकास दुबे के सहयोगियों से मोबाइल फोनद्वारा वार्ता की गई है, परन्तु अपराधियों को सहयोग देना प्रतीत नहीं होता है,जो निम्नवत् है:

1. श्री भूपेन्द्र सिंह राठी, निरीक्षक
2. श्री गोपीकृष्ण अग्रवाल, उपनिरीक्षक
3. श्री विकेश बाबू, उप निरीक्षक
4. श्री अशोक कुमार, उपनिरीक्षक
5. श्री लक्ष्मण सिंह, उप निरीक्षक

6 श्री राजवीर, ग्राम विकास अधिकारी

7 श्री हरदीप, ग्राम विकास अधिकारी

8 श्री नीरज कुमार, आरक्षी

9 श्री जय प्रकाश, आरक्षी

10 श्री योगेश कुमार, आरक्षी

11 श्री लवकुश, आरक्षी

(III) अभियुक्तों द्वारा फर्जी एवं गलत नाम तथा पते के आधार पर सिमकार्ड निर्गत कराकर उनका इस्तेमाल किया गया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध जिला कानपुर नगर में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

24. **संस्तुतियाँ:**

(अ) **दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण:–**

(1) **श्री अनन्त देव, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या–01 के भाग (a) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–13 (iv) में की गयी समीक्षा तथा निष्कर्ष के बिन्दु (ii), (viii) एवं (xi) तथा बिन्दु संख्या–04 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–04 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) a तथा उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (i)1, बिन्दु संख्या–06 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु xxi (c) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु xviii में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कानपुर नगर श्री अनन्त देव दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री अनन्त देव अखिल भारतीय सेवायें के सदस्य होने के साथ–साथ ही एक अनुशासित बल के भी सदस्य हैं। जाँच में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इनके कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि धूमिल होने के साथ–साथ पुलिस विभाग एवं शासन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री अनन्त देव, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कानपुर नगर के उक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम–03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ–साथ अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अनन्त देव के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के **नियम–08 (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(2) **श्री दिनेश कुमार पी., तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या 01 के भाग (a) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–13(iv) के उप प्रस्तर–03 के बिन्दु (vi) में की गयी समीक्षा तथा निष्कर्ष के बिन्दु (iv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कानपुर नगर, श्री दिनेश कुमार पी. उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री दिनेश कुमार पी. के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1969 के

(600)

नियम–10 (लघु दण्ड हेतु) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने के संबंध में शासन इनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु विचार करना चाहें।

(3) <u>श्री प्रद्युम्न सिंह, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला कानपुर नगरः–</u>

जाँच के बिन्दु संख्या–01 के भाग (a) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–13(iv) में की गयी समीक्षा तथा निष्कर्ष के बिन्दु (ii) एवं (ix) व बिन्दु संख्या–01 के भाग (iv) से संबंधित तथ्य, जो जाँच आख्या के प्रस्तर–14(07) के उप प्रस्तर–(03) में की गयी समीक्षा तथा उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii), बिन्दु संख्या–06 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु संख्या–xxi(c) व उप प्रस्तर–04 में निष्कर्ष के बिन्दु संख्या–(xviii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जिला कानपुर नगर श्री प्रद्युम्न सिंह दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह प्रान्तीय पुलिस सेवा के सदस्य होने के साथ–साथ ही एक अनुशासित बल के भी सदस्य हैं। जाँच में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इनके कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि धूमिल होने के साथ–साथ पुलिस विभाग एवं शासन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री प्रद्युम्न सिंह, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जिला कानपुर नगर का उक्त कृत्य उ.प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ–साथ उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रद्युम्न सिंह के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के **नियम–07 (वृहद दण्ड हेतु)** अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(4) <u>श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला कानपुर नगर</u>

जाँच के बिन्दु संख्या–01 के भाग (a) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–13(iv) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(iii) (iv) (vii) तथा निष्कर्ष के बिन्दु (ii) (v) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिला कानपुर नगर, श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के **नियम–10 (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने के संबंध में शासन इनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु विचार करना चाहें।

(5) श्री सूक्ष्म प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक, प्रज्ञान, जिला कानपुर नगर

जाँच के बिन्दु संख्या–01 के भाग (a) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–13(iv) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ix) तथा निष्कर्ष के बिन्दु (vii) तथा बिन्दु संख्या–05 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) के बिन्दु (d) में की गयी समीक्षा तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (c) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान, जिला कानपुर नगर श्री सूक्ष्म प्रकाश दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री सूक्ष्म प्रकाश प्रान्तीय पुलिस सेवा के सदस्य होने के साथ–साथ ही एक अनुशासित बल के भी सदस्य हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री सूक्ष्म प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान, जिला कानपुर नगर का उक्त कृत्य उ.प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ–साथ उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उपाधीक्षक, प्रज्ञान के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के **नियम–07 (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(6) स्व. श्री देवेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः–

स्व. श्री देवेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर की दिनांक 02–07–2020 की रात्रि में ग्राम बिकरु अन्तर्गत घटित घटना में दिवंगत होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः श्री मिश्रा से संबंधित प्रकरण को निक्षेपित किया जाना अपेक्षित है।

(7) श्री आर.के. चतुर्वेदी, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कैण्ट कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु अ(c), उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष

602

के बिन्दु (i)3 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री आर. के. चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी, प्रान्तीय पुलिस सेवा के सदस्य हैं। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी का उक्त कृत्य उ.प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ–साथ उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के **नियम–07 (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(8) <u>श्री अमित कुमार, तत्कालीन नोडल अधिकारी पासपोर्ट/क्षेत्राधिकारी कार्यालय, जिला कानपुर नगरः–</u>

बिन्दु संख्या–10 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–23 में की गयी समीक्षा व निष्कर्ष के बिन्दु (2) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अमित कुमार, तत्कालीन नोडल अधिकारी पासपोर्ट/क्षेत्राधिकारी कार्यालय उत्तरदायी हैं।

श्री अमित कुमार, तत्कालीन नोडल अधिकारी पासपोर्ट/क्षेत्राधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(9) <u>श्री नन्द लाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौरः–</u>

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री नन्द लाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर उत्तरदायी हैं।

श्री नन्द लाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(10) **श्री करुणाकर राव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(v) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(iv) (a) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री करुणाकर राव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर उत्तरदायी हैं।

श्री करुणाकर राव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(11) **श्री लाल प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी, कृष्णानगर, लखनऊ:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(vi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(iv) (b) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री लाल प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी, कृष्णानगर, लखनऊ उत्तरदायी हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी कृष्णानगर लखनऊ प्रान्तीय पुलिस सेवा के सदस्य होने के साथ–साथ ही एक अनुशासित बल के भी सदस्य हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री लाल प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी कृष्णानगर लखनऊ का उक्त कृत्य उ.प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ–साथ उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री लाल प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी, कृष्णानगर, लखनऊ के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के **नियम–10 (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(12) **श्री हरेन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, सीसामऊ, कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(ix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(vii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री हरेन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सीसामऊ, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री हरेन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, सीसामऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

604

(13) श्री सुन्दर लाल, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(viii), (xii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(vi), (x) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुन्दर लाल, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर, उत्तरदायी हैं।

श्री सुन्दर लाल, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(14) श्री प्रेम प्रकाश, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(xi), (xiv), (xv) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(ix), (xii), (xiii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रेम प्रकाश, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री प्रेम प्रकाश, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(15) श्री राम प्रकाश अरुण, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(xvi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राम प्रकाश अरुण, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री राम प्रकाश अरुण, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(16) श्री सुभाष चन्द्र शाक्य, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(xvi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुभाष चन्द्र शाक्य, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शाक्य, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(17) श्री लक्ष्मी निवास, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, अकबरपुर, कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xviii), (xix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्द–(xvi), (xvii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री लक्ष्मी निवास, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, अकबरपुर, कानपुर नगर, उत्तरदायी हैं।

श्री लक्ष्मी निवास, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, अकबरपुर, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(18) दिनांक 24–07–1997 को नियुक्त क्षेत्राधिकारी, बिल्हौर, कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(vii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(v) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24–07–1997 को नियुक्त क्षेत्राधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

दिनांक 24–07–1997 को नियुक्त क्षेत्राधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(19) दिनांक 12–07–1997 को नियुक्त क्षेत्राधिकारी, रसूलाबाद, कानपुर देहातः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(iii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(iii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12–07–1997 को नियुक्त क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद, कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

दिनांक 12–07–1997 को नियुक्त क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद, कानपुर देहात के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

606

(20) **श्री विनय तिवारी (निलम्बित), तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर, जिला कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या–01 के भाग (ii) से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–13(iv) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ii), (iii), (iv), (viii) तथा निष्कर्ष के बिन्दु (i), (ii), (iii), (iv), बिन्दु संख्या–01 के भाग (iii) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–14(06) के उप प्रस्तर–(03) के बिन्दु (i), (ii) में की गयी समीक्षा तथा उप प्रस्तर–(04) के निष्कर्ष में उल्लिखित तथ्यों, बिन्दु संख्या 01 के भाग–(iv) से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–14(07) के उप प्रस्तर–(03) के बिन्दु (ii), (iii) में की गयी समीक्षा तथा उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु संख्या–(ii), बिन्दु संख्या–04 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु c (i), (ii), (iii) तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु–(i)9, बिन्दु संख्या–05 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (b), (c), (e) तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (a), (b), (d), (c), व बिन्दु संख्या–08 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–21 के उप प्रस्तर–(03) में की गयी समीक्षा के बिन्दु–(v) तथा उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री विनय तिवारी, दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री विनय तिवारी, जो वर्तमान समय में जिला कारागार कानपुर देहात में निरुद्ध हैं। श्री तिवारी का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री विनय तिवारी, तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर, जिला कानपुर नगर, के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम 14 (1) (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

श्री विनय तिवारी वर्तमान समय में जिला कारागार माती कानपुर देहात में निरुद्ध हैं एवं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है तथा निलम्बित चल रहे हैं। चूंकि इनके विरुद्ध प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय कार्यवाही प्रचलित है, ऐसी स्थिति में दुबारा इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(21) **श्री राममूर्ति यादव, प्रभारी निरीक्षक, थाना बजरिया, जिला कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु अ(d), उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष

के बिन्दु (i)5 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षक श्री राममूर्ति यादव दोषी पाये जा रहे हैं।

निरीक्षक श्री राममूर्ति यादव का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षक श्री राममूर्ति यादव, थाना बजरिया जिला कानपुर नगर, के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम–14 (2) (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(22) <u>श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर, लखनऊ</u>:–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (vi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (b) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर, लखनऊ दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री अंजनी कुमार पाण्डेय का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षक श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम–14 (2) (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(23) <u>श्री एस.के. वर्मा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना बजरिया, जिला कानपुर नगर</u>:–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री एस.के. वर्मा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना बजरिया, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री एस.के. वर्मा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना बजरिया, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

608

(24) **श्री काजी मोहम्मद इब्राहिम, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बजरिया, कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री काजी मोहम्मद इब्राहिम, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना बजरिया, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री काजी मोहम्मद इब्राहिम, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना बजरिया, ज़िला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(25) **श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (viii), (xiv), (xvi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vi), (xii), (xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री वेद प्रकाश, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(26) **श्री लालमणि सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना चौबेपुर, कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (viii), (xii), (xvi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vi), (x), (xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री लालमणि सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री लालमणि सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(27) श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xi), (xv) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (ix), (xiii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(28) श्री बृज किशोर मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xvi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री बृज किशोर मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री बृज किशोर मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(29) श्री धर्मवीर सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना रुरा, जिला कानपुर देहातः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xviii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvi) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री धर्मवीर सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना रुरा, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री धर्मवीर सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना रुरा, कानपुर देहात के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

610

(30) <u>श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात:-</u>

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xix) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना शिवली कानपुर देहातके विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(31) <u>श्री राधेश्याम यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर:-</u>

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (i) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राधेश्याम यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष, चौबेपुर, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री राधेश्याम यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(32) <u>श्री सतीश चन्द्र यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष, चौबेपुर, जिला कानपुर नगर:-</u>

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (i) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सतीश चन्द्र यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष, चौबेपुर, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री सतीश चन्द्र यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

611

(33) श्री जितेन्द्र पाल सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी नजीराबाद, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–10 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–23 में की गयी समीक्षा व निष्कर्ष के बिन्दु (2) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री जितेन्द्र पाल सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, नजीराबाद, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी नजीराबाद, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(34) श्री सुबेदार सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना शिवली, जिला कानपुर देहातः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुबेदार सिंह तत्कालीन थाना प्रभारीशिवली कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री सुबेदार सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी, शिवली, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(35) श्री दीवान गिरि, तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना शिवली, जिला कानपुर देहातः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (iii), (vii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iii), (v) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री दीवान गिरि, तत्कालीन थाना प्रभारी शिवली उत्तरदायी हैं।

श्री दीवान गिरि, तत्कालीन थाना प्रभारी शिवली के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(36) <u>श्री संजय सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः—</u>

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(h) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (a) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री संजय सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, चौबेपुर उत्तरदायी हैं।

श्री संजय सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, चौबेपुर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(37) <u>श्री राकेश कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः—</u>

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(h) में की गयी समीक्षा के बिन्दु xxi (c) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xviii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(38) <u>श्री अजहर इशरत उप निरीक्षक/विवेचक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः—</u>

बिन्दु संख्या–01 के भाग (iv) से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–14(07) के उप प्रस्तर–(03) के बिन्दु (iii) में की गयी समीक्षा तथा उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) एवं (ii) व बिन्दु संख्या–04 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (h) (i), (ii), (iii), (iv) तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)12, बिन्दु संख्या–05 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (k) तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (j) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उप निरीक्षक श्री अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

उप निरीक्षक, श्री अजहर इशरत का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उप निरीक्षक श्री अजहर इशरत, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर, के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम 14 (1) (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(39) श्री कृष्ण कुमार शर्मा, उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु f (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)10 एवं बिन्दु संख्या–05 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (b), (d), (f), (g), (k) तथा उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (a), (c), (f), (j), (k) व बिन्दु संख्या 08 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–21 के उप प्रस्तर–(03) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) तथा उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण कुमार शर्मा, दोषी पाये जा रहे हैं।

उप निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार शर्मा का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उप निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार शर्मा थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर, के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम 14 (1) (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा वर्तमान समय में जिला कारागार माती कानपुर देहात में निरुद्ध हैं एवं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है तथा निलम्बित चल रहे हैं। चूंकि इनके विरुद्ध प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय कार्यवाही प्रचलित है, ऐसी स्थिति में दुबारा इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(614)

(40) श्री कुंवर पाल सिंह, उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) g (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)11 में व बिन्दु संख्या–05 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (k) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (j) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री कुंवर पाल सिंह, उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री कुंवर पाल सिंह का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुंवर पाल सिंह, उप निरीक्षक थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14 (1) **(वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(41) श्री विश्वनाथ मिश्रा, उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) I (i), (ii), (iii), (iv), (v) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)13 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उप निरीक्षक श्री विश्वनाथ मिश्रा दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ मिश्रा का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री विश्वनाथ मिश्रा, उप निरीक्षक थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14 (1) **(वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(42) श्री दीवान सिंह, उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) j व उप प्रस्तर–(05) में

निष्कर्ष के बिन्दु (i)14 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उप निरीक्षक, श्री विश्वनाथ मिश्रा दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री दीवान सिंह का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री दीवान सिंह, उप निरीक्षक थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम–14 (2) (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(43) श्री सुजीत कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक, थाना नजीराबाद (तत्कालीन), जिला कानपुर नगरः–

बिन्दु संख्या–10 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–23 में की गयी समीक्षा व निष्कर्ष के बिन्दु (2) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुजीत कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक, थाना नजीराबाद (तत्कालीन), जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री सुजीत कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक, थाना नजीराबाद (तत्कालीन), जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(44) श्री अजय कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक, थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊः–

बिन्दु संख्या 06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (vi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (b) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अजय कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक, थाना कृष्णानगर, लखनऊ उत्तरदायी हैं।

श्री अजय कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक थाना कृष्णानगर, लखनऊ के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(45) श्री अवनीश कुमार सिंह, उप निरीक्षक, थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊः–

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (vi) व उप प्रस्तर–(05) में

616

निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (b) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अवनीश कुमार सिंह, उप निरीक्षक, थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री अवनीश कुमार सिंह, उप निरीक्षक का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अवनीश कुमार सिंह, उप निरीक्षक के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14 (1) (**वृहद दण्ड हेतु**) के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(46) <u>श्री इन्द्रपाल सरोज, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः</u>–

बिन्दु संख्या–6 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xi), (xv), (xvi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (ix), (xiii), (xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री इन्द्रपाल सरोज, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री इन्द्रपाल सरोज, उप निरीक्षक, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(47) <u>श्री लवकुश सिंह चौहान, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना रुरा, जिला कानपुर देहातः</u>–

बिन्दु संख्या–6 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xviii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvi) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री लवकुश सिंह चौहान, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना रुरा, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री लवकुश सिंह चौहान, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना रुरा, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(48) <u>श्री संजय कुमार, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना शिवली, जिला कानपुर देहातः–</u>

बिन्दु संख्या–6 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री संजय कुमार, उप निरीक्षक थाना शिवली (तत्कालीन), कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री संजय कुमार, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(49) <u>श्री सुरेश तिवारी, बीट प्रभारी, कल्यानपुर स्थानीय अभिसूचना इकाईः–</u>

बिन्दु संख्या–05 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (d), (g) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (c), (f) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेश तिवारी, बीट प्रभारी कल्यानपुर स्थानीय अभिसूचना इकाई, उत्तरदायी हैं।

श्री सुरेश तिवारी, बीट प्रभारी कल्यानपुर स्थानीय अभिसूचना इकाई के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(50) <u>श्री बैजनाथ गोड़, हेड मुहर्रिर, थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊः–</u>

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (vi) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (b) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री बैजनाथ गोड़, हेड मुहर्रिर थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ उत्तरदायी हैं।

श्री बैजनाथ गोड़, हेड मुहर्रिर थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

618

(51) **श्री लायक सिंह, मुख्य आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या 04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) k (i), (ii), (iii), (iv) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)15 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य आरक्षी श्री लायक सिंह दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री लायक सिंह का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री लायक सिंह, मुख्य आरक्षी थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम–14 (2) (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(52) **श्री धर्मेन्द्र सिंह, बीट मुख्य आरक्षी, कल्यानपुर स्थानीय अभिसूचना इकाईः–**

बिन्दु संख्या–05 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (d) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (c) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री धर्मेन्द्र सिंह, बीट मुख्य आरक्षी कल्यानपुर स्थानीय अभिसूचना इकाई, उत्तरदायी हैं।

श्री धर्मेन्द्र सिंह, बीट मुख्य आरक्षी, कल्यानपुर, स्थानीय अभिसूचना इकाई के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(53) **श्री अभिषेक कुमार, आरक्षी थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) q (v), (vi), (vii), (viii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)18 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आरक्षी श्री अभिषेक कुमार, दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री अभिषेक कुमार, आरक्षी का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(617)

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अभिषेक कुमार, आरक्षी, थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14 (1) **(वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(54) <u>श्री विकास कुमार, आरक्षी, थाना चौबेपुर, कानपुर नगरः–</u>

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) r (i), (ii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)19 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आरक्षी, श्री विकास कुमार दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री विकास कुमार, आरक्षी का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री विकास कुमार, आरक्षी थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम–14 (2) (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(55) <u>श्री कुंवर पाल सिंह, आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–</u>

बिन्दु संख्या–05 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–18 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (b), (k) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (a), (j) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री कुंवर पाल सिंह, आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री कुंवर पाल सिंहका उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कुंवर पाल सिंह, आरक्षी थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम–14 (2) (लघु दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

620

(56) **श्री राजीव कुमार, रिक्रूट आरक्षी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) I (i), (ii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)16 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में रिक्रूट आरक्षी, श्री राजीव कुमार दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री राजीव कुमार, रिक्रूट आरक्षी, थाना चौबेपुर का उक्त कृत्य उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री राजीव कुमार, रिक्रूट आरक्षी थाना चौबेपुर के विरुद्ध उ.प्र. अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के **नियम 14 (1) (वृहद दण्ड हेतु)** के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(ब) **दोषी पाये गये सिविल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरणः–**

(1) **दिनांक 03–01–2005 को नियुक्त ए.डी.एम. (एफ.आर.)/प्रभारी अधिकारी आयुध, जिला कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–4(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (i) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (i) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03–01–2005 को नियुक्त ए.डी.एम. (एफ.आर.)/प्रभारी अधिकारी आयुध कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

दिनांक 03–01–2005 को नियुक्त ए.डी.एम. (एफ.आर.)/प्रभारी अधिकारी आयुध कानपुर नगर के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(2) **तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी शस्त्र, जिला कानपुर नगर (तालिकानुसार):–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु xxi (c) **(तालिकानुसार)** व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xviii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी शस्त्र, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी शस्त्र, कानपुर नगर के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(3) श्री राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी, मैथा, जिला कानपुर देहात:-

बिन्दु संख्या-04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-17 के उप प्रस्तर-(04) में की गयी समीक्षा के बिन्दु अ (b), उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)2 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री राम शिरोमणि उप जिलाधिकारी प्रान्तीय सिविल सेवा के सदस्य हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री राम शिरोमणि उप जिलाधिकारी का उक्त कृत्य उ.प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ-साथ उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री राम शिरोमणि, उप जिलाधिकारी के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10 (लघु दण्ड हेतु) के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(4) श्री अनिल कुमार दमेले, तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बिल्हौर:-

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर- 4(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ii) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु 02 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अनिल कुमार दमेले, तत्कालीन उप जिलाधिकारी बिल्हौर उत्तरदायी हैं।

श्री अनिल कुमार दमेले, तत्कालीन उप जिलाधिकारी बिल्हौर के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(5) श्री सुखलाल भारती, तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बिल्हौर:-

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (iii), (vii) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iii), (v) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुखलाल भारती, तत्कालीन उप जिलाधिकारी बिल्हौर उत्तरदायी हैं।

622

श्री सुखलाल भारती, तत्कालीन उप जिलाधिकारी बिल्हौर के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(6) **श्री दयानन्द सरस्वती, तत्कालीन उप जिलाधिकारी, बिल्हौरः–**

बिन्दु सख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (a) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री दयानन्द सरस्वती, तत्कालीन उप जिलाधिकारी उत्तरदायी हैं।

श्री दयानन्द सरस्वती, तत्कालीन उप जिलाधिकारी के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(7) **श्री प्रहलाद सिंह, उप जिलाधिकारी, बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (viii), (xi), (xii), (xiv), व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vi), (ix), (x), (xii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रहलाद सिंह, उप जिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री प्रहलाद सिंह, उप जिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(8) **श्री ए.के. अवस्थी, उप जिलाधिकारी, अकबरपुर, जिला कानपुर देहातः–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xviii), (xix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvi), (xvii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री ए.के. अवस्थी, उप जिलाधिकारी अकबरपुर, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री ए.के. अवस्थी, उप जिलाधिकारी, अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

623

(9) **श्री राम अभिलाष, ए.सी.एम. तृतीय, जिला कानपुर नगरः—**

बिन्दु संख्या—06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर—19 के उप प्रस्तर—04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ix) व उप प्रस्तर—(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राम अभिलाष, ए.सी. एम. तृतीय, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री राम अभिलाष, ए.सी.एम. तृतीय, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध नियुक्ति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(10) **श्री आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, शिवराजपुर, जिला कानपुर नगरः—**

बिन्दु संख्या 04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर—17 के उप प्रस्तर—04 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) m (i), (ii), (iii) व उप प्रस्तर—(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i)4 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, शिवराजपुर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, प्रान्तीय सिविल सेवा के सदस्य हैं। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी का उक्त कृत्य उ.प्र. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम—03 का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ—साथ उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः उक्त परिस्थितिजन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री आलोक पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध उ.प्र. सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के **नियम—10** (लघु दण्ड हेतु) के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(11) **श्री सुरेश नारायन पाण्डेय, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदारः—**

बिन्दु संख्या—06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर—19 के उप प्रस्तर—04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ii) व उप प्रस्तर—(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेश नारायन पाण्डेय, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदार उत्तरदायी हैं।

(624)

श्री सुरेश नारायन पाण्डेय, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदार के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(12) **श्री इन्द्रपाल उत्तम, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदारः—**

बिन्दु संख्या—06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर—19 के उप प्रस्तर—04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (iii), (vii) व उप प्रस्तर—(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iii), (v) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री इन्द्रपाल उत्तम, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसील उत्तरदायी हैं।.

श्री इन्द्रपाल उत्तम, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसील के विरुद्ध मण्डलायुक्त कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(13) **श्री राकेश कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदारः—**

बिन्दु संख्या 06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर—19 के उप प्रस्तर—04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर—(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (a) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदार उत्तरदायी हैं।

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय तहसीलदार के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(14) **श्री फूलचन्द्र आर्य, तहसीलदार बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः—**

बिन्दु संख्या—06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर—19 के उप प्रस्तर—04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (viii), (xi), (xii), (xiv), (xv) व उप प्रस्तर—(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vi), (ix), (x), (xii), (xiii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री फूलचन्द्र आर्य, तहसीलदार बिल्हौर, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री फूलचन्द्र आर्य, तहसीलदार बिल्हौर, कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(15) <u>श्री भानु प्रताप शुक्ला, तहसीलदार, जिला कानपुर नगर:-</u>

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xvi) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xiv) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री भानु प्रताप शुक्ला, तहसीलदार, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री भानु प्रताप शुक्ला, तहसीलदार, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(16) <u>श्री दुर्गाशंकर गुप्ता, तहसीलदार, अकबरपुर, जिला कानपुर देहात:-</u>

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xviii), (xix) व उप प्रस्तर-(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvi), (xvii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री दुर्गाशंकर गुप्ता, तहसीलदार, अकबरपुर, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री दुर्गाशंकर गुप्ता, तहसीलदार, अकबरपुर, कानपुर देहात के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(17) <u>दिनांक 29-12-2007 को नियुक्त तहसीलदार, जिला कानपुर नगर:-</u>

बिन्दु संख्या-06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ix) व उप प्रस्तर-05 में निष्कर्ष के बिन्दु (vii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 29-12-2007 को नियुक्त तहसीलदार कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

दिनांक 29-12-2007 को नियुक्त तहसीलदार, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(18) <u>श्री अतुल हर्ष, नायब तहसीलदार, क्षेत्र ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर:-</u>

बिन्दु संख्या-08 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-21 के उप प्रस्तर-03 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर-(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अतुल हर्ष, नायब तहसीलदार, क्षेत्र ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर उत्तरदायी हैं।

626

श्री अतुल हर्ष, नायब तहसीलदार, क्षेत्र ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(19) **<u>श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः—</u>**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–04 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) n (i), (ii), (iii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) 8ए बिन्दु संख्या–08 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–21 के उप प्रस्तर–03 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री राम लखन कमल, राजस्व निरीक्षक, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध इनके विभाग से संबंधित नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(20) **<u>श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक, बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः—</u>**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–04 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) p (i), (ii), (iii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) 6 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक बिल्हौर, कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक, बिल्हौर के विरुद्ध इनके विभाग से संबंधित नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(21) **<u>श्री प्रशान्त कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक, जिला कानपुर नगरः—</u>**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–04 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) q (i), (ii), (iii), (iv) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) 7 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रशान्त कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक, जिला कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री प्रशान्त कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध इनके विभाग से संबंधित नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(22) **<u>श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, कल्यानपुर, जिला कानपुर नगरः–</u>**

बिन्दु संख्या–04 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–17 के उप प्रस्तर–04 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (अ) o (i), (ii), (iii), (iv), (v) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (i) 17 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, कल्यानपुर, जिला कानपुर नगर दोषी पाये जा रहे हैं।

श्री अमित कटियार, ग्राम विकास अधिकारी, कल्यानपुर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध इनके विभाग से संबंधित नियमावली के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(23) **<u>दिनांक 03–01–2005 को नियुक्त तत्कालीन शस्त्र लिपिक, जिला कानपुर नगरः–</u>**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (i) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (i) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03–01–2005 को नियुक्त तत्कालीन शस्त्र लिपिक, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

दिनांक 03–01–2005 को नियुक्त शस्त्र लिपिक, कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(24) **<u>श्री ऋषभ दुबे, लेखपाल, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगरः–</u>**

बिन्दु संख्या–08 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–21 के उप प्रस्तर–03 में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर–(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री ऋषभ दुबे, लेखपाल, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर उत्तरदायी हैं।

श्री ऋषभ दुबे, लेखपाल, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(25) **<u>श्री अनिल कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपालः–</u>**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ii) व उप प्रस्तर–(05) में

निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री अनिल कुमार तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल उत्तरदायी हैं।

श्री अनिल कुमार तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(26) <u>श्री रामेश्वर, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल</u>:--

बिन्दु संख्या--06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर--19 के उप प्रस्तर--04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (v) व उप प्रस्तर--(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (iv) (a) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री रामेश्वर, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल उत्तरदायी हैं।

श्री रामेश्वर, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(27) <u>श्री सुशील कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्र बिकरु</u>:--

बिन्दु संख्या 06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर--19 के उप प्रस्तर--04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (vii), (viii) व उप प्रस्तर--(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (v), (vi) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुशील कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्र बिकरु उत्तरदायी हैं।

श्री सुशील कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्र बिकरु के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(28) <u>श्री बालादीन, क्षेत्रीय लेखपाल, जिला कानपुर नगर</u>:--

बिन्दु संख्या--06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर--19 के उप प्रस्तर--04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (ix) व उप प्रस्तर--(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (vii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री बालादीन, क्षेत्रीय लेखपाल, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री बालादीन, क्षेत्रीय लेखपाल, कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

629

(29) **श्री राम किशोर, क्षेत्रीय लेखपाल, जिला कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xii) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (x) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राम किशोर, क्षेत्रीय लेखपाल, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री राम किशोर, क्षेत्रीय लेखपाल, कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(30) **श्री रवि प्रकाश, क्षेत्रीय लेखपाल, जिला कानपुर नगर:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xv) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xiii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री रवि प्रकाश, क्षेत्रीय लेखपाल, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

श्री रवि प्रकाश, क्षेत्रीय लेखपाल, कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(31) **श्री कमलेश कुमार, लेखपाल, अकबरपुर, जिला कानपुर देहात:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xix) व उप प्रस्तर–(05) में निष्कर्ष के बिन्दु (xvii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री कमलेश कुमार, लेखपाल, अकबरपुर, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

श्री कमलेश कुमार, लेखपाल, अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(32) **दिनांक 20–04–1992 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिकरु, जिला कानपुर देहात:–**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (iii) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (iii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 20–04–1992 को नियुक्त लेखपाल क्षेत्र बिकरु कानपूर देहात उत्तरदायी हैं।

630

दिनांक 20–04–1992 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिकरु, जिला कानपुर देहात के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(3?) **<u>दिनांक 20–02–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र रुरा, जिला कानपुर देहातः–</u>**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xviii) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xvi) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 20–02–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र रुरा, जिला कानपुर देहात उत्तरदायी हैं।

दिनांक 20–02–2008 को नियुक्त लेखपाल क्षेत्र रुरा कानपुर देहात के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(34) **<u>दिनांक 26–08–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः–</u>**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xi) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (ix) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 26–08–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

दिनांक 26–08–2008 को नियुक्त लेखपाल क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(35) **<u>दिनांक 16–05–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर नगरः–</u>**

बिन्दु संख्या–06 से संबंधित अभिलेखीय तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–04(b) में की गयी समीक्षा के बिन्दु (xiv) व उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16–05–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिल्हौर, कानपुर नगर उत्तरदायी हैं।

दिनांक 16–05–2008 को नियुक्त लेखपाल, क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के विरुद्ध मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

पुलिस विभाग के अधिकारियों के संबंध में:-

उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित बिन्दु संख्या 01 भाग (a) से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-13(iv) में निष्कर्ष के बिन्दु (i), (iii), बिन्दु संख्या 01 भाग (ii) से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-14 के उप प्रस्तर-(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (ii), बिन्दु संख्या 01 भाग (iii) से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-14(06) के उप प्रस्तर-(04) के निष्कर्ष के बिन्दु, बिन्दु संख्या 02 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-15 के उप प्रस्तर-(04) के निष्कर्ष के बिन्दु (ii) एवं बिन्दु संख्या 03 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-16 के उप प्रस्तर-(04) के निष्कर्ष के बिन्दु (i) एवं बिन्दु संख्या 10 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-23 में निष्कर्ष के बिन्दु (2) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

राजस्व विकास तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के संबंध में:-

उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित बिन्दु संख्या 01 भाग (ii) से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-14 के उप प्रस्तर-(04) में निष्कर्ष के बिन्दु (i), बिन्दु संख्या-02 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-15 के उप प्रस्तर-(04) के निष्कर्ष के बिन्दु (iii), बिन्दु संख्या 03 से संबंधित तथ्य जो जाँच आख्या के प्रस्तर-16 के उप प्रस्तर-(04) के निष्कर्ष के बिन्दु (ii) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(स) **विकास दुबे एवं उसके गैंग के सदस्यों द्वारा प्राप्त किये गए शस्त्र लाइसेंस में प्राप्त अनियमितताओं, असत्य शपथ पत्र दिए जाने, अभिलेखों में कूटकरण किए जाने के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति:-**

(i) शस्त्रधारक विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरु कस्बा व थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के शस्त्र लाइसेंस नं.-169 कानपुर नगर की शस्त्र पत्रावली को वर्ष 2008 मे विनिष्ट किये जाने की आख्या प्राप्त हुयी है, जबकि अन्य सभी शस्त्र फाईलों की शैडो कापी प्राप्त है। अतः उक्त शस्त्र लाईसेंस के प्रपत्रों के अप्राप्त व गुम होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित शस्त्र लिपिक, कानपुर नगर के विरुद्ध धारा 409 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर-19 के उप प्रस्तर-05 में निष्कर्ष के बिन्दु (i) में अंकित हैं)**

632

(मु.अ.सं.: 300/2020, धारा–409, भादवि, थाना कोतवाली, कानपुर नगर, दिनांक 13–10–2020 को पंजीकृत हुआ – एस.आई.टी. द्वारा विचार–विमर्श उपरांत यह मत स्थिर हुआ कि उपर्युक्त अभियोग की विवेचना तत्काल सी.बी.सी.आई.डी. से कराने की प्रबल संस्तुति की जाती है।)

(ii) रामकुमार दुबे पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम विकरू थाना शिवली कानपुर देहात, वर्तमान निवास ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर का शस्त्र लाईसेंस संख्याः 8351, दिनांक 28–12–1992 बनवाने/तैयार किये जाने के दौरान असत्य शपथ पत्र व तथ्यों को छिपाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु** (ii) **में अंकित हैं)**

(iii) दीपक उर्फ दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम बिकरु कस्बा व थाना शिवली, कानपुर देहात के शस्त्र लाइसेंस नं.–8457, दिनांक 01–09–1997 को बनवाने के दौरान अपराधिक इतिहास संबंधी तथ्यों को छिपाने, असत्य शपथ पत्र दिए जाने, शस्त्र का दुरुपयोग किये जाने व अभिलेखों में कूटरचना किये जाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु** (iii) **में अंकित हैं)**

(iv) दीपक उर्फ दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम बिकरु कस्बा व थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के शस्त्र लाइसेंस नं.–851, दिनांक 06–02–2010 के दौरान असत्य शपथ पत्र दिए जाने, अभिलेखों में कूटरचना किये जाने, अपराधिक इतिहास छिपाते हुये थाना कृष्णानगर लखनऊ से अपना शस्त्र मुक्त कराये जाने के अपराध मे थाना कृष्णानगर लखनऊ में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु** (iv) **में अंकित हैं)**

(v) अंजली दुबे पत्नी दीपक दुबे निवासी ग्राम बिकरु कस्बा व थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा लाइसेंस नं.–748, दिनांक 26–06–2008 को असत्य शपथ पत्रों, तथ्यों को छिपाये जाने एंव कूटरचना कर शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति कराने के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु** (viii) **में अंकित हैं)**

(vi) जयकान्त बाजपेई पुत्र लक्ष्मीकान्त बाजपेई निवासी ब्रह्मनगर थाना नजीराबाद कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–294, दिनांक 19–01–2008 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने, तथ्यों को छिपाये जाने एंव कूटरचना कर शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति कराने के अपराध के सम्बन्ध में थाना बजरिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (ix) में अंकित हैं)**

(vii) विष्णुपाल उर्फ जिलेदार पुत्र देवी प्रसाद निवासी सुज्जा निवादा, थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–793, दिनांक 28–09–2009 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने व तथ्यों को छिपाते हुये शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति कराने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xi) में अंकित हैं)**

(viii) अमित उर्फ छोटे बउआ पुत्र भगवती प्रसाद दुबे निवासी कंजटी थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–729, दिनांक 20–02–2008 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने, तथ्यों व अपराधिक इतिहास छिपाने एंव शस्त्र का दुरुपयोग किए जाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xii) में अंकित हैं)**

(ix) दिनेश कुमार पुत्र कैलाश नाथ निवासी देवकली कंजटी थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–807, दिनांक 11–09–2008 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने, तथ्यों को छिपाये जाने, अपराधिक इतिहास छिपाने, शस्त्र का दुरुपयोग किए जाने एवं शस्त्र बनवाए जाने हेतु प्रपत्रों में कूटरचना किए जाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xiv) में अंकित है)**

(x) रवीन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी बिकरु थाना चौबेपुर तहसील बिल्हौर कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–792, दिनांक 11–02–2009 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने, तथ्यों को छिपाये जाने एवं अपराधिक इतिहास छिपाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xv) में अंकित हैं)**

634

(xi) अखिलेश कुमार पुत्र विमल प्रकाश निवासी कंजटी थाना चौबेपुर तहसील बिल्हौर कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–740, दिनांक 15–05–2008 के आवेदन पत्र में कूटरचना किए जाने, तथ्यों को छिपाये जाने एवं अपराधिक इतिहास छिपाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xvi) में अंकित हैं)**

(xii) आशुतोष त्रिपाठी उर्फ शिव त्रिपाठी पुत्र दिनेश त्रिपाठी निवासी ग्राम बसेन थाना चौबेपुर, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं. –749, दिनांक 25–05–2008 के आवेदन पत्र में शपथ पत्र का उल्लंघन करने, शस्त्र के दुरुपयोग के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xvii) में अंकित हैं)**

(xiii) अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन पुत्र राम विलास निवासी कस्बा रुरा थाना रुरा कानपुर देहात द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–754, दिनांक 23–06–2008 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने, तथ्यों एवं अपराधिक इतिहास छिपाने, शस्त्र का दुरुपयोग करने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xviii) में अंकित हैं)**

(xiv) कंचन त्रिवेदी पत्नी गुड्डन त्रिवेदी निवासी ग्राम कोडवा थाना शिवली तहसील अकबरपुर कानपुर देहात द्वारा शस्त्र लाइसेंस नं.–9819, दिनांक 23–01–2008 के आवेदन पत्र में असत्य शपथ पत्र देने, तथ्यों व पति कंचन त्रिवेदी उर्फ गुड्डन का अपराधिक इतिहास छिपाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 06 से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–19 के उप प्रस्तर–05 में निष्कर्ष के बिन्दु (xix) में अंकित हैं)**

(xv) अभियुक्त जयकान्त बाजपेई द्वारा वर्ष 2012 व वर्ष 2016 में पासपोर्ट बनवाये जाने की प्रक्रिया में असत्य शपथ पत्र दिये जाने, तथ्यों को छिपाने, अपराधिक इतिहास की सूचना न देने एवं विभिन्न वोटर आईडी कूटरचना कर प्रयोग किये जाने के अपराध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। **(बिन्दु संख्या 10 पासपोर्ट से संबंधित तथ्य जो प्रस्तर–23 में निष्कर्ष के बिन्दु (1) में अंकित हैं)**

635

(द) **अभियुक्त विकास दुबे व उसके सहयोगी सदस्यों द्वारा अपराध कारित किये जाने व अपनी पहचान छिपाये जाने हेतु विभिन्न मोबाइल नम्बरों का प्रयोग किया, जिनमें संलग्न आई.डी. में तथ्यों को छिपाने एवं असत्य प्रपत्रों के आधार पर सिम प्राप्त करने का अपराध कारित किया, जिसके परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है:–**

(i) राम सिंह पुत्र छोटे लाल, निवासी मदारी पुरवा, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर–9140351901 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. संतराम पुत्र बनवारी लाल, पता दिलीप नगर पुरा बुजुर्ग शिराजपुर भूजा, कानपुर नगर की संलग्न है।

(ii) मोनू पुत्र प्रेम प्रकाश पाण्डेय, निवासी ग्राम बिकरु शिवराजपुर, पोस्ट कंजिटी, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–9335299629 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. शशीकांत पाण्डेय पुत्र प्रेम कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम बिकरु शिवराजपुर, पोस्ट कंजिटी, जिला कानपुर नगर की संलग्न है।

(iii) अरविन्द त्रिवेदी उर्फ गुड्डन पुत्र श्री राम बिलास, निवासी कस्बा व थाना रुरा कानपुर देहात के द्वारा मोबाइल नम्बर–9721815010 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. संतोष कुमार निवासी मकान नम्बर–116 मोहल्ला काशीपुर, जिला कानपुर की संलग्न है।

(iv) रिचा दुबे पत्नी विकास दुबे, निवासी ग्राम बिकरु, पोस्ट कंजिटी, थाना चौबेपुर कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–7317771173 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. महेश पुत्र भरत प्रसाद, निवासी निगोहा मऊ की संलग्न है।

(v) राजू बाजपेई, पता एम.आई.जी. 152 सूर्य बिहार खैरा नवाबगंज, कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–9935751111 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. दीपक बाजपेई पुत्र श्री रमेश चन्द्र बाजपेई, निवासी एम.आई.जी. 152, सूर्य बिहार खैरा नवाबगंज, जिला कानपुर नगर की संलग्न है।

(vi) शिव तिवारी उर्फ आशुतोष त्रिपाठी पुत्र दिनेश त्रिपाठी उर्फ तिवारी, पता ग्राम बिकरु, पोस्ट कंजिटी, थाना चौबेपुर कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–9651969080 प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. मनीष यादव पुत्र प्रहलाद यादव 47 मलेप हरसेनपुर की संलग्न है।

636

(vii) शान्ती देवी पत्नी रमेश चन्द्र निवासी ग्राम बिकरु थाना चौबेपुर कानपुर नगर द्वारा मोबाइल नम्बर–7887284987 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. जयराम पुत्र मुंशी लाल, पता 71 अमरोहिया रसूलाबाद की संलग्न है।

(viii) श्रीमती खुशी पत्नी अमर दुबे, निवासी ग्राम बिकरु थाना चौबेपुर कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–9795225977 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. गायत्री तिवारी पुत्री श्याम लाल पता ईडब्लूएस 66/1550 ईडब्लूएस 66/1550, पनकी गंगागंज रतनपुर कालोनी की संलग्न है।

(ix) श्रीमती रेखा अग्निहोत्री पत्नी दयाशंकर अग्निहोत्री, निवासी ग्राम बिकरु थाना चौबेपुर कानपुर नगर के द्वारा मोबाल नम्बर–9119839183 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. क्षमा देवी पत्नी संजय, ग्राम बिकरु, पोस्ट कंजिटी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर की संलग्न है।

(x) विष्णुपाल उर्फ जिलेदार पुत्र देवी प्रसाद, निवासी ग्राम सुज्जा नेवादा तहसील बिल्हौर थाना चौबेपुर कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–9648122200 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. चन्द्रपाल यादव पुत्र अज्ञात, निवासी फ्लैट नम्बर–85, नियर खजूर का पेड़ सुरेन्द्र नगर, रावतपुर गांव, जिला कानपुर की संलग्न है।

(xi) दीपक उर्फ दीप प्रकाश उर्फ दीपू पुत्र राम कुमार, निवासी ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के द्वारा मोबाइल नम्बर–9794772642 का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि कस्टमर आई.डी. दया अग्निहोत्री पुत्र श्याम नारायन अग्निहोत्री, ग्राम बिकरु, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर की संलग्न है।

LIST OF CALL DETAILS

Sr. No	Caller		Receiver		Date From	Date to	No. of Calles
	Name	Mobile No.	Name	Mobile No.			
1.	Sri Anant Dev	6306833677	Jaykant Bajpai	9336249793	09/03/2020	04/07/2020	4
2.	Jaykant Bajpai	9336249793	Sri Anant Dev	6306833677	09/03/2020	04/07/2020	15
3.	Sri Ram Siromani	9454516416 8299763852	Arvind Trivedi @ Guddan	9721815010	07/05/2020	07/09/2020	2
4.	Arvind Trivedi @ Guddan	9721815010	Sri Ram Siromani	9454516416 8299763852	07/05/2020	07/09/2020	12
5.	Sri R.K. Chturvedi	9454401456 9454408151	Jaykant Bajpai	9336243929 9336341715	05/7/2020	29/11/2020	6
6.	Jaykant Bajpai	9336243929 9336341715	R.K. Chturvedi	9454401456 9454408151	05/7/2020	29/11/2020	7
7.	Sri Ram Murti Yadav	9454403713	Jaykant Bajpai	9336243929	19/07/2020	27/09/2020	29
8.	Jaykant Bajpai	9336243929	Sri Ram Murti Yadav	9454403713	19/07/2020	27/09/2020	1
9.	Vinay Tiwari	8707384696	Vikas Dubey	9336306438	-	-	1
10.	Vinay Tiwari	8707384696	Deepak Bajpai	9935751111	26/01/2020	28/06/2020	21
11.	Deepak Bajpai	9935751111	Vinay Tiwari	8707384696	26/01/2020	28/06/2020	49
12.	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	Sri Vinay Tiwari	9454403722	04/09/2020		1
13.	K.K. Sharma	9557765661	Vikas Dubey	9336306438	03/05/2020	02/07/2020	4
14.	Vikas Dubey	9336306438	K.K. Sharma	9557765661	03/05/2020	02/07/2020	7
15.	K.K. Sharma	9557765661	Ram Singh	9140351901	24/03/2020	03/07/2020	49
16.	Ram Singh	9140351901	K.K. Sharma	9557765661	24/03/2020	03/07/2020	58
17.	K.K. Sharma	9557765661	Amar Dubey	9936173286	08/04/2020	02/07/2020	20
18.	Amar Dubey	9936173286	K.K. Sharma	9557765661	08/04/2020	02/07/2020	62
19.	K.K. Sharma	9557765661	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	07/05/2020	01/07/2020	3
20.	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	Sri K.K. Sharma	9557765661	07/05/2020	01/07/2020	6
21.	K.K. Sharma	9557765661	Shivam Dubey	8957595813	12/05/2020		1
22.	Sri K.K. Sharma	9557765661	Heeru @ Dharmendra Kr. Dwivedi	6386429337	28/04/2020	30/06/2020	1
23.	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri K.K. Sharma	9557765661	28/04/2020	30/06/2020	2
24.	Vikas Dubey	9336306438	Sri Kuwar Pal	9452465560	20/01/2020	13/02/2020	1
25.	Sri Kuwar Pal	9452465560	Vikas Dubey	9336306438	20/01/2020	13/02/2020	1
26.	Sri Kuwar Pal	9452465560	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	14/09/2020	08/05/2020	8
27.	Amar Dubey	9936173286	Sri Kuwar Pal	9452465560	12/11/2019	17/11/2019	3

28.	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Kuwar Pal	9452465560	06/12/2019	19/01/2020	4
29.	Aman Tiwari	9965765021	Sri Kuwar Pal	9452465560	07/02/2020		1
30.	Bal Govind	7390907120	Sri Kuwar Pal	9452465560	28/06/2020		1
31.	Sri Azhar Ishrat	7905265088	Shivam Dubey	8957595813	27/05/2020	04/06/2020	3
32.	Shivam Dubey	8957595813	Azhar Ishrat	7905265088	27/05/2020	04/06/2020	1
33.	Sri Azhar Ishrat	7905265088	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	16/08/2019	14/03/2020	5
34.	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Azhar Ishrat	7905265088	16/08/2019	14/03/2020	8
35.	Azhar Ishrat	7905265088	Amar Dubey	9936173286	01/08/2019	15/03/2020	2
36.	Amar Dubey	9936173286	Azhar Ishrat	7905265088	01/08/2019	15/03/2020	8
37.	Sri Azhar Ishrat	7905265088	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	30/06/2020		1
38.	Vishwanath Mishra	9721301605	Vikas dubey	9336306438	04/03/2020		1
39.	Vikas dubey	9336306438	Vishwanath Mishra	9721301605	04/03/2020		1
40.	Sri Vishwanath Mishra	9721301605	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	29/01/2020	26/03/2020	16
41.	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Vishwanath Mishra	9721301605	29/01/2020	26/03/2020	7
42.	Vishwanath Mishra	9721301605	Amar Dubey	9936173286	03/05/2020		1
43.	Amar Dubey	9936173286	Vishwanath Mishra	9721301605	03/05/2020		1
44.	Ram Singh	9140351901	Vishwanath Mishra	9721301605	03/05/2020	10/05/2020	3
45.	Sri Vishwanath Mishra	9721301605	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	17/02/2020	20/02/2020	3
46.	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	Sri Vishwanath Mishra	9721301605	17/02/2020	20/02/2020	1
47.	Deewan Singh	9756100049	Ram Singh	9140351901	28/05/2020	02/07/2020	6
48.	Ram Singh	9140351901	Deewan Singh	9756100049	28/05/2020	02/07/2020	5
49.	Layak Singh	6388115189	Viks Dubey	9336306438	06/04/2020	22/06/2020	2
50.	Viks Dubey	9336306438	Layak Singh	6388115189	06/04/2020	22/06/2020	13
51.	Layak Singh	6388115189	Ram Singh	9140351901	30/01/2020	30/06/2020	9
52.	Ram Singh	9140351901	Layak Singh	6388115189	30/01/2020	30/06/2020	4
53.	Layak Singh	6388115189	Aman Tiwari	9935765021	06/03/2020	15/03/2020	1
54.	Aman Tiwari	9935765021	Layak Singh	6388115189	06/03/2020	15/03/2020	2

55.	Layak Singh	6388115189	Sanjay Dubey	9119839183	24/12/2019	20/03/2020	3
56.	Sanjay Dubey	9119839183	Layak Singh	6388115189	24/12/2019	20/03/2020	3
57.	Rajeev Kumar	9402822222	Vikas Dubey	9336306438	13/03/2020	03/07/2020	11
58.	Vikas Dubey	9336306438	Rajeev Kumar	9402822222	13/03/2020	03/07/2020	14
59.	Sri Rajeev Kumar	9402822222	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	13/03/2020	18/06/2020	10
60.	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Rajeev Kumar	9402822222	13/03/2020	18/06/2020	10
61.	Alok Pandey	8400203408	Vikas Dubey	9336306438	20/12/2019	18/03/2020	5
62.	Vikas Dubey	9336306438	Alok Pandey	8400203408	20/12/2019	18/03/2020	17
63.	Alok Pandey	8400203408	Aman Tiwari	9935765021	03/03/2020	12/03/2020	1
64.	Aman Tiwari	9935765021	Alok Pandey	8400203408	03/03/2020	12/03/2020	1
65.	Sri Alok Pandey	8400203408	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	19/01/2020		3
66.	Ramlakhan	8787002570	Vikas Dubey	9336306438	19/01/2020	20/04/2020	3
67.	Vikas Dubey	9336306438	Sri Ramlakhan	8787002570	19/01/2020	20/04/2020	1
68.	Ramlakhan	8787002570	Aman Tiwari	9935765021	13/03/2020	29/06/2020	4
69.	Ramlakhan	8787002570	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	19/01/2020		2
70.	Amit Katiyar	9415727134	Sanjay Dubey	9119899183	04/06/2020		1
71.	Sanjay Dubey	9119899183	Amit Katiyar	9415727134	04/06/2020		3
72.	Sri Amit Katiyar	9415727134	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	16/08/2020		1
73.	Amit Katiyar	9415727134	Gopal Saini	7891574941	22/01/2020		1
74.	Amit Katiyar	9415727134	Deepak Bajpai	9935751111	14/09/2020		1
75.	Sri Amit Katiyar	9415727134	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	16/08/2019	29/02/2020	1
76.	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	Sri Amit Katiyar	9415727134	16/08/2019	29/02/2020	5
77.	Pradeep Mishra	8317020548	Vikas Dubey	9336306438	27/04/2020		1
78.	Pradeep Mishra	8317020548	Aman Tiwari	9935765021	06/06/2020	29/06/2020	1
79.	Aman Tiwari	9935765021	Sri Pradeep Mishra	8317020548	06/06/2020	29/06/2020	4
80.	Pradeep Mishra	8317020548	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	25/06/2020	30/06/2020	1
81.	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	Sri Pradeep Mishra	8317020548	25/06/2020	30/06/2020	1
82.	Sri Prashant Kumar Singh	6394191146	Vikas Dubey	9336306438	17/02/2020	04/03/2020	2
83.	Vikas Dubey	9336306438	Sri Prashant Kumar Singh	6394191146	17/02/2020	04/03/2020	1

84.	Gopal Saini	7891574941	Sri Prashant Kumar Singh	6394191146	29/10/2019		2
85.	Sri Prashant Kumar Singh	6394191146	Aman Tiwari	9935765021	01/04/2020	17/07/2020	1
86.	Aman Tiwari	9935765021	Sri Prashant Kumar Singh	6394191146	01/04/2020	17/07/2020	10
87.	Sri Prashant Kumar Singh	6394191146	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	23/10/2019		1
88.	Sri Abhishek Kumar	8887569297	Deepak Bajpai	9935751111	25/09/2019	22/06/2020	24
89.	Deepak Bajpai	9935751111	Sri Abhishek Kumar	8887569297	25/09/2019	22/06/2020	33
90.	Sri Abhishek Kumar	8887569297	Santosh Kumar	9198667067	24/01/2020	11/06/2020	12
91.	Santosh Kumar	9198667067	Sri Abhishek Kumar	8887569297	24/01/2020	11/06/2020	25
92.	Sri Abhishek Kumar	8887569297	Seram Singh	9140351901	28/05/2020		2
93.	Sri Abhishek Kumar	8887569297	LC Sarita	8600459504	19/11/2019	11/05/2020	2
94.	LC Sarita	86000459504	Sri Abhishek Kumar	8887569297	19/11/2019	11/05/2020	8
95.	Sri Vikas Kumar	7983986728	Ram Singh	9440351901	07/04/2020	22/06/2020	4
96.	Ram Singh	9440351901	Sri Vikas Kumar	7983986728	07/04/2020	22/06/2020	11
97.	Sri Vikas Kumar	7983986728	Amar Dubey	9936173286	03/05/2020	25/06/2020	10
98.	Amar Dubey	9936173286	Sri Vikas Kumar	7983986728	03/05/2020	25/06/2020	6
99.	Sri Bhupendra Singh Raathi	9519979799	Arvind Triviedi	9721815010	07/08/2019	03/01/2020	4
100	Arvind Triviedi	9721815010	Sri Bhupendra Singh Raathi	9519979799	07/08/2019	03/01/2020	23
101	Sri Gopi Krishna Agrawal	8317020548	Vikas Dubey	9336306438	27/04/2020		1
102	Sri Gopi Krishna Agrawal	8317020548	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	25/06/2020	30/06/2020	1
103	Sri Bikesh Babu	8009303435	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	18/08/2019	28/08/2019	3
104	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	Sri Bikesh Babu	8009303435	18/08/2019	28/08/2019	2
105	Sri Bikesh Babu	8009303435	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	19/08/2020		1

106	Sri Ashok Kumar	7054131206	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	26/11/2020		4
107	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Ashok Kumar	7054131206	26/11/2020		4
108	Sri laxman Singh	9756798554	Arvind Trivedi	9721815010	04/01/2020	27/01/2020	9
109	Arvind Trivedi	9721815010	Sri laxman Singh	9756798554	04/01/2020	27/01/2020	5
110	Sri Neeraj Kumar	8800516352	Ram Singh	9440351901	19/04/2020	22/06/2020	7
111	Ram Singh	9440351901	Sri Neeraj Kumar	8800516352	19/04/2020	22/06/2020	12
112	Sri Neeraj Kumar	8800516352	Amar Dubey	9936173286	17/04/2020	25/06/2020	4
113	Amar Dubey	9936173286	Sri Neeraj Kumar	8800516352	17/04/2020	25/06/2020	5
114	Sri Jay Prakash	9587826693	Vikas Dubey	9336306438	04/03/2020		1
115	Sri Jay Prakash	9587826693	Amar Dubey	9936173286	05/04/2020	03/05/2020	1
116	Amar Dubey	9936173286	Sri Jay Prakash	9587826693	05/04/2020	03/05/2020	7
117	Sri Jay Prakash	9587826693	Deepak Bajpai	9935751111	02/11/2019	20/03/2020	1
118	Deepak Bajpai	9935751111	Sri Jay Prakash	9587826693	02/11/2019	20/03/2020	5
119	Sri Jay Prakash	9587826693	Jiledar @ Chandrapal Yadav	9648122200	23/08/2020		2
120	Sri Yogesh Kumar	9568627858	Amar Dubey	9936173286	10/04/2020	29/06/2020	1
121	Amar Dubey	9936173286	Sri Yogesh Kumar	9568627858	10/04/2020	29/06/2020	7
122	Sri Yogesh Kumar	9568627858	Ram Singh	9440351901	19/04/2020	24/06/2020	2
123	Ram Singh	9440351901	Sri Yogesh Kumar	9568627858	19/04/2020	24/06/2020	5
124	Sri Lavkush	8979277653	Ram Singh	9440351901	03/04/2020	12/06/2020	6
125	Ram Singh	9440351901	Sri Lavkush	8979277653	03/04/2020	12/06/2020	5
126	Sri Lavkush	8979277653	Amar Dubey	9936173286	21/04/2020	16/06/2020	14
127	Amar Dubey	9936173286	Sri Lavkush	8979277653	21/04/2020	16/06/2020	1
128	Sri Rajbeer	8400189980	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	24/08/2019	19/05/2020	5
129	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Rajbeer	8400189980	24/08/2019	19/05/2020	4

642

130	Ram Singh	9440351901	Sri Rajbeer	8400189980	20/05/2020		1
131	Sri Hardeep	8090044451	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	29/08/2019	09/05/2020	5
132	Heeru @ Dharmendra Kumar Dwivedi	6386429337	Sri Hardeep	8090044451	29/08/2019	09/05/2020	5

LIST OF MISSING FILES

Sr. No.	Case No/ Crime No	Under Sections	P.S./District	Court Name	Particular
1.	Crime No. 245/1999	3/5 U.P. Control of Goondas Act, 1970	Shivli, Kanpur Dehat	District Magistrate	State vs Vikas Dubey
2.	Crime No. 215/2017	3/5 U.P. Control of Goondas Act, 1970	Chaubepur, Kanpur Nagar	District Magistrate	State vs Vikas Dubey

NEXUS BETWEEN POLICE OFFICER AND ACCUSED VIKAS DUBEY

1. Vinay Kumar Tiwari,(S.O., P.S.- Chuabepur, Kanupur Nagar), S/o Late Shrawan Kumar Tiwari, R/o- Alwara, P.S.- Mahewa Ghat, District- Kaushambi.

2. Krisna Kumar Sharma, (S.I., P.S.- Chuabepur, Kanupur Nagar), S/o Sri Ram Kumar, R/o- Tumrail, Girgharpur, P.S.- Hafizpur, District- Hapud.

Charts of cases against Vikas Dubey

CRIMINAL HISTORY OF ACCUSED VIKAS DUBEY

Sl No.	Crime No.	Section	District	Police Station	Date of incident/ date of Info.	Bail/Parole/case status
1.	130/90	323/325/504 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	19.07.1990 08.08.1990	Decided on 02.11.1998 by ACJM-3 (Complainant hostile)
2.	219/91	323/504 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	09.09.1991 09.09.1991	Acquittal by ACJM-3 on 06.09.1996 (file not traceable)
3.	45/92	302/504/506/34 IPC 3 (10) SC ST Act	Kanpur Dehat	Shivali	17.02.1992 17.02.1992	ST No.37/93 decided by ADJ-4 on 12.05.2004. Acquittal
4.	77/92	147/148/452/323/ 504/506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	26.03.1992 26.03.1992	Acquittal by JM-1 on 16.09.1997 (file not traceable)
5.	312/92	147/323 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	01.12.1992 01.12.1992	Acquittal by JM-1 on 20.03.1997
6.	221/93	394/397/504/506 IPC	Kanpur Nagar	Shivali	02.12.1993 02.12.1993	25.02.1994. Acquittal
7.	614/93	3/25 Arms Act	Kanpur Nagar	Kakadev	05.12.1993	Acquittal (record weeded)
8.	314/93	3 (1) Gangster Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 29.12.1993	Pending in Gangster Act Court Date fixed 06.08.2020.
9.	333/96	147/148/149/307/ 323/324 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	10.06.1996 10.06.1996	ST No.546/96 decided on 12.09.2003 accused acquitted
10.	321/97	3/5 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivâli	Different dates 29.12.1993	Decided by District Magistrate on 28.08.2008.
11.	22/98	307/504 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	03.02.1998 03.02.1998	Final report (FR) filed. Acquittal
12.	29/98	147/148/149/307/ 504/342 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	13.02.1998 13.02.1998	ST No.213/99 decided by ADJ-9 on 30.10.2010 (accused acquitted)
13.	107/98	147/148/149/332 /353/324/325/504 /506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	09.05.1998 09.05.1998	Decided by ACJM-3 on 24.04.2001 (accused acquitted) Appeal No.2713/01 filed in Hon'ble High Court.
14.	188/98	147/148/149/504/ 506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	-	Acquittal.
15.	758/98	147/323/504/386 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	18.11.1998 18.11.1998	Decided on 13.02.2003 by ACMM (accused acquitted) documents provided file under trace.
16.	794/98	323/353/307 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	04.12.1998 04.12.1998	Decided on 28.05.09 by FTC (accused acquitted)
17.	795/98	323/353/307 IPC	Kanpur	Kalyanpur	04.12.1998	Decided on 28.05.09

645

			Nagar		04.12.1998	(accused acquitted)
18.	828/98 (898)	3 (1) Gagster Act	Kanpur Nagar	Kalyanpur	Different dates 22.12.1998	File not found (on bail since 27.02.99) Pending
19.	199/99	504/506 IPC	Kanpur Nagar	Kotwali	09.04.1999 10.04.1999	Compromised and decided by ACMM-1 on 14.02.03. Witness hostile.
20.	200/99	504/506 IPC	Kanpur Nagar	Kotwali	09.04.1999 10.04.1999	Compromised and decided by ACMM-1 on 14.02.03. Witness hostile.
21.	243/99	110 G CrPC	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 22.07.1999	Order passed by SDM. File under trace.
22.	245/99	3/5 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 23.07.1999	Order passed by DM. file under trace.
23.	377/99	379/506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	12.12.1999 15.12.1999	Decided by JM-1 on 05.09.2002 (witness hostile)
24.	380/99	147/148/149/323 /307/506 IPC and 4/5 EXP Act	Kanpur Dehat	Shivali	18.12.1999 18.12.1999	File not traceable in record room. Acquittal
25.	84/2000	3/5 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.04.2000	D/O 16.04.2006 DM
26.	85/2000	110 G CrPC	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.04.2000	SDM Passed Order File under trace.
27.	338/2000	10 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.11.2000	Decided on 17.12.02 Public witness hostile.
28.	336/2000	147/148/149/34/ 302 IPC 7 CLA	Kanpur Dehat	Shivali	14.11.2000 14.11.2000	ST No 253/01 decided on 14.06.2004 (Conviction) released on bail in appeal.
29.	352/2000	395 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	13.10.2000 12.12.2000	ST 25/01 decided on 26.08.2002 by ADJ 3 (No appeal filed) Acquittal.
30.	361/2000	147/148/149/302 /34/120B IPC	Kanpur Dehat	Shivali	21.12.2000 21.12.2000	ST No. 602 /01 decided on 14.08.2020 (acquittal) no appeal file.
31.	007/01	2/3 Gangster Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 08.01.2001	SST 126/01 Pending in special Judge Gangster) court. Date fixed for Evidence 06.08.2020.
32.	55/01	3 (3) NSA	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 15.04.2001	DM Order under NSA -15.04.01 Govt. approval - 21.04.2001 Advisory Board returned on 19.05.2001.

33.	143/01	147/148/149/323/ 302/427/332/ 120B IPC 7 CLA	Kanpur Dehat	Shivali	12.10.2001 12.10.2001	ST 299/02 decided on 24.06.2003 (acquittal) appeal No. 5585/2003 pending.
34.	144/01	395/397/506/283 IPC & 7 CLA	Kanpur Dehat	Shivali	12.10.2000 12.10.2000	ST 34/02 decided on 14.09.2009 by Special Judge Dacoity) (acquittal) no appeal filed.
35.	78/02	25A Act	Kanpur Dehat	Shivali	23.05.2002 24.05.2002	ST 300/02 connected with ST 299/02 decided on 24.06.2003 (acquittal) appeal no. 5585/03 in High Court.
36.	174/02	147/148/149/307/ 302/364/395/324 /506/120B IPC & 7 CLA	Kanpur Dehat	Shivali	22.10.2002 22.10.2002	ST 77/03 decided. Criminal appeal no. 7293/11and 72/96/11 in High Court.
37.	33/04	147/148/149/307/ 224/225/353 IPC & 7 CLA	Kanpur Dehat	Chaubeypur	19.02.2004 19.02.2001	On Bail date 13.09.2004 File under trace. Acquittal.
38.	78/2004	147/148/448/504/ 506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	04.02.2004 18.02.2004	Acquittal on 07.07.12 by ACMM 2 File under trace.
39.	84/2004	147/506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	15.02.2004 to 22.02.2004 in between 24.02.2004	Acquittal on 16.09.13 File under trace.
40.	125/2004	452/506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	According to application 16.03.2004	Acquittal on 21.09.13 File under trace.
41.	70/04	3/4 Goonda Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.04.2004	Case No. 24/05 decided on 29.08.05 file under trace. In RR (Criminal)
42.	71/04	302/394/307 IPC & 7 CLA	Kanpur Nagar	Barra	12.03.2004	File send to High Court on 19.09.2005 (Acquittal)
43.	146/04	3 (1) Gangster Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 25.06.2004	Case pending in Kanpur Dehat Court fixed on 15.07.2020.
44.	240/04	110 G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 18.10.2004	Proceeding stayed (No bail)
45.	273/04	307/379/448/353/ 504 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	21.12.2004 21.12.2004	Arrest stayed (no bail) Acquittal
46.	157/05	147/148/149/307 IPC (Police encounter)	Kanpur Nagar	Bilhour	10.07.2005 10.04.2005	Bail on 29.08.06 file under trace. Acquittal
47.	98/05	394/397 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	01.07.2005 01.07.2005	Bail on 02.07.18 File under trace. Acquittal.
48.	265/05	3 (1) Gangster Act	Kanpur Nagar	Bilhour	Different dates 12.08.2005	Pending in the Court of ADJ -5 FF 15.07.2020.
49.	135/06	8/15 NDPS Act	Sharanpur	Janakpuri		File under trace.

50.	361/15	110G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 24.08.2015	File under trace.
51.	610/15	147/148/149/504/ 506/323/324 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	19.12.2015 19.12.2015	File under trace.
52.	137/17	147/148/149/302/ 120B IPC & 7 CLA	Kanpur Nagar	Chaubeypur	30.04.2017 30.04.2017	Arrested from Lucknow on 31.1017 reward of Rupees 5000. Announced by Govt Proceeding stayed by High Court.
53.	142/17	323/504/506/332/ 353/307 IPC & 7 CLA	Kanpur Nagar	Shivrajpur	30.05.2017 31.05.2017	Bail on 09.03.18 File under trace. Pending
54.	193/17	110G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.06.2017	File under trace. Pending
55.	215/17	3/4 Goonda Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 25.06.2017	Charge sheet prepared on 25.06.17 but not filed before DM/ADM Pending.
56.	605/17	3/25A Act	Lucknow	Krishna Nagar		File under trace. Pending
57.	447/18	147/148/149/307 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	17.04.2018 18.04.2018	Bail on 27.10.18 by High Court case pending fixed for 26.08.20
58.	130/18	3(1) Gangster Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.06.2017	Stay by High Court Next date 15.07.20 (Accused on bail) Charge framed on 29.08.19.
59.	65/20	147/148/386/504/ 506 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Unknown 13.03.2020	Not arrested. File under trace.
60.	191/20	147/148/504/323/ 364/342/307 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	01.07.2020 02.07.2020	Investigation in progress.
61.	192/20	147/148/149/302/ 307/394 IPC & 7 CLA	Kanpur Nagar	Chaubeypur	03.07.2020 03.07.2020	Investigation in progress.
62.	196/20	3/25 Arms Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	04.07.2020 04.07.2020	Investigation in progress.
63.	197/20	4/5 EXP Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	04.07.2020 04.07.2020	Investigation in progress.
64.	221/20	224/392/307/411 IPC	Kanpur Nagar	Sachendi	10.07.2020	Accused injured in alleged police encounter and declared dead in hospital.
65.	222/20	3/25/27 Arms Act	Kanpur Nagar	Sachendi	10.07.2020	Accused injured in alleged police encounter and declared dead in hospital.

FILES OF CASES AGAINST VIKAS DUBEY NOT FOUND/UNDER TRACE

Sl No.	Crime No.	Section	District	Police Station	Date of incident/ date of Info.	Status
1.	219/91	323/504 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	09.09.1991 09.09.1991	Acquittal by ACJM-3 on 06.09.1996 **(File not traceable)**
2.	77/92	147/148/452/323/ 504/506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	26.03.1992 26.03.1992	Acquittal by JM-1 on 16.09.1997 **(File not traceable)**
3.	758/98	147/323/504/386 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	18.11.1998 18.11.1998	Decided on 13.02.2003 by ACMM (accused acquitted) (**File under trace**).
4.	243/99	110 G CrPC	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 22.07.1999	Order passed by SDM. **(File not traceable).**
5.	245/99	3/5 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 23.07.1999	Order passed by DM. **(File not traceable).**
6.	380/99	147/148/149/323 /307/506 IPC and 4/5 EXP Act	Kanpur Dehat	Shivali	18.12.1999 18.12.1999	Acquittal. **(File not traceable).**
7.	84/2000	110 G CrPC	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.04.2000	SDM Passed Order **(File not traceable).**
8.	33/04	147/148/149/307/ 224/225/353 IPC & 7 CLA	Kanpur Dehat	Chaubeypur	19.02.2004 19.02.2001	On Bail date 13.09.2004. Information not provided w.r.t. file.
9.	78/2004	147/148/448/504/ 506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	04.02.2004 18.02.2004	Acquittal on 07.07.12 by ACMM 2 **(File not traceable).**
10.	84/2004	147/506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	15.02.2004 to 22.02.2004 in between 24.02.2004	Acquittal on 16.09.13 **(File not traceable).**
11.	125/2004	452/506 IPC	Kanpur Nagar	Kalyanpur	According to application 16.03.2004	Acquittal on 21.09.13 **(File not traceable).**
12.	70/04	3/4 Goonda Act	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.04.2004	Case No. 24/05 decided on 29.08.05 In RR (Criminal) **(File not traceable).**
13.	157/05	147/148/149/307 IPC (Police encounter)	Kanpur Nagar	Bilhour	10.07.2005 10.04.2005	Bail on 29.08.06. Acquittal. Information not provided w.r.t file.
14.	361/15	110G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 24.08.2015	**(File under trace).**
15.	610/15	147/148/149/504/ 506/323/324 IPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	19.12.2015 19.12.2015	Information not provided w.r.t. file.
16.	193/17	110G CrPC	Kanpur Nagar	Chaubeypur	Different dates 07.06.2017	Pending **(File under trace).**

17.	546/96	-	Kanpur Dehat	Shivli	-	**(File not traceable)**.
18.	188/98	147/148/149/504/ 506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	-	Acquittal. **(File not traceable)**.
19.	333/96	147/148/149/307/ 323/324 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	10.06.1996 10.06.1996	ST No.546/96 decided on 12.09.2003 accused acquitted. **(File not traceable)**.
20.	338/2000	10 Goonda Act	Kanpur Dehat	Shivali	Different dates 16.11.2000	Decided on 17.12.02 Public witness hostile. **(File not traceable)**.
21.	107/98	147/148/149/332 /353/324/325/504 /506 IPC	Kanpur Dehat	Shivali	09.05.1998 09.05.1998	Decided by ACJM-3 on 24.04.2001 (accused acquitted) Appeal No.2713/01 filed in Hon'ble High Court. **(File not traceable)**.

CASES FILED BY OR AGAINST VIKAS DUBEY IN THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

Sl No	Case Number	Name of Parties	Remarks
1	Crl Revision No 530 (D) of 2005	Krishna Babu Dwivedi Vs (1) State of U P, (2) Vikas Dubey an (3) Raju Khullar @ Gyanendra Prasad Nigam	The revision was filed by the complainant/revisionist against the judgment and order of acquittal passed in ST No 754 of 2004 under Sections 302/34, 307/34 and 394 IPC & Section 7 Crl Law Amendment Act and in ST No 755 of 2004, under Section 25 and 25/27 Arms Act. This revision was connected with Government Appeal No 3681 of 2005 and 3711 of 2005 vide order dated 20.10.2005. The matter was last listed on 09.05.2008 and it was passed over due to illness of Shri Prashant Kumar Singh, Advocate for the accused Vikas Dubey. Status : **Disposed of** on 08.09.2017 (as per official website of High Court)
2	Crl Misc Application u/s 482 CrPC No 15631 of 2005	(1) Vikas Dubey (2) Shiv Singh Yadav Versus (1) The State of UP (2) Rajjan Awasthi (3) Satish Yadav	Vide order dated 25.10.2005, further proceedings in Special ST No 106 of 2005 (State Vs Vikas Dubey & Anr) under Section 394, 397 IPC **were stayed.** Vide order dated 27.11.2019, the application was **dismissed.** **(Interim protection continued for more than 14 years).**
3	Crl Misc Application u/s 482 CrPC No 8853 of 2006	Vikas Dubey & 4 Ors Vs State of UP & Anr	Vide order dated 25.07.2006, proceedings of Case No 195 of 2006 (State Vs Vikas Dubey & Ors) u/s 147, 148, 149 & 307 IPC were **stayed.** The application was **dismissed** for want of prosecution on 08.02.2019 and later on **restoredto its original number** vide order dated 01.05.2019. **(Interim protection continued for more than 13 years).**
4	Crl Misc Application u/s 482 CrPC No 7882 of 2018	Vikas Dubey Vs State of U P & Anr	Vide order dated 21.03.2018, proceedings of Case No 1127 of 2018 (State Vs Vikas Dubey) u/s 147, 148, 149, 302, 120B IPC & Section 7 Crl Law Amendment Act were **stayed** so far as accused Vikas Dubey was concerned. Vide order dated 04.04.2019, the interim order dated 21.03.2018 was vacated and the trial Judge was directed to gear up the trial as early as possible. **(Interim protection continued for one year).**

5	Crl Misc Application u/s 482 CrPC No 47004 of 2019	Vikas Dubey Vs State of U P & Anr	Vide order dated 20.12.2019, the High Court directed **not to take any coercive action against the applicant (Vikas Dubey)** in SST No 16 of 2019 (State Vs Vikas Dubey & Ors) u/s 3(1) UP Gangsters Act.
6	Crl Appeal No 1163 of 2005	State of UP Vs Vikas Dubey & 4 Ors	The appeal was filed by the State against the order dated 13.01.2005 passed by Special Judge, Gangsters Act, Kanpur Nagar in Misc Case No 47 of 2004. By the said order, the learned Judge had directed to give possession of the property attached, to Vikas Dubey etc. on fulfilling certain conditions. Vikas Dubey also filed Crl Appeal No 712 of 2005 which was allowed vide order dated 17.02.2005 by Hon'ble High Court and the trial court was directed to expedite disposal of the case. Vide order dated 21.07.2005, Crl Appeal was **dismissed** and the trial court was directed to expedite the trial, if possible, within three months.
7	Government Appeal No 2713 of 2001	State of UP Vs Vikas Dubey & Ors	The appeal was filed against the judgment and order of acquittal dated 24.04.2001 passed in ST No 1575 of 1978 (State Vs Vikas Dubey & Ors) u/s 147, 148, 224, 225, 332, 353, 504, 506 (2) IPC. The case was last listed on 03.10.2020 for admission alongwith Lower Court Record.
8	Habeas Corpus WP No 36984 of 2004	Vikas Dubey (in Jail) Vs Union of India & Ors	The Court found that the impugned detention order was against the law and the petition was **allowed** vide order dated 19.11.2004 and the respondents were directed to set the petitioner at Liberty.
9	Crl Misc WP No 12648 of 2005	Vikas Dubey Vs State of UP & Ors	The petition was filed to quash the order dated 29.08.2005 of ADM (F/R) Kanpur Nagar in Case Crime No 24 of 2005 under Section ¾ Goonda Act and order dated 28.11.2005 of Commissioner, Kanpur Range, Kanpur in Appeal No 225 of 2005. Vide order dated 14.12.2005, the operation of the impugned orders dated 29.08.2005 and 28.11.2005 was stayed. The petition was **dismissed** vide order dated 04.09.2018. **(Interim protection continued for about 13 years).**

10	Crl Misc WP No 1307 of 2005	Vikas Dubey & Anr Vs State of UP & Ors	The petition was filed to stay the arrest of petitioners in Case Crime No 273 of 2004 under section 379, 448, 307, 504, 353 IPC. The arrest of the petitioners was **stayed** vide order dated 09.02.2005 and the stay order dated 09.02.2005 was **vacated** vide order dated 07.12.2006. **(Interim protection continued for more than one and half year).**
11	Crl Misc WP No 8379 of 2005	Vikas Dubey & Ors Vs State of UP & Ors	The petition was filed for quashing the FIR registered under Sections 147, 148, 149, 307 IPC in Case Crime No 157 of 2005. Another petition being **Crl Misc WP No 8378 of 2005** was also filed by the same petitioners with the same prayer in Case Crime No 98 of 2005, under Sections 394, 397 IPC. Both the petitions were heard together and vide order dated 10.08.2005, the High Court passed the order staying the arrest of petitioners in both the petitions. Petitions were disposed of.
12	Crl Appeal No 3188 of 2004	Deepu Dubey, **Vikas Dubey**& Anr Vs State of UP	The appeal was filed against the judgment and order of conviction of life imprisonment dated 14.06.2004 passed by the District and Sessions Judge, Kanpur Dehat in ST No 253 of 2001 and ST No 253-A of 2001 under Sections 147, 148, 149, 302/34 IPC and Section 7 Crl Law Amendment Act. The appeal was **admitted and notices were issued on 16.06.2004 and accused were released on bail on the same date. No reasons were recorded. Government Advocate was not heard. Section 389 CrPC violated.Mere mention that the accused was on bail during trial and hence was entitled for bail is not in consonance with law, for the reason that presumption of innocence disappears if a person gets convicted by the trial court. The order passed by the High Court can, by no means, be justified.**
13	Government Appeal No 5585 of 2003	State of UP Vs Atul Dubey, **Vikas Dubey** & Ors	The appeal was file against the judgment and order of **acquittal** dated 24.06.2003 passed by Sessions Judge, Kanpur Dehat in ST Nos 197/2, 198/2, 299/2, 300/2, under Sections 147, 148, 149, 302, 323, 332, 427, 506, 120-B IPC and Section 7 Crl Law Amendment Act as also Section 25 Arms Act.

			The **leave to appeal was refused** by order dated 30.04.2008 passed by the High Court. **(The trial court observed that the case was not properly investigated from the very beginning, some police personnel of PS Sheoli were also made accused but their role in view of Section 106 of the Indian Evidence Act was not discussed. The High Court in its order discussed only with regard to murder of Ajai Mishra inside the police station while refusing the leave to appeal and did not discuss evidence with regard to murder of Santosh Shukla, who was the Chairman, Contract Labour Board, having the status of Minister of State. The facts and circumstances of the case warranted de novo trial but no heed was paid to this legal aspect.)** **The driver and gunner of Mr. Santosh Shukla (deceased) were government employees. They turned hostile during trial. No action was taken against them. The State did not file any SLP before the Hon'ble Supreme Court against the said order of the High Court.**
14	Crl Misc Bail Application No 14704 of 2018	Vikas Dubey (in Jail) Vs State of UP	The bail application was filed seeking bail in Case Crime No 137/2017, under Sections 302, 147, 148, 149, 120-B IPC and Section 7 Crl Law Amendment Act. The **accused was granted bail** vide order dated 30.04.2018 imposing certain conditions.
15	Crl Misc Bail Application No 32338 of 2018	Vikas Dubey (in Jail) Vs State of UP	The bail application was filed seeking bail in Case Crime No 130 of 2018 under Sections 3(1) Gangsters Act. The **accused was granted bail** vide order dated 26.08.2019 imposing certain conditions.
16	Crl Misc Application u/s 482 CrPC No 42729 of 2018	Vikas Dubey Vs State of UP & Anr	The application was filed for quashing charge sheet dated 12.10.2018 in Case Crime No 447 of 2018 under Sections 120-B, 307, 506 IPC and cognizance order dated 20.10.2018 passed by ACMM II, Kanpur Nagar. Vide order dated 14.12.2018, the State was directed to file reply and the petitioner was given liberty to approach trial court for bail.

			The application was last listed on 30.01.2019 and due to illness of counsel for the petitioner, the same was directed to be listed on 25.02.2019.
17	Crl Misc WP No 10823 of 2017	Vikas Dubey & Anr Vs State of UP & Ors	The petition was filed for quashing the FIR registered as Case Crime No 142 of 2017 under Sections 332, 353, 323, 307, 504, 506 IPC and Section 7 Crl Law Amendment Act. The High Court, vide order dated 12.06.2017, **finally disposedof** the petition directing the petitioners to appear before the court below within 30 days and apply for bail which was directed to be heard and disposed of expeditiously, if possible, on the same day.
18	Crl Misc WP No 283 of 2016	Dinesh Diwari, **Vikas Dubey** & Ors Vs State of UP & Ors	The petition was filed for quashing the FIR registered as Case Crime No 610 of 2015 under Sections 147, 148, 149, 504, 506, 323, 307 IPC. The High Court, vide order dated 08.01.2016, **finally disposedof** the petition with a direction to the petitioners to appear before the court below within two weeks and apply for bail which was directed to be considered and decided in view of the settled law in **Amrawati Vs State of UP** and **Lal Kamlendra Pratap Singh Vs State of UP.**

655

Transcript of call recordings contained in mobile phone of CO Devendra Mishra submitted by his wife Aaha Mishra alongwith FSL report

शहीद देवेन्द्र मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, बिल्हौर द्वारा की गई बातचीत की रिकार्डिंग

दिनांक 02/07/2020 23:18 पीएम
ऑडियो रिकार्डिंग

जय हिन्द यार ये एक जो है जब से तिवारी जी चौबेपुर पहुँचे तबसे विकास दुबे की हिम्मत बढ़ गयी है । बीच में किसी के साथ मार–पीट किसी के साथ किया और आज किसी के साथ अपहराण करने की कोशिश किया उसे शायद बंद रखा उसे मारा पीटा। तो आकर यहॉ एफ0आई0आर कराने आया। इसने मुझसे कहा वे 364 और मारपीट 342 की तहरीर दे रहा है। मुकदमा लिख दो । मैं कहा हॉ वह अपराधी है मुकदमा लिखने में क्या आपत्ति है एस0पी0आर0ऐ0 को बता दीजिए।

जी।

एस0पी0आर0ऐ0 फोन आया तौ मैंने कहा बहुत बड़ा अपराधी है इसके 54, 55 मुकदमा है और ये थाने में हत्या किया था। शिवली थाने में आपको मालूम होगा ।

जी जी।

शिवली थाने में हत्या किया था तो बोले ऐसे कोई धारा कम नहीं होना चाहिए मुकदमें में। उन्होंने एस0पी0आर0ऐ0 के सामने एस0एस0पी0 को बताया दिया एस0एस0पी0 ने इसको हौका होगा कि जाकर इसकी गिरफ्तारी करिए जब गिरफ्तारी ये वर्दी पहनकर उसके पैर छूता है।

अरे।

हॉ आपको नहीं मालूम पैर छूता एक बार मैंने इससे कहा कि उस अपराधी से मार्डर ना करवा देना तुम अपने यहा दो – चार मार्डर। तो बोले ऐसा है साहब अपराधी अपरधियों की सूचना देता है बढ़िया ईनामी कुछ न कुछ करवा देगा। मैंने कहा तो ..कई लोग बैठे थे उनके सामने की बात है। तब मैने कहा तुमसे बातें करना गुनाह है। अब आज मुझसे कह रहा है कि आप साहब आ जाईये चलिये गिरफ्तारी में। इसका मतलब ये है कि कल मैं कहूँ कि सीओ साहब आये थे मैं थोड़े ही आया था गिरफ्तारी के लिए सीओ।

हॉ हॉ

अपना बचाव के लिए। अपने बचाव के लिए ।

मैंने एस0 ओ0 शिवराजपुर को भिजवा दिया है।

ठीक बात है

और मुझे बार–बार

मुझे बताना मैं भी चला जाउँगा

नहीं नही मैं आधी दूर आ गया हूँ। ऐसा नहीं है हम चौबेपुर के दो –तीन किलोमीटर पहले हैं।

जी जी

657

लेकिन मुझे एस0पी0आर0ऐ0 ने तो कहा नहीं और न ही एस0एस0पी साहब ने कहा है। मैंने उसको बता दिया है शिवराजपुर एस0ओ0 को। वो पहुँच गया । बताओ हम क्या करे आप बताए।

कहा नहीं तो कोई गिरफ्तारी में जाने आपकी की कोई आवश्यकता थोड़े हैं। ये ऐसा कोई थोड़े है और कोई जरूरत होगी यहॉ नहीं मिला वहॉ नहीं मिला तो और फोर्स की जरूरत होगी तो हम लोग जायेंगे और फोर्स जायेगा।

बताओ इसलिए मैं आपसे सलाह लिया हैं नहीं तो मै चला खुद जाउँ। भगा तो दिया होगा उसको।

आप थाने तक चले जाये ।

हॉ तो थाने तक मै जा रहा हॅं।

थाने जाईये घर जाने की जरूरत नहीं ।

थाने तक मैं जा रहा हूॅ। मान लो कहे चलो साथ में तब

नहीं नहीं साथ में जाने की जरूरत नहीं

वे क्यो कहेंगे आप जाये । हम यहॉ बैठे हैं ठीक है।

और उनसे पूछ लो कि दबिश अभी गई की नहीं गई।

कोई आपका इंतजार क्यों करें। जाकर दबिश दे।

जी शिवराजपुर एस0ओ0 पहुॅच गये।

दोनों लोग जाकर फोर्स की दबिश दे।

मान ले कहे एस पी से सी0ओ0 साहब मना कर दिये आने के लिए।

मना करने की कोई बात नहीं जब ये निकल जाये तब आप पहुॅचे थाने।

बात ये है कि नया –नया कप्तान आया हैं उनसे उल्टे सीधे कहने लगे कि साहब हमने उनको बुलवाया उनसे पूछ लो महेश से कि दबिश निकल गई हैं कि नहीं निकली।

अरे नहीं जायेंगे तुम जानते हो न हर चीज आदमी एक–दूसरे को है।

तो जा रहे हैं क्या कर लेंगे साले देखा जायेगा।

चले जाये सर उन्होंने तो भगा दिया ही होगा जब पैर छुते हैं इतना वफादारी करेंगे इनकी।

कल हम दिन में मिलेंगे एस0एस0पी0 साहब से फिर बतायेंगे।

जो सर ये सार्थक आई टी एक्ट लगाकर लड़कियो के मामले भेज रहे हैं मैं कल गया तो जो इन्होंने 354 आई टी एक्ट लगाकर .... हॉ हॉ ....तो हमने उनसे कहा था वादिया से .... .तो आई एक्ट निकाल कर वापस दे दे वे जाये

तो नहीं वो देंगे ही।

सर उसने एक बार मैसेज किया था कि लस्ट बार मुझसे बात कर लो बाबू मुझसे बात कर लो तो मैने कहा ये तो कोई अपराध ही नहीं कोई आदमी रिक्वेश्ट कर रहा है किसी का लड़का हो या लड़की कहीं से किसी बात करने की बात कर हा तो बात करने में कौन सा बुराई है ना करे तो ना करे कोई गाली या कोई अश्लील बात तो नहीं कर रहा है जिससे बेशर्मी हो न इसी तरह एक और 376 वाले में उसके फोटो की सिपाही के खिलाफ लिखा

गया तो उसमें कहीं किसी फोटो वोटो की शादी की फोटो को वाइरल कर देना अपराध में आता ही नहीं है।

भाई कोई अश्लील बाते थी।

इनको कुछ करना धरना है नहीं केवल पैसा रख लो और चलते बनो ये काम है इनका।

ये पेसबंदी बहुत कर रहे हैं सर ।

अरे रूक जाइये 10 दिन दो चार दिन का मामला है।

लखनऊ से जॉच आई थी मालूम नहीं आपको ।

मालूम है सर बता रहे थे तभी तो आपसे मिलने की जिद्द कर रहे थै। मैने आपसे बताया नहीं था यहॉ से निपटा दिया कप्तान से कह कर सीओ0 कल्याणपुर तभी तो वहॉ से बैठावाई थी जॉच नहीं निपटेगा तो कप्तान निपटा देगा।

(659)

Part № 93401

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ० प्र० महानगर लखनऊ -226006

प्रेषक

निदेशक/संयुक्त निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र०,
महानगर लखनऊ ।

सेवा में

सचिव,जाँच आयोग,
उ०प्र० लखनऊ |

पत्रावली संख्या: 188-EE-2020 दिनांक: जनवरी, 11, ,2021

मु०अ०संख्या-Nil राज्य बनाम-
अधिनियम/धारा:-Nil पुलिस स्टेशन/थाना:-
जनपद-

उपरोक्त से सम्बंधित अग्रेषण पत्र एवं प्रदर्श प्रयोगशाला में दिनांक: 21/12/2020 को विशेष वाहक आरक्षी श्रीप्रकाश यादव द्वारा प्राप्त हुए ।

सील का विवरण

(1) न०-1 से चिन्हित नमूना मोहर पर "Monogram" जैसी सी लाख सील अक्षत हैं|

प्रदर्शों का विवरण

1)एक अदद Samsung मार्का एंड्राइड फ़ोन Model-SM-975F/DS, अंकित S/N-RZ8M22KHZCK, IMEI(1)-355332100599487,IMEI(2)-355333100599485 को प्रदर्श MB-1 से चिन्हित किया गया है| (समुद्रित बण्डल/पैकेट से प्राप्त)

2)एक अदद Samsung मार्का एंड्राइड फ़ोन Model-SM-M307F, अंकित S/N-RZ8N30QVF4P IMEI(1)-355696116144342, IMEI(2)-355697116144340 को प्रदर्श MB-2 से चिन्हित किया गया है| इससे प्राप्त JIO मार्का सिम अंकित न०-89918740408035166179 को प्रदर्श S-1 से चिन्हित किया गया है| (समुद्रित बण्डल/पैकेट से प्राप्त)

2) एक अदद Sandisk मार्का Flash drive/pendrive 64GB चिन्हित प्रदर्श-PD-1 (असमुद्रित अवस्था में प्राप्त)

परिणाम

उपरोक्त प्रदर्शों का परीक्षण कम्प्यूटर फॉरेंसिक में उपलब्ध software (Window 8.1, Window-10 UFED 4PC version:7.38.0.12 & Physical Analyzer version:7.39.1.2, Mediainfo) का प्रयोग कर वैज्ञानिक विधियों से किया गया,परीक्षणोंपरांत-

भेजे गए विवादित Samsung मार्का एंड्राइड फ़ोन चिन्हित प्रदर्श MB-1 व MB-2 से सिस्टम व्दारा extracted ऑडियो फाइल्स (Navigation Recording आदि को छोड़कर) की क्रिएशन तिथि व समय (software based) का विवरण निम्नांकित है -

Sr.	प्रदर्श MB-1 से extracted audio file का नाम	क्रिएशन की तिथि	समय

660

Part N 93402

No.			
1	._IN_200_METERS		
2	._IN_300_METERS		
3	._ROUNDABOUT_TAKE_3RD_EXIT		
4	._TURN_LEFT		
5	ARRIVED		
6	AUD-20190927-WA0001	2019-09-21	18:26
7	AUD-20200217-WA0002	2020-02-17	11:35
8	AUD-20200217-WA0003	2020-02-17	12:43
9	AUD-20200522-WA0001	Itunes	
10	AUD-20200524-WA0000	Tunes 12.5.4.42	
11	AUD-20200525-WA0002	25/5/2020	18:22
12	AUD-20200525-WA0003	iTunes 12.5.4.42	
13	AUD-20200526-WA0006	NA	
14	AUD-20200628-WA0004	2020-06-28	18:04
15	AUD-20200807-WA0001	2020-07-02	23:18 -
16	AUD-20201019-WA0000	Not detected	Not detected
17	Call recording 915222236985_200701_181123	2020-07-01	18:12
18	Call recording 916306346574_200701_160920	2020-07-01	16:12
19	Call recording 916306346574_200702_070501	2020-07-02	07:05
20	Call recording 916306808863_200701_220156	2020-07-01	22;02
21	Call recording 918756410760_200630_185537	2020-06-30	18:55
22	Call recording 918765954915_200702_131042	2020-07-02	13;11
23	Call recording 918859925212_200703_120437	2020-07-03	12;06
24	Call recording 919044660904_200701_140615	2020-07-01	14:06
25	Call recording 919140989421_200701_161254	2020-07-01	16:14
26	Call recording 919451787443_200701_175534	2020-07-01	17:57
27	Call recording 919454401052_200701_210249	2020-07-01	21:02
28	Call recording 919454401052_200701_210457	2020-07-01	21:05
29	Call recording 919454401457_200701_142331	2020-07-01	14:25
30	Call recording 919454401458_200630_184655	2020-06-30	18:48
31	Call recording 919454403225_200701_223451	2020-07-01	22;35
32	Call recording 919454497515_200703_121923	2020-07-03	12:23
33	Call recording 919580616128_200630_174035	2020-06-30	17:41
34	Call recording 919621352544_200702_174808	2020-07-02	17:50
35	Call recording 919648253321_200702_104838	2020-07-02	10:49
36	Call recording 919648253321_200702_105515	2020-07-02	10:56
37	Call recording 919695471640_200630_183833	2020-06-30	18:38
38	Call recording 919858989838_200701_144157	2020-07-01	14:42
39	Call recording +913333778888_191025_165425	2019-10-25	16:54
40	Call recording +913361658888_191025_165042	2019-10-25	16:53
41	Call recording +913361658888_191025_182019	2019-10-25	18:27
42	Call recording +913361658888_191203_180145	2019-12-03	18:01
43	Call recording +913361658888_191208_103204	2019-12-08	10:32
44	Call recording +913361658888_191209_125024	2019-12-09	12:51
45	Call recording +913368152200_191102_170214	2019-11-02	17:02
46	Call recording +916306310595_200325_183111	2020-03-25	18:37
47	Call recording +916306310595_200325_183802	2020-03-25	18:38
48	Call recording +916307531314_200108_171849	2020-01-08	17:20
49	Call recording +916307686569_191106_141554	2019-11-06	14:16
50	Call recording +916307686569_191122_151119	2019-11-22	15:11
51	Call recording +916386136722_200324_203712	2020-03-24	2037
52	Call recording +916386136722_200324_204027	2020-03-24	20:42
53	Call recording +916386136722_200519_234617	2020-05-19	23:46
54	Call recording +916386136722_200519_235058	2020-05-19	23:51
55	Call recording +916386136722_200519_235148	2020-05-19	23:51
56	Call recording +916386136722_200519_235206	2020-05-19	23:52

661

Reports regarding territorial jurisdiction from district magistrate (s) Kanpur Nagar and Kanpur Dehat.

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार
सचिव, जाँच आयोग,
कमरा नं0—22, वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, शहीद पथ लखनऊ, उ0प्र0—226012

पत्र संख्या:— 767 / जे0ए0 / जाँच आयोग / 2020 दिनांक—16-12-2020

विषय:—जनपद कानपुर नगर के थाना क्षेत्रो का जनपद के प्रशासनिक कार्यो तथा सेशन / दण्ड न्यायालयो के मध्य विभाजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक—150 / 2020 / जाँच आयोग / लखनऊ / 2020 दिनांक 14—12—2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में जनपद कानपुर नगर के थाना क्षेत्रो का विभाजन प्रशासनिक कार्य तथा सेशन / दण्ड न्यायालयो के कार्य के मध्य भिन्न—भिन्न है अर्थात कुछ थाना क्षेत्र प्रशासनिक कार्य हेतु जनपद कानपुर नगर में है, परन्तु जनपद के सेशन / दण्ड न्यायालय के अन्तर्गत वे थाना क्षेत्र नही आते है। उक्त के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर के समस्त थानो का प्रशासनिक कार्य एवं सेशन / दण्ड न्यायालयो के कार्यो हेतु थानो का विवरण व उनकी मुख्यालय से दूरी सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के कम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी सूचना सेल, चौबेपुर प्रकरण जनपद कानपुर नगर की आख्या दिनांक—16—12—2020 के अनुसार जनपद कानपुर नगर के सर्किल बिल्हौर के थाने बिल्हौर, चौबेपुर, शिवराजपुर, ककवन एवं सर्किल घाटमपुर के थाने घाटमपुर, सजेती, साढ का न्यायिक अधिकार क्षेत्र माती, कानपुर देहात व प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र कानपुर नगर(मुख्यालय) से दूरी का विवरण:—

सर्किल	क्र0 सं0	जनपद कानपुर नगर के थाना	प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र (मुख्यालय)	न्यायिक अधिकार क्षेत्र (न्यायालय)	थानो से प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र (मुख्यालय) की दूरी	थानो से न्यायिक अधिकार क्षेत्र (न्यायालय) की दूरी
बिल्हौर	1	बिल्हौर	कानपुर नगर	कानपुर देहात	55 कि0मी0	100 कि0मी0
	2	चौबेपुर	कानपुर नगर	कानपुर देहात	25 कि0मी0	60 कि0मी0
	3	शिवराजपुर	कानपुर नगर	कानपुर देहात	30 कि0मी0	60 कि0मी0
	4	ककवन	कानपुर नगर	कानपुर देहात	55 कि0मी0	85 कि0मी0
घाटमपुर	5	घाटमपुर	कानपुर नगर	कानपुर देहात	45 कि0मी0	65 कि0मी0
	6	सजेती	कानपुर नगर	कानपुर देहात	56 कि0मी0	70 कि0मी0
	7	साढ	कानपुर नगर	कानपुर देहात	32 कि0मी0	62 कि0मी0
	8	बिधनू	कानपुर नगर	कानपुर नगर	22 कि0मी0	22 कि0मी0
कोतवाली	9	कोतवाली	कानपुर नगर	कानपुर नगर	0.5 कि0मी0	0.5 कि0मी0
	10	फीलखाना	कानपुर नगर	कानपुर नगर	1.5 कि0मी0	1.5 कि0मी0
	11	मूलगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	1.5 कि0मी0	1.5 कि0मी0
कलक्टरगंज	12	कलक्टरगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	03 कि0मी0	03 कि0मी0
	13	हरबंशमोहाल	कानपुर नगर	कानपुर नगर	04 कि0मी0	04 कि0मी0
	14	बादशाहीनाका	कानपुर नगर	कानपुर नगर	2.5 कि0मी0	2.5 कि0मी0
अनवरगंज	15	अनवरगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	02 कि0मी0	02 कि0मी0
	16	रायपुरवा	कानपुर नगर	कानपुर नगर	3.5 कि0मी0	3.5 कि0मी0
	17	बेकनगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	03 कि0मी0	03 कि0मी0
छावनी	18	छावनी	कानपुर नगर	कानपुर नगर	01 कि0मी0	04 कि0मी0
	19	रेलबाजार	कानपुर नगर	कानपुर नगर	06 कि0मी0	06 कि0मी0
	20	चकेरी	कानपुर नगर	कानपुर नगर	10 कि0मी0	10 कि0मी0

663

कर्नलगंज	21	कर्नलगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	02 कि0मी0	02 कि0मी0
	22	ग्वालटोली	कानपुर नगर	कानपुर नगर	03 कि0मी0	03 कि0मी0
	23	कोहना	कानपुर नगर	कानपुर नगर	04 कि0मी0	04 कि0मी0
सीसामऊ	24	सीसामऊ	कानपुर नगर	कानपुर नगर	06 कि0मी0	06 कि0मी0
	25	बजरिया	कानपुर नगर	कानपुर नगर	04 कि0मी0	04 कि0मी0
	26	चमनगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	05 कि0मी0	05 कि0मी0
स्वरूपनगर	27	स्वरूपनगर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	07 कि0मी0	07 कि0मी0
	28	नवाबगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	05 कि0मी0	05 कि0मी0
	29	काकादेव	कानपुर नगर	कानपुर नगर	08 कि0मी0	08 कि0मी0
कल्यानपुर	30	कल्यानपुर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	15 कि0मी0	15 कि0मी0
	31	पनकी	कानपुर नगर	कानपुर नगर	15 कि0मी0	15 कि0मी0
	32	बिठूर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	24 कि0मी0	24 कि0मी0
बाबूपुरवा	33	बाबूपुरवा	कानपुर नगर	कानपुर नगर	05 कि0मी0	05 कि0मी0
	34	जूही	कानपुर नगर	कानपुर नगर	07 कि0मी0	07 कि0मी0
	35	किदवई नगर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	08 कि0मी0	08 कि0मी0
गोविन्द नगर	36	गोविन्द नगर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	10 कि0मी0	10 कि0मी0
	37	नौबस्ता	कानपुर नगर	कानपुर नगर	13 कि0मी0	13 कि0मी0
	38	बर्रा	कानपुर नगर	कानपुर नगर	12 कि0मी0	12 कि0मी0
नजीराबाद	39	नजीराबाद	कानपुर नगर	कानपुर नगर	06 कि0मी0	06 कि0मी0
	40	फजलगंज	कानपुर नगर	कानपुर नगर	07 कि0मी0	07 कि0मी0
	41	अर्मापुर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	11 कि0मी0	11 कि0मी0
सदर	42	महाराजपुर	कानपुर नगर	कानपुर नगर	06 कि0मी0	06 कि0मी0
	43	नर्वल	कानपुर नगर	कानपुर नगर	07 कि0मी0	07 कि0मी0
	44	सचेण्डी	कानपुर नगर	कानपुर नगर	11 कि0मी0	11 कि0मी0
	45	महिला थाना	कानपुर नगर	कानपुर नगर	0.3 कि0मी0	0.3 कि0मी0

अतः आप द्वारा चाही गयी सूचना सादर प्रेषित की जा रही है।

16/12

(आलोक तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर

664

475
30-12-20

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

सेवा में,

सचिव, जाँच आयोग,
कमरा नं0–202,
वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस,
रमाबाई मैदान, शहीदपथ,
लखनऊ।

प0सं0– 991/जे0ए0–का0दे0/जाँच आयोग/2020 दिनांक 21, दिसम्बर, 2020

विषय :– **जनपद कानपुर देहात के थाना क्षेत्रों का जनपद के प्रशासनिक कार्यों तथा सेशन/दण्ड न्यायालयों के मध्य विभाजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–151/2020/जाँच आयोग/लखनऊ:2020, दिनांक 14.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मा0 न्यायमूर्ति डा0 बी0एस0 चौहान (पूर्व न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय) की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय जाँच आयोग का गठन, विकास दुबे एवं उसके सहयोगियों द्वारा 02/03.07.2020 को ग्राम बिकरू, थाना–चौबेपुर, कानपुर नगर में 08 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या किये जाने व विभिन्न तिथियों में विकास दुबे एवं उसके साथियों के मारे जाने व इसी सम्बन्ध में अन्य बिन्दुओं पर जाँच की जा रही है। इस सम्बन्ध में मा0 जाँच आयोग के निर्देशानुसार जनपद कानपुर देहात के समस्त थानों का प्रशासनिक कार्य एवं सेशन/दण्ड न्यायालयों के कार्यो हेतु थानों का विवरण व उनकी मुख्यालय से दूरी सहित आख्या जाँच आयोग को अतिशीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात से आख्या प्राप्त की गयी। पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात ने अपने पत्रांक–आर/एसपी–13–सेशन न्यायालय/मुख्यालय दूरी आख्या/2020, दिनांक 17.12.2020 के द्वारा जनपद कानपुर देहात के समस्त थानों का प्रशासनिक कार्य एवं सेशन/दण्ड न्यायालयों के कार्यो हेतु थानों का विवरण व उनकी मुख्यालय से दूरी सहित आख्या उपलब्ध करायी है, जो इस पत्र के साथ मूलरूप मे संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि (मूलरूप में)

भवदीय,

(डा0 दिनेश चन्द्र)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

665

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर देहात।
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE, KANPUR DEHAT

पत्रांकः - आर/एसपी-13- सेशन न्यायालय/मुख्यालय दूरी आख्या /2020 दिनांक - दिसम्बर 17 ,2020

जिलाधिकारी ,

जंनपद कानपुर देहात ।

महोदय आपके पत्र संख्या 878/जे0ए0/बिक0प्रक0/2020 दिनांक 16/12/2020 के माध्यम से सचिव जांच आयोग लखनऊ के संलग्न पत्रांक-151/2020/जॉच आयोग/ लखनऊ 2020 दिनांक 14/12/2020 के संदर्भ में जनपद कानपुर देहात के थाना क्षेत्रों का जनपद के प्रशासनिक कार्यों तथा सेशन/दण्ड न्यायलयों के मध्य विभाजन के सम्बन्ध में आख्या भेजे जाने विषयक है:-

अत जनरपद कानपुर देहात के समस्त थानों का प्रशासनिक कार्य एव सेशन/दण्ड न्यायालयों के कार्यों हेतु थानों का विवरण व उनकी मुख्यालय से दूरी सहित आख्या निम्नांकित है:-

क्र0स0	जनपद	थाना	प्रशासनिक मुख्यालय एवं थाने से दूरी	सेशन/दण्ड न्यायालय व थाने से दूरी
1	कानपुर देहात	अकबरपुर	माती दूरी 5 किमी0	माती दूरी 05 किमी0
2	कानपुर देहात	महिला थाना	माती दूरी 03 किमी	माती दूरी 03 किमी
3	कानपुर देहात	गजनेर	माती दूरी 14 किमी	माती दूरी 14 किमी
4	कानपुर देहात	रूरा	माती दूरी 18 किमी	माती दूरी 18 किमी
5	कानपुर देहात	भोगनीपुर	माती दूरी 30 किमी	माती दूरी 30 किमी
6	कानपुर देहात	मूसानगर	माती दूरी 48 किमी	माती दूरी 48 किमी
7	कानपुर देहात	देवराहट	माती दूरी 45 किमी	माती दूरी 45 किमी
8	कानपुर देहात	सट्टी	माती दूरी 40 किमी	माती दूरी 40 किमी
9	कानपुर देहात	सिकन्दरा	माती दूरी 43 किमी	माती दूरी 43 किमी
10	कानपुर देहात	राजपुर	माती दूरी 35 किमी	माती दूरी 35 किमी
11	कानपुर देहात	अमराहट	माती दूरी 52 किमी	माती दूरी 52 किमी
12	कानपुर देहात	डेरापुर	माती दूरी 35 किमी	माती दूरी 35 किमी
13	कानपुर देहात	मंगलपुर	माती दूरी 50 किमी	माती दूरी 50 किमी
14	कानपुर देहात	बरौर	माती दूरी 20 किमी	माती दूरी 20 किमी
15	कानपुर देहात	रसूलाबाद	माती दूरी 70 किमी	माती दूरी 70 किमी
16	कानपुर देहात	शिवली	माती दूरी 45 किमी	माती दूरी 45 किमी

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक,
जनपद कानपुर देहात।

666

Reports of comparative crime graphs from Police Commissionerate Lucknow and Gautambuddh Nagar (NOIDA)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

The First Nine Months – A

668

महत्वपूर्ण अपराधिक
तीन वर्षीय तुलनात्मक आंकड़ा

तीन वर्षीय महत्वपूर्ण अपराधिक तुलनात्मक आंकड़ा

दिनांक- 15.01.20 – 15.10.20

डकैती			लूट			हत्या			बलवा		
2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	4	5	48	207	242	63	79	94	48	78	136

गृह भेदन			वाहन चोरी			योग		
2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
297	514	618	763	1574	2126	1360	2450	3172

अपहरण			दहेज हत्या			बलात्कार			कुल भादवि		
2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
213	317	449	42	31	36	44	75	120	10620	14848	15260

669

COMPARATIVE CRIME RATE FIGURE OF 2019, 2020 "COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR"

Sl. No.	Crime Head	Date 16-01-2020 TO 30-09-2020																		
		JAN		FEB		MARCH		APRIL		MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEP		Total
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	[redacted]
1	Dacoity	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	[redacted]
2	Loot	5	7	21	14	12	7	12	0	18	2	20	6	13	6	14	1	14	8	[redacted]
3	House Trespass	10	23	18	21	18	6	28	11	29	9	22	16	36	14	14	15	16	13	[redacted]
4	Vehicle Theft	130	72	203	136	197	116	252	14	300	29	211	81	312	105	145	113	143	139	[redacted]
5	Other Theft	60	67	119	112	105	71	87	19	143	31	136	39	278	46	170	52	185	90	[redacted]
6	Murder	5	5	10	8	7	8	8	1	9	5	8	7	12	11	8	7	8	10	[redacted]
7	304 IPC	1	2	4	1	2	0	0	1	2	2	2	0	4	1	1	1	3	4	[redacted]
8	307 IPC	2	3	9	9	11	16	9	5	21	6	16	11	18	10	18	12	15	5	[redacted]
9	Kidnapping for Extortion	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[redacted]
10	Other Kidnapping	17	16	16	22	22	30	17	0	18	11	30	22	21	24	32	19	22	32	[redacted]
11	Rape	3	1	6	3	7	3	7	2	12	4	14	4	8	4	10	8	5	2	[redacted]
12	Other IPC	236	259	391	448	449	640	411	701	501	796	440	476	943	634	964	416	786	419	[redacted]
TOTAL IPC		**469**	**455**	**798**	**774**	**830**	**897**	**833**	**754**	**1054**	**895**	**900**	**662**	**1645**	**855**	**1376**	**644**	**1197**	**723**	[redacted]

670

Miscellaneous

केवल सरकारी उपयोग के लिए

671

विधि परामर्शी निदेशिका

LEGAL REMEMBRANCER'S MANUAL

उत्तर प्रदेश राज्य के विधिक मामलों के संचालन हेतु
आदेशों तथा अनुदेशों का संकलन

A MANUAL OF ORDER AND INSTRUCTIONS FOR
THE CONDUCT OF LEGAL AFFAIRS OF
THE STATE OF UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ

District Judge shall ... District Government Counsel ... conduct of the District Government Counsel ... Similarly, the ... where they are generally required to practice. Similarly, the ... before recording such opinion obtain a report from the Superintendent of Police regarding the counsel's capacity for prosecution of cases and assistance rendered to the investigating agency. The record, which shall be confidential, shall be maintained by the District Officer. Every adverse entry shall be communicated to the District Government Counsel concerned by the District Officer, with the prior approval of the Government.

(2) The character roll of every District Government Counsel shall also be maintained by the Government in Judicial (Legal Advice) Section. For this purpose, the District Officer shall forward to the Legal Remembrancer a copy of all the confidential reports, recorded by him and the District Judge on the work and conduct of the District Government Counsel by the first week of May every year for being incorporated in the character roll, maintained by the Government.

(3) The District Officer shall forward a copy of all the confidential reports, referred to in para 7.09(2) in respect of District Government Counsel (Criminal) to Home (Police) Section of Secretariat also for information.

(4) Any shortcomings on the part of the District Government Counsel shall at once be brought to the notice of the Legal Remembrancer.

7.10. Officiating appointment in casual vacancies- When the District Government Counsel is unable to attend to his duties on account of his being away outside-the district or the local area for which he has been appointed or due to other reasons, for a period of less than 15 days-

(i) in the case of District Government Counsel (Criminal) or (Civil), his work will ordinarily be looked after by the Additional/ Assistant District Government Counsel, where one exists; otherwise it will be looked after by one of the panel lawyers designated by the District Officer;

(ii) in the case of District Government Counsel (Revenue), his work will be looked after by District Government Counsel (Civil) or another legal practitioner to be appointed by the District Officer, unless the court agrees to adjourn the cases for the requisite period:

Provided that where the absence of the District Government Counsel is likely to continue for a period exceeding 15 days, the fact shall be reported to the legal Remembrancer by the District Officer, and his prior approval for the proposed arrangement for the conduct of work in his absence shall be obtained:

Provided further that where the arrangement is made for the work of the District Government Counsel for a period exceeding than 15 days, the acting District Government Counsel will be entitled to the same fee as admissible to the District Government Counsel.

प्रोफार्मा

(प्रश्नगत मामले में जो संबंधित न हो उस पर क्रास का चिह्न लगा दें तथा अभियोग से संबंधित के बारे में स्पष्ट विवरण दें)

(1)– प्रश्नगत मामले का मुकदमा अपराध संख्या

(2)– प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि

(3)– घटना का दिनांक

(4)– वादी का नाम

(5)– नामित अभियुक्तों की संख्या एवं नाम

(6)– अभियुक्त की गिरफ्तारी का दिनांक (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

(7)– अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

(8)– यदि किसी अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है तो यह इंगित हो कि इस अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है एवं जिस गवाह के बयान से नाम प्रकाश में आया उस गवाह का नाम (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

(9)– गवाहों की संख्या एवं चक्षुदर्शी/स्वतन्त्र साक्षी /चोटहिल साक्षी का विवरण जिन्होंने अभियुक्त का नाम अपने बयान में लिया हो एवं उसके रोल को बताया हो। (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है उस पर्चे का नम्बर)

(10)– प्रत्येक अभियुक्त का रोल (केस डारी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है उस पर्चे का नम्बर)

(11)– किसी अभियुक्त से क्या बरामदगी हुई है उसका विवरण (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

(12)– द0प्र0सं0 धारा 164 का बयान दर्ज हुआ है या नहीं? और यदि हुआ है तो कब (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

674

(13)– पीड़ित/पीड़िता की उम्र का स्पष्ट विवरण। मेडिकल एवं स्कूल सर्टिफिकेट का प्रमाणपत्र (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

(14)– विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के लिए यदि पत्राचार किये गये हो तो भेजने का एवं इस बात का उल्लेख कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है या नहीं ? और यदि रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तो केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

(15)– चोटहिल की संख्या/नाम व चोटों का स्पष्ट विवरण (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है, उस पर्चे का नम्बर)

(16)– मृतक का नाम, मृत्यु का दिनांक, मृत्यु का कारण पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की तिथि व समय ।

(17)– बिसरा रिपोर्ट की तिथि ।

(18)– घटना में प्रयुक्त हथियार ।

(19)– घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हुई है या नहीं? एवं किसकी निशानदेही पर हुई (केस डायरी के किस पर्चा संख्या में इसका उद्धरण किया गया है उस पर्चे का नम्बर)

(20)– यदि चोरी /लूट/डकैती की घटना में मोटर साइकिले बरामद हुई है तो किस अभियुक्त से एवं बरामद वाहन को किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट से कनेक्ट किया गया उसका विवरण। यह स्पष्ट होना चाहिए कि बरामद वाहन के संबंध में किस थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है।

(21)– प्रस्तुत अभियोग में आरोप पत्र दाखिल किये जाने की तिथि।

(22)– आरोप पत्र में यदि किसी अभियुक्त क नाम घटाया गया है या बढ़ाया गया है एवं किसी धारा को हटाया गया है अथवा बढ़ाया गया है उसका स्पष्ट विवरण।

(23)– प्रस्तुत अभियोग में विचारण की वर्तमान प्रगति आख्या

(24)– अन्य विवरण जो कि उस मामले में आवश्यक हो।

675

Justice B S Chauhan Inquiry Commission: Re Kanpur encounter 2020

Date: 18.12.2020

Hon'ble Members

1. It is submitted that the undersigned was directed by the Hon'ble Inquiry Commission to go through video recordings/video reports and news reports of various media houses available on internet, social media and also examine newspaper reports in regard to the incidents, which are subject-matter of this inquiry, and submit a report before the Hon'ble Commission so that the Hon'ble Commission may take further necessary action.

2. In compliance of above directions, the undersigned went through different video clips/video news reports of various news channels which are available on social media and internet and also read news reports published in different newspapers (available on internet) regarding the incidents which are subject-matter of this inquiry.

3. Some of the prominent video clips of different news channels (available on YouTube and internet) are of India Today, Aaj Tak, Times Now, ZEE NEWS and NDTV which mainly pertain to incident dated 2/3.07.2020 of village Bikru PS Chaubeypur, Kanpur Nagar in which 08 police personnel were allegedly killed by Vikas Dubey and his associates and the incident dated 10.07.2020 under PS Sachendi Kanpur Nagar in which accused Vikas Dubey was allegedly got killed while being brought from Ujjain to Kanpur. Some video clips also relate to incident dated 09.07.2020 under PS Panki, Kanpur Nagar in which accused Prabhat Mishra @ Kartikeya was allegedly injured in police action and later died, and some clips relate to incident dated 08.07.2020 of district Hamirpur in which accused Amar Dubey was injured in police action and later died. All these video clips are uploaded between 03.07.2020 and 17.07.2020.

4. Some of the prominent newspaper/news agency reports available on internet and social media pertaining to the incidents, which are subject-matter of this inquiry, are Daily Dainik Bhaskar, E economics/India Times, ANI, The Hindu, The Times of India, Amar Ujala, Business Today and Dainik Jagaran. All these news reports are of the period between 03.07.2020 and 11.07.2020.

5. From a perusal of these reports (video and print media), it appears that none of the Correspondents, who prepared the report(s), has witnessed any of the incidents nor he has any personal knowledge of the incidents. Most of the reporters reached at the spot after the incident(s) occurred. Regarding incident

dated 2/3.07.2020 of village Bikaru, in which 08 police personnel were allegedly killed by Vikas Dubey and his associates, some video clips of Aaj Tak prepared by Sri Shams Tahir Khan **(Aaj Tak 17.07.2020)** contain audio recordings allegedly of the accused and their relatives during and just after the incident (which are said to be viral on internet) in which conversations of some persons contain names of some accused named in this incident. Another video clip of Aaj Tak contains a report with video recordings of some vehicles allegedly carrying accused Vikas Dubey to Kanpur from Ujjain and the team of Aaj Tak following them. The Correspondent is heard saying that just after Barajo Toll Plaza, his vehicle was knowingly stopped by police by putting barriers on road in the name of checking of vehicles, so that the convoy carrying Vikas Dubey manages to avoid the media. The reporter says that just after few minutes, a few kilometers away, the vehicle carrying Vikas Dubey is found overturned and the police version of incident is reported to media. This news report does not show that the incident of alleged accident and overturn of vehicle and later events were witnessed by the reporter himself. Some of the other video clips have only reported about the incident(s) and not a single person is reported to have witnessed any of the incident(s). These reports have drawn some conclusions about the incident(s) on the basis of speculation and past background and also some of the statements given by higher officers of the Government after the Bikru incident.

6. Some of the video clips **(India Today 04.07.2020)** show, the house of Vikas dubey in village Bikru is raged by the administration along with damage caused to some vehicle allegedly belonging to Vikas Dubey. In another video clip which also shows the house of Vikas Dubey **(TIMES NOW 04.07.2020)** being raged and the Correspondent is raising certain issues of bypassing the law in doing such activity by the administration.

7. The print media reports also do not contain the name of any person who witnessed any of the incidents. The reports are based on hearsay and/or circumstantial evidence and the Reporters have drawn their conclusion(s) about the genuineness of incident(s) on that basis by assuming certain facts.

8. Beside the above, I have not observed any notable material in video reports and print media reports which I accessed on internet and social media.

The report is submitted for kind perusal and necessary action.

18.12.2020

(Sanjeev Kumar)
Secretary to the Inquiry Commission